बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुसार
30 जून 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में
बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2006-07

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रित संस्करण का मूल्य :

भारत में	–	600 रुपए	(सामान्य)
	–	650 रुपए	(डाक प्रभार सहित)
	–	450 रुपए	(रियायती)
	–	500 रुपए	(रियायती – डाक प्रभार सहित)
विदेश में	–	45 अमरीकी डॉलर	(एयर मेल कूरियर प्रभार सहित)
	–	40 अमरीकी डॉलर	(एयर मेल बुक-पोस्ट प्रभार सहित)

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2007
सर्वाधिकार सुरक्षित । इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत के प्रति आभार व्यक्त किया जाए ।

ए. करुणागरन द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा
एल्को कोर्पोरेशन, ए-2/72, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल इस्टेट, लोअर परेल (प), मुंबई - 400 013 में डिज़ाइन और मुद्रित।

विषय-सूची

क्रम संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
अध्याय I : विहगावलोकन		
1	वैश्विक अर्थव्यवस्था	1
2	भारतीय अर्थव्यवस्था	3
अध्याय II : वाणिज्यिक बैंकिंग में नीतिगत गतिविधियां		
1	प्रस्तावना	11
2	मौद्रिक नीति	12
3	ऋण सुपुर्दगी	20
4	वित्तीय समावेशन	26
5	विवेकपूर्ण विनियमन	29
6	पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षी नीति	44
7	वित्तीय बाजार	46
8	बैंकों में ग्राहक सेवा	50
9	भुगतान और निपटान प्रणाली	55
10	प्रौद्योगिकी और अन्य प्रगति	58
11	कानूनी सुधार	61
अध्याय III: वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन और कार्य निष्पादन		
1	प्रस्तावना	65
2	अनुसूचित वाणिज्य बैकों की देयताए और आस्तियां	65
3	तुलन-पत्र से इतर परिचालन	83
4	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय निष्पादन	83
5	सुदृढ़ता संकेतक	91
6	पूंजी बाजार में बैंकों का परिचालन	98
7	बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास	103
8	बैंकिंग का क्षेत्रीय प्रसार	107
9	ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेश	111
10	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	112
11	स्थानीय क्षेत्र के बैंक	116
अध्याय IV: सहकारी बैंकिंग में गतिविधियां		
1	प्रस्तावना	118
2	शहरी सहकारी बैंक	120
3	ग्रामीण सहकारी संस्थाएं	139
4	व्यष्टि वित्त (माइक्रो फाइनांस)	152
5	नाबार्ड और सहकारी क्षेत्र	157

क्रम संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
अध्याय V: गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं		
1	प्रस्तावना	164
2	वित्तीय संस्थाएं	165
3	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	171
4	प्राथमिक व्यापारी	192
अध्याय VI: वित्तीय स्थिरता		
1	प्रस्तावना	196
2	वित्तीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	199
3	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का आधार (बेंचमार्क)	212
4	वित्तीय बाज़ारों की गतिविधियां	215
5	भुगतान और निपटान प्रणाली	228
6	वित्तीय स्थिरता में जोखिम	230
7	समग्र मूल्यांकन	240
अध्याय VII: संभावनाएं		**242**
परिशिष्ट II.1	**वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा की गई पहलों की समीक्षा-2006-07**	**253**
परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची		**255**

बाक्स सूची

बाक्स संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
II.1	अप्रैल 2006 से अक्तूबर 2007 के दौरान मौद्रिक नीति का रुझान	13
II.2	वर्ष 2007-08 की वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ	18
II.3	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार पर संशोधित दिशानिर्देश	22
II.4	आपदाग्रस्त किसानों के लिए राहत के उपाय - ऋण गारंटी योजना	23
II.5	व्यष्टि, छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास अधिनियम, 2006 के प्रमुख उपबंध	24
II.6	साहूकारी पर विधान की समीक्षा के लिए तकनीकी दल	26
II.7	नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क में संक्रमण करना : समानांतर प्रक्रिया	30
II.8	पर्यवेक्षी समीक्षा प्रकिया	34
II.9	प्रतिगामी बंधक - भारत में हाल की गतिविधियाँ	35
II.10	ऋण व्युत्पन्नी	37
II.11	ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 - नियमावली एवं विनियमावली	41
II.12	वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति	43
II.13	बैंकों में अनुपालन कार्य	45
II.14	निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए संरक्षित प्रकटन योजना शुरू करना	52
II.15	उपभोक्ता संरक्षण के विशेष संदर्भ वाले क्रेडिट कार्ड	53
II.16	ई-पर्स से संबंधित पहल	56
II.17	मल्टी एप्लिकेशन स्मार्ट कार्ड और बैंकिंग में उनकी संभावनाएं	60
II.18	सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन	61
III.1	बैंकों के तुलन पत्र में प्रकटीकरण और पारदर्शिता	68
III.2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में बैंकों का निष्पादन	72
III.3	ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान	104
III.4	ऋण-जमा अनुपात में क्षेत्र/राज्यवार प्रवृत्तियां	109
III.5	परिचालनात्मक सक्षमता के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों के सशक्तीकरण संबंधी कार्यबल	114
IV.1	शहरी सहकारी बैंकों का विलय और समामेलन	122
IV.2	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा पूँजी जुटाने संबंधी मुद्दों पर कार्य दल की रिपोर्ट	130
IV.3	शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित कैमेल्स रेटिंग मॉडल	131
IV.4	व्यष्टि वित्त : भविष्य की चुनौतियां और रणनीति	156
IV.5	ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में तेजी लाने के लिए नाबार्ड द्वारा की गई पहलें	162
VI.1	अत्यंत लीवरेज वाली संस्थाओं के बारे में वित्तीय स्थिरता फोरम की रिपोर्ट - अद्यतन स्थिति	198

बाक्स संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
VI.2	गैर-निष्पादक ऋण प्रबंधन - विभिन्न देशों के अनुभव	203
VI.3	ब्याज दर जोखिम की माप	205
VI.4	धन शोधन, आतंकवाद वित्तीयन और अन्य बाज़ार दुरुपयोगों का सामना करना	207
VI.5	एक सफल जमा बीमा योजना (डीआइएस) की विशेषताएं और डीआइसीजीसी की स्थिति	211
VI.6	आय के संरचनात्मक निर्धारक तत्वों पर आधारित बैंक के उपार्जनों का आकलन	213
VI.7	अंतरराष्ट्रीय तेल कीमत- प्रभाव	232
VI.8	अमरीका में सब-प्राइम बन्धक बाजार : हाल की गतिविधियां	233
VI.9	बचाव निधियां (हेज फंड्स)	234
VI.10	कैरी ट्रेड	235
VI.11	व्यवस्थागत आकस्मिक रोक (सिस्टमिक सडन स्टॉप)	238
VI.12	वैश्विक वित्तीय बाज़ार की हाल की गतिविधियां : सबक	239

सारणी सूची

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
I.1	वित्तीय क्षेत्र के चुनिंदा संकेतक : 2006-07	6
II.1	नीतिगत दरों और नकदी आरक्षित अनुपात में हाल के परिवर्तन	15
II.2	एनआरई/एफसीएनआर (बी) जमाराशियों और विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण का ब्याज दर निर्धारण	20
III.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र	66
III.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि : बैंक समूह-वार	67
III.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख घटक-बैंक समूहवार	67
III.4	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं – प्रकार	70
III.5	खाद्येतर ऋण का क्षेत्रवार नियोजन - प्रवाह	71
III.6	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति	74
III.7	बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो	75
III.8	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र को ऋण	76
III.9	संवेदनशील क्षेत्र को ऋण-बैंक समूहवार	76
III.10	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश	77
III.11	गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश की संरचना	77

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
III.12	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियां-प्रकारानुसार	78
III.13	बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण-परिपक्वता एवं क्षेत्रवार	79
III.14	भारत से इतर देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	79
III.15	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन	80
III.16	चुनिंदा देयताओं/आस्तियों का बैंक समूहवार परिपक्वता स्वरूप	82
III.17	जमा और उधार देने की दरों में उतार-चढ़ाव	84
III.18	ब्याज दर संरचना	85
III.19	निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूहवार	86
III.20	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक	87
III.21	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आय-व्यय प्रोफाइल में परिवर्तन	89
III.22	परिचालन लाभ तथा निवल लाभ - बैंक समूहवार	90
III.23	अनर्जक आस्तियों में बैंक समूहवार उतार चढ़ाव	91
III.24	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा विविध माध्यमों के जरिए वसूल किया गया एनपीए	92
III.25	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की वसूली	92
III.26	प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियो के ब्यौरे	92
III.27	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार चढाव - बैंक समूह-वार	93
III.28	अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की बैंक समूह वार सकल तथा निवल अनर्जक आस्तियाँ	94
III.29	निवल अनर्जक आस्तियाँ-निवल अग्रिम अनुपात द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण	95
III.30	ऋण आस्तियों का वर्गीकरण-बैंक समूहवार	96
III.31	क्षेत्रवार-एनपीए-बैंक समूह-वार	96
III.32	निवेश के मूल्यहास पर प्रावधानों में बैंक समूहवार उतार-चढ़ाव	97
III.33	अनुसूचित वाणिज्य बैंक घटकवार - सी आर ए आर	97
III.34	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बैंक समूहवार	98
III.35	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूँजी का अनुपातवार वितरण	98
III.36	बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक निर्गम	99
III.37	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गम के जरिए जुटाए गए संसाधन - 2006-07	99
III.38	बैंकों द्वारा निजी नियोजन के जरिए जुटाए गए संसाधन	99
III.39	अन्य क्षेत्र के स्टॉकों की तुलना में बैंकिंग स्टॉक पर प्रतिलाभ	100
III.40	बैंक स्टॉक का कार्यनिष्पादन - जोखिम और प्रतिलाभ	101
III.41	बीएसई में बैंकों के शेयरों का मूल्य और बैंक स्टॉक मूल्य/अर्जन अनुपात	102
III.42	बैंक स्टाक का संबंधित अंश - कुल टर्नओवर तथा बाजार पूंजीकरण	103
III.43	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी शेयर धारिता	103

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
III.44	भारतीय बैंकों में विदेशी संस्थाओं (अनिवासी) की शेयर धारिता	103
III.45	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण	105
III.46	शाखाओं का कंप्यूटरीकरण - सरकारी क्षेत्र के बैंक	105
III.47	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम	105
III.48	फुटकर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से लेन-देन	106
III.49	कुल जमाराशियों में तथा समग्र बैंक ऋण में शीर्ष के सौ केंद्रों का हिस्सा	107
III.50	भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की देशवार सूची	110
III.51	भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन	111
III.52	बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त बैंकसमूहवार शिकायतें	112
III.53	2006-07 के दौरान बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त क्षेत्र-वार शिकायतें	112
III.54	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - समेकित तुलनपत्र	114
III.55	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	115
III.56	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबारी तथा वित्तीय संकेतक	116
III.57	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजन-वार बकाया अग्रिम	116
III.58	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की रुपरेखा	117
III.59	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन	117
IV.1	नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन	123
IV.2	शहरी सहकारी बैंकों की केंद्र-वार श्रेणियां	132
IV.3	शहरी सहकारी बैंकों की श्रेणीवार स्थिति का सारांश	132
IV.4	शहरी सहकारी बैंको का जमाराशिवार विभाजन	133
IV.5	शहरी सहकारी बैंकों की रूपरेखा	133
IV.6	शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	133
IV.7	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम - 2006-07	134
IV.8	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश	134
IV.9	सभी शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर-वार विभाजन	134
IV.10	शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां	135
IV.11	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	135
IV.12	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	136
IV.13	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	136
IV.14	शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण	137
IV.15	शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण	138

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
IV.16	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के केंद्रवार चुनिंदा संकेतक	138
IV.17	गैर-अननुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के केंद्रवार चुनिंदा संकेतक	138
IV.18	अधिक्रमण के अधीन निर्वाचित बोर्ड	141
IV.19	ग्रामीण सहकारी बैंकों की रूपरेखा	142
IV.20	राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	143
IV.21	राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन	143
IV.22	राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	144
IV.23	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	144
IV.24	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन	145
IV.25	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	145
IV.26	लाभ/हानि उठानेवाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक-राज्यवार	146
IV.27	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां-सदस्यता	146
IV.28	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - चुनिंदा संकेतक	147
IV.29	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चुनिंदा संकेतक – राज्य-वार	148
IV.30	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	149
IV.31	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय कार्यनिष्पादन	150
IV.32	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	150
IV.33	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामिण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	151
IV.34	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन	152
IV.35	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	152
IV.36	स्वयं सहायता समूह बैंक संबद्धता कार्यक्रम	153
IV.37	स्वयं सहायता समूहों की ऋण संबद्धता में क्षेत्रवार वृद्धि	154
IV.38	संबद्धता स्थिति - एजेंसी वार	155
IV.39	मॉडलवार संबद्धता की स्थिति	157
IV.40	नाबार्ड के संसाधनों में निवल अभिवृद्धि	158
IV.41	आरआईडीएफ के अंतर्गत संगृहीत जमाराशियां	158
IV.42	आरआईडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित ऋण	159
IV.43	राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का ऋण	160
IV.44	कृषि / गैर कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत निवेश ऋण पर नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पर ब्याज दर	160
IV.45	जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या : एजेंसीवार और वर्षवार	161
V.I	वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत तथा संवितरित वित्तीय सहायता	166
V.2	वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां	167

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.

V.3 वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन 168

V.4 वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन 168

V.5 वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोत का स्वरूप और विनियोजन 169

V.6 चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांड -रुपया डिबेंचरों द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता 169

V.7 चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की मूल उधार दर संरचना 169

V.8 चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य निष्पादन 169

V.9 वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड 170

V.10 निवल अनर्जक आस्तियाँ 170

V.11 वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण 171

V.12 चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 171

V.13 रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या 178

V.14 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा 178

V.15 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का समेकित तुलनपत्र 179

V.16 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की देयता के मुख्य घटक – समूह-वार 180

V.17 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियां – समूह-वार 180

V.18 जमा स्वीकार करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों की सीमा 181

V.19 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशि - क्षेत्र-वार 181

V.20 ब्याज दर के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की जनता की जमाराशियों का वितरण 182

V.21 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि का परिपक्वता स्वरूप 182

V.22 बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों पर ब्याज दर में अंतर 182

V.23 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधारी-समूह-वार 182

V.24 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के उधारी के स्रोत – समूह-वार 183

V.25 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों के मुख्य घटक - समूह-वार 183

V.26 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी – आस्ति आकार के अनुसार 184

V.27 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों का कार्यकलाप-वार वर्गीकरण 184

V.28 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन 185

V.29 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तिया 185

V.30 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियाँ - समूह-वार 186

V.31 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वर्गीकरण-समूह-वार 187

V.32 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 187

V.33 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की जनता की जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि – समूह-वार 188

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
V.34	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की जनता की जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	188
V.35	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों की रूपरेखा (प्रोफाइल)	189
V.36	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित जनता की जमाराशियां - क्षेत्र-वार	190
V.37	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों का निवेश ढाँचा	190
V.38	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताएँ	191
V.39	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधारी	191
V.40	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निधियों के उपयोग से संबंधित चुनिंदा संकेतक	192
V.41	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	192
V.42	जमाराशियां न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल और निवल अनर्जक आस्तिया	192
V.43	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक	193
V.44	प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग	194
V.45	प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य – निष्पादन	195
V.46	प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक	195
VI.1	मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएं	202
VI.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा की गई वसूली	204
VI.3	चयनित देशों की तुलना में भारतीय बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ	212
VI.4	चयनित देशों की तुलना में भारतीय बैंकों के कुल अग्रिमों के लिए सकल अनर्जक ऋणों का अनुपात	214
VI.5	अनर्जक ऋण अनुपात के लिए प्रावधान - चयनित देशों की तुलना में भारतीय बैंक	214
VI.6	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - चयनित देशों की तुलना में भारतीय बैंक	215
VI.7	आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात-चयनित देशों की तुलना में भारतीय बैंक	215
VI.8	केंन्द्र सरकारकी प्रतिभूतियों में गौण बाजार के लेनदेन	224
VI.9	भारतीय कंपनियों के लिए निधियों के स्रोतों का पैटर्न	226
VI.10	म्यूचुअल फंडों द्वारा जुटाई गई निधियां - योजनाओं के प्रकार	227
VI.11	कागज आधारित बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन	229
VI.12	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा समाशोधन	230

चार्ट सूची

चार्ट सं.	ब्योरे	पृष्ठ सं.
III.1	कुल जमाराशियों में अंश - बैंक समूहवार	69
III.2	अंतरराष्ट्रीय देयताओं में विदेशी मुद्रा जमा और उधार	70
III.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल देयताओं की तुलना में विदेशी मुद्रा देयताएं	70
III.4	मीयादी ऋण और पूंजी निर्माण	71
III.5	सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन	75
III.6	एसएलआर प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवेश	77
III.7	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा एवं निवेश-जमा अनुपात	81
III.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सी-डी और आइ-डी अनुपात	81
III.9	ऋण-जमा अनुपात-बैंक समूहवार	82
III.10	कुल आस्तियों की तुलना में तुलन पत्र से इतर जोखिम	83
III.11	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा और उधार देने की दरों के बीच स्प्रेड	84
III.12	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज तथा ब्याज से इतर आय के अंश की प्रवृत्ति	87
III.13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय में वृध्दि के स्रोत	88
III.14	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज से इतर आय की संरचना	88
III.15	परिचालन व्यय में वेतन बिल - बैंक समूहवार	89
III.16	भारत में बैंकों के समूह की निवल लाभप्रदता	90
III.17	भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की इक्विटी पर प्रतिलाभ	90
III.18	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीआरएआर और एनपीए में उतार-चढ़ाव	91
III.19	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरएआर	97
III.20	पांच सबसे बड़े बैंकों का सीआरएआर	98
III.21	बैंक स्टाकों और शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव	100
III.22	एटीएम-बैंक समूहवार अंश	106
III.23	इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन	106
III.24	आरटीजीएस में प्रगति	107
III.25	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का बैंक समूहवार वितरण	107
III.26	बैंक शाखाओं का क्षेत्रीय वितरण	108
III.27	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का क्षेत्रवार ऋण-जमा अनुपात तथा निवेश और ऋण-जमा अनुपात	108
IV.1	भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की सरंचना	119
V.1	एआइएफआइ द्वारा दी गई वित्तीय सहायता	167
V.2	व्यापक चलनिधि (एल3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में एनबीएफसी की सार्वजनिक जमाराशि का हिस्सा	178

चार्ट सं.	ब्योरे	पृष्ठ सं.
V.3	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	185
VI.1	मांग दरों की प्रवृत्ति (मासिक औसत)	218
VI.2	2005-07 में मांग दरों की प्रवृत्ति (मासिक औसत)	218
VI.3	मांग दर, रिपो दर और रिवर्स रिपो दर	220
VI.4	मुद्रा बाजार में गतिविधि	220
VI.5	विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव - अमरीकी डालर की तुलना में रुपये की विनिमय दर	221
VI.6	अमरीकी डालर की तुलना में रुपये की विनियम दर	221
VI.7	विदेशी मुद्रा बाजार में टर्नओवर (दैनिक औसत)	222
VI.8	सरकारी प्रतिभूतियों का आय वक्र	224
VI.9	10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय	225
VI.10	प्राथमिक पूंजी बाजार से संसाधन जुटाना	226
VI.11	सरकारी प्रतिभूति और कंपनी बांड पर आय	227
VI.12	शेयर बाजार सूचकांकों में उतार-चढ़ाव	227
VI.13	बीएसई संसेक्स के तिमाही परिवर्तन गुणांक	228
VI.14	तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें और तेल की घरेलू कीमतों की गतिविधि (डब्ल्यू पी आई - खनिज तेल)	231

परिशिष्ट सारणी सूची

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
III.1 (अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलन-पत्र	287
III.1 (आ)	निजी क्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलन-पत्र	288
III.1 (इ)	भारत के विदेशी बैंकों के समेकित तुलन-पत्र	289
III.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र	290
III.3	सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन	291
III.4	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	292
III.5	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम	293
III.5 (अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य	294
III.6	निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	295
III.7	निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम	296
III.7 (अ)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा प्राप्त लक्ष्य	297
III.8	विदेशी बैकों द्वारा लघु उद्योग और निर्यात क्षेत्र के लिए अग्रिम	298
III.8 (अ)	विदेशी बैकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य	299
III.9	सकल बैंक ऋण का उद्योगवार विनियोजन	300
III.10	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता	301
III.11	संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूहवार उधार	302
III.12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	303
III.13	ऋण-जमाराशि अनुपात	304
III.14	भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्र से इतर ऋण-जोखिम	305
III.15	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आय – घटकवार	306
III.16	महत्त्वपूर्ण वित्तीय संकेतक - बैंक समूहवार	307
III.17 (अ)	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य - निष्पादन	309
III.17 (आ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	310
III.17 (इ)	राष्ट्रीकृत बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	311
III.17 (ई)	स्टेट बैंक समूह का वित्तीय कार्य - निष्पादन	312
III.17 (उ)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	313
III.17 (ऊ)	निजी क्षेत्र के नए बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	314
III.17 (ए)	भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	315
III.18	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड	316
III.19	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि	319

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
III.20	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ/हानि	322
III.21	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से प्राप्त आय	325
III.22	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय किया गया ब्याज	328
III.23	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय / मार्जिन	331
III.24	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय	334
III.25	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत व्यय	337
III.26	पुन: पूंजीकरण बांडो के ब्याज के समायोजन के पूर्व और बाद में परिचालनगत और निवल लाभ - राष्ट्रीकृत बैंक	340
III.27	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां	341
III.28	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में अनर्जक आस्तियां	344
III.29 (अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार	347
III.29 (आ)	निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार	348
III.29 (इ)	निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार	349
III.30 (अ)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर क्षेत्र के अग्रिमों में अनर्जक आस्तियाँ - सरकारी क्षेत्र के बैंक	350
III.30 (आ)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर क्षेत्रों के अग्रिमों में अनर्जक आस्तियाँ - निजी क्षेत्र के बैंक	351
III.31	पूंजी पर्याप्तता अनुपात-अनुसूचित वाणिज्य बैंक	352
III.32	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरुप	355
III.33	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कंप्यूटराइजेशन और संचार नेटवर्क के विकास पर किया गया व्यय	357
III.34	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटराइजेशन	358
III.35	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम	359
III.36	भारत में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का फैलाव-बैंक समूह और जनसंख्या समूहवार	362
III.37	वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का फैलाव - क्षेत्र/राज्य/संघ शासित प्रदेशवार	363

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
III.38	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात और निवेश + ऋण-जमा अनुपात - क्षेत्र/राज्यवार	364
III.39	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण	365
IV.1	भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों की प्रगति	368
IV.2	भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशाधीन कार्यरत शहरी सहकारी बैंक	369
IV.3	परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंक	371
IV.4	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक	379
IV.5	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के चुनिंदा संकेतक	382
IV.6	राज्य सहकारी बैंकों का राज्यवार कार्यकारी परिणाम	383
IV.7	जिला मध्यवर्ती को-ऑप. बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम	384
IV.8	प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार	385
IV.9	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम	388
IV.10	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम	389
IV.11	ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार	390
IV.12	किसान क्रेडिट कार्ड - राज्यवार प्रगति	392
V.1	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	393
V.2	चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन	394
V.3	वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और विनियोजन का स्वरूप	395
V.4	चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बांडों/डिबेंचरों के जरिए जुटाए गए संसाधनों की भारित औसत लागत/परिपक्वता	396
V.5	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक	397
V.6	प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य निष्पादन	398

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

एएसीएस	सहकारी समितियों पर यथा लागू
एडी	प्राधिकृत व्यापारी
एडीआर	अमरीकी निक्षेपागार (डिपाजिटरी) रसीद
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध
एआइसीसीसीए	स्वतंत्र उपभोक्ता ऋण सलाहकार एजेंसियों का संघ
एआइएफआइ	अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
एएलएम	आस्ति देयता प्रबंधन
एएमसी	परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी
एएमएल	धन शोधन निवारण
एआरसी	आस्ति-पुनर्निर्माण कंपनी
एआरसीआइएल	भारतीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि.
एटीएम	स्व-चालित टेलर मशीन
बीसीबी	बैंक पर्यवेक्षण पर बासल समिति
बीसीपी	कारोबार निरंतरता योजना प्रक्रिया
बीसीएसबीआइ	भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड
बीएफएस	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
बीआइएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीओपी	भुगतान संतुलन
बीओएस	बैंकिंग लोकपाल योजना
बीपीएलआर	बेंचमार्क मूल उधार दर
बीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड
बीएससी	संतुलित स्कोर कार्ड
बीएसई	मुंबई शेयर बाजार
बीएसआर	मूलभूत सांख्यिकी विवरणी
सीएएलसीएस	पूंजी-पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि,अनुपालन और प्रणाली
सीएएमईएलएस	पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, अर्जन, चलनिधि, प्रणाली तथा नियंत्रण
सीबीएलओ	संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता
सीबीएस	कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस
सीसीसीएस	उपभोक्ता ऋण सलाहकार सेवा
सीसीडीएम	ऋण सलाहकार और ऋण प्रबंधन
सीसीआइएल	भारतीय समाशोधन निगम लि.
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्ष
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीडीबीएमएस	केंद्रीय डाटाबेस प्रबंध प्रणाली
सीडीएफ	सहकारी विकास निधि
सीडीआर	कंपनी ऋण पुनर्संरचना
सीडीआरएम	कंपनी ऋण पुनर्संरचना तंत्र
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीएफएमएस	केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली
सीएफएस	समेकित वित्तीय विवरण
सीएफटी	आतंकवाद के वित्तपोषण का विरोध
सीजीटीएसआइ	लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी न्यास
सीआइबीआइएल	भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि.
सीएलसीसी	केंद्रीय श्रम समन्वय समिति
सीएलएफ	जमानती ऋण सुविधा
सीएमपी	टकराव प्रबंध नीति
सीओबीआइटी	सूचना और संबद्ध प्रौद्योगिकी हेतु नियंत्रक उद्देश्य
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीपीसी	चेक प्रोसेसिंग सेंटर
सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीओएस	पर्यवेक्षण केंद्र बिंदु
सीपीपीएपीएस	सार्वजनिक सेवाओं संबंधी प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर समिति
सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली समिति

सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात
सीआरसीएस	सरकारी समितियों का केंद्रीय पंजीयक
सीआरआर	नकदी आरक्षित अनुपात
सीएसए	सहकारी समिति अधिनियम
सीएसडी	ग्राहक सेवा विभाग
सीएसजीएल	ग्राहक की सहायक सामान्य खाताबही
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
सीटीआर	नकदी लेनदेन रिपोर्ट
सीटीएस	चेक छिन्नन प्रणाली
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
डीएंडबी	डन एंड ब्रेडस्ट्रीट इंफर्मेशन सर्विसेस इंडिया (प्रा.) लि.
डीएपीएस	विकास कार्य योजना
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीएलआइसी	जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति
डीसीआरआर	सहकारिता पुनरुत्थान और सुधार विभाग
डीएफआइ	विकास वित्तीय संस्थाएं
डीआइसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीएलआइसी	जिला स्तरीय कार्यान्वयन और अनुप्रवर्तन समिति
डीएमए	प्रत्यक्ष विपणन एजेंट
डीएनएसएस	आस्थगित निवल निपटान प्रणालियां
डीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
डीआरआइ	विभेदक ब्याज दर
डीआरटी	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
डीएसए	प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट
डीटीएल	मांग और मीयादी देयताएं
डीवीपी	सुपुर्दगी बनाम भुगतान
ईबीआर	निर्यात पुनर्बट्टाकृत बिल
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीजीसी	निर्यात ऋण गारंटी निगम
ईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
ईएफटी	इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण
ईएमई	उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्था
ईएसओपी	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना
ईटीएफ	अधिकार प्राप्त कार्य बल
ईडब्ल्यूएस	पूर्व चेतावनी प्रणाली
एग्ज़िम बैंक	भारतीय निर्यात आयात बैंक
एफएक्यू	अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न
एफबीटी	अनुषंगी लाभ कर
एफ़सीएसी	पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता
एफ़सीएनआर	विदेशी मुद्रा अनिवासी (खाता)
एफ़सीएनआर (बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
एफडीआइ	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफडीआइसी	फेडरल जमा बीमा निगम
एफ़ईडीएआइ	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ
एफ़एफआइ	विदेशी वित्तीय संस्था
एफएफ़एमसी	स्वयंपूर्ण मुद्रा परिवर्तक
एफआइ	वित्तीय संस्था
एफआइआइ	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफ़आइएमएमडीए	भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ
एफ़आइएनओ	वित्तीय सूचना नेटवर्क और परिचालन
एफ़आइपीबी	विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड
एफ़आइयू आइएनडी	वित्तीय आसूचना इकाई - भारत
एफ़एमसी	वायदा बाजार कमीशन
एफएमडी	वित्तीय बाजार विभाग
एफ़आरए	वायदा दर करार
एफ़आरबी	अस्थायी दर वाले बांड
एफ़आरबीएम एक्ट	राजकोषीय जबाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम
एफ़आरएमएस	धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और अनुप्रवर्तन प्रणाली
एफएसएपी	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफएसटी	वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी
जीसीसी	जनरल क्रेडिट कार्ड
जीसीएस	गोल्ड कार्य योजना
जीडीसीएफ	सकल घरेलू पूंजी निर्माण

जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीडीआर	वैश्विक निक्षेपागार (डिपाजिटरी) रसीद
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा
जीआइसी	भारतीय साधारण बीमा निगम
जीएलसी	ऋण की सामान्य व्यवस्था
जीएसए	श्रेणीकृत पर्यवेक्षी कार्रवाई
एचएफसी	आवास वित्त कंपनी
एचएफटी	व्यापार के लिए धारित
आइएडीआइ	जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ
आइबीएस	अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी
आइसीएआइ	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आइसीसीओएमएस	समन्वित मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली
आइडीबीआई	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आइडीएफसी	बुनियादी सुविधा विकास वित्त कंपनी
आइडीएल	आंतर दिवसीय चलनिधि
आइडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान
आइएएस	आंतरिक लेखांकन प्रणाली
आइएफसीआइ	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.
आइएफआर	निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व
आइएफएससी	भारतीय वित्तीय प्रणाली कुट
आइआइबीआइ	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक
आइआइपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आइएमडी	इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट
आइएमजीसी	भारतीय बंधक गारंटी कंपनी
आइएनएफआइएनईटी	इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क
आइपीए	निर्गम और भुगतान एजेंट
आइपीडीआइ	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत
आइपीओ	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आइआरबी	आंतरिक रेटिंग आधारित
आइआरडीए	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आइआरडीपी	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
आइआरएस	ब्याज दर स्वैप
आइ एस	सूचना प्रणाली
आइटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आइटीजीजीएसएम	सरकारी प्रतिभूति बाजार पर आंतरिक तकनीकी समूह
आइटीजीआइ	आइटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट
आइटीआइएल	आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी
जेपीसी	संयुक्त संसदीय समिति
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केवीआइबी	खादी और ग्राम उद्योग कमीशन बोर्ड
केवाइसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र के बैंक
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा
एलआइबीओआर	लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर
एलआइसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एलएमई	लंदन धातु बाजार
एलओएलआर	आखरी ऋणदाता
एलटीसीसीएस	दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचा
एम$_3$	व्यापक मुद्रा
एमएपी	अनुप्रवर्तनीय कार्य योजना
एमएलआरओ	मनी लांडरिंग रिपोर्टिंग आफिसर
एमईडीपी	लघु उद्यम विकास कार्यक्रम
एमएफडीईएफ	लघु वित्त विकास और ईक्विटी निधि
एमएफआइ	लघु वित्त संस्थान
एमआइबीओआर	मुंबई अंतर बैंक प्रस्तावित दर
एमआइसीआर	चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान
एमआइएस	प्रबंध सूचना प्रणाली
एमएलआरओ	मनी लांडरिंग रिपोर्टिंग आफिसर
एमएमबीसीएस	चुंबकीय माध्यम आधारित समाशोधन प्रणाली
एमएनबीसी	विविध गैर बैंकिंग कंपनियां
एमएनएसबी	बहुपक्षीय निवल निपटान बैच
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसएस	बाजार स्थिरीकरण योजना
एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेयर स्विचिंग
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनएएफसीयूबी	शहरी सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय महासंघ

एनएवी	निवल आस्ति मूल्य
एनबीसी	निवल बैंक ऋण
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफआइ	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था
एनबीवी	निवल बही मूल्य
एनडीएस	तयशुदा लेनदेन प्रणाली
एनडीएस-ओएम	तय शुदा लेनदेन प्रणाली ऑर्डर मैचिंग
एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएं
एनईडीएफआइ	उत्तरपूर्वी विकास वित्त निगम
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनएफसीसी	राष्ट्रीय ऋण सलाहकार फाउंडेशन
एनएफजीबीसी	खाद्येतर सकल बैंक ऋण
एनएफएस	नेशनल फायनेंशियल स्विच
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनएचसी	राष्ट्रीय आवास ऋण
एनआइए	न्यू इंडिया एश्यूरन्स कंपनी लि.
एनआइसी	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण
एनआइएमसी	राष्ट्रीय कार्यान्वयन अनुप्रवर्तन समिति
एनओसी	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एन ओएफ	निवल स्वाधिकृत निधि
एनपीए	अनर्जक आस्ति
एनपीएफए	अनर्जक वित्तीय आस्तियां
एनपीएल	अनर्जक ऋण
एनआरई	अनिवासी भारतीय बाह्य
एनआरआइ	अनिवासी भारतीय
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार
ओबीएस	तुलन पत्र बाहय
ओबीयू	अपतटीय बैंकिंग इकाई
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएलआरआर	आन लाइन अस्वीकृति मरम्मत
ओएलटीएएस	ऑन लाइन कर लेखा प्रणाली
ओआरएफएस	ऑन लाइन विवरणी प्रस्तुत करने की प्रणाली
ओएसएमओएस	अप्रत्यक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली
ओएसएस	अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली
ओटीसी	काउंटर पर
ओटीएस	एक बारगी निपटान
पी ए सीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
पीएआइएस	वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीआइओ	भारतीय मूल के व्यक्ति
पीकेआइ	प्रमुख सार्वजनिक बुनियादी सुविधा
पीएलआर	मूल उधार दर
पीएमएलए	धन शोधन निवारण अधिनियम
पीएमआरवाइ	प्रधान मंत्री रोज़गार योजना
पीओएस	बिक्री का स्थान
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक
पीएसई	सरकारी क्षेत्र के उद्यम
क्यूआइएस	मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन
आरबीआइ ए	जोखिम भारित आंतरिक लेखा परीक्षा
आरबीएस	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
आरसीएस	पंजीयक सहकारी समितियां
आर आइ डी एफ	ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास निधि
आरएनबीसी	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां
आरओसी	कंपनी रजिस्ट्रार
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीजीएस	तत्काल सकल भुगतान प्रणाली
एसएए	सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण
एसएसीपी	विशेष कृषि ऋण योजना
एसएओ	मौसमी कृषि कार्य
एसएआरएफएइएसआइ	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन
एसएआर	स्वमूल्यांकन रिपोर्ट
एसएआरएस	सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एससी	अनुसूचित जाति
एसडीएस	विशेष जमा योजना
एसईबी	राज्य विद्युत बोर्ड
एसईबीआइ	सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)
एसईएफसीएस	लघु उद्यम वित्तीय केंद्र
एसईएफटी	विशेष इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एसईज़ेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफएसी	लघु कृषक कृषि कारोबार सहायता संघ
एसएफसी	राज्य वित्त निगम
एसएफएमएस	संरचनागत वित्तीय संदेश प्रणाली
एसजीएल	सहायक सामान्य खाताबही
एसजीएसवाई	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचपीआइ	स्वयं सहायता संवर्धन संस्था
एसआइडीबीआइ	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआइडीसी	राज्य औद्योगिक विकास निगम
एसआइपीएस	प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली
एसजेएसआरवाइ	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
एसएलए	सेवा स्तरीय करार
एसएलएएफ	द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा
एसएलबीसीएस	राज्य स्तरीय बैंकर समितियां
एसएलईपीसीएस	राज्य स्तरीय निर्यात संवर्द्धन समिति
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएलआरएस	सफाई कर्मी मुक्ति और पुनर्वास योजना
एसएमई	लघु और मझौले उद्यम
एसपीवी	विशेष प्रयोजन संस्था
एसएससी	विशेष उप समिति
एसएसआइ	लघु उद्योग
एसएसएस	प्रतिभूति निपटान प्रणाली
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसटीसीसीएस	अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचा
एसटीपी	स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग
एसटीआर	संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट
एसटीआरआइपीएस	पंजीकृत हित और मुख्य प्रतिभूतियों का व्यापार
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसडब्ल्यूआइएफटी	विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार समिति
टीएएफसीयूबी	शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
टीएफसीआइ	भारतीय पर्यटन वित्त निगम
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
यूआइए	यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमि.
यूटीआइ	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
यूटीएलबीसी	केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समिति
वीएआर	जोखिमपूर्ण मूल्य
वीसीएफ	जोखिम पूंजी निधि
वीकेसी	ग्राम ज्ञान केंद्र
वीपीएन	आभासी निजी नेटवर्क
वीआरएस	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना
वीसैट	वीसैट (वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल)
डब्ल्यूएडीआर	भारित औसत बट्टा दर
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
डब्ल्यूजीआरएफ आइएस	वित्तीय संस्थाओं की भावी भूमिका पर कार्यदल
डब्ल्यूपीआइ	थोक मूल्य सूचकांक
एक्सबीआरएल	एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज़

अध्याय I

विहगावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2006 की गतिविधियां

1.1 वर्ष 2006 के दौरान 5.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऊँची वृद्धि जारी रही। यह लगातार चौथा वर्ष है जिसमें 2003[1] में शुरू हुई 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि बनाये रखी गयी । वैश्विक उत्पादन में व्यापक विस्तार की व्याख्या अमरीकी उपभोग में लचीलेपन के रूप में की जा सकती है। वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि में कुछ कमी आने के बावजूद यूरोप और जापान तथा अन्य उन्नत औद्योगिक देशों में व्यापक उछाल आया तथा उभर रही बाजार अर्थव्यवस्थाओं विशेषतः चीन (11.1 प्रतिशत), भारत (9.4 प्रतिशत) और रूस (6.7 प्रतिशत), में तीव्र वृद्धि जारी रही। वैश्विक उत्पादन में वृद्धि की अगुआई उभर रहे एशिया द्वारा की गई, जिसने 2006 में वैश्विक वृद्धि में 3.9 प्रतिशत का अंशदान किया जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने 1.5 प्रतिशत का अंशदान किया। 2002 से पहली बार यूरो क्षेत्र में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में संयुक्त राज्य में हुई वृद्धि से अधिक रही। वित्तीय संसाधन, मजबूत पण्य मूल्यों तथा प्रचुर वैश्विक चलनिधि की उपलब्धता के कारण उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में मजबूती बनी रही। तथापि, इनमें से कुछ कारणों के बने रहने के संबंध में चिंताएं बनी रहीं। 2006 के मध्य में जापान के आर्थिक कार्यकलाप में मंदी आयी परंतु उसमें वर्ष के अंत तक सुधार आया।

1.2 कई देशों में उत्पादन संभाव्यता के निकट रहा, तथापि सशक्त मांग और वैश्विक पण्य कीमतों में तेजी के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कुछ मुद्रास्फीतिक दबाव बना रहा। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति ने ऊर्जा मूल्यों का निकट से अनुसरण किया - जो वर्ष के अंत में ऊर्जा के मूल्य में गिरावट के साथ तेजी से गिरने के पहले तेल के भाव में बढ़त के साथ 2006 की प्रथम छमाही में 3 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। कैलेंडर वर्ष 2006 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक साल पहले जैसी थी, परंतु वह पिछले 5 वर्ष की अवधि (2000-04) के दौरान के 1.9 प्रतिशत से अधिक रही। 'विकासमान एशिया' में मुद्रास्फीति 2000-04 के 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 2005 में 3.6 प्रतिशत तथा 2006 में 4.0 प्रतिशत हो गयी।

1.3 प्रमुख देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति के लक्ष्य/सुखद सीमा पार करने के साथ, कई केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक सख्ती बरती। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड (यूएस फेड) यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्वेरिज्स रिक्स बैंक (स्वीडन) रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, रिज़र्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया और बैंक ऑफ जापान ने वर्ष के दौरान अपनी नीतियाँ सख्त बनायीं।

1.4 उन्नत औद्योगिक देशों में राजकोषीय शेष में 2006 में सुधार के संकेत मिले। संरचनागत बजट घाटे के उपाय, जो घाटा संबंधी प्रमुख आंकड़ों से चक्रीय प्रभाव को हटाने का प्रयास करते हैं, में संयुक्त राज्य (जीडीपी के 1 प्रतिशत अंक से अधिक), जर्मनी (0.8 प्रतिशत अंक तक) और जापान (मुख्यतः पूँजी अंतरणों में एक बार के परिवर्तनों के कारण 0.5 प्रतिशत अंक तक) की गिरावट आयी तथा सिर्फ इटली में उसमें सामान्य वृद्धि हुई। जर्मनी के हेडलाइन शेष में परिवर्तन अधिक स्पष्ट था तथा 2006 में इसमें घाटे में 1.8 प्रतिशत अंक तक गिरावट आयी।

1.5 जहाँ संयुक्त राज्य में ऋण की स्थितियां सख्त हो गयीं, वहीं कई अन्य क्षेत्रों में विस्तार जारी रहा। फलस्वरूप, वैश्विक आस्ति मूल्य या तो बढ़ते रहे अथवा उन्हें अस्वाभाविक रूप से ऊँचे स्तरों पर बनाये रखा गया। एशिया के कई उभर रही बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने उचित रूप से सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के साथ सशक्त वृद्धि दर्ज की तथा इसमें उनके निर्यात की सशक्त वैश्विक मांग, अनुकूल व्यापार शर्तों, बाह्य वित्तपोषण तक आसान पहुँच एवं विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की सुखद स्थिति तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लघुकृत बाह्य ऋण ने मदद की। सुधारे गये पुनर्विन्यास और पर्यवेक्षी प्रणालियों के जरिये उनकी बैंकिंग प्रणाली भी सशक्त की गयी है। बाहरी आघातों के प्रति लचीलापन को विनिमय दर जोखिमों के प्रति तुलनपत्र के कम एक्सपोजर, ऋण विन्यासों में पुनर्वित्तीयन के कम जोखिम, सशक्त वित्तीय प्रणाली तथा नीतिगत गुरुतर लचीलेपन से बल मिला है। फिर भी, चिंताजनक क्षेत्र हैं और इनमें से कई देशों ने

[1] इस अध्याय में वैश्विक विकास कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) से संबंधित है, जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किये जाने पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास राजकोषीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से संबंधित है।

निष्प्रभावीकरण सहित हस्तक्षेप के जरिये विदेशी मुद्रा बाजारों की अतिरिक्त अस्थिरता को रोकने की जरूरत महसूस की है। तथापि, इन नीतियों की अपनी सीमाएं हैं और ऐसी कार्रवाई के साथ नकदी आरक्षित निधि अपेक्षाओं को बढ़ाने सहित चलनिधि प्रबंधन की अलग रणनीतियां, केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों के निर्गम, विशिष्ट क्षेत्रों को उधार देने पर अधिकतम सीमा तथा विवेकपूर्ण साधनों का उपयोग शामिल हैं।

1.6 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में, 2006 के अधिकांश समय में तथा 2007 के प्रारंभ में जोखिमपूर्ण आस्तियों के भाव बढ़ते रहे। कई ईक्विटी बाजार ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुँच गए; जबकि विभिन्न ऋण अंतराल निचले स्तर तक आ गये। उन्नत औद्योगिक देशों में सरकारी बांडों की आय 2006 के मध्य के स्तर पर आ गयी और उसके बाद नीचे जाने लगी। विशेषतः संयुक्त राज्य में दीर्घावधि बांड की आय में वर्ष की दूसरी छमाही में नीचे जाने की प्रवृत्ति पायी गयी जो संयुक्त राज्य की वृद्धि की संभावनाओं के बारे में निवेशकों की चिंता को तथा नरम हो रही मौद्रिक नीति की प्रत्याशाओं को प्रतिबिंबित करती है। जापान में आर्थिक दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक रहा, जिसने बांड आय में कुछ समर्थन दिया, जबकि यूरो क्षेत्र के आर्थिक दृष्टिकोण में क्रमिक रूप से चमक आयी तथा अंततः यूरो बांड की आय में वृद्धि हुई। सतत सशक्त आय वृद्धि विकसित ईक्विटी और ऋण बाजारों में लाभ के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा, पूँजी संरचना में चल रहे परिवर्तनों ने शेयरों की पुनर्खरीद और बढ़ने तथा विलय और अर्जन कार्यकलाप में पर्याप्त वृद्धि के साथ ईक्विटी बाजार को उछाला। इसी तरह, क्रेडिट रेटिंग में सुधार और सामान्यतः सशक्त समष्टि आर्थिक स्थितियों ने उभर रहे बाजारों को फायदा पहुँचाया।

1.7 उन्नत औद्योगिक देशों में वित्तीय फर्मों का सशक्त समग्र कार्यनिष्पादन इस वर्ष के दौरान जारी रहा तथा बैंकों को आम तौर पर अनुकूल ऋण वातावरण तथा सुदृढ़ खुदरा कारोबार वाले एक और वर्ष से फायदा मिला । निवेश बैंकों ने पूंजी बाजार कार्यकलापों में वृद्धि तथा निजी ईक्विटी में उछाल के कारण रिकार्ड लाभ कमाया। निधियों द्वारा दर्ज की गयी प्रतिलाभ की गिरती दरों के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में बचाव निधियों में निवेशकों की आवक राशियां सामान्य रहीं। वर्तमान लाभ ने पहले से अच्छे पूंजी उपधानों में वृद्धि की है जिससे यह प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में संभावित दबावों को झेलने के लिए वित्तीय फर्म भलीभांति तैयार हैं।

2007 की गतिविधियां

1.8 वैश्विक जीडीपी वृद्धि, जो 2006 में 5.4 प्रतिशत बढ़ गयी थी, ने 2007 की पहली छमाही में गति बनाये रखी तथा ऐसा प्रतीत होता है कि औद्योगिक तथा उभरते बाजार देशों में वह व्यापक हो गया है। अक्तूबर 2007 में जारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 'वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण' के अनुसार विश्व के जीडीपी में वास्तविक वृद्धि 2006 में 5.4 प्रतिशत थी जो 2007 में गिरकर 5.2 प्रतिशत और 2008 में 4.8 प्रतिशत रह जाने की संभावना है। हालांकि संयुक्त राज्य में 2007 की पहली तिमाही में वृद्धि में कमी आयी, पर हाल के संकेतक यह बताते हैं कि दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में गति आयी है। कई अन्य देशों में कार्यकलाप का तेजी से बढ़ना जारी रहा। यूरो क्षेत्र और जापान में, वृद्धि प्रवृत्ति से ऊपर बनी रही तथा उसमें कुछ ऐसे शुभ संकेत थे कि विस्तार में घरेलू मांग की अधिक केंद्रीय भूमिका है। उभरते बाजार वाले देशों का मुख्य रूप से बढ़ना जारी रहा तथा इसकी अगुआई चीन, भारत और रूस की त्वरित वृद्धि में देखी गयी।

1.9 यूएस में खाद्यान्नों तथा इंधन तथा यूरो क्षेत्र में शिक्षा तथा वस्त्र के मूल्यों में वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हुए 2007 की तीसरी तिमाही की समाप्ति के आसपास प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति में सामान्यतः वृद्धि हुई। दूसरी ओर, आवास तथा घरेलू सेवाओं के नकारात्मक योगदान के चलते यूके में हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी का रूख रहा। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, अक्तूबर 2007 में यूएस की हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.5 प्रतिशत, यूके की 2.1 प्रतिशत और यूरो क्षेत्र की 2.6 प्रतिशत थी। सितंबर 2007 में ओईसीडी देशों में मुद्रास्फीति की दर 2.2 प्रतिशत थी जबकि एक वर्ष पूर्व यह दर 2.0 प्रतिशत थी। मांग की सुदृढ़ स्थिति को प्रतिबिंबित करते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मूल मुद्रास्फीति में वृद्धि का रुख रहा।

1.10 वैश्विक ऋण बाजारों में मई 2007 से बड़ी अस्थिरता आयी है क्योंकि यूएस 'सब-प्राइम' बंधक उधार से हानियों के आकार और वितरण के बारे में अनिश्चितताओं ने निवेशकों को अपनी स्थितियां समायोजित करने पर मजबूर किया। 2006 के उत्तरार्द्ध से, यूएस में 'सब प्राइम' बंधक बाजार क्षेत्र की स्थितियों में उल्लेखनीय गिरावट आयी है जिसके फलस्वरूप सारे उत्पादों एवं बाजारों के निवेशकों द्वारा जोखिम का पुनराकलन करना पड़ा। यद्यपि हानियां ज्यादातर यूएस में संकेन्द्रित थीं पर वे तेजी से आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत ऋण दायित्वों को धारित करनेवाले यूरोपीय और एशियाई निवेशकों तक तेजी से वितरित हो गयीं। एशिया के भीतर, एक्सपोजर जापान, चीन, चीन के ताइवान प्रांत, द.कोरिया और आस्ट्रेलिया में संकेंद्रित होना सूचित किया गया।

1.11 कई अर्थव्यवस्थाओं में अल्पावधि दरों में और तेजी आ गयी तथा वे व्यापक तौर पर नीति दरों के अनुरूप चलती रहीं। मुद्रास्फीति रोकने और मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए सितंबर 2007 को समाप्त तिमाही के दौरान कई केंद्रीय

बैंकों यथा बैंक ऑफ इंग्लैंड, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने अपनी नीति दरों को और बढ़ा दिया।दूसरी ओर यूएस में अल्पावधि ब्याज दरों में गिरावट आयी जो 31 अक्तूबर 2007 को फेड निधियों की लक्ष्य दर में 75 आधार अंक की कटौती होकर उसके 4.50 प्रतिशत होने में प्रतिबिंबित हुई। जून 2004 से जून 2006 तक फेडरल रिजर्व द्वारा लगातार 17 बार दरों में की गयी वृद्धि तथा अगस्त 2007 में आये विराम के बाद 18 सितंबर 2007 में यूएस में पहली बार दरों में उक्त कटौती की गयी । कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील और थाईलैंड में अल्पावधि दरों में नरमी आयी क्योंकि इन देशों के केंद्रीय बैंक वृद्धि के समर्थन के लिए नीतिगत दरों में कटौती करते रहे।

1.12 अल्पावधि ब्याज दरों के विपरीत, सरकारी बांडों में दीर्घावधि आय 2007-08 की दूसरी तिमाही में प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नरम रही तथा इस तरह पहली तिमाही में बढ़त की प्रवृत्ति में बदलाव नजर आया। आवास बाजार में गिरावट तथा ऋण बाजार में उथल-पुथल की स्थिति में, बांड आय में आयी गिरावट ने जोखिमपूर्ण आस्तियों के लिए निवेशकों की कम चाहत को प्रतिबिंबित किया। मार्च 2007 के अंत और 19 नवंबर 2007 के बीच 10 वर्षीय प्राप्तियों में यूएस में 35 आधार अंकों की, जापान में 15 आधार अंकों की, यूके में 17 आधार अंकों की गिरावट आयी, जबकि यूरो क्षेत्र में 11 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

1.13 2007 की तीसरी तिमाही में वैश्विक ईक्विटी बाजारों में बीच-बीच के सुधारों के मध्य और वृद्धि दर्ज की गयी। कंपनी आय में वृद्धि, विलय और अर्जन कार्यकलापों में उछाल तथा जोखिम सहने की क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, यथा चीन (69.8 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (32.2 प्रतिशत), हांगकांग (30.7 प्रतिशत), ब्राजील (28.7 प्रतिशत), इंडोनेशिया (28.5 प्रतिशत), तुर्की (25.1 प्रतिशत) और थाईलैंड (21.3 प्रतिशत) में, ईक्विटी बाजारों में उछाल दिखायी दिया। तथापि, यूएस में आवास की बिक्री में मंदी तथा यूएस बंधक एवं कंपनी उधार बाजारों के बारे में बढ़ती हुई चिंता, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, चीन की मुद्रास्फीति दर में वृद्धि तथा जापान की अर्थव्यवस्था में संकुचन ने बीच-बीच में बाजार के रुख को मंद किया।

1.14 विदेशी मुद्रा बाजार में, 14 सितंबर 2007 तक अमरीकी डॉलर में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्यह्रास हुआ जो बंधक बाजार में चिंता, गिरती आवास बिक्री और कमजोर उपभोक्ता विश्वास में प्रतिबिंबित हुआ। पौंड स्टर्लिंग यूएस डॉलर की तुलना में मजबूत होकर जुलाई 2007 में 25 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया तथा येन के 'कैरी ट्रेड' में नरमी के फलस्वरूप यूएस डालर की तुलना में जापानी येन में मूल्यवृद्धि हुई।

भारतीय अर्थव्यवस्था

समष्टि वातावरण

1.15 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2006-07 के दौरान तेज वृद्धि दर्ज की। वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर पिछले साल के 9.0 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2006-07 में 9.4 प्रतिशत हो गयी, जिसमें मुख्यतः उद्योग एवं सेवाओं में निरंतर विस्तार का योगदान था। दसवीं योजनावधि (2002-03 और 2006-07) में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि औसतन 7.6 प्रतिशत थी - जो अब तक किसी भी योजनावधि की सर्वाधिक औसत वृद्धि दर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमान के अनुसार कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से उत्पन्न वास्तविक जीडीपी ने पिछले वर्ष के 6.0 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 2.7 प्रतिशत की न्यूनतर वृद्धि दर्ज की। तथापि, उद्योग से हुई वास्तविक जीडीपी की वृद्धि के विस्तार का यह पांचवां साल था क्योंकि इसने वर्ष के दौरान 11.5 प्रतिशत (2005-06 में 8.2 प्रतिशत) की द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की, जो 1995-96 के बाद की सर्वाधिक वृद्धि थी। जहां औद्योगिक वृद्धि मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र का परिणाम थी, खनन और बिजली दोनों क्षेत्रों ने तीव्र वृद्धि दर्ज की। उपयोग आधारित वर्गीकरण के रूप में 18.2 प्रतिशत वृद्धि के साथ पूंजीगत माल क्षेत्र का कार्यनिष्पादन विशेष रूप से प्रभावी था। आधारभूत माल और उपभोक्ता माल क्षेत्र ने भी 2006-07 के दौरान 10.3 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत की द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की। अच्छी तरह से कार्य कर रहे औद्योगिक क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के सुधरे हुए कार्यनिष्पादन, 2006-07 में 8.8 प्रतिशत वृद्धि, से उछाल आया। सेवा क्षेत्र ने पिछले तीन वर्षों में लगातार द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की। इसने 2005-06 की 10.3 प्रतिशत वृद्धि के ऊपर 2006-07 में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो नयी शृंखला के अनुसार 1999-2000 से सर्वाधिक वृद्धि है।

1.16 कई उद्योगों में उच्चस्तरीय क्षमता उपयोग, प्राथमिक वस्तुओं से आपूर्ति आघात सहित, 2006-07 के दौरान मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित हुआ। थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष घटबढ़ द्वारा मापी गयी हेडलाइन मुद्रास्फीति 31 मार्च 2007 को 5.9 प्रतिशत बढ़ी - यह नवंबर 2006 के मध्य और मार्च 2007 के अंत के बीच रिज़र्व बैंक के 5.0-5.5 प्रतिशत के संकेतक प्रक्षेपणों के ऊपरी छोर के ऊपर थी । 2006-07 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.7-6.7 प्रतिशत के दायरे में रही। औसत थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति एक वर्ष पूर्व के 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 5.4 प्रतिशत हो गयी। प्रमुख समूहों में प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों ने 2006-07

के दौरान मुद्रास्फीति पर ऊपरी दबाव बनाया, जो प्रमुख कृषि फसलों की देशी आपूर्ति में कमी को दर्शाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति के परिणाम को प्रभावित करनेवाली ईंधन समूह की मुद्रास्फीति ने वर्ष की दूसरी छमाही में उल्लेखनीय नरमी दर्शायी और वह दशक की न्यूनतम दर तक पहुंच गयी। मुख्यतः उच्चतर खाद्य मूल्यों के प्रभाव को दर्शाते हुए उपभोक्ता मूल्य में मुद्रास्फीति के माप पूरे 2006-07 के दौरान थोक मूल्य मुद्रास्फीति के ऊपर रहे।

1.17 राजकोषीय स्थिति में चल रहा सुधार 2006-07 के संशोधित अनुमान बनाम बजट अनुमानों में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए प्रमुख घाटा संकेतकों के न्यूनतर अनुमानों में प्रतिबिंबित हुए। केंद्र सरकार का राजस्व घाटा रु. 80,410 करोड़ या जीडीपी का 1.9 प्रतिशत होने का अनुमान है जो 2006-07 के बजट अनुमान में जीडीपी के 2.1 प्रतिशत तथा 2005-06 के 2.6 प्रतिशत से कम है। 2006-07 के लिए सकल राजकोषीय घाटा रु. 1,42,793 करोड़ था जो पिछले वर्ष में 3.8 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत के बजट अनुमानों की तुलना में जीडीपी का 3.5 प्रतिशत था। कर राजस्व में बने हुए उछाल तथा योजना व्यय में वृद्धि पर नियंत्रण के फलस्वरूप प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में सुधार हुआ। राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करते हुए केंद्र सरकार की बकाया देशी देयताएं मार्च 2006 के अंत के 63.4 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में जीडीपी का 61.5 प्रतिशत (सं.अ.) रह गयीं।

1.18 व्यापक मुद्रा (एम$_3$) में साल-दर-साल वृद्धि एक वर्ष पूर्व के 17.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 21.3 प्रतिशत हो गयी तथा वह अप्रैल 2006 में वार्षिक नीति विवरण में प्रक्षेपित 15.0 प्रतिशत की वृद्धि दर के ऊपर रही। तीसरे क्रमिक वर्ष में 2006-07 के दौरान वाणिज्यिक ऋण की मांग सुदृढ़ बनी रही, हालांकि उसमें कुछ नरमी आयी। वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण की वार्षिक वृद्धि 31 मार्च 2007 को 25.4 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पहले के 27.2 प्रतिशत से कम थी। सरकार को वाणिज्यिक बैंक ऋण में पिछले वर्ष में हुई रु. 19,514 करोड़ की गिरावट की तुलना में रु. 74,238 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण में पिछले वर्ष की रु. 35,799 करोड़ की वृद्धि की तुलना में रु. 2,384 करोड़ की गिरावट हुई। प्राथमिक तौर पर रिज़र्व बैंक को निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई 25.7 प्रतिशत की वृद्धि (रु.1,86,985 करोड़) को प्रतिबिंबित करते हुए बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में 28.7 प्रतिशत की वृद्धि (रु.1,93,170 करोड़) हुई।

1.19 रिज़र्व बैंक वर्ष के दौरान मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजारों में गहराई और चलनिधि बढ़ाने के लिए उपाय करता रहा। विशेषतः मार्च 2007 में आयी कुछ अस्थिरता सहित 2006-07 के अधिकांश भाग में वित्तीय बाजार आम तौर पर व्यवस्थित बने रहे, जो ऋण की अधिक मांग के साथ व्यापक पूंजी प्रवाह और भारत सरकार के नकदी शेषों में दोलन को प्रतिबिंबित करता है। वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों में ब्याज दरों में रिज़र्व बैंक की नीति दर के अनुरूप सख्ती आयी।

1.20 2006-07 के दौरान, वित्तीय बाजार आसान चलनिधि की दशा से सख्ती के आकस्मिक दौरों में परिवर्तित हो गया जिसके कारण एलएएफ के जरिये चलनिधि बढ़ाना जरूरी हो गया। एलएएफ के तहत चलनिधि का कुल ओवरहैंग, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) और केंद्र सरकार की अधिशेष नकदी शेषराशियां कुल मिलाकर मार्च 2006 के रु.74,334 करोड़ के औसत से बढ़कर सितंबर 2006 में रु.92,849 करोड़ हो गयीं। अग्रिम कर अदायगी के कारण मार्च 2007 की दूसरी छमाही में चलनिधि की कमी बढ़ने के कारण 21 मार्च 2007 को एलएएफ के तहत डाली गयी राशि बढ़कर रु. 43,075 करोड़ तक पहुंच गयी।दिसंबर 2006 - मार्च 2007 (विशेष रूप से मार्च 2007 की दूसरी छमाही) में कुछ अवसरों को छोड़कर, जब बाजार में अस्थायी सख्ती आने से एक दिवसीय दरें तेजी से बढ़ीं, एक दिवसीय दरें वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक की रिवर्स रेपो और रेपो दरों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहीं। एक दिवसीय मुद्रा बाजार के संपार्श्विकीकृत खंड में भी ब्याज दरों में तेजी आयी, परंतु वे वर्ष के दौरान मांग दरों के नीचे रहीं। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2006-07 के लिए सीबीएलओ खंड में ब्याज दरों का औसत, मांग मुद्रा बाजार में 7.22 प्रतिशत (5.60 प्रतिशत) की तुलना में क्रमशः 6.24 प्रतिशत (2005-06 में 5.34 प्रतिशत) और बाजार रिपो खंड में 6.34 प्रतिशत (5.36 प्रतिशत) था। मांग मुद्रा, सीबीएलओ और रेपो खंडों में भारित औसत ब्याज दर 2005-06 के 5.43 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 6.57 प्रतिशत हो गयी।

1.21 वाणिज्यिक पत्र पर भारित औसत बट्टा दर 31 मार्च 2006 को समाप्त पखवाड़े के 8.59 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2007 को समाप्त पखवाड़े में 11.33 प्रतिशत हो गयी और जमा प्रमाणपत्रों की भारित औसत बट्टा दर मुद्रा बाजार की अन्य ब्याज दरों में उछाल के अनुरूप मार्च 2006 के अंत के 8.62 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 10.75 प्रतिशत हो गयी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और उधार ब्याज दरें 2006-07 में बढ़ गयीं।

1.22 सरकारी प्रतिभूति बाजार में 2006-07 के दौरान आय बढ़ गयी। वर्तमान वित्त वर्ष में जून 2007 के मध्य तक आय में बढ़त हुई तथा उसके बाद उसमें गिरावट आयी। 31 मार्च 2007 को 10 वर्षीय आय 7.97 प्रतिशत थी जो 31 मार्च 2006 के स्तर (7.52 प्रतिशत) की तुलना में 45 आधार अंक अधिक थी। तथापि आय वक्र चौरस रहा। वर्ष 2007-08 के दौरान मई 2007 के अंत तक आय 7.97 और 8.19 प्रतिशत के दायरे में रही और वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चलते जून 2007 के अंत में यह 8.30 प्रतिशत की ऊंचाई तक पहुंच गई। उसके बाद, चलनिधि की लगातार उपलब्धता को प्रतिबिंबित करते हुए नवंबर 2007 के प्रथम सप्ताहे के अंत तक आय में कमी आई और यह 7.85 तथा 8.01 प्रतिशत के बीच रही। 8 नवंबर 2007 को 10 वर्षीय आय 7.96 प्रतिशत थी जो 8 नवंबर 2006 के स्तर से 37 आधार अंक अधिक है।

1.23 वर्ष 2006-07 के दौरान स्टॉक बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गये तथा बीच-बीच में आवधिक सुधार हुआ। पूंजी बाजार के प्राथमिक बाजार खंड में उछाल बना रहा। मार्च 2007 के अंत में बीएसई सेंसेक्स एक वर्ष पूर्व के 73.7 प्रतिशत की वद्धि के ऊपर 15.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा। कंपनियों की अधिक लाभप्रदता तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों एवं देशी म्युचुअल फंडों से निरंतर चलनिधि समर्थन के कारण मुद्रा बाजारों में उछाल आया, हालांकि वैश्विक ईक्विटी बाजारों की प्रवृत्तियों के अनुरूप कुछ अवसरों (मई-जून 2006, दिसंबर 2006 और फरवरी-मार्च 2007) पर उनमें तेज सुधार दिखायी दिया।

1.24 विदेशी मुद्रा बाजार में जुलाई 2006 के मध्य से मजबूती के आग्रह के साथ भारतीय रुपया में 2006-07 में 43.14- 46.97 रुपया प्रति डॉलर के दायरे में घटबढ़ हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और एफआइआइ के बहिर्वाह को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये में शुरुआती मूल्यह्रास हुआ और वह 19 जुलाई 2006 को 46.97 रुपये पर पहुंच गया। तथापि, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, बड़ी मात्रा में पूंजी आवकों तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमरीकी डॉलर की कमजोरी के कारण रुपये में उसके बाद तेजी आयी और वह 28 मार्च 2007 को रु. 43.14 प्रति अमरीकी डॉलर तक आ गया। मार्च 2007 के अंत में विनिमय दर रु. 43.60 प्रति डॉलर थी।

1.25 अच्छे समष्टि आर्थिक मूलतत्वों को दर्शाते हुए, 2006-07 के दौरान बाह्य क्षेत्र में भारत के भुगतान शेष की स्थिति में लगातार सुदृढ़ता और सक्रियता आयी। पण्य निर्यात और तेलेतर आयात वृद्धि में सामान्य बढ़त बनी रही, जबकि पिछले वर्ष इनमें सुदृढ़ वृद्धि देखी गई थी। साफ्टवेयर निर्यात एवं अन्य कारोबारी सेवाओं से प्राप्त आय तथा विदेश में कार्यरत भारतीयों से प्राप्त अर्थप्रेषण में उछाल बना रहा। 2006-07 के दौरान अदृश्य मदों के तहत निवल अधिदेश बढ़ा तथा उसने बढ़ते हुए पण्य व्यापार घाटे के बड़े भाग का वित्तपोषण करना जारी रखा। फलस्वरूप, वर्ष के दौरान चालू खाता घाटा कम बना रहा और जीडीपी के अनुपात के रूप में एक वर्ष पूर्व के स्तर पर (1.1 प्रतिशत) था। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की अगुआई में भारत में पूंजी प्रवाह में 2006-07 के दौरान बड़ी वृद्धि हुई, जो वृद्धि की संभावना की सुदृढ़ता और देशी निवेश और आयात मांग में उछाल द्वारा समर्थित थी। बाहरी प्रत्यक्ष निवेश में भी उछाल आया जो भारतीय कंपनियों द्वारा बढ़ते हुए विदेशी अर्जन को दर्शाता है। निवल पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटा से अधिक होने के साथ, समग्र भुगतान शेष में उल्लेखनीय अधिशेष दर्ज हुआ जो 2006-07 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में 47.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि में दिखायी दिया। जहां उच्चतर बाह्य वाणिज्यिक उधारों एवं अनिवासी जमाराशियों के कारण बाह्य ऋण के स्टॉक में वृद्धि हुई, वहीं विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में लगातार वृद्धि को दर्शाते हुए निवल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में गिरावट आयी, जो मार्च 2007 के अंत तक बढ़कर 199.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गयी।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1.26 बैंकिंग क्षेत्र ने 2006-07 के दौरान तीव्र वृद्धि दर्ज की। वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र की तीव्र वृद्धि ने मार्च 2007 के अंत में जीडीपी के प्रति अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों के अनुपात को बढ़ाकर 92.5 प्रतिशत कर दिया। वर्ष के दौरान आवास और वाणिज्यिक वास्तविक संपदा क्षेत्र से हटकर क्षेत्रीय ऋण आबंटन में कुछ पुनः संतुलन के साथ व्यापक ऋण वृद्धि आधार देखा गया। तथापि, मुख्यतः मीयादी जमाराशियों में तीव्र वृद्धि के कारण जमाराशियों में तेज वृद्धि ने बैंकों द्वारा ऋण वृद्धि को वित्तपोषित करने हेतु निवेश संविभाग को खोलने की जरूरत को समाप्त कर दिया जैसाकि पिछले वर्ष देखा गया था (सारणी I.1) । तथापि, कुल आस्तियों और निवल मांग और मीयादी देयताओं दोनों के प्रतिशत के रूप में बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश गिरावट जारी रही। निजी क्षेत्र के तीन पुराने बैंकों के विलय के साथ बैंकिंग क्षेत्र का समेकन जारी रहा जिससे अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या मार्च 2006 के अंत में 85 से घटकर 82 रह गयी।

सारणी 1.1: वित्तीय क्षेत्र के चुनिंदा संकेतक : 2006-07

श्रेणी		संकेतक	2005-06	2006-07
1		2	3	4
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	क)	प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत)		
		सकल जमाराशियां	17.8	24.6
		ऋण और अग्रिम	31.8	30.6
		सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	-1.2	9.3
	ख)	वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
		परिचालनगत लाभ	2.0	1.9
		निवल लाभ	0.9	0.9
		विस्तार	2.8	2.7
	ग)	अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)		
		सकल अनर्जक आस्तियां	3.1	2.4
		निवल अनर्जक आस्तियां	1.2	1.0
2. शहरी सहकारी बैंक	क)	प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत)		
		जमाराशियां	6.3	6.1
		ऋण	4.0	9.8
	ख)	वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)@		
		परिचालनगत लाभ	1.3	1.2
		निवल लाभ	0.8	0.6
		विस्तार	2.2	2.3
	ग)	अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)		
		सकल अनर्जक आस्तियां	18.9	17.0
		निवल अनर्जक आस्तियां	8.8	7.7
3. ग्रामीण सहकारी बैंक	क)	संख्या	1,07,497	–
	ख)	प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत)		
		जमाराशियां	4.9	–
		ऋण	6.2	–
	ग)	वित्तीय संकेतक		
		लाभ अर्जक सोसाइटियां (संख्या)	44,968	–
		घाटे में चल रही सोसाइटियां (संख्या)	53,344	–
		कुल लाभ / हानि (करोड़ रुपए)	-271	–
	घ)	अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)*	23.8	–
4. वित्तीय संस्थाए	क)	प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत)[1]		
		मंजूरी	41.0	12.9
		संवितरण	47.1	82.8
	ख)	वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)[2]		
		परिचालनगत लाभ	1.4	2.1
		निवल लाभ	1.0	1.5
		विस्तार	1.8	1.6
5. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	क)	प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत)		
		जनता की जमाराशियां	-32.1	-16.5
	ख)	वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
		निवल लाभ	1.5	1.2
	ग)	अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)[3]		
		निवल अनर्जक आस्तियां	0.5	0.4
6. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां	क)	प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत)		
		जमाराशियां	21.5	12.1
	ख)	वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
		निवल लाभ	0.7	0.9

– : उपलब्ध नहीं

@ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित हैं।

* प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बकाया राशियां शामिल हैं।

1 आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, सिडबी, आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर, टीएफसीआइ, एलआइसी और जीआइसी से संबंधित हैं।

2 सात वित्तीय संस्थाओं नामतः आइएफसीआइ,आइआइबीआइ, एक्जिम बैंक, टीएफसीआइ, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी से संबंधित हैं।

3 रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनियों के लिए,व्याप्ति में अंतर के साथ।

1.27 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन, देयताओं और आस्तियों दोनों पक्षों में, ब्याज दरों की सख्ती से समर्थित था। बैंकों की निवल ब्याज आय और ब्याजेतर आय दोनों कुल रूप में तेजी से बढ़ी परंतु कुल आस्तियों की तुलना में उसमें गिरावट आयी। तथापि, बैंक परिचालन व्यय को कम करके लाभप्रदता बनाये रखने में सफल रहे। पिछले वर्ष से भिन्न, बैंकों द्वारा किये गये प्रावधान और आकस्मिक व्यय वर्ष के दौरान बढ़ गये हालांकि वे सापेक्षिक रूप में (अर्थात् आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) थोड़े कम थे। जहां अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का आस्तियों पर प्रतिलाभ स्थिर रहा, वहीं ईक्विटी पर उनके प्रतिलाभ में वर्ष के दौरान सुधार आया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभ में तेज वृद्धि हुई, जिसे ऋण की मात्रा में सुदृढ़ वृद्धि और परिचालनात्मक व्ययों में नियंत्रण के कारण निवल ब्याज आय में तीव्र वृद्धि से सहारा मिला।

1.28 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में 2006-07 के दौरान और सुधार आया, जो ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल और निवल अनर्जक आस्तियों में गिरावट के रूप में प्रतिबिंबित हुआ। तथापि, सकल अनर्जक आस्तियों में बैंक समूहों के बीच अलग-अलग प्रवृत्ति थी। जहां वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (विशेषतः राष्ट्रीकृत बैंकों) और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों की कुल सकल अनर्जक आस्तियों में गिरावट आयी, वहीं निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में उसमें वृद्धि हुई।

1.29 पूंजी जुटाने के बैंकों के प्रयास, आस्तियों में वृद्धि तथा नयी आस्तियों के जोखिम की रूपरेखा के अनुरूप थे। अतः अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जोखिम भारित पूंजी अनुपात, जो हानि को सहने संबंधी बैंकिंग प्रणाली की क्षमता की माप है, मार्च 2006 के अंत के अनुरूप मार्च 2007 के अंत में 12.3 प्रतिशत पर था।

सहकारी बैंक

1.30 शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन में 2006-07 के दौरान सामान्य वृद्धि हुई। जमाराशियों में वृद्धि की तुलना में ऋण और अग्रिमों में उच्चतर वृद्धि देखी गयी। यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के लक्ष्य में चूक की, परंतु उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित उप-लक्ष्य पूरे कर लिये। मुख्यतः एसएलआर निवेशों में गिरावट के कारण वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के निवेश में गिरावट आयी, तथापि, एसएलआर से इतर निवेश में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन में उच्चतर परिचालन और शुद्ध लाभ तथा ब्याज-अंतराल में वृद्धि के साथ उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह विजन दस्तावेज द्वारा सुझायी गयी मध्यावधि रूपरेखा की सफलता की ओर संकेत करता है। कुल और सापेक्ष्य दोनों रूपों में सकल और निवल अनर्जक आस्ति में गिरावट के साथ, शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

1.31 वर्ष 2005-06 के दौरान, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को छोड़कर ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के सभी खंडों के तुलनपत्र 2005-06 में बढ़ गये। तथापि, वर्ष के दौरान उनके वित्तीय कार्य-निष्पादन में गिरावट आयी। ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न खंडों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में व्यापक घट-बढ़ देखा गया। जहां 2005-06 के दौरान अल्पावधि और दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं दोनों के ऊपरी स्तर ने लाभ कमाया, वहीं निचले स्तर (अर्थात् पीएसीएस और पीसीएआरडीबी) ने समग्र रूप से हानि उठायी। सुधरे हुए वसूली कार्य-निष्पादन वाली प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को छोड़कर सभी प्रकार के ग्रामीण सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आयी। वर्ष के दौरान डीसीसीबी और पीसीएआरडीबी का वसूली कार्यनिष्पादन खराब हुआ।

वित्तीय संस्थाएं

1.32 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता में, उनके द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता में गिरावट के बावजूद, 2006-07 में तेज वृद्धि हुई। 2006-07 में वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष के दौरान देखी गयी क्रमशः 41.0 प्रतिशत तथा 38.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में क्रमशः 12.9 प्रतिशत और 82.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मुख्यतः निवेश संस्थाओं और विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरण में वृद्धि के कारण संवितरणों में तेज वृद्धि हुई, जबकि अखिल भारतीय मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा कम स्वीकृति के कारण स्वीकृतियों में कमी आयी।

1.33 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शुद्ध ब्याज आय में, 2005-06 के 20.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, 2006-07 में 1.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं की ब्याजेतर आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तथापि, पिछले वर्ष की तीव्र वृद्धि के विपरीत वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं के परिचालनागत व्यय में 55.9 प्रतिशत की गिरावट आयी। फलस्वरूप, वर्ष के दौरान परिचालनात्मक लाभ में 73.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई। यह कराधान के लिए चिह्नित उच्चतर प्रावधानों के बावजूद वित्तीय संस्थाओं के निवल लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में भी प्रतिबिंबित हुआ। वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक बना रहा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1.34 वर्ष 2005-06 में 5.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की तुलना में जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति/देयता में वर्ष 2006-07 में 26.9 प्रतिशत की काफी तीव्र वृद्धि हुई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधारी, जोकि उनकी निधियों का प्रमुख स्रोत है, में वर्ष के दौरान 30.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि जमाराशि में 16.5 प्रतिशत की गिरावट आई। निधि आधारित आय में तीव्र वृद्धि के चलते 2006-07 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का चेहरा ही बदल गया जिसने परिचालन व्यय और वित्तीय व्यय में हुई तीव्र वृद्धि के असर को कम किया। परिणामस्वरूप, परिचालन लाभ और निवल लाभ दोनों में वृद्धि हुई। आस्ति की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ । वर्ष के दौरान जहां 30 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर वाली एनबीएफसी-डी के अनुपात में कमी आई वहीं 12 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाली एनबीएफसी-डी के अनुपात में भी यही रुख रहा। एनबीएफसी समूह में सकल आस्ति / देयता में सबसे बड़ा हिस्सा आस्ति वित्त कंपनियों का (51.5 प्रतिशत) था उसके बाद किराया खरीद वित्त कंपनियों (35.7 प्रतिशत), ऋण कंपनियों (8.7 प्रतिशत) तथा निवेश कंपनियों (3.4 प्रतिशत) का था।

1.35 100 करोड़ रुपए और इससे अधिक की आस्ति आकार वाली जमा राशि न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण 173 एनबीएफसी से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के अंत में उनकी आस्ति / देयता में वर्ष 2006 की तुलना में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की कुल उधारी 26.8 प्रतिशत बढ़कर 2,11,986 करोड़ रुपए हो गई जोकि कुल देयताओं का 66.7 प्रतिशत है। मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआइ ने 7,460 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जोकि मार्च 2006 समाप्त वर्ष के दौरान अर्जित लाभ (4,301 करोड़ रुपए) की तुलना में 73.4 प्रतिशत अधिक है जो अंशतः यह दर्शाता है कि इस श्रेणी में कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

2007-08 के दौरान हुई गतिविधियां

1.36 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अगस्त 2007 में दिये गये अनुमान के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च दर पर वृद्धि जारी रही और 2006-07 की पहली तिमाही में हुई 9.6 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि की तुलना में 2007-08 की पहली तिमाही में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वास्तविक जीडीपी में हुई वृद्धि को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में द्वि-अंकीय वृद्धि से समर्थन मिला जबकि कृषि क्षेत्र में सुधार के संकेत दिखायी दिये।

1.37 थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़ द्वारा मापी गयी मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मार्च 2007 के अंत के 5.9 प्रतिशत से कम होकर 27 अक्तूबर 2007 को 3.0 प्रतिशत हो गयी। सभी प्रमुख समूहों, प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन समूह और विनिर्माण उत्पादों के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर मार्च 2007 के अंत में क्रमशः 10.7 प्रतिशत, 1.0 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत थी जो 27 अक्तूबर 2007 को कम होकर क्रमशः 5.1 प्रतिशत, -1.5 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत रह गयी। राजकोषीय और आपूर्ति पक्ष के उपायों सहित 2004 के मध्य से पूर्वोपाय के रूप में किये गये मौद्रिक उपायों ने मुद्रास्फीतिकारी दबावों को रोकने में मदद की।2007-08 की दूसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में तेजी बनी रही तथा वह थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के ऊपर बनी रही जो मुख्यतः उच्चतर खाद्य मूल्यों के प्रभाव को दर्शाता है।

1.38 2007-08 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त के प्रमुख घाटा संकेतकों में कुल तथा जीडीपी के अनुपात दोनों रूपों में 2006-07 के संशोधित अनुमानों में गिरावट आने का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के राजस्व खाता में अधिशेष राजकोषीय पक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। राजस्व खाते में परिकल्पित सुधार से संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा में 2007-08 में जीडीपी के 0.8 प्रतिशत की कमी आने की आशा है। 2007-08(अप्रैल - सितंबर 2007) के पहले छह माह लिए केंद्र सरकार के वित्त के बारे में उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि बजट अनुमान की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा (रिज़र्व बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के अंश के अर्जन की लागत और रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को अंतरित लाभ के अंतर की राशि) अप्रैल-सितंबर 2006[2] की तुलना में कम स्तर पर रखा गया है। अप्रैल-सितंबर 2007 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम था। तथापि, राजस्व घाटे के लिए कम राशि बजट किए जाने के कारण 22.6 प्रतिशत अधिक की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के बावजूद बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में यह राशि पिछले वर्ष से सामान्य अधिक थी।

1.39 राजकोषीय वर्ष 2007-08 में (26 अक्तूबर 2007 तक), पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की 7.9 प्रतिशत की वृद्धि की

[2] भारतीय स्टेट बैंक में रिज़र्व बैंक के अंश के अंतरण के कारण अधिशेष अंतरण की राशि (34,308 करोड़ रुपए) अप्रैल-अगस्त 2007 के लिए गैर-कर राजस्व के अंतर्गत शामिल किया गया था। जैसा कि केंद्र सरकार के 2007-08 के बजट में उल्लेख किया गया है, लेखा महानियंत्रक द्वारा इस लेनदेन को अप्रैल-सितंबर 2007-08 के लिए गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत रिकार्ड किया गया है।

तुलना में एम$_3$ में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साल-दर-साल आधार पर एक वर्ष पूर्व के 18.4 प्रतिशत की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार एम$_3$ में वृद्धि वार्षिक नीति विवरण (अप्रैल 2007) में 2007-08 के लिए निर्धारित 17.0 -17.5 प्रतिशत के संकेतात्मक दायरे से अधिक बनी रही। सरकार को निवल बैंक ऋण में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष (26 अक्तूबर 2007 तक) में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के 9.0 प्रतिशत की तुलना में 5.1 प्रतिशत बढ़ा । सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में वाणिज्य बैंकों का निवेश उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के प्रतिशत के रूप में, मार्च 2007 के अंत के 28.0 प्रतिशत से बढ़कर 14 सितंबर 2007 को 29.4 प्रतिशत हो गया। आरक्षित मुद्रा में एक वर्ष पूर्व के 15.6 प्रतिशत की तुलना में 2 नवंबर 2007 को साल-दर-साल 26.7 प्रतिशत (सीआरआर में वृद्धि के पहले दौर के प्रभावों के लिए 17.1 प्रतिशत पर समायोजित) की वृद्धि हुई। सीआरआर में वृद्धि के कारण अप्रैल 2007 के मध्य से चलनिधि का दबाव बढ़ा परंतु 28 मई 2007 से उसमें क्रमिक रूप से नरमी आयी जो सरकारी खर्च में वृद्धि तथा रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों से विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद को दर्शाता है। 2007-08 की दूसरी तिमाही में (सितंबर के मध्य तक) रिज़र्व बैंक ने एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो का उपयोग करते हुए चलनिधि को अवशोषित करना जारी रखा।

1.40 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खाद्येतर ऋण में मार्च 2007 के अंत के 28.4 प्रतिशत और एक वर्ष पूर्व के 29.7 प्रतिशत की तुलना में 26 अक्तूबर 2007 को साल-दर-साल 23.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जमाराशियों में वृद्धि में तेजी के साथ ऋण वृद्धि में कमी के फलस्वरूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात (साल-दर-साल) पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के 98.3 प्रतिशत की तुलना में 14 सितंबर 2007 को कम होकर 62.9 प्रतिशत रह गया। 17 अगस्त 2007 तक उपलब्ध क्षेत्रवार नियोजन आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वृद्धिशील खाद्येतर ऋण (साल-दर-साल) का 41 प्रतिशत उद्योग द्वारा, लगभग 13 प्रतिशत कृषि द्वारा और लगभग 22 प्रतिशत व्यक्तिगत ऋण द्वारा अवशोषित किया गया। उद्योग क्षेत्र में, ऋण की मांग निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, (पावर, पत्तन, दूरसंचार आदि), वस्त्र, लोहा एवं इस्पात, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, खाद्य अभिसंस्करण, रसायन, वाहन और निर्माण उद्योगों द्वारा की गयी। उद्योग को दिये गये वृद्धिशील ऋण का 27 प्रतिशत से अधिक केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में गया। वाणिज्यिक वास्तविक संपदा को ऋण में वृद्धि उच्च स्तर पर रही।

1.41 अब तक 2007-08 के दौरान भारतीय वित्तीय बाजार आम तौर पर व्यवस्थित बना रहा। अप्रैल-जुलाई 2007 के दौरान मांग मुद्रा दरों में नरमी की प्रवृत्ति के फलस्वरूप, वे जून-जुलाई 2007 के बीच रिवर्स रेपो दर के नीचे रहे। तथापि, 6 अगस्त 2007 से दैनिक रिवर्स रेपो पर रु.3000/- करोड़ की उच्चतम सीमा हटाने के फलस्वरूप, मांग मुद्रा दरों में तेजी आयी। सितंबर 2007 के दौरान, मांग मुद्रा दरें कमोबेश रिवर्स रिपो और रिपो दर द्वारा निर्धारित अनौपचारिक सीमा के भीतर रहीं। 15 अक्तूबर 2007 को वाणिज्यिक पत्रों का निर्गम मार्च 2007 के अंत के रु. 17,688 करोड़ से बढ़कर रु. 38, 495 करोड़ हो गया। वाणिज्यिक पत्र पर भारित औसत बट्टा दर जून 2007 के अंत के 8.93 प्रतिशत से घटकर 15 अक्तूबर 2007 को 7.99 प्रतिशत हो गयी और वाणिज्यिक पत्र की अधिक तरजीह वाली परिपक्वता '61 से 90 दिन' और '181 दिन और अधिक' के बीच रही। पट्टादायी और वित्तीय कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक पत्रों का बड़ी मात्रा में जारी करना बना रहा। जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि मार्च 2007 के अंत के रु.93,272 करोड़ (4.8 प्रतिशत) से बढ़कर 28 सितंबर 2007 को रु.1,18,481 करोड़ (जारीकर्ता बैंकों की कुल जमाराशियों का 5.55 प्रतिशत) हो गयी। जमा प्रमाणपत्रों पर भारित औसत बट्टा दर मार्च 2007 के अंत के 10.75 प्रतिशत की तुलना में 28 सितंबर 2007 को गिरकर 8.57 प्रतिशत रह गयी।

1.42 मुद्रास्फीति में आ रही नरमी और मुद्रा बाजार खंड की प्रवृत्तियों के अनुरूप 91-दिवसीय खजाना बिलों पर प्राथमिक आय मार्च 2007 के 7.73 प्रतिशत से गिरकर अक्तूबर 2007 में 7.11 प्रतिशत हो गयी। 364 दिवसीय और 91 दिवसीय खजाना बिलों के बीच आय अंतराल मार्च 2007 के 23 आधार अंकों से बढ़कर अक्तूबर 2007 में 26 आधार अंक हो गया। 8 नवंबर 2007 को 10 वर्षीय आय, मार्च 2007 के अंत की आय (7.97) की तुलना में 7.96 प्रतिशत पर लगभग अपरिवर्तित रही। 1-10 वर्ष की आय के बीच का अंतराल मार्च 2007 के अंत के 42 आधार अंकों से सिमटकर कर अक्तूबर 2007 के अंत में 21 आधार अंक हो गया।

1.43 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा दरें, विशेषतः विभिन्न परिपक्वताओं के दायरे के ऊपरी छोर पर जुलाई 2007 और अगस्त 2007 के बीच गिर गयी। एक से तीन साल की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ब्याज दरें जून 2007 के 7.25 - 9.75 प्रतिशत (मार्च 2007 में 7.25 - 9.50 प्रतिशत) की तुलना में अगस्त 2007 में 7.25-9.00 प्रतिशत के दायरे में थीं, जबकि तीन साल से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर वे जून 2007 के 7.75 - 9.75 प्रतिशत की तुलना में (मार्च 2007 में 7.50 - 9.50 प्रतिशत) अगस्त 2007 में 7.75 - 9.50 प्रतिशत

के दायरे में थीं। 2007-08 की दूसरी तिमाही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का बीपीएलआर अपरिवर्तित रहा, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में वह जून 2007 के 13.00-17.25 प्रतिशत की तुलना में अगस्त 2007 में नरम होकर 13.00-16.50 प्रतिशत के दायरे में आ गया।

1.44 2007-08 के दौरान, भारतीय रुपया ने दूसरी तिमाही के दौरान घट-बढ़ दर्शाया जबकि मई 2007 के अंत तक उसमें अमरीकी डॉलर की तुलना में वृद्धि हुई थी। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान(8 नवंबर 2007 तक) रुपया 39.26 - 43.15 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर के दायरे में रहा। 2007-08 के दौरान अब तक (8 नवंबर 2007 तक) भारतीय रुपए में अमरीकी डॉलर की तुलना में 10.8 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 3.6 प्रतिशत, यूरो की तुलना में 1.0 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई।

1.45 वर्ष 2007-08 के दौरान तेजी के रुख को जारी रखते हुए सेंसेक्स 2 नवंबर 2007 को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ जो कि मार्च 2007 के अंत की स्थिति से 52.82 प्रतिशत अधिक है। 2 नवंबर 2007 को एसएंडपी और निफ्टी भी 5932 के रिकार्ड स्तर तक पहुंचा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू स्टॉक मार्केट में जिन क्षेत्रों के स्टॉक में वृद्धि हुई उनमें पूंजीगत वस्तुएं, धातु, तेल तथा गैस, उपभोक्त वस्तुएं तथा बैंकिंग क्षेत्र शामिल है। बाजार में तेजी के रुझान को हवा देने में इन कारकों की भूमिका रही - विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आइ आइ), द्वारा चलनिधि समर्थन, जीडीपी में सुदृढ़ वृद्धि, कंपनियों की लाभप्रदता में भारी वृद्धि, घरेलू मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में कमी, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ईक्विटी बाजारों का उर्ध्वगामी रुख, तथा धातुओं की कीमतों में वृद्धि। तथापि, यूएस तथा यूरोप में सब-प्राइम हानियों तथा ऋण में अत्यधिक तंगी एवं प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के अवमूल्यन के चलते प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ईक्विटी बाजारों में गिरावट आई जिसके कारण घरेलू स्टाक बाजार में 2 नवंबर 2007 के बाद कुछ करेक्शन हुए। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में रिकार्ड वृद्धि, एफआईआई द्वारा भारतीय ईक्विटी बाजार में निवल बिक्री, डॉलर की तुलना में रुपए के मूल्य में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर धातुओं की कीमतों में गिरावट तथा अन्य क्षेत्र तथा स्टॉक विशेष से संबंधित सूचनाओं ने बाजार के रुख को नरम करने का काम किया।

1.46 2007-08 के दौरान अब तक भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति सुखद बनी रही। जहां पण्य निर्यात में अप्रैल-जुलाई 2007 के दौरान कुछ कमी आयी वहीं उसी अवधि में आयात में समग्र वृद्धि ऊंची रही। तथापि, तेल आयात में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान दर्ज सुदृढ़ वृद्धि की तुलना में तीव्र कमी आयी। निजी अंतरणों में उच्चतर वृद्धि की अगुआई में 2007-08 की पहली तिमाही में अदृश्य खातों में अधिशेष ने 2007-08 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा को कम करके 4.7 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया। पोर्टफोलियो निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार के तहत बड़े प्रवाहों को दर्शाते हुए, निवल पूंजी आवक 2006-07 की पहली तिमाही के 10.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2007-08 की तदनुरूप अवधि में बढ़कर 15.3 बिलियन अमरीकी डॉलर पर काफी अधिक था। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां मार्च 2007 के अंत के 199.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से और बढ़कर 21 सितंबर 2007 को 236 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गयी।

अध्याय II

वाणिज्यिक बैंकिंग में नीतिगत गतिविधियां

प्रस्तावना

2.1 1990 के दशक की शुरुआत से पूरे विश्व में बैंकिंग उद्योग में गहन परिवर्तन हुए हैं। बैंकिंग क्षेत्र का यह परिवर्तित परिचालन वातावरण भूमंडलीकरण, विनियमन और सूचना प्रौद्योगिकी में विकास के सहारे आगे बढ़ा और इसके परिणामस्वरूप गहन प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उत्पन्न हुए। बैंकों ने इस चुनौती का सामना वर्तमान कारोबार को सहज विस्तार देकर और अधिग्रहण के माध्यम से किया। इससे बैंकिंग क्षेत्र में नये जोखिमों का प्रादुर्भाव हुआ एवं गंभीर विनियामक चुनौतियां सामने आई। इन उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों को निरंतर बेहतर बनाया गया। विनियामक पहलों का केन्द्रबिंदु विवेकपूर्ण मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाकर प्रणालीगत जोखिमों की पहचान करके और जोखिमों को कम करने वाली समुचित नीतियों को ग्रहण करके वित्तीय संस्थानों को मजबूत करना रहा है। विनियामकों ने विवेकपूर्ण ढांचे को मजबूत करने के सतत प्रयास के साथ-साथ हाल के वर्षों में बैंक अभिशासन में सुधार और सूचना प्रकटन पर ध्यान दिया जिससे बाजार अनुशासन मजबूत हुआ है। ज्यादातर मामलों में विनियामक पहलें अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार उचित रूप में घरेलू हालातों के अनुकूल बनाकर ग्रहण की गईं। यूएस सब-प्राइम बंधक संकट के खुलने के बाद हाल के वित्तीय बाजार में यह अधिकाधिक स्पष्ट हो गया है।

2.2 तीव्र विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे में समुचित पुनर्ध्रुवीकरण किया है। बैंकों की ऋण सुपुर्दगी और ग्राहक सेवा में सुधार लाना भी रिज़र्व बैंक का प्रयास रहा है। इसके साथ ही रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन और अर्थव्यवस्था के बैंकविहीन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा का विस्तार करने पर ध्यान दिया है। रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर उठाए गये विभिन्न कदमों से वित्तीय प्रणाली में सामर्थ्य, लचीलापन एवं गतिशीलता आई है।

2.3 2006-07 के दौरान, विवेकपूर्ण और एक्सपोजर मानदंडों को और मजबूती प्रदान करने के लिए नवीकृत बल दिया गया। बासेल-II में सुगम संक्रमण को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप कई पहलें शुरू की गईं। बैंकों द्वारा अप्रैल 2007 में नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बासेल-II) के कार्यान्वयन के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी करने के अलावा, बैंकों द्वारा स्ट्रेस टेस्ट के लिए दिशानिर्देश जारी करने और नये फ्रेमवर्क के स्तंभ-3 (बाजार अनुशासन) की मजबूती के लिए प्रकटन मानदंडों में वृद्धि करने सहित कुछ बड़े कदम उठाए गये हैं। तीव्र गति से बढ़ रहे ऋणों में परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को उधार देने के लिए ऋण भार और प्रावधानीकरण आवश्यकताओं में वृद्धि की गई। वर्ष के दौरान उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदमों में पूंजी बाजार में बैंक के एक्सपोजर संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों में आशोधन, व्युत्पन्नियों के बारे में व्यापक दिशानिर्देश जारी करना, आउटसोर्सिंग में निहित जोखिमों के प्रबंधन के लिए संशोधित ढांचा, अस्थायी प्रावधान बनाने एवं उनके उपयोग के लिए विवेकपूर्ण मानदंड जारी करना और अनर्जक आस्तियों को बेचने/खरीदने के दिशानिर्देशों में आशोधन शामिल हैं। ऋण सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया। रिज़र्व बैंक ने मौलिक बैंकिंग सेवाओं को विशेषकर कम विकसित क्षेत्रों में प्रारंभ करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

2.4 इस अध्याय में रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय वाणिज्यक बैंकिंग क्षेत्र में 2006-07 (जुलाई-जून) और 2007-08 (अक्तूबर 2007 तक) उठाये गये विभिन्न नीतिगत उपायों का उल्लेख किया गया है। 2006-07 और 2007-08 (अक्तूबर 2007 तक) की मौद्रिक नीति का रुझान, मौद्रिक नीति उपायों के साथ, खंड 2 में दिया गया है, इसके साथ ऋण सुपुर्दगी क्षेत्र में उठाए गये कदमों की समीक्षा खंड 3 में दी गई है। खंड 4 में वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए उठाए गये कदमों का विवरण दिया गया है। विवेकसम्मत विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में उठाए गए पहलों की जानकारी क्रमशः खंड 5 और खंड 6 में दी गई है। खंड 7 में वित्तीय बाजारों के क्षेत्र, अर्थात् मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार की नीतिगत गतिविधियां दी गई हैं। इसके बाद ग्राहक सेवा के क्षेत्र में बैंकों द्वारा की गई पहल की जानकारी खंड 8 में दी गई है। भुगतान और निपटान प्रणाली तथा प्रौद्योगिकीय गतिविधियों संबंधी नीतिगत उपायों की रुपरेखा क्रमशः खंड 9 और खंड 10 में दी गई है। खंड 11 में कानूनी बुनियादी संरचना को मजबूत बनाने हेतु उठाए गए कदमों की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. मौद्रिक नीति

2.5 वर्ष 2006-07 के दौरान मौद्रिक नीति के संचालन का आधार संस्थागत ढांचे में हो रहे परिवर्तन के साथ ही वैश्विक और घरेलू दोनों स्थितियों में विशेष रूप से वर्ष के उत्तरार्ध में अचानक आए बदलाव थे जिनसे कीमत और वित्तीय स्थिरता के सामने संकट खड़ा हो गया था। तदनुसार, 2006-07 का वार्षिक नीतिगत वक्तव्य और बाद की उसकी तिमाही समीक्षाएं (जुलाई, अक्तूबर 2006 और जनवरी 2007) नीतिगत आकलन के संप्रेषण के मुख्य साधन थे, वहीं वर्ष 2006-07 के नीतिगत उपाय पहले की भांति उभरती स्थिति के प्रतिसाद स्वरूप नीतिगत समीक्षा चक्र के बाहर किए गए थे। संस्थागत ढांचे के संदर्भ में 2006-07 में हुई एक और महत्वपूर्ण गतिविधि जनवरी 2007 में मौद्रिक नीति पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन थी। मौद्रिक नीति पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति की भूमिका का स्वरूप सलाहकारी है और यह मौद्रिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में समय-समय पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। इस प्रकार, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लेने संबंधी दायित्व, जिम्मेदारी और समय पथ मौद्रिक नीति पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति के विमर्श से औपचारिक रूप से बाधित नहीं होते हैं।

2.6 वर्ष 2006-07 में तेज वृद्धि के साथ ही खाद्यान्न एवं कुछ विनिर्मित उत्पादों की कीमतों के आधार पर मुद्रास्फीति भी बढ़ने के कारण वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा सामना की गई मुख्य नीतिगत चुनौती मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखते हुए उच्च वृद्धि पथ की ओर बढ़ने का प्रबंधन थी। तेज वृद्धि से उत्पन्न कुल मांग / दबाव के कारण मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति में स्थिरता पर पहले से अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया क्योंकि वे आपूर्ति बाधा के कारण व्यापक हो रहे थे। इसके अलावा, घरेलू और वैश्विक स्तर पर उभर रहे परिदृश्य को घेर रही अति अनिश्चितता के संदर्भ में जनवरी 2007 की तीसरी तिमाही समीक्षा में उस स्थिति में मौद्रिक नीति के संचालन में भार, जटिलता और बाधाओं को दर्शाया गया है। परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से आ रहे भारी चलनिधि प्रवाह और विदेशी मुद्रा के अंतर्वाहों की टिकाऊ शक्ति से मौद्रिक नीति का संचालन जटिल हो गया जिसमें चलनिधि के प्रसार से मौद्रिक नीति कड़ी करने का प्रभाव काफी घट गया। साथ ही, भारत में मौद्रिक नीति को राजकोषीय प्रभुत्व की निरंतरता, मांग दबावों के प्रतिसाद में आपूर्ति में कमी के साथ ही पूंजी प्रवाहों में अचानक परिवर्तन होने से संबंधित वित्तीय बाजारों की अस्थिरता से अपर्याप्त रूप से बने अर्थव्यवस्था के घटकों को बचाने के भार से संघर्ष करना पड़ता है। मौद्रिक नीति का संचालन अनेक जटिलताओं से भी प्रभावित होता है - वैश्वीकरण, समष्टि आर्थिक और वित्तीय घटनाओं को समझने में कठिनाई, विशेष रूप से मुद्रास्फीति और उसकी भावी स्थिति को पहचानने और मापने में कठिनाई; उच्च और निरंतर हो रहे वैश्विक समष्टि असंतुलन; कच्चे तेल और आस्तियों के बढ़े हुए मूल्य; और मुख्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं में भारी गतिविधि और घरेलू मुद्रास्फीति में अंतरण का मौन रहना। भारत में मौद्रिक नीति का परिचालन भी निम्न के कारण बाधित है - प्रशासित ब्याज दरों की मौजूदगी के कारण नीतिगत संकेतकों के संप्रेषण में अनिश्चितता; सार्वजनिक नीति निर्धारण द्वारा उपलब्ध कराए गए पूंजी प्रवाह के कुछ घटकों के लिए प्रोत्साहन; और बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व की प्रमुखता जो अन्य सार्वजनिक नीति धारणाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2.7 मौद्रिक नीति के रुझान के संदर्भ में घरेलू तथ्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव बना रहने के बावजूद वर्ष गुजरने के साथ ही वैश्विक कारक भी महत्वपूर्ण हो गए। रिज़र्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि की लोच को नोट करने के साथ-साथ उन निम्नवर्ती जोखिमों पर भी ध्यान दिया जिनका प्रसार वैश्विक अर्थव्यवस्था तक था और जिसका प्रभाव भारत जैसे देश की मध्यावधि संभावना पर पड़ सकता था। 2007 की प्रथम छमाही में इनमें से अनेक जोखिमें मूर्त रूप में आ गईं। यह उन असाधारण घटनाओं के संदर्भ में है कि 2007-08 की मौद्रिक नीति में व्यवस्थित और मजबूत बाजारों और संस्थाओं की स्थिति को प्राथमिकता दी गई है ताकि नीतिगत साधनों के लचीले प्रयोग के माध्यम से प्रणाली में उपयुक्त चलनिधि उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जा सके जिससे मूल्य और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप ऋण की उचित मांग पूरी हो जाए (बॉक्स II.1)।

2006-07 का वार्षिक नीतिगत वक्तव्य

2.8 वर्ष 2006-07 का वार्षिक नीतिगत वक्तव्य, जो अप्रैल 2006 में जारी किया गया था, पिछले वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षा से अधिक अच्छे निष्पादन की पृष्ठभूमि में बनाया गया था जिसमें मुद्रास्फीति अनुमानित दायरे में थी और मुद्रास्फीति संभावना स्थिर थी और वित्तीय बाजारों में स्थिरता थी और बाह्य क्षेत्र के भुगतानों की स्थिति का समष्टि आर्थिक बुनियादी घटकों की शक्ति के साथ तालमेल था। तथापि, यह उल्लेख किया गया था कि घरेलू कारक निरंतर महत्वपूर्ण बने रहने के बावजूद मौद्रिक नीति प्रतिसादों के निर्धारण में वैश्विक कारकों का महत्व बढ़ता जा रहा था। तेल की उच्च और अस्थिर कीमतों, भू-राजनैतिक तनाव और आपूर्ति आघातों के मद्देनजर वैश्विक वृद्धि ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया था और आवास क्षेत्र की तेजी का विश्वभर के कई देशों में नरम होना शुरू हो गया था। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में निवेशकों की जोखिम उठाने की इच्छा ने जोखिमपूर्ण

बॉक्स II.1: अप्रैल 2006 से अक्तूबर 2007 के दौरान मौद्रिक नीति का रुझान

2006-07 का वार्षिक नीतिगत वक्तव्य (अप्रैल 2006)

- एक ऐसा मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जिससे मुद्रास्फीति की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली उभरती स्थितियों का कोई भी चिह्न दिखते ही समयोचित और तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहते हुए मूल्य स्थिरता के साथ वृद्धि की गति जारी रहे।
- समष्टि आर्थिक और विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश मांग और निर्यात को सहायता देने के लिए ऋण की गुणवत्ता और वित्तीय बाजार की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना।
- उभरती वैश्विक स्थिति की प्रतिक्रिया में तुरंत कदम उठाना।

2006-07 की पहली तिमाही समीक्षा (जुलाई 2006)

- एक ऐसा मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण बनाना जिससे मुद्रास्फीति की संभावनाएं नियंत्रित रखने की दृष्टि से मूल्य स्थिरता पर बल देते हुए वृद्धि की गति बनी रहे।
- समष्टि आर्थिक और विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश मांग और निर्यात को सहायता देने के लिए ऋण की गुणवत्ता और वित्तीय बाजार की स्थिति पर पुनः ध्यान केंद्रित करना।
- मुद्रास्फीति की संभावनाओं और वृद्धि की गति पर प्रभाव डालने वाली उभर रही वैश्विक और घरेलू स्थिति के लिए उपयुक्त कार्रवाई पर विचार करना।

2006-07 की मध्यावधि समीक्षा (अक्तूबर 2006)

- एक ऐसा मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश मांग और निर्यात को सहायता मिले ताकि मुद्रास्फीति की संभावनाओं को स्थिर रखने की दृष्टि से कीमत स्थिरता लागू करते हुए वृद्धि की गति जारी रखी जाए।
- समष्टि आर्थिक और विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता पर लगातार बल देते रहना।
- उभरती वैश्विक और घरेलू स्थिति के संबंध में सभी उपयुक्त संभव उपायों पर विचार करना।

2006-07 की तीसरी तिमाही की समीक्षा (जनवरी 2007) / 2007-08 का वार्षिक नीतिगत वक्तव्य (अप्रैल 2007) / 2007-08 की पहली तिमाही समीक्षा (जुलाई 2007)

- वृद्धि की गति को जारी रखने के लिए अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश मांग को समर्थन देने हेतु मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मूल्य की स्थिरता और सुनियंत्रित मुद्रास्फीति पर और बल देना।
- समष्टि आर्थिक और विशेषतः, वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए, वित्तीय बाजारों में ऋण की गुणवत्ता और व्यवस्थित स्थितियों पर पुनः बल देना तथा साथ-साथ ऋण को अधिक फैलाने और वित्तीय समावेशन का अनुसरण करना।
- मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं [वित्तीय स्थिरता (जुलाई 2007 विवरण में)] और वृद्धि की गति पर अतिक्रमण करने वाली उभरती वैश्विक और देशी स्थिति के लिए उपयुक्त सभी संभव उपायों के साथ तुरंत कार्रवाई करना।

2007-08 की मध्यावधि समीक्षा (अक्तूबर 2007)

- वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश मांग हेतु सहायक मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करते हुए मूल्य स्थिरता और सुस्थिर मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर पुनः ध्यान केंद्रित करना।
- अधिक ऋण प्रसार और वित्तीय समावेशन के प्रयास जारी रखते हुए उसी समय समष्टि आर्थिक और विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता प्राप्ति के लिए वित्तीय बाजारों में ऋण गुणवत्ता और उपयुक्त वातावरण पर पुनः बल देना।
- मुद्रास्फीति अपेक्षाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि को प्रभावित करने वाली उभरती वैश्विक और देशी स्थिति के प्रति हर संभव उपयुक्त कदम तत्काल उठाना।
- वैश्विक अनिश्चितता में असामान्य वृद्धि और वित्तीय बाजारों में विकास के प्रति अपारंपरिक नीतिगत प्रतिसादों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था में स्थिरता और वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए सभी संभव उपायों का सहारा लेने की तैयार रखना।

आस्तियों के व्यापक विकल्पों से जोखिम की संभावना कम की जिससे मध्यावधि जोखिमों और उसकी धारणाओं के बीच संबंध हटाने का सुझाव मिलता है जिसका विश्वभर में वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है।

2.9 वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में जीडीपी को 2006-07 के दौरान 7.5-8.0 प्रतिशत के दायरे में रखा गया जिसका लक्ष्य था 2006-07 की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर को 5.0-5.5 प्रतिशत के दायरे में रखना। एम3 की वृद्धि का अनुमान लगभग 15.0 प्रतिशत का था जिसमें कुल जमाराशि में वृद्धि लगभग 3,30,000 करोड़ रुपए और खाद्येतर बैंक ऋण वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत रखी गई। इस पृष्ठभूमि में यह नोट किया गया कि अधिकतम सटीक रूप में जोखिम का मूल्यांकन और जोखिम सामने आने पर उभरती स्थिति से सामने आई चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण कारक था। घरेलू समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिति भारत में स्थिरता के साथ वृद्धि की तेजी निरंतर रहने की संभावना का समर्थन करती है, वहीं यह माना गया था कि जोखिम का पलड़ा वैश्विक कारकों की ओर झुका हुआ था और यह कि नीतिगत रुझान तैयार करते समय वैश्विक कारकों को पहले की तुलना में अधिक महत्व दिया जाए। इस मूल्यांकन और वर्ष के लिए निर्धारित रुझान के अनुरूप (बॉक्स II.1 देखें) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रणाली में उपयुक्त चलनिधि बनी रहे और ऋण की सभी जायज मांगें पूरी होती रहें, जोकि कीमत और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप होगा, वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में चलनिधि

के सक्रिय मांग प्रबंधन की नीति जारी रखने की प्रतिबद्धता के साथ ही बैंक दर, एलएएफ के अंतर्गत रिपो / रिवर्स रिपो और नकदी आरक्षित निधि अनुपात जैसे नीति के मुख्य साधनों को अपरिवर्तित रखा गया। 8 जून 2006 को आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता की सहायतार्थ स्फीतिकारी अपेक्षाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एलएएफ रिवर्स रेपो/रेपो दरें प्रति 25 आधार अंक बढ़ाई गईं।

2006-07 की पहली तिमाही समीक्षा

2.10 जुलाई 2006 में जारी पहली तिमाही समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था की आशावादी अल्पावधि संभावना पर ध्यान दिया गया और साथ ही अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और खाद्यान्न कीमतों के अपूर्ण अंतरण से मुद्रास्फीति के प्रति जोखिमों के संदर्भ में सचेत रहने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गई घोषणा के समय से वित्तीय बाजार अनिश्चितता के वातावरण में जोखिम का पुनर्मूल्यांकन कर रहे थे और कुछ विकसित देशों तथा कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति पुनः कड़ी की गई। समग्र समष्टि आर्थिक और भू-राजनैतिक वैश्विक वातावरण उल्लेखनीय निम्नवर्ती जोखिमों का संकेत करता है। 2006-07 की पहली तिमाही समीक्षा में पूर्वक्रीत कार्रवाई के रूप में एलएएफ के अंतर्गत की रिवर्स रिपो दर पुनः 25 आधार अंक बढ़ाई गई और उभरती स्थिति के संदर्भ में लचीले तौर पर और तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हुए रिपो दर को अपरिवर्तित रखा गया।

2006-07 की मध्यावधि समीक्षा

2.11 अक्तूबर 2006 में जारी वार्षिक नीति वक्तव्य 2006-07 की मध्यावधि समीक्षा जीडीपी की उच्च वृद्धि और उपभोक्ता मुद्रास्फीति की ऊँची दर के साथ ही बढ़ते पूंजी प्रवाह, आस्तियों की बढ़ती कीमतों, अस्थिर वित्तीय बाजार और बुनियादी संरचना की बढ़ती हुई कठिनाई को ध्यान में रखकर तैयार की गयी थी, जिससे ओवरहीटिंग के खतरे और मौद्रिक नीति निर्धारण की समयबद्धता तथा दिशा के प्रभाव जानने की आवश्यकता पर बल दिया गया। मुद्रा आपूर्ति, आरक्षित मुद्रा और साथ ही तीसरे वर्ष लगातार 30 प्रतिशत से अधिक की दर पर बढ़ते बैंक ऋण की मांग में मांग के दबाव स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। तेज निर्यात वृद्धि और तेल से भिन्न वस्तुओं को आयात की वृद्धि कुछ कम होने के बावजूद बढ़ता हुआ वणिक माल व्यापार का घाटा और चालू खाते का घाटा चिंता का एक अलग विषय था। समीक्षा में उल्लेख किया गया कि चूंकि मौद्रिक नीति के परिचालन में दीर्घावधि और परिवर्तनशील अंतराल होते हैं, अतः मौद्रिक नीति के निर्धारण में भावी परिदृश्य पर विचार किया जाना चाहिए। चालू नीति की कार्रवाई के भावी 12 से 18 महीनों में होने वाले पूरे प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, एल ए एफ के अंतर्गत की स्थिर रिपो दर 7.0 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.25 प्रतिशत की गई।

2.12 मध्यावधि समीक्षा के बाद 8 दिसंबर 2007 को यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकिंग प्रणाली के सीआरआर में उनकी मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के आधे प्रतिशत अंक की वृद्धि दो चरणों में की जाए और क्रमशः 23 दिसंबर 2006 और 6 जनवरी 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से उसे 5.25 प्रतिशत और 5.50 प्रतिशत किया जाए ताकि अतिरिक्त चलनिधि को समाप्त किया जा सके और स्फीतिकारी संभावना पर बढ़ रहे अपरी दबाव को पूर्वक्रीत किया जा सके।

2006-07 की तीसरी तिमाही समीक्षा

2.13 जनवरी 2007 में जारी तीसरी तिमाही समीक्षा में बैंक ऋण के तेज विस्तार और पूंजी अंतर्वाहों में तेजी पर पुनः चिंता प्रकट की गई और यह दर्शाया गया कि विदेशी मुद्रा अंतर्वाहों की स्थायी शक्ति से बढ़ रही चलनिधि, विशेष रूप से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, सख्ती लाने संबंधी मौद्रिक नीति का संचालन जटिल हो गया है। अतः, मानक आस्तियों पर प्रावधान बढ़ा दिए गए और जोखिम भार में वृद्धि की गई जो स्थावर संपत्ति, पूंजी बाजार, ग्राहक ऋण और प्रणालीगत महत्व की बैंकेतर वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एसआर) में एक्सपोजर के संबंध में थे और इनमें ऋण गुणवत्ता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा, चलनिधि प्रबंधन मजबूत करने और वित्तीय बाजार में उपयुक्त स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अनिवासी भारतीय जमाराशि से संबंधित ब्याज दरों पर उच्चतम सीमा कम कर दी गई। एल ए एफ के अंतर्गत स्थिर रिपो दर भी 7.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.50 प्रतिशत की गई।

2.14 जनवरी 2007 में तीसरी तिमाही समीक्षा जारी होने के बाद की कुछ उल्लेखनीय घटनाओं के कारण वर्ष की शेष अवधि में मौद्रिक नीति के स्वरूप को तुरंत पुनः लागू करना आवश्यक हो गया और नीतिगत परिप्रेक्ष्य में चलनिधि प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई। 2006-07 की चौथी तिमाही में वित्तीय बाजारों में कुछ अस्थिरता रही जिसके साथ चलनिधि में उल्लेखनीय सक्रियता रही और ब्याज दरों में चहुंओर वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन और खाद्येतर बैंक ऋण में तेजी से परिलक्षित वृद्धि की गति पुनः बढ़ने से विशेष रूप से आपूर्ति बाधाएं सख्त हो जाने से अतिरिक्त मांग दबाव बढ़ने की चिंता बढ़ गई। हेडलाइन मुद्रास्फीति जनवरी 2007 के अंत में दो वर्षीय ऊंचाई पर पहुंच गई जिसमें मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं की संभाव्य ऊर्ध्वमुखी

जोखिम थी जिससे नीतिगत प्रतिसाद तुरंत देने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई। अत्यंत बढ़े हुए ऋण संविभाग की सहायतार्थ बैंकों द्वारा शीघ्रता से जुटाई गई निधि के कारण कुल जमाराशि वृद्धि 11 वर्षीय ऊंचाई पर पहुंच गई। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), जो 7 जनवरी से 7 फरवरी 2007 के दौरान निरंतर आपूर्ति रूप में थी, बाद के सप्ताह (8-13 फरवरी) में अवशोषण के रूप में आ गई जिसके साथ अतिरिक्त चलनिधि एमएसएस के अंतर्गत निकाल ली गई थी। चलनिधि का भारी प्रतिवर्तन दर्शाते हुए मांग मुद्रा दर, जो रिपो दर से 25-85 आधार अंक ऊपर थी, कम होकर एल ए एफ दायरे के मध्य के नीचे आ गयी जिससे चलनिधि स्थिति अच्छी हो जाना प्रदर्शित हुआ। उभरती स्थिति के प्रतिसाद में चलनिधि का उचित तालमेल सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने नकदी प्रारक्षित निधि (सीआरआर) सहित सभी नीतिगत साधनों का उपयोग किया। अतिरिक्त चलनिधि को निकाल लेने, मांग दबाव बढ़ने का पूर्वक्रय करने और मुद्रास्फीति संभावना को नियंत्रित रखने के लिए 13 फरवरी 2007 को यह आवश्यक समझा गया कि सीआरआर को प्रति 25 आधार अंकों के दो स्तरों में बढ़ाया जाए (सारणी II.1)। 5 मार्च 2007 से एलएएफ के अंतर्गत दैनिक रिवर्स रिपो पर 3,000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा रखी गई और पूर्व घोषणा के साथ खजाना बिलों और दिनांकित प्रतिभूतियों की सहायता से एमएसएस का अधिक लचीला उपयोग शुरू किया गया।

2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य

2.15 अप्रैल 2007 में जारी 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया गया कि 2007-08 में मौद्रिक नीति का रुझान ऐसी पद्धति पर है जिसमें वैश्विक और अधिक विशेष रूप से घरेलू वातावरण स्पष्ट होता है। समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिति का संभाव्य विकास भारत में वृद्धि की विद्यमान गति बनी रहने के लिए सहायक वातावरण का संकेत करता है।

2.16 वर्ष 2007-08 के वार्षिक वक्तव्य में उल्लेख किया गया है कि कुल मांग पर मौद्रिक नीति के विलंबित और संचयी प्रभाव को देखते हुए तथा यह मानते हुए कि आपूर्ति प्रबंधन पोषक होगा, पूंजी प्रवाह का प्रबंध सक्रियता से किया जाएगा तथा घरेलू या वैश्विक अर्थव्यवस्था में निर्मित हो रहे आघातों की अनुपस्थिति में नीतिगत प्रयास यह होगा कि 2007-

सारणी II.1: नीतिगत दरों और नकदी आरक्षित अनुपात में हाल के परिवर्तन

(प्रतिशत)

से प्रभावी	रिवर्स रेपो दर	रेपो दर	नकदी आरक्षित अनुपात
1	2	3	4
31 मार्च 2004	4.50	6.00	4.50
18 सितंबर 2004	4.50	6.00	4.75 (+0.25)
2 अक्तूबर 2004	4.50	6.00	5.00 (+0.25)
27 अक्तूबर 2004	4.75 (+0.25)	6.00	5.00
29 अप्रैल 2005	5.00 (+0.25)	6.00	5.00
26 अक्तूबर 2005	5.25 (+0.25)	6.25 (+0.25)	5.00
24 जनवरी 2006	5.50 (+0.25)	6.50 (+0.25)	5.00
9 जून 2006	5.75 (+0.25)	6.75 (+0.25)	5.00
25 जुलाई 2006	6.00 (+0.25)	7.00 (+0.25)	5.00
31 अक्तूबर 2006	6.00	7.25 (+0.25)	5.00
23 दिसंबर 2006	6.00	7.25	5.25 (+0.25)
6 जनवरी 2007	6.00	7.25	5.50 (+0.25)
31 जनवरी 2007	6.00	7.50 (+0.25)	5.50
17 फरवरी 2007	6.00	7.50	5.75 (+0.25)
3 मार्च 2007	6.00	7.50	6.00 (+0.25)
31 मार्च 2007	6.00	7.75 (+0.25)	6.00
14 अप्रैल 2007	6.00	7.75	6.25 (+0.25)
28 अप्रैल 2007	6.00	7.75	6.50 (+0.25)
4 अगस्त 2007	6.00	7.75	7.00 (+0.50)
10 नवंबर 2007	6.00	7.75	7.50 (+0.50)

टिप्पणी : 1. 29 अक्तूबर 2004 से रेपो और रिवर्स रेपो के नाम अंतरराष्ट्रीय प्रयोग को ध्यान में रखकर बदले गए। अब, रिवर्स रेपो चलनिधि अवशोषण दर्शाता है और रेपो चलनिधि की आपूर्ति दर्शाता है। 29 अक्तूबर 2004 से पहले, रेपो चलनिधि का अवशोषण दर्शाता था और रिवर्स रेपो चलनिधि की आपूर्ति दर्शाता था। इस रिपोर्ट में नाम नए प्रयोगानुसार दिए गए हैं भलेही वे 29 अक्तूबर 2004 से पहले की अवधि से संबंधित हों।

2. कोष्ठकों के आंकड़े नीतिगत दर में बदल दर्शाते हैं।

08 में मुद्रास्फीति को लगभग 5.0 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि मुद्रास्फीति पर रिज़र्व बैंक द्वारा स्वयं अपनायी गयी 5.0 प्रतिशत की सीमा का स्फीतिकारी संभावनाओं पर अच्छा प्रभाव पड़ा तथा मुद्रास्फीति की सामाजिक स्वीकार्य दर कम होकर सहनीय स्तर पर आ गयी। भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ विकसित हो रहे एकीकरण और इस संबंध में सामाजिक अधिमान को पहचानते हुए नीति में मध्यावधि में स्वतः बढ़ती वृद्धि बनाए रखने के लिए पोषक के रूप में मुद्रास्फीति को 4.0 - 4.5 प्रतिशत के दायरे में रखने की नीति तथा धारणा बनाई गई। 2007-08 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 8.5 प्रतिशत रखी गई। मौद्रिक विस्तार 2007-08 में लगभग 17.0 - 17.5 प्रतिशत पर रखा गया जिसमें कुल जमाराशि में वृद्धि लगभग 4,90,000 करोड़ रुपए होगी और खाद्येतर ऋण 2004-07 के 29.8 प्रतिशत के औसत की तुलना में कम होकर 24.0 - 25.0 प्रतिशत होगा। इस पृष्ठभूमि में, यह दोहराया गया है कि भावी समय के लिए नीति अधिमान कीमत स्थिरता और स्फीतिकारी संभावना को स्थिर रखने पर बल देने का था जिसमें रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि कीमत और वित्तीय स्थिरता के लक्ष्य के अनुरूप ऋण विशेष रूप से उत्पादक प्रयोजनार्थ, की सभी उचित मांगे पूरी होने के लिए प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनी रहे। इस लक्ष्य के लिए रिज़र्व बैंक एमएसएस, एलएएफ और सीआरआर सहित खुले बाजार के परिचालनों के माध्यम से चलनिधि की सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखेगा और आवश्यकतानुसार नीति के सभी उपलब्ध साधनों को लचीलेपन से उपयोग में लाएगा।

2007-08 की पहली तिमाही समीक्षा

2.17 वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा जुलाई 2007 में जारी की गई थी जो निरंतर नीति बल के प्रति बैंकों के प्रोत्साहनजनक प्रतिसाद के वातावरण में और ऋण गुणवत्ता तथा समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। बैंकों के तुलनपत्रों के पुनर्संतुलन का कार्य जारी था जो मुख्य बैंकिंग समुच्चयों से नियंत्रित था। 2006-07 की अंतिम तिमाही की शुरुआत से, 2004-07 के दौरान निरंतर बने रहे उच्च दरों से खाद्येतर ऋण वृद्धि की गिरावट निरंतर गिरावट में बदल गई जो व्यापक रूप से अप्रैल 2007 के वार्षिक नीति वक्तव्य में निर्धारित सांकेतिक पथ के अनुरूप थी। उक्त मंदी जहाँ अंशतः वर्ष की उस अवधि में बैंक ऋण में आनेवाली सामान्य मौसमी गिरावट थी, वहीं थी उधार भू-संपदा क्षेत्र, आवास, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, में व्यापार और परिवहन परिचालन जैसे क्षेत्रों को बैंक उधार में भी गिरावट आई। दूसरी ओर, कृषि तथा उद्योग और विशेष रूप से बुनियादी संरचना से ऋण मांग में तेजी के संकेत मिले। बैंकों ने मीयादी जमाराशियां (जमाराशि प्रमाणपत्र सहित) तेजी से जुटाई जिसमें 2007-08 की पहली तिमाही में हुई कुल जमाराशि वृद्धि ने 2006-07 के 11 वर्षीय उच्चतम स्तर को भी पीछे छोड़ दिया। तदनुसार, वृद्धिशील खाद्येतर ऋण जमा अनुपात (वर्ष-दर-वर्ष) पिछले दो वर्षों के 115 प्रतिशत के औसत स्तर से काफी नीचे आ गया।

2.18 पहली तिमाही समीक्षा में उल्लेख किया गया कि 2007 की पहली तिमाही में वैश्विक वृद्धि में कमी के कुछ संकेत मिले, वहीं बाद के महीनों में बढ़त में गति आयी, जिससे पूर्वानुमान में ऊर्ध्वमुखी संशोधन हुआ। मांग दबाव परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षा से अधिक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते प्रतीत हुए। हेडलाइन मुद्रास्फीति सामान्यतः स्थिर बनी रही, वहीं स्फीतिकारी दबाव पहले की अपेक्षा अधिक नियमित रहे जिसके साथ पण्यों और आस्तियों के मूल्य उच्च स्तर पर थे। वैश्विक वित्तीय बाजारों में 2007 की पहली तिमाही में अस्थिरता थी जो अमरीकी सब प्राइम बंधक बाजार और संभाव्य अर्थव्यवस्था स्तरीय प्रभाव की चिंता से प्रेरित थी। अधिक जोखिम बचाव बढ़ने, ऋण गुणवत्ता घटने और ऋण विस्तार बढ़ने से समीक्षा में इस बात को रेखांकित किया गया कि रक्षा निधि की संभाव्य दुर्बलता से वित्तीय बाजार स्थिरता और साथ ही उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वित्तपोषण और वृद्धि की संभावना के सामने जोखिम खड़ी हो जाएगी। उक्त गतिविधियों को देखते हुए 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि एलएएफ के अंतर्गत दैनिक रिवर्स रिपो की 3,000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा 6 अगस्त 2007 से हटा दी जाए। तथापि, रिज़र्व बैंक ने उचित उच्चतम सीमा पुनः लगाने और आवश्यकतानुसार स्थिर दर पर या अस्थिर दर पर रिपो/रिवर्स रिपो नीलामी करने और साथ ही एलएएफ के अंतर्गत निविदाएं स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार अपने पास रखा। 28 नवंबर 2005 को प्रारंभ किया गया और दैनिक आधार पर 3.00 अपराह्न और 3.45 अपराह्न के बीच आयोजित दूसरा एलएएफ भी 6 अगस्त 2007 से समाप्त किया गया।

2007-08 की मध्यावधि समीक्षा

2.19 वार्षिक नीति वक्तव्य 2007-08 की अक्तूबर 2007 में जारी मध्यावधि समीक्षा में दर्शाया गया कि कृषि और संबंधित कार्यों में उत्पन्न जीडीपी वृद्धि 2007-08 की पहली तिमाही की प्रवृत्ति के ऊपर चली गई थी और यह निष्पादन वर्ष की शेष अवधि में जारी रहने की संभावना थी जिसका आधार था अनुकूल दक्षिणी-पश्चिमी मानसून और बुवाई क्षेत्र में सुधार। हाल की घटनाओं के आधार पर समीक्षा में औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में वृद्धि कुछ धीमी होने का उल्लेख किया गया। इसके अलावा, वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रभाव स्वरूप विनिर्माण के साथ ही सेवा

क्षेत्र का निष्पादन मंदा हो सकता है। समग्र रूप से, इन क्षेत्रों में वृद्धि की गति बनी रहने की अपेक्षा है। तदनुसार, 2007-08 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि नीति प्रयोजनार्थ 8.5 प्रतिशत रखी गई है जैसाकि अप्रैल 2007 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में निर्धारित है तथा पहली तिमाही समीक्षा में दोहराया गया है और इसके लिए यह माना गया है कि कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य और नहीं बढ़ेंगे और इसमें देशी या विदेशी आघात शामिल नहीं है। तथापि, समीक्षा में कच्चे तेल के बढ़ते और अस्थिर मूल्य के प्रति चिंता जताई गई है और उल्लेख किया गया है कि खाद्यान्न मूल्यों के ऊँचे स्तर से स्फीतिकारी संभावना के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। भारतीय कच्चे तेल के समूह के मूल्य के ऊँचे स्तर की निरंतरता को देखते हुए देशी पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्यों में कुछ भार-अंतरण उचित लगा। समीक्षा के अनुसार, नीति में आगे बढ़ने के निर्णय में मुद्रास्फीति को दीर्घावधि आधार पर नीचे रखने में सफलता होनी चाहिए ताकि उच्च वृद्धि में अंतरण को सहायता तथा सुरक्षा मिलने के लिए स्थिरता का वातावरण उपलब्ध हो। तदनुसार, कुल मांग पर मौद्रिक नीति के विलंबित और संचित प्रभाव को देखते हुए और यह मानते हुए कि आपूर्ति प्रबंध पोषक होगा, पूंजी प्रवाह का प्रबंधन सक्रियता से किया जाएगा और देशी या वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरने वाले आघात न होने पर नीति में प्रयास होगा कि 2007-08 में मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत के करीब रखा जाए। इसके अलावा, भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते संबंधों और इस संबंध में सामाजिक अधिमानों को पहचानते हुए आगे लिया जाने वाला संकल्प यह होगा कि स्फीतिकारी अपेक्षाओं को 4.0-4.5 प्रतिशत के दायरे में रखा जाए ताकि लगभग 3.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर मध्यावधि लक्ष्य बने जो भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ व्यापक एकीकरण के अनुरूप होगा।

2.20 मध्यावधि समीक्षा के समय मुद्रा आपूर्ति अप्रैल 2007 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में निर्धारित 17.0-17.5 प्रतिशत के संकेतक दायरे के काफी ऊपर चली गई थी। राजकोषीय व्यय और विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप से ही मुख्यतः इस वृद्धि को सहायता मिली थी जैसाकि पर्याप्त आरक्षित मुद्रा वृद्धि से प्रतिबिंबित हुआ। जमाराशि वृद्धि भी 2007-08 के कुल 4,90,000 करोड़ रुपए के अनुमान से अधिक हो गई थी। खाद्येतर ऋण (एसएलआर से भिन्न निवेशों सहित) कम होकर वार्षिक नीति वक्तव्य में दिए 24.0-25.0 प्रतिशत के अनुमान के करीब पहुंच गया था। किंतु, निवल पूंजी अंतर्वाह के फैलते प्रभाव को रोकना आवश्यक था ताकि मुद्रा आपूर्ति वार्षिक नीति वक्तव्य में निर्धारित संकेतक अनुमानों से निरंतर अलग न रहे। विद्यमान समष्टि आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने पर 10 नवंबर 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया (बॉक्स II.2)।

सांविधिक पूर्वक्रम

2.21 वर्ष 2006-07 के दौरान की एक महत्वपूर्ण घटना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में विधायी संशोधन था जिससे रिज़र्व बैंक का परिचालनात्मक लचीलापन और मौद्रिक प्रबंधन कार्यों में उसकी क्षमता बढ़ गई। रिज़र्व बैंक ने 1990 के दशक के प्रारंभ से मौद्रिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधनों से अप्रत्यक्ष साधनों में अंतरण के लिए सावधानीपूर्वक उपाय किए हैं। तदनुसार, सी आर आर तथा एस एल आर के सांविधिक पूर्वक्रय इन वर्षों में काफी कम किए गए। सी आर आर 1994-95 के 15 प्रतिशत के शीर्ष स्तर से कम करके जून 2003 तक 4.5 प्रतिशत किया गया जो सितंबर 2004 से प्रारंभ मौद्रिक निभाव की समाप्ति से पहले किया गया था।

2.22 वर्ष 2006-07 के दौरान सी आर आर प्रति 25 आधार अंकों के चार एकसमान चरणों में कुल 100 आधार अंक बढ़ाया गया। 2007-08 के दौरान अब तक, सीआरआर में और 150 आधार अंकों की वृद्धि करके उसे बैंकों के एनडीटीएल का 7.5 प्रतिशत किया गया (14 तथा 28 अप्रैल 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से प्रति 25 आधार अंक और 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से 50 आधार अंक)(सारणी II.1 देखें)।

2.23 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 जून 2006 में संशोधित की गई ताकि रिज़र्व बैंक का परिचालनगत लचीलापन बढ़ सके और उसे मौद्रिक प्रबंधन में अधिक क्षमता प्राप्त हो सके। संशोधन अधिनियम, 2006 रिज़र्व बैंक को विवेकसम्मत अधिकार देता है कि वह बिना किसी उच्चतम सीमा (पहले 20 प्रतिशत) या निम्नतम सीमा (पहले 3 प्रतिशत) के अनुसूचित बैंकों की मांग और मीयादी देयताओं का प्रतिशत (सीआरआर के रूप में रखना) निर्धारित कर सके। संशोधन के अनुसार रिज़र्व बैंक से यह भी अपेक्षित नहीं है कि वह सी आर आर शेषों पर ब्याज भुगतान करे क्योंकि वह मौद्रिक नीति के साधन के रूप में (सीआरआर की प्रभावशालिता) कम करता है। संशोधन के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक ने सी आर आर की 3 प्रतिशत की निम्नतम सीमा और 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा समाप्त कर दी। इसके अलावा, उसने यह भी घोषणा की कि 24 जून 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से सी आर आर शेषों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि भारत सरकार की 9 जनवरी 2007 की असाधारण गजट अधिसूचना में 9 जनवरी 2007 को उस तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया जब से भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान लागू होंगे। भारिबैं (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 में सी आर आर की न्यूनतम और उच्चतम सीमा हटाने का प्रावधान है जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जानी है और साथ ही पात्र सी आर आर शेषों पर ब्याज भुगतान के प्रावधान भी थे।

बॉक्स II.2: वर्ष 2007-08 की वार्षिक नीति की मध्यावधि, समीक्षा में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर और रिवर्स रिपो दर को क्रमशः 7.75 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 10 नवंबर 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 50 आधार बिंदुओं से बढ़ाते हुए 7.5 प्रतिशत किया गया है।

वित्तीय बाजार

- राज्य विकास ऋण (एसडीएल) की नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली योजना 31 मार्च 2008 से परिचालित की जाएगी।
- कंपनी बाण्डों में बाज़ार रिपो की अनुमति दी जानी है बशर्ते कंपनी बांड बाजार विकसित हो तथा उपयुक्त निपटान प्रणाली शुरू की जाए।
- एनडीएस-ओएम प्रणाली के बाहर 'अल्प-विक्रय' और 'जब जारी' लेनदेन को समाविष्ट करने की अनुमति है।
- बचाव सुविधा के लिए पूर्व कार्यनिष्पादन मार्ग के अंतर्गत पात्र सीमाओं को पुनः लागू करने की अनुमति दी गयी है।
- तेल कंपनियों को पूर्ववर्ती तिमाही के अंत तक अपने माल की मात्रा के 50 प्रतिशत तक अपने विदेशी मुद्रा निवेशों के बचाव की अनुमति है।
- विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर रखनेवाले आयातकों/निर्यातकों को विदेशी मुद्रा/रुपए और पारस्परिक लेनदेन मुद्रा दोनों में शामिल मांग और विक्रय विकल्प अभिलिखित करने और प्रीमियम प्राप्त करने की अनुमति दी जानी है।
- प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) को पारस्परिक लेनदेन मुद्रा विकल्प बहियों को रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन संचालित करने की अनुमति दी जानी है।

ऋण संवितरण प्रक्रिया

- सामान्य रूप में बैंकिंग प्रणाली तथा विशेष रूप में रिजर्व बैंक के संगत कृषि ऋणग्रस्तता पर समिति (अध्यक्ष : डॉ. आर. राधाकृष्ण) की अनुशंसाओं की जांच के लिए एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया जाएगा।
- वित्तीय प्रणाली से संबंधित सेनागुप्ता समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अध्ययन के लिए कार्यदल का गठन करना।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा कोर बैंकिग सोलूशन में अंतरण के लिए रोडमैप बनाने के लिए कार्यदल का गठन।
- क्षे.ग्रा. बैं. और राज्य मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2008 का सीआरएआर का स्तर उनके तुलनपत्र में दर्शाना है। सीआरएआर की वांछित स्तर प्राप्ति के लिए रोड मैप बनाया जाना है।
- अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
- भविष्य की कार्रवाइयों का ब्यौरा देते हुए वित्तीय साक्षरता-सह-परामर्शी केंद्रों पर अवधारणा पेपर तैयार करने का प्रस्ताव किया गया।

विवेकशील उपाय

- ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) पर अंतिम दिशानिर्देश नवंबर 2007 के अंत तक जारी किए जाएंगे।
- बैंकों से कहा गया है कि वे वसूली एजेंटों को कार्य पर रखते समय निर्धारित विशिष्ट मान्यताओं का पालन करें। बैंक वसूली एजेंटों द्वारा किए गए अपमानजनक व्यवहारों से गंभीर पर्यवेक्षी अनुमोदन की स्थिति उत्पन्न होगी।
- सीमा पारीय पर्यवेक्षण और विदेशी विनियामकों के साथ पर्यवेक्षी सहयोग के लिए उपयुक्त ढांचा बनाने के लिए कार्यदल का गठन।
- बैंकिंग पर्यवेक्षी प्रणाली की प्रभावात्पादकता में वृद्धि के लिए, समेकित पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को बैंक-संचालित वित्तीय समूहों (कांग्लोमेरेट) के लिए वित्तीय कांग्लोमेरेट निगरानी व्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाए।

संस्थागत गतिविधियां

- बैंको से अनुरोध किया गया कि वे पर्याप्त आपदा सुधार प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा लागू करने के लिए कार्य योजना बनाना।
- रिजर्व बैंक द्वारा श. स. बैंकों को आइ टी सहायता देने के लिए कार्यदल का गठन।
- वित्तीय क्षेत्र के आकलन पर समिति द्वारा आकलन कार्य मार्च 2008 तक पूरा करना।

संबंधित प्रावधान की अधिसूचना जारी होने तक, सीआरआर पर न्यूनतम और उच्चतम सीमा बहाल की गई और रिज़र्व बैंक ने पात्र सी आर आर शेषों पर ब्याज भुगतान का निर्णय लिया जो मौद्रिक नीति के रुझान और उचित समयावधि के उपायों के अनुरूप होगा। रिज़र्व बैंक ने दंडात्मक ब्याज भुगतान से उन बैंकों को छूट भी दी जिन्होंने 22 जून 2006 से 2 मार्च 2007 की अवधि के दौरान 3.0 प्रतिशत न्यूनतम सीआरआर के सांविधिक स्तर का उल्लंघन किया था। भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की असाधारण गजट अधिसूचना में भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 को अधिसूचित किया और 1 अप्रैल 2007 को वह दिनांक तय किया जब संबंधित प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारणीय सी आर आर की न्यूनतम और उच्चतम सीमा समाप्त हो गई। तत्कालीन मौद्रिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने सी आर आर दर और विद्यमान रियायतों सहित सीआरआर बनाए रखने की स्थिति जारी रखने का निर्णय लिया। रिज़र्व बैंक ने यह भी संकेत दिया कि 31 मार्च 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से बैंकों के सीआरआर शेषों पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

2.24 मौद्रिक नियंत्रण का एक और साधन सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) है जो अनेक देशों में गौण आरक्षित निधि अपेक्षा का बदलता घटक होता है। यह नकदी, स्वर्ण और 'अनुमोदित' तथा भार रहित प्रतिभूतियों - इसमें परवर्ती स्पष्टतः निर्धारित होती है - जैसी विनिर्दिष्ट आस्तियों के रूप में रखा जाता है जो बैंकों के एन डी टी एल के अनुपात में होता है। एस एल आर विवेकसम्मत प्रयोजनार्थ, अर्थात् बैंकिंग प्रणाली की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। एसएलआर के तहत पूर्वक्रय, जिसे बढ़ाकर 1990 के दशक

की शुरूआत में एनडीटीएल का लगभग 38.5 प्रतिशत किया गया था, अक्तूबर 1997 में उसे 25 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर पर लाया गया था। किंतु बैंकों ने सांविधिक न्यूनतम एस एल आर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां रखना जारी रखा जो जोखिम की अवधारणा और संविभाग चुनाव दर्शाता है, यद्यपि अतिरिक्त धारणीयता हाल के वर्षों में कम हुई है। उनकी एनडीटीएल के अनुपात के रूप में वाणिज्य बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता वर्ष के दौरान पुनः कम हो गई और मार्च 2006 के अंत के 31.3 प्रतिशत से मार्च 2007 के अंत में उनकी एनडीटीएल के 28.0 प्रतिशत तक आ गई। तथापि, 2007-08 में अब तक (12 अक्तूबर 2007 तक) एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में एस एल आर प्रतिभूतियों की बैंकों की धारिता कुछ बढ़कर 30.0 प्रतिशत हो गई। 23 जनवरी 2007 को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 उद्घोषित होने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 संशोधित की गई थी जिससे अन्य बातों के अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारणीय एस एल आर की 25 प्रतिशत न्यूनतम दर समाप्त की गई और उसे एस एल आर - पात्र आस्तियां निर्धारित करने की शक्ति मिली जिससे उसे उसके मौद्रिक प्रबंधन परिचालनों में अधिक लचीलापन प्राप्त हुआ। बाद में यह अध्यादेश रद्द करके उसके स्थान पर बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2007 लाया गया जिसे 26 मार्च 2007 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और वह 23 जनवरी 2007 से लागू हुआ।

ब्याज दर ढांचा

2.25 ब्याज दर ढांचे का अविनियमन और युक्तिकरण 1990 के दशक के प्रारंभ से शुरू की गई वित्तीय क्षेत्र के सुधार की प्रक्रिया का मुख्य घटक रहा है। इससे वित्तीय प्रणाली में न सिर्फ प्रतिस्पर्धा और संसाधन आबंटन प्रक्रिया सुधारने में मदद मिली है, बल्कि मौद्रिक संप्रेषण तंत्र भी ठीक हुआ है। बचत जमाराशि, अनिवासी भारतीय जमाराशि, 2 लाख रुपए तक के अल्प ऋण और निर्यात ऋण जैसी चुनिंदा दरों को छोड़कर बाकी सभी ब्याज दरें अविनियमित की गई हैं।

बैंक दर और रिपो / रिवर्स रिपो दर

2.26 बैंक दर ने मौद्रिक नीति के मध्यावधि रुझान की सांकेतिक दर के रूप में बढ़िया कार्य किया है। मुद्रास्फीति की संभाव्यता सहित अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन की दृष्टि से वर्ष के दौरान बैंक दर 6.0 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर ही रखी गई; यह दर अंतिम बार अप्रैल 2003 में संशोधित की गई थी।

2.27 मौद्रिक नीति परिचालन के ढांचे में सुधार, जो 1980 के दशक के अंतिम समय में शुरू किए गए थे, से 2000 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रारंभ हुई (अनुबंध VI)। एल ए एफ के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक अपनी नीति दरें अर्थात् रिपो और रिवर्स रिपो दरें निर्धारित करता है, और रिपो/रिवर्स रिपो परिचालन करता है और उससे एक दिवसीय मुद्रा बाजार की दरों के लिए दायरा उपलब्ध कराता है। चलनिधि, नामतः अस्थिर सरकारी नकदी शेष और पूर्वानुमान न लगाये जाने योग्य विदेशी मुद्रा प्रवाह को अल्पावधि में प्रभावित करने वाले बाहरी प्रभावों की दृष्टि से एल ए एफ एक दिवसीय मुद्रा बाजार दर के किसी विशेष स्तर को लक्ष्य बनाना टालता है। रिपो नीलामी एक दिवसीय या दीर्घावधि आधार पर बदलती या स्थिर दरों पर की जा सकती है किंतु बाजार अधिमान और ब्याज दर संकेतों को तुरंत संप्रेषित करने की आवश्यकता के कारण अप्रैल 2004 से एलएएफ स्थिर दर वाले एक दिवसीय नीलामी के रूप में रहा है। दिन के दौरान उनके चलनिधि प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए बाजार सहभागियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से 28 नवंबर 2005 को शुरू किया गया दूसरा एल ए एफ (एस एल ए एफ) 6 अगस्त 2007 से समाप्त किया गया। एल ए एफ परिचालन रिपो दर, बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त और प्राथमिक व्यापारियों को स्थायी चलनिधि सुविधा से संबद्ध रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधा से तक पहुँच से निरंतर अनुपूरित होते रहे। उभरती समष्टि आर्थिक और मौद्रिक स्थिति को देखते हुए रिपो और रिवर्स रिपो दरें नियमित रूप से संशोधित होती रहीं (देखें सारणी II.1)।

जमाराशि दरें

2.28 विनियमित रहे घटकों में ब्याज दरों का बढ़ता अविनियमन रिज़र्व बैंक का ध्यान खींच रहा है। इस विषय पर विभिन्न पण-धारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। कुछ ब्याज दरें लगातार विनियमित की जा रही हैं किंतु रिज़र्व बैंक का प्रयास है कि उन्हें संशोधित करके बदलते परिदृश्य के अनुरूप बनाया जाए। बचत बैंक जमाराशि पर लागू ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती है और वर्तमान में वह 3.5 प्रतिशत वार्षिक है; यह दर अंतिम बार 1 मार्च 2003 को संशोधित की गई थी।

2.29 मौद्रिक और समष्टि आर्थिक घटनाओं के आधार पर अनिवासी बाह्य रुपया जमाराशि (एनआरई) और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफ सी एन आर (बी)] जमाराशियों पर लागू ब्याज दरें लिबोर/स्वैप दरों से संबद्ध हैं और समय-समय पर नियमित रूप से उनकी समीक्षा की जाती है। एक से तीन वर्ष की अवधिपूर्णता की एन आर ई जमाराशि पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 31 जनवरी 2007 को तथा आगे 24 अप्रैल 2007 को प्रत्येक बार 50 आधार अंकों की कटौती करके वह समरूपी अवधिपूर्णता के अमरीकी डॉलर संबंधी लिबोर/स्वैप दर की गई। एफ सी एन आर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम

सीमा संबंधित मुद्रा / अवधिपूर्णता के लिए 31 जनवरी 2007 को 25 आधार अंक घटाकर लिबोर / स्वैप दर से 25 आधार अंक कम की गई और 24 अप्रैल 2007 को पुनः 50 आधार अंक कम करके संबंधित मुद्रा / अवधिपूर्णता के लिए लिबोर / स्वैप दर से 75 आधार अंक कम की गई (देखें सारणी II.2)।

सारणी II.2: एनआरई/एफसीएनआर (बी) जमाराशियों और विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण का ब्याज दर निर्धारण

प्रकार	से प्रभावीत	उच्चतम ब्याज दर
1	2	3
एनआरई जमाराशि	1 नवंबर 2004	लिबोर /यूरिबोर/ स्वैप दर + 50 आधार अंक
	17 नवंबर 2005	लिबोर /यूरिबोर/ स्वैप दर + 75 आधार अंक
	18 अप्रैल 2006	लिबोर /यूरिबोर/ स्वैप दर + 100 आधार अंक
	31 जनवरी 2007	लिबोर /यूरिबोर/ स्वैप दर + 50 आधार अंक
	24 अप्रैल 2007	लिबोर /यूरिबोर/ स्वैप दर
एफसीएनआर(बी) जमाराशि	29 अप्रैल 2002	लिबोर /यूरिबोर/ स्वैप दर से 25 आधार अंक कम
	28 मार्च 2006	लिबोर /यूरिबोर/ स्वैप दर
	31 जनवरी 2007	लिबोर /यूरिबोर/ स्वैप दर से 25 आधार अंक कम
	24 अप्रैल 2007	लिबोर /यूरिबोर/ स्वैप दर से 75 आधार अंक कम
विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण	29 अप्रैल 2002	लिबोर /यूरिबोर दर + 75 आधार अंक
	18 अप्रैल 2006	लिबोर /यूरिबोर दर + 100 आधार अंक

@ : एनआरई/एफसीएनआर (बी) जमाराशि ब्याज दरें भारत में कारोबार समाप्ति से लागू हैं।

उधार दरें

2.30 सरकार ने निर्यातों की नौ श्रेणियों अर्थात् वस्त्र (हथकरघा सहित), तैयार कपड़े, चर्म उत्पाद, हस्तशिल्प, अभियांत्रिकी उत्पाद, प्रसंस्करित कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, खेल के सामान और खिलौने के निर्यातकों और व्यष्टि उद्यम, छोटे उद्यम और मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित एस एम ई क्षेत्र के सभी निर्यातकों द्वारा लिए गए रुपया निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत अंक वार्षिक की ब्याज दर राहत के संदर्भ में अस्थायी अवधि की राहत उपलब्ध कराने के लिए 12 जुलाई 2007 को उपायों के पैकेज की घोषणा की। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि सभी एस एम ई क्षेत्रों और उपर्युक्त नौ क्षेत्रों को 1 अप्रैल 2007 से 31 दिसंबर 2007 की अवधि के लिए बकाया राशि पर 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण और 90 दिन तक के पोतलदानोत्तर ऋण पर बैंक बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से 4.5 प्रतिशत कम से अनधिक की ब्याज दर लगाएंगे।

2.31 6 अक्तूबर 2007 को भारत सरकार ने उक्त योजना को 31 मार्च 2008 तक तीन माह बढ़ाने के लिए निर्यातकों की ब्याज दर रियायत में आंशिक आशोधन किया और योजना की व्याप्ति बढ़ाकर उसमें जूट और कारपेट, प्रक्रियाकृत काजू, कॉफी, चाय, सत्व निकाली गई तेल रहित खली, प्लास्टिक और लिनोलियम शामिल किए गए।

3. ऋण सुपुर्दगी

2.32 रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि ऋण सुपुर्दगी में सुधार लाया जाए और समाज के बड़े हिस्से तक आधारभूत बैंकिंग सेवाओं को क्रियाविधिक परेशानियों के बिना पहुंचाया जाए। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण की आवश्यकताओं में भी संरचनात्मक बदलाव आया है और अर्थव्यवस्था पिछली कुछ अवधि में उच्च वृद्धि के पथ पर आ गई है। अतः, रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पर्याप्त और समयोचित बैंक वित्त उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए पोषक वातावरण निर्मित कर रहा है। ऋण सुपुर्दगी सुधारने के लिए हाल ही की अवधि में किए गए प्रयासों में निम्न बातें शामिल हैं (i) कृषि और अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों तथा आपदाग्रस्त किसानों तथा नैसर्गिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाना; (ii) प्रणाली और क्रियाविधि का सरलीकरण; (iii) बैंकिंग सुविधादाता/प्रतिनिधि के उपयोग की अनुमति; (iv) अंतिम छोर की समस्या के निराकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी; और (v) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिक परिचालनात्मक लोच प्रदान करना।

2.33 वर्ष के दौरान ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार के लिए कुछ नई पहलें की गईं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिशानिर्देश संशोधित किए गए ताकि जनसंख्या के बड़े भाग को प्रभावित करने वाले समाज/

अर्थव्यवस्था के बृहद भाग, दुर्बल वर्गों और रोजगार की गहनता वाले कृषि तथा छोटे उद्यम क्षेत्रों के ऋण वितरण में सुधार किया जा सके। ग्रामीण परिवारों के हित में कानूनी और कार्यान्वयन ढांचे में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को सिफारिश करने की दृष्टि से मुद्रा उधार देने को विनियमित करने वाले वर्तमान विधायी ढांचे और विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन तंत्र की प्रभाविता की समीक्षा के लिए एक तकनीकी दल (अध्यक्ष : श्री एस.सी.गुप्ता) गठित किया गया। इस दल ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2007 में प्रस्तुत की जो जनसामान्य के विचार जानने के लिए पब्लिक डोमेन में रखी गई। इनके अलावा, वित्तीय समावेशन और 'ग्राहक सेवा' में सुधार जैसे ऋण सुपुर्दगी सुधारने की दृष्टि से अन्य अनेक उपाय शुरू किए गए जिनका ब्यौरा इस अध्याय के बाद के भाग में दिया गया है। संस्थागत सुधार से संबंधित उपायों, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी ढांचा का पुनर्जीवन तथा व्यष्टि वित्त की संस्थाओं जैसे ऋण वितरण के वैकल्पिक अवसरों का विकास शामिल हैं, पर क्रमशः अध्याय 3 और 4 में चर्चा की गई है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार

2.34 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के कार्यक्षेत्र और विस्तार में सुधारोत्तर अवधि में भारी बदलाव हुआ है जिसमें अनेक नए क्षेत्र और सेक्टर इसकी परिधि में लाए जा रहे हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिधि में बुनियादी संरचना जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने की मांग होती रही है, वहीं इस बात की आशंका है कि ऐसा करने से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा कम हो जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद क्षेत्रों और समाज के दुर्बल वर्गों पर से ध्यान बिल्कुल हट जाएगा। इस पृष्ठभूमि में रिज़र्व बैंक में एक आंतरिक कार्य दल गठित किया गया (अध्यक्ष : श्री सी.एस. मूर्ति) और उसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के निर्धारण को जारी रखने की आवश्यकता की जांच करना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार, लक्ष्य और उप-लक्ष्य सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के घटक खंड सहित, पर मौजूदा नीति की समीक्षा करना और इस बाबत अपेक्षित बदलावों की सिफारिश करना। आंतरिक कार्य दल द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट तकनीकी पेपर तथा उस पर प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार पर जारी दिशानिर्देश संशोधित किए गए। कृषि और व्यष्टि तथा लघु उद्यम जैसे रोजगार की गहनता वाले समाज/अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिनका जनसंख्या के बड़े भाग और दुर्बल वर्गों पर प्रभाव होता है, 30 अप्रैल 2007 से लागू हुए संशोधित दिशानिर्देशों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में ही रखे गए । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की व्यापक श्रेणियों में शामिल की गई मदें कृषि, लघु उद्यम, व्यष्टि ऋण, खुदरा व्यापार, शिक्षा ऋण और 20 लाख रुपए तक के आवास ऋण हैं (बॉक्स II.3)।

कृषि और संबंधित कार्यों के लिए ऋण

2.35 कृषि और संबंधित कार्यों का क्षेत्र जनसंख्या के बड़े भाग के उत्पादन, मजदूरी, रोजगार और उपभोग पद्धति को सीधे प्रभावित करता है। जीडीपी में कृषि का हिस्सा 1980 के दशक के 36 प्रतिशत के कुछ अधिक से कम होकर 2006-07 में 18.5 प्रतिशत रह जाने के बावजूद कृषि पर अपने खाद्यान्न और जीविका के लिए निर्भर लोगों की संख्या सामान्यतः अपरिवर्तित रही। अतः रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुगम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। इस प्रयोजनार्थ, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह तीन वर्षों के भीतर दो गुना करने के लिए 18 जून 2004 को कुछ उपायों की घोषणा की। बैंकों द्वारा ऋण का वास्तविक संवितरण 2006-07 तक सभी तीन वर्षों में लक्ष्य से अधिक हुआ। इसके मद्देनजर केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के लिए बैंकों द्वारा संवितरण का लक्ष्य 2,25,000 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिया है।

कृषि ऋण प्राप्ति की क्रियाविधि और प्रक्रिया का सरलीकरण

2.36 रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2006 में कृषि ऋण प्राप्ति की क्रियाविधि और प्रक्रिया की जांच पर कार्यदल (अध्यक्ष:श्री सी.पी. स्वर्णकार) गठित किया था जिसका दायित्व था क्रियाविधि को अधिक सरल करने के उपाय सुझाना जिससे विशेष रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों के कृषि ऋण प्राप्ति में लगने वाली लागत और समय की बचत हो। दल ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2007 में प्रस्तुत की। दल की सिफारिशों के आधार पर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी सहित) को सूचित किया गया कि वे छोटे और सीमांत किसानों, बटाईदारों से 50,000 रुपए तक के छोटे ऋणों के लिए 'शून्य देयता' प्रमाणपत्र लेना बंद करें तथा इसके स्थान पर उधारकर्ता से स्व-घोषणा प्राप्त करें। इसके अलावा, भूमिहीन मजदूरों, बटाईदारों और मौखिक पट्टेदारों द्वारा पहचान/हैसियत के दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी समस्या के समाधान के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि भूमिहीन मजदूरों, बटाईदारों और मौखिक पट्टेदारों को ऋण देने के मामले में फसल तैयार करने संबंधी स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं के प्रमाणपत्र स्वीकार किए जाएं। दल की अन्य सिफारिशों की जांच रिज़र्व बैंक कर रहा है।

आपदाग्रस्त किसानों की सहायतार्थ उपाय

2.37 रिज़र्व बैंक द्वारा 2006-07 के उसके वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप आपदाग्रस्त किसानों की सहायतार्थ वित्तीय परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने और उनके लिए विशिष्ट ऋण गारंटी योजना (डीआइसीजीसी अधिनियम के तहत) शुरू करने सहित

बॉक्स II.3: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार पर संशोधित दिशानिर्देश

आंतरिक कार्य दल (अध्यक्ष : श्री सी.एस. मूर्ति) द्वारा प्रस्तुत तकनीकी पेपर के मसौदे और उस पर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, उद्योग संघों, मीडिया, जनता और भारतीय बैंक संघ से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार पर दिशानिर्देश 30 अप्रैल 2007 को संशोधित किए गए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर संशोधित दिशानिर्देशों के मार्गदर्शी सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के रहे हैं कि समाज/अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों की ओर बैंक ऋण का पर्याप्त प्रवाह होना चाहिए जो जनसंख्या के बड़े भाग, दुर्बल वर्गों और रोजगार गहनता वाले क्षेत्रों जैसे कृषि और अत्यल्प तथा लघु उद्यम को प्रभावित करते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों की व्यापक श्रेणियों में अब कृषि, लघु उद्यम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, व्यष्टि ऋण, शिक्षा और आवास शामिल हैं जो कुछ शर्तों के अधीन है।

दिशानिर्देशों में किए गए मुख्य परिवर्तन निम्नवत् हैं:

i) लघु, विशेष रूप से कृषि-ऋणों के विरुद्ध 'क्राउडिंग आउट' प्रभावों से बचने के लिए बड़े ऋण/अग्रिम प्रत्यक्ष कृषि घटक से बाहर रखे गए हैं (कंपनियों को दिए गए 1 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण/अग्रिम को प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत गणना के लिए एक तिहाई भारांक ही मिलेगा)।

ii) बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष और खुदरा उधार को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, कुछ श्रेणियों को छोड़कर, आगे उधार दिए जाने वाले ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से बाहर रखकर और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से वित्तीय संस्थाओं के बांडों में निवेश समाप्त करके मध्यस्थता को सामान्यतः हतोत्साहित किया गया।

iii) कुछ बैंकों का निवल बैंक ऋण (एन बी सी) 'शून्य' या नगण्य था और वे मुख्यतः गैर-निधिकृत कारोबार (डेरिवेटिव) कर रहे थे। यह विरूपण उनके लक्ष्यों को उनके तुलनपत्रेतर कारोबार के समतुल्य ऋण से उनके लक्ष्यों को संबद्ध करके सुधारने की अपेक्षा की गई है।

iv) घरेलू और विदेशी बैंकों के लिए क्रमशः 40 प्रतिशत और 32 प्रतिशत का समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य और साथ ही उप-लक्ष्य भी अपरिवर्तित रखे गए। तथापि, इनके शुद्ध बैंक ऋण (एनबीसी) के बजाय अब समायोजित निवल बैंक ऋण (ए एन बी सी) के प्रतिशत या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की समतुल्य राशि के ऋण, जो भी अधिक हो, के रूप में गणना की जाती है। ए एन बी सी में एन बी सी +एच टी एम श्रेणी में धारित गैर एस एल आर बांड में बैंकों के निवेश शामिल होते हैं। बैंकों द्वारा अस्थिर लक्ष्य की प्राप्ति में देखी जा रही समस्याओं के समाधान के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च के एएनबीसी के रूप में लक्ष्य के प्रयोजनार्थ संदर्भ ए एन बी सी निर्धारित की गई।

v) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के प्रयोजनार्थ पहले दी गई कुछ रियायतें (अर्थात् एनबीसी से एफसीएनआर, (बी)/एनआरएनआर जमाओं को बाहर करना) विदेशी मुद्रा के काफी भारी भंडार के वातावरण में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। अतः ऐसी रियायतों को समाप्त कर दिया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के प्रयोजनार्थ ए एन बी सी की गणना के लिए अब बकाया एफ सी एन आर (बी) और एन आर एन आर जमाराशि शेष घटाए नहीं जाएंगे।

vi) संशोधित दिशानिर्देशों में व्यष्टि, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एम एस एम ई डी) अधिनियम, 2006 में शामिल किए अनुसार लघु और व्यष्टि उद्यमों की संशोधित परिभाषा को भी ध्यान में लिया गया है (बॉक्स II.5 देखें)।

अन्य उपाय सुझाने के लिए कार्य दल (अध्यक्षः डॉ. एस.एस.जोल) गठित किया गया। उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2006 में प्रस्तुत की । दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उन आपदाग्रस्त किसानों की सहायता करने के लिए जिनके खाते नैसर्गिक आपदा के कारण पुनर्निर्धारित /परिवर्तित किए गए थे और उन किसानों के लिए भी जिन्होंने उनके सामर्थ्य से बाहर की परिस्थिति के कारण ऋण चुकौती में चूक की थी, 31 अक्तूबर 2006 को जारी वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में बैंकों को सूचित किया गया कि वे उनके बोर्डों के अनुमोदन से ऐसे किसानों के लिए एक बारगी निपटान की पारदर्शी योजनाएं बनाएं। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि आपदाग्रस्त किसानों के लिए ऋण गारंटी योजना बनाई जाए (बॉक्स II.4)।

व्यष्टि, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

2.38 व्यष्टि, छोटे और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 अक्तूबर 2, 2006 को अधिसूचित किया गया था। सेवा क्षेत्र को व्यष्टि, छोटे और मध्यम उद्यम की परिभाषा में शामिल करने और उसका क्षेत्र मध्यम उद्यमों तक बढ़ाने के कारण एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधिनियमन से लघु उद्योग से व्यष्टि, छोटे और मध्यम उद्यमों में भारी बदलाव आया। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की परिभाषा के अनुसार व्यष्टि, छोटे और मध्यम उद्योमों में विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए और सेवा देनेवाले उद्यम आते हैं (बॉक्स II.5)।

2.39 वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप सभी राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंकों को 8 मई 2007 को सूचित किया गया कि वे एसएमई क्षेत्र और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआइडीओ) द्वारा पहचाने गए देश के विभिन्न विभागों में 21 राज्यों में फैले 388 समूहों को ऋण सुपुर्दगी के लिए उनकी संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करें।

2.40 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया कि वे लघु उद्योग इकाइयों के समूह वाले प्रत्येक जिले और केंद्र में कम से कम एक विशिष्टतायुक्त लघु उद्योग शाखा कार्यरत करें। मार्च 2006 के अंत के 629 के स्थान पर मार्च 2007 के अंत में बैंकों द्वारा 636 विशिष्टतायुक्त लघु उद्योग बैंक शाखाएं कार्यरत की गई थीं।

बॉक्स II.4: आपदाग्रस्त किसानों के लिए राहत के उपाय - ऋण गारंटी योजना

- आपदाग्रस्त किसानों की सहायतार्थ उपाय सुझाने के लिए गठित कार्य दल (अध्यक्षः श्री एस.एस.जोल) ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा आपदाग्रस्त छोटे उधारकर्ताओं (कृषि और अन्य) के लिए ऋण गारंटी योजना परिचालित करने का सुझाव दिया। दल द्वारा सिफारिश की गई योजना की विशेषताएं निम्नवत् हैं :
- आरआरबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों (राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक) सहित सभी वाणिज्य बैंकों को इस योजना में अनिवार्यतः शामिल होना होगा।
- 'प्रणालीगत आपदा' से ग्रस्त उधारकर्ता ही इस योजना में कवर किए जाएंगे। इस योजना के संदर्भ में प्रणालीगत आपदा में नैसर्गिक आपदा और महामारी के तौर पर कीड़ों/टिड्डियों से बड़े पैमाने पर हुआ फसल/आस्तियों का नुकसान कवर होगा।
- इस योजना में वे उधारकर्ता कवर होंगे जिनकी कुल स्वीकृत सीमा इस योजना की शुरुआत के बाद स्वीकृत 1 लाख रुपए तक हो और जिनके ऋण को प्रणालीगत आपदा के कारण लगातार दूसरी बार पुनःसंरचित / पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता हो। पहले की पुनःसंरचना/ पुनर्निर्धारण रिज़र्व बैंक /नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
- इस योजना में उपभोग ऋण किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तक ही कवर होंगे।
- नैसर्गिक आपदा, जिसके कारण ऋण को लगातार दूसरे समय पुनःसंरचना/ पुनर्निर्धारित करना आवश्यक हुआ हो, की तिथि को गारंटीबद्ध खाते में बकाया राशि के 60 प्रतिशत भाग तक की ही गारंटी इस योजना में होगी। शेष हानि संबंधित बैंकों द्वारा वहन की जाएगी।
- दल की सिफारिशों के आधार पर कृषि ऋण (आपदाग्रस्त किसान) गारंटी योजना, 2007 का मसौदा बनाकर भारत सरकार को भेजा गया। सरकार की टिप्पणियों के आधार पर योजना में संशोधन किए जा रहे हैं।

लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र को ऋण

2.41 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में समावेशन के प्रयोजनार्थ लघु उद्योग और लघु कारोबारी उद्यमों की परिभाषा को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में स्वीकारी गई परिभाषा के अनुरूप बनाया गया। इसके अलावा, एसएमई को ऋण सुपुर्दगी में सुधार लाने की दृष्टि से बैंकों से अनुरोध किया गया कि पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से वे एसएमई क्षेत्र को ऋण सुपुर्दगी की उनकी संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करें, विशेष रूप से देश के विभिन्न भागों में पहचाने गए समूहों के बारे में और पहचाने गए ऐसे समूहों में या उनके करीब की शाखाओं में प्रणाली में विशेषज्ञता बढ़ाने के उपाय करें।

2.42 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की 2 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना के अनुरूप विनिर्माण या उत्पादन करने या सेवाएं देने वाले व्यष्टि, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के प्रयोजनार्थ संशोधित की गईं और बैंकों को अप्रैल 2007 में तथा जुलाई 2007 में दिशानिर्देश जारी किये गये।

2.43 यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्यम के सभी घटकों को ऋण उपलब्ध हो, बैंकों को जुलाई 2007 में निम्न बातें सुनिश्चित करने की सूचना दी गई : (क) लघु उद्यम क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत उन व्यष्टि (विनिर्माण) उद्यमों को मिलना चाहिए जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5 लाख रुपए तक है और उन व्यष्टि (सेवा) उद्यमों को जिनका उपस्कर में निवेश 2 लाख रुपए तक है; (ख) लघु उद्यम क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 20 प्रतिशत उन व्यष्टि (विनिर्माण) उद्यमों को मिलना चाहिए जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक है और उन व्यष्टि (सेवा) उद्यमों को जिनका उपस्कर में निवेश 2 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक है। इस प्रकार, लघु उद्यमों के 60 प्रतिशत अग्रिम व्यष्टि उद्यमों को मिलने चाहिए।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में विदेशी बैंकों की जमाराशि

2.44 विदेशी बैंकों को राशि जमा करके निर्धारित लक्ष्य/ उप लक्ष्य में रही कमी पूरी करनी होती है जिसके लिए उन्हें कमी की राशि के समतुल्य राशि तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में रखनी होती है। अप्रैल 2007 में जारी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के निर्धारित लक्ष्य/उप लक्ष्य में कमी वाले विदेशी बैंकों को सिडबी द्वारा गठित की जाने वाली लघु उद्यम विकास निधि में या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य प्रयोजनार्थ अंशदान करना होगा। लघु उद्यम विकास निधि की मूल राशि रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित की जाएगी। जमाराशि की अवधि तीन वर्षया रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये अनुसार होगी।

नैसर्गिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत के विशेष उपाय पर आंतरिक कार्यदल

2.45 हाल की अवधि में आई सुनामी, भारी वर्षा, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान एटीएम की कार्यरतता, छोटे ग्राहकों के खाते

बॉक्स II.5: व्यष्टि, छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास अधिनियम, 2006 के प्रमुख उपबंध

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 उद्यमों को मुख्यतः (i) विनिर्माण उद्यमों और (ii) सेवा उद्यमों में श्रेणीबद्ध करता है। इन दो व्यापक श्रेणियों को आगे व्यष्टि उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम में वर्गीकृत किया गया है जिसका आधार संयंत्र और मशीनरी तथा उपस्कर, जैसा भी मामला हो, में किए गए निवेश का स्तर होता है।

(i) विनिर्माण उद्यम

(क) व्यष्टि (विनिर्माण) उद्यम : सामान के विनिर्माण/उत्पादन, प्रसंस्करण या परिरक्षण करने वाले वे उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी[1] में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक नहीं है।

(ख) लघु (विनिर्माण) उद्यम : सामान के विनिर्माण/उत्पादन, प्रसंस्करण या परिरक्षण करने वाले वे उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

(ग) मध्यम (विनिर्माण) उद्यम : सामान के विनिर्माण/उत्पादन,प्रसंस्करण या परिरक्षण करने वाले वे उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

(ii) सेवा उद्यम

(क) व्यष्टि (सेवा) उद्यम : सेवा प्रदाता ऐसे उद्यम जिनका उपस्कर[2] में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है।

(ख) लघु (सेवा) उद्यम : सेवा प्रदाता ऐसे उद्यम जिनका उपस्कर में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक किंतु 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

(ग) मध्यम (सेवा) उद्यम : सेवा प्रदाता ऐसे उद्यम जिनका उपस्कर में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

(iii) लघु और व्यष्टि (सेवा) उद्यमों से छोटे पथ और जलपरिवहन परिचालक, छोटे कारोबार, पेशेवर एवं स्वनियोजित व्यक्ति और अन्य सभी सेवा उद्यम शामिल हैं। मध्यम उद्यम एसएमई क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद मध्यम उद्यमों को दिया गया ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता।

(iv) व्यष्टि और लघु उद्यमों को भुगतान में विलंब

लघु और सहायक उद्योग उपक्रमों के प्रति विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1998 के मौजूदा प्रावधानों को एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निम्नवत् मजबूत बनाया गया है :

(क) क्रेता को उसके और आपूर्तिकर्ता के बीच हुए लिखित करार की तिथि को या उसके पहले या यदि इस बाबत लिखित करार न हुआ हो तो तय दिन से पहले भुगतान करना होगा। विक्रेता और क्रेता के बीच हुआ करार 45 दिन से अधिक का नहीं होगा।

(ख) यदि क्रेता आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो वह आपूर्तिकर्ता को तय दिनांक या करारबद्ध दिनांक से रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना की दर पर मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करेगा।

(ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए माल या दी गई सेवा के लिए क्रेता को उक्त (ख) में दर्शाए अनुसार राशि और उसके ब्याज का भुगतान करना होगा।

(घ) किसी भी देय राशि के बाबत विवाद होने की स्थिति में संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित व्यष्टि और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद के पास मामला भेजा जाएगा।

(V) व्यष्टि, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए राष्ट्रीय बोर्ड

अधिनियम में एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में व्यष्टि, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है जिसमें पणधारकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। इस बोर्ड के दायित्व निम्नवत् होंगे : (i) व्यष्टि, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना, और (ii) संवर्धन और विकास को सुगम बनाने की दृष्टि से केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की समीक्षा करना और ऐसे उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना तथा ऐसे उद्यमों पर उसके प्रभाव को देखना तथा उससे संबंधित मामलों पर सिफारिश करना।

अधिनियम में सचिव (एमएसएमई), भारत सरकार की अध्यक्षता में सलाहकार समिति के गठन का भी प्रावधान है जो राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा उसे भेजे गए मामलों की जांच करेगी और उस पर सिफारिश करेगी तथा व्यष्टि, लघु तथा मध्यम उद्यमों से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह भी देगी।

(VI) व्यष्टि, लघु और मध्यम उद्यमों का ज्ञापन

अधिनियम में सामान के विनिर्माण या उत्पादन करने वाले या सेवा देने वाले व्यष्टि या लघु या मध्यम उद्यमों की स्थापना करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करने की क्रियाविधि भी निर्धारित की गई है।

खोलने, दस्तावेजों की अनुपलब्धता में खातों का परिचालन और कंप्यूटर नेटवर्क की असफलता जैसी परिचालनात्मक समस्याओं की घटनाएं रिज़र्व बैंक के ध्यान में आईं। रिज़र्व बैंक के 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसरण में नैसर्गिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न मुद्दों की जांच करने और विद्यमान दिशानिर्देशों को अधिक व्यापक बनाने के लिए उनमें उपयुक्त संशोधन

[1] संयंत्र और मशीनरी में निवेश का अर्थ मूल लागत है जिसमें भूमि-भवन के साथ ही लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा 5 अक्तूबर 2006 की उनकी अधिसूचना सं. एस. ओ. 1722 (ई) में विनिर्दिष्ट मदें शामिल नहीं हैं।

[2] उपस्कर में निवेश का अर्थ मूल लागत है जिसमें भूमि-भवन, फर्नीचर, जुड़नार और प्रदत्त सेवा से प्रत्यक्ष रूप से असंबध्द अथवा एमएसएमइडी अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित अन्य मदें शामिल नहीं हैं।

करने और नए प्रावधान जोड़ने के सुझाव देने के लिए रिज़र्व बैंक में आंतरिक कार्य दल (अध्यक्ष : श्री जी. श्रीनिवासन) गठित किया गया था। इस कार्यदल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 12 जून 2006 को प्रस्तुत की।

2.46 उक्त दल की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने नैसर्गिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत के विशेष उपाय करने की दृष्टि से बैंकों के लिए 9 अगस्त 2006 को कुछ अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में निम्न बातें शामिल हैं : (क) नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बैंक शाखाओं के क्षेत्र में अस्थायी परिसर से परिचालन करना; (ख) ग्राहकों की तत्काल अपेक्षाएं पूरी करने के लिए मीयादी जमाराशि जैसे खाते में पहुंच संबंधी दंड से छूट देना; (ग) एटीएम के कार्य शीघ्र बहाल करना और ग्राहकों को अन्य एटीएम नेटवर्कों और मोबाइल एटीएम में पहुंच की अनुमति देने की व्यवस्था करना; (घ) नैसर्गिक आपदा से प्रभावित लोगों द्वारा नए खाते खोलने की क्रियाविधि सरल करना; (ङ) विद्यमान ऋणों का पुनर्निर्धारण; और (च) उपभोग ऋण की सीमा बढ़ाना । इसके अलावा, बैंकों को 4 सितंबर 2006 को यह भी सूचित किया गया कि ऋण अधिस्थगन, पुनर्निर्धारित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक तथा नए वित्त के संबंध में आस्ति वर्गीकरण संबंधी अनुदेश कृषि के अलावा उद्योग और व्यापार के खातों सहित प्रभावित पुनर्निर्धारित सभी उधार खातों पर लागू होंगे।

महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र को राहत उपायों का पैकेज

2.47 महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में छह ऋणग्रस्त जिलों में किसानों की परेशानी कम करने के लिए प्रधान मंत्री महोदय ने पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी ताकि प्रभावित उधारकर्ता बैंकिंग प्रणाली से नए ऋण प्राप्त करने के लिए तुरंत पात्र बन सकें। इस पैकेज में 1 जुलाई 2006 के अतिदेय ऋणों पर संपूर्ण ब्याज छह ऋणग्रस्त जिलों (अमरावती, वर्धा, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुलढ़ाणा) में माफ कर दी गई और अतिदेय ऋणों का मूल धन एक वर्ष के अधिस्थगन के साथ 3-5 वर्षों की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। इस पैकेज के अनुसार उक्त छह जिलों में 1,275 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। बैंकों द्वारा जारी की जानेवाली 1,275 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि का आबंटन उक्त जिलों में कार्यरत बैंकों के बीच एसएलबीसी द्वारा किया गया। भारत सरकार ने विदर्भ के जिलों में ब्याज से छूट के लिए बैंकों को प्रतिपूर्ति के लिए 356 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के ऋणग्रस्त जिलों के लिए पैकेज

2.48 भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के 25 ऋणग्रस्त जिलों में किसानों की परेशानी कम करने के लिए पैकेज अनुमोदित किया था। इस पैकेज में कृषि ऋण के बारे में निम्न बातें शामिल हैं। एक, 25 प्रभावित जिलों में 1 जुलाई 2006 के अतिदेय ऋण का संपूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा और उक्त तिथि को किसानों पर पिछले ब्याज का भार नहीं होगा ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से नए ऋण लेने के लिए तुरंत पात्र हो जाएं। दो, किसानों के 1 जुलाई 2006 के अतिदेय ऋण 3-5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित किए जाएंगे जिसमें एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि होगी। तीन, 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के प्रभावित जिलों में क्रमशः 13,818 करोड़ रुपए, 3,076 करोड़ रुपए और 1,945 करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा।

2.49 भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के प्रभावित जिलों में ब्याज माफी के लिए बैंकों को प्रतिपूर्ति के लिए क्रमशः 718 करोड़ रुपए, 105 करोड़ रुपए और 180 करोड़ रुपए स्वीकृत किए।

साहूकारी पर विधान की समीक्षा के लिए तकनीकी दल

2.50 अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एनएसएस उनसठवां चक्र) ने यह बात प्रकट की थी कि ग्रामीण परिवारों की कुल देयता में साहूकारों का हिस्सा 1991 के 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 2002 में 29.6 प्रतिशत हो गया। यह मानते हुए कि साहूकारों के प्रति अधिक ऋणग्रस्तता किसानों की परेशानी का मुख्य कारण होगा, 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार साहूकारी से संबंधित विद्यमान विधायी ढांचे की कार्यक्षमता और विभिन्न राज्यों में उसे लागू करने की प्रक्रिया की समीक्षा करने तथा ग्रामीण परिवारों के हित में विधायी और कार्यान्वयन के ढांचे में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को सिफारिश करने के लिए साहूकारी पर बने कानूनों की समीक्षा के लिए एक तकनीकी दल (अध्यक्ष: श्री एस.सी.गुप्ता) का गठन किया गया। इस दल ने अपनी रिपोर्ट 15 जून 2007 को प्रस्तुत की जो संबंधितों के विचार जानने के लिए पब्लिक डोमेन पर रखी गई है।

2.51 इस दल ने अन्य बातों के साथ-साथ उन राज्य सरकारों द्वारा विचार करने तथा स्वीकार करने के लिए मॉडल विधान की सिफारिश की जिनके यहां वर्तमान में साहूकारी संबंधी कोई व्यापक कानून न हो। प्रस्तावित मॉडल विधि में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू तौर पर उपलब्ध समरूपी विधायी महत्वपूर्ण घटकों को दर्शाया गया है। दल ने विवाद के शीघ्र अनौपचारिक और आसान निपटान और बेहतर कार्यान्वयन के लिए विद्यमान विधान में कुछ आशोधनों की सिफारिश की। मॉडल विधान में निम्न प्रावधान हैं : (क) साहूकारों द्वारा पंजीयन की अनिवार्यता तथा उनके पंजीयन के आवधिक नवीकरण की सरल और अबाध क्रियाविधि; (ख) साहूकारों द्वारा प्रभार्य ब्याज की अधिकतम राशि को सीमित करने

बॉक्स II.6: साहूकारी पर विधान की समीक्षा के लिए तकनीकी दल

उक्त तकनीकी दल (अध्यक्ष : श्री एस.सी.गुप्ता) ने निम्न सिफारिशें कीं:

- साहूकारों का राज्य सरकार के पास पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। अपंजीकृत साहूकारों पर दंड लगाया जाएगा। पंजीयन और नवीकरण की प्रक्रिया सरल और बाधारहित होनी चाहिए।
- साहूकारी लेनदेन के विनियमन के विधान पर ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से बैंक, सांविधिक निगम, सहकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, एनबीएफसी और रिजर्व बैंक को उक्त विधान की परिधि से बाहर रखने की आवश्यकता है।
- बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप ब्याज दरों को समायोजित करने का लचीलापन राज्य सरकारों को देने की दृष्टि से, साहूकारों द्वारा प्रभार्य अधिकतम ब्याज दरें राज्य सरकार को समय-समय पर अधिसूचित करनी चाहिए। अधिकतम दर निर्धारित करते समय प्रभार्य ब्याज दर का दायरा और लागत तथा अन्य व्ययों को हिसाब में लेना चाहिए। सूदखोरी रोकने के लिए दामदुप्पट नियम की सिफारिश की गई है।
- तेज और किफायती न्याय दान के लिए लोक अदालत और न्याय पंचायत जैसे वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र की सिफारिश की गई है। वैकल्पिक रूप से, राज्य सरकारें साहूकारों और मान्यताप्राप्त साहूकारों के उधार लेनदेनों से संबंधित विवादों से निपटने के लिए तीव्र गति न्यायालय / पदनामित न्यायालयों के गठन पर विचार कर सकती हैं। मंच के चुनाव का निर्णय राज्य सरकारों का होगा जो स्थानीय स्थिति पर निर्भर होगा।
- विधान के कार्यान्वयन/संचालन पर उचित निगरानी रखना सुनिश्चित करने के लिए एक नई धारा प्रस्तावित की गई है जिसके अनुसार राज्य सरकार के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह विधान के संचालन की वार्षिक रिपोर्ट राज्य की विधायिका के सामने रखे।
- राज्य सरकार को अधिसूचित किये गये अनुसार ब्याज की अधिकतम दर पंजीकृत कराने के लाभ, अधिनियम के अंतर्गत के अपराध और विवाद निपटान तंत्र के प्रकाशन के पर्याप्त प्रयास करने चाहिए।
- राज्यों के साहूकारी विधान में एक नए अध्याय की सिफारिश की गई है जो औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाता, जो 'मान्यताप्राप्त ऋणदाता' कहलाएंगे, के बीच संबंध स्थापित करेगा।
- तकनीकी दल ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं तथा 'मान्यताप्राप्त ऋणदाता' के बीच रक्षोपाय के रूप में करार में कुछ शर्तें रखने की सिफारिश की है।
- संस्थागत ऋणदाताओं द्वारा मान्यताप्राप्त ऋणदाताओं को दिए गए अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार माने जाएंगे। इससे बैंक संस्थागत ऋणदाता की भूमिका में मान्यताप्राप्त ऋणदाता के माध्यम से ऋण देने के अतिरिक्त कारोबार के लिए प्रोत्साहित होंगे।

के लिए दामदुप्पट नियम अपनाना; और (ग) अधिकतम ब्याज दर का बाजार दरों के अनुरूप आवधिक पुनर्निर्धारण। इस दल ने औपचारिक और अनौपचारिक ऋण दाताओं के बीच संबंध स्थापित करने की संभावना की खोज भी की जिससे कोई साहूकार 'मान्यताप्राप्त ऋणदाता' अर्थात् औपचारिक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त ऋण सुपुर्दगी माध्यम के रूप में कार्य कर सके बशर्ते इस बाबत रक्षोपाय किए जाएं (बॉक्स II.6)।

4. वित्तीय समावेशन

2.52 वित्तीय समावेशन का अर्थ है अलाभप्राप्त और कम आय समूह के उस बड़े भाग को वहनीय लागत पर बैंकिंग सुविधाएं देना जो सामान्यतः औपचारिक बैंकिंग माध्यम से बाहर रह जाता है। पिछले तीन दशकों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के व्यापक विस्तार के बावजूद विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे परिवार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के कवरेज से बाहर रह गए हैं। रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन के व्यापक दृष्टिकोण का लक्ष्य लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है, उन्हें ऋण देने मात्र से नहीं; लोगों को भुगतान प्रणाली तक पहुंच देना; और वित्तीय समावेशन को सक्षम कारोबारी मॉडल और अवसर बनाना है । 'वित्तीय समावेशन' के प्रयासों में सामान्य लोगों की बैंकिंग और वित्तीय आवश्यकताओं के प्रति बैंकों को संवेदनशील बनाना और आधारभूत बैंकिंग सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। इस दृष्टिकोण के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने वित्तीय रूप से बाहर रहे लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए हाल के वर्षों में अनेक उपाय किए हैं। अप्रैल 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में सभी बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर वित्तीय समावेशन के बाबत घोषित उपाय अपनी सभी शाखाओं में लागू करें।

2.53 'शून्य शेष' या 'नो फ्रिल्स' खाते की शुरुआत से जनसामान्य के लिए बैंक खाता खोलना सरल हो गया है। किंतु बैंकिंग सुविधाओं को ग्राहक के करीब ले जाना और विशेष रूप से दूरस्थ और बैंक रहित क्षेत्रों में तथा लेनदेन लागत कम रखना एक चुनौती बना हुआ है। इसे उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सहायता से वहनीय बुनियादी सुविधाओं और कम परिचालन लागत से किया जाना है। 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में 7 मई 2007 को बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वित्तीय समावेशन के अपने प्रयास बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि विकसित किए गए समाधान (i) अति सुरक्षित हों; (ii) लेखा-परीक्षा के योग्य हों, और (iii) विभिन्न बैंकों द्वारा अपनायी गयी विभिन्न

प्रणालियों के बीच अंतर-परिचालनीयता के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत खुले मानक के हों। बैंकों ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए स्मार्ट कार्ड/मोबाइल प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। ग्राहकों की अलग पहचान के लिए बायोमेट्रिक पद्धति का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है।

100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए प्रायोगिक परियोजना : स्थिति और भावी कार्रवाई

2.54 सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी/यूटीएलबीटी) के संयोजक बैंकों को 28 अप्रैल 2006 को सूचित किया गया कि वे 'नो फ्रिल्स' खाता उपलब्ध कराकर और सामान्य प्रयोजनीय क्रेडिट कार्ड जारी करके 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में कम से कम एक जिले की पहचान करें। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि प्राप्त अनुभव के आधार पर 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन अन्य क्षेत्रों/जिलों तक बढ़ाया जाए। एसएलबीसी/यूटीएलबीसी को यह भी सूचित किया गया कि वे राज्य में कार्यरत बैंकों को 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने का दायित्व लेने के लिए गांव आबंटित करें और यह भी कि सितंबर 2006 से एसएलबीसी/यूटीएलबीसी की बैठकों में वित्तीय समावेशन की निगरानी की जाए। अब तक, 160 जिलों की पहचान की गई है और संपूर्ण पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश में तथा आठ राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल) के 28 जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन हो गया है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में वित्तीय समावेशन प्राप्त किया गया है। इन जिलों में वित्तीय समावेशन प्राप्ति में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि इस बाबत भावी कार्रवाई की रूपरेखा बनाई जा सके।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जमाकर्ताओं और लघु ऋणकर्ताओं को सेवाएं

2.55 वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने पर ग्राहक संतुष्टीकरण के आकलन के लिए एक सर्वेक्षण का प्रस्ताव किया गया। तदनुसार, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को यह कार्य सौंपा गया कि वह ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं द्वारा अपने ग्राहकों (जमाकर्ताओं और लघु ऋणकर्ताओं) को दी गई सेवाओं की गुणवत्ता पर एक अध्ययन करे। परिषद ने जनवरी 2006 में अध्ययन शुरू किया और अक्तूबर 2007 में एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्ययन में 30 राज्यों/संघशासित प्रदेशों से देश भर में फैली 930 बैंक शाखाओं और 9,300 जमाकर्ताओं और 13,950 उधारकर्ताओं को शामिल किया गया। पटल पर त्वरित सेवा सुपुर्दगी और ग्राहकों के बीच बैंक कर्मियों का पेशेवराना व्यवहार ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहक संतोष के प्रमुख निर्धारक थे।

ऋण परामर्श : प्रायोगिक आधार पर केंद्रों की स्थापना

2.56 आपदाग्रस्त किसानों को मदद देने के लिए उपाय सुझाने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए कार्य दल (अध्यक्ष : प्रो. एस.एस.जोल) ने सिफारिश की थी कि ऋण की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए वित्तीय और आजीविका परामर्श महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, कृषि ऋणों के लिए क्रियाविधि और प्रक्रिया की जांच के लिए बनाए गए कार्य दल (अध्यक्ष: श्री सी.पी.स्वर्णकार) ने भी सिफारिश की थी कि बैंकों को ऋण और तकनीकी परामर्श के लिए या तो वैयक्तिक अथवा सामूहिक संसाधनों के स्तर पर, परामर्श केंद्र खोलने पर सक्रियता से विचार करना चाहिए ताकि सापेक्षिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में ऋण देने के लिए विशेष जोर दिया जा सके। इन दो दलों की सिफारिशों के आलोक में, जैसा कि 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया, राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को सलाह दी गई कि वे प्रायोगिक आधार पर किसी एक जिले में वित्तीय साक्षरता-सह-परामर्श केंद्र खोलें। प्राप्त अनुभव के आधार पर संबंधित लीड बैंक अन्य जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित करें।

मध्यस्थों का एजेंट के रूप में प्रयोग

2.57 जनवरी 2006 में, रिज़र्व बैंक ने कारोबार सहायक (बीएफ) और कारोबार संपर्की (बीसी) के प्रयोग के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में, मध्यस्थों के रूप में, गैर सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों, व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी छोड़कर) तथा अन्य नागरिक सोसायटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति बैंकों को दी। कारोबार संपर्की मॉडल में ग्रामीण जनसंख्या को बहुत पास के किसी स्थान में 'नकदी जमा करने/नकदी निकालनेट के सौदों को करने की अनुमति बैंकों को दी गई, इस प्रकार इससे दूरी संबंधी समस्या हल हुई। बैंक कारोबार संपर्की के रूप में डाकघरों के विशाल नेटवर्क का प्रयोग करने के लिए डाक प्राधिकारियों से भी करार कर रहे हैं, इस प्रकार उनकी पहुंच को विस्तृत करने और स्थानीय जनता के संबंध में डाकिए की घनिष्ठ जानकारी का और उसमें विश्वास करने की भावना का दोहन करने को बल मिला।

विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में बैंकिंग सेवाओं के सुधार पर कार्यदल

2.58 रिज़र्व बैंक बैंकों की पहुँच और उनकी सेवाओं के दायरे को विस्तृत करने तथा कम विकसित राज्यों/संघशासित प्रदेशों में वित्तीय

समावेशन को बढ़ावा देने के उपाय करता रहा है। 2005-06 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने क्रमशः उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों (अध्यक्षः श्रीमती उषा थोरात) और उत्तराखंड (अध्यक्ष : श्री वी.एस.दास) में बैंकिंग सेवाओं से संबंधित समस्याओं/मुद्दों की जांच के लिए दो समितियां/कार्यदल गठित किए। 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक ने बिहार, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ राज्यों में बैंकिंग सेवाओं की देखरेख करने के लिए चार और कार्यदल बनाए।

2.59 उत्तर पूर्व क्षेत्र में और अधिक वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था के लिए एक निगरानीयोग्य कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर एक समिति (अध्यक्ष श्रीमती उषा थोरात) बनाई। समिति ने जुलाई 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने आधारभूत सुविधा को बढ़ाने, अनुकूल निवेश वातावरण तैयार करने, विकास के लिए रणनीतिक लाभ के कुछ क्षेत्रों पर फोकस करने और अनुकूल ऋण संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन की रिजर्व बैंक द्वारा करीब से निगरानी की जा रही है। उत्तरपूर्वी क्षेत्र में बैंकों के ऋण प्रवाह की समीक्षा करते समय सिक्किम राज्य को शामिल करने के लिए भारत सरकार के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक के पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में सिक्किम राज्य के लिए एक कार्य दल बनाया गया जो वित्तीय क्षेत्र योजना पर बनी समिति को सिक्किम राज्य के लिए कार्य योजना की सिफारिश करेगा। इस कार्य दल ने सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए 22 जून 2007 को सभी पणधारियों को अपनी रिपोर्ट भेजी।

2.60 उत्तराखंड में बैंकिंग सेवाओं से संबंधित समस्याओं/मुद्दों की जांच करने और इस प्रयोजन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए मई 2006 में एक कार्यदल (अध्यक्षः श्री वी.एस.दास) बनाया गया । दल ने 14 अगस्त 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सिफारिशों की कार्रवाई मदों को कार्यान्वियन के लिए संबंधित एजेंसियों को भेज दिया गया है।

2.61 बिहार राज्य के बैंकरों और उधारकर्ताओं की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक कार्य दल (अध्यक्षः श्री वी.एस.दास) बनाया गया। दल की सिफारिशों को राज्य स्तरीय बैंकर समिति, बैंकों और बिहार की राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए कार्य योजना बनाने हेतु रिजर्व बैंक के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में भी एक कार्यदल बनाया गया। दल की सिफारिशें कार्यान्वियनाधीन हैं।

2.62 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रायद्वीप में बैंकिंग सेवाओं का अध्ययन करने के लिए रिज़र्व बैंक के केरल और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यदल बनाया गया। यह दल शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

2.63 राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा की गई पहल को सहायता देने में बैंक और वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की समीक्षा के लिए और राज्य में बैंकिंग प्रणाली के अधिक विस्तार/प्रवेशन को बढ़ावा देने के लिए उपायों की संस्तुति करने के लिए रिज़र्व बैंक के पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में एक दूसरा कार्य दल बनाया गया। इस दल द्वारा 26 सितंबर 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी तथा इसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

2.64 कुछ अल्प विकसित राज्यों/क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अक्तूबर 2007 में एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री वी.एस.दास) का गठन किया गया ताकि वह झारखंड राज्य में बैंकिंग सेवाओं की व्याप्ति बढ़ाने के बारे में उपायों की संस्तुति कर सके।

व्यष्टि-वित्त

2.65 गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सकारात्मक प्रभाव डालने संबंधी व्यष्टि वित्त की संभावना को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक इसका उचित ढंग से विकास करने के लिए से वातावरण तैयार करने के प्रयास कर रहा है। रिज़र्व बैंक ने कुछेक प्रमुख बैंकों के साथ मिलकर मई 2006 में एक संयुक्त तथ्य अन्वेषण अध्ययन करवाया था। इस अध्यन से पता चला कि बैंकों द्वारा वित्तपोषित अथवा बैंकों की ओर से विकास में कार्य करनेवाली मध्यस्थ/भागीदार कुछ व्यष्टि वित्त संस्थाएं अपेक्षाकृत बेहतर बैंक सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में अपना ध्यान अधिक केंद्रित कर रही हैं। वे भी उसी क्षेत्र में कार्य कर रही थीं और गरीबों के उसी सेट तक पहुँचने की कोशिश कर रही थीं और परिणामस्वरूप बहुल ऋण वितरण हो रहा था। पुनश्च, बैंकों द्वारा समर्थित कई कुछ व्यष्टि वित्त संस्थाएं (एमएफआइ) क्षमता निर्माण में और वांछित सीमा तक समूहों को शक्ति सम्पन्न बनाने में स्वयं को नहीं लगा पा रही थीं। इनके अलावा कुछ बैंक, एमएफआइ के प्रधान वित्तप्रदाता के रूप में, अपनी प्रणालियों, प्रथाओं और ऋण प्रदान करने की नीतियों में उन्नयन करने का प्रयास करते नहीं प्रतीत हो रहे थे। अतः नवंबर 2006 में बैंकों को इन निष्कर्षों के बारे में एक एडवाइजरी जारी की गई और उन्हें सलाह दी गई कि वे अपनी ओर से सुधारात्मक कार्रवाई करें।

2.66 हाल ही के वर्षों में व्यष्टि वित्त क्षेत्र ने गति पकड़ी है और इसके कारण विनियमन का मुद्दा सामने आया है। संघ सरकार के समक्ष

एक व्यष्टि वित्त क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक, 2007 का मसौदा विचारार्थ रखा गया है जिसमें व्यष्टि वित्त का विनियमन निहित है। यह विधेयक 20 मार्च 2007 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में छोटी जमाराशियाँ स्वीकार करने के इच्छुक व्यष्टि वित्त संगठनों का पंजीयन नाबार्ड में किए जाने का प्रावधान किया गया था।

स्वर्ण और रजत आभूषणों पर दिए गए ऋण : जोखिम भार को कम करना

2.67 ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गरीब तबके के द्वारा सामान्यतया स्वर्ण और रजत आभूषणों पर ऋण प्राप्त किया जाता है। इन ऋणों को देने में तुलनात्मक रूप से कम जोखिम रहता है क्योंकि इनमें पर्याप्त मार्जिन निहित होता है और संपार्श्विक (स्वर्ण अथवा रजत), विशेष रूप से जब ऋण का आकार छोटा हो, आसानी से बेचा जा सकता है। इस प्रकार के ऋणों के फुटकर (व्यक्तिगत) प्रकृति का होने के कारण वर्तमान में इनका जोखिम भार 125 प्रतिशत रखा गया है। वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में स्वर्ण और रजत आभूषणों पर 1 लाख रुपए तक के ऋणों का जोखिम भार सभी श्रेणी के बैंकों के लिए पहले के 125 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

5. विवेकपूर्ण विनियमन

2.68 वर्ष 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक के विनियामक पहलों का फोकस अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्त्कृष्ट प्रथाओं को अपनाने और उनका सामंजस्य भारतीय प्रथाओं के साथ बैठाने पर रहा ताकि वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ किया जा सके। बासेल - II में सुगमतापूर्वक संक्रमण करना सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप कई प्रकार के उपाय किए गए। बैंकों द्वारा नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल - II) के कार्यान्वयन हेतु अंतिम दिशानिर्देश जारी किये जाने के अलावा कुछ प्रमुख पहलों में बैंकों द्वारा दबाव परीक्षण संबंधी दिशानिर्देश जारी करना और नए फ्रेमवर्क में स्तम्भ 3 (बाजार अनुशासन) को मज़बूत करने के लिए प्रकटन मानदंड को उन्नत करना सम्मिलित है। वर्ष के दौरान किए गए अन्य प्रमुख पहलों में सम्मिलित हैं - पूंजी बाजार के प्रति बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में विद्यमान दिशानिर्देशों में आशोधन, डेरिवेटिव के बारे में व्यापक दिशानिर्देश जारी करना, आउटसोर्सिंग से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के लिए संशोधित फ्रेमवर्क; अस्थिर प्रावधानों के निर्माण और उपयोग संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड जारी करना तथा एनपीए की बिक्री / खरीद संबंधी दिशानिर्देशों में आशोधन करना।

पूंजी पर्याप्तता

बासेल II - नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन

2.69 भारत में पूंजी पर्याप्तता के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासले समिति (बी सी बी एस) फ्रेमवर्क अप्रैल 1992 में लागू की गई, जब सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (विदेशी बैंकों को सम्मिलित करते हुए) से अपेक्षित था कि वे चरणबद्ध रूप से जोखिम भारित आस्ति अनुपात के लिए 8 प्रतिशत पूंजी (सी आर ए आर) बनाए रखें। मार्च 2000 के अंत से निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर को बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया। उपर्युक्त प्रणाली के अंतर्गत तुलन पत्र आस्ति, गैर निधिवाली मदों और अन्य तुलन पत्र से बाहर के एक्सपोजरों को अनिवार्य रूप से निर्धारित जोखिम भार आबंटित किया जाता है और बैंकों को सतत आधार पर जोखिम भारित आस्ति और अन्य एक्सपोजरों के योग पर निर्धारित किए गए अनुपात के समकक्ष अक्षत न्यूनतम पूंजी निधि बनाए रखना पड़ता है। आकार, परिचालनों की जटिलता, वित्तीय क्षेत्र के प्रति सुसंगतता, अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता तथा एक कारगर सुपुर्दगी तंत्र बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाओं के विभिन्न श्रेणियों पर लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को सख्ती के अलग-अलग स्तरों पर बनाये रखा गया है। भारत में, पूंजी पर्याप्तता नियमों के संबंध में त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। पहले स्तर पर, वाणिज्य बैंकों को बासेल I के अनुसार ऋण और बाजार जोखिम दोनों के लिए पूँजी रखनी पड़ती है, दूसरे स्तर पर, सहकारी बैंकों से अपेक्षा है कि वे बासेल I फ्रेमवर्क के अनुसार ऋण जोखिम के लिए तथा बाजार जोखिम के लिए प्रतिनिधियों के जरिए पूँजी रखें; तथा तीसरे स्तर पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे न्यूनतम अपेक्षित पूँजी रखें जो बासेल I के फ्रेमवर्क के समतुल्य नहीं है।

2.70 बीसीबीएस द्वारा 1996 में जारी 'बाजार जोखिम को शामिल करने के लिए पूँजी समझौते में संशोधन' के तर्ज पर भारत स्थित बैंकों को जून 2004 में सूचित किया गया कि वे बाजार जोखिमों के लिए पूँजी प्रभार रखें। बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को 'पूँजी आय और पूँजी मानकों का अंतरराष्ट्रीय अभिसरण : संशोधित फ्रेमवर्क' जारी किया संशोधित फ्रेमवर्क के आधार पर, भारत स्थित बैंकों द्वारा कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा प्रारंभ में 15 फरवरी 2005 को 'पब्लिक डोमेन' में रखकर बैंकों और अन्य पणधारियों के बड़े भाग से प्रतिपुष्टि/ अभिमत माँगे गए। फ्रेमवर्क का व्यापक पाठ जुलाई 2006 में जारी किया गया। प्राप्त प्रतिपुष्टि पर विचार करने के बाद संशोधित पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) पर अंतिम दिशा-निर्देश 27 अप्रैल 2007 को भारत स्थित बैंकों को जारी किए गए।

2.71 बासेल - II मानदंड मुख्यतया तीन प्रकार के जोखिमों का समाधान करता है, अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं के लिए परिचालनात्मक जोखिम तथा इसमें तीन स्तंभीय संरचना होती है। प्रथम स्तंभ में न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं, द्वितीय स्तंभ में पर्यवेक्षीय पुनरीक्षा प्रक्रिया और तृतीय स्तंभ में बाजार अनुशासन आते हैं। संशोधित फ्रेमवर्क संबंधी अंतिम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसरण में भारत में बासेल-II में संक्रमित होने वाले सभी वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षित है कि वे बाजार जोखिमों के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना के लिए मानक काल दृष्टिकोण (एस डी ए) में रहते हुए ऋण जोखिम के लिए मानक दृष्टिकोण (एस ए) और परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बी आइ ए) अपनाएं। यद्यपि भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों और भारत के बाहर के देशों में परिचालन करनेवाले भारतीय बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वे 31 मार्च 2008 से संशोधित फ्रेमवर्क में संक्रमण करें। अन्य सभी वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे 31 मार्च 2009 तक किसी भी स्थिति में बासेल-II के अंतर्गत इन दृष्टिकोणों को अंगीकार कर लें। जोखिम भार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोणों में संक्रमित करने के इच्छुक बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। इस प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करने की पूर्वापेक्षाओं और कार्यविधि को यथासमय जारी किया जाएगी।

2.72 बैंकों से अपेक्षित है कि वे सतत आधार पर के जोखिम भारित आस्ति के लिए न्यूनतम पूंजी अनुपात 9 प्रतिशत पर बना कर रखें। तथापि संबंधित जोखिम कारकों और प्रत्येक बैंक की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता के आकलनों को ध्यान में रखकर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक द्वारा धारित पूंजी उसके समग्र जोखिम प्रोफाइल के समानुपात में है, रिज़र्व बैंक जोखिम भारित आस्ति के लिए न्यूनतम पूंजी अनुपात हेतु उच्च स्तर विनिर्दिष्ट कर सकता है। बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एकल और समेकित दोनों ही स्तरों पर 6 प्रतिशत का न्यूनतम टियर-I अनुपात बना कर रखें। इस स्तर से नीचे रहनेवाले बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे 31 मार्च 2010 को या उसके पहले इस स्तर को प्राप्त करें।

2.73 बैंकों की संशोधित फ्रेमवर्क में संक्रमित करना सुनिश्चित करने और उन्हें अपनी प्रणालियों तथा रणनीतियों को युक्तिसंगत बनाने के अवसर प्रदान करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि वे संशोधित फ्रेमवर्क (बॉक्स II.7) की समानांतर प्रणाली अपनाएं।

बैंक की पूंजी जुटाने के विकल्पों में वृद्धि

2.74 बासेल - II फ्रेमवर्क के अंतर्गत उम्मीद है कि भारतीय बैंकों को बृहद-पूंजी की आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें ऋण और बाजार

बॉक्स II.7: नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क में संक्रमण करना : समानांतर प्रक्रिया

बैंकों का संशोधित फ्रेमवर्क में निर्बध रूप में संक्रमित करना सुनिश्चित करने और उन्हें अपनी प्रणालियों तथा रणनीतियों को युक्तिसंगत बनाने के मद्देनजर बैंकों को सूचित किया गया था कि वे संशोधित फ्रेमवर्क के समानांतर प्रणाली को अपनाएं जिसका संचालन वे 2006-07 से कर रहे थे। बैंकों के बोर्ड से अपेक्षित है कि वे तिमाही आधार पर समानांतर प्रणाली के परिणामों की पुनरीक्षा करें। समानांतर प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) बैंकों से अपेक्षित है कि वे पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों - वर्तमान दिशा निदेश और संशोधित फ्रेमवर्क संबंधी दिशानिर्देश दोनों - को सतत आधार पर लागू करें और अपनी सीआरएआर की गणना दोनों दिशानिर्देशों के अंतर्गत करें।

(ii) दोनों दिशानिर्देशों के तहत बैंक के सीआरएआर का विश्लेषण तिमाही अंतराल पर बोर्ड को सूचित करना अपेक्षित है। बोर्ड को उपर्युक्त विश्लेषण सूचित करते समय, बैंकों को चाहिए कि वे संशोधित फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपेक्षित अन्य अपेक्षाओं के प्रति अपने अनुपालन का विस्तृत आकलन भी भेजें जिसमें न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

क) ऋण जोखिम अल्पीकरण तकनीकों के उपयोग और संपार्श्विक प्रबंधन के संबंध में बोर्ड ने नीति अनुमोदित की;

ख) प्रकटन के संबंध में बोर्ड ने नीति अनुमोदित की;

ग) अंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइ सी ए ए पी) और साथ ही आइ सी ए ए पी के अनुसार पूंजी अपेक्षा के संबंध में बोर्ड ने नीति अनुमोदित की;

घ) नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बैंक की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आइ एस) की पर्याप्तता, कमी को पूरा करने के लिए किए गए प्रयास और इस दिशा में हुई प्रगति;

ङ) संशोधित फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक के सीआरएआर पर विभिन्न तत्त्वों/पोर्टफोलिओ का प्रभाव;

च) नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के अनुसार परिगणित सी आर ए आर की स्थिति के वैधीकरण की प्रक्रिया लागू करना और इन वैधीकरण उपायों का आकलन/निष्कर्ष/संस्तुतियां;

छ) ऊपर कही गई बातों के संबंध में अतीत में बोर्ड द्वारा दिए गए किसी परामर्श/दिशानिर्देश/निदेश के संबंध में की गई कार्रवाई।

बोर्ड को भेजी जानेवाली तिमाही रिपोर्ट की एक प्रति रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

बासेल - II मानदंड लागू करने पर बैंकों द्वारा रखी जा रही न्यूनतम पूंजी विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा, जिसकी गणना ऋण और बाजार जोखिमों के लिए बासेल-I फ्रेमवर्क की आवश्यकताओं के संदर्भ में की गई है, के अध्यधीन है। यह न्यूनतम सीमा संशोधित फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के प्रथम तीन वर्षों के लिए मार्च समाप्ति की स्थिति के लिए 100 प्रतिशत, 90 प्रतिशत और 80 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

जोखिमों के अलावा परिचालनात्मक जोखिमों के लिए भी पूंजी आरक्षित रखने की आवश्यकता होगी। बासेल - II में सुगमतापूर्वक संक्रमण करने और पूंजी निधियां जुटाने के लिए अतिरिक्त विकल्पों के प्रावधान हेतु जनवरी 2006 में बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखत (आइपीडीआइ), जो टियर-I पूंजी में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं, और ऋण पूंजी लिखतें, जो उपरि टियर - II पूंजी (उपरि टीयर II लिखतें) में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं, जारी करके पूंजी निधि में वृद्धि करें। आरम्भ में बैंकों को ये लिखतें भारतीय रुपए में जारी करने की अनुमति थी परंतु विदेशी मुद्रा में इन्हें जारी करने के लिए प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेनी होती थी। पुनश्च, बैंकों द्वारा जारी इन लिखतों से जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के प्रयोजनार्थ मांग और मीयादी देयता की गणना के लिए देयता माना जाता था।

2.75 इन दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा की गई और जुलाई 2006 में निम्नांकित ढील दी गई :

(i) आइपीडीआइ के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को रिज़र्व आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ की जानेवाली मांग और मीयादी देयता की गणना के लिए देयता नहीं माना जाएगा और इस प्रकार उन पर सी आर आर / एस एल आर की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।

(ii) आइपीडीआइ के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को, पात्र राशि की गणना पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च को टियर I पूंजी की राशि के संदर्भ में करनी होती है, गुडविल और अन्य अमूर्त आस्ति घटाने के पश्चात परंतु निवेशों को घटाने के पूर्व टियर I पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) कारपोरेट ऋण लिखतों में एफ आइ आइ द्वारा निवेश के लिए निर्धारित रुपया मूल्यवर्गित कारपोरेट ऋण हेतु विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा आइपीडीआइ में भारतीय रुपए में किए गए निवेश को बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) सीमा से बाहर रखा गया है।

(iv) बैंक कतिपय आवश्यकताओं को पूरा करके रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त किए बगैर विदेशी मुद्रा में आइपीडीआइ/उपरि टियर-II लिखतें जारी करते हुए अपनी पूंजी निधियों में वृद्धि कर सकते हैं। प्रथम, विदेशी मुद्रा में जारी आइपीडीआइ/उपरि टियर-II लिखतों को 25 जनवरी 2006 को जारी दिशानिर्देशों के लिए लागू सभी शर्तों, जब तक उन्हें जुलाई 2006 में विशेष रूप से आशोधित नहीं किया गया, का अनुपालन करना होगा। द्वितीय, आइपीडीआइ के मामले में पात्र राशि के 49 प्रतिशत से अनधिक राशि विदेशी मुद्रा में जारी की जा सकती है। उपरि टियर-II लिखतों के मामले में विदेशी मुद्रा में जारी कुल राशि अक्षत टियर-I पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसकी गणना पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च को टियर-I पूंजी की राशि के संदर्भ में, गुडविल और अन्य अमूर्त आस्ति घटाने के पश्चात परंतु निवेशों को घटाने के पूर्व, की जानी चाहिए। विदेशी मुद्रा में जारी इन लिखतों के द्वारा जुटाई गई राशि प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा उधारी के लिए विद्यमान सीमा के अतिरिक्त होगी। तृतीय, एफ आइ आइ द्वारा उपरि टियर-II लिखतों में भारतीय रुपए में किए गए निवेश कारपोरेट ऋण लिखतों अर्थात 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में निवेश की सीमा से बाहर रहेंगे। तथापि इन लिखतों में एफ आइ आइ द्वारा किए जाने वाले निवेश के लिए एक अन्य 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम सीमा लागू होगी।

2.76 भारतीय बैंकों को टियर I और ऊपरी टियर II पूंजी जुटाने के लिए लिखतों के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंकों को अक्तूबर 2007 में अनुमति दी गई कि वे विद्यमान कानूनी प्रावधानों के अधीन टियर I पूंजी के रूप में स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर जारी करके भारतीय रुपए में अधिमानी शेयर जारी कर सकते हैं। स्थायी संचयी अधिमानी शेयर, शोधन योग्य असंचयी अधिमानी शेयर और शोधन योग्य संचयी अधिमानी शेयर ऊपरी टियर II पूंजी के रूप में अनुमत किए गए। स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर ईक्विटी के समतुल्य माने जाएंगे, अतः इन लिखतों पर देय कूपन को लाभांश (लाभ और हानि लेखे का विनियोजन) माना जाएगा। ऊपरी टियर II अधिमानी शेयर देयता माने जाएंगे, इसलिए उन पर देय कूपन ब्याज (लाभ हानि लेखे पर प्रभारित) माना जाएगा। बैंकों द्वारा स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर जारी करके जुटायी गई कुल राशि आरक्षित निधि अपेक्षा के प्रयोजनार्थ निवल मांग और मीयादी देयता की गणना के लिए देयता के रूप में नहीं मानी जाएगी, इस प्रकार सीआरआर / एसएलआर अपेक्षा लागू नहीं होगी। बैंकों द्वारा ऊपरी टियर II लिखतों के माध्यम से जुटायी गई कुल राशि आरक्षित निधि अपेक्षा के प्रयोजनार्थ निवल मांग और मीयादी देयता की गणना के लिए देयता मानी जाएगी जिससे सीआरआर / एसएलआर अपेक्षा लागू होगी।

दबाव परीक्षण संबंधी दिशानिर्देश

2.77 भलीभांति अभिकल्पित और कार्यान्वित आघात परीक्षण फ्रेमवर्क बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की अनुपूर्ति करेगी तथा इन प्रणालियों को अधिक सख्त बनाने में मदद करेगी। दबाव परीक्षण

में संभावी घटनाओं का अभिज्ञान करना और भविष्य की आर्थिक दशा जो बैंक के क्रेडिट एक्सपोजर को विपरीत ढंग से प्रभावित कर सकती है और ऐसी घटनाओं से प्रोद्भूत घाटे को सहने में बैंकों की क्षमता का आकलन करना सम्मिलित है। अंतरराष्ट्रीय रूप से दबाव परीक्षण बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणाली का एक अटूट भाग बन चुका है और इसका उपयोग वित्तीय परिवर्ती में किन्हीं असंभावी परंतु सत्यभाषी घटनाओं अथवा संचलनों के प्रति संभावित असुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। बैंक में आम तौर पर दो प्रकार के दबाव परीक्षणों का उपयोग किया जाता है अर्थात संवेदनशीलता परीक्षण और परिदृश्य परीक्षण। ये परीक्षण अलग-अलग अथवा एक दूसरे से जोड़कर किए जा सकते हैं।

2.78 सामान्यतया संवेदशीलता परीक्षण का उपयोग बैंक की वित्तीय स्थिति पर एक परिवर्ती में बदलाव के प्रभाव (उदाहरणार्थ प्रतिलाभ वक्र (यील्ड कर्व) में उच्चा मैग्नीट्यूड पैरालेल परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों में महत्वपूर्ण संचलन; ईक्विटी सूचकांक में अत्यधिक संचलन) का आकलन करने के लिए किया जाता है। परिदृश्य परीक्षणों में भूतकाल में घटित किसी एक घटना (अर्थात: ऐतिहासिक परिदृश्य-जैसे प्राकृतिक आपदा, स्टॉक बाजार का धराशायी होना, किसी देश के विदेशी मुद्रा रिज़र्व का लुप्त होना) अथवा सत्याभासी बाजार की घटना जो अभी तक घटित नहीं हुई (अर्थात आनुमानिक परिदृश्य उदाहरणार्थ संपूर्ण क्षेत्र/देश में दूरसंचार प्रणाली का ढह जाना, तीव्र आर्थिक गिरावट का अचानक या अधिक समय तक होना) पर आधारित कई परिवर्तियों (उदाहरणार्थ ईक्विटी कीमत, तेल की कीमत, विदेशी मुद्रा दरें, ब्याज दरें, चलनिधि इत्यादि) में एक साथ हुए संचलन, और बैंकों की वित्तीय स्थिति पर उनके प्रभाव का आकलन सम्मिलित हैं।

2.79 आस्ति पोर्टफोलिओ जिसमें विभिन्न परिदृश्य आते हैं, पर भी दबाव परीक्षण किए जाते हैं। विभिन्न परिदृश्यों में आर्थिक अवनति, औद्योगिक अवनति, बाजार जोखिम घटनाएं और चलनिधि परिस्थितियों में अचानक मोड़ का आना सम्मिलित है। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों और आस्ति के उच्च जोखिम श्रेणी के प्रति एक्सपोजर को आस्ति मूल्य संचलन के लिए वास्तविक धारणा पर आधारित दबाव परीक्षणों से बार-बार होकर गुजरना होगा। दबाव परीक्षण बैंकों का जोखिम आकलन अधिक शुद्धता से करने में सक्षम बनाते हैं और इस प्रकार यथोचित पूंजी आवश्यकता के लिए योजना बनाने में सुविधा मिलती है।

2.80 भारत में बैंकों ने अब जोखिमों का मापन और प्रबंधन करने के लिए सांख्यिकीय मॉडल को उपयोग में लाना प्रारंभ किया है। अत: इनके लिए दबाव परीक्षण उपयोगी हैं। पुनश्च, बासेल-II फ्रेमवर्क के स्तंभ-2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया न केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों के पास अपने कारोबार से जुड़े सभी जोखिमों के समर्थन में पर्याप्त पूंजी है अपितु बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी है कि वे अपने जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बेहतर जोखिम प्रबंध तकनीक विकसित करें और उन्हें उपयोग में लाएं। भारत में जोखिम प्रबंधन साधन के रूप में बैंकों द्वारा 'दबाव परीक्षण' अपनाये जाने की जरूरत के लिए वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में जोर दिया गया। तदनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा 26 जून 2007 को दबाव परीक्षण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। दिशा निदेशों के प्रावधानों के अनुसरण में बैंकों से अपेक्षित है कि वे 30 सितंबर 2007 तक विभिन्न जोखिम कारकों के लिए उपयुक्त दबाव परीक्षण नीतियाँ और संबंधित दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क लागू करें।

2.81 बैंकों से कहा गया है कि वे प्रयोग के आधार पर दबाव परीक्षण आरंभ करें और इन प्रायोगिक परीक्षणों के परिणामों का उपयोग फ्रेमवर्क को और भी कारगर बनाने के लिए प्रतिपुष्टि के तौर पर करें। यह भी निर्णय किया गया कि बैंकों को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वे दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क को कारगर कर सकें। बैंकों से अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके औपचारिक दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क, जो दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं, 31 मार्च 2008 से परिचालन में आ जाएं। दबाव परीक्षण से संबंधित दिशानिर्देश, जो बासेल II फ्रेमवर्क के संदर्भ में आवश्यक हैं, अलग से जारी किए जाएंगे।

बैंक के प्रकटीकरण में विस्तार

2.82 बाजार अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्रकटन अपेक्षाओं का एक सेट विनिर्दिष्ट किया है। बीसीबीएस के स्तंभ 3 प्रकटन फ्रेमवर्क के मद्देनजर भारतीय बैंकों के लिए अभिकल्पित प्रकटन अपेक्षाओं को औद्योगिक विकास और इस क्षेत्र में सतत निगरानी से प्राप्त अनुभवों के के आलोक में कारगर बनाया जा रहा है।

2.83 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों के द्वारा उनके अपने सांविधिक रिज़र्व से किया गया आहरण विवेकपूर्ण है और विनियामक मानदंडों में से किसी का भी उल्लंघन इससे नहीं होता है, बैंकों को सितंबर 2006 में सूचित किया गया था कि वे (i) किसी सांविधिक रिज़र्व अथवा किसी अन्य रिज़र्व से विनियोजन किए जाने से पूर्व रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करें; (ii) सभी प्रकार के व्ययों, जिसमें किसी अवधि के दौरान प्रावधान और बट्टे खाते भी सम्मिलित हैं चाहे वे अधिदेशी हों अथवा विवेकपूर्ण, को उस अवधि के लिए लाभ-हानि लेखे में 'शुद्ध लाभ की गणना से पहले' मद के रूप में दर्ज किया जाए; (iii) रिज़र्व में से जब कोई आहरण रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेकर किया जाता है, तब उसे वर्ष के लिए लाभ/हानि की गणना करने के पश्चात प्रभावी

करें; और (iv) यह सुनिश्चित करें कि रिज़र्व में से किए गए इस प्रकार के आहरणों के लिए तुलनपत्र में 'लेखों के संबंध में नोट' में उचित प्रकटन किया जाता है।

2.84 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे 29 मार्च 2003 के परिपत्र के अनुसार ए एस - 17 के अंतर्गत खण्ड रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ तीन कारोबारी खण्ड अर्थात एक समान कारोबारी खण्ड के रूप में 'राजकोष', 'अन्य बैंकिंग कारोबार' और 'अवशिष्ट' तथा एक समान भौगोलिक खण्ड के रूप में 'देशी' और 'अंतरराष्ट्रीय' को अपनाएं। 'अन्य बैंकिंग कारोबार' खण्ड के बृहद होने के कारण तुलनपत्र में पर्याप्त पारदर्शिता लाने के लिए इस खण्ड को निम्नांकित तीन श्रेणियों में बांटे जाने का निर्णय किया गया है, अर्थात कारपोरेट/थोक बैंकिंग, फुटकर बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालन। सभी पणधारियों से प्रतिपुष्टि लेने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का मसौदा 19 दिसंबर 2006 को रिज़र्व बैंक के वेबसाइट में डाला गया। प्रतिपुष्टि के आधार पर 18 अप्रैल 2007 को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए। तदनुसार 31 मार्च 2008 से बैंकों के द्वारा पब्लिक रिपोर्टिंग के लिए निम्नांकित कारोबार खण्ड अपनाए जाएंगे (क) राजकोष (ख) कारपोरेट/थोक बैंकिंग (ग) फुटकर बैंकिंग (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन। 'फुटकर बैंकिंग' खण्ड में ऐसे एक्सपोजर सम्मिलित हैं जो फुटकर एक्सपोजरों के लिए पूंजी माप और पूंजी मानकों की अंतरराष्ट्रीय समभिरूपताटः संशोधित फ्रेमवर्कट नामक बी सी बी एस दस्तावेज, में यथावर्णित अभिमुखीकरण, उत्पाद, कणीयता और व्यक्तिगत एक्सपोजरों के निम्न मूल्य मानदंडों को पूरा करते हैं। एएस 17 के तहत रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण भी खुदरा बैंकिंग खण्ड का हिस्सा होंगे। थोक बैंकिंग खण्ड में न्यासों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों (जो फुटकर बैंकिंग में सम्मिलित नहीं हैं) को दिए गए सभी अग्रिमों को सम्मिलित किया जाएगा। 'अन्य बैंकिंग कारोबार' में अन्य सभी बैंकिंग परिचालन सम्मिलित किए जाएंगे जिन्हें 'राजकोष', 'थोक बैंकिंग' और 'फुटकर बैंकिंग' खण्डों में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत अन्य सभी अवशिष्ट परिचालन यथा परा बैंकिंग लेनदेन/गतिविधियाँ भी सम्मिलित की जाएंगी। बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे किन्हीं अतिरिक्त खण्डों, जो ए एस-17 में वर्णित मानदंड को पूरा करते हों, की रिपोर्टिंग करें। प्रकटन अपेक्षाएं 31 मार्च 2008 को समाप्त रिपोर्टिंग अवधि से लागू हो जाएंगी।

जोखिम मानदंड और जोखिम भार

2.85 रिज़र्व बैंक ने ऋण संकेद्रण से बचने के लिए व्यष्टि और समूह उधारकर्ताओं के प्रति बैंकों के एक्सपोजर पर विनियामक सीमा निर्धारित की है और बैंकों को सूचित किया कि वे बेहतर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उद्योगों या क्षेत्रों (स्थावर संपदा) के प्रति अपने एक्सपोजर की सीमा निर्धारित करें। इसके अलावा, बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे पूंजी बाजार के प्रति अपने एक्सपोजर के बारे में भी कुछ सांविधिक और विनियामक सीमाओं का पालन करें। 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसरण में बैंकों के लिए निर्धारित विवेक सम्मत पूंजी बाजार एक्सपोजर मानदंड आधार और व्याप्ति के संबंध में युक्तियुक्त किए गए।

2.86 पूंजी बाजार के प्रति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक्सपोजर के अंतर्गत बैंकों का सभी प्रकार का कुल एक्सपोजर (निधि तथा गैर निधि आधारित दोनों) 15 दिसंबर 2006 को जारी और 1 अप्रैल 2007 से लागू दिशानिर्देशों के संदर्भ में संशोधित किया गया। पूंजी बाजार के प्रति किसी बैंक/समेकित बैंक का सभी प्रकार का कुल एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर निधि आधारित दोनों) पिछले वर्ष के 31 मार्च की उनकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार, निवल मालियत में निम्न मदें शामिल हैं : (i) प्रदत्त पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि जिसमें शेयर प्रीमियम शामिल है किंतु पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि शामिल नहीं है; (ii) निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि और (iii) लाभ और हानि खाते में जमा शेष घटाएं नामे शेष, संचित हानि और अमूर्त आस्तियां। सामान्य या विशिष्ट प्रावधान निवल मालियत की गणना में शामिल किए जाते हैं। दिशानिर्देशों में निम्न के लिए भी मानदंड तय किए गए हैं : शेयरों की जमानत पर ऋण तथा अग्रिमों के लिए एक्सपोजर की गणना; संयुक्तधारकों या तीसरी पार्टी के लाभार्थियों के शेयरों की जमानत पर व्यष्टियों का बैंक वित्तपोषण; शेयरों / गारंटी निर्गम की जमानत पर अग्रिमों पर मार्जिन; उद्यम पूंजी निधि में निवेश; आंतर-दिवसीय एक्सपोजर; सीमा वृद्धि और संक्रमणीय प्रावधान।

2.87 उद्यम पूंजी निधि के प्रति बैंकों के जोखिम में निहित उच्चतम जोखिम को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 23 अगस्त 2006 को उद्यम पूंजी निधि के प्रति बैंकों के एक्सपोजर संबंधी विवेकसम्मत ढांचे को संशोधित किया। संशोधित ढांचे के अंतर्गत उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के अंतर्गत के सभी एक्सपोजर 'ईक्विटी' के बराबर माने जाते हैं जिससे उनकी गणना पूंजी बाजार एक्सपोजर की उच्चतम सीमा (ईक्विटी और ईक्विटी संबद्ध लिखत में प्रत्यक्ष निवेश के साथ ही समग्र पूंजी बाजार एक्सपोजर की उच्चतम सीमा) के अनुपालन के लिए की जाती है और ऐसे एक्सपोजर के लिए निर्धारित सीमाएं उद्यम पूंजी निधि में निवेश पर भी लागू होती हैं। बैंक के संविभाग में उद्धृत उद्यम पूंजी निधि के यूनिट / बांड / उद्धृत ईक्विटी शेयर 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखने होते हैं और 'बिक्री के लिए

उपलब्ध' संविभाग पर लागू मूल्यन मानदंडों के अनुसार उनका मूल्यन किया जाता है।

2.88 इन दिशानिर्देशों के निर्गम के बाद उद्यम पूंजी निधि के अनुद्भूत यूनिटों / बांडों / शेयरों में किए गए निवेश को 'अवधिपूर्णता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत तीन वर्षीय प्रारंभिक अवधि के लिए रखना होगा और इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यबद्ध करना होगा। तीन वर्षों के बाद अनुद्भूत यूनिट / शेयर / बांड 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किये जाते हैं।

2.89 उद्यम पूंजी कार्यों के महत्व तथा उद्यम पूंजी निधि के वित्तपोषण में बैंकों की सहभागिता की आवश्यकता भलीभांति जान ली गई है, वहीं ऐसे एक्सपोजर में निहित तुलनात्मक रूप से अधिक जोखिम पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। अतः, उद्यम पूंजी निधि के प्रति एक्सपोजर का जोखिम भार बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया था। 'बिक्री के लिए उपलब्ध' संविभाग में धारित निवेशों के मामले में विशिष्ट जोखिम प्रभार बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत कर दिया गया है)।

2.90 संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एक्सपोजर रखनेवाले चयनित बैंकों के संबंध में पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) कराने पर यह प्रकट हुआ कि मुख्यतः व्यक्तिगत आवास ऋणों (बॉक्स II.8) के कारण सभी बैंकों में भू-संपदा एक्सपोजर में वृद्धि हुई। भू-संपदा क्षेत्र में अपने एक्सपोजर के कारण जोखिम का सामना कर रहे बैंकों की पहचान करने पर भू-संपदा एक्सपोजर पर प्रावधानीकरण अपेक्षाओं और जोखिम भारों को और कड़ा किया गया। जुलाई 2005 में रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक भू-संपदा में एक्सपोजर पर जोखिम भार 100 से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया। इस संवेदनशील क्षेत्र को ऋण में जारी तीव्र विस्तार को देखते हुए अप्रैल 2006 में जोखिम भार में और वृद्धि करते हुए इसे 150 प्रतिशत किया गया।

बॉक्स II.8 : पर्यवेक्षी समीक्षा प्रकिया

वर्ष 2005-06 की वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में कहा गया था कि कुछ क्षेत्रों यथा; भू संपदा, उच्चतर लीवरेज वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, उद्यम पूँजी निधियों और पूँजी बाजारों में अधिक एक्सपोजर रखनेवाले चयनित बैंकों में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) शुरू की जाएगी ताकि प्रभावी जोखिम ह्रास और सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण को लागू किया जा सके। पहले दौर में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण अलग-अलग बैंकों की निगरानी के लिए एक संरचना विकसित की गई।

दूसरे दौर की पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया को संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषतः चयनित बैंकों के भू-संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर का विश्लेषण करने के लिए निर्देशित किया गया। दस बैंकों को उनकी निवल मालियत के 200 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक क्रमशः भू-संपदा और पूँजी बाजार में एक्सपोजर के आधार पर दोषियों के रूप में पहचान की गई। पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के दूसरे दौर को दो चरणों में संचालित किया गया। चरण 1 के अंतर्गत, संशोधित परिभाषा के अनुसार, भू-संपदा क्षेत्र सहित संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर पर विस्तृत सूचना बैंकों से उनके वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद प्राप्त की गई। पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का दूसरा चरण पहचान किए गए अलग-अलग दोषी बैंकों के उनके वास्तविक नियंत्रण वातावरण, प्रक्रियाओं, और आंतरिक तथा विनियामक मानदण्डों के अनुपालन के संदर्भ में; जोखिम एक्सपोजर का आकलन करने के लिए कार्यस्थल पर जाँच पर ध्यान केंद्रित करने पर आधारित था। कार्य-स्थल पर समीक्षा में भू-संपदा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति भारी कर्ज, शामिल कंपनियों, शाखा-वार भारी अलग-अलग एक्सपोजर और अन्य संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रारंभिक विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि सभी बैंकों में भू-संपदा निवेशों में बढ़ोत्तरी हुई। सभी बैंकों के भू-संपदा ऋण संविभाग का बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत आवास ऋणों के कारण सृजित हुआ। इन बैंकों में भू-संपदा निवेश उनकी निवल मालियत के 200 प्रतिशत से भी अधिक था। व्यक्तिगत आवास ऋणों में वृद्धि ने व्यापक रूप में भू-संपदा एक्सपोजर में उछाल भरा। वाणिज्यिक भू-संपदा निवेश भी सभी बैंकों में भिन्न-भिन्न मात्राओं में बढ़ा है। यद्यपि, पूँजी बाजार में एक्सपोजर में बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई तथापि, किसी भी बैंक ने विनियामक सीमाओं को नहीं तोड़ा। उच्चतर लीवरेज वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में एक्सपोजर पहचान किए गए अधिकांश बैंकों में न्यूनतम था तथा जहाँ कहीं बैंकों का एक्सपोजर था उनमें अधिकांश बैंकों का निवेश सार्वजनिक क्षेत्र में था। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला कि प्रथम दृष्ट्या समीक्षाधीन सभी बैंकों के पास संवदेनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर से उत्पन्न जोखिमों के समाधान के लिए कुछ जोखिम प्रबंध नीतियाँ, प्रणालियाँ और नियंत्रण थे । तथापि, भू-संपदा एक्सपोजर के मामले में बैंकों की अपनी अनुमोदित नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में कतिपय कमियाँ पाई गई। अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 जुलाई 2007 को परिचालन स्तरों पर बैंकों द्वारा बेहतर जोखिम प्रबंध करने का उल्लेख करते हुए आवश्यक अनुदेश जारी किया। अध्ययन से प्राप्त कमियों और अनियमितताओं की एक निर्दिष्ट सूची बैंकों को उपलब्ध कराए जाने के अलावा यह निर्धारित किया गया कि बैंकों की ऋण नीति में स्पष्टतया निम्नलिखित मानदण्ड रहने चाहिए :

- भू-संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर के लिए आंतरिक उच्चतम सीमा और उप-उच्चतम सीमा।
- भवन निर्माताओं और भू-संपदा विकासकर्ताओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम आंतरिक दर-निर्धारण।
- बैंक द्वारा किसी परियोजना को दी जानेवाली वित्तीय सहायता में प्रवर्तकों का न्यूनतम अंशदान ।
- इस प्रकार के एक्सपोजर के लिए बैंकों को अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए।
- प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की सूची की तैयारी।
- दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया तथा बैंक द्वारा सत्यापन के लिए भी ऐसी प्रक्रिया कि उपयुक्त प्राधिकारी के पास पंजीकरण कराया गया है।

2.91 आवासीय संपत्तियों को बंधक रखकर बैंकों द्वारा व्यक्तियों को दिए गए ऋण और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा मान्यताप्राप्त और पर्यवेक्षित आवास वित्तीय कंपनियों (एचएफसी) की बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश पर जोखिम भार को पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों (बॉक्स II.9) के लिए बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया गया। वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंकों को 3 मई 2007 को सूचित किया गया कि वे आवास ऋण के क्षेत्र में अपना ऋण प्रबंधन कड़ा करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे रिहाइशी आवास संपत्तियों के बंधक रखे जाने के बदले व्यक्तियों को 20 लाख रुपए तक के आवास ऋणों के संबंध में जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करें। उसी प्रकार, बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश, जिन्हें आवास ऋणों का समर्थन है के लिए जोखिम भार की अर्हता अब 50 प्रतिशत जोखिम भार के लिए है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी की गई बंधक समर्थित प्रतिभूतियों पर जोखिम भार भी 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया गया।

2.92 बाजार स्थितियों की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2006 को निर्णय लिया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना करने अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों का अधिग्रहण करने जिसमें भू-संपदा भी शामिल है के लिए संस्थाओं में बैंकों के एक्सपोजर को वाणिज्यिक भू-संपदा में एक्सपोजर माना जाएगा और बैंकों को प्रावधान करने के साथ वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एक्सपोजर के लिए उपयुक्त जोखिम भार भी समनुदेशित करना होगा।

बॉक्स II.9: प्रतिगामी बंधक - भारत में हाल की गतिविधियाँ

वर्ष 2007-08 के केंद्रिय बजट में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया उत्पाद - 'प्रतिगामी बंधकट शुरू करने की घोषणा की थी। यह उत्पाद किसी वरिष्ठ नागरिक, जो किसी मकान का स्वामी है, को अपने मकान के बंधक के बदले ऋण की चुकौती अथवा सेवा शुल्क अदा किए बिना अपने जीवन काल तक मकान का स्वामी और अधिभोक्ता रहते हुए निरंतर मासिक आय प्राप्त करने में सहायता करता है। सिद्धांततः, प्रतिगामी बंधक किसी मकान को एक परिसंपत्ति और विशिष्ट रूप से मकान में उसके स्वामी की ईक्विटी के रूप में मुद्रीकृत करता है। प्रतिगामी बंधक वायदा बंधक के ठीक उल्टा है जिसमें मासिक आधार पर ब्याज के साथ ऋण राशि के मूलधन का भुगतान करना अपेक्षित है। इससे उधारकर्ता को अपने मकान की ईक्विटी बनाए रखने में सहायता मिलती है और मकान की कीमत बढ़ती रहती है। लेकिन प्रतिगामी बंधक में ऐसी कोई मासिक चुकौती नहीं करनी पड़ती है और इस प्रकार कर्ज बढ़ता जाता है। अतः मकान की ईक्विटी एक अत्यंत न्यून कीमत तक घट जाती है जब तक कि संपत्ति का मूल्य बढ़ना जारी नहीं रहे। अतः प्रतिगामी बंधक को अक्सर 'बढ़ता हुआ कर्ज और घटती हुई ईक्विटीट कहा जाता है।

प्रतिगामी बंधक रखे जाने की उत्पत्ति को विकसित देशों में देखा जा सकता है जहाँ जीवन के उच्चतर स्तर, स्वास्थ्य संरक्षण तक बेहतर पहुँच और उच्चतर आयु के कारण 65 वर्ष से अधिक आयुवाले लोग जनसंख्या के बड़े भाग हैं। पेंशन की लगातार बढ़ती हुई लागत बूढ़े लोगों के स्वास्थ्य की देख-भाल ने अमरीका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में बीमा कंपनियों को प्रतिगामी बंधक शुरू करने की ओर प्रेरित किया। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाल ही में प्रतिगामी बंधक ऋणों (आरएमएल) पर दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। प्रतिगामी बंधक ऋण, प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाओं यथा, अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा दिया जाना है। प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को उधारकर्ता के बारे में उनकी व्यक्तिगत अवधारणा और वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार इस मामले में स्वतंत्रता होगी।

प्रतिगामी बंधक योजना की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। उधारदाता, उधारकर्ता को आवधिक भुगतान (एकमुश्त भुगतान सहित) करता है, उदाहरणार्थ : किसी पारंपरिक बंधक की तुलना में भुगतान प्रक्रिया ञविपरीतट हो जाती है। ऐसी योजना में भुगतान का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है : या तो आवधिक भुगतान (मासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक) जिसका निर्णय प्राथमिक ऋणदात्री संस्था और उधारकर्ता के बीच प्रत्यक्षतः पारस्परिक आधार पर किया जाता है अथवा एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में एकमुश्त भुगतान या पारस्परिक सहमति के आधार पर उपलब्धता अवधि के साथ ऋण व्यवस्था जिसमें उधारकर्ता द्वारा आहरण किया जाए। ऋण की अदायगी की अपेक्षा नहीं है अर्थात संपत्ति को अधिकार में रखते हुए जब तक उधारकर्ता जीवित रहता है उसे किसी किस्त या ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता है। ऋण की चुकौती उधारकर्ता और पति/पत्नी (एक सह-दायित्व धारक) की मृत्यु के उपरांत की जाएगी अथवा स्थायी रूप से जाने पर संपत्ति की बिक्री के माध्यम से की जाएगी। ऋण की मूल राशि और संचित ब्याज का समायोजन किए जाने के बाद अतिरिक्त राशि मृतक की संपदा में शामिल की जाएगी। यह ऋण अधिकतम 15 वर्षों की अवधि का होगा और बिना किसी पूर्व भुगतान प्रभार के किसी भी समय संचित ब्याज के साथ इसका पूर्वभुगतान किया जा सकेगा। उधारकर्ता(ओं) को दिये जानेवाले प्रतिगामी बंधक ऋण पर प्रभारित की जानेवाली ब्याज दर (आवधिक विराम सहित) जोखिम अवधारणा, ऋण मूल्य नीति और उधारकर्ता के परिप्रेक्ष्य में विशिष्टता के आधार पर प्राथमिक ऋणदात्री संस्था द्वारा सामान्य तरीके से निर्धारित की जाएगी। निर्धारित और अस्थिर ब्याज दरें उधारकर्ता के समक्ष प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा एक पारदर्शी तरीके से शर्तों के प्रकटन के अधीन प्रस्तुत की जाएँ।

इस योजना के मुख्य लाभ ये हैं कि वरिष्ठ/ज्येष्ठ नागरिक जिनके पास अपना मकान है लेकिन अप्रत्याशित एकमुश्त व्यय जैसे कि मकान का नवोन्मेषीकरण/ मरम्मत, अस्पताल का व्यय आदि को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं है, को उसे पूरा करने में सहायता मिलती है। उधारकर्ता की मृत्यु के बाद भी पति अथवा पत्नी उस मकान में रह सकते हैं। यदि पति या पत्नी सह-उधारकर्ता हैं, तो उन्हें लगातार भुगतान (ऋण की संस्वीकृति से 15 वर्षों तक) प्राप्त होता रहेगा। प्रतिगामी बंधक से प्राप्त भुगतान 'ऋण' माना जाएगा, कर की दृष्टि से 'आयट नहीं। अपना मकान रखनेवाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए एक आंशिक प्रतिस्थापन है और यह विशेषतः उन लोगों के लिए लाभदायक होगी जिनके पास सहायता के लिए कोई परिवार नहीं है या परिवार सहायता करने की इच्छा नहीं रखता है। तथापि, इस योजना में आवधिक आधार पर बंधक रखी गई संपत्ति का पुनर्मूल्य शामिल है जो उधारदाता द्वारा संपत्ति के स्थान और इसकी भौतिक स्थिति के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। अतः ऐसी योजना की सफलता उधारदाता द्वारा संपत्ति के एक समुचित मूल्य/मूल्य-निर्धारण पर आधारित होगी।

अंतर-बैंक देयताओं के प्रति एक्सपोजर

2.93 बैंकों के देयता पक्ष में संकेंद्रण का विस्तार कम करने के लिए 6 मार्च 2007 को निम्नलिखित उपाय किये गये : (क) बैंक की अंतर-बैंक देयताएं पिछले वर्ष मार्च के अंत में उसकी निवल मालियत के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि अलग-अलग बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उनकी अंतर-बैंक देयता के लिए न्यूनतर सीमा, अपने व्यवसाय माडल को देखते हुए, निर्धारित कर सकते हैं; (ख) जिन बैंकों का सीआरएआर पिछले वर्ष के 31 मार्च को 9 प्रतिशत के न्यूनतम सीआरएआर से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक अर्थात् 11.25 प्रतिशत हो उन्हें अंतर बैंक देयता के लिए अपनी निवल मालियत के 300 प्रतिशत तक की उच्चतर सीमा रखने की अनुमति है; (ग) उक्त निर्धारित सीमा में सिर्फ भारत के भीतर की निधि आधारित अंतर-बैंक देयता (भारत में कार्यरत बैंकों को विदेशी मुद्रा में अंतर-बैंक देयताओं सहित) शामिल होगी, तथा भारत के बाहर भी अंतर-बैंक सीमा शामिल नहीं होगी; (घ) उक्त सीमाओं में सीबीएलओ के तहत संपार्श्विकीकृत उधार तथा नाबार्ड, सिडबी आदि से पुनर्वित्त शामिल नहीं होंगे; (ङ) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मांग मुद्रा उधार पर वर्तमान सीमा उक्त सीमा के भीतर एक उप-सीमा के रूप में कार्य करेगा; (च) थोक जमा के अधिक संकेंद्रण वाले बैंकों को ऐसी जमाराशियों से संबद्ध संभाव्य जोखिम की जानकारी होनी चाहिए और वे ऐसी जमाराशियों पर अत्यधिक निर्भरता से होनेवाली चलनिधि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त नीति बना सकते हैं।

जोखिम प्रबंध

2.94 उभरते हुए आर्थिक परिदृश्य में बैंकों के लिए जोखिम प्रबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंकों के लिए यह अत्यधिक आवश्यकता है कि वे जोखिम आधारित प्रथाओं का कार्यान्वयन करें। जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण की बैंकों को बढ़ती हुई जरूरत की दृष्टि से आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) दिशानिर्देशों सहित रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर उपयुक्त जोखिम प्रबंध दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देशों बैंकों के लिए एक समेकित जोखिम प्रबंध प्रणाली की स्थापना के लिए एक न्यूनतम मानदंड के रूप में कार्य करते हैं। तथापि, बैंक अपने परिचालनों के स्वरूप और आकार तथा जोखिम अवधारणाओं के अनुरूप स्वयं की प्रणाली विकसित कर सकते हैं और वर्तमान कमियों एवं अपेक्षित उन्नयन को शामिल करते हुए एक उचित प्रणाली लागू कर सकते हैं। अन्य बातों के साथ ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंध पर विस्तृत दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी किए गए हैं। बैंकों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है। जोखिम प्रबंध तकनीक के संबंध में बैंक (i) व्यापक ऋण-दर निर्धारण प्रणाली तैयार करने; (ii) छमाही आधार पर ऋण जोखिम आकलन शुरू करने; (iii) जोखिम दर निर्धारण के आधार पर ऋणों का मूल्य-निर्धारण करने और (iv) मूल्य निर्धारण के जोखिम समायोजित पूँजी प्रतिलाभ (आरएआरओसी) संरचना अंगीकार करने के विभिन्न चरणों पर होते हैं। कुछ बैंक विशिष्ट जोखिम श्रेणियों में कुल एक्सपोजर पर मात्रात्मक सीमा निर्धारित करते हैं और विभिन्न उद्योगों में उधारकर्ताओं के दर-निर्धारण-वार वितरण का विश्लेषण करते हैं।

आउटसोर्सिंग

2.95 अंतरराष्ट्रीय प्रवृतियों के साथ चलते हुए भारत में स्थित बैंक भी विभिन्न गतिविधियों की व्यापक आउटसोर्सिंग कर रहे हैं जो उन्हें विभिन्न जोखिमों का सामना कराती है। तथापि, आउटसोर्सिंग गतिविधियों को विनियामक समीक्षा के भीतर लाने तथा बैंकों के ग्राहकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस पृष्ठिभूमि में रिज़र्व बैंक ने आउटसोर्सिंग में व्याप्त जोखिमों का प्रबंध करने हेतु एक ढाँचे का निर्धारिण करते हुए 6 दिसंबर 2005 को दिशानिर्देश का प्रारूप जारी किया। सभी संबद्ध व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर दिशानिर्देश के प्रारूप को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को 3 नवंबर 2006 को निम्नलिखित दिशानिर्देश सूचित किए गए। पहला, समस्त रूप में बैंकों को तय करना है कि वे जारी की गई ऐसी आउटसोर्सिंग में निहित जोखिमों के समाधान हेतु आवश्यक अभिरक्षा के अधीन निर्णय के वाणिज्यिक पहलुओं सहित सभी संगत कारकों के संबंध में वित्तीय सेवाओं से संबंधित एक अनुमत कार्य के रूप में आउटसोर्सिंग की वांछनीयता पर विचार करें। दूसरे, ये दिशानिर्देश वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के नियंत्रण से संबंधित हैं और प्रौद्योगिकी संबंधित मामलों और बैंकिंग सेवाओं से असंबद्ध यथा गतिविधियों कुरियर का उपयोग, स्टाफ के लिए खान-पान, आंतरिक रख-रखाव और आदेशपाल (जेनिटोरियल) सेवाओं, परिसर की सुरक्षा, अभिलेखों की आवाजाही और उनके संरक्षण से संबंधित नहीं हैं। तीसरे, सनदी लेखाकार फर्मों को सौंपे गए लेखा-परीक्षा संबंधी कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अनुदेशों/नीति द्वारा नियंत्रित किए जाते रहेंगे। चौथे, आउटसोर्सिंग करार में रिज़र्व बैंक अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को आउटसोर्स की गई गतिविधि से संबंधित सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध संगत सूचना/अभिलेखों तक एक उचित समय के भीतर पहुँच के लिए सुविधाजनक शर्तें शामिल होंगी।

वित्तीय व्युत्पन्नी

2.96 वित्तीय व्युत्पन्नियों के उपयोग ने जोखिम प्रबंध मामले को सामने लाया है। यद्यपि भारत में विदेशी मुद्रा वायदा संविदा कई दशकों तक व्याप्त रही है, ऋण व्युत्पन्नी हाल की देन है (बॉक्स II.10)। ब्याज दर फ्यूचर्स तथा विदेशी मुद्रा फ्यूचर्स के एक समुचित स्वरूप के लिए प्रयास जारी हैं। वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में यथाउल्लिखित एक आंतरिक कार्यदल का गठन रिज़र्व बैंक द्वारा व्युत्पन्नी पर वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा और

बॉक्स II.10: ऋण व्युत्पन्नी

ऋण व्युत्पन्नी ऋण जोखिम अंतरण लिखतों के एक वर्ग से संबंधित है जो एक पक्ष से दूसरे में ऋण जोखिम के अंतरण में मदद करता है। ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) ऋण व्युत्पन्नी बाजार की आधारशिला है। ऋण व्युत्पन्नी की व्यापक संख्या ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की है जो एक अथवा एक से अधिक संदर्भित संस्थाओं की चूक जोखिम को एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अंतरित करने का संविदात्मक करार है। एक पक्ष जो अभिरक्षक क्रेता है दूसरे पक्ष जो अभिरक्षक विक्रेता है को ऋण चूक स्वैप की अवधि में एक आवधिक शुल्क का भुगतान करता है। यदि संदर्भित संस्था कोई चूक करती है, स्वयं को दिवालिया घोषित करती है अथवा कोई दूसरी विशिष्ट ऋण घटना होती है तो अभिरक्षक विक्रेता एक विशिष्ट निपटान प्रक्रिया के माध्यम से उस क्षति के लिए अभिरक्षक क्रेता की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी है। संदर्भित संस्था उस संविदा का कोई पक्षकार नहीं है और क्रेता अथवा विक्रेता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ऋण चूक स्वैप में शामिल होने के लिए संदर्भित संस्था की सहमति प्राप्त करे।

ऋण व्युत्पन्नी बाजार

वैश्विक ओटीसी बाजार में ऋण चूक स्वैप के बदले बकाया सांकेतिक राशि दिसंबर 2005 के 13,908 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर दिसंबर 2006 में 28,828 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई (बीआइएस, मई 2007)।

ऋण चूक स्वैप यह विनिर्दिष्ट करता है कि ऋण की घटना होने पर अभिरक्षक क्रेता संदर्भ दायित्व अभिरक्षक विक्रेता को सुपुर्द करेगा, जिसके बदले अभिरक्षक विक्रेता सुपुर्द की गयी आस्ति का अंकित मूल्य अभिरक्षक क्रेता को अदा करेगा। इस प्रकार के निपटान को भौतिक निपटान कहा जाता है। यह निपटान ऐसे ऋण चूक स्वैप में स्थान लेता है जिसमें अभिरक्षण की खरीद विशिष्ट संदर्भ दायित्व पर भी जाती है। यह भी संभव है कि सीडीएस संविदा में संदर्भ संस्था के, कई वैकल्पिक दायित्व दिये गये हों जिसे अभिरक्षण क्रेता अभिरक्षक विक्रेता को सुपुर्द कर सके। उन्हें सुपुर्दगी योग्य दायित्व के रूप में जाना जाता है तथा यह ऐसी सीडीएस संविदा में होता है जहाँ अभिरक्षण की खरीद संदर्भ संस्था के विशिष्ट दायित्व के बजाय संदर्भ संस्था पर की जाती है। जहाँ एकाधिक सुपुर्दगी योग्य दायित्व विनिर्दिष्ट किये जाते हैं; अभिरक्षक क्रेता सुपुर्दगी योग्य दायित्वों की सूची में से सबसे सस्ते की सुपुर्दगी करेगा। इसे सबसे सस्ती सुपुर्दगी संविदा कहते हैं। इस प्रकार के निपटान को सममूल्य भुगतान कहा जाता है।

ऋण चूक स्वैप यह विनिर्दिष्ट करेगा कि एक ऋण घटना होने पर अभिरक्षक विक्रेता संदर्भ दायित्व के सांकेतिक मूल्य तथा ऋण घटना के समय इसके बाजार मूल्य के बीच के अंतर की अदायगी करेगा। इस प्रकार के निपटान को नकद निपटान या सममूल्य से वसूली को कम करके की गयी अदायगी माना जाता है।

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) व्यवस्था

ऋण चूक स्वैप में उत्पाद उतार-चढ़ाव

- ऋण चूक स्वैप के सबसे सरल स्वरूप, एक नाम के सीडीएस, के लिए संदर्भित संस्था कोई व्यक्ति, निगम अथवा सरकार है।
- एक से अधिक संदर्भ संस्था वाला ऋण चूक स्वैप (सामान्यतः तीन और दस के बीच) को बास्केट ऋण चूक स्वैप कहा जाता है। बास्केट ऋण चूक स्वैप के अधिकांश सामान्य स्वरूप पहली चूक करने वाले ऋण चूक स्वैप में अभिरक्षक विक्रेता चूक करनेवाली बास्केट की पहली संस्था से संबद्ध हानि की क्षतिपूर्ति क्रेता को करता है जिसके बाद स्वैप समाप्त हो जाती है और आगे कोई अभिरक्षा उपलब्ध नहीं कराती है।
- दस संस्थाओं से अधिक का संदर्भ रखने वाले ऋण चूक स्वैप को संविभाग उत्पाद कहा जाता है। ऐसे उत्पाद सामान्यतः सिंथेटिक प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रयुक्त होते हैं जिनमें ऋण चूक स्वैप ऋण अथवा बाण्ड की ऋण जोखिम को नकदी प्रतिभूतिकरण की तरह आस्तियों की वास्तविक बिक्री के बदले संपाश्र्वीकृत ऋण देयता (सीडीओ) नोट धारक को अंतरित करता है।
- वर्ष 2004 से ऋण व्युत्पन्नी वृद्धि का एक प्रमुख स्रोत सूचकांक ऋण चूक स्वैप रहा है जिसमें संदर्भित संस्था लगभग 125 कंपनी संस्थाओं का एक सूचकांक है। एक सूचकांक ऋण चूक स्वैप सूची की सभी संस्थाओं की रक्षा का प्रस्ताव देता है और प्रत्येक संस्था का सांकेतिक राशि में समान हिस्सा होता है। दो मुख्य सूचक हैं, सीडीएस सूचकांक जिसमें उत्तरी अमरीका की 125 निवेश ग्रेड फर्में हैं और आइटीआरएक्सएक्स सूचकांक जिसमें मुख्यतः निवेश ग्रेडवाली यूरो-क्षेत्र आधारित 125 फर्में हैं।
- ऋण चूक स्वैप में हाल के नवोन्मेषीकरण ने संस्थाओं के बदले संदर्भित देयताओं को अभिरक्षा प्रदान की है। उदाहरण के लिए, आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) पर ऋण चूक स्वैप प्रतिभूतिकृत आस्तियो संबंधी ऋण घटनाओं, सामान्यतः प्रतिभूतिकृत होम ईक्विटी ऋण व्यवस्था के विरुद्ध अभिरक्षा उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, ऋण चूक स्वैप संपाश्र्वीकृत ऋण देयता नोट का संदर्भित देयताओं के रूप में उल्लेख करता है।

ऋण घटनाएं

ऋण घटनाओं के संबंध में ऋण चूक स्वैप लेन-देन की संपुष्टि घटनाओं के एक ऐसे मानक सेट का उल्लेख करती है जो क्रेता की क्षति की विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति करने के पूर्व अवश्य उत्पन्न होती हैं और लेन-देन के पक्षकारों को यह निर्णय करना होता है कि उन घटनाओं में से किसे शामिल किया जाए और किसे बाहर रखा जाए। पहली, सबसे सामान्य घटना स्थिति भुगतान करने की असमर्थता होती है। दूसरी, कंपनी संदर्भित संस्थाओं के लिए एक ऋण घटना दिवालियापन होती है लेकिन यह सम्प्रभुत्वसम्पन्न संस्थाओं के लिए नहीं होती। तीसरी, पुनर्विन्यास है, जो ऐसी कार्रवाइयों जैसे कि चूक के बदले कूपन में कटौती अथवा किये गये परिपक्वता विस्तार का उल्लेख करता है, जिसे सामान्यतः कंपनी संस्थाओं के लिए ऋण घटना के रूप में शामिल किया जाता है। पुनर्विन्यास का कभी-कभी ज्नरमट ऋण घटना के रूप में उल्लेख किया जाता है क्योंकि भुगतान नहीं करने अथवा दिवालियेपन के विपरीत इसमें सर्वदा यह स्पष्ट नहीं होता कि पुनर्विन्यास में क्या शामिल है जो क्षतिपूर्ति को प्रेरित करेगा। चौथी, खण्डन अथवा अधिस्थगन किसी सरकारी संदर्भित संस्था की निर्दिष्ट कार्रवाई के बाद क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराता है और सामान्यतः केवल उभरती हुई बाजार संदर्भित संस्थाओं के लिए प्रासंगिक होता है । अंत में, देयता तीव्रता और देयता चूक जो एक बाण्ड प्रसंविदा के उल्लंघन जैसी तकनीकी चूक का उल्लेख करती है उनका यदा-कदा ही उपयोग किया जाता है।

बैंकों द्वारा व्युत्पन्नी पर व्यापक दिशानिर्देशों की संरचना के लिए किया गया। इस कार्यदल की अनुशंसाओं के आधार पर व्युत्पन्नी पर व्यापक दिशानिर्देश के प्रारूप सभी संबंधितों के अभिमत के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाले गए। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर दिशानिर्देशों को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया और उन्हें 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया । ये दिशानिर्देश व्युत्पन्नी लेन-देन के लिए अर्थात विनियामक परिप्रेक्ष्य से कोई व्युत्पन्नी लेन-देन शुरू करने हेतु प्रमुख अपेक्षाएँ शुरू करने के लिए विस्तृत सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। उचित जोखिम प्रबंध संरचना तथा समुचित कंपनी अभिशासन व्यवहारों पर जोर डाला गया है। ग्राहकों को बाजार-निर्माताओं द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे व्युत्पन्नी उत्पादों की 'उपयुक्तता' और 'औचित्य' तथा 'ग्राहक औचित्य' पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इन दिशानिर्देशों में रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी से संबंधित विद्यमान अनुदेश भी शामिल हैं। यह निर्दिष्ट किया गया था कि विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी से संबंधित दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएँगे।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

2.97 वर्ष 2006-07 के दौरान प्रावधानीकरण के संबंध में विवेकशील मानदण्डों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के समरूप लाने के लिए और परिशोधित किया गया। उच्चतर ऋण वृद्धि के आलोक में तथा ऋण गुणवत्ता और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में सुधार सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रावधानीकरण मानदण्डों को युक्तियुक्त बनाया गया और अस्थिर प्रावधानों के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई।

समयोत्तर कार्यवाली परियोजनाएँ

2.98 मूलभूत सुविधा परियोजनाओं को अन्य बातों के साथ-साथ कई अंतर्निहित कारकों जैसे कि सांविधिक/विनियामक अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के कारण लम्बी कार्यकारी अवधि के साथ भारी निधि व्यय की आवश्यकता होती है। ये सभी कारक जो प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर हैं, परियोजना के कार्यान्वयन में देरी कर सकते हैं और बैंकों द्वारा पुनर्विन्यास/ पुनर्निर्धारण को शामिल कर सकते हैं। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के संबंध में परियोजना की वित्तीय लेखाबंदी के समय परियोजना की पूर्णता की तारीख का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। यदि परियोजना की पूर्णता की तारीख के बाद वाणिज्यिक उत्पादन छः महीने की अवधि के बाद की तारीख से शुरू होता है जैसाकि मूलरूप में परिकल्पित है तो इस खाते को अवमानक अस्ति माना जाए। समयात्तर कार्यवाली केवल मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों में आंशिक आशोधन करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 12 अप्रैल 2007 को बैंकों को सूचित किया गया कि आस्तियों को अवमानक तभी माना जाएगा यदि परियोजना की पूर्णता की तारीख के बाद, जैसाकि मूल रूप में परिकल्पित है, वाणिज्यिक उत्पादन एक वर्ष की अवधि के बाद (पूर्व में छह महीने के बदले) की तारीख से शुरू होता है। संशोधित अनुदेश 31 मार्च 2007 से लागू हैं।

मानक आस्ति के प्रति प्रावधान

2.99 भू-संपदा क्षेत्र, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों तथा पूँजी बाजार एक्सपोजर के योग्य ऋण और अग्रिम में जारी उच्चतर ऋण वृद्धि तथा व्यक्तिगत ऋणों, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के संबंध में उच्चतर चूक दर वर्ष के दौरान चिंता के विषय के रूप में उभरे। मई 2006 में विशिष्ट क्षेत्रों उदाहरणार्थ; व्यक्तिगत ऋण, पूँजी बाजार एक्सपोजर के योग्य ऋण और अग्रिम, 20 लाख रुपए से अधिक के रिहाइशी आवास ऋण और वाणिज्यिक भू-संपदा ऋण के संबंध में मानक अग्रिमों पर बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षाएँ 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत कर दी गईं। 31 जनवरी 2007 को बैंकों को पुनः सूचित किया गया कि वे ऋण और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों (i) व्यक्तिगत ऋण (क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों सहित); (ii) पूँजी बाजार एक्सपोजर के योग्य ऋण और अग्रिम, और (iii) भू-संपदा ऋण (रिहाइशी आवास ऋणों को छोड़कर)। इसके अलावा मानक आस्ति श्रेणी में ऋणों और अग्रिमों के संबंध में प्रावधानीकरण अपेक्षा को प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमा न लेने वाली एनबीएफसी मामले में 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया गया। अर्थव्यवस्था के उच्च उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी ऋण और अग्रिम जो मानक आस्तियाँ हैं, के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा को अपरिवर्तित रखा गया। उदाहरणार्थ : (i) कृषि और लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्रों के लिए 0.25 प्रतिशत पर प्रत्यक्ष अग्रिम; तथा (ii) अन्य सभी ऋण और अग्रिम पर 0.4 प्रतिशत । अब तक की तरह ये प्रावधान अनुमत सीमा तक पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए टियर II पूँजी में शामिल किए जाने के पात्र होंगे।

अस्थिर प्रावधानों के सृजन और उपयोगिता पर विवेकपूर्ण मानदण्ड

2.100 यह मानते हुए कि उच्चतर ऋण हानि प्रावधानीकरण बैंकों की समग्र वित्तीय सुदृढ़ता और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को उन्नत बनाता है, बैंकों से कहा गया कि वे स्वैच्छिक रूप से अस्थिर प्रावधान यथा; वे प्रावधान जो विशिष्ट अनर्जक आस्तियों के संबंध में नहीं किए गए हैं अथवा मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों हेतु विनियामक अपेक्षाओं से अधिक किए गए हैं। तथापि, कई बैंकों में देखा गया कि वे अपने

लाभों को कारगर बनाने की दृष्टि वर्तमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार किये जाने वाले प्रावधानों को समंजित करने के लिए अस्थिर प्रावधानों का उपयोग कर रहे थे, इसलिए वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई। 22 जून 2006 को अस्थिर प्रावधानों के उपायोग, सृजन, लेखांकन और प्रकटन पर संशोधित अनुदेश जारी किए गए।

2.101 बैंकों को सूचित किया गया कि अस्थिर प्रावधानों का उपयोग अनर्जक आस्तियों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान करने अथवा मानक आस्तियों के संबंध में विनियामक प्रावधान करने के लिए न किया जाए। अस्थिर प्रावधानों का उपयोग रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के साथ बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद क्षतिग्रस्त खातों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत केवल आकस्मिकता के लिए किया जाए। बैंकों के निदेशक बोर्ड उस स्तर के संबंध में अनुमोदित नीति का निर्धारण करें जिस स्तर तक अस्थिर प्रावधान सृजित किए जाएँ । कोई बैंक स्वैच्छिक रूप से उन दरों पर अग्रिमों के लिए विशिष्ट प्रावधान कर सकता है जो वर्तमान विनियमों के अंतर्गत निर्धारित दरों से उच्चतर हैं, बशर्ते ऐसी उच्चतर दरें निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हों और लगातार वर्ष-दर-वर्ष अंगीकृत की गई हों। ऐसे अतिरिक्त प्रावधानों को अस्थिर प्रावधान नहीं माना जाता है।

2.102 अस्थिर प्रावधानों को लाभ-हानि खाते में जमा के द्वारा प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। उनका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में विशिष्ट प्रावधानों के लिए किया जा सकता है जैसाकि पूर्व में संकेत किया गया है। ऐसा उपयोग नहीं किए जाने तक ये प्रावधान सकल अनर्जक आस्तियों से घटाकर निवल अनर्जक आस्तियों के प्रकटन की गणना करने के लिए किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से उन्हें कुल जोखिम भारित आस्तियों की 1.25 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर टियर II पूँजी का एक भाग माना जा सकता है।

2.103 निम्नलिखित अस्थिर प्रावधानों के संदर्भ में उपयुक्त नीतियाँ विकसित करने हेतु बोर्डों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए 13 मार्च 2007 को यह स्पष्ट किया गया कि असाधारण परिस्थितियाँ उस क्षति का उल्लेख करती हैं जो व्यापार के सामान्य क्रम में उत्पन्न नहीं होती हैं और वे अपवादात्मक तथा स्वभावतः अपुनरावर्तक हैं। ये असाधारण परिस्थितियाँ विस्तृत रूप से तीन श्रेणियों यथा; सामान्य, बाजार और ऋण श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ बैंक किसी देश में असैनिक अस्थिरता अथवा मुद्रा के पतन जैसी स्थितियों के कारण अप्रत्याक्षित रूप से हानि उठाते हैं। प्राकृतिक आपदाएँ और महामारी को भी सामान्य श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। बाजार श्रेणी में बाजार में सामान्य गिरावट जैसी घटनाएं शामिल है जो समस्त वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करती है। ऋण श्रेणी में केवल अपवादात्मक ऋण हानियों को असाधारण परिस्थिति माना जाता है।

संपत्ति का मूल्यांकन - मूल्यांककों की सूची तैयार करना

2.104 विभिन्न बैंक संपत्ति के मूल्यांकन और इस प्रयोजन के लिए मूल्यांककों की नियुक्ति हेतु विभिन्न नीतियों का अनुसरण करते हैं। बैंकों द्वारा स्वाधिकृत अचल आस्तियों तथा उनके अग्रिम संविभाग के एक बड़े हिस्से के लिए उनके द्वारा स्वीकृत संपाश्र्विक, सटीक और वास्तविक मूल्यांकन बैंकों की पूँजी पर्याप्तता स्थिति के सही मापन के उनके निहितितार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अचल आस्तियों के वास्तविक मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली/प्रक्रिया लागू करने तथा इस प्रयोजन हेतु मूल्यांककों की सूची तैयार करने की आवश्यकता को जानते हुए 4 जनवरी 2007 को बैंकों को सूचित किया गया कि वे (i) उनके एक्सपोजरों के लिए स्वीकृत संपाश्र्विकों सहित संपत्ति के मूल्यांकन हेतु एक बोर्ड अनुमोदित नीति लागू करें; (ii) मूल्यांकन पेशेवर अर्हता प्राप्त स्वतंत्र मूल्यांककों/एक्सपोजर अर्थात, मूल्यांकक जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित न हो, के द्वारा मूल्यांकन कराया जाए; (iii) बैंक 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक पर मूल्यांकित संपत्ति के लिए न्यूनतम दो स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त करें; (iv) बैंकों के पास पेशेवर मूल्यांककों के सूचीकरण के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए और उन्हें 'मूल्यांककों की अनुमोदित सूची' का एक रजिस्टर रखना चाहिए; (v) बैंक, संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 34 कख (नियम 8 क) के अंतर्गत निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांककों के सूचीकरण के लिए एक न्यूनतम अर्हता निर्धारित करें; और (vi) बैंक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आइसीएआइ) द्वारा जारी संगत लेखांकन मानकों द्वारा भी निर्देशित हों।

2.105 उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक अपनी स्वयं की संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए नीतियां तैयार करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर भी ध्यान दें। एक, पूँजी पर्याप्तता पर वर्तमान दिशानिर्देश बैंकों को अनुमति देते हैं कि वे टियर II पूँजी के एक भाग के रूप में 55 प्रतिशत की छूट पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को शामिल करें। इस दृष्टि से, यह आवश्यक हो जाता है कि पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियाँ संपत्ति के बाजार मूल्य का वास्तविक मूल्यांकन प्रस्तुत करें और बैंकों के पास उनके द्वारा स्वाधिकृत अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक व्यापक नीति हो। अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीति में पुनर्मूल्यांकन के लिए आस्तियों की पहचान की प्रक्रिया, ऐसी आस्तियों के लिए अभिलेखों के एक अलग सेट का रखरखाव, पुनर्मूल्यांकन की बारम्बारता, ऐसी आस्तियों के लिए मूल्यह्रास नीति और ऐसी पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की बिक्री के लिए नीति शामिल रहे। इस नीति

में मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास के पुनर्मूल्यांकन और लेखांकन कार्य के अधीन अचल आस्तियों की मूल लागत जैसे पुनर्मूल्यांकन के ब्यौरे के संबंध में 'लेखा पर नोट' में किया जानेवाला अपेक्षित प्रकटन भी शामिल रहना चाहिए। दूसरा, चूँकि पुनर्मूल्यांकन में अचल आस्तियों के निष्पक्ष मूल्य में परिवर्तन लक्षित होना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन की बारंबारता विगत में आस्तियों की कीमतों में पाए गए उतार-चढ़ाव के आधार पर निर्धारित किया जाए। तथापि, मूल्यह्रास की पद्धति में कोई परिवर्तन आस्तियों के भविष्य के आर्थिक लाभों के अपेक्षित उपभोग ढाँचे में परिवर्तन को प्रतिबिम्बित करे। बैंकों से अपेक्षित है कि वे आस्ति के एक विशेष वर्ग के लिए पुनर्मूल्यांकन की बारम्बारता/ मूल्यह्रास की पद्धति को बदलते समय इन सिद्धांतों का सावधानी से पालन करें और इस संबंध में उचित प्रकटन करें।

बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों का प्रबंध

2.106 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समय बीतने पर अनर्जक आस्तियों की वसूली के अवसर के साथ-साथ सीमा में कमी हो सकती है, रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), लोक अदालत, कंपनी ऋण पुनर्निर्माण (सीडीआर) व्यवस्था और एसएआरएफएईएसआइ अधिनियम, 2002 जैसे ऋण वसूली के विभिन्न साधनों को सुदृढ़ करते हुए बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों की वसूली को तीव्र किए जाने के लिए कई उपाय किए हैं।

2.107 अग्रिम (सीडीआर प्रक्रिया तथा एसएमई ऋण पुनर्विन्यास प्रक्रिया से इतर) के पुनर्विन्यास पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने तथा उन्हें अनुकूल बनाने के लिए संशोधित सीडीआर प्रक्रिया के अनुरूप वाणिज्य बैंकों, भारतीय बैंक संघ (आइबीए) और रिज़र्व बैंक के सदस्यों को शामिल करते हुए एक कार्यदल का गठन किया गया। इस कार्यदल ने उपयुक्त आशोधनों के साथ अग्रिमों की अन्य श्रेणियों (जो गैर-सीडीआर/गैर एसएमई उधारकर्ताओं को दिए गए हैं) के लिए कंपनी ऋण पुनर्निर्माण व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित विनियामक ढाँचे के अंगीकरण का सुझाव दिया। कार्यदल द्वारा की गई अनुशंसाओं और प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर जून 2007 में पुनर्विन्यास/पुनर्निर्धारण पर विवेकशील दिशानिर्देश के प्रारूप जारी किए गए।

2.108 अनर्जक आस्तियों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने और एक स्वस्थ गौण बाजार विकसित करने की दृष्टि से जुलाई 2005 में मूल्यांकन और मूल्यनिर्धारण पहलुओं और आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, वसूलियों के लेखांकन, पूँजी पर्याप्तता, एक्सपोजर मानदण्ड और प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित विवेकशील मानदण्डों सहित बैंकों द्वारा गैर-निष्पादक आस्तियों की खरीद/बिक्री के लिए प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए अनर्जक आस्तियों की बिक्री/खरीद पर दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों को मई 2007 में आंशिक रूप से आशोधित किया गया जिसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि तीन वर्षों के भीतर पूर्ण वसूली के अधीन पहले वर्ष में अनुमानित नकदी प्रवाह के कम-से-कम 10 प्रतिशत और उसके बाद प्रत्येक छमाही में कम-से-कम 5 प्रतिशत की वसूली की जाए।

2.109 ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नियमों एवं विनियमों का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री प्रशांत शरण) का गठन किया। नियम एवं विनियम के प्रारूप तैयार किए गए और उन्हें विस्तृत प्रचार और अभिमत के लिए बैंक के वेबसाइट पर डाला गया। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर नियम एवं विनियम के प्रारूप तैयार किए गए और भारत सरकार (बॉक्स II.11) के परामर्श से उन्हें दिसंबर 2006 में अधिसूचित किया गया।

कंपनी अभिशासन

2.110 हाल के वर्षों में कंपनी अभिशासन ने वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में अत्यधिक महत्व प्राप्त किया है। जमाकर्ताओं के हितों तथा वित्तीय प्रणाली की सुव्यवस्था की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि बैंकों के स्वामी तथा प्रबंधक सुदृढ़ सत्यनिष्ठा के व्यक्ति हों। इन विचारों को दृष्टिगत रखते हुए, रिज़र्व बैंक की पहल पर भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'योग्य और समुचित' मानदंड की प्रयोज्यता उपलब्ध कराने के लिए कुछ नई धाराओं को शामिल करने हेतु बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 में संशोधन किया है। इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

2.111 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 (2006 में यथासंशोधित) में धारा 9(3कक) और 3(कख) नामक दो नयी धाराएं शामिल कर राष्ट्रीकृत बैंकों के बोर्डों पर चुने गए निदेशकों के लिए 'योग्य और समुचित' मानदण्ड की प्रयोज्यता को प्रभावी तरीके से लागू किया गया। उक्त धाराओं के प्रावधानों के अनुसार, 1 नवंबर 2007 के परिपत्र और अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों पर चुने गए निदेशकों के लिए 'योग्य और समुचित' मानदण्ड लागू

बॉक्स II.11 : ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 - नियमावली एवं विनियमावली

ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 मई 2005 में संसद में पारित किया गया। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नियम एवं विनियम को 14 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का अधिनियमन विधिक व्यवस्था को सुदढ़ता प्रदान करने तथा बैंकों और वित्तीय कंपनियों के उधारकर्ताओं के विषय में ऋण सूचना के संग्रह, संसाधन और सहभागिता के लिए ऋण सूचना कंपनियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम में ऋण सूचना कंपनियों के दायित्व, सदस्य ऋण संस्था के अधिकार और दायित्व तथा गोपनीय अधिकारों की अभिरक्षा भी शामिल है। ऋण सूचना कंपनी नियमावली और विनियमावली की विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं :

I. ऋण सूचना कंपनी नियमावली की विशेषताएं

(i) ऋण सूचना कंपनी, जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन अस्वीकृत हो चुका है अथवा जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया जा चुका है, इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा पदनामित अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकती है।

(ii) प्रत्येक ऋण संस्था और ऋण सूचना कंपनी को अपने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित उपयुक्त नीति और प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए जिसमें (क) उधारकर्ता के संबंध में आँकड़ों के संग्रह, संसाधन और संकलन किए जाने, (ख) आँकड़े की सुरक्षा और अभिरक्षा आँकड़े तथा अपनी ओर से अनुरक्षित ऋण सूचना के उपाय, (ग) एक सटीक, संपूर्ण और अद्यतन आँकड़े के रखरखाव के लिए समुचित और आवश्यक उपाय तथा (घ) सुरक्षित माध्यम से आँकड़ा अंतरित करने के संबंध में उपाय तथा सुरक्षा व्यवस्था हो। साथ ही, ऋण संस्था अथवा ऋण सूचना कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण सूचना उस तारीख के संदर्भ में सटीक और संपूर्ण है जिस तारीख को, जैसी स्थिति हो, ऐसी सूचना भेजी गई है अथवा ऋण सूचना कंपनी अथवा विशिष्ट उपयोगकर्ता को प्रकट की गई है।

(iii) अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए प्रत्येक ऋण सूचना कंपनी, ऋण संस्था और विशिष्ट उपयोगकर्ता निम्नलिखित के लिए नीति और प्रक्रिया अपनाएं:

(क) आँकड़े की गोपनीयता प्राप्त करना;

(ख) जानकारी के लिए आवश्यक आधार पर केवल प्राधिकृत प्रबंधकों या कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति;

(ग) बायोमीट्रिक प्रवेश नियंत्रण जैसे भौतिक अवरोधों तथा पासवर्ड के माध्यम से तर्कसम्मत अवरोधों के माध्यम से टर्मिनल, नेटवर्क में आँकड़ों में नियंत्रित प्रवेश सुनिश्चित करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि पासवर्ड नियमित रूप से तथा बारम्बार बदले जा रहे हैं;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि आँकड़ों के विलोपन और निपटान विशेषतः ऑफ-साइट अभिलेखों अथवा डिस्कों अथवा बाह्य संविदाकारों द्वारा निपटान के संबंध में सर्वोत्तम व्यवहारों का पालन किया जा रहा है;

(च) आँकड़ों के अनधिकृत आशोधन अथवा विलोपन के विरुद्ध रक्षा सुनिश्चित करना;

(छ) एक प्रमाणित अथवा संदेहास्पद सुरक्षा-भेदन सहित आँकड़ों में सभी प्रवेशों के, सभी असफल प्रयत्नों और सभी घटनाओं के ञ्लॉगट के रखरखाव को सुनिश्चित करना;

(ज) सार्वजनिक और निजी नेटवर्क से गुजरते समय सूचनाओं की चोरी के विरुद्ध रक्षा।

II. ऋण सूचना कंपनी विनियमावली की विशेषताएं

(i) विनियम यह उल्लेख करते हैं कि इस अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अलावा कौन कंपनी विशिष्ट उपयोगकर्ता (अन्य के बीच बीमा कंपनी, सेल्यूलर/फोन कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, शेयर दलाल, कारोबारी सदस्य, सेबी, आइआरडीए) के रूप में ऋण सूचना प्राप्त कर सकती है।

(ii) ऋण सूचना कारोबार जारी रखने/शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति हेतु किसी कंपनी द्वारा प्रत्येक आवेदनपत्र फॉर्म ञ्एट में रिज़र्व बैंक को दिया जाना चाहिए। आवेदनपत्र की छान-बीन करते समय रिज़र्व बैंक ऐसी आवेदक कंपनी को ञ्सिद्धांत रूप में अनुमोदनट प्रदान कर सकता है और उसमें शामिल शर्तों को पूरा करने के लिए अधिक-से-अधिक तीन महीनों का समय उपलब्ध करा सकता है तथा उसके बाद कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।

(iii) विनियमावली में उस कारोबार का प्रारूप दिया गया है, जिसमें ऋण सूचना कंपनियों, अधिनियम की धारा 14(1) के तहत प्रावधान किए गए के अलावा (सदस्यों को आंकड़ा प्रबंधन सेवा, सदस्यों द्वारा प्रतिभूतियों में किए गए निवेश, कपट, धन शोधन आदि संबंधी जानकारी एकत्र/प्रेषित करना) काम कर सकती है।

(iv) ऋण सूचना कंपनियों, ऋण संस्थाओं और विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए सृजित गोपनीयता सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) ऋण सूचना संग्रह में सावधानी: ऋण सूचना समुचित ढंग से सही-सही दर्ज की जाएगी, संग्रह की जाएगी और संसाधित की जाएगी तथा उसे क्षति, अनधिकृत प्रवेश, उपयोग, आशोधन अथवा प्रकटन से बचाया जाएगा। सूचना सटीक होगी, संपूर्ण होगी तथा किसी प्रकार की क्षति अथवा अनधिकृत प्रवेश अथवा उपयोग से विधिवत रक्षित होगी।

(ख) ऋण सूचना में प्रवेश और उसका आशोधन : किसी व्यक्ति के अनुरोध पर प्रत्येक ऋण सूचना कंपनी संतोषप्रद पहचान के अधीन उसकी स्वयं की ऋण सूचना रिपोर्ट उसे प्रकट करेगी। तथापि, प्रत्येक ऋण सूचना कंपनी, ऋण संस्था और विशिष्ट उपयोगकर्ता निर्धारित समय-सीमा के भीतर परस्पर समुचित समन्वय के साथ ऋण सूचना को अद्यतन किए जाने के संबंध में त्वरित कार्रवाई करेंगे।

(ग) आंकड़ों के उपयोग की सीमा : विशिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा उधारकर्ता या ग्राहक को, जो भी स्थिति हो, उसे ऋण अस्वीकृत करने पर, तीस दिन के भीतर प्रकटन का दायित्व।

(घ) ऋण सूचना परिरक्षण की अवधि: ऋण सूचना न्यूनतम सात वर्षों की अवधि के लिए परिरक्षित की जानी चाहिए।

(v) विनियम व्यक्तिगत आँकड़े, व्यक्तिगत आँकड़ों की माँग, तीसरे पक्ष को आँकड़ा अंतरित करने में दायित्व, व्यक्तियों की शिकायतों के निवारण तथा अन्य बातों के साथ व्यक्तिगत आँकड़े के परिरक्षण की अवधि के तरीके तथा संग्रह के प्रयोजन से संबंधित व्यक्तिगत ऋण सूचना के संबंध में सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है।

(vi) ऋण सूचना कंपनी द्वारा प्रभारित की जानेवाली अधिकतम फीस निम्न प्रकार है :

- 15 लाख रुपए - ऋण संस्था और ऋण सूचना कंपनी के लिए सदस्यता शुल्क।
- 50,000 रुपए और 15 लाख रुपए - क्रमशः ऋण संस्था और ऋण सूचना कंपनी के लिए वार्षिक शुल्क।
- किसी व्यक्ति को उसकी अपनी ऋण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए 100 रुपए।
- विशिष्ट उपयोगकर्ता को व्यक्तियों और गैर-व्यक्तियों पर ऋण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए क्रमशः 500 रुपए और 5,000 रुपए।

किए गए। इसी तरह, भारतीय रिज़र्व बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (2007 में यथा संशोधित) धारा 25(2) और (3) शामिल कर भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों4 के बोर्डों पर चुने गए निदेशकों पर ''योग्य और समुचित'' मानदण्ड की प्रयोज्यता लागू की गयी। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

अपने ग्राहक को जानिए तथा धन शोधन निवारण मानदंड

2.112 अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) तथा काला-धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर 2004 में जारी किए गए। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधान 1 जुलाई 2005 को लागू किए गए। नियमावली के अनुसार, वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआइयू-आइएनडी) का गठन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट की गई नकदी और संदेहास्पद लेन-देन के संग्रह, संकलन, मिलान और विश्लेषण के लिए किया गया था। संदेहास्पद लेन-देन और मुद्रा लेन-देन की रिपोर्टिंग फॉर्मेट को वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआइयू-आइएनडी) के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया और तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया कि वे वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत यथानिर्धारित नकदी और संदेहास्पद लेन-देन की रिपोर्ट करें। अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी)/ धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद को वित्तीय सहायता से युद्ध (सीएफटी) व्यवस्था को रिज़र्व बैंक ने अंतरर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों तथा वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) की अनुशंसाओं के अनुरूप लागू किया। संपूर्ण रूप में देश तथा विशेष रूप में वित्तीय क्षेत्र का वर्ष 2005 में धन शोधन निवारण पर एशिया प्रशांत समूह (एपीजीएमएल) द्वारा मूल्यांकन किया गया और अब भारत को वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) में 'पर्यवेक्षक' की स्थिति प्राप्त है।

2.113 बैंक खातों के बीच निधियों के अंतरण के लिए बैंक अब त्वरित पद्धति के रूप में वायर अंतरण का उपयोग करते हैं। वायर अंतरण में किसी देश की राष्ट्रीय सीमा के भीतर अथवा एक देश से दूसरे देश को किया जानेवाला लेन-देन शामिल है। चूंकि वायर अंतरण में मुद्रा की वास्तविक आवाजाही शामिल नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान को मूल्यों के अंतरण के लिए उन्हें एक तीव्र और सुरक्षित पद्धति माना जाता है। इस संबंध में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) विशेष अनुशंसा (एसआर) VII के समरूप 13 अप्रैल 2007 को बैंकों को अपने ग्राहक को जानिए/कालाधन आशोधन/आतंकवाद को वित्तीय सहायता से युद्ध पर दिशानिर्देश जारी किए गए जिसका लक्ष्य आतंकवादियों और अन्य अपराधियों को सीमा के पार अपनी निधियों की आवाजाही के लिए वायर अंतरण के दुरुपयोग से रोकना है। किसी वायर अंतरण की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं : (क) सभी सीमा-पारीय वायर अंतरणों में सटीक और सार्थक प्रवर्तक -सूचना रहे; (ख) सीमा-पारीय वायर अंतरण के साथ सूचना में प्रवर्तक का नाम और पता तथा जहाँ पर खाता है वहां उस खाते की संख्या अवश्य शामिल रहे (खाते के अभाव में, एक अद्वितीय संदर्भ संख्या, जैसा संबंधित देश में प्रचलित हो, अवश्य शामिल की जाए); (ग) जहाँ पर एक ही प्रवर्तक से कई व्यक्तिगत अंतरण दूसरे देश में हिताधिकारियों को अंतरण के लिए एक बैच फाइल में एकत्र किए गए हैं उन्हें पूर्ण प्रवर्तक-सूचना से छूट दी जाए बशर्ते उनमें प्रवर्तक की खाता संख्या अथवा उपर्युक्त (ख) की भाँति अद्वितीय संदर्भ संख्या शामिल हो; (घ) 50,000 रुपए और इसके अधिक के देशी वायर अंतरण में शामिल सूचना में पूर्ण प्रवर्तक सूचना उदाहरणार्थ, नाम, पता और खाता संख्या तब तक शामिल रहे जब तक कि अन्य साधनों से हिताधिकारी बैंक को प्रवर्तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है; (ङ) यदि बैंक के पास यह विश्वास करने के लिए कारण न हो कि ग्राहक जानबूझकर रिपोर्टिंग अथवा निगरानी से बचने के लिए कई हिताधिकारियों को 50,000/- रुपए से कम का वायर अंतरण कर रहा है तो बैंक अंतरण को प्रभावी करने से पहले ग्राहक की संपूर्ण पहचान का अवश्य आग्रह करे; और (च) जब धन-अंतरण के लिए कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड उपयोग में लाया जा रहा हो तो उपर्युक्त (छ) के अनुसार आवश्यक सूचना संदेश में शामिल करना अपेक्षित है। साथ ही, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गयी अपेक्षानुसार वायर अंतरण के साथ भेजी गयी प्रवर्तक सूचना को दस वर्ष तक रखा जाए। यदि कोई विदेशी आदेशकर्ता बैंक प्रेषक के बारे में सूचना प्रस्तुत नहीं करता है तो प्राप्तकर्ता बैंक को चाहिए कि वह आदेशकर्ता बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध सीमित या समाप्त कर दे।

2.114 ये अनुदेश देशी वायर अंतरण लेन-देन के लिए भी लागू हैं। सरकार द्वारा 24 मई 2007 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) नियमावली में एक संशोधन अधिसूचित किया गया जिसने वित्तीय आसूचना इकाई-भारत(एफआइयू-आइएनडी) को बैंकों द्वारा किसी संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) करने के एक आधार के रूप में संभावित आतंकवादी वित्तीय सहायता पर संदेह को शामिल करके संदेहास्पद लेन-देन की परिभाषा को व्यापक बना दिया है।

वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति

2.115 एक लचीली और सु-नियंत्रित वित्तीय प्रणाली की संरचना करने को समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए व्यापक रूप से एक अनिवार्य शर्त माना जाता है। अतः भारत में नियंत्रक प्राधिकारियों का यह प्रयत्न रहा है कि घरेलू स्थितियों में उपयुक्त ढंग से अपनाई जाने योग्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सर्वोत्तम मानकों के समरूप एक सुरक्षित, सुदृढ़ और सक्षम वित्तीय प्रणाली विकसित की जाए। वर्ष 2001 में विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) के एक सबसे पहले वाले सदस्य देश के रूप में स्वैच्छिक सहभागिता करने के अलावा भारत ने भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानक और कूट समिति (अध्यक्ष : डॉ. वाइ.वी.रेड्डी) द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानदंड और कूटों के सभी क्षेत्रों में एक स्व-आकलन कराया। वर्ष 2001 के वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) से प्राप्त अनुभव तथा सितंबर 2005 में विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित वित्तीय क्षेत्र आकलन पर पुस्तिका में निहित प्रासंगिकता और उपयोगिता के विश्लेषणात्मक ब्यौरे को पहचानते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक स्व-आकलन करने का निर्णय लिया। तदनुसार, सितंबर 2006 में वित्तीय क्षेत्र आकलन पर एक समिति (अध्यक्ष : डॉ. राकेश मोहन, सह-अध्यक्ष :डॉ. डी. सुब्बाराव) का गठन किया गया (बॉक्स.II.12)।

बॉक्स II.12 : वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति

भारत सरकार द्वारा सितंबर 2006 (अध्यक्ष : डॉ. राकेश मोहन, सह अध्यक्षः डॉ. डी. सुब्बाराव) में वित्तीय क्षेत्र आकलन पर एक समिति (सीएफएसए) का गठन निम्नलिखित विषयों के विचारार्थ किया गया :

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वित्तीय क्षेत्र आकलन पर पुस्तिका में तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र के वर्तमान और विकसित संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र आकलन के लिए प्रासंगिक किसी अन्य संगत दस्तावेजों में समुचित क्षेत्रों, तकनीकों और पद्धतियों की पहचान करना ।
- भारतीय प्रणाली में अपनाई गई संगत पद्धति और तकनीक को लागू करना तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र के विकास, दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और विवेकशील पहलुओं सहित व्यापक और वस्तुपरक आकलन का प्रयत्न करना;
- भारत के लिए यथासंगत विशिष्ट विकास और स्थिरता मामलों का विश्लेषण करना;
- भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार की वेबसाइटों के माध्यम से अपनी रिपोर्ट (रिपोर्टें) उपलब्ध कराना।

आकलन का केंद्रीय पटल तीन पारस्परिक प्रवर्तन स्तंभों यथा ; (i) वित्तीय स्थिरता आकलन और तनाव जाँच; (ii) विधिक, मूलभूत सुविधा संबंधी और बाजार विकास मामले; तथा (iii) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानदंड और कूटों के कार्यान्वयन में स्थिति और प्रगति के आकलन पर आधारित है। आकलन की सहायता के लिए वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (सीएफएसए) ने (i) वित्तीय स्थिरता और तनाव जाँच (ii) वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण (iii) संस्थाएं और बाजार संरचना; तथा (iv) पारदर्शिता मानदण्ड के आकलन के लिए चार परामर्शी पैनल गठित किए हैं। ये परामर्शी पैनल अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें उपर्युक्त प्रत्येक पहलू शामिल होगा। इस परामर्शी पैनल में गैर-सरकारी विशेषज्ञ शामिल हैं जिन्हें संबंधित क्षेत्रों का व्यापक ज्ञान है तथा समान विशेषज्ञता वाले पदाधिकारी विशेष आमंत्रियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैनल को यह विकल्प होगा कि वे किसी अन्य विशेषज्ञ को जिसे वे योग्य समझें विशेष आमंत्रिती के रूप में सहयोजित करें।

वित्तीय स्थिरता और तनाव जाँच पर परामर्शी पैनल (अध्यक्ष :श्री एम.बी.एन.राव) वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता और स्थिरता का आकलन करने के लिए समष्टि - विवेकशील निगरानी (प्रणाली स्तरीय तनाव जाँच सहित) संचालित करेगा और वित्तीय संरचना और प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा एक मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में इसके विकास के लिए उपाय सुझाएगा।

अन्य तीन पैनल (i) विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में यथानिर्धारित और लागू प्रासंगिक मानदण्डों एवं कूटों की पहचान करेंगे और उन पर विचार करेंगे; (ii) भारतीय संदर्भ में उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करेंगे; (iii) संबंधित मानदण्डों के अनुपालन में अंतर की पहचान करेंगे; और (iv) एक मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में अनुपालन के प्रति संभावित रूपरेखा सुझाएंगे। वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण परामर्शी पैनल (अध्यक्ष : श्री एम.एस.वर्मा) बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय बाजारों और बीमा से संबंधित वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए लागू प्रासंगिक मानदंडों एवं कूटों पर विचार करेगा। संस्था और बाजार संरचना परामर्शी पैनल (अध्यक्ष : श्री सी.एम. वासुदेव) दिवालिया कानूनों, लेखांकन और लेखा-परीक्षा, भुगतान और निपटान प्रणालियों तथा कंपनी अभिशासन नीतियों के लिए लागू प्रासंगिक मानदण्डों एवं कूटों पर विचार करेगा। पारदर्शिता मानदण्ड परामर्शी पैनल (अध्यक्ष : श्री नितीन देसाई) मौद्रिक, वित्तीय, राजकोषीय और आँकड़ा प्रसारण नीतियों में पारदर्शिता के लिए लागू प्रासंगिक मानदंडों एवं कूटों पर विचार करेगा।

पैनल को तकनीकी नोट और पृष्ठभूमि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (सीएफएसए) ने उपर्युक्त सभी विषयवाले क्षेत्रों में मुख्यतः विनियामक एजेंसियों और सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले अधिकारियों को शामिल करते हुए एक तकनीकी दल पैनल का गठन किया था जो संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी कार्य और परामर्शी की सहायता कर रहा है।

स्व-आकलन की विश्वसनीयता बढ़ाने की दृष्टि से परामर्शी पैनल का आकलन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करेगा। परामर्शी पैनल रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय विशिष्ट समीक्षा को ध्यान में रखा जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (सीएफएसए) परामर्शी पैनल रिपोर्ट तथा अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगा। वित्तीय क्षेत्र की वर्तमान सुदृढ़ता और कमजोरियों तथा मानदण्डों के संबंध में स्थिति के वस्तुपरक विश्लेषण के आधार पर वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति से आशा की जाती है कि वह मध्यावधि परिदृश्य में अगले सुधारों के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करेगी। वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (सीएफएसए) मार्च 2008 तक आकलन पूरा करेगी।

6. पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षी नीति

2.116 विनियमित संस्थाओं क्षमता और मजबूती में एवं बाजारों की स्थिरता में सुधार लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षी पहलुओं पर विशेष ध्यान दे रहा है। पर्यवेक्षण पर समग्र ध्यान देने के लिए 16 नवंबर 1994 को वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का गठन किया गया था। जुलाई 2006-जून 2007 के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बारह बैठकें हुई हैं। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने न केवल संस्था - विशिष्ट पर्यवेक्षी महत्व के संबंध में कार्रवाइयाँ प्रस्तावित की हैं बल्कि उसने कई विनियामक और पर्यवेक्षी नीति मामलों पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराए हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

वित्तीय समूहों (कांग्लोमेरेट्स) की निगरानी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन

2.117 वित्तीय समूह (कांग्लोमेरेट्स) (एफसी) पर्यवेक्षण की प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर विकसित हो रही है। भारत में इसकी शुरुआत उस समय हुई जब जून 2004 में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं (एसआइएफआइ - सामान्यतः एफसी के रूप में विख्यात) की निगरानी पर एक अंतर - विनियामक कार्य दल (संयोजक : श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) की रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद वित्तीय समूह निगरानी ढाँचे को लागू किया गया। प्राप्त अनुभवों के आधार पर वित्तीय समूह निगरानी ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य विनियामकों के परामर्श से कई पहल किए गए हैं। इस संबंध में 2006-07 के दौरान दो प्रमुख प्रयास किए गए। एक, वित्तीय समूहों की पहचान के लिए मानदण्डों को संशोधित किया गया। पहचान किए गए कई वित्तीय समूहों के पास अपनी सीमा में न केवल बहुत कम संस्थाएँ थीं बल्कि एक बाजार क्षेत्र के बाहर सीमित परिचालन भी था। वित्तीय समूहों में बहुत कम आंतर-समूह लेन-देन था। कुछ समूहों में आवास वित्त इकाई और प्राथमिक व्यापारी सहायक कंपनी के विलय ने समूह में संस्थाओं की संख्या को और कम कर दिया था। अतः यह महसूस किया गया कि वित्तीय समूह निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसे कम महत्त्वपूर्ण समूह को लक्ष्य बनाना आवश्यक नहीं है। अतः पर्यवेक्षी अभिरुचि के बड़े वित्तीय समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वित्तीय समूहों की पहचान हेतु मानदण्डों पर पुनः दृष्टि डाली गई । संशोधित मानदण्डों के अनुसार, किसी वित्तीय समूह को किसी ऐसे समूह के अधीन कंपनियों के समूह[3] के रूप में पारिभाषित किया गया है जिसकी कम-से-कम दो वित्तीय बाजार क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति हो। बैंकिंग, बीमा, म्युचुअल फण्ड और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमाराशि स्वीकार करनेवाली और जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली) को वित्तीय बाजार क्षेत्र समझा जाता है। दूसरा, पर्यवेक्षी मामलों पर समुचित ध्यान केंद्रित करने के लिए वित्तीय समूह विवरणियों को संशोधित किया गया था। तिमाही वित्तीय समूह विवरणी की प्राप्ति और विश्लेषण वित्तीय समूह निगरानी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण आधार है। आंतर-समूह लेन-देन और एक्सपोजर पर ध्यान केंद्रित करते समय वित्तीय समूह विवरणी में वित्तीय मानदण्डों, विभिन्न बाजारों में एक्सपोजर, परस्पर-सहबद्धता तथा बैक-ऑफिस व्यवस्था के सामान्यीकरण पर सूचना मंगायी गई। तिमाही वित्तीय समूह विवरणी फॉर्मेट को अन्य बातों के साथ सकल/निवल अनर्जक आस्तियों तथा क्षतिग्रस्त आस्तियों पर किए गए प्रावधानों, अशोध्य ऋण, किसी समूह संस्था में धोखाधड़ी, किसी समूह द्वारा 'रोक रखने' की कार्रवाई, अन्य आस्तियों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन पर सूचना को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। जब वित्तीय समूह निगरानी ढाँचा विशिष्ट वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं यथा, रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा नियंत्रित संस्थाओं की देखभाल करता है, संपूर्ण समूह से उत्पन्न होनेवाली प्रणालीगत जोखिम के बेहतर मूल्यांकन के लिए समूह की विनियमित और अविनियमित संस्थाओं सहित आंतर - समूह लेन-देन और एक्सपोजर पर अधिकार करने के लिए विवरणी के फॉर्मेट को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया है।

बैंकों में अनुपालन कार्य

2.118 चूँकि अनुपालन कार्य आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंध प्रक्रिया के साथ अभिशासन का एक अभिन्न भाग है, बैंकों के अनुपालन कार्य पर दिशानिर्देश 20 अप्रैल 2007 को जारी किए गए (बॉक्स II.13)।

धोखाधड़ी के विरुद्ध रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए प्रतिरोधक उपाय

2.119 रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं यथा, वाणिज्यि बैंक, शहरी सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय

[3] समूह : निम्नलिखित संबंधों में से किसी के माध्यम से परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक को शामिल करनेवाली एक व्यवस्था : सहायक - मूल (एएस 21 के अनुसार परिभाषित), संयुक्त उद्यम (एएस23 के अनुसार परिभाषित), सहबद्ध (एएस27 के अनुसार परिभाषित), प्रवर्तक - प्रवर्तिती, एक संबंधित पक्ष (एएस 18 के अनुसार परिभाषित), सामान्य ब्रॉण्ड नाम और 20 प्रतिशत और इससे अधिक ईक्विटी शेयरों में निवेश। समूह संस्था : उपर्युक्त व्यवस्था में शामिल कोई संस्था।

बॉक्स II.13: बैंकों में अनुपालन कार्य

बैंकों में अनुपालन कार्य उनकी कंपनी अभिशासन संरचना में एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। घोष समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में बैंकों ने पहले ही अनुपालन प्रक्रिया को लागू कर दिया है। तथापि, प्रक्रियाएं और संगठनात्मक ढाँचे बैंकिंग कारोबार की बढ़ी हुई जटिलताओं और परिष्करण के साथ नहीं चल सके। अधिकांश बैंकों में भारी आर्थिक लागतों को लाने वाली अनुपालन असफलताओं से उत्पन्न 'अनुपालन जोखिमट और ख्याति जोखिम को अभी भी अनुपालन कार्य के रूप में पहचाना जाना है। बैंकों द्वारा अनुपालन जोखिम प्रबंध की आवश्यकता को समेकित जोखिम प्रबंध अथवा बैंकों में उद्यम-व्याप्त जोखिम प्रबंध संरचना के एक मुख्य पहलू के रूप में पहचाना गया। तदनुसार, वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंकों में मजबूत अनुपालन मानदण्डों की आवश्यकता पर जोर डाला गया। बैंकों में अनुपालन व्यवस्था की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने के लिए बैंकिंग उद्योग की सहभागिता के साथ रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यदल ने अनुपालन कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय अनुशंसित किए हैं। इन अनुशंसाओं के आधार पर 20 अप्रैल 2007 को बैंकों के अनुपालन कार्य पर दिशानिर्देश जारी किए गए। दिशानिर्देश में बैंकिंग पर्यवेक्षण की बासेल समिति द्वारा "अनुपालन और बैंकों में अनुपालन कार्य" पर जारी उच्च स्तरीय पेपर तथा भारत में परिचालनात्मक वातावरण के अनुरूप अनुपालन कार्य से संबंधित कतिपय सिद्धांतों, मानदण्डों और प्रक्रियाओं को लागू करने का सुझाव है। यह दिशानिर्देश रिजर्व बैंक के इस विचार को निरूपित करता है कि अनुपालन आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंध प्रक्रिया सहित अभिशासन का एक अभिन्न अंग है। इन दिशानिर्देशों में बैंक-प्रमुख वित्तीय समूहों को उनके 'समूह-व्याप्त अनुपालन जोखिमट के प्रबंधन में मार्गदर्शन देना अभिप्रेत है। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

- प्रत्येक बैंक एक औपचारिक अनुपालन कार्य लागू करेगा और अपने बैंक के लिए एक अनुपालन अधिकारी को पदनामित करेगा। बैंक अनुपालन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह बैंक द्वारा सामना की जानेवाली अनुपालन जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने में शीर्ष प्रबंध तंत्र की सहायता करे।
- किसी बैंक की सुदृढ़ अनुपालन प्रणाली में बैंक के मूल उद्देश्य, अनुपालन विभाग की भूमिका और संरचना, इसके स्टाफ की संरचना और उनके विशिष्ट दायित्व को रूपायित करते हुए एक सुव्यवस्थित अनुपालन नीति शामिल रहनी चाहिए। इस नीति की बैंक के बोर्ड द्वारा वार्षिक समीक्षा की जाए।
- शाखा नेटवर्क, कारोबार परिचालन की मात्रा और जटिलता, उत्पादों और दी गई सेवाओं के परिष्करण के आधार पर प्रत्येक बैंक अपने संगठनात्मक ढाँचे और अनुपालन इकाई की संरचना पर निर्णय ले। तथापि, संरचना इन दिशानिर्देशों के समग्र ढाँचे के भीतर निर्धारित की जाए और सभी प्रकार के हित-संघर्ष से बचा जाए।
- प्रधान कार्यालय का अनुपालन विभाग प्रत्येक कारोबारी स्वरूप, उत्पाद और प्रक्रिया में अनुपालन जोखिम के स्तर की पहचान करने के क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाए एवं परिचालनात्मक संस्थाओं को अनुदेश जारी करे तथा ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए प्रस्ताव तैयार करे। इसे अपने स्टाफ के बीच अनुपालन असफलताओं के उदाहरणों को सावधिक रूप से प्रतिरोधक अनुदेशों के साथ परिपालित करना चाहिए।
- अनुपालन कार्य का दायित्व एक अनुपालन कार्यक्रम, जो अपनी योजनाबद्ध गतिविधियाँ शुरू करता है, के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अनुपालन कार्यक्रम जोखिम आधारित तथा अनुपालन के प्रधान की देखरेख के अधीन हो ताकि जोखिम प्रबंध कार्यों के बीच समन्वय और संपूर्ण कारोबार को समुचित रूप से शामिल किए जाने को सुनिश्चित किया जा सके। अनुपालन कार्य को अनुपालन कानूनों, नियमों और मानदण्डों पर वरिष्ठ प्रबंधन को सलाह और सहायता देनी चाहिए। इसे वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को नीतियों और प्रक्रियाओं तथा अनुपालन मैनुअल, आंतरिक आचार संहिता और व्यवहार दिशानिर्देशों जैसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से अनुपालन कानूनों, नियमों और मानदण्डों के समुचित कार्यान्वयन पर स्टाफ को लिखित मार्गदर्शन देने जैसी गतिवधियों पर जानकारी भी देनी चाहिए।
- बैंक, विविध विधिमान्य कारणों से विभिन्न कार्यक्षेत्रों में कारोबार करना पसंद कर सकते हैं। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाए कि वे ऐसे सभी कार्यक्षेत्रों में लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करें और यह कि अनुपालन कार्य का संगठन और संरचना तथा इसके दायित्व स्थानीय वैध और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। स्थानीय कारोबार के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक कार्यक्षेत्र विशिष्ट अनुपालन दायित्व का पालन बैंक के अन्य जोखिम प्रबंध कार्यों के सहयोग से अनुपालन के प्रधान की देख-रेख में समुचित स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता रखनेवाले व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।

कंपनियों में पाई गई धोखाधड़ी की केंद्रीकृत निगरानी के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत जून 2004 में एक धोखाधड़ी निगरानी कक्ष (एफआरएमसी) का गठन किया गया। सभी वाणिज्य बैंक धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली (एफआरएमएस) के माध्यम से एफआरएमसी को ऑन-लाइन धोखाधड़ी रिपोर्टें दर्ज कर सकते हैं । रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तिमाही विवरण के माध्यम से धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी करने के लिए बैंकों द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामलों की प्रगति, देयराशियों की वसूली, स्टाफ के दायित्व की जाँच और बैंकों में प्रणाली और नियंत्रण में कमियों के परिशोधन में प्रगति की निगरानी करता है।

2.120 क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली में कार्ड की हू-बहू नकल बनाया जाना (क्लोनिंग) और जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना शामिल है। नकदी के आहरण को प्रभावित करने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा एटीएम पर क्रेडिट/डेबिट कार्डों के अलावा प्लास्टिक कार्ड के उपयोग का प्रयत्न किए जाने जैसी रिपोर्ट की गई घटनाओं की दृष्टि से ग्राहक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और उनके द्वारा परिचालनात्मक / सुरक्षा उपाय किए जाने के

लिए बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए ताकि ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। कतिपय व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा ग्राहक फंसाने[4] जैसे हमलों (फिशिंग) को रोकने में सहायता के लिए फरवरी 2006 में बैंकों को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए। अधिकांशतः बिम्ब-प्रतिरोपण (स्कीमिंग) के माध्यम से कार्ड की हू-बहू नकल किए जाने (क्लोनिंग) में कतिपय बिम्ब-प्रतिरोपण उपकरणों का उपयोग करते हुए किसी जाली क्रेडिट कार्ड की चुम्बकीय पट्टी में असली क्रेडिट कार्ड से आँकड़ों का अंतरण शामिल है। जून 2006 में रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उपायों की सूची देते हुए वाणिज्य बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए जिसकी शुरुआत उन्हेंं बिम्ब-प्रतिरोपण से लड़ने में करनी थी।

2.121 मई 2006 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कुछ सर्वोत्तम व्यवहार परिचारित किए जिन्हें आवास ऋण के क्षेत्रों में धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी करने के लिए अंगीकृत किया जा सकता था। धोखेबाज उधारकर्ताओं द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली में संपत्ति के जाली दस्तावेजों, जाली वेतन पर्चियों और आयकर प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण द्वारा बहुविध वित्तीय सहायता प्राप्त करना शामिल था। रिज़र्व बैंक की जानकारी में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें भवन निर्माताओं ने भोलेभाले उधारकर्ताओं का उपयोग ऋण प्राप्त करने के लिए किया और तब आय को दूसरी ओर मोड़ दिया। इसके अतिरिक्त भवन निर्माताओं के नाम में खोले गए जाली खातों के माध्यम से निधियां भी निकाली गयीं।

2.122 जाली ई-मेल और फैक्स संदेशों के माध्यम से अनिवासी खातों से निधियों के धोखेबाजी से अंतरण की कतिपय घटनाओं की रिपोर्ट भी बैंकों द्वारा की गई। नवंबर 2006 में, रिज़र्व बैंक ने ई-मेल/ फैक्स संदेशों के माध्यम से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर अनिवासी खातों से निधियों का विप्रेषण करते समय बैंकों को सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी। उन्हें कहा गया कि वे विप्रेषण प्रभावी करने के पहले संदेशों के पूर्णतः आधिकारिक होने को सत्यापित करने के लिए समुचित प्रणाली लागू करें।

2.123 वर्ष के दौरान मालगोदाम रसीदों के बदले वित्तीय सहायता के क्षेत्र में धोखाधड़ी के कई मामले रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किए गए। ऐसे सभी मामलों में, मालगोदामों ने उधारकर्ताओं को ऐसी रसीदें जारी कीं जिनकी कीमत वास्तविक भंडार से काफी अधिक थी जिससे उधारकर्ताओं ने पण्य वस्तुओं के भंडार के बदले काफी अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त की। यह धोखाधड़ी मुख्यतः गिरवी भंडार के ऊपर पर्याप्त पर्यवेक्षण/नियंत्रण के अभाव में की गई। ऐसी वित्तीय सहायता के बारे में सभी बैंकों को सतर्क करने की दृष्टि से फरवरी 2007 में रिज़र्व बैंक ने कार्यप्रणाली पर दिशानिर्देश जारी किया।

7. वित्तीय बाजार

2.124 रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों को विस्तार देने और सघन बनाने के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान कई महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए। वित्तीय बाजारों के लिए संस्थागत संरचना को, बाजार सहभागियों को अपना लेन-देन करने के लिए महत्तर लचीलेपन की अनुमति देते हुए, प्रोसेस के मामले में और सुदृढ़ किया गया।

मुद्रा बाजार में गतिविधियाँ

2.125 अप्रैल 2005 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुपालन में माँग/सूचना और सावधि मुद्रा बाजार में कारोबार के लिए एक स्क्रीन आधारित परक्राम्य भाव-बोली प्रणाली (एनडीएस-कॉल) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) द्वारा विकसित की गई जो 18 सितंबर 2006 को शुरू की गई, जिसमें बाजार के ग्राहक ऐच्छिक आधार पर भाग ले सकते थे। लेन-देन को सरल बनाने के लिए सुधार में सहायता के अलावा इस प्रणाली ने महत्तर पारदर्शिता और सक्षम मूल्य प्राप्ति को प्रकट किया है। एनडीएस-कॉल स्क्रीन की काफी तरजीह दी जा रही है, जो वर्तमान में कॉल मुद्रा की कुल मात्रा का लगभग 75 प्रतिशत है।

2.126 रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2007 में ब्याज दर व्युत्पन्नी के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किया। काउंटर पर ही (ओटीसी) व्युत्पन्नी लेन-देन के संबंध में यह आवश्यक हो गया कि व्यापार सूचना के पारदर्शी अभिग्रहण और प्रसारण के साथ-साथ कुछ विद्यमान जोखिमों के समाधान के लिए एक सक्षम व्यापारोपरांत संसाधकीय मूलभूत सुविधा की व्यवस्था की जाए। शुरुआत के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को सूचित किया गया है कि वह रुपया ब्याज दर अदला-बदली (आइआरएस) के लिए एक कारोबार रिपोर्टिंग प्लॅटफार्म तैयार करे। इस रिपोर्टिंग मोड्यूल को 31 अगस्त 2007 को शुरू किया गया ।

[4] ग्राहक फंसाने (फिशिंग) में बैंकों, ई-रिटेलरों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के ब्रॉण्ड नाम अपहत कर लेना शामिल है जिसमें उपयोगकर्ता को निजी सूचना जिसका उपयोग पहचान की चोरी के लिए किया जाता है के अभ्यर्पण करने में घोटाले के किसी प्रयत्न में एक स्थापित विधिमान्य उद्यम होने का झूठा दावा करते हुए उपयोगकर्ता को एक ई-मेल भेजा जाता है। ई-मेल किसी वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के जाने के लिए निर्देश करता है जहाँ उसे व्यक्तिगत सूचना जैसे कि पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा और बैंक खातों की संख्या को अद्यतन करने के लिए कहा जाता है। तथापि, वेबसाइट जाली होती है और केवल उपयोगकर्ता की सूचना चुराने के लिए बनाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त सूचना का उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जाता है।

2.127 ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए मजबूत ब्याज दर फ्यूचर बाजार को प्रभावी कारक के रूप में पहचान देने के लिए और मुद्रा, विदेशी विनिमय एवं सरकारी प्रतिभूति बाजारों पर रिज़र्व बैंक की तकनीकी परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के अनुपालन के लिए रिज़र्व बैंक ने 9 अगस्त 2007 को श्री वी.के. शर्मा की अध्यक्षता में ब्याज पर एक कार्य दल का गठन किया जो प्रोडक्ट डिज़ाइन मसलों के विशेष संदर्भ में ब्याज दर फ्यूचर के बारे में प्राप्त अनुभव की समीक्षा करेगा तथा लिखत को सक्रिय बनाने के लिए सिफारिश करेगा। उक्त दल इस क्षेत्र में पिछली समितियों की सफिारिशों को फिर से देखेगा और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय विनियामक अपेक्षाओं तथा अनिवासियों की सहभागिता की व्याप्ति और विस्तार की जाँच करेगा। उक्त रिपोर्ट को मुद्रा, विदेशी विनिमय और सरकारी प्रतिभूति बाजार के बारे में तकनीकी सलाहकार समिति से और चर्चा करने के बाद तीन महीनों के भीतर (31 दिसंबर 2007 तक) रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

सरकारी प्रतिभूति बाजार की गतिविधियां

2.128 सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में रिज़र्व बैंक की सहभागिता को प्रतिबंधित करने वाला राजकोषीय जबावदेही और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003, अप्रैल 1, 2006 से प्रभावी हुआ। 2006-07 के दौरान नये वातावरण की आवश्यकता के अनुसार कई कदम उठाए गये जिससे सरकारी प्रतिभूति बाजार और गहरा एवं व्यापक हो। इसमें केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में शार्ट सेलिंग को पांच दिनों तक बढ़ाना, 'जब जारी' बाजार की शुरुआत, प्राथमिक डीलर (पी.डी) कारोबार में विविधता की अनुमति, प्राथमिक डीलरों को हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित स्कीम की शुरुआत, और नये सहभागियों को वार्तातय लेन-देन प्रणाली-आर्डर मैचिंग (एनडीएसओएम) का विस्तार शामिल हैं।

2.129 ऋण प्रबंधन रूपरेखा को और मजबूती प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार की 'पुनःजारी' दिनांकित प्रतिभूतियों में 'जब जारी' दिशानिर्देश मई 2006 में जारी किए गये और इस खंड में व्यापार अगस्त 2006 में प्रारंभ हुआ। वर्तमान में केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में पुनःजारी और नई जारी दोनों प्रतिभूतियों में चयनात्मक आधार पर 'जब जारी' व्यापार किया जा सकता है। डब्ल्यू आई ट्रेडिंग के लिए बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को खुली स्थिति सीमा के तहत केवल एन डी एस-ओ एम में ही अनुमति है। 'जब जारी' ट्रेडिंग की अनुमति सभी एनडीएस सदस्यों को सिर्फ एनडीएस-ओएम में, खुली स्थिति सीमा के अधीन, दी जा सकती है। तथापि, 'जब जारी' बाजार में कमी की स्थिति सिर्फ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा चलायी सकती है।

2.130 बाजार सहभागियों को ब्याज दर अनुमानों को दोनों तरफ से देखने के लिए तथा ब्याज दर जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों पर गठित आंतरिक तकनीकी दल ने केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में चरणबद्ध तरीके से शार्ट सेलिंग शुरू करने की सिफारिश थी। इसके प्रथम चरण में बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों को 28 फरवरी 2006 से आंतर दिवसीय शार्ट सेलिंग की अनुमति प्रदान की गई। तदुपरांत 31 जनवरी 2007 को सहभागियों को उसी दिन की ट्रेडिंग सहित पांच ट्रेडिंग दिवसों तक अपनी शार्ट सेलिंग स्थिति को खुली रखने की अनुमति प्रदान की गई। सहभागियों को निपटान चक्र के दौरान शार्ट स्थिति में रहने के मद्देनजर, बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों को शार्ट सेल लेन-देन दायित्वों की सुपुर्दगी पूरी करने के लिए रिवर्स रिपो (एल ए एफ के अलावा) के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई।

2.131 सरकारी प्रतिभूतियों में स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग के लिए कार्यदल (अध्यक्षः डॉ. आर.एच. पाटील) की सिफारिशों के अनुसरण में और सरकारी प्रतिभूति बाजार के सहभागियों को दक्ष एवं उन्नत प्लेटफार्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1 अगस्त 2005 से एन डी एस - ओ एम प्लेटफार्म परिचालित हुआ था। इसमें शुरुआत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों की दिनांकित प्रतिभूतियां ही स्वीकारी जाती थीं पर 31 जुलाई 2006 को इसे खजाना बिलों को स्वीकारने के लिए उन्नत किया गया। एन डी एस ओएम की सदस्यता शुरुआत में रिजर्व बैंक विनियमित एन डी एस सदस्यों (बैंकों एवं प्राथमिक डीलरों) के लिए ही थी। बाद में इसमें बीमा कंपनियां, पारस्परिक निधियां और चुनिंदा बड़ी भविष्य निधियों को शामिल किया गया। इसके अलावा खुदरा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एन डी एस - ओ एम का एक अलग मोड्यूल परिचालित किया गया जिससे ओड्ड लॉट में (पांच करोड़ के मानक लॉट से कम) ट्रेडिंग किया जा सके।

2.132 एनडीएस-ओएम की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए 25 मई 2007 को एनडीएस सदस्यों के पास गिल्ट खाते रखने वाली अर्हताप्राप्त संस्थाओं को पहुंच उपलब्ध करायी गयी। अर्हताप्राप्त संस्थाओं में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए विधि या विनियम द्वारा अपेक्षित सभी संस्थाएं शामिल हैं, यथा जमा लेनेवाली एनबीएफसी, भविष्य निधि, पेंशन फंड, म्युचुअल फंड, बीमा कंपनियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और न्यास। ये स्थाएं एनडीएस-ओएम के सदस्यों अर्थात् ग्राहकों के सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) मार्ग का प्रयोग करते हुए एनडीएस-ओएम में आर्डर

दे सकती हैं। इन लेनदेनों का निपटान सीएसजीएल खाता और एनडीएस-ओएम सदस्यों के चालू खाता के माध्यम से किया जाता है। यद्यपि सिस्टम सभी गिल्ट खातेदारों की ओर से सीएसजीएल लेनदेनों के जरिये सौदा करने की अनुमति देता है, संबंधित अभिरक्षकों (सीएसजीएल खातेदारों) की यह जिम्मेदारी है कि वे इस बात की सतर्कता बरतें और 'अर्हता' प्राप्त न करनेवाली संस्थाओं के खाते पर किसी लेनदेन की अनुमति न दी जाए। उन्हें एक प्रक्रिया तैयार कर ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि एनडीएस-ओएम पर आर्डर रखने की अनुमति देने के पहले गिल्ट खातेदार पात्रता मानदंड को पूरा कर लें। 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में, व्यवस्थागत तौर पर महत्वपूर्ण जमा न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) को अर्हताप्राप्त संस्थाओं के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव था।

2.133 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए आंतरिक तकनीकी दल की सिफारिशों के अनुसरण में और सरकारी प्रतिभूति बाजार में चलनिधि निविष्टि के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के समेकन को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने सक्रिय समेकन की एक योजना को अंतिम रूप देकर अनुमोदन दिया। इस योजना के तहत वापस खरीदी गई प्रतिभूतियों की पहचान इसके लिए बने मध्यस्थ समूह द्वारा किया गया। वर्ष 2007-08 के केंद्रीय बजट में केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपए प्रीमियम भुगतान के लिए उपलब्ध कराये। प्रतिभूतियों को वापस खरीदने की वास्तविक प्रक्रिया 2007-08 के दौरान प्रारंभ होने की संभावना है।

2.134 वर्ष 2006-07 के दौरान प्राथमिक डीलरों के परिचालन से संबंधित कई अनुदेश / दिशा-निर्देश भी जारी किये गये थे। इनमें शामिल हैं : संपूर्ण निर्गम (इश्यू) को अंडरराइट करने की जिम्मेवारी प्राथमिक डीलरों को सौंपना तथा प्राथमिक डीलरों की गतिविधियों को व्यापक करना एवं इनमें विविधता लाना।

विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां

2.135 वर्तमान वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि में तथा पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के लिए भावी मार्ग का सुझाव देने के लिए रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करते हुए पूंजी खाते की पूर्णपरिवर्तनीयता पर एक समिति (अध्यक्ष : श्री. एस.एस. तारापोर) का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2006 में प्रस्तुत की। वित्तीय बाजारों के विकास से संबंधित कई सिफारिशें करने के अलावा समिति ने सिफारिश की कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत मौजूदा विनियमों की पुनः जाँच करने तथा उदारीकरण की राह में पहले से मौजूद परिचालनात्मक बाधाओं को दूर करने की सिफारिशें करने के लिए आंतरिक कार्य दल का गठन किया जाना चाहिए। तदनुसार, एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया गया तथा इस कार्य दल ने इसे सौंपा गया कार्य जनवरी 2007 में पूरा कर लिया। कार्य दल की कुछेक सिफारिशें वर्ष 2007-08 के लिए 24 अप्रैल 2007 को घोषित वार्षिक नीति वक्तव्य में लागू की गई थीं।

2.136 विदेशी मुद्रा सौदों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा इनमें बृहत्तर लोचता प्रदान करने की दृष्टि से निवासी व्यक्तियों की उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत निवासी व्यक्तियों के लिए विप्रेषण सीमा को दो चरणों में बढ़ाया गया। पहली बार दिसंबर 2006 में इसे 25,000 अमरीकी डालर (प्रत्येक पंचांग वर्ष) से बढ़ाकर 50,000 अमरीकी डालर (प्रत्येक वित्तीय वर्ष) किया गया तथा कुछ शर्तों के साथ मई, 2007 में इस सीमा को और बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर (प्रत्येक वित्तीय वर्ष) कर दिया गया। प्राप्त/खर्च न की गयी/प्रयोग न की गयी विदेशी मुद्रा को अभ्यर्पित करने के लिए विदेशी मुद्रा को प्राप्ति/खरीद/अधिग्रहण तिथि/यात्री की लौटने की तिथि, जैसा भी मामला हो, से छः माह की एकसमान अवधि की अनुमति दी गई है ।

2.137 अप्रैल 2007 में निवासी व्यक्तियों को अनुमति दी गई कि वे 1,00,000 अमरीकी डालर की वार्षिक सीमा तक अंतर्निहित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बगैर अपने विदेशी मुद्रा प्रत्याशित एक्सपोजरों सहित, जिन्हें मुक्त रूप से निरस्त और पुनः बुक किया जा सकता है, का फारवर्ड कांट्रेक्ट बुक करने के माध्यम से प्रबंध / बचाव कर सकते हैं।

2.138 नकदीकृत विदेशी मुद्रा का मूल्य 15,000/- रुपये से अधिक होने पर प्रतिभूति-पत्र पर जारी किये जाने वाले नकदीकरण प्रमाण-पत्र की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है तथा इसके बदले अब श्रेणी I के अधिकृत डीलर बैंक[5], ग्राहक के अनुरोध पर, बिना किसी राशि की सीमा के अपने लेटर-हेड (जिन पर बैंक का लोगो छपा हो) पर अधिकृत अधिकारियों के विधिवत हस्ताक्षर से नकदीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं।

[5] वर्तमान में विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए अधिकृत बैंकों (नामतः अनुसूचित वाणिज्य बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा शहरी सहकारी बैंक) को अधिकृत डीलरों की श्रेणी I में रखा गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार ये बैंक चालू और पूंजी खाते के सभी प्रकार के लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं।

2.139 अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को अनुमति दी गई है कि वे किसी भी मूल प्रयोजन हेतु अपने अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों के शेष में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक मिलियन अमरीकी डालर तक विप्रेषित कर सकते हैं। एनआरओ खातों के शेष में अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में उनके संसाधनों से अधिगृहीत अचल सम्पत्ति की बिक्री राशि या उत्तराधिकार या उपहार के रूप में प्राप्त की गई सम्पत्ति की बिक्री राशि शामिल हो सकती है। बृहत्तर लोचता प्रदान करने की दृष्टि से नवम्बर 2006 से अचल सम्पत्ति की बिक्री राशि के विप्रेषण के लिए 10 वर्ष की अवरुद्ध अवधि को हटा दिया गया है। 2006-07 में अनिवासी जमाओं में हुई भारी (उल्लेखनीय) वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा इन जमाओं के प्रति मंजूर किये जा रहे अग्रिमों में भारी वृद्धि की रिपोर्ट को देखते हुए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में आस्ति मूल्यों को और बढ़ाने के दबावों को टालने के लिए बैंकों द्वारा 31 जनवरी 2007 से एनआर (इ) आर ए तथा एफसीएनआर (बी) जमाओं के प्रति जमाकर्ताओं को या तीसरे पक्षों को 20 लाख रुपये से अधिक नये ऋण स्वीकृत करने पर रोक लगाई गई। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि अधिकतम सीमा की शर्त से बचने के लिए वे ऋण की राशि को कृत्रिम रूप से कम न करें।

2.140 कंपनियों को उनके बाह्य लेनदेनों में और अधिक लोच प्रदान करने की दृष्टि से कुछेक उपाय किये गये हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें शामिल हैं : अप्रैल 2007 से भारत में कंपनी शुरू करने से पूर्व वहन किये गये खर्चों को कुछेक सीमा तक प्रतिपूर्ति करने के लिए श्रेणी I के अधिकृत डीलर बैंकों को अनुमति देना; कंपनियों द्वारा कुछेक सीमाओं के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दान के रूप में धन विप्रेषित किए जाने के लिए श्रेणी 'क' के अधिकृत डीलर बैंकों को अनुमति देना तथा आधारभूत परियोजनाओं को निष्पादित करने वाली भारतीय कंपनियों द्वारा बाहर से ली गई परामर्शदात्री सेवाओं के लिए विप्रेषण सीमा को अप्रैल 2007 से प्रत्येक परियोजना के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 10 मिलियन अमरीकी डालर करना।

2.141 निर्यातकों / आयातकों को उपलब्ध सुविधाओं को और उदारीकृत/सरल बनाया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें शामिल हैं: (i) नवम्बर 2006 से सभी श्रेणियों के विदेशी मुद्रा अर्जकों को उनकी शत-प्रतिशत विदेशी मुद्रा आय (पहले 50 प्रतिशत) को एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते में जमा करने की अनुमति देना; (ii) जनवरी 2007 से परियोजना / सेवा निर्यातकों को भारत से बाहर सृजित उनके अस्थायी नकदी अधिशेषों को भारत से बाहर निर्दिष्ट लिखतों / उत्पादों में लगाने की अनुमति देना; और (iii) फरवरी 2007 से सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी / फर्म द्वारा 'ऑन-साइट' ठेकों के संबंध में ठेका मूल्य की 30 प्रतिशत राशि को प्रत्यावर्तित करने की अपेक्षा को समाप्त करना। श्रेणी I के अधिकृत डीलर बैंकों को कुछ सुविधाएं भी स्वीकृत की गई हैं जिनमें अन्य के अलावा शामिल हैं : (क) फरवरी 2007 से निर्यात प्राप्तियों को निर्धारित छः माह की अवधि से अधिक समय में वसूल करने के लिए समय बढ़ाना; और (ख) नवम्बर 2006 से इन बैंकों को दिशा-निर्देशों की शर्त के तहत अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने की अनुमति देना।

2.142 इसके अलावा, कंपनियों को उनके विदेशी निवेशों के संबंध में और अधिक लोच प्रदान करने की दृष्टि से कई उपाय किये गये हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा, भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी निवेश सीमा (कुल वित्तीय प्रतिबद्धता) को बढ़ाना; (ii) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में सूचीबद्ध कंपनियों में पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को बढ़ाना; तथा (iii) विदेशों में किये गये आरंभिक/आवर्ती खर्चों के लिए विप्रेषण सीमा को उदार बनाना शामिल हैं।

2.143 विदेशी मुद्रा जोखिमों का गतिशील तरीके से बचाव करने को सुकर बनाने तथा भारत में बाजार के आकार एवं विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा धारित बड़ी स्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि निरस्त सौदों को धीरे-धीरे और टुकड़ों में पुनः बुक करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, फरवरी 2007 में श्रेणी I के अधिकृत डीलर बैंकों को अनुमति दी गई कि वे एफआइआइ को भारत में ईक्विटी और/या ऋण में उनके समस्त निवेश के बाजार मूल्य की दो प्रतिशत सीमा तक फारवर्ड संविदाओं को निरस्त करने तथा पुनः बुक करने की अनुमति दें। पुनः बुक करने के लिए पात्रता की गणना के लिए सीमा वित्तीय वर्ष के आरंभ में पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य पर आधारित है। बकाया संविदाएं हर समय अंतर्निहित निवेश द्वारा विधिवत् रूप से समर्थित होनी चाहिए। अधिकृत डीलर बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुल बकाया फारवर्ड संविदाओं का मूल्य पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य से अधिक नहीं हो।

2.144 अप्रैल 2007 के वार्षिक नीति वक्तव्य में, अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का अध्ययन करने तथा वर्तमान विधिक और विनियामक ढांचे के भीतर प्रस्ताव के परिचालन के लिए उपयुक्त ढांचे का सुझाव देने के लिए, मुद्रा फ्यूचर पर कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव किया गया। तदनुसार, मुद्रा फ्यूचर पर आंतरिक कार्यदल (अध्यक्षः श्री सलील गंगाधरन) का गठन किया गया, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ कुछ ऐसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जहां पूंजी नियंत्रण के माहौल में मुद्रा फ्यूचर एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। कार्य दल ने कई पणधारियों, जिनमें बैंक, औद्योगिक संघ, देशी और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज शामिल हैं, की राय पर विचार किया तथा उसने मुद्रा, विदेशी

विनिमय और सरकारी प्रतिभूति बाजारों पर गठित तकनीकी सलाहकार समिति के बाजार प्रतिभागियों के साथ व्यापक और ब्योरेवार परामर्श किया। कार्यदल ने प्रस्तावित मुद्रा फ्यूचर एक्सचेंजों के लिए, विशेषतः सहभागिता, समाशोधन एवं निपटान, बाजार मध्यस्थ, मार्जिन, संविदा अभिकल्प और निगरानी प्रक्रिया, जैसे पहलुओं पर विभिन्न विकल्पों की जांच की। कार्यदल की रिपोर्ट का प्रारूप 16 नवंबर 2007 को अभिमत के लिए रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर दर्शाया गया।

8. बैंकों में ग्राहक सेवा

2.145 रिज़र्व बैंक ने 2006-07 के दौरान ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा रिज़र्व बैंक के साथ-साथ बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए। रिज़र्व बैंक में ग्राहक सेवा के लिए एक नया विभाग 'ग्राहक सेवा विभाग' बनाया गया जो 1 जुलाई, 2006 से कार्य कर रहा है। यह विभाग (i) बैंकों द्वारा शिकायत निवारण से संबंधित ग्राहक सेवा पहलुओं की देखरेख करता है; (ii) बैंकिंग लोकपाल योजना का प्रशासन करता है; तथा (iii) भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) के साथ समन्वय करता है। यह विभाग रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में ग्राहक सेवा के स्तर की भी देखरेख करता है। मासिक आधार पर रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में मासिक आधार पर प्राप्त शिकायतों के आंकड़े केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर मिलाये जाते हैं तथा इनका विश्लेषण किया जाता है तथा स्थानीय बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर इनकी समीक्षा की जाती है।

2.146 'कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स' का विमोचन 1 जुलाई 2006 को किया गया जो वैयक्तिक ग्राहकों के लिए विभिन्न बैंकिंग लेनदेनों के संबंध में उचित व्यवहार के न्यूनतम मानक के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक, बैंकों तथा बीसीएसबीआइ द्वारा किये गये पहले औपचारिक संयुक्त प्रयास का संकेत है। 84 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में से 70 बैंक बीसीएसबीआइ के सदस्यों के रूप में इस कोड को अपनाने के लिए कटिबद्ध हैं।

2.147 ग्राहकों द्वारा विभिन्न बैंकों के सेवा प्रभारों की तुलना को आसान बनाने के लिए 20 जुलाई 2006 को बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी वेबसाइट के होम पेज के प्रमुख स्थान पर 'सर्विस चार्जेस एण्ड फीस' शीर्षक के अंतर्गत सेवा प्रभारों और शुल्क की जानकारी दें। बैंकों की वेबसाइटों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक 'वेबलिंक' प्रदान किया गया है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे ग्राहकों द्वारा शिकायत को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वेबसाइट के 'होमपेज' पर ही शिकायत फार्म प्रदान किया जाए जिसमें शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकार का नाम भी शामिल हो।

सेवा प्रभारों की उपयुक्तता

2.148 बैंक प्रभारों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए गठित किए गए कार्यदल ने अगस्त 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में वैयक्तिक ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली मूल बैंकिंग / वित्तीय सेवाओं, उक्त प्रभारों को तय करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि तथा इन प्रभारों की उपयुक्तता जैसे विभिन्न मुद्दों की जांच की गई है। कार्यदल ने जमा खातों, ऋण खातों, विप्रेषण सुविधाओं एवं चेक संग्रहण से संबंधित सत्ताईस मूल बैंकिंग सेवाओं की पहचान की है तथा चेक संग्रहण और विप्रेषण के प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपये तक के तथा विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए 500 अमेरिकी डालर तक के लेनदेनों को कम मूल्य के लेनदेनों के रूप में परिभाषित किया गया है। कार्य दल ने (i) गैर-वैयक्तिक इकाइयों की तुलना में व्यक्तियों के लिए कम दरों; (ii) वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण ग्राहकों तथा पेंशनभोगियों जैसे विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कम दरों; (iii) उचित और वाजिब प्रभारों; तथा (iv) अधिकतम सीमा की शर्त के तहत केवल वृद्धिशील लागत को कवर करने के लिए सम-मूल्य पर सेवा प्रभार लगाने के आधार पर उपयुक्तता के मोटे सिद्धान्त सुझाये हैं। विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली मूल सेवाओं के लिए कार्य-दल ने सिफारिश की है कि बैंकों को अन्य व्यक्तियों के लिए लगाये जाने वाले प्रभारों की तुलना में और अधिक उदार शर्तों पर प्रभार लागू करने चाहिए।

2.149 कार्य-दल ने यह भी सिफारिश की कि वैयक्तिक ग्राहकों को प्रत्यक्ष एवं समय पर सभी प्रकार की मूल सेवाओं के लिए लागू प्रभारों के साथ-साथ उक्त प्रभारों में प्रस्तावित परिवर्तनों की संपूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। कार्य-दल की सिफारिश के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 2 फरवरी 2007 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को परिपत्र जारी किया।

बैंकों द्वारा प्रभारित अत्यधिक ब्याज दर की शिकायत

2.150 रिज़र्व बैंक और बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को अत्यधिक ब्याज दर तथा कुछ ऋणों और अग्रिमों पर प्रभार लगाने संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मसले की जांच की गई तथा 7 मई 2007 को बैंकों को सूचित किया गया कि हालांकि ब्याज दरों को विनियमित किया गया है, तथापि एक स्तर से आगे ब्याज दरें सूदखोरी की श्रेणी में आ जाती हैं और न तो उन्हें बनाये रखा जा सकता है, न ही उन्हें सामान्य

बैंकिंग प्रथा के अनुरूप बताया जा सकता है। अतः बैंकों के बोर्डों को उपयुक्त आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं बनाने के लिए सूचित किया गया ताकि उनके द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर प्रोसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित कुसीदात्मक ब्याज न लगाया जाए। बैंकों को सूचित किया गया कि वे कम मूल्य वाले ऋणों, विशेषतः वैयक्तिक ऋणों और ऐसे अन्य ऋणों के संबंध में सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मोटे दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें : (i) ऋण पर लगाये जाने वाले ब्याज और अन्य सभी प्रभारों सहित उधारकर्ता की कुल लागत, ऋण जिसे चुकाया जाना है, को देने में बैंकों द्वारा वहन की गयी कुल लागत एवं उस लेनदेन से उचित रूप में अपेक्षित प्रतिलाभ की मात्रा के संबंध में न्यायोचित होनी चाहिए तथा (ii) ऐसे ऋणों पर उगाहे जाने वाले प्रोसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित ब्याज पर एक उपयुक्त अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए तथा उसका उचित प्रचार किया जाए।

शिकायतों का विश्लेषण और प्रकटन

2.151 लोक सेवाओं की प्रक्रिया और निष्पादन लेखापरीक्षा समिति (अध्यक्ष : श्री एस.एस. तारापोर) की सिफारिश के आधार पर तथा शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता में इजाफा करने के लिए 22 फरवरी 2007 को बैंकों को सूचित किया गया था कि वे प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण के साथ-साथ अपने बोर्ड/ग्राहक सेवा समिति के समक्ष शिकायतों का विवरण भी प्रस्तुत करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वे आम जनता की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर शिकायतों का विस्तृत विवरण और उनका विश्लेषण भी दें। शिकायतों का विश्लेषण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे ऐसे ग्राहक सेवा क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें बारबार शिकायतें प्राप्त होती हों, जिन स्रोतों से बारबार शिकायतें प्राप्त होती हों उनकी पहचान की जा सके तथा सिस्टम-जनित कमियों की पहचान की जा सके और शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके।

2.152 इसके अलावा, बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे अपने वित्तीय परिणामों के साथ-साथ ग्राहक शिकायतों से संबंधित संक्षिप्त विवरण, जैसे कि प्राप्त शिकायतों की संख्या, निपटायी गई शिकायतों की संख्या तथा लंबित शिकायतों की संख्या भी प्रकट किया करें। इसी प्रकार बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने वित्तीय परिणामों के साथ बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित 'निर्णयों' (अवार्ड) से संबंधित संक्षिप्त विवरण यथा पारित अवार्ड, लागू किये गये / क्रियान्वयन हेतु लंबित अवार्ड आदि की संख्या की जानकारी दें।

2.153 शासन का बेहतर मानक तथा सार्वजनिक संस्थाओं के कार्यों के संचालन में ईमानदारी/पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने 21 अप्रैल 2004 को लिखित शिकायतें प्राप्त करने अथवा भ्रष्टाचार के आरोपों या पद के दुरुपयोग को प्रकट करने तथा उपयुक्त कार्रवाई की संस्तुति करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को 'निर्दिष्ट एजेंसी' के रूप में प्राधिकृत किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का अधिकार क्षेत्र सरकार या उसके द्वारा या किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी निगम, सरकारी कंपनियों, समितियों या स्थानीय प्राधिकरणों, जो सरकार के स्वामित्व में हों या उसके द्वारा नियंत्रित हों, के कर्मचारियों तक सीमित है तथा इस प्रकार इसमें सिर्फ सरकारी क्षेत्र के बैंक शामिल है। चूंकि निजी क्षेत्र के बैंक या विदेशी बैंक सीवीसी की परिधि के बाहर हैं, अतः रिज़र्व बैंक ने 18 अप्रैल 2007 को निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए संरक्षित प्रकटन योजनाट नामक उसी तरह की योजना शुरू की। इस योजना के तहत भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, आपराधिक मामलों, संदिग्ध/वास्तविक धोखाधड़ी, वर्तमान नियमों एवं विनियमों का अनुपालन न किया जाना, वित्तीय हानि/परिचालनात्मक जोखिम के कारक कार्य, प्रतिष्ठा को नुकसान तथा जमाकर्ताओं के हित/सार्वजनिक हित जैसे क्षेत्रों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। योजना के तहत, संबंधित बैंक के कर्मचारी (भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र के एवं विदेशी बैंकों सहित) निजी क्षेत्र के ग्राहक, पणधारी, गैर-सरकारी संगठन और आम जनता द्वारा शिकायतें प्रस्तुत की जा सकती हैं (बॉक्स II.14)।

आम जनता को प्राइवेसी का अधिकार

2.154 आम जनता के प्राइवेसी के अधिकार के संरक्षण की दृष्टि से क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले सभी बैंकों को "कॉल नहीं करें सूची" (डू नॉट कॉल रजिस्ट्री) के बारे में अनुदेश जारी किये गये थे। क्रेडिट कार्ड धारकों से निरंतर प्राप्त हो रही शिकायतों तथा इस संबंध में दायर की गई जनहित याचिका के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को देखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'अयाचित वाणिज्यिक संप्रेषण' विनियमावली 2007 तैयार किया है। इन विनियमों तथा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, द्वारा टेलि-विपणनकर्ताओं के लिए जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने 3 जुलाई 2007 को बैंकों को 'अयाचित' वाणिज्यिक संप्रेषणों के संबंध में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के बारे में सूचित किया। इन दिशानिर्देशों में 'टेलि-विपणनकर्ताओं' की सेवाएं लेने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। बैंकों को सूचित किया गया था कि (i) वे ऐसे 'टेलि-विपणनकर्ताओं' [प्रत्यक्ष रूप से बिक्री करने वाले एजेण्ट (डीएसए)/प्रत्यक्ष विपणनकर्ता एजेन्ट

बॉक्स II.14: निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए संरक्षित प्रकटन योजना शुरू करना

लोक संस्थाओं के कार्यों के संचालन में बेहतर अभिशासन मानक और ईमानदारी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसी संगठन के कर्मचारियों द्वारा जनहित में सूचना को प्रकट करने को सार्वजनिक निकायों द्वारा अधिकाधिक स्वीकृति मिल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2004 को एक संकल्प पारित किया था जिसके माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) को लिखित शिकायतें प्राप्त करने या भ्रष्टाचार या पद के दुरूपयोग के किसी आरोप को प्रकट करने और उचित कार्रवाई करने का सुझाव देने के लिए ''निर्दिष्ट एजेंसी'' के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में सीवीसी का क्षेत्राधिकार केन्द्र सरकार या इसके द्वारा या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निगम, सरकारी कंपनियों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या इसके द्वारा नियंत्रित सोसायटियों या स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों तक सीमित होगा। इस प्रकार, भारत सरकार की योजना सरकारी क्षेत्र के बैंकों और रिज़र्व बैंक (क्योंकि यह केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित इकाई है) पर लागू होती है।

वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाने के सक्रिय उपाय के रूप में तथा वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता में जन विश्वास को बढ़ाने की दृष्टि से अप्रैल 2007 में रिज़र्व बैंक ने इसी प्रकार की योजना नामतः ''निजी क्षेत्र के और विदेशी बैंकों के लिए संरक्षित प्रकटन योजना'' शुरू की। इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(i) चूंकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भारत सरकार की योजना लागू होती है, यह योजना भारत में कार्य कर रहे निजी क्षेत्र के सभी बैंकों तथा विदेशी बैंकों को कवर करेगी।

(ii) योजना के तहत भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, आपराधिक मामलों, संदिग्ध/वास्तविक धोखाधड़ी, मौजूदा नियमों एवं विनियमों यथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का अनुपालन करने में असफल रहने तथा ऐसे कृत्यों जिनके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि/ परिचालनात्मक जोखिम उत्पन्न हो, प्रतिष्ठा की क्षति, जमाकर्ताओं के हितों/जन हित को नुकसान पहुंचाने से संबंधित शिकायतें शामिल होंगी।

(iii) योजना के अधीन संबंधित बैंक के कर्मचारी, ग्राहक, स्टेक होल्डर, गैर-सरकारी संगठन और आम जनता शिकायतें दर्ज कर सकती है।

(iv) योजना के तहत बेनामी/क्षद्‌मनाम से प्रेषित शिकायतें कवर नहीं होंगी तथा ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) योजना के तहत शिकायतें प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। शिकायत के चिढ़ाऊ और तुच्छ पाए जाने के मामलों को छोड़कर रिज़र्व बैंक शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखेगा तथा नीचे बिंदु (vi) में बताये अनुसार शिकायतकर्त्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जानी होगी।

(vi) रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किए जाने के बाद संस्थान - जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है - ऐसे मामलों, जहां योजना के अधीन अभिप्रेरित /चिढ़ाऊ शिकायत की गई हो, में शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तथापि, ऐसी कोई कार्रवाई करने से पूर्व संबंधित बैंक द्वारा शिकायतकर्ता को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा। रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत पर की गई अंतिम कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को दी जाएगी।

(डीएमए)] की सेवाएं नहीं लें जिनके पास दूर संचार विभाग, भारत सरकार का 'टेलि-विपणनकर्ताट के रूप में कार्य करने के लिए वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं हो। (ii) उनके द्वारा नियोजित टेलि-विपणनकर्ताओं (डीएसए/डीएमए) की सूची, उनके द्वारा टेलि-विपणन काल के लिए प्रयुक्त पंजीकृत टेलीफोन संख्या सहित आइबीए को प्रस्तुत की जाए ताकि वे उसे टाई को प्रेषित कर सके; तथा (iii) यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा पहले से नियोजित सभी टेलि-विपणनकर्ता दूरसंचार विभाग के पास खुद को टेलि-विपणनकर्ता के रूप में पंजीकृत कराएं। चूंकि ट्राई के विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उद्योग स्तर पर आइबीए समन्वयकर्ता एजेंसी होगी, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे इस संबंध में आइबीए को सक्रिय सहयोग दें। बाद में ट्राई से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि डीएसए/डीएमए के अलावा, बैंकों/उनके कालसेंटरों, जो याचना 'काल' करते हैं, से भी यह अपेक्षित है कि वे दूरसंचार विभाग के पास टेलि-विपणनकर्ता के रूप में पंजीकृत कराएं। बैंकों को सूचित किया गया कि खुद को टेलि-विपणनकर्ता के रूप में पंजीकृत कराते समय बैंकों/उनके कालसेंटरों से अपेक्षित होगा कि वे टेलि-विपणन के लिए प्रमुख टेलीफोन नंबरों के ब्यौरे दें।

उधार देने वालों के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश - ऋण अस्वीकृत करने के कारण

2.155 रिज़र्व बैंक द्वारा उधार देनेवालों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर 5 मई 2003 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि 2 लाख रुपये तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के ऋण आवेदन फार्म में शुल्क/प्रभारों तथा ऐसे अन्य मामलों - जो उधारकर्ता के हितों को प्रभावित करे - के बारे में गहन जानकारी दी गई हो। दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से यह भी अपेक्षित है कि 2 लाख रुपये तक के ऋण मांगने वाले लघु उधारकर्ताओं के मामले में लिखित में उस प्रमुख कारण/कारणों का उल्लेख करें जिनके कारण ऋण आवेदन निरस्त किया गया। इन दिशानिर्देशों में 6 मार्च 2007 को संशोधन किया गया तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि सभी श्रेणियों के ऋणों भले ही उधारकर्ता द्वारा मांगे गये ऋण की राशि कुछ भी हो, के सभी ऋण आवेदन फार्मों में शुल्क/प्रभारों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से यह भी अपेक्षित है कि सभी श्रेणियों के ऋणों - बगैर किसी न्यूनतम सीमा के - के मामले में ऋण आवेदन (क्रेडिट कार्ड आवेदन सहित) को अस्वीकार करने के प्रमुख कारणों की लिखित में सूचना दें। (बॉक्स II.15)।

बाक्स II.15: उपभोक्ता संरक्षण के विशेष संदर्भ वाले क्रेडिट कार्ड

रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्डों के लिए विनियामक तंत्र पर कार्य-दल की सिफारिशों के आधार पर नवंबर 2005 में बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए जिन्हें क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों को लागू करना है। इन दिशानिर्देशों को जुलाई 2007 में अद्यतन किया गया तथा इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज दरों और अन्य प्रभारों में पारदर्शिता, गलत बिल भेजने, डीएमए/डीएसए तथा अन्य एजेण्टों का इस्तेमाल करने, ग्राहक के अधिकारों का संरक्षण करने, शिकायतों के निवारण जैसे क्षेत्र कवर किए गए हैं। बैंकों को सूचित किया गया था कि क्रेडिट कार्ड बकाया गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वैयक्तिक ऋणों के स्वरूप के हैं तथा इस कारण बैंक अपनी बीपीएलआर और क्रेडिट कार्ड बकायों के आकार पर ध्यान दिए बगैर क्रेडिट कार्ड बकायों पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

क्रेडिट कार्ड परिचालनों संबंधी ग्राहकों के अधिकार प्रारंभिक तौर पर निजी प्राइवेसी, ग्राहक गोपनीयता और ऋण संग्रहण में उचित प्रथा से संबंधित हैं। इन दिशानिर्देशों में ध्यान दिए गए ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र निम्नवत हैं:

(i) बैंकों को क्रेडिट कार्ड बकायों पर अपनी ब्याज दर/सेवा प्रभार का निर्धारण करने में पारदर्शी होना चाहिए तथा उन्हें 'वेलकम किट' और मासिक विवरण में शामिल किया जाए।

(ii) क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए बैंकों की विधिवत् रूप से तैयार की गई नीति और उचित व्यवहार संहिता होनी चाहिए और उन्हें भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के बारे में रिलीज की गई उउचित व्यवहार संहिताट को अपनाना चाहिए।

(iii) कार्ड जारी करने वाले बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि गलत बिल न तो तैयार किए जाते हैं और न ही इन्हें ग्राहकों को भेजा जाता है। यदि कोई ग्राहक किसी बिल का विरोध करता है तो बैंक को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा आवश्यक होने पर अधिकतम 60 दिनों की अवधि के अंदर ग्राहक को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक बिलों और खातों की विवरणियों को, इस प्रयोजन हेतु उचित सुरक्षा के साथ, ऑनलाइन तरीके से प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं।

(iv) विभिन्न क्रेडिट कार्ड परिचालनों की आउटसोर्सिंग करते समय बैंकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा करते समय ग्राहक सेवा की गुणवत्ता तथा ऋण, चलनिधि एवं परिचालनात्मक जोखिमों का प्रबंध करने की बैंक की क्षमता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाए। सेवा प्रदाता के विकल्प के मामले में बैंकों को ग्राहकों के अभिलेखों की गोपनीयता सुनिश्चित करने, ग्राहक की प्राइवेसी का आदर करने की जरूरतों के अनुसार कार्य करना होगा तथा ऋण की वसूली में उचित व्यवहार का अनुपालन करना होगा।

(v) भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार की गई उप्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों के लिए आचार संहिताट का बैंक इस प्रयोजन के लिए अपनी स्वयं की संहिता तैयार करने के लिए कर सकते हैं। बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने क्रेडिट कार्ड उत्पादों का विपणन करने के जिन डीएसए की सेवाएं बैंक ने ली हैं वे एजेंट क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए बैंक की स्वयं की आचार संहिता का अनुपालन करें। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए तथा यह किसी भी क्रेडिट कार्डधारक को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।

(vi) अनचाहे कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए तथा अनचाहे ऋण या अन्य ऋण सुविधा की भी पेशकश नहीं की जानी चाहिए।

(vii) कार्ड जारी करने वाले बैंक को समान रूप से क्रेडिट कार्डों को अपग्रेड नहीं करना चाहिए तथा न ही क्रेडिट (उधार) सीमा बढ़ानी चाहिए। शर्तों और निबंधनों में परिवर्तन होने पर कार्डधारकों की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से ली जानी चाहिए।

(viii) कार्ड जारी करने वाले बैंकों को चाहिए कि वे कार्डधारकों की विशिष्ट अनुमति प्राप्त किये बिना ग्राहकों से संबंधित कोई भी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति / संगठन को नहीं दें। किसी ऋण सूचना कंपनी (जो रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकृत हो) को कार्डधारक की ऋण पृष्ठभूमि/चुकौती अभिलेख से संबंधित कोई जानकारी प्रदान करने के मामले में बैंक को स्पष्ट रूप से ग्राहक के ध्यान में यह बात लानी चाहिए कि यह सूचना ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अनुसार प्रदान की जा रही है। भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. (सिबिल) या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत अन्य किसी ऋण सूचना कंपनी को चूक की स्थिति की सूचना भेजने से पूर्व कार्डधारक को इसी प्रकार की सूचना भेजी जानी चाहिए।

(ix) बकायों की वसूली के मामले में बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे और उनके एजेंट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उधार देनेवालों के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी मौजूदा अनुदेशों तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा बकायों के संग्रहण एवं प्रतिभूति के पुनः अधिग्रहण के संबंध में जारी अनुदेशों का अनुपालन करें। यदि बकायों के संग्रहण के संबंध में बैंकों की अपनी संहिता हो तो इसमें कम-से-कम भारतीय बैंक संघ की संहिता की सभी शर्तें शामिल होनी चाहिए। विशेष रूप से ऋण संग्रहण के लिए तीसरे पक्ष की एजेन्सियों को नियुक्त करने के संबंध में यह आवश्यक है कि ऐसे एजेन्ट ऐसे कार्य नहीं करें जो बैंक की सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाये तथा वे ग्राहक की गोपनीयता का कड़ाई से पालन करें।

(x) बैंक/उनके एजेन्ट ऋण संग्रहण के अपने प्रयासों में किसी व्यक्ति को मौखिक या शारीरिक रूप से किसी प्रकार से धमकाने या उत्पीड़न का कार्य न करें। इसमें कार्डधारकों के परिवार के सदस्यों, उनके नामों का संदर्भ देने वालों और मित्रों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप करने के कृत्य, धमकी देना और बेनामी रूप से फोन करना या गलत और भ्रमित करने वाले अभ्यावेदन देना शामिल हैं।

(xi) सामान्यतया अपनी शिकायतों के लिए ग्राहकों को साठ (60) दिनों की समय-सीमा दी जाए। कार्ड जारी करने वाले बैंक को बैंक के अंदर शिकायत निवारण तंत्र गठित करना चाहिए। बैंक के निर्दिष्ट शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर क्रेडिट कार्ड बिलों / वेबसाइट पर दिया जाना चाहिए। बैंकों में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु ग्राहकों की शिकायतों की पावती यथा शिकायत संख्या/ डॉकेट संख्या (शिकायतों के फोन से प्राप्त होने के मामलों में भी) देने का सिस्टम होना चाहिए।

(xii) क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतों के निपटान के लिए बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय तक पहुँचने का विकल्प दिशानिर्देशों में दिया गया है।

(xiii) किसी भी क्रेडिट कार्ड दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास है।

द्वार पर (डोरस्टेप) बैंकिंग

2.156 ग्राहकों के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दृष्टिकोण में एकरूपता लाने तथा शामिल जोखिमों को स्पष्ट करने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया था कि बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को द्वार पर बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धान्त तथा व्यापक मानक निर्धारित किए जाएं। तदनुसार, बैंकों केलिए फरवरी, 2007 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिनमें उन्हें अपने ग्राहकों को द्वार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने बोर्डों के अनुमोदन से योजना तैयार करने की अनुमति दी गई थी। योजना के अन्तर्गत बैंकों को कंपनियों / सरकारी विभागों / सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से नकदी / लिखत प्राप्त करने, काउंटर पर प्राप्त चेकों के प्रति नकद राशि की सुपुर्दगी करने तथा उन्हें डिमांड ड्राफ्ट सुपुर्द करने तथा वैयक्तिक ग्राहकों के मामले में उनसे नकदी / लिखत प्राप्त करने तथा उन्हें डिमांड ड्राफ्ट सुपुर्द करने जैसी द्वार-पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई। मई 2007 में बैंकों को अपने वैयक्तिक ग्राहकों को नकद राशि सौंपने की सेवाएं प्रदान करने की भी अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, किसी भी सुरक्षित सुविधाजनक माध्यम (चैनल) से प्राप्त अनुरोधों के प्रति भी वैयक्तिक ग्राहकों / कंपनियों / सरकारी विभागों / सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नकद राशि / ड्राफ्ट की सुपुर्दगी की सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई बशर्ते बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के मानक तथा प्रक्रियाएं अपनाएं। 24 मई 2007 को रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निदेश दिया कि द्वार पर बैंकिंग उत्पादों की पेशकश करते समय वे संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 का पालन करें।

आवास ऋण : निष्पक्षता और पारदर्शिता

2.157 रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह आया था कि आवास के लिए ऋण देते समय कुछ बैंक ऐसी परिस्थितियों और घटकों का उल्लेख करने में पूरी तरह पारदर्शी नहीं है जिनसे परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) दरों तथा दरों के पुनर्निधारण के खण्ड संबंधी बेंचमार्क पर प्रभाव पड़ता है। अतः बैंकों को उन सभी तौर-तरीकों की समीक्षा करने के लिए दबाव दिया गया जो कम निष्पक्ष और कम पारदर्शी हैं। उन पर इस बात के लिए भी जोर दिया गया था कि वे विधिक अपेक्षाओं और उचित प्रथाओं के अनुरूप उचित और पारदर्शी शर्तें प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं को अवसर प्रदान करें।

पेंशन भुगतान सेवाएं

2.158 रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेंशनभोगियों को एजेन्सी बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार लाने के लिए अपनी पहल जारी रखी। ''अधिकृत बैंकों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान योजना'' के अंतर्गत पेंशनभोगी उसके द्वारा वैयक्तिक तौर पर परिचालित उसके बचत/चालू खाते के माध्यम से पेंशन प्राप्त करता है। जून 2006 से केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, भारत सरकार ने पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते, जिसमें पारिवारिक पेंशन को जमा किया जाना अधिकृत हो, में पेंशन की राशि जमा करने की अनुमति दी है। रिज़र्व बैंक ने इस बारे में एजेन्सी बैंकों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए हैं।

अन्य बैंकिंग सेवाएं

2.159 30 मार्च 2007 को बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि ग्राहकों द्वारा जारी चेकों/ड्राफ्टों - जिसमें रुपये के भाग (पैसे) शामिल हों - को उनके द्वारा अस्वीकार या नकारा नहीं जाता है।

2.160 5 अप्रैल 2007 को बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सामान्यतः जमा खाता खोलने वाले व्यक्तियों पर नामांकन के लिए दबाव दें। यदि खाता खोलने वाला कोई व्यक्ति नामांकन भरने से इनकार करता है तो बैंक को नामांकन सुविधा के फायदे बताने चाहिए। इस पर भी यदि खाता खोलने वाल व्यक्ति नामांकन नहीं करता है तो बैंक को उसे इस विषयक एक निर्दिष्ट पत्र लिखकर देने के लिए कहना चाहिए कि वह नामांकन नहीं करना चाहता है। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति ऐसा पत्र देने से मना करता है तो बैंक को यह तथ्य खाता खोले जाने के फार्म पर दर्ज करना चाहिए तथा अन्यथा पात्र पाए जाने पर खाता खोलने की आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बैंक को केवल इस आधार पर कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामांकन के लिए मना किया है, खाता खोलने से इनकार नहीं करना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए इस प्रकार के दिशानिर्देश अप्रैल 13, 2007 को जारी किए गए।

2.161 लोक सेवाओं की प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा समिति की लॉकर के सुगम परिचालन से संबंधित सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित जमा लॉकर/ वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा (सेफ कस्टडी आर्टिकल्स) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जारी सभी दिशानिर्देशों की समीक्षा की तथा संशोधित दिशानिर्देश अप्रैल 17, 2007 को जारी किए गए। दिशानिर्देश में निम्नलिखित से संबंधित अनुदेश हैं : (i) लॉकर आबंटन; (ii) लॉकर से संबंधित सुरक्षा पहलू; (iii) सुरक्षित जमा लॉकर तक पहुंच / सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुएं उत्तरजीवी/नामिती/कानूनी वारिस को लौटाना; और (iv) ग्राहक मार्गदर्शन और प्रचार।

2.162 25 अप्रैल 2007 को बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि उनके बैंक की कोई शाखा/स्टाफ कम मूल्यवर्ग के नोट और / या सिक्के स्वीकार करने से मना नहीं करे। बैंकों से अपनी समस्त शाखाओं को सख्त अनुदेश जारी करने के लिए कहा गया कि किसी भी स्थिति में संबंधित स्टाफ काउंटरों पर प्रस्तुत किए गए कम मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों को स्वीकार करने से मना नहीं करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्टाफ सदस्य इस बारे में जारी अनुदेशों की पूर्णतः जानकारी रखें तथा इनका कड़ाई से अनुपालन करें। किसी भी स्टाफ सदस्य द्वारा मना करने / अनुपालन नहीं करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जानी होगी।

2.163 मई 3, 2007 को बैंकों को सूचित किया गया था कि जोखिम सहभागिता के बगैर बीमा उत्पादों का वितरण करने के लिए कार्पोरेट एजेंसी कारोबार करने हेतु उन्हें रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बीमा एजेंसी कारोबार शुरू करने के 15 दिनों के अंदर उनके लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एक रिपोर्ट भेजनी अपेक्षित है।

9. भुगतान और निपटान प्रणाली

2.164 वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों का कारगर तरीके से कार्य करना एक पूर्वापेक्षा है। मौद्रिक नीति के संप्रेषण चैनलों की दृष्टि से भी भुगतान और निपटान प्रणाली महत्त्वपूर्ण है। प्रणाली का सुचारु रूप से कार्य नहीं करना अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं तथा वित्तीय आस्तियों के प्रवाह को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। इससे वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति की संप्रेषण प्रक्रिया पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

2.165 भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र में नीति-दिशानिर्देश देने वाले सर्वोच्च निकाय भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हो रही हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान बीपीएसएस की चार बैठकें (25 सितंबर 2006; 21 दिसंबर 2006; 10 अप्रैल 2007 और 14 जून 2007) हुईं। बीपीएसएस का प्रमुख जोर प्रोत्साहन और सूचना विस्तार के जरिए भुगतान प्रणालियों के इलेक्ट्रॉनिकीकरण पर रहा। जनता में बड़े पैमाने पर जागरूकता सृजित करने की दिशा में तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाएं - क्रेडिट और डेबिट के संबंध में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रकाशन किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित विभिन्न भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं के नाम 'पब्लिक डोमेनट में रखे गए। बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही इलेक्ट्रानिक भुगतान सेवाओं हेतु लिए जा रहे प्रभारों को भी प्रकाशित किया जा रहा है तथा जब कभी बैंकों द्वारा किसी परिवर्तन की सूचना भेजी जाती है तो इन्हें अद्यतन किया जाता है। इससे ग्राहकों को लगाये जानेवाले प्रभार तथा दी जानेवाली सेवाओं के आधार पर बैंक का चयन करने का विकल्प मिला है।

2.166 रिज़र्व बैंक ने खुदरा और बड़े दोनों मूल्य वाली सुदृढ़ भुगतान और निपटान प्रणालियां विकसित करने में रुचि दिखाई है। रिज़र्व बैंक ने खुदरा मूल्य और बड़े मूल्य दोनों प्रणालियों की दक्षता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं। खुदरा मूल्य और बड़े मूल्य वाली प्रणालियों के लिए अधिक से अधिक केन्द्रों / शाखाओं को नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस के दायरे में लाना इस दिशा में उठाया गया कदम है। इसी प्रकार समाशोधन गृहों को एक-साथ (बल्क) भुगतानों / प्राप्तियों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है। इन वर्षों में विकसित खुदरा और बड़े मूल्य वाली भुगतान प्रणालियों का व्यापक ढांचा और इसकी विशेषताएं तथा भुगतान प्रणालियों का पर्यवेक्षण इस भाग में विस्तारपूर्वक दिया गया।

खुदरा भुगतान प्रणालियां

2.167 खुदरा भुगतान प्रणालियों में कागज आधारित समाशोधन और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणालियाँ अर्थात् नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा, कार्ड भुगतान, ई-भुगतान, इंटरनेट और मोबाइल भुगतान शामिल होते हैं प्रौद्योगिकीय विकास ने ई-पर्स जैसी भुगतान प्रक्रिया में अभिनव परिवर्तन को सुकर बनाया हैं (बॉक्स II.16)।

कागज आधारित समाशोधन - माइकर का विस्तार तथा मैग्नेटिक मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली (एमएमबीसीएस) का कार्यान्वियन

2.168 कागज आधारित चेक आज भी भुगतान का सर्वाधिक प्रमुख माध्यम है। भुगतान के इस माध्यम से निपटाए गए लेनदेनों की मात्रा के कारण यह अनिवार्य है कि यह प्रणाली सुचारु तरीके से कार्य करे। माइकर फार्मेट में चेक को मानकीकृत किया जा चुका है। तथापि अधिकतर समाशोधन गृहों में अभी भी समाशोधन का कार्य हाथ से अर्थात मैनुअल किया जा रहा था। अतः 59 चुनिंदा केंद्रों पर माइकर चेक प्रसंस्करण केंद्र (सी पी सी) की स्थापना पूरी होने पर इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि समाशोधन गृहों में निपटान परिचालनों को कंप्यूटरीकृत किया जाए, जहाँ कम मात्रा के कारण माइकर चेक प्रसंस्करण

बॉक्स II.16: ई-पर्स से संबंधित पहल

भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी समिति अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, द्वारा मई 2004 में प्रकाशित 'इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा और इंटरनेट तथा मोबाइल भुगतान में विकास का सर्वेक्षण' में इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है, 'निर्गमकर्ता पर दावे द्वारा प्रस्तुत मौद्रिक मूल्य, जिसे (i) इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखा जाता है; (ii) जारी मौद्रिक मूल्य से अन्यून राशि की निधियों की प्राप्ति पर जारी किया जाता है; (iii) निर्गमकर्ता से इतर उपक्रमों द्वारा भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है'। इस परिभाषा में प्रीपेड कार्ड (जिसे कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक पर्स कहा जाता है) और प्रीपेड सॉफ्टवेयर प्रॉडक्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हैं (जिसे कभी-कभी डिजिटल नकदी कहा जाता है) दोनों शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक पर्स या ई-पर्स एक ऐसा भंडारित मूल्य या प्रीपेड प्रॉडक्ट है जिसमें निधियों या मूल्य के रिकॉर्ड का भंडारण एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर किया जाता है जो ग्राहक के कब्जे में रहता है तथा बहुल उपयोग के लिए ग्राहक को उपलब्ध रहता है। डिवाइस में मूल्य डालना एटीएम से नकदी निकालने जैसा है। एटीएम के माध्यम से अथवा कुछ मामलों में टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से समतुल्य मौद्रिक मूल्य प्राप्त होने पर बैंक खातों से शेष के अंतरण द्वारा कार्ड पर मुद्रा को लोड किया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः कम मूल्य की खरीद के लिए भुगतान करने में किया जाता है।

भारत में सिर्फ कुछ बैंकों ने प्रीपेड कार्ड जारी करना शुरू किया है। अब बैंकों के सहयोग से/ सहयोग के बिना कई बैंकेतर संस्थाएं सीमित या बहुउद्देश्यीय दोनों तरह के प्रीपेड कार्ड जारी कर रहे हैं। भारत में बैंकों द्वारा जारी कार्डों की मोटे तौर पर ये श्रेणियाँ हैं - को-ब्रैंडेड पूर्व-प्रदत्त यात्रा कार्ड/ विदेशी यात्रा कार्ड, को-ब्रैंडेड पूर्वप्रदत्त वार्षिक कार्ड, को-ब्रैंडेड पूर्वप्रदत्त पेरोल कार्ड आदि। एटीएम में उपयोग में लाने के अलावा, इन कार्डों का उपयोग भुगतान करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों में भी किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से लेनदेन करने के लिए भी भुगतान किये जा सकते हैं। धीरे-धीरे पर स्थिरता के साथ, भुगतान की इस विधि का उपयोग बढ़ रहा है। ई-पर्स के संभाव्य लाभों को पहचानते हुए इस प्रकार के भुगतानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जांच रिज़र्व बैंक कर रहा है।

की स्थापना अर्थक्षम विकल्प नहीं था। मैग्नेटिक मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली का उपयोग करते हुए संशोधन कार्य के कंप्यूटरीकरण की योजना बनाई गई।

2.169 मैग्नेटिक मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली (एमएम बीसीएस), माइकर कोड सूचना पर आधारित समाशोधन और निपटान के लिए प्रावधान करती है। यह प्रणाली 15 वर्ष से अधिक समय तक प्रचालित की जाती रही है। इसके अंतर्गत प्रेजेंटेशन समाशोधन, वापसी समाशोधन, उच्च मूल्य/उच्च मूल्य वापसी समाशोधन और अंतर-बैंक समाशोधन किए जा सकते हैं परंतु अंतर-सिटी समाशोधन इसमें संभव नहीं है। यह प्रणाली आरंभ में रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित चार माइकर चेक प्रसंस्करण केंद्रों में लागू की गई। बाद में इस प्रणाली को रिज़र्व बैंक के प्रबंधन वाले सभी समाशोधन गृहों में लागू किया गया। सदस्य बैंक अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक फाइल के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वह फाइल अपने आप कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो जाती है। परिणामस्वरूप 15 मिनट में ही, जबकि मैनुअल प्रणाली में 3 अथवा 4 घंटे लगते थे, निपटान के आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। पहले चरण (25 से अधिक बैंकों वाले समाशोधन गृह) में 41 समाशोधन गृहों को चयनित किया गया और उन्हें कंप्यूटरीकृत किया गया। दूसरे चरण के दौरान (15 या उससे अधिक बैंकों वाले समाशोधन गृह) 180 समाशोधन गृहों को कंप्यूटरीकरण के लिए चुना गया। इनमें से 176 समाशोधन गृहों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 313 अन्य समाशोधन गृहों को भी कंप्यूटरीकृत किया गया यद्यपि उनके पास 15 से भी कम बैंकों की सदस्यता थी। इस प्रकार सितंबर 2007 के अंत तक कुल कंप्यूटरीकृत समाशोधन गृहों की संख्या 530 थी। समाशोधन गृहों के कंप्यूटरीकरण से चेक प्रोसेसिंग में समय और त्रुटियों में कमी आयी है। नये समाशोधन गृहों को सिर्फ एमएमबीसीएस द्वारा ही परिचालित किया जाता है।

2.170 कागज आधारित भुगतान प्रणाली की क्षमता के उन्नयन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) भी प्रारंभ की गई है। सीटीएस के परिचालन में आ जाने के बाद कागजी लिखतों को प्रेजेंटिंग बैंकों से आगे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चेक ट्रंकेटिंग के स्थान - शाखा स्तर अथवा सेवा शाखा अथवा गेटवे स्तर-पर ही बैंक कारोबारी निर्णय कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को इस दायरे में लाने के लिए चेक ट्रंकेशन हेतु एक प्रायोगिक परियोजना स्थापित की गई है। छोटे बैंक, जिनके लिए इस तरह की आधारभूत संरचना स्थापित करना अर्थक्षम नहीं है, एक साथ मिलकर ऐसी सेवा देने के लिए स्थापित किए गए सेवा ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ कुछेक बड़े बैंक सेवा ब्यूरो की स्थापना छोटे बैंकों के लिए करेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

2.171 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा एक तरह की फुटकर भुगतान प्रणाली है जिसका उपयोग एक ही जैसे बड़े भुगतानों/प्राप्तियों को करने, विशेषतया जब प्रत्येक भुगतान पहले के जैसा ही हो और छोटी राशि का हो, के लिए किया जा सकता है। इसके दो प्रकार हैं - एक प्रत्यक्ष जमा और दूसरा प्रत्यक्ष नामे। ईसीएस (जमा) के अंतर्गत एक निकाय/कंपनी अपने बैंक खाते से कई प्राप्तकर्ताओं को प्रत्यक्ष जमा के द्वारा उन प्राप्तकर्ताओं के बैंक खातों में भुगतान करती है। प्रत्यक्ष जमा सुविधा के उपयोग से कंपनियां और सरकारी विभाग एक जैसे बड़े

भुगतान, जैसे वेतन और पेंशन, कर सकती हैं। ई सी एस नामे (डेबिट) के द्वारा यूटीलिटी कंपनी (बिजली और दूरसंचार) और बीमा कंपनियाँ अपने बिल, बीमा प्रीमिया और ऋणों की समान मासिक किस्त का भुगतान अपने ग्राहकों के बैंक खातों से प्राप्त करती हैं। अब 67 केंद्रों पर सभी बैंक शाखाओं में ईसीएस उपलब्ध है।

2.172 जिन केंद्रों पर रिज़र्व बैंक का अपना कोई कार्यालय नहीं है, उन केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की सुविधा अधिकाधिक उपलब्ध कराने के लिए और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर (पी के आइ) - आधारित सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए ईएफटी के जैसी ही एक प्रणाली, जिसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के नाम से जाना जता है, नवंबर 2005 में लागू की गई। बृहद मूल्य के भुगतानों के लिए आरटीजीएस प्रणाली बना चुकने के पश्चात फुटकर इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए एन ई एफ टी अत्यावश्यक भुगतान प्रणाली बन चुकी है। एनईएफटी संबंधी निपटान 'निवल' आधार पर किया जाएगा : सप्ताह के दिनों में 6 निपटान (9.30 पूर्वाह्न 10.30 पूर्वाह्न; 12.00 मध्याह्न; 1.00 अपराह्न, 3.00 अपराह्न और 4.00 अपराह्न) किए जाते हैं और शनिवार को 3 निपटान (9.30 पूर्वा; 10.30 पूर्वा; और 12.00 मध्याह्न) किए जाते हैं। एनईएफटी सिस्टम जो आस्थगित निवल निपटान है, के निपटानों की संख्या में वृद्धि ने इसे वास्तविक समय प्रणाली (रियल टाइम सिस्टम) के काफी निकट ला दिया है। इस समय 74 बैंकों के द्वारा यह सुविधा 30,000 से अधिक शाखाओं पर उपलब्ध कराई जा रही है। रिज़र्व बैंक ने एनईएफटी में मई 2007 से हिस्सेदारी शुरू की है। परंतु रिज़र्व बैंक की हिस्सेदारी केवल एक विप्रेषणकर्ता बैंक के रूप में ही है।

2.173 एजेंसी बैंकों को 30 अप्रैल 2007 को सूचित किया गया कि वे ईसीएस/ईएफटी सुविधाओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सरकारी लेनदेन करने के लिए ग्राहकों को समर्थकारी वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली

2.174 कई वर्षों से देश में क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग होता आया है। लेकिन कार्ड आधारित उपयोग पिछले पांच वर्षों के दौरान ही अधिक गति से बढ़ा है। आजकल देश में फुटकर भुगतान के लिए कार्ड के द्वारा भुगतान का तरीका ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

ई-भुगतान : इंटरनेट और मोबाइल भुगतान

2.175 ई-कॉमर्स और इंटरनेट के प्रयोग में हुई बेतहाशा वृद्धि ने नई भुगतान प्रक्रिया के विकास को जन्म दिया है जो गति और सुविधा के लिए इंटरनेट की अद्वितीय क्षमताओं का दोहन करने में सक्षम हैं। इसी प्रकार मोबाइल फोनों के अधिकाधिक उपयोग के कारण बैंकों और गैर-बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए नई भुगतान सेवा विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। इंटरनेट भुगतान और मोबाइल भुगतान एक ऐसे चैनेल के द्वारा परिभाषित होते हैं जिसके माध्यम से भुगतान प्रणाली में भुगतान संबंधी अनुदेश प्रविष्टि पाते हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय स्विच

2.176 राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) की स्थापना बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी) के द्वारा समस्त बैंक एटीएम स्विचों के बीच शीर्ष स्तरीय कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। इसके कारण पूरे देश में बैंकों के बीच एटीएम कनेक्टिविटी में सुविधा होगी। एन एफ एस के माध्यम से किए गए सभी लेनदेनों के लिए सी सी आइ एल को निपटान एजेंसी के रूप में निरूपित किया गया है। एकल सदस्यों के निवल निपटान दायित्वों को आइडीआरबीटी के द्वारा सीसीआइएल को भेजा जाता है। सीसीआइएल के द्वारा यह फाइल निपटान के लिए रिज़र्व बैंक को भेज दी जाती है। इस भाग के अंतर्गत 'सभी अथवा एक भी नहीं' आधार पर निपटान किए जाते हैं।

बृहद्मूल्य भुगतान प्रणालियाँ

2.177 बृहद्मूल्य भुगतान प्रणालियों में आरटीजीएस, सरकारी प्रतिभूति समाशोधन और विदेशी मुद्रा समाशोधन सम्मिलित हैं। आरटीजीएस का परिचालन मार्च 2004 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में आरटीजीएस प्रणाली के 100 सदस्य (बैंक, प्राइमरी डीलर और रिज़र्व बैंक) हैं। आरटीजीएस प्रणाली अंतर बैंक निधि अंतरण का काम तो करती है साथ में ग्राहकों के लेनदेनों को सुविधाजनक बनाती है।

2.178 जनवरी 2007 से यह प्रणाली पूर्णतया उच्च मूल्य प्रणाली बना दी गई है और इस प्रणाली के माध्यम से केवल 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य के लेनदेन किए जा सकते हैं। आंतरिक लेखांकन प्रणाली (आइएएस) तथा केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली (सीएफएमएस) के साथ आरटीजीएस को जोड़ दिए जाने के परिणामस्वरूप बैंकों को निधियों का प्रबंधन बेहतर तरीके से करना और रिज़र्व बैंक में अपने खातों के द्वारा पूरे देश में निधियों का निर्बाध अंतरण करना सुकर हुआ है। आर टी जी एस - आइ ए एस को प्रतिभूति निपटान प्रणाली (एसएसएस) के साथ एकीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप स्वचालित अंतः दिवस चलनिधि (आइडीएल), पात्रता के आधार पर, की उपलब्धता सुकर बन गई है।

2.179 आर टी जी एस में बहुपक्षीय शुद्ध निपटान बैच (एमएनएसबी) नामक निपटान की सुविधा है जिसका कार्यान्वयन मुंबई में किए गए निपटानों के लिए किया गया है। इन निपटानों में चेक समाशोधन निपटान (उच्च मूल्य समाशोधन सम्मिलित करते हुए), ई सी एस और ईएफटी / एनईएफटी निपटान आते हैं। आरटीजीएस में सी सी आइ एल निपटान भी किया जाता है। आरटीजी एस की पहुँच और उपयोगिता निरंतर बढ़ रही है। वर्तमान में 32,768 शाखाएं यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा रही हैं।

2.180 क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआइएल) सरकारी प्रतिभूति समाशोधन के लिए और विदेशी मुद्रा समाशोधन के लिए भी केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) है। समस्त द्वितीयक बाजार आउटराइट बिक्री और सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेनों का निपटान सीसीआइएल के माध्यम से किया जाता है। इस खंड में समस्त ओटीसी ट्रेड, जो रिज़र्व बैंक के एनडीएस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किए जाते हैं और ऐसे ट्रेड जो ऑनलाइन गुमनाम प्लेटफॉर्म एनडीएस - ओएम पर अनुबंधित किए जाते हैं, सीसीआइएल के द्वारा आवश्यक वैधीकरण होने के पश्चात निपटान के लिए स्वीकार किए जाते हैं। ये ट्रेड सुपुर्दगी बनाम भुगतान III के आधार पर निपटाए जाते हैं अर्थात निधियों के पक्ष और प्रतिभूति पक्ष दोनों ही पक्षों का निपटान निवल आधार पर किया जाता है। सीसीआइएल सभी लेनदेनों के लिए सीसीपी जैसी भूमिका निभाता है और लेनदेनों में सम्मिलित प्रतिभूति और निधि दोनों ही पक्षों की गारंटी देता है। सीसीआइएल प्रत्येक ट्रेड के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करते हुए नवोन्मेष प्रॉसेस के जरिए निपटान की तारीख को प्रत्येक ट्रेड के निपटान की गारंटी देता है।

2.181 रिज़र्व बैंक ने सीएफएमएस को कार्यान्वित किया है जो बैंकों को रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में रखे उनके खातों में मौजूद निधियों का अंतरण करने में समर्थ बनाते हैं। वर्तमान में निधि अंतरण की यह प्रणाली ग्यारह केंद्रों पर लागू है, ये केंद्र हैं - अहमदाबाद, बेंगलूर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और पटना।

भुगतान प्रणाली की निगरानी

2.182 ठोस कानूनी ढांचा की मौजूदगी भुगतान और निपटान प्रणाली के सुचारु रूप से कार्य करने का आधार है। वर्तमान में भारत में कोई अनन्य कानून नहीं है जो देश में भुगतान और निपटान प्रणाली पर औपचारिक निगरानी का अधिकार रिज़र्व बैंक को सौंपता हो। रिज़र्व बैंक इस भूमिका का निर्वाह विद्यमान कानूनों यथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 से शक्तियाँ प्राप्त करके करता है।

2.183 भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गई है। इस विधेयक के अधिनियमित होकर अधिनियम बन जाने के बाद रिज़र्व बैंक देश में समस्त भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित करने और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए शक्तिसंपन्न हो जाएगा। इस विधेयक में बहुपक्षीय निवलन और निपटान संबंधी बनी बातों, जो आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों (डीएनएसएल) के आधारभूत सिद्धांत हैं -आर टी जी एस प्रणाली को छोड़कर देश में सभी भुगतान प्रणालियों के निपटान की पद्धति को कानूनी मान्यता देने की व्यवस्था की गई है।

2.184 यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिचालनगत प्रणालियाँ भुगतान और निपटान संबंधी कोई जोखिम खड़ा नहीं करें, रिज़र्व बैंक ने सीमित रूप में अपने निगरानी कार्य को औपचारिक बनाने की शुरुआत की है। प्रारंभ में रिज़र्व बैंक ने माइकर चेक प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी) की परिचालन क्षमता के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया। माइकर सीपीसी के द्वारा इन न्यूनतम मानकों के अनुपालन के संबंध में एक तिमाही स्वमूल्यांकन रिपोर्ट (एसएआर) प्रस्तुत की जाएगी। ये मानक लिखतों की एनकोडिंग, समयसूची, सीपीसी में विनियमित प्रविष्टि, मशीनों के रखरखाव, परिचालनगत प्रक्रियाओं, अस्वीकृति दरों की निगरानी, ऑन लाइन अस्वीकृति मरम्मत (ओ एल आर आर) की गति और शुद्धता, पर्यवेक्षी सिग्नलों के लिए निपटान रिपोर्टों की जांच, वापसी समाशोधन अनुशासन का पालन करने, रिपोर्टें/डेटा डाउनलोड करने, ऑनलाइन समाधान में बैंकों को सक्षम बनाने, समाधान करने, ग्राहक सेवा और कारोबार निरंतरता योजना के संबंध में हैं। प्रस्तुत किए गए तिमाही एस ए आर का विश्लेषण किया जाता है और पायी गई विसंगतियाँ समाशोधन गृह का प्रबंधन देखनेवाले बैंकों को सूचित की जाती हैं और अनुपालन की निगरानी की जाती है। कार्यस्थल पर जानकारी लेने के लिए समाशोधन गृहों के दौरे भी किए जाते हैं।

2.185 रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों की निगरानी संबंधी पहली रिपोर्ट भी प्रकाशित की है जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्थागत रूप से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के अनुपालन के ब्यौरे दिए गए हैं।

10. प्रौद्योगिकी और अन्य प्रगति

2.186 बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लेनदेन लागत घटाने और कुशलतापूर्वक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्वीकार करते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया है। आधुनिक, मज़बूत, कुशल और न्यूनतम निपटान जोखिमों वाली सुरक्षित

भुगतान प्रणाली की डिजाइनिंग और विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण (हॉलिस्टिक एप्रोच) अपनाया गया। तथापि प्रौद्योगिकी के उपयोग से भी कई चुनौतियाँ मिलीं, विशेष रूप से आइटी आधारित उत्पाद/सेवाओं की सुरक्षा के संबंध में।

2.187 सूचना प्रौद्योगिकी (आइ टी) रिज़र्व बैंक और वाणिज्य बैंकों द्वारा नए उत्पाद और सेवाओं को विकसित करने में मुख्य कारोबार सुविधाप्रदाता के रूप में उभर कर आयी है। लेनदेनों की बृहद मात्रा को संभालने और ग्राहकों की बदलती उम्मीदों को पूरा करने में तो आइ टी ने मदद की ही है, इसके अलावा बैंक के प्रबंधन और ग्राहकों दोनों को ही लगभग वास्तविक समय में सूचना प्रसंस्करण करके उपलब्ध कराती है।

2.188 वर्ष 2006-07 इस बात का गवाह है कि आम तौर पर वित्तीय क्षेत्रों और विशेष रूप से वाणिज्यि बैंकों के द्वारा आइटी प्रयासों को मजबूत बनाना प्रारंभ किया गया। वर्ष के दौरान हुई प्रमुख गतिविधियों में सम्मिलित हैं - डाटा केंद्रों की स्थापना, केंद्रीकृत प्रणाली को अपनाना और सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग का बृहद पैमाने पर कार्यान्वयन करना।

2.189 भारत में बैंकों को आइटी, जिसकी शुरूआत लगभग एक दशक पूर्व छोटे पैमाने पर हुई थी, लागू करने के लाभ मिलने अब शुरू हो गए हैं। देश में पहले स्टैंड अलोन प्रणालियों का उपयोग करने के बाद पुराने बैंकों ने कोर बैंकिंग प्रणालियाँ (सीबीएस) अपनाना प्रारंभ कर दिया है। निजी क्षेत्र के बैंकों ने संपूर्ण आइटी आधारित पृष्ठभूमि के साथ परिचालनों की शुरुआत की (यह पूर्वपेक्षाओं में से एक पूर्वपेक्षा थी जिस पर रिज़र्व बैंक ने जोर दिया) वहीं निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, जो कि अपने परिचालनों के लिए पारंपरिक प्रणालियों पर निर्भर थे, कोर बैंकिंग प्रणालियां अपनाने के लिए रूपांतरण के विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ा। यद्यपि इसके कारण सीबीएस के कार्यान्वयन में तुलनात्मक रूप से विलंब से हुआ तथापि उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाने के फलस्वरूप बैंक लाभान्वित हुए।

2.190 सीबीएस ने बैंकों को अपने ग्राहकों को तरह-तरह की सेवाएं देने के नए मार्ग प्रशस्त किए हैं। बैंकों के पास उपलब्ध केंद्रीकृत सूचना भंडार के कारण बैंकों से 'कहीं भी और कभी भी बैंकिंग' जैसी सुविधा मिलती है। अकेले किसी एक शाखा से जुड़े रहने के बजाय अब ग्राहक को पूरे बैंक का ग्राहक माना जाता है। इसके अलावा अब प्रौद्योगिकी आधारित नए डिलीवरी चैनेलों को भी मान्यता मिल रही है। पहले से ज्यादा बड़े पैमाने पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इनमें से कुछ हैं - इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और शेयर्ड एटीएम नेटवर्क ।

2.191 एक ओर जहां सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले नए उत्पादों और सेवाओं ने बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता में क्रांति ला दी है वहीं इनकी वजह से अनेक चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं जिनसे हमें पार पाना है। स्टाफ शिक्षा और पुनर्विन्यास, ग्राहक जागरूकता तथा बैंक की ओर से कार्य प्रक्रिया में परिवर्तन के अलावा सुरक्षा जो कि आइटी आधारित समस्त प्रयासों का आधार है, को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुरक्षा की मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। बैंकों इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे न केवल रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सामान्य न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करें बल्कि इसके लिए अतिरिक्त सावधानियां बरतें। सूचना प्रौद्योगिकी में सुरक्षा संबंधी सर्व स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय मानक ऐसी अपेक्षाओं के आधार में हैं जो बैंक के आंतरिक लेखा-परीक्षकों/ निरीक्षकों द्वारा तथा संबद्ध बैंकों के बाह्य/ सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जानेवाली सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा के कठोर मापदंडों से गुजरने के अलावा नियमित, आवधिक समीक्षा तथा उन्नयन के भी अधीन है।

2.192 दैनंदिन परिचालनों के लिए बड़े पैमाने पर आई टी पर निर्भरता होने के कारण इस प्रकार की प्रणालियों का निर्बाध रूप से कार्य करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता ने बहुत ही महत्व प्राप्त कर लिया है। अतः रिज़र्व बैंक द्वारा कारोबार निरंतरता और आपदा आंकड़ा पुनर्प्राप्ति प्रबंधन को न केवल अपनी प्रणालियों के लिए बल्कि वाणिज्य बैंकों में भी कार्यान्वित प्रणालियों के लिए भी यथायोग्य महत्व दिया जाता है। इसके लिए रिज़र्व बैंक द्वारा होस्ट की जानेवाली महत्त्वपूर्ण प्रणालियों, जिसमें सभी सदस्य बैंक भी भाग लेते हैं, का नियमित और आवधिक आपदा सुधार अभ्यास (डीआर ड्रिल) रिज़र्व बैंक कराता है। यह अभ्यास प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों के संबंध में समस्त प्रणाली की आंकड़ा पुनर्प्राप्ति (डीआर) तैयारियों को दृढ़ता प्रदान करता है। इसके अलावा अलग-अलग बैंक भी अपने स्तर पर डी आर अभ्यास कराते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनकी प्रणालियां अनदेखी आकस्मिकताओं में खरी साबित हों।

बैंकों में प्रौद्योगिकी और रिज़र्व बैंक की भूमिका

2.193 बैंकों को अपना खुद का आइ टी मार्ग नक्शा बनाने और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 2005 में वित्तीय क्षेत्र विजन (एफएसटी) दस्तावेज प्रकाशित किया था। इस दस्तावेज की पुनरीक्षा आइ टी में हो रहे बदलावों के संदर्भ में की गई थी और मध्यावधि के लिए एक ड्राफ्ट दस्तावेज अंतिम रूप दिए जाने पूर्व जनता की टिप्पाणियों के लिए रखा गया है। कुशलता और उत्कृष्टता के लिए आइ टीट के रूप में मिशन वक्तव्य तथा बेहतर ग्राहक सेवा, उन्नत आंतरिक

लेखा कार्य और समग्र प्रणालीगत कुशलता के लिए आइ टी पर लीवरेज रखने में वित्तीय क्षेत्र को सक्षम बनानाट नाम के कंपनी उद्देश्य अभी भी एफ एस टी विजन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में निरंतर बने हुए हैं।

बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं

2.194 बैंकों के नए उत्पादों और सेवाओं को फैलाने के लिए रिज़र्व बैंक कारोबार सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता आ रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही प्रणालियों में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस), वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली और केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट) पर संरचित वित्तीय मेसेजिंग प्रणाली के अलावा], राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली सम्मिलित हैं।

2.195 एनडीएस के सॉफ्टवेअर आर्कीटेक्चर के उन्नयन के परिणामस्वरूप बेहतर समवेश प्रवाह (थ्रूपुट) की प्राप्ति हुई है और बैंकों, जो प्रणाली के सदस्य हैं, के प्रसंस्करण समय में कमी आई है। फ्रंट एंड से जुड़े कुछ कार्य को अलग कर सी सी आइ एल को दिए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आरटीजीएस सुस्थापित हो चुका है और निधियों के अंतरण, विशेषरूप से बृहद मूल्यों और प्रणालीगत रूप से आवश्यक प्रयोजनों के लिए अंतरण की सुविधा का उपयोग जम कर किया जा रहा है। इस समय बैंकों की 35,000 से अधिक शाखाएं अपने ग्राहकों को आरटीजीएस आधारित निधि अंतरण का लाभ दे रही हैं।

2.196 रिज़र्व बैंक की सुरक्षित वेबसाइट प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं, नामतः, सरकार और वाणिज्य बैंकों को इलेक्ट्रानिक सूचना उपलब्ध कराती है। इंटरनेट के माध्यम से जिस सुविधा तर पहुंचा जा सकता है, उसका बड़े पैमाने पर उपयोग करना जारी रहा। बैंक और सरकारी विभागों और साथ ही अन्य वाणिज्य बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सूचना प्रसारण करने का काम करती है, उपयोगकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग में लाई जा रही है। वर्ष के दौरान चेक समाशोधन और इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाओं दोनों के ही लिए समाशोधन आंकड़ों का ट्रांसमिशन कई केंद्रों पर सुरक्षित वेबसाइट से किया गया था। इसके अलावा मुद्रा तिजोरी से प्राप्त आंकड़ों का मिलान, जो एकीकृत मुद्रा तिजोरी परिचालनों और प्रबंधन प्रणाली (आइसीसीओएमएस) का भाग है, सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग में लाकर किया गया। सुरक्षित इंटरनेट वेबसाइट को एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्स बी आर एल) स्ट्रक्चर की मदद से ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली (ओआरएफएल) के साथ जोड़ दिया गया है ताकि बैंकों के द्वारा रिज़र्व बैंक को सिंगल स्टॉप रिपोर्टिंग में सुविधा हो सके।

बैंकों में प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियां

2.197 बैंकिंग में नए क्षितिज को छू रहे बहु अनुप्रयोगी स्मार्ट कार्ड ने उत्तर-पूर्व और दक्षिणी क्षेत्रों के हिस्सों में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है (बॉक्स II.17)।

बॉक्स सं.17: मल्टी एप्लिकेशन स्मार्ट कार्ड और बैंकिंग में उनकी संभावनाएं

स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट/डेबिट ए टी एम कार्ड के समान ही एक कार्ड है। इस कार्ड में एक चिप होती है, जो इसकी विशेषता है तथा इसमें जानकारी रखी जा सकती है। चुम्बकीय पट्टी आधारित कार्ड के विपरीत, चिप में रखी गई जानकारी स्थायी रूप की होती है, अथवा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कार्डधारक द्वारा किसी भी अन्तराल पर पासवर्ड बदला जा सकता है। इसकी अतिरिक्त विशेषता के कारण स्मार्ट कार्ड का उपयोग न केवल वित्तीय लेन-देन प्रक्रिया के लिए बल्कि उसके साथ-साथ अन्य कई क्षेत्रों में भी किया जाता है।

स्मार्ट कार्ड तकनीक का सबसे बड़ा लाभ है कि इसके एक ही गतिशील कार्ड में बहुमुखी एप्लिकेशन समेकित किए जा सकते हैं। इन कार्डों से इनके उपयोगकर्ता का जीवन सरल होता है क्योंकि भुगतान और अन्य लेन-देनों के लिए तीन अन्य कार्डों के स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, इस एक कार्ड का उपयोग पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य कार्ड और निधि संबंधित अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। चूंकि ये कार्ड इस प्रकार की उच्च स्तरीय व्यक्तिगत एप्लिकेशन प्रदान करते हैं, उनकी गुणवत्ता उपयोगकर्ता के लिए बहुत अधिक होती है तथा ये औसत से अधिक ग्राहक विश्वसनीयता बनाने में मदद करते हैं।

भारतीय बैंकिंग ने सूचना प्रौद्योगिकी को अपना लिया है, अतः मल्टी एप्लिकेशन स्मार्ट कार्डों का उपयोग बढ़ गया है। स्मार्ट कार्ड आधारित इलैक्ट्रॉनिक पर्स सिस्टम, जिसमें जानकारी कार्ड चिप में रखी होती है, न कि बाहर से रिकार्ड किए गए खाते में; अतः कार्ड को स्वीकार करने वाली मशीन को नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती। अतः मल्टी एप्लिकेशन कार्ड जारीकर्ता के लिए भी लाभदायक हैं क्योंकि ये विशेष विपणन अवसर सृजित करने की संभावना उपलब्ध कराते हैं। देश के सुदूर क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए भी ये विशेष रूप से उपयुक्त हैं। स्मार्ट कार्ड लागू करने के बैंक इसलिए भी इच्छुक हैं क्योंकि इनमें धोखाधड़ी के मामलों में भारी कमी होने की योग्यता है।

मल्टी एप्लिकेशन स्मार्ट कार्ड भी विभिन्न चुनौतियां सामने रखते हैं। बहुमुखी स्मार्ट कार्ड एप्लिकेशन का उनकी संबद्ध स्क्रिप्ट, डाटा स्ट्रीम और सांकेतिक कुंजियों के साथ प्रबंधन एकल कार्य कार्ड जारी करने की तुलना में ज्यादा जटिल है। खुले मानक और अन्तर परिचालन अधिक जटिल हो जाते हैं। जीवन चक्र प्रबंधन भी अधिक विस्तृत हो जाता है, विशेष रूप से जारी करने के बाद एप्लिकेशनों का उन्नयन। ऐसी स्थितियों में एक सिद्ध, समेकित स्मार्ट कार्ड संरचना की स्थापना का अर्थ होगा, सर्वोत्तम लाभकारी अवसरों के पूंजीकरण की निरंतर सफलता अथवा असफलता के बीच अन्तर। इन मुद्दों के समाधान के लिए रिज़र्व बैंक ने एक प्रायोगिक परियोजना को समर्थन प्रदान किया है जिसमें प्रमुख कठिनाइयों और उनके निवारक उपायों को रखा गया है जो सामने आ सकती हैं। उनके आधार पर स्वीकार्य और लागू किए जा सकने वाले मानक सामने आएंगे।

बॉक्स.II.18 : सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन (आइ टी गवर्नेंस) अथवा सूचना और संप्रेषण तकनीक (आइ सी टी गवर्नेंस) कंपनी अभिशासन का ही एक रूप है जो सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और उनके निष्पादन तथा जोखिम प्रबंधन पर केन्द्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन की ओर बढ़ता हुआ रुझान आंशिक रूप से सारबेनेस - ऑक्सले अधिनियम और बासल- II की पहल के अनुपालन और यह पहचानने कि सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ आसानी से नियंत्रण के बाहर हो सकती हैं तथा किसी संगठन के कार्यनिष्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। यह बैंकिंग क्षेत्र सहित वित्तीय क्षेत्र के संबंध में ज्यादा सटीक है जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन में कमी भयंकर स्थिति की ओर ले जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन मोटे-तौर पर कंपनी अभिशासन का व्यापकतर स्तर है।

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन की चर्चा की बार-बार की थीम है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता पर चर्चा अब वर्ज्य विषय नहीं हो सकता। सीमित तकनीकी अनुभव और सूचना प्रौद्योगिकी की जटिलताओं के चलते बोर्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन पर पारंपरिक रूप से कार्रवाई कर मुख्य निर्णय लेने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायियों के होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन का तात्पर्य है वह प्रणाली जिसमें सभी जोखिम धारक जिसमें बोर्ड, आन्तरिक ग्राहक और संबंधित क्षेत्र तथा वित्त आते हैं सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारियां/ निविष्टियां उपलबध कराते हैं। इससे एक जोखिम उठाने वाले, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिक को खराब निर्णय के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इससे प्रयोगकर्ताओं को बाद में यह कहने से रोका जा सकता है कि प्रणाली ने आशा के अनुरूप कार्य नहीं किया।

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन कई मॉडल्स का अनुसरण करती है। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए कई समर्थक तंत्र हैं, कुछ अन्य निम्नानुसार हैं :-

- आइ टी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी (आइ टी आइ एल) जो तुरत-फुरत सूचना देने की एक विस्तृत व्यवस्था है कि किस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक अभिशासन किया जा सकता है।
- सूचना और संबंधित तकनीक के लिए नियंत्रण उद्देश्य (कोबिट) जो अच्छी सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक सुरक्षा और नियंत्रण प्रक्रियाओं के मानकीकरण का दृष्टिकोण है। यह किसी संगठन की 34 सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के निष्पादन के मूल्यांकन और मापन का साधन उपलब्ध कराता है। आइटीजीआइ (सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन संस्थान) कोबिट के लिए उत्तरदायी है।
- किसी भी संस्था के सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए आइएसओ / आईईसी 27001 (आइ एस ओ 27001) सर्वोत्तम प्रक्रिया का सैट है। यह ब्रिटिश मानक 7799 (बी एस 7799) के रूप में शुरू हुआ; जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम में हुआ और यह इस उद्योग में एक जाना-माना मानक बन गया जो किसी संगठन को सूचना सुरक्षा की प्रक्रिया में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।
- सूचना सुरक्षा प्रबंधन परिपक्वता मॉडल आइएसएम 3, यह सुरक्षा के लिए प्रक्रिया आधारित आइएसएम परिपक्वता मॉडल है।
- एएस 8015 - 2005 सूचना और संप्रेषण तकनीक के कंपनी अभिशासन हेतु एक ऑस्ट्रेलियन मानक
- सीएमएम - क्षमता परिपक्वता मॉडल जो सॉफ्टवेयर इन्जीनियरिंग पर प्रकाश डालता है।
- दि बैलेंस्ड स्कोरकार्ड (बी एस सी) यह किसी संगठन के कार्यनिष्पादन का बहुत से विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन करने का तरीका है।
- सिक्स सिगमा जिसका लक्ष्य गुणवत्ता की गारंटी पर केन्द्रित है।

तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के समक्ष कुछ नई चुनौतियाँ हैं। विस्तृत प्रक्रिया नियंत्रण के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के उद्देश्यों का प्रकटीकरण (जैसे कि परियोजना प्रबंधन के संदर्भ में) बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन में अकसर विवादास्पद मामला रहता है। साथ ही, वित्तीय पारदर्शिता और सूचना प्रौद्योगिकी वित्तीय प्रबंधन में लागत प्रभावी ऑंकड़े प्राप्त करने में कठिनाइयाँ एक ऐसा विषय है जिसके लिए अब तक कोई स्पष्ट निर्णय (अर्थात चार्ज बैक साध्य) नहीं लिया गया है।

इन्फिनेट में गतिविधियाँ

2.198 रिजर्व बैंक की प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण अन्तर बैंक भुगतान प्रणालियों के लिए बैंकों द्वारा इलैक्ट्रानिक जानकारी के अन्तरण हेतु भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट) सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रेषण चैनल बना हुआ है। नेटवर्किंग तकनीक क्षेत्र में गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इन्फिनेट को मल्टी प्रोटोकॉल लेयर स्विचिंग (एमपीएलएस) में परिवर्तित किया जा रहा है जो परिचालन में आसानी के साथ-साथ बड़े पैमाने की किफायतें प्रदान करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन

2.199 सभी आइ टी आधारित उत्पादों के लिए अच्छे आइ टी अभिशासन की आवश्यकता होती है (बॉक्स II.18)।

11. कानूनी सुधार

2.200 वर्ष के दौरान बैंकिंग से संबंधित कानूनों में कई बड़े संशोधन किए गए। इसके अतिरिक्त, कुछ नए बिलों को अधिनियमन के लिए रखा गया।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006

2.201 बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006, जिसने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का संशोधन किया गया, संसद द्वारा पारित किया गया और यह 16

अक्तूबर 2006 से प्रभावी हो गया। संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड के संघटन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए - i) राष्ट्रीयकृत बैंकों की गतिविधियों के विस्तार के मद्देनजर अधिक कार्यकारी निदेशक हों, इसलिए पूर्णकालिक निदेशक की संख्या दो से बढ़ा कर चार कर दी गई; ii) रिज़र्व बैंक के अधिकारी के नामन के बजाय केंद्र सरकार की सिफारिश पर रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक वाणिज्य बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण में आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति होगा; iii) सेबी/नाबार्ड/पी एफ आई के पदाधिकारियों में से नामित निदेशक के प्रावधान को हटाना; iv) वर्तमान प्रावधान के अनुसार एक से छः निदेशकों के बजाय शेयर धारण की प्रतिशतता के आधार पर एक से तीन शेयरधारक निदेशकों का नामांकन ताकि स्वामित्व की प्रतिशतता के आधार पर और अधिक बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया जा सके (जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकतम तीन निर्वाचित निदेशक होंगे); तथा v) निर्वाचित निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानदण्ड के अनुसार 'योग्य और उचित' स्थिति वाले व्यक्ति होंगे; और (vi) इस सुधार से रिज़र्व बैंक को बैंकिंग नीति/जन हित/बैंक अथवा जमाकर्ताओं के हित में रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर एक अथवा अधिक अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

2.202 राष्ट्रीयकृत बैंक केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन और बाद में रिज़र्व बैंक के परामर्श से विनियम में निर्दिष्ट किए अनुसार प्रक्रिया के अनुरूप अधिमान आबंटन अथवा निजी स्थानन अथवा सार्वजनिक निर्गम द्वारा पूंजी इकट्ठी कर सकेंगे। केन्द्र सरकार के पास हर समय 51 प्रतिशत से अधिक प्रदत्त पूंजी होगी जिसमें इक्विटी शेयर शामिल होंगे। इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिमान शेयरों के वोटिंग अधिकार केवल उन संकल्पों तक सीमित रहेंगे जो उनके अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हों। यह संशोधन केवल अधिमान शेयर पूँजी धारक सभी शेयर धारकों के कुल वोटिंग अधिकार के एक प्रतिशत की सीमा तक उनके द्वारा धारित अधिमान शेयरों के संबंध में अधिमान शेयर धारकों के वोटिंग अधिकारों को भी सीमित कर देगा।

2.203 इस संशोधन से शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट, वार्षिक लेखे और तुलन पत्र पर वार्षिक सामान्य सभा में चर्चा करने, उन्हें अपनाने और अनुमोदन का अधिकार प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीयकृत बैंक समर्थ हैं कि वे 7 वर्ष से अधिक उन अदावी लाभांशों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अन्तर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरित करें।

2.204 केन्द्र सरकार को अब जनता के हित में अथवा जमाकर्ताओं या बैंक के हितों के विरुद्ध बैंक द्वारा किए जा रहे कार्यों को रोकने अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों का उचित प्रबंधन प्राप्त करने में रिज़र्व बैंक की सिफारिशों पर निदेशक मंडल का अधिक्रमण करने का अधिकार है। यह अधिक्रमण 6 माह से अनधिक अवधि का होगा जिसे बढ़ाकर अधिकतम 1 वर्ष किया जा सकता है। केन्द्र सरकार रिज़र्व बैंक के परामर्श से एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है और कानून, वित्त, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था अथवा लेखांकन में अनुभवी 3 या अधिक सदस्यों की एक समिति बनाएगी जो प्रशासक को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता करेगी।

भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक कानून) संशोधन अधिनियम, 2007

2.205 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अधिनियम, 1950, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 को संशोधित किया गया ताकि :- i) भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों के शेयरधारकों के समक्ष आई कठिनाइयों को दूर किया जा सके; ii) अनुषंगी बैंकों की पूंजी बढ़ाई जा सके; iii) अनुषंगी बैंकों को बाजार से संसाधन जुटाने का अवसर मिले।2007 का अधिनियम जो 9 जुलाई 2007 से प्रभावी हुआ है, द्वारा उक्त तीनों अधिनियमों को संशोधित किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ i) अनुषंगी बैंकों की प्राधिकृत पूंजी बढ़ा कर 5 सौ करोड़ रुपए कर दी जाए और उसे एक सौ रुपए प्रत्येक के शेयर में अथवा भारतीय स्टेट बैंक के अनुमोदन से अनुषंगी बैंकों द्वारा निर्णय लिए गए मूल्यवर्ग में बाँट दिया जाए; ii) अनुषंगी बैंकों को यह अनुमति दी जाए कि वे वर्तमान शेयरधारकों को रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बनाई गई विनियमावली द्वारा निर्धारित ऐसे मूल्यवर्ग के शेयर प्रमाणपत्र जारी करें; iii) अनुषंगी बैंकों को अनुमति दी जाए कि वे रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बनाई गई विनियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप अधिमान आबंटन अथवा निजी स्थानन अथवा सार्वजनिक निर्गम द्वारा निर्गम पूंजी बढ़ाएँ तथा रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अधिमान शेयर जारी करें; iv) अनुषंगी बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक की शेयरधारिता 55 प्रतिशत से कम करके 51 प्रतिशत करने की अनुमति दें; v) व्यक्तिगत शेयरधारिता में 200 शेयर से अधिक के प्रतिबंध को समाप्त किया जाए तथा (भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर) शेयरधारकों के मताधिकार की प्रतिशतता को बढ़ा कर संबंधित अनुषंगी बैंक की निर्गम पूंजी के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए; vi) रिज़र्व बैंक को यह शक्ति प्रदान की जाए जिससे कि वह वाणिज्य बैंकों के विनियमन अथवा पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले एक निदेशक को नामित कर सके तथा ऐसा प्रावधान कर सके कि जमाकर्ताओं और बैंकिंग नीति के हित में रिज़र्व बैंक द्वारा जब भी आवश्यक समझा जाए अतिरिक्त नामांकन

किया जा सके; vii) अनुषंगी बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित निदेशकों की संख्या जो कि 3 तक सीमित है, को सरकारी स्वामित्व की अलग-अलग प्रतिशतता के अधीन बढ़ाएँ; viii) अनुषंगी बैंक के निर्वाचित निदेशक के लिए सही मानदण्ड सहित पात्रता मानदंड के संबंध में अर्हता निर्दिष्ट करें तथा रिज़र्व बैंक को यह अधिकार प्रदान करें कि वे उन निर्वाचित निदेशकों को जो सही नहीं है, हटा सकें तथा अनुषंगी बैंक के निदेशक मंडल को यह अनुमति दें कि वे उनके स्थान पर सही व्यक्ति को दुबारा चुन सकें ; ix) रिज़र्व बैंक को शक्तियाँ प्रदान करें ताकि भारतीय स्टेट बैंक की सिफारिश पर जनता के हित में अथवा जमाकर्ताओं के हित में अथवा अनुषंगी बैंकों का सही प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अनुषंगी बैंकों के निदेशक मंडल का अधिक्रमण किया जा सके तथा एक प्रशासक की नियुक्ति और प्रशासक को सहायता प्रदान करने के लिए एक समिति गठित की जा सके; x) अनुषंगी बैंक के बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से तथा रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से, विनियम बनाने में सक्षम बनाया जा सके; xi) वीडियों कांफ्रेसिंग या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों से बोर्ड की बैठक कराने में बैंकों को सक्षम बनाना; xii) वार्षिक आम बैठक में मौजूद शेयरधारकों को तुलनपत्र अपनाने का हक देना।

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007

2.206 भारत सरकार ने जनवरी 2007 में बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2007 जारी किया जिसमें i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में संशोधन का प्रावधान है ताकि रिज़र्व बैंक बिना किसी न्यूनतम सीमा के सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा आस्तियां निर्दिष्ट कर सके जो द्वारा इस रूप और प्रकार से रखी जाएंगी जैसे कि अनुसूचित बैंक रखते हैं; ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 में संशोधन ताकि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) में स्थित संस्थानों/बैंकों/शाखाओं को दी जा रही छूट के मामले में ड्राफ्ट अधिसूचना संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने का प्रावधान हो सके।

2.207 इस अध्यादेश का निरसन बैंककारी विनियमन (संशोधन) बिल 2007 द्वारा किया गया जो 23 जनवरी 2007 को लागू हुआ और 28 मार्च 2007 को अधिसूचित किया गया था।

संसद में रखे गए बिल

2.208 लोकसभा में 13 मई 2005 को रखे गए बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधान संशोधित करने होंगे ताकि रिज़र्व बैंक के विनियामक अधिकार बढ़ाए जा सकें। इस विधेयक में निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान शामिल हैं : (i) मताधिकार पर लगा प्रतिबंध हटाना और विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक शेयर या मताधिकार प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा शुरू करना (रिज़र्व बैंक को अधिकार देना कि वह स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर ले कि शेयर या मताधिकार प्राप्ति के लिए आवेदक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है और ऐसी अन्य शर्तें लगाना जो रिज़र्व बैंक उचित समझे); (ii) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशानिर्देशों की शर्त पर बैंकिंग कंपनियों को अधिमानी शेयर जारी करने का अधिकार देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 12 संशोधित करना ; (iii) रिज़र्व बैंक को अधिकार देना कि वह किसी बैंकिंग कंपनी को निदेश जारी कर सके कि वह उसका वित्तीय विवरण प्रकट करे या रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक समझे अनुसार किसी सहयोगी उद्यम के कारोबार के संबंधित विवरण और जानकारी रिज़र्व बैंक को अलग से प्रस्तुत करे और किसी सहयोगी उद्यम का निरीक्षण किया जा सके; (iv)रिज़र्व बैंक को अधिकार देना कि वह किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल को अधिक्रमित करके प्रशासक नियुक्त कर सके; (v) प्राथमिक ऋण समितियों द्वारा रिज़र्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये बिना बैंकिंग कारोबार करने की छूट देने वाले प्रावधान को हटाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 56 संशोधित करना; और (vi) रिज़र्व बैंक को अधिकारी देना कि वह लोकहित या सहकारी बैंकों के हित या उसके जमाकर्ताओं के हित में किसी सहकारी बैंक की विशेष लेखा परीक्षा का आदेश दे सके। वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

2.209 भुगतान और निपटान विधेयक, 2006 लोकसभा में 25 जुलाई 2006 को प्रस्तुत किया गया था। विधेयक के अनुसार रिज़र्व बैंक को भुगतान और निपटान प्रणाली के प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाना है। विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान हैं : (i) भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए रिज़र्व बैंक के प्राधिकरण की प्राप्ति की अनिवार्यता ; (ii) मानक निश्चित करके, जानकारी, विवरणियां, दस्तावेज आदि मंगाकर रिज़र्व बैंक को भुगतान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण का अधिकारी देना; (iii) जहां भुगतान प्रणाली परिचालित की जाती है उस परिसर में प्रवेश करके लेखा परीक्षा और निरीक्षण करने का अधिकार रिज़र्व बैंक को देना ; (iv) रिज़र्व बैंक को निदेश जारी करने का अधिकारी देना और (v) अन्य कानूनों को अधिक्रमित करना और सहभागियों द्वारा देय विदेशी मुद्रा या प्रतिभूतियों, मुद्रा की राशि के निर्धारण में अंतिम और अप्रतिसंहरणीय निपटान और निवलन के लिए प्रावधान करना । यह विधेयक विचार करने के लिए वित्त पर स्थायी समिति को भेजा गया था और समिति की रिपोर्ट लोकसभा में मई 2007 में प्रस्तुत की गई थी।

2.210 भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) बिल, 2006 जिसमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में संशोधन थे, लोकसभा में दिसंबर 2006 में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित बिल में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिमान शेयर जारी करके पूंजी बढ़ाने तथा इसे सार्वजनिक निर्गम अथवा अधिमान आबंटन अथवा निजी स्थानन के माध्यम से अपने संसाधन जुटाने में सक्षम बनाना है। इस बिल का उद्देश्य बैंक के प्रबंधन में लचीलापन भी लाना है। बिल में अन्य बातों के साथ-साथ ये प्रावधान भी हैं कि i) भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपए तक की जाए तथा उसे दस रुपए प्रत्येक के शेयर अथवा रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे मूल्यवर्ग में बाँटा जाए; ii) रिज़र्व बैंक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि या कटौती; iii) रिज़र्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टेट बैंक की निर्गम पूंजी अधिमान शेयर आबंटन अथवा निजी स्थानन अथवा सार्वजनिक निर्गम द्वारा बढ़ाई जाए तथा रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिमान शेयर जारी करना; iv) वर्तमान इक्विटी शेयरधारकों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बोनस शेयर जारी करना; v) रिज़र्व बैंक की शेयरधारिता 55 प्रतिशत से कम करके 51 प्रतिशत करना जो निर्गम पूंजी के इक्विटी शेयर हैं; vi) स्टेट बैंक शेयर की राशि किस्तों में स्वीकार करे, 'काल' करे तथा अदत्त शेयरों तथा उनके पुनः निर्गमों को जब्त कर ले; vii) व्यक्तियों/संयुक्त शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में नामन सुविधा; viii) केन्द्र सरकार, रिज़र्व बैंक के परामर्श से 4 से अधिक प्रबंध निदेशक नियुक्त न करे तथा 'उपाध्यक्ष' का पद समाप्त करे; तथा ix) रिज़र्व बैंक की सिफारिशों पर कतिपय मामलों में केन्द्रीय बोर्ड का अधिक्रमण करने की केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करे तथा यह अधिक्रमण रहने तक प्रशासक की नियुक्ति करने का प्रावधान है।

अध्याय III

वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन और कार्य निष्पादन

प्रस्तावना

3.1 2006-07 के दौरान सुदृढ़ समष्टि आर्थिक निष्पादन ने कारोबार और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों[1] के वित्तीय निष्पादन को समर्थन देना जारी रखा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन की महत्वपूर्ण बात लगातार तीसरे वर्ष बैंक ऋण का व्यापक विस्तार था, अलबत्ता इसमें कुछ कमी रही। ऋण वृद्धि की एक महत्वपूर्ण बात लघु क्षेत्र में ऋण का अधिक प्रवाह था। खुदरा क्षेत्र, विशेषतः आवास और वाणिज्यिक स्थावर संपदा, में उल्लेखनीय मंदी आयी। देयता पक्ष में, मुख्य रूप से सावधि जमाओं में तीव्र वृद्धि के कारण जमा वृद्धि में गति आयी । इससे बैंक ऋण की तीव्र मांग का वित्तपोषण आसानी से कर सके। पिछले वर्ष के विपरीत, वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश बढ़े। लेकिन, कुल आस्तियों और निवल मांग तथा मीयादी देयताओं दोनों के प्रतिशत के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश घटते रहे । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवल लाभ तेजी से बढ़े, जिसे ऋण की मात्रा में सुदृढ़ वृद्धि और परिचालन व्ययों के नियंत्रण के कारण निवल ब्याज आय में तीव्र वृद्धि से समर्थन मिला। 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ जैसा कि ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में, सकल तथा निवल अनर्जक आस्तियों की गिरावट में परिलक्षित हुआ। बैंकिंग क्षेत्र का जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात, जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि के बावजूद, पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा।

3.2 इस अध्याय में सकल और बैंक समूह स्तर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन और वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा दी गई है। यह अध्याय ग्यारह खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र का सकल आधार पर विश्लेषण किया गया है, जबकि खंड 3 में तुलनपत्र से इतर परिचालनों का चित्रण किया गया है। खंड 4 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। खंड 5 में सुदृढ़ता संकेतकों की प्रवृत्तियों के ब्यौरे दिये गये हैं। खंड 6 में पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनों के ब्यौरे दिए गए हैं, जबकि खंड 7 में वर्ष के दौरान बैंकिंग में हुई प्रौद्योगिकीय गतिविधियों को शामिल किया गया है। खंड 8 में बैंकों का क्षेत्रीय विभाजन दिया गया है। खंड 9 में ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेशन का अद्यतन स्वरूप दिया गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अलावा, 96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक[2] और चार स्थानीय क्षेत्र बैंक हैं। जबकि इस अध्याय में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निष्पादन मुख्य रूप से दिया गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के निष्पादन का ब्यौरा अलग से क्रमशः खंड 10 और खंड 11 में दिया गया है।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैकों की देयताएं और आस्तियां

3.3 निजी क्षेत्र के तीन पुराने बैंकों के विलयन के कारण 2005-06 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 85 से घटकर 82 हो गई। 2006-07 के दौरान बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(2) के अनुसार 31 मार्च 2007 को भारत ओवरसीज़ बैंक लि. का इंडियन ओवरसीज़ बैंक में विलय कर दिया गया। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44क के अंतर्गत दि सांगली बैंक लि. का आइसीआइसीआइ बैंक लि. में 19 अप्रैल 2007 को समामेलन किया गया। गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि. की गिरती वित्तीय दशा को देखते हुए, केंद्र सरकार ने, रिज़र्व बैंक की सिफ़ारिशों पर, बैंक को 7 जनवरी 2006 के कारोबार की समाप्ति से तीन महीने की अवधि के लिए अधिस्थगन आदेश के अंतर्गत रख दिया। 1 सितंबर 2006 को सरकार द्वारा कुछ कानूनी प्रक्रियाएं पूरा करने के बाद, परवर्ती अधिसूचना द्वारा दि गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाद लि. को 2 सितंबर 2006 को फेडरल बैंक लि. के साथ समामेलित किया गया। इसी प्रकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 की उप धारा (2) के अंतर्गत यूनाइटिड वेस्टर्न बैंक लि. (यूडब्ल्यूबी) को अधिस्थगन आदेश के अंतर्गत रखा गया। प्रक्रियाएं पूरी होने के पश्चात् यूनाइटिड वेस्टर्न बैंक लि. को 30 सितंबर 2006 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि. के साथ समामेलित कर दिया गया। यह समामेलन 3 अक्तूबर 2006 से प्रभावी हुआ। समामेलन की इन घटनाओं के अलावा, दिसंबर 2006 को 75 बैंक परिसमापन के अंतर्गत थे। दो बैंकों के नाम बदल दिए गए हैं अर्थात् यूटीआई बैंक एक्जिस बैंक

[1] अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 28 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक तथा 7 इसके सहयोगी बैंक; 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और आइडीबीआइ बैंक लि.), 8 नए निजी क्षेत्र के बैंक, 17 पुराने निजी क्षेत्र के बैंक तथा 29 विदेशी बैंक शामिल हैं। गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाद लिमिटेड, जिसके कार्यों पर 7 जुलाई 2006 को रोक लगाई गई और बाद में जिसका 2 सितंबर 2006 को फेडरल बैंक लिमिटेड में विलय किया गया, ने वर्ष 2005-06 से संबंधित अपने वार्षिक लेखों को प्रकाशित नहीं किया।

[2] मार्च 2007 के अंत के अनुसार

और चोहुंग बैंक शिन्हान बैंक के रुप में होगा। 2006-07 के दौरान तीन समामेलनों के अलावा, सांगली बैंक लि. को 19 अप्रैल 2007 को बैंककारी अधिनियम 1949 की धारा 44 क के अंतर्गत आइसीआइसीआइ बैंक लि. में समामेलित किया गया।

3.4 2005-06 में 18.2 प्रतिशत से तुलना करने पर 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल तुलन-पत्र में 24.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई (सारणी III.1और III.2)।

सारणी III.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			
	2006		2007	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	25,206	0.9	29,559	0.9
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	1,57,974	5.7	1,89,615	5.5
3. जमाराशियां	21,64,681	77.7	26,96,980	77.9
3.1. मांग जमाराशियां	2,92,945	10.5	3,51,998	10.2
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	5,42,874	19.5	6,31,651	18.2
3.3. मीयादी जमाराशियां	13,28,861	47.7	17,13,330	49.5
4. उधार राशियां	2,03,147	7.3	2,42,870	7.0
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	2,34,852	8.4	3,04,381	8.8
कुल देयताएं/आस्तियां	**27,85,863**	**100.0**	**34,63,406**	**100.0**
आस्तियां				
1. भारिबैंक के पास नकद और शेष राशि	1,44,475	5.2	1,95,372	5.6
2. बैंकों के पास शेष राशियां और मांग और अल्पावधि सूचना पर मुद्रा	1,16,443	4.2	1,58,413	4.6
3. निवेश	8,66,508	31.1	9,50,769	27.5
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क+ख)	6,90,421	24.8	7,54,456	21.8
क. भारत में	6,86,464	24.6	7,50,733	21.7
ख. विदेश में	3,957	0.1	3,723	0.1
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	13,949	0.5	12,760	0.4
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,62,137	5.8	1,83,551	5.3
4. ऋण और अग्रिम	15,16,811	54.4	19,81,216	57.2
4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल	1,03,657	3.7	1,24,424	3.6
4.2 नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट *आदि*	5,65,001	20.3	7,12,866	20.6
4.3 मीयादी ऋण	8,48,152	30.4	11,43,924	33.0
5. अचल आस्तियां	25,081	0.9	31,362	0.9
6. अन्य आस्तियां	1,16,542	4.2	1,46,271	4.2

टिप्पणी : 2005-06 के बैंकों के आंकड़े 2006-07 के बैंकों के तुलनपत्र के अनुसार हैं और चूंकि कुछ बैंकों द्वारा 2005-06 के आंकड़े संशोधित किए गए हैं, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2005-06 में प्रस्तुत आंकड़ों से नहीं मिल सकते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र

3.5 वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में बैंकिंग प्रणाली के तीव्र विकास से जीडीपी (वर्तमान कीमतों में कारक लागत पर) के प्रति अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों के अनुपात में काफी वृद्धि हुई, जो मार्च 2006 के अंत के 85.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 92.5 हो गई। बैंकिंग प्रणाली में 'लीवरेज' की मात्रा, जैसाकि ईक्विटी गुणज (कुल आस्तियों को कुल ईक्विटी द्वारा विभाजित करके मापा गया) से परिलक्षित होता है, मार्च 2006 के अंत के 15.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 15.8 प्रतिशत हो गया ।

3.6 वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताओं और आस्तियों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हुए। तीसरे वर्ष लगातार, ऋण और अग्रिम 30 प्रतिशत (अर्थात 2005-06 में 31.8 प्रतिशत और 2004-05 में 33.2 प्रतिशत से तुलना करने पर 30.6 प्रतिशत) बढ़े, जिसे सुदृढ़ समष्टि आर्थिक निष्पादन से बल मिला। पिछले दो वर्षों के रुझान को उलटते हुए, जमाओं में समग्र रूप से वृद्धि ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी, यद्यपि 24.6 प्रतिशत की जमा वृद्धि ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि की तुलना में कम थी। अतः गत वर्ष, जब बैंकों ने बढ़ी हुई ऋण की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को बेच दिया, के विपरीत निधियों के अधिशेष के एक हिस्से को सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया गया। वृद्धिशील निवेश के बावजूद, कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों (समग्र निवेश भी) का हिस्सा काफी घटा, इसका आशय यह हुआ कि निवेश में वृद्धि की गति समग्र आस्तियों में वृद्धि के समान नहीं है (सारणी III.2 और परिशिष्ट सारणी III.1(क) से (ग)]।

3.7 बैंक समूहों के बीच, विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नये बैंकों के तुलन-पत्र में क्रमशः 39.5 प्रतिशत और 38.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में उनका संयुक्त हिस्सा मार्च 2006 के अंत के 22.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 24.9 प्रतिशत हो गया (सारणी III.2)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संयुक्त तुलन-पत्र में, संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र के तुलनपत्र में हुई 24.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में , 21.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका हिस्सा एक वर्ष पहले के 72.3 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में 70.5 प्रतिशत रह गया। ऐसा मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक समूह और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों के हिस्से में गिरावट के कारण था। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के तुलन पत्र में 7.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका बाजार हिस्सा मार्च 2006 के अंत के 5.4 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में 4.6 प्रतिशत रह गया [परिशिष्ट सारणी III.1(क) से (ग)]। विभिन्न बैंक समूहों के बाजार हिस्से का परिवर्तन व्यापक रूप से जमाओं में उनके हिस्से में परिवर्तन को परिलक्षित करता है (सारणी III.3)।

सारणी III.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि : बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में									
	2006					2007				
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनु-सूचित वाणिज्य बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनु-सूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. पूंजी	-20.6	25.9	14.2	27.5	-2.7	0.7	4.4	5.6	45.4	17.3
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	21.7	19.5	55.2	28.5	27.7	20.0	11.6	17.4	30.6	20.0
3. जमाराशियां	12.9	11.6	50.7	31.7	17.8	22.9	6.0	38.8	32.6	24.6
3.1. मांग जमाराशियां	20.8	15.7	29.3	48.8	24.9	19.3	3.9	36.7	11.8	20.2
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	19.0	20.4	60.6	21.1	22.0	15.0	6.7	33.3	16.3	16.4
3.3. मीयादी जमाराशियां	8.9	8.9	53.9	25.4	14.7	27.3	6.1	40.6	52.3	28.9
4. उधार	23.7	22.5	11.0	24.5	20.7	5.7	22.3	42.8	32.7	19.6
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	12.3	13.8	34.0	31.4	17.4	16.2	16.1	51.1	88.7	29.6
कुल देयताएं / आस्तियां	**13.6**	**12.4**	**43.2**	**29.8**	**18.3**	**21.1**	**7.1**	**38.7**	**39.5**	**24.3**
1. भारिबैंक के पास नकदी और शेष राशि	25.3	-0.3	16.1	20.0	22.4	26.1	25.9	94.3	49.8	35.2
2. बैंकों के पास शेष राशियां तथा मांग और अल्पावधि सूचना पर मुद्रा	14.0	7.5	37.4	64.3	22.1	26.9	5.8	91.9	42.2	36.0
3. निवेश	-7.7	1.1	41.1	22.2	-0.4	4.9	-3.6	26.4	36.4	9.7
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क + ख)	-8.4	3.2	50.4	20.1	-1.2	3.6	-2.2	33.0	37.5	9.3
क. भारत में	-8.5	3.2	50.3	20.1	-1.3	3.6	-2.0	32.9	37.5	9.4
ख. विदेश में	15.3	2.6	255.2	–	17.7	-8.6	-100.0	125.0	–	-5.9
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-13.5	-14.4	-60.9	-60.6	-14.4	-7.8	-30.9	-20.7	0.2	-8.5
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-2.8	-5.8	24.1	32.8	4.8	13.6	-7.6	11.4	32.7	13.2
4. ऋण और अग्रिम	29.5	21.7	50.2	29.5	31.8	30.2	12.0	39.9	29.5	30.6
4.1 खरीद गए तथा भुनाए गए बिल	16.5	8.1	-10.4	27.0	12.8	22.4	-15.4	21.8	21.3	20.0
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	26.9	21.4	64.2	33.7	29.3	25.7	11.6	42.0	27.7	26.2
4.3 मीयादी ऋण	33.5	24.3	54.4	26.6	36.4	34.5	16.5	40.7	32.8	34.9
5. अचल आस्तियां	9.1	7.4	2.5	28.1	8.8	37.7	-5.6	4.2	24.4	25.0
6. अन्य आस्तियां	12.8	14.3	31.3	30.7	18.4	7.1	0.7	33.3	90.6	25.5

स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलनपत्र

3.8 पर्यवेक्षण के एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता की महत्ता को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों के प्रकटीकरण मानकों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के करीब लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं (बॉक्स III.1)।

सारणी III.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख घटक-बैंक समूहवार

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	आस्तियाँ		जमाराशियाँ		अग्रिम		निवेश	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	72.3	70.5	75.0	73.9	72.9	72.7	73.1	69.9
राष्ट्रीयकृत बैंक	44.3	44.2	48.7	48.8	45.0	45.2	44.3	44.9
स्टेट बैंक समूह	24.8	23.3	25.1	23.5	24.5	24.3	25.9	22.3
सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक	3.2	3.0	1.2	1.6	3.5	3.2	2.9	2.7
निजी क्षेत्र के बैंक	20.5	21.5	19.8	20.5	20.6	20.9	20.8	22.6
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	5.4	4.6	6.0	5.1	5.5	4.7	5.2	4.6
निजी क्षेत्र के नए बैंक	15.1	16.9	13.8	15.3	15.2	16.2	15.6	18.0
विदेशी बैंक	7.2	8.0	5.3	5.6	6.4	6.4	6.0	7.5
अनुसूचित वाणिज्यक बैंक	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र

बॉक्स III.1 : बैंकों के तुलन पत्र में प्रकटीकरण और पारदर्शिता

वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण और पारदर्शिता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बैंकों के कार्य अधिक जटिल तथा विविधतापूर्ण हो गए हैं। बैंक विशिष्ट हैं। बैंक वित्तीय मध्यस्थ हैं जो बचत जुटाने, निधियों की सुरक्षा और बचतकर्ताओं को अच्छा प्रतिफल देने को ध्यान में रखकर उसे नियोजित करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस प्रकार बैंकों को प्रत्ययी भूमिका और जिम्मेदारी निभानी है। भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए वे महत्वपूर्ण हैं। बैंकों का निरंतर, स्थिर और सतत परिचालन किसी बैंक और बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास पर निर्भर करता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पूर्ण प्रकटीकरण बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए आवश्यक समझा जाता है। इसलिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के वार्षिक खातों की पारदर्शिता पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य बाजार सहभागियों द्वारा काफी ध्यान दिया गया है। प्रभावी सार्वजनिक प्रकटीकरण बाजार अनुशासन को बढ़ाता है। बाजार अनुशासन और बेहतर सार्वजनिक संवीक्षा बैंकों को अपना कारोबार सुरक्षित, सुदृढ़ और प्रभावी तरीके से करने; उक्त कारोबार के उद्देश्यों को सुसंगत बनाने; सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं तथा आंतरिक नियंत्रण को बनाए रखने के लिए प्रबल प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। बाजार अनुशासन, जिसे बेहतर प्रकटीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, को बासेल II के तहत तीन स्तंभों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान करके पर्याप्त महत्व दिया गया है।

1991 से शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने प्रकटीकरण की आवश्यकता, बैंकों की सार्वजनिक जवाबदेही, बैंकर और ग्राहक के बीच गोपनीयता बनाए रखने तथा बैंकों की विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बैंकों के प्रकाशित खातों में अधिकांश अथवा पूर्ण प्रकटीकरण लाने के लिए कई उपाय किए हैं। निम्नलिखित को ध्यान में रखकर बैंकों के तुलनपत्र और लाभ-हानि खाता के फॉर्मेट में 1991 में संशोधन किए गए (i) अधिकांश अथवा पूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता (ii) एक अवधि में क्षेत्रवार और सेक्टरवार बैंकिंग परिचालन का विस्तार (iii) खातों के प्रस्तुतीकरण में सुधार की आवश्यकता। संशोधन का मुख्य जोर बैंकों की असली वित्तीय स्थिति को निर्देशित फोकस पर लाने और वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को अध्ययन कर उनकी स्थितियों के बीच सार्थक तुलना करने में समर्थ बनाने पर है। बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे लेखांकन वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण में 'नोट आन एकॉउंटट के साथ-साथ परिचालनों के प्रमुख क्षेत्र से संबंधित लेखांकन नीतियों को एक स्थान पर प्रकट करें'।

संपूर्ण प्रकटीकरण के लिए, वित्तीय विवरण की टिप्पणियों द्वारा कुछ बहुत उपयोगी सूचनाएं अच्छी प्रकार दी जाती है अथवा इस प्रकार ही उन्हें दिया जा सकता है। टिप्पणियों और पूरक जानकारियों का उपयोग कुछ मदों को स्पष्ट और प्रलेखित करने का साधन प्रदान करता है, जो या तो वित्तीय विवरण में दी गई हैं अथवा अन्यथा वे रिपोर्टिंग उद्यम की वित्तीय स्थिति और उसके निष्पादन को प्रभावित करेगी। रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए निर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया है। कंप्यूटरीकरण और बैंकों में एमआइएस के स्तर, बाजार के विकास आदि, जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर सहमति है कि पारदर्शिता के स्तर को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के बराबर लाने की आवश्यकता है।उपर्युक्त दृष्टिकोण के अनुसार, बैंकों के प्रकटीकरण मानकों को धीरे-धीरे बढ़ाया गया है। बैंकों के तुलन पत्र में 16 विस्तृत अनुसूचियों के अलावा, उन्हें ञ्नोट टु एकांउटट में ऐसे ब्यौरे देने की आवश्यकता है :

- पूंजी पर्याप्तता अनुपात; टियर I पूंजी; टियर II पूंजी;
- राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की अंश-धारिता का प्रतिशत;
- टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए गौण ऋण की राशि;
- भारत में और भारत से बाहर निवेश पर पृथक रूप से निवेश का सकल मूल्य और भारत में और भारत से बाहर निवेश का निवल मूल्य;
- निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत;
- निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए किए गए प्रावधान तथा ऐसे प्रावधानों में घट-बढ़;
- निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत। अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान और ऐसे प्रावधानों में घट-बढ़;
- पुनर्संरचना के अधीन ऋण आस्तियों के ब्यौरे; सीडीआर के अंतर्गत पुनर्संरचना; आस्ति पुनर्संरचना के लिए एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे; खरीदी/बेची गई अनर्जक आस्ति के ब्यौरे;
- 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के ब्यौरे; वर्ष के दौरान आयकर, मानक आस्ति, अस्थायी प्रावधान आदि, के लिए किए गए प्रावधान;
- कारोबार अनुपात जैसे कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय; कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ; आस्तियों पर प्रतिफल, प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा और अग्रिम) और प्रति कर्मचारी लाभ का प्रकटीकरण;
- आस्ति-देयता प्रबंधन - ऋणों और अग्रिमों के परिपक्वता का स्वरूप; निवेश प्रतिभूतियां; जमा राशियां; उधार; और विदेशी मुद्रा आस्ति और देयताएं;
- संवेदनशील क्षेत्र को उधार, जो आस्ति मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है। इसमें ऐसे क्षेत्रों जैसे पूँजी बाजार, जमीन जायदाद आदि, और ऐसे अन्य क्षेत्र जो समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा संवेदनशील परिभाषित किए जाते हैं, को दिए गए अग्रिम शामिल हैं;
- देश जोखिम के प्रति एक्सपोजर;
- बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ता की सीमा को पार करने के ब्यौरे
- रेपो लेन-देन; गैर एसएलआर निवेश पोर्टफोलिया; वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप; एक्सचेंज में ट्रेडिंग किये जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्नी; और व्युत्पन्नियों में जोखिम एक्सपोजर संबंधी प्रकटीकरण।

बैंकों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी विभिन्न लेखांकन मानकों के अंतर्गत दिए गए प्रकटीकरण मानकों का अनुपालन करना है।

जमाराशियां

3.9 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में पिछले वर्ष के 17.8 प्रतिशत की तुलना में 24.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि मांग जमाओं और बचत बैंक जमाराशियों की वृद्धि घटी, मीयादी जमाराशियों की वृद्धि में तेजी आयी। यह पिछले वर्ष के रुझान के विपरीत था, जब ऋण की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए जमाराशियां बढ़ाने के बैंकों के प्रयासों से जमाओं के परिपक्वता स्वरूप को काफी छोटा करना पड़ा, जो मांग और बचत बैंक जमाओं की तीव्र वृद्धि में परिलक्षित हुआ। 2006-07 में कई कारकों ने मीयादी जमाराशियों की तीव्र वृद्धि में योगदान दिया। प्रथम, अनुकूल ब्याज दर अंतर और लघु बचतों एवं इक्विटी संबद्ध निवेशों को मिलने वाले कर लाभ को दीर्घावधि बैंक जमाओं को भी उपलब्ध कराने के कारण डाक बचतों से बैंकों की मीयादी जमाओं की ओर स्पष्ट अंतरण हुआ। दूसरे, नकदी संपन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से भी मीयादी जमाओं की मांग बढ़ी, जिन्होंने अधिक लाभप्रदता के कारण अपनी अतिरिक्त निधियों को बैंकों में जमा किया। तीसरे, 2006-07 के दौरान पिछले वर्ष से तुलना करने पर अनिवासी जमाओं में तेज वृद्धि हुई।

3.10 हाल के वर्षों में जमा प्रमाण पत्रों के निर्गम में दिखी तेज वृद्धि 2006-07 के दौरान जारी रही। बकाया जमा प्रमाणपत्रों की राशि मार्च 2006 के अंत के 43,568 करोड़ रुपए से दुगुने से अधिक बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 93,272 करोड़ रुपए और 28 सितंबर 2007 को 1,18,481 करोड़ रुपए हो गई। बकाया जमा प्रमाणपत्र एक वर्ष पहले के 1.6 प्रतिशत से तुलना करने पर मार्च 2007 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंक की कुल जमाओं का 2.7 प्रतिशत थे। 2006-07 के दौरान जमा प्रमाण पत्रों के बढ़े हुए निर्गम ने सुदृढ ऋण उठाव को देखते हुए जमाराशियां जुटाने में बैंकों के समक्ष उपस्थित दवाबों को परिलक्षित किया। भारी जमाराशियां आकर्षित करने के लिए नकदी का संकट झेल रहे बैंकों द्वारा प्रस्तावित प्रतिलाभ के लोच ने संसाधन जुटाने के लिए जमा प्रमाण पत्रों को पसंदीदा मार्ग बनाया। निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक, जिनका शाखा नेटवर्क और फुटकर ग्राहक आधार सीमित है, जमा प्रमाण पत्रों के बड़े निर्गमकर्ता बने रहे (परिशिष्ट सारणी III.2)।

3.11 बैंक समूहवार, निजी क्षेत्र के नए बैंकों की जमाराशियां सर्वाधिक दर (38.8 प्रतिशत) से बढ़ीं, इसके पश्चात् विदेशी बैंकों (32.6 प्रतिशत), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (22.9 प्रतिशत) और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों (6.0 प्रतिशत) का स्थान था। पिछले कुछ वर्षों के रुझान को जारी रखते हुए, वर्ष के दौरान कुल जमाओं में निजी क्षेत्र के नए बैंकों का हिस्सा और बढ़ा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का हिस्सा कम हुआ (चार्ट III.1)।

चार्ट III.1: कुल जमाराशियों में अंश - बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

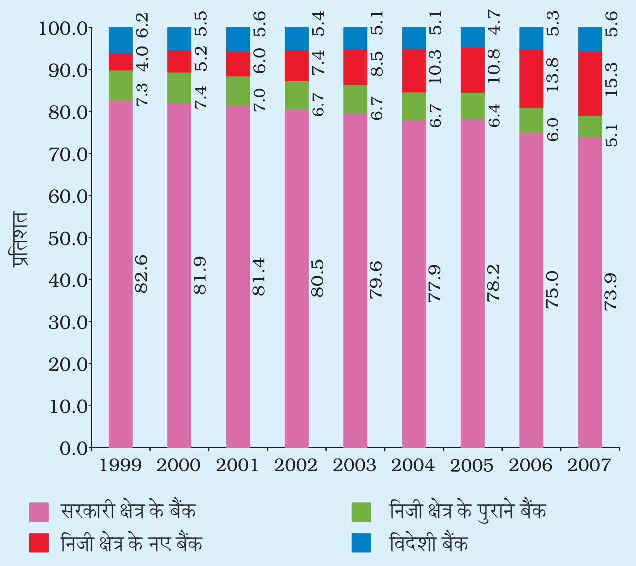

गैर-जमा संसाधन

3.12 ईक्विटी और ऋण के सार्वजनिक निर्गम के रूप में बैंकों द्वारा पूँजी बाजार से जुटाए गए संसाधन 2005-06 के 11,067 करोड़ रुपए से तेजी से घटकर 2006-07 के दौरान 1,066 करोड़ रुपए रह गए। लेकिन, बैंकों ने निजी प्लेसमेंट बाजार से बड़ी-बड़ी निधियां (पिछले वर्ष के 97 निर्गमों से 30,151 करोड़ रुपए की तुलना में 90 निर्गमों से 30,994 करोड़ रुपए) जुटाना जारी रखा (ब्यौरे के लिए खंड 6 देखें)।

बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं

3.13 बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में 2005-06 में हुई 20.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2006-07 के दौरान 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय देयताओं की वृद्धि में कमी, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा उधारों में गिरावट और एनआरई जमाओं में कम वृद्धि के कारण थी। तथापि, एफसीएनआर(बी) जमाराशियां, एनआरओ रुपया जमाराशियां, प्रतिभूतियों के अपने निर्गम और अन्य देयताएं, जो मुख्य रूप से एडीआर, जीडीआर के माध्यम से जुटाए गए आगमों तथा अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की ईक्विटी के कारण थीं, तेज गति से बढ़ीं (सारणी III.4)।

3.14 पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति को पलटते हुए कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में विदेशी मुद्रा जमा और उधार के हिस्से में वर्ष के दौरान कमी आयी। (चार्ट III.2)

सारणी III.4: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं – प्रकार

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		
	2005	2006	2007
1	2	3	4
1. जमाराशियां और ऋण	**2,03,154**	**2,46,246**	**2,71,403**
	(79.7)	**(80.3)**	**(75.2)**
जिनमें से:			
क) विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक[एफसीएनआर(बी)]	50,796	58,110	68,086
	(19.9)	(19.0)	(18.9)
ख) विदेशी मुद्रा उधार*	45,539	63,722	61,470
	(17.9)	(20.8)	(17.0)
ग) अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरइ) खाता	85,811	1,00,310	1,12,907
	(33.7)	(32.7)	(31.3)
घ) अनिवासी सामान्य (एनआरओ) रुपया जमाराशियां	6,393	5,449	6,855
	(2.5)	(1.8)	(1.9)
2. प्रतिभूति /बांडों (आइएमडी/आर आइबी सहित) के अपने निर्गम	**29,235**	**4,856**	**10,036**
	(11.5)	**(1.6)**	**(2.8)**
3. अन्य देयताएं	**22,609**	**55,506**	**79,258**
	(8.9)	**(18.1)**	**(22.0)**
जिनमें से:			
क) एडीआर/जीडीआर	9,910	14,835	23,515
	(3.9)	(4.8)	(6.5)
ख) अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी	3,230	28,438	40,328
	(1.3)	(9.3)	(11.2)
ग) भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/विप्रेषणीय लाभ और अन्य अवर्गीकृत अन्तरराष्ट्रीय देयताएँ	9,469	12,233	15,415
	(3.7)	(4.0)	(4.3)
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**2,54,999**	**3,06,609**	**3,60,698**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**

* : भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार, बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं ।
स्रोत : स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी।

3.15 कुल देयताओं में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निधियों के बाह्य (अंतरराष्ट्रीय) स्रोतों के हिस्से में, जिसमें मार्च 2001 के अंत और मार्च 2006 के अंत के बीच लगभग लगातार वृद्धि हुई, वर्ष के दौरान कमी आई (चार्ट III.3)।

चार्ट III.2: अंतरराष्ट्रीय देयताओं में विदेशी मुद्रा जमा और उधार
(मार्च के अंत में)

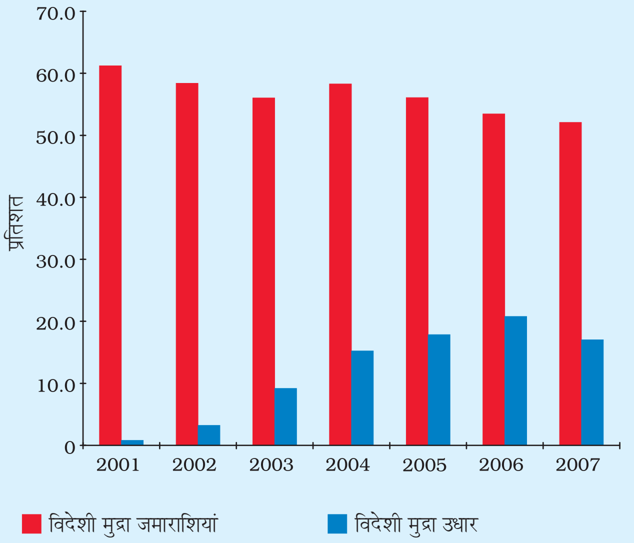

चार्ट III.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल देयताओं की तुलना में विदेशी मुद्रा देयताएं
(मार्च के अंत में)

बैंक ऋण

3.16 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋणों और अग्रिमों में 2005-06 के 31.8 प्रतिशत और 2004-05 के 33.2 प्रतिशत की अधिक वृद्धि से ऊपर 2006-07 के दौरान 30.6 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि हुई । बैंक ऋण के बड़े घटकों के बीच, मीयादी ऋण, जो ऋण और अग्रिम पोर्टफोलियो का बड़ा घटक था, का वर्ष के दौरान तेज गति (34.9 प्रतिशत) से बढ़ना जारी रहा। परिणाम के रूप में, वर्ष के दौरान कुल अग्रिमों और सकल घरेलू पूँजी निर्माण (जीडीसीएफ) दोनों में मीयादी ऋण का हिस्सा और बढ़ा (चार्ट III.4)। ऋण और अग्रिम पोर्टफोलियो के अन्य घटक अर्थात नकद ऋण तथा ओवरड्राफ्ट और खरीदे गए तथा बट्टा किए गए बिल समग्र बैंक ऋण की वृद्धि की तुलना में कम दर पर बढ़े।

बैंक ऋण का क्षेत्रीय नियोजन

3.17 समग्र ऋण[3] में मामूली कमी सभी चार बड़े क्षेत्रों अर्थात, कृषि, उद्योग सेवा तथा वैयक्तिक ऋणों सेवाओं में दिखी। सेवाओं (विशेष रूप से वास्तविक जमीन जायदाद ऋणों में) और वैयक्तिक ऋणों में काफी गिरावट हुई है। तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण में तेजी से वृद्धि हुई (सारणी III.5 और परिशिष्ट सारणी III.3)।

3.18 17 अगस्त 2007 तक ऋण के क्षेत्रीय नियोजन के अनंतिम आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष दर वर्ष आधार पर कृषि, उद्योग, सेवा तथा वैयक्तिक ऋणों के लिए बैंक ऋण घटकर क्रमशः 24.4 प्रतिशत,

चार्ट III.4: मीयादी ऋण और पूंजी निर्माण

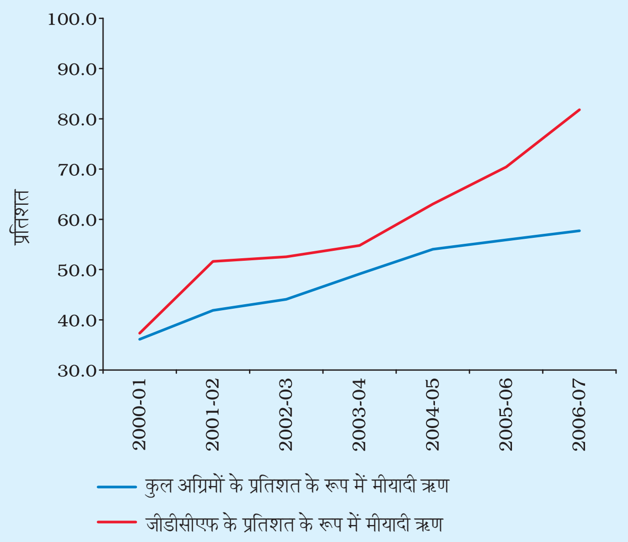

टिप्पणी : सकल पूंजी निर्माण का प्रयोग करके 2006-07 के जीडीसीएफ की गणना की गई है।

सारणी III.5: खाद्येतर ऋण का क्षेत्रवार नियोजन - प्रवाह

(वर्ष में घट-बढ़)

(राशि करोड़ रु. में)

क्षेत्र	2005-06		2006-07	
	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप	**49,606**	**39.9**	**56,305**	**32.4**
2. उद्योग (लघु, मध्यम और बड़े)	**1,26,804**	**30.0**	**1,41,543**	**25.7**
जिसमें से : लघु उद्योग	16,831	22.7	25,888	28.4
3. वैयक्तिक ऋण	**1,03,733**	**40.5**	**95,422**	**26.5**
जिसमें से : आवास	51,273	38.3	45,508	24.6
4. अन्य सेवाएं	**1,18,254**	**58.8**	**98,857**	**31.0**
जिसमें से:				
i) थोक व्यापार	8,025	25.4	9,922	25.1
ii) स्थावर संपदा	13,147	97.1	18,635	69.8
iii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	11,463	50.3	14,226	41.5
कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4)	**3,98,396**	**39.6**	**3,92,128**	**27.9**
जिनमें से : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,35,222	36.1	1,22,472	24.0

टिप्पणी 1. आंकड़े अनंतिम हैं और चयनित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण के 90 प्रतिशत से अधिक हैं।
2. क्षेत्रों के पुनर्वर्गीकरण एवं बैंकों के कार्यक्षेत्र विस्तार के कारण 2004-05 (47 बैंकों) के आंकड़े 2005-06 (52 बैंकों) से पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं ।
3. 2005-06 के घट-बढ़ में (वर्षभर में 26 पखवाड़ों के बजाय) 27 पखवाड़ो के आंकड़े शामिल हैं ।
4. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में रिजर्व बैंक, एक्जिम बैंक, अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाएं और अंतर बैंक सहभागिता के साथ पुनः भुनाए गए बिल शामिल है ।

24.6 प्रतिशत, 24.5 प्रतिशत और 19.8 प्रतिशत रह गए। जमीन-जायदाद के ऋणों की वृद्धि, 52.9 प्रतिशत की थोड़ी गिरावट के बावजूद, अधिक बनी रही।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

3.19 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार देने में बैंकों का निष्पादन हाल के वर्षों में सुधरा है, यद्यपि विभिन्न बैंक समूहों के निष्पादन में और साथ ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उपलक्ष्यों को पूरा करने में काफी घटबढ़ देखा गया है (बॉक्स III.2)।

3.20 सार्वजनिक और निजी बैंकों के अंतर्गत अलग-अलग बैंकों के स्तर पर, केवल पांच बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के समग्र लक्ष्य और कृषि तथा कमजोर वर्ग को उधार देने के उप-लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इकतीस बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक और

[3] अनुसूचित वाणिज्य बैंकों क्षेत्रीय ऋण आंकड़ों के अनुसार

बॉक्स III.2: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में बैंकों का निष्पादन

देश के व्यापक हित में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में ज्ञात अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को माध्यम प्रधान करने की आवश्यकता के स्पष्टीकरण को वर्ष 1967-68 के लिए रिज़र्व बैंक की ऋण नीति में देखा जा सकता है। कृषि उत्पादन में कमी और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में अर्थव्यवस्था में भारी असंतुलन उत्पन्न हुए हैं। भारत सरकार ने आर्थिक आयोजना तथा कृषि और लघु उद्योगों (एसएसआइ) की सहायता के लिए एक अधिक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका अदा करने हेतु आर्थिक आयोजना की आवश्यकताओं के लिए एक बेहतर बैंकिंग प्रणाली शुरू करने की दृष्टि से वर्ष 1967-68 में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के लिए उपाय शुरू किए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक उद्देश्य था कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उधारकर्ता के बड़े अथवा छोटे होने पर ध्यान दिए बिना ऋण सहायता में कमी का कोई व्यवहार्य उत्पादक प्रयास न हो। इसप्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार की अवधारणा का आगे विकास इसलिए हुआ कि बैंकिंग प्रणाली से अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को और राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार वृद्धिशील तरीके से सहायता जारी रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विवरण को रिज़र्व बैंक द्वारा गठित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम से संबंधित साख्यिकी पर औपचारिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1972 में औपचारिक स्वरूप दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार के संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, नवंबर 1974 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया कि मार्च 1979 तक उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए दिए गए उधार बकाया ऋण के एक तिहाई स्तर तक नहीं पहुँचने चाहिए। नवंबर 1978 में निजी क्षेत्रों के बैंकों भी सूचित किया गया कि वे मार्च 1980 के अंत तक के अपने कुल अग्रिमों का न्यूनतम 33 1/3 प्रतिशत उधार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दें। उसके बाद इस लक्ष्य को बढ़ाकर सकल अग्रिमों का 40 प्रतिशत किया गया। इस समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकों के लिए कृषि क्षेत्र और कमजोर वर्गों के लिए उधार के उप-लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। वर्तमान बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का क्रमशः न्यूनतम 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कृषि क्षेत्र और समाज के कमजोर वर्गों को उधार प्रदान करें।

भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों भी सूचित किया गया था कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए अपने अग्रिमों को निरंतर बढ़ाते हुए मार्च 1992 के अंत तक अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के 15 प्रतिशत का स्तर प्राप्त करें। अप्रैल 1993 में यह अनुपात और बढ़कर निवल बैंक ऋण का 32 प्रतिशत हो गया जिसे मार्च 1994 तक प्राप्त किया जाना था। 32 प्रतिशत के वर्धित लक्ष्य के भीतर लघु उद्योग के संबंध में उप-लक्ष्य 10 प्रतिशत और निर्यात के संबंध में 12 प्रतिशत निर्धारित किए गए थे। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों के आधार पर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्यों/उपलक्ष्यों को अब 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक ऋण अथवा तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर के ऋण के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, से जोड़ा गया है।

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण में वृद्धि, पिछले वर्ष के 36.1 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 24.0 प्रतिशत हो गई। 2006-07 के दौरान 'अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' को दिए गए ऋण, जिनमें हाल के वर्षों में तीव्र वृद्धि दिखी, भी तीव्रता से घटे। तथापि, जहाँ कृषि को ऋण वृद्धि में कमी आयी, वहीं लघु उद्योग को ऋण वृद्धि में तेजी आयी (सारणी 1)।

सारणी 1: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ग	को बकाया			
	19, मार्च 2004	18, मार्च 2005	31, मार्च 2006	30, मार्च 2007
1	2	3	4	5
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (क+ख+ग)	**2,63,834** **(24.7)**	**3,74,953** **(42.1)**	**5,10,175** **(36.1)**	**6,32,647** **(24.0)**
क) कृषि	90,541 (23.2)	1,24,269 (37.3)	1,73,875 (39.9)	2,30,180 (32.4)
ख) लघु उद्योग	65,855 (9.0)	74,189 (12.7)	91,020 (22.7)	1,16,908 (28.4)
ग) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,07,438 (38.3)	1,76,495 (64.3)	2,45,280 (39.0)	2,85,559 (16.4)

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े वार्षिक वृद्धि दर के है जो प्रतिशत में दिए गए हैं।
2. क्षेत्र के पुनः वर्गीकरण और बैंक के कवरेज में वृद्धि के कारण 2004-05 (47 बैंक) के आंकड़े बाद के बरसों में पूरी तरह से तुलनीय नहीं है।
3. आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों के कारण इस सारणी में दिए गए आंकड़े सारणी 2 और सारणी 3 के आंकड़ों से मेल नहीं खाते है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 5,21,180 करोड़ रुपए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम, जो 2005-06 के 33.4 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 के दौरान 27.2 प्रतिशत बढ़े, 40 प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत निवल बैंक ऋण का 39.6 प्रतिशत थे। मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को कृषि को दिए गए अग्रिम निवल बैंक ऋण का 15.6 प्रतिशत थे (सारणी III.2 तथा परिशिष्ट सारणी III.5)। एक समूह के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मार्च 1999 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के 40 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। लक्ष्य पहली बार 2000 में प्राप्त किया गया और एक समूह के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2005-06 तक लक्ष्य को पूरा करना जारी रखा। लेकिन, एक समूह के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार में, मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को, 40 प्रतिशत के लक्ष्य से 0.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंक (इलाहाबाद बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, सिंडीकेट बैंक, आइडीबीआइ लि., भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला) मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के 40 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए (परिशिष्ट सारणी III.5 और 5क)। सार्वजनिक क्षेत्र के 28 बैंकों में से केवल आठ बैंक (इलाहाबाद, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर तथा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र) कृषि को उधार देने के 18 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कमजोर वर्गों को उधार देने के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र के केवल सात बैंकों ने (बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, सिंडीकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर) मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 10 प्रतिशत के उपलक्ष्य को प्राप्त किया।

निजी क्षेत्र के बैंक

मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम 1,43,768 करोड़ रुपए थे, जो निवल

सारणी 2: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार

(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2006	2007@	2006	2007@
1	2	3	4	5
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	**4,09,748**	**5,21,180**	**1,06,586**	**1,43,768**
	(40.3)	**(39.6)**	**(42.8)**	**(42.7)**
जिसमें से:				
कृषि	1,55,220	2,05,091	36,712	52,056
	(15.3)	(15.6)	(13.6)	(12.8)
लघु उद्योग	82,434	1,04,703	10,421	13,063
	(8.1)	(8.0)	(4.2)	(3.9)
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,63,756	2,01,023	57,777	76,925
	(16.1)	(15.3)	(23.2)	(22.9)

@: अनंतिम

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े संबंधित समूह के लिए निवल बैंक ऋण के प्रतिशत को दर्शाते हैं।
2. कृषि के प्रतिशत के आकलन के लिए अप्रत्यक्ष कृषि को निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक गिना जाता है।
3. आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों के कारण इस सारणी में दिए गए आंकड़े सारणी 1 और सारणी 3 के आंकड़ों से मेल नहीं खाते है।

बैंक ऋण का 42.7 प्रतिशत थे (सारणी 2 और परिशिष्ट सारणी III.7 और 7क)।एक समूह के रूप में, निजी क्षेत्र के बैंक 2001-02 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 40 प्रतिशत उधार देने के समग्र लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। यह लक्ष्य पहली बार 2002-03 में प्राप्त किया गया। निजी क्षेत्र के 26 बैंकों में से चार बैंक (बैंक ऑफ राजस्थान लि.,सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि., आइसीआइसीआइ बैंक लि., जम्मू और कश्मीर बैंक लि. तथा कर्नाटक बैंक लि.) मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए (परिशिष्ट सारणी III.7 और 7क) । निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए उधार मार्च 2000 के अंत में निवल बैंक ऋण के 8.3 प्रतिशत से सुधरकर मार्च 2006 के अंत में 13.6 प्रतिशत हो गया तथा वह गिरकर मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को निवल बैंक ऋण का 12.8 प्रतिशत रह गया। केवल तीन बैंक (यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और सांगली बैंक) मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को कृषि के 18 प्रतिशत के उप लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अन्य छह बैंकों द्वारा दिए गए उधार 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के बीच थे। कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले 10 प्रतिशत के लक्ष्य को निजी क्षेत्र का कोई बैंक प्राप्त नहीं कर सका।

विदेशी बैंक

भारत में कार्यालय रखने वाले विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम मार्च 2003 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के 14,555 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 37,835 करोड़ रुपए हो गये, जो शुद्ध बैंक ऋण का 33.4 प्रतिशत है (सारणी 3 तथा परिशिष्ट सारणी III.8)। कुल निवल बैंक ऋण में निर्यात ऋण का 18.3 प्रतिशत का हिस्सा 12.0 प्रतिशत के निर्धारित उपलक्ष्य से काफी ऊपर था। विदेशी बैंक भी लघु उद्योग क्षेत्र को उधार देने के 10.0 प्रतिशत के उपलक्ष्य पर पहुँच गए (सारणी III.8)। समूह के रूप में, विदेशी बैंक 1997 से निवल बैंक समूह के 32 प्रतिशत के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के समग्र लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को, भारत में कार्यरत 29 विदेशी बैंकों में से पाँच बैंक (आबूधावी कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो - मित्सुबिशी, सिटी बैंक, एचएसबीसी लि. तथा मिजूहो कारपोरेट बैंक) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के निवल बैंक ऋण के 32 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। सात विदेशी बैंक (बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया, बैंक ऑफ टोक्यो - मित्सुबिशी, सिटी बैंक, एचएसबीसी लि., जेपी मोर्गन चेज बैंक, मिजूहो कॉरपोरेट बैंक और शिन्हन बैंक) मार्च 2007 के अंत में लघु उद्योग क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके जबकि तीन विदेशी बैंक (अमरीकन एक्सप्रेस बैंक, बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया और मिजूहो कॉरपोरेट बैंक) निर्यात के लिए उधार देने के उपलक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके (परिशिष्ट सारणी III.8क)।

कृषि में कम पूँजी निर्माण के कारण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कई बैंक कृषि उधार लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, जिसका परिणाम कमजोर ऋण अवशोषण और अनर्जक ऋणों को बट्टे में डालना रहा, जिससे कुछ बैंकों के बकाया अग्रिम घटे।

सारणी 3: विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2005		2006		2007@	
	राशि	निवल बैंक ऋण का प्रतिशत	राशि	निवल बैंक ऋण का प्रतिशत	राशि	निवल बैंक ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम #	**23,843**	**35.3**	**30,439**	**34.4**	**37,835**	**33.4**
जिसमें से:						
निर्यात ऋण	12,339	18.3	17,326	19.6	20,714	18.3
लघु उद्योग	6,907	10.2	8,430	9.5	11,648	10.3

@ : अनंतिम।

: औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के ऋण, सॉफ्टवेयर उद्योग, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह और उद्यम पूंजी को दिए गए ऋण शामिल हैं।

टिप्पणी : आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों के कारण इस सारणी में दिए गए आंकड़े सारणी 1 और सारणी 2 के आंकड़ों से मेल नहीं खाते है।

निजी क्षेत्र के 19 बैंक) समग्र लक्ष्य को प्राप्त कर सके, लेकिन उप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। दस बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंक और निजी क्षेत्र के चार बैंक) समग्र लक्ष्य और उप-लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाए (सारणी III.6, परिशिष्ट सारणी III.5क और परिशिष्ट सारणी III 7 क)।

विशेष कृषि ऋण योजना

3.21 रिज़र्व बैंक ने कृषि के लिए ऋण प्रवाह में सुस्पष्ट और निर्दिष्ट सुधार की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि वे 1994-95 से वार्षिक आधार पर विशेष कृषि ऋण योजनाएं (एसएसीपी) बनाएं। विशेष कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत बैंकों से वर्ष के दौरान (अप्रैल-मार्च) अपेक्षा है कि वे प्राप्त करने के लिए अपने लिए लक्ष्य बनाएं। बैंक सामान्यतया पिछले वर्ष किए गए संवितरण से लगभग 20-25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हाल के वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने व्यापक रूप से विशेष कृषि ऋण योजना के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। 2006-07 के वित्तीय वर्ष के लिए योजना के अन्तर्गत कृषि के लिए संवितरण, 1,18,160 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत, कुल 1,22,443 करोड़ रुपए था, जो लक्ष्य का 103.6 प्रतिशत था। वर्ष 2005-06 से निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भी विशेष कृषि ऋण योजना व्यवस्था लागू की गई। 2005-06 के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि के लिए संवितरण, 24,222 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 31,199 करोड़ रुपए था। 2006-07 के दौरान, निजी क्षेत्र के बैंकों ने, 40,656 करोड़ रुपए के अपने निर्धारित लक्ष्य की तुलना में योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के लिए 35,585 करोड़ रुपए संवितरित किए।

3.22 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई कि वे अपने निवल बैंक ऋण का 5 प्रतिशत महिलाओं के लिए निर्धारित करें। मार्च 2007 के अंत में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिलाओं को दिया गया कुल ऋण उनके निवल बैंक ऋण का 4.95 प्रतिशत था जिसमें 21 बैंक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।सार्वजनिक क्षेत्र के आठ बैंकों ने 15 विशेष महिला शाखाएं खोली हैं।

सारणी III.6: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति

(बैंकों की संख्या)

क्रम	लक्ष्य / उप-लक्ष्य स	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
	1	2	3	4
1.	कुल / कृषि / कमजोर वर्ग	5	–	5
2.	केवल कुल	12	19	31
3.	कुल और कृषि	2	3	5
4.	कुल और कमजोर वर्ग	1	–	1
5.	कृषि और कमजोर वर्ग	–	–	–
6.	केवल कृषि	1	–	1
7.	केवल कमजोर वर्ग	1	–	1
8.	कोई नहीं	6	4	10

– : कुछ नहीं

सूक्ष्म-वित्त

3.23 स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्ध कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्म-वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है। इसे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मार्च 2007 के अंत में, सामूहिक रूप से 2.9 मिलियन स्वयं सहायता समूह बैंकों से संबद्ध थे और इन स्वयं सहायता समूहों को दिया गया कुल ऋण का प्रवाह 18,041 करोड़ रुपए से अधिक था। वर्ष के दौरान दिया गया कुल बैंक ऋण 6,643 करोड़ रुपए था जिसमें स्वयं सहायता समूहों को दोबारा दिए गए ऋण की राशि 3,599 करोड़ रुपए थी। बैंकों ने 2006-07 के दौरान 686,408 नए स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिए (ब्यौरे के लिए अध्याय IVदेखें)।

उद्योग को ऋण

3.24 उद्योगों (लघु, मध्यम और बड़े) को दिए गए ऋण में वृद्धि पिछले वर्ष के 30.0 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 25.7 प्रतिशत रह गई । चूंकि उद्योग को दिए गए ऋण में हुई वृद्धि समग्र ऋण वृद्धि के समान नहीं रही, खाद्येतर सकल बैंक ऋण में उद्योग के बकाया ऋण का हिस्सा मार्च 2006 के अंत के 39.2 प्रतिशत और मार्च 2005 के अंत के 42.1 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 के अंत में 38.5 प्रतिशत रह गया। वृद्धिशील बैंक ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा (21.4 प्रतिशत) आधारभूत सुविधा उद्योग के लिए था, इसके पश्चात् वस्त्र (14.1 प्रतिशत) और मूल धातु तथा धातु उत्पाद (12.4 प्रतिशत) थे (परिशिष्ट सारणी III.9)। पावर (आधारभूत सुविधा के अन्तर्गत) और लोहा तथा इस्पात (धातु और धातु उत्पाद उद्योग के अन्तर्गत) में सर्वाधिक वृद्धि हुई। अन्य बड़े उद्योग, जिनमें बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ा, पेट्रोलियम, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, रसायन और निर्माण थे (चार्ट III.5)।

लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण

3.25 मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण 1,04,703 करोड़ रुपए थे, जो निवल बैंक ऋण का 8.0 प्रतिशत और इन बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों का 20.1 प्रतिशत था। लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत, कुटीर उद्योग, कारीगर और छोटे उद्योगों को दिए गए अग्रिम 44,311 करोड़ रुपए थे, जो लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का 42.3 प्रतिशत था। मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 13,063 करोड़ रुपए था, जो निवल बैंक ऋण का 3.9 प्रतिशत और इन बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

चार्ट III.5: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन

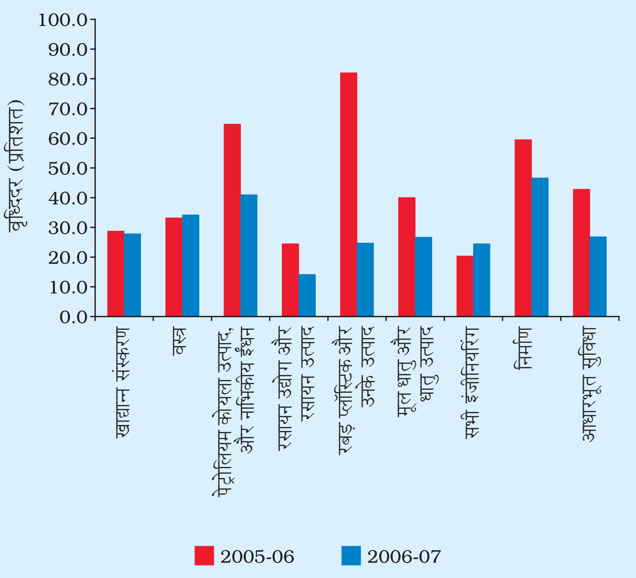

को दिए गए कुल अग्रिमों का 9.1 प्रतिशत था। मार्च 2007 के अंतिम रिपोटिंग शुक्रवार को विदेशी बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 11,648 करोड़ रुपए था जो निवल बैंक ऋण का 10.3 प्रतिशत और इन बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का 30.8 प्रतिशत था।

3.26 मार्च 2007 के अंत में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 1,14,132 बीमार लघु उद्योग इकाइयों को दिया गया ऋण 5,267 करोड़ रुपए था। बीमार लघु उद्योग इकाइयों में, 4,287 इकाइयां, जिन पर 427 करोड़ रुपए बैंक ऋण बकाया था, अर्थक्षम पाई गईं। इनमें से 588 इकाइयों को बैंकों ने वित्त पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा, जिनका बकाया ऋण 269 करोड़ रुपए था। कुल मिलाकर, 1,09,011 इकाइयां जिनका बकाया ऋण 4,757 करोड़ रुपए था, अर्थक्षम नहीं पाई गईं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण

3.27 खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को कंसर्टियम के नेता के रूप में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों का एक कंसर्टियम बनाया गया। ये ऋण कंसर्टियम के पाँच बड़े बैंकों की औसत मूल उधार दर से 1.5 प्रतिशत कम पर दिए गए। अप्रैल 2007 के अंत में, योजना के अन्तर्गत बैंकों के कंसर्टियम द्वारा संवितरित किए गए 738 करोड़ रुपए में से लगभग 310 करोड़ रुपए बकाया थे।

फुटकर ऋण

3.28 यद्यपि बैंकों के फुटकर पोर्टफोलियो में वृद्धि 2005-06 के 40.9 प्रतिशत से घटकर 2006-07 के दौरान 29.9 प्रतिशत रह गई, यह बैंकिंग क्षेत्र के समग्र ऋण पोर्टफोलियो (28.5 प्रतिशत) की तुलना में अभी भी तेज गति से बढ़ी। परिणाम के रूप में, कुल ऋणों और अग्रिमों में उनका हिस्सा मार्च 2006 के अंत में 25.5 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 25.8 प्रतिशत हो गया। फुटकर पोर्टफोलियो के अन्तर्गत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के ऋण में, पिछले वर्ष के विपरीत जब इसकी वृद्धि निम्नतम थी, 2006-07 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड की प्राप्तियों, ऑटो वाहन और अन्य वैयक्तिक ऋणों (मुख्यरूप से पेशेवरों को और शैक्षिक प्रयोजन के लिए दिये गये ऋणों) की वृद्धि में गिरावट आई। आवास ऋण, जो बैंकों के फुटकर पोर्टफोलियो के 46.0 प्रतिशत हिस्से के साथ सबसे बड़ा घटक था, भी घटा (सारणी III.7)।

3.29 यद्यपि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र (पूँजी बाजार, जमीन-जायदाद और पण्य) को दिए गए उधारों में पिछले वर्ष की उच्च वृद्धि से 2006-07 के दौरान तेजी से कमी आई, इसमें समग्र ऋण वृद्धि की तुलना में काफी अधिक दर से

सारणी III.7: बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो

(राशि करोड़ रु. में)

मद	मार्च के अंत में बकाया		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2006	2007	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1. आवास ऋण	1,79,060	2,24,481	33.4	25.4
2. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	4,469	7,296	17.3	63.3
3. क्रेडिट कार्ड की प्राप्त राशियां	12,434	18,317	47.9	47.3
4. ऑटो ऋण	61,369	82,562	75.1	34.5
5. अन्य निजी ऋण	1,18,351	1,55,204	39.1	31.1
कुल खुदरा ऋण (1+2+3+4+5)	**3,75,683 (25.5)**	**4,87,860 (25.8)**	**40.9**	**29.9**
अनु. वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण और अग्रिम	**14,73,723**	**18,93,775**	**31.0**	**28.5**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल ऋण और अग्रिमों में प्रतिशत अंश को दर्शाते हैं।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू अ-लेखा परीक्षित और अनंतिम)।

सारणी III.8: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र को ऋण

(मार्च के अंत में)

राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2006		2007	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. पूंजी बाजार	22,303 (40.6)	7.8	30,637 (37.4)	7.6
2. स्थावर संपदा बाजार	2,62,053 (80.0)	91.7	3,70,689 (41.5)	91.9
3. पण्य	1,413 (-40.3)	0.5	2,206 (56.1)	0.6
कुल (1+2+3)	**2,85,770 (74.4)**	**100.0**	**4,03,533 (41.2)**	**100.0**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अंतर दर्शाते हैं।

वृद्धि हुई। घटकों में, जबकि जमीन-जायदाद बाजार को दिए गए ऋण में तेजी से कमी आई, पण्यों को दिए गए ऋण में पिछले वर्ष की गिरावट के विपरीत तीव्रता से वृद्धि हुई (सारणी III.8)। संवेदनशील क्षेत्र के प्रति अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल एक्सपोजर पिछले वर्ष के 18.8 प्रतिशत की तुलना में कुल बैंक ऋणों और अग्रिमों (जिसमें 18.7 प्रतिशत जमीन-जायदाद को, 1.5 प्रतिशत पूँजी बाजार को और 0.1 प्रतिशत पण्यों को शामिल है) का 20.4 प्रतिशत था।

3.30 बैंक समूहों के बीच, निजी क्षेत्र के नए बैंकों का संवेदनशील क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर (बैंकों के कुल ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में मापित) मुख्य रूप से जमीन-जायदाद बाजार के प्रति अधिक एक्सपोजर के कारण सर्वाधिक था, इसके पश्चात् विदेशी बैंक, निजी क्षेत्र के पुराने बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे (सारणी III.9 और परिशिष्ट सारणी III.11)।

निवेश

3.31 2006-07 के दौरान बैंकों के निवेश में 10.6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जिसे मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से प्रोत्साहन मिला, इस प्रकार पिछले वर्ष का रुझान ही बदल गया जब 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पहली बार सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश में समग्र रूप से कमी आई। निवेश पोर्टफोलियो के अन्तर्गत, गैर एसएलआर निवेश में एसएलआर पोर्टफोलियो की तुलना में अधिक वृद्धि दिखी। 2005-06 के दौरान 3.1 प्रतिशत (22,809 करोड़) की गिरावट की तुलना में 2006-07 के दौरान, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के निवेश में 10.2 प्रतिशत (72,977 करोड़) की वृद्धि हुई। यद्यपि ऋण लेने की स्थिति सुदृढ़ बनी रही, मजबूत जमा वृद्धि ने निवेश के प्रति बैंकों की एक्सपोज़र क्षमता बढ़ाई।2006-07 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों में 74,238 करोड़ रुपए का वृद्धिशील निवेश किया। लेकिन, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों का कुल निवेश मार्च 2007 के अंत में (मार्च 2006 के अंत के 24.8 प्रतिशत की तुलना में) कुल आस्तियों का 21.8 प्रतिशत और एनडीटीएल का 28.0 प्रतिशत (पिछले वर्ष के एनडीटीएल के 31.3 प्रतिशत की तुलना में) था।

3.32 यद्यपि 2006-07 के दौरान 84,223 करोड़ रुपए का अधिक एसएलआर निवेश 25.0 प्रतिशत की निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता के ऊपर था, कुछ बैंक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात पोर्टफोलियो को निर्धारित न्यूनतम स्तर के काफी करीब परिचालित कर रहे थे (चार्ट III.6)। 26 अक्तूबर 2007 को ऐसी प्रतिभूतियों की एनडीटीएल की 29.4 प्रतिशत की वाणिज्य बैंकों की धारिताएं मार्च 2007 के अंत के 28.0 प्रतिशत और एक वर्ष पहले के 28.8 प्रतिशत की तुलना में कुछ अधिक थीं । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अधिक एसएलआर निवेश मार्च 2007 के अंत के 84,223 करोड़ रुपए

सारणी III.9 : संवेदनशील क्षेत्र को ऋण-बैंक समूहवार*

(प्रतिशत)

क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		विदेशी बैंक	
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूंजी बाजार #	1.2	1.3	2.3	2.2	1.3	1.5	2.6	2.4
स्थावर संपदा बाजार @	14.3	15.1	29.1	32.3	14.6	16.6	25.6	26.3
पण्य	0.1	0.1	–	–	0.2	0.5	–	–
संवेदनशील क्षेत्र को कुल अग्रिम	**15.6**	**16.6**	**31.4**	**34.5**	**16.0**	**18.7**	**28.2**	**28.7**

* : संबंधित बैंक समूह के कुल ऋण और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में संवेदनशील क्षेत्र को दिए गए ऋण।
\# : पूंजी बाजार के जोखिम में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं ।
@ : स्थावर संपदा के जोखिम में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों उधार (लेने) शामिल हैं ।

सारणी III.10: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	31, मार्च 2006	कुल का प्रतिशत	30, मार्च 2007	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. वाणिज्यिक पत्र	4,821	5.4	8,978	9.4
2. शेयरों में निवेश	12,775	14.2	18,344	19.3
जिनमें से :				
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	2,274	2.5	2,126	2.2
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	10,501	11.7	16,218	17.1
3. बांडों/डिबेंचरों में निवेश	61,868	68.9	56,072	59.0
जिनमें से :				
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	32,345	36.0	28,472	30.0
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	29,523	32.9	27,600	29.0
4. म्युच्युअल फंड के यूनिट	10,345	11.5	11,659	12.3
कुल-गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश (1+2+3+4)				

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंको द्वारा प्रस्तुत धारा 42(2) विवरणियां ।

चार्ट III.6: एसएलआर प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवेश

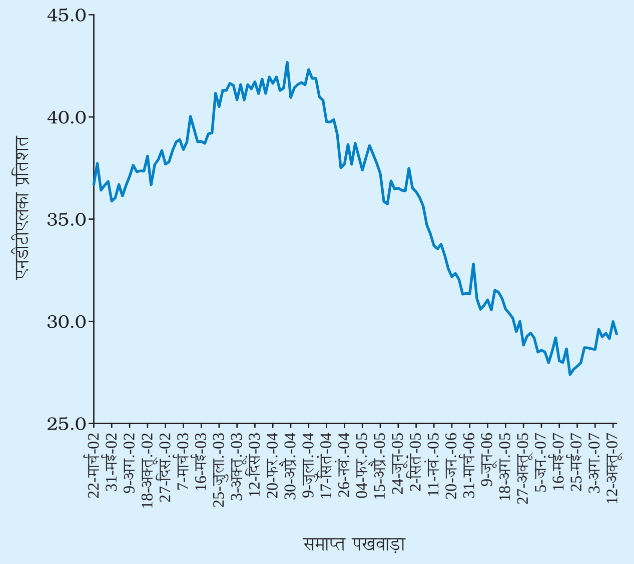

और एक वर्ष पहले के 1,00,626 करोड़ रुपए से बढ़कर 26 अक्तूबर 2007 को 1,41,437 करोड़ रुपए हो गए।

गैर एसएलआर निवेश

3.33 पिछले वर्ष में हुई 14.6 प्रतिशत (13,620 करोड़ रुपए) की गिरावट से तुलना करने पर 2006-07 में कंपनी क्षेत्र द्वारा जारी गैर एसएलआर प्रतिभूतियों (अर्थात, बांड/डिबेंचर/ शेयर और वाणिज्यिक पत्र) में बैंकों के निवेश 4.9 प्रतिशत (3,929 करोड़ रुपए) बढ़े, जिससे जमाराशिओं की सुदृढ़ वृद्धि परिलक्षित होती है। जबकि बांड/डिबेंचर में निवेश तेजी से कम हुए, शेयर और वाणिज्यिक पत्रों में बढ़े। कुल मिलाकर, मार्च 2007 के अंत में कुल गैर एसएलआर निवेश के प्रतिशत के रूप में कंपनी क्षेत्र के लिखतों (शेयर और बांड) में 53.5 प्रतिशत के निवेश पिछले वर्ष (55.9 प्रतिशत) की तुलना में कम थे। पिछले वर्ष के 28.3 प्रतिशत (3,40,573 करोड़ रुपए) से तुलना करने पर वाणिज्यिक क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल निधि प्रवाह, ऋण और गैर एसएलआर निवेश, 27.2 प्रतिशत (4,19,935 करोड़ रुपए) बढ़ा (सारणी III.10)।

3.34 लिखतों के अनुसार, यद्यपि मार्च 2007 के अंत में बांड और डिबेंचरों में निवेश तेजी से गिरा, वे अब भी गैर एसएलआर निवेश के सबसे बड़ा हिस्सा बने हुए थे (सारणी III.11)।

सारणी III.11: गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश की संरचना

(प्रतिशत)

लिखत	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक पत्र	7.2	3.1	2.7	2.7	5.4	9.4
बांड/डिबेंचर	81.7	84.2	81.5	79.2	68.9	59.0
शेयर	6.6	7.9	7.3	9.4	14.2	19.3
मुच्युअल फंड के यूनिट	4.5	4.9	8.5	8.7	11.5	12.3

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत धारा 42(2) विवरणियां।

सारणी III.12: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियां-प्रकारानुसार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

परिसंपत्ति	2005	2006	2007
1	2	3	4
अंतरराष्ट्रीय आस्तियां (1+2+3)	**1,33,237**	**1,58,201**	**2,02,973**
1. ऋण और जमाराशियां	1,24,582 (93.5)	1,46,014 (92.3)	1,90,888 (94.0)
जिनमें से :			
क) अनिवासियों को ऋण *	4,103 (3.1)	6,270 (4.0)	7,122 (3.5)
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण **	58,092 (43.6)	63,231 (40.0)	75,000 (37.0)
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर आहरित बकाया निर्यात बिल	26,171 (19.6)	31,556 (19.9)	40,846 (20.1)
घ) *नोस्ट्रो* शेष @	35,673 (26.8)	44,515 (28.1)	67,487 (33.2)
2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं	979 (0.7)	2,079 (1.3)	1,761 (0.9)
3. अन्य आस्तियां @@	7,676 (5.8)	10,109 (6.4)	10,324 (5.1)

* : अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण को शामिल किया गया है ।
** : वि. मु. अनिवासी (बी) जमाराशियों से दिए गए ऋण और पीसीएफसी तथा एफसी को दिए गए उधार भारत के बैंकों में जमा राशियां ।
@ : विदेश के प्लेसमेंट एवं अनिवासी के बैंकों के पास शेष मीयादी जमाराशियाँ ।
@@ : भारतीय बैंकों की शाखाओं/सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियां ।
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकीय।

बैंकिंग प्रणाली की अन्तरराष्ट्रीय आस्तियां

3.35 2006-07 के दौरान ऋण की सुदृढ़ मांग निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण तथा निवासियों द्वारा अनिवासियों पर जारी बकाया निर्यात बिल की अधिक वृद्धि में परिलक्षित हुई। 2005-06 के दौरान हुई 1.3 प्रतिशत की वृद्धि से तुलना करने पर कुल अन्तरराष्ट्रीय आस्तियों में नोस्ट्रो शेषों का हिस्सा 2006-07 के दौरान बढ़कर 5.1 प्रतिशत अंक हो गया (सारणी III.12)।

3.36 2005-06 के 24.9 प्रतिशत से तुलना करने पर आसन्न देशगत जोखिम के आधार पर, बैंकों के समेकित अन्तरराष्ट्रीय दावों में 2006-07 के दौरान 61.0 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दिखी।समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में अल्पकालिक दावों (एक वर्ष से कम शेष परिपक्वता) का हिस्सा 2006-07 के दौरान गिरना जारी रहा, जबकि दीर्घकालिक दावे तदनुसार बढ़े।

3.37 बैंकों के अन्तरराष्ट्रीय दावों का क्षेत्रवार स्वरूप व्यापक रूप से पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा। रिपोर्टिंग बैंकों का ब्बैंक से इतर निजीट क्षेत्र के प्रति सर्वाधिक एक्सपोजर था, इसके पश्चात् बैंकिंग क्षेत्र था (सारणी III.13)।

3.38 वर्ष के दौरान, आसन्न देशगत जोखिम के आधार पर, बैंकों के देश-वार समेकित अन्तरराष्ट्रीय दावों में कुछ परिवर्तन हुआ। जहाँ कुल समेकित अन्तरराष्ट्रीय दावों में अमरीका और हांगकांग का हिस्सा काफी कम हुआ, वहीं लेकिन सिंगापुर का बढ़ा। ब्रिटेन, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा व्यापकरूप से पिछले वर्ष के स्तर पर रहा। अमरीका, ब्रिटेन, हांगकांग, सिंगापुर और जर्मनी पर कुल दावे कुल अन्तरराष्ट्रीय दावों के 53.9 प्रतिशत थे (सारणी III.14)।

तिमाही रुझान - वाणिज्य बैंकों का सर्वेक्षण[4]

3.39 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की गतिविधियों के त्रैमासिक विश्लेषण से कुछ मनोरंजक बातें सामने आयी (सारणी III.15 और परिशिष्ट सारणी III.12)। चूंकि 2006-07 के दौरान सितंबर-अंत और मार्च-अंत के रिपोर्टिंग शुक्रवार 29 सितंबर 2006 और 30 मार्च 2007 को (क्रमशः छमाही और वार्षिक बंदी के समीप) पड़े, अन्य तिमाहियों तथा पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाहियों की तुलना में दूसरी और चौथी तिमाही में जमाओं तथा कुल ऋणों में तेज वृद्धि दिखी।

[4] बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 42(2) विवरणी के तहत प्राप्त सूचना पर आधारित।

सारणी III.13: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण-परिपक्वता एवं क्षेत्रवार

(मार्च केअंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

अवशिष्ट परिपक्वता /क्षेत्र	2005	2006	2007
1	2	3	4
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**74,238**	**92,711**	**1,49,258**
(क) परिपक्वतावार			
1) अल्पावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम)	61,113	73,176	1,09,481
	(82.3)	(78.9)	(73.4)
2) दीर्घावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष तथा उससे अधिक)	11,951	18,627	39,775
	(16.1)	(20.1)	(26.6)
3) अनाबंटित	1,174	907	2
	(1.6)	(1.0)	(0.0)
(ख) क्षेत्रवार			
1) बैंक	34,301	43,050	69,781
	(46.2)	(46.4)	(46.8)
2) बैंकेतर पब्लिक	1,145	1,248	871
	(1.5)	(1.3)	(0.6)
3) बैंकेतर प्राइवेट	38,792	48,413	78,607
	(52.3)	(52.2)	(52.7)

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते है।
2. अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में लागू नहीं परिपक्वता (अर्थात इक्विटी के लिए) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गई परिपक्वता सूचना शामिल है।
3. बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आइएफसी, ईसीबी आदि, और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।
4. मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व बैंकेतर पब्लिक क्षेत्र में ऐसे बैंकों को छोड़कर जिनमें राज्य / केंद्रीय सरकारों की कम से कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी, राज्य/केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित कंपनियां/संस्थाएं शामिल थीं। मार्च 2005 की तिमाही से 'बैंकेतर पब्लिक' क्षेत्र में केवल राज्य / केंद्रीय सरकार और उनके विभाग शामिल हैं तथा तदनुसार बैंकों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं को '' बैंकेतर प्राइवेट'' क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा रहा है।

स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी पर आधारित - निकटवर्ती देश गत जोखिम आधार।

3.40 2006-07 की पहली तिमाही के दौरान, मांग जमाओं में गिरावट के बावजूद, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं में वृद्धि हुई। मांग जमाओं की गिरावट पिछली तिमाही के दौरान विशाल बढ़ोत्तरी की बिक्री, पारस्परिक निधियों पर चुकौती के दबाव और सार्वजनिक निर्गमों की संख्या में कमी में परिलक्षित हुई। तथापि, मीयादी जमाओं में तेज वृद्धि हुई जो ऋण की मांग को पूरा करने के लिए अधिक ब्याज दर और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शुरू की गई जमा एकत्र करने की योजनाओं में परिलक्षित हुआ। बैंकों ने विदेशी मुद्रा आस्तियों को बेच दिया। इससे बैंक ऋण की मांग को पूरा कर पाए।

सारणी III.14: भारत से इतर देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(मार्च केअंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005	2006	2007
1	2	3	4
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दाव	**74,238**	**92,711**	**149,258**
जिनमें से :			
क) संयुक्त राष्ट्र अमरीका	22,348	23,176	32,875
	(30.1)	(25.0)	(22.0)
ख) यूनाइटेड किंगडम	7,608	14,212	22,598
	(10.2)	(15.3)	(15.1)
ग) हांगकांग	7,389	6,652	8,977
	(10.0)	(7.2)	(6.0)
घ) सिंगापुर	3,510	4,182	8,921
	(4.7)	(4.5)	(6.0)
ड) जर्मनी	3,607	4,678	7,234
	(4.9)	(5.0)	(4.8)
च) संयुक्त अरब अमीरात	2,771	4,059	6,686
	(3.7)	(4.4)	(4.5)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल अंतरराष्ट्रीय दावों प्रतिशत अंश हैं।

स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देश गत जोखिम आधार।

3.41 2006-07 की दूसरी तिमाही में, जमाओं और ऋण लेने से तेजी में वृद्धि हुई। जमाओं में अधिक वृद्धि मुख्य रूप से मीयादी जमाओं में वृद्धि के कारण थी, जो बढ़े हुए ब्याज दर को दर्शाती है। 1-3 वर्षीय परिपक्वता वाली मीयादी जमाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गईं ब्याज दरें मार्च 2006 की 5.75 - 6.75 प्रतिशत की सीमा से बढ़कर सितंबर 2006 में 6.25 - 7.50 प्रतिशत की सीमा में आ गईं। समान परिपक्वता वाली जमाओं पर निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गईं दरें 5.50 - 7.75 की सीमा से बढ़कर 6.75 - 8.25 प्रतिशत की सीमा में आ गईं। जमाओं में वृद्धि से अधिक ऋण वृद्धि हुई। जबकि बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को प्रतिबंधित कर दिया, उन्होंने विदेशी मुद्रा आस्तियों में अपने निवेशों को बढ़ाया।

सारणी III.15: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च 2007 के अंत में बकाया	घट-बढ									
		2005-06				2006-07				2007-08	
		ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
घटक											
1. निवासियों की कुल जमाराशियां (क+ख)	25,41,201	7,145	1,29,596	13,065	1,90,983	30,677	1,66,396	31,469	2,62,886	62,265	1,99,683
क) मांग जमाराशियां	4,29,137	-22,249	41,167	-3,430	63,135	-41,272	43,300	-8,905	71,374	-41,305	52,052
ख) निवासियों की मीयादी जमाराशियां	21,12,063	29,394	88,430	16,495	1,27,848	71,949	1,23,096	40,374	1,91,511	1,03,569	1,47,630
2. वित्तीय संस्थाओं से मांग/मीयादी निधीयन	85,836	-1,002	7,359	1,836	3,031	3,118	-1,576	-4,468	5,618	-2,984	5,609
स्रोत											
1. सरकार को ऋण	7,74,980	-1,457	18,324	-25,068	-11,314	23,238	10,723	602	39,675	51,145	62,155
2. वाणिज्य क्षेत्र को ऋण (क से घ)	20,87,511	12,862	1,04,416	53,032	1,72,011	22,606	1,41,465	64,777	1,95,164	-11,137	1,30,262
क. बैंक ऋण	19,28,913	8,994	1,15,035	62,858	1,67,981	14,050	1,40,364	74,213	1,93,208	-34,072	1,30,557
i. खाद्य ऋण	46,521	4,788	-5,255	1,464	-322	607	-7,840	8,171	4,891	-2,564	-6,948
ii. खाद्येतर ऋण	18,82,392	4,206	1,20,290	61,394	1,68,303	13,443	1,48,204	66,042	1,88,317	-31,507	1,37,505
ख. प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	2,799	7,130	-2,759	1,128	-2,913	-1,963	3,988	-2,783	-812	-282	780
ग. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	15,451	-532	-10	-736	-2,017	526	-1,132	-352	-304	-377	4,592
घ. अन्य निवेश (गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1,40,347	-2,730	-7,851	-10,218	8,961	9,993	-1,756	-6,301	3,071	23,594	-5,667
3. वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (क+ख-ग)	-40,259	-2,057	-4,850	9,935	26,612	-21,137	10,844	13,322	2,327	2,465	-13,902
क. विदेशी मुद्रा आस्तियां	58,754	-2,179	-1,044	11,169	6,114	-13,919	8,830	11,781	8,567	-8,312	-8,568
ख. अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय सावधि जमाराशियां	67,108	804	187	1,856	-19,723	3,917	1,671	1,233	1,011	-3,849	-2,110
ग. समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार	31,905	-925	3,618	-622	-775	3,301	-3,685	-2,774	5,229	-6,928	7,443
4. निवल बैंक आरक्षित निधियां	1,90,086	3,060	9,679	-2,886	25,729	-6,090	20,381	-15,423	52,599	6,498	75,535
5. पूंजी खाता	2,02,618	20,359	2,530	9,342	8,090	12,025	6,168	2,250	4,447	26,996	20,985

अ : अनंतिम

* : 1 अप्रैल 2005 को घट बढ़।

टिप्पणी : 1. आंकड़े प्रत्येक तिमाही के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
2. मीयादी जमाराशियों में 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट (आईएमडी) का शोधन प्रभाव शामिल है।

3.42 2006-07 की तीसरी तिमाही में, कुल जमाओं और ऋण लेने में वृद्धि दूसरी तिमाही की तुलना में कम थी। लेकिन, वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए ऋण कुल जमाओं में वृद्धि के दो गुने से अधिक थे। ऋण की बनी हुई मांग को पूरा करने के लिए, तिमाही के दौरान बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों और गैर -एस एल आर प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को बेच दिया। बैंकों ने तीसरी तिमाही में विदेशी मुद्रा आस्तियों में अपने निवेशों को भी बढ़ाया।

3.43 2006-07 की चौथी तिमाही के दौरान कुल जमाराशियां और समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार दोनों तेजी से बढ़े जिससे बैंक बढ़ी हुई ऋण की मांग को पूरा कर सके। इसके अलावा, बैंकों ने सरकारी और गैर एसएसआर प्रतिभूतियों में भी अपने निवेशों को बढ़ाया। लेकिन, तिमाही के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियों में बैंकों के निवेश कम हुए।

3.44 2007-08 की पहली तिमाही में कुल जमाराशियां मामूली रूप से बढ़ी जबकि ऋण का देना ऋणात्मक हो गया। इसलिए, सरकारी और गैर एसएलआर प्रतिभूतियों दोनों में निवेश काफी बढ़ा।

3.45 2007-08 की दूसरी तिमाही के दौरान कुल जमा ओर ऋण देना दोनों तेजी से बढ़े। गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश घटे, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश अधिक रहे। विदेशी मुद्रा

आस्तियों में बैंक के निवेश घटे जबकि तिमाही के दौरान उनके विदेशी उधार बढ़े।

ऋण-जमा अनुपात

3.46 2004-05 और 2005-06 में सुदृढ़ ऋण वृद्धि के परिणामस्वरूप ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात में कुछ असामान्य बात देखी गई। वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात, जो 11 जून 2004 तक वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात की तुलना में कम था, उसके बाद तेजी से बढ़ा, जबकि वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात में गिरावट आयी। 2005-06 में इस प्रवृत्ति में तेजी आयी क्योंकि सालभर ऋण जमा अनुपात निवेश-जमा अनुपात की तुलना में काफी अधिक बना रहा। निवेश-जमा अनुपात की तुलना में काफी अधिक होने की वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात की प्रवृत्ति पूरे 2006-07 के दौरान बनी रही। तथापि, ऋण वृद्धि में मामूली कमी और जमाओं में तेज वृद्धि को दर्शाते हुए, 2006-07 की दूसरी छमाही में वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात घटा। मार्च 2007 के अंत में, एक वर्ष पहले के 110 प्रतिशत से तुलना करने पर वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात लगभग 85 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) था। दूसरी तरफ, वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात, जो फरवरी 2007 के प्रारंभ तक 10 प्रतिशत से कम (कुछ पखवाड़ों में यह ऋणात्मक था) बना रहा, बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 14.6 प्रतिशत और अगस्त 2007 के प्रारंभ तक 17.7 प्रतिशत हो गया। परिणाम के रूप में, दोनों अनुपातों के बीच का अंतर कम हुआ। पिछले वर्ष की तरह, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात और निवेश-जमा अनुपात के बीच सामान्यतया ऋणात्मक संबंध दिखे (चार्ट III.7)।

3.47 बकाया राशि के आधार पर, ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात 1999 और 2004-05 की तीसरी तिमाही के बीच न्यूनाधिक रूप से उसी दिशा में रहा परंतु इसके पश्चात उनमें विपरीत दिशाओं में बढ़ने की प्रवृत्ति रही । यह स्वरूप 2006-07 में और आगे बढ़ा क्योंकि ऋण-जमा अनुपात और बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 74.0 प्रतिशत के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुँच गया, जबकि निवेश-जमा अनुपात गिरकर 30.3 प्रतिशत नीचे तक पहुँच गया (चार्ट III.8)।

3.48 बैंक समूहों के बीच , विदेशी बैंकों का ऋण -जमा अनुपात (बकाया राशि के अर्थ में) मार्च 2007 के अंत में सर्वाधिक था, इसके पश्चात निजी क्षेत्र के नए बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के पुराने बैंक थे (चार्ट III.9)।

3.49 अलग-अलग बैंकों के स्तर पर, मार्च 2007 के अंत के ऋण-जमा अनुपात में व्यापक अंतर दिखे, विशेष रूप से विदेशी बैंकों में। आइडीबीआइ लि. को छोड़कर, जिसका ऋण-जमा अनुपात 144.1 प्रतिशत था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 59.6 प्रतिशत (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) और 80.0 प्रतिशत (स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर) के बीच था। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में, ऋण-जमा अनुपात 52.7 प्रतिशत (बैंक ऑफ राजस्थान) और 77.7 प्रतिशत (आइएनजी वैश्य बैंक) (सांगली बैंक को छोड़कर जिसका आइसीआइसीआइ के साथ समामेलन किया गया) के बीच था। निजी क्षेत्र के नए बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 60.2 प्रतिशत (डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक) और 99.3 प्रतिशत (कोटक महिंद्रा बैंक) के बीच था। विदेशी बैंकों के मामले में, ऋण-जमा

चार्ट III.7: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा एवं निवेश-जमा अनुपात

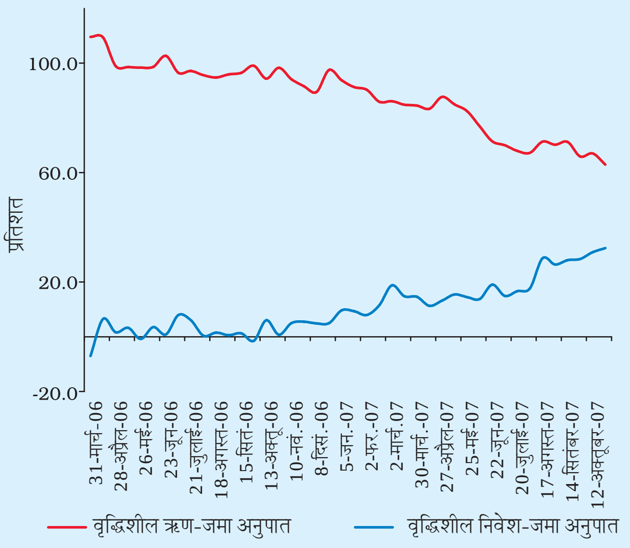

चार्ट III.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सी-डी और आइ-डी अनुपात
(मार्च के अंत में अनुसार)

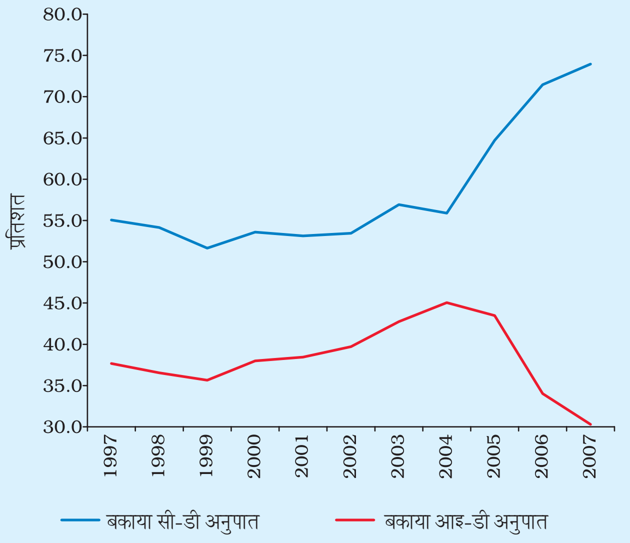

चार्ट III.9: ऋण-जमा अनुपात-बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

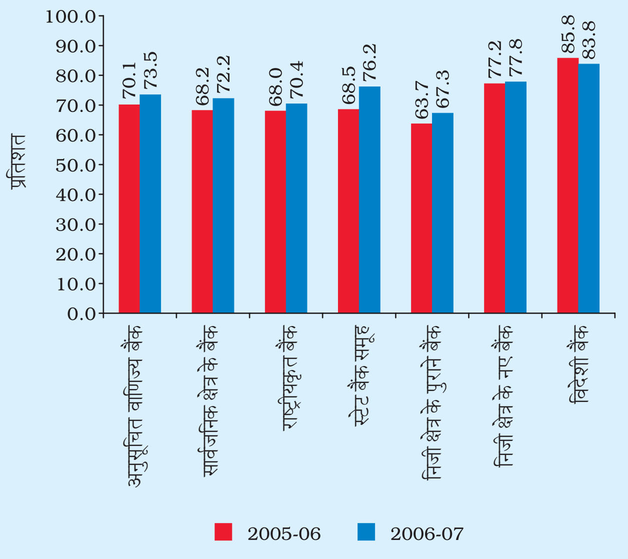

अनुपात 697.0 प्रतिशत (एंटवर्प डायमंड बैंक) के उच्चतम और 0.9 प्रतिशत (ओमन इंटरनेशनल बैंक) के निम्नतम के बीच था। 29 विदेशी बैंकों में से, 10 बैंकों का ऋण जमा अनुपात 100 प्रतिशत के ऊपर था (परिशिष्ट सारणी III.13)।

बैंकों की आस्तियों और दायित्वों की परिपक्वता की रूपरेखा

3.50 यद्यपि मार्च 2007 के अंत में वाणिज्य बैंकों की आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता की संरचना व्यापक रूप से पिछले वर्ष के स्वरूप के अनुरूप थी, वर्ष के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण अंतर दिखे। सभी बैंक समूहों (निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों को छोड़कर) की एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली जमाओं का हिस्सा काफी बढ़ा, जबकि अन्य परिपक्वता समूहों में गिरावट आई। उधारों के मामले में, विभिन्न बैंक समूहों के बीच अल्पकालिक परिपक्वता के स्तर पर भिन्न प्रवृत्ति देखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले उधारों का हिस्सा बढ़ा, जबकि पुराने निजी बैंकों और निजी क्षेत्र के नए बैंकों का घटा। आस्ति पक्ष में, विदेशी बैंक समूह को छोड़कर, ऋण और अग्रिम तथा निवेश का परिपक्वतास्वरूप सभी बैंक समूहों के मामले में मोटे तौर पर वही बना रहा। कुल मिलाकर, आस्तियों ने देयताओं के साथ सम स्वरूप दर्शाया। मार्च 2007 के अंत में, सामान्य रूप से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के पास लंबी परिपक्वता वाले समूह के अन्तर्गत देयताओं और आस्तियों दोनों का काफी बड़ा हिस्सा था।आस्ति पोर्टफोलियो के अन्तर्गत, जबकि ऋणों और अग्रिमों का परिपक्वता का स्वरूप अधिकांश बैंक समूहों के लिए लगभग समान था, निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों का निवेश स्वरूप अल्पकालिक परिपक्वता स्वरूप की ओर अधिक झुका हुआ था (सारणी III.16)।

सारणी III.16 : चुनिंदा देयताओं/आस्तियों का बैंक समूहवार परिपक्वता स्वरूप
(मार्च केअंत में)

(प्रतिशत)

आस्तियां/देयताएं	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. जमाराशियां								
क) एक वर्ष तक	40.1	42.4	48.0	47.0	58.7	60.4	53.2	64.0
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	30.4	29.0	38.2	39.0	36.9	35.5	43.6	35.6
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	11.7	11.2	6.0	7.8	3.0	2.6	0.4	0.4
घ) पांच वर्ष से अधिक	17.8	17.5	7.8	6.1	1.4	1.5	2.8	–
II. उधार राशियां								
क) एक वर्ष तक	49.7	52.7	81.5	76.3	55.5	50.4	84.1	88.7
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	21.8	19.3	3.7	8.3	18.7	26.7	14.1	11.2
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	12.2	13.5	6.2	1.7	20.8	19.9	1.5	0.1
घ) पांच वर्ष से अधिक	16.3	14.5	8.5	13.7	5.0	3.0	0.3	–
III. ऋण और अग्रिम								
क) एक वर्ष तक	36.3	36.8	42.9	40.0	30.7	30.4	55.8	52.2
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	34.7	33.1	36.1	37.2	40.2	39.9	25.7	31.2
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	11.5	12.6	10.0	11.0	11.3	12.0	5.3	6.1
घ) पांच वर्ष से अधिक	17.5	17.5	10.9	11.9	17.9	17.6	13.2	10.5
IV. निवेश								
क) एक वर्ष तक	12.0	13.6	20.2	20.4	50.5	51.1	57.9	49.7
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	14.5	14.6	9.7	11.5	25.5	25.0	30.0	30.7
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	17.0	15.1	14.3	9.9	7.1	7.6	4.8	12.3
घ) पांच वर्ष से अधिक	56.5	56.6	55.8	58.2	16.8	16.3	7.2	7.2

3. तुलन-पत्र से इतर परिचालन

3.51 हाल के वर्षों के रुझान को जारी रखते हुए, 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर तेजी से 74.9 प्रतिशत बढ़ा, जो 2005-06 के 50.0 प्रतिशत और 2004-05 के 58.0 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर था। परिणामस्वरूप, मार्च 2007 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का तुलन-पत्र से इतर कुल एक्सपोजर, मार्च 2006 के अंत के डेढ़ गुने की तुलना में, उनके तुलन पत्र के आकार के दोगुने से अधिक था (चार्ट III.10)। तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़र की तीव्र वृद्धि में उनकी आय के स्रोतों को बहुमुखी करने के बैंकों के प्रयास परिलक्षित हुए।

3.52 बैंक समूहों के बीच, विदेशी बैंकों का तुलन पत्र से इतर जोखिम सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन पत्र से इतर कुल जोखिम का 67.9 प्रतिशत था। विदेशी बैंकों का तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़र उनकी कुल आस्तियों का 1,816.6 प्रतिशत था ,इसके पश्चात निजी क्षेत्र के नए बैंक (215.1 प्रतिशत), निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (44.8 प्रतिशत) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (43.1 प्रतिशत) का स्थान था (परिशिष्ट सारणी III.14)।

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय निष्पादन

3.53 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वित्तीय निष्पादन को, देयता और आस्ति दोनों दृष्टियों से, ब्याज दर बढ़ने से समर्थन मिला। जबकि ब्याज आय, समग्रता और कुल आस्तियों के प्रति, तेजी से बढ़ी, गैर ब्याज आय सापेक्षिक अर्थ में बढ़ी

चार्ट III.10: कुल आस्तियों की तुलना में तुलन पत्र से इतर जोखिम

(मार्च के अंत में)

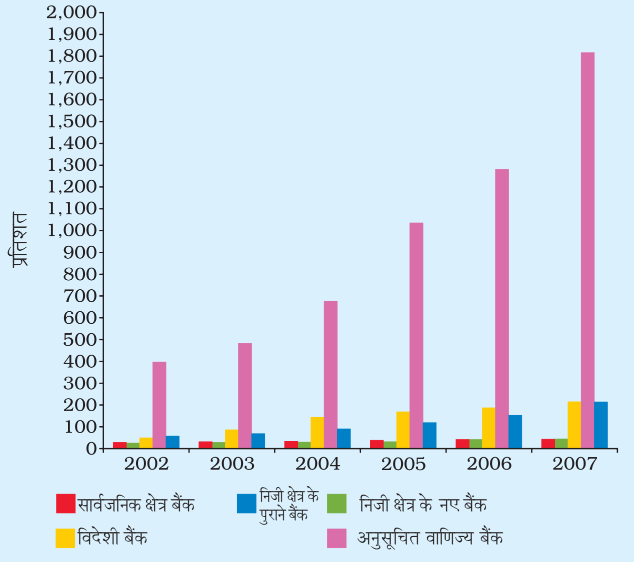

लेकिन, बैंक अपने परिचालन व्ययों को नियंत्रित करके अपनी लाभदायकता को बनाए रखने में समर्थ हो सके। वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा किए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं बढ़ीं, जो पिछले वर्ष के समान नहीं थी, यद्यपि वे सापेक्षिक अर्थों में (अर्थात, आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) थोड़ी कम थीं। जबकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ स्थिर बना रहा, वर्ष के दौरान उनकी ईक्विटी पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ।

ब्याज दर परिदृश्य

3.54 2006-07 के दौरान देयता और आस्ति दोनों पक्षों से संबंधित सभी परिपक्वताओं की ब्याज दरें बढ़ीं। 2006-07 के दौरान लगातार अधिक ऋण की मांग ने उधार देने की दरों और बैंकों की ब्याज दरों पर ऊर्ध्वगामी दबाव डाला। 2006-07 के दौरान बैंकों द्वारा जमाओं पर दी गई ब्याज दरों में सामान्य रूप से वृद्धि हुई तथा अधिक परिपक्वता के मामले में अधिक वृद्धि हुई (सारणी III.17)। तथापि, विभिन्न बैंक समूहों के बीच, 2006-07 के दौरान विभिन्न परिपक्वताओं वाली मीयादी जमाओं की ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव में मिश्रित रुझान दिखा। विदेशी बैंकों ने मीयादी जमाओं पर अधिकतम दर को 300 से 375 आधार अंक बढ़ाया, इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (225 से 275 आधार अंक) और निजी क्षेत्र के बैंक (175 से 200 आधार अंक) थे। विदेशी बैंकों ने, उसी समय, न्यूनतम दर को भी कम किया, इस प्रकार अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिपक्वताओं पर दी गई ब्याज दरों के दायरे को बढ़ाया। 2007-08 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सामान्यतया विभिन्न परिपक्वताओं पर विशेषतः ऊपरी स्तर पर अपनी जमा दरों को लगभग 25-50 आधार अंक कम किया, जबकि एक वर्ष और अधिक की कम परिपक्वतावाली जमा राशियों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जमा ब्याज दर में 25-75 आधार अंकों की कमी की (चार्ट III.11)। एक वर्ष के अधिक की परिपक्वता पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें अप्रैल 2007 में 7.25-9.75 से बढ़कर अप्रैल 2007 में 8.00-9.50 प्रतिशत हो गईं। इसी अवधि में एक वर्ष तक की परिपक्वता के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों की ब्याज दर 3.00-10.00 प्रतिशत की सीमा से घटकर 2.50-9.25 प्रतिशत हो गईं। इसी अवधि में एक वर्ष तक की परिपक्वता के लिए विदेशी बैंकों की ब्याज दरें 3.00-9.50 प्रतिशत की सीमा से घटकर 2.00-9.00 प्रतिशत की सीमा में रह गई।

3.55 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के बीपीएलआर की सीमा 100-250 आधार अंक की सीमा में बढ़ी। बैंकों के उधारों का एक बड़ा हिस्सा उप-बीपीएलआर दर पर था जो प्रतिस्पर्धा की स्थिति को दर्शाता है। ऋण निर्यात और लघु ऋणों को छोड़कर, वाणिज्य बैंकों के कुल उधारों में उप-बीपीएलआर उधारों का हिस्सा मार्च 2006 के अंत के 69 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में लगभग 79

सारणी III.17: जमा और उधार देने की दरों में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

ब्याज दर	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	अप्रैल 2007	जून 2007	सितंबर 2007	अक्टूबर 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
सरकारी क्षेत्र के बैंक							
क) 1 वर्ष तक	2.75-6.00	2.25-6.50	2.75-8.75	2.75-9.00	2.75-8.75	2.75-8.50	2.75-8.50
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	4.75-6.50	5.75-6.75	7.25-9.50	7.25-9.60	7.25-9.75	8.00-9.00	8.00-9.00
ग) 3 वर्ष से अधिक	5.25-7.00	6.00-7.25	7.50-9.50	7.75-9.75	7.75-9.75	8.00-9.50	8.00-9.50
निजी क्षेत्र के बैंक							
क) 1 वर्ष तक	3.00-6.25	3.50-7.25	3.00-9.00	3.00-10.00	3.00-9.50	2.50-9.25	2.50-9.25
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	5.25-7.25	5.50-7.75	6.75-9.75	6.75-10.00	6.75-10.25	6.25-10.00	6.25-9.60
ग) 3 वर्ष से अधिक	5.75-7.00	6.00-7.75	7.75-9.60	7.50-10.00	7.50-10.00	7.25-10.00	7.25-10.00
विदेशी बैंक							
क) एक वर्ष तक	3.00-6.25	3.00-5.75	3.00-9.50	3.00-9.50	0.25-9.00	2.00-9.00	2.00-9.00
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3.50-6.50	4.00-6.50	3.50-9.50	3.50-9.00	3.50-9.50	2.00-9.50	2.00-9.50
ग) 3 वर्ष से अधिक	3.50-7.00	5.50-6.50	4.05-9.50	4.05-9.00	4.05-9.50	2.00-9.50	2.00-9.50
बैंच मार्क मूल उधार दर							
सरकारी क्षेत्र के बैंक	10.25-11.25	10.25-11.25	12.25-12.75	12.50-13.50	12.50-13.50	12.50-13.50	12.50-13.50
निजी क्षेत्र के बैंक	11.00-13.50	11.00-14.00	12.00-16.50	12.50-17.25	13.00-17.25	13.00-16.50	13.00-16.50
विदेशी बैंक	10.00-14.50	10.00-14.50	10.00-15.50	10.00-15.50	10.00-15.50	10.00-15.50	10.00-15.50
वास्तविक उधार दर*							
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.75-16.00	4.00-16.50	4.00-17.00	–	4.00-17.75	–	–
निजी क्षेत्र के बैंक	3.15-22.00	3.15-20.50	3.15-25.50	–	4.00-26.00	–	–
विदेशी बैंक	3.55-23.50	4.75-26.00	5.00-26.50	–	2.98-28.00	–	–

– : अनुपलब्ध।
* : दोनों पक्षों से अधिकतम पांच प्रतिशत ऋण दर को छोड़कर दो लाख रुपए से अधिक निर्यात से इतर मांग तथा मीयादी ऋण पर ब्याज दर।

प्रतिशत हो गया। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के बीपीएलआर का बैंड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में काफी बड़ा था। मार्च 2007 के अंत में आधे से अधिक निजी क्षेत्र के बैंकों

चार्ट III.11: सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा और उधार देने की दरों के बीच स्प्रेड

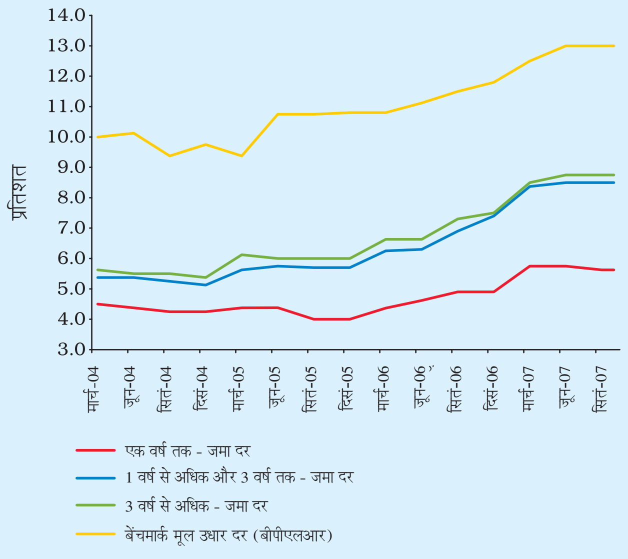

का बीपीएलआर 12-14 प्रतिशत की सीमा में था, जबकि निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों का 14.50-16.50 प्रतिशत की सीमा में था। सोलह का विदेशी बैंकों के मामले में, बीपीएलआर 10.00 - 13.00 प्रतिशत की सीमा में था। छः अन्य विदेशी बैंकों का बीपीएलआर 13.25-13.50 प्रतिशत की सीमा में और दूसरे छः का 14.00 - 15.50 प्रतिशत की सीमा में था।

3.56 अप्रैल-अक्तूबर 2007 की अवधि में, निजी क्षेत्र के बैंकों की बैंचमार्क मूल उधार दरें इसी अवधि में 12.50-17.25 प्रतिशत से 13.00 - 16.50 प्रतिशत की सीमा में रहीं। तथापि, इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की बैंच मार्क मूल उधार दरें क्रमश: 12.50 -13.50 प्रतिशत और 10.00 -15.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहीं।

3.57 2006-07 के दौरान, 5 वर्षीय और 10 वर्षीय अवशिष्ट परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर आय क्रमशः 66 आधार अंक और 45 आधार अंक बढ़ी (सारणी III.18)। आय में वृद्धि दीर्घकालिक परिपक्वता की तुलना में अल्पकालिक परिपक्वता पर अधिक थी, जो सापेक्षिक रूप से स्थिर मध्यमकालिक मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं को दर्शाती है। 2006-07 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों (10 वर्षीय) के द्वितीयक बाजार की आय बढ़ी। आय मार्च 2006 के

सारणी III.18: ब्याज दर संरचना

(प्रतिशत)

लिखत	मार्च के अंत में			
	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	सितंबर 2007
1	2	3	4	5
I. ऋण बाजार				
1. सरकारी प्रतिभूति बाजार				
5-वर्ष*	6.37	7.24	7.97	7.78
10-वर्ष*	6.69	7.53	7.97	7.93
II. मुद्रा बाजार				
2. मांग उधार (औसत)	4.72	6.58	14.07	6.41
3. समग्र वाणिज्यिक पत्र				
डब्ल्यूएडीआर 61 – 90 दिन	5.89	8.72	11.65	8.25
डब्ल्यूएडीआर 91-180 दिन	5.87	8.54	11.81	8.21
दायरा	5.45-6.51	6.69-9.25	10.25-13.00	7.70-12.00
4. जमा प्रमाणपत्र				
दायरा	4.21-6.34	6.50-8.94	10.23-11.90	6.87-10.00
डब्ल्यूएडीआर	–	8.62	10.75	8.57
3 माह	–	8.72	11.35	8.13
12 माह	–	8.65	10.59	8.94
5. खजाना बिल				
91 दिन	5.32	6.11	7.98	7.10
364 दिन	5.61	6.42	7.98	7.50

* : माह के अंत में
डब्ल्यूएडीआर - भारित औसत बट्टा दर

अंत के 7.52 प्रतिशत से बढ़कर 11 जुलाई 2006 को 8.30 प्रतिशत हो गयी अर्थात मार्च 2006 के अंत में 78 आधार अंक की वृद्धि हुई, जो निरंतर ऋण की मांग, अमरीका और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति को कड़ा करने, कच्चे तेल के अधिक और अस्थिर मूल्य, घरेलू ईंधन के मूल्य बढ़ने की आशंका, 9 जून 2006 से रिवर्स रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि के कारण थी। इसके पश्चात् अमरीकन ट्रेजरी की आय कम होने, फेड निधि दर लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने के फेड के निर्णय, कच्चे तेल के मूल्य कम होने, बैंकों द्वारा अपनी एसएलआर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की अधिक मांग किये जाने और 2006-07 की दूसरी छमाही के लिए केंद्र सरकार के उधार कलैण्डर, जो कलैण्डर बाजार प्रत्याशाओं के अनुसार था, की घोषणा करने के अनुरूप आय घटी। 28 नवंबर 2006 को यह आय 7.38 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर थी। दिसंबर 2006 की दूसरी छमाही से आय में पुनः कुछ वृद्धि हुई जो अग्रिम कर बहिर्वाह, एसएलआर अध्यादेश की उद्घोषणा, अधिक मुद्रास्फीति और सीआरआर में वृद्धि की पृष्ठभूमि में घरेलू चलनिधि में कमी के अनुरूप थी। 10 वर्षीय आय (31 मार्च 2007 को 7.97 प्रतिशत) 31 मार्च 2006 की तुलना में 45 आधार अंक अधिक थी। 2007-08 के दौरान अब तक (अक्तूबर 2007 तक), अनिर्धारित नीलामियों की घोषणाओं और वैश्विक तौर पर ब्याज दरों के बढ़ने के कारण आय मई 2007 के अंत तक 7.97 और 8.19 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत बनी रही और जून 2007 के मध्य में 8.30 प्रतिशत की ऊँचाई पर पहुँच गयी। आय इसके पश्चात कम हुई और अक्तूबर 2007 के अंत तक 7.85 और 8.01 प्रतिशत के बीच थी।

3.58 2006-07 के दौरान वित्तीय बाजार ब्याज दर में परिवर्तन और मौद्रिक दशाओं के सुव्यवस्थित होने के अनुरूप समायोजित हुए। मुद्रा बाजार की दशाएं, 2006-07 की पहली छमाही के दौरान सामान्य रूप से ठीक रहने के पश्चात्, 2006-07 की दूसरी छमाही में सापेक्षिक रूप से कठोर हो गई। 2006-07 की अंतिम तिमाही में चलनिधि की तंगी गंभीर थी जिस पर कर प्रवाह, रिज़र्व बैंक के पास सरकारी राशियों के अधिक होने और रिज़र्व बैंक द्वारा की गई मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों का प्रभाव पड़ा। भारित औसत मांग दर का मासिक औसत, जो जनवरी 2007 में 8.18 प्रतिशत हो गया था, फरवरी 2007 में घटकर 7.16 प्रतिशत हो गया और मार्च 2007 में बढ़कर 14.07 प्रतिशत हो गया। 2007-08 की पहली तिमाही के दौरान मुद्रा बाजार दरें काफी घटीं। तथापि, 6 अगस्त 2007 से दैनिक रिवर्स रिपो की अधिकतम सीमा को वापस लेने के पश्चात्, मांग दरें रिवर्स रिपो और रिपो दर द्वारा निर्धारित औपचारिक कोरीडॉर के अंतर्गत बनी रहीं। 31 अक्तूबर 2007 को मांग दर 6.10 प्रतिशत थी।

3.59 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि 2006-07 के दौरान दो गुने से अधिक अर्थात मार्च 2006 के अंत में 43,568 करोड़ रुपए से मार्च 2007 के अंत में 93,272 करोड़ रुपए हो गई । जमा प्रमाणपत्रों की समग्र भारित औसत बट्टा दर एक वर्ष पहले के 8.62 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2007 के अंत में 10.75 प्रतिशत थी। ऋण की मांग में अधिक वृद्धि के अलावा, प्रतिस्पर्धी संसाधनों के जुटाव, ऋण जोखिम के बारे में भिन्न धारणा और बैंक विशिष्ट कारकों ने 2006-07 के दौरान जमा प्रमाणपत्रों के बाजार को आगे बढ़ाया। सितंबर 2007 के मध्य में, बकाया जमा प्रमाणपत्रों की राशि 1,18,481 करोड़ रुपए थी, साथ ही समग्र भारित औसत बट्टा दर 8.57 प्रतिशत थी।

3.60 कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि मार्च 2006 के अंत के 12,718 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 17,688 करोड़ रुपए हो गई। सितंबर 2007 के अंत में बकाया राशि और बढ़कर 33,227 करोड़ रुपए हो गई। 31 मार्च 2007 को समाप्त पखवाड़े के दौरान, वाणिज्यिक पत्रों की समग्र भारित औसत बट्टा दर मार्च 2006 के अंत के 8.59 प्रतिशत की तुलना में 11.33 प्रतिशत थी। अगस्त 2007 के मध्य में अन्य मुद्रा बाजार दरों में गिरावट के पश्चात् वाणिज्यिक पत्रों की भारित औसत बट्टा दर घटकर सितंबर 2007 के अंत में 8.84 प्रतिशत रह गयी।

जमाओं की लागत और अग्रिमों पर प्रतिलाभ

3.61 2006-07 के दौरान, उधार की लागत और अग्रिमों पर प्रतिलाभ बढ़े, जो ब्याज दरों में सामान्य वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान जमा ब्याज दरों के बढ़ने के बावजूद, निजी क्षेत्र के नये बैंकों को छोड़कर, सभी बैंक समूहों में जमाओं की लागत मामूली रूप से घटी। जमाओं की लागत आवश्यक रूप से किसी समयावधि में विभिन्न प्रकार और विभिन्न परिपक्वताओं की संविदागत जमाओं की औसत दर को परिलक्षित करती है। इसलिए, वर्ष के दौरान जमाओं की लागत आवश्यक रूप से जमा दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार नहीं होती। तथापि, उधार की लागत, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों को छोड़कर सभी बैंक समूहों के लिए काफी बढ़ी। यद्यपि कुल के स्तर पर, निधियों की समग्र लागत पूर्व वर्ष के स्तर पर अपरिवर्तित बनी रही, इसने विभिन्न बैंक समूहों के बीच भिन्न प्रवृत्ति को दिखाया। जबकि विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नए बैंकों की निधियों की लागत बढ़ी, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों की घटी। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अपरिवर्तित बनी रही। 2006-07 के दौरान अनुसचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों पर प्रतिलाभ, मुख्य रूप से उधार देने की दरों में वृद्धि के कारण, बढ़ा। यद्यपि कुल स्तर पर निवेश पर आय अपरिवर्तित बनी रही, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के अग्रिमों पर प्रतिलाभ में तेज सुधार देखा गया। इस प्रकार निधियों पर समग्र प्रतिलाभ निधियों की समग्र लागत की तुलना में अधिक था, जिससे वर्ष के दौरान बैंकों के स्प्रेड में वृद्धि हुई (सारणी III.19)।

आय

3.62 अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों की आय 2005-06 के 16.0 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 के दौरान 25.1 प्रतिशत की सुदृढ़ दर से बढ़ी। आस्तियों के प्रति आय का अनुपात, जो 2005-

सारणी III.19: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

परिवर्ती	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		अनुसूचित वाणिज्य वाणिज्य बैंक	
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. जमा की लागत	4.3	4.5	4.5	4.9	3.6	4.7	2.8	3.2	4.1	4.5
2. उधारों की लागत	2.5	3.4	3.1	3.4	3.1	3.1	4.5	4.7	3.0	3.6
3. निधियों की लागत	4.2	4.4	4.5	4.8	3.5	4.5	3.2	3.5	4.0	4.4
4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ	7.1	7.7	7.9	8.6	7.3	8.3	7.6	8.7	7.2	7.9
5. निवेशों पर प्रतिलाभ	8.2	7.5	7.2	7.2	5.5	6.6	7.5	7.6	7.7	7.3
6. निधियों पर प्रतिलाभ	7.5	7.6	7.7	8.1	6.6	7.7	7.6	8.3	7.4	7.7
7. अंतर (स्प्रेड) (6-3)	3.3	3.2	3.2	3.3	3.1	3.2	4.3	4.8	3.3	3.3

टिप्पणी : 1. जमा की लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज/ जमाराशियां
2. उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज/उधार
3. निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज + उधारों पर अदा किया गया ब्याज) / (जमाराशियां + उधार)
4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / अग्रिम
5. निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / निवेश
6. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर प्रतिलाभ + निवेशों पर प्रतिलाभ)/ (अग्रिम+निवेश)

सारणी III.20: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2004-05		2005-06		2006-07	
	राशि	आस्तियों का प्रतिशत	राशि	आस्तियों का प्रतिशत	राशि	आस्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आय	1,90,236	8.1	2,20,756	7.9	2,76,201	8.0
क) ब्याज आय	1,55,801	6.6	1,85,388	6.7	2,37,271	6.9
ख) अन्य आय	34,435	1.5	35,368	1.3	38,929	1.1
2. व्यय	1,69,278	7.2	1,96,174	7.0	2,44,998	7.1
क) खर्च किया गया ब्याज	89,079	3.8	1,07,161	3.8	1,43,965	4.2
ख) परिचालन व्यय	50,133	2.1	59,201	2.1	66,319	1.9
जिसमें से: वेतन बिल	29,479	1.3	33,461	1.2	36,160	1.0
ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	30,065	1.3	29,812	1.1	34,714	1.0
3. परिचालन लाभ	51,023	2.2	54,394	2.0	65,917	1.9
4. निवल लाभ	20,958	0.9	24,582	0.9	31,203	0.9
5. निवल ब्याज आय/मार्जिन (1क-2क)	66,722	2.8	78,227	2.8	93,306	2.7

टिप्पणी : 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या क्रमशः 88, 85 और 82 थी।

06 के दौरान घटा था, 2005-06 के 7.9 से मामूली रूप से बढ़कर 2006-07 में 8.0 हो गया (परिशिष्ट सारणी III.15 से III.18)। ब्याज आय, जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय का प्रमुख घटक थी, मुख्य रूप से ऋण की अधिक मात्रा और ब्याज दरों में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष के 19.0 प्रतिशत की तुलना में तेजी से 28.0 प्रतिशत बढ़ी (सारणी III.20)। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 'अन्य आय' भी 2005-06 के दौरान 2.7 प्रतिशत की लघु वृद्धि की तुलना में 10.0 प्रतिशत बढ़ी। सापेक्षिक अर्थ में, वर्ष के दौरान आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय मामूली रूप से बढ़ी, आस्तियों के प्रति अन्य आय अनुपात में कमी आई।

3.63 कुल आय में ब्याज आय का हिस्सा लगातार तीसरे वर्ष जब अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने अधिक ऋण वृद्धि के चरण में प्रवेश किया, 2004-05 के 81.9 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 85.9 हो गया (चार्ट III.12)। साथ ही साथ, बैंकों की कुल आय में ब्याज से इतर आय का हिस्सा 2005-06 के 16.0 प्रतिशत और 2004-05 के 18.1 प्रतिशत से गिरकर 2006-07 में 14.1 प्रतिशत रह गया। ब्याज से इतर आय का हिस्सा, जो 2000-01 और 2003-04 के बीच काफी बढ़ा था, बाद में कम हुआ।

3.64 आय के दो बड़े घटकों के प्रतिशत योगदान के अर्थ में, ब्याज आय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय में वृद्धि की एक बड़ा योगदानकर्ता रही है। जबकि 2004-05 और 2005-06 के बीच आय के ब्याज और ब्याज से इतर घटक के स्वरूप में एक बड़ा अंतर देखा गया, यह 2006-07 के दौरान व्यापक रूप से अपरिवर्तित रही (परिशिष्ट सारणी III.19 से III.23)। 2005-06 और 2006-07 के दौरान, 2004-05 के विपरीत जब अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज से इतर आय ऋणात्मक हो गई, ब्याज से इतर आय ने धनात्मक योगदान दिया यद्यपि यह थोड़ी मात्रा में थी (चार्ट III.13)।

3.65 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज से इतर आय (अथवा अन्य आय) के विभिन्न स्रोतों के योगदान में, पिछले दो वर्षों के दौरान देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप, 2006-07 के दौरान कुछ परिवर्तन दिखे। ब्याज से इतर आय का रुझान मुख्य रूप से उस ट्रेडिंग आय के व्यवहार से प्रभावित रहा है, जो बदले में सरकारी प्रतिभूतियों पर आय के द्वारा निर्देशित था। वर्ष के दौरान ट्रेडिंग

चार्ट III.12: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज तथा ब्याज से इतर आय के अंश की प्रवृत्ति

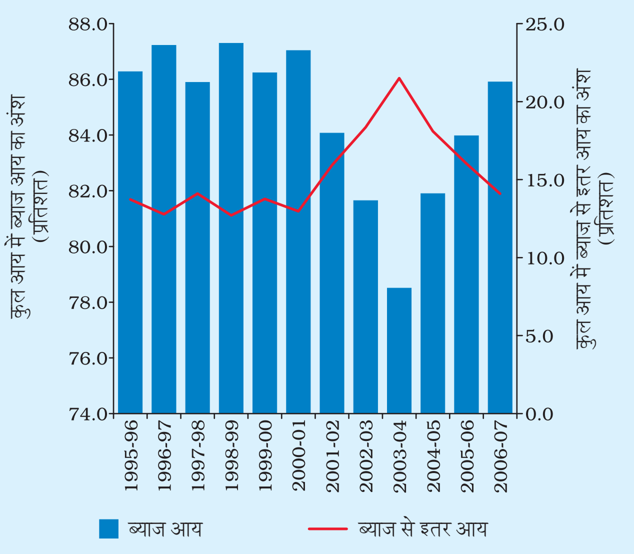

चार्ट III.13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय में वृध्दि के स्रोत

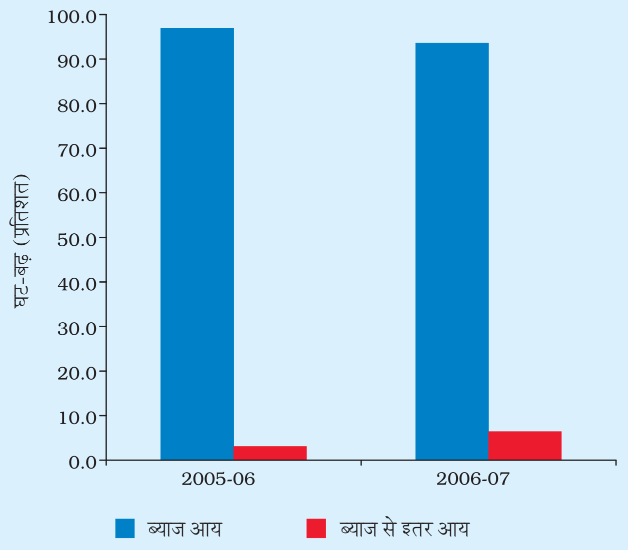

आय के हिस्से में और गिरावट आई जबकि फीस आय, विदेशी मुद्रा परिचालनों से आय और विविध आय के हिस्से में लगातार तीसरे वर्ष बढ़ोत्तरी हुई (चार्ट III.14)। बैंक -वार आंकड़े दर्शाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के 28 बैंकों में से केवल आठ की ट्रेडिंग आय 2006-07 के दौरान बढ़ी (परिशिष्ट सारणी III.15)।

3.66 बैंक समूहों के बीच, 2006-07 के दौरान निजी क्षेत्र के नए बैंकों की आय सर्वाधिक दर (55.0 प्रतिशत) से बढ़ी, इसके पश्चात विदेशी बैंक (41.3 प्रतिशत), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

चार्ट III.14: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज से इतर आय की संरचना

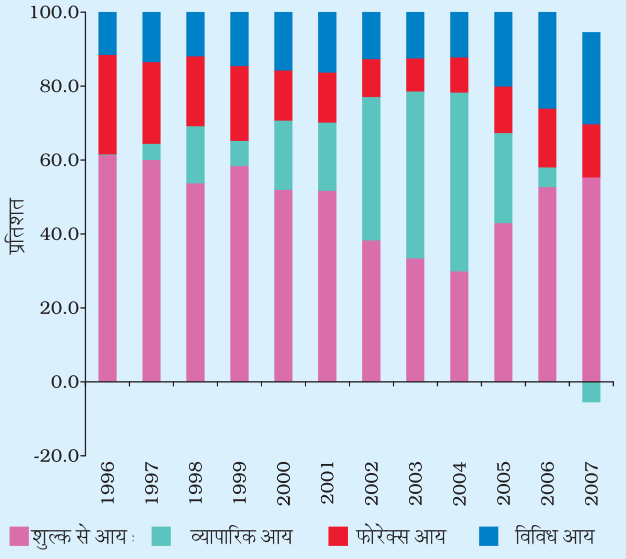

(18.3 प्रतिशत) और निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (12.8 प्रतिशत) थे। वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का कुल आस्ति के प्रति ब्याज आय अनुपात बढ़ा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक समूह के मामले में इसमें गिरावट आई।

व्यय

3.67 2006-07 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के व्यय में, 2005-06 के 15.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, 24.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दिखी।आस्ति के प्रति व्यय अनुपात भी 2005-06 के 7.0 प्रतिशत से बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के व्यय के बड़े घटकों के बीच, जबकि 2006-07 के दौरान ब्याज पर व्यय, 2005-06 के 20.3 प्रतिशत की तुलना में, 34.3 प्रतिशत की उच्च दर से बढ़ा; परिचालन व्यय 2005-06 के 18.1 प्रतिशत की तुलना में 12.0 प्रतिशत की निम्न दर से बढ़ा। ब्याज व्ययों में वृद्धि के लिए निधियों की अधिक लागत को उत्तरदायी माना जा सकता है। ब्याज से इतर अथवा परिचालन व्यय में कम वृद्धि को पिछले वर्ष की तुलना में 2006-07 के दौरान वेतन बिल में हुई कम वृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है (परिशिष्ट सारणी III.25)।

3.68 कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में, ब्याज से इतर आय और ब्याज से इतर व्यय दोनों में यद्यपि गिरावट आई,ब्याज से इतर आय में वृद्धि की तुलना में परिचालन लागत में अधिक वृद्धि के कारण 2006-07 के दौरान परिचालन व्यय और ब्याज से इतर आय के बीच अंतर और बढ़ा। परिणाम के रूप में, बैंकों का भार (ब्याजेतर आय से ब्याजेतर व्यय की अधिकता) मामूली रूप से घटकर 2006-07 में (2005-06 में 0.9 प्रतिशत से) आस्तियों का 0.8 प्रतिशत हो गया। दक्षता अनुपात (निवल ब्याज आय और ब्याज से इतर आय के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय) 2004-05 के दौरान 49.6 प्रतिशत से 2005-06 में खराब होने के पश्चात्, 2005-06 के 52.1 प्रतिशत से सुधर कर 2006-07 में 50.2 प्रतिशत हो गया (सारणी III.21)।

3.69 कुल मिलाकर, बैंकिंग क्षेत्र के वेतन बिल में, पिछले वर्ष के 13.5 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 के दौरान 8.1 प्रतिशत की कम वृद्धि दिखी। वेतन बिल कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में (1.2 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत तक) और परिचालन व्यय के प्रतिशत के रूप में (56.5 प्रतिशत से 54.5 प्रतिशत तक) कम हुआ। वर्ष के दौरान, परिचालन व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन बिल निजी क्षेत्र के नए बैंकों (28.9 प्रतिशत) के मामले में सबसे कम था, इसके पश्चात् विदेशी बैंक (39.8 प्रतिशत) थे; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (64.3 प्रतिशत) के लिए

सारणी III 21: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आय-व्यय प्रोफाइल में परिवर्तन

(राशि करोड़ रुपए में)

	2005-06		2006-07	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आय (क + ख)	**30,520**	**16.0**	**55,445**	**25.1**
क) ब्याज आय	29,587	19.0	51,883	28.0
ख) अन्य आय	933	2.7	3,562	10.1
2. व्यय (क + ख + ग)	**26,896**	**15.9**	**48,824**	**24.9**
क) ब्याज व्यय	18,082	20.3	36,804	34.3
ख) अन्य व्यय	9,067	18.1	7,118	12.0
ग) प्रावधानन	-253	-0.8	4,902	16.4
3. परिचालन लाभ	**3,370**	**6.6**	**11,523**	**21.2**
4. निवल लाभ	**3,624**	**17.3**	**6,621**	**26.9**

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

यह अनुपात सर्वाधिक था (चार्ट III.15)। लेकिन, निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों के अनुपात में वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गिरावट के कारण विभिन्न बैंक समूहों के परिचालन व्ययों की तुलना में वेतन बिल का अंतराल घटा। 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रति परिचालन व्यय के प्रति वेतन बिल के अनुपात में कमी अन्य परिचालन व्यय जैसे बासेल II के कार्यान्वयन को दृष्टि में रखते हुए प्रौद्योगिकीय उन्नयन में अधिक वृद्धि के कारण थी।

चार्ट III.15: परिचालन व्यय में वेतन बिल - बैंक समूहवार

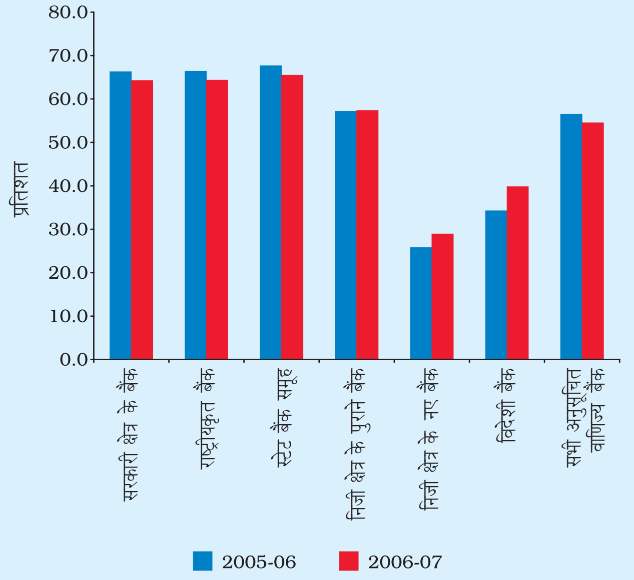

निवल ब्याज आय

3.70 निवल ब्याज आय, जिसे ब्याज आय और ब्याज व्ययों के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है, बैंकों की मध्यस्थता प्रक्रिया की दक्षता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आस्तियों के संबंध में कम निवल ब्याज आय अधिक दक्षता का संकेतक है। कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निवल ब्याज आय (अंतराल) 2005-06 के 2.8 से मामूली रूप से गिरकर 2006-07 में 2.7 रह गई। वर्ष के दौरान विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन बढ़ा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 2005-06 के उनके संबंधित स्तर से कम हुआ (परिशिष्ट सारणी III.16)।

परिचालन लाभ

3.71 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का परिचालन लाभ 2005-06 में हुई 6.6 प्रतिशत की वृद्धि से तुलना करने पर, 2006-07 में 21.2 प्रतिशत बढ़ा, जो व्यापक रूप से ब्याज आय में अधिक वृद्धि और परिचालन व्ययों में कम वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़कर, सभी बैंक समूहों के परिचालन लाभ 2005-06 के दौरान बढ़े। कुल आस्तियों के प्रति परिचालन लाभ का अनुपात 2005-06 के 2.0 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2006-07 में 1.9 प्रतिशत रह गया। लेकिन, अलग-अलग बैंक के स्तर पर, यह विदेशी बैंकों (8.3 प्रतिशत से -0.3 प्रतिशत) और निजी क्षेत्र के बैंकों (3.3 प्रतिशत से -2.2 प्रतिशत) के लिए काफी भिन्न था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह संकीर्ण दायरे (2.4 प्रतिशत से 0.9 प्रतिशत) में रहा (परिशिष्ट सारणी III.19)।

प्रावधान और आकस्मिकताएं

3.72 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रावधान और आकस्मिक व्यय में 2005-06 के दौरान हुई मामूली गिरावट के विपरीत, 2006-07 में 16.4 प्रतिशत की तेज वृद्धि दिखी। लेकिन, 2006-07 के दौरान ऋण हानियों के लिए और निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान में क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 23.3 प्रतिशत की काफी गिरावट दिखी (पैराग्राफ 3.81 और 3.86 भी देखें)। बैंक समूहवार, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में, प्रावधान और आकस्मिक व्यय निजी क्षेत्र के लिए बढ़े, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए घटे, जबकि विदेशी बैंकों के लिए वे स्थिर बने रहे।

निवल लाभ

3.73 2005-06 के 17.3 प्रतिशत की तुलना में निवल लाभ 2006-07 के दौरान 27.0 प्रतिशत बढ़े (सारणी III.22)। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में तेज वृद्धि के बावजूद निवल लाभ में तेज वृद्धि हुई। बैंक समूहवार, सभी बैंक समूहों का निवल लाभ कुल मिलाकर बढ़ा, यद्यपि आस्तियों के

सारणी III.22: परिचालन लाभ तथा निवल लाभ - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	परिचालन लाभ				निवल लाभ			
	2005-06	प्रतिशत घटबढ़	2006-07	प्रतिशत घटबढ़	2005-06	प्रतिशत घटबढ़	2006-07	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**54,394**	**6.6**	**65,917**	**21.2**	**24,582**	**17.3**	**31,203**	**26.9**
सरकारी क्षेत्र के बैंक	37,967	-2.0	42,268	11.3	16,539	7.1	20,152	21.8
राष्ट्रीयकृत बैंक	22,140	-4.2	27,070	22.3	10,021	5.9	12,950	29.2
स्टेट बैंक समूह	15,026	-1.7	14,292	-4.9	5,956	4.9	6,572	10.3
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	801	121.8	907	13.2	561	82.5	630	12.4
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2,257	0.7	3,027	34.1	866	98.6	1,122	29.6
निजी क्षेत्र के नए बैंक	7,511	38.0	11,021	46.7	4,109	32.6	5,343	30.0
विदेशी बैंक	6,658	45.5	9,600	44.2	3,069	54.8	4,585	49.4

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र

प्रतिशत के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक समूह और निजी क्षेत्र के नए बैंकों के लिए निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में घटा (परिशिष्ट सारणी III.16)।

आस्तियों पर प्रतिलाभ

3.74 आस्तियों पर प्रतिलाभ दक्षता का एक संकेतक है जिससे बैंक अपनी आस्तियों को नियोजित करते हैं । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का आस्तियों के प्रति निवल लाभ-अनुपात पिछले वर्ष के स्तर से लगभग अपरिवर्तित बना रहा। 2006-07 के दौरान निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और विदेशी बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ बढ़ा, जबकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मामूली रूप से घटा (चार्ट III.16)। लेकिन, निजी क्षेत्र के नए बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ मामूली रूप से घटा।

ईक्विटी पर प्रतिलाभ

3.75 ईक्विटी पर प्रतिलाभ, जो बैंकिंग संस्थाओं की दक्षता के द्वारा पूंजी के उपयोग का संकेतक हैं, 2005-06 में 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 13.2 प्रतिशत हो गया, यह मुख्य रूप से पूंजी आधार में हल्की सी वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट III.17)।

चार्ट III.16: भारत में बैंकों के समूह की निवल लाभप्रदता

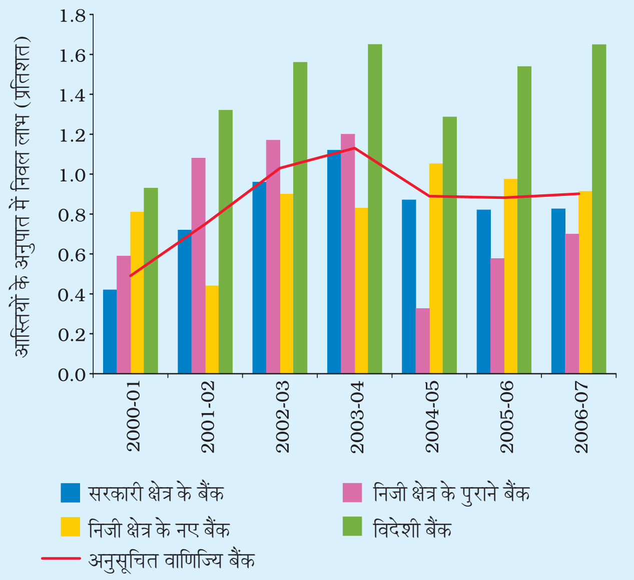

चार्ट III.17: भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की इक्विटी पर प्रतिलाभ

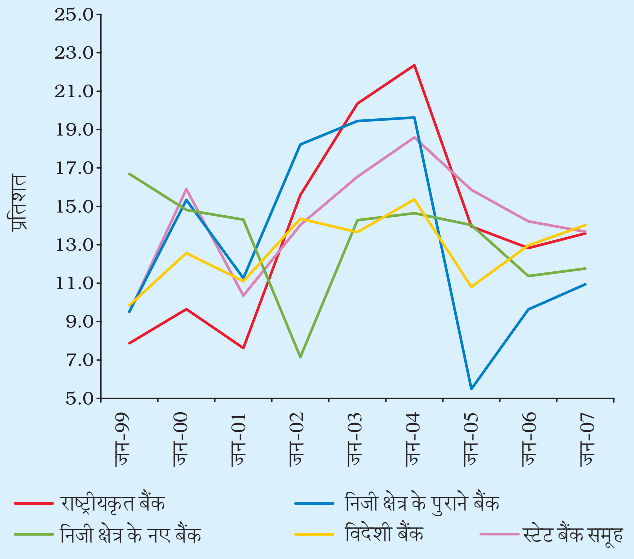

5. सुदृढ़ता संकेतक

3.76 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जोखिम भारित (आस्तियों) के प्रति पूंजी का अनुपात, जो हानियों को अवशोषित करने की बैंकिंग प्रणाली की क्षमता का मापक है, मार्च 2006 के अंत की तरह, मार्च 2007 के अंत में 12.3 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और बढ़ी क्योंकि सकल और निवल आधार पर अनर्जक आस्ति अनुपात में वर्ष के दौरान गिरावट जारी रही। इस प्रकार, दो प्रमुख सुदृढ़ता संकेतक अर्थात पूंजी और आस्ति गुणवत्ता के अर्थ में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मार्च 2007 के अंत में अच्छी स्थिति में बना रहा। (चार्ट III.18)।

आस्ति गुणवत्ता

3.77 लगातार तीसरे वर्ष सुदृढ़ ऋण वृद्धि आस्ति गुणवत्ता में काफी सुधार द्वारा समर्थित बनी रही। वर्तमान रुझान को बदलते हुए, 2006-07 के दौरान सकल एनपीए समग्र अर्थों में बढ़ा क्योंकि वर्ष के दौरान नई बढ़ी हुई अनर्जक आस्तियां वसूल किए गए और बट्टे में डाले गए एनपीए से मामूली रूप से अधिक हो गईं (सारणी III.23)। लेकिन, विभिन्न बैंक समूहों के बीच यह प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न थी। जबकि वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (विशेष

चार्ट III.18:अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीआरएआर और एनपीए में उतार-चढ़ाव

(मार्च के अंत में)

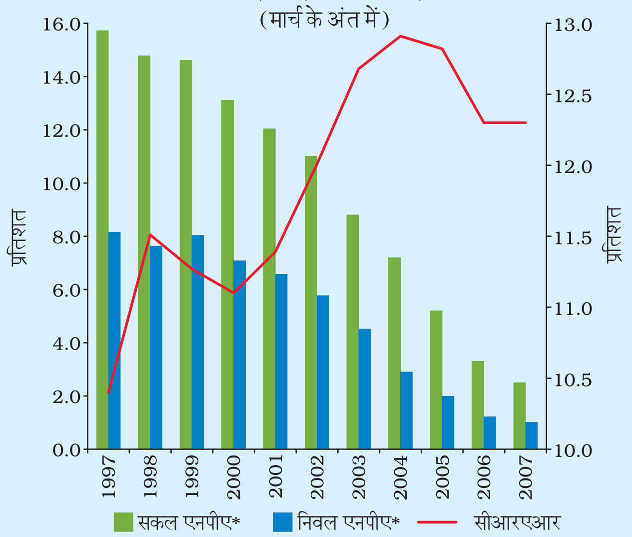

*: अग्रिमों के अनुपात के रूप में

सारणी III.23: अनर्जक आस्तियों में बैंक समूहवार उतार चढ़ाव

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (82)	सरकारी क्षेत्र के बैंक (28)	राष्ट्रीयकृत बैंक (19)	स्टेट बैंक समूह (8)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (17)	निजी क्षेत्र के नए बैंक (8)	विदेशी बैंक (29)
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल अनर्जक आस्तियाँ							
मार्च 2006 के अंत में	50,519	41,358	27,701	12,541	3,182	4,051	1,927
वर्ष के दौरान वृद्धि	26,211	19,614	12,419	6,264	1,349	3,830	1,417
वर्ष के दौरान वसूले गए	26,159	22,004	15,061	6,128	1,562	1,595	997
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	84	–	–	–	–	–	84
31 मार्च 2007 को	50,486	38,968	25,059	12,676	2,968	6,286	2,262
निवल अनर्जक आस्तियां							
मार्च 2006 के अंत में	18,265	14,564	7,929	6,072	1,101	1,795	804
मार्च 2007 के अंत में	20,100	15,144	8,063	6,359	891	3,136	927
ज्ञापन :							
सकल अग्रिम	20,12,510	14,64,493	9,75,733	4,88,760	94,872	3,25,273	1,27,872
निवल अग्रिम	19,81,216	14,40,123	9,57,697	4,82,426	92,890	3,21,865	1,26,339
अनुपात							
सकल अनर्जक आस्तियाँ/सकल अग्रिम	2.5	2.7	2.7	2.6	3.1	1.9	1.8
निवल अनर्जक आस्तियाँ/निवल अग्रिम	1.0	1.1	0.9	1.3	1.0	1.0	0.7

– : शून्य/नगण्य।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े बैंकों की संख्या दर्शाते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

सारणी III.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा विविध माध्यमों के जरिए वसूल किया गया एनपीए

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2005-06			2006-07		
	संदर्भित मामलों की संख्या*	शामिल राशि	वसूली गई राशि	संदर्भित मामलों की संख्या*	शामिल राशि	वसूली गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
i) एक बारगी निपटान/सुलह योजनाए*	10,262	772	608	–	–	–
ii) *लोक अदालत*	2,68,090	2,144	265	1,60,368	758	106
iii) डीआरटी	3,534	6,273	4,735	4,028	9,156	3,463
iv) सरफेसाई अधिनियम	41,180 #	8,517	3,363	60,178 #	9,058	3,749

: सरफेसाई अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिसों की संख्या।
* : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु तथा मध्यम उद्यम खाते के लिए एकबारगी निपटान योजना 30 जून 2006 तक थी।

रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक) और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का समग्र सकल एनपीए घटा, निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों का बढ़ा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समग्र सकल एनपीए जो 2005-06 के दौरान 8,276 करोड़ रुपए कम हुआ था, 2006-07 में 611 करोड़ रुपए घटा। लेकिन, सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए मार्च 2006 के अंत के 3.3 प्रतिशत से घटकर 2.5 प्रतिशत रह गया।

3.78 अशोध्य ऋणों से निपटने के लिए बैंकों के समक्ष उपलब्ध वसूली के अनेक चैनलों में से ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और सरफेसाई अधिनियम वसूली गई राशि के संबंध में सर्वाधिक प्रभावशाली रहे है (सारणी III.24)। लोक अदालत को संदर्भित किए गए मामलों की संख्या सर्वाधिक बनी रही। 2006-07 के दौरान लोक अदालत और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के माध्यम से वसूल की गई राशि पिछले वर्ष की तुलना में कम थी।

3.79 प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम के मामले में, जून 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान वसूली दर पिछले वर्ष के 78.6 प्रतिशत की तुलना में सुधर कर 80.1 प्रतिशत हो गई (सारणी III.25)।

सारणी III.25: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की वसूली

(राशि करोड़ रुपए)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेयताएं	मांग से वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2004	33,544	25,002	8,542	74.5
2005	45,454	35,733	9,721	78.6
2006	46,567	37,298	9,269	80.1

3.80 रिजर्व बैंक ने अभी तक छः प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं जिनमें से तीन ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। जून 2007 के अंत में रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा अर्जित आस्तियों की कुल राशि का बही मूल्य 28,544 करोड़ रुपए था। बैंकों द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदों की राशि 6,894 करोड़ रुपए रही। प्रतिभूति रसीदों की मोचित राशि 660 करोड़ रुपए है (सारणी III.26)।

अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव

3.81 अनर्जक आस्तियों का प्रावधानीकरण चक्रीय गति से चलता है। यद्यपि समग्र अर्थ में सकल एनपीए घटा, निवल एनपीए बढ़ा. जो वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान की तुलना में अत्यधिक प्रावधान के अधिक प्रतिलेखन को दर्शाता है। निजी बैंक के नए बैंकों और विदेशी बैंकों को छोड़कर, यह प्रवृत्ति सभी बैंक समूहों के बीच पाई गई । इस प्रकार, निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों को

सारणी III.26: प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियो के ब्यौरे

(30 जून 2007 को)

मदें	राशि करोड़ रुपए
1. अर्जित आस्तियों का बही मूल्य	28,543.6
2. जारी प्रतिभूति रसीदें	7,436.0
3. निम्न द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदें	
(क) बैंक	6,894.2
(ख) प्रतिभूतिकरण कंपनिया / पुनर्निर्माण कंपनियां	408.3
(ग) विदेशी संस्थागत निवेशक	–
(घ) अन्य	133.6
4. पूर्णतयः मोचित प्रतिभूति रसीदों की राशि	659.6

– : शून्य/नगण्य।

छोड़कर सभी बैंक समूहों के संचयी प्रावधान एक वर्ष पहले के स्तर की तुलना में मार्च 2007 के अंत में कम रहे। अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में संचयी प्रावधान मार्च 2006 के अंत के 58.9 प्रतिशत से नाममात्र घटकर मार्च 2007 के अंत में 56.1 प्रतिशत रह गए। बैंक समूहवार उक्त अनुपात निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में सर्वाधिक (66.0 प्रतिशत) था, इसके पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नए बैंकों का स्थान था (सारणी III.27 तथा परिशिष्ट सारणी III.24)।

3.82 कुल निवल अनर्जक आस्तियों में वृद्धि के बावजूद निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक आस्तियां मार्च 2006 के अंत के 1.2 प्रतिशत से थोड़ा गिरकर 1.0 प्रतिशत रह गयीं। यही प्रवृत्ति सभी बैंक समूहों की सकल और निवल अनर्जक आस्तियों के अनुपात में दिखी, निजी क्षेत्र के नए बैकों को छोड़कर जिन्होंने सकल तथा निवल दोनों अनर्जक आस्ति के अनुपात में वृद्धि दर्ज की (सारणी III.28 तथा परिशिष्ट III.25 तथा 26)।

3.83 मार्च 2007 के अंत में विदेशी बैंकों (0.7 प्रतिशत) के अलावा कुल तथा बैंक समूहों के निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात 1.0 प्रतिशत था। मार्च 2006 के अंत तथा मार्च 2007 के अंत के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के निवल अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट हुई, जबकि निजी क्षेत्र के नए बैंकों के निवल अनर्जक आस्ति अनुपात में वृद्धि हुई जो बैंक समूह स्तर पर निवल अनर्जक आस्ति अनुपात के अभिसरण की ओर अभिमुख हुआ। वर्ष के दौरान अलग-अलग बैंक के स्तर पर निवल अनर्जक आस्ति अनुपात में अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। मार्च 2007 के अंत में 82 बैंकों (पिछले वर्ष 85) में से 75 बैंकों (पिछले वर्ष 65) का निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्ति का अनुपात 2 प्रतिशत से कम था। केवल दो बैंकों का निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 5 प्रतिशत से अधिक था, जिनमें से एक विदेशी बैंक का निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक था (सारणी III.29)। वर्ष 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों और निजी क्षेत्र के आठ बैंकों के निवल अनर्जक आस्ति अनुपात में सुधार हुआ (परिशिष्ट सारणी III.27 और 28)।

3.84 ऋण आस्ति श्रेणियों के आंकड़ों ने वर्ष 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार दर्शाया। जहां मार्च 2006 के अंत में कुल अग्रिमों में मानक आस्तियों का हिस्सा 96.7 प्रतिशत से बढ़कर 97.5 प्रतिशत हो गया, वहीं अवमानक ऋण का हिस्सा 1.0 प्रतिशत के निचले स्तर पर स्थिर रहा। तथापि, 'संदिग्ध' और 'हानिवाले' हिस्सों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई। इन दो श्रेणियों ('हानि'और 'संदिग्ध') में समग्र रूप में भी अनर्जक आस्तियों में गिरावट आई। निजी क्षेत्र के नए बैंकों, जिनमें 'अवमानक' आस्तियों के हिस्से में वृद्धि हुई और संदिग्ध तथा हानि आस्तियां कम हुई, को छोड़कर सभी बैंक समूहों में लगभग यही स्थिति देखी गई (सारणी III.30)। इस प्रकार, निजी क्षेत्र के नए बैंकों की आस्ति गुणवत्ता ठीक -ठाक होने के बावजूद उसमें कमजोरी के कुछ लक्षण दिखे।

सारणी III.27 : अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव - बैंक समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए)

मद	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (82)	सरकारी क्षेत्र के बैंक (28)	राष्ट्रीयकृत बैंक (19)	स्टेट बैंक समूह (8)	निजी क्षेत्र के बैंक (17)	निजी क्षेत्र के बैंक (8)	विदेशी बैंक (29)
1	2	3	4	5	6	7	8
एनपीए के लिए प्रावधान							
मार्च 2006 के अंत तक	30,226	25,024	18,078	6,393	1,992	2,214	994
जोड़िएः वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	10,401	7,289	4,956	1,804	520	2,110	481
घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए, अधिक्य के लिए प्रतिलेखन	12,284	10,174	7,693	1,909	553	1,236	320
मार्च 2007 के अंत में	28,343	22,139	15,341	6,288	1,959	3,087	1,156
ज्ञापन :							
सकल अनर्जक आस्तियाँ	50,486	38,968	26,291	12,677	2,968	6,286	2,262
अनुपात							
सकल अनर्जक आस्तियों के संचयी प्रावधान (प्रतिशत)	56.1	56.8	58.4	49.6	66.0	49.1	51.1

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्ष 2005-06 के लिए उस समूह में बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

सारणी III.28: अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की बैंक समूह वार सकल तथा निवल अनर्जक आस्तियाँ

(मार्च केअंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक समूह / वर्ष	सकल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां			निवल अग्रिम	निवल अनर्जक आस्तियां		
		राशि	सकल अग्रिमों का प्रतिशत	कुल आस्तियों का प्रतिशत		राशि	सकल अग्रिमों का प्रतिशत	कुल आस्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक								
2004	9,02,026	64,812	7.2	3.3	8,62,643	24,396	2.8	1.2
2005	11,52,682	59,373	5.2	2.5	11,15,663	21,754	2.0	0.9
2006	15,51,378	51,097	3.3	1.8	15,16,811	18,543	1.2	0.7
2007	20,12,510	50,486	2.5	1.5	19,81,216	20,101	1.0	0.6
सरकारी क्षेत्र के बैंक								
2004	6,61,975	51,537	7.8	3.5	6,31,383	19,335	3.1	1.3
2005	8,77,825	48,399	5.5	2.7	8,48,912	16,904	2.1	1.0
2006	11,34,724	41,358	3.6	2.1	11,06,288	14,566	1.3	0.7
2007	14,64,493	38,968	2.7	1.6	14,40,123	15,145	1.1	0.6
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक								
2004	57,908	4,398	7.6	3.6	55,648	2,142	3.8	1.8
2005	70,412	4,200	6.0	3.1	67,742	1,859	2.7	1.4
2006	85,154	3,759	4.4	2.5	82,957	1,375	1.7	0.9
2007	94,872	2,969	3.1	1.8	92,890	891	1.0	0.6
निजी क्षेत्र के नए बैंक								
2004	1,19,511	5,983	5.0	2.4	1,15,106	1,986	1.7	0.8
2005	1,27,420	4,582	3.6	1.6	1,23,655	2,353	1.9	0.8
2006	2,32,536	4,052	1.7	1.0	2,30,005	1,796	0.8	0.4
2007	3,25,273	6,287	1.9	1.1	3,21,865	3,137	1.0	0.5
विदेशी बैंक								
2004	62,632	2,894	4.6	2.1	60,506	933	1.5	0.7
2005	77,026	2,192	2.8	1.4	75,354	639	0.8	0.4
2006	98,965	1,928	1.9	1.0	97,562	808	0.8	0.4
2007	1,27,872	2,263	1.8	0.8	1,26,339	927	0.7	0.3

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

3.85 सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियों से संबंधित समेकित विवरण में वर्ष 2006-07 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि दिखायी गयी है। इसका मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों में हुई वृद्धि, जबकि लघु उद्योग क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों में गिरावट दर्ज हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों में भी वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2006-07 के दौरान गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों में कमी आई। समग्र स्तर पर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों का हिस्सा 54.1 प्रतिशत पर अधिकतम था, जिसमें से कृषि तथा लघु उद्योग से इतर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों का हिस्सा कुल अनर्जक आस्तियों का लगभग एक चौथाई (25.1 प्रतिशत) था। वर्ष 2006-07 के दौरान गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों का हिस्सा 44.9 प्रतिशत था (सारणी III.31) (परिशिष्ट सारणी III.29(अ) और 29 (आ) एवं परिशिष्ट सारणी 30 (अ) तथा 30 (आ)

निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में घटबढ़

3.86 एक वर्ष पहले की तुलना में मार्च 2007 के अंत में निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रावधान 23.3 प्रतिशत कम थे। वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की तुलना में अतिरिक्त प्रावधानों में से बट्टे खाते डाली गई और प्रतिलिखित राशि काफी अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप

सारणी III.29: निवल अनर्जक आस्तियाँ-निवल अग्रिम अनुपात द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	मार्च के अंत में				
	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**27**	**27**	**28**	**28**	**28**
2 प्रतिशत तक	4	11	19	23	27
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	14	13	7	5	1
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	7	3	2	–	–
10 प्रतिशत से अधिक	2	–	–	–	–
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**20**	**20**	**20**	**20**	**17**
2 प्रतिशत तक	2	2	4	11	15
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	4	9	12	7	1
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	12	7	4	2	1
10 प्रतिशत से अधिक	2	2	–	–	–
निजी क्षेत्र के नए बैंक	**9**	**10**	**9**	**8**	**8**
2 प्रतिशत तक	2	4	5	6	7
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	2	5	3	2	1
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	4	–	1	–	–
10 प्रतिशत से अधिक	1	1	–	–	–
विदेशी बैंक	**36**	**33**	**31**	**29**	**29**
2 प्रतिशत तक	19	22	23	25	27
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	3	2	2	–	1
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	6	3	2	–	–
10 प्रतिशत से अधिक	8	6	4	4	1

– : शून्य/नगण्य।

मार्च 2007 के अंत में प्रावधान में तीव्र गिरावट आयी। प्रावधानों में यह गिरावट पिछले वर्ष निवेशों में हुई वृद्धि के बावजूद पाई गई (सारणी III.32)।

पूंजी पर्याप्तता

3.87 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी का समग्र अनुपात (सीआरएआर) पिछले वर्ष के 12.3 प्रतिशत के स्तर पर बना रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पूंजी में हुई वृद्धि जोखिम भारित आस्तियों की तीव्र वृद्धि के अनुरूप रही। जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि का प्रमुख कारण था ऋण में तीव्र वृद्धि । कुछ सीमा तक ,जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि का कारण, रिज़र्व बैंक द्वारा कतिपय अग्रिमों की श्रेणी पर जोखिम भारों में की गई वृद्धि भी था,ऐसा तीव्र ऋण वृद्धि विस्तार के चरण के दौरान बैंकों के तुलनपत्रों की रक्षा हेतु विवेकपूर्ण उपाय के रूप में किया गया। 12.3 प्रतिशत पर सीआरएआर न्यूनतम निर्धारित 9.0 प्रतिशत से काफी अधिक था (सारणी III.33)।

3.88 टियर I पूंजी अनुपात एक वर्ष पहले के 9.3 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2007 के अंत में कुछ घटकर 8.3 प्रतिशत रह गया। इसका मुख्य कारण था आरक्षित निधियों और अधिशेषों की अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि, जबकि प्रदत्त पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तथापि, पिछले वर्ष में टियर II पूंजी में गिरावट के विपरीत इस वर्ष उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई । फलस्वरूप, टियर II सीआरएआर पिछले वर्ष के 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 4.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट III.19)। वर्ष के दौरान गिरावट के बावजूद 8.3 प्रतिशत पर टियर I सीआरएआर 4.5 प्रतिशत की वर्तमान अपेक्षा से अधिक था तथा वह रिज़र्व बैंक द्वारा 27 अप्रैल 2007 को प्रकाशित बासेल II के कार्यान्वयन के अंतिम दिशा-निर्देशों में निर्धारित 6.0 प्रतिशत के मानदंड के भी ऊपर था।

3.89 बैंक समूहों के बीच सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के सीआरएआर में सुधार हुआ, जबकि निजी क्षेत्र के नए बैंकों एवं विदेशी बैंकों का सीआरएआर गिरा । निजी क्षेत्र के नए बैंकों का सीआरएआर, जिसमें पिछले वर्ष सुधार हुआ था, मार्च

सारणी III.30: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण-बैंक समूहवार

(मार्च केअंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक समूह/वर्ष	मानक आस्तियाँ		अवमानक आस्तियाँ		संदिग्ध आस्तियाँ		हानि आस्तियाँ		कुल अनर्जक आस्तियाँ		कुल अग्रिम
	राशि	प्रति शत	राशि	प्रति शत	राशि	प्रति शत	राशि	प्रति शत	राशि	प्रति शत	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुसूचित वाणिज्य बैंक											
2004	8,37,130	92.9	21,026	2.3	36,247	4.0	7,625	0.9	64,898	7.2	9,02,027
2005	10,93,523	94.9	14,016	1.2	37,763	3.3	7,382	0.6	59,161	5.1	11,52,684
2006	14,99,431	96.7	14,826	1.0	30,105	2.0	7,016	0.4	51,947	3.3	15,51,378
2007	19,61,877	97.5	20,010	1.0	24,408	1.2	6,215	0.3	50,633	2.5	20,12,510
सरकारी क्षेत्र के बैंक											
2004	6,10,435	92.2	16,909	2.5	28,756	4.4	5,876	0.9	51,541	7.8	6,61,975
2005	8,30,029	94.6	11,068	1.3	30,779	3.5	5,929	0.7	47,796	5.4	8,77,825
2006	10,92,607	96.2	11,453	1.0	25,028	2.2	5,636	0.5	42,117	3.7	11,34,724
2007	14,25,519	97.3	14,275	1.0	19,873	1.4	4,826	0.3	38,974	2.7	14,64,493
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
2004	53,516	92.4	1,161	2.0	2,727	4.7	504	0.9	4,392	7.6	57,908
2005	66,212	94.0	784	1.1	2,868	4.0	549	0.8	4,201	6.0	70,413
2006	81,414	95.6	710	0.8	2,551	3.0	479	0.6	3,740	4.4	85,154
2007	91,903	96.9	760	0.8	1,783	1.9	425	0.4	2,969	3.1	94,872
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
2004	1,13,560	95.0	1,966	1.6	3,665	3.0	321	0.3	5,952	5.0	1,19,512
2005	1,22,577	96.2	1,449	1.1	3,061	2.4	334	0.3	4,844	3.8	1,27,421
2006	2,28,504	98.3	1,717	0.7	1,855	0.8	460	0.2	4,032	1.8	2,32,536
2007	3,19,002	98.1	3,608	1.1	2,147	0.7	516	0.2	6,271	1.9	3,25,273
विदेशी बैंक											
2004	59,619	95.1	990	1.6	1,099	1.8	924	1.5	3,013	4.8	62,632
2005	74,705	97.0	715	1.0	1,035	1.3	570	0.7	2,320	3.0	77,025
2006	96,907	98.0	946	1.0	670	0.7	441	0.5	2,057	2.0	98,965
2007	1,25,453	98.1	1,367	1.1	605	0.5	447	0.3	2,419	1.9	1,27,872

टिप्पणी : पूर्णांकित किए जाने के कारण घटक मदों को कुल में नहीं जोडा जाएगा।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत डीबीएस विवरणियां (बीएसए)

2007 के अंत में गिरकर उद्योग औसत से नीचे चला गया; निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का सीआरएआर उद्योग औसत से कम रहा, जबकि सरकारी बैंकों (राष्ट्रीकृत बैंक और एसबीआइ समूह दोनों) तथा विदेशी बैंकों का सीआरएआर उद्योग औसत से अधिक रहा। विदेशी

सारणी III.31: क्षेत्रवार-एनपीए-बैंक समूह-वार*

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए के बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. प्राथमिक क्षेत्र	22,374	22,954	1,632	1,416	652	1,468	24,658	25,838
i) कृषि	6,203	6,506	265	249	250	612	6,718	7,367
ii) लघु उद्योग	6,917	5,843	656	490	152	155	7,725	6,488
iii) अन्य	9,253	10,604	711	677	251	702	10,215	11,983
ख. सार्वजनिक क्षेत्र	340	490	1	–	3	3	345	493
ग. गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	18,664	15,158	2,078	1,553	3,463	4,800	24,205	21,510
कुल (क +ख +ग)	**41,378**	**38,602**	**3,711**	**2,969**	**4,118**	**6,271**	**49,208**	**47,841**

* : विदेशी बैंको को छोड़कर – : : शून्य/नगण्य।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत परोक्ष विवरणियों पर आधारित।

सारणी III.32: निवेश के मूल्यह्रास पर प्रावधानों में बैंक समूहवार उतार -चढ़ाव

(राशि करोड़ रुपए)

विवरण	अनुसूचित वाणिज्य के बैंक (82)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (28)	राष्ट्रीयकृत बैंक (19)	स्टेट बैंक समूह (8)	पुराने निजी क्षेत्र के बैंक (17)	नए निजी क्षेत्र के बैंक (8)	विदेशी बैंक (29)
1	2	3	4	5	6	7	8
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान							
मार्च 2006 के अंत में	16,278	13,761	4,924	8,584	361	697	1,459
जोडिए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	4,858	4,157	2,895	1,223	213	206	281
घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए आधिक्य के लिए प्रति लेखन	8,660	8,154	1,334	6,750	136	85	286
मार्च 2007 के अंत में	12,476	9,764	6,485	3,057	439	819	1,454

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्ष 2005-06 के लिए में बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

बैंकों का सीआरएआर जो हमेशा अन्य बैंक समूहों से काफी ऊपर रहा करता था, मार्च 2006 के अंत के 13.0 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 के अंत में 12.4 प्रतिशत पर उद्योग औसत पर आ गया (सारणी III.34)। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र, जिन पर अधिक जोखिम भार लागू है, को अपेक्षाकृत ऋण के अधिक एक्सपोजर के कारण जोखिम भारित आस्तियों में अधिक वृद्धि हुई जिसके कारण निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों के सीआरएआर में गिरावट आयी।

सारणी III.33: अनुसूचित वाणिज्य बैंक घटकवार - सी आर ए आर
(मार्च 2006 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद / वर्ष	2005	2006	2007
1	2	3	4
अ. पूंजीगत निधियां (i+ii)	1,65,928	2,21,363	2,96,191
i) टियर I पूंजी	1,08,949	1,66,538	2,00,386
जिसमें से			
प्रदत्त पूंजी	25,724	25,142	29,462
आरक्षित निधियाँ	91,320	1,41,592	1,64,077
अनाबंटित/ विप्रेषणीय अधिशेष	6,937	11,075	20,387
टियर I पूंजी के लिए कटौतियाँ	15,031	11,271	13,662
ii) टियर II पूंजी	56,979	54,825	95,794
जिसमें से:			
बट्टाकृत गौण ऋण	26,291	43,214	63,834
ख. जोखिम भारित आस्तियां	12,96,223	17,97,207	24,12,236
जिसमें से			
जोखिम भारित ऋण और अग्रिम	9,19,544	12,38,163	17,17,810
ग. सीआरएआर (ख के प्रतिशत के रूप में क)	12.8	12.3	12.3
जिसमें से:			
टियर- I	8.4	9.3	8.3
टियर- II	4.4	3.1	4.0

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ-साइट विवरणियां।

3.90 पांच सबसे बड़े बैंकों के सीआरएआर ने पिछले वर्ष की तुलना में भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई। वर्ष 2005-06 के दौरान आइसीआइसीआइ बैंक के अलावा सभी बैंकों का सीआरएआर गिरा। तथापि, वर्ष 2006-07 के दौरान आइसीआइसीआइ बैंक के अलावा सभी बैंकों के सीआरएआर में वृद्धि दर्ज की गयी। सबसे बड़े पांच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से चार बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जबकि आइसीआइसीआइ निजी क्षेत्र का बैंक है (चार्ट III.20)।

3.91 वैयक्तिक बैंक स्तर पर, मार्च 2007 के अंत में केवल सांगली बैंक लिमि. सीआरएआर की निर्धारित अपेक्षा को पूरा नहीं

चार्ट III.19: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरएआर
(मार्च के अंत में)

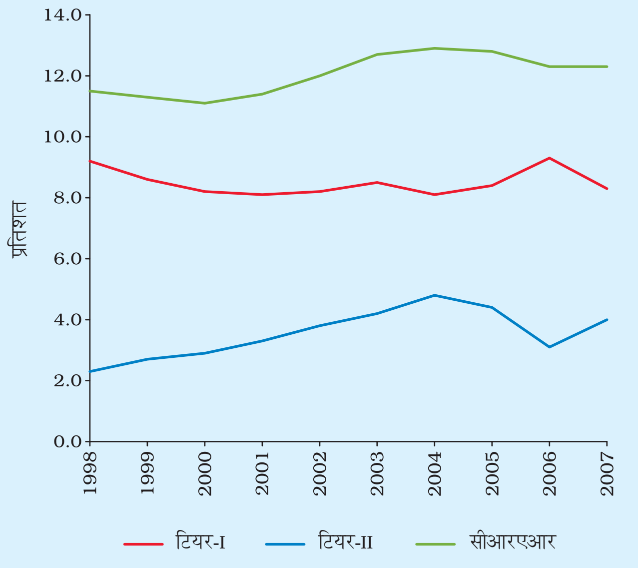

सारणी III.34: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बैंक समूहवार

(मार्च 2006 के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11.1	11.4	12.0	12.7	12.9	12.8	12.3	12.3
सरकारी क्षेत्र के बैंक	10.7	11.2	11.8	12.6	13.2	12.9	12.2	12.4
राष्ट्रीयकृत बैंक	10.1	10.2	10.9	12.2	13.1	13.2	12.3	12.4
स्टेट बैंक समूह	11.6	12.7	13.3	13.4	13.4	12.4	11.9	12.3
निजी के क्षेत्र पुराने बैंक	12.4	11.9	12.5	12.8	13.7	12.5	11.7	12.1
निजी क्षेत्र के नए बैंक	13.4	11.5	12.3	11.3	10.2	12.1	12.6	12.0
विदेशी बैंक	11.9	12.6	12.9	15.2	15.0	14.0	13.0	12.4

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई ऑफ-साइट विवरणियों पर आधारित ।

चार्ट III.20: पांच सबसे बड़े बैंकों का सीआरएआर

(मार्च के अंत में)

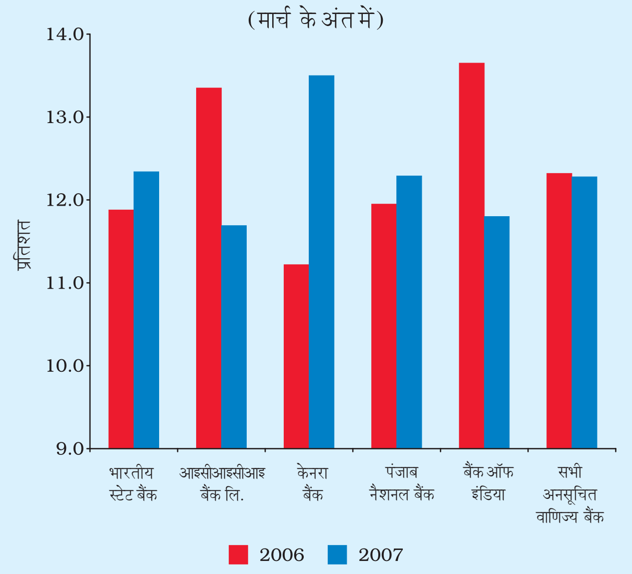

कर सका, उसे बाद में आइसीआइसीआइ बैंक के साथ समामेलित किया गया। 79 बैंकों का सीआरएआर 10 प्रतिशत से ऊपर था (सारणी III.35 और परिशिष्ट सारणी III.31)। दो बैंकों का सीआरएआर 9 से 10 प्रतिशत के दायरे में था। सीआरएआर के वर्तमान बैंक स्तर को देखते हुए वाणिज्य बैंक बासेल II की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप में तैयार हैं , जिसे मार्च 2009 के अंत तक पूर्णतः परिचालित किया जा सकेगा।

6. पूंजी बाजार में बैंकों का परिचालन

प्राथमिक पूंजी बाजार से बैंकों द्वारा जुटाये गये संसाधन

3.92 वर्ष 2006-07 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा देशी प्राथमिक बाजार से जुटाई गई राशि में तीव्र गिरावट दर्ज की गयी। वर्ष 2006-07 के दौरान देशी ईक्विटी बाजार से सार्वजनिक निर्गमों (बिक्री के प्रस्ताव को छोड़कर) के माध्यम से बैंकों का कुल संसाधन संग्रहण 90.4 प्रतिशत घटकर 1,066 करोड़

सारणी III.35: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूँजी का अनुपातवार वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	2005-06				2006-07			
	4 प्रतिशत से कम	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक	4 प्रतिशत से कम	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीकृत बैंक*	–	–	–	20	–	–	–	20
स्टेट बैंक समूह	–	–	–	8	–	–	–	8
निजी क्षेत्र के पुराने बैक	3	–	1	16	1	–	2	14
निजी क्षेत्र के नए बैंक	–	–	1	7	–	–	–	8
विदेशी बैंक	–	–	2	27	–	–	–	29
कुल	**3**	**–**	**4**	**78**	**1**	**–**	**2**	**79**

– : नहीं / नगण्य।
* : अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के आंकडे शामिल हैं।
स्रोत : बैंको द्वारा प्रस्तुत परोक्ष विवरणियों पर आधारित।

सारणी III.36: बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक निर्गम

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		सकल जोड़
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8
2003-04	1,104	–	–	1,352	1,104	1,352	**2,456**
2004-05	3,336	–	4,108	1,478	7,444	1,478	8,922
2005-06	5,413	–	5,654	–	11,067	–	11,067
2006-07	782	–	284	–	1,066	–	1,066

– : कुछ नहीं / नगण्य।

रुपया रह गया। द्वितीयक बाजार में बैंकिंग स्क्रिप के अच्छे कार्यनिष्पादन, बैंकों के मजबूत कंपनी वित्तीय परिणाम तथा बासेल II मानदंडों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु पूंजी जुटाने की अधिक जरूरत के बावजूद, केवल तीन बैंकों ने वर्ष 2006-07 के दौरान ईक्विटी बाजार से 1,066 करोड़ रुपए की कुल पूंजी जुटाई। सरकारी क्षेत्र के एक बैंक ने 782 करोड़ रुपए (प्रीमियम सहित) का एक निर्गम जारी किया और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 284 करोड़ रुपए की कुल राशि के दो ईक्विटी निर्गम जारी किए (सारणी III.36)।

3.93 सरकारी क्षेत्र के बैंक (इंडियन बैंक) का एक निर्गम प्रति शेयर 81 रुपए प्रीमियम पर था, जिसकी कुल राशि 782 करोड़ रुपए थी। निजी क्षेत्र के बैंकों जैसे डेवलपमेंट बैंक लिमि. तथा लक्ष्मी विलास बैंक लिमि. के दो निर्गम क्रमशः 16रुपए तथा 40 रुपए प्रति शेयर प्रीमियम पर लाये गये, जिनकी कुल राशि क्रमशः 186 करोड़ रुपए तथा 98 करोड़ रुपए थी (सारणी III.37)।

3.94 वर्ष 2006-07 के दौरान बैंकों द्वारा ऋण निर्गम के माध्यम से प्राइवेट प्लेसमेंट बाजार के जरिए जुटाई गई राशि 2.8 प्रतिशत की नाममात्र की वृद्धि के साथ 30,994 करोड़ हो गयी (सारणी III.38)।

सारणी III.37: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गम के जरिए जुटाए गए संसाधन - 2006-07

बैंक	अंकित मूल्य (रुपए)	निर्गम मूल्य (रुपए)	आकार (करोड़ रुपए)		
			राशि	प्रीमियम	कुल
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक					
इंडियन बैंक	10	91	86	696	782
कुल (सरकारी क्षेत्र के बैंक)					**782**
निजी क्षेत्र के बैंक					
डेवलपमेंट बैंक लि.	10	26	72	114	186
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	10	50	19	79	98
कुल (निजी क्षेत्र के बैंक)					**284**

द्वितीयक बाजार में बैंकिंग शेयरों का कार्य निष्पादन

3.95 मुख्य रूप से सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मूलभूत-तत्वों, उत्साहजनक व्यावसायिक दृष्टिकोण और कंपनी लाभप्रदता में सुधार से चालित विदेशी संस्थागत निवेशकों के सुदृढ़ अंतर्वाहों से पिछले चार वर्षों में भारतीय शेयर बाजार में उछाल की स्थितियां दिखीं। भारतीय शेयर बाजार ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान बीच-बीच के सुधारों के मध्य और बढ़त दर्ज की। मार्च 2007 के अंत में बेंचमार्क इंडेक्स, बीएसई संवेदी सूचकांक 13072.10 पर था तथा उसने वर्ष 2005-06 के 73.7 प्रतिशत प्रतिलाभ के ऊपर मार्च 2006 के अंत के स्तर (11279.96) की तुलना में 15.9 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की।

3.96 सामान्य ऊर्ध्वगामी स्थिति के अनुसार, 2006-07 के दौरान भी बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक सुदृढ़ बने रहे [(चार्ट III.21(क) और चार्ट III.21(ख)]। अनुकूल समष्टि आर्थिक मूलतत्वों के अलावा, बैंक के स्टॉक कुछ क्षेत्र-विशेष की गतिविधियों से प्रेरित थे। सुदृढ़ वित्तीय परिणामों के कारण बैंकों के तुलनपत्र में सुधार के साथ बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की प्रगति ने बैंक के स्टॉक में रुचि को और अधिक बढ़ाया। बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों को अनेक अन्य कारकों का भी लाभ हुआ, जैसे बैंकों के खाद्य से इतर बैंक ऋण में तीव्र वृद्धि, एसएलआर पर 25 प्रतिशत की न्यूनतम नियत दर को समाप्त कर भारतीय

सारणी III.38: बैंकों द्वारा निजी नियोजन के जरिए जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए)

श्रेणी	2005-06		2006-07	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	24	7,834	45	9,730
सरकारी क्षेत्र क्षेत्र के बैंक	73	22,317	45	21,264
कुल	**97**	**30,151**	**90**	**30,994**

स्रोत: व्यापारी बैंक और वित्तीय संस्थाएं।

चार्ट III.21: बैंक स्टाकों और शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव

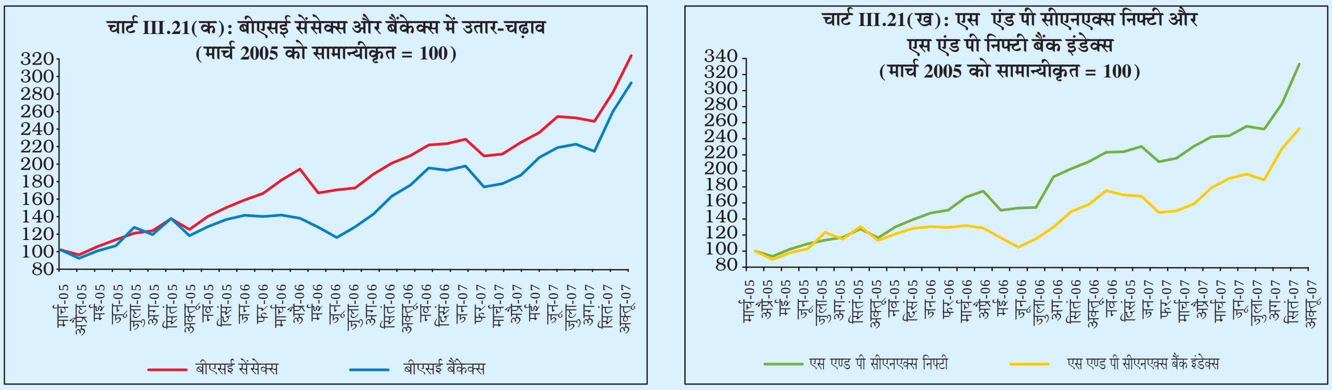

रिज़र्व बैंक (संशोधन) बिल 2006 का अधिनियमन, 3 प्रतिशत की तत्कालीन सांविधिक न्यूनतम सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता को समाप्त करना, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन जिससे भारतीय स्टेट बैंक पूंजी बाजार से निधियां जुटा सके और अपने कार्यों को भी दक्षतापूर्वक कर सके तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी पुनर्पूंजीकरण बांडों को ऐसी ट्रेडेबल प्रतिभूतियों में जो सांविधिक चलनिधि अनुपात की हैसियत के भी योग्य हों, रुपांतरित करने के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करना। कुछ बैंकों के स्टॉक को अधिग्रहण अथवा विलयन की प्रत्याशा में भी खरीदने की रुचि बढ़ी। तथापि, मुख्य रूप से ब्याज दरों तथा देशी मुद्रास्फीति दर में वृद्धि और कुछ बड़े बैंकों के प्रत्याशा से कम कंपनी परिणामों के कारण बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक में बीच-बीच में बिक्री के दबाव देखे गए।

3.97 बैंकिंग स्टॉक ने, जैसा कि बैंकेक्स (18 बैंकों के शेयर) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, बीएसई सेंसेक्स, व्यापक आधार वाले बीएसई 500 तथा अन्य बड़े क्षेत्रीय सूचकांकों को काफी पीछे छोड़ दिया। बैंकिंग स्टॉक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अबतक (14 नवंबर 2007 तक) बीएसई सेंसेक्स और अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांकों को पीछे छोड़ना जारी रखा (सारणी III.39)। अनुकूल समष्टि आर्थिक मूलतत्वों के अलावा, बैंक स्टॉक कुछ क्षेत्र-विशिष्ट गतिविधियों से प्रेरित थे जैसे ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों का संतोषजनक वित्तीय निष्पादन और संसद द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक कानून) संशोधन विधेयक, 2006 पारित किया जाना, जिससे भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जा सके।

3.98 यद्यपि 2006-07 के दौरान बैंकिंग स्टॉक ने न केवल बाजार को पीछे छोड़ दिया , बल्कि कम अस्थिरता भी दिखाई। तथापि , 2007-08 के दौरान अब तक (14 नवंबर 2007 तक) बैंक स्टॉक की अस्थिरता बाजार अस्थिरता की तुलना में कुछ अधिक थी (सारणी III.40)।

सारणी III.39: अन्य क्षेत्र के स्टॉकों की तुलना में बैंकिंग स्टॉक पर प्रतिलाभ*

(प्रतिशत)

वर्ष	मुंबई स्टाक एक्सचेंज सेंसेक्स	मुंबई स्टाक एक्सचेंज 500	क्षेत्र संबंधी सूचकांक					
			बैंकेक्स	एफएमसीजी	सूचना प्रोद्योगिकी	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	पूंजीगत वस्तुएं	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002-03	-12.1	-8.0	16.2	-23.5	-20.4	10.1	26.4	15.1
2002-03	-12.1	-8	16.2	-23.5	-20.4	10.1	26.4	15.1
2003-04	83.4	109.4	118.6	31.3	29.2	1.811	147.3	68.4
2004-05	16.1	21.9	28.6	11.6	59.5	8.1	39.9	50.5
2005-06	73.7	65.2	36.8	109.9	49.2	44.0	156.0	115.4
2006-07	15.9	9.7	24.3	-21.4	21.6	-3.2	11.1	11.1
2007-08 (14 नवंबर 2007 तक)	52.5	59.4	71.6	20.8	-12.6	77.7	129.9	44.1

* : अंक-दर-अंकआधार पर मापित अनुसूची में प्रतिशत अंतर
स्रोत : बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसी)

सारणी III.40: बैंक स्टॉक का कार्यनिष्पादन - जोखिम और प्रतिलाभ

सूचकांक	प्रतिलाभ*			अस्थिरता@		
	2005-06	2006-07	2007-08 #	2005-06	2006-07	2007-08 #
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई बैंकेक्स	36.8	24.3	72.7	11.8	17.5	13.8
बीएसई सेसेंक्स	73.7	15.9	52.5	16.7	11.1	12.0

* : बिंदु-दर-बिंदु आधार पर सूचकांकों में प्रतिशत अंतर।
@ : अंतर के सहगुणांक के रूप में परिभाषित।
\# : 14 नवंबर 2007 तक
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

3.99 अलग-अलग बैंक के स्तर पर, 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्टॉक में मिश्रित रुझान दिखा।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच, 2006-07 के दौरान बड़े लाभकर्ता थे- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (53.5 प्रतिशत), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (32.5 प्रतिशत), बैंक ऑफ इंडिया (28.7 प्रतिशत) , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (25.7 प्रतिशत) , भारतीय स्टेट बैंक (22.9 प्रतिशत) और इंडियन ओवरसीज बैंक (12.2 प्रतिशत)। 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हानि उठाने वाले प्रमुख बैंक थे- आइडीबीआइ लि. (-23.5 प्रतिशत), यूको बैंक (-23.3 प्रतिशत), विजया बैंक (-22.00 प्रतिशत), ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स (-18.5 प्रतिशत), आंध्रा बैंक (-15.7 प्रतिशत) और कारपोरेशन बैंक (-14.5 प्रतिशत) (सारणी III.41)।

3.100 निजी क्षेत्र के बैंकों में 2006-07 के दौरान बड़े लाभकर्ता थे- कोटक महिंद्रा बैंक लि.(79.9 प्रतिशत), यस बैंक (51.4 प्रतिशत), एक्जिस बैंक[5] (44.6 प्रतिशत), सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.(43.6 प्रतिशत) आइसीआइसीआइ बैंक लि. (40.5 प्रतिशत) और एचडीएफसी बैंक लि. (38.4 प्रतिशत)। लेकिन, वर्ष के दौरान बैंक आफ राजस्थान लि., इंडसंड बैंक लि. और यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक के शेयरों की कीमतें गिरीं।

3.101 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों का मूल्य/अर्जन अनुपात का दायरा व्यापक था। मार्च 2007 के अंत में, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मूल्य/अर्जन अनुपात 4.3 (इलाहाबाद बैंक) और 11.5 (भारतीय स्टेट बैंक) के दायरे में था, निजी क्षेत्र के बैंकों का मूल्य/अर्जन अनुपात 3.8 (बैंक ऑफ राजस्थान लि.) और 110.7 (कोटक महिंद्रा बैंक लि.) के दायरे में था (सारणी III.41)।

3.102 बैंक स्टॉक भारतीय ईक्विटी बाजार के बाजार पूंजीकरण का एक काफी बड़ा हिस्सा बना हुआ है, यद्यपि मार्च 2006 के अंत की तुलना में मार्च 2007 के अंत में उनके हिस्से में कुछ गिरावट आई। तथापि, 2007-08 (अक्तूबर 2007 तक) के दौरान कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टॉक के बाजार पूंजीकरण के हिस्से में कुछ सुधार हुआ। 2006-07 के दौरान कुल टर्नओवर में बैंक स्टॉक के टर्नओवर का हिस्सा कम बना रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक (अक्तूबर 2007 तक), कुल टर्नओवर में बैंक स्टॉक के टर्नओवर के हिस्से में काफी वृद्धि हुई (सारणी III.42)।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारिता का स्वरूप

3.103 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व के विविधीकरण की प्रक्रिया जारी रही। 10 प्रतिशत तक निजी शेयरधारिता वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या मार्च 2006 के अंत के चार से घटकर मार्च 2007 के अंत में तीन रह गई, जबकि 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक की संख्या शून्य से बढ़कर एक हो गयी (सारणी III.43 और परिशिष्ट सारणी III.32)।

3.104 भारतीय पूंजी बाजार में अपने बढ़े हुए एक्सपोजर के साथ विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफआइआइ) ने भारतीय बैंकों में भी अपनी पूंजी को समेकित किया है। मार्च 2007 के अंत में विदेशी वित्तीय संस्थाओं के निजी क्षेत्र के छः नए बैंकों (पिछले वर्ष के एक की तुलना में) तथा निजी क्षेत्र के दो पुराने बैंकों (पिछले वर्ष शून्य) में अधिकांश शेयर-धारिता थी। वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों में भी विदेशी वित्तीय संस्थाओं की शेयरधारिता में वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी विदेशी वित्तीय संस्थाओं की शेयरधारिता में वृद्धि हुई। विदेशी वित्तीय संस्थाओं की शेयरधारिता सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों (पिछले वर्ष के 10 की तुलना में) में 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों (पिछले वर्ष के दो की तुलना में) में 10 प्रतिशत तक थी (सारणी III.44)।

[5] पहले यूटीआई बैंक।

सारणी III.41: बीएसई में बैंकों के शेयरों का मूल्य और बैंक स्टॉक मूल्य/अर्जन अनुपात

बैंक	औसत दैनिक बंदी मूल्य (रु.)		मूल्यों में प्रतिशत घटबढ़	पी/ई अनुपात (मार्च के अंत में)	
	2005-06	2006-07		2006	2007
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक					
इलाहाबाद बैंक	85.44	80.11	-6.24	5.0	4.3
आंध्र बैंक	96.29	81.19	-15.68	8.1	6.9
बैंक ऑफ बड़ौदा	226.15	237.63	5.08	10.1	7.6
बैंक ऑफ इंडिया	117.00	150.61	28.73	9.2	7.3
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	33.35	32.19	-3.48	26.0	6.2
केनरा बैंक	225.17	242.09	7.51	8.2	5.6
कार्पोरेशन बैंक	370.63	316.81	-14.52	12.3	7.7
देना बैंक	32.87	32.24	-1.92	20.3	5.0
इंडियन ओवरसीज बैंक	89.85	100.81	12.20	6.7	5.6
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	260.46	212.28	-18.50	7.4	5.7
पंजाब नैशनल बैंक	420.43	455.11	8.25	10.3	9.7
सिंडिकेट बैंक	75.66	73.42	-2.96	8.7	4.7
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	118.47	113.76	-3.98	9.1	6.2
विजया बैंक	60.48	47.18	-21.99	18.0	6.3
भारतीय स्टेट बैंक	811.67	997.31	22.87	11.6	11.5
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर	2,757.41	3,465.41	25.68	14.4	5.5
एंड जयपुर	3,513.28	5,391.86	53.47	10.5	7.4
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2,697.68	3,575.63	32.54	8.0	4.6
यूको बैंक	27.96	21.45	-23.28	10.8	5.4
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक					
आइ डी बी आइ लि.	98.28	75.18	-23.50	10.1	8.9
निजी क्षेत्र के बैंक					
ॲक्सीस बैंक	273.09	394.79	44.56	20.5	21.0
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	52.07	37.94	-27.14	39.8	3.8
सिटी यूनियन बैंक लि.	97.83	128.98	31.84	4.8	5.7
सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	19.08	27.39	43.55	152.0	48.5
धनलक्ष्मी बैंक	31.81	38.14	19.90	10.5	11.6
फेडरल बैंक लि.	175.56	205.36	16.97	7.7	6.3
आईएनजी वैश्य बैंक	158.37	144.76	-8.59	143.6	17.9
इंडसड बैंक लि.	61.38	45.13	-26.47	36.9	19.7
जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	442.28	494.24	11.75	12.4	11.4
कर्नाटक बैंक लि.	102.68	121.61	18.44	6.9	11.7
करूर वैश्य बैंक लि.	174.89	228.93	30.90	6.5	8.7
कोटक महिंद्रा बैंक लिमि.	192.96	347.18	79.92	72.7	110.7
साउथ इंडियन बैंक लि.	65.72	73.99	12.58	8.5	6.7
युनाइटेड वेस्टर्न बैंक #	37.46	28.89	-22.88	-2.4	–
बैंक ऑफ पंजाब लि. *	34.42	–	–	–	–
एचडीएफसी बैंक लि.	658.46	911.35	38.41	27.8	26.6
आइसीआइसीआइ बैंक लि.	506.31	711.37	40.50	21.8	28.8
यस बैंक	72.10	109.13	51.36	49.0	41.8

: 30 सितंबर 2006 वर्ष युनाईटेड वेस्टर्न बैंक को आईडीबीआई बैंक के साथ विलय किया गया।
* : बैंक ऑफ पंजाब लि. का सेंचुरियन बैंक लि. के साथ विलय कर दिया गया।
– : उपलब्ध नही।
टिप्पणी : औसत की गणना दैनिक बंदी मूल्य पर की जाती है।

सारणी III.42: बैंक स्टाक का संबंधित अंश - कुल टर्नओवर तथा बाजार पूंजीकरण

(प्रतिशत)

वर्ष	कुल टर्नओवर में बैंक स्टाक के टर्नओवर का अंश	कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टाक के पूंजीकरण का अंश*
1	2	3
2005-06	6.8	7.1
2006-07	5.3	6.8
2007-08 (अप्रैल-अक्तूबर)	6.6	7.9

* : अवधि के अंत में

टिप्पणी : बैंकों के टर्नओवर और बाजार पूंजीकरण के आंकड़े एनएसइ के बैंक निफ्टी सूचकांक से संबंधित हैं।

स्रोत : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड।

7. बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

3.105 प्रौद्योगिकीय विकास से भारत में बैंकिंग परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हुए हैं जिसके कारण प्रक्रियाओं तथा प्रविधियों में उल्लेखनीय सुधार होने के फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ी है, वैकल्पिक सेवा प्रदायी माध्यमों के जरिए तीव्र उत्पाद विकास हुआ है और लेनदेन की लागत में कमी आई है। विशेष रूप से बैंकिंग की पहुँच मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाते रहने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है (बॉक्स III.3)।

3.106 कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया, जो सभी प्रौद्योगिकीय पहलों का आरंभ थी, यह अधिकांश बैंकों में पूरी होने के निकट पहुँच रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कंप्यूटरीकरण तथा संचार नेटवर्क के विकास पर बड़े पैमाने पर धन खर्च करना जारी रखा। सितंबर 1999 से मार्च 2007 के दौरान खर्च की गई कुल राशि 12,826 करोड़ रुपये थी (परिशिष्ट सारणी III.33)।

सारणी III.43: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी शेयर धारिता*

(मार्च के अंत में)

श्रेणी	2006	2007
1	2	3
10 प्रतिशत तक	4	3
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	–	1
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	3	3
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	3	3
40 से ऊपर तथा 49 प्रतिशत तक	11	11

– : शून्य/ नगण्य

* : 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आइडीबीआइ लि. को मिलाकर।

3.107 'कोर बैंकिंग समाधान' (सीबीएस) प्रदान करने वाली शाखाओं का अनुपात मार्च 2006 के अंत के 28.9 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 44.4 प्रतिशत हो गया। भारतीय स्टेट बैंक के सात सहायक बैंकों ने कोर बैंकिंग समाधान को पूरी तरह लागू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के आठ और बैंकों जैसे आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कारपोरेशन बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, विजया बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक ने संपूर्ण कंप्यूटरीकरण हासिल कर

सारणी III.44: भारतीय बैंकों में विदेशी संस्थाओं (अनिवासी) की शेयर धारिता

(मार्च के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

श्रेणी	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
कुछ नहीं	14	8	3	–	11	4
10 प्रतिशत तक	2	5	–	–	4	9
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	10	13	2	–	1	–
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	2	2	1	1	1	1
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	–	–	–	–	–	1
40 से ऊपर तथा 50 प्रतिशत तक	–	–	1	1	1	–
50 से ऊपर तथा 60 प्रतिशत तक	–	–	–	3	–	1
60 से ऊपर तथा 70 प्रतिशत तक	–	–	–	2	–	–
70 से ऊपर तथा 80 प्रतिशत तक	–	–	1	1	–	1
कुल	**28**	**28**	**8**	**8**	**18**	**17**

– : शून्य/नगण्य।

बॉक्स III.3: ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान

वित्तीय समावेशन में वृद्धि करने के लिए रिज़र्व बैंक बैंकों को प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। भारी संख्या में छोटे ऋण खातों में सेवा प्रदान करने के कारण बैंकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करना प्रायः मंहगा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित विधियों को ग्रामीण ऋण प्रदान करने के सर्वोत्तम विकल्प के रूप में देखा जा रहा है जिससे बैंकों की पहुँच में विस्तार होगा और ऋण प्रदान करने की लागत कम हो सकती है।

बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) नियुक्त करने की अनुमति मिलने के बाद पहुँच की संभावनाएं खुल गई हैं जो पहले उपलब्ध नही थीं। व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा समुचित प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ग्रामीण रोजगार पैदा करने के अलावा, परिचालनात्मक लागत को कम करने और सशक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) स्थापित करने की संभावना है। व्यवसाय प्रतिनिधियों के कारगर उपयोग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्रत्येक गांव में एक बैंकिंग सेवा केंद्र सृजित करने की संभावना है जिससे ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी में वृद्धि की जा सकती है।

पिछले दो वर्षों में बैंकों द्वारा गांवों में अपना प्रौद्योगिकी संचालित दायरा बढ़ाने के लिए अनेक मॉडल उभरकर सामने आए हैं। उनमें से तकरीबन सभी कुछ निम्नलिखित आवश्यक बातों पर एकमत हैं; (i) बहु-उपयोगी स्मार्ट कार्ड धारक ग्राहक, जो एक संपर्क कार्ड या संपर्कहीन कार्ड हो सकता है, (ii) व्यवसाय प्रतिनिधि जिसके पास सिंप्यूटर / हाथ में रखने वाला टर्मिनल/मोबाइल फोन से उपलब्ध बैंकिंग सेवाएं हों, (iii) एक सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट हो, (iv) बैंक तथा (v) उपर्युक्त में से प्रत्येक प्रणाली के लिए एक केंद्रीकृत कार्ड प्रबंधन।

प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग मॉडल, व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं कम लागत तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सामान्य समाधानों का प्रयोग करते हुए प्रदान करने पर, आधारित है। इस मॉडल के आवश्यक घटक हैं: एक ऐसी केंद्रीय प्रणाली, जिसमें इकनॉमी ऑफ स्केल तथा उसके परिणामी लागत संबंधी लाभों को प्रदान करने के लिए साझी आधारभूत संरचना है तथा एक ऐसी फील्ड प्रणाली, जो व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा केंद्रीय कंप्यूटर तक पहुँच को सुगम बनाती है। हाथ में रखने वाले ऐसे कंप्यूटर उपकरणों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है जो फिक्स्ड लाइन कनेक्टिविटी तथा मोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए दूरस्थ सर्वरों से जुड़े होते हैं। अद्वितीय तरीके से ग्राहकों की पहचान करने के लिए तथा उन्हें वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए फिंगर प्रिंट विधि को व्यापक स्वीकृति मिल रही है। यह पाया गया है कि केवाईसी प्रयोजन से बायोमेट्रिक पहचान सर्वाधिक लोकप्रिय विधि के रूप में उभरकर सामने आ रही है। ग्राहकों द्वारा नकदी जमा तथा आहरण जैसे खातों में लेनदेन बैंक शाखा में गए बिना किया जा सकता है। ग्राहकों को लेनदेन के ब्यौरों की हार्डकॉपी जारी कर दी जाती है जो एक छोटे प्रिंटर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

बैंकिंग के विस्तार के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित मॉडल को मूलरूप से निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है :

- संभावित ग्राहक संबंधी सूचना व्यवसाय सहायकों द्वारा संगृहीत की जाती है तथा एक निर्धारित प्रारूप में बैंक को भेज दी जाती है अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि बैंक के लिए ग्राहक खाता को सूचीबद्ध करता है।
- बैंक केवाईसी संवीक्षा करते हैं तथा संबंधित सूचनाएं मिलने के बाद ग्राहक के लिए बचत बैंक खाता खोलने की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक ग्राहक के लिए प्राप्त सूचनाओं में उसका फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट तथा हस्ताक्षर (वैकल्पिक) शामिल है। यह सूचना स्मार्ट कार्ड पर उत्कीर्ण होती है।
- यह कार्ड ग्राहक को सौंपते समय व्यवसाय प्रतिनिधि कार्ड को फिंगरप्रिन्ट पहचान के द्वारा ग्राहक के लिए सक्रिय कर देता है। स्मार्ट कार्ड को सक्रिय करते समय बैंक खाते में उपलब्ध शेष स्मार्ट कार्ड पर दर्ज हो जाता है।
- कोई भी ग्राहक व्यवसाय प्रतिनिधि के टर्मिनल पर अपने स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसा निकाल और जमा कर सकता है। जब भी कोई लेनदेन किया जाता है तो एक प्रिंट-आउट ग्राहक को दे दिया जाता है। कार्डधारक का बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद ही लेनदेन किया जा सकता है।
- इस प्रकार का बैंकिंग लेनदेन शाखा के कारोबारी समय से मुक्त होता है और यदि व्यवसाय प्रतिनिधि कैप्चर डिवाइस के साथ उपलब्ध हो तो यह कभी भी किया जा सकता है।
- यदि ग्राहक को अदा करने के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि के पास अपेक्षित धन न हो तो उसे एक प्रिंटआउट दिया जाएगा जिसमें यह बताया गया होगा कि ग्राहक के पक्ष में कोई नकद उपलब्ध नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसर के माध्यम से यह सूचना बैंक को भेज दी जाएगी ताकि नकदी की तत्काल पूर्ति की जा सके। प्रसंगवश, यह व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहकों को सेवा प्रदान किये जाने से मना करने पर प्रतिबंधित करने के लिए एक नियंत्रण का भी काम करता है।
- व्यवसाय प्रतिनिधि के पास का टर्मिनल एक रिचार्जेबल बैटरी से संचालित होता है और वह बिजली की स्थायी आपूर्ति पर निर्भर नहीं होता।
- इससे जुड़ी एक और सुविधा यह हो सकती है कि ग्राहक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर इस स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल एक डेबिट कार्ड के रूप में भी कर सकता है।
- सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट ग्राम-स्तरीय टर्मिनलों तथा पहचान किए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बैंक के जोड़ता है।
- यह प्रौद्योगिकी संबंधित बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान को अक्षत रूप से जोड़ता है और तमाम प्रकार के जमा और ऋण खातों में सहायक होता है।

व्यवसाय प्रतिनिधि द्वारा हाथ में रखने वाले प्रत्येक मॉडल का प्रयोग 500 से 1000 खातों में सेवा प्रदान करने में किया जा सकता है ,यदि इस डिवाइस को उसकी कार्यकारी क्षमताओं एवं रेंज के संदर्भ में देखा जाए तो ,यह बहुत किफायती है। निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों द्वारा ऐसे मॉडलों को पहले ही अपनाया जा चुका है। वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति में बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय समावेशन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहल को तेजी से बढ़ाएं और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि वे समाधान अत्यंत सुरक्षित हों, लेखापरीक्षा के अनुकूल हों तथा व्यापक रूप से स्वीकृत खुले मानकों का अनुपालन करते हों ताकि विभिन्न प्रणालियों के बीच आसन्न अंतर-परिचालनात्मकता सुनिश्चित की जा सके।

लिया है, जबकि कोर बैंकिंग लागू करने की प्रक्रिया प्रगति पर है (सारणी III.45 तथा परिशिष्ट सारणी III.34)।

3.108 सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों में से 15 बैंकों ने अपनी शाखाओं को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर दिया है, जबकि 6 बैंकों ने अपनी 70 से 90 प्रतिशत शाखाओं को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। केवल चार बैंकों अर्थात पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया को अपनी आधी से अधिक शाखाओं को अभी पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करना है (सारणी III.46)।

3.109 बैंकों द्वारा स्थापित कुल एटीएम मार्च 2006 के अंत के 20,267 की तुलना में मार्च 2007 के अंत में 27,088 थे। विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम की संख्या

सारणी III.45: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

श्रेणी	2006	2007
1	2	3
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं (i+ii)	77.5	85.6
i) कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाएं	28.9	44.4
ii) पहले से ही पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं #	48.5	41.2
अंशतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं	18.2	13.4

: कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाओं से भिन्न।

उनकी शाखाओं की संख्या से तीन गुनी थी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (32.9 प्रतिशत) तथा निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों (34.9 प्रतिशत) के मामले में शाखाओं के मुकाबले एटीएम का अनुपात बहुत कम था (सारणी III.47)। सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (कार्पोरेशन बैंक तथा आइडीबीआइ लि.) के मामले में,उनके एटीएम की संख्या उनकी शाखाओं से अधिक थी। अलग-अलग बैंक के स्तर पर, निजी क्षेत्र के यस बैंक लि. को छोड़कर बाकी सभी नए बैंकों के संबंध में एटीएम की संख्या शाखाओं से अधिक रही। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में, एस बी आइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि. को छोड़कर सभी बैंकों के मामले में शाखाओं की तुलना में एटीएम का अनुपात 100 प्रतिशत से कम था। अधिकांश विदेशी बैंक शहरी एवं महानगरीय क्षेत्रों में अपनी सीमित शाखाओं के माध्यम से काम करते रहे। सामान्य तौर पर उनके द्वारा संचालित एटीएम की संख्या की शाखाओं की संख्या से काफी अधिक थी और सिटीबैंक के एटीएम की संख्या उनकी शाखाओं की संख्या से 10 गुना से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी III.35)।

3.110 मार्च 2007 के अंत तक देश में स्थापित सभी एटीएम में से निजी क्षेत्र के नए बैंकों के ऑफ-साइट एटीएम की संख्या सबसे

सारणी III.46: शाखाओं का कंप्यूटरीकरण - सरकारी क्षेत्र के बैंक
(मार्च के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

कंप्यूटरीकरण की मात्रा	2006	2007
1	2	3
कुछ नहीं	–	–
10 प्रतिशत तक	1	–
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	–	1
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	2	1
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	2	1
40 से ऊपर तथा 50 प्रतिशत तक	–	1
50 से ऊपर तथा 60 प्रतिशत तक	3	–
60 से ऊपर तथा 70 प्रतिशत तक	2	1
70 से ऊपर तथा 80 प्रतिशत तक	2	1
80 से ऊपर तथा 90 प्रतिशत तक	–	4
90 से ऊपर तथा 100 प्रतिशत से कम	5	2
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत	10	15
जोड़*	**27**	**27**

* : आइडीबीआइ को छोड़ कर।

अधिक थी जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऑन-साइट एटीएम की संख्या सबसे अधिक थी (चार्ट III.22)।

3.111 हाल के वर्षों में फुटकर एवं कार्ड आधारित दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के प्रयोग में इजाफा हुआ है जिससे प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए उपयोग का पता चलता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए लेनदेनों की संख्या पिछले वर्ष के 24.5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2006-07 के दौरान 32.9 प्रतिशत हो गई थी। मूल्य के अनुसार पिछले वर्ष के 34.6 प्रतिशत की तुलना में इस माध्यम से किए गए लेनदेनों में वृद्धि 61.0 प्रतिशत की ऊँचाई तक पहुँच गई (सारणी III.48)।

सारणी III.47: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम
(मार्च 2007 के अंत में)

बैंक समूह	बैंक शाखाओं की संख्या					एटीएम की संख्या प्रतिशत			कुल एटीएम शाखाओंके प्रतिशत के रूप में परोक्ष एटीएम	शाखाओं के प्रतिशत रूप में एटीएम
	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल	प्रत्यक्ष	परोक्ष	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i) राष्ट्रीयकृत बैंक	12,986	7,573	7,612	7,465	35,636	6,634	3,254	9,888	27.4	27.7
ii) स्टेट बैंक समूह	5,126	4,155	2,556	2,193	14,030	3,655	2,786	6,441	43.3	45.9
iii) निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	855	1,510	1,294	947	4,606	1,104	503	1,607	31.3	34.9
iv) निजी क्षेत्र के नए बैंक	130	554	824	989	2,497	3,154	5,038	8,192	61.5	328.1
v) विदेशी बैंक	–	2	44	227	273	249	711	960	74.1	351.6
जोड (i से v)	**19,097**	**13,794**	**12,330**	**11,821**	**57,042**	**12,796**	**12,292**	**27,088**	**42.3**	**47.5**

सारणी III.48: फुटकर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से लेन-देन

प्रकार	लेनदेनों की संख्या (000 में)			लेनदेनों में वृद्धि (प्रतिशत)		लेनदेनों का मूल्य (रुपए करोड में)			मूल्य में वृद्धि (प्रतिशत)	
	2004-05	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ईसीएस जमा	40,051	44,216	69,019	10.4	56.1	20,180	32,324	83,273	60.2	157.6
2. ईसीएस नामे	15,300	35,958	75,202	135.0	109.1	2,921	12,986	25,441	344.6	95.9
3. ईएफटी/ एनइएफटी	2,549	3,067	4,776	20.3	55.7	54,601	61,288	77,446	12.2	26.4
4. क्रेडिट कार्ड	1,29,472	15,6086	16,9536	20.6	8.6	25,686	33,886	41,361	31.9	22.1
5. डेबिट कार्ड	41,532	45686	60,177	10.0	31.7	5,361	5,897	8,172	10.0	38.6
कुल	**2,28,904**	**2,85,013**	**3,78,710**	**24.5**	**32.9**	**1,08,749**	**1,46,381**	**2,35,693**	**34.6**	**61.0**

चार्ट III.22: एटीएम-बैंक समूहवार अंश
(मार्च 2007 के अंत में)

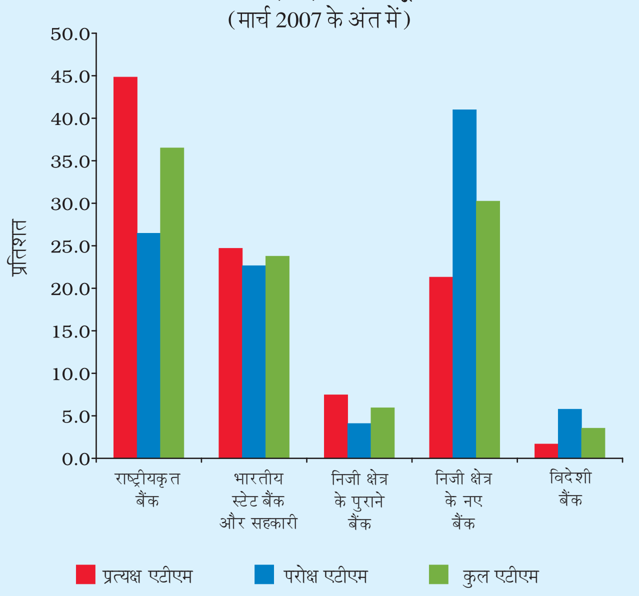

3.112 वर्ष 2006-07 के दौरान विशेष रूप से ईसीएस (क्रेडिट) तथा ईसीएस (डेबिट) में तीव्र वृद्धि हुई (चार्ट III.23)

3.113 बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों में आरटीजीएस, सरकारी प्रतिभूति समाशोधन तथा विदेशी मुद्रा समाशोधन शामिल हैं। आरटीजीएस प्रणाली तीन वर्षों से अधिक समय से प्रचलन में है और मार्च 2004 में इसे प्रचलन में लाए जाने के बाद यह निर्बाध रूप से काम कर रही है। वर्तमान में 100 प्रतिभागी (92 बैंक, सात प्राथमिक व्यापारी तथा रिजर्व बैंक) आरटीजीएस प्रणाली के सदस्य हैं। आरटीजीएस की पहुंच तथा उसका प्रयोग बढ़ रहा है जिसका श्रेय इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक / शाखा नेटवर्क कवरेज को जाता है (चार्ट III.24) ।वर्तमान में 32,768 शाखाएं आरटीजीएस सुविधा प्रदान कर रही हैं।

8. बैंकिंग का क्षेत्रीय प्रसार

3.114 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की शाखाओं की कुल संख्या जून 2006 के अंत के 69,801 की तुलना में बढ़कर जून 2007 के अंत में 71,781 हो गई। इनमें 30,633 ग्रामीण शाखाएं, 16310 अर्ध-शहरी शाखाएं तथा 24,838 शहरी एवं महानगरीय शाखाएं शामिल हैं। ग्रामीण शाखाओं की संख्या पिछले वर्ष के 43.7 प्रतिशत से और गिरकर वर्ष 2006-07 के

चार्ट III.23: इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन

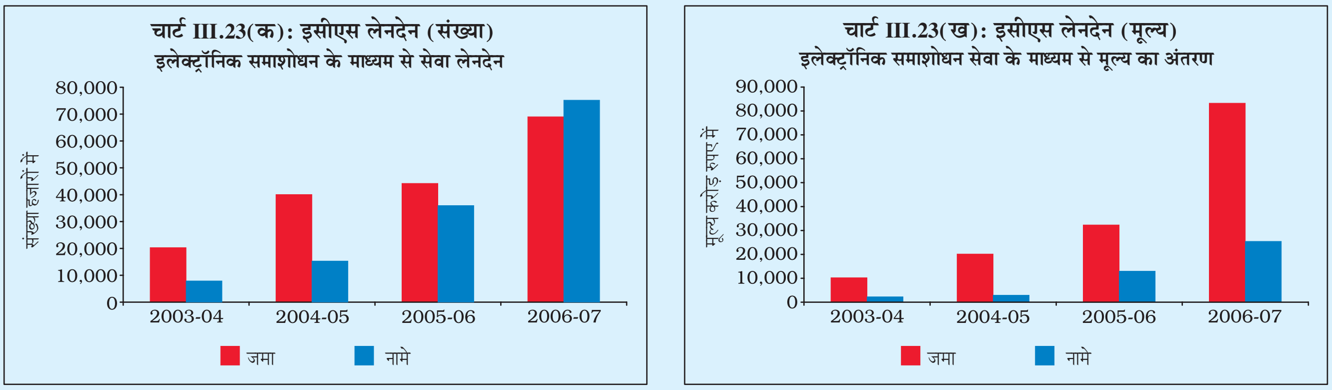

चार्ट III.24: आरटीजीएस में प्रगति

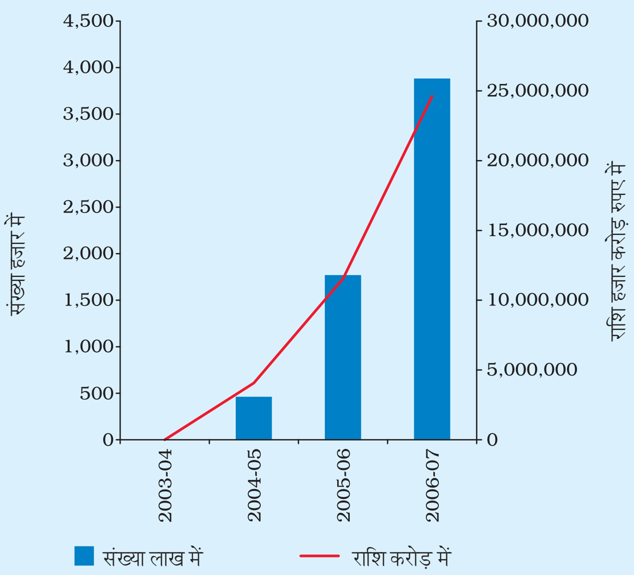

चार्ट III.25:अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का बैंक समूहवार वितरण

(जून 2007 के अंत में)

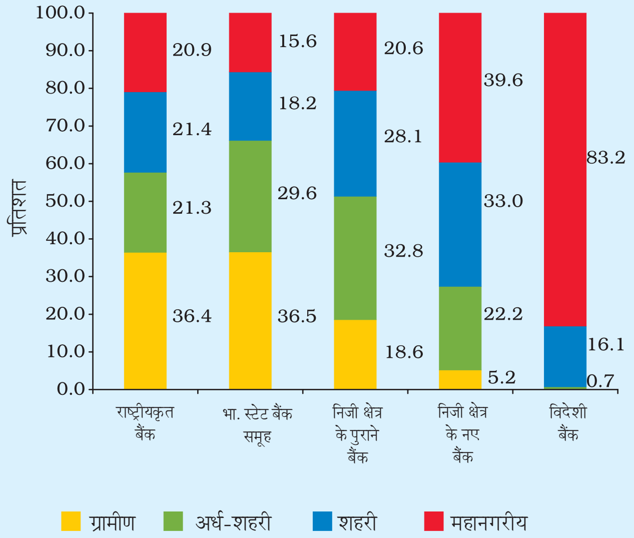

दौरान 42.7 प्रतिशत रह गई जबकि अन्य सभी जनसंख्या समूहों का अंश बढ़ा है। सभी बैंक समूहों की कुल संख्या की तकरीबन आधी शाखाओं का परिचालन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (20.2 प्रतिशत) तथा भारतीय स्टेट बैंक समूह (19.6 प्रतिशत) द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा संचालित शाखाओं की हिस्सेदारी जून 2006 के अंत के 2.9 प्रतिशत से बढ़कर जून 2007 के अंत में 3.8 प्रतिशत हो गई। सभी जनसंख्या समूहों के बीच निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों की शाखाओं की संख्या में गिरावट हुई है। विदेशी बैंकों की शाखाएं ज्यादातर शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों में केंद्रित हैं तथा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति नगण्य है (चार्ट III.25 तथा परिशिष्ट सारणी III.36)।

3.115 जमाराशि की मात्रा के अनुसार क्रमबद्ध किए गए शीर्षस्थ सौ केंद्रों की जमाराशि कुल जमाराशि का 68.9 प्रतिशत थी जबकि बैंक ऋण के अनुसार क्रमबद्ध किए गए शीर्षस्थ सौ केंद्रों का बैंक ऋण मार्च 2007 के अंत तक कुल बैंक ऋण का 77.4 प्रतिशत था। हाल ही के वर्षों में कुल जमाराशि तथा कुल बैंक ऋण में शीर्षस्थ सौ केंद्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है (सारणी III.49)।

3.116 दक्षिणी क्षेत्र में मौजूदा बैंक शाखाओं का सर्वाधिक प्रतिशत बना रहा जिसके बाद मध्य, पूर्वी, उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों का स्थान था (चार्ट III.26)। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की हिस्सेदारी जून 2007 के अंत तक 2.7 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनी रही।जुलाई 2006 से जून 2007 के दौरान अधिकांश नई शाखाएं दक्षिणी (666 या 28.2 प्रतिशत) तथा उत्तरी (446 या 18.9 प्रतिशत) क्षेत्रों में खोली गई थीं। विभिन्न क्षेत्रों में एकल शाखा वाले बैंक द्वारा सेवा प्राप्त करने वाली औसत आबादी कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर ही बनी रही (परिशिष्ट सारणी III.37)।

3.117 अखिल - भारतीय ऋण-जमा अनुपात (सी-डी अनुपात) (मंजूरी के अनुसार) मार्च 2006 के अंत के 72.4 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 75.0 प्रतिशत हो गया। दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों का ऋण-जमा अनुपात तथा निवेश और ऋण-जमा अनुपात अखिल भारतीय स्तर से ऊँचा बना रहा (चार्ट III.27)। जहां ज्यादातर राज्यों में ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि अखिल भारतीय ढर्रे पर हुई, वहीं मेघालय, बिहार, उड़ीसा, अंदमान तथा निकाबार द्वीपसमूहों, महाराष्ट्र, दादरा तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी जैसे कुछ राज्यों के ऋण-जमा अनुपात में मध्यम से तीव्र गिरावट देखी गई (परिशिष्ट सारिणी III.39)। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा चंडीगढ़ सहित छः राज्यों / संघ

सारणी III.49: कुल जमाराशियों में तथा समग्र बैंक ऋण में शीर्ष के सौ केंद्रों का हिस्सा

(प्रतिशत)

मार्च के अंत म	जमाराशियां		क्रेडिट	
	कार्यालय	राशि	कार्यालय	राशि
1	2	3	4	5
2000	21.9	59.0	21.5	74.7
2001	22.3	58.9	21.9	75.3
2002	22.5	59.1	22.1	77.0
2003	22.7	61.0	22.4	75.9
2004	23.1	63.6	22.9	75.5
2005	23.8	65.3	23.7	75.9
2006	24.2	67.0	24.0	76.5
2007	24.9	68.9	24.8	77.4

स्रोत : मूल सांख्यिकी विवरणी - 7

चार्ट III.26: बैंक शाखाओं का क्षेत्रीय वितरण

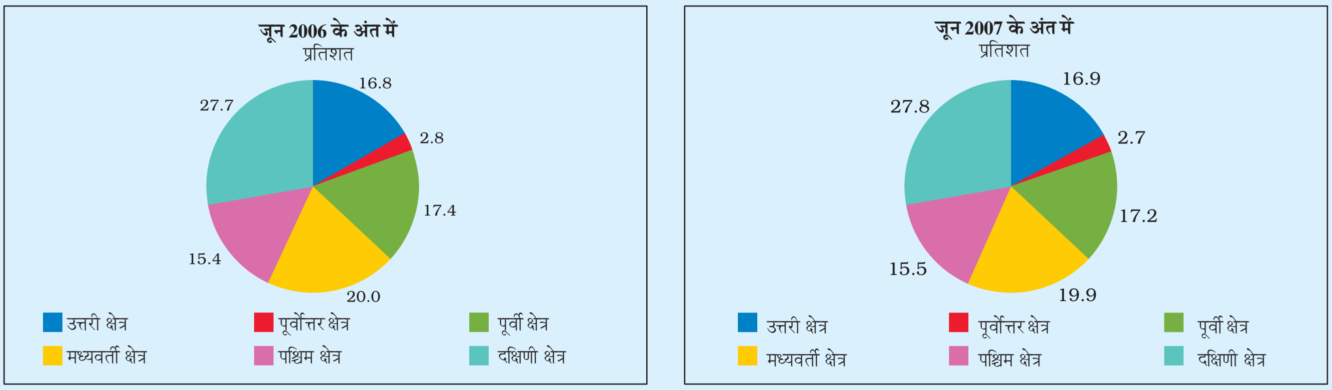

शासित प्रदेशों का मंजूरी के अनुसार मार्च 2007 के अंत में ऋण-जमा अनुपात अखिल भारतीय स्तर से अधिक था।

3.118 ऋण-जमा अनुपात (सी -डी आर) का व्यापक प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में ऋण अवशोषण के सूचक के रूप में किया गया है। हाल ही के वर्षों में क्षेत्र/राज्यवार ऋण-जमा अनुपात में व्यापक घट-बढ़ परिलक्षित हुआ है (बॉक्स III.14)। पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने तथा विभिन्न राज्यों / क्षेत्रों के बीच ऋण-जमा अनुपात में व्यापक असमानता को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं में अलग-अलग 60 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात हासिल करें। नब्बे के दशक के प्रारंभ में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल तथा पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश में, जहां ऋण-जमा अनुपात में गिरावट आ रही है वहां उसमें सुधार लाने के उपाय करने के लिए कार्यदल गठित किए गए थे। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ऋण-जमा अनुपात में सुधार करने तथा वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करने और वित्तीय समावेशन का ऊँचा स्तर हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में राज्य विशेष की निगरानी योग्य एक समुचित कार्य योजना तैयार करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक समिति (अध्यक्ष : श्रीमती ऊषा थोरात) भी गठित की गई थी। इसके अलावा जिन राज्यों में ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत से कम है वहां इसमें सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह (अध्यक्ष : श्री वाई.एस.पी. थोरात) का गठन किया गया था।

चार्ट III.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का क्षेत्रवार ऋण-जमा अनुपात तथा निवेश और ऋण-जमा अनुपात

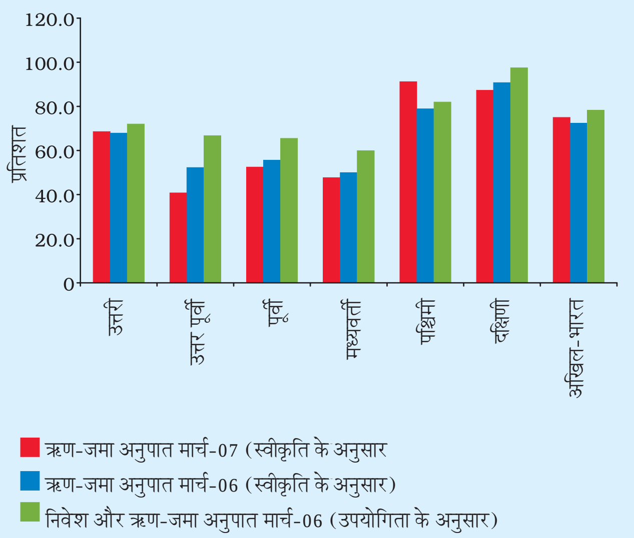

भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

3.119 अक्तूबर 2007 के अंत में भारत में 29 विदेशी बैंक काम कर रहे थे जिनकी 273 शाखाएं थीं (सारणी III.50)। ये बैंक 19 देशों के हैं। इसके अलावा, भारत में 34 विदेशी बैंक अपने प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से काम करते रहे। जुलाई 2006 से जून 2007 के दौरान सात मौजूदा विदेशी बैंकों को भारत में अपनी 20 शाखाएं तथा7 सात विदेशी बैंकों को प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का अनुमादेन दिया गया।

3.120 जुलाई 2006 से अक्तूबर 2007 के दौरान छः विदेशी बैंकों अर्थात, एबीएन एमरो बैंक, बर्कलेज बैंक, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन, शिन्हन बैंक, डयूश बैंक एजी तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कुल 13 शाखाएं खोलीं। इसके अलावा, चार विदेशी बैंकों अर्थात, बैंको बिल्बाओ विज्काया अर्जेंटैरिया (बीबीवीए), बैंका डि रोमा, डेप्फा बैंक पीएलसी; तथा नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक लि. ने इस अवधि के दौरान मुंबई में चार प्रतिनिधि कार्यालय खोले। बीएनपी पारिबस द्वारा बैंका नेशनेल डेल लावोरो (बीएनएल) के विश्वस्तरीय अधिग्रहण के परिणामस्वरूप बीएनएल ने नई दिल्ली एवं चेन्नै स्थित अपने उप-कार्यालयों और मुंबई स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय को मार्च 2007 में बंद कर दिया।

बॉक्स III.4: ऋण-जमा अनुपात में क्षेत्र/राज्यवार प्रवृत्तियां

ऋण-जमा अनुपात (मंजूरी के अनुसार) के क्षेत्रवार विश्लेषण से यह पता चला है कि वर्ष 1997-2007 के दौरान यह अनुपात उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सबसे कम और उसके बाद मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों का स्थान था। दूसरी तरफ, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में ऋण -जमा अनुपात अखिल भारतीय स्तर से लगातार ऊंचा बना रहा। उत्तरी क्षेत्र में ऋण-जमा अनुपात अखिल भारतीय स्तर के आसपास सीमित दायरे में ऊपर-नीचे होता रहा। वर्ष 1997-2003 के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र का ऋण-जमा अनुपात मार्च 1997 के 31.2 प्रतिशत के स्तर से लगभग लगातार गिरावट के बाद मार्च 2003 में 26.8 प्रतिशत रह गया था। यही प्रवृत्ति मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में भी देखी गई (चार्ट 1)।

चार्ट 1: 1997 से 2007 के दौरान क्षेत्रवार सी-डी अनुपात
(मंजूरी के अनुसार)

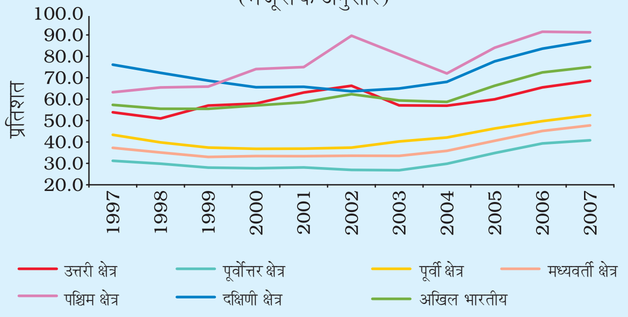

वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात (मंजूरी के अनुसार) के क्षेत्रवार विश्लेषण से यह पता चलता है कि वर्ष 1998-2007 के दौरान जहां यह अनुपात उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सबसे कम था, वहीं इन वर्षों में ज्यादातर समय पश्चिम क्षेत्र में यह अनुपात सबसे अधिक था। उत्तर-पूर्व, मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात में वर्ष 2005 तक वृद्धि का दौर चलता रहा लेकिन इसके बाद उसमें गिरावट देखी गई (चार्ट 2)।

मंजूरी के अनुसार ऋण-जमा अनुपात (सीडीआरएस) तथा उपयोगिता के अनुसार ऋण-जमा अनुपात (सीडीआरयू) के बीच अंतर किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवल ऋण प्रवाह को प्रदर्शित करता है (धनात्मक अंतर ऋण के बाह्य प्रवाह का तथा ऋणात्मक अंतर ऋण के आंतरिक प्रवाह का द्योतक है)। ऋण के स्थानांतरण को इस संदर्भ में देखने की जरूरत है कि बड़े उधारकर्ताओं के कार्पोरेट कार्यालय एवं बड़े उधारकर्ताओं के साथ लेनदेन करने वाली बैंक शाखाएं चुनिंदा प्रमुख वित्तीय केंद्रों पर स्थित हैं, जबकि उधार ली गई निधि का उपयोग जिन औद्योगिक इकाइयों और परियोजनाओं के लिए किया जाता है वे अन्यत्र स्थित होती हैं। वर्ष 1999-2006 के दौरान ऋण-जमा अनुपात के अंतर (अर्थात सीडीआरएस -सीडीआरयू) से यह प्रदर्शित होता है कि ऋण के उपयोग के हिसाब से पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के लिए निधियों का प्रदाता रहा जिससे ऋण-जमा अनुपात का अंतर मार्च 1999 के 0.9 प्रतिशत अंक से बढ़कर मार्च 2006 में 13.1 प्रतिशत अंक हो गया। यह पूरी तरह महाराष्ट्र के कारण हुआ (सीडीआरएस का स्तर सीडीआरयू से ऊँचा रहा)। वर्ष 2002 तथा 2003 के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ऋण-जमा अनुपात का अंतर क्रमशः - 26.0 प्रतिशत अंक तथा - 20.7 प्रतिशत अंक था। उत्तरी क्षेत्र की स्थिति जहां वर्ष 2003 तक उपयोगिता के अनुसार ऋण का उछाल महसूस किया गया था वहां उसके बाद 2004 से निवल निधि अंतर्प्रवाह के साथ स्थिति विपरीत हो गई। तदनुसार, मार्च 2006 में सीडीआरयू मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा के कारण सीडीआरएस से 3.2 प्रतिशत अंक अधिक था (चार्ट 3)।

ऋण-जमा अनुपात (मंजूरी के अनुसार) के राज्यवार विश्लेषण से भी व्यापक घट-बढ़ का पता चलता है। उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में हिमाचल प्रदेश में ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक कम दर्ज किया गया जो वर्ष 2003 तक 25 प्रतिशत से कम था, हालांकि बाद में बढ़कर यह मार्च 2007 में 41.5 प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ, चंडीगढ़ और दिल्ली का ऋण-जमा अनुपात बहुत अधिक था। वर्ष 2002-04 के दौरान चंडीगढ़ में यह अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड में ऋण-जमा अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया। हाल के वर्षों में कुछ वृद्धि होने के बावजूद मार्च 2007 में मणिपुर और त्रिपुरा का ऋण-जमा अनुपात मार्च 1997 के अनुपात से कम था। असम का ऋण-जमा अनुपात मार्च 1997 के 35.2 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2003 में 28.6 प्रतिशत रह गया, लेकिन मार्च 2007 तक सुधरकर 43.3 प्रतिशत हो गया। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में सिक्किम का ऋण-जमा अनुपात सबसे कम पाया गया। पश्चिम बंगाल का ऋण जमा अनुपात, जो वर्ष 2004 तक 50 प्रतिशत से कम रहा, मार्च 2007 तक बढ़कर 62.6 प्रतिशत हो गया। मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड में ऋण-जमा अनुपात सबसे कम था। हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ के ऋण-जमा अनुपात में सुधार हुआ है और वह मार्च 2007 में 53.0 प्रतिशत था। पश्चिमी क्षेत्र में गोवा में यह अनुपात न्यूनतम दर्ज किया गया। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र का ऋण-जमा अनुपात उच्चतम रहा जिसके बाद काफी अंतर से गुजरात का स्थान रहा। दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में तमिलनाडु का ऋण-जमा अनुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया जिसके बाद आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक रहे जबकि केरल में ऋण जमा अनुपात सबसे कम (मार्च 2004 तक 50 प्रतिशत से कम था, मार्च 2007 में 63.6 प्रतिशत) था।

चार्ट 2: 1998 से 2007 के दौरान क्षेत्रवार सी-डी अनुपात
(मंजूरी के अनुसार)

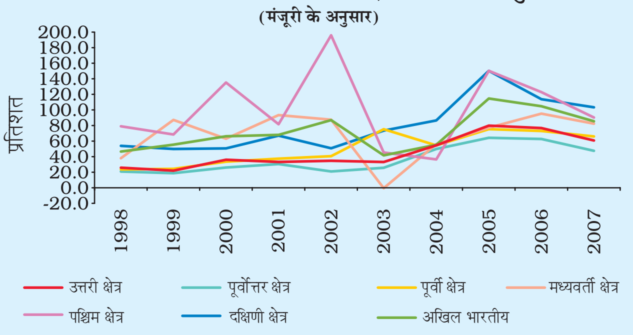

चार्ट 3: 1999-2006 के दौरान मंजूरी तथा उपभोग के अनुसार सी-डी अनुपात में क्षेत्रवार अंतर

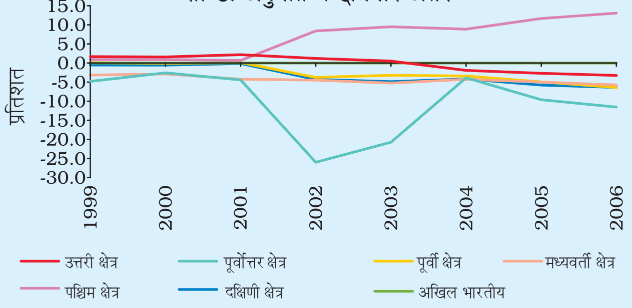

सारणी III.50: भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की देशवार सूची

(अक्तूबर 2007 के अंत में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	निगमित देश	भारत में शाखाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	नीदरलैंड	28
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	यूएई	2
3.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	बांग्लादेश	1
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	यूएसए	7
5.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	बेल्जियम	1
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	1
7.	बैंक ऑफ अमरीका	यूएसए	5
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	बहरीन	2
9.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	कनाडा	5
10.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	जापान	3
11.	बीएनपी परिबास	फ्रांस	8
12.	बैंक ऑफ सिलोन	श्रीलंका	1
13.	बरकलेज बैंक पीएलसी	यूके	4
14.	काल्यन बैंक	फ्रांस	5
15.	सिटी बैंक एन ए	यूएसए	39
16.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	ताईवान	1
17.	ड्यूश बैंक	जर्मनी	11
18.	डीबीएस बैंक लि.	सिंगापुर	2
19.	एचएसबीसी	हांगकांग	47
20.	जेपी मोर्गन चेस बैंक एन. ए	यूएसए	1
21.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	थाईलैंड	1
22.	मिजुहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	जापान	2
23.	मशरेक बैंक पीएससी	यूएई	2
24.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	सुल्तान ऑफ ओमान	2
25.	शिनहन बैंक	साउथ कोरिया	2
26.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	यूके	83
27.	सोनाली बैंक	बांग्लादेश	2
28.	सोसाइटे जनरेल	फ्रांस	2
29.	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस	मॉरिशस	3
	कुल		**273**

विदेश में भारतीय बैंकों का परिचालन

3.121 इस अवधि में भारतीय बैंकों का विदेशों में तेजी से विस्तार का क्रम जारी रहा। वर्ष 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के नौ बैंकों तथा निजी क्षेत्र के दो नए बैंकों ने मुख्यतः एशिया तथा मध्य-पूर्व देशों में दस शाखाएं, दो अनुषंगी कार्यालय, छः प्रतिनिधि कार्यालय और एक संयुक्त उद्यम इकाई खोली।

3.122 सोलह भारतीय बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के 11 तथा निजी क्षेत्र के 5 बैंक) ने अक्तूबर 2007 के अंत में विदेशों में 192 कार्यालयों (125 शाखाएं, 39 प्रतिनिधि कार्यालय, 7 संयुक्त उद्यम तथा 21 अनुषंगी कंपनियां) के नेटवर्क के माध्यम से काम किया (सारणी III.51)। विदेशों में बैंक ऑफ बड़ौदा की उपस्थिति (20 देशों में 43 शाखाएं, आठ अनुषंगी, 4 प्रतिनिधि कार्यालय और एक संयुक्त उद्यम बैंक) सबसे अधिक थी, जिसके बाद क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक (29 देशों में 33 शाखाएं, 6 अनुषंगी, 7 प्रतिनिधि कार्यालय तथा 4 संयुक्त उद्यम बैंक) और बैंक ऑफ इंडिया (14 देशों में 22 शाखाएं, दो अनुषंगी, तीन प्रतिनिधि कार्यालय तथा एक संयुक्त उद्यम बैंक) का स्थान रहा।

3.123 जुलाई 2006 से अक्तूबर 2007 के दौरान कोई नई ओवरसीज बैंकिंग यूनिट नहीं खोली गई। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक तथा कैनरा बैंक जैसे छः बैंकों की 7 ओवरसीज बैंकिंग इकाइयां सीप्ज (मुंबई), नोएडा तथा कोच्चि जैसे तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से काम करती रहीं।

सारणी III.51: भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

(वास्तविक रूप से परिचालनात्मक)

बैंक का नाम	शाखा		अनुषंगी		प्रतिनिधि-कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		कुल	
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. सरकारी क्षेत्र के बैंक	**106**	**116**	**15**	**19**	**24**	**26**	**6**	**7**	**151**	**168**
1. इलाहाबाद बैंक	–	1	–	–	1	1	–	–	1	2
2. आंध्र बैंक	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
3. बैंक ऑफ बड़ौदा	40	43	7	8	3	4	1	1	51	56
4. बैंक ऑफ इंडिया	20	22	1	2	4	3	1	1	26	28
5. भारत ओवरसीज बैंक	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
6. केनरा बैंक	1	2	1	1	1	1	–	–	3	4
7. इंडियन बैंक	3	3	–	–	–	–	–	–	3	3
8. इंडियन ओवरसीज बैंक	5	6	1	1	2	2	–	–	8	9
9. पंजाब नैशनल बैंक	1	1	–	1	4	4	1	1	6	7
10. भारतीय स्टेट बैंक	30	33	5	6	7	7	3	4	45	50
11. सिंडिकेट बैंक	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
12. यूको बैंक	4	4	–	–	1	2	–	–	5	6
13. यूनियन बैंक	उ.न.	–	उ.न.	–	उ.न.	1	उ.न.	–	उ.न.	1
II. निजी क्षेत्र के नए बैंक	**6**	**9**	**4**	**3**	**10**	**13**	**1**	**–**	**21**	**25**
14. एक्सिस बैंक	1	3	–	–	–	1	–	–	1	4
15. सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1
16. एचडीएफसी बैंक लि.	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
17. आइसीआइसीआइ बैंक लि.	5	6	3	3	7	8	–	–	15	17
18. इंडसइंड बैंक लि.	–	–	–	–	2	2	–	–	2	2
कुल	**112**	**125**	**19**	**22**	**34**	**39**	**7**	**7**	**172**	**193**

– : कुछ नहीं/नगण्य.   उ.नं. - उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : 2005-06 के आंकड़े सितंबर के अंत से संबंधित हैं जबकि 2006-07 के आंकड़े अगस्त 2007 के अंत से संबंधित हैं।

9. ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेश

3.124 उचित कीमत पर ग्राहक सेवा में सुधार करने के उद्देश्य से हाल ही के वर्षों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के बीच ग्राहक सुरक्षा तथा प्रकटन को बढ़ाना, आचार संहिता, शिकायत निवारण शामिल हैं। इसी के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग की पहुँच जनसंख्या के बड़े हिस्सों तक ले जाने की दिशा में भी संगठित प्रयास कर रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के प्रयोजन से अपने दिशानिर्देशों को बेहतर रूप से सुव्यवस्थित किया है।

3.125 विभिन्न बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में 01 जुलाई 2006 से 30 जून 2007 तक उनके कार्यक्षेत्रों में स्थित वाणिज्य बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को एकत्र किया गया है और उन्हें जमा लेखा, विप्रेषण, क्रेडिट कार्ड, ऋण/अग्रिम (सामान्य एवं आवास ऋण), पूर्व सूचना के बिना प्रभार, पेंशन, दी गई वचनबद्धताओं को पूरा न किया जाना, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए), नोट एवं सिक्के तथा अन्य जैसे दस व्यापक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के संबंध में अधिकतम शिकायतें जमा लेखा से जुड़ी थीं वहीं निजी क्षेत्र के नए बैंकों तथा विदेशी बैंकों से संबंधित सर्वाधिक शिकायतें क्रेडिट कार्ड को लेकर थीं। इसके बाद सबसे अधिक शिकायतें ऋण तथा अग्रिम (सामान्य) तथा पूर्व सूचना के बिना प्रभारों से संबंधित थीं। काफी शिकायतें पेंशन (विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) तथा डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों (विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नए बैंक) से भी संबंधित थीं (सारणी III.52 तथा परिशिष्ट सारणी III.39)।

3.126 अगर क्षेत्रवार देखें तो मुंबई स्थित बैंकिंग लोकपाल कार्यालय को सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हुई (5,525), जिससे थोड़ा कम नई दिल्ली (5,481) तथा कानपुर (4,321) स्थित बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को प्राप्त हुईं। सबसे कम शिकायतें गुवाहाटी

सारणी III.52: बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त बैंकसमूहवार शिकायतें

शिकायतों का स्वरुप	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (3+6+9)	सरकारी क्षेत्र के बैंक (4+5)	राष्ट्रीकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र बैंक (7+8)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल प्राप्त शिकायतें (1 to 10)	**34,499**	**21,660**	**10,543**	**11,117**	**9,036**	**825**	**8,211**	**3,803**
1) जमा खाता	5,578	3,664	2,126	1,538	1,591	182	1,409	323
2) प्रेषण	3,919	2,918	1,408	1,510	813	94	719	188
3) क्रेडिट कार्ड	7,669	3,265	611	2,654	2,217	54	2,163	2,187
4) ऋण / अग्रिम (क+ख)								
क) सामान्य	4,169	2,842	1,621	1,221	1,046	159	887	281
ख) आवास ऋण	649	366	205	161	233	13	220	50
5) बिना पूर्व सूचना के प्रभार	2,527	1,434	662	772	915	47	868	178
6) पेंशन	1,056	1,039	523	516	14	6	8	3
7) की गयी वचनबद्धता न निभाना	1,402	1,006	567	439	314	41	273	82
8) प्रत्यक्ष बेचनेवाले एजेंट	1,026	628	330	298	357	40	317	41
9) नोट और सिक्के	126	104	69	35	20	2	18	2
10) अन्य	6,378	4,394	2,421	1,973	1,516	187	1,329	468

(170) तथा भुवनेश्वर (689) कार्यालयों को प्राप्त हुईं। अन्य सभी कार्यालयों द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या 1,000 तथा 3,000 के बीच रहीं (सारणी III.53)।

3.127 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2004 से वित्तीय समावेशन की दिशा में संगठित प्रयास किया है। तदनुसार, बैंकिंग सेवाएं जनसंख्या के बड़े हिस्सों तक पहुँचाने के लिए नवंबर 2005 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एक मूल ठनो-फ्रिल्सड खाता उपलब्ध कराएं जिसमें न्यूनतम या शून्य शेष तथा प्रभार हो। इसके अनुपालन में तमाम बैंकों ने 'नो-फ्रिल्सट खातों को शुरू कर दिया है। मार्च 2006 के अंत से मार्च 2007 के अंत तक लगभग 60 लाख नए 'नो-फ्रिल्सट खाते खोले गए। ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपने व्यापक शाखा नेटवर्क की बदौलत इन नए 'नो-फ्रिल्स' खातों में अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का था। ये बैंक वित्तीय समावेशन को तीव्र प्रतिस्पर्धा के माहौल में ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय के भारी अवसर के नजरिए से देख रहे हैं।

सारणी III.53: 2006-07 के दौरान बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त क्षेत्र-वार शिकायतें

क्रम सं.	कार्यालय	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	2,107
2.	बेंगलूर	2,406
3.	भोपाल	2,731
4.	भुबनेश्वर	689
5.	चण्डीगढ़	2,006
6.	चेन्नै	2,387
7.	गुवाहाटी	170
8.	हैदराबाद	2,767
9.	जयपुर	2,976
10.	कानपुर	4,321
11.	कोलकाता	2,011
12.	मुंबई	5,525
13.	नई दिल्ली	5,481
14.	पटना	1,481
15.	तिरुवनंतपुरम	1,580
	कुल	**38,638**

10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.128 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऐसी संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया था जिसमें सहकारी संस्थाओं का स्थानीय स्पर्श, आपसदारी तथा वाणिज्यक बैंकों की व्यावसायिक संगठनात्मक क्षमता का मिश्रण हो। भारत में कृषि तथा ग्रामीण ऋण के प्रति बहु-एजेंसी दृष्टिकोण से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक विशेष स्थान है। स्थानीय संस्था होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। कृषि तथा ग्रामीण ऋण प्रदान करने में बहु एजेंसी दृष्टिकोण से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वाणिज्य बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तदनुसार, तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को दो गुना करने के लिए जून 2004 में भारत सरकार द्वारा घोषित नीतिगत पैकेज में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्षमता और कार्यप्रणाली में सुधार करने तथा इसके जरिए उन्हें अपना मुख्य लक्ष्य पूरा करने के प्रति समर्थ बनाने के लिए सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे में बदलाव किया। नए

क्षेत्रों में उनके व्यवसाय को बहुआयामी बनाने के लिए रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा कई नीतिगत पहल किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नए निदेश देने के लिए सरकार ने 25 जनवरी 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा थी। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपनी जमाराशि आधार और ऋण-जमा अनुपात का स्तर 56 प्रतिशत से ऊपर उठाएं। इसके लिए उन्हें प्राथमिकता प्राप्त तथा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दोनों की उभरती हुई संभावना का उपयोग करना चाहिए (अध्याय II)। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने तथा उन्हें विशेषतः वित्तीय रूप से सशक्त एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने ऋणात्मक निवल मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूंजीकरण पर विचार किया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन

3.129 कृषि तथा संबद्ध कार्यों को ऋण प्रवाह पर बनी सलाहकार समिति (अध्यक्ष : प्रो. वी.एस. व्यास) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालनात्मक सक्षमता में सुधार करने तथा बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ढांचा फिर से तैयार करने की सिफारिश की। इसी क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच-पड़ताल करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया। भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण प्रदान करने के एक प्रभावी उपकरण के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति पुनः निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकारों, तथा प्रायोजक बैंकों से विचार-विमर्श के बाद सितंबर 2005 में राज्य स्तरीय प्रायोजक बैंकवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की दिशा में पहल की थी ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में व्याप्त कमियों को दूर करके उन्हें सक्षम और लाभप्रद इकाइयां बनाया जा सके। 12 सितंबर 2005 से भारत सरकार द्वारा 17 राज्यों में 19 बैंकों द्वारा प्रायोजित 147 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 46 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समामेलन करने के पश्चात, 31 अगस्त 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 196 से घटकर 95 हो गई।

3.130 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार 45 समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सीमा में आने वाले कुल जिलों की संख्या 357 थी। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सीमा में 2 से 25 जिले रहे। 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या 10,563 थी। इन समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा नेटवर्क काफी बड़ा था जिसमें शाखाएं 50 से 677 तक थीं।

3.131 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचागत समेकन के फलस्वरूप नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निर्माण हुआ है जो व्यावसायिक मात्रा तथा विस्तार के अनुसार वित्तीय रूप से सशक्त तथा स्वरूप की दृष्टि से बड़े हैं जिससे वे बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाते हुए अपनी परिचालनात्मक लागत कम कर सकते हैं। अपने स्थानीय स्पर्श और परिचय का लाभ उठाते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण विकास तथा वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हासिल करने के लिहाज से बेहतर स्थिति में हैं।

3.132 केंद्रीय बजट 2007-08 में यह घोषित किया गया था कि ऋणात्मक निवल मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चरणबद्ध तरीके से पुनःपूंजीकृत किया जाएगा। चयनित प्रायोजक बैंकों तथा नाबार्ड के साथ विचार-विमर्श करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनःपूंजीकृत करने के तौर-तरीके बनाए जा रहे है।

3.133 भारत सरकार ने 17 मई 2007 को जारी एक अधिसूचना में 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' को सरफेसाई एक्ट, 2002 के प्रयोजन के लिए एक, बैंक के रूप में माना है।

3.134 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाने के लिए रिज़र्व बैंक उन्हें मजबूत करने तथा उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए समय-समय पर उपाय करता रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भागीदार के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका निर्धारित करने में प्रायोजक बैंकों की निर्णायक भूमिका पर विचार करते हुए तथा प्रायोजक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच सहक्रिया (सिनर्जी) को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने सभी प्रायोजक बैंकों को सूचित किया था कि वे अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मानव संसाधन (एच आर), सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) तथा परिचालन से जुड़े मुद्दों पर कदम उठाएं।

परिचालनात्मक सक्षमता में सुधार के उपाय

3.135 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने तथा निर्णय लेने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडल को और शक्तियां तथा लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2006 में परिचालनात्मक सक्षमता के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों के सशक्तीकरण पर एक कार्यबल का गठन किया था (अध्यक्ष : डॉ. के.जी. कर्माकर)। इस कार्यबल का गठन ऐसे क्षेत्रों पर विचार करने और सुझाव देने के लिए किया गया था जहां निदेशक मंडलों को विशेष रूप से निवेश, व्यवसाय विकास तथा कर्मचारियों जैसे कर्मचारी संख्या का निर्धारण, नई भर्ती, पदोन्नति आदि के मामलों में और स्वायत्तता दी जा सके। इस कार्यबल ने 31 जनवरी 2007 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालनात्मक लचीलेपन के संबंध में अनेक सिफारिशें (बॉक्स III.5) की थीं। कार्यबल की कुछ सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं और शेष विचाराधीन हैं।

बॉक्स III.5: परिचालनात्मक सक्षमता के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों के सशक्तीकरण संबंधी कार्यबल

परिचालनात्मक सक्षमता के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों के सशक्तीकरण पर बने कार्यबल (अध्यक्ष : डॉ. के.जी. कर्माकर) ने जनवरी 2007 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

- समामेलन के बाद बड़े आकार वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में चयनित आधार पर उनके निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या बढ़ाकर 15 की जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष का चयन अर्हता प्राप्त अधिकारियों के पैनल से गुणवत्ता के आधार पर किया जाए।
- निदेशक मंडल के सदस्यों का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष तथा अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का हो।
- नामित निदेशकों की कार्यावधि प्रत्येक दो वर्ष की दो अवधियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडल में ग़ैर-आधिकारिक निदेशकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज तथा नामित निदेशकों के रूप में उनके उत्तरदायित्वों के प्रति अभिमुख करने की जरूरत है।
- समामेलन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूंजी पर्याप्तता के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुरक्षाओं तथा विनियामक मानदंडों के उसी स्तर को पूरा करना होगा जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निम्नलिखित समितियां होनी चाहिए (i) जोखिम प्रबंधन समिति (ii) प्रबंधन समिति (iii) निवेश, मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी समिति तथा (iv) लेखा-परीक्षा समिति।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष को रिज़र्व बैंक द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति (ई सी) के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया जाना चाहिए।
- शाखाओं के वर्गीकरण, कर्मचारियों से संबंधित मानदंड तथा पदोन्नति नीति तथा अन्य मानव संसाधन से जुड़े मामलों से संबंधित विषयों का अध्ययन इस प्रयोजन से रिज़र्व बैंक / भारत सरकार द्वारा गठित समिति / कार्यबल द्वारा गहराई से किया जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कार्ययोजना बनाकर शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में परिचालन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आइ एस) के प्रमुख क्षेत्रों में अगले 3 वर्षों में कंप्यूटरीकरण का काम शुरू करना चाहिए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंक के साथ अन्य बातों के साथ एनआरई / एफसीएनआर (बी) / एफसीआरए, जमा प्रमाणपत्रों के मामलों में भी काम करने की अनुमति दी जाए और उन्हें अपना धन किसी बैंक में सावधि जमा के रूप में रखने की स्वतंत्रता दी जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) के साथ कंसोर्टियम वित्त में शामिल हो सकते हैं।
- सरफेसाई एक्ट, 2002 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू हो।
- आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के अंतर्गत किए गए उपबंध आगे 5 वर्ष तक या पुनर्विन्यास प्रक्रिया पूरी होने तक, इनमें से जो पहले हो, जारी रखे जाएं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

3.136 नीतिगत उपायों तथा व्यवसाय के बदलते परिवेश के फलस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका तथा वित्तीय कार्य निष्पादन विकसित हो रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकित तुलन पत्र में वर्ष 2005-06 के दौरान 15.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान 18.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी III.54)। आस्तियों के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवल अग्रिमों में इस अवधि के दौरान 22.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देयता पक्ष की प्रमुख मदों में इस

सारणी III.54: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए)

मद	31,मार्च 2006	31,मार्च 2007P	प्रतिशत घटबढ़	मद	31,मार्च 2006	31,मार्च 2007P	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5	6	7	8
देयताएं	**89,645**	**105,768**	**17.99**	**आस्तियां**	**89,645**	**105,768**	**17.99**
शेयर पूंजी	196	196	–	उपलब्ध नकदी	1,033	1,216	17.72
आरक्षित निधियां	4,271	4,902	14.77	भा.रि. बैंक के पास शेष	3,519	4,886	38.85
शेयर पूंजी जमा राशि	2,180	2,188	0.37	अन्य बैंक शेष	16,258	20,359	25.22
जमाराशि	**71,329**	**83,147**	**16.57**	अन्य निवेश	24,925	25,307	1.53
चालू	3,953	4,764	20.52	ऋण तथा अग्रिम (निवल)	38,520	47,326	22.68
बचत	38,233	46,122	20.63	अचल आस्तियां	178	196	10.11
मीयादी	29,143	32,261	10.70	अन्य आस्तियां#	5,214	6,478	24.24
से उधार	**7,303**	**9,773**	**33.82**				
नाबार्ड	6,301	7,525	19.43				
प्रवर्तक बैंक	959	1,998	108.34				
अन्य	43	250	481.40				
अन्य देयताएं	4,367	5,562	27.36				
ज्ञापन मदें:							
क. ऋण-जमा अनुपात	55.7	58.5					
ख. निवेश-जमा अनुपात	57.7	45.8					
ग. (ऋण + निवेश) - जमा अनुपात	113.4	104.3					

अ: अनंतिम – : कुछ नहीं/नगण्य. # : संचित हानि सहित ।

स्रोत : नाबार्ड।

वर्ष के दौरान उधार में 33.8 प्रतिशत तथा कुल जमाराशि में 16.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.137 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के बाद लाभ अर्जित करने वाले तथा घाटा उठाने वाले दोनों प्रकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या मार्च 2006 के अंत के क्रमश: 111 तथा 22 की तुलना में घटकर मार्च 2007 के अंत में क्रमश: 81 तथा 15 हो गई (सारणी III.55)। वर्ष 2006-07 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ब्याज तथा अन्य आय में वृद्धि की गति उतनी नहीं थी, जितनी गति प्रावधानों तथा आकस्मिक व्ययों और वेतन बिलों में तीव्र वृद्धि के कारण व्यय में हुई तेज वृद्धि की थी। इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निवल लाभ, वर्ष 2005-06 के 617 करोड़ रुपए से घटकर, वर्ष 2006-07 के दौरान 596 करोड़ रुपए रह गया ।

सारणी III.55: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

विवरण	2005-06			2006-07 अ		कुल	घटबढ़
	घाटे में चल रहे [22]	लाभ में चल रहे [111]	क्षे.ग्रा.बैं. [133]	घाटे में चल रहे [15]	लाभ में चल रहे [81]	क्षे.ग्रा.बैं. [96]	स्तंभ (4) पर स्तंभ (7)
1	2	3	4	5	6	7	8
क. आय (i+ii)	**723**	**5,823**	**6,546**	**997**	**6,657**	**7,653**	**1,107 (16.91)**
i) ब्याज आय	672	5,441	6,113	932	6,182	7,113	1,000 (16.36)
ii) अन्य आय	51	382	433	65	475	540	107 (24.71)
ख. व्यय (i+ii+iii)	**912**	**5,017**	**5,929**	**1,298**	**5,759**	**7,057**	**1,128 (19.03)**
i) ब्याज व्यय	471	2,790	3,261	642	3,074	3,716	455 (13.95)
ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	65	246	311	192	445	636	325 (104.50)
iii) परिचालनगत व्यय	376	1,981	2,357	464	2,240	2,705	348 (14.76)
जिसमें से : वेतन बिल में से (iii)	309	1,539	1,848	391	1,660	2,051	203 (10.98)
ग. लाभ							
i) परिचालन लाभ/हानि [क - ख (i) - ख (iii)]	**-126**	**1,054**	**928**	**-109**	**1,341**	**1,232**	**304 (32.76)**
ii) निवल लाभ (क - ख)	**-191**	**808**	**617**	**301**	**897**	**596***	**-21 (-3.40)**
घ. कुल आस्तियां	**11,747**	**77,898**	**89,645**	**16,148**	**89,620**	**105,768**	**16,123 (17.99)**
ङ. वित्तीय अनुपात @							
i) परिचालन लाभ	-1.07	1.35	1.04	-0.67	1.49	1.16	
ii) निवल लाभ	-1.63	1.04	0.69	-1.86	1.00	0.56	
iii) आय	6.15	7.48	7.30	-6.17	7.42	7.23	
क) ब्याज आय	5.72	6.98	6.82	5.77	6.89	6.72	
ख) अन्य आय	0.43	0.49	0.48	0.40	0.53	0.51	
iv) व्यय	7.76	6.44	6.61	8.03	6.42	6.67	
क) ब्याज व्यय	4.01	3.58	3.64	3.97	3.43	3.51	
ख) परिचालन व्यय	3.20	2.54	2.63	2.87	2.49	2.55	
जिसमें से: वेतन बिल	2.63	1.98	2.06	2.42	1.85	1.93	
v) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	0.55	0.32	0.35	1.18	0.49	0.60	
vi) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय			7.28			6.39	
vii) निवल अनर्जक आस्तिया			3.98			3.41	

अ : अनंतिम
@ : कुल आस्तियों कें अनुपात।
* : कर के पहले

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या दर्शाते हैं। स्तंभ 8 में कोष्ठक के आंकड़े वर्ष के दौरान प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी III.56: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबारी तथा वित्तीय संकेतक

संकेतक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	196	196	196	196	196	133 #	96 #
निवल लाभ (करोड़ रुपए)	601	608	519	769	748	617	593*
प्रति शाखा उत्पादकता[1] (करोड़ रुपए)	3.8	4.4	5.0	5.7	6.6	7.7	9.1
प्रति कर्मचारी उत्पादकता[2] (करोड़ रुपए)	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
आस्तियों के प्रतिशत के रुप में संचित हानि	5.6	4.7	4.4	3.9	3.5	2.9	2.9
आस्तियों के प्रतिशत के रुप में वेतन	2.0	2.2	2.3	2.6	2.0	2.1	1.9
वित्तीय विवरणी[3] (प्रतिशत)	9.4	10.6	9.6	8.9	8.2	7.7	7.7
वित्तीय लागत[4] (प्रतिशत)	6.0	6.8	6.1	5.4	4.6	4.1	4.1
वित्तीय मार्जिन[5] (प्रतिशत)	3.4	3.8	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6
जोखिम, परिचालन और अन्य लागत (प्रतिशत)	2.1	2.6	2.6	2.2	2.3	2.8	2.9
निवल मार्जिन[6] (प्रतिशत)	1.2	1.2	0.9	1.3	1.3	0.8	0.7

* : कर पूर्व

: सितंबर 2005 में आरम्भ हुए समामेलन के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटी है।

टिप्पणी : 1. रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्रत्येक शाखा के कारोबार (कुल जमाराशियों और सकल अग्रिमों के रुप में) का औसत स्तर

2. वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रत्येक कर्मचारी के कारोबार (कुल जमाराशियों और सकल अग्रिमों के रुप में) का औसत स्तर
3. वर्ष के दौरान औसत कार्यशील निधि की तुलना में अग्रिम तथा निवेश दोनों से कुल आय का प्रतिशत।
4. वर्ष के दौरान औसत कार्यशील निधि की तुलना में जमाराशियां, उधार आदि के लिए कुल ब्याज भुगतान का प्रतिशत।
5. वित्तीय विवरणी और वित्तीय लागत के बीच का अंतर।
6. वित्तीय मार्जिन और जोखिम, परिचालन और अन्य लागत तथा विविध आय के बीच का अंतर।
7. 2006-07 के आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

3.138 वसूली में सुधार की सहायता से सकल तथा निवल एन पी ए का अनुपात मार्च 2007 के अंत में तेजी से घटकर क्रमशः 6.4 प्रतिशत (मार्च 2006 के अंत के 7.3 प्रतिशत की तुलना में) तथा 3.4 प्रतिशत (4.0 प्रतिशत की तुलना में) रह गया।

3.139 वर्ष 2006-07 के दौरान प्रति शाखा तथा प्रति कर्मचारी दोनों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उत्पादकता में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई (सारणी III.56)।

3.140 2005-06 के 25,427 करोड़ रुपए की तुलना में 96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 2006-07 के दौरान 32,067 करोड़ रुपए के नए ऋण प्रदान किए।इसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 82 .2 प्रतिशत था।मार्च 2007 के अंत में , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया अग्रिम 48,494 करोड़ रुपए थे तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 81.9 प्रतिशत था (सारणी III.57)।कृषि ऋण का हिस्सा (2006-07 में 27,964 करोड़ रुपए) मार्च 2006 के अंत के 54.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 57.7 प्रतिशत हो गया।

11. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

3.141 मार्च 2006 के अंत में कार्य करने वाले चार स्थानीय क्षेत्र बैंक थे- कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि., विजयवाड़ा;कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.,फगवाड़ा, नवसारी; कृष्ण भीम समृद्धि लोकल एरिया

सारणी III.57: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजन-वार बकाया अग्रिम

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

प्रयोजन	2005	2006	2007अ
1	2	3	4
I. कृषि (i से iii)	**16,710 (50.8)**	**21,509 (54.2)**	**27,964 (57.7)**
i. अल्पावधि ऋण (फसल ऋण)	10,980	13,877	18,813
ii. मीयादी ऋण (कृषि तथा संबंद्ध गतिविधियों के लिए)	5,730	7,632	9,151
iii. परोक्ष अग्रिम	–	–	
II. कृषीतर (iv से vii)	**16,161 (49.2)**	**18,204 (45.8)**	**20,530 (42.3)**
iv. ग्रामीण कारीगर, *आदि*	713	748	823
v. अन्य उद्योग	580	757	835
vi. खुदरा व्यापार, *आदि*	4,364	3,452	4,152
vii. अन्य प्रयोजन	10,504	13,246	14,720
कुल (I+II)	**32,871**	**39,712**	**48,494**
ज्ञापन मदें:			
क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	26,077	32,177	39,695
ख) गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	6,794	7,535	8,799
ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा	79.3	81	81.9

अ :अनंतिम

– : कुछ नहीं / नगण्य

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी III.58: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की रुपरेखा

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक	आस्तियां		जमाराशियां		सकल अग्रिम	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	252	362	215	301	135	186
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	64	63	50	45	30	32
कृष्णा भीम समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि.	29	49	13	27	19	30
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि.	19	23	12	15	13	14

स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणी पर आधारित।

बैंक लि., महबूबनगर; तथा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि., कोल्हापुर। 2005-06 के दौरान, सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकों (कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि. को छोड़कर) की आस्तियां, जमाराशियां और सकल अग्रिम काफी बढ़े (सारणी III.58)।

3.142 2006-07 के दौरान, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों की आय मुख्य रूप से ब्याज आय के कारण तेजी से बढ़ी। व्यय के पक्ष में,वर्ष के दौरान परिचालन व्यय और ब्याज व्यय में काफी वृद्धि दिखी। तथापि, आय में वृद्धि व्यय में वृद्धि की तुलना में अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप 2006-07 के दौरान निवल लाभ और परिचालन लाभ में अधिक वृद्धि हुई। कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ का अनुपात पिछले वर्ष के 0.8 प्रतिशत की तुलना में 1.2 प्रतिशत पर अधिक था (सारणी III.59)।

सारणी III.59: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

	मद	2005-06	2006-07	घट-बढ़ स्तम्भ 2 पर स्तम्भ 3 का अंतर	
				समग्र	प्रतिशत
	1	2	3	4	5
क.	**आय (i+ii)**	**30.0**	**46.3**	**16.3**	**54.3**
	i) ब्याज आय	25.5	37.4	11.9	46.8
	ii) अन्य आय	4.5	8.9	4.4	96.3
ख.	**व्यय (i+ii+iii)**	**27.2**	**40.5**	**13.3**	**48.7**
	i) ब्याज व्यय	12.0	18.3	6.3	52.7
	ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	2.6	4.3	1.7	64.1
	iii) परिचालनगत व्यय	12.6	17.8	5.2	41.7
	जिनमें से : वेतन बिल	4.5	7.0	2.6	57.2
ग.	**लाभ**				
	i) परिचालनगत लाभ / हानि	**5.4**	**10.2**	**4.8**	**88.2**
	ii) निवल लाभ / हानि	**2.8**	**5.9**	**3.1**	**111.1**
घ.	**स्प्रेड (निवल ब्याज आय)**	13.5	19.1	5.6	41.5
ङ	**कुल आस्तियां**	363.3	496.4	133.0	36.6
च.	**वित्तीय अनुपात@**				
	i) परिचालन लाभ	1.5	2.1		
	ii) निवल लाभ	0.8	1.2		
	iii) आय	8.3	9.3		
	iv) ब्याज आय	7.0	7.5		
	v) अन्य आय	1.3	1.8		
	vi) व्यय	7.5	8.2		
	vii) ब्याज का भुगतान	3.3	3.7		
	viii) परिचालन व्यय	3.5	3.6		
	ix) वेतन बिल	1.2	1.4		
	x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.7	0.9		
	xi) स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	3.7	3.8		

टिप्पणी : @ कुल आस्ति का अनुपात

स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित ।

अध्याय IV

सहकारी बैंकिंग में गतिविधियां

प्रस्तावना

4.1 सहकारी सिद्धांतों के आधार पर बैंकिंग सेवाओं के प्रसार में सहकारी बैंकिंग ने भारत में भारी प्रगति की है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में और समाज के निर्धन और निर्बल वर्गों के बीच अपनी व्यापक पहुंच के कारण सब्सिडी आधारित कार्यक्रमों और गरीबों के लिए सरकार की अन्य योजनाओं में भी ग्रामीण सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वित्तीय समावेशन पर विशेष ज़ोर की दृष्टि से सहकारी बैंकिंग ने भारतीय वित्त प्रणाली में पुनः नया महत्त्व प्राप्त कर लिया है। अतएव, हाल ही के नीतिगत उपायों का फोकस एक बार फिर भारत में सहकारी बैंकिंग को मजबूत बनाने की दिशा में चला गया है। ग्रामीण सहकारी समितियों की समस्याओं की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित कार्यदल (2004) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2005 में शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में जारी किए गए 'विज़न दस्तावेज' ने भारतीय सहकारी बैंकिंग ढांचे को फिर से नया बनाने के लिए व्यवहार्य और कार्यान्वयन योग्य व्यवस्थाओं के साथ एक नई संरचना उपलब्ध कराई है। हाल ही में की गयी पहल का जोर सहकारी बैंकिंग प्रणाली में फिर से जनता का विश्वास स्थापित करने के लिए इन संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पर है। इसके विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को अभिकल्पित करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि उनका सहकारी चरित्र और संस्थागत विशेषताएं ज्यों की त्यों बनी रहें।

4.2 भारत में सहकारी बैंकिंग ढांचे के दो मुख्य घटक हैं, यथा शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं। जहां शहरी सहकारी बैंकों का ढांचा एक स्तरीय है वहीं ग्रामीण सहकारी समितियों का ढांचा जटिल है। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के स्पष्टतः दो ढांचे हैं, यथा अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचा (एसटीसीसीएस) और दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचा (एलटीसीसीएस)। अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे में ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) होती हैं जो आधार स्तर का निर्माण करती हैं जबकि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का स्तर मध्य में रहता है और राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) शीर्ष स्तर पर होते हैं। अल्पावधि सहकारी ऋण समितियां मूलतः किसानों और ग्रामीण दस्तकारों को अल्पावधि के लिए अधिकांशतः फसल ऋण और अन्य कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती हैं। ग्रामीण सहकारी समितियों का दीर्घावधि ढांचा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और विकेंद्रित जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) से बनता है। ये संस्थाएं कृषि, ग्रामीण उद्योगों और हाल ही में गृह निर्माण के क्षेत्र में निवेश करने के लिए खासतौर पर मध्यावधि से दीर्घावधि तक ऋण उपलब्ध कराने पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। ग्रामीण सहकारी बैंकों का ढांचा देश के राज्यों में एक समान नहीं है और इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच काफी अंतर है। कुछ राज्यों में स्वयं अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करने वाले राज्य स्तरीय बैंकों वाला ऐकिक ढांचा है तो दूसरों में मिला-जुला ढांचा है, जिसमें ऐकिक और संघीय दोनों ही प्रकार की प्रणालियां हैं (चार्ट IV.1)।

4.3 मध्यम और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में अदा की जा रही शहरी सहकारी बैंकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों को सुदृढ़ बनाने के कदम उठाने जारी रखे। जून 2004 में यह निर्णय लिया गया था कि नए बैंक खोलने अथवा नए शाखाएं खोलने के लिए तब तक लाइसेंस जारी न किए जाएं जब तक कि मौजूदा शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक समुचित ढांचा स्थापित न हो जाए। मार्च 2005 में रिज़र्व बैंक ने एक ड्राफ्ट विज़न दस्तावेज तैयार किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा की गई थी और दोहरी विनियामक व्यवस्था को रेखांकित किया गया था जिसकी वजह से रिज़र्व बैंक को इस क्षेत्र की संस्थाओं की कमजोरियों को दूर करने में समस्या आ रही थी। दुहरे नियंत्रण की समस्या दूर करने के उद्देश्य से विज़न दस्तावेज में प्रत्येक राज्य में कमजोर और रुग्ण बैंकों का भावी सेट-अप तय करने में परामर्शी दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव रखा गया। विज़न दस्तावेज के अनुसार रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया ताकि शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य देखनेवाली दोनों एजेंसियों के दृष्टिकोण में अधिकाधिक संकेद्रण सुनिश्चित किया जा सके। सहमति ज्ञापन के एक अंग के रूप में यह निर्णय लिया गया था कि शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्य-स्तरीय कार्यदल (टीएएफसीयूबी) गठित किया जाए जिसमें रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार और शहरी सहकारी बैंकों के महासंघों /असोसिएशन के प्रतिनिधि हों। शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्य-स्तरीय कार्यदल को यह कार्य सौंपा गया था कि वह राज्य में व्यावहारिक रूप से समर्थ और अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों का पता लगाए तथा पहले वाले के लिए पुनरुज्जीवन का मार्ग तथा बाद वाले प्रकार के बैंकों के लिए बाधारहित समापन का मार्ग उपलब्ध कराएं। समापन में बड़े बैंकों के साथ विलय/समामेलन, समितियों के रूप में परिवर्तन और एक अंतिम उपाय के रूप में अंततः समापन शामिल है। अब तक 13 राज्य सरकारों और केंद्र सरकार (बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में) के साथ सहमति ज्ञापन

चार्ट IV.1: सहकारी ऋण संस्थाओं की सरंचना

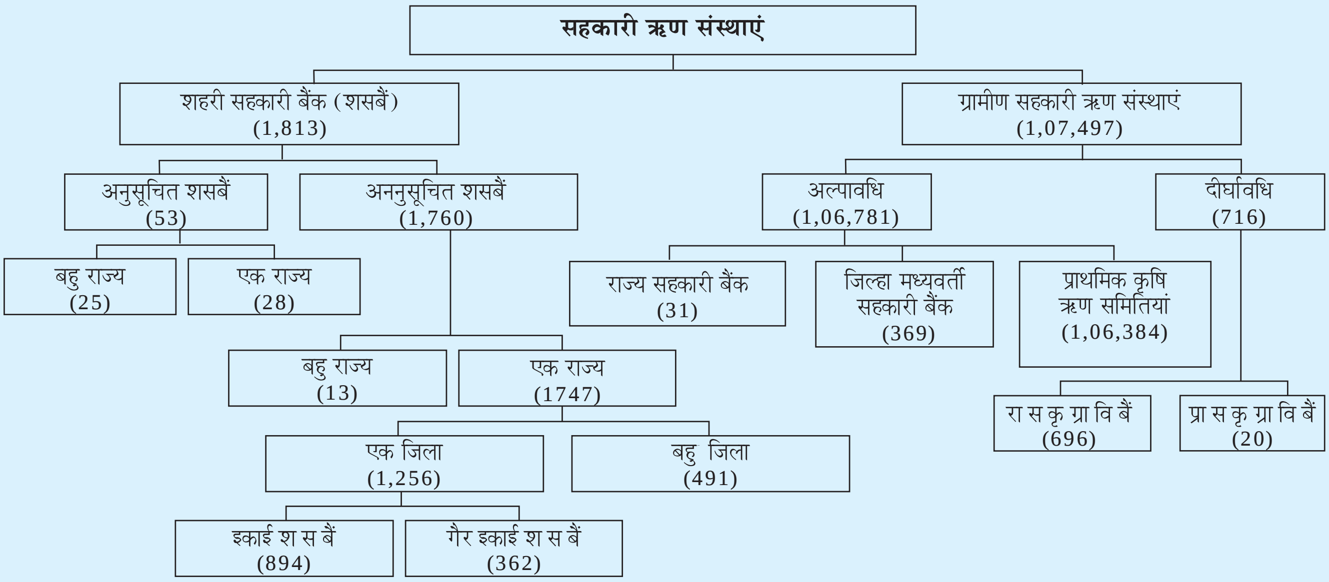

रा स कृ ग्रा वि बैं : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
प्रा स कृ ग्रा वि बैं : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े शहरी सहकारी बैंकों की मार्च 2007 के अंत की संस्थाओं की संख्या और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की मार्च 2006 के अंत की संख्या दर्शाते हैं।

पर हस्ताक्षर हो चुके हैं जिसके अंतर्गत 1,511 शहरी सहकारी बैंक आते हैं अर्थात् इस क्षेत्र की 92 प्रतिशत जमाराशियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 83 प्रतिशत बैंक। हाल ही में बीते समय में इन पहलों का प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में जनता का विश्वास बढ़ा है जोकि 2004-05 की गिरावट की प्रवृत्ति को उलटते हुए 2006-07 में हुई जमाराशियों की वृद्धि में परिलक्षित है।

4.4 उन राज्यों, जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं,में पर्यवेक्षण/विनियमन के समन्वित प्रयासों की सुविधा को देखते हुए ऐसे राज्यों में पात्र बैंकों के साथ-साथ बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों को कतिपय कारोबारी अवसर प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि ऐसे राज्यों के वित्तीय रूप से सुदृढ़ बैंकों को भी नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए।यह सुविधा 2004 से शहरी सहकारी बैंकों को उपलब्ध नहीं थी। इस क्षेत्र का फोकस अन्य बातों के साथ-साथ अब मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे का विकास करने के साथ ही गवर्नेंस के अनेक पहलुओं पर भी है। साथ ही सुदृढ़ बैंकों के साथ कमजोर बैंकों के विलय की प्रक्रिया के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है, बशर्ते विलय के प्रस्तावों को ‟अनापत्ति‟ देने के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराये जाएं। 30 अक्तूबर 2007 की स्थिति के अनुसार संबद्ध सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक / सहकारी समितियों के पंजीयक (सीआरसीएस/आरसीएस) द्वारा सांविधिक आदेश जारी करने के बाद कुल 33 विलय हो चुके हैं। मार्च 2004 के अंत में मौजूदा 1,813 शहरी सहकारी बैंकों के अलावा, 259 शहरी सहकारी बैंक परिसमापन के विभिन्न चरणों में थे। शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में कमी के बावजूद उनके कारोबारी कार्य मध्यम गति से बढ़े। शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आया।

4.5 अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे को पुनरुज्जीवित करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तावित करने हेतु 2004 में भारत सरकार द्वारा गठित कार्य दल (अध्यक्षः प्रो. ए. वैद्यनाथन) की सिफारिशें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं। राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार ने अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज अनुमोदित किया है जो जनवरी 2006 में राज्य सरकारों को सूचित किया गया था। सभी राज्यों में यह पुनरुज्जीवन पैकेज कार्यान्वित करने के लिए नाबार्ड को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है। किसी भी राज्य में पुनरुज्जीवन पैकेज कार्यान्वित करने की प्रक्रिया भारत सरकार, सहभागी राज्य सरकार और नाबार्ड के बीच एक सहमति ज्ञापन हस्ताक्षर करने से प्रारंभ होती है। सभी सहभागी राज्यों में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों की विशेष लेखा परीक्षा शुरू की जाएगी ताकि 31 मार्च 2004 की स्थिति को उनकी संचित हानियों की राशि का और साथ ही ऐसी हानियों के उद्भव के आधार पर अर्थात् ऋण कारोबार के कारण हानि, जनवितरण कारोबार अथवा अन्य व्यापारी कारोबार के आधार पर ऐसी हानियों का उचित और स्वीकार्य के रूप में सही-सही आकलन किया जा सके। प्रत्येक सहभागी राज्य इस पुनरुज्जीवन पैकेज में परिकल्पित संस्थागत और

कानूनी सुधारों को अमली जामा पहनाने के लिए सहमति ज्ञापन के पैरा सं.9 के अनुसार एक अध्यादेश जारी करेगा और राज्य सहकारी समितियां अधिनियम को संशोधित करेगा अथवा आवश्यक कानून बनाएगा। इस पैकेज का कार्यान्वयन 13 राज्यों में प्रारंभ हो चुका है, यथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल जिन्होंने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित किया है तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और मानव संसाधन विकास विषयक पहलों की विशेष लेखा परीक्षा करायी है। इन राज्यों ने संबद्ध सहकारी समितियां अधिनियमों में आवश्यक कानूनी संशोधन करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

4.6 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को छोड़कर ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के सभी खंडों के तुलनपत्रों में 2005-06 के दौरान विस्तार हुआ है (परिशिष्ट सारणी IV.1)। तथापि, वर्ष के दौरान उनके वित्तीय निष्पादन में गिरावट आई है। ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न खंडों के वित्तीय निष्पादन में भी व्यापक भिन्नताएं पाई गई हैं। एक ओर जहां अल्पावधि और दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं दोनों के ऊपरी स्तर (टियर) ने 2005-06 के दौरान लाभ कमाया, वहीं दूसरी ओर निम्न टियर (यथा पीएसीएस तथा पीसीएआरडीबी) ने समग्र रूप से नुकसान उठाया। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सिवाय जिन्होंने अपना वसूली निष्पादन सुधारा, सभी प्रकार के ग्रामीण शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में क्षरण हुआ। जिला मध्यवर्ती शहरी सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वसूली निष्पादन भी वर्ष के दौरान और खराब रहा।

4.7 इस अध्याय में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सहकारी बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ माइक्रो फाइनेंस के संबंध में नाबार्ड द्वारा उठाए गए कदमों का भी वर्णन किया गया हैं। यह अध्याय छह खंडों में विभाजित है। खंड 2 में नीतिगत उपायों के साथ-साथ शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार परिचालन दिए गए हैं जबकि खंड 3 ग्रामीण सहकारी बैंकों की नीतिगत गतिविधियों और निष्पादन पर केंद्रित है। व्यष्टि ऋण के क्षेत्र की गतिविधियां, जो कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के एक महत्त्वपूर्ण प्रबंधक के रूप में उभरी हैं, पर चर्चा खंड 4 में की गई है। खंड 5 में वर्ष के दौरान ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों को तराशने में अदा की गई नाबार्ड की भूमिका का वर्णन किया गया है। खंड 6 में इस क्षेत्र में वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आलोक में ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के पुनरुज्जीवन हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया है।

2. शहरी सहकारी बैंक

नीतिगत गतिविधियां

4.8 शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण हेतु एक परामर्शी व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया संतोषप्रद रूप से आगे बढ़ी। रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए विज़न दस्तावेज़ में दिए गए प्रस्तावों के अनुरूप 100 करोड़ रुपए से कम जमा आधार वाले और एक ही जिले के भीतर शाखाओं वाले छोटे शहरी सहकारी बैंकों अर्थात टियर I हेतु कम कठोर विवेकसम्मत मानदंड बनाए। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरों, विवेकसम्मत मानदंडों, प्रकटीकरण और एक्सपोजर मानदंडों और जोखिम प्रबंधन से संबंधित अनेक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए। शहरी निर्धनों के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों को विशेष छूट देने की दृष्टि से ऋण सुपुर्दगी (क्रेडिट डिलीवरी), ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेशन से संबंधित दिशा-निर्देशों का और अनुकूलन किया गया।

ढांचागत पहलें

विज़न दस्तावेज़

4.9 शहरी सहकारी बैंकों के लिए विज़न दस्तावेज़ में इस क्षेत्र की समस्याओं को रेखांकित किया गया है तथा अपनाए जाने वाले उन व्यापक उपायों का उल्लेख किया गया है ताकि शहरी सहकारी बैंक आवश्यक रूप से समाज के मध्यम और निम्न मध्यम वर्गों तथा सीमांत वर्गों को आवश्यकता आधारित तथा गुणवत्ता वाली बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग संस्थाओं के एक सुदृढ़ तथा स्वस्थ नेटवर्क के रूप में उभर सकें। विज़न दस्तावेज़ में दिए गए प्रस्तावों के अनुरूप रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाना जारी रखा।

द्वि-स्तरीय (टू-टियर) विनियामक ढांचा

4.10 छोटे शहरी सहकारी बैंकों को अपनी ताकत बढ़ाने में समर्थ बनाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों हेतु विनियामक एवं पर्यवेक्षी ढांचे को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य विज़न दस्तावेज़ में दिए गए हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों को टियर I बैंक अर्थात वे बैंक जिनकी जमाराशियां 100 करोड़ रुपए से कम हैं और उनकी सभी शाखाएं एक ही जिले के भीतर हैं और टियर II बैंक (अर्थात सभी अन्य शहरी सहकारी बैंक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टियर I और टियर II बैंकों के लिए विवेकसम्मत मानदंड भी संशोधित किए गए थे। जहां टियर II बैंक 90 - दिवसीय ऋण चूक मानदंड के अधीन हैं ठीक वैसे ही जैसा कि वाणिज्य बैंकों पर लागू है, टियर I बैंकों के लिए 180-दिवसीय ऋण चूक मानदंड 31 मार्च 2008 तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य छोटे शहरी सहकारी बैंकों को राहत प्रदान करना है क्योंकि इसके लिए कम प्रावधानीकरण की जरूरत होती है जिसके फलस्वरूप लाभ बढ़ जाता है और उसे इन बैंकों का पूंजी आधार बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। तथापि, इन बैंकों को इस बीच की अवधि में पर्याप्त प्रावधान कर लेना जरूरी है ताकि वे भविष्य में 90-दिवसीय मानदंड अपनाने योग्य बन सकें।

4.11 इसके अलावा, टियर I बैंकों के लिए निम्नलिखित विभेदक आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड घोषित किए गए हैं : (i) किसी अवमानक आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकरण हेतु एक अप्रैल 2008 से 12-माह की अवधि लागू होगी; (ii) इन बैंकों को एक अप्रैल 2010 को या उसके बाद 3 वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत डी-III अग्रिमों (3 वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध) के जमानती भाग पर 100 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा; (iii) 31 मार्च 2010 को डी-III अग्रिमों के बकाया स्टॉक के लिए बैंकों को निम्नानुसार प्रावधान करना होगा : (क) 31 मार्च 2010 को 50 प्रतिशत; (ख) 31 मार्च 2011 को 60 प्रतिशत; (ग) 31 मार्च 2012 को 75 प्रतिशत; और (घ) 31 मार्च 2013 को 100 प्रतिशत। टियर II बैंकों के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे: (i) डी-III के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों के लिए 100 प्रतिशत का प्रावधानीकरण उन पर लागू होगा जो एक अप्रैल 2006 को या उसके बाद के बजाय एक अप्रैल 2007 को या उसके बाद इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हों; (ii) 31 मार्च 2007 को डी-IIIआस्तियों के बकाया स्टॉक के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे निम्नानुसार प्रावधान करें, (क) 31 मार्च 2007 तक 50 प्रतिशत, (ख) 31 मार्च 2008 को 60 प्रतिशत, (ग) 31 मार्च 2009 को 75 प्रतिशत और (घ) 31 मार्च 2010 को 100 प्रतिशत।

4.12 यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च ऋण वृद्धि के बावजूद आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखी जाती है। टियर II के बारे में यह निर्णय लिया गया कि वे विशिष्ट क्षेत्रों के मानक अग्रिमों अर्थात वैयक्तिक ऋणों, पूंजी बाजार में एक्सपोज़र के रूप में पात्र ऋणों एवं अग्रिमों तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋणों पर सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षा 1.0 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2.0 प्रतिशत करें।

4.13 टियर I बैंकों को दी जानेवाली अन्य छूट सरकारी प्रतिभूतियों में किए जानेवाले निवेश से संबंधित है। ऐसे निवेशों से जुड़ी बाजार जोखिमों को देखते हुए टियर I शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में रखी गई ब्याज अर्जक जमाराशियों में लगाई गई निधियों की सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियों में एसएलआर (एनडीटीएल के 15 प्रतिशत तक) बनाए रखने से छूट दी गई है टियर II बैंकों पर भी 'मानक अग्रिमों' के संबंध में पहले से कड़े प्रावधानीकरण मानदंड लगाए गए हैं जो कि कतिपय विशेष प्रकार के एक्सपोजरों के लिए 2 प्रतिशत हो सकते हैं। पर्यवेक्षण को तर्कसंगत बनाने के एक अंग के रूप में जहां बड़े शहरी सहकारी बैंकों को एक संयुक्त आफ साइट चौकसी (ओएसएस) रिपोर्टिंग प्रणाली, जिसमें आठ विवेकसम्मत पर्यवेक्षी विवरणियों का एक सेट रहता है, के अधीन रखा गया है, वहीं 50 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले तथा जिसकी शाखाएं एक ही जिले के भीतर हों ऐसे छोटे बैंकों के लिए 5 विवरणियों वाली एक सरलीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई है। निकट भविष्य में यह सरलीकृत ओएसएस रिपोर्टिंग ढांचा 50 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले बैंकों पर भी लागू किया जाएगा।

दोहरे नियंत्रण की समस्या दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

4.14 ढेर सारे शहरी सहकारी बैंकों वाले राज्यों ने शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण हेतु एक परामर्शी व्यवस्था विकसित करने हेतु सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क किया है। अब तक 13 राज्यों यथा गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और कुल मिलाकर मार्च 2007 के अंत में 1,813 बैंकों में से 1,511 बैंक इनके अंतर्गत आते हैं अर्थात शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या का 81.5 प्रतिशत और क्षेत्र की कुल जमाराशियों का 67 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त, बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों, जिनके पास इस क्षेत्र की जमाराशियों का 25.5 प्रतिशत हिस्सा है, के संबंध में रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच भी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और इस प्रकार शहरी सहकारी बैंकों का कुल 83 प्रतिशत जिसके पास कुल जमाराशियों का 92 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, सहमति ज्ञापन व्यवस्था के अंतर्गत आ गए हैं तथा सभी ऐसे बैंकों की समस्याएं अन्य महत्वपूर्ण पणधारकों जैसे कि राज्य/केंद्र सरकार और शहरी सहकारी बैंकों के महासंघ/एसोसिएशन से परामर्श करके दूर की जा रही हैं।

4.15 सहमति ज्ञापन के अंतर्गत व्यवस्थाओं के एक अंग के रूप में रिज़र्व बैंक सहकारी शहरी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्य दल (टीएएफसीयूबी) गठित करने के लिए वचनबद्ध है जिसमें रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार और शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि होंगे। तदनुसार, उन सभी राज्यों में टीएएफसीयूबी गठित किए गए हैं जिनके साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक केंद्रीय टीएएफसीयूबी गठित किया गया है। टीएएफसीयूबी राज्य में संभवतः व्यवहार्य और अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों का पता लगाएगा और व्यवहार्य के लिए पुनरुज्जीवन का पथ प्रदर्शित करने के साथ-साथ अव्यवहार्य बैंकों के लिए बाधारहित समापन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

4.16 अव्यवहार्य बैंकों का समापन सुदृढ़ बैंकों के साथ विलय/समामेलन, समितियों में परिवर्तन अथवा अंतिम उपाय के रूप में समापन के माध्यम से हो सकेगा। पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने के लिए यह संस्थागत व्यवस्था उन राज्यों के बैंकों को उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने अभी तक रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

4.17 इसके अलावा, उन राज्यों, जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, में समन्वित पर्यवेक्षी/विनियामक साधनों से उत्पन्न कतिपय अतिरिक्त कारोबारी अवसर ऐसे राज्यों के पात्र बैंकों के साथ-साथ बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों को भी दिए गए हैं। इन सुविधाओं में शामिल है करेंसी चेस्ट स्थापित करना, म्यूच्युअल फंड उत्पाद बेचना, प्राथमिक व्यापारी श्रेणी I और II का लाइसेंस देना, नए एटीएम खोलना, बिना जोखिम सहभागिता के बीमा कारोबार करने के लिए शिथिल मानदंड और एक्सटेंशन काउंटरों को शाखाओं में बदलना। वार्षिक नीति 2006-07 में यह घोषणा की गई थी कि ऐसे राज्यों में वित्तीय रूप से सुदृढ़ बैंकों को भी नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस देने के बारे में भी विचार किया जाएगा। शहरी सहकारी बैंकों को यह सुविधा 2004 से उपलब्ध नहीं थी।

अव्यवहार्य इकाइयों का विलय/समामेलन और समापन

4.18 विलय प्रस्तावों को रिज़र्व बैंक द्वारा 'अनापत्ति' प्रदान करने के लिए पारदर्शी मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराकर शहरी सहकारी बैंकों के बीच विलय की प्रक्रिया को एक नया प्रोत्साहन दिया गया है। (बाक्स IV.1)।

बॉक्स IV.1: शहरी सहकारी बैंकों का विलय और समामेलन

विलय प्रस्तावों को अनापत्ति प्रदान करने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध करा कर सुदृढ़ इकाइयों के साथ कमजोर इकाइयों के विलय की प्रक्रिया के माध्यम से इस क्षेत्र का समेकन प्रारंभ कर दिया गया है। विलय/समामेलन हेतु प्रस्तावों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए विलय के वित्तीय पहलुओं तक ही अपने अनुमोदन को सीमित रखता है। बैंकों का यह निर्णय लगभग पूरी तरह से स्वैच्छिक है कि वे अपने विलय प्रस्तावों के लिए अनापत्ति प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करें। विलय संबंधी मार्गदशी सिद्धांतों का उद्देश्य बैंकों के बीच विलय हेतु पूर्वपेक्षाओं और उठाए जानेवाले कदमों का वर्णन करके प्रक्रिया को सुसाध्य बनाना है।

शहरी सहकारी बैंकों के विलय संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के जारी होने के बाद रिज़र्व बैंक को 52 बैंकों के संबंध में विलय हेतु 60 प्रस्ताव प्राप्त हुए। रिज़र्व बैंक ने 37 मामलों में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया। इनमें से 20 विलय सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस)/ संबद्ध सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) द्वारा सांविधिक आदेश जारी करने पर पूरे हो गए। रिज़र्व बैंक द्वारा विलय के चौदह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए जबकि तीन प्रस्ताव बैंकों द्वारा वापस ले लिए गए। शेष छह विचाराधीन हैं (सारणी 1 और 2)। अधिकांश लक्ष्य बैंक घाटा उठाने वाले शहरी सहकारी बैंक थे। कुछ मामलों में तो समेकन के उद्देश्य से लाभ कमाऊ बैंकों के विलय की भी अनुमति दी गई और कुछ मामलों में तो ऐसे बैंकों के संबंध में विलय की अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि उन्हें दीर्घावधि में अकेले (स्टैंड अलोन) चलाना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

विलय और समामेलन की प्रक्रिया जटिल है। लेने वाले बैंक द्वारा विलय प्रस्ताव आरसीएस/सीआरसीएस को भेजे जाते हैं और साथ ही साथ इस प्रस्ताव की एक प्रति कतिपय विशेष सूचनाओं के साथ रिज़र्व बैंक को अग्रेषित की जाती है । रिज़र्व बैंक इन प्रस्तावों की जांच करता है और इन्हें बारीक जांच तथा सिफारिश के लिए विशेषज्ञ दल के समक्ष रखता है। मूल्यांकन पर यदि प्रस्ताव योग्य पाया जाता है तो रिज़र्व बैंक आरसीएस/सीआरसीएस तथा संबंधित बैंकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करता है। इसके बाद आरसीएस/सीआरसीएस सहकारी समितियां अधिनियम, जिसके अंतर्गत वह बैंक पंजीकृत है, के प्रावधानों के अनुपालन में लक्ष्य शहरी सहकारी बैंक को समामेलन का आदेश जारी करता है।

सारणी 1: अधिग्रहणकर्त्ता बैंकों का राज्यवार सविस्तार ब्यौरा

(21 मई 2007 की स्थिति)

क्रम सं.	अधिनियम जिसके अधीन पंजीकृत	अधिग्रहणकर्ता बैंकों की संख्या	प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या	जारी अनापत्ति प्रमाणपत्रों की संख्या	अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	वापस लिए गए प्रस्तावों की संख्या	प्रोसेसिंग के अधीन प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बहुराज्य	7	20	15	4	1	शून्य
2.	महाराष्ट्र	11	18	8	6	शून्य	4
3.	गुजरात	8	11	9	1	1	शून्य
4.	आंध्रप्रदेश	3	3	2	1	शून्य	शून्य
5.	कर्नाटक	3	3	2	1	शून्य	शून्य
6.	राजस्थान	1	1	शून्य	1	शून्य	शून्य
7.	पंजाब	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
8.	उत्तराखंड	3	3	शून्य	शून्य	1	2
कुल (1 से 8)		**37**	**60**	**37**	**14**	**3**	**6**

सारणी 2 : अधिग्रहीत बैंकों का सविस्तार ब्यौरा

(21 मई 2007 की स्थिति)

क्रम सं.	अधिनियम जिसके अधीन पंजीकृत	अधिग्रहीत बैंकों की संख्या	प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या	जारी अनापत्ति प्रमाणपत्रों	विलीन बैंकों की संख्या	वापस लिए के प्रस्तावों की संख्या	अस्वीकृत प्रस्ताव	प्रक्रियाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बहुराज्य	1	2	1	1	शून्य	1	शून्य
2.	महाराष्ट्र	17	21	11	5	1	6	3
3.	गुजरात	14	15	13	6	1	1	शून्य
4.	आंध्र प्रदेश	7	7	6	5	शून्य	1	शून्य
5.	कर्नाटक	3	5	3	1	शून्य	2	शून्य
6.	गोवा	1	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
7.	राजस्थान	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य
8.	दिल्ली	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य
9.	पंजाब	1	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
10.	मध्यप्रदेश	3	3	1	शून्य	शून्य	1	1
11.	उत्तराखंड	3	3	शून्य	शून्य	1	शून्य	2
कुल	**(1 to 11)**	**52**	**60**	**37**	**20**	**3**	**14**	**6**

ब्याज दरें/आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना

अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें

4.19 शहरी सहकारी बैंकों को अनिवासी बाह्य (एनआरई) और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की बिना पर जमाकर्ताओं अथवा तीसरी पार्टियों को 20 लाख रुपए से अधिक के नए ऋण देने की मनाही थी। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे उच्चतम सीमा से बचने के लिए ऋण को कई हिस्सों में करके स्वीकृति देने का कार्य न करें।

4.20 वार्षिक नीति वक्तव्य 2006-07 की समीक्षा में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंक जोकि विदेशी मुद्रा के प्राथमिक व्यापारी हैं, को सूचित किया गया था कि 31 जनवरी 2007 से भारत में कारोबार की समाप्ति से लागू संविदा वाली सभी परिपक्वताओं की एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के संबंध में ब्याज संबंधित करेंसी / तत्संबंधित परिपक्वताओं के लिए लिबोर/स्वैप दरों की उच्चतम सीमा से 25 आधार अंक घटाकर प्राप्त सीमा के भीतर अदा किया जाएगा। एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर दरों की उच्चतम सीमा 24 अप्रैल 2007 को कारोबार की समाप्ति से और संशोधित करके तत्संबंधित करेंसी/संबंधित परिपक्वताओं के लिए लिबोर/स्वैप दरों से 75 आधार अंक घटाकर प्राप्त उच्चतम सीमा कर दी गई। चल दर जमाराशियों पर ब्याज संबंधित करेंसी/परिपक्वता के लिए स्वैप दरों में 25 आधार अंक घटाकर प्राप्त उच्चतम सीमा के भीतर अदा किया जा सकता है। चल दर वाली जमाराशियों पर ब्याज प्रत्येक छह महीने में एक बार पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। ब्याज दरों को पुनः संशोधित करके संबंधित करेंसी/परिपक्वता के लिए स्वैप दरों की उच्चतम सीमा में 75 आधार अंक घटाकर प्राप्त उच्चतम सीमा तक कर दिया गया।

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें

4.21 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया था कि 24 अप्रैल 2007 को भारत में कारोबार की समाप्ति से एक से तीन वर्ष की परिपक्वतावाली नई अनिवासी (बाह्य) रुपया सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरें पहले वाले महीने के अंतिम कार्यदिवस को मौजूद संबंधित परिपक्वताओं के अमरीकी डालर हेतु लिबोर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी नीति

4.22 निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात सात चरणों में बढ़ाकर 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत कर दिया गया (सारणी IV.1)।

4.23 रिज़र्व बैंक ने उन बैंकों को भी दंडात्मक ब्याज की अदायगी से छूट दे दी जिन्होंने 22 जून 2006 से 2 मार्च 2007 के बीच की

सारणी IV.1: नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन

	परिवर्तन लागू होने की तारीख*	एनडीटीएल पर सीआरआर (प्रतिशत)
	1	2
1.	23-दिसंबर-06	5.25
2.	6-जनवरी-07	5.50
3.	17-फरवरी-07	5.75
4.	3-मार्च-07	6.00
5.	14-अप्रैल-07	6.25
6.	28-अप्रैल-07	6.50
7.	4-अगस्त-07	7.00

* : उक्त दिनांक को प्रारंभ पखवाड़े से

अवधि में 3.0 प्रतिशत का सांविधिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने में चूक की थी। भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 को प्रकाशित असाधारण गज़ट अधिसूचना में भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 अधिसूचित की और यह निर्धारित किया कि 1 अप्रैल 2007 वह तारीख होगी जिस तारीख को तत्संबंधित प्रावधान लागू हो जाएंगे। अधिसूचना को लंबित रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक के पास रखी गई पात्र सीआरआर शेष राशियों पर रिज़र्व बैंक सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को निम्न दर से ब्याज अदा करेगा (क) 24 जून 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से लेकर 8 दिसंबर 2006 तक 3.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से; (ख) 9 दिसंबर 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से लेकर 16 फरवरी 2007 तक 2.00 प्रतिशत की दर से ; (ग) 17 फरवरी 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से 1.00 प्रतिशत की दर से । यह भी निर्णय लिया गया कि 14 अप्रैल 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक में रखी पात्र नकद शेष राशियों पर (पहले के 1 प्रतिशत के बजाय) 0.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा किया जाएगा।

4.24 तथापि, भारत सरकार की दिनांक 9 जनवरी 2007 की असाधारण अधिसूचना में 9 जनवरी 2007 वह तारीख घोषित की गई जिस तारीख को भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 को छोड़कर शेष सभी प्रावधान लागू हो जाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए जानेवाले सीआरआर की न्यूनतम और उच्चतम सीमा को हटाने के साथ-साथ पात्र सीआरआर शेष राशियों पर ब्याज अदायगी हेतु व्यवस्था दी गई है। संबंधित प्रावधानों की अधिसूचना को लंबित रखते हुए सीआरआर पर न्यूनतम और उच्चतम सीमाएं फिर से बहाल कर दी गईं और रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि वह पात्र सीआरआर शेषराशियों पर ब्याज अदा करेगा किंतु वह मौद्रिक नीति दृष्टिकोण और समय-समय पर उठाए गए संबद्ध उपायों के अनुरूप होगा। संशोधनों के समनुरूप यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से अनुसूचित

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रखे जानेवाले सीआरआर शेषों पर रिज़र्व बैंक कोई ब्याज अदा नहीं करेगा।

विनियामक पहलें

जोखिम प्रबंध

4.25 टियर II बैंकों से अपेक्षित है कि वे विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात वैयक्तिक ऋणों, पूंजी बाजार एक्सपोज़र के रूप में पात्र ऋण एवं अग्रिम तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण क्षेत्र में मानक अग्रिमों संबंधी सामान्य प्रावधानन अपेक्षाओं को मौजूदा एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दें। वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र के एक्सपोज़र पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया।

4.26 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि साख-पत्र (एलसी) के अंतर्गत (जहां हिताधिकारी को 'प्रारक्षित के अंतर्गत' भुगतान न किया गया हो) खरीदे/भुनाए/बेचे गए बिल साखपत्र जारीकर्ता बैंक पर एक्सपोज़र माने जाएंगे न कि उधारकर्ता पर। पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु ऊपर दर्शाए गए सभी बेजमानती सौदों को एक जोखिम भार देना अनिवार्य है जैसा कि सामान्यतः अंतर-बैंक एक्सपोज़रों पर लागू होता है। 'प्रारक्षितों के अंतर्गत' किए जानेवाले सौदों में एक्सपोज़र उधारकर्ता पर माना जाएगा और तदनुसार उसे जोखिम भार दिया जाएगा।

4.27 चढ़ते शेयर बाजार के परिप्रेक्ष्य में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सतत आधार पर उनके द्वारा स्वीकृत की गई निधियों के अंतिम उपभोग की निगरानी करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे लेखा-परीक्षा जांच के निष्कर्षों की रिपोर्ट लेखा-परीक्षा समिति के बोर्ड के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत करें और उसे उनके अभिमतों के साथ निदेशक मंडल को प्रस्तुत करें।

4.28 बैंकों के स्वामित्व वाली और उनके अग्रिमों के निवेश संविभाग के एक काफी बड़े भाग के लिए जमानत के तौर पर उनके द्वारा स्वीकार की गई अचल आस्तियों का सही-सही और वास्तविक मूल्यन का मुद्दा पूंजी पर्याप्तता स्थिति के सही मापन हेतु इसके निहितार्थों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। तदनुसार बैंकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे जो उन्हें इस प्रयोजन हेतु संपत्तियों के मूल्यांकन और मूल्यांककों की नियुक्ति संबंधी नीति तैयार करते समय अनुसरण करने होंगे।

4.29 भारत सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि एटीएम से जाली नोटों का संवितरण जाली नोटों को चलाने का प्रयास माना जाएगा। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे (i) जाली नोटों के संबंध में रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का अपनी शाखाओं तक प्रसार करें; (ii) इसके कार्यान्वयन की निगरानी करें और (iii) जाली नोटों का पता लगाने तथा पुलिस के पास फाइल किए गए मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी आंकड़ों का समेकन करने संबंधी कार्य निष्पादित करने के लिए अपने प्रधान कार्यालय में एक 'जाली नोट सतर्कता कक्ष' स्थापित करें।

4.30 दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवास ऋण केवल प्राधिकृत ढांचों के लिए ही स्वीकृत किए जाएं और बैंक ऋण लेने वाले आवेदक से एक शपथपत्र पर यह वचन लें कि भवन स्वीकृत योजनाओं (प्लान) के अनुसार ही निर्मित किए जाएंगे और ये प्लान उस वचनपत्र के साथ संलग्न किए जाएं।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आंतकवाद के वित्तपोषण को रोकना

4.31 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे एन्टी मनी लांडरिंग स्टैंडर्ड के अनुपालन के संबंध में पूरी तरह से तैयार हैं। शहरी सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के लिए यह अनिवार्य है कि वे केवाइसी दिशानिर्देशों और एएमएल प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में हो रही प्रगति की व्यक्तिगत रूप से अक्षरशः निगरानी करें और जारी अनुदेशों का पालन न करने पर उत्तरदायित्व तय करने की एक प्रणाली स्थापित करें। उन्हें इस संबंध में एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.32 पूरे विश्व में निधियों के अंतरण हेतु वायर ट्रांसफर एक तात्कालिक और सर्वाधिक अपनाया जाने वाला मार्ग है अतः, आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवादियों और अन्य अपराधियों को अपनी निधियां यहां-वहां भेजने के लिए वायर ट्रांसफर का बेरोकटोक उपयोग करने से रोका जाए और ऐसा कोई भी दुरुपयोग होने पर उसका पता लगाया जाए। अतएव शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे सभी वायर ट्रांसफरों के बारे में अनिवार्यतः कतिपय सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सभी क्रास-बॉर्डर वायर ट्रांसफरों के साथ मौलिक अंतरणकर्ता (ओरिजिनेटर) का नाम व पता, मौजूदा खाते के विवरण अथवा उस देश विशेष में लागू अनन्य संदर्भ संख्या (यूनिक रेफरेंस नंबर) के बारे में सही सटीक और अर्थपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मौलिक अंतरणकर्ता संबंधी पूरी जानकारी अर्थात नाम, पता, खाता संख्या, आदि 50,000 रुपए और उससे अधिक के सभी देशी वायर अंतरणों के संबंध में जानकारी हिताधिकारी बैंक को अंतरणों के साथ दी जानी चाहिए / उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि बैंक को कुछ भी ऐसा लगे कि ग्राहक जानबूझकर रिपोर्टिंग या निगरानी से बचने के लिए अनेक हिताधिकारियों को 50,000 रुपए से कम के वायर अंतरण कर रहा है तो बैंक को यह अंतरण करने से पूर्व पूरा ग्राहक परिचय अनिवार्यतः प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए। ग्राहक द्वारा असहयोग करने पर उसकी पहचान करने के प्रयास किए जाने चाहिए और संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) वित्तीय गुप्तचर इकाई -भारत (एफआइयू

- आइएनडी) को भेजी जानी चाहिए । धन अंतरण करने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग किए जाने पर मौलिक अंतरणकर्ता के संबंध में आवश्यक सूचनाएं भेजे जाने वाले संदेश में यह जानकारी शामिल की जानी चाहिए। अंतर-बैंक अंतरणों एवं निपटानों में जहां मौलिक अंतरणकर्ता और हिताधिकारी दोनों ही बैंक या वित्तीय संस्थाएं हैं, उपर्युक्त अपेक्षाओं के पालन से छूट होगी।

4.33 आदेशक बैंक, जहाँ से वायर ट्रांसफर मूलरूप से किया जाता है यह सुनिश्चित करेगा कि अर्हक वायर ट्रांसफर में मूल अंतरणकर्ता के बारे में पूरी जानकारी रहती है और मध्यस्थ बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वह पूरी जानकारी उस अंतरण के साथ ही बनी रहे। ऐसी सूचना का रिकार्ड 10 वर्ष तक संरक्षित रखा जाना चाहिए। हितताधिकारी बैंक में कारगर जोखिम आधारित प्रक्रियाएं होनी चाहिए ताकि वे मूल अंतरणकर्ता संबंधी पूरी जानकारी न देने वाले वायर ट्रांसफरों की पहचान कर सकें। मूल अंतरणकर्ता संबंधी सूचना की कमी को यह मूल्यांकन करने में कि कोई वायर ट्रांसफर या संबद्ध लेनदेन संदिग्ध हैं अथवा नहीं और उन्हें एफआइयू - आइएनडी को रिपोर्ट किया जाए अथवा नहीं, एक कारक माना जाएगा।

कार्पोरेट गवर्नेंस

4.34 शेयर बाजार घोटाला और उससे संबद्ध मामलों के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्तूबर 2003 से शहरी सहकारी बैंकों को निदेशकों, उनके संबंधियों और ऐसी किन्हीं भी फर्मों / प्रतिष्ठानों / कंपनियों को जिनमें कि उनके हित हों, कोई भी ऋण और अग्रिम (जमानती और बेजमानती दोनों) देने की मनाही थी। तथापि, पुनर्विचार करने पर 6 अक्तूबर 2005 को भारत सरकार के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित को उपर्युक्त अनुदेशों के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाए (i) शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल के स्टाफ निदेशकों को दिए जानेवाले नियमित कर्मचारी संबंधी ऋण; (ii) वेतन भोगियों के सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल के निदेशकों को एक सदस्य के रूप में मिलने वाले सामान्य ऋण और (iii) बहु-राज्य सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को मिलनेवाले सामान्य कर्मचारी संबद्ध ऋण। ढील देने के एक और उपाय के रूप में सरकार के परामर्श से शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे अपने निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को उनके अपने नाम की मीयादी जमाराशियों और बीमा पालिसी की बिना पर ऋण लेने की अनुमति प्रदान करें।

ऋण संवितरण और वित्तीय समावेशन

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

4.35 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों के निवेश को तर्क संगत बनाने और बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं को धीरे-धीरे सीधे उधार देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1 अप्रैल 2007 को या उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक/हुडको द्वारा जारी बांडों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र नहीं समझे जाएंगे।

4.36 शहरी सहकारी बैंकों को प्रति हिताधिकारी एक रिहाइशी इकाई के लिए 25 लाख रुपए की सीमा तक वैयक्तिक आवास ऋण देने की अनुमति दी गई है। तथापि, 15 लाख रुपए से अधिक का आवास ऋण लेनेवाले उधारकर्ताओं को दिया जानेवाला आवास वित्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार नहीं समझा जाएगा।

4.37 अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधारों का एक उचित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों को लक्ष्यित हो और यह कि सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभ पददलित लोगों तक पहुंचें। अतएव शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए निर्धारित समग्र लक्ष्य और निर्बल वर्ग के लिए 25 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के भीतर यह सुनिश्चित करने की पर्याप्त सावधानी बरती जाए कि अल्पसंख्यक समुदायों को भी ऋण का एक उचित हिस्सा मिले।

4.38 अति लघु (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा बदली गई थी और इसे बैंकों को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित करना अनिवार्य था। शहरी सहकारी बैंकों को विनिर्माण या उत्पादन और सेवाएं देने के कार्य में संलग्न माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा सूचित की गई थी जोकि निम्नानुसार है : (i) वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन, प्रसंस्करण और परिरक्षण में संलग्न उद्यम - (क) जहां संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 25 लाख रुपए से कम है अतिलघु (माइक्रो) उद्यम है; (ख) जहां संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 25 लाख रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से कम है लघु उद्यम है; (ग) जहां संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है, मध्यम उद्यम है और (ii) सेवाएं देने में संलग्न उद्यम - (क) जहां उपकरणों में किया गया निवेश 10 लाख रुपए से कम है माइक्रो उद्यम; (ख) जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक किंतु 2 करोड़ रुपए से कम है, लघु उद्यम और (ग) जहां उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से कम है मध्यम उद्यम है (कृपया बाक्स II.4 भी देखें)। बैंकों द्वारा मध्यम उद्यमों को दिए गए उधार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधारों के प्रयोजन से की जाने वाली गणना में नहीं लिए जाएंगे।

कुक्कुटपालन उद्योग को राहत हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

4.39 देश के कुछ भागों में एविएन इंफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) फैलने के कारण कुक्कुट पालन इकाइयों को भारी कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा था। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को दिशा-निर्देश

जारी किए गए, जिनके अनुसार 1 फरवरी 2006 को या उसके बाद कार्यशील पूंजी ऋणों के मूलधन और उस पर देय ब्याज के साथ ही मीयादी ऋणों की किस्त और उस पर देय ब्याज को मीयादी ऋण में परिवर्तित किया जाना था जो एक वर्ष तक के आरंभिक ऋण चुकौती स्थगन के साथ तीन वर्ष में होनेवाले भावी अनुमानित अंतर्वाह के आधार पर तय किस्तों में वसूला जाना चाहिए। यह राहत उन सभी पोल्ट्री खातों को दी गई थी जो 31 मार्च 2006 को मानक खातों के रूप में वर्गीकृत थे। कुक्कुट पालन (पोल्ट्री) उद्योग को ब्याज माफी की व्याप्ति और उसकी गणना पद्धति तथा संवितरण के बारे में अनुदेश शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए थे।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को राहत उपायों का पैकेज

4.40 विदर्भ के ऋणग्रस्त जिलों में किसानों की विपत्ति दूर करने के उद्देश्य से बैंकों को सूचित किया गया था कि वे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणानुसार कृषि ऋण के संबंध में पुनर्वास पैकेज कार्यान्वित करें। यह पैकेज अमरावती, वर्धा, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुलढाणा जिलों में लागू है। इन उपर्युक्त छह जिलों में 1 जुलाई 2006 को किसानों के अतिदेय ऋणों पर समस्त ब्याज का अधित्याग अपेक्षित है और उस तारीख को उन पर कोई भी ब्याज भार नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2006 को अतिदेय ऋणों को एक वर्ष के अधिस्थगन के साथ 3-5 वर्ष की अवधि में (चुकौती हेतु) पुनः निर्धारित किया जाना है। ऊपर दी गई व्यवस्था के अनुसार पुनर्निर्धारण करने के पश्चात् किसानों को नई आवश्यकता आधारित ऋण सुविधा दी जा सकती है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली राहत

4.41 हाल ही की बाढ़ के संदर्भ में जिसकी वजह से देश के विभिन्न भाग प्रभावित हुए हैं, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ग्राहकों को वैकल्पिक सुविधा जैसे कि अस्थायी परिसर से शाखाओं, एक्सटेंशन काउंटरों और दूरस्थ कार्यालयों का संचालन तथा एटीएम की संचालन व्यवस्था पुनःस्थापित करने के माध्यम से अपना खाता चलाने में मदद देना सुनिश्चित करें।

4.42 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा नए खाते खोलना सुसाध्य बनाने के लिए, विशेषकर सरकार/अन्य एजेंसियों द्वारा दी जानेवाली विभिन्न प्रकार की राहतें प्राप्त करने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 'केवाइसी' प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के साथ खाते खोलें, यदि एक वर्ष में उनके खाते में जमा शेष 50,000 रुपए से अधिक न होती हो अथवा यदि प्रदान की जानेवाली राहत राशि (यदि अधिक हो) तथा खाते में कुल जमा रुपए 1,00,000 अथवा स्वीकृत राहत राशि (यदि अधिक हो) से अधिक न होती हो।

4.43 समाशोधन सेवा में सातत्य सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया कि वे 20 बड़े शहरों में 'ऑन सिटी बैक अप सेंटर' खोलें तथा शेष शहरों के लिए कारगर तथा कम लागत वाला निपटान समाधान खोजें। ग्राहकों की निधि संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे अधिक राशि के चेक भुनाने पर विचार करें। वे ईएफटी/ईसीएस या डाक सेवा के लिए शुल्क हटाने पर भी विचार कर सकते हैं ताकि प्राकृतिक विपदा से प्रभावित व्यक्तियों के खातों में निधियों का आवक अंतरण सुकर हो सके।

4.44 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि बिना किसी जमानत के स्वीकृत किए जाने वाले उपभोग ऋण की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया जाए और यदि राज्य सरकारों ने कोई भी जोखिम निधि न गठित की हो तब भी ये ऋण उपलब्ध कराए जाएं । मौजूदा ऋणों की पुनर्संरचना करते समय बकाया फसल ऋणों और मीयादी कृषि ऋणों के मूलधन के साथ-साथ उस पर उपचित ब्याज भी मीयादी ऋणों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चुकौती के लिए यह पुनर्संरचना अवधि 3 से 5 वर्ष हो सकती है। जहां नुकसान बड़ा भयंकर है वहां बैंक चुकौती की अवधि बढ़ाकर 7 वर्ष कर सकते हैं और अत्यंत भयावह स्थितियों वाले मामलों में इसे बिना अतिरिक्त संपाश्र्विक प्रतिभूति के बढ़ाकर 10 वर्ष कर सकते हैं ।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में कर्ज के बोझतले दबे किसानों को राहत

4.45 केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों में 25 विनिर्दिष्ट जिलों के कर्ज में डूबे किसानों के लिए राहत उपायों का एक पैकेज अनुमोदित किया है। तदनुसार, इन राज्यों में सभी शहरी सहकारी बैंकों तथा बहु-राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि विनिर्दिष्ट जिलों में सभी किसानों के ऋण खातों को, जो कि 1 जुलाई 2006 से अतिदेय हैं, एक वर्ष के अधिस्थगन के साथ 3-5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया जाए तथा उस पर देय ब्याज पूरी तरह से (1 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार) छोड़ दिया जाए। ऐसे किसानों को नया वित्त भी प्रदान किया जाए।

आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए राहत उपाय

4.46 वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणाओं के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे आपदाग्रस्त किसानों को जिनके खाते प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले पुनर्निर्धारित/परिवर्तित किए जा चुके हैं और साथ ही ऐसे किसान जो परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपने बकाया ऋणों की चुकौती में चूक कर रहे हैं, को भी एकबारगी निपटान योजनाओं (ओटीएस) के लाभ दिए जाएं। सभी बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से पारदर्शी एकबारगी निपटान योजना संबंधी नीतियां तैयार करें।

4.47 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि शाखाओं में ग्राहकों को दी जानेवाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से वे यह सुनिश्चित करें कि खातेदारों को जारी किए जानेवाली पास बुकों/खाता विवरणों में अनिवार्यतः शाखा का पूरा पता और टेलिफोन नंबर हो।

ग्राहक सेवाएं

4.48 बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने में बैंकों को सक्षम बनाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को एक्सटेंशन काउंटरों पर निम्नलिखित सीमित लेनदेन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई :(i) जमा/आहरण लेन-देन; (ii) ड्राफ्ट जारी करना और उनका नकदीकरण तथा डाक अंतरण; (iii) यात्री चेक जारी करना और उनका नकदीकरण; (iv) बिलों की वसूली; (v) अपने ग्राहकों की मीयादी जमाराशियों की बिना पर अग्रिम (एक्सटेंशन काउंटर के संबंधित अधिकारी की मंजूरकारी शक्ति के भीतर) और (vi)प्रधान कार्यालय/आधार शाखा द्वारा स्वीकृत मात्र 10 लाख रुपए तक के ऋणों की सीमा तक के अन्य ऋणों (केवल व्यक्तियों के लिए) का संवितरण।

4.49 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 'बैंक प्रभारों की तर्क संगति सुनिश्चित करने हेतु योजना निर्माणट के संबंध में गठित कार्य दल की सिफारिशें जैसी कि बैंक द्वारा स्वीकार की गई हैं, कार्यान्वित करें। उन्हें यह भी कहा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को सेवा प्रभार सामने - सामने बताए जाते हैं और ग्राहक को पूर्व नोटिस के साथ ही कार्यान्वित किए जाते हैं।

4.50 मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सेवा प्रभार निर्धारित करने का निर्णय बैंक विशेष के निदेशक मंडलों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सामान्यतः बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे सेवा प्रभार निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि लगाए जानेवाले प्रभार तार्किक, सेवाएं देने की लागत के अनुरूप हों तथा कम मूल्य के/ कम मात्रा में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को इसका दंड न भुगतना पड़े। सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित फार्मेट में विभिन्न सेवा प्रभारों के विवरण अपने कार्यालयों/ शाखाओं के साथ-साथ अपनी वेबसाइटों पर भी दर्शाएं और उन्हें अद्यतन रखें। इन्हें स्थानीय भाषा में भी दर्शाया जाना चाहिए।

4.51 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपनी वेबसाइटों के होम पेज के आकर्षक स्थान पर 'सेवा प्रभार और शुल्कट शीर्षक के अंतर्गत कुछ सेवा प्रभारों और शुल्कों के विवरण दर्शाएं और अद्यतन करें जिससे कि बैंक ग्राहक उन्हें सुगमता से देख सकें। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे अपने होम पेज पर ही शिकायत निवारण हेतु संपर्क अधिकारी के नाम के साथ एक शिकायत फार्म भी उपलब्ध कराएं। फार्म में दर्शाया जाए कि शिकायत निवारण का प्रथम स्थान स्वयं बैंक है और एक माह के भीतर बैंक में शिकायत का निवारण न होने पर शिकायतकर्ता बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

4.52 शहरी सहकारी बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि डुप्लीकेट डीडी जारी करने के अनुरोध प्राप्त होते ही वह एक पखवाड़े के भीतर जारी कर दिए जाएं। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे इस निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने पर ऐसे विलंब के लिए ग्राहक को ब्याज देकर भरपाई करें।

4.53 रिज़र्व बैंक/बैंकिंग लोकपाल को मिली शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने ग्राहकों को ड्रॉप बाक्स में चेक डालने के लिए मजबूर न करें और चेक ड्राप बॉक्स पर यह दर्शाएं कि 'ग्राहक काउंटर पर भी अपने चेक देकर अदायगी पर्ची पर उसकी पावती प्राप्त कर सकते हैं'।

4.54 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने सभी बचत खाता धारकों (व्यक्ति) को अनिवार्यतः पासबुक सुविधा प्रदान करें क्योंकि छोटे ग्राहकों के लिए खाता विवरण की जगह यह ज्यादा सुविधाजनक है। इसके अलावा वे ऐसी पासबुक देने की लागत ग्राहकों से न वसूलें।

4.55 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा रुपए में पूर्णांकित न करके जारी (अर्थात् रुपए और पैसे में अंकित) किए गए चेक उनके द्वारा अस्वीकार अथवा अनादृत न किए जाएं । बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि संबंधित स्टाफ इन अनुदेशों से भलीभांति परिचित हो ताकि सामान्य जनता को कोई कष्ट न हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका जो स्टाफ रुपए-पैसों में जारी किए गए ऐसे चेकों/ड्राफ्टों को लेने से मना करे उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। बैंकों को यह नोट करने के लिए भी सूचित किया गया कि उपर्युक्त अनुदेशों की अवहेलना करने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) के प्रावधानों के तहत उन पर दंड लगाया जा सकता है।

4.56 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय के अनुरूप शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे जमा खाता खोलने वाले व्यक्ति पर सामान्यतः इस बात का जोर दें कि वह नामन करे। बैंक जमाकर्ता को नामन सुविधा के लाभों से अवगत कराए और फिर भी यदि वह व्यक्ति नामन करना चाहे तो बैंक उससे कहे कि वह इस संबंध में एक पत्र लिखकर दे कि वह नामन नहीं करना चाहता। यदि वह व्यक्ति ऐसा पत्र देने में आनाकानी करे तो बैंक उसके खाता खोलने वाले फार्म पर यह तथ्य रिकार्ड करे और यदि उसे अन्यथा पात्र पाया जाए तो खाता खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाए।

4.57 यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लगाई जानेवाली ब्याज दरें अविनियमित हैं किंतु एक खास स्तर से आगे की ब्याज दरें कुसीदिक (सूदखोर जैसी) जान पड़ती हैं और वे सामान्य बैंकिंग व्यवहार के अनुरूप नहीं थीं। अतएव शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने उचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं बनाएं

जिससे कि कुसीदिक ब्याज जिसमें प्रोसेसिंग और अन्य प्रभार शामिल हैं, ऋण और अग्रिमों पर उनके द्वारा न लगाया जाए।

अन्य नीतिगत पहलें

म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों का वितरण

4.58 राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों जिन्होंने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा वे जो बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत हैं, को कतिपय निर्दिष्ट मानदंडों के अधीन अपनी यूनिटों के विपणन हेतु म्यूच्युअल फंडों के साथ करार करने की अनुमति दी गई है।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबार चलाना

4.59 राज्य के सहकारी समितियां अधिनियम अथवा बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, को कतिपय निर्दिष्ट मानदंड पूरे करने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I और II लाइसेंस के लिए अनमुमति प्रदान की गई है। मौजूदा दो शहरी सहकारी बैंक, जिनके पास श्रेणी I लाइसेंस है, के अलावा दो और बैंकों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I लाइसेंस दिया गया था। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II लाइसेंस वाले बैंकों को कतिपय निर्दिष्ट गैर-व्यापारिक चालू खाता लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी / विप्रेषित करने की अनुमति है। यह भी निर्णय लिया गया कि संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के रूप में काम करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को कोई भी नया प्राधिकार न दिया जाए।

ओटोमेटेड टेलर मशीनें (एटीएम) लगाना

4.60 सुदृढ़ अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अधीन चुनिंदा आफसाइट / आन-साइट एटीएम लगाने की अनुमति दी गई। एटीएम रखने की अनुमति वाले बैंक एटीएम-कम-डेबिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी और/या एटीएम की साझेदारी के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है।

एक्सटेंशन काउंटरों को स्वयं पूर्ण शाखा में बदलना

4.61 कुछ राज्य सरकारों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके लाए गए विनियामक समन्वय के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों में पंजीकृत वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा जो बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत हैं, को कतिपय शर्तों के अधीन मौजूदा एक्सटेंशन काउंटरों को स्वयंपूर्ण शाखाओं में परिवर्तित करने की अनुमति देने पर रिज़र्व बैंक विचार करेगा।

बीमा कारोबार

4.62 वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणानुसार राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा वे जो बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत हैं, को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने पर बिना जोखिम सहभागिता के कार्पोरेट एजेंट के रूप में बीमा एजेंसी कारोबार शुरू करने की अनुमति दी गई थी : (क) शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम निवल मालियत 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए और (ख) इसे ग्रेड III या II के रूप में वर्गीकृत नहीं होना चाहिए। राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों के मामले में जिन बैंकों ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उनके लिए मौजूदा मानदंड जारी रहेंगे।

एन आर ई/एन आर ओ खाते रखने के लिए मानदंड

4.63 राज्यों में पंजीकृत बैंक जिन्होंने पर्यवेक्षी और विनियामक समन्वय हेतु रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा वे बैंक जो बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत हैं, को कतिपय पात्रता मानदंड पूरे करने पर एनआरई खाता खोलने की अनुमति दी गई थी। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को एनआरओ जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। उन्हें ये खाते एक निर्धारित समय सीमा में बंद करने भी जरूरी हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंक एनआरओ खाते रख सकते हैं और ऐसा उनके पुनः नामोद्दिष्ट होने जैसे कि खाता धारक के अनिवासी बन जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप होगा। इसके अलावा, आवधिक रूप से ब्याज जमा होने को छोड़कर इन खातों में नए जमा अनुमत नहीं हैं। तथापि, प्राथमिक व्यापारी श्रेणी-I लाइसेंस धारक शहरी सहकारी बैंकों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं हैं।

लघु और मध्यम उद्यम खातों के लिए एक बारगी निपटान योजना (ओटीएस) संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

4.64 लघु एवं मध्यम क्षेत्र में दीर्घकालिक अनर्जक आस्तियों के निपटान हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किए गए थे कि वे संबंधित राज्यों के राज्य सहकारी समितियां अधिनियम / नियमों में प्रचलित कानूनी स्थिति के मद्देनज़र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक योजना अधिसूचित करें। इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धांत बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में निदेशकों/उनके संबंधियों/फर्मों या कंपनियों जिनमें कि निदेशकों के हित हैं, द्वारा लिए गए/ गारंटीकृत ऋण और इरादतन की गई चूक, धोखाधड़ियां और भ्रष्टाचारों के मामले नहीं कवर किए गए हैं।

किसान विकास पत्र की खरीद के लिए ऋणों की स्वीकृति

4.65 किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए ऋणों की स्वीकृति से नयी बचतों को बढ़ावा नहीं मिलता। इसके बजाय यह बैंक जमाराशियों के रूप में वर्तमान बचतों की अल्प बचत लिखतों में ले जाता है तथा इस प्रकार ऐसी योजनाओं के प्रयोजन को ही समाप्त कर देता है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे किसान विकास पत्रों सहित लघु बचत लिखतों की खरीद/ उनमें निवेश के लिए ऋण स्वीकृत न करें।

शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी को बढ़ाना

4.66 शेयर पूँजी और प्रतिधारित आय सहकारी बैंकों की स्वाधिकृत निधियां हैं। न्यूनतम अवरुद्ध अवधि के बाद सदस्य अपनी शेयर पूँजी वापस ले सकते हैं तथा इसमें स्थायी ईक्विटी जैसी कोई बात नहीं है। सहकारी बैंकों को भी प्रीमियम पर शेयर जारी करने की अनुमति नहीं है। विनियामक पूँजी जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों और शहरी सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक कार्यदल का गठन किया जाए जो अंतर्ग्रस्त मुद्दों की जाँच करे तथा शहरी सहकारी बैंकों की पूँजी निधियाँ बढ़ाने के लिए वैकल्पिक लिखतों/साधनों की पहचान करे (बॉक्स IV.2)।

बैंक तथा शाखा लाइसेंसीकरण

4.67 मई 1993 में लाइसेंस संबंधी मानदंड आसान करने के फलस्वरूप जून 2001 तक 800 से अधिक बैंकिंग लाइसेंस जारी किये गये। तथापि, यह पाया गया कि इन नये लाइसेंसशुदा शहरी सहकारी बैंकों में से एक तिहाई के लगभग अल्प अवधि के भीतर वित्तीय दृष्टि से कमजोर हो गये। इस प्रकार उस क्षेत्र की वृद्धि की गति को कम करने की जरूरत थी। तदनुसार, बड़ी संख्या में मौजूदा शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उपयुक्त ढाँचा बनाये जाने तक और अधिक बैंक और शाखा लाइसेंसीकरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। मार्च 2007 के अंत में 1813 बैंकों में से 925 यूनिट बैंक थे, जो प्रधान कार्यालय - सह-शाखा के रूप में कार्यरत थे। रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में यह निर्णय लिया गया कि उन पात्र लाइसेंसशुदा बैंकों से शाखा लाइसेंस स्वीकार करने का आवेदन लेने पर विचार किया जाए, जिनकी निवल मालियत रुपए 10 करोड़ से कम न हो तथा। प्रस्तावित बैंक सहित प्रति बैंक औसत निवल मालियत 'ए' और 'बी' श्रेणी के केंद्रों में 2 करोड़ रुपए तथा 'सी' और 'डी' श्रेणी के केंद्रों में 1 करोड़ रुपए से कम न हो। बैंकों की पात्रता का निर्णय मार्च 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके लेखापरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर लिया जाता है।

निदेशों के तहत आने वाले शहरी सहकारी बैंक

4.68 श्रेणीबद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई की रूपरेखा के आधार पर अथवा अन्य बातों के बीच बैंक पर भगदड़ जैसी आकस्मिक गतिविधियों के कारण शहरी सहकारी बैंकों को निदेश जारी किये जाते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं - जमाराशि स्वीकार करने/आहरित करने पर प्रतिबंध, ऋणों के विस्तार पर प्रतिबंध या पाबंदी, बैंक के दिन-प्रति-दिन के कार्यों के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्थापना व्ययों से इतर व्यय को वहन करना। निदेश के तहत रखे गये बैंकों पर निगरानी रखी जाती है तथा अपनी अपर्याप्तता को सुधारने की बैंकों की योग्यता के आधार पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया जाता है। पिछले वर्ष में 10 शहरी सहकारी बैंकों की तुलना में 2006-07 के दौरान, 23 शहरी सहकारी बैंकों को निदेश के तहत रखा गया। मार्च 2007 के अंत में निदेश के तहत रखे गये शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 73 थी जो मार्च 2006 के अंत के 75 की तुलना में कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.2)।

परिसमापनाधीन शहरी सहकारी बैंक

4.69 मार्च 2006-07 के अंत में 254 शहरी सहकारी बैंक परिसमापन के विभिन्न चरणों में थे जबकि मार्च 2006 के अंत में इनकी संख्या 226 थी (परिशिष्ट सारणी IV.3)। उन राज्यों, जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, में अपनाई गई परामर्शी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप परिसमापन की प्रक्रिया सरल हो गई है क्योंकि निर्णय 'टैफकब' की सिफारिशों के आधार पर लिए जाते हैं। पहले बैंक के समापन की मांग का बैंक और क्षेत्र द्वारा विरोध किया जाता था जो अकसर राज्य सरकारों द्वारा मांग पूरी करने में विलंब के रूप में परिणित होता था।

परोक्ष निगरानी

4.70 रिज़र्व बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाने वाली सभी पर्यवेक्षी एवं विनियामक विवरणियां (ओएसएस सहित) तैयार करने एवं भेजने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक परोक्ष निगरानी साफ्टवेयर विकसित किया गया है। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा इन विवरणियों को ई-मेल से रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाता है जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालय के डेटाबेस में स्वतः अपलोड किया जाता है तथा उसे इंफीनेट पर रात में केंद्रीय कार्यालय के सर्वर में भेज दिया जाता है। सतत पर्यवेक्षण के प्रति किये जाने वाले प्रयासों के भाग के रूप में व्यवसाय आसूचना साफ्टवेयर का प्रयोग करके आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ विश्लेषण का उद्देश्य यह है कि बैंकों के समक्ष मौजूद दबाव के आरंभिक संकेतकों का पीछा किया जा सके तथा बहिर्वासी बैंकों, अर्थात ऐसे बैंक जो पूँजी पर्याप्तता, आस्तियों की गुणवत्ता, चलनिधि, आय, आदि जैसे महत्वपूर्ण मानदंडों के संबंध में उचित सीमा में नहीं आते हैं, उनकी पहचान की जा सके। परोक्ष निगरानी निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में भी कार्य करती है क्योंकि आँकड़ों को विश्लेषित फार्म में प्रस्तुत किया जाता है जिससे सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों

बॉक्स IV.2 : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा पूँजी जुटाने संबंधी मुद्दों पर कार्य दल की रिपोर्ट

पिछले डेढ़ दशकों में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र ने अपूर्व वृद्धि दर्ज की है। तथापि, क्षेत्र में कुछ कमजोरियाँ दिखायी दी हैं जिससे जनता के विश्वास में कमी आयी है जो विनियामकों और उस क्षेत्र में अछा कार्य कर रही इकाइयों के लिए चिंता की बात है। शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है - ईक्विटी/अर्ध-ईक्विटी निवेशों को आकृष्ट करने की उनकी योग्यता। वर्तमान में, शहरी सहकारी बैंकों के पास ऐसी निधियाँ जुटाने के लिए सीमित साधन हैं तथा उनकी शेयर पूँजी भी हटायी जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में शहरी सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी के मुद्दे की जाँच करने और उनकी पूँजी निधियाँ बढ़ाने के लिए वैकल्पिक लिखतों/साधनों की पहचान करने के लिए एक कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, एक कार्यदल (अध्यक्षः एन.एस.विश्वनाथन) गठित किया गया।

दल की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- जहाँ कम पूँजी अथवा ऋणात्मक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंक संभावित निवेशकों की पहचान कर सकते हैं, जहाँ व्यक्तिगत शेयरधारिता पर अधिनियम में निर्धारित मौद्रिक अधिकतम सीमा उस मार्ग से शेयर पूँजी बढ़ाने में अवरोध बन जाती है। ऐसे मामलों में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे अधिसूचना जारी कर अथवा अधिनियम में यथावश्यक संशोधन कर व्यक्तिगत शेयरधारिता पर वर्तमान अधिकतम मौद्रिक सीमा से शहरी सहकारी बैंकों को छूट प्रदान करें।
- ईक्विटी अथवा अर्ध-ईक्विटी वाली विशिष्टताओं से युक्त स्थिर और दीर्घावधि निधियां जुटाने के लिए लिखतों और साधनों का प्रावधान करना:

  i) शहरी सहकारी बैंकों को अप्रतिभूत, गौण (जमाकर्ताओं के दावों के प्रति), अपरिवर्तनीय, मोचनीय डिबेंचर/बांड जारी करने की अनुमति दी जाए जिनमें उनके कार्यक्षेत्र के भीतर और बाहर रहने वालों के द्वारा अभिदान किया जा सके। ऐसी लिखतों के माध्यम से जुटायी गयी निधियों को टीयर II पूँजी के रूप में माना जाए, बशर्ते ऐसी लिखतें कुछ निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप हों। ये बांड परांकन और सुपुर्दगी द्वारा अंतरणीय बनाये जा सकते हैं।

  ii) शहरी सहकारी बैंकों को विशिष्ट शर्तों पर विशेष शेयर जारी करने की अनुमति दी जाए। बैंकों को भी प्रीमियम पर ऐसे शेयर जारी करने की अनुमति दी जाए, जिसे रिजर्व बैंक के परामर्श से सहकारी समिति के संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। विशेष शेयर मताधिकार रहित, शाश्वत और पृष्ठांकन एवं सुपुर्दगी द्वारा अंतरणीय होने चाहिए। उन्हें सिर्फ साधारण शेयर से वरीय श्रेणी में रखा जाए तथा टीयर I पूँजी के रूप में माना जाए।

  iii) श्रेणी निर्धारण संबंधी अपेक्षा के बारे में रिजर्व बैंक अपवाद बना सकता है ताकि वाणिज्य बैंक गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जारी विशेष शेयरों और टीयर II बांडों में निवेश कर सकें। शहरी सहकारी बैंकों को अन्य शहरी सहकारी बैंकों के टीयर II बांडों में निवेश करने की भी अनुमति दी जाए। रिजर्व बैंक एक ऐसी उपयुक्त सीमा निर्धारित करे जो निवेशकर्ता बैंक और प्राप्तकर्ता बैंक की निवल स्वाधिकृत निधियों से संबद्ध हो।

  iv) शहरी सहकारी बैंकों को सहकारी समितियों के संबंधित रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति से विशेष शर्तों पर मोचनीय संचयी अधिमान शेयर रिजर्व बैंक के परामर्श से, जारी करने की अनुमति दी जाए। कुछ निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप होने की शर्त पर इन्हें टीयर II पूँजी के रूप में माना जाए।

  v) अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड के रूप में निधियां जुटाने के लिए निर्धारित सीमा को हटाने हेतु बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। जहाँ कहीं अन्य अधिनियमों में ऐसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं, वहाँ आवश्यक संशोधन किये जाएं।

  vi) शहरी सहकारी बैंकों को इस बात की अनुमति दी जाए कि वे 15 साल से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियां जुटायें तथा ऐसी जमाराशियों को टीयर II पूँजी के रूप में माना जाए बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल होगा कि वे अन्य जमाराशियों के प्रति गौण होंगी तथा डीआइसीजीसी की सुरक्षा के लिए अपात्र होंगी।

  vii) जहाँ ऋणात्मक निवल मालियत वाले बैंक मौजूदा जमाराशियों के परिवर्तन के जरिये बांड, अधिमान शेयर तथा लंबी परिपक्वता वाली जमाराशियों के जरिये टीयर II पूँजी जुटाते हैं, वहाँ रिजर्व बैंक सामान्य नियम के अपवाद के रूप में इन्हें विनियामक पूंजी के भाग के रूप में मान सकता है, भले ही टीयर I पूँजी ऋणात्मक हो।

- चूँकि प्रतिधारित आय स्वाधिकृत निधियों का एकमात्र स्रोत है, रिजर्व बैंक भारत सरकार को सुझाव दे सकता है कि वह तीन वर्ष की अवधि के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर आय कर लागू करना आस्थगित कर दे और तब तक वैकल्पिक लिखतें भी ठोस रूप ले लेंगी।
- चूँकि शहरी सहकारी बैंकों को जोखिम आस्तियों के प्रति अनुपात के रूप में पूँजी पर्याप्तता जोड़ने की व्यवस्था में लाया जा रहा है, अतः उधारकर्ता-से-उधारकर्ता आधार पर ऋण के प्रति शेयर का अनुपात निर्धारित करना जरूरी नहीं होगा और इसलिए ऋण से शेयर को जोड़ने के वर्तमान अनुदेश समाप्त कर दिये जाएं।
- जहाँ तक अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड के प्रस्तावित मानक का संबंध है, जिसके तहत बाहरी देयताओं के रूप में सहकारिताओं की शेयर पूँजी मानने की अपेक्षा की गयी है, कार्यदल ने सिफारिश की है कि सहकारी समिति अधिनियमों में पूँजी निकालने के लिए रखे गये प्रतिबंधों को देखते हुए तथा शहरी सहकारी बैंकों की शेयर पूँजी के कमोबेश स्थिर रहने संबंधी आनुभविक साक्ष्य को हिसाब में लेते हुए उसे ईक्विटी के रूप में माना जाता रहे और इसकी गणना विनियामक प्रयोजनों के लिए टियर I पूँजी के रूप में की जाए।
- कार्यदल ने पाया है कि इस क्षेत्र के लिए संघीय विन्यास अंतिम समाधान हो सकता है। तथापि, इसके लिए न सिर्फ सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है अपितु पर्यवेक्षी और विनियामक प्रथाओं में परिवर्तन भी अपेक्षित हैं। अतः, दल ने यह सिफारिश की है कि अंतरराष्ट्रीय अनुभवों और प्रणालियों पर विचार करते हुए उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त विधायी और पर्यवेक्षी रूपरेखा के सृजन के समग्र मुद्दे पर अलग से जाँच की जाए।

की प्रबंध सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विश्लेषणात्मक परिणाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी हाल हाल ही में परिष्कत ओ एस एल सफ्टवेअर में दिए गए है। साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों की

प्रबंध सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विश्लेषणात्मक परिणाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी हाल ही में परिष्कृत ओएसएल साफ्टवेयर में दी गई है।

4.71 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे परोक्ष निगरानी साफ्टवेयर में दिये गये एएलएम मॉड्यूल के माध्यम से संरचनात्मक चलनिधि विवरण तथा ब्याज दर संवेदनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। यह अपेक्षा की गयी कि संरचनात्मक चलनिधि विवरण जून 2007 के अंतिम सूचित शुक्रवार अर्थात 22 जून 2007 से पाक्षिक अंतराल पर तैयार किया जाए तथा ब्याज दर संवेदनात्मकता विवरण जून 2007 के महीने से शुरू कर माह के अंतिम सूचित शुक्रवार को मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाए।

4.72 चूँकि वाणिज्य बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के बीच पर्यवेक्षी प्रक्रिया में गुरुतर समाभिरूपता है, अतः शहरी सहकारी बैंकों के रेटिंग मॉडल को संशोधित कर उसे वाणिज्य बैंकों के संशोधित रेटिंग मॉडल के अनुरूप बनाया गया। टियर I और टियर II शहरी सहकारी बैंकों के नये रेटिंग मॉडल को मार्च 2008 से प्रारंभ किए गए निरीक्षण चक्र के साथ अपनाये जाने के लिए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया (बॉक्स IV.3)।

शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन

शहरी सहकारी बैंकों की रूपरेखा

4.73 शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में कई संस्थाएं आती है जिनमें आकार, व्यवसाय के स्वरूप और भौगोलिक विस्तार संबंधी अंतर हैं। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के पास जमाराशियों का लगभग 4.4 प्रतिशत तथा बैंकिंग प्रणाली के अग्रिमों का 3.9 प्रतिशत है और उनके पास 7.1 मिलियन उधारकर्ता और 50 मिलियन से अधिक जमाकर्ता हैं।

4.74 पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रेड I और II बैंकों की कुल संख्या में निरंतर वृद्धि हुई, जबकि ग्रेड III और IV बैंकों की संख्या में गिरावट आयी। मार्च 2007 के अंत में ग्रेड III और ग्रेड IV के शहरी सहकारी बैंकों की संख्या घटकर 563 रह गयी (शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या का 31.1 प्रतिशत), जबकि मार्च 2006 के अंत में यह 677 (कुल का 36.5 प्रतिशत) थी (सारणी IV.2)। अधिकांश केंद्रों में ग्रेड I और II के बैंकों की संख्या में वृद्धि और ग्रेड III और IV के बैंकों की संख्या में गिरावट देखी गई। ग्रेड I और II के बैंकों की संख्या में सामान्य सुधार बड़े पैमाने पर 'टैफकब' के तहत परामर्शी प्रक्रिया के स्वास्थ्य को प्रभाव को दर्शाता है (सारणी IV.2)।

4.75 इस क्षेत्र में जनता का विश्वास शहरी सहकारी बैंकों के जमा आधार में हुई वृद्धि में परिलक्षित होता है। शहरी सहकारी बैंकों की कुल जमाराशियों में 2005-06 में हुई 8.6 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर 2006-07 के दौरान 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुछ बड़े बैंकों के अलावा, अधिकांश शहरी सहकारी बैंक छोटे से लेकर मध्यम आकार के हैं (सारणी IV.4)। मार्च 2007 के अंत में, कुल 1,813 शहरी सहकारी बैंकों में से 34.5 प्रतिशत शहरी

बॉक्स IV.3 : शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित कैमेल्स रेटिंग मॉडल

वर्तमान में, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए क्रमशः 'केमेल्स' (वाणिज्य बैंकों जैसा) पर आधारित पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल और 'सीएईएल' पर आधारित सरलीकृत रेटिंग मॉडल प्रचलित हैं। गैर-अनुसूचित और अननुसूचित दोनों प्रकार के शहरी सहकारी बैंकों के लिए वित्तीय मानदण्डों अर्थात सीआरएआर, निवल अनर्जक आस्तियां, निवल लाभ और सीआरआर/एसएलआर पर आधारित ग्रेड I से IV तक में शहरी सहकारी बैंकों की पर्यवेक्षी ग्रेडिंग की प्रणाली लागू हैं। जहाँ शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षी रेटिंग को बोर्ड के स्तर के पदाधिकारियों के ही सामने प्रकट किया जाता है, वहीं ग्रेड की जानकारी संबंधित बैंकों तथा सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को (ग्रेड I के रूप में वर्गीकृत बैंकों के मामले को छोड़कर, जहाँ बैंक / सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को ग्रेड की जानकारी नहीं दी जाती) दी जाती है।

सहकारी और वाणिज्य बैंकों के बीच पर्यवेक्षी और विनियामक समभिरूपता लाने के लिए शासन की संरचना तथा एमआइएस के स्तर एवं शहरी सहकारी बैंकों में प्रचलित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को खोये बिना, शहरी सहकारी बैंकों के रेटिंग मॉडल को संशोधित किया गया है। शहरी सहकारी बैंकों का संशोधित रेटिंग मॉडल वाणिज्य बैंकों के संशोधित रेटिंग मॉडल के अनुरूप है तथा साथ ही दर-निर्धारित (रेटेड) मानदंडों में उपयुक्त अनुकूलन किया गया है ताकि उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य, एमआइएस के स्तर और प्रचलित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंक बनाम वाणिज्य बैंक के बारे में अनुचित रूप से बाधा न खड़ी की जाए। इसके अलावा, मॉडल के अनुकूलन के समय अन्य बातों के साथ प्रबंधन की संरचना की असमानताओं, विनियमित संस्थाओं के आकार, उन पर वर्तमान में लागू विनियमनों, बैंकिंग प्रौद्योगिकी के प्रयोग के स्तर को भी हिसाब में लिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाणिज्य बैंकों की औसत सकल और निवल अनर्जक आस्तियाँ, विशेषतः कठोर अनर्जक आस्तियाँ और लागत-आय अनुपात की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों की औसत सकल और निवल अनर्जक आस्तियां काफी अधिक हैं, उपयुक्त आशोधन किये गये हैं।

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में प्रचलित लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित चुनाव और कार्पोरेट शासन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन शीर्ष के तहत उपयुक्त अनुकूलन किया गया है। प्रशासकों के तहत कार्य कर रहे शहरी सहकारी बैंकों, जिनके बोर्डों को अधिक्रमित किया गया है, के प्रबंधन शीर्ष के तहत भी उपयुक्त आशोधन किए गए हैं (काफी बड़ी संख्या में शहरी सहकारी बैंक प्रशासकों के तहत कार्य कर रहे हैं, उनके बोर्डों को विभिन्न कारणों से अधिक्रमित किया गया है)।

मौजूदा वर्तमान द्विस्तरीय विनियामक युग को ध्यान में रखते हुए संशोधित ञ्कैमेल्स मॉडल, जो वाणिज्य बैंकों के लिए अपनाये गये संशोधित मॉडल के काफी अनुरूप है, को 100 करोड़ रुपए और अधिक की जमाराशियों वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए अपनाया जाएगा तथा उसके संशोधित सरलीकृत पाठ को रुपए 100 करोड़ से कम जमाराशि वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए अपनाया जाएगा। ए से डी के तहत चार पैमानों में शहरी सहकारी बैंकों की रेटिंग करने की वर्तमान प्रणाली के विपरीत, प्रधान दर-निर्धारण (रेटिंग) के सकारात्मक और ऋणात्मक स्वगुणार्थों का प्रयोग करते हुए 'ए+' से 'डी' के तहत दस पैमानों में उनका दर निर्धारण किया जाएगा - उदाहरणार्थ, 'ए+', 'ए', 'ए-'। 100 करोड़ रुपए और अधिक की जमाराशि वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों को आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी अनुशासन के तहत लाया जाएगा। संशोधित रेटिंग मॉडल को अप्रैल 2008 वर्ष से शुरू होने वाले निरीक्षण चक्र से अर्थात 31 मार्च 2008 की उनकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में, शहरी सहकारी बैंकों पर लागू किया जाएगा तथा वर्तमान ग्रेडिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा।

सारणी IV.2: शहरी सहकारी बैंकों की केंद्र-वार श्रेणियां

केंद्र	श्रेणी I		श्रेणी II		श्रेणी III		श्रेणी IV		**योग**	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	**2006**	**2007**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**
अहमदाबाद	136	114	50	88	67	42	43	40	**296**	**284**
बंगलूर	90	99	76	92	85	55	46	42	**297**	**288**
भोपाल	16	12	28	24	17	15	14	9	**75**	**60**
भुवनेश्वर	1	2	6	4	3	4	4	4	**14**	**14**
चंडीगढ़	10	9	1	3	1	–	4	4	**16**	**16**
चेन्नई	54	69	32	34	39	22	7	6	**132**	**131**
देहरादून	–	4	–	–	–	1	–	2	**–**	**7**
गुवाहाटी	6	6	4	6	4	4	4	1	**18**	**17**
हैदराबाद	48	65	43	33	18	7	15	11	**124**	**116**
जयपुर	25	24	10	13	3	1	1	1	**39**	**39**
जम्मू	2	3	–	–	2	1	–	–	**4**	**4**
कोलकाता	30	31	11	10	3	1	7	9	**51**	**51**
लखनऊ	47	44	13	17	9	4	8	5	**77**	**70**
मुंबई	173	117	128	178	84	76	71	80	**456**	**451**
नागपुर	53	17	45	76	43	39	33	39	**174**	**171**
नई दिल्ली	12	12	1	1	–	–	2	2	**15**	**15**
पटना	3	5	1	–	1	–	–	–	**5**	**5**
रायपुर	–	5	–	5	–	–	–	4	**–**	**14**
तिरुवनंतपुरम	10	14	11	14	28	23	11	9	**60**	**60**
योग	**716**	**652**	**460**	**598**	**407**	**295**	**270**	**268**	**1,853**	**1,813**

– : शून्य/नगण्य

टिप्पणी : मार्च 2006 के अंत में भोपाल के आंकड़ों रायपुर के आंकड़े और लखनऊ के आंकड़ों में देहरादून के आंकड़े शामिल हैं।

सहकारी बैंकों की जमाराशियां 10 करोड़ रुपए से कम थीं। तथापि, उनके पास कुल जमाराशियों का सिर्फ 3.1 प्रतिशत था। दूसरी ओर, 250 करोड़ रुपए और अधिक की जमाराशियों वाले 77 बैंकों की जमाराशियाँ कुल जमाराशियों की आधी थीं। इनमें से 1,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की जमाराशियों वाले 15 बैंकों के पास मार्च 2007 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों की कुल जमाराशियों का 27.1 प्रतिशत था। कुल मिलाकर, 250 करोड़ रुपए से कम जमा आधार वाले 95.8 प्रतिशत बैंकों के पास जमाराशियों का 50 प्रतिशत था, जबकि 250 करोड़ रुपए और उससे अधिक जमा आधार वाले 4.2 प्रतिशत बैंकों के पास शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की जमाराशियों का शेष 50 प्रतिशत था जो शहरी सहकारी बैंकों के बीच जमाराशियों के अत्यधिक विषम वितरण को दर्शाता है।

4.76 तिरपन शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित होने का दर्जा प्राप्त था और उनके पास शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र का काफी बड़ा भाग था तथा आस्तियों/जमाराशियों/निवेशों/ऋणों और अग्रिमों के अर्थ में उनका हिस्सा 40 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था। दूसरी ओर, 1,760 गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास शेष हिस्सा था (सारणी IV-5)।

सारणी IV.3: शहरी सहकारी बैंकों की श्रेणीवार स्थिति का सारांश

मार्च के अंत में	शा.स. बैं. की संख्या	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	श्रेणी I+II	श्रेणी III+IV	श्रेणी (I+II) कुल से प्रतिशत के रूप में	श्रेणी III+IV कुल से प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2005	1,872	807	340	497	228	1,147	725	61	39
2006	1,853	716	460	407	270	1,176	677	63	37
2007	1,813	652	598	295	268	1,250	563	67	31

सारणी IV.4: शहरी सहकारी बैंको का जमाराशिवार विभाजन

(मार्च 2007 के अंत में)

क्रम सं.	जमाराशि आधार (करोड़ रुपए)	श.स.बैंकों की सं.		जमाराशियां	
		सं.	कुल में अंश (प्रतिशत)	राशि (करोड़ रुपए)	कुल में अंश (प्रतिशत)
	1	2	3	4	5
1.	> 1,000	15	0.8	32,748	27.1
2.	500 से < 1,000	17	0.9	11,897	9.8
3.	250 से < 500	45	2.5	16,152	13.4
4.	100 से < 250	143	7.9	22,042	18.1
5.	50 से < 100	206	11.4	14,948	12.4
6.	25 से < 50	315	17.4	11,283	9.3
7.	10 से < 25	446	24.6	8,198	6.8
8.	< 10	626	34.5	3,715	3.1
	कुल	1,813	100.0	1,20,983	100.0

शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन, वित्तीय कार्यनिष्पादन और आस्ति गुणवत्ता

शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन

4.77 2006-07 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के व्यावसायिक परिचालन में 5.9 प्रतिशत से काफी कम दर पर विस्तार हुआ, जबकि इसकी तुलना में उसी अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 24.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी (सारणी IV.6)। फलस्वरूप, मार्च 2007 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों का सापेक्ष्य आस्ति आकार एक वर्ष पूर्व के 5.0 प्रतिशत के स्तर से गिरकर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों का लगभग 4.0 प्रतिशत रह गया। शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं की संरचना मोटे तौर पर पिछले साल के स्तर पर थी। देयता पक्ष की मुख्य मद जमाराशि कुल संसाधनों का लगभग 75.7 प्रतिशत है। 2006-07 के दौरान उधार में 46.1 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई जबकि 'अन्य देयताओं' में थोड़ी (1.8 प्रतिशत) वृद्धि हुई। 2006-07 में पूंजी और आरक्षित निधियों में पिछले वर्ष के क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत की तुलना में 11.4 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत की उच्च दर से वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष के प्रमुख घटक ऋण और अग्रिम एवं निवेश का हिस्सा कुल

सारणी IV.6: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रु.)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़
	2006	2007 अ	2006-07
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	3,488 (2.3)	3,884 (2.4)	11.4
2. सांविधिक आरक्षित निधियां	10,485 (6.9)	10,867 (6.8)	3.6
3. जमाराशियां	1,14,060 (75.6)	1,20,983 (75.7)	6.1
4. उधार	1,781 (1.2)	2,602 (1.6)	46.1
5. अन्य देयताएं	21,140 (14.0)	21,515 (13.5)	1.8
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,50,954 (100.0)**	**1,59,851 (100.0)**	**5.9**
आस्तियां			
1. उपलब्ध नकदी	1,558 (1.0)	1,639 (1.0)	5.2
2. बैंकों के पास शेष	9,037 (6.0)	9,806 (6.1)	8.5
3. मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	1,835 (1.2)	1,859 (1. 2)	1.3
4. निवेश	50,395 (33.4)	47,316 (29.6)	-6.1
5. ऋण और अग्रिम	71,641 (47.5)	78,660 (49.2)	9.8
6. अन्य आस्तियां	16,488 (10.9)	20,571 (12.9)	24.8

अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।

स्रोत : संबंधित शहरी सहकारी बैंको के तुलनपत्र ।

सारणी IV.5 : शहरी सहकारी बैंकों की रूपरेखा

(मार्च 2007 के अंत में)

(राशि करोड़ रु.)

संवर्ग	श.स.बैंकों की सं.	आस्तियां	जमाराशि	निवेश	ऋण तथा अग्रिम
1	2	3	4	5	6
1. सभी शहरी सहकारी बैंक	**1,813 (100.0)**	**1,59,851 (100.0)**	**1,20,983 (100.0)**	**47,316 (100.0)**	**78,660 (100.0)**
2. अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	53 (2.9)	71,562 (44.8)	51,173 (42.3)	20,279 (42.9)	32,884 (41.8)
3. गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	1,760 (97.1)	88,290 (55.2)	69,810 (57.7)	27,037 (57.1)	45,776 (58.2)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल से शहरी सहकारी बैंकों का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
2. आंकड़े अनंतिम हैं।

आस्तियों का क्रमशः 49.2 प्रतिशत और 29.6 प्रतिशत था। जहाँ 2006-07 में वर्ष के दौरान जमाराशियों में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं ऋणों और अग्रिमों में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा निवेश में 6.1 प्रतिशत की गिरावट आयी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

4.78 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल ऋण और अग्रिम के 60.0 प्रतिशत तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में से कमजोर वर्गों को देय उधार के 25.0 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों ने कुल ऋण का 56.0 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल ऋण का 25.9 प्रतिशत कमजोर वर्गों को दिया। इसप्रकार, हालांकि शहरी सहकारी बैंक थोड़े मार्जिन से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को पूरा करने में चूक गये, पर उन्होंने कमजोर वर्गों को ऋण की अपेक्षाएं पूरी कर लीं। (सारणी IV.7)।

4.79 मार्च 2007 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों के निवेश का बड़ा भाग (93.1 प्रतिशत) सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी निवेश था (सारणी IV.8)। जहाँ केंद्र सरकार

सारणी IV.7 : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम - 2006-07

खण्ड	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कमजोर वर्ग	
	राशि (करोड़ रुपए)	कुल अग्रिम में अंश (प्रतिशत)	राशि (करोड़ रुपए)	कुल अग्रिम में अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
कृषि और संबंधित कार्य	2,190	2.8	1,010	1.3
कुटीर और लघु उद्योग	12,125	15.4	1,397	1.8
सड़क और जल परिवहन परिचालक	2,147	2.7	497	0.6
निजी खुदरा व्यापार (आवश्यक वस्तुएं)	2,034	2.6	761	1.0
खुदरा व्यापार (अन्य)	4,699	6.0	1,069	1.3
छोटे कारोबारी उद्यम	6,079	7.7	1,698	2.2
प्रोफेशनल और स्व-नियोजित व्यक्ति	2,685	3.4	927	1.2
शैक्षिक ऋण	628	0.8	232	0.3
आवास ऋण	10,247	13.0	3,092	3.9
उपभोग ऋण	1,169	1.5	709	0.9
सॉफ्टवेयर उद्योग	55	0.1	7	0.0
कुल	**44,058**	**56.0**	**11,399**	**14.5**

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी IV.8 : शहरी सहकारी बैंकों का निवेश

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़
	2006	2007अ	2006-07
1	2	3	4
कुल निवेश (क + ख)	**50,395 (100.0)**	**47,316 (100.0)**	**-6.1**
क. एसएलआर निवेश (i से v)	**47,635 (94.5)**	**44,060 (93.1)**	**-7.5**
i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	28,178 (55.9)	28,158 (59.5)	-0.1
ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	3,902 (7.7)	3,534 (7.5)	-9.4
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	935 (1.9)	835 (1.8)	-10.7
iv) राज्य सहकारी बैंकों में मीयादी जमाराशियां	4,704 (9.3)	4,932 (10.4)	4.9
v) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में की मीयादी जमाराशियां	9,916 (19.7)	6,601 (14.0)	-33.4
ख. गैर एसएलआर निवेश (सरकारी क्षेत्र/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बांडों में, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के शेयरों में अथवा यूटीआई की यूनिटों में)	**2,760 (5.5)**	**3,256 (6.9)**	**18.0**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।

की प्रतिभूतियों में निवेश कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर था, वहीं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में तेज गिरावट आयी। 2006-07 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के पास मीयादी जमाराशियों तथा गैर-एसएलआर निवेशों को छोड़कर हर श्रेणी के निवेश में गिरावट आयी।

पूंजी पर्याप्तता

4.80 मार्च 2007 के अंत में, कुल 1,813 शहरी सहकारी बैंकों में से 1,496 शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम आस्तियों के प्रति पूँजी का अनुपात 9 प्रतिशत और उससे अधिक था (सारणी IV.9)।

सारणी IV.9: सभी शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर-वार विभाजन

(मार्च 2007 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

सीआरएआर का दायरा (प्रतिशत)	<3	3 to 6	6 to 9	≥9	**महायोग**
1	2	3	4	5	6
गैर-अनुसूचित	202	48	57	1,453	1,760
अनुसूचित	7	0	3	43	53
सभी शहरी सहकारी बैंक	**209**	**48**	**60**	**1,496**	**1,813**

अ : अनंतिम

सारणी IV.10: शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मार्च के अंत में	रिपोर्ट प्रस्तुत करनेवाले शसबैंकों की संख्या	सकल अनर्जक आस्तियां (करोड़ रुपए)	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अनर्जक आस्तियां (करोड़ रुपए)	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3	4	5	6
2004	1,926	15,406	22.7	8,242	2.1
2005	1,872	15,486	23.2	8,257	12.3
2006	1,853	13,506	18.9	6,335	8.8
2007अ	1,813	13,363	17.0	6,044	7.7

अ : अनंतिम

आस्तियों की गुणवत्ता

4.81 वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार आया, जैसा कि कुल और प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियों (सकल और निवल) में गिरावट में प्रतिबिंबित होता है। तथापि, मार्च 2007 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां 17.0 प्रतिशत (सकल) और 7.7 प्रतिशत (निवल) थीं, जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के क्रमशः 2.4 प्रतिशत (सकल)और 1.0 प्रतिशत (निवल) की तुलना में अधिक थीं (सारणी IV.10)।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का परिचालन और कार्य-निष्पादन

4.82 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियां एक वर्ष पहले के 15.1 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 10.6 प्रतिशत की कम दर से बढ़ीं (सारणी IV.11)। पिछले वर्ष की तुलना में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियां उच्चतर दर से बढ़ीं। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा उधार ली गयी राशियां बढ़ीं हालांकी कुल देयताओं में उनका हिस्सा 2 प्रतिशत से कम रहा। आस्ति पक्ष में, जहाँ ऋणों और अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर दर पर वृद्धि हुई, वहीं निवेश में पिछले वर्ष की तेज वृद्धि की तुलना में गिरावट आयी (सारणी IV.11)।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

4.83 2006-07 में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आय और व्यय में क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान आय पक्ष में, जहां ब्याज आय 6.5 प्रतिशत बढ़ी वहीं ब्याजेतर आय में मामूली गिरावट दिखाई दी। इसी तरह, व्यय पक्ष में, 2006-07 में जहाँ शहरी सहकारी बैंकों का ब्याज व्यय बढ़ा वहीं ब्याजेतर व्यय में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की निवल ब्याज आय 2006-07 में बढ़कर 1,641 करोड़ रुपए हो गई जबकि 2005-06 में यह 1,396 करोड़ और 2004-05 में 1,094 करोड़ रुपए थी (सारणी IV.12)।

सारणी IV.11: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़
	2006	2007अ	2006-07
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	899 (1.4)	1,018 (1.4)	13.2
2. आरक्षित निधि	5,439 (8.4)	5,918 (8.3)	8.8
3. जमाराशियां	45,297 (70.0)	51,173 (71.5)	13.0
4. उधार	922 (1.4)	1,350 (1.9)	46.4
5. अन्य देयताएं	12,145 (18.8)	12,103 (16.9)	-0.3
कुल देयताएं/आस्तियां	**64,702 (100.0)**	**71,562 (100.0)**	**10.6**
आस्तियां			
1. नकदी	386 (0.6)	426 (0.6)	10.4
2. बैंक शेष	4,227 (6.5)	4,700 (6.6)	11.2
3. मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	618 (1.0)	1,095 (1.5)	77.1
4. निवेश	22,593 (34.9)	20,279 (28.3)	-10.2
5. ऋण और अग्रिम	27,960 (43.2)	32,884 (46.0)	17.6
6. अन्य आस्तियां	8,918 (13.8)	12,178 (17.0)	36.6

अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों की तुलना में प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित शहरी सहकारी बैंकों के तुलनपत्र।

4.84 2006-07 में जहां परिचालन लाभ 2.2 प्रतिशत बढ़े वहीं निवल लाभ में 14.0 प्रतिशत तक गिरावट आई जो प्रावधानों, आकस्मिकताओं, करों, आदि में सुदृढ़ वृद्धि दर्शाता है।

गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन और कार्य-निष्पादन

4.85 पहली बार, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के तुलनपत्र के आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। 2006-07 में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के समेकित तुलनपत्र में अनुसूचित शहरी

सारणी IV.12: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

	2004-05 सं	2005-06 सं	2006-07 अ	प्रतिशत घटबढ़ 2005-06	प्रतिशत घटबढ़ 2006-07
1	2	3	4	5	6
क. आय (i+ii)	4,182	4,499	4,748	7.6	5.5
	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज आय	3,675	3,912	4,166	6.4	6.5
	(87.9)	(87.0)	(87.7)		
ii. ब्याजेतर आय	507	587	582	15.8	-0.9
	(12.1)	(13.0)	(12.3)		
ख. कुल व्यय (i+ii)	3,560	3,653	3,883	2.6	6.3
	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज व्यय	2,581	2,516	2,525	-2.5	0.4
	(72.5)	(68.9)	(65.0)		
ii. ब्याजेतर व्यय	979	1,137	1,358	16.1	19.4
जिसमें से :	(27.5)	(31.1)	(35.0)		
वेतन बिल	557	634	650	13.8	2.5
	(15.6)	(17.4)	(16.7)		
ग. लाभ					
i. परिचालन लाभ राशि	622	846	865	36.0	2.2
ii. प्रावधान, आकस्मिक व्ययकर	371	332	423	-10.5	27.4
iii. निवल लाभ राशि	251	514	442	104.8	-14.0
iv. आगे ले जाई गई संचित हानि (-)/अधिशेष (+)	-2,201	-2,032	-1,996	-7.7	-1.8

अ : अनंतिम सं : संशोधित

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग में प्रतिशत अंश हैं।

स्रोत : संबंधित शहरी सहकारी बैंको के तुलनपत्र ।

सहकारी बैंकों के 10.6 प्रतिशत की तुलना में 2.4 प्रतिशत की काफी कम दर से वृद्धि हुई (सारणी IV.13)। जहाँ गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियां धीमी गति से बढ़ीं, वहीं उधार राशियों में तेज वृद्धि दर्ज की गयी। आस्तिपक्ष की ओर, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंको के ऋण और अग्रिम में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उनके निवेश में गिरावट आयी।

शहरी सहकारी बैंक - क्षेत्रीय परिचालन

4.86 सभी राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों का विस्तार विषम रूप में हुआ है तथा वे मुख्यतः पांच राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में, अर्थात आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केंद्रित हैं।मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल शहरी सहकारी बैंकों का लगभग 80 प्रतिशत तथा कुल शाखाओं का 85 प्रतिशत पांच राज्यों यथा आंध प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र (गोवा सहित) और तमिलनाडु (पुदुचेरी सहित) में कार्यरत है। अकेले महाराष्ट्र (गोवा सहित) में शहरी सहकारी बैंकों की कुल शाखाओं की लगभग 53 प्रतिशत शाखाएं है। मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों की 7,453 शाखाओं में से 894 इकाई बैंक थे अर्थात वे बैंक जो प्रधान कार्यालय सह शाखा के रूप में कार्य करते हैं। महाराष्ट्र (गोवा सहित), गुजरात और कर्नाटक में इकाई बैंकों की संख्या सर्वाधिक (60 प्रतिशत) थी (सारणी IV.14)।

4.87 मार्च 2007 के अंत में समग्र शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की जमाराशियों का 88.2 प्रतिशत तथा ऋण का 89.8 प्रतिशत भाग

सारणी IV.13: गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां*

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में 2006	मार्च के अंत में 2007अ	प्रतिशत घटबढ़ 2006-07
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	2,589	2,867	10.7
	(3.0)	(3.2)	
2. सांविधिक आरक्षित	5,046	4,949	-1.9
	(5.9)	(5.6)	
3. जमाराशियां	68,763	69,810	1.5
	(79.7)	(79.1)	
4. उधार	859	1,252	45.8
	(1.0)	(1.4)	
5. अन्य देयताएं	8,994	9,412	4.6
	(10.4)	(10.7)	
कुल देयताएं/आस्तियां	**86,251**	**88,290**	**2.4**
	(100.0)	**(100.0)**	
आस्तियां			
1. उपलब्ध नकदी	1,171	1,213	3.6
	(1.4)	(1.4)	
2. बैंक में जमा-शेष	4,810	5,106	6.2
	(5.6)	(5.8)	
3. मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	1,217	764	-37.2
	(1.4)	(0.9)	
4. निवेश	27,802	27,037	-2.8
	(32.2)	(30.6)	
5. ऋण और अग्रिम	43,680	45,776	4.8
	(50.6)	(51.8)	
6. अन्य आस्तियां	7,571	8,394	10.9
	(8.8)	(9.5)	

* अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों की तुलना में प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित शहरी सहकारी बैंकों के तुलनपत्र।

सारणी IV.14: शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण

राज्य	मार्च 2007 के अंत में				मार्च 2006 (सं) के अंत में				मार्च 2005 (सं) के अंत में			
	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	इकाइ शहरी सहकारी बैंक	बैंकों की शाखाएं#	विस्तार पटलोंकी संख्या	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	इकाइ शहरी सहकारी बैंक	बैंकों की शाखा #	विस्तार पटलोंकी संख्या	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	इकाइ शहरी सहकारी बैंक	बैंकों की शाखा #	विस्तार पटलोंकी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	116	87	273	5	124	95	281	5	127	97	305	10
असम/मणिपुर/ मेघालय/मिजोरम /त्रिपुरा	17	13	28		18	14	29		18	14	29	
बिहार/झारखण्ड	5	4	6	1	5	4	6	1	5	4	6	1
छत्तीसगढ़	14	10	20	1								
गुजरात	284	151	924	4	296	163	966	7	308	175	990	3
जम्मू और कश्मीर	4	1	16	4	4	1	16	4	4	1	16	4
कर्नाटक	288	153	848	16	297	153	870	18	296	153	880	21
केरल	60	17	324	2	60	17	325	2	60	17	325	2
मध्य प्रदेश*	60	45	80		75	58	103	4	77	58	106	4
महाराष्ट्र (गोवा सहित)	622	237	4010	138	630	240	4027	139	633	240	4020	139
नई दिल्ली	15	6	60	1	15	6	60	1	15	6	60	1
उड़ीसा	14	5	51	4	14	5	51	4	12	4	46	4
पंजाब/हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश	16	10	39	3	16	10	39	3	17	10	39	3
राजस्थान	39	19	142	7	39	19	142	7	39	19	142	7
तमिलनाडु/ पांडिचेरी	131	60	311	0	132	62	312		133	63	313	2
उत्तर प्रदेश**	70	42	173	27	77	45	218	30	77	45	218	30
उत्तराखंड	7	3	45	2								
पश्चिम बंगाल/सिक्किम	51	31	103	2	51	31	103	2	51	31	103	2
कुल	1813	894	7453	217	1853	923	7548	227	1872	937	7598	233

सं : संशोधित

* : मार्च 2005 और मार्च 2006 के अंत के छत्तीसगढ़ के आंकड़े शामिल।

** : मार्च 2005 और मार्च 2006 के अंत के आंकड़ों में उत्तराखंड शामिल हैं।

\# : कार्यालयसह शाखा सहित।

आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक महाराष्ट्र और तामिलनाडु में केंद्रित है। अकेले महाराष्ट्र में जमाराशियों का 64.7 प्रतिशत तथा कुल अग्रिमों का 66.2 प्रतिशत है। मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंक की उपस्थिति वाले जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक थी तथा उसके बाद उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान था (सारणी VI.15)।

4.88 मार्च 2007 के अंत में, चुनिंदा केंद्रों पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में विभिन्न केंद्रों के बीच व्यापक अंतर था। ऋण-जमा अनुपात अहमदाबाद में सर्वाधिक (69.7 प्रतिशत) था तथा उसके बाद नागपुर (67.6 प्रतिशत) और मुंबई (63.5 प्रतिशत) का स्थान था। जमाराशियों का सर्वाधिक हिस्सा (81.1 प्रतिशत) मुंबई में था (सारणी IV.16)।

4.89 मार्च 2007 के अंत में पांच केंद्रों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलूर, चेन्नै, मुंबई और नागपुर में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास सभी गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की पूँजी का तीन चौथाई से अधिक तथा आरक्षित निधियों, जमा और अग्रिम का लगभग चार बटा पाँच हिस्सा था (सारणी IV.17)। गैर

सारणी IV.15: शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण
(मार्च 2006 के अंत में)

	राज्य	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	जमाराशियों की मात्रा (करोड़ रुपए में)	शहरी सहकारी बैंकों की शाखा वाले जिलों की कुल संख्या
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	116	2,665	21
2.	असम	9	208	1
3.	बिहार	3	26	2
4.	छत्तीसगढ़	14	233	7
5.	गोवा	6	982	5
6.	गुजरात	284	14,660	25
7.	हरियाणा	7	192	7
8.	हिमाचल प्रदेश	5	176	8
9.	जम्मू और कश्मीर	4	211	4
10.	झारखण्ड	2	8	2
11.	कर्नाटक	288	8,277	25
12.	केरल	60	2,878	14
13.	मध्य प्रदेश	60	827	48
14.	महाराष्ट्र	616	78,280	34
15.	मणिपुर	3	108	2
16.	मेघालय	3	45	1
17.	मिजोरम	1	17	1
18.	नई दिल्ली	15	922	1
19.	उड़ीसा	14	617	10
20.	पांडिचेरी	1	79	1
21.	पंजाब	4	382	6
22.	राजस्थान	39	1,624	24
23.	सिक्किम	1	2	1
24.	तमिलनाडु	130	2,884	30
25.	त्रिपुरा	1	10	1
26.	उत्तर प्रदेश	70	1,998	37
27.	उत्तरखंड	7	813	7
28.	पश्चिम बंगाल	50	1,859	11
	कुल	**1,813**	**1,20,983**	**336**

सारणी IV.17: गैर-अननुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के केंद्रवार चुनिंदा संकेतक
(मार्च 2006 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

केंद्र	शेयर पूंजी	निर्बंध आरक्षित निधि	जमाराशि	ऋण और अग्रिम	मांग तथा आवधिक देयताएं	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
अहमदाबाद	329	1,768	9,512	5,572	10,348	58.6
बंगलूर	383	561	7,946	5,332	8,255	67.1
भोपाल	41	31	827	455	962	55.0
भुबनेश्वर	32	31	617	419	633	68.0
चंडीगढ़	33	63	750	426	767	56.8
चेन्नई	154	137	2,963	2,273	412	76.7
देहरादुन	12	68	813	3,238	820	50.7
गुवाहाटी	14	30	388	187	422	48.2
हैदराबाद	106	166	1,955	1,144	2,731	58.5
जयपुर	81	59	1,624	958	1,732	59.0
जम्मू	4	7	210	113	209	53.5
कोलकाता	131	190	1,861	1,211	2,094	65.0
लखनऊ	127	87	1,720	1,092	1,977	63.5
मुम्बई	1,019	1,026	27,870	19,251	30,591	69.1
नागपुर	252	436	6,687	4,499	6,648	67.3
नई दिल्ली	44	147	922	421	989	45.6
पटना	3	6	34	20	36	58.4
रायपूर	8	16	233	70	226	30.1
तिरुवनंतपुरम	94	120	2,878	1,921	3,042	66.8
कुल	**2,867**	**4,949**	**69,810**	**45,776**	**75,721**	**65.6**
ज्ञापन मद:						
प्रमुख केन्द्रों का हिस्सा*	74.5	79.4	78.8	80.7	78.0	

* : कुल में अहमदाबाद, बंगलूर, चेन्नई, मुंबई और नागपुर का हिस्सा

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में भी व्यापक अंतर देखे गए। चेन्नै में ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक (76.7 प्रतिशत) था, जबकि रायपुर में सबसे कम (30.1 प्रतिशत) था। तीन केंद्रों का ऋण-जमा अनुपात 50 प्रतिशत से कम था।

सारणी IV.16: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के केंद्रवार चुनिंदा संकेतक
(मार्च 2006 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

केन्द्र	संख्या	पूंजी	आरक्षित निधि	जमाराशि	ऋण और अग्रिम	मांग तथा आवधिक देयताएं	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
अहमदाबाद	8	109	2,829	5,148	3,590	6,233	69.7
बंगलूर	1	6	23	331	189	470	57.1
हैदराबाद	3	31	62	710	432	405	60.8
लखनऊ	1	6	12	278	149	304	53.6
मुम्बई35	781	2,848	41,494	26,353	39,501	63.5	
नागपुर	5	85	144	3,212	2,171	3,000	67.6
कुल	**53**	**1,018**	**5,918**	**51,173**	**32,884**	**49,913**	**64.3**

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

4.90 ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं की पहुँच व्यापक है विशेषकर समाज के ग्रामीण तथा कमजोर वर्गों तक। ग्रामीण ऋण और जमा संग्रहण के प्रबंध में उनकी भूमिका को मानते हुए, हाल के वर्षों में इन संस्थाओं की परिचालनात्मक अर्थक्षमता और वित्तीय स्वास्थ्य बहाल करने के प्रयास किये गये हैं।

4.91 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की कार्यप्रणाली और उनके कार्यनिष्पादन में उच्च अनर्जक आस्तियों/ खराब वसूली तथा संचित हानियों समेत कई प्रकार की कमजोरियां बनी हुई थीं। 31 मार्च 2006 को 31 में से चार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, 366 में से 88 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, 1,05,735 में से 53,626 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, 19 में से 8 सूचित करने वाले राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों तथा 696 में से 194 सूचित करने वाले प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को हानि उठानी पड़ी जिसकी मात्रा कुल मिलाकर 1,601 करोड़ रुपए (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को छोड़कर) थी।

4.92 उक्त को देखते हुए, रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने ग्रामीण ऋण संस्थाओं की वृद्धि और विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। 2006-07 में आरंभ किये गये पर्यवेक्षी उपायों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

ग्रामीण सहकारी बैंकों का विनियमन

4.93 फजिल्का जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि. तथा अंबाला जिला मध्यवर्ती केंद्रीय सहकारी बैंक लि. को 2006-07 के दौरान बैंकिंग लाइसेंस स्वीकृत किया गया। 31 मार्च 2007 को लाइसेंसशुदा राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कुल संख्या क्रमशः 14 और 75 थी। विद्यमान स्थिति के अनुसार दो राज्य सहकारी बैंकों तथा 9 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35.क के तहत रिज़र्व बैंक के निदेश के तहत रखा गया है और उन्हें नयी जमाराशियां स्वीकार करने, निर्धारित राशि से अधिक की जमाराशियां निकालने की अनुमति देने, ऋण एवं अग्रिम स्वीकार करने से मना किया गया है। तीन अन्य जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (शिवगंगई जि.म.स.बैं, विजय नगरम जि.म.स.बैं. और श्री काकुलम जि.म.स.बैं.) पर उधारकर्ताओं की कतिपय श्रेणियों, आदि पर लगाए गए निदेश 2006-07 में (अप्रैल से मार्च) पूरी तरह से वापस ले लिए गए। वर्ष के दौरान कोई लाइसेंस/लाइसेंस का आवेदन निरस्त/अस्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष के दौरान किसी राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42 के तहत दूसरी अनुसूची में शामिल कर अनुसूचित होने की स्थिति प्रदान नहीं की गयी है। अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों की कुल संख्या 16 बनी रही। 30 जून 2007 को 31 में से 7 राज्य सहकारी बैंकों और 367 में से 127 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 11(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। इसी तरह, छह राज्य सहकारी बैंकों और 127 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(क) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जिसका निहितार्थ यह है कि वे दावा उद्भूत होने पर वे अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि अदा करने की स्थिति में नहीं थे। साथ ही, 14 राज्य सहकारी बैंकों और 333 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22(3)(ख) का अनुपालन नहीं किया।

नियमित वसूली काउंटरों पर चेकों की वसूली

4.94 रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग लोकपाल को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बैंकों की कई शाखाएं काउंटर पर चेक स्वीकार नहीं कर रही हैं तथा वे ग्राहकों को चेक ड्राप बॉक्स में चेक डालने के लिए विवश कर रही हैं। अतः सभी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि ग्राहकों को ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। ग्राहकों को चेक ड्रॉप बॉक्स की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए, पर साथ ही नियमित वसूली काउंटरों पर चेकों की पावती की सुविधा भी ग्राहकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। साथ ही, ग्राहक द्वारा काउंटर पर चेक प्रस्तुत किये जाने पर किसी भी शाखा को पावती देने से इनकार नहीं करना चाहिए। जहाँ-कहीं चेक ड्रॉप बॉक्स की सुविधा लागू की गयी है, यह आवश्यक है कि ग्राहक को उन्हें उपलब्ध दोनों विकल्पों अर्थात ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने अथवा काउंटर पर उन्हें प्रस्तुत करने की जानकारी दी जाए ताकि वे इस बारे में सूचित निर्णय ले सकें। बैंकों को यह भी सूचित किया जाए कि वे अंग्रेजी, हिंदी और राज्य की संबंधित क्षेत्रीय भाषा में चेक ड्रॉप बॉक्स में हमेशा यह दर्शाएं कि 'ग्राहक काउंटर पर चेक प्रस्तुत कर जमापर्ची पर पावती ले सकते हैं'।

नोट पैकेट को स्टेपल करने की मनाही

4.95 सभी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे नोट पैकट को स्टेपल करना बंद करें तथा इसके बजाय उन पर कागज की पट्टी लगाएं। साथ ही, उन्हें यह भी सूचित किया गया कि नोटों को पुनर्निर्गमनीय और गैर-निर्गमनीय नोटों के रूप में छांटकर अलग करें तथा सिर्फ स्वच्छ नोट ही जनता को जारी करें। गंदे नोटों को स्टेपल रहित दशा में करेंसी चेस्टों के माध्यम से आवक प्रेषण में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे बैंक नोटों के वाटरमार्क विंडो पर कुछ भी न लिखें।

लघु बचतों में निवेश के लिए ऋणों की स्वीकृति पर प्रतिबंध

4.96 राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि लघु बचत लिखतों यथा किसान विकास पत्र की खरीद के लिए ऋण की स्वीकृति लघु बचत योजनाओं के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। लघु बचत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है - लघु बचतकर्ताओं के लिए बचत का मार्ग बनाना तथा बचतों को प्रोन्नत करना और लोगों में मितव्ययिता की आदत पैदा करना। किसान विकास पत्रों को अर्पित करने/ उनमें निवेश करने के लिए ऋण स्वीकृत करने से नयी बचतों को बढ़ावा नहीं मिला। यह बैंक जमाराशियों के रूप में मौजूदा बचतों को लघुबचत लिखतों में पहुँचा देता है तथा इस प्रकार ऐसी योजनाओं के मुख्य उद्देश्य को समाप्त कर देता है। अतः, सभी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसान विकास पत्र सहित लघु बचत लिखतों की खरीद/में निवेश करने के लिए कोई ऋण मंजूर न किया जाए।

विभिन्न ब्याज तथा अन्य प्रभार लगाने की मनाही

4.97 वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में की गयी घोषणा के फलस्वरूप सभी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के बोर्डों को सूचित किया गया कि वे उपयुक्त आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करें ताकि उनके द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर प्रोसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित कुसीदात्मक ब्याज न लगाया जाए। लघु मूल्य के ऋणों, विशेषतः व्यक्तिगत ऋणों तथा उसी प्रकार के अन्य ऋणों तथा उसी प्रकार के अन्य ऋणों के बारे में सिद्धांत और प्रकियाएं निर्धारित करने में बैंकों से अपेक्षित है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित स्थूल दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें : (i) ऐसे ऋणों की स्वीकृति के लिए उपयुक्त पूर्वानुमोदन प्रक्रिया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ संभावित उधारकर्ता के नकदी प्रवाह को हिसाब में लिया जाय; (ii) प्रतिभूति की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी तथा उसके मूल्य को हिसाब में लेने के लिए उधारकर्ता की आंतरिक रेटिंग के संबंध में और जोखिम के प्रश्न पर विचार करते हुए पर्याप्त और उचित माने गये जोखिम प्रीमियम को समाविष्ट करने हेतु अन्य बातों के साथ प्रभारित ब्याज दर; (iii) भुगतान किये जाने वाले ऋण को प्रदान करने में बैंक द्वारा वहन की गयी कुल लागत तथा उस लेनदेन से उचित रूप में प्रत्याशित प्रतिलाभ की मात्रा का ध्यान रखते हुए ऋण पर लगाये जानेवाले ब्याज और अन्य प्रभारों सहित उधारकर्ता की कुल लागत को उचित ठहराया जाए; (iv) ऐसे ऋणों पर लगाये जाने वाले प्रोसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित ब्याज पर उपयुक्त अधिकतम सीमा, जिसका उपयुक्त रूप से प्रचार किया जाए।

ग्रामीण सहकारी संरचना का पर्यवेक्षण

4.98 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(6) के तहत प्राप्त शक्तियों के अनुसार नाबार्ड राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों, राज्य सहकारी विपणन संघों का ऐच्छिक निरीक्षण करने के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का निरीक्षण करता है। नाबार्ड के पर्यवेक्षण का उद्देश्य है सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय एवं परिचालनात्मक सुदृढ़ता तथा प्रबंधकीय क्षमता का आकलन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इन बैंकों के कार्य संबंधित अधिनियमों/नियमों, विनियमों, उप-विधियों, आदि के उपबंधों के अनुरूप किये जाएं ताकि उनके जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। यह संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थोपाय का भी सुझाव देता है ताकि वे ग्रामीण ऋण के वितरण में अधिक सक्षम भूमिका अदा कर सकें। संशोधित रणनीति के तहत निरीक्षण में बैंकों की कार्यप्रणाली के प्रमुख क्षेत्रों पर जो पूँजी पर्याप्तता, आस्ति की गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली अनुपालन से संबंधित हैं, अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है।

4.99 वर्ष 2005-06 से नाबार्ड द्वारा किये जानेवाले सांविधिक/ऐच्छिक निरीक्षणों की बारंबारता बढ़ा दी गयी। तदनुसार क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत की गयी न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाले सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सांविधिक निरीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता है। धनात्मक निवल मालियत वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सांविधिक निरीक्षण के साथ-साथ शीर्ष सहकारी समितियों/संघों का दो वर्ष में एक बार ऐच्छिक निरीक्षण करना जारी है। वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने 416 सहकारी बैंकों (31 राज्य सहकारी बैंक, 247 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 57 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का सांविधिक निरीक्षण तथा 18 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और शीर्ष सहकारी समिति का ऐच्छिक निरीक्षण किया।

4.100 वर्ष के दौरान पर्यवेक्षण बोर्ड की तीन बार बैठकें हुई (राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए)। पर्यवेक्षण बोर्ड ने इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया (i) निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की कार्यप्रणाली; (ii) छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सहकारी ऋण संस्थाओं तथा दिवालिया हुए राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती

सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली; (iii) वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के पुनर्जीवन पैकेज के तहत राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के विरुद्ध अपेक्षित विनियामक कार्रवाई की आवश्यकता और मात्रा; (iv) राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन, खयानत, आदि की समीक्षा; (v) बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा; (vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(6)(क) (i) और (ii) का अनुपालन, उनकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, समामेलन की स्थिति और निरीक्षण रणनीति की समीक्षा; (vii) धारा 11 गैर-अनुपालक/पुनरनुपालित बैंकों की समीक्षा; (viii) बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा; (ix) सत्वर विनियामक कार्रवाई के लिए अर्थोपाय; (x) पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं, साधनों और लिखतों में सुधार की गुंजाइश; (xi)कृषि अग्रिमों पर चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति; (xii) बैंकों के विरुद्ध शिकायतों की प्रगति और निपटान की प्रणाली तथा उनकी शिकायतों के निवारण के लिए रणनीति; एवं (xiii) सहकारी बैंकों के लिए लेखा-परीक्षा प्रणाली की समीक्षा, लेखा-परीक्षा रेटिंग बनाम पर्यवेक्षी रेटिंग के मानदण्ड।

4.101 पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा सूचित किये गये अनुसार, जनता से सूचना में अधिक भागीदारी के लिए सहकारी बैंकों के तुलनपत्र का उपयुक्त दावात्याग के साथ नाबार्ड की वेबसाइट पर रखे गए हैं। सहकारी बैंकों को भी सूचित किया गया कि वे अपनी शाखाओं में संक्षिप्त तुलनपत्र दर्शाएं। अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर सुधार पैकेज के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन निष्पादित करने वाले राज्यों में स्थित सहकारी बैंकों के मामले में सुधार और अनुपालन की मात्रा के आकलन के लिए विनियामक कार्रवाई हेतु अलग ट्रिगर पॉइंट प्रक्रिया विकसित की जा रही है।

सहकारी बैंकों का प्रबंधन

4.102 जिन सहकारी बैंकों में बोर्डों का अधिक्रमण किया गया उनकी संख्या अधिक थी, भले ही अधिक्रमता के तहत आने वाले बोर्डों का प्रतिशत मार्च 2005 के अंत के 48.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 2006 के अंत में 45.7 प्रतिशत हो गया। मार्च 2006 के अंत में ग्रामीण सहकारी बैंकों के सभी खंडों के लिए अधिक्रमणाधीन बोर्डों की संख्या और उनके अनुपात में गिरावट आयी, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक इसका अपवाद था जिनमें थोड़ी बढ़त हुई (सारणी IV.18)।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की रूपरेखा

4.103 2005-06 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं में (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों सहित) 4.2 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि हुई। 31 मार्च 2006 को इन संस्थाओं के पास कुल मिलाकर 3,38,927 करोड़ रुपए की आस्तियाँ, 1,53,516 करोड़ रुपए की जमाराशियां और 2,01,118 करोड़ रुपए का ऋण था। मार्च 2006 के अंत में उनके द्वारा धारित कुल आस्तियां अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों का 12.2 प्रतिशत थीं। तथापि, 2005-06 में सामान्य लाभ से समग्र घाटे में जाने से वित्तीय कार्यनिष्पादन में पहले से चल रही अस्थिर स्थिति में और गिरावट आयी। हानि उठाने वाली संस्थाओं की संख्या लाभ उठाने वाली संस्थाओं की तुलना में काफी अधिक बनी रही। संस्थावार, जहाँ अल्पावधि और दीर्घावधि विन्यास के ऊपरी स्तर ने लाभ कमाया, वहीं निचले स्तर (अर्थात प्राथमिक कृषि सहकारी समिति और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने हानि उठायी। ग्रामीण सहकारी बैंकों, विशेषतः दीर्घावधि विन्यास, के बारे में 2005-06 के दौरान अधिक अनर्जक आस्तियों और कम वसूली निष्पादन के कारण समस्या गंभीर हो गयी। जहाँ अल्पावधि विन्यास के निचले स्तर (प्राथमिक कृषि ऋण समिति) का वसूली कार्य-निष्पादन खराब हो गया, वहीं उनकी आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया (सारणी IV.19)।

सारणी IV.18: अधिक्रमण के अधीन निर्वाचित बोर्ड

(मार्च 2006 के अंत में)

विवरण	रा.स.बै.	त्रि.म.स.बै.	रा.स.कृ.ग्रा.वि.बै.	प्रा.स.कृ.ग्रा.वि.बै.	कुल
1	2	3	4	5	6
(i) संस्थाओंकी कुल संख्या	31	366	20	696	1,113
(ii) उन संस्थाओंकी कुल संख्या-जहाँ बोर्ड अधिक्रमण के अधिन हैं	12	160	7	330	509
अधिक्रमणाधीन बोर्डों से प्रतिशत ((i) के प्रतिशत के रूप में (ii))	**38.7**	**43.7**	**35.0**	**47.4**	**45.7**

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.19: ग्रामीण सहकारी बैंकों की रूपरेखा

(मार्च 2006 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधी		कुल
	रासबैं	जिमसबैं	प्राकृसस	रासकृग्राविबैं	प्रासकृग्राविबैं	
1	2	3	4	5	6	7
क. सहकारी बैंकों की संख्या	31	366*	1,06,384	20	696**	**1,07,497**
ख. तुलनपत्र संकेतक ^						
i) स्वाधिकृत निधि (पूंजी+आरक्षित)	10,545	23,450	9,292	3,352	3,380	**50,019**
ii) जमाराशि	45,405	87,532	19,561	636	382	**1,53,516**
iii) उधार	16,989	24,217	41,018	17,075	13,066	**1,12,365**
iv) जारी किए गए ऋण और अग्रिम	48,260	73,583	42,920	2,907	2254	**1,69,924**
v) बकाया ऋण और अग्रिम	39,684	79,202	51,779	17,713	12,740	**2,01,118**
vi) कुल देयताएं/आस्तियां	76,481	143,090	73,387+	24,604	21,365	**3,38,927**
ग. वित्तीय कार्य निष्पादन ^						
i) लाभ पानेवाली संस्थाएं						
क) संख्या	27	278	44,321	11	331	**44,968**
ख) हानि की राशि	408	1,116	1,064	335	328	**3,251**
ii) हानिग्रस्त संस्थाएं						
क) संख्या	4	88	53,050	8	194	**53,344**
ख) हानि की राशि	30	913	1,920	247	411	**3,521**
iii) समग्र लाभ /हानि (-)	378	203	-856	88	-83	**-271**
iv) संचित हानि	274	5,275	N.A.	918	2,672	**9,139**
घ. अनर्जक आस्तियां ^						
i) राशि	6,360	15,712	15,476@	5,786	4,554	**47,888**
ii) बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	16.0	19.8	30.4#	32.7	35.4	**23.8**
iii) मांग की तुलना में ऋण की वसूली (%)	87	69	62.1	47	48	

उ.न. : उपलब्ध नहीं

* : भारतीय रिजर्व बैंक से द्विभाजन योजना का अनुमोदन न मिलने कारण पंजाब के तरन तारन जि.म.स.बैंक को शामिल नहीं किया गया है।

** : हरियाणा में 48 प्रा.स.कृ.ग्रा.बैंकों को 19 जि.म.स.बैंक के रूप में और उड़ीसा में दो प्रा.स.कृ.ग्रा.बैंकों को मान्यता मिलने के कारण संख्या में कमी हुई है।

+ : कार्यशील पूंजी।

@ : कुल अतिदेयता।

^ : आंकड़े सूचना देनेवाले सहकारी बैंकों पर आधारित हैं और हो सकता है कि परिशिष्ट सारणियों के आंकड़ों से मेल न खाएं।

: मांग से अतिदेयता का प्रतिशत

स्रोत : नाबार्ड और नाफ्सकोब।

ग्रामीण सहकारी बैंक - अल्पावधि विन्यास

राज्य सहकारी बैंक

4.104 प्रमुख संघटकों (अर्थात पूँजी, आरक्षित निधि, जमा, उधार और अन्य देयताओं) के रूप में राज्य सहकारी बैंकों की देयताओं की संरचना मार्च 2005 के अंत तथा मार्च 2006 के बीच मोटे तौर पर अपरिवर्तित रही ((सारणी IV.20)। जमाराशियां उनके संसाधनों में प्रमुख बनी रहीं जबकि कुल देयताओं में जमाराशियों के हिस्से में थोड़ी गिरावट आयी। उधार में वृद्धि ऊँची बनी रही जो विस्तार के लिए बाहरी स्रोतों पर उनकी निर्भरता दर्शाती है। आस्ति पक्ष में, निवेश में तेज वृद्धि हुई जबकि ऋणों और अग्रिमों में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

4.105 जहाँ राज्य सहकारी बैंकों के परिचालनगत लाभ में 2005-06 के दौरान 8.3 प्रतिशत की गिरावट आयी, वहीं मुख्यतः प्रावधानीकरण में काफी गिरावट आने के कारण उनके निवल लाभ में 32.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी IV.21)। सूचना देने वाले 31 राज्य सहकारी बैंकों में से 27 ने कुल 408 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जबकि 4 ने 30 करोड़ रुपए की हानि उठायी। ब्याज आय ने राज्य सहकारी बैंकों की कुल आय में लगभग 94 प्रतिशत का अंशदान किया क्योंकि उनके पास ब्याजेतर आय के बहुत सीमित संसाधन थे। दूसरी ओर, उनके परिचालन व्यय बढ़ते रहे।

सारणी IV.20: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घटबढ़	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,012	1,114	6.5	10.1
	(1.4)	(1.5)		
2. रिजर्व	8,488	9,431	12.8	11.1
	(11.8)	(12.3)		
3. जमाराशियां	44,335	45,405	2.0	2.4
	(61.7)	(59.4)		
4. उधार	14,602	16,989	17.2	16.3
	(20.3)	(22.2)		
5. अन्य देयताएं	3,388	3,542	-1.0	4.5
	(4.8)	(4.6)		
कुल देयताएं / आस्तियां	**71,825**	**76,481**	**5.9**	**6.5**
	(100.0)	**(100.0)**		
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	6,600	4,323	10.3	-34.5
	(9.2)	(5.7)		
2. निवेश	23,303	27,694	5.0	18.8
	(32.4)	(36.2)		
3. ऋण और अग्रिम	37,353	39,684	6.4	6.2
	(52.0)	(51.9)		
4. अन्य आस्तियां	4,569	4,781	0.2	4.6
	(6.4)	(6.2)		

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्तियों/देयताओं से प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. 'आरक्षित निधि' में लाभ-हानि लेखा में जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. मणिपुर तथा केरल राज्य के सहकारी बैंकों के 2005-06 वर्ष के आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.21: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06	प्रतिशत में अंतर	
			2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**5,772**	**5,656**	**-4.5**	**-2.0**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) ब्याज आय	5,382	5,320	1.3	-1.2
	(93.2)	(94.1)		
ii) अन्य आय	390	336	-46.7	-13.8
	(6.8)	(5.9)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**5,486**	**5,278**	**-3.3**	**-3.8**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) व्यय किया गया ब्याज	3,701	3,658	-7.4	-1.2
	(67.5)	(69.3)		
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,259	1,039	4.6	-17.5
	(22.9)	(19.7)		
iii) परिचालन व्यय	526	581	11.6	10.5
	(9.6)	(11.0)		
उनमें से: वेतन बिल	369	381	16.5	3.3
	(6.7)	(7.2)		
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	1,545	1,417	-2.0	-8.3
ii) निवल लाभ	286	378	-23.6	32.2
घ. कुल आस्तियां	**71,825**	**76,481**	**5.9**	**6.5**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. जम्मू और कश्मीर तथा मणिपुर के राज्य सहकारी बैंकों के 2005-06 के आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।
3. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता और वसूली कार्यनिष्पादन

4.106 कुल तथा प्रतिशत दोनों ही रूपों में 2005-06 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की समग्र अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई जबकि इसके विपरीत पिछले वर्ष इसमें गिरावट देखी गयी। वर्ष के दौरान अवमानक आस्तियों में गिरावट तथा संदिग्ध और हानि आस्तियों में वृद्धि के साथ आस्ति में काफी गिरावट जारी रही। वसूली कार्यनिष्पादन भी कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा। पिछले वर्षों के अनुरूप, राज्य सहकारी बैंक 2005-06 के दौरान प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं आराम से पूरी करने में समर्थ रहे ((सारणी IV.22)।

क्षेत्रीय आयाम

4.107 अखिल भारतीय स्तर पर मांग के अनुपात में राज्य सहकारी बैंकों का वसूली कार्यनिष्पादन 2004-05 के 86 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 87 प्रतिशत हो गया। विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों में से अंडमान एवं निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, मिजोरम और पुदुचेरी में वसूली कार्यनिष्पादन में सुधार आया, जबकि महाराष्ट्र, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में इसमें गिरावट आयी। 2005-06 में अंडमान एवं निकोबार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु नामक राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में राज्य सहकारी बैंकों ने 90 प्रतिशत से अधिक वसूली दर्ज की।

4.108 सत्ताईस राज्य सहकारी बैंकों ने लाभ कमाया, जबकि चार राज्य सहकारी बैंकों ने हानि उठायी। इक्कीस राज्य सहकारी बैंकों ने 2005-06 में उच्चतर लाभ कमाया, जबकि पांच राज्य सहकारी बैंकों (जम्मू-कश्मीर, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र और पुदुचेरी राज्यों में) ने कम लाभ कमाया। जहाँ केरल के राज्य सहकारी बैंकों ने पिछले वर्ष के स्तर पर लाभ बनाये रखा, वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ स्थित राज्य सहकारी बैंकों ने वर्ष के दौरान हानि उठायी (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

सारणी IV.22: राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण कुल अनर्जक आस्तियां	**6,073**	**6,360**	**-5.2**	**4.7**
(i+ii+iii)	**(100.0)**	**(100.0)**		
i) अवमानक	2,962 (48.8)	2,498 (39.3)	-7.8	-15.7
ii) संदिग्ध	1,975 (32.5)	2,234 (35.1)	-33.4	13.1
iii) हानि आस्तियां	1,136 (18.7)	1,628 (25.6)	402.7	43.3
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	**16.3**	**16.0**		
ज्ञापन मद:				
i) मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत में)	86	87		
ii) अपेक्षित प्रावधान (करोड़ रु.)	2,806	3,314	-18.3	18.1
iii) किया गया प्रावधान (करोड़ रु.)	2,982	3,558	-19.3	19.3

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड ।

4.109 मार्च 2006 के अंत में राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों में व्यापक घट-बढ़ देखी गयी। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में अनर्जक आस्तियां 3.0 प्रतिशत से कम थीं, जबकि कुछ अन्य राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड) में अनर्जक आस्तियां 50 प्रतिशत से अधिक थीं। 31 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में से सिर्फ नौ में अनर्जक आस्तियों का अनुपात 10 प्रतिशत से कम था। राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों की वसूली दर में भी उल्लेखनीय घट-बढ़ हुई। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अंडमान और निकोबार, द्वीपसमूह, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में कार्यरत राज्य सहकारी बैंकों ने 2005-06 में 90 प्रतिशत से अधिक वसूली दर्ज की। तथापि, जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा जैसे कई राज्यों में वसूली की दर 50 प्रतिशत से कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

4.110 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के व्यावसायिक परिचालनों में 2005-06 में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गयी। देयता पक्ष में, जमाराशियों का हिस्सा थोड़ा घटकर 61.2 प्रतिशत हो गया जबकि यह निधीयन का प्रमुख स्रोत बना रहा। वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में तेज वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष में, जहाँ ऋणों और अग्रिमों में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं निवेशों में सामान्य वृद्धि (1.9 प्रतिशत) देखी गयी (सारणी IV.23)।

सारणी IV.23: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत मे		प्रतिशत घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	4,342	4,748 (3.3)	11.4 (3.3)	9.3
2. आरक्षित निधि	16,156	18,702 (12.1)	6.1 (13.1)	15.8
3. जमाराशियां	82,129	87,532 (61.6)	3.8 (61.2)	6.6
4. उधार	22,575	24,217 (16.9)	11.4 (16.9)	7.3
5. अन्य देयताएं	8,174	7,891 (6.1)	14.4 (5.5)	-3.5
कुल देयताएं / आस्तियां	**1,33,377 (100.0)**	**1,43,090 (100.0)**	6.1	7.3
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	8,567	10,695 (6.4)	11.4 (7.5)	24.8
2. निवेश	35,937	36,628 (26.9)	2.2 (25.6)	1.9
3. ऋण और अग्रिम	73,125	79,202 (54.8)	8.9 (55.4)	8.3
4. अन्य आस्तियां	15,748	16,565 (11.8)	0.5 (11.6)	5.2

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. आरक्षित में लाभ-हानि खाते के जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

4.111 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि के बावजूद, उनकी आय और व्यय दोनों में 2005-06 में गिरावट आयी। तथापि, आय में तेज गिरावट आयी, जिसके फलस्वरूप परिचालन और निवल लाभ में तेज गिरावट आयी। ब्याज आय कुल आय का लगभग 90 प्रतिशत थी जबकि ब्याज व्यय कुल व्यय का लगभग दो तिहाई था। राज्य सहकारी बैंकों की तरह जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की ब्याजेतर आय में भी गिरावट आयी। तथापि, डीसीसीबी द्वारा किये गये प्रावधानों और आकस्मिकताओं में भी वृद्धि दर्ज की गयी। 2005-06 के दौरान, सूचित करने वाले 366 डीसीसीबी में से 278 ने 1,116 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जबकि 88 डीसीसीबी ने 913 करोड़ रुपए की हानि दर्ज की (सारणी IV.24)।

सारणी IV.24: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06	प्रतिशत घट-बढ़ 2004-05	प्रतिशत घट-बढ़ 2005-06
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**12,731 (100.0)**	**11,688 (100.0)**	**6.9**	**-8.2**
i) ब्याज आय	11,420 (89.7)	10,687 (91.4)	3.6	-6.4
ii) अन्य आय	1,310 (10.3)	1,000 (8.6)	47.6	-23.7
ख. व्यय (i+ii+iii)	**11,759 (100.0)**	**11,481 (100.0)**	**-0.4**	**-2.4**
i) व्यय किया गया ब्याज	7,405 (63.0)	6,577 (57.3)	1.2	-11.2
ii) प्रावधान और आकस्मिक खर्च	2,125 (18.1)	2,563 (22.3)	-12.0	20.6
iii) परिचालन खर्च	2,230 (19.0)	2,341 (20.4)	7.7	5.0
जिसमें से : वेतन बिल	1,607 (13.7)	1,648 (14.4)	5.3	2.6
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	3,096	2,769	22.8	-10.6
ii) निवल लाभ	971	207	799.3	-78.7
घ. कुल आस्तियां	**1,33,377**	**1,43,090**	**6.1**	**7.3**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. आरक्षित में लाभ-हानि खाते के जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.25: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में 2005	मार्च के अंत में 2006	प्रतिशत घट-बढ़ 2004-05	प्रतिशत घट-बढ़ 2005-06
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	**14,520 (100.0)**	**15,712 (100.0)**	**-10.1**	**8.2**
i) अवमानक	6,468 (44.5)	6,905 (43.9)	-23.3	6.8
ii) संदिग्ध	6,053 (41.7)	6,699 (42.6)	-0.2	10.7
iii) हानि आस्तियां	1,999 (13.8)	2,109 (13.4)	21.3	5.5
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	**19.9**	**19.8**		
ज्ञापन मद :				
i) मांग की तुलना में वसूली	72	69		
ii) अपेक्षित प्रावधान	8,678	8,713	37.8	0.4
iii) किया गया प्रावधान	11,387	9,440	65.0	-17.1

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

स्रोत : नाबार्ड ।

आस्ति गुणवत्ता और वसूली कार्य-निष्पादन

4.112 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों का अनुपात 2005-06 के दौरान कमोबेश अपरिवर्तित रहा। तथापि, आस्तियों की सभी श्रेणियों में आस्तियों में काफी गिरावट देखी गयी। वर्ष के दौरान वसूली कार्यनिष्पादन में गिरावट आयी। वर्ष के दौरान किये गये प्रावधानों में, पिछले वर्ष की तीव्र वृद्धि की तुलना में, गिरावट आयी (सारणी IV.25)।

क्षेत्रीय आयाम

4.113 सूचना देने वाले 366 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में से 278 ने 1,116 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, जबकि 88 डीसीसीबी ने 913 करोड़ रुपए की हानि दर्ज की। 19 राज्यों में से 14 राज्यों में कार्यरत डीसीसीबी ने लाभ कमाया जबकि पांच राज्यों (जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु) के डीसीसीबी ने हानि उठायी। 2005-06 के दौरान, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में लाभ कमाने वाले डीसीसीबी की संख्या बढ़ गयी। महाराष्ट्र में, जहाँ लाभ कमाने वाले डीसीसीबी की संख्या बढ़ी, वहीं लाभ की मात्रा में गिरावट आयी। सात राज्यों (हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) में हानि उठाने वाले डीसीसीबी की संख्या तथा उनके द्वारा वहन की गयी समग्र हानि में वृद्धि हुई (सारणी IV.26 तथा परिशिष्ट सारणी IV.7)।

4.114 मार्च 2006 के अंत में राज्यों में डीसीसीबी के बारे में अनर्जक आस्तियों के अनुपात में 5.2 प्रतिशत से 68.7 प्रतिशत के बीच उल्लेखनीय घट-बढ़ हुई। सिर्फ तीन राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब) में अनर्जक आस्तियों का अनुपात 10 प्रतिशत से कम था, जबकि झारखंड (68.7 प्रतिशत) तथा बिहार (57.6 प्रतिशत) में अनर्जक आस्तियों का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक था। तथापि, तीन राज्यों राजस्थान, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में जहाँ परंपरागत रूप से कम अनर्जक आस्तियां (20 प्रतिशत से कम) थीं, अनर्जक आस्तियाँ वर्ष के दौरान बढ़ गयीं। जम्मू और कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ अन्य राज्यों में, जिनमें पहले से ही अनर्जक आस्तियों का स्तर ऊँचा (20 प्रतिशत से अधिक) था, वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई। अनर्जक आस्तियों के अनुपात में झारखंड में सबसे तेज गिरावट (10.4 प्रतिशत) देखी गयी तथा कर्नाटक में सर्वाधिक वृद्धि (12.7 प्रतिशत) देखी गयी। अखिल भारतीय स्तर पर, 2005-06 के दौरान, डीसीसीबी का वसूली कार्यनिष्पादन खराब होकर 72.2 प्रतिशत से गिरकर 69.2

सारणी IV.26: लाभ/हानि उठानेवाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक-राज्यवार

(मार्च की स्थितिं)

	2004-05				2005-06			
	लाभ		हानि		लाभ		हानि	
राज्य	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र	66	262.89	4	11.48	64	213.64	5	15.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	54	123.6	10	16.23	52	92.72	12	28.0
पूर्वी क्षेत्र	70	121.03	34	155.78	74	159.19	30	174.0
पश्चिमी क्षेत्र	35	295.39	14	169.49	34	244.23	15	245.8
दक्षिण क्षेत्र	70	552.42	10	85.9	54	406.6	26	450.0
अखिल भारतीय	**295**	**1355.33**	**72**	**438.88**	**278**	**1116.38**	**88**	**913.2**

टिप्पणी : 2005-06 के आंकड़े अंतिम है और रिपोर्टिंग बैंको पर आधारित हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

प्रतिशत रह गया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों में आम तौर पर डीसीसीबी द्वारा वसूली की स्थिति खराब हुई। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में 2005-06 के दौरान वसूली की दर 80 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी IV.7)।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

4.115 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जो अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना का आधार स्तरीय टियर हैं, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष लेनदेन करती हैं, अल्पावधि और मध्यावधि तक के ऋण स्वीकृत करती हैं और साथ ही वितरण और विपणन के कार्य करती हैं। तथापि, बड़ी संख्या में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्राथमिक तौर पर अपनी निधियों, जमाराशियों में उल्लेखनीय क्षरण तथा कम वसूली दरों के कारण गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कई नीतियां अपनायी गयी हैं। नाबार्ड सहकारी विकास निधि में से प्राथमिक कृषि ऋण समिति में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समर्थन दे रहा है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की कुल संख्या पिछले वर्ष के 108,779 से घटकर 2005-06 में 106,384 हो गयी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की सदस्यता भी 3.8 प्रतिशत गिरकर 123 मिलियन रह गयी। तथापि, उधारकर्ता सदस्यों की संख्या पिछले वर्ष के 35.4 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 46 मिलियन हो गयी जो कुल सदस्यता का 37.6 प्रतिशत है (सारणी IV.27)।

परिचालन

4.116 जमाराशियों में मध्यम वृद्धि के आधार पर वर्ष 2005-06 के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कुल संसाधनों में वृद्धि हुई परंतु उनकी कार्यशील पूँजी थोड़ी अर्थात 2.7 प्रतिशत की कमी आई। आस्ति की ओर पूर्ण रूप से अल्पकालीन ऋणों में वृद्धि के कारण ऋण संविभाग में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके कारण आंशिक रूप से उधार लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई। परंतु बकाया कुल ऋणों में अधिकाधिक चुकौतियों के कारण (सारणी IV.28) वृद्धि दर मंद रही।

वित्तीय कार्य संपादन

4.117 वर्ष 2005-06 के दौरान लाभ कमाने वाली और हानि उठाने वाली दोनों ही प्रकार की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में कमी हुई है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा कमाए गए कुल लाभ में वृद्धि हुई और हानि उठाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की हानि में कमी आई है। कुल मिलाकर 44,321 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने 1,064 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जबकि 53,050 प्राथमिक कृषि ऋण

सारणी IV.27: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां-सदस्यता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में	
	2005	2006
1	2	3
1. समितियों की संख्या	108,779	106,384
2. कुल सदस्यता (मिलियन में)	127.41	122.56
जिसमें से :		
क) अनु. जाति	30.93	30.58
ख) अनु. जनजाति	11.80	11.66
3. उधारकर्ताओं की कुल संख्या (मिलियन में)	45.07	46.08
जिसमें से:		
क) अनु. जाति	7.25	6.98
ख) अनु. जनजाति	3.46	3.33
4. कुल कर्मचारियों की संख्या	388,118	241,609

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : नाफस्कोब।

सारणी IV.28: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में अंतर	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. देयताएं				
1. कुल संसाधन (2+3+4)	68,423	69,871	12.5	2.1
2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख)	9,197	9,292	9.5	1.0
क. प्रदत्त पूंजी	5,571	5,644	7.8	1.3
जिसमें से:				
सरकार का अंशदान	621	622	-1.4	0.2
ख. कुल रिजर्व	3,626	3,648	12.2	0.6
3. जमाराशियां	18,976	19,561	4.6	3.1
4. उधार	40,250	41,018	17.5	1.9
5. कार्यशील पूंजी	75,407	73,387	21.5	-2.7
ख. आस्तियां				
1. कुल जारी ऋण (क+ख)*	39,212	42,920	11.7	9.5
क) अल्पावधि	31,887	35,624	8.7	11.7
ख) मध्यावधि	7,325	7,296	26.4	-0.4
2. कुल बकाया ऋण (क+ख)+	48,785	51,779	11.2	6.1
क) अल्पावधि	32,481	34,140	5.4	5.1
ख) मध्यावधि	16,304	17,639	24.8	8.2
ग. अतिदेय राशि				
1. कुल मांग	47,785	50,979	8	6.7
2. कुल वसूली	31,733	35,503	13.6	11.9
3. कुल शेष (अतिदेय) (क+ख)	16,052	15,476	-1.5	-3.6
क) अल्पावधि	11,656	11,387	-5.1	-2.3
ख) मध्यावधि	4,396	4,089	12.2	-7.0
4. कुल मांग में अतिदेय का प्रतिशत	33.6	30.4		

* : वर्ष के दौरान. + : वर्ष के प्रारंभ में

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाफस्कोब

समितियों को 1,920 करोड़ रुपए की हानि हुई। इसके परिणामस्वरूप एक समूह के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वर्ष 2004-05 के दौरान हुए 1,261 करोड़ रुपए की कुल हानि की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान 857 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई। वर्ष 2005-06 के दौरान कुल मांग और कुल वसूलियां, दोनों में वृद्धि हुई। परंतु वसूलियों में वृद्धि काफी तेज रही। इसके परिणामस्वरूप कुल मांग के प्रतिशत के रूप में, कुल अतिदेय राशियों में वर्ष 2004-05 के दौरान 33.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2005-06 में तेजी से कमी आई और ये 30.4 प्रतिशत पर आ गई ।

क्षेत्रीय आयाम

4.118 औसत रूप में पूरे देश में मार्च 2006 की समाप्ति पर एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति ने 7 गांवों की आवश्यकता पूर्ति की । केवल पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र और केरल) में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या बहुत अधिक थी क्यों कि वहां औसतन एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति दो गांवों की आवश्यकता की पूर्ति करती थी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षाकृत रूप से उक्त सेवाओं की कमी है (सारणी IV.29 तथा परिशिष्ट सारणी IV.8)।

4.119 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा उगाही गई जमाराशियों का औसत आकार 18.4 लाख रुपए था। केरल में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की औसत जमाराशियां किसी भी अन्य राज्य से बहुत अधिक अर्थात 563 लाख रुपए थीं। तमिलनाडु, उड़ीसा और पुदुचेरी राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा उगाही गई जमाराशियों का औसत आकार क्रमशः 57 लाख रुपए, 59 लाख रुपए और 91 लाख रुपए था। अन्य अधिकतर राज्यों में उगाही गई औसत जमाराशियाँ नगण्य थीं।

4.120 ग्यारह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम, झारखंड, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, गोवा और गुजरात) में लाभ कमाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या और उनके द्वारा कमाए गए लाभ की राशि हानि उठाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों एवं उनके द्वारा उठाई गई हानियों की राशि से अधिक थी। तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और केरल) में हानि उठाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा उठाई गई हानियों की राशियां, लाभ कमाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लाभों से अधिक थीं। अन्य पंद्रह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी और तमिलनाडु) में हानि उठाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या और उनके द्वारा उठाई गई हानि की राशि, लाभ कमाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या और उनके द्वारा कमाए, पाए लाभ से अधिक थीं। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पीएसीएस ने समग्र लाभ कमाया, हालांकि वहाँ हानि उठाने वाली पीएसीएस की संख्या लाभ कमाने वाली पीएसीएस की संख्या से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी IV.8)।

4.121 31 मार्च 2006 की यथास्थिति 1,06,376 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में से 66,525 (63.5 प्रतिशत) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थक्षम, 29,684 (27.9 प्रतिशत) समितियां आंशिक रूप से अर्थक्षम, 4,631 (4.4 प्रतिशत) निष्क्रिय, 1998 (1.9 प्रतिशत) समाप्त और 3,538 (2.4 प्रतिशत) अन्य थीं। निष्क्रिय और समाप्त प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक (1,282) और उसके बाद नागालैंड (1,034) तथा गुजरात (942) में थी (परिशिष्ट सारणी IV.8)।

सारणी IV.29: प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चुनिंदा संकेतक – 2004-05

क्रम सं. राज्य	प्राकृसस की संख्या	ग्रामों की संख्या	औसत जमाराशियां (लाख रुपए)	कार्यशील पूंजी (लाख रुपए)	लाभ प्राप्त समितियां		हानिग्रस्त समितियां	
					संख्या	राशि (लाख रुपए)	संख्या	राशि लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र	**13,480**	**74,988**	**13.2**	**12,34,264**	**8,398**	**20,086**	**4,198**	**9,009**
1. चंडीगढ़	16	22	0.2	23	14	5	1	12
2. दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–
3. हरियाणा	2,441	7,132	13.1	5,03,523	1,198	3,709	1,243	3,906
4. हिमाचल प्रदेश	2,086	19,388	31.4	93,743	1,701	937	318	84
5. जम्मू और कश्मीर	187	2,950	4.9	9,976	22	15	165	130
6. पंजाब	3,978	12,428	15.0	4,16,652	2,403	3,595	1,171	1,574
7. राजस्थान	4,772	33,068	4.1	2,10,347	3,060	11,825	1,300	3,303
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**3,535**	**35,546**	**3.9**	**6,40,096**	**600**	**7,841**	**867**	**10,253**
8. अरुणाचल प्रदेश	31	3,649	–	5,64,249	20	25	6	8
9. असम	809	23,422	0.6	7,533	309	7,639	419	9,909
10. मणिपुर	186	–	35.0	45,904	–	–	108	201
11. मेघालय	179	5,780	0.5	1,283	60	27	119	33
12. मिज़ोरम	175	660	0.1	175	59	70	4	10
13. नागालैंड	1,719	969	3.7	11,246	–	–	–	–
14 सिक्किम	166	166	–	146	56	6	37	4
15. त्रिपुरा	270	900	0.3	9,560	96	75	174	89
पूर्वी क्षेत्र	**28,830**	**271,438**	**11.2**	**9,10,708**	**10,971**	**3,517**	**16,455**	**7,742**
16. अंडमान और निकोबार द्वीप	46	204	0.4	638	7	1	37	4
17. बिहार	5,936	45,098	1.0	44,337	1,168	520	3,953	64
18. झारखंड	208	5,185	6.1	1,523	203	91	–	–
19. उड़ीसा	3,860	43,303	58.8	4,96,403	1,415	1,290	2,352	4,757
20. पश्चिमी बंगाल	18,780	177,648	4.7	3,67,807	8,178	1,615	10,113	2,918
मध्य क्षेत्र	**15,381**	**193,562**	**4.5**	**5,72,972**	**7,401**	**9,041**	**5,080**	**14,718**
21. छत्तीसगढ़	1,373	20,841	12.3	87,193	811	1,153	562	1,681
22. मध्य प्रदेश	4,633	54,017	9.2	3,48,022	1,792	6,008	2,450	12,847
23. उत्तराखंड	446	5,900	6.6	11,830	262	107	100	37
24. उत्तर प्रदेश	8,929	112,804	0.8	1,25,927	4,536	1,774	1,968	153
पश्चिमी क्षेत्र	**29,607**	**54,701**	**1.1**	**15,57,894**	**12,588**	**21219**	**16,266**	**47,458**
25. गोवा	75	242	28.9	5,203	54	115	21	29
26. गुजरात	8,487	16,997	2.1	5,29,421	5,027	3,763	2,880	3,487
27. महाराष्ट्र	21,045	37,462	0.7	10,23,270	7,507	17341	13,365	43,941
दक्षिणी क्षेत्र	**15,543**	**84,938**	**86.2**	**29,85,282**	**4,357**	**18,074**	**10,160**	**1,02,867**
28. आंध्र प्रदेश	4,491	30,715	17.2	5,64,249	1,002	4,015	3,194	17,851
29. कर्नाटक	4,911	34,069	20.9	4,70,393	1,732	4,621	2,811	8,239
30. केरल1,600	1,556	562.9	11,31,095	772	4,807	762	8,224	
31. पांडिचेरी	52	287	90.7	7,671	21	1	31	4
32. तमिलनाडु	4,489	18,311	56.6	8,11,874	830	4,629	3,362	68,549
अखिल-भारत कुल	**106,376**	**715,173**	**18.4**	**7,338,667**	**44,321**	**71936**	**53,050**	**192,048**

– : शून्य/नगण्य

टिप्पणी : दादरा और नगर हवेली के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

स्रोत : नाफस्कोब।

ग्रामीण सहकारी बैंक - दीर्घकालीन ढांचा

ढांचा, विस्तार और वृद्धि

4.122 मार्च 2006 के अंत में दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे में 20 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) तथा 696 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) थे। 20 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से (जिनकी 864 शाखाएं थी) शाखाओं के साथ 8 ऐकिक ढांचे थे और 12 संघीय या मिश्रित स्वरूप के थे। उन राज्यों में, जहां दीर्घकालीन ढांचा उपलब्ध नहीं था, वहां राज्य सहकारी बैंकों के प्रथक अनुभाग दीर्घ कालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में केवल तीन राज्यों (असम, मणिपुर और त्रिपुरा) में ही दीर्घकालीन ढांचा उपलब्ध था। मार्च 2006 में परिचालनगत प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) की संख्या, मार्च 2005 में 727 से घट कर 696 रह गई।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

परिचालन

4.123 वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्तियों/देयताओं में पिछले वर्ष के 3.8 प्रतिशत की तुलना में 1.4 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि हुई। देयताओं के पक्ष पर जमाराशियों की वृद्धि दर में अत्यधिक कमी आई जबकि उधार ली गई राशियों की दर में, जो कि राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संसाधनों का मुख्य स्रोत हैं, आंशिक कमी दर्ज की गई। आस्ति पक्ष की ओर वर्ष 2004-05 में ऋण और अग्रिम प्रदान करने के लिए निवेश संविभाग को खोलकर उपयोग करने की जो प्रवृत्ति देखी गई थी, वह रुक गई क्योंकि इस वर्ष राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने नए निवेश किए। परंतु 2005-06 के दौरान उनके द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों की वृद्धि दर घट गई (सारणी IV.30)।

वित्तीय कार्यसंपादन

4.124 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आय में तेजी से वृद्धि हुई और उनका व्यय पर्याप्त रूप से कम हो गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के परिचालनगत लाभ में बहुत वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान प्रावधानों और आकस्मिक खर्चों में भी कमी आई। वर्ष 2005-06 के दौरान एससीएआरडीबी के वित्तीय कार्य संपादन ने पलटा खाया और वर्ष 2004-05 के दौरान 163 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना में वर्ष 2005-06 में 262 करोड़ रुपए का निवल लाभ कमाया (सारणी IV.30)। परंतु 20 एससीएआरडीबी में से 8 ने हानि उठाई। असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लाभ की स्थिति में आ गए (परिशिष्ट सारणी IV.9)। वर्ष के दौरान निवल लाभ होने के परिणामस्वरूप, संचित हानियां मार्च 2005 के अंत में 1,098 करोड़ रुपए से घटकर मार्च 2006 के अंत में 918 करोड़ रुपए रह गईं।

सारणी IV.30: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	791 (3.3)	801 (3.2)	3.6	1.3
2. रिजर्व	2,165 (8.9)	2,354 (9.6)	-40.5	8.7
3. जमाराशियां	608 (2.5)	636 (2.6)	16.0	4.7
4. उधार	17,182 (70.8)	17,075 (69.4)	1.5	-0.6
5. अन्य देयताएं	3,525 (14.5)	3,738 (15.2)	131.0	6.0
कुल देयताएं /आस्तियां	**24,271 (100.0)**	**24,604 (100.0)**	**3.8**	**1.4**
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	360 (1.5)	365 (1.5)	-46.7	1.4
2. निवेश	1,867 (7.7)	1,885 (7.7)	-19.2	1.0
3. ऋण और अग्रिम	17,403 (71.7)	17,713 (72.0)	7.0	1.8
4. अन्य आस्तियां	4,641 (19.1)	4,641 (18.8)	12.2	0.0

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. रिजर्व में लाभ-हानि खाते के प्रावधान एवं जमा शेष शामिल हैं।
3. जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े 2004 से एवं मणिपुर के आंकड़े 2002 से दोहराए गए हैं।
4. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता और वसूली कार्यसंपादन

4.125 वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक आस्तियों में कुल मिलाकर और कुल ऋण संविभाग की तुलना में दोनों में ही वृद्धि जारी रही। यद्यपि वृद्धि की यह दर धीमी थी। परंतु वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों में वृद्धि पूरी तरह से 'अवमानक श्रेणी' में अनर्जक आस्तियों में वृद्धि के कारण थी। 'संदिग्ध' और 'हानि' श्रेणी में अनर्जक आस्तियों में वर्ष के दौरान कमी आई। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में वसूली कार्यसम्पादन में अत्यधिक भिन्नता परिलक्षित हुई। परंतु समग्र रूप से वसूली कार्यसम्पादन में वर्ष के दौरान सुधार हुआ। अनर्जक आस्तियों

सारणी IV.31: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**2,145 (100.0)**	**2,369 (100.0)**	**3.0**	**10.5**
i) ब्याज आय	2,100 (97.9)	2,269 (95.8)	2.5	8.0
ii) अन्य आय	45 (2.1)	101 (4.3)	28.2	124.3
ख. व्यय (i+ii+iii)	**2,308 (100.0)**	**2,107 (100.0)**	**4.8**	**-8.7**
i) व्यय किया गया ब्याज	1,371 (59.4)	1,335 (63.4)	-5.0	-2.6
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	727 (31.5)	531 (25.2)	31.9	-27.0
iii) परिचालन व्यय	209 (9.1)	241 (11.4)	1.5	15.2
जिसमें: वेतन बिल	165 (7.2)	181 (8.6)	1.9	9.7
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	564	793	30.4	40.5
ii) निवल लाभ	-162.6	262.1	36.6	-261.2
घ. कुल आस्तियां	**24,271**	**24,604**	**3.8**	**1.4**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल से प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. जम्मू तथा कश्मीर के आंकड़े 2003-04 से एवं मणिपुर के आंकड़े 2001-02 से दोहराए गए हैं।
3. राज्यों में रासकृग्रावि बैंकों के लिए वर्ष 2005-06 के लिए आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।
4. आंकड़ा स्रोतों की भिन्नता के कारण आंकड़े परिशिष्ट सारणी IV.9 से भिन्न हो सकते हैं।
5. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 के दौरान प्रावधानीकरण की अपेक्षा और किए गए प्रावधान में वृद्धि हुई (सारणी IV.29)।

क्षेत्रीय आयाम

4.126 11 राज्यों में परिचालनरत राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने लाभ कमाया और 8 राज्यों में उक्त बैंकों ने हानि उठाई (1 राज्य के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी)। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा कमाए जाने वाले लाभ में चार राज्यों (राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश) में वर्ष के

सारणी IV.32: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण				
कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	**5,437 (100.0)**	**5,786 (100.0)**	**25.4**	**6.4**
i) अवमानक	3,288 (60.5)	3,758 (65.0)	25.0	14.3
ii) संदिग्ध	2,129 (39.2)	2,011 (34.8)	26.2	-5.5
iii) हानि आस्तियां	20 (0.4)	17 (0.3)	0.0	-16.9
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	**31.2**	**32.7**		
ज्ञापन मदें:				
i) मांग की तुलना में वसूली	44	47		
ii) अपेक्षित प्रावधान	1,024	1445	22.9	41.1
iii) किया गया प्रावधान	1,097	1573	31.8	43.4

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

दौरान सुधार आया, जबकि चार राज्यों (पंजाब, असम, गुजरात और केरल) में लाभों में कमी आई। तीन राज्यों (हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी) में तीन राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने वर्ष 2004-05 के दौरान हुए निवल लाभ की तुलना में इस वर्ष हानियां उठाई और इस प्रकार उनका कार्यसंपादन इस वर्ष के दौरान और खराब रहा। हरियाणा, त्रिपुरा और बिहार में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा उठाई गई हानियाँ इस वर्ष और बढ़ गई जबकि उड़ीसा तथा जम्मू और कश्मीर में इन हानियों में कमी आई (परिशिष्ट सारणी IV.9)।

4.127 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में विभिन्न राज्यों में मार्च 2006 के अंत में अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां शून्य (पंजाब) से 100 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। चार अन्य राज्यों (उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और केरल) में अनर्जक आस्तियां 20 प्रतिशत से कम थीं। छह राज्यों (असम, मणिपुर, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु) में अनर्जक आस्तियों का अनुपात 50.0 प्रतिशत से अधिक था। वसूली के अनुपात में भी 1.9 प्रतिशत (बिहार) से 94.1 (पंजाब) प्रतिशत तक की बहुत भिन्नता थी। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की औसत वसूली, वर्ष 2004-05 के दौरान 44.00 प्रतिशत की कुल मांग से वर्ष 2005-06 के दौरान बढ़कर 47.3 प्रतिशत हो

गई। 12 राज्यों में वसूली की दर 50 प्रतिशत से कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.9)।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

परिचालन

4.128 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्तियों / देयताओं में वर्ष 2005-06 के दौरान मध्यम वृद्धि हुई। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की भांति, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने निधियों की अपनी अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति उधारियों से की जो वर्ष के दौरान मध्यम रूप से बढ़ीं। परंतु निधियों के एक दूसरे स्रोत - उनकी प्रारक्षित राशियों में पिछली वर्ष की प्रवृत्ति को उलटते हुए तेजी से वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष में निवेशों में कमी आई और ऋण एवं अग्रिमों में आंशिक वृद्धि हुई (सारणी IV.33)।

सारणी IV.33: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामिण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	920 (4.5)	922 (4.3)	0.7	0.2
2. रिजर्व	2,196 (10.8)	2,665 (12.5)	-25.4	21.4
3. जमाराशियां	364 (1.8)	382 (1.8)	-7.8	4.9
4. उधार	12,750 (62.5)	13,066 (61.2)	7.3	2.5
5. अन्य देयताएं	4,184 (20.4)	4,330 (22.5)	23.6	3.5
कुल देयताएं / आस्तियां	**20,413 (100.0)**	**21,365 (100.0)**	**4.6**	**4.7**
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	209 (1.0)	224 (1.1)	-9.2	7.3
2. निवेश	804 (3.9)	778 (3.6)	3.1	-3.3
3. ऋण और अग्रिम	12,622 (61.9)	12,740 (59.6)	11.6	0.9
4. अन्य आस्तियां	6,778 (33.2)	7,623 (35.7)	-5.8	12.5

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल से प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. आरक्षित निधि में लाभ-हानि खाते के प्रावधान और ऋण शेष शामिल हैं।
3. तमिलनाडु और केरल राज्य के प्रासकृग्रावि बैंक के आंकड़े 2005- 06 के लिए पिछले वर्ष स दोहराए गए हैं।
4. आंकड़े अनंतिम हैं

स्रोत : नाबार्ड।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

4.129 2005-06 के दौरान पीसीएआरडीबी के वित्तीय कार्य-निष्पादन में गिरावट आयी। पीसीएआरडीबी की निवल ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। व्यय पक्ष में, वर्ष के दौरान परिचालनगत व्यय को भी नियंत्रित रखा गया। तथापि, ब्याजेतर आय में आयी तीव्र गिरावट के फलस्वरूप परिचालन लाभ में तीव्र गिरावट आयी। प्रावधानों और आकस्मिकताओं में तेज वृद्धि के साथ इसके जुड़ने के फलस्वरूप 2004-05 के निवल लाभ की तुलना में 2005-06 के दौरान निवल घाटा हुआ। 2005-06 में, 331 पीसीएआरडीबी ने 328 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, जबकि हानिग्रस्त 194 पीसीएआरडीबी ने 411 करोड़ रुपए की हानि उठायी। समग्र हानि में वृद्धि के कारण मार्च 2005 के अंत के 2,475 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च 2006 के अंत में पीसीएआरडीबी की संचित हानियां बढ़कर 2,672 करोड़ रुपए हो गईं (सारणी IV.34, परिशिष्ट सारणी IV.10)।

आस्ति की गुणवत्ता और वसूली कार्यनिष्पादन

4.130 कुल ऋणों और अग्रिमों की समग्र राशि तथा प्रतिशत दोनों ही रूपों में पीसीएआरडीबी की समग्र अनर्जक आस्तियों में 2005-06 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी। 'अवमानक' आस्ति श्रेणी की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि देखी गयी, जबकि 'संदिग्ध' और 'हानि' आस्ति की श्रेणी की अनर्जक आस्तियों में गिरावट दर्ज की गयी। समस्त तथा अधिकांश राज्यों के वसूली कार्यनिष्पादन में भी गिरावट देखी गयी। वर्ष के दौरान प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं में गिरावट देखी गयी। फलस्वरूप किये गये प्रावधानों में भी कुछ गिरावट देखी गयी। पिछले वर्ष की तरह, किये गये प्रावधान, प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा से अधिक थे (सारणी IV.35)।

क्षेत्रीय आयाम

4.131 12 राज्यों में कार्यरत 696 पीसीएआरडीबी में से 525 के बारे में ही सूचना उपलब्ध है । जहां 331 पीसीएआरडीबी ने लाभ कमाया वहीं 194 घाटे में रहे। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में कोई भी पीसीएआरडीबी लाभ नहीं कमा रही थी (परिशिष्ट सारणी IV.10)।

4.132 मार्च 2006 के अंत में सभी राज्यों में पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियों का अनुपात 20.0 प्रतिशत से अधिक रहा। पंजाब में कार्यरत पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियों का अनुपात सबसे कम (21.1 प्रतिशत) था तथा तमिलनाडु में यह अनुपात सबसे अधिक (69.9 प्रतिशत) था। उड़ीसा और महाराष्ट्र में कार्यरत पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियां 40 प्रतिशत से अधिक थीं जबकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल

सारणी IV.34: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद			प्रतिशत घटबढ़	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**2,345 (100.0)**	**2,123 (100.0)**	**30.8**	**-9.5**
i) ब्याज आय	1,465 (62.5)	1,690 (79.6)	-0.4	15.4
ii) अन्य आय	880 (37.5)	433 (20.4)	174.2	-50.8
ख. व्यय (i+ii+iii)	**1,986 (100.0)**	**2,232 (100.0)**	**-3.1**	**12.4**
i) व्यय किया गया ब्याज	1,130 (56.9)	1,239 (55.5)	-1.3	9.6
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	545 (27.5)	698 (31.3)	-10.9	28.1
iii) परिचालन व्यय	311 (15.6)	295 (13.2)	6.4	-5.1
जिसमें से: वेतन बिल	204 (10.3)	205 (9.2)	0.1	0.5
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	904	589	155.4	-34.8
ii) निवल लाभ	359	-109	-239.2 *	-130.3
घ. कुल आस्तियां	**20,413**	**21,365**	4.6	4.7

* : 2003-04 के दौरान 258 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना में वृद्धि दर्शाता है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल से प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 2005-06 के आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।
3. अलग-अलग आंकड़ा स्रोत के कारण आंकड़े सारणी परिशिष्ट IV-10 के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।
4. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

में यह 30 प्रतिशत से अधिक थीं (परिशिष्ट सारणी IV.10)। तीन राज्यों (हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु) में पीसीएआरडीबी की औसत वसूली कुल मांग के 60 प्रतिशत से अधिक थी। सात और राज्यों (पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और केरल) में पीसीएआरडीबी की वसूली दर 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बीच रही। शेष दो राज्यों (हरियाणा और महाराष्ट्र) में वसूली की दरें 40 प्रतिशत से नीचे थीं (परिशिष्ट सारणी IV.10)।

सारणी IV.35: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण कुल अनर्जक आस्तियां	**4,056 (100.0)**	**4,554 (100.0)**	**1.0**	**12.3**
i) अवमानक	2,161 (53.3)	2,635 (57.9)	3.9	21.9
ii) संदिग्ध	1,845 (45.5)	1,873 (41.1)	-2.4	1.5
iii) हानि आस्तियां	50 (1.2)	46 (1.0)	6.4	-8.0
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	**32.1**	**35.7**		
ज्ञापन मदें:				
ग. मांग की तुलना में वसूली	**54**	**48**		
घ. अपेक्षित प्रावधान	**872**	**745**	**-7.6**	**-14.6**
ङ. किया गया प्रावधान	**910**	**786**	**-3.5**	**-13.6**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

4. व्यष्टि वित्त (माइक्रो फाइनांस)

4.133 राष्ट्रीकरण के बाद के युग में, भारत में बैंकिंग प्रणाली में अप्रत्याशित वृद्धि हुई तथा इसकी उपलब्धियां अपूर्व रहीं। इसके बावजूद, 1980 के दशक के प्रायोगिक अध्ययन से यह प्रकट हुआ कि बड़ी संख्या में सर्वाधिक गरीब जनता औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की पहुँच से परे बनी हुई है। यह महसूस किया गया कि वर्तमान बैंकिंग नीतियां, प्रणाली और प्रक्रियाएं तथा जमाराशियां एवं ऋण उत्पाद गरीब जनता की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी करने के उपयुक्त नहीं थे। बैंक और गरीब जनता दोनों के लिए कम खर्चीली तथा अनुकूल अनुपूरक ऋण सुपुर्दगी प्रणाली विकसित करने के लिए वर्तमान बैंकिंग प्रणाली के अलावा व्यष्टि-वित्त पहल को भारत में प्रोत्साहित किया गया। ये पहल दो मॉडल अर्थात स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम और व्यष्टि वित्त संस्थाओं के मॉडल पर केंद्रित हैं।

स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम

4.134 स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम को 1989 में कार्रवाई अनुसंधान परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। परियोजना के निष्कर्ष से 1992 में प्रायोगिक परियोजना शुरू की गयी जिसमें रिज़र्व बैंक से नीतिगत समर्थन मिला। प्रायोगिक परियोजना को तीन एजेंसियों अर्थात स्वयं सहायता समूह, बैंक

और गैर-सरकारी संगठनों के बीच भागीदारी मॉडल के रूप में अभिकल्पित किया गया। स्वयं सहायता समूह से ऐसी अपेक्षा की गयी कि गरीब द्वारा सामूहिक निर्णय लेने को सुकर बनाया जाए तथा 'डोरस्टेप बैंकिंग' की सुविधा दी जाए। ऋण के थोक विक्रेता के रूप में बैंकों को संसाधन उपलब्ध कराया जाना था, जबकि गैर सरकारी संगठनों को गरीबों को संगठित करने, उनको सक्षम बनाने और उन्हें सशक्त करने की प्रक्रिया को सुकर बनाने की एजेंसी के रूप में कार्य करना था।

4.135 उक्त कार्यक्रम देशभर के 500 स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने की प्रायोगिक परियोजना से काफी आगे बढ़ गया है। उसने गरीबों के लिए बैंकिंग के मुख्य कार्यक्रम के रूप में अपनी क्षमता साबित की है, जिसमें मुख्यतः सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, शिल्पी और कारीगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में फेरीवाले और विक्रेता जैसे छोटे कारोबार में संलग्न अन्य लोग शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य फायदे हैं - बैंकों को ऋणों की समय पर चुकौती, गरीबों और बैंकों दोनों की लेनदेन लागत में कटौती, गरीबों के लिए दहलीज पर 'बचत और ऋण' की सुविधा तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उपयोग न की गयी व्यावसायिक संभावना का दोहन। यह एक व्यापक पहुँच वाले कार्यक्रम के रूप में शुरू हुए इस कार्यक्रम का लक्ष्य न सिर्फ मितव्ययिता और ऋण को बढ़ावा देना था अपितु इसने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति भी काफी योगदान दिया।

2006-07 के दौरान प्रगति

4.136 स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम देश में व्यष्टि वित्त के प्रमुख मॉडल के रूप में बना रहा। 2006-07 के दौरान, 686,408 नये स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ ऋण से संबद्ध किया गया और इस प्रकार ऋण संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या 2.92 मिलियन हो गयी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 457,410 मौजूदा स्वयं सहायता समूहों को पुनः वित्त प्राप्त हुआ। 2006-07 के दौरान स्वयं सहायता समूहों को वितरित बैंक ऋण की मात्रा 6,643 करोड़ रुपए थी और इस प्रकार मार्च 2007 तक स्वयं सहायता समूहों को वितरित संचयी बैंक ऋण रुपए 18,041 करोड़ हो गया। कार्यक्रम की अपूर्व व्यापकता के कारण 41 मिलियन से अधिक गरीब घरों को औपचारिक बैंकिंग तंत्र से व्यष्टि वित्त प्राप्त हुआ जिससे 2005-06 की तुलना में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी (सारणी IV.36)।

4.137 2006-07 के दौरान, नाबार्ड ने पहचान किये गये 13 प्राथमिकता प्राप्त राज्यों में, जिनमें अधिकांश ग्रामीण गरीब रहते हैं, नामतः उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को तेज किया। तदनुसार, इन राज्यों में त्वरित गति से कार्यक्रम का विस्तार हुआ, जो दक्षिण क्षेत्र में आरंभिक स्थानीकरण से उल्लेखनीय बदलाव का

सारणी IV.36: स्वयं सहायता समूह बैंक संबद्धता कार्यक्रम

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	बैंकों द्वारा वित्तपोषित कुल स्वयं सहायता समूह (संख्या हजारों में)		बैंक ऋण		पुनर्वित्त	
	वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी
1	2	3	4	5	6	7
1992-99	33	33	57	57	52	52
1999-00	82	115	136	193	98	1507
	(147.9)	(247.9)	(138.1)	(238.1)	(88.6)	(188.6)
2000-01	149	264	288	481	251	401
	(82.3)	(129.9)	(112)	(149.2)	(155.5)	(167.0)
2001-02	198	461	545	1,026	396	796
	(32.6)	(74.9)	(89)	(113.4)	(57.9)	(98.8)
2002-03	256	717	1,022	2,049	622	1,419
	(29.5)	(55.4)	(87)	(99.6)	(57.2)	(78.1)
2003-04	362	1079	1,856	3,904	706	2,125
	(41.4)		(81)	(90.6)	(13.4)	(49.7)
2004-05	539	1,618	2,994	6,898	968	3,092
	(49.1)	(50.0)	(61)	(76.7)	(37.1)	(45.5)
2005-06	620	2,239	4,499	11,398	1,068	4,160
	(15.0)	(38.3)	(50.3)	(65.2)	(10.3)	(34.5)
2006-07	686	2,924	6,643	18,041	1,299	5,459
	(11.0)	(30.6)	(47.6)	(58.3)	(21.6)	(31.2)

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।
2. 2006-07 के आंकड़े अनंतिम हैं ।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.37: स्वयं सहायता समूहों की ऋण संबद्धता में क्षेत्रवार वृद्धि

क्षेत्र	ऋण संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या				ऋण संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या			
	2000-01		मार्च 2001 के अंत में संचयी		2006-07		मार्च 2007 के अंत में संचयी	
	संख्या	कुल में हिस्सा	संख्या	कुल में हिस्सा	संख्या	कुल में हिस्सा	संख्या	कुल में हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी	4,221	3.0	9,012	3.4	48,921	7.1	182,018	6.3
पूर्वोत्तर	160	0.1	477	0.2	29,237	4.2	91,754	3.1
पूर्वी	11,057	7.9	22,252	8.4	131,530	19.2	525,881	17.8
मध्य	8,631	6.2	28,851	10.9	64,814	9.5	332,729	11.4
पश्चिमी	6,911	4.9	15,543	5.9	104,193	15.2	270,447	9.3
दक्षिण	109,218	77.9	187,690	71.2	307,713	44.8	1,522,144	52.0
कुल	**140,198**	**100.0**	**263,825**	**100.0**	**686,408**	**100.0**	**2,924,973**	**100.0**

टिप्पणी : 2006-07 के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

संकेत है। दक्षिणेतर क्षेत्रों का संचयी भाग मार्च 2001 के अंत के 29 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 48 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.37)।

4.138 बैंकों के स्वयं सहायता समूह संविभाग में लेनदेन की कम लागत और अनर्जक आस्तियों के प्रायः शून्य स्तर ने स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम को बैंकों के लिए उपयोगी वाणिज्यिक प्रस्ताव बना दिया है। विभिन्न एजेंसियों के सापेक्ष्य हिस्से के रूप में, वाणिज्यिक बैंक ऋण संबद्ध तथा ऋण संवितरित स्वयं सहायता समूहों दोनों की संख्या के रूप में अगुआ बने हुए हैं। यद्यपि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थान बैंकों के बाद दूसरा है, कुल में उनका हिस्सा हाल के वर्षों में गिरा है। ऋण संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या के रूप में सहकारी बैंकों का हिस्सा 14 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा तथा वर्ष के दौरान संवितरित ऋण में उनके हिस्से में गिरावट आयी (सारणी IV.37)।

4.139 लगभग 2.9 मिलियन स्वयं सहायता समूहों में से, एक मिलियन से अधिक परिपक्व स्वयं सहायता समूह हैं तथा उन्होंने बैंकिंग तंत्र से कई ऋण प्राप्त किये है। ऐसे परिपक्व स्वयं सहायता समूहों को व्यष्टि उद्यम लेने में सक्षम बनाना विकास की योजना बनाने वालों के लिए चुनौती है। 2005-06 में नाबार्ड ने कुशलता को अपग्रेड करने तथा परिपक्व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए धारणीय जीविका का विकास करने के लिए एक केंद्रित और स्थान-विशिष्ट उद्यम विकास कार्यक्रम शुरू किया। 2006-07 में, स्वयं सहायता समूह के 7,579 सदस्यों को शामिल करते हुए 297 व्यष्टि उद्यम विकास कार्यक्रम शुरू किये गये। जिन व्यष्टि उद्यमों के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया उनमें बकरी पालन, कुकुरमुत्ते की खेती, पापड़, अगरबत्ती बनाने, मोमबत्ती बनाने, जूट उत्पाद बनाने जैसे विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।

4.140 पिछले वर्षों में स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम के तहत उभरे तीन मॉडलों में से, स्वयं सहायता समूहों के लगभग 81.1 प्रतिशत को मॉडल II के तहत बैंकों द्वारा वित्तपोषित किया गया, जिसमें गैर सरकारी संगठन और सरकारी एजेंसियां शामिल थीं (सारणी IV.39)।

4.141 नाबार्ड ने भी 2005-06 के दौरान परिपक्व स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच व्यष्टि उद्यमों के संवर्धन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की। यह प्रायोगिक परियोजना नौ जिलों में लागू की जा रही है जो नौ राज्यों में फैले हैं। 'व्यष्टि उद्यम संवर्धन एजेंसी' के रूप में कार्यरत चौदह गैर सरकारी संगठन नयी दिल्ली आधारित 'विपणन और अनुसंधान दल' नामक संगठन के तकनीकी दिशा-निर्देश के तहत प्रायोगिक परियोजना को लागू कर रहे हैं। 2006-07 के दौरान, 'व्यष्टि उद्यम संवर्धन एजेंसी' ने जिलों का ब्यौरेवार सर्वेक्षण पूरा किया। सर्वेक्षण ने विशिष्ट तौर पर उन मौजूदा अवसरों तथा कृषि एवं कृषीतर कार्यकलापों के लिए आपूर्ति एवं मांग के स्वरूप की पहचान की, जिन्हें पहचान किये गये परियोजना क्षेत्र में धारणीय आय के लिए परियोजना के आधार पर लिया जा सके। सर्वेक्षण के विश्लेषण के अलावा, सहभागिता प्रक्रियाओं और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के परामर्श से उपयुक्त कार्यकलापों की पहचान शुरू की गयी। स्वयं सहायता समूह के अभिज्ञात सदस्यों के साथ चर्चा और परामर्श के बाद तथा सर्वेक्षण के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 'व्यष्टि उद्यम संवर्धन एजेंसी' द्वारा कार्रवाई योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। कौशल को अपग्रेड करने तथा बाजार में उत्पादों की बेहतर स्वीकार्यता के लिए व्यष्टि उद्यम विशिष्ट प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है। अब तक 14 स्वयं सहायता समूहों में से चार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है और 31.19 लाख रूपए की सहायता से 141 माइक्रो एंटरप्राइज स्थापित किए जा चुके हैं।

सारणी IV.38: संबद्धता स्थिति - एजेंसी वार*

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

एजेंसी	स्वयं सहायता समूहों की संख्या (हजार में)				संवितरित बैंक ऋण			
	2005-06	2006-07	प्रतिशत घटबढ़		2005-06	2006-07	प्रतिशत घटबढ़	
			2005-06	2006-07			2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्यि बैंक	1,188 (53.0)	1,595 (55.0)	40.9	34.3	6,988 (61.0)	11,397 (63.0)	68.0	63.09
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	740 (33.0)	911 (31.0)	31.2	23.1	3,322 (29.0)	5,031 (28.0)	58.2	51.4
सहकारी बैंक	310 (14.0)	418 (14.0)	46.9	34.8	1,087 (10.0)	1,597 (9.0)	69.8	46.9
अन्य	271 (12.1)	–	–	–	0.52 (0.005)	15 (0.1)	–	–
कुल	**2,239 (100.0)**	**2,924 (100.0)**	**38.4**	**30.6**	**11,398 (100.0)**	**18,040 (100.0)**	**65.2**	**58.3**

*: अवधि के अंत की संचयी स्थिति।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल से प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

व्यष्टि वित्त संस्था-बैंक संपर्क

4.142 देश में व्यष्टि वित्त संस्थाएं विभिन्न कानूनी प्ररूपों में कार्य कर रही हैं। इन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है (i) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी; (ii) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882/ सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1920 अथवा धार्मिक एवं धर्मादा सार्वजनिक न्यासों से संबंधित किसी राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास; (iii) राज्य सहकारी समिति अधिनियम अथवा प्राथमिक सहायता प्राप्त या परस्पर लाभ वाली सहकारी समिति अधिनियम बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 या भारत में प्रवृत्त सहकारी समिति संबंधी किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत सहकारी समिति; (iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत और रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण से विशेष रूप से छूट प्राप्त अलाभकारी कंपनी; और (v) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एवं रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी।

4.143 वित्त मंत्री ने 2005-06 के बजट भाषण में इशारा किया था कि सरकार बड़े पैमाने पर व्यष्टि वित्त संस्थाओं को संवर्धित करना चाहती है। तदनुसार नाबार्ड के पास रखी गयी 'व्यष्टि वित्त विकास निधि' को 'व्यष्टि-वित्त विकास और ईक्विटी निधि' के रूप में पुनर्नामित किया गया तथा इसकी मूल निधि को रुपए 100 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 200 करोड़ कर दिया गया।

4.144 2006-07 में, व्यष्टि वित्त संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा बैंकों के साथ व्यष्टि वित्त संस्थाओं के संपर्क के संवर्धन के प्रयास किये गये। व्यष्टि वित्त संस्थाओं की रेटिंग के लिए बैंकों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने की योजना को व्यापक आधार प्रदान करते हुए मार्च 2008 तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, 'एमएफडीईएफ से व्यष्टि वित्त संस्थाओं के पूँजी/ईक्विटी समर्थन' नामक योजना प्रारंभ की गयी ताकि व्यष्टि वित्त संस्थाएं बैंकों से वाणिज्यिक और अन्य निधियां प्राप्त करने के लिए पूँजी/ ईक्विटी को उत्तोलित (लीवरेज) कर सकें। वर्ष के दौरान तीन व्यष्टि वित्त संस्थाओं को 3 करोड़ रुपए तक का पूँजीगत समर्थन प्रदान किया गया।

4.145 साथ ही, व्यष्टि वित्त क्षेत्र की व्यवस्थित वृद्धि के संवर्धन के लिए नाबार्ड ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से व्यष्टि वित्त क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक, 2007 तैयार किया। उक्त विधेयक लोकसभा में 20 मार्च 2007 को पेश किया गया। इसे आगे के विचार-विमर्श के लिए संसद की 'स्थायी समिति' के हवाले किया गया है।

4.146 व्यष्टि वित्त प्रणाली को सुधारने तथा इसकी पहुँच को व्यापक बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों के बावजूद, प्रणाली को वर्तमान में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है (बॉक्स IV.4)।

बॉक्स IV.4 : व्यष्टि वित्त : भविष्य की चुनौतियां और रणनीति

व्यष्टि वित्त गरीबों के जीवन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसने उनकी आय के स्तर में उचित वृद्धि तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार के लिए कार्य किया है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन और अंतर्वेशक वृद्धि के संवर्धन में व्यष्टि वित्त द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा किये जाने की आशा है । तथापि, अभी भी गरीब जनता की ऋण की मांग और आपूर्ति में व्यापक अंतर है। कुछ अनुमानों के अनुसार : भारत में गरीब जनता का ऋण-समर्थन लगभग 4,50,000 करोड़ रुपए आँका गया है। कुछ व्यष्टि स्तरीय अध्ययन यह बताते हैं कि गरीब जनता आज भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर बनी हुई है जो घरेलू मांग के 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक है। तथापि व्यष्टि वित्त प्रणाली के सामने कई चुनौतियां हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन : स्वयं सहायता समूहों का दक्षिण क्षेत्र के पक्ष में विषम वितरण है। तथापि, दक्षिणेतर राज्यों में स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और ऋण संपर्क में हुई तीव्र प्रगति के कारण हाल के वर्षों में दक्षिणी राज्यों की प्रमुखता में गिरावट आयी है। तथापि, देश में कुल स्वयं सहायता समूह ऋण संपर्कों का 50 प्रतिशत से अधिक दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तथापि, जिन राज्यों में गरीबों का हिस्सा अधिक है, उनमें व्याप्ति अपेक्षाकृत कम है।

स्वयं सहायता समूहों की गुणवत्ता : आय की धारणीयता स्वयं सहायता समूह की गुणवत्ता पर निर्भर है। अतः, स्वयं सहायता समूह की गुणवत्ता सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है। स्वयं सहायता समूह- बैंक संपर्क कार्यक्रम की तीव्र वृद्धि के कारण उनकी गुणवत्ता दबाव में आ गयी है। स्वयं सहायता समूहों की गुणवत्ता प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार हैं (i) समूहों के संवर्धन में कुछ सरकारी विभागों का लक्ष्य अभिमुख दृष्टिकोण; (ii) धारणीय आधार पर पोषण करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अपर्याप्त प्रोत्साहन; तथा (iii) अपने समूह का प्रबंधन करने में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के कौशल का निम्न स्तर।

कार्यक्रम की शक्ति इस तथ्य से उद्भूत होती है कि सरकार प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यक्रम के तहत ऋण की तुलना में कार्यक्रम के तहत ऋण की वसूली का स्तर काफी अधिक है। तथापि, वसूली का स्तर उच्चतर बनाये रखने के लिए स्वयं सहायता समूहों की गुणवत्ता काफी महत्त्वपूर्ण है।

स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं, बैंकों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण : कार्यक्रम की सफलता गुणवत्ता समूहों के संवर्धन में स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं द्वारा अदा की गयी भूमिका तथा बैंक ऋण की आसान असुविधा रहित मुक्त रूप से उपलब्धता पर निर्भर है। बदले में, गुणवत्ता समूहों का संवर्धन स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं की आंतरिक शक्तियों - प्रबंधकीय और वित्तीय पर निर्भर है। अतः, जिला स्तर पर गुणवत्ता संसाधन केंद्रों के अभाव और कार्यक्रम कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न कर्मिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के बारे में पर्याप्त कद्र की कमी के कारण विभिन्न पण धारियों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये क्षमता निर्माण एक चुनौती है।

ऋण से उद्यम की ओर अनुक्रम : अधिक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि स्वयं सहायता समूहों को निम्नलिखित के लिए प्रेरित किया जाए- उद्यम के परिपक्व स्तरों की ओर अनुक्रम, जीविका का विशाखीकरण, आपूर्ति श्रृंखला तक बढ़ी हुई पहुँच, पूँजी बाजार से संपर्क तथा उपयुक्त उत्पादन और अभिसंस्करण प्रौद्योगिकी।

स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम के लिए जरूरी है कि स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय व उद्यम की स्थापना के लिए गैर-वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए समर्थ बनाया जाए। तथापि, इस क्षेत्र में अधिक अर्थक्षम और धारणीय जीविकाएं नहीं हैं। उसने समूहों को विकृत बना दिया है, अर्थात ऋण संपर्क के आरंभिक कुछ दौरों के बाद पुराने स्वयं सहायता समूह बैंकों से ऋण नहीं ले रहे हैं। व्यष्टि उद्यम संवर्धन का कार्य आत्मविश्वास, निवेश की योग्यता तथा समूहों के बीच असमान होने से बाजार के अवसरों तक अभिगम जैसे कारकों के कारण और अधिक संयोजित हो गया है।

स्वयं सहायता समूह संघों का उदय : हाल में, कई स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं ने स्वयं सहायता समूहों का संघ बनाना शुरू कर दिया है ताकि उनके कुछ कार्य उनके द्वारा कम खर्चीले और धारणीय रूप में किये जा सकें । तथापि, संघ निर्माण क्षमता के प्रति कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये हैं। ऐसा कोई स्थापित मॉडल नहीं है जिसे पूरे देश में प्रतिकृत किया जा सके।

स्वयं सहायता समूह संघों का उदय सौदेबाजी की सामूहिक शक्ति और किफायत के योग को दर्शाता है। वे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को हल करने के मंच हैं। तथापि, हर अतिरिक्त स्तर उसकी लागत को बढ़ाता है और इस प्रकार प्राथमिकताओं को कमजोर बनाता है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संघों की गुणवत्ता अच्छी हो। संघों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूह का संघ बनाने के काम में लगी हुई निगरानी संस्थाओं द्वारा सावधानी बरते जाने की जरूरत है। पहला स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता के आधार पर संघ विकसित किये जाने चाहिए तथा समूह को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वह संघ में शामिल हो या नहीं। दूसरा, संघों को सदस्य-स्वामित्व वाली, सदस्य-संचालित संस्थाओं के रूप में विकसित किये जाने की जरूरत है ताकि वे अपने घटकों - स्वयं सहायता समूह - की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक रूप में कार्य कर सकें । तीसरा, संघों की प्रक्रिया एवं प्रणाली को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाए ताकि ये संघ प्रवर्तक पर हमेशा के लिए निर्भर न रहें तथा उचित अवधि के भीतर स्वयं प्रबंधित बन जाएं।

ऋण वितरण की ऊंची लागत : ऋण की कम मात्रा और आकार तथा निधियों की लागत के कारण वित्तीय सेवा प्रदान करने के अर्थ में व्यष्टि वित्त संस्था मॉडल तुलनात्मक रूप में मँहगा है। काफी संख्या में व्यष्टि वित्त संस्थाएं सब्सिडी पर निर्भर रहती हैं तथा कुछ व्यष्टि वित्त संस्थाएं ही अपनी लागत के 80 प्रतिशत से अधिक को कवर कर पाती हैं। उनके द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की उच्च दर चिंता का विषय बन गयी है। जहाँ इस पर सहमति है कि व्यष्टि वित्त संस्थाओं द्वारा दी गयी सेवाओं की लागत अधिक है, वहीं ब्याज दर की निचली सीमा जिसे व्यष्टि वित्त संस्थाओं द्वारा प्रभारित करने की अनुमति दी जाए, के बारे में सहमति नहीं है। अतः उन्हें अपनी वित्तीय सेवाओं का दायरा और उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करनी होगी ताकि वे गरीब जनता द्वारा वहन किये जा सकने योग्य लागत पर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें।

व्यष्टि वित्त संस्थाओं का क्षमता निर्माण: व्यष्टि वित्त संस्थाओं तथा उनके प्राथमिक पणधारियों की क्षमताओं का निर्माण किये बिना लचीली, ग्राहक संचालित और नयी व्यष्टि वित्त सेवाओं की गरीबों तक सफल सुपुर्दगी संभव नहीं होगी। समय की मांग है - सामाजिक मध्यस्थता, रणनीतिक संपर्कों जैसे विभिन्न पहलुओं में नवीनता लाना तथा गरीबों की जीविका के मुद्दों पर केंद्रित नया दृष्टिकोण तथा उनके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय उत्पादों की री-इंजीनियरिंग।

भविष्य की रणनीति : पिछले वर्षों में स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम की अपूर्व वृद्धि के बावजूद, समाज का एक बड़ा भाग ऐसा है जिसकी पहुँच वित्तीय सेवाओं तक नहीं है। एक अनुमान द्वारा ऐसा सुझाया गया है कि कम आय समूह वाली सिर्फ 20 प्रतिशत जनता को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार वित्तीय सुविधा से वंचित जनता को समविष्ट करने के लिए वित्तीय सेवाओं की व्याप्ति, पहुँच और पैमाने को व्यापक बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

5. नाबार्ड और सहकारी क्षेत्र

4.147 नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को एक विकास बैंक के रूप में निम्नलिखित कार्य करने के लिए की गयी - (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के विभिन्न कार्य करने के लिए निवेश और उत्पादन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए शीर्ष वित्तीय एजेंसी का काम करना; (ii) निगरानी, पुनर्वास योजना के निर्माण, ऋण संस्थाओं के पुनर्विन्यास और कार्मिक प्रशिक्षण सहित ऋण सुपुर्दगी प्रणाली की अवशोषक क्षमता में सुधार लाने के लिए संस्था निर्माण के उपाय करना; (iii) क्षेत्र स्तर पर विकासात्मक कार्य में संलग्न सभी संस्थाओं के ग्रामीण वित्तपोषण संबंधी कामकाज में समन्वय करना तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, रिज़र्व बैंक तथा नीति निर्माण से संबद्ध अन्य राज्यस्तरीय संस्थाओं से संपर्क करना; और (iv) इसके द्वारा पुनर्वित्तपोषित परियोजनाओं पर निगरानी और उनका मूल्यांकन।

4.148 नाबार्ड का पुनर्वित्त राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्य बैंकों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध है, जबकि निवेश ऋण के अंतिम लाभार्थी व्यक्ति, भागीदारी संस्थाएं, कंपनियां, राज्य के स्वामित्व वाले निगम या सहकारी समिति होंगे। उत्पादन ऋण सामान्यतः व्यक्तियों को दिया जाता है।

नाबार्ड के संसाधन

4.149 2005-06 तक, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4ङ) के तहत नाबार्ड को दो सामान्य ऋण व्यवस्था दी ताकि वह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अल्पावधि अपेक्षाएं पूरी कर सके। 2005-06 (जुलाई-जून) के दौरान, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराने हेतु 6 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर 3,000 करोड़ रुपए की सामान्य ऋण व्यवस्था स्वीकृत की गयी।। तथापि, नाबार्ड को 31 दिसंबर 2006 तक आहरणों तथा चुकौती के लिए 2005-06 के लिए स्वीकृत सामान्य ऋण व्यवस्था सीमा को परिचालित करने की अनुमति दी गयी। चूँकि 31 दिसंबर 2006 के बाद सीमा उपलब्ध नहीं थी अतः नाबार्ड को सूचित किया गया कि वह पर्याप्त राशि के लिए नियमित आधार पर बाजार में जाने पर विचार करे ताकि सामान्य ऋण व्यवस्था के आहरण के लिए दी गयी समयसीमा का अनुपालन हो सके। तदनुसार 31 जनवरी 2007 को पूर्ण बकाया राशि की चुकौती रिज़र्व बैंक को कर दी गयी।

4.150 2006-07 में नाबार्ड को संसाधनों की निवल वृद्धि 13,615 करोड़ रुपए थी और इस प्रकार उसने 199.5 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की। ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि और बांड जारी करना निधियों के दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्रोत थे। उक्त के अनुसार रिज़र्व बैंक को समग्र बकाया राशि की चुकौती करने के बाद नाबार्ड के पास वर्ष के दौरान उधार देने संबंधी कामकाज के लिए पर्याप्त राशि थी (सारणी IV.40)।

ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ)

4.151 केंद्र सरकार की पहल पर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को ऋण प्रदान

सारणी IV.39: मॉडलवार संबद्धता की स्थिति

मॉडल का प्रकार	31 मार्च 2006 की स्थिति		31 मार्च 2007 की स्थिति (अ)	
	स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000)	बैंक ऋण (करोड़ रुपए)	स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000)	बैंक ऋण (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
i. बैंक द्वारा विकसित, मार्गदर्शित और वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह	449 (20.1)	1,637 (14.4)	566 (19.4)	2,383 (13.2)
ii. एनजीओ / सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित एवं बैंकों द्वारा वित्तपोषिक स्वयं सहायता समूह	1,646 (73.5)	9,200 (80.7)	2,162 (73.9)	14,633 (81.1)
iii. एनजीओ द्वारा विकसित एवं वित्तीय बिचौलियों के रूप में एनजीओं/औपचारिक एजेंसियों का इस्तेमाल करके बैंकों द्वारा वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह	143 (6.4)	561 (4.9)	197 (6.7)	1,024 (5.7)
कुल (i+ii+iii)	**2,239**	**11,398**	**2,925**	**18,040**

अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकडे कुल में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

करने हेतु 1995-96 में नाबार्ड के पास आरआइडीएफ की स्थापना की गयी। उसके बाद, निधि के लिए बारह श्रंखलाओं में आबंटन किये गये। वाणिज्य बैंक अपने कृषि और या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में कमी की मात्रा तक निधि में अंशदान करते हैं। 1999-2000 से, आरआइडीएफ की व्याप्ति को बढ़ाकर उसमें पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा ऋण के उपयोग को शामिल कर लिया गया है।

4.152 वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में 2006-07 के दौरान 4,000 करोड़ रुपए आबंटित करते हुए भारत निर्माण कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क संबंधी घटक के निधीयन के लिए आरआइडीएफ XII के तहत एक अलग गवाक्ष खोला गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 'राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी' नामक एक समिति को उक्त प्रयोजन के लिए नाबार्ड से उधार लेने के लिए अभिज्ञात किया गया है तथा आरआइडीएफ XII के तहत 4,000 करोड़ रुपए का ऋण भी मंजूर किया गया।

4.153 वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों से रुपए 6966 करोड़ की जमाराशियां मिलने के साथ आरआइडीएफ के तहत प्राप्त संचयी जमाराशियां 35,716 करोड़ रुपए की हो गयी (सारणी IV.41)।

4.154 I से XII श्रृंखला के तहत (भारत निर्माण को छोड़कर) आरआइडीएफ की कुल मात्रा 60,000 करोड़ रुपए हो गयी। 31 मार्च 2007 को आरआइडीएफ के तहत स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता क्रमशः 61,540 करोड़ रुपए तथा 37,560 करोड़ रुपए थी (सारणी IV.42)। आरआइडीएफ V को 30 जून 2006 को बंद कर दिया गया तथा 30 सितंबर 2006 तक उसके तहत संवितरण की अनुमति दी गयी। आरआइडीएफ VI से IX के तहत

सारणी IV.40: नाबार्ड के संसाधनों में निवल अभिवृद्धि

(राशि करोड़ रुपए)

संसाधन का प्रकार	2005-06	2006-07
1	2	3
1. पूंजी	–	–
2. रिज़र्व और अधिशेष	775	828
3. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एन आर सी) (i+ii)	42	42
i) दीर्घावधि परिचालन (एल टी ओ)निधि	31	31
ii) स्थिरीकरण निधि	11	11
4. जमाराशियां (i+ii)	4,827	6,185
i) साधारण जमाराशि	21	5
ii) आरआइडीएफ जमाराशि	4,806	6,180
5. उधार (i+ii+iii+iv+v)	873	5,058
i) बांड और डिबेंचर	3,609	8,079
ii) केंद्र सरकार से उधार	-4	-18
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार	-929	-2,998
iv) विदेशी मुद्रा ऋण	-3	-5
v) वाणिज्य बैंकों से उधार	-1,800	0
6. अन्य देयताएं	60	688
7. अन्य निधियां	249	814
कुल	**6,826**	**13,615**

- : शून्य/नगण्य।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.41: आरआईडीएफ के अंतर्गत संगृहीत जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपए)

Year	आरआई-डीएफ I	आरआई-डीएफ II	आरआई-डीएफ III	आरआई-डीएफ IV	आरआई-डीएफ V	आरआई-डीएफ VI	आरआई-डीएफ VII	आरआई-डीएफ VIII	आरआई-डीएफ IX	आरआई-डीएफ X	आरआई-डीएफ XI	आरआई-डीएफ XII	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1995-96	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	350
1996-97	842	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,042
1997-98	188	670	149	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,007
1998-99	140	500	498	200	–	–	–	–	–	–	–	–	1,338
1999-00	67	539	797	605	300	–	–	–	–	–	–	–	2,307
2000-01	–	161	412	440	851	790	–	–	–	–	–	–	2,654
2001-02	–	155	264	–	689	988	1,495	–	–	–	–	–	3,591
2002-03	–	–	188	168	541	817	731	1,413	–	–	–	–	3,857
2003-04	–	–	–	–	261	503	257	681	457	–	–	–	2,159
2004-05	–	–	–	–	125	488	752	1,213	1,354	422	–	–	4,353
2005-06	–	–	–	–	215	165	461	923	1,372	2,020	936	–	6,092
2006-07	–	–	–	–	70	161	202	561	752	2,288	1,586	1,346	6,966
कुल	**1,587**	**2,225**	**2,308**	**1,412**	**3,052**	**3,912**	**3,898**	**4,791**	**3,933**	**4,730**	**2,522**	**1,346**	**35,716**

सारणी IV.42: आरआईडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित ऋण
(31 मार्च 2007 के अंत में)

आरआईडीएफ	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपए)	वितरित ऋण (करोड़ रुपए)	मंजूर ऋण की तुलना में वितरित ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
I	1995	4,168	2,000	1,906	1,761	92.4
II	1996	8,193	2,500	2,636	2,398	91.0
III	1997	14,345	2,500	2,733	2,454	89.8
IV	1998	6,171	3,000	2,903	2,482	85.5
V	1999	12,234	3,500	3,472	3,055	88.0
VI	2000	43,295	4,500	4,504	3,957	87.9
VII	2001	24,781	5,000	4,625	3,947	85.4
VIII	2002	20,968	5,500	5,987	4,770	79.7
IX	2003	19,595	5,500	5,593	4,008	71.7
X	2004	17,524	8,000	8,117	4,732	58.3
XI	2005	30,434	8,000	8,509	2,456	36.0
XII	2006	42,317	10,000	10,555	1,541	46.9
कुल		**2,44,025**	**60,000**	**61,540**	**37,560**	**71.4**

स्रोत : नाबार्ड।

स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अवधि को 31 मार्च 2007 तक बढ़ा दिया गया ताकि राज्य सरकार चल रही परियोजनाओं को पूरा कर सकें तथा व्यय की प्रतिपूर्ति पा सकें।

4.155 आरआइडीएफ के तहत राज्यवार संचयी मंजूरी और वितरण संबंधी ब्यौरे परिशिष्ट सारणी IV.11 में दिये गये हैं।

नाबार्ड द्वारा प्रदत्त ऋण

4.156 नाबार्ड निम्नलिखित कार्यों के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋण सुविधाएं प्रदान करता है - मौसमी कृषि परिचालन; फसलों का विपणन; मत्स्यपालन कार्यकलाप; सहकारी बुनकर समिति का उत्पादन/ खरीद और विपणन कार्यकलाप; सर्वोच्च/क्षेत्रीय समितियों द्वारा धागे की खरीद और बिक्री; औद्योगिक सहकारिताओं का उत्पादन और विपणन कार्यकलाप; प्राथमिक कृषि ऋण समिति के माध्यम से अलग-अलग ग्रामीण कारीगरों का वित्तपोषण; उर्वरकों और सहायक कार्यकलापों की खरीद और बिक्री तथा विपणन कार्यकलाप। मौसमी कृषि परिचालन के वित्तपोषण के लिए अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि (परिवर्तन) ऋणों में बदलते और अनुमोदित कृषि प्रयोजनों के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधि ऋण सुविधाएं प्रदान की गयीं। सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूँजी में अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण प्रदान किये जाते हैं। 2006-07 के दौरान, नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्प और मध्यम अवधि के विभिन्न प्रयोजनों के लिए तथा राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋणों के रूप में 2005-06 के 13,099 करोड़ रुपए की तुलना में कुल 16,338 करोड़ रुपए की कुल ऋण सीमाएं स्वीकृत कीं। जहाँ राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वीकृत ऋण में वर्ष के दौरान गिरावट आयीं। तथापि, उन संस्थाओं द्वारा आहरित राशि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम थी। चुकौती भी उल्लेखनीय रूप से कम थी, जिससे जून 2007 के अंत में बकाया राशि में वृद्धि हुई (सारणी IV.43)।

नाबार्ड द्वारा प्रभारित ब्याज दरें

4.157 मीयादी ऋणों के लिए नाबार्ड द्वारा लगायी जानेवाली 14 मई 2007 से प्रभावी ब्याज दरें 9.0 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत के दायरे में थीं। 1 नवंबर 2007 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा मीयादी ऋणों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर 9.5 प्रतिशत से घटाकर 9.0 प्रतिशत कर दी गई । नाबार्ड द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर ऋण के आकार के प्रति तटस्थ रहीं हैं (सारणी IV.44)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

4.158 मौसमी कृषि परिचालनों के लिए अल्पावधि ऋण हेतु अगस्त 1998 में शुरू की गयी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो फसलों के लिए ऋण के कारगर प्रवाह को सुकर बनाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उधारकर्ताओं की व्याप्ति का और विस्तार करने हेतु तथा कृषि के तहत ऋण के प्रवाह में सुधार लाने हेतु कृषि

सारणी IV.43: राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का ऋण

(राशि करोड़ रुपए)

श्रेणी	2005-06				2006-07			
	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राज्य सहकारी बैंक (क+ख)	**9,834**	**13,795**	**10,975**	**9,610**	**13,632**	**12,153**	**3,131**	**11,557**
क. अल्पावधि	9,319	12,594	10,764	7,539	13,404	12,093	3,045	9,512
ख. मध्यावधि	515	1,201	211	2,071	228	60	86	2,045
2. राज्य सरकारें								
दीर्घावधि	**23**	**47**	**65**	**387**	**20**	**16**	**68**	**335**
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क+ख)	**3,243**	**3,222**	**1,833**	**2,770**	**2,686**	**2,702**	**327**	**3,147**
क. अल्पावधि	2,761	2,613	1,831	2,142	2,686	2,702	326	2,519
ख. मध्यावधि	482	609	2	628	00	00	1	627
कुल जोड़ (1+2+3)	**13,099**	**17,063**	**12,873**	**12,767**	**16,338**	**14,871**	**3,526**	**15,039**

टिप्पणी : 1. अल्पावधि में मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) और मौसमी कृषि कार्यों से इतर कार्य (ओएसएओ) शामिल हैं।
2. एसएओ (एससीबी) की अवधि जुलाई से जून, एसएओ (आरआरबी) की अवधि जुलाई से जून, ओएसएओ (एससीबी) की अवधि अप्रैल से मार्च, ओएसएओ (आरआरबी) की अवधि जुलाई से जून है।
3. मध्यावधि में एमटी कनर्वशन और चलनिधि सहायता योजना शामिल है, एमटी (एससीबी) की अवधि जुलाई से जून, एमटी (आरआरबी) की अवधि जनवरी-दिसंबर है।
4. राज्य सरकार को दिए गए ऋण की अवधि अप्रैल से मार्च है।

स्रोत : नाबार्ड ।

एवं संबद्ध गतिविधियों तथा उपभोग आवश्यकताओं के लिए एक तर्क सम्मत मात्रा के लिए मीयादी क्रेडिट के साथ-साथ कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए यह योजना उधारकर्ताओं को दी गई हैं। इस प्रकार, व्यापक ऋण उत्पाद के लिए एकल गवाक्ष के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

4.159 2006-07 के दौरान, सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने क्रमशः 2.30 मिलियन, 4.81 मिलियन और 1.40 मिलियन कार्ड जारी किये (सारणी IV.45)। योजना शुरू होने से लेकर 31 मार्च 2007 तक बैंकिंग प्रणाली द्वारा जारी कुल 66.56 मिलियन कार्डों में से सबसे बड़ा हिस्सा सहकारी बैंकों

सारणी IV.44: कृषि / गैर कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत निवेश ऋण पर नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पर ब्याज दर*

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

ऋण का आकार	अंतिम लाभार्थी को ब्याज की दर			पुनर्वित्त पर ब्याज की दर	
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	एससीबी/ एससीएआरडीबी	वाणिज्य बैंक क्षेग्राबैं/पीयूसीबी	रासबैंक/ एससीएआरडीबी
1	2	3	4	5	6
25,000 रुपए तक	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार	बैंक द्वारा जो भी निर्धारित की गई हो बशर्ते अंतिम उधारकर्ताओं के लिए न्यूनतम 12 प्रतिशत हो।	9.5	9
25,000 रुपए से अधिक तथा 2 लाख रुपए तक	वही	वही	वही	वही	वही
2. लाख रुपए से अधिक	वही	वही	वही	वही	वही

* : पुनर्वित्त पर उक्त ब्याज दर 14 मई 2007 से लागू है और वह ऋण के आकार के प्रति निष्क्रिय है।

टिप्पणी : 1. बाहरी सहायता से बनाई जा रही परियोजना के संबंध में संबंधित करार / मंजूरी में निहित प्रावधानों के अनुसार दरें लागू होंगी।
2. उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पुनर्वित्त की 9 प्रतिशत की ब्याज दर सभी एजेंसियों के लिए 28 मई 2007 से लागू है।
3. व्यष्टि वित्त संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की ब्याज दरें सीबी द्वारा उन्हें वित्तपोषण के लिए दी जानेवाली वित्तीय सहायता की दरों से 3 प्रतिशत कम और न्यूनतम 9.5 प्रतिशत के अधीन हैं।

सारणी IV.45 :जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या : एजेंसीवार और वर्षवार

(31 मार्च 2007 की स्थिति)

(संख्या मिलियन में)

वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्य बैंक	**कुल**
1	2	3	4	5
1998-99	0.16	0.01	0.62	**0.78**
1999-00	3.60	0.17	1.37	**5.13**
2000-01	5.61	0.65	2.39	**8.65**
2001-02	5.44	0.83	3.07	**9.34**
2002-03	4.58	0.96	2.70	**8.24**
2003-04	4.88	1.28	3.09	**9.25**
2004-05	3.56	1.73	4.40	**9.68**
2005-06	2.60	1.25	4.17	**8.01**
2006-07	2.30	1.40	3.77*	**7.47**
कुल	**32.71**	**8.28**	**25.57**	**66.56**
कुल में अंश (प्रतिशत)	**49.1**	**12.4**	**38.4**	**100.0**

स्रोत : नाबार्ड

* : 31 दिसंबर 2006 तक आंकड़े उपलब्ध।

का था (49.1 प्रतिशत), जिसके बाद वाणिज्य बैंकों (38.4 प्रतिशत) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (12.4 प्रतिशत) का स्थान था। बैंकिंग प्रणाली, किसानों को ऋण की सुपुर्दगी की प्रक्रिया के रूप में किसान क्रेडिट कार्डों को मान्यता देने के बाद इनके जरिये फसल ऋण दे रहा है।

4.160 किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में हुई राज्यवार प्रगति से यह प्रकट होता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन में अग्रणी थे तथा देश भर में बैंकों द्वारा जारी कुल कार्डों का 75 प्रतिशत इन्हीं राज्यों में जारी किया गया। तथापि, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में प्रगति धीमी थी (परिशिष्ट सारणी IV.12)।

4.161 कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाने पर केंद्र सरकार के बल को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ने बैंकों को सूचित किया कि वे किसी कारणवश किसान क्रेडिट कार्ड योजना से बाहर छूट गये चूककर्ताओं, मौखिक पट्टदारों, काश्तकारों, बँटाईदारों तथा नये किसानों सहित सभी किसानों की पहचान कर उन्हें समाविष्ट करें ताकि 31 मार्च 2007 तक योजना में सभी किसानों को शामिल किया जा सके। साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया कि वे असुविधारहित मुक्त रूप में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें, सिर्फ किसान क्रेडिट कार्डों के जरिये फसल ऋण प्रदान करें तथा 'परिचालनों में गुणवत्ता' सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नवीकृत करें।

नाबार्ड द्वारा हाल ही में की गई पहलें

4.162 नाबार्ड द्वारा 2006-07 में शुरू की गई अनेक पहलों से ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ने की आशा है (बॉक्स IV.5)।

ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का पुनर्जीवन

वैद्यनाथन समिति की सिफारिशें

4.163 ग्रामीण सहकारी ऋण समिति के पुनर्जीवन संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष : प्रो.ए. वैद्यनाथन) ने पाया कि प्रबंधकीय तथा वित्तीय क्षेत्र दोनों में सहकारी ऋण संरचना के प्रशासन में विकृति थी और इसलिए उन्हें पुनर्जीवित और पुनर्विन्यास करने की जरूरत थी। कार्यदल की सिफारिशों का मुख्य केंद्र यह था कि राज्य सहकारी समिति अधिनियमों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में उपयुक्त संशोधन करके राज्य सरकारों के नियंत्रण और हस्तक्षेप को कम करके ऋण सहकारिताओं के स्वायत्त स्वरूप को बहाल किया जाए। साथ ही, कार्यदल ने यह भी सिफारिश की थी कि अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनः पूँजीकरण के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि संरचना की संचित हानियों का निधीयन किया जा सके, सामान्य लेखांकन प्रणाली विकसित की जा सके, प्रबंधन सूचना प्रणाली, कंप्यूटरीकरण और मानव संसाधन विकास के बारे में पहल किये जा सकें। संस्थागत, विधिक और विनियामक सुधारों के अधीन वित्तीय सहायता को 'बैंक-एंडेड' करने की सिफारिश की गयी।

4.164 कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने एक पुनर्जीवन पैकेज को अंतिम रूप दिया, जिसमें वित्तीय सहायता और विधिक एवं संस्थागत सुधार शामिल थे। अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की वित्तीय सहायता में 31 मार्च 2004 को तुलनपत्र को साफ करना, न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं के लिए समर्थन, एकसमान लेखांकन और निगरानी प्रणाली विकसित करना, क्षमता निर्माण और कंप्यूटरीकरण शामिल होंगे। 13,596 करोड़ रुपए पर अनुमानित वित्तीय पैकेज का निधीयन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हानियों के मूल पर आधारित सीसीएस तथा वर्तमान वचनबद्धताओं द्वारा किया जाएगा।

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना का पुनर्जीवन - स्थिति

4.165 सत्रह राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र ने पैकेज स्वीकृत करने की ठसैद्धांतिकड स्वीकृति भेज दी है, जिनमें से तेरह राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल ने पैकेज लागू करने के बारे में केंद्र सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। पुनर्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन को दिशा-निर्देश देने और उन पर

बॉक्स IV.5 : ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में तेजी लाने के लिए नाबार्ड द्वारा की गई पहलें

2006-07 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने निम्नलिखित उपाय शुरू किये :

कृषक साथी योजना : देश में कृषक समुदाय को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है - संस्थागत ऋण की कमी। अधिकांश किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से वे गैर-संस्थागत स्रोतों, मुख्यतः साहूकारों से उधार लेने के लिए मजबूर हैं। ऐसे किसानों की मदद करने के लिए, कुछ बैंक ऋण पुनर्वित्त प्रॉडक्ट जैसे नये प्रॉडक्ट लाये हैं जिससे किसान साहूकारों को देय राशि चुकता कर 'वित्तीय समावेशन' के दायरे में आ जाएंगे। इस दिशा में बैंकों के प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए नाबार्ड ने उस प्रकार के उधार को पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र बना दिया है।

ग्रामीण विकास योजना : देश में अधिकांश गाँवों को अभी भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सुरक्षित पेय जल, पावर, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं तक पहुँच की कमी। उन्हें ध्यान में रखते हुए तथा गाँवों में संपूर्ण और समन्वित विकास लाने के लिए नाबार्ड ने 'ग्राम विकास कार्यक्रम' लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें प्रत्येक 'समन्वित विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना' में पाँच गांवों को तथा प्रत्येक 'जिला विकास प्रबंधक' जिले में एक गाँव को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का केंद्रीय लक्ष्य है वित्तीय समावेशन तथा गाँव की जनता की जीविका की सुरक्षा। नाबार्ड ने भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध किया है कि वे उसी प्रकार से 2-3 गाँवों को अंगीकार करें।

31 विपदाग्रस्त जिलों में जल विभाजक परियोजना :

1 जुलाई 2006 को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विपदाग्रस्त जिलों में प्रधानमंत्री के दौरे तथा अनेक सुधारक उपायों के बारे में उनकी घोषणा के क्षेत्र में छः प्रभावित जिलों में आजीविका समर्थक उपायों के साथ समन्वित जलविभाजक विकास हस्तक्षेप शुरू करने का निर्णय लिया है। जलविभाजक विकास कार्यक्रम को मिट्टी और जल संसाधनों के धारणीय प्रबंधन के संबंध में व्यष्टिस्तरीय मूलभूत सुविधा के विकास के लिए सहभागी कार्यक्रम के रूप में छः विपदाग्रस्त जिलों में से प्रत्येक में लगभग 15,000 हेक्टेयर में लागू किया जाएगा। बाद में, 25 विपदाग्रस्त जिलों में (आंध्र प्रदेश में 16, कर्नाटक में 6 और केरल में 3) वैसा ही कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया। कुल मिलाकर लगभग 465 छोटे जल विभाजकों को, अधिमानतः कुल 4,65,000 हेक्टेयर के समूहों में विकसित किया जाएगा। 300 करोड़ रुपए के आस-पास की कुल निधि अपेक्षा को नाबार्ड द्वारा रखे गये जलविभाजक विकास निधि से अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

जलविभाजक विकास संबंधी मध्यस्थता की अनुपूर्ति उपयुक्त कृषि-संबंधी मध्यस्थता द्वारा साथ-साथ की जाएगी तथा उसका संपूरण अनुरूप परिवार स्तरीय जीविका समर्थक कार्यकलापों यथा कृषि-बागबानी-वनवृक्ष विज्ञान विकास (वाड़ी विकास), पशुपालन, कृषि क्षेत्र से इतर कार्यों, व्यष्टि वित्त, विशेषतः किसानों के स्वयं सहायता समूह के बैंक संपर्क से किया गया। कार्यक्रम में भूमिहीन और महिला प्रमुख वाले परिवारों के लिए विशेष हस्तक्षेप तथा आवश्यकता आधारित समुदाय स्वास्थ्य और स्वच्छता उपायों की भी परिकल्पना की गयी है।

परियोजनाओं की पहले ही पहचान की गयी है तथा महाराष्ट्र के सभी छः जिलों में उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। लगभग 80,000 हेक्टेयर वाली कुल परियोजना की पहचान की गयी है तथा वे आंध्रप्रदेश में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कर्नाटक में लगभग 75 प्रतिशत जलविभाजकों / समूहों की पहचान की गयी है। केरल में भी कुल लगभग 15,000 हेक्टेयर के जलविभाजकों की पहचान की गयी है।

सारांश में अधिक से अधिक नवंबर 2007 तक लक्षित क्षेत्र के लिए जलविभाजकों की पहचान कर उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा। इसी के साथ, सभी 31 विपदाग्रस्त जिलों में, संपूर्ण कार्यक्रम का कार्यान्वयन 3-4 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किये जाने की आशा है।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन सामान्यतः, दूरस्थ गाँवों में किया जा रहा है तथा इनके पूरा होने पर वित्तीय समावेशन तथा धारणीय रूप में समुदाय के लिए रहन-सहन का उचित स्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसी आशा की जाती है कि परियोजना कार्यान्वयन अवधि के तत्काल बाद 2-3 वर्षों की अवधि में सभी 465 जलविभाजक परियोजना वाले गाँवों में 465 करोड़ रुपए का ऋण उठाना (प्रति परियोजना 100 लाख रुपए के औसत पर) प्रभावी होगा।

निगरानी रखने के लिए सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक राष्ट्रस्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन किया गया। कार्यान्वयन करने वाले राज्यों में इस प्रयोजन के लिए राज्यस्तरीय और डीसीसीबी के स्तर पर कार्यान्वयन और निगरानी समितियों (एसएलआइसी और डीएलआइसी) का भी गठन किया गया है।

4.166 संचित हानियों की सही मात्रा ज्ञात करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी की विशेष लेखा-परीक्षा के लिए क्षेत्र परीक्षित फार्मेट तैयार किया है। इसने 800 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने बदले में विशेष लेखा-परीक्षा करने के लिए विभागीय लेखा-परीक्षकों को प्रशिक्षित किया। ग्यारह राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी समिमियों की विशेष लेखा-परीक्षा की गई है। हरियाणा में 3 डीसीसीबी से संबद्ध प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को पुनःपूंजीकरण सहायता प्रदान की गयी है। पुनर्जीवन पैकेज के तहत परिकल्पित सुधार उपायों के अनुरूप, आंध्र प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों ने अपने संबंधित सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन किया है। कई अन्य राज्य सरकारों द्वारा उसी प्रकार का संशोधन करने की प्रक्रिया जारी है। जहाँ तक प्राथमिक कृषि ऋण समिति के स्टाफ और बोर्ड के सदस्यों की क्षमता निर्माण का प्रश्न है, नाबार्ड ने प्रशिक्षक सामग्री/प्रशिक्षक दिशानिर्देश तैयार किया है तथा 40 राज्यस्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार किया है, जिन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समिति के स्टाफ/पदधारियों को प्रशिक्षण देने के लिए आधार स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना पहले से ही शुरू कर दिया है। नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए 'सामान्य लेखांकन

प्रणाली' हेतु दिशानिर्देश तैयार कर उपलब्ध करा दिया है। नाबार्ड के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी समिति प्राथमिक कृषि ऋण समिति के कंप्यूटरीकरण के साथ साफ्टवेयर आधारित लेखांकन और निगरानी प्रणाली विकसित करने संबंधी तकनीकी मानदंडों को अंतिम रूप दे रही है।

4.167 पैकेज लागू करने के बाद, उसके कई लाभ होंगे यथा (i) सहकारिताओं के तुलनपत्र को स्वच्छ करने सहित वित्तीय सुदृढ़ता, (ii) विशेषज्ञ बोर्ड और प्रबंधन; (iii) व्यवसाय संबद्ध निर्णय लेने के लिए स्वायत्तता; (iv) जमाराशि जुटाकर और सहकारी क्षेत्र के बाहर की संस्थाओं से संसाधन जुटाने की योग्यता; (v) कार्मिक नीति, स्टाफिंग, भर्ती, तैनाती और स्टाफ को क्षतिपूर्ति के मामलों में स्वायत्तता; (vi)चुनाव और और लेखापरीक्षा का समय पर होना; तथा (vii) सामान्य लेखांकन प्रणाली, एमआइएस और बेहतर आंतरिक जाँच तथा नियंत्रण सहित कंप्यूटरीकृत परिचालन जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक क्षमता में वृद्धि।

दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनर्जीवन के लिए कार्यदल

4.168 दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनर्जीवन के लिए प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने अगस्त 2006 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार राज्य सरकारों की सलाह से उपायों का एक पैकेज तैयार कर रही हैं।

अध्याय V

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

प्रस्तावना

5.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं नाना प्रकार की संस्थाओं का एक पंचमेल समूह है जो विविध प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करनेवाली भारतीय वित्तीय प्रणाली के एक अविभाज्य अंग का निर्माण करती हैं। वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के अलावा भारत में वित्तीय संस्थाओं का यह एक महत्वपूर्ण खंड है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के भीतर विकास वित्त संसथाएं ज्यादातर सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं और ये दीर्घावधि परियोजना ऋण उपलब्ध कराने वाले पारंपरिक प्रदाता हैं। अन्य गैर-बैंकिंग संस्थाओं में मध्यस्थों के व्यापक प्रकार आते हैं जैसे कि बीमा कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), प्राथमिक व्यापारी (पीडी) और पूंजी बाजार के मध्यस्थ जैसे कि म्यूच्युअल फंड।

5.2 ऐतिहासिक रूप से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआइएफआइ या एफआइ) ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तथापि, बदले परिचालित वातावरण में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का सापेक्षिक महत्व घटा है, विशेषकर दो बड़ी वित्तीय संस्थाओं (आइडीबीआइ और आइसीआइसीआइ) के बैंक के रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बिल भुनाई, बीमा, शेयर दलाली (स्टॉक ब्रोकिंग), वाणिज्यिक बैंकिंग और आवास वित्तपोषण सहित पट्टा वित्त, किराया खरीद वित्त, प्रतिभूतियों में निवेश, ऋण प्रदान करने के कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्राथमिक व्यापारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण खंड का निर्माण करते हैं। 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारी प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, क्योंकि उन्हें अन्य कारोबार करने और उनकी अनुसहायक कंपनियों, यदि कोई हों, को बंद करने की अनुमति दी गई थी। इस पुनर्संरचना के फलस्वरूप स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों की संख्या पिछले वर्ष में 17 के मुकाबले 2006-07 में घटकर 8 रह गई। अधिकांश प्राथमिक व्यापारी बैंकों द्वारा प्रवर्तित हैं।

5.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं न केवल आकार और संस्थापन के प्रकार के अर्थ में बल्कि कार्यात्मकता के अर्थ में भी एक विविध स्वरूप के समूह का निर्माण करती हैं । वित्तीय प्रणाली में स्पर्धा बढ़ाने के अलावा ये संस्थाएं विविध स्वरूप के उत्पाद और सेवाएं देकर आबादी के एक बड़े वर्ग की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत उत्पादों के बीच एकरूपता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं के विनियमन में एक निकट समन्वय जरूरी हो गया है। प्रमुख नीतिगत उद्देश्यों में एक उद्देश्य के रूप में वित्तीय समावेशन के उदय की दृष्टि से कुछ वित्तीय संस्थाओं की भूमिका ने अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है क्योंकि वे ऋण वितरण विशेषकर लघु उद्योग और खुदरा क्षेत्रों में ऋण वितरण के एक साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।

5.4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के महत्व को देखते हुए रिज़र्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त के सरल प्रवाह संबंधी मामले की जांच कर रहा है ताकि उन्हें उन्नत कौशल और प्रौद्योगिकी के साथ वित्तीय रूप से सुदृढ़ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके। लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा कृषि संबद्ध गतिविधियों को वित्तीय समर्थन देने की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए तथा ऋण वितरण के एक साधन के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अदा की जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए सिडबी और नाबार्ड इस बात पर सहमत हो गए हैं कि लघु एवं मध्यम उद्यम तथा कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को संसाधन सहायता उपलब्ध कराने के लिए वे एक व्यवहार्य ऋण वितरण व्यवस्था विकसित करंगे। ये संस्थान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से परामर्श करके एक उचित व्यवस्था विकसित करेंगे ताकि इस संबंध में उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और लघु एवं मध्यम उद्यम तथा कृषि क्षेत्रों के वित्तपोषण हेतु विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमता निर्माण के अर्थ में उन्हें समर्थन प्रदान किया जा सके।

5.5 2006-07 में वित्तीय संस्थाओं के संबंध में विनियामक पहलों का फोकस मुख्यतः आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर रहा। पिछले वर्ष की तुलना में, वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता में कम दर पर वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तुलना में मंजूरी में कम दर पर वृद्धि हुई और संवितरण में तेज वृद्धि हुई। तथापि, उनके तुलनपत्रों में महत्वपूर्ण रूप से ऊंची दर पर विस्तार हुआ। निवल ब्याज आय के साथ-साथ ब्याजेतर आय में तेज वृद्धि तथा परिचालन व्ययों में गिरावट के परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाओं को अधिक लाभ हुए। वित्तीय संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। पूंजी पर्याप्तता अनुपात सामान्यतः न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा से लगातार काफी अधिक रहा।

5.6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में विनियामक उपायों का फोकस उन्हें को-ब्रांडेड कार्ड जारी करने और म्यूच्युअल फंड उत्पाद वितरित करने, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन, उचित व्यवहार और कंपनी अभिशासन की अनुमति देकर उनके कारोबार क्षेत्र का विविधीकरण करने पर रहा। 100 करोड़ रुपए और अधिक की आस्ति आकारवाली जमा न लेनेवाली एनबीएफसी के विनियमन के नीतिगत रुख में, उनके सर्वांगीण महत्त्व के कारण,

उल्लेखनीय बदलाव आया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियां/देयताएं (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) 2006-07 में 26.9 प्रतिशत की काफी उच्च दर से बढ़ीं जबकि 2005-06 में यह वृद्धि मामूली रूप से 5.1 प्रतिशत थी। 2006-07 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन निधि आधारित आय में तेज वृद्धि के कारण पूरी तरह से पलट गया जो परिचालन व्यय और वित्तीय व्यय में हुई तेज वृद्धि को प्रतिसंतुलित करता है। परिणामस्वरूप परिचालन लाभ और निवल लाभ दोनों में वृद्धि दिखाई दी। आस्तियों की गुणवत्ता भी काफी सुधरी। वर्ष के दौरान 30 प्रतिशत से ज्यादा सीआरएआर वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अनुपात घटने के साथ-साथ 12 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अनुपात भी घटा।

5.7 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारी प्रणाली महत्वपूर्ण परिवर्तनों के दौर से गुजरी। प्राथमिक व्यापारी के कारोबार में निहित जोखिमों को विविधीकृत करने के उद्देश्य से प्राथमिक व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार में वर्चस्व बनाए रखने की अपेक्षा को बरकरार रखते हुए अन्य कारोबार लाइनों को भी अपना सकते हैं। सहवर्ती रूप से यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि प्राथमिक व्यापारियों के तुलनपत्र अन्य कारोबार/सहायक संस्थाओं की जोखिमों के आ जाने से प्रभावित न हों तथा यह कि प्राथमिक व्यापारी का फोकस उसकी प्राथमिक व्यापारी गतिविधियों पर रहे, यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक व्यापारियों को अनुसहायक कंपनियां (स्टेप डाउन सब्सिडियरी) गठित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे प्राथमिक व्यापारी जो पहले ही (भारत ओर विदेश में) अनुसहायक कंपनियां गठित कर चुके हैं, को सूचित किया गया था कि उन सहायक कंपनियों के स्वामित्व स्वरूप की पुनर्संरचना करें। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में पांच प्राथमिक व्यापारियों, जिनके पास या तो अनुसहायक कंपनियां थीं अथवा विशेष रूप से अनुमत कारोबार के अलावा उन्होंने अन्य कारोबार चला रखा था, ने अपने परिचालन पुनर्संरचित किए।

5.8 2006-07 में प्राथमिक व्यापारियों द्वारा अर्जित आय में तेजी से वृद्धि हुई परंतु व्यय में वृद्धि की दर आय में वृद्धि की दर से काफी अधिक थी। परिणामस्वरूप, प्राथमिक व्यापारियों के निवल लाभ में 20 प्रतिशत की गिरावट आयी। प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर समग्र जोखिम भारित आस्तियों के न्यूनतम निर्दिष्ट 15 प्रतिशत से काफी अधिक था।

5.9 वर्तमान अध्याय चार खंडों में सुव्यवस्थित है । खंड 2 में वित्तीय संस्थाओं की नीतिगत गतिविधियां, कारोबारी परिचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन का उल्लेख किया गया है। खंड 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक उपायों और वित्तीय कार्य-निष्पादन पर केंद्रित है। इस अध्याय के अंतिम खंड में प्राथमिक व्यापारियों और उनके परिचालन संबंधी गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई है।

2. वित्तीय संस्थाएं

5.10 वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं की एक व्यापक श्रृंखला अस्तित्व में आई है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मध्यावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उनके द्वारा संचालित प्रमुख गतिविधि के आधार पर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली श्रेणी में दीर्घावधि उधार देनेवाली संस्थाएं आती हैं यथा आइएफसीआइ लि., आइआइबीआइ लि; एक्ज़िम बैंक और टीएफसीआइ। दूसरी श्रेणी में पुनर्वित्त संस्थाएं आती हैं जैसे कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) जो बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पुनर्वित्त प्रदान करती हैं। तीसरी श्रेणी में जीवन बीमा निगम जैसी निवेश वित्त संस्थाएं आती हैं जो अपनी आस्तियां ज्यादातर विपणनीय प्रतिभूतियों में विनियोजित करती हैं। राज्य/क्षेत्र स्तरीय संस्थाओं का एक अलग स्पष्ट समूह है जिसमें विभिन्न राज्य वित्तीय नियम (एसएफसी) राज्य औद्योगिक एवं विकास निगम (एसआइडीसी) और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (एनईडीएफआइ) आते हैं। इसमें से कुछ वित्तीय संस्थाएं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के रूप में अधिसूचित हैं।

5.11 मार्च 2007 के अंत में, रिज़र्व बैंक सात वित्तीय संस्थाओं नामतः, एक्ज़िम बैंक, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और टीएफसीआइ को विनियमित कर रहा था। उनमें से पांच वित्तीय संस्था (एक्ज़िम बैंक, आइएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी) रिज़र्व बैंक के पूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षक में थीं । जनता से जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली परन्तु 500 करोड़ रुपए और अधिक आस्ति आकार वाली वित्तीय संस्थाओं की रिज़र्व बैंक द्वारा परोक्ष (ऑफ-साईट) पर्यवेक्षण किया जाएगा। टीएफसीआई इस श्रेणी में आता है, जबकि आइआइबीआइ स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया में है। एनबीएफसी विनियमों से आइएफसीआइ को दी गयी छूट अगस्त 2007 में हटा ली गयी तथा अब इसका विनियमन प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमा न लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के रूप में किया जा रहा है।

वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक पहलें

5.12 पूरे वित्तीय क्षेत्र में मानदंडों में एकरूपता की दृष्टि से वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक मानदंडों के क्रमिक उन्नयन हेतु हाल के वर्षों में नीतिगत पहलों के क्रम में रिज़र्व द्वारा 2006-07 में अनेक उपाय शुरू किए गए।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

5.13 आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और सरकारी गारंटी वाले एक्सपोजरों से संबंधित अन्य संबद्ध मामलों

के लिए मानदंड 2006-07 में आशोधित किए गए। पहले, राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा एक्सपोजरों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं सरकारी गारंटी लागू किए जाने के अधीन थीं। पुनर्वित्त संस्थाओं के संबंध में तकनीकी दल (अध्यक्षः श्री जी.पी.मुनियप्पन) की सिफारिशों के अनुसरण में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं गारंटी लागू करने की शर्त से अलग कर दी गईं। 31 मार्च 2007 से यदि वित्तीय संस्था को देय ब्याज और /या मूलधन और अथवा कोई अन्य राशि जो 90 दिन से अधिक समय तक अतिदेय बनी रहती है तो राज्य सरकार की गारंटी वाले अग्रिम और राज्य सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूतियों में निवेशों पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के मानदंड लागू होंगे। तथापि, कृषि गतिविधि के संबंध में चूक अवधि 90 दिन के बजाय कृषीय चक्र से संबंधित है। केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाएं अतिदेय होने के बावजूद केवल तभी अनर्जक आस्ति मानी जाएंगी जब गारंटी लागू करने पर सरकार इसकी गारंटी को न मानती हो। तथापि, केंद्र सरकार की गारंटी से समर्थित अग्रिमों को अनर्जक आस्ति के वर्गीकरण से छूट देने का यह प्रावधान आय स्वीकरण के उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां ये मौजूदा मानदंड लागू हैं।

विनियामक स्थगन में कमी

5.14 पहले सरकारी क्षेत्र के कतिपय बैंकों को वर्ष 2002-03 से वर्ष दर वर्ष आधार पर आइएफसीआइ लि. में उनके अपने पुनर्संरचित निवेश के संबंध में विवेकसम्मत मानदंडों से छूट दी गई थी। वर्ष के दौरान यह छूट वापस ले ली गई और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया कि वे 30 जून 2007 की स्थिति के अनुसार आइएफसीआइ में अपने पुनर्संरचित निवेश का बाजार मूल्य बही में अंकित करें। इन बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे समानुपातिक आधार पर चार तिमाहियों में आइएफसीआइ लि. में उनके पुनर्संरचित निवेश के संबंध में तिमाही आधार पर आवश्यक प्रावधानन क्रमिक रूप से समाप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि 31 मार्च 2008 तक प्रावधान पूरा कर लिया गया है।

सिडबी के संबंध में विनियामक फोकस को सुदृढ़ बनाना

5.15 सिडबी और विशेषकर एसएफसी में उसके एक्सपोजर के संबंध में विनियामक फोकस को कड़ा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। एसएफसी में सिडबी के एक्सपोजर पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया। सिडबी को यह अनुदेश दिए गए थे कि वह उन एसएफसी के संबंध में पूरे प्रावधान करे जिन्होंने पुनर्संरचना/उन्हें एकबारगी निपटान (ओटीएस) पैकेज दिए जाने के बाद भी चूक की है तथा उन एसएफसी को पुनर्वित्त न दे जो लगातार ऋणात्मक निवल मालियत दर्शा रहे हैं। इसके अलावा, एसएफसी जोकि जोखिम प्रवण हैं, में सिडबी के भारी एक्सपोजर को देखते हुए सिडबी को सूचित किया गया था कि वह एसएफसी में अपने एक्सपोजर के संबध में बैंकों के लिए लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड अपनाए जिसमें वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू 'सुविधावार' वर्गीकरण की जगह 'उधारकर्तावार' वर्गीकरण करने का परिवर्तन शामिल है । सिडबी को यह भी सूचित किया गया कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी एसएफसी बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले लेखांकन मानकों के समान ही एक समान लेखांकन मानक अपनाएं।

वित्तीय संस्थाओं का परिचालन

5.16 वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत तथा संवितरित वित्तीय सहायता में वर्ष 2006-07 में भी वृद्धि हुई यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में मंजूरिया कम दर पर बढ़ीं, संवितरण में तेज वृद्धि देखी गई। यह गिरावट मुख्य रूप से अखिल भारतीय मीयादी उधार देनेवाली संस्थाओं, विशेष रूप से सिडबी में दिखी। विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता बढ़ी। निवेश करनेवाली संस्थाओं के मामले में जबकि स्वीकृत वित्तीय सहायता कम हुई, संवितरित वित्तीय सहायता मुख्य रूप जीवन बीमा निगम के कारण तेजी से बढ़ी (सारणी V.1 और परिशिष्ट सारणी V.1)।

सारणी V.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत तथा संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि				प्रतिशत अंतर			
	2005-06		2006-07		2005-06		2006-07	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) अखिल भारतीय उधारदाता संस्थाएं *	11,975	9,287	12,234	10,679	31.4	47.1	2.2	15.0
ii) विशिष्टता प्राप्त वित्तीय संस्थाएं#	133	88	245	120	19.0	22.0	84.0	36.0
iii) निवेश संस्थाएं@	15,558	11,771	18,759	27,857	49.0	31.0	20.6	136.0
वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कुल सहायता (i+ii+iii)	**27,666**	**21,146**	**31,238**	**38,656**	**41.0**	**38.0**	**12.9**	**82.8**

* : आइएफसीआइ, और सिडबी और आइआइबीआइ से संबंधित । # : आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर और टीएफसीआइ से संबंधित।
@ : एलआइसी और जीआइसी और पूर्ववर्ती सहायक कं. (एनआइए, यूआइआइसी और ओआइसी) से संबंधित।
टिप्पणी : सभी आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

चार्ट V.1: एआइएफआइ द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

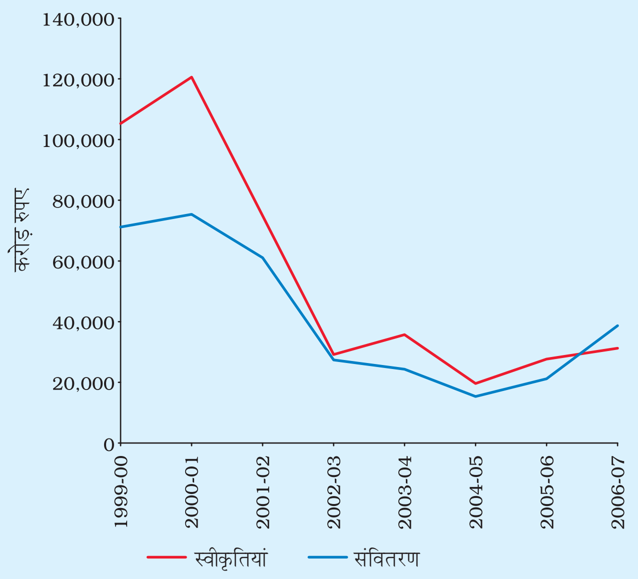

5.17 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में, 2000-01 और 2004-05 के बीच कमी दिखने के पश्चात् पिछले दो वर्षों में बढ़ोतरी हुई। पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति के विपरीत, वर्ष 2006-07 के दौरान संवितरण की राशि स्वीकृतियोंसे अधिक थी (चार्ट V.I) ।

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियां और देयताएं

5.18 2006-07 के दौरान वित्तीय संस्थाओं का समेकित तुलन पत्र पिछले वर्ष के 8.2 प्रतिशत की तुलना में 14.9 प्रतिशत की उच्च दर से बढ़ा। देयता के पक्ष में, बांड और डिबेंचरों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन, जो 43.5 प्रतिशत हिस्से के साथ प्रमुख घटक थे, 2005-06 में 11.6 प्रतिशत की तुलना में 8.4 प्रतिशत की कम दर से बढ़े (सारणी V.2)। जमाओं और उधारों में, देयता पक्ष में जिनका प्रत्येक का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा था, वर्ष के दौरान अधिक तेजी से वृद्धि हुई। जमा में वृद्धि, पिछले वर्ष के 8.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की तुलना में वर्ष के दौरान काफी अधिक अर्थात 51.5 प्रतिशत थी। आस्ति पक्ष में, ऋण और अग्रिम के पोर्टफोलियो में बढ़ोत्तरी जारी रही, अलबत्ता बैंकिंग क्षेत्र में तेज ऋण वृद्धि के अनुसार कुछ कमी के साथ। वित्तीय संस्थाओं के निवेश पोर्टफोलियो में पिछले वर्ष के 23.5 प्रतिशत की गिरावट के अलावा 14.4 प्रतिशत की कमी हुई।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

5.19 2006-07 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने रुपया और विदेशी मुद्रा दोनों में संसाधन जुटाए। रुपया संसाधन में दीर्घकालिक और अल्पकालिक निधियां शामिल हैं। जबकि दीर्घकालिक रुपया संसाधनों में बांड और उधार शामिल हैं, अल्पकालिक संसाधनों में वाणिज्यिक पत्र, मीयादी जमाराशियां, अंतर-कंपनी जमाराशियां, जमा प्रमाणपत्र और मीयादी मुद्रा बाजार से लिए गए उधार शामिल हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में मुख्य रूप से बांड और उधार शामिल हैं।

5.20 2006-07 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन 2005-06 के दौरान जुटाए गए संसाधनों से अधिक थे। अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुपया संसाधन दोनों ही बढ़े। विदेशी मुद्रा में जुटाए गए संसाधन भी काफी बढ़े। राष्ट्रीय आवास बैंक ने

सारणी V.2: वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि		प्रतिशत घट-बढ़	
	2006	2007	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	5,431 (3.7)	4,888 (2.9)	1.9	-10.0
2. आरक्षित निधि	15,211 (10.5)	15,886 (9.5)	8.1	4.4
3. बांड और डिबेंचर	67,145 (46.2)	72,766 (43.5)	11.6	8.4
4. जमा राशियां	14,520 (10.0)	21,998 (13.2)	8.7	51.5
5. उधार	18,950 (13.0)	22,401 (13.4)	8.8	18.2
6. अन्य देयताएं	24,217 (16.7)	29178 (17.5)	0.5	20.5
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,45,474 (100.0)**	**1,67,117 (100.0)**	**8.2**	**14.9**
आस्तियां				
1. नकदी एवं बैंक शेष	9,915 (6.8)	10,125 (6.1)	-39.9	2.1
2. निवेश	10423 (7.7)	8,922 (5.3)	-23.5	-14.4
3. ऋण और अग्रिम	1,11,441 (76.6)	1,32,424 (79.2)	21.3	18.8
4. भुनाए गए/पुन: भुनाए गए बिल	1,810 (1.2)	1,922 (1.2)	72.7	6.2
5. अचल आस्तियां	1,088 (0.8)	1,489 (1.0)	-5.0	36.9
6. अन्य आस्तियां	10,797 (7.4)	12,235 (7.3)	5.2	13.3

टिप्पणी : 1. आंकड़े छह वित्तीय संस्थाओं अर्थात् आइएफसीआइ लि. नाबार्ड, एनएचबी और एक्जिम बैंक से संबंधित हैं। आइआइबीआइ 31 मार्च 2007 को स्वैच्छिक समापन के अंतर्गत था। आइआइबीआइ सहित सभी आंकड़े 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र। एनएचबी की अलेखापरीक्षित परोक्ष विवरणी। टीएफसीआइ लि. का लेखा परीक्षित सीमित पर्यवेक्षी विवरणी।

सारणी V.3: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	जुटाए गए कुल संसाधन								कुल बकाया	
	दीर्घावधि		अल्पावधि		विदेशी मुद्रा		कुल			
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
टीएफसीआइ	–	–	66	–	–	–	66	–	390	331
एक्ज़िम बैंक	3,260	3,212	1,124	3,249	3,063	4,159	7,446	10,620	15,836	21,137
सिडबी	2,610	572	420	1,274	459	331	3,489	2,176	11,030	10,928
नाबार्ड	8,395	10,899	–	–	–	–	8,395	10,899	23,313	31,260
एनएचबी	5,342	9,682	1,220	3,079	–	–	6,562	12,761	16,344	18,475
कुल	**19,607**	**24,365**	**2,764**	**7,602**	**3,522**	**4,490**	**25,958**	**36,456**	**66,913**	**82,131**

– : न्यून/नगण्य
टिप्पणी : दीर्घावधि संसाधनों में बांडों/डिबेंचरों में उधार शामिल हैं। अल्पावधि संसाधनों में वाणिज्यिक पत्र, सावधि जमा, अंतर-कंपनी जमा, जमा प्रमाणपत्र और सावधि मुद्रा से उधार शामिल हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में मुख्यत: बांड तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार से लिए गए उधार शामिल हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र।

संसाधनों की सर्वाधिक राशियां जुटाईं, इसके पश्चात् नाबार्ड, निर्यात-आयात बैंक और सिडबी थे (सारणी V.3 और परिशिष्ट सारणी V.2)। कमजोर वित्तीय कार्य-निष्पादन के कारण आइएफसीआइ और आइआइबीआइ पर नए संसाधन जुटाने की रोक जारी रही।

5.21 2006-07 के दौरान मुद्रा बाजार से वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन 2005-06 के दौरान जुटाए गए संसाधनों से काफी अधिक थे। कुल मिलाकर, वित्तीय संस्थाओं ने स्वीकृत समग्र (अम्ब्रैला) सीमा का सिर्फ 17.3 प्रतिशत उपयोग किया; पिछले वर्ष के दौरान यह उपयोग 13.1 प्रतिशत था (सारणी V.4)।

सारणी V.4: वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

लिखत	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
क. कुल	**3,339**	**1,977**	**3,293**
i) सावधि जमाराशि	705	44	89
ii) सावधि मुद्रा	175	–	–
iii) अंतर कंपनी जमाराशि	477	–	–
iv) जमा प्रमाणपत्र	233	2	663
v) वाणिज्यिक पत्र	1,749	1,931	2,540
ज्ञापन :			
ख) अम्ब्रेला लिमिट	**13,001**	**15,157**	**19,001**
ग) अम्ब्रेला लिमिट का उपयोग (ख के प्रतिशत के रूप में)	**25.7**	**13.1**	**17.3**

– : शून्य/नगण्य
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र ।

निधियों के स्रोत और उपयोग

5.22 वित्तीय संस्थाओं के कुल संसाधन/निधियों का नियोजन 2006-07 के दौरान तेजी से 80.0 प्रतिशत बढ़कर 1,80,862 करोड़ रुपए हो गया। उल्लेखनीय रूप से, वित्तीय संस्थाओं द्वारा 45.6 प्रतिशत निधियां आंतरिक रूप से और 48.6 प्रतिशत बाह्य स्रोतों से जुटाई गईं जबकि 5.8 प्रतिशत संसाधन अन्य स्रोतों से जुटाए गए। जुटाई गई निधियों का एक बड़ा हिस्सा नए नियोजनों (पिछले वर्ष के 71.9 प्रतिशत के विपरीत 58.8 प्रतिशत) में लगाया गया। पिछले उधारों की चुकौती में तीव्र वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 14.3 प्रतिशत के विपरीत कुल नियोजनों का 31.2 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान तेजी से बढ़े (सारणी V.5 और परिशिष्ट सारणी V.3)।

उधारों की लागत और परिपक्वता

5.23 2006-07 के दौरान आइएफसीआइ और टीएफसीआइ के संसाधनों की भारित औसत लागत थोड़ी घटी, जबकि निर्यात-आयात बैंक, सिडबी, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक की बढ़ी (सारणी V.6 और परिशिष्ट सारणी V.4)। टीएफसीआइ और राष्ट्रीय आवास बैंक के संसाधनों की भारित औसत परिपक्वता घटी, जबकि आइएफसीआइ, निर्यात-आयात बैंक, सिडबी ओर नाबार्ड के मामले में बढ़ी।

उधार की ब्याज दरें

5.24 जबकि वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक ने मूल उधार दर (पीएलआर)में कोई परिवर्तन नहीं किया, निर्यात-आयात बैंक, टीएफसीआइ और सिडबी ने दर को बढ़ाया (सारणी V.7)।

सारणी V.5: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोत का स्वरूप और विनियोजन*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर 2005-06	प्रतिशत अंतर 2006-07
1	2	3	4	5
क) निधियों के स्रोत (i+ii+iii)	**1,00,455 (100.0)**	**1,80,862 (100.0)**	**17.9**	**80.0**
(i) आंतरिक	63,557 (63.3)	82,441 (45.6)	18.7	29.7
(ii) बाह्य	33,475 (33.3)	87,844 (48.6)	15.7	162.4
(iii) अन्य@	3,424 (3.4)	10,578 (5.8)	23.7	208.9
ख) निधियों का विनियोजन (i+ii+iii)	**1,00,455 (100.0)**	**1,80,862 (100.0)**	**17.9**	**80.0**
(i) नए विनियोजन	72,273 (71.9)	1,06,295 (58.8)	35.6	47.1
(ii) पिछले उधारों की चुकौती	14,402 (14.3)	56,436 (31.2)	-28.1	291.9
(iii) अन्य विनियोजन	13,781 (13.7)	18,132 (10.0)	15.6	31.6
जिसमें से: ब्याज भुगतान	4,502 (4.5)	5,567 (3.1)	-2.1	23.7

* : आइएफसीआइ, टीएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एग्जिम बैंक।
@ : बैंक में नकदी तथा जमा शेष (उपलब्ध नकदी), भा. रि. बैंक एवं अन्य बैंकों में जमा शेष सहित।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य-निष्पादन

5.25 चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की निवल ब्याज आय 2005-06 के दौरान 2,555 करोड़ रुपए से बढ़कर 2006-07 के दौरान 2,598 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वर्ष की तरह, वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं की ब्याज से इतर आय काफी बढ़ी। तथापि, पिछले वर्ष तीव्र वृद्धि के विपरीत, वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं के परिचालन व्यय में 55.9 प्रतिशत की गिरावट दिखी। परिणाम के रूप में, वर्ष के दौरान परिचालन लाभ तेजी से बढ़कर 73.6 प्रतिशत हो गया। कराधान के लिए निर्धारित किए गए अधिक प्रावधान के बावजूद, यही स्थिति वित्तीय संस्थाओं के निवल लाभ के अधिक बढ़ने में परिलक्षित हुई (सारणी V.8)।

सारणी V.6: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांड -रुपया डिबेंचरों द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता

संस्था	भारित औसत लागत (प्रतिशत) 2005-06	भारित औसत लागत (प्रतिशत) 2006-07	भारित औसत परिपक्वता वर्ष में 2005-06	भारित औसत परिपक्वता वर्ष में 2006-07
1	2	3	4	5
आइएफसीआइ	7.8	7.6	7.2	8.6
टीएफसीआइ	10.1	9.9	5.2	4.3
एग्जिम बैंक	6.9	7.3	4.6	4.9
सिडबी	5.9	6.5	3.9	4.5
नाबार्ड	5.8	8.7	3.5	5.0
एनएचबी	6.4	7.5	2.2	2.0

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी V.7: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की मूल उधार दर संरचना

(प्रतिशत)

से प्रभावी	एनएचबी	एग्जिम बैंक	टीएफसीआइ	सिडबी
1	2	3	4	5
मार्च 2006	10.5	11.5	10.5	11.5
मार्च 2007	10.5	12.5	11.0	12.0

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी V.8: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य निष्पादन*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06	2006-07	घट-बढ़ राशि	घट-बढ़ प्रतिशत
1	2	3	4	5
क) आय (क+ख)	**9,599**	**11,478**	**1,879**	**19.6**
क) ब्याज आय	8,246 (85.9)	9,565 (83.3)	1,319	16.0
ख) ब्याजेतर आय	1,353 (14.1)	1,913 (16.7)	560	41.4
ख) व्यय (क+ख)	**7,606**	**7,811**	**205**	**2.7**
क) ब्याज व्यय	5,691 (74.8)	6,967 (89.2)	1,276	22.4
ख) परिचालन व्यय	1,915 (25.2)	844 (10.8)	-1,071	-55.9
जिसमें से : वेतन बिल	372	462	90	24.2
ग) कराधान के लिए प्रावधान	**591**	**990**	**399**	**67.5**
घ) लाभ				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	1,993	3,460	1,467	73.6
निवल लाभ (पीएटी)	1,402	2,470	1,068	76.2
ङ) वित्तीय अनुपात@				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	1.4	2.1		
निवल लाभ (पीएटी)	1.0	1.5		
आय	6.6	6.9		
ब्याज आय	5.7	5.7		
अन्य आय	0.9	1.1		
व्यय	5.2	4.7		
ब्याज व्यय	3.9	4.2		
अन्य परिचालन व्यय	1.3	0.5		
वेतन बिल	0.3	0.3		
प्रावधान	0.4	0.6		
स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	1.8	1.6		

* : आइएफसीआइ, आइडीबीआइ, टीएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एग्जिम बैंक ।
@ : कुल अस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत हिस्सा हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र। एनएचबी की अलेखापरीक्षित परोक्ष विवरणी। टीएफसीआइ लि. का लेखा परीक्षित सिमित पर्यवेक्षी विवरणी।

सारणी V.9: वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	ब्याज आय/औसत कार्यशील निधि		ब्याजेतर आय/औसत कार्यशील निधि		परिचालन लाभ/औसत कार्यशील निधि		औसत आस्ति पर प्रतिलाभ		प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ रुपए)	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आइएफसीआइ	11.3	8.3	2.3	8.2	6.7	10.2	-0.6	5.8	-0.2	..
आइआइबीआइ	11.0	–	8.4	–	-1.4	–	..	–	-0.1	–
टीएफसीआइ	10.2	9.3	0.2	0.8	4.0	3.9	1.9	2.3	0.4	..
एग्जिम बैंक	7.6	8.1	0.6	0.5	2.1	1.7	1.5	1.3	1.4	1.4
नाबार्ड	6.3	6.8	-0.1	-0.2	2.1	1.8	1.8	1.6	0.2	0.2
एनएचबी*	6.2	6.8	0.2	0.1	1.1	0.9	0.5	0.5	1.1	..
सिडबी	6.2	7.1	0.2	0.4	3.4	3.8	2.0	2.2	0.3	0.4

– : न्यून/नगण्य। .. : उपलब्ध नहीं। * : जून के अंत की स्थिति ।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र। एनएचबी की अलेखापरीक्षित परोक्ष विवरणी।टीएफसीआइ लि. का लेखा परीक्षित सीमित पर्यवेक्षी विवरणी।

5.26 यद्यपि कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सभी वित्तीय संस्थाओं की संयुक्त ब्याज आय 2006-07 के दौरान 5.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही, आइएफसीआइ और टीएफसीआइ में कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय घटी, जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं में इसमें बढ़ोत्तरी हुई (सारणी V.9)। कुल आस्ति की तुलना में ब्याज से इतर आय अनुपात कुल स्तर पर पिछले वर्ष के 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 के दौरान 1.1 प्रतिशत हो गया। अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं के स्तर पर आइएफसीआइ के लिए कुल कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से इतर आय काफी बढ़ी, जबकि वर्ष के दौरान नाबार्ड के लिए यह ऋणात्मक बनी रही। 2006-07 के दौरान आइएफसीआइ और सिडबी के औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ में सुधार हुआ। यह अनुपात आइएफसीआइ में सर्वाधिक था, इसके पश्चात् टीएफसीआइ और सिडबी में। वर्ष के दौरान आइएफसीआइ, टीएफसीआइ और सिडबी के औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ। वर्ष के दौरान सिडबी का प्रति कर्मचारी निवल लाभ बढ़ा । 2006-07 के दौरान निर्यात-आयात बैंक के मामले में प्रति कर्मचारी निवल लाभ 1 करोड़ रुपए से अधिक था।

सुदृढ़ता संकेतक

आस्ति गुणवत्ता

5.27 समग्र रूप से, 2006-07 के दौरान निर्यात-आयात बैंक और नाबार्ड का निवल एनपीए बढ़ा, जबकि सिडबी का तेजी से घटा (सारणी V.10)। तथापि, निवल ऋण की तुलना में निवल एनपीए अनुपात के रूप में, सिडबी की आस्ति गुणवत्ता तेजी से बढ़ी, जबकि निर्यात-आयात बैंक की मामूली रूप से बढ़ी।

5.28 टीएफसीआइ को छोड़कर, सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की मानक आस्तियों में हुई वास्तविक वृद्धि के कारण भी आस्ति गुणवत्ता मे सुधार देखा गया (सारणी V.11)। 2006-07 के दौरान आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, टीएफसीआइ और सिडबी ने संदिग्ध श्रेणी में अपनी आस्तियों को घटाकर 10 करोड़ रुपए से कम कर दिया, जबकि आइएफसीआइ की कोई संदिग्ध आस्तियां नहीं थीं। मार्च 2007 के अंत में 'हानि' श्रेणी में किसी वित्तीय संस्था की कोई आस्तियां नहीं थीं।

पूंजी पर्याप्तता

5.29 वित्तीय कंपनियों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम मानदंड की तुलना में काफी अधिक बना रहा

सारणी V.10: निवल अनर्जक आस्तियाँ
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	निवल अनर्जक आस्तियाँ		निवल अनर्जक आस्तियाँ/ निवल ऋण (प्रतिशत)	
	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5
आइएफसीआइ	667	–	9.1	–
आइआइबीआइ	132	–	13.1	–
टीएफसीआइ	15	–	3.0	–
एग्जिम बैंक	105	115	0.6	0.5
नाबार्ड	–	23	–	–
एनएचबी*	–	–	–	–
सिडबी	261	22	1.9	0.1

– : न्यून/नगण्य

* : जून के अंत की स्थिति ।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र। एनएचबी की अलेखापरीक्षित परोक्ष विवरणी। टीएफसीआइ लि. का लेखा परीक्षित सीमित पर्यवेक्षी विवरणी।

सारणी V.11: वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	मार्च के अंत में							
	मानक		अवमानक		संदिग्ध		हानि	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आइएफसीआइ	6,635	6,791	54	–	613	–	–	–
आइआइबीआइ	874	–	14	–	118	–	–	–
टीएफसीआइ	546	399	–	–	15	–	–	–
एग्जिम बैंक	17,692	22,772	105	108	–	7	–	–
नाबार्ड	58,088	69,485	–	18	–	5	–	–
एनएचबी*	16,241	18,917	–	–	–	–	–	–
सिडबी	13,001	15,511	1	17	260	5	–	–

– : शून्य/नगण्य । * : जून के अंत की स्थिति ।
स्रोत : वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र।

(सारणी V.12)। वर्ष के दौरान बेहतर लाभ के कारण आइएफसीआइ और टीएफसीआइ के सीआरएआर में काफी बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय आवास बैंक का सीआरएआर मामूल रूप से बढ़ा, जबकि वर्ष के दौरान निर्यात-आयात बैंक, नाबार्ड और सिडबी का घटा।

3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

5.30 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को 1997 में संशोधित करने से रिज़र्व बैंकों को एनबीएफसी के विनियमन के व्यापक अधिकार प्राप्त हुए। संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ सभी एनबीएफसी के पंजीयन का प्रावधान किया गया है। एनबीएफसी को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं, यथा : (i) जनता की जमाराशि स्वीकारने वाली एनबीएफसी और (ii) जनता की जमाराशि स्वीकार/धारित न करनेवाली एनबीएफसी।

5.31 इस भाग में मुख्यतया वर्ष दौरान की रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी पहलों की चर्चा की गई है। एनबीएफसी और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी) के परिचालनों पर उनके भिन्न स्वरूप के कारण अलग से चर्चा की गई है। इसके अलावा, जनता की जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी, जिनकी आस्तियों की मात्रा 100 करोड़ रुपए और अधिक है, के परिचालनों का विश्लेषण भी उनके परिचालनों के प्रणालीगत प्रभाव के कारण अलग से किया गया है।

विनियामक और पर्यवेक्षी पहलें

5.32 रिज़र्व बैंक एनबीएफसी क्षेत्र को सक्रिय और बेहतर बनाने की दृष्टि से 1997 से एनबीएफसी के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत बना रहा है। इन प्रयासों को 2006-07 के दौरान और आगे बढ़ाया गया। वर्ष के दौरान, विनियामक अंतर को कम करने के

सारणी V.12: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात*

(प्रतिशत)

संस्था	मार्च के अंत में						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
आइएफसीआइ	6.2	3.1	1.0	-17.0	-23.4	-27.9	14.0
आइआइबीआइ	13.9	9.2	-11.0	-20.1	-41.1	-64.2	–
टीएफसीआइ	18.6	18.5	19.8	22.8	27.4	34.9	40.9
एग्जिम बैंक	23.8	33.1	26.9	23.5	21.6	18.4	16.4
नाबार्ड	38.5	36.9	39.1	39.4	38.8	34.4	27.0
एनएचबी @	16.8	22.1	27.9	30.5	22.5	22.3	24.0
सिडबी	28.1	45.0	44.0	51.6	50.7	43.2	37.5

* : प्रावधानीकरण और राइट-ऑफ को कम करके।
@ : जून के अंत की स्थिति ।
स्रोत: संबंधित संस्थाओं के तुलनपत्र।

लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के संबध में विनियामक ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया गया। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी को परिभाषित किया गया और इन संस्थाओं के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए गए। वर्ष के दौरान की गई कुछ मुख्य विनियामक और पर्यवेक्षी पहलें निम्नवत् हैं ।

एनबीएफसी का पुनर्वर्गीकरण

5.33 दिनांक 6 दिसंबर 2006 तक एनबीएफसी को उपस्कर पट्टे देनेवाली, किराया खरीद, निवेश कंपनियों और ऋण कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। आटोमोबाइल, सामान्य प्रयोजन औद्योगिक मशीनरी जैसे आर्थिक कार्यों में सहायता करने वाली संपदा/भौतिक आस्तियों का वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को आस्ति वित्तपोषण वाली कंपनियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की घोषणा 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई थी। इसके अनुसरण में, सभी एनबीएफसी को 6 दिसंबर 2006 को सूचित किया गया कि एनबीएफसी का पुनर्वर्गीकरण आस्ति वित्त कंपनी, निवेश कंपनी और ऋण कंपनी के रूप में होगा।

5.34 आस्ति वित्त कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत वह कंपनी आती है जो एक वित्तीय संस्था है और जिसका मुख्य कारोबार आटोमोबाइल, ट्रैक्टर, जनरेटर सेट, अर्थ मूविंग और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, खुद की ऊर्जा पर चलने वाली और सामान्य प्रयोजन औद्योगिक मशीनों जैसी भौतिक आस्तियों का वित्तपोषण करना है जो उत्पादक/आर्थिक कार्यों की सहायता करती है। इस प्रयोजनार्थ मुख्य कारोबार को आर्थिक कार्यों में सहायक संपदा/भौतिक आस्ति के कुल वित्तपोषण और उससे प्राप्त आय को परिभाषित किया गया है जो कुल आस्तियों तथा कुल आय के क्रमशः 60 प्रतिशत से कम न हो। आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड के प्रयोजनार्थ किया गया वर्गीकरण आस्ति विशेष पर आधारित है, अतः विद्यमान विवेकसम्मत मानदंड अब तक की भांति जारी रहेंगे। उक्त शर्तें पूरी करने वाली कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे आस्ति वित्त कंपनियों के रूप में उनके वर्गीकरण की मान्यता के लिए रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें जिसके कार्य क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय स्थित है। वे अपने आवेदन के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पंजीयन का मूल प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करें । अपने अनुरोध के समर्थन में उनके पास उनके सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें कंपनी का 31 मार्च 2006 का आस्ति/आय स्वरूप दिखाया गया हो। वर्गीकरण में किए गए परिवर्तन को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र में शामिल किया जाएगा जो जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी के मामले में एनबीएफसी आस्ति वित्त कंपनी (एनबीएफसी-डी-एएफसी) और जमाराशि स्वीकार न करने वाली कंपनी के मामले में एनबीएफसी-एनडी-एएफसी के रूप में होगा।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी का वित्तीय विनियमन और उनके साथ बैंकों का संबंध

5.35 बैंकों और एनबीएफसी और एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों के बीच भी उनके कार्यों पर विनियमन के विभिन्न स्तर लगाने से विनियमन के कवरेज में असमानता संबंधी कुछ मामले उभरे हैं। अतः रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में समान अवसर कार्यक्षेत्र, विनियम में एकरूपता और विवाचन संबंधी मामलों की जांच के लिए आंतरिक दल गठित किया। इस दल की सिफारिशों के आधार पर और उस पर प्राप्त प्रतिसूचना को ध्यान में रखते हुए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के समग्र विनियमन संबंधी मामलों और बैंकों तथा एनबीएफसी के बीच के संबंध पर ध्यान देने के लिए 12 दिसंबर 2006 को संशोधित ढांचा लागू किया गया।

5.36 अंतिम लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए और अधिक की आस्ति वाली सभी एनबीएफसी-एनडी को अब प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) माना जाता है। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ से अपेक्षित है कि वे 10 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखें। किसी भी एनबीएफसी-एनडी-एसआई को निम्न की अनुमति नहीं है : (i) उसकी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत/25 प्रतिशत से अधिक का उधार किसी एक उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह को देना; (ii) उसकी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत /25 प्रतिशत से अधिक की राशि का किसी अन्य कंपनी/कंपनियों के एकल समूह के शेयरों में निवेश; और (iii) उसकी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक की राशि किसी एकल पार्टी को और उसकी स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक की राशि पार्टियों के एकल समूह को उधार देना या निवेश करना (ऋण/निवेश मिलाकर)।

5.37 यदि अतिरिक्त जोखिम (एक्सपोजर) बुनियादी ऋण और/या निवेश के कारण है तो एनबीएफसी को अनुमति है कि वे किसी एकल पार्टी या पार्टियों के एकल समूह के प्रति ऋण/निवेश की निर्धारित सीमा बढ़ा सकती हैं, अर्थात किसी, एकल पार्टी के लिए 5 प्रतिशत और पार्टियों के एकल समूह के लिए 10 प्रतिशत। एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए निर्धारित एकल पार्टी और पार्टियों के एकल समूह जोखिम मानदंड के अलावा,

एएफसी को अनुमति है कि वे अपने बोर्डों के अनुमोदन से अपवादात्मक स्थिति में एकल पार्टी और पार्टियों के एकल समूह के प्रति जोखिम उनकी स्वाधिकृत निधि के 5 प्रतिशत अंक तक बढ़ा सकती हैं। जनता की निधि तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से पहुंच न होने वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआइ जोखिम सीमा की भावना के अनुरूप उपयुक्त छूट के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकते हैं। इस बात की संभावना को ध्यान में रखते हुए कि कुछ एनबीएफसी संशोधित विनियामक ढांचे के कुछ अंशों का अनुपालन नहीं कर रही होंगी, उन्हें मार्च 2007 की समाप्ति तक संक्रमण अवधि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 1 अप्रैल 2007 से एनबीएफसी से अपेक्षित है कि वे संशोधित ढांचे के सभी घटकों का अनुपालन करें।

5.38 अवशिष्ट एनबीसी (आरएनबीसी) और प्राथमिक व्यापारियों पर विनियमों का अलग सेट लागू है। रिज़र्व बैंक ने इन संस्थाओं के लिए लागू विद्यमान दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए आंतरिक दल का गठन किया जो संशोधित दिशानिर्देशों के आलोक में होगा और अनुपूरक दिशानिर्देशों के निर्धारण की आवश्यकता की जांच करेगा जो अलग से जारी किए जाएंगे। उस समय तक, इन संस्थाओं पर विद्यमान विनियम लागू रहेंगे।

5.39 वर्तमान में, सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के कुछ प्रावधानों से छूट प्राप्त है। तथापि, जमाराशि स्वीकारने वाली और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व की सभी कंपनियों को 1998 के निदेश के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। किंतु, वह तिथि बाद में तय की जाएगी जब से वे विनियामक ढांचे का पूरा अनुपालन करेंगी। अतः, इन कंपनियों से अपेक्षित था कि वे सरकार से परामर्श करके एनबीएफसी विनियमों के विभिन्न अंशों के अनुपालन का रोडमैप तैयार करें और उसे 31 मार्च 2007 तक रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

5.40 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली/न रखने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) की 12 दिसंबर 2006 की स्थिति के अनुसार विनियामक ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसी कंपनियों को 27 अप्रैल 2007 को सूचित किया गया कि वे प्रति वर्ष मार्च की समाप्ति पर अन्य के अलावा पूंजीगत निधि, जोखिम आस्ति अनुपात के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करें। ऐसी पहली विवरणी 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की जानी थी। यह विवरणी प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

एक्सपोजर मानदंड और जोखिम भार

5.41 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 संशोधित किया है। संशोधित निदेश के अंतर्गत एनबीएफसी को 20 सितंबर 2006 को सूचित किया गया कि एक्सपोजर भार देने के प्रयोजनार्थ किसी उधारकर्ता के कुल निधिगत एक्सपोजर की गणना करते समय नकदी मार्जिन/प्रतिभूति जमाराशि/अवधान राशि से संपार्श्विकीकृत उधारकर्ता अग्रिमों, जिनके प्रति समंजन उपलब्ध है, के संबंध में कुल बकाया एक्सपोजर के प्रति समायोजित कर सकते हैं।

प्रतिभूतिकरण कंपनियां और पुनर्गठन कंपनियां

5.42 रिज़र्व बैंक ने 29 मार्च 2004 को प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन कारोबार शुरू करने की न्यूनतम स्वाधिकृत निधि की राशि बढ़ाकर प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा अधिगृहीत की गई या की जाने वाली कुल वित्तीय आस्ति का न्यूनतम 15 प्रतिशत अथवा 100 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की गई भले ही आस्तियां प्रतिभूतिकरण के प्रयागेजनार्थ गठित न्यास को अंतरित की गई हों या नहीं। प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को निवेश दिया गया कि वे प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन के लिए स्थापित न्यास द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में स्वाधिकृत निधि की रकम का निवेश करें। तथापि, 20 सितंबर 2006 को यह निर्णय लिया गया कि प्रतिभूतिकरण कंपनियां या पुनर्गठन कंपनियां तुरंत प्रभाव से प्रत्येक योजना के अंतर्गत जारी राशि की न्यूनतम 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति रसीद में निवेश करेंगी। जो प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ या पुनर्गठन कंपनियाँ पहले ही प्रतिभूति रसीद जारी कर चुकी है, वे अधिसूचना की तिथि से छह माह के भीतर प्रत्येक योजना में प्रतिभूति रसीदों में न्यूनतम अभिदान सीमा प्राप्त करें।

5.43 रिज़र्व बैंक ने 19 अक्तूबर 2006 को निदेश दिया कि जिस प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी ने वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन (एसएआरएफएइएसआइ -सरफाइसी) अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत रिज़र्व बैंक से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, उसे पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृति की तिथि से छह माह के भीतर कारोबार शुरू करना चाहिए। प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी से अनुरोध प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक गुण-दोष के आधार पर कारोबार शुरू करने के लिए छह माह से अधिक का समय दे सकता है किंतु किसी भी स्थिति में ऐसी विस्तारित अवधि पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृति की तिथि से 12 माह से अधिक नहीं होगी। उक्त अधिनियम के धारा 3 के तहत रिज़र्व बैंक से पहले ही पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुकी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी से अपेक्षित

था कि वे निदेश की अधिसूचना की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर कारोबार शुरू करें।

एनबीएफआइ का कारोबार जारी रखना - सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

5.44 यह देखा गया कि ऐसी कई एनबीएफसी थीं जो एनबीएफआइ का कार्य नहीं करती थीं किंतु उनके पास पंजीयन प्रमाणपत्र थे, यद्यपि वे रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत पंजीयन प्रमाणपत्र रखने हेतु पात्र नहीं थीं/ उन्हें ऐसा प्रमाणपत्र रखने की आवश्यकता नहीं थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनबीएफआइ का कारोबार वास्तव में करने वाली एनबीएफसी को ही पंजीयन प्रमाणपत्र मिले, एनबीएफसी को 21 सितंबर 2006 को सूचित किया गया था कि उन्हें अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र प्रति वर्ष प्रस्तुत करना चाहिए जो इस आशय का हो कि वे उस एनबीएफआइ का कारोबार कर रही हैं जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए के तहत पंजीयन प्रमाणपत्र रखना आवश्यक होता है। इस संबंध में कंपनी की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रति वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत करना होता है जिसके कार्य क्षेत्र में एनबीएफसी पंजीकृत है ।

मुख्य कारोबार की परिभाषा

5.45 एनबीएफआइ के मामले में 'मुख्य कारोबार' की परिभाषा अधिनियम में नहीं दी गई है। तथापि, रिज़र्व बैंक ने किसी एनबीएफसी की पहचान के प्रयोजनार्थ मुख्य कारोबार परिभाषित करने का निर्णय लिया। 19 अक्तूबर 2006 को यह स्पष्ट किया गया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआइ) के कारोबार का अर्थ उस कंपनी से है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई(ए) में वर्णित वित्तीय संस्था का कारोबार करने वाली कंपनी है। इस प्रयोजनार्थ, 8 अप्रैल 1999 की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई 'मुख्य कारोबार' की परिभाषा अपनानी है, जिसके अनुसार वह कंपनी एनबीएफसी मानी जाएगी जिसकी वित्तीय आस्तियां उसकी कुल आस्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक है (अमूर्त आस्तियां हटाकर) और वित्तीय आस्तियों से होनेवाली आय सकल आय के 50 प्रतिशत से अधिक है। किसी कंपनी के मुख्य कारोबार के लिए निर्धारक कारक के रूप में इन दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। एनबीएफआइ के रूप में कार्य करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान की गई किसी विद्यमान कंपनी के मामले में यह संभव है कि उसके कारोबार के विन्यास (प्रोफाइल) में समय के अंतराल में परिवर्तन हुए हों। नयी कंपनियों के मामलो में चूंकि कंपनियां पंजीयन प्रमाणपत्र मिले बिना एनबीएफआइ का कारोबार शुरू नहीं कर सकती, अतः रिज़र्व बैंक एनबीएफआइ का कारोबार करने के लिए उनके इरादे के आधार पर पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान करता है। किंतु कई बार कंपनियां इरादे के अनुसार कारोबार शुरू नहीं कर पाती हैं । अतः यह संभव है कि ऐसी कंपनियां अस्तित्व में हों जिनके पास एनबीएफआइ कार्य वास्तव में किए बिना एनबीएफआइ का कारोबार शुरू करने/जारी रखने का पंजीयन प्रमाणपत्र हो। यही कारण था कि एनबीएफआइ का कारोबार शुरू करने/जारी रखने के समर्थन में लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण और मुख्य कारोबार का मानदंड पूरा किया जाना निर्धारित किया गया।

उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश

5.46 एनबीएफसी को 28 सितंबर 2006 को सूचित किया गया कि वे उचित व्यवहार पर व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करें जो सभी एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) के निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए और अनुमोदित किए गए हों। निदेशक मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई और अनुमोदित उचित व्यवहार संहिता जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाए तथा यदि कंपनी की वेबसाइट हो तो उस पर प्रसारित की जाए। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं : (i) ऋण आवेदन फार्म में उधारकर्ता के हित को प्रभावित करने वाली आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए ताकि एनबीएफसी द्वारा प्रस्तावित शर्तों की अर्थपूर्ण तुलना की जा सके और उधारकर्ता द्वारा पर्याप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लिया जा सके; (ii) एनबीएफसी को सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति-सूचना देने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए और अधिमानतः वह समय सीमा भी बतानी चाहिए जिसके भीतर ऋण आवेदनों का निपटान किया जाएगा; (iii) एनबीएफसी को स्वीकृति पत्र या किसी अन्य माध्यम से उधारकर्ता को लिखित रूप में स्वीकृत ऋण की सूचना देनी चाहिए जिसके साथ ब्याज की वार्षिक दर, उसके लागू करने के तरीके सहित शर्तें भी सूचित करनी चाहिए तथा उधारकर्ताओं द्वारा इन शर्तों की स्वीकृति को रिकार्ड पर रखना चाहिए; (iv) एनबीएफसी ने अन्य बातों के साथ-साथ संवितरण अनुसूची, ब्याज दर, सेवा प्रभार, भुगतान प्रभार सहित शर्तों में किसी भी बदलाव की जानकारी उधारकर्ता को देनी चाहिए; (v) करार के तहत भुगतान या निष्पादन रिकॉल करने/ त्वरित करने का निर्णय ऋण करार के अनुरूप होना चाहिए; (vi) एनबीएफसी को सभी देयताओं की चुकौती पर या ऋण की शेष राशि प्राप्त होने पर सभी प्रतिभूतियां वापस कर देनी चाहिए बशर्ते उधारकर्ता के प्रति किसी अन्य दावे के लिए इन पर एनबीएफसी का कानूनी हक या ग्रहणाधिकार न हो ; (vii) एनबीएफसी को ऋण करार की शर्तों में दिए गए प्रयोजनों को छोड़कर उधारकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए; (viii) उधारकर्ता से उधार खाते के अंतरण का अनुरोध प्राप्त होने पर सहमति या अन्यथा, अर्थात् एनबीएफसी की आपत्ति, यदि कोई हो, की सूचना अनुरोध प्राप्ति से 21 दिनों के भीतर देनी चाहिए; (ix) ऋण वसूली के मामले में

एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए; और (x) एनबीएफसी के निदेशक मंडल को इस संबंध में विवादों के निपटारे के लिए संगठन के भीतर शिकायत निपटान की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

नियंत्रण/प्रबंधन में बदलाव के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना

5.47 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को समय-समय पर सूचित किया गया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंधन और नियंत्रण में परिवर्तन होने पर बिक्री अथवा शेयरों की बिक्री द्वारा स्वामित्व के अंतरण, अथवा नियंत्रण के अंतरण, अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ अथवा गैर वित्तीय कंपनी के साथ समामेलन/विलय के 30 दिन पहले सार्वजनिक पूर्व सूचना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और साथ ही अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती द्वारा दी जानी चाहिए। मामले की समीक्षा की गयी तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 27 अक्तूबर 2006 को सूचित किया गया कि इस प्रकार की पूर्व सार्वजनिक सूचना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा साथ ही अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती अथवा संबंधित पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से दी जाए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूचुअल फंड के उत्पादों का वितरण/को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्डों का निर्गम

5.48 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विशाखीकरण के जरिये सुदृढ़ बनाने और 31 अक्तूबर 2006 को वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में 4 दिसंबर 2006 को यह निर्णय लिया गया कि चयनात्मक आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शुरू के दो वर्षों की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से म्यूचुअल फंडों के एजेंट के रूप में म्यूचुअल फंड के उत्पादों के विपणन और वितरण की अनुमति दी जाए। 4 दिसंबर 2006 को यह भी निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, चयनात्मक आधार पर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ, जोखिम बांटे बिना, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से शुरू के दो वर्षों की अवधि के लिए को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाए। निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आवेदन करने के लिए पात्र है : (i) न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि 100 करोड़ रुपए हो; (ii) पिछले दो वर्षों के लेखा-परीक्षित तुलनपत्रों के अनुसार कंपनी ने निवल लाभ कमाया हो; (iii) पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत 3 प्रतिशत से अधिक न हो; तथा (iv) जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का सीआरएआर 10 प्रतिशत हो तथा जमा लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का सीआरएआर 12 प्रतिशत या 15 प्रतिशत हो, जैसाकि कंपनी पर लागू हो। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्टों के वितरण के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को (i) सेबी के दिशानिर्देशों/विनियमों का पालन करना चाहिए, (ii) उन्हें अपने ग्राहकों को उनके द्वारा प्रायोजित विशेष म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करने जैसी प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं अपनानी चाहिए तथा (iii) ग्राहकों को अपने चुनाव का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड के व्यवसाय के मामले में टाइ-अप व्यवस्था के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भूमिका को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्डों के विपणन और वितरण तक सीमित होनी चाहिए तथा संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी अनुदेश/दिशा-निर्देश को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक पर लागू होंगे। दिशानिर्देशों की समीक्षा दो वर्ष बाद की जाएगी।

सार्वजनिक जमाराशियों के लिए रक्षा (कवर) - चलनिधि आस्तियों पर चल प्रभार का सृजन

5.49 सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने वाली/रखने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को फरवरी 2005 में सूचित किया गया कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी के अनुसार निवेशित सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार का सृजन करें। बड़ी संख्या में जमाकर्ताओं के पक्ष में सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर प्रभार के सृजन में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जनवरी 2007 में यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने/रखने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 'न्यास विलेख' की प्रक्रिया के माध्यम से जमाकर्ताओं के पक्ष में सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर चल प्रभार का सृजन करें। प्रभार को कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करना अपेक्षित है तथा इस बारे में जानकारी न्यासियों तथा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ब्यौरेवार 'न्यास विलेख का मसौदा' तथा 'न्यासी दिशानिर्देश' प्रत्येक की एक-एक प्रति गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मार्गदर्शन के लिए भेजी गयी। उन्हें 31 मार्च 2007 तक एक व्यवस्था बनाने के लिए भी सूचित किया गया।

पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनियों तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों द्वारा *विवरणी का प्रस्तुतीकरण*

5.50 कंपनी कार्य मंत्रालय ने पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनी (अधिसूचित निधि) तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों (संभाव्य निधि) के समग्र विनियमन का अधिग्रहण कर लिया। तदनुसार, पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनियों तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों द्वारा वार्षिक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी स्थिति की समीक्षा रिज़र्व बैंक द्वारा की गई तथा 4 जनवरी 2007 को यह निर्णय

लिया गया कि पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनियों तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 में उल्लिखित वार्षिक विवरणी, लेखा परीक्षित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाता, लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र और अन्य ब्यौरे नहीं मंगाए जाएं । तथापि यदि कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा निधि की हैसियत की स्वीकृति के लिए पारस्परिक लाभवाली कंपनियों (संभाव्य निधि) के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, तो उक्त निदेशावली, 1998 के प्रावधान, जैसाकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू हैं, ऐसी कंपनियों पर लागू होंगे।

विवकपूर्ण मानदंड

5.51 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए, 12 दिसम्बर 2006 के अनुसार, निर्धारित विनियामक रूपरेखा के प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 में संशोधन की अपेक्षा की गई । तथापि यह महसूस किया गया कि जमा लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी सहित) तथा जमाराशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उनके परिचालनात्मक सुविधा हेतु वर्तमान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 का अधिक्रमण करते हुए अलग से विवेकपूर्ण मानदंड विनियामावली का सेट जारी किया जाए । तदनुसार, विवेकपूर्ण मानदंड निदेशावली के 2 सेट, अर्थात् जमा लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी सहित) के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकरण या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 2007 और जमा न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा न लेनेवाली या धारण न करनेवाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 2007 फरवरी 2007 में जारी की गई।

5.52 इसके अलावा, 100 करोड़ रुपए और अधिक की कुल आस्तियां रखनेवाली जमा लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां को सूचित किया गया कि वे पूंजी बाजार में अपने एक्सपोजर से संबंधित विवरणी महीने की समाप्ति के सात दिनों के भीतर मासिक आधार पर प्रस्तुत किया करें। संशोधित मानदंडों पर आधारित ऐसी पहली विवरणी 30 अप्रैल 2007 को समाप्त महीने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। 50 करोड़ रुपए तथा अधिक की जमाराशि रखनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2007 को समाप्त महीने तक उनके द्वारा अब तक प्रस्तुत की जानेवाली पूंजी बाजार में एक्सपोजर संबंधी विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखा जाए तथा उसके बाद उनसे अपेक्षित है कि वे संशोधित अनुदेशों का पालन करें ।

जमाखोरी के लिए बैंक वित्त का दुरुपयोग

5.53 इस बात पर चिंता प्रकट की गई कि कुछ कंपनियां/ संस्थाएं संभवतः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से उधार लिए गए संसाधनों का प्रयोग करते हुए अनाजों की जमाखोरी कर रही थीं। तदनुसार, एनबीएफसी-एनडी-एसआइ (100 करोड़ रुपए तथा अधिक की आस्तियां रखनेवाली जमा न लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) को 23 फरवरी 2007 को सूचित किया गया कि वे अनाजों की खरीद के लिए बड़े उधारकर्ताओं को अपने वित्तीय एक्सपोज़र की जांच करें तथा साथ ही बड़े एक्सपोज़र वाली कंपनियों के खातों की त्वरित संवीक्षा पर भी विचार करें ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि निधियों को जमाखोरी करने के लिए अनाजों की खरीद हेतु अपवर्तित नहीं किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन

5.54 मई 2005 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में (वेबसाइट सहित) जमाराशियां मांगने संबंधी अपने विज्ञापनों में इस आशय का विवरण स्पष्ट रूप से शामिल करें कि 'रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा तैयार किए गए विवरणों या अभ्यावेदनों की सच्चाई या उनके द्वारा व्यक्त राय और कंपनी द्वारा जमाराशियों की चुकौती / देयता के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता अथवा गारंटी नहीं देता।' यह संभव है कि जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उनके व्यवसाय के संवर्धन हेतु जारी विज्ञापन में जमाराशियों को आकृष्ट किया जाए। ऐसे विज्ञापनों के संदर्भ में जमाकर्ताओं के हित में तथा उक्त प्रावधान के प्रति जमाकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 4 अप्रैल 2007 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि का स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली,1998 में उपयुक्त प्रावधान करके गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि जमाराशि मांगे बिना भी टी.वी.जैसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब कभी कोई विज्ञापन दर्शाया जाए, ऐसे विज्ञापनों में निम्नानुसार एक शीर्षक/ बैंड शामिल किया जाए कि: (i) 'जहां तक कंपनी के जमा लेनेवाले कार्य का संबंध है, निवेशक सार्वजनिक जमाराशियां मंगाने के लिए आवेदनपत्र में प्रस्तुत जानकारी/समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन का संदर्भ लें'; (ii) 'कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र है। तथापि, रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरणों या अभ्यावेदनों या उसके द्वारा व्यक्त विचारों की सच्चाई तथा कंपनी द्वारा जमाराशियों की चुकौती / देयताओं के उन्मोचन के बारे में कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी नहीं लेता'।

ब्याज दरों की अधिकतम सीमा

5.55 अप्रैल 2007 में जारी वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में इस बात की घोषणा की गई थी कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी से इतर) द्वारा जमाराशियों पर देय ब्याज दर की उच्चतम सीमा में 150 आधार अंकों की वृद्धि करके उसे 12.5 प्रतिशत वार्षिक कर दिया जाएगा। तदनुसार, 24 अप्रैल 2007 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों पर देय ब्याज दर की अधिकतम सीमा में संशोधित करके 12.5 प्रतिशत वार्षिक कर दी गई । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों पर देय ब्याज की यह अधिकतम सीमा है ; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इससे कम ब्याज दर का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र हैं। ब्याज की नई दर जनता से नई जमाराशियां स्वीकार करने और परिपक्व सार्वजनिक जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होगी। 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की अधिकतम सीमा विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (चिट फंड कंपनियों) द्वारा जमाराशियों के स्वीकरण/नवीकरण पर भी लागू हैं।

कंपनी अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश

5.56 कंपनी क्षेत्र में पणधारियों के हितों के संरक्षण के लिए कंपनी अभिशासन की प्रमुख भूमिका है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इसका अपवाद नहीं हैं क्योंकि वे भी कार्पोरेट संस्था हैं। सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सनिश्चित करने में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए 8 मई 2007 को दिशानिर्देशों का प्रस्ताव करके उन्हें 20 करोड़ रुपए और अधिक जमा आकार वाली जमा लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा 100 करोड़ रुपए और अधिक आस्ति आकार वाली जमा न लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के निदेशक मंडल द्वारा विचार किए जाने के लिए रखा गया। उक्त दिशानिर्देश लेखा परीक्षा के गठन, नामांकन तथा जोखिम प्रबंधन समितियों प्रकटीकरण तथा पारदर्शिता और संयुक्त उधार संबंध पर लागू है।

5.57 पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 50 करोड़ रुपए और अधिक आस्ति आकारवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से पहले ही ऐसी अपेक्षा की गई है कि वे अपने निदेशक बोर्ड के कम से कम 3 सदस्यों को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा समिति का गठन करें । 20 करोड़ रुपए के जमाराशि आकारवाली एनबीएफसी-डी भी इसी तरह की लेखा परीक्षा समिति के गठन पर विचार कर सकती है। नामांकन समिति के गठन के संबंध में, दिशानिर्देशों द्वारा यह अपेक्षित है कि वे यह अवश्य सुनिश्चित करें कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रबंधन या प्रस्तावित प्रबंधन का सामान्य चरित्र उसके वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के हित के प्रतिकूल न हो। इस खंड की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाई गई रुचि को देखते हुए, यह वांछनीय है कि रु. 20 करोड़ अथवा अधिक के जमा आकार वाली एनबीएफसी-डी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआइ प्रस्तावित / मौजुदा निदेशकों की ‘ उपयुक्त और उचितट स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नामांकन समिति का गठन करें। जोखिम प्रबंधन समिति के लिए दिशानिर्देशों में यह अपेक्षा की गई है कि समन्वित आधार पर जोखिम के प्रबंधन के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया जाए । पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को 20 करोड़ रुपए और अधिक की सार्वजनिक जमाराशि वाली अथवा 100 करोड़ रुपए या अधिक की आस्ति आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बाजार जोखिम को आस्ति देयता अंतर पर निगरानी रखने के लिए गठित आस्ति देयता प्रबंधन समिति को भेजा जाए तथा संबंधित जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई की जाए । दिशानिर्देशों में यह भी अपेक्षा की गई है कि निम्नलिखित जानकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उसके निदेशक बोर्ड के समक्ष नियमित अंतराल पर, जैसाकि इस संबंध में निर्धारित किया गया हो, प्रस्तुत की जाए।; (i)प्रगामी जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में तथा जोखिम प्रबंधन नीति और उसके लिए तैयार की गई रणनीति में की गई प्रगति; और (ii) कंपनी अभिशासन मानदंडों अर्थात् विभिन्न समितियों की संरचना, उनकी भूमिका और कार्य, बैठकों की आवधिकता एवं व्याप्ति तथा समीक्षा कार्यों के अनुपालन की समनुरूपता।

5.58 उक्त के साथ, संबद्ध उधार संबंध के बारे में अनुदेश भी जारी किये गए, जो अन्य बातों के साथ निदेशकों को ऋण सुविधाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशकों या अन्य कंपनियों के निदेशकों के संबंधियों एवं उनके संबंधियों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण और अग्रिमों, ऐसे ऋणों की वसूली के लिए समय-सारणी से संबंधित हैं।

गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाए जाने के बारे में शिकायतें

5.59 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने संबंधी कई शिकायतों को देखते हुए 24 मई 2007 को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिओं को सूचित किया गया है कि वे ब्याज दरें एवं प्रसंसकरण तथा अन्य प्रभारों के निर्माण के लिए उपयुक्त आंतरिक सिद्धांत तथा प्रक्रियाएं बनाएं, भले ही ये ब्याज दरें रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे ऋणों की शर्तों के बारे में पारदर्शिता के बारे में उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी सहित) की रूपरेखा

5.60 रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिसमें जमा लेने वाली गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियां, अवशिष्ट गैर-बैंकिग कंपनियां, पारस्परिक लाभवाली कंपनियां, विविध गैर बैंकिंग कंपनियां और निधि कंपनियां शामिल हैं, की कुल संख्या जून 2006 के अंत के 13,014 से कम होकर जून 2007 के अंत में 12,968 रह गयी (सारणी V.13)। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या जून 2006 के अंत के 428 से घटकर जून 2007 के अंत में 401 रह गई। गिरावट का मुख्य कारण कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा

सारणी V.13: रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या

वर्ष	पंजीकृत गैर-बैं.वि. कंपनियों की संख्या	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी
1	2	3
2000	8,451	679
2001	13,815	776
2002	14,077	784
2003	13,849	710
2004	13,764	604
2005	13,261	507
2006	13,014	428
2007	12,968	401

जमाराशि लेने का कार्य बंद करना था। मार्च 2007 के अंत में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की संख्या तीन पर अपरिवर्तित रही।

5.61 जमा लेनेवाली 401 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से, 362 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने 30 सितम्बर 2007 की कट-ऑफ तारीख तक मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल की । पिछले वर्ष की तुलना में सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद 2006-07 के दौरान उनकी आस्तियों, सार्वजनिक जमाराशियों तथा निवल स्वाधिकृत निधियों में क्रमशः रु.11,452 करोड़, रु. 2,042 करोड़ तथा रु.924 करोड़ की वृद्धि हुई (सारणी V.14)। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां मार्च 2007 के अंत में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल जमाराशियों का 91.7 प्रतिशत थीं, जो पिछले वर्ष के 89.2 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी अधिक थीं। तथापि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का हिस्सा, मार्च 2006 के अंत के 36.7 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में 32.6 प्रतिशत हो गया।

सारणी V.14: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			
	2006		2007 अ	
	गैर बैं.वि.कं.	*जिनमें से :* अवशिष्ट गैर बैं.कं.	गैर बैं.वि.कं.	*जिनमें से :* अवशिष्ट गैर बैं.कं.
1	2	3	4	5
सूचना देनेवाली कंपनियों की सं.	435	3	362 @	3
कुल आस्तियां	59,719	21,891 (36.7)	71,171	23,172 (32.6)
जनता की जमाराशियां	22,623	20,175 (89.2)	24,665	22,622 (91.7)
निवल स्वाधिकृत निधियां	7,677	1,183 (15.4)	8,601	1,366 (15.9)

अ : अनंतिम

* : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी शामिल हैं।

@: 403 में से 362 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने वार्षिक विवरणी फाइल की।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंधित जोड़ का प्रतिशत हैं।

चार्ट V.2: व्यापक चलनिधि (एल3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में एनबीएफसी की सार्वजनिक जमाराशि का हिस्सा

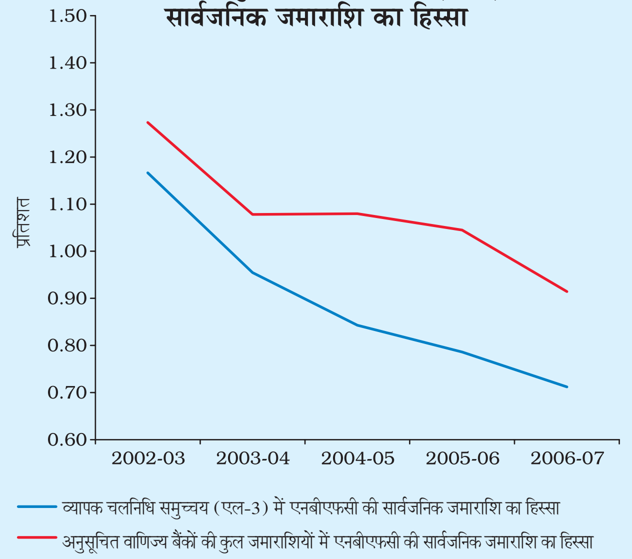

5.62 मार्च 2007 के अंत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रखी गई सार्वजनिक जमाराशियों में वृद्धि के बावजूद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की समग्र जमाराशियों में सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों का अनुपात, मार्च 2006 के अंत के 1.1 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में 0.95 प्रतिशत हो गया। व्यापक चलनिधि समुच्चय (एल $_3$) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों का हिस्सा भी उक्त अवधि के दौरान गिर गया (चार्ट-V.2)।

जमा स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी को छोड़कर) का परिचालन

5.63 2006-07 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी को छोड़कर) की कुल आस्तियों /देयताओं में, 2005-06 के 5.1 प्रतिशत की तुलना में, 26.9 प्रतिशत की काफी उच्च दर पर वृद्धि हुई (सारणी V.15)। वर्ष के दौरान, उधार राशियों, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निधियों का प्रमुख स्रोत है, में 30.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई,जबकि सार्वजनिक जमाराशियों में 16.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो संसाधन जुटाने के स्वरूप में बदलाव को सूचित करता है। आस्तियों के पक्ष में, वर्ष 2006-07 के दौरान किराया खरीद आस्तियों में तेजी से वृद्धि हुई जबकि ऋण तथा अग्रिमों, उपस्कर पट्टा आस्तियों तथा खरीद किए गए/डिस्काउंट किए गए बिलों में गिरावट आई। पूर्णतः गैर-अनुमोदित निवेशों के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुल निवेशों में तेज वृद्धि हुई, जबकि अनुमोदित निवेशों में वर्ष के दौरान गिरावट आई।

सारणी V.15: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़			
			2005-06		2006-07	
	2006	2007अ	वास्तविक	प्रतिशत	वास्तविक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
देयताएं						
1. प्रदत्त पूंजी	1,827 (4.8)	2,289 (4.8)	-379	-17.2	462	25.3
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	5,625 (14.9)	5,969 (12.4)	1,081	23.8	344	6.1
3. जनता की जमाराशि	2,447 (6.5)	2,042 (4.3)	-1,478	37.7	-405	-16.5
4. उधार	24,942 (65.9)	32,563 (67.8)	1,897	8.2	7,621	30.6
5. अन्य देयताएं	2,987 (7.9)	5,136 (10.7)	704	30.8	2,149	72.0
कुल देयताएं/आस्तियाँ	**37,828**	**47,999**	**1,824**	**5.1**	**10,171**	**26.9**
1. निवेश	4,326 (11.4)	7,508 (15.6)	369	9.3	3,182	73.5
i) अनुमोदित प्रतिभूतियां @	292	241	-1,945	-87.0	-51	-17.3
ii) अन्य निवश	4,034	7,267	2,314	134.6	3,232	80.1
2. ऋण और अग्रिम	10,686 (28.2)	10,602 (22.1)	-2,063	-16.2	-84	-0.8
3. किराया खरीद आस्तियां	20,008 (52.9)	26,048 (54.3)	5,608	38.9	6,040	30.2
4. उपस्कर पट्टा-दायी आस्तियां	1,502 (4.0)	1,334 (2.8)	-523	-25.8	-168	-11.2
5. बिल संबंधी कारोबार	44 (0.1)	6 (0.0)	-427	-90.6	-38	-85.7
6. अन्य आस्तियां	1,261 (3.3)	2,500 (5.2)	-1,140	-47.5	1,239	98.3

अ : अनंतिम

@ : अनुसूचित वाणिज्य बैंको के एसएलआर आस्तियों में 'अधिकृत प्रतिभूतियाँ और 'भार-रहित मीयादी जमाराशियाँ' शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत के द्योतक हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणी

5.64 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी समूह में आस्ति वित्त कंपनियों का कुल आस्तियों/देयताओं में सबसे बड़ा हिस्सा (51.5 प्रतिशत) था तथा उसके बाद किराया खरीद कंपनियों (35.7 प्रतिशत), ऋण कंपनियों (8.7 प्रतिशत) तथा निवेश कंपनियों (3.4 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी V.16)। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् उपस्कर पट्टादायी कंपनियों का हिस्सा गिरकर 1 प्रतिशत से नीचे चला गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विभिन्न समूह के सापेक्षिक महत्व ने मोटे तौर पर उनकी उधार राशियों के पैटर्न को दर्शाया क्योंकि उनकी कुल देयताओं में जमाराशियों का हिस्सा थोड़ा (4.3 प्रतिशत) था। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित कुल जमाराशियों में किराया खरीद वित्त कंपनियों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल जमाराशियों में सबसे बड़ा हिस्सा (81.0 प्रतिशत) था तथा उसके बाद 9.1 प्रतिशत के काफी कम हिस्से के साथ आस्ति वित्त कंपनियों का स्थान था।

जमाराशियां

विभिन्न श्रेणी की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों की रूपरेखा

5.65 पिछले साल की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सभी समूह द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों में 2006-07 के दौरान गिरावट आई (सारणी V.17)। उपस्कर पट्टादायी कंपनियों तथा निवेश कंपनियों की जमाराशियों में क्रमशः 73.5 प्रतिशत और 44.1 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि किराया खरीद कंपनियों की जमाराशियों के मामले में गिरावट (18.7 प्रतिशत) पर अपेक्षाकृत कम थी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों का आकार-वार वर्गीकरण

5.66 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियां रु.0.5 करोड़ से कम से लेकर रु. 50 करोड़ से अधिक के दायरे में हैं

सारणी V.16: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की देयता के मुख्य घटक – समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

एनबीएफसी समूह	देयताएं		जमाराशियां		उधार	
	2005-06	2006-07 अ	2005-06	2006-07 अ	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्तपोषण @	–	24,718 (51.5)	–	186 (9.1)	–	19,091 (58.6)
उपस्कर पट्टा	3,497 (9.2)	325 (0.7)	164 (6.7)	43 (2.1)	2,309 (9.3)	128 (0.4)
किराया खरीद	28,845 (76.3)	17,156 (35.7)	2,035 (83.2)	1,654 (81.0)	19,493 (78.2)	10,478 (32.2)
निवेश	1,610 (4.3)	1,633 (3.4)	81 (3.3)	45 (2.2)	697 (2.8)	133 (0.4)
ऋण	3,876 (10.2)	4,167 (8.7)	167 (6.8)	114 (5.6)	2,442 (9.8)	2,733 (8.4)
कुल	**37,828**	**47,999**	**2,447**	**2,042**	**24,942**	**32,563**

अ : अनंतिम – : लागू नहीं

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल में प्रतिशत के द्योतक हैं।

(सारणी V.18)। 2006-07 के दौरान 'रु.20 करोड़ से अधिक तथा रु. 50 करोड़ तक' नामक जमावर्ग को छोड़कर सभी जमा समूहों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या तथा उनके द्वारा धारित जमाराशियों में गिरावट आई। यद्यपि 'रु. 20 करोड़ और अधिक' आकार की जमाराशियों वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या 2005-06 के 13 से घटकर 2006-07 में 11 रह गई, तथापि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित कुल जमाराशियों में उनका हिस्सा 78.3 प्रतिशत से बढ़कर 82.5 प्रतिशत हो गया। 20 करोड़ रुपए से कम जमा आकारवाली शेष 348 कंपनियों के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की कुल सार्वजनिक जमाराशियों का लगभग 18 प्रतिशत था।

सारणी V.17: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियां – समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

एनबीएफसी समूह	मार्च के अंत में				प्रतिशत घट-बढ़
	गैर बैं.वि.कं. की संख्या		जनता की जमाराशियां		
	2006	2007	2006	2007 अ	2006-07
1	2	3	4	5	6
आस्ति वित्तपोषण @	–	72	–	186 (9.1)	–
उपस्कर पट्टा	37	28	164 (6.7)	43 (2.1)	-73.5
किराया खरीद	339	231	2,035 (83.2)	1,654 (81.0)	-18.7
निवेश	5	3	81 (3.3)	45 (2.2)	-44.1
ऋण	51	25	167 (6.8)	114 (5.6)	-32.0
कुल	**432**	**359**	**2,447**	**2,042**	**-16.5**

अ : अनंतिम -:लागू नहीं

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल में प्रतिशत के द्योतक हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी V.18: जमा स्वीकार करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों की सीमा

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि की सीमा	मार्च के अंत में			
	गैर बैं.वि.कं. की संख्या		जमाराशि	
	2006	2007	2006	2007 अ
1	2	3	4	5
1. 0.5 करोड़ रुपए से कम	255	218	39 (1.6)	30 (1.5)
2. 0.5 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	107	89	100 (4.1)	83 (4.1)
3. 2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	42	34	182 (7.4)	152 (7.4)
4. 10 करोड़ रुपए से अधिक और 20 करोड़ रुपए तक	15	7	211 (8.6)	93 (4.6)
5. 20 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	3	4	102 (4.2)	151 (7.4)
6. 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक	10	7	1,813 (74.1)	1,533 (75.1)
कुल (1 से 6)	**432**	**359**	**2,447**	**2,042**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जमाराशि का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित जमाराशियों की क्षेत्रवार संरचना

5.67 पिछले साल की प्रवृत्ति का अनुकरण करते हुए, सभी क्षेत्रों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों में 2006-07 के दौरान गिरावट आई (सारणी V.19)। पिछले साल की तरह, दक्षिणी क्षेत्र के पास जमाराशियों का सबसे बड़ा हिस्सा (79.3 प्रतिशत) था तथा उसके बाद उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र का स्थान था। वर्ष के दौरान उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या गिरकर शून्य हो गई। महानगरों के बीच जमाराशियों की कुल धारित राशि के रूप में चेन्नै सर्वोच्च स्थान पर था, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या के रूप में दिल्ली का प्रथम स्थान था।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के पास रखी गई सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज दर

5.68 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 10 प्रतिशत दर की ब्याज दरों पर संविदाकृत जमाराशियों का हिस्सा बढ़ गया (83.6 प्रतिशत से बढ़कर 89.5 प्रतिशत), जबकि अन्य ब्याज दरों पर संविदाकृत जमाराशियों में वर्ष के दौरान गिरावट आई (सारणी V.20)।

सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप

5.69 वर्ष के दौरान 2 वर्ष तक तथा 3-5 वर्षों के बीच की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों में गिरावट आई। मार्च 2007 के अंत में '2 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक' की परिपक्वता अवधिवाली जमाराशियों में थोड़ी वृद्धि हुई जबकि '5 वर्ष और अधिक' की परिपक्वता अवधिवाली जमाराशियों में मार्च 2007 के अंत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फलस्वरूप, कुल जमाराशियों में उनका हिस्सा बढ़ गया (सारणी V.21)।

सारणी V.19: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशि - क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2006		2007 अ	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
1. मध्य	63	34 (1.4)	59	27 (1.3)
2. पूर्वी	12	59 (2.4)	8	21 (1.0)
3. उत्तर-पूर्वी	1	0 (0.0)	0	0 (0.0)
4. उत्तरी	215	333 (13.6)	191	288 (14.1)
5. दक्षिणी	114	1,917 (78.3)	78	1,620 (79.3)
6. पश्चिमी	27	104 (4.2)	23	86 (4.2)
कुल (1 से 6)	**432**	**2,447**	**359**	**2,042**
ज्ञापन :				
महानगरीय क्षेत्र :				
1. मुंबई	13	94	10	78
2. चेन्नई	69	1,740	41	1,516
3. कोलकाता	9	46	6	21
4. नई दिल्ली	73	240	69	219
कुल (1 से 4)	**164**	**2,120**	**126**	**1,834**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी V.20: ब्याज दर के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की जनता की जमाराशियों का वितरण

(राशि करोड़ रुपए में)

ब्याज दायरा	मार्च के अंत में	
	2006	2007 अ
1	2	3
10 प्रतिशत तक	2,047	1,828
	(83.6)	(89.5)
10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक	318	195
	(13.0)	(9.6)
12 प्रतिशत और उससे अधिक	82	19
	(3.4)	(0.9)
कुल	**2,447**	**2,042**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जमाराशि का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

5.70 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की '1 से 3 वर्ष तक' की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर दी जानेवाली अधिकतम ब्याज दर तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उसी परिपक्वता वाली जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दर के बीच का अंतर, मार्च 2006 के अंत के 4.25 प्रतिशत अंक से गिरकर मार्च 2007 के अंत में 1.5 प्रतिशत अंक रह गया (सारणी V.22)। तथापि 24 अप्रैल 2007 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 12.50 प्रतिशत कर दी गई जिसके चलते अंतर बढ़कर 3.00 प्रतिशत अंक हो गया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा उधार

5.71 2006-07 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ली गई उधार राशियों के बकायों में 30.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

सारणी V.21: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि का परिपक्वता स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

परिपक्वता अवधि @	मार्च के अंत में	
	2006	2007 अ
1	2	3
1. एक वर्ष से कम	878	695
	(35.9)	(34.1)
2. एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	648	473
	(26.5)	(23.2)
3. 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	559	560
	(22.8)	(27.4)
4. 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	360	234
	(14.7)	(11.4)
5. 5 वर्ष और उससे अधिक	3	80
	(0.1)	(3.9)
कुल	**2,447**	**2,042**

अ : अनंतिम
@ : बकाया जमाराशियों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि पर आधारित।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी 22: बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों पर ब्याज दर में अंतर

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
1. सरकारी क्षेत्र के बैंक की 1-3 वर्ष की परिपक्वता वाली जमाराशि पर अधिकतम ब्याज दर	8.50	6.75	6.75	6.50	6.75	9.50
2. गैर बैं.वि.कं.की ब्याज दर सीमा	12.50	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
3. अंतर (स्प्रेड) (2-1)	4.00	4.25	4.25	4.50	4.25	1.50

(सारणी V.23)। उपस्कर पट्टादायी और किराया खरीद कंपनियों तथा निवेश कंपनियों द्वारा उधार ली गई राशियों में गिरावट आई, जो अंशतः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वर्गीकरण को दर्शाता है, जबकि ऋण कंपनियों की उधार राशियों में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधार राशियों का सबसे बड़ा हिस्सा आस्ति वित्त कंपनियों के पास था तथा उसके बाद किराया खरीद कंपनियों का स्थान था।

5.72 2006-07 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बाह्य स्रोतों से तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ली गई उधार राशियों में क्रमशः 95.9 प्रतिशत तथा 52.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई (सारणी V.24)। वर्ष के दौरान अन्य स्रोतों से ली गई उधार राशियों में 39.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि सरकार से ली गई उधार

सारणी V.23: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधारी-समूह-वार

(एनबीएफसी समूह)

एनबीएफसी समूह	मार्च के अंत में				प्रतिशत अंतर
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या		कुल उधारी		
	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006-07
1	2	3	4	5	6
आस्ति वित्त @	–	72	–	19,091	–
				(58.6)	
उपस्कर पट्टा	37	28	2,309	128	-94.4
			(9.3)	(0.4)	
किराया खरीद	339	231	19,493	10,478	-46.2
			(78.2)	(32.2)	
निवेश कंपनियां	5	3	697	133	-80.9
			(2.8)	(0.4)	
ऋण कंपनियां	51	25	2,442	2,732	11.9
			(9.8)	(8.4)	
कुल	**432**	**359**	**24,942**	**32,563**	**30.6**

अ : अनंतिम -: लागू नहीं
@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल उधारी में प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी V.24: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के उधारी के स्रोत – समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

एनबीएफसी समूह	मार्च के अंत में											
	सरकारी		बाह्य स्रोत #		बैंक और वित्तीय संस्थाएँ		डिबेंचर		अन्य		कुल	
	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006	2007 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आस्ति वित्त @	..	..	..	975	..	9,148	..	5,808	..	3,159	..	19,091
उपस्कर पट्टा	–	–	284	–	1,404	39 (-97.2)	338	–	283	89 (-68.6)	2,309	128 (-94.4)
किराया खरीद	–	–	329	225 (-31.4)	7,113	4,203 (-40.9)	7,165	1,847 (-74.2)	4,886	4,203 (-14.0)	19,493	10,478 (-46.2)
निवेश	533	–	–	–	–	– (84.0)	9	7 (-22.1)	155	126 (-18.7)	697	133 (-80.2)
ऋण	110	25 (-77.0)	–	– –	1,263	1,531 (21.3)	930	1,115 (20.0)	141	61 (-56.9)	2,442	2,732 (-11.9)
कुल	**643**	**25 (-96.1)**	**613**	**1,201 (95.9)**	**9,779**	**14,923 (52.6)**	**8,442**	**8,777 (4.0)**	**5,465**	**7,637 (39.8)**	**24,942**	**32,563 (30.6)**

अ : अनंतिम .. : उपलब्ध नहीं। – : लागू नहीं / नगण्य

@ : इसमें (i) विदेशी सरकार (ii) विदेशी प्राधिकरण और (iii) विदेशी नागरिक या व्यक्ति शामिल है।

: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में घट-बढ़ के द्योतक हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

राशियों में 2006-07 के दौरान तीव्र गिरावट आई। सरकार से ली गई उधार राशियों का संबंध दक्षिण क्षेत्र में कार्यरत राज्य द्वारा स्वाधिकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियां

5.73 उपस्कर पट्टादायी तथा किराया खरीद कंपनियों की आस्तियों में आई गिरावट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वर्गीकरण को प्रतिबिंबित करती है। वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम तथा निवेश में वृद्धि हुई। उपस्कर पट्टादायी तथा किराया खरीद कंपनियों के कुल अग्रिमों और निवेशों में आई तेज गिरावट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वर्गीकरण को प्रतिबिंबित करता है (सारणी V.25)। मार्च 2007 के अंत में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए गए कुल ऋण और अग्रिमों का 55 प्रतिशत तथा निवेशों का 32 .1 प्रतिशत आस्ति वित्त कंपनियों द्वारा धारित किया गया था।

सारणी V.25: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों के मुख्य घटक - समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

एनबीएफसी समूह	मार्च के अंत में					
	आस्तियां		अग्रिम		निवेश	
	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006	2007 अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त @	–	24,718 (51.5)	–	20,882 (55.0)	–	2,413 (32.1)
उपस्कर पट्टा	3,497 (9.2)	325 (0.7)	3,150 (9.8)	252 (0.7)	366 (8.5)	56 (0.7)
किराया खरीद	28,845 (76.3)	17,156 (35.7)	25,479 (79.0)	14,572 (38.4)	2,068 (47.8)	1,722 (22.9)
निवेश	1,610 (4.3)	1,633 (3.4)	620 (1.9)	498 (1.3)	968 (22.4)	1,110 (14.8)
ऋण	3,876 (10.2)	4,167 (8.7)	2,992 (9.3)	1,787 (4.7)	924 (21.4)	2,207 (29.4)
कुल	**37,828**	**47,999**	**32,241**	**37,991**	**4,326**	**7,508**

अ : अनंतिम – : लागू नहीं

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत के द्योतक हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी V.26: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी – आस्ति आकार के अनुसार

(राशि करोड़ रुपए में)

आस्ति आकार	मार्च के अंत में			
	सूचना देने वाली कंपनियों की सं.		आस्तियां	
	2006	2007 अ	2006	2007 अ
1	2	3	4	5
1. 0.25 करोड़ रुपए से कम	10	8	1 (0.0)	1 (0.0)
2. 0.25 करोड़ रुपए से अधिक और 0.50 करोड़ रुपए तक	35	28 (0.0)	13 (0.0)	11
3. 0.50 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	187	155	215 (0.6)	176 (0.4)
4. 2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	119	97	551 (1.5)	418 (0.9)
5. 10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	48	43	1,127 (3.0)	1,024 (2.1)
6. 50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक	7	5	473 (1.3)	339 (0.7)
7. 100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक	12	8	2,362 (6.2)	1,598 (3.3)
8. 500 करोड़ रुपए से अधिक	14	15	33,085 (87.5)	44,433 (92.6)
कुल (1 से 8)	**432**	**359**	**37,828**	**47,999**

अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

आस्तियों के आकार के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वितरण

5.74 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियो के आकार में भारी अंतर होता है और यह राशि 25 लाख रुपसे से कम से लेकर 500 करोड़ रुपए से अधिक के दायरे में होती है। सूचना देनेवाली कंपनियों की संख्या में आई कमी (मार्च 2006 के अंत में 432 से मार्च 2007 के अंत में 359) का कारण सभी आस्तियों के दायरों मेें आने वाली कंपनियों की संख्या में, '500 करोड़ रुपए से अधिक श्रेणी की कंपनियों' को छोड़कर, कमी आना था। आस्ति धारिता के स्वरूप में काफी असमानताएं थीं। मार्च 2007 के अंत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का 92.6 प्रतिशत हिस्सा '500 करोड़ रुपए से अधिक' आस्ति आकार वाली 15 कंपनियों के पास था जबकि 344 एनबीएफसी के पास कुल आस्तियों का 7.4 प्रतिशत हिस्सा ही था (सारणी V.26)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों का वितरण - कार्यकलापों के प्रकार

5.75 वर्ष 2006-07 के दौरान निवेश, उपस्कर तथा पट्टा तथा अन्य आस्तियों के रूप में धारित आस्तियों में भारी वृद्धि हुई जबकि किराया खरीद के रूप में धारित आस्तियों में वृद्धि की दर कम रही। वर्ष के दौरान ऋण तथा बिल के रूप में धारित आस्तियों में कमी का रूख जारी रहा। एनबीएफसी की कुल आस्तियों में से किराया खरीद कार्यकलापों में धारित आस्तियों का हिस्सा सबसे अधिक (54.3 प्रतिशत) था, इसके बाद ऋण तथा अंतर कार्पोरेट जमाराशि (22.1 प्रतिशत), निवेश (15.6 प्रतिशत) तथा उपस्कर पट्टा (1.5 प्रतिशत) का हिस्सा था (सारणी V.27)।

सारणी V.27: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों का कार्यकलाप-वार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए में)

कार्यकलाप	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2006	2007 अ	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5
1. ऋण और अंतर - कंपनी जमा	10,686 (28.2)	10,602 (22.1)	-27.8	-0.8
2. निवेश	4,326 (11.4)	7,508 (15.6)	-9.3	73.5
3. किराया खरीद	20,008 (52.9)	26,048 (54.3)	38.1	30.2
4. उपस्कर और पट्टा	617 (1.6)	726 (1.5)	-21.3	17.7
5. बिल	44 (0.1)	6 (0.0)	-90.5	-85.7
6. अन्य आस्तियाँ	2,146 (5.7)	3,108 (6.5)	-39.1	44.8
कुल (1 से 6)	**37,828**	**47,999**	**-1.2**	**26.9**

अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

5.76 वर्ष 2006-07 के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य कार्य-निष्पादन में भारी सुधार हुआ। यह सुधार पूर्णतया निधि आधारित आय (26.6 प्रतिशत) में भारी वृद्धि के चलते हुआ जिसने परिचालन व्यय (33.1 प्रतिशत) तथा वित्तीय व्यय (30.00 प्रतिशत) में हुई भारी वृद्धि के असर को कम किया। इसके परिणामस्वरूप, परिचालन लाभ में 12.7 प्रतिशत तथा निवल लाभ में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आय की तुलना में लागत के अनुपात में सामान्य वृद्धि हुई (2005-06 के 81.6 प्रतिशत से 2006-07 में 83.5 प्रतिशत) (सारणी V.28)।

5.77 आस्तियों के प्रतिशत के रूप में आय में थोड़ी कमी आई जबकि आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय (प्रावधान सहित) में थोड़ी वृद्धि हुई, जिसके चलते आस्ति की तुलना में निवल लाभ के अनुपात में कमी आई। 2005-06 में आस्ति की तुलना में निवल लाभ के अनुपात में वृद्धि और हाल के वर्षों में इसमें आई कमी की प्रवृत्ति के बाद 2006-07 में पुन: इसमें बदलाव आया (चार्ट V.3)।

सारणी V.28: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2006	2007 P	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**4,599**	**5,770**	**-0.1**	**25.4**
(i) निधि आधारित	4,453	5,635	5.3	26.6
	(96.8)	(97.7)		
(ii) शुल्क आधारित	147	134	-61.2	-8.3
	(3.2)	(2.3)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**3,753**	**4,816**	**13.0**	**28.3**
(i) वित्तीय	2,144	2,787	0.3	30.0
	(57.1)	(57.9)		
जिसमें से :				
ब्याज भुगतान	541	540	–	-0.2
(ii) परिचालन	945	1,257	31.6	33.1
	(25.2)	(26.1)		
(iii) अन्य	664	772		16.2
	(17.7)	(16.0)		
ग. कर प्रावधान	**291**	**388**	**-17.6**	**33.3**
घ. परिचालन लाभ (करपूर्व लाभ)	**847**	**954**	**-52.1**	**12.7**
ङ निवल लाभ (करोत्तर लाभ)	**556**	**566**	**-73.4**	**1.8**
च. कुल आस्तियाँ	**37,828**	**47,999**	**-1.2**	**26.9**
छ. वित्तीय अनुपात*				
i) आय	12.2	12.0		
ii) निधि आय	11.8	11.7		
iii) शुल्क आय	0.4	0.3		
iv) व्यय	9.9	10.0		
v) वित्तीय व्यय	5.7	5.8		
vi) परिचालन व्यय	2.5	2.6		
vii) कर प्रावधान	0.8	0.8		
viii) निवल लाभ	1.5	1.2		
ज. आय की तुलन में लागत का अनुपात	**81.6**	**83.5**		

* : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

चार्ट V.3: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

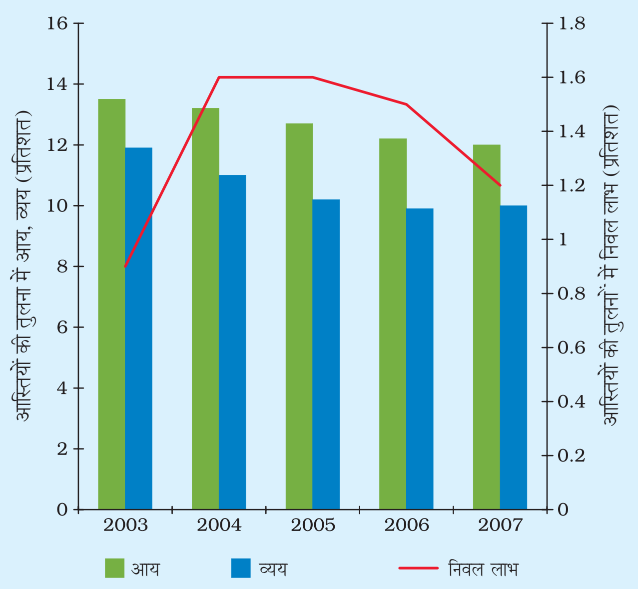

मजबूती के संकेतक

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्ति गुणवत्ता

5.78 पिछले कुछ वर्षों की तरह मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान सूचना देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल अनर्जक आस्तियों (सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) तथा निवल अनर्जक आस्तियों में (निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) और कमी दर्ज की गई (सारणी V.29)।

5.79 वर्ष 2006-07 के दौरान उपस्कर पट्टा और निवेश कंपनियों की सकल अनर्जक आस्तियों में (सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) वृद्धि हुई जबकि ऋण कंपनियों और किराया खरीद कंपनियों की

सारणी V.29: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियां

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3
2001	11.5	5.6
2002	10.6	3.9
2003	8.8	2.7
2004	8.2	2.4
2005	5.7	2.5
2006	3.6	0.5
2007 अ	1.9	0.4

अ : अनंतिम
स्रोत : छमाही विवरणियां।

सारणी V.30: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियाँ - समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गिकरण - मार्च के अंत में	सकल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ			निवल अग्रिम	निवल अनर्जक आस्तियाँ		
		राशि	सकल अग्रिम के प्रतिशत में	जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत में		राशि	सकल अग्रिम के प्रतिशत में	जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आस्ति वित्त @								
2007 अ	11,799	258	2.2	2.1	11,525	-15	-0.1	-0.1
उपस्कर पट्टा								
2005	4,187	514	12.3	11.0	4,018	345	8.6	7.4
2006	2,878	69	2.4	2.2	2,786	-23	-0.8	-0.7
2007 अ	1,035	41	4.0	3.7	973	-21	-2.1	-1.9
किराया खरीद								
2005	15,900	610	3.8	3.6	15,544	253	1.6	1.5
2006	17,607	444	2.5	2.4	17,238	74	0.4	0.4
2007 अ	18,079	321	1.8	1.6	17,842	83	0.5	0.4
निवेश								
2005	58	10	18.0	1.8	58	10	18.0	1.8
2006	59	0	0.4	0.0	59	0	0.4	0.0
2007 अ	31	1	2.8	0.1	31	1	2.8	0.1
ऋण								
2005	1,955	117	6.0	5.1	1,772	-65	-3.7	-2.8
2006	690	252	36.5	19.3	483	45	9.3	3.4
2007 अ	7,551	94	1.2	4.6	7,548	91	1.2	4.4

अ : अनंतिम

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालापों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

स्रोत : रिपोर्ट करनेवाली गै.बं.वि. कंपनियों की छमाही विवरणियां।

अनर्जक आस्तियों में कमी आई। उपस्कर पट्टा और ऋण कंपनियों के मामलों में निवल अनर्जक आस्तियों (निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) में भी कमी दर्ज की गई (सारणी V.30)।

5.80 जैसा कि अनर्जक आस्तियों की विभिन्न श्रेणियों (अवमानक, संदिग्ध और हानि) से ज्ञात होता है, ऋण कंपनियों को छोड़कर जिनकी अनर्जक आस्तियों में सभी श्रेणियों में उल्लेखनीय कमी हुई, विभिन्न प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता मोटे तौर पर पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रही (सारणी V.31)।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

5.81 जाखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) संबंधी मानदंड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 1998 से लागू किए गए जिसके अनुसार जमाराशि स्वीकार करने वाली प्रत्येक एनबीएफसी को सकल जोखिम भारित आस्तियों और तुलन पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य की 12 प्रतिशत (जमाराशि लेने वाली रेटिंग न की गई ऋण/निवेश कंपनियों के मामलों में 15 प्रतिशत) से अन्यून राशि न्यूनतम पूंजी टियर I तथा टियर II के रूप में रखना आवश्यक है। टियर II पूंजी की कुल राशि किसी भी समय टियर I पूंजी की राशि के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामक सीआरएआर से कम पूंजी अनुपात वाली एनबीएफसी की संख्या जो मार्च 2006 के अंत में 37 थी, घटकर मार्च 2007 के अंत में 13 हो गई (सारणी V.32)। मार्च 2006 के अंत में 401 में से 364 एनबीएफसी का और मार्च 2007 के अंत में 332 में से 319 एनबीएफसी का सीआरएआर 12 प्रतिशत अथवा उससे अधिक था। 30 से अधिक सीआरएआर वाली एनबीएफसी की संख्या भी जो मार्च 2006 के अंत में 304 थी, घटकर मार्च 2007 के अंत में 275 रह गई।

5.82 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) उनकी चुकता पूंजी तथा मुक्त रिज़र्व की कुल राशि होती है, जिसमें से निम्नलिखित राशि घटाई जाती है - (i) संचित हानि की राशि; तथा (ii) (क)अनुषंगी कंपनियों, (ख) उसी समूह की कंपनियों तथा (ग) अन्य एनबीएफसी (स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक) के शेयरों में निवेश तथा उन्हें दिए गए ऋण और अग्रिमों के समायोजन के बाद उपलब्ध आस्थगित राजस्व व्यय और अन्य अमूर्त आस्तियां, यदि काई हों। निवल स्वाधिकृत निधि से संबंधित सूचना सीआरएआर संबंधी सूचना की पूरक होती है। उपस्कर पट्टा कंपनियों के मामले में निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की तुलना में जनता

सारणी V.31: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वर्गीकरण-समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

गै.बै.वि.कं. समूह मार्च के अंत में	मानक आस्तियां		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां		सकल अनर्जक आस्तियां		सकल अग्रिम
	राशि	सकल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत	राशि	सकल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत	राशि	सकल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत	राशि	सकल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत	राशि	सकल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्ति वित्त @											
2007 P	11,540	97.8	241	2.0	15	0.1	2	0.0	258	2.2	11,799
उपस्कर पट्टा											
2005	3,673	87.7	383	9.1	91	2.2	39	0.9	514	12.3	4,187
2006	2,809	97.6	12	0.4	21	0.7	36	1.2	69	2.4	2.878
2007 अ	994	96.0	4	0.4	2	0.2	35	3.4	41	4.0	1.035
किराया खरीद											
2005	15,290	96.2	386	2.4	130	0.8	94	0.6	610	3.8	15,900
2006	28,170	97.5	184	0.6	47	0.3	212	0.8	444	1.6	17.607
2007 अ	17,759	98.4	185	1.0	51	0.3	85	0.5	321	1.8	18.079
निवेश											
2005	48	82.8	1	1.7	10	17.2	0	0.0	10	17.2	58
2006	59	99.6	0	0.0	0	0.2	0	0.2	0	0.4	59
2007 अ	31	97.2	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	2.8	31
ऋण											
2005	1,837	94.0	14	0.7	42	2.1	61	3.1	117	6.0	1,955
2006	438	63.5	19	2.7	99	14.3	134	19.4	252	36.5	690
2007 अ	6,913	98.7	9	0.1	78	1.1	8	0.1	94	1.3	7.551

अ : अनंतिम

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

स्रोत : रिपोर्टिंग करनेवाली गै.बं.वि. कंपनियों की छमाही विवरणियां।

की जमाराशि के अनुपात में मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष में काफी कमी आई जबकि अन्य श्रेणी की कंपनियों के मामले में यह अनुपात लगभग पिछले वर्ष के स्तर के आसपास रहा। उपस्कर पट्टा कंपनियों के संबंध में ऋणात्मक निवल स्वाधिकृत निधि के कारण यह अनुपात ऋणात्मक रहा। मार्च 2007 के अंत में सभी एनबीएफसी का निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में जनता की जमाराशि का अनुपात 0.3

सारणी V.32 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(प्रतिशत)

सीआरएआरसी विस्तार सीमा	मार्च के अंत में								
	2006				2007 अ				
	उ.प.	कि.ख.	ऋण कं./नि.क.	कुल	आ.वि.कं.	उ.प.	कि.ख.	ऋण कं./नि.क.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) 12 प्रतिशत से कम (क+ख)	8	23	6	37	0	3	10	0	13
क. 9 प्रतिशत से कम	8	23	6	37	0	3	10	0	13
ख. 9 प्रतिशत से अधिक तथा 12 प्रतिशत तक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 12 प्रतिशत से अधिक तथा 15 प्रतिशत तक	0	3	0	3	2	0	2	0	4
3) 15 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक	0	11	0	11	2	1	7	1	11
4) 20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक	5	36	5	46	1	2	21	5	29
5) 30 प्रतिशत और उससे अधिक	24	257	23	304	36	19	200	20	275
जोड़	**37**	**330**	**34**	**401**	**41**	**25**	**240**	**26**	**332**

अ : अनंतिम

टिप्पणी : आ.वि.कं. : आस्ति वित्त कंपनी; उ.प. - उपस्कर पट्टा; कि.ख. - किराया खरीद; ऋण कं./नि.क. - ऋण कंपनी / निवेश कंपनी

स्रोत : छमाही विवरणियां।

सारणी V.33 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की जनता की जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि – समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

गै.बैं.कं.वि. समूह	निवल स्वाधिकृत निधियां		जनता की जमाराशियां		निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में जनता की जमाराशियों का अनुपात	
	2005-06	2006-07 अ	2005-06	2006-07 अ	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7
1. आस्ति वित्त @	–	2,673	–	186	–	0.1
2. उपस्कर पट्टा	542	-15	164	43	0.3	-2.9
3. किराया खरीद	4,106	3,159	2,035	1,654	0.5	0.5
4. निवेश	766	822	81	45	0.1	0.1
5. ऋण	1,080	596	167	114	0.2	0.2
जोड़ (1से 5)	**6,494**	**7,235**	**2,447**	**2,042**	**0.4**	**0.3**

अ : अनंतिम – : लागू नहीं

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां

प्रतिशत था जबकि मार्च 2006 के अंत में यह अनुपात 0.4 प्रतिशत था (सारणी V.33)।

5.83 एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा 25 लाख रुपए से कम से लेकर 500 करोड़ रुपए से अधिक तक है। '50 करोड़ रुपए से अधिक तथा 100 करोड़ रुपए तक' की निवल स्वाधिकृत निधि श्रेणी की एनबीएफसी द्वारा धारित जनता की जमाराशि में एनओएफ के गुणक के रूप में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि निवल स्वाधिकृत निधि के अन्य दायरे की एनबीएफसी द्वारा धारित जमाराशि में सामान्यतः कमी आई। (सारणी V.34)।

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)

5.84 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन आरएनबीसी की आस्तियों में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भार-रहित अनुमोदित

सारणी V.34 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की जनता की जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा

(राशि करोड़ रुपए में)

निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	मार्च के अंत में					
	2006			2007 P		
	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	जनता की जमा राशियां	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	जनता की जमा राशियां
1	2	3	4	5	6	7
1. 0.25 करोड़ रुपए तक	26	-387 -(0.3)	113	17	-279 -(0.5)	146
2. 0.25 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	295	208 (0.7)	140	243	171 (0.6)	96
3.2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	73	316 (0.6)	180	62	284 (0.5)	129
4. 10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	21	486 (0.9)	417	21	473 (0.6)	268
5. 50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक	3	224 (0.0)	5	2	125 (0.4)	45
6. 100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक	9	2,095 (0.4)	877	8	1,729 (0.4)	686
7. 500 करोड़ रुपए से अधिक	5	3,552 (0.2)	716	6	4,733 (0.1)	671
जोड़	**432**	**6,494 (0.4)**	**2447**	**359**	**7,235 (0.3)**	**2,042**

अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जनता की जमाराशियां हैं जो निवल स्वाधिकृत निधि के गुणज के रूप में हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां

सारणी V.35: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों की रूपरेखा (प्रोफाइल)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत में	
	2006	2007 अ	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
क. आस्तियां (i से v)	**21,891**	**23,172**	**14.9**	**5.9**
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2,346	3,317	15.2	41.4
(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मियादी जमाराशि/ जमा प्रमाणपत्र में निवेश	6,090	5,604	24.9	-8.0
(iii) सरकारी कंपनी/सरकारी क्षेत्र बैंक/सरकारी वित्त संस्था/निगम के बांड / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्र	9,577	11,700	3.8	22.2
(iv) अन्य निवेश	1,658	1,156	1.2	-30.3
(v) अन्य आस्तियाँ	2,220	1,395	72.7	-37.2
ख. निवल स्वाधिकृत निधि	**1,183**	**1,366**	**11.1**	**15.5**
ग. कुल आय (i + ii)	**1,620**	**1,893**	**5.7**	**16.9**
(i) निधि आय	1,616	1,886	5.6	16.7
(ii) शुल्क आय	3	8	50.0	166.7
घ. कुल व्यय (i + ii+iii)	**1,439**	**1,648**	**3.1**	**14.5**
(i) वित्तीय लागत	1,165	1,230	-0.9	5.5
(ii) परिचालन लागत	159	284	8.9	78.6
(iii) अन्य लागत	114	134	55.4	17.5
ङ. कराधान	**22**	**44**	**-54.2**	**100.0**
च. परिचालन लाभ (कर पूर्व लाभ)	**180**	**246**	**32.4**	**36.7**
छ. निवल लाभ (कर के बाद लाभ)	**158**	**201**	**79.5**	**27.1**

अ : अनंतिम

स्रोत : वार्षिक विवरणियां

प्रतिभूतियों तथा बांडों/डिबेंचरों के रूप में स्थित उनकी आस्तियों में तेज वृद्धि हुई जबकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में मीयादी जमाराशि/जमा प्रमाणपत्र तथा अन्य लिखतों में किए गए निवेश के रूप में स्थित आस्तियों में कमी आई। वर्ष 2006-07 के दौरान आरएनबीसी की निवल स्वाधिकृत निधि में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी V.35)।

5.85 वर्ष 2006-07 के दौरान आरएनबीसी की आय में हुई वृद्धि व्यय में हुई वृद्धि से अधिक थी जिसके चलते आरएनबीसी के परिचालन लाभ में बढ़ोत्तरी हुई। कर के लिए प्रावधान की राशि में भी तेज वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, आरएनबीसी की निवल आय में 2005-06 के दौरान केवल 79.5 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में केवल 27.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) की जमाराशियों का क्षेत्रीय स्वरूप (पैटर्न)

5.86 तीन आरएनबीसी में से दो पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता) में और एक केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है। पूर्वी क्षेत्र की आरएनबीसी द्वारा धारित जनता की जमाराशियों में थोड़ी कमी आई जबकि केंद्रीय क्षेत्र की आरएनबीसी द्वारा धारित जनता की जमाराशियों में सामान्य वृद्धि हुई। चार महानगरों में से केवल एक महानगर अर्थात् कोलकाता में आरएनबीसी के पास जनता की जमाराशियां थीं (सारणी V.36)।

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) के निवेश का स्वरूप

5.87 अवशिष्ट गैर बैंकिंग (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1987 में यथा विनिर्दिष्ट आरएनबीसी के निवेश के स्वरूप की 31 मार्च 2006 को पुनरीक्षा की गई और उसे आशोधित दिया गया। जमाकर्ता के प्रति सकल देयता (एएलडी) को दो शीर्षों में बांटा गया अर्थात 31 दिसंबर 2005 को जमाकर्ता के प्रति देयता (एएलडी) और वृद्धिशील एएलडी। वृद्धिशील एएलडी जमाकर्ताओं के प्रति वह देयता है जो 31 दिसंबर 2005 को जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की सकल राशि से अधिक हो। आरएनबीसी को सूचित गया कि वे 1 अप्रैल 2006 से 31 दिसंबर 2005 की स्थिति के अनुसार, एएलडी के 95 प्रतिशत से अन्यून राशि और संपूर्ण वृद्धिशील एएलडी राशि का निवेश यथा विनिर्दिष्ट विधि से करें। आरएनबीसी को यह भी सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2007 को तथा आगे एएलडी की संपूर्ण राशि का निवेश एकमात्र निदेशित निवेशों में ही करें और उन्हें अपने विवेक के अनुसार निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

सारणी V.36: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित जनता की जमाराशियां - क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2006		2007 अ	
	अ.गै.बैं.कं.की संख्या	राशि	अ.गै.बैं.कं.की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
1. उत्तरी	–	–	–	–
2. उत्तर-पूर्वी	–	–	–	–
3. पूर्वी	2	4,614 (23)	2	4,514 (20)
4. मध्य	1	15,561 (77)	1	18,108 (80)
5. पश्चिमी	–	–	–	–
6. दक्षिणी	–	–	–	–
कुल (1 से 6)	**3**	**20,175**	**3**	**22,622**
ज्ञापन :				
महानगरीय क्षेत्र:				
1. मुंबई	–	–	–	–
2. चेन्नै	–	–	–	–
3. कोलकाता	2	4,614	2	4,514
4. नई दिल्ली	–	–	–	–
कुल (1 से 4)	**2**	**4,614**	**2**	**4,514**

– : शून्य / नगण्य अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां

5.88 वर्ष 2006-07 में एएलडी में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान एएलडी के अभिनियोजन का स्वरूप आमतौर पर अपरिवर्तित रहा (सारणी V.37) ।

जमाराशि स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ)

5.89 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए जमाराशि स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण 173 एनबीएफसी (100 करोड़ रुपए से अधिक के आस्ति आकारवाली) से प्राप्त विवरणियों पर आधारित सूचना से प्रकट होता है कि मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के बाद उनकी देयता/आस्ति में 26.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बड़ी आकार वाली एनबीएफसी के लिए निधियों का सबसे बड़ा स्रोत गैर-जमानती ऋणों का था, इसके पश्चात जमानती ऋण और रिज़र्व तथा अधिशेष का। यह प्रवृत्ति जून 2007 को समाप्त तिमाही के दौरान जारी रही (सारणी V.38)।

उधार

5.90 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी -एनडी-एसआइ की कुल उधार राशि (जमानती और गैर जमानती) 21.4 प्रतिशत बढ़कर 2,11,986 करोड़ रुपए हो गई जो उनकी कुल देयता का 66.7 प्रतिशत है। जून 2007 को समाप्त तिमाही के दौरान देयताओं में 6.4 प्रतिशत (सारणी V.39) की और वृद्धि हुई।

निधियों का उपयोग

5.91 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान बड़ी आकार वाली एनबीएफसी द्वारा निधियों के उपयोग के स्वरूप से पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण विविधता का पता चलता है। 2005-06 के दौरान आस्ति पक्ष में एकल बृहदाकार मद के रूप में गैर जमानती उधारियाँ (38.4 प्रतिशत) थीं और 2006-07 में आस्ति पक्ष में बृहदाकार मद के रूप में जमानती उधारियां (41.5 प्रतिशत) थीं और इसके पश्चात गैर जमानती उधारियों और दीर्घावधि निवेश का स्थान था। यह प्रवृत्ति जून 2007 को समाप्त तिमाही के दौरान भी जारी रही (सारणी V.40) ।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

5.92 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी -एनडी-एसआइ कंपनियों ने 7460 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जो पिछले

सारणी V.37: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों का निवेश ढाँचा

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयताओं में प्रतिशत	
	2006	2007 P	2006	2007 अ
1	2	3	4	5
क. जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयताएं (एएलडी)	**20,175**	**22,622**	**100.0**	**100.0**
ख. निवेश (i से iv)	**19,671**	**21,777**	**97.5**	**96.3**
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	2,346	3,317	11.6	14.7
(ii) बैंकों में सावधि जमा	6,090	5,604	30.2	24.8
(iii) सरकारी कं./सरकारी क्षेत्र के बैंक/सरकारी वित्तीय संस्था/निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	9,577	11,700	47.5	51.7
(iv) अन्य निवेश	1,658	1,156	8.2	5.1

अ : अनंतिम

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी V.38: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताएँ

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	को समाप्त					
	मार्च 2006		मार्च 2007		जून 2007	
	राशि	कुल आस्ति मे प्रतिशत	राशि	कुल आस्ति मे प्रतिशत	राशि	कुल आस्ति मे प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
कुल देयताएँ	**2,50,765**	**100.0**	**3,17,898**	**100.0**	**3,38,133**	**100.0**
जिसमें से :						
क) चुकता पूंजी	17,548	7.0	18,904	5.9	20,659	6.1
ख)अधिमान शेयर	1,633	0.7	2,192	0.7	2,269	0.7
ग) आरक्षित निधि और अधिशेष	39,100	15.6	52,090	16.4	57,246	16.9
घ) जमानती ऋण	71,509	28.5	93,765	29.5	94,853	28.1
ङ) बेजमानती ऋण	1,03,086	41.1	1,18,221	37.2	1,26,018	37.3

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणियां

वर्ष मार्च 2006 में अर्जित लाभ (4301 करोड़ रुपए) की तुलना में 73.4 प्रतिशत अधिक था जो आंशिक रूप से प्रदर्शित करता था कि इस श्रेणी के अंतर्गत कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है (सारणी V.41)।

5.93 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान बृहदाकार एनबीएफसी का कुल आस्ति की तुलना में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात घटकर 2.3 प्रतिशत हो गया जबकि कुल आस्ति की तुलना में निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 1.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

सारणी V.39: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधारी

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	समाप्त तिमाही					
	मार्च 2006		मार्च 2007		जून 2007	
	राशि	कुल उधारी में प्रतिशत	राशि	कुल उधारी में प्रतिशत	राशि	कुल उधारी में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
क) जमानती उधारी (i से vi)	**71,509**	**41.0**	**93,765**	**44.2**	**94,853**	**42.9**
i. डिबेंचर	39,179	22.4	32,564	15.4	36,566	16.6
ii. आस्थगित ऋण	–	–	–	–	–	–
iii. बैंकों से प्राप्त सावधि ऋण	16,116	9.2	19,503	9.2	18,972	9.0
iv. वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सावधि ऋण	6,997	4.0	5,030	2.4	5,413	2.5
v. अन्य	8,612	4.9	35,745	16.9	33,049	15.0
vi. उपचित ब्याज	604	0.3	923	0.4	852	0.4
ख) बेजमानती उधारी (i से viii)	**1,03,086**	**59.0**	**1,18,221**	**55.8**	**1,26,018**	**57.1**
i. संबंधियों से ऋण	1,639	0.9	1,621	0.8	1,396	0.6
ii. अंतर कंपनी जमाराशि	19,459	11.1	20,018	9.4	20,913	9.5
iii. बैंकों से प्राप्त ऋण	28,276	16.2	33,191	15.7	32,098	14.5
iv. वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	3,703	2.1	4,218	2.0	4,142	1.9
v. वाणिज्यिक पत्र	13,123	7.5	14,031	6.6	16,743	7.6
vi. डिबेंचर	20,788	11.9	30,549	14.4	35,865	16.2
vii. अन्य	15,402	8.8	13,786	6.5	13,902	6.3
viii.ऋण पर उपचित ब्याज	697	0.4	807	0.4	959	0.4
कुल उधार (क+ख)	**1,74,595**	**100.0**	**2,11,986**	**100.0**	**2,20,870**	**100.0**
ज्ञापन						
कुल देयताएं	**2,50,765**	**69.6 @**	**3,17,898**	**66.7 @**	**3,38,133**	**65.3 @**

– : शून्य/ नगण्य

@ : सकल उधारी-कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में।

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणियां

सारणी V.40 : जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निधियों के उपयोग से संबंधित चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	वर्ष के अंत में					
	मार्च 2006		मार्च 2007		जून 2007	
	राशि	निधि के कुल उपयोग में प्रतिशत	राशि	निधि के कुल उपयोग में प्रतिशत	राशि	निधि के कुल उपयोग में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
जमानती ऋण	63,120	29.2	1,14,898	41.5	1,25,417	42.5
बेजमानती ऋण	82,996	38.4	69,609	25.2	74,050	25.1
किराया खरीद	22,613	10.5	28,160	10.2	28,221	9.6
दीर्घावधि निवेश	30,817	14.3	43,309	15.7	47,350	16.0
चालू निवेश	16,665	7.7	20,671	7.5	20,236	6.9
कुल	**2,16,211**	**100.0**	**2,76,647**	**100.0**	**2,95,274**	**100.0**
ज्ञापन मदें :						
पूंजी बाजार एक्सपोजर	59,583	27.6	81,435	29.4	84,947	28.8
जिसमें से :						
इक्विटी बाजार में	27,467	12.7	34,196	12.4	31,658	10.7

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणियां।

सारणी V.41: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	वर्ष के अंत में				तिमाही के अंत में	
	मार्च-06		मार्च-07		जून-07	
	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
कुल आस्तियां	2,50,765	100	3,17,898	100	3,38,133	100
कुल आय@	18,342	7.3	31,281	9.8	8,772	2.6
कुल व्यय@	11,874	4.7	20,552	6.5	6,329	1.9
निवल लाभ@	4,301	1.7	7,460	2.3	1,963	0.6

@ : संचयी।
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणियां

दोनों ही अनुपातों में जून 2007 को समाप्त तिमाही में और भी गिरावट आई (सारणी V.42)।

सारणी V.42: जमाराशियां न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल और निवल अनर्जक आस्तियां

(प्रतिशत)

मद	के अंत में		
	मार्च 2006	मार्च 2007	जून 2007
1	2	3	4
1. कुल आस्तियों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	4.3	2.3	2.0
2. कुल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	1.5	1.5	1.0
3. कुल ऋण जोखिम की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	7.0	4.9	4.8
4. कुल ऋण जोखिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	3.2	1.9	1.9

स्रोत:एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणियां।

4. प्राथमिक व्यापारी

5.94 वर्ष 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारी (पीडी) प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सरकार की बाजार उधारी के लिए हामीदार और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार निर्माता होने के नाते प्राथमिक व्यापारी पर बाजार जोखिम का अत्यधिक असर पड़ता है। पीडी कारोबार में निहित जोखिम को बांटने के प्रयोजनार्थ पीडी को अनुमति प्रदान की गई कि वे प्रमुख रूप से सरकारी प्रतिभूति कारोबार करने की आवश्यकता को पूरा करते हुए, अन्य कारोबार भी अपनाएं। पीडी को अनुमति प्रदान की गई कि वे अपने निवेशों को कतिपय विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर कारपोरेट ऋण, इक्विटी और प्रतिभूति ऋण लिखतों में बांटें ताकि वे अपने तुलन पत्र जोखिमों को बांट सकें। उन्हें कतिपय शुल्क आधारित सेवाएं देने की भी अनुमति दी गई ।

5.95 साथ ही , यह भी निर्णय लिया गया कि प्राथमिक व्यापारियों को स्टेप डाउन सब्सिडियरी स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन प्राथमिक व्यापारियों ने पहले से ही अपनी स्टेप डाउन सब्सिडियरी (भारत में और विदेश में) स्थापित कर रखी थी उन्हें सूचित किया गया कि वे उन सब्सिडियरी के स्वामित्व स्वरूप का पुनर्गठन करें। ऐसा करने के पीछे यह सुनिश्चित करना था कि प्राथमिक व्यापारी का तुलन पत्र अन्य कारोबार/सब्सिडियरी से उत्पन्न जोखिम के प्रभाव से अप्रभावित रहे और प्राथमिक व्यापारियों का ध्यान उनके प्राथमिक डीलरशिप के कारोबार पर केंद्रित रहे। इसके परिणामस्वरूप 8 स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों में से 5 प्राथमिक व्यापारियों द्वारा, जिनकी अपनी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी थी अथवा जिन्होंने विशेष रूप से अनुमत कारोबार की जगह कोई अन्य कारोबार करना प्रारंभ कर दिया था, अपने परिचालनों को पुनर्गठित किया जाना आवश्यक था।

5.96 इन दिशानिर्देशों के अनुपालनार्थ पांच प्राथमिक व्यापारियों - नामतः डीएसपी मेरिल लिंच लि. (डीएसपीएमएल), आइसीआइसीआइ सिक्यूरिटीज लि. (आइएसईसी), आइडीबीआइ कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. (आइसीएमएस), सिक्यूरिटीज एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसटीसीआइ) और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लि. (केएमसीसी) ने अपने परिचालनों को पुनर्गठित किया क्योंकि उनके पास स्टेप-डाउन सब्सिडियरी थीं अथवा वे ईक्विटी ब्रोकिंग कारोबार करती थीं जिसकी अनुमति दिशानिर्देशों में नहीं दी गई थी। तथापि इन प्राथमिक व्यापारियों द्वारा अपनाई गई पुनर्गठन की प्रक्रिया अलग-अलग थी। केएमसीसी ने प्राथमिक व्यापारी कारोबार अपने मूल बैंक (कोटक महिंद्रा बैंक) को अंतरित कर दिया। आइएसईसी ने प्राथमिक व्यापारी कारोबार को अपने पास रखकर अपनी सब्सिडियरी का पुनर्गठन करके उसे आइसीआइसीआइ बैंक की सब्सिडियरी बना दिया । इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर आइसीआइसीआइ सिक्यूरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लि. (एसईसी-पीडी)कर लिया। एसटीसीआइ का पुनर्गठन एक दूसरी सब्सिडियरी की स्थापना करके किया गया, अर्थात् एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. (एसटीसीआइ-पीडी) जो प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करेगी। आइसीएमएस के मामले में आइडीबीआइ बैंक लि. की प्रत्यक्ष सब्सिडियरी के रूप में आइडीबीआइ गिल्ट्स लि. की स्थापना की गई जो आइसीएमएस के प्राथमिक डीलरवाले कार्य अपने हाथ में ले लेगी। डीएसपीएमएल सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग लि. (डीएसपीएमएलएसटी) के नाम से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए एक अन्य सब्सिडियरी की स्थापना के द्वारा डीएसपीएमएल का पुनर्गठन किया गया।

5.97 वर्ष के दौरान प्राथमिक व्यापारी कारोबार की संरचना में बैंकों को भी सम्मिलित करने की अनुमति दे दी गई बशर्ते वे न्यूनतम मानदंड पूरे करते हों । नौ बैंकों -सिटी बैंक एनए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, जे.पी.मॉरगन चेज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक को विभागीय तौर पर प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया और अब ये सभी बैंक उक्त कारोबार अपनी सब्सिडियरी/ग्रुप कंपनियों के माध्यम से करना बंद कर देंगे। एक नए बैंक अर्थात् एचडीएफसी बैंक लि. को भी 2 अप्रैल 2007 से प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

5.98 राजकोषीय जबाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम) के मद्देनजर प्राथमिक व्यापारियों की बढ़ी हुई जबाबदेही को देखते हुए पीडी द्वारा दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमों की हामीदारी प्रणाली में परिवर्तन किए गए। संशोधित प्रणाली में संपूर्ण निर्गम की हामीदारी नीलामी में किए जाने का उल्लेख है। एफआरबीएम के बाद के परिदृश्य में, बैंकों को शामिल करने के लिए प्राथमिक व्यापारी प्रणाली की अनुमत संरचना को विस्तारित करने और हामीदारी प्रणाली को सशोधित करने जैसे दुहरे नीतिगत उपायों ने सफल ऋण प्रबंधन में योगदान दिया है। स्टैंड अलोन पीडी पर्याप्त रूप से पूंजीकृत रहते आ रहे हैं। यद्यपि 31 मार्च 2007 को पीडी का 33 प्रतिशत सीआरएआर पिछले वर्ष के स्तर से नीचे आया है तथापि यह सकल जोखिम भारित आस्ति के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम 15 प्रतिशत से काफी अधिक है (सारणी V.43 और परिशिष्ट सारणी V.5)।

सारणी V.43: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005	2006 $	2007
1	2	3	4
कुल आस्तियां*	13,953	10,749	13,557
इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	8,495	6,646	7,412
कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में			
सरकारी प्रतिभूतियां	61	62	55
सकल पूंजी निधि	5,992	4,229	4,026
सीआरएआर (प्रतिशत में)	57	53	33
चलनिधि समर्थन सीमा	3,000	3,000	3,000
प्राथमिक व्यापारियों की संख्या	17	8	8

* : चालू आस्तियों से चालू देयताएं घटाकर

$: 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों की संख्या में तीव्र गिरावट आने के कारण 2005-06 के और 2006-07 के आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं है। अत: 2005-06 के तुलनात्मक आंकड़े (कॉ.3) भी दिए गए हैं जो उन्ही आठ प्राथमिक व्यापारियों के आंकड़े हैं।

प्राथमिक व्यापारियों के परिचालन और उनका कार्य-निष्पादन

5.99 वर्ष 2006-07 क दौरान सामान्य उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत राजकोषीय बिलों की नीलामियों में संचयी बोली लगाने की प्रतिबद्धताएं निर्गम राशि के 111 प्रतिशत पर निर्धारित की गई थीं। 2,07,711 करोड़ रुपए की सकल बोलियां 65,500 करोड़ रुपए (सामान्य नियमित उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत) के राजकोषीय बिलों के निर्गमन का 3.2 गुना और 1,85,000 करोड़ रुपए (सामान्य नियमित उधारी कार्यक्रम तथा बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत) के राजकोषीय बिलों के निर्गमन का 1.1 गुना थीं। 2,07,111 करोड़ रुपए की कुल बोलियों में से 70,951 करोड़ रुपए की बोलियां स्वीकार की गईं। पीडी से अपेक्षित है कि वे छमाही आधार पर राजकोषीय बिलों की नीलामी के संबंध में बोलियों की प्रतिबद्धता के 40 प्रतिशत का सफल अनुपात प्राप्त करें। वर्ष 2006-07 में राजकोषीय बिलों की नीलामियों (एमएसएस सहित) में प्राथमिक बाजार क्रय में प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा 38 प्रतिशत था जो 2005-06 के 34 प्रतिशत से मामूली ऊपर था।

5.100 राजकोषीय जबाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक को केद्र सरकार की प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामीयों में भाग लेने से निवारित किया गया है।

अतः प्राथमिक व्यापारियों के लिए भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में संपूर्ण अधिसूचित राशि की हामीदारी करना अनिवार्य किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान सामान्य उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत 1,46,000 करोड़ रुपए मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की गईं। हामीदारी नीलामियों में प्राथमिक व्यापारियों ने 1,93,869 करोड़ रुपए मूल्य के लिए बोलियां प्रस्तुत की उनमें से 1,46,000 करोड़ रुपए की बोलियां स्वीकार की गईं । यह हामीदारी नीलामियों में 1.32 के बोली-कवर अनुपात को दर्शाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान 5,604 करोड़ रुपए की राशि प्राथमिक व्यापारियों पर अंतरित (डिवॉल्व) हुई।

5.101 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की मुख्य नीलामी में प्राथमिक व्यापारियों ने 1,46,000 करोड़ रुपए की अपनी प्रतिबद्धता के लिए 2,02,225 करोड़ रुपए की बोलियां प्रस्तुत कीं (जो 1.39 का बोली-कवर अनुपात दर्शाती है), जिसमें से 64,727 करोड़ रुपए मूल्य की बोलियां स्वीकार की गईं। वर्ष 2006-07 के दौरान नीलामी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों में प्राथमिक व्यापारियों का अंश 2005-06 के 48 प्रतिशत से मामूली घटकर 44 प्रतिशत रह गया था।

5.102 केवल स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों द्वारा बेचे/ खरीदे गए राजकोषीय बिलों और दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (सीधे और रिपो) का द्वितीयक बाजार टर्नओवर क्रमशः 3,24,571 करोड़ रुपए और 22,34,630 करोड़ रुपए के लिए था जो बाजार टर्नओवर का क्रमशः 18.3 प्रतिशत तथा 21.8 प्रतिशत था।

निधियों के स्रोत और उनका उपयोग

5.103 आठ स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों के तुलनपत्र के आकार में मार्च 2007 को समाप्त वर्ष में पिछले वर्ष में परिलक्षित वृद्धि (24.2 प्रतिशत) की ही तर्ज पर महत्वपूर्ण वृद्धि (26.1 प्रतिशत) हुई(सारणी V.44)। 31 मार्च 2006 की तुलना में 31 मार्च 2007 को स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों की पूंजीगत निधि की स्थिति में 46.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतया एक प्राथमिक व्यापारी के द्वारा 675 करोड़ रुपए के अधिमान शेयर जारी करके पूंजी बढ़ाने के कारण थी। अभिनियोजन पक्ष की ओर देखने से पता चलता है कि सरकारी प्रतिभूतियों और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश में वृद्धि हुई है। उधार और अग्रिमों में तीव्र गिरावट आई। मार्च 2007 के अंत में प्राथमिक व्यापारियों की कुल आस्ति में सरकारी प्रतिभूतियों और राजकोषीय बिलों का हिस्सा मार्च 2006 के अंत के 62 प्रतिशत से घटकर 55 प्रतिशत रह गया था।

सारणी V.44: प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			प्रतिशत घट-बढ़	
	2006	2006 $	2007	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
निधियों के स्रोत	**13,953**	**10,749**	**13,557**	**24.2**	**26.1**
1. पूंजी	2,263	1,427	2,088	-4.6	46.3
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	3,843	2,856	3,102	12.8	8.6
3. ऋण (क+ख)	7,847	6,466	8,367	39.9	29.4
क) जमानती	3,480	2,760	3,910	30.8	41.7
ख) बेजमानती	4,367	3,706	4,457	47.6	20.3
निधियों का उपयोग	**13,953**	**10,749**	**13,557**	**24.2**	**26.1**
1. अचल आस्तियां	71	64	72	-6.1	12.2
2. निवेश (क से ग)	10,425	7,954	9,248	11.3	16.3
क) सरकारी प्रतिभूति	8,495	6,646	7,412	3.8	11.5
ख) वाणिज्यिक पत्र	846	626	1,241	223.9	98.2
ग) कंपनी बांड	1,084	682	595	23.3	-12.7
3. ऋण और अग्रिम	2,398	1,883	1,135	-6.5	-39.7
4. गैर चालू आस्तियां	–	–	–	-100.0	–
ईक्विटी, म्यूचुअल फंड *आदि*	–	–	928	–	–
अन्य*	1,059	848	2,174	-228.2	156.4
प्रा. व्या. की संख्या	17	8	8	8	8

* : अन्य में नकदी + बैंक शेष + उपजित ब्याज + मांग और मीयादी आस्तियां - चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।

$: 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों की संख्या में तीव्र गिरावट आने के कारण 2005-06 के और 2006-07 के आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं है। अत: 2005-06 के तुलनात्मक आंकड़े (कॉ.3) भी दिए गए हैं जो उन्ही आठ प्राथमिक व्यापारियों के आंकड़े हैं।

सारणी V.45: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य – निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06	2005-06 $	2006-07	प्रतिशत घट-बढ़ 2005-06	प्रतिशत घट-बढ़ 2006-07
1	2	3	4	5	6
क. आय (i से iii)	2,153	1,661	1,950	204	17
i) ब्याज और छूट	1,151	814	986	8	21
ii) कारोबारी लाभ	-47	46	-17	-108	-137
iii) अन्य आय	1,049	802	979	118	22
ख. व्यय (i+ii)	1,150	884	1,314	42	49
i) ब्याज	670	485	668	34	38
ii) प्रशासनिक लागत	481	398	645	53	62
कर पूर्व लाभ	1,003	778	636	-1142	-18
करोत्तर लाभ	749	557	444	-512	-20
प्रा.व्या. संख्या	17	8	8		

$: 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों की संख्या में तीव्र गिरावट आने के कारण 2005-06 के और 2006-07 के आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं है। अत: 2005-06 के तुलनात्मक आंकड़े (कॉ.3) भी दिए गए हैं जो उन्ही आठ प्राथमिक व्यापारियों के आंकड़े हैं।

प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

5.104 वर्ष 2006-07 के दौरान स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों द्वारा अर्जित आय में हुई 17 प्रतिशत की वृद्धि, जो ब्याज और अन्य आय में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण थी, पिछले वर्ष की आय में हुई वृद्धि (204 प्रतिशत) से बहुत कम थी। तथापि, प्राथमिक व्यापारियों को मामूली कारोबारी घाटा सहना पड़ा। ब्याज खर्च और अन्य खर्च में हुई वृद्धि के कारण प्राथमिक व्यापारियों के खर्च में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यय में हुई तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राथमिक व्यापारियों का निवल लाभ वर्ष 2006-07 में 20 प्रतिशत कम हुआ (सारणी V.45)।

5.105 वर्ष 2006-07 के दौरान निवल लाभ दर्शानेवाले प्राथमिक व्यापारियों की संख्या पिछले वर्ष के 8 से घटकर 6 रह गई । प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में हुई कमी का असर औसत आस्ति पर लाभ (आरओए) में देखा गया , जो 2005-06 में 4.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2006-07 के दौरान 3.0 प्रतिशत हो गया तथा स्वाधिकृत निधि पर लाभ (आरओएनडब्लू) 2005-06 के 13.6 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 9.5 प्रतिशत रह गया (सारणी V.46 और परिशिष्ट सारणी V.6)।

सारणी V.46: प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	2005-06	2005-06 $	2006-07
1	2	3	4
i) निवल लाभ	749	557	444
ii) औसत आस्तियां	18,394	13,104	14,984
iii) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	4.1	4.3	3.0
पूंजी निधि	5,992	4,229	4,026
प्रा.व्या. की संख्या	17	8	8

$: 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों की संख्या में तीव्र गिरावट आने के कारण 2005-06 के और 2006-07 के आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं है। अत: 2005-06 के तुलनात्मक आंकड़े (कॉ.3) भी दिए गए हैं जो उन्ही आठ प्राथमिक व्यापारियों के आंकड़े हैं।

अध्याय VI

वित्तीय स्थिरता

प्रस्तावना

6.1 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक और विश्व बैंक सहित अनेक केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित आवधिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों से यह ज्ञात होता है कि हाल के वर्षों में विश्व भर में वित्तीय स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया गया है। वित्तीय स्थिरता की ओर विशेष ध्यान देने का प्रमुख कारण वित्तीय प्रणाली में हुई अनेक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का विकसित होना है। अत्यधिक विनियमन और उदारीकरण के साथ होनेवाली प्रौद्योगिकीय प्रगति ने जहाँ एक ओर अनेक जटिल लिखतों और विविधतापूर्ण गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित किया, वहीं दूसरी ओर जोखिमों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है[1]। विशेष रूप से ईक्विटी, ऋण, व्युत्पन्न बाजार में तीव्रतर वृद्धि के साथ वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में वित्तीय प्रणाली का अत्यधिक उच्चतर गति से विस्तार हुआ है। वित्तीय गंभीरता की प्रक्रिया के साथ वित्तीय व्यवस्था की संरचना में बदलाव आया है जिससे मौद्रिक आस्तियों के हिस्से में गिरावट आयी है और फलस्वरूप मौद्रिक आधार का लीवरेज बढ़ा है। परंपरागत बैंकिंग कार्य जैसे कि जमाराशियां स्वीकार करना और ऋण देना आदि की तुलना में अब वित्तीय संस्थाएं बहु-आयामी कार्य कर रही हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति और एक उद्योग से दूसरे उद्योग तथा एक देश से दूसरे देश के साथ एकीकरण में वृद्धि के कारण वित्तीय व्यवस्था का भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण हो गया है। आज बहुत बड़ी संख्या में वित्तीय समूह भी उभर कर सामने आ गए हैं।

6.2 वित्तीय व्यवस्था की बदलती हुई विभिन्न गतिविधियों ने वित्तीय अस्थिरता के स्रोतों को बढ़ा दिया है। प्रौद्योगिकी नवोन्मेष से संबंधित गतिविधियों, वित्तीय लिखतों की विविधताओं और वित्तीय समूहों के आगमन से संबंधित गतिविधियों ने वित्तीय अस्थिरता की संभाव्य गंभीरता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर वित्तीय बाज़ारों के एकीकरण के कारण वित्तीय गड़बड़ियों के स्रोतों का पूर्वानुमान लगाना और कठिन हो गया है जिससे इनके संक्रमण की संभावना और भी बढ़ गई है। इस प्रकार वित्तीय अस्थिरता के स्रोत बाह्य कारकों (जैसे कि समष्टि आर्थिक निष्पादन) से राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से आंतरिक कारकों (जैसेकि समष्टि आर्थिक निष्पादन, बाज़ार की अस्थिरता, काउंटरपार्टी जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम). तक बढ़ गए हैं।

6.3 एक स्थिर वित्तीय व्यवस्था भौगोलिक रूप से तथा समय-सीमा के भीतर आर्थिक साधनों का कुशल आबंटन सुनिश्चित करती है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में वित्तीय स्थिरता विश्लेषण व्यापक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, यथा अर्थव्यवस्था का समष्टि आर्थिक निष्पादन, मौद्रिक स्थिरता, बैंकिग तथा वित्तीय संस्थाओं का विनियमन और पर्यवेक्षण तथा अन्य जोखिम जो कि वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। प्रायः ये सभी पहलू एक जटिल तरीके से एक दूसरे से अंतर-संबंधित रहते हैं। अर्थव्यवस्था का समष्टि आर्थिक निष्पादन फर्मों/व्यक्तियों के वित्तीय लेनदेनों हेतु निष्पादित संविदाओं का निर्वाह करने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरी ओर, वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता एक मजबूत समष्टि आर्थिक गत्यात्मक कार्यों को समर्थन देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

6.4 व्यावहारिक रूप से वित्तीय स्थिरता में अनेक अंतरसंबंधित घटक सिमटे रहते हैं, जिनमें कि बुनियादी ढाँचा (भुगतान और निपटान प्रणाली, कानूनी व्यवस्था, और लेखांकन प्रणालियां), संस्थाएं (बैंक, प्रतिभूति फर्म और संस्थागत निवेशक) और बाज़ार (स्टॉक, बांड, करेंसी, मुद्रा और व्युत्पन्नी) आदि सम्मिलित होते हैं।वित्तीय स्थिरता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वित्तीय व्यवस्था के सभी अंग हमेशा सुचारु रूप से कार्य करते रहें। एक स्थिर वित्तीय व्यवस्था में यह क्षमता होती है कि वह स्व-सुधारक तंत्र के जरिए कोई भी संकट आने के पहले ही उन असंतुलनों को ठीक कर ले ।

6.5 बढ़े हुए वैश्वीकरण तथा वित्तीय बाज़ारों के एकीकरण के साथ ही इन बाजारों में अस्थिरता के उभरते संकेतों के कारण वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु सुनियोजित प्रयासों की आवश्यकता हाल में बढ़ गई है। यद्यपि वैश्वीकरण से कई अर्थव्यवस्थाओं का संभावित उत्पादन बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह के अस्थिर वातावरण में वित्तीय वैश्वीकरण से लाभ ले सकने की विकासशील देशों की क्षमता, समष्टि आर्थिक ढाँचे और संस्थाओं की गुणवत्ता के जरिये उल्लेखनीय रूप से बढ़ायी जा सकती है।

1 चिनासी, जी जे (2006) : सेफगार्डिंग फाइनेंसियल स्टेबिलिटी : थियरी एंड प्रैक्टिस; इंटरनेशनल मोनेटरी फंड।

6.6 प्रौद्योगिकी के विकास ने भी वित्तीय स्थिरता के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं। अभी हाल के समय में, विभिन्न वित्तीय कारोबारी क्षेत्रों में अभिसरण की प्रवृत्ति देखी गयी है तथा अभिसरण का अधिकांश भाग बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकीय विकासों और ग्राहकों की बदलती पसन्द ने बैंकिंग क्षेत्र में सुपुर्दगी चैनेल के स्वरूप को रूपांतरित कर दिया है, ताकि वे प्रतिस्पर्धी रह सकें। तत्काल ग्राहक सेवा हेतु इंटरनेट आधारित सुपुर्दगी सेवाएं तथा मोबाइल टेलीफोनी संभाव्य माध्यम के रूप में उभरी हैं। कई फायदों के बावजूद प्रौद्योगिकीय विकास के फलस्वरूप वित्तीय कांग्लोमरेट को अस्तित्व में आने का अवसर मिला है और बड़े पैमाने के लाभ भी मिले हैं। बड़े वित्तीय कांग्लोमरेट और विदेशी संस्थाओं की गतिविधियों के साथ स्थानीय सार्वजनिक नीतिगत प्राथमिकताओं का जुड़ना अनेक नई उभर रही एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के आंतरिक वित्तीय विनियामकों के लिए चुनौती है। प्रौद्योगिकीय विकास के कारण बैंक तथा वित्तीय सस्थाएं काफी हद तक आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहने लगी हैं। बैंकों द्वारा आउटसोर्सिंग सेवाएं देने वाली संस्थाओं के प्रबंधन का महत्व काफी बढ़ गया है। वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है कि आउट-सोर्सिंग की प्रक्रिया में पर्याप्त रक्षोपाय अपनाए जाएं तथा सूचना की गोपनीयता बनाये रखने के लिए समुचित उपाय किए जाएं।

6.7 वित्तीय अस्थिरता की घटनाएं प्राय: फर्मों तथा घरेलू परिवारों सहित समाज के एक बहुत बड़े वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कुल मिलाकर, प्राय: सीमा पार से फैलायी जाने वाली इस प्रकार की घटनाओं की कुल लागत किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए काफी भारी पड़ती है। 1990 के दशक के मध्य में ईस्ट एशियन संकट से साफ पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र की कमजोरी के गंभीर आर्थिक और सामाजिक परिणाम होते हैं। वित्तीय बाजारों की अत्यधिक अस्थिरता, कारोबारी निवेश की पूंजीगत लागत में बहुत ज्यादा वृद्धि कर सकती है और उत्पादन वृद्धि पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कमजोर वित्तीय क्षेत्र भी मौद्रिक संप्रेषण प्रक्रिया में उस समय अड़चन पैदा कर सकता है जब केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास किये जा रहे हों।

6.8 इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विश्व भर के नीति निर्माता वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहे हैं। अधिकांश देशों में वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता का मूल दायित्व मौद्रिक प्राधिकरण पर रहता है, क्योंकि मौद्रिक स्थिरता का गहन संबंध वित्तीय स्थिरता के साथ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक का प्रमुख उद्देश्य मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के भीतर वित्तीय-पर्यवेक्षण और निगरानी क्षेत्र में सूचना के आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने हेतु अप्रैल 1999 में एक वित्तीय स्थिरता फोरम का गठन किया गया (बॉक्स VI.I)। यह फोरम वित्तीय स्थिरता के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय प्राधिकारियों को नियमित आधार पर विचार विमर्श हेतु एक मंच पर लाता है।

6.9 1990 के दशक के आर्थिक संकट की प्रतिक्रियास्वरूप, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अपने सदस्य देशों की वित्तीय प्रणालियों की शक्तियों, जोखिमों और अतिसंवेदनशीलता का पता लगाने और इसके साथ ही वित्तीय क्षेत्र के विकास की जरूरतों को उजागर करने के लिए वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम शुरू किया। वित्तीय क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय मानक और संहिताओं के अनुसार अनुपालन का आकलन करने में वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम के प्रमुख घटक है, जिसमें ये शामिल हैं : बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल के मुख्य सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ द्वारा बनाए गए मुख्य बीमा सिद्धांत, प्रतिभूति विनियमन के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन संघ के सिद्धांत और उद्देश्य, मौद्रिक और वित्तीय नीतियों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सुप्रथाओं की संहिता, धन-शोधन निवारक और आतंकवाद के वित्त-पोषण के विरुद्ध वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की सिफारिशें।

6.10 भारत के संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 में स्पष्ट अधिदेश नहीं हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करे। तथापि, वर्षों से विकसित भारत की मौद्रिक नीति के दो उद्देश्य हैं - मूल्य स्थिरता बनाए रखना तथा वृद्धि की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना (रेड्डी, 2007)। इस दोहरे उद्देश्य के बीच सापेक्ष्य बल को तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुकूलित किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर मौद्रिक नीति वक्तव्य में उल्लेख किया जाता है। समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता संबंधी विचार को भी अधिदेश में शामिल किया जाता है। हाल के वर्षों में ऐसा लगता है कि मौद्रिक नीति लागू करने में वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता प्रदान दी गई है। वैश्विक बाज़ारों के साथ घरेलू वित्तीय बाज़ारों के बढ़े हुए एकीकरण और विशेष रूप से, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बज़ट प्रबंधन अधिनियम, 2003 लागू होने से संस्थागत परिवेश में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि समष्टि आर्थिक निष्पादन और वित्तीय स्थिरता के बीच मज़बूती की पहचान की जाए और उसका भरपूर लाभ उठाया जाए।

बॉक्स VI.I: अत्यंत लीवरेज वाली संस्थाओं के बारे में वित्तीय स्थिरता फोरम की रिपोर्ट - अद्यतन स्थिति

वित्तीय स्थिरता फोरम राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों (केंद्रीय बैंकों, पर्यवेक्षी प्राधिकरणों और कोषागार विभागों), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय विनियामक और पर्यवेक्षी समूहों, केंद्रीय बैंकों के विशेषज्ञों की समितियों तथा यूरोपीय सेंट्रल बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को एक मंच पर जुटाता है। वित्तीय स्थिरता फोरम का कामकाज बासेल, स्विटजरलैण्ड स्थित अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक में छोटे से सचिवालय द्वारा किया जाता है। वित्तीय स्थिरता फोरम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को प्रोन्नत करने , बाजारों की कार्य पद्धति सुधारने और प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए इन विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है।

वित्तीय स्थिरता फोरम ने वर्ष 1999 में भारी मात्रा में ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा उत्पन्न की जा रही चुनौतियों के आकलन हेतु एक अध्ययन दल गठित किया। अध्ययन दल का दायित्व था कि वह इन संस्थाओं की विघटनकारी शक्ति को न्यूनतम करने हेतु पर्यवेक्षी/विनियामक उपायों की सर्वसम्मति प्राप्त करे। अध्ययन दल के गठन के बाद दो मुख्य घटनाएं घटीं। उनमें से पहली घटना थी, दीर्घकालीन प्रबंध (एलटीसीएम) का पतन के कगार पर आ जाना , जिसने भारी मात्रा में ऋण लेने वाली संस्थाओं (एचएलआइ) द्वारा उत्पन्न की जाने वाली प्रणालीगत सशक्त जोखिमों को लेकर चिंता बढ़ा दी। दूसरी घटना थी कि एशिया और रूस की 1997-98 के संकट से उपजी स्थिति जिसमें छोटी तथा मध्यम आकार की कुछ खुली अर्थव्यवस्थाओं के प्राधिकरण इस बात से चिंतित थे कि भारी मात्रा में ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा उनके बाजारों में विघटनकारी प्रभाव लाने के प्रयास किए गए हैं। अध्ययन दल ने वर्ष 2000 में प्रस्तुत अपनी पहली रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, ताकतवर काउंटरपार्टी जोखिम, भारी मात्रा में ऋण देने वाली संस्थाओं के ऋण प्रदाताओं का अधिक विनियामक पर्यवेक्षण, बैंक पूँजी पर्याप्तता विनियमन में गुरुतर जोखिम संवेदनशीलता और वित्तीय बाजारों की बढ़ी हुई राष्ट्रीय निगरानी शामिल करते हुए 10 सिफारिशें कीं। वित्तीय स्थिरता फोरम ने 2001 और 2002 में इन सिफारिशों के अनुपालन में हुई प्रगति के आकलन के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की।

19 मई 2007 को जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के अनुरोध पर जारी ञरिपोर्ट ऑन हाइली लीवरेज इंस्टिट्यूशन्सट (2000) के नवीनतम संस्करण में वित्तीय स्थिरता फोरम द्वारा बचाव निधियों के कारण होने वाले वित्तीय स्थिरता मुद्दों और प्रणालीगत जोखिम का पुनराकलन किया गया। रिपोर्ट में बचाव निधियों द्वारा वित्तीय नवोन्मेष और बाजार की चलनिधि में किये गए अंशदान को स्वीकार किया गया है साथ ही, इसने बाजार के सहभागियों के लिए अत्यधिक जोखिम माप, मूल्यन और परिचालनात्मक चुनौतियों को नोट करते हुए निम्नलिखित सिफारिशें कीं :-

- पर्यवेक्षकों को अपना कार्य इस प्रकार करना चाहिये कि मुख्य मध्यवर्ती संस्थाएं अपनी काउंटरपार्टी जोखिम प्रबंध प्रथाओं को लगातार मजबूत बनाती रहें।
- बाजार तरलता में संभावित ह्रास रोकने हेतु मुख्य मध्यवर्ती संस्थाओं की ताकत को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पर्यवेक्षकों को उनके साथ कार्य करना चाहिये।
- पर्यवेक्षकों को चाहिये कि वे उस सीमा तक छानबीन और मूल्यांकन करें जहाँ तक बचाव निधियों के प्रति मुख्य मध्यस्थियों के समेकित काउंटरपार्टी एक्सपोजर संबंधी अधिक प्रणालीगत और सुसंगत आंकड़े तैयार करना मौजूदा पर्यवेक्षी प्रभावों का प्रभावी अनुपूरक होगा।
- काउंटरपार्टियों और निवेशकों को पोर्टफोलियो मूल्यांकन तथा जोखिम की सही-सही और नियत समय पर जानकारी प्राप्त करने के साथ बाजार अनुशासन को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिये।
- वैश्विक बचाव निधि उद्योग को चाहिए कि वह शासकीय और निजी क्षेत्रों द्वारा निर्धारित सुधरी प्रथाओं की प्रत्याशा में बचाव निधि प्रबंधकों के लिए उन्नत प्रथा बेंचमार्कों की समीक्षा और संवृद्धि करे।

संदर्भ :

वित्तीय स्थिरता फोरम (2007), उच्च लीवरेज प्राप्त संस्थाओं की एफ एस एफ रिपोर्ट मई अद्यतन बनाना www.fsf.org.

6.11 भारत में सुरक्षित,मज़बूत और कार्य-कुशल वित्तीय प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाया गया है। 2001 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) के शुरुआती दौर में एक सदस्य देश की स्वैच्छिक सहभागिता के साथ ही भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानदंडों और संहिताओं संबंधी सभी क्षेत्रों के लिए गठित समिति (डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित) द्वारा स्व-मूल्यांकन करवाया। 2001 के वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) से प्राप्त अनुभवों और सितंबर 2005 में विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित 'हैंडबुक ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट' नामक पुस्तिका में निहित विश्लेषणात्मक ब्यौरों की उपयोगिता और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता की पहचान करके भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वित्तीय क्षेत्र का व्यापक स्व-मूल्यांकन करवाने का निश्चय किया। तदनुसार सितंबर 2006 में ठवित्तीय क्षेत्र आकलन समितिड का गठन (डॉ. राकेश मोहन - अध्यक्ष और डॉ. डी. सुब्बाराव, सह-अध्यक्ष) किया गया।

6.12 यद्यपि राष्ट्रीय प्राधिकरणों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्तीय स्थिरता के महत्व को स्वीकार किया गया है, वहीं वित्तीय विनियमन में उचित संतुलन बैठाने की कठिनाइयों को भी नोट किया गया है। जहाँ एक तरफ प्रणालीगत किसी जोखिम से बचने के लिए एक कारगर विनियामक पर्यवेक्षण की जरूरत हैं, वहीं आवश्यकता इस बात की भी है कि ऐसा परिवेश उपलब्ध हो जिसमें प्रतिस्पर्धा और नवोन्मेषण को समाहित करने की क्षमता हो। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जगत और नवोन्मेषण में तेजी से आ रहे बदलावों से विनियामकों के लिए यह कठिन हो गया है कि वे विनियामक सुरक्षा उपाय तथा प्रतिस्पर्धी परिवेश के बीच किस प्रकार संतुलन कायम रखें। इस विभ्रम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में वित्तीय संस्थानों को मज़बूती प्रदान करने के इरादे से अनेक नीतिगत उपाय किए। इसके साथ ही वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिला। इस अध्याय के खंड-2 में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित इन्हीं उपायों का उल्लेख किया गया है। खंड-3 में भारतीय अनुसूचित वाणिज्य

बैंकों और चुनिंदा देशों के बैंकों के बीच परिचालनगत दक्षता और वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों के संबंध में एक तुलनात्मक स्थिति दी गई है। खंड-4 में वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय-बाज़ारों की गतिविधियों का चित्रण है। खंड-5 में भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रगति और खंड-6 में वित्तीय स्थिरता के कुछ जोखिमों का हवाला दिया गया है। खंड-7 में भारत में वित्तीय स्थिरता के समग्र मूल्यांकन की चर्चा है।

2. वित्तीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

6.13 वित्तीय संस्थाओं का लचीलापन वित्तीय स्थिरता की सबसे पहली अपेक्षा है। व्यावहारिक हिसाब से उसका अर्थ यह है कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं में आघात झेलने की ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि इस के कारण वित्तीय मध्यस्थता प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न आने पाए। इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कोई बैंक दिवालिया हो जाए, यह भी हो सकता है कि प्रणाली को आघात पहुँचने पर भी वित्तीय संस्थाएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से मध्यस्थता की अपनी भूमिका निभा पाएं। इसीलिए वित्तीय विनियामकों और पर्यवक्षकों ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा पालन किये जाने वाले मानदंड, मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं ताकि प्रतिस्पर्धी ताकतें इन संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता और लचीलापन निर्धारित करनेवाली आधारभूत ताकत को कमजोर न कर दें।

6.14 भारत में वित्तीय प्रणाली में बड़ी संख्या में वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय बाजार आते हैं जो समाज के विभिन घटकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रिज़र्व बैंक की विनियामक परिधि के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं में वाणिज्य बैंक, शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वित्तीय संस्थाएं और बैंकिंग से भिन्न वित्तीय कंपनियां शामिल हैं। ये वित्तीय संस्थाएं न केवल उनके कंपनी स्वरूप, आकार, निधि के स्रोत के अनुसार बल्कि दिए जाने वाले ऋण और लक्षित ग्राहकों के अनुसार भी भिन्न हैं। ये संस्थाएं वित्तीय और सुदृढ़ता संकेतकों के संदर्भ में भी भिन्न हैं। इसके अलावा, संस्थाओं के विभिन्न सेटों पर रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी अधिकारों में भी भिन्नता है। विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकारियों की बहुलता से भी भारतीय वित्तीय प्रणाली की जटिलता बढ़ गई है। शहरी सहकारी बैंकों सहित बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण का दायित्व बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा गया है। तथापि, शहरी सहकारी बैंक राज्य सरकारों द्वारा भी विनियमित किए जाते हैं (एक ही राज्य में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के द्वारा तथा एक से अधिक राज्यों में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के मध्यवर्ती रजिस्ट्रार द्वारा)। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 भी भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्तीय संस्थानों के विनियम का अधिकार प्रदान करता है। 1997 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में एक व्यापक विनियमन ढाँचा लागू कर दिया गया है। राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक करता है जबकि उसके पर्यवेक्षण का कार्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है।

6.15 वित्तीय प्रणाली के मुख्य भाग के विनियामक के रूप में, रिज़र्व बैंक के लिए वित्तीय संस्थाओं के सभी पहलुओं पर निगरानी रखना अनिवार्य है जिसमें उनके तुलनपत्र, लाभप्रदता, अनर्जक ऋण और पूँजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाएं शामिल हैं। अतः रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने के अपने निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में वित्तीय क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ावा देने और अपने अधिकार क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए अनेक पहल करता आ रहा है। तथापि, रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी पहल के फोकस को सावधानी से अंशशोधित किया गया है।

6.16 साथ ही, नयी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लागू करते, वर्तमान को अपग्रेड करते तथा जोखिम प्रबंधन उत्पादों के लिए नये बाजार विकसित करते समय रिज़र्व बैंक को भारत में मौजूद वस्तुनिष्ठ स्थितियों को भी हिसाब में लेना है। देश के विभिन्न आर्थिक एजेंटों के बीच जोखिम उठाने की अलग-अलग क्षमताओं को हमेशा ध्यान में रखा जाना है। विभिन्न वित्तीय मध्यस्थों के बीच भी, अकेले घरेलू और किसान को ले लें तो भी, छोटी और व्यापक रूप से बिखरी संस्थाएं मौजूद हैं यथा प्राथमिक कृषि ऋण समिति, ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के नये बैंक तथा विदेशी बैंक तथा सभी के पास जोखिम प्रबंधन संबंधी अलग-अलग मात्रा का परिस्करण है। अतः देश में आधुनिक जोखिम प्रबंधन लिखतों और प्रणालियों को लागू करने के प्रति, रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण बलात देश की अपेक्षाओं एवं क्षमता से अवगत होकर बनाया जाना है।[2]

[2] मोहन, राकेश (2007), खुली बाजार अर्थव्यवस्था में जोखिम प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, जुलाई।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

6.17 पहले संकेत किये अनुसार, भारत में अनेक प्रकार की वित्तीय संस्थाएं मौजूद हैं। चूँकि अनुसूचित वाणिज्य बैंक भारतीय वित्तीय प्रणाली का प्रणालीगत रूप में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खंड हैं; आरंभिक वर्षों में सुधार का फोकस वित्तीय स्थिरता का संवर्धन करने की दृष्टि से वाणिज्य बैंकों को सुदृढ़ करने पर था। वाणिज्य बैंकों को सशक्त करने के लिए 1990 के दशक के प्रारंभ से शुरू किए गए उपायों में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण प्रावधानीकरण, पूँजी पर्याप्तता, संबंधी विवेकपूर्ण मानदण्ड, एक्सपोजर मानदंड; अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन में संस्थागत व्यवस्था बनाने, पूँजी बाजार से 49 प्रतिशत तक पूँजी जुटाने की सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुमति, निजी क्षेत्र के नये बैंकों को प्रवेश की अनुमति तथा वित्तीय संस्थाओं की क्षमता में सुधार लाने के लिए विदेशी बैंकों के प्रवेश को उदार बनाना, स्वामियों, निदेशकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन के लिए ज्उपयुक्त और उचितट मानदण्ड सहित कंपनी अभिशासन मानदंडों को सुदृढ़ करना शामिल हैं। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (प्रायोगिक आधार पर) लागू करके, तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई प्रक्रिया बनाकर, वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों के संकलन तथा सशक्त वित्तीय संस्थाओं के साथ कमजोर वित्तीय संस्थाओं के विलय को प्रोत्साहित करके पर्यवेक्षी प्रक्रिया को भी सुदृढ़ किया गया है। उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को भी लागू किया गया है। वाणिज्य बैंकों पर इन सभी उपायों का गहरा प्रभाव पड़ा है तथा कुछ वर्षों में वाणिज्य बैंक क्षेत्र सुदृढ़ हुआ है। तथापि, साथ ही, कुछ नयी चुनौतियां उभरकर सामने आयी हैं। बासेल II में कारगर तरीके से अंतरण हुआ है, बासेल II की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बैंकों द्वारा पूँजी जुटायी गयी है तथा ऋण में तीव्र वृद्धि को देखते हुए आस्ति गुणवत्ता बनायी रखी गयी है। इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 2006-07 में कई उपाय किये।

समष्टि स्तर के उपाय

6.18 आरक्षित निधि आवश्यकता की शर्त पारंपरिक रूप से मौद्रिक नीति का प्रमुख साधन रही है। इन साधनों के प्रयोग में अधिक लचीलापन केंद्रीय बैंक को मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने में अधिक युक्तियां प्रदान करता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के संशोधन में, जो 23 जनवरी 2007 से प्रभावी हुआ, सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए 25 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा को हटा दिया गया है जिससे एस एल आर अपेक्षा को तय करने में रिज़र्व बैंक को और अधिक लचीलापन मिला है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के संशोधन द्वारा, जो 1 अप्रैल 2007 को प्रभावी हुआ, नकदी आरक्षित अनुपात की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है और रिज़र्व बैंक को शक्ति प्रदान की गई है कि वह प्रचलित मौद्रिक दशाओं के अनुसार नकदी आरक्षित निधि अनुपात निर्धारित करे।

विवेककपूर्ण उपाय

6.19 बैंकिंग और पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के संशोधित पूँजी पर्याप्तता ढाँचे का अनुसरण करते हुए भारत में संशोधित ढाँचा लागू करने के लिए अंतिम दिशानिर्देश बैंकों को अप्रैल 2007 में जारी किए गए। बासेल II के ढांचे में कारगर रूप से अंतरण के लिए बढ़ी हुई पूंजी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों को जनवरी 2006 में यह अनुमति दी गई थी कि वे टियर-I पूंजी के रूप में समावेशन के पात्र नवोन्मेषी बेमीयादी लिखतों (आइ पी डी आइ) तथा अपर टियर-II पूंजी के रूप में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतों के निर्गमन के जरिये अपनी पूंजीगत निधियां बढ़ाएं। जुलाई 2006 में दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई और बैंकों को सूचित किया गया कि बैंक द्वारा आइपीडीआइ के जरिए प्राप्त कुल राशि को आरक्षित निधियों की आवश्यकता के लिए शुद्ध मांग और मीयादी देयता की गणना हेतु देयताओं के रूप में शामिल न की जाए और इस प्रकार इन पर सीआरआर/ एसएलआर अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों में भारतीय-रुपयों में निवेश, कंपनी ऋण लिखत में एफएफआइ द्वारा निवेश के लिए निर्धारित रुपया मूल्य-वर्गीकृत कंपनी ऋण हेतु, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की परिधि से बाहर रहेंगे।

6.20 टियर-I और अपर टियर-II पूंजी जुटाने के लिए भारतीय बैंकों को लिखतों के कई विकल्प उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ उन्हें 29 अक्तूबर 2007 को विनियामक पूंजी के भाग के रूप में अधिमान शेयर जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। ये निर्णय लिया गया है कि बैंकों को भारतीय रुपयों में निम्नलिखित अधिमान शेयर जारी करने की अनुमति दी जाए: i) टियर-I पूंजी के अंतर्गत शास्वत असंचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस): तथा ii) अपर टियर - II पूंजी के अंतर्गत शास्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस), मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) और मोचनीय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)। उक्त लिखतों को बढ़ाने से ये आशा की जाती है कि पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए बैंकों को उपलब्ध पात्र लिखतों के रेंज में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

6.21 वित्तीय स्थिरता पर बैंकों के निवेश के तरीकों से उत्पन्न जटिलताओं को देखते हुए तथा बैंकों को जोखिम भरे निवेशों की ओर बढ़ने से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से सितंबर 2006 में

बैंकों को सूचित किया गया था कि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने वाली संस्थाओं अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), जिसमें भू-संपदा सम्मिलित है, की इकाइयों का अधिग्रहण करने वाली संस्थाओं में बैंकों के एक्सपोजर को वाणिज्यिक भू-संपदा क्षेत्र में किया गया एक्सपोजर माना जायेगा और उन्हें इस प्रयोजन हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे एक्सपोजरों के लिए प्रावधान करना होगा तथा उचित भारांक देना होगा।

6.22 बैंकों द्वारा उद्यम के लिए पूँजी निधि (वीसीएफ) में एक्सपोजर में अंतर्निहित गंभीर जोखिमों को ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त 2006 को बैंकों द्वारा उद्यम के लिए पूँजी निधि (वीसीएफ) में एक्सपोजर हेतु निर्धारित विवेकसम्मत दिशा-निर्देशों के ढाँचे में संशोधन किया गया। तदनुसार उद्यम के लिए पूँजी निधि (वीसीएफ) के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत /अपंजीकृत दोनों) ईक्विटी के समतुल्य माने जायेंगे और इसलिए पूँजी बाजार निवेश सीमा (ईक्विटी से संबद्ध लिखतों में सीधे निवेश तथा समग्र पूँजी बाजार एक्सपोजर की सीमा) अनुपालन हेतु इनकी गणना की जायेगी और ऐसे एक्सपोजर हेतु निर्धारित सीमा उद्यम के लिए पूँजी निधि (वीसीएफ) के निवेशों पर भी लागू होगी। बैंक के पोर्टफोलियो में कोट किए हुए ईक्विटी शेयर/बांड/वीसीएफ की इकाइयां 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में और दैनिक आधार पर अधिमानतः मार्क्ड-टू-मार्केट में रखी जाएं और जारी अनुदेशों के अनुसार अन्य ईक्विटी शेयरों के लिए मूल्यांकन मानदंडों की भाँति कम से कम साप्ताहिक आधार पर उनके मूल्य अंकित किए जाएं। ये दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद कोट न किए हुए ईक्विटी शेयर/बांड/वीसीएफ की इकाइयों में बैंकों के निवेशों को शुरू के तीन वर्षों के लिए 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में रखा जाए और इस अवधि में लागत पर इनका मूल्यांकन किया जाए । इन पर जोखिम भार 150 प्रतिशत रखा जाएगा।

6.23 वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से बैंकों के देयता पक्ष के संकेन्द्रण जोखिम को नियंत्रित करना आस्ति पक्ष के संकेन्द्रण जोखिम जितना ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, अनियंत्रित अंतर-बैंक देयताओं का प्रभाव प्रणालीगत हो सकता है, भले ही अलग-अलग काउंटरपार्टी बैंक आबंटित एक्सपोजर के भीतर हों।किसी बड़े बैंक की अनियंत्रित देयता का भी ञ्डोमिनों प्रभाव पड़ सकताट है। यदि कुल अंतर बैंक देयता स्तर बहुत अधिक है तो तरलता समापन की प्रक्रिया, अन्यथा अपेक्षित की तुलना में, अधिक तीव्र हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में मार्च 2007 में देयता प्रबंधन की एक व्यापक रूपरेखा लागू की गई थी, ताकि बहुत बड़ी राशि की अंतर बैंक देयता पर आधारित कारोबारी मॉडल का अनुसरण करने वाले बैंकों को ऐसे मॉडलों में अंतर्निहित जोखिमों की तथा ऐसे मॉडलों में निहित प्रणालीगत जोखिमों की जानकारी हो सके। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने कारोबारी मॉडल को देखते हुए, पिछले वर्ष 31 मार्च तक की स्थिति के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शायी गयी निवल मालियत की 200 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा के भीतर अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनी अंतर-बैंक देयताओं की एक उपयुक्त सीमा निर्धारित करें। पिछले वर्ष की 31 मार्च के अंकेक्षित तुलन पत्र में 11.25 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर वाले बैंकों को 100 प्रतिशत बिंदु की अर्थात् उनकी निवल मालियत से 300 प्रतिशत तक की अतिरिक्त सीमा रखने की अनुमति दी गई है।

6.24 बैंक का ऋण और अग्रिम पोर्टफोलियो एक विशेष प्रकार के चक्रीय क्रम का अनुसरण करता है अर्थात् उसका विस्तार प्रसरणशीलता के दौर में तेजी से ऊपर उठता है और मंदी के दौर में नीचे गिरता है। प्रसरणशील चरण तथा त्वरित ऋण वृद्धि के दौर में बैंक सामान्यतया अंतर्निहित जोखिम के स्तर को गंभीरता से नहीं लेते और मंदी के दौर में इसका उल्टा होता है। विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के प्रावधान द्वारा इस प्रवृत्ति पर कारगर ढंग से अंकुश नहीं लगाया जा सका क्योंकि वे यथार्थ जोखिमों पर अंकुश लगाते हैं न कि प्रत्याशित जोखिमों पर। अतः यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में मंदी अथवा बाद में ऋण कमजोरियों की स्थिति में बैंकों के तुलनपत्र में गुंजाइश का प्रावधान किया जाए।

6.25 लगातार 3 वर्ष के दौरान (2004-07) ऋण की तीव्र वृद्धि, विशेषतः भूसंपदा क्षेत्र में उच्च ऋण वृद्धि, बकाया क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां, पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए अर्हक ऋण और अग्रिम वैयक्तिक ऋण को बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की दृष्टि से चिंता का विषय माना गया। अतः विशिष्ट क्षेत्रों यथा वैयक्तिक ऋण, पूँजी बाजार एकसपोजर के लिए अर्हक ऋण एवं अग्रिम, जमा न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण एनबीएफसी (एन बी एफ सी - एन डी - एस आइ) तथा वाणिज्यिक भूसंपदा ऋण, के मानक अग्रिमों पर बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) के लिए सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षा 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर मई 2006 में 1.0 प्रतिशत तथा जनवरी 2007 में और बढ़ाकर 2.0 प्रतिशत कर दी गई।

6.26 इस प्रकार, बैंकों से अपेक्षित है कि वे मानक आस्तियों के लिए चार अलग-अलग दरों पर वैश्विक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर न्यूनतम सामान्य प्रावधान करें (बॉक्स : IV.1)। इसके बाद से ये प्रावधानीकरण पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से अनुमत सीमा तक टियर-II पूंजी में समावेशन हेतु लागू होंगे। विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अवमानक आस्तियों में प्रतिभूति-रक्षित एक्सपोजरों के लिए 10 प्रतिशत और गैर जमानती एक्सपोजरों के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधानीकरण किया जाना है। संदिग्ध आस्तियों का, उनके संदिग्ध

सारणी IV.1 - मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएं

(प्रतिशत)

श्रेणी	अपेक्षा
1	2
क. कृषि और लघु तथा मझौले उद्यम क्षेत्रों को सीधे अग्रिम	0.25
ख. 20 लाख रुपये से अधिक के रिहाइशी आवासीय ऋण	1.00
ग. व्यक्तिगत ऋण (क्रेडिट कार्ड से मिलनेवाले ऋण सहित), वाणिज्यिक पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में जाने जानेवाले ऋण और अग्रिम, वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण, जमा स्वीकार न करनेवाले प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋण और अग्रिम	2.00
घ. अन्य सभी ऋण जो कि (क), (ख) और (ग) में शामिल नहीं है।	0.40

रहने की अवधि के आधार पर प्रावधानीकरण श्रेणियों में बांट कर किया जाता है। वर्तमान समय में संदिग्ध आस्तियों का प्रावधानीकरण जमानती भाग पर 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच जबकि गैर-जमानती भाग के लिए यह 100 प्रतिशत है ।

6.27 अप्रत्याशित ऋण हानियों के लिए उच्चतर प्रावधानीकरण कुल मिलाकर बैंकों को वित्तीय मजबूती देता है और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ाता है। वित्तीय प्रणाली को और अधिक मजबूती देने के उद्देश्य से बैंकों को कहा गया कि वे वांछित प्रथा के अनुसार विवेकसम्मत न्यूनतम स्तर से ऊपर स्वेच्छा से प्रावधानीकरण तय करें। यह कार्य बैंकों द्वारा या तो गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए उच्चतर स्तर के लिए विशिष्ट प्रावधान करके अथवा गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु अस्थिर प्रावधानीकरण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। 4 फरवरी 1994 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को प्रावधानीकरण के लिए प्रचलित विवेकपूर्ण दिशा निर्देशों के अनुसार, अपेक्षित प्रावधानों के प्रति अस्थिर प्रावधान, जहां-जहां उपलब्ध था, को प्रतितुलित करने की अनुमति दी गयी थी। तथापि, ऐसा लगता है कि निर्धारित विवेकसम्मत दिशा निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रावधानीकरणों के विरुद्ध प्रतितुलित करने के लिए अस्थायी प्रावधानीकरणों का प्रयोग कुछ मामलों में लाभों को सुगम बनाने के लिए किया गया था। अतः दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई और संशोधित दिशानिर्देश 22 जून 2006 को जारी किए गए।

6.28 दिशा निर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधानीकरणों का उपयोग गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में प्रचलित विवेकसम्मत दिशा निर्देशों के अनुसार विशिष्ट प्रावधानीकरण के लिए अथवा मानक आस्तियों के लिए विनियामक प्रावधान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। निदेशक मंडल के अनुमोदन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से क्षतिग्रस्त लेखों के संबंध में केवल असाधारण परिस्थितियों में सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए अस्थायी प्रावधानों का उपयोग किया जा सकता है। बैंकों के निदेशक मंडलों से अपेक्षित है कि वे एक निर्धारित नीति बनाएं जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि किन परिस्थितियों को असाधारण माना जाएगा। इस संबंध में उपयुक्त नीतियाँ विकसित करने के लिए बैंकों के निदेशक मंडलों की सुविधा हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च 2007 को स्पष्ट किया है कि असाधारण परिस्थितियों से आशय है ऐसी हानियां जो कि कारोबार की सामान्य परिस्थितियों में नहीं होतीं और अपवादस्वरूप तथा ये बार-बार न होने वाली हैं। ये असाधारण परिस्थितियां सामान्यतया तीन श्रेणियों की होती हैं : सामान्य (नागरिक अशांति,देश में मुद्रा की विफलता, प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के कारण बैंकों को होने वाली अप्रत्याशित हानियां), बाजार (बाजारों में आम मंदी) और ऋण (अप्रत्याशित ऋण हानियां)। अस्थायी प्रावधानीकरण को लाभ-हानि खाते में क्रेडिट करके प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है। तथापि, ये प्रावधानीकरण सकल गैर-निष्पादक आस्तियों से विशुद्ध गैर-निष्पादक आस्तियों को घटाकर निकाले जा सकते हैं। प्रकारान्तर से इन्हें कुल जोखिम भारित आस्तियों की 1.25 प्रतिशत उच्चतम सीमा के भीतर टियर II की पूंजी के एक हिस्से के रूप में माना जा सकता है।

6.29 मौद्रिक स्थिरता वित्तीय स्थिरता में भी योगदान देती है। हाल के वर्षों में, कुछ अवसरों पर मुद्रास्फीती दर में कुछ काँटों को छोड़कर, समग्र मौद्रिक स्थिरता और रिज़र्व बैंक की मौद्रिक कार्रवाइयों ने वित्तीय स्थिरता को प्रबल किया है। हाल के वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने कुछ क्षेत्रों में बैंकों के एक्सपोजर के बारे में जोखिम भार बढ़ा दिया है (यथा वाणिज्यिक भूसंपदा ऋण)। ऋण के प्रवाह को कम करने के साथ उक्त उपायों ने बैंकों के तुलनपत्रों के संरक्षण में भी मदद की है।

अनर्जक आस्ति समाधान

6.30 गैर-निष्पादक ऋणों का उच्च स्तर अनेक देशों में बैंकिंग संकट का प्रमुख कारण रहा है। यह प्रायः इतना प्रभावकारी हो जाता है कि इसके कारण बैंकिंग प्रणाली का पुनर्विन्यास करने की नौबत आ जाती है और इसके लिए सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है (बॉक्स VI.2)। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया है कि पुरानी देयताओं की वसूली के लिए प्राधिकरणों को अनेक प्रणालियां अपनानी पड़ी हैं जिसके कारण वर्षों से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की वसूली बढ़ी है (सारणी IV.2)।

6.31 पुनर्विन्यास/पुनर्निर्धारण के बारे में जून 2007 में दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया गया था ताकि अग्रिमों के पुनर्विन्यास के मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित कंपनी ऋण

बॉक्स VI.2 : गैर-निष्पादक ऋण प्रबंधन - विभिन्न देशों के अनुभव

वैश्विक रूप से वर्ष 2003 के दौरान गैर-निष्पादक ऋणों का अनुमानित स्तर लगभग 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर था जिसमें से लगभग 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर अथवा वैश्विक गैर-निष्पादक ऋणों के लगभग 77 प्रतिशत (अर्नस्ट एण्ड यंग, 2004) की जवाबदेही एशियाई देशों की रही है। 1997 के आर्थिक संकट के दौरान बहुत से एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में उच्चतम गैर-निष्पादक ऋणों का प्रतिशत कुल अग्रिमों के 20 प्रतिशत से ऊपर चला गया था। 1990 के दशक के मध्य में, लैटिन अमरीका और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये आंकड़े असुखद स्तरों तक पहुँचकर प्राथमिकतया कुछ प्रकार का संकट लेकर आए (सारणी-1)। बैंक पुनर्विन्यास के कारण आज इन आंकड़ों में तेजी से गिरावट आ गई है और और उन्हें नियंत्रण योग्य स्तर पर लाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप गैर-निष्पादक ऋण प्रबंधन का एक अहम हिस्सा बनाया गया था। वर्ष 2004 तक केवल चीन, थाईलैंड, मलेशिया को छोड़कर अधिकांश देशों में गैर-निष्पादक ऋणों का स्तर कम से सामान्य तक था। भारत में मार्च 2004 के अंत में सकल गैर-निष्पादक ऋणों का स्तर, कुल अग्रिमों का 7.2 प्रतिशत था जो कि मार्च 2007 के अंत में नीचे आकर 2.4 प्रतिशत रह गया।

अनर्जक ऋणों की समस्या के निहित कारण विभिन्न देशों के बीच भिन्न-भिन्न थे। अधिकांश एशियाई देशों का उच्च स्तरीय अनर्जक ऋण 1990 के दशक की दूसरी छमाही में आये दक्षिण पूर्व एशियाई संकट के अनुरूप रहा। अनर्जक ऋणों के लिए उत्तरदायी प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं : राज्य उद्यमों के कारोबार निष्पादन में गिरावट (चीन), निवेशकों के लिए प्रत्याशित सीमा के अनुसार कार्य करने में स्थावर संपदा क्षेत्र की अक्षमता (थाइलैंड और जापान), ब्याज दर नियंत्रण और चयनात्मक ऋण आबंटन (कोरिया), अधिमूल्यन विनिमय दर के कारण आई मंदी तथा स्वयं की स्वामित्ववाली कंपनियों को ऋण देनेवाले बैंक निदेशकों में वित्तीय अनुशासन का अभाव (मेक्सिको)। तुर्की में, राज्य के बैंकों में अनर्जक ऋणों की समस्या मुख्य रूप से राजनीति से प्रेरित ऋण प्रदान किए जाने के फलस्वरूप थी (स्टेनहर्ट, टुकेल और असर, 2004 : रेड्डी के.पी. 2002; और देसमेट 2000)।

अनर्जक ऋणों की संकल्पना के दो पहलू हैं अर्थात ञ्स्टाकट और ञ्आगमोंट की समस्या। ञ्स्टाकट समस्या बैंकों के चालू तुलन पत्रों - पूंजी जुटाने तथा अनर्जक ऋणों को दूर करने से संबंधित है। ञ्आगमोंट की समस्या का विषय बैंकों के अर्जनों की गुणवत्ता में सुधार लाने से संबंधित है ताकि बैंकों के तुलनपत्र में भविष्य के घट-बढ़ को सीमित रखा जाए। इसमें आम तौर पर, दक्षता में सुधार लाने के लिए परिचालनगत पुनर्संरचना करनी होती है जिसके अंतर्गत बेहतर ऋण आकलन, विशेषज्ञता, बेहतर सूचना प्रणाली और लागत घटाना शामिल है। अनर्जक ऋणों की समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अपनायी गयी संकट निवारण प्रक्रिया में आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) का उपयोग करना बहुत ही आम पद्धति थी। अन्य बातों के साथ-साथ अनर्जक ऋणों के साथ निपटने के लिए उपलब्ध कुछ अन्य विकल्प थे- पुनः पूंजीकरण, ऋण अदला-बदली (स्वैप) और ऋण विनिमय के लिए ऋण। ऋण अदला-बदली के अधीन बैंक ऋणों को बाजार मूल्यों तक घटाया जाता है तथा परस्पर स्वैप किया जाता हैं। ऋण विनिमय के ऋण के लिए पार्टियों के बीच समझौता वार्ता कर लेने के बाद ऋण संविदाओं को संशोधित करना होता है, जिसमें प्रायः ब्याज दर घटानी पड़ती है तथा ऋण संविदाओं की परिपक्वता अवधि बढ़ानी पड़ती है।

सारणी 1 : बैंकिंग प्रणाली के सकल अनर्जक ऋण

(कुल अग्रिमों का प्रतिशत)

देश	सर्वोच्च अनर्जक ऋण	सर्वोच्च अनर्जक ऋण का वर्ष	2004 का अनर्जक ऋण
चीन	42	..	12.8
कोरिया	25	1997-99	1.9
मलेशिया	25	1997-99	11.7
थाइलैंड	47	1997-99	11.9
ब्राजील	15	1995-97	3.8
मेक्सिको	13	1995-97	2.8
तुर्की	16	2001	6.0
जापान	9	2002	2.9
स्वीडन	11	1991-93	0.9
भारत	23*	1993	7.2

* : सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए

स्रोत : बीआइएस प्रलेख; आइएमएफ की वेबसाइट (देश की प्रलेख और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट)

अनर्जक ऋणों के उच्च स्तरों के मामलों में बैंकिंग तंत्र की पुनर्संरचना करनी होती है जिसकी समग्र लागत में राजकोषीय लागत के अलावा उत्पादन तथा रोजगार के रूप में होनेवाली हानियां शामिल होती हैं। इस प्रकार, किसी बैंकिंग संकट की समग्र लागत को मापना मुश्किल है। दूसरी ओर, राजकोषीय लागत को विनिर्दिष्ट करना और मापना आसान है। राजकोषीय लागत को मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र के प्रति सकल लागत (चलनिधि समर्थन पर सरकार तथा केंद्रीय बैंक के परिव्यय; बाधित आस्तियों की खरीद; जमाराशियों का भुगतान; तथा ईक्विटी या गौणीकृत ऋण की खरीद के जरिए पुनः पूंजीकरण) और सरकारी क्षेत्र के प्रति निवल लागत (सकल परिव्यय को अधिगृहीत आस्ति और ईक्विटी पण की बिक्री एवं पुनः पूंजीकृत सस्थाओं द्वारा ऋण की चुकौती के साथ निवल बनाया जाता है) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन लागतों का बहुत अधिक होने का अनुमान है। कई देशों के बीच हुई बैंकिंग संकटों की 40 घटनाओं के अनुमान के अनुसार, सरकारें अपनी वित्तीय प्रणाली को पुनः व्यवस्थित बनाने के लिए राष्ट्रीय सकल देशी उत्पाद का औसतन 12.8 प्रतिशत खर्च करती हैं (हनोहान और क्लिंजेबिएल, 2000 और 2001)। विकासशील देशों में यह प्रतिशत और उच्चतर (14.3 प्रतिशत) था। कुछ संकटों की स्थिति के लिए काफी बड़े परिव्यय करने पड़े थे। उदाहरण के लिए अर्जेंटिना और चीन में अस्सी के दशक के प्रारंभ में आए संकट के प्रसंग में सरकारों ने सकल देशी उत्पाद के 40-55 प्रतिशत तक का खर्च उठाया। होलस्कर और क्विंटिन (2003) के अध्ययन में 1981-2003 के दौरान आए बैंकिंग संकटों के विभिन्न प्रसंगों में समग्र देशों की तुलनात्मक राजकोषीय लागतें उपलब्ध हैं। इन लागतों में काफी बड़े अंतर पाये गए जो रूस और अमरीका में अत्यल्प राशि (शून्य के करीब) और इंडोनेशिया में 50 प्रतिशत से अधिक के दायरे में थे।

संदर्भ :

हनोहान पी. और क्लिंजेबिएल, डी (2000) कंट्रोलिंग फिस्कल कोस्ट ऑफ बैंकिंग क्राइसिस; *वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर* सं.2441.

हनोहान पी. और क्लिंजेबिएल, डी (2001) दि फिस्कल कॉस्ट इंप्लिकेशन आफ ऍन अकोमडेटिंग एप्रोच टु बैंकिंग क्राइसिस; जर्नल ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस।

होलस्कर डी.एस. और क्विंटिम, एम.(2003), मैनेजिंग सिस्टमिक बैंकिंग क्राइसिस; *ऑकेजनल पेपर,* आइएमएफ

रेड्डी के.पी.(2002), एकंपेरेटिव स्टडी ऑफ नॉन-पर्फामिंग एसेट्स इन इंडिया इन दि ग्लोबल कांटेस्ट सिमिलैरिटिज एण्ड डिससिमिलैरिटिज, रेमेडियल मेजर्स; www.upan.org

देसमेट के.(2000), एकाउंटिंग फॉर दि मेक्सिकन बैंकिंग क्राइसिस; *इमर्जिंग मार्केटस् रिव्यू;* खंड 1

अल्फ्रेड स्टीनहेर्र, ए.टुकेल, ए. और असर, एम (2004), दि टर्किश बैंकिंग सेक्टर चैलेंजेस एण्ड आउटलुक इन ट्रांजिशन टु ईयू मेंबरशिप; *सेंटर फॉर यूरोपिएन पॉलिसी स्टडीज; ईयू-टर्की वर्किंग पेपर सं.4/अगस्त*

अर्नेस्ट और यंग (2006) ग्लोबल नॉन परफार्मिंग लोन अर्नेस्ट और यंग रिपोर्ट 2006; www.eu.com

अर्नेस्ट और यंग (2004) ग्लोबल नॉन परफार्मिंग लोन अर्नेस्ट और यंग रिपोर्ट 2004; www.eu.com

सारणी VI.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा की गई वसूली

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वसूली
2000-01	16,409
2001-02	17,638
2002-03	23,183
2003-04	28,004
2004-05	26,940
2005-06	29,087
2006-07	27,176

नोट : वर्ष के दौरान वसूली संबंधी आंकड़े, जिसमें अपग्रेडेशन के कारण वसूली, वास्तविक वसूली तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा समझौता/ बट्टा खाता के कारण की गयी वसूली शालि हैं।

स्रोत : परोक्ष विवरणियाँ (देशी)।

पुनर्विन्यास प्रक्रिया के तहत प्रावधानों के अनुरूप किया जा सके। अतिरिक्त विकल्प देने और अनर्जक आस्तियों के लिए स्वस्थ गौण बाजार विकसित करने की दृष्टि से जुलाई 2005 में अनर्जक आस्तियों की बिक्री/खरीद के लिए दिशानिर्देश जारी कर उसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया बैंकों द्वारा अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद / बिक्री की प्रक्रिया, मूल्यन और कीमत निर्धारण पहलू सहित, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, वसूलियों का लेखांकन, पूँजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंड तथा प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं। बैंकों द्वारा व्यक्त कठिनाइयों के उत्तर में मामले की समीक्षा की गयी तथा मई 2007 में दिशानिर्देशों को अंशतः आशोधित किया गया। यह निर्दिष्ट किया गया कि कम-से-कम 10 प्रतिशत अनुमानित नकदी प्रवाह को पहले साल वसूल कर लिया जाए तथा उसके बाद कम-से-कम 5 प्रतिशत प्रत्येक छमाही में वसूल किया जाए। पूरी वसूली तीन साल में कर ली जाए।

जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सशक्त बनाना

6.32 बैंकों को आज कीमतों, विनिमय दरों और ब्याज दरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण अधिक जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्ट्रेस परीक्षण के लिए नियमित प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता बन पड़ी है। अंतरराष्ट्रीय रूप से स्ट्रेस परीक्षण बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का अभिन्न अंग बन गया है और इसे वित्तीय परिवर्तियों में किसी अप्रत्याशित घटना या घट-बढ़ के प्रति संभाव्य अतिसंवेदनशीलता का आकलन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

6.33 बैंकों में मोटे तौर पर दो श्रेणी के स्ट्रेस परीक्षण किये जाते हैं अर्थात् संवेदनशीलता परीक्षण और परिदृश्य परीक्षण। संवदेनशीलता परीक्षण सामान्यतः किसी एक परिवर्ती में होनेवाले परिवर्तन केबैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को आंकने (उदा. के लिए आय वक्र में उच्च कोटि का समांतर बदलाव, विदेशी मुद्रा दरों में उल्लेखनीय घट-बढ़ और ईक्विटी सूचकांक में भारी घट-बढ़) के लिए प्रयुक्त होता है (बॉक्स VI.3)। परिदृश्य परीक्षण में कई परिवर्तियों में एक ही समय में होनेवाले उतार-चढ़ाव शामिल होते हैं उदाहरण के लिए पिछले समय के एक प्रसंग के अनुभव पर आधारित ईक्विटी मूल्य, तेल मूल्य, विदेशी मूल्य दरें, ब्याज दरें और चलनिधि। भारत के बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन के रूप में ज्स्ट्रेस परीक्षणट अपनाये जाने की जरूरत पर वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में जोर दिया गया था। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 26 जून 2007 को स्ट्रेस परीक्षण पर दिशानिर्देश जारी किये। बैंकों से अपेक्षित है कि वे विभिन्न जोखिम घटकों के लिए 30 सितंबर 2007 तक यथोचित स्ट्रेस परीक्षण नीतियां और संबंधित स्ट्रेस परीक्षण ढांचा बना लें तथा 31 मार्च 2008 से औपचारिक स्ट्रेस परीक्षण को परिचालन में लाएं।

समेकन तथा समामेलन

6.34 बढ़ती प्रतिस्पर्धा से बैंक विलयन एवं अधिग्रहण के लिए वैश्विक रूप में अभिप्रेरणा स्वीकृत हुई है। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के अलावा, संस्थाओं की आर्थिक स्थिति में गिरावट के कारण भी विलयन और समामेलन को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से उनमें जो वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं। ऐसी संस्थाएं जो धराशायी होने के कगार पर हैं, जमाकर्ताओं के हितों को पूरी तरह प्रभावित करती हैं और कभी-कभी संक्रमण को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार, वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से विलयन और समामेलन को वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। भारत में छोटे बैंकों के समेकन तथा विलयन के प्रति एक जागरूक दृष्टिकोण अपनाया जाता है ताकि बैंकिंग प्रणाली को सहक्रिया के लाभ प्राप्त हों और उसे सुदृढ़ता प्रदान की जाए। 2006-07 और 2007-08 की पहली छमाही के दौरान, चार बैंकों का अन्य बैंकों के साथ विलयन/समामेलन किया गया जैसा कि अध्याय-3 (खंड-2) में दिया गया है।

पर्यवेक्षी उपाय

6.35 वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से वित्तीय विनियामकों और पर्यवेक्षकों के लिए संकट से बचाव एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अधीन वित्तीय प्रणाली की स्थिति को खतरा पहुंचाने वाले संभाव्य जोखिमों और अस्थिरताओं पर निगरानी रखना शामिल है। संकट की स्थिति आने से बचाव करने की सफलता सूचना एकत्र करने, तकनीकी विश्लेषण, निगरानी तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में समष्टि आर्थिक कार्यनिष्पादन

बॉक्स VI.3 : ब्याज दर जोखिम की माप

ब्याज दर जोखिम किसी वित्तीय संस्था के वित्तीय कार्यों पर विशेष रूप से अर्जनों या निवल ब्याज आय (एनआइआइ) और ईक्विटी पर बाजार ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तनों के प्रतिकूल प्रभाव का जोखिम होता है। ब्याज दर जोखिम की पहचान करना, मात्रा निश्चित करना और उसे मापना काफी महत्वपूर्ण हो गया है विशेष रूप से विनियमनमुक्त वातावरण में तथा बासेल II पूंजी समझौते के स्तम्भ II की अपेक्षाओं के लागू होने की स्थिति में।

ब्याज दर जोखिमों को मापने की विभिन्न तकनीक हैं; जैसे पारंपारिक परिपक्वता अंतर विश्लेषण, अवधि और अनुकरण। किसी बैंक के ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर मापने के दो अलग-अलग परंतु अनुपूरक दृष्टिकोण हैं यथा, अर्जन परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण और आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण। अर्जन परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण में निवल ब्याज आय (एनआइआइ) पर ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन का प्रभाव निश्चित करना शामिल है। यह दृष्टिकोण जिसे जोखिम के साथ अर्जन करने के रूप में भी जाना जाता है, अल्पावधि संभावनाओं से पड़नेवाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में बाजार दरों का पता लगाने के लिए भुनाए गए प्रत्याशित निवल नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण शामिल है। इसमें ब्याज दरों में होनेवाली घट-बढ़ के प्रति बैंक की निवल संपत्ति की संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित होता है और इसके द्वारा दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न होनेवाले जोखिम की पहचान की जाती है।

परिपक्वता अंतर विश्लेषण में सम्मिलित हैं - ब्याज दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए), देयताओं (आरएसएल) और तुलनपत्रेतर स्थितियों का वितरण, उनकी परिपक्वता (निर्धारित दर) के अनुसार पूर्व-परिभाषित समयावधि अथवा उनके अगले पुनर्मूल्य (सचल दर), जो भी पहले हो, की एक निश्चित संख्या में करना । बिना निश्चित पुनर्मूल्यन समयांतर वाली आस्तियों और देयताओं (बचत बैंक, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट) या संविदागत परिपक्वता से इतर वास्तविक परिपक्वताओं वाली आस्तियों और देयताओं (पुट/कॉल आप्शन के साथ बांडों में सन्निविष्ट आप्शन, ऋण, नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट तथा मीयादी जमाराशियों) के लिए न्याय निर्णय, अनुभवजन्य अध्ययन और बैंकों के पिछले अनुभव के अनुसार समयावधि निश्चित की जाती है। अर्जनों पर पड़नेवाले प्रभाव का मूल्यांकन करने की दृष्टि से उस समयावधि के लिए पुनर्मूल्यन अंतर निकालने के लिए प्रत्येक समयावधि के आरएसए से आरएसएल को घटा दिया (निवल बना दिया) जाता है। एक सकारात्मक धनात्मक अंतर दर्शाता है कि बैंक के पास ब्याज दर संवेदी देयताओं (आरएसएल) की तुलना में अधिक ब्याज दर संवेदी आस्तियां (आरएसए) हैं। एक धनात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर का अर्थ है कि यदि ब्याज दर बढ़ती है तो बैंक की निवल ब्याज आय (एनआइआइ) बढ़ेगी और यदि घटती है तो वह घटेगी। इस अंतर को ब्याज दर संवेदनशीलता के एक उपाय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जोखिम पर किए जानेवाले अर्जनों (ईएआर) का हिसाब लगाने के लिए धनात्मक या ऋणात्मक अंतर को अनुमानित ब्याज दर परिवर्तनों द्वारा गुणित किया जाता है।

अवधि या मेकॉले की अवधि की गणना नकदी आगम प्राप्त किए जाने तक लगनेवाले समय के भारित औसत के रूप में की जाती है। भार, प्रतिभूति के वर्तमान मूल्य के खंडित अंश के रूप में प्रत्येक नकदी प्रवाह के बराबर होता है और समय का संबंध भुगतान या प्राप्ति होने तक भविष्य में लगनेवाले समय की मात्रा से है। इसे समय की इकाईयों में मापा जाता है। मेकॉले की अवधि में आनेवाला जरा-सा अंतर संशोधित अवधि होती है जिसे आय (यील्ड) में एक 100 आधार अंक परिवर्तन के लिए मूल्य में होनेवाले अनुमानित प्रतिशत परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। संशोधित अवधि मेकॉले की अवधि को (1+ वाइ टी एम) से भाग करने के बराबर होती है। इसकी यह बताने की उपयोगी विशेषता है कि ब्याज दरों किसी परिवर्तन के कारण किसी प्रतिभूति के मूल्य में प्रतिशत के रूप में कितना परिवर्तन होगा।

प्रतिरक्षण के संदर्भ में, अवधि विश्लेषण से कोई बैंक ब्याज पर जोखिम के प्रभाव को अधिमानित धारण अवधि के साथ आस्तियों और देयताओं की अवधि के अनुरूप बनाते हुए कम करने में सक्षम हो जाएगा। अवधि अंतर मॉडल में निवल ब्याज आय या शेयरधारकों की इक्विटी के बाजार मूल्य को किसी बैंक के तुलन पत्र में शामिल प्रत्येक प्रतिभूति के लिए सभी नकदी आगमों की समयावधि का निर्धारण करते हुए व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्थिर अंतर विश्लेषण के विपरीत, जिसमें कि दर संवेदनशीलता या पुनर्मूल्यन की बारंबरता पर ध्यान केंद्रित होता है, अवधि अंतर विश्लेषण में मूल्य संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित होता है। किसी बैंक का ब्याज दर जोखिम आस्तियों की भारित औसत अवधि की देयताओं की भारित औसत अवधि के साथ तुलना करते हुए बताया जाता है। अंतर विश्लेषण से अवधि अंतर के संकेत तथा मात्रा से इस बात की जानकारी मिलती है कि कोई बैंक संभाव्य रूप से लाभ प्राप्त करेगा या हानि उठाएगा और ब्याज दर के दांव लगाने की मात्रा कितनी होगी। ब्याज दर जोखिम मापन प्रणाली का सरल परिपक्वता/पुनर्मूल्यन कार्यक्रमों के आधार पर किए जानेवाले मापन की अपेक्षा अनुकरण अत्यधिक आधुनिक साधन है। अनुकरण तकनीकों में विशिष्ट रूप से अर्जनों और आर्थिक मूल्यों पर ब्याज दरों में परिवर्तनों के संभाव्य प्रभावों का विस्तृत आकलन होता है जो ब्याज दरों की भावी दिशा, आय वक्र की स्थिति, कारोबारी गतिविधि में परिवर्तन मूल्यन और प्रतिरक्षा (हेजिंग) नीतियों की तथा नकदी आगमों पर उनके प्रभाव की अनुकृति द्वारा किया जाता है।

भारत के संदर्भ में, वर्ष 1993 से प्रारंभ करते हुए ब्याज दरों पर प्रशासनिक प्रतिबंध निरंतर रूप से शिथिल कर दिए गए हैं और फिलहाल कुछेक को छोड़कर सभी ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया गया है। इससे बैंकों को ब्याज दर परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है और परिणामतः ब्याज दर जोखिम बैंकों के लिए अतिसंवेदनशीलता का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। इसके अलावा, ब्याज दरों के अविनियमन, निवेश संविभाग के वर्गीकरण और मूल्यन संबंधी मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना दिया गया है। बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों अर्थात् व्यापार के लिए धारित (एएफटी), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में वर्गीकृत करें। एचएफटी और एएफएस के अधीन वर्गीकृत निवेशों से ट्रेडिंग बही बनती है और इन्हें नियमित अंतरालों पर बाजार मूल्यों पर बही में अंकित करना होता है तथा उनके मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है। वर्ष 2005 के पहले, विशेष रूप से वर्ष 1997 तथा 2005 के बीच में, भारतीय बैंकों के पास विभिन्न कारणों से यथा ऋण की कुल खरीद का अभाव, विद्यमान उच्चतर अनर्जक आस्तियां और ऋणों के लिए पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता के कारण सांविधिक अपेक्षाओं से काफी ऊंचे स्तर पर सरकारी प्रतिभूतियां धारित थीं। हालांकि, अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियां धारित करने के इस दृष्टिकोण के कारण भारतीय बैंक ऋण जोखिम से बच गए, फिर भी, इसके कारण उन्हें उच्च ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ा। प्रसंगवश, वित्तीय वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान चूंकि ब्याज दरें घट गई थीं, अतः, बैंकिंग उद्योग को भारी प्राप्ति हुईं। तथापि, बाद में आय में हुई निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप बैंकों से कहा गया कि वे अपने निवेश संविभाग पर भारी मूल्यह्रास दर्ज करें। विनियामक सहायता उपलब्ध करानी पड़ी जिससे बैंकों को, एकबारगी उपाय के रूप में, अपने निम्नतम आधार को संरक्षण देने के लिए प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग बही से बैंकिंग बही में अंतरित करने की अनुमति मिली। इस प्रक्रिया में, बैंकिंग बही (एचटीएम) में बैंकों की प्रतिभूति धारिता बहुत अधिक बढ़ गई और ये ब्याज दर जोखिम से कारगर रूप से सुरक्षित थे।

रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली की ब्याज दर संवेदनशीलता का निर्धारण करने के लिए आवधिक रूप से विश्लेषण करता रहा है। जोखिम पर अर्जन (ईएआर) विश्लेषण के अलावा, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बैंकिंग समिति द्वारा ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत (सितंबर 2003) में सुझायी गयी पद्धतियों के आधार पर बैंकों के निवेश संविभाग का आवधिक विश्लेषण किया जाता है। आवधिक संवेदनशीलता विश्लेषण ब्याज दर में 100, 125 और 150 आधार अंकों की वृद्धि के लिए बैंकों के निवेश संविभाग पर संभाव्य प्रभाव को और बैंकों के लिए अपने आर्थिक मूल्य में ह्रास को अवशोषित करने के लिए उपलब्ध कुशन की सीमा का अंदाज लगाया जाता है। विनियामक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पता लगाए गए बाह्य कारकों के साथ पर्यवेक्षी कारवाई की पहल की जाती है।

एवं वित्तीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पर्यवेक्षी, विनियामक और निगरानी व्यवस्था के जरिए, जानकारी एकत्र करना निहित होता है। अलग-अलग संस्थाओं संबंधी जानकारी पर आधारित पर्यवेक्षी प्रक्रिया को लाभ प्रदान करने की दृष्टि से कारोबारी एवं ऋण चक्रों में अर्थव्यवस्था की स्थिति संबंधी जानकारी से भली प्रकार सहायता प्रदान की जा सकती है, क्योंकि समष्टि अर्थव्यवस्था एवं बाज़ार कार्य निष्पादन से ऐसी पृष्ठभूमि उपलब्ध हो जाती है जिसके आधार पर अलग अलग संस्थाओं के परिचालनात्मक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस प्रकार, वित्तीय स्थिरता के लिए उचित स्थितियां बनाए रखने में पर्यवेक्षी ढांचा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और वह सुरक्षा के पर्याप्त उपाय प्रस्तुत करता है ताकि वित्तीय प्रणाली पर पड़नेवाले आघातों को कम रखा जाए[3] रिज़र्व बैंक ने एक सुदृढ़ पर्यवेक्षी ढाँचा भी तैयार किया है जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष पर्यवेक्षण शामिल है। 2006-07 के दौरान पर्यवेक्षी मानदंडों का मुख्य ध्यान वित्तीय समूहों की निगरानी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने पर था।

6.36 भारत में वित्तीय समूहों के उदय होने से नई-नई चुनौतियां सामने आई हैं। वित्तीय समूहों के विनियमन में सबसे बड़ा मुद्दा एक या दो क्षेत्र आधारित विनियामक व्यवस्थाओं के प्रति उनका एक्सपोजर है। इससे समग्र पर्यवेक्षी प्रक्रिया में अंतराल अथवा अतिव्यापन की स्थिति हो जाती है। इससे प्रायः इन संस्थाओं को प्रभावी तरीके से पर्यवेक्षित करने और विनियमित करने के लिए अपेक्षित सभी संबंधित जानकारियों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के विनियामकों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण अपेक्षित है। इसलिए वित्तीय समूहों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए वित्तीय समूहों के निगरानी ढाँचे को सशक्त बनाने हेतु निगरानी विनियामकों के साथ परामर्श करके कई कार्य किए गए हैं। वित्तीय समूहों पर बनाए गए कार्य दल (अध्यक्ष : श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) द्वारा सुझाई गई परिभाषा के अनुसार 23 वित्तीय समूहों की पहचान की गई है। तथापि, पहचाने गए अनेक वित्तीय समूहों के अधीन न केवल बहुत कम निकाय थे, बल्कि एक बाजार क्षेत्र से परे उनका परिचालन भी सीमित था। इनमें से कुछ समूहों के आंतर-समूह लेन-देन भी बहुत कम थे। इसलिए यह महसूस किया गया कि ऐसे समूहों को केंद्रित वित्तीय समूह निगरानी के अधीन रखना प्रभावी नहीं होगा। तदनुसार, सर्वांगीण दृष्टि से महत्वपूर्ण और इस कारण जिनके लिए दक्ष पर्यवेक्षी प्रणाली जरूरी है ऐसे प्रमुख वित्तीय समूहों पर अधिक ध्यान देने की दृष्टि से वित्तीय समूहों की पहचान करने संबंधी मानदंडों पर पुनर्विचार किया गया। संशोधित मानदंड के अनुसार वित्तीय समूह को ऐसी कंपनियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कम से कम दो वित्तीय बाजार खंडों में उल्लेखनीय रूप से भाग लेती हैं। बैंकिंग, बीमा, म्युच्युअल फंड, और एनबीएफसी (जमाराशि स्वीकार करनेवाली तथा जमाराशि स्वीकार न करनेवाली) को वित्तीय बाजार घटक के रूप में माना जाता है।

6.37 पर्यवेक्षण के विषयों पर सही ढंग से ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से वित्तीय समूहों की तिमाही विवरणियों के फार्मेट में संशोधन कर उसमें सकल/निवल एनपीए संबंधी जानकारी और बाधित आस्तियों, अशोध्य ऋणों, किसी समूह संस्था में धोखाधड़ी, समूह द्वारा किए गए 'होल्डिंग आउट' परिचालन, अन्य आस्तियों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन शामिल किए गए हैं। जहां वित्तीय समूहों के निगरानी ढांचे में निर्दिष्ट वित्तीय बिचौलियों अर्थात रिज़र्व बैंक, सेबी, इर्डा या एमएचबी द्वारा विनियमित संस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है वहीं विवरणियों का फार्मेट उचित रूप से संशोधित कर उसके अंतर्गत समूह की विनियमित और अविनियमित संस्थाओं में होनेवाले अंतर-समूह लेनदेन और एक्सपोजर लाए गए हैं ताकि समग्र रूप से उभरनेवाले सर्वांगीण जोखिम को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

6.38 वित्तीय प्रणाली पर धोखाधड़ी की गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं अर्थात् वाणिज्य बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में पता लगाए गए धोखाधड़ी के मामलों पर केंद्रीकृत रूप में निगरानी रखने के लिए जून 2004 में एक धोखाधड़ी निगरानी कक्ष (एफआरएमसी) गठित किया गया। रिज़र्व बैंक ने मई 2006 में बैंकों में आवास ऋणों के क्षेत्र में होनेवाले धोखाधड़ी के प्रसंगों को घटाने की दृष्टि से अपनाए जा सकनेवाले कुछ सर्वोत्तम संव्यवहार परिचालित किए। नवंबर 2006 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ई-मेल/फैक्स संदेशों के जरिए प्राप्त होनेवाले अनुरोधों के आधार पर अनिवासियों के खाते से निधियां प्रेषित करते समय सतर्कता बरतने के बारे में सचेत किया। उनसे कहा गया कि वे धनप्रेषण करने से पहले संदेशों की प्रामाणिकता को अच्छी तरह से सत्यापित कर लें विघटनकारी कार्यकलापों के लिए मुद्रा के देश से बाहर की आवाजाही को रोकने के लिए भी पहल किये गये थे (बॉक्स VI.4)।

6.39 भारत में वित्तीय स्थिरता की स्थिति का आकलन करने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2006 में वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (सीएफएसए) (अध्यक्ष डॉ. राकेश मोहन, सह -अध्यक्ष:डॉ. डी. सुब्बाराव) गठित की थी। उक्त आकलन की मुख्य अवधारणा परस्पर एक दूसरे को बल प्रदान करने वाले तीन स्तंभों पर आधारित है यथा - (i) वित्तीय स्थिरता आकलन और स्ट्रेस परीक्षण; (ii) कानून, आधारभूत व्यवस्था (इंफ्रास्ट्रक्चर) और बाजार विकास के मामले;

[3] स्चिंनासी, जी.जे. (2006) सेफगार्डिंग फाइनेंशिएल स्टैबिलिटी - थ्योरी एंड प्रैक्टिस; आइएमएफ।

बॉक्स VI.4: धन शोधन, आतंकवाद वित्तीयन और अन्य बाज़ार दुरुपयोगों का सामना करना

वित्तीय लेनदेनों में, ग्राहकों की ईमानदारी एवं निधियों की शुद्धता के संबंध में रिज़र्व बैंक की विनियामक चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं। स्थाई खाता संख्या (पैन), ग्राहक के फोटो के प्रस्तुतीकरण, धन प्रेषण के मामले में, तय सीमा के बाहर नकद लेनदेनों की अनुमति नहीं देने, उद्योग में उचित ञ्अपने ग्राहक को जानिएट (केवाईसी) संस्कृति को बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जारी नकारात्मक सूची से लेन-देनों को मिलाने के संबंध में बैंकों को विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा ग्राहक पर समुचित ध्यान दिए जाने पर जारी कागज़ातों एवं धन-शोधन निवारण (एएमएल) मानकों एवं आंतकवाद के वित्तीयन से लड़ने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) द्वारा की गई संस्तुतियों के संदर्भ में नवंबर 2004 में केवाईसी दिशा-निर्देशों को पुनःदोहराया गया। बैंकों ने अपने निदेशक मंडल की अनुमति से संशोधित केवाईसी/एएमएल/सीएफटी दिशा-निर्देशों के पूर्ण अनुपालन की सूचना दी है तथा प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देशों के निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए इसे नीचे के अधिकारियों/कर्मचारियों तक पहुंचा दिया है। नवंबर 2004 के बाद अपराधियों द्वारा इरादतन या गैर-इरादतन रूप में धन-शोधन या आतंकवाद वित्तीय कार्यकलापों से बैंक को बचाने के लिए जोर दिया गया। यह बैंक को अपने ग्राहकों और उनके वित्तीय लेन-देनों को बेहतर रूप से जानने/समझने में मदद करेगा, जो उनके जोखिम को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करने में मदद करेगा। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि अपराधी या आतंकवादियों द्वारा गलत प्रयोग के लिए गुमनाम या फर्ज़ी/बेनामी नामों का कोई भी खाता न खुले और बैंकों को असंगत लागत एवं ग्राहकों पर बोझ पड़ने से बचाने के लिए नीति बनाते वक्त पर्याप्त सावधनी बरती गई है।

धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अधिनियमन के द्वारा भारत सरकार ने वैधानिक ढ़ांचा तैयार किया है। पीएमएलए 2002 की अधिसूचना पर, बैंकों को उपलब्ध नकद एवं संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्ट वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आइएनडी) को उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्टिंग ढांचा निर्धारित किया गया है। पीएलएलए के अधीन एमआईयू-आइएनडी को अपनी रिपोर्ट भेजने के पश्चात अदालती कार्यवाहियों से छुटकारा मिल जाने के वक्त रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सावधान किया है कि एमआईयू-आइएमडी को रिपोर्ट किए गए संदिग्ध लेन-देनों से संबंधित मामले को ग्राहकों को न बताएं।

9/11 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आतंकवादी कार्यकलापों के वित्तीयन के उद्देश्य से वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग से बचाने के लिए एफएटीएफ ने 9 विशेष संस्तुतियां (एसआर) की हैं।एस आर-VII वायर लेन-देनों से संबंधित है और ऐसे लेन-देन करते वक्त बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले एहतियाती कदमों से संबंधित हैं। बैंकिंग चैनल के माध्यम से आतंकवाद को वित्तीयन से रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को कहा है कि सभी वायर अंतरण लेन-देनों में लेन-देन करने वाले की पूरी सूचना जैसे नाम, खाता संख्या और अंतरण करने वाले ग्राहक का पता उपलब्ध होना चाहिए; आवश्यकता होने पर उचित जांच एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं तुरंत प्राप्त हों। ये अनुदेश घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों वायर अंतरण लेन-देनों पर लागू हैं। बैंकों को सलाह दी गई है कि यदि संपर्क किया जाने वाला बैंक अनुदेशों के बावजूद प्रेषक के बारे में सूचना देने में असमर्थ रहता है तो उसके साथ व्यवसायी संपर्क पर रोक लगाने या बंद करने पर विचार किया जा सकता है।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों और संहिताओं के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति एवं प्रगति का आकलन। आकलन प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने के लिए सीएफएसए ने (i) वित्तीय स्थिरता और स्ट्रेस परीक्षण; (ii) वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण; (iii) संस्था और बाज़ार संरचना; और (iv) पारदर्शिता मानदंडों के आकलन के लिए चार परामर्शी पैनल गठित किए हैं। ये परामर्शी पैनल उपर्युक्त प्रत्येक पहलू पर अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे। पैनल को तकनीकी जानकारीयुक्त साहित्य एवं आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सीएफएसए ने तकनीकी दल बनाए जिनमें मुख्यत: विनियामक एजेंसियों और सरकार के ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने उपर्युक्त संबंधित क्षेत्रों के तकनीकी पक्ष से जुड़े कार्यों में प्रगति की है। सीएफएस परामर्शी पैनल रिपोर्टों के साथ अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगा। सीएफएसए द्वारा उक्त आकलन मार्च 2008 तक पूरा किए जाने की आशा है।

अन्य वित्तीय संस्थाएं

6.40 अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाओं (एफआई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समग्र वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से इन संस्थाओं का सुगमतापूर्वक कार्य करना भी महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं, विषेश रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं की व्यापक पहुंच को देखते हुए तथा वित्तीय समावेशन को और अधिक बढ़ावा देने में इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक ने इन संस्थाओं की परिचालनगत दक्षता एवं वित्तीय सुदृढ़ता को बेहतर करने केलिए कई प्रयास किए हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक

6.41 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सुनियोजित फ़ाइनेंशियल नेटवर्क वित्तीय स्थिरता की परिस्थितियों को बल प्रदान कर सकता है, साथ ही यह सतत् आर्थिक वृद्धि के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था प्रदान कर सकता है। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा जिससे इन संस्थाओं के पूर्ण क्षमतागत लाभ का दोहन नहीं हो पाया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित था और केवल एक लक्ष्य-समूह के प्रति एक्सपोज़र होने के कारण, रिस्क अधिक रहा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास खजाना प्रबंधन के क्षेत्र में इतना कौशल नहीं था जो लाभ दिला सके, एक्सपोज़र की कमी और नये

प्रोडक्ट बनाने लायक स्किल न होने के कारण उधार का पोर्टफोलियो भी सीमित रहा। कार्य करने में स्वायत्तता की कमी के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निष्पादन प्रभावित हुआ क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिकांश निर्णयों के लिए प्रायोजक बैंक, सरकार, नाबार्ड और रिज़र्व बैंक की ओर ताकना पड़ता था। इस प्रकार, कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय लाभप्रदता इन समस्याओं के कारण घटी और इसके कारण वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया और वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

6.42 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने की दृष्टि से सरकार ने सितंबर 2005 में प्रायोजक बैंक-वार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्य स्तर पर समामेलन की कार्रवाई प्रारंभ की। यह प्रक्रिया 2006-07 के दौरान और आगे बढ़ाई गई जब 37 और बैंकों का समामेलन किया गया। कुल मिलाकर, अब तक (सितंबर 2005 से सितंबर 2007) 17 राज्यों में 19 बैंकों द्वारा प्रायोजित 147 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन से 46 नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना लिए गये हैं। परिणामस्वरूप, 30 सितंबर 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 196 से घटकर 95 रह गई। आरआरबी के संरचनागत समेकन के फलस्वरूप नए आरआरबी बनाए गए जो कारोबारी मात्रा तथा फैलाव की दृष्टि से वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं आकार में बड़े हैं। इससे वे बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठा सकते हैं और अपने परिचालनगत खर्च में कटौती कर सकते हैं।

6.43 वर्ष 2007-08 के केंद्रीय बजट में ऋणात्मक निवल मालियत (निगेटिव नेट वर्थ) वाले आरआरबी को चरणबद्ध रूप से पुनःपूंजीकृत (रिकैपिटलाइज़)किये जाने की घोषणा के बाद चुनिंदा प्रायोजक बैंकों और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के परामर्श से रिकैपिटलाइज़ेशन की पद्धति तैयार की जा रही है।

6.44 आरआरबी के कार्यनिष्पादन को सुधारने तथा उनके बोर्डों को निर्णय करने के संबंध में अधिक शक्ति तथा लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2006 में परिचालनगत दक्षता हेतु आरआरबी बोर्ड सशक्तिकरण कार्यदल (द टास्क फ़ोर्स ऑन एम्पावरिंग आरआरबी बोर्ड्स फॉर ऑपरेशनल इफ़िशिएंसि)(अध्यक्षः डॉ. के.जी. करमरकर) गठित किया था। उक्त कार्य दल को ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताने को कहा गया था जहां बोर्डों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सके, विशेष रूप से निवेश, कारोबार विकास और स्टाफ व्यवस्था अर्थात स्टाफ संख्या के निर्धारण, नई भर्तियों और पदोन्नति के संबंध में । उक्त कार्य दल ने 31 जनवरी 2007 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफ़ारिश की है कि (i) समामेलन के बाद निर्मित बड़े आकारवाले आरआरबी के मामले में आरआरबी के निदेशक बोर्ड के निदेशकों की संख्या चयनात्मक आधार पर बढ़ाकर 15 कर दी जाए; (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष का चयन अर्हता प्राप्त अधिकारियों के पैनल में से गुणवत्ता के आधार पर किया जाए (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (एसएआरएफ़एईएसआइ) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत लाया जाए। कार्यदल की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है और अन्य जाँचा परखा जा रहा है। 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकट को वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (एसएआरएफ़एईएसआइ)अधिनियम, 2002 की दृष्टि से 'बैंक' कहे जाने संबंधी अधिसूचना भारत सरकार ने 17 मई 2007 को पहले ही जारी कर दी है।

शहरी सहकारी बैंक

6.45 भौगोलिक विस्तार, कार्य क्षेत्र, आकार की दृष्टि से और अपने-अपने निष्पादन के हिसाब से भी शहरी सहकारी बैंकों में विषमताएं हैं। तथापि, इस क्षेत्र में कुछ दुर्बलताएं कुछ इकाइयों की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट हुईं जिससे जनता का विश्वास कम हुआ है और नियामकों तथा व्यापक तौर पर इस सेक्टर को चिंता हुई है। शहरी सहकारी बैंकों की एक बड़ी समस्या उनके लिए दुहरी विनियामक व्यवस्था का होना है जिसके अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण राज्य सरकारों द्वारा, सहकारी समितियों के पंजीयक के माध्यम से तथा रिज़र्व बैंक, दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, एक से अधिक राज्यों में मौजूदगी वाले बैंकों के मामले में, केंद्र सरकार की ओर से सहकारी समितियों का केंद्रीय पंजीयक इन शक्तियों का प्रयोग करता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी शहरी सहकारी बैंकों को प्रभावित करने वाले दूसरे कारण थे। कई शहरी सहकारी बैंकों के आदर्श आकार के न होने से भी उनकी कार्यक्षमता और लाभप्रदता प्रभावित हुई। जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय IV में वर्णित किया गया है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों का अनर्जक आस्तियों का अनुपात काफी अधिक था।

6.46 प्रणाली की जोखिम को कम करने की आवश्यकता को भाँपते हुए रिज़र्व बैंक ने एक नियामक और पर्यवेक्षी ढाँचा (रेग्यूलेटरी एंड सुपरवाइज़री फ्रेमवर्क) प्रदान करने का प्रयास किया जिससे इस क्षेत्र की समस्याओं और दुहरे नियंत्रण की कमियों को समुचित रूप से दूर किया जा सके। एक ऐसा सुपरवाइज़री सिस्टम भी स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई जो शहरी सहकारी बैंकों के विषम स्वरूप के गहन विश्लेषण पर आधारित होगी तथा इस क्षेत्र को मजबूत करने की नीति के अनुरूप होगी। इस दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसे मार्च 2005 को पब्लिक डोमेन में डाला गया और बाद में अंतिम रूप दिया गया। विजन दस्तावेज के प्रस्ताव के अनुसार उन राज्य सरकारों से समझौता ज्ञापन (एमओयू)पर हस्ताक्षर करने

के लिए कहा गया जिनके यहाँ काफी बड़ी संख्या में शहरी सहकारी बैंक हैं। ज्ञापन प्रत्येक राज्य में शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्य दल (टैफकब) के गठन का आधार प्रदान करता है जो विचार-विमर्श-आधारित (कंसल्टेटिव)निर्णय प्रक्रिया में एक मंच का कार्य करे। रिज़र्व बैंक और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा, टैफकब में शहरी सहकारी बैंक सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल हैं। टैफकब संबंधित राज्य में कमजोर परंतु चलने लायक (गैर अनुसूचित) शहरी सहकारी बैंकों की पहचान करता है और उनके पुनरुज्जीवन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाता है। यह लगाए जाने वाले फंड्स के स्वरूप और उसकी सीमा एवं प्रबंधन में परिवर्तन की आवश्यकताओं को चिह्नित करता है और उन आवधिक लक्ष्यों के बारे में बताता है जिन्हें प्राप्त किया जाना है। इसके अतिरिक्त, टैफकब द्वारा अर्थक्षम नहीं पाए जाने वाले शहरी सहकारी बैंकों को बैंकिंग कारोबार से बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसा वे या तो मजबूत बैंकों के साथ विलय करके कर सकते हैं, यदि अधिग्राहक (एक्वायरिंग)बैंक को ऐसे विलयन से कोई लाभ हो रहा हो अथवा गैर-सदस्य जमाराशियों का भुगतान करके और भुगतान प्रणाली से बाहर होकर अपने को स्वैच्छिक रूप सहकारी समिति में बदल सकते हैं। यदि अन्य कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं बचा है, तो रिज़र्व बैंक के आदेश से पंजीयक द्वारा उनका परिसमापन भी किया जा सकता है। सितंबर 2007 तक 13 राज्यों ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 92 प्रतिशत से अधिक की कुल जमाराशियों वाले 83 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों को कवर किया गया। विलय प्रस्तावों को अनापत्ति प्रदान करने संबंधी पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ दिशा-निर्देशों को उपलब्ध कराके कमजोर इकाइयों के मजबूत में विलय की प्रक्रिया के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों का समेकन (कस्सोलिडेशन) प्रारंभ कर दिया गया है। विलय/ समामेलन संबंधी प्रस्तावों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक जमाकर्ताओं के हित और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय पहलुओं तक ही अपना अनुमोदन सीमित रखता है। संबंधित सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक/सहकारी समिति पंजीयक द्वारा सांविधिक आदेश जारी करके 30 अक्तूबर 2007 तक कुल 33 विलय किए गए।

6.47 रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के अपने प्रयास जारी रखे कि शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को बैंकिंग संस्थानों के सशक्त और स्वस्थ नेटवर्क के रूप में उभारा जाए ताकि वे तत्वतः समाज के मध्य और निम्न मध्य वर्गों तथा सीमांत वर्गों को जरूरत आधारित गुणवत्तावाली बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सके [4]। 'विज़न डॉक्यूमेंट' के अनुसार छोटे-छोटे शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए, बैंकों को टियर I शहरी सहकारी बैंक (यूनिट बैंक अर्थात ऐसे बैंक जिनकी शाखा/शाखाएं एक ही जिले में हैं और जिनकी जमाराशियां 100 करोड़ रुपए है) और टियर II बैंक (अर्थात् अन्य सभी शहरी सहकारी बैंक) के रूप में वर्गीकृत किया गया। टियर I और टियर II बैंकों के लिए संशोधित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार जहाँ टियर II बैंक 90 दिन के चूक(डेलीक्वेंसी) मानदंड के अधीन हैं जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू हैं, टियर I बैंकों के लिए 180 दिन के चूक मानदंड को एक वर्ष और अर्थात् 31 मार्च 2008 तक बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि निम्नतर प्रावधानीकरण की आवश्यकताओं के अनुसार छोटे शहरी सहकारी बैंकों को राहत मिले, जिससे लाभ अधिक हो और उसे इन बैंकों के पूंजीगत आधार को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जा सके।

6.48 यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च ऋण वृद्धि के वातावरण में आस्ति गुणवत्ता को बनी रहे, एक से अधिक जिलों (जमाराशि का आकार जो भी हो)में कार्यरत टियर II बैंकों और अन्य सभी शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में गिने जाने वाले ऋण व अग्रिम तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण (कॉमर्शियल रियल इस्टेट लोन्स) से संबंधित मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधानीकरण की आवश्यकता को 1.00 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.00 प्रतिशत किया जाए। वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कॉमर्शियल रियल इस्टेट) में एक्सपोजर पर जोखिम भार भी 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत किया गया है।

वित्तीय संस्थाएं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

6.49 अर्थव्यवस्था की मध्यम से दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में ऐतहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वित्तीय संस्थाएं, बदलते परिचालन वातावरण के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास कर रही हैं। दो बड़ी वित्तीय कंपनियों को पहले ही बैंकों में बदल दिया गया है। रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि प्रणाली में कार्यरत वित्तीय संस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत रखें। इसके प्रयोजनार्थ बैंकों से संबंधित विवेकशील मानदंडों को उपयुक्त फ़ेरबदल के साथ रिज़र्व बैंक वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू करके उन्हें मजबूत बना रहा है।

6.50 समूचे वित्तीय क्षेत्र के लिए लागू मानदंडों के अनुसार वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक मानदंड के क्रमिक उन्नयन के लिए हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंकने अपनी नीतिगत पहल को जारी रखते हुए 2006-07 के दौरान कई कदम उठाए। आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और सरकारी गारंटीकृत एक्सपोजरों से जुड़े हुए अन्य मामलों संबंधी मानदंडों को 2006-07 के दौरान संशोधित किया गया था। 31 मार्च 2007 से यदि वित्तीय संस्थान

[4] इन मानदंडों पर इस रिपोर्ट के अध्याय IV में विस्तार से चर्चा की गई है।

को देय ब्याज और/या मूल राशि या कोई अन्य राशि 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय रहती है तो राज्य सरकार गारंटीकृत अग्रिमों और राज्य सरकार गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेशों के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड लागू होंगे।

6.51 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय बिचौलियों के रूप में वित्तीय क्षेत्र के लिए किए गए योगदान को देखते हुए रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को वित्तीय रूप से मजबूत इकाई के रूप में विकसित होने पर लगातार बल देता रहा है। वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के कार्यकलाप को चुस्त दुरुस्त करने और इस क्षेत्र में विवेकपूर्ण उपायों के कार्यान्वयन का महत्त्व बढ़ जाता है।

6.52 हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं सुदृढ़ स्थिति में काम करें और अत्यधिक जोखिम से बचें। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1997 में संशोधनों के पश्चात् गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियामक ढ़ांचे में काफी परिवर्तन हुए, जिसके द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक को व्यापक शक्तियां प्रदान की गईं। संशोधित अधिनियम के द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे रिज़र्व बैंक से पंजीयन का प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त करें। रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल संख्या जून 2006 के अंत के 13,014 से घटकर जून 2007 के अंत में 12,968 हो गई। इसके अलावा, कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपना कारोबार बदलकर जनता की जमाराशियाँ स्वीकार न करने की गतिविधियों को अपना लिया जिसके कारण जनता से जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों की संख्या भी घटी। इस प्रकार कमजोर और अर्थ-अक्षम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रणाली में से हटाने में मदद मिली।

6.53 एनबीएफसी के संबंध में पर्यवेक्षण का फोकस इस पर बदलता है कि उसकी आस्ति आकार क्या है और क्या वह जनता का पैसा स्वीकार करती है / अपने पास रखती है। जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए, जनता की जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक मानदंड अपेक्षाकृत अधिक कठोर हैं। तथापि, बड़ी-बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भले ही जनता की जमाराशियां स्वीकार नहीं करें पर सिस्टम के लिहाज से महत्वपूर्ण होती हैं। इसको देखते हुए, सितंबर 2004 को समाप्त तिमाही की शुरुआत से जनता की जमाराशियां स्वीकार न करने वाली /पास न रखने वाली तथा 500 करोड़ रुपए और इससे अधिक की संपत्ति के आकार वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई। 2006-07 के दौरान, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियामक ढाँचे को मजबूत करने के लिए की गयी एक बड़ी पहल थी -विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी करना, जिससे नियामक फाँक को घटाया जा सके। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी परिभाषित किया गया और इन कंपनियों के लिए विवेकशील मानदंड निर्धारित किए गए।

6.54 पिछले लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्तिवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जो जमाराशियां स्वीकार नहीं करती, को अब प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) माना जाएगा। उनसे अपेक्षित है कि वे 10 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर (जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात) बनाये रखें। इसके अतिरिक्त, जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कहा गया कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल आस्तियोंवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरबीएफ़सी)को पूंजी बाजार ऋण एक्सपोजर संबंधी विवरणी संबंधित माह की समाप्ति के सात दिन के भीतर निर्धारित फार्मेट में मासिक आधार पर प्रस्तुत करनी होगी। संशोधित मानदंड पर आधारित ऐसी पहली विवरणी 30 अप्रैल 2007 को समाप्त माह तक प्रस्तुत की गई थी।

निक्षेप बीमा

6.55 निक्षेप बीमा प्रणाली (डीआइएस) का प्रमुख उद्देश्य देश की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखना और बैंकों के असफल होने की स्थिति में उनके वित्तीय रूप से कमजोर जमाकर्ताओं को हानि से बचाना है। निक्षेप बीमा प्रणाली की सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय निक्षेप बीमाकर्ता संघ के दिशा-निर्देशों के अनुसार निक्षेप बीमा प्रणाली को सुरचित वित्तीय सुरक्षा नेट का भाग बनने की आवश्यकता है, जिसके समर्थन में विवेकसम्मत विनियम और पर्यवेक्षण, प्रवर्तनीय प्रभावी कानून और स्वस्थ लेखांकन एवं प्रकटीकरण नियमों का होना आवश्यक है (बॉक्स VI.5)।

6.56 भारत में, निक्षेप बीमा और ऋण प्रत्यय गारंटी निगम, जो 1978 में वर्तमान स्वरूप में बना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा अधिकांश सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं को निर्धारित राशि तक बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

6.57 भारत में निक्षेप बीमा प्रणाली को आसानी से समझने के लिए 2006-07 में डीआइसीजीसी पर एक पुस्तिका के साथ एक मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई थी। इससे बैंक ग्राहकों में जागरूकता पैदा करने और विश्वास दिलाने में आसानी हुई। बैंक के परिसमापन की अवस्था में बैंक ग्राहकों को और राहत दिलाने के लिए डीआइसीजीसी ने 27 अप्रैल 2007 को संयुक्त खाता धारकों के दावों का निपटान करने के लिए अपनी नीति की समीक्षा की। संशोधित नीति के अनुसार, दो या उससे अधिक वैयक्तिकों के दो अलग संयुक्त

बॉक्स VI.5: एक सफल जमा बीमा योजना (डीआइएस) की विशेषताएं और डीआइसीजीसी की स्थिति

अप्रत्यक्ष सुरक्षा की तुलना में एक स्पष्ट और सीमित जमा बीमा को तरजीह दी जानी चाहिए क्योंकि यह जमाकर्ताओं के प्रति प्राधिकारियों के दायित्व को स्पष्ट करती है और अपनी इच्छा से लिए जाने वाले ऐसे निर्णयों का स्कोप कम कर देती है जिनके कारण मनमानी की जा सके। जमाराशि बीमाकर्ताओं को अधिदेश प्राप्त हैं जो सीमित तथाकथित पेबाक्स प्रणाली से लेकर व्यापक शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों जैसे कि जोखिम को न्यूनतम रखने के लिए होते हैं और इन दोनों के बीच में कई तरह के सम्मिश्रण होते हैं। पेबाक्स प्रणलियाँ मुख्यतया बैंक के बंद हो जाने के बाद जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान करने तक सीमित होती हैं और सामान्यतया उनके पास विवेकपूर्ण विनियामक या पर्यवेक्षी उत्तरदायित्व या हस्तक्षेप की शक्तियां नहीं होतीं। जोखिम को न्यूनतम रखने वाले जमाराशि बीमाकर्ता को कुछ अधिक व्यापक अधिदेश प्राप्त होता है और इसीलिए और अधिक शक्तियां भी। लेकिन हाल ही के वर्षों में ध्यान एक स्पष्ट जमाराशि बीमा योजना स्थापित करने से हट कर संस्थागत विवरणों जैसे कि कवरेज, सदस्यता, फ़ंडिंग और प्रशासन पर केंद्रित हो गया है।

सामान्य रूप से, सदस्यता अनिवार्य होनी चाहिए ताकि प्रतिकूल चयन से बचा जा सके जैसा कि एक स्वैच्छिक प्रणाली में असफलता की लागत उच्च होने पर मजबूत बैंक सदस्यता छोड़ सकते हैं और यह जमाराशि बीमा प्रणाली की प्रभावकारिता तथा वित्तीय शोधक्षमता को प्रभावित कर सकता है। जमाराशि बीमा योजना की प्रभावकारिता के लिए तथा जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मजबूत फ़ंडिंग व्यवस्थाएं होनी आवश्यक हैं और इसमें सभी आवश्यक फ़ंडिंग व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि किसी बैंक के फेल हो जाने के बाद जमाकर्ताओं के दावों की शीघ्रता से प्रतिपूर्ति की जा सके। नीतिनिर्माताओं के पास यह विकल्प है कि एक फ्लैट-दर प्रीमियम प्रणाली अपना लें या एक प्रीमियम प्रणाली ऐसी अपनाएं जो अलग-अलग बैंकों के जोखिम प्रोफाइल पर आधारित हो। जमाराशि बीमा प्रणालियां दो श्रेणियों में आती हैं, अर्थात् (i) वे जिनकी फ़ंडिंग बैंकों द्वारा की जाती है और (ii) स्थाई रूप से नहीं रखी गयी उधार पर दी गई निधियों वाली प्रणाली, जहां किसी बैंक के फेल हो जाने के बाद सदस्यों को निधि में अंशदान करना होता है।

इस संदर्भ में, कुछ अध्ययन दिखलाते हैं कि जमाराशि बीमा योजनाओं की कवरेज और फ़ंडिंग का उस संभाव्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है जिसमें से होकर कोई देश बैंकिंग संकट से गुजरता है, जबकि कुछ अन्य अध्ययन दिखलाते हैं कि बैंकों की तुलना में जमाकर्ताओं द्वारा बाजार अनुशासन के सीमा निर्धारण में कवरेज और फ़ंडिंग अधिक महत्वपूर्ण हैं।

गारशिया (1999) का मत था कि यदि सदस्यता अनिवार्य होती है, नैतिक गड़बड़ियों को हतोत्साहित के लिए कवरेज कम है और यदि प्रतिकूल चयन से बचने के लिए बीमा प्रीमियम में जोखिम-समायोजन है तो जमाराशि बीमा योजना में प्रोत्साहन लाभ की अधिक गुंजाइश रहेगी। जोखिम-समायोजन के पीछे उद्देश्य यह है कि जमाराशि बीमा योजना के संसाधनों की अधिक हानि करने की संभावना वाले प्रतिस्पर्धियों की अपेक्षा मजबूत संस्थाओं को कम प्रीमियम देने की अनुमति देकर मजबूत संस्थाओं द्वारा कमजोर संस्थाओं को दी गई सब्सिडी को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में जमाकर्ताओं का विश्वास होना चाहिए जिसके लिए जरूरी है कि बीमाशुदा जमाराशियों का भुगतान शीघ्रता से करने के लिए योजना (डीआइएस) प्रशासनिक रूप से सक्षम हो और यह पर्याप्त रूप से फ़ंडेड हो ताकि असफल हुई संस्थाओं के बारे में अविलंब कार्रवाई कर सके।

किसी जमाराशि बीमा योजना के प्रभावी होने के लिए, यह आवश्यक है कि जनता को उसके लाभ और उसकी कमियों के बारे में जानकारी हो। किसी असफलता पर प्रभावी कार्रवाई की प्रक्रिया के उद्देश्य हैं - जमाराशि बीमाकर्ता के उत्तरदायित्व पूरा करना; यह सुनिश्चित करना कि जमाकर्ता को शीघ्रता से और सही प्रतिपूर्ति की जाए; समाधान लागतों (रिसोल्यूशन कॉस्ट्स)और बाजार गड़बड़ियों को न्यूनतम रखना; आस्तियो की वसूली को अधिकतम करना; वास्तविक दावों का समय पर और सक्रिय आधार पर भुगतान करना; और लापरवाही या अन्य किसी गलती के मामले में कानूनी कार्रवाई के माध्यम से अनुशासन को मजबूत करना, नीति निर्माताओं को वर्तमान जमाकर्ता प्राथमिकता कानूनों या असफलता पर कार्रवाई के लागत (रिसोल्यूशन कॉस्ट्स) के कानूनों के संभावित प्रभावों का पता होना चाहिए और यदि जमाकर्ता तथा जमा बीमाकर्ता को वसूली में कुछ उच्चतर अधिकार दिए गए हैं तो अन्य प्रतिभूत दावेदारों को मुआवजा देने से पहले उनके दावों का पूर्ण भुगतान किया जाना चाहिए।

भारत में जमाराशि बीमा योजना की कई विशेषताओं की तुलना अन्य अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं से की जा सकती है जैसे कि इसका स्पष्ट स्वरूप, अनिवार्य सदस्यता और संयुक्त फ़ंडिंग। लेकिन प्रमुख अंतर जोखिम समायोजित प्रीमियमों की अनुपस्थिति के संबंध में है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि जोखिम-समायोजित प्रीमियम वाले अधिकांश देश वे हैं जहां जमाराशि बीमा योजनाएं 1990 के दशक में बनाई गईं/संशोधित की गई थीं।

सारणी I : जमा बीमा योजना की विशेषताएं

योजना की विशेषताएं	भारत	यूरोपियन संघ	अमरीका	वैश्विक औसत
स्पष्ट	हां	हां	हां	सभी 68 देश
कवरेज सीमा	1,00,000 रु.	20,000 यूरो	1,00,000 अमरीकी डॉलर	प्रति व्यक्ति जीडीपी का तीन गुणा
सह-बीमा	नहीं	10 प्रतिशत	नहीं	68 में से 17 देशों में सह-बीमा है
विदेशी मुद्रा जमाराशि की कवरेज	हां	छोड़ा जा सकता है	हां	68 में से 48 देशों में कवर किया गया है
अंतर-बैंक जमाराशि का कवरेज	नहीं	नहीं	हां	68 में से 18 देशों में कवर किया गया है
फ़ं डिंग का स्रोत*	संयुक्त (सार्वजनिक+ निजी)	विनियमित नहीं	संयुक्त	संयुक्त प्राइवेट:15; संयुक्त:51; सार्वजनिक:1
प्रशासन	सार्वजनिक	विनियमित नहीं	सार्वजनिक	प्राइवेट:11; संयुक्त:24; सार्वजनिक:33
सदस्यता	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	68 में से 55 देशों में अनिवार्य
जोखिम-समायोजित प्रीमियम	नहीं	विनियमित नहीं	हां	68 में से 21 देशों में जोखिम-समायोजित प्रीमियम है
पे बाक्स/ जोखिम कम करनेवाले	पे बाक्स	..	जोखिम कम करने वाले	..
लक्ष्य निधि (फ़ंड)अनुपात	नहीं	..	1.15 प्रतिशत–1.50 प्रतिशत	..

.. : एक देश के लिए उपलब्ध नहीं

संदर्भ:

बेक, टी (2000) 'डिपाजिट इन्शोरेंस ऐज प्राइवेट क्लब: इज जर्मनी अ मॉडल ?' (www.worldbank. org)

डेमिरगुक - कुंट, ए एण्ड ई, डेट्रागिअच (2000) डज डिपाजिट इंश्योरेंस इन्क्रीज बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी ?ड आइएमएफ वर्किंग पेपर नं 3 गार्शिया,

जी जी एच (2000) 'डिपाजिट इंश्योरेंस - ऐक्चुअल ऐण्ड गुड प्रैक्टिसेज', आइएमएफ आकेजनल पेपर नं.197, वाशिंगटन डी सी

आरबीआइ (1999), रिपोर्ट आन रिफार्म्स इन डिपाजिट इंश्योरेंस इन इंडिया (अध्यक्ष: श्री जगदीश कपूर), आरबीआइ: मुंबई

खातों में रखी गई जमाओं को दो या अधिक खाते माना जाएगा और संयुक्त खाते का प्रत्येक प्रकार एक लाख रुपए तक के दावे के लिए पात्र होगा, इसके विपरीत दोनों / पहले के सभी खातों के लिए कुल राशि के केवल एक लाख तक दावे स्वीकृत होंगे। इसके अतिरिक्त, परिसमापन आदेश जारी करने और जमाकर्ता को वास्तविक प्रतिपूर्ति करने के बीच के समय को कम करने के लिए निगम ने बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के शीघ्र निपटान के संबध में एक नीति बनाई है।

3. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का आधार (बेंचमार्क)

6.58 वित्तीय स्थिरता के लिए पहली आवश्यकता बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की वित्तीय सुदृढ़ता है। वित्तीय वैश्वीकरण के बढ़ते हुए स्तर ने घरेलू बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को प्रतिस्पर्धा के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर रख दिया है, जिससे वे वित्तीय सुदृढ़ता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विवश हो गए हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में निजी बैंकों के प्रवेश तथा विदेशी बैंकों की संख्या बढ़ने से प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई है और लाभ पर दवाब बढ़ गया है। बैंकों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार दोनों से पूंजी जुटाने की आवश्यकता है। भारत भी क्रमिक रूप से पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पद्धति की ओर बढ़ रहा है। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधी समिति ने 31 जुलाई 2006 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह पाया है कि एफसीएसी पद्धति के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली में भारी बाजार अस्थिरता दिखाई देगी। इसलिए यह आवश्यक है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली अधिक प्रभावी पर्यवेक्षी और विनियामक प्रणाली के साथ बढ़ी हुई जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को आत्मसात करे। इन गतिविधियों को देखते हुए भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कार्यक्षमता, लाभप्रदता और वित्तीय सुदृढ़ता के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क को पूरा करना आवश्यक हो गया है।

6.59 अत: इस खंड में विभिन्न वित्तीय संकेतकों के अनुसार भारतीय बैंकों के लिए वैश्विक न्यूनतम मानदंडों की तुलना में न्यूनतम मानदंड बनाने का प्रयास किया गया है। भारत में बैंकिंग प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए कई वर्षों से की गई पहलों के परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय कार्यनिष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है।

आस्तियों पर प्रतिलाभ

6.60 बैंकों की कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ, जिसे कुल आस्तियों के प्रति निवल लाभों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, लाभप्रदता के लिए अत्यधिक उपयोग में लाया जानेवाला संकेतक हैं। आस्तियों पर उच्चतर प्रतिलाभ बैंकिंग प्रणाली की वाणिज्यिक सुदृढ़ता को इंगित करता है। वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से, आस्तियों पर उच्च प्रतिलाभ प्रणाली को संभावित आघातों की स्थिति में राहत प्रदान करता है अर्थात बैंक प्रतिकूल आघातों के बावजूद वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया को जोखिम में डाले बिना परिचालन करने में समर्थ होंगे। हाल के वर्षों में भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ में पर्याप्त सुधार दिखाई दिया है और वह मार्च 2007 के अंत तक 0.9 प्रतिशत तक पहुँच गया है; वैश्विक रूप से इसकी सीमा 2006 में 4.3 प्रतिशत से 0.2 प्रतिशत तक रही है (सारणी VI.3)।

6.61 बैंकों के उपार्जन कई घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं, जिसे मोटे तौर पर संरचनात्मक और गौण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उपार्जन यदि गौण घटकों से ज्यादा संरचनात्मक घटकों द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं तो वे आसानी से धारणीय होते हैं (बॉक्स VI.6)।

अनर्जक ऋण

6.62 बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिति और इस प्रकार वित्तीय स्थिरता का महत्वपूर्ण संकेतक है। कुल अग्रिमों के प्रति अनर्जक ऋणों का अनुपात बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता का आकलन करने का सामान्य उपाय है। निम्न कुल

सारणी VI.3: चयनित देशों की तुलना में भारतीय बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ

(प्रतिशत)

बैंक समूह/देश	मार्च की समाप्ति पर	
	2001	2007
1	2	3
भारत		
सरकारी क्षेत्र के बैंक	0.4	0.8
निजी बैंक	0.7	0.9
पुराने निजी बैंक	0.6	0.7
नए निजी बैंक	0.8	0.9
विदेशी बैंक	0.9	1.7
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	***0.5***	***0.9***
उभरते हुए बाजार		
अर्जेंटिना	0.0	2.1
ब्राजील	-0.1	2.1
मेक्सिको	0.8	3.2
कोरिया	0.7	1.1
दक्षिण अफ्रीका	0.8	1.4
विकसित देश		
यू.एस.	1.1	1.2
यू.के.	0.5	0.5*
जापान	-0.6	0.4*
कॅनाडा	0.7	1.0*
आस्ट्रेलिया	1.3	1.8#
2006 के लिए वैश्विक सीमा [0.2 (ट्यूनीशिया) से 4.3 (सऊदी अरब और घाना)]		

* : 2006 से संबंधित # : 2005 से संबंधित

स्रोत : 1. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट; अप्रैल और सितंबर 2007; अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।
2. भारत में बैंकों का तुलनपत्र।

बॉक्स VI.6: आय के संरचनात्मक निर्धारक तत्वों पर आधारित बैंक के उपार्जनों का आकलन

बैंक उपार्जनों के स्वरूपों का आकलन पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षी क्रम-निर्धारण प्रणाली के अधिकांश मॉडलों का एक अंगभूत भाग है। उपार्जनों की कमियों का पता लगने पर बैंक की शोधक्षमता पर आए गंभीर खतरे से पहले और इसके द्वारा लाभप्रदता प्राप्त करने के प्रयास में बढ़ी हुई जोखिमों का आकलन करने से पहले पर्यवेक्षक गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करता है। हाल के वर्षों में कुछ कमजोर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों जैसे भारत ओवरसीज बैंक, सांगली बैंक लि., गणेश बैंक ऑफ कुरूंदवाड और यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का समामेलन, भारतीय संदर्भ में ऐसे विश्लेषण के व्यापक प्रासंगिकता को दर्शाता है।

अक्सर यह पाया गया है कि बैंक जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने, बाजार में अपने शेयरों को अवमूल्यन से बचाने या पर्यवेक्षी कारवाई से बचने जैसे विभिन्न कारणों से अपनी हानियों को छिपाने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ बैंक कुछ अधिक समय तक अपनी हानियां छिपाने में समर्थ हैं। अंततः कोई निवल हानि रिपोर्ट किए बिना ही वित्तीय कमजोरियों के कारण उनका कभी भी परिसमापन कर दिया जाता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उक्त घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी आय को किस तरह जुटाते हैं ।

यदि बैंक सुवहनीय मूल कारोबार स्रोतों से पर्याप्त आय जुटाने में समर्थ होता हैं जिससे वह अपने अधिकतर परिचालन व्ययों, प्रावधानों और करों को पूरा कर सके तथा पूँजी पर पर्याप्त प्रतिलाभ प्रदान कर सके तो यह बैंक की अर्जन क्षमता को दर्शाता है। विकल्पतः यदि बैंक गैर आवर्ती आय पर अधिक निर्भर रहता है, तो यह अर्जन दुर्बलताओं का संकेत है। इसके अलावा, बैंक की आय में इसकी विभिन्न गतिविधियों का सापेक्षिक योगदान, केवल मात्रा पर आधारित विशेष आकलन के बजाय, इस बात का एक बेहतर संकेतक हो सकता है कि विभिन्न गतिविधियों के बीच जोखिम का कैसे वितरण हुआ है।

रोजा कुटो (2002) द्वारा प्रस्तावित विश्लेषणात्मक संरचना में, आय और व्यय की मदें दो बुनियादी वर्गों में वर्गीकृत की गई है: लाभप्रदता के ढांचागत निर्धारक और लाभप्रदता के गौण निर्धारक। लाभप्रदता के ढांचागत निर्धारक आय और व्यय की वे मदें हैं जो इन तीन शर्तों को पूरा करती हैं: (i) वे जो किसी बैंक की परिचालनात्मक गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं; (ii) आय के मामले में जो समुचित रूप से निरंतर बनी रहने योग्य एवं व्यय के मामले में आवर्ती मानी जाती हैं; तथा (iii) जो विशेष रूप से गलत-बयानी के अधीन न हों। निवल ब्याज आय, शुल्क आय और परिचालन व्यय लाभप्रदता के ढांचागत निर्धारक हैं। वे बैंक की आय और व्यय की मुख्य मदें हैं और वे आवश्यक बैंकिंग कारकों जैसे परिसंपत्ति/ग्राहक आधार का आकार, लाभ मार्जिन, पूंजीकरण और लागत क्षमता द्वारा निर्धारित होती हैं।

प्रासंगिक कारोबार स्थितियों में परिवर्तनों के प्रति बैंक अर्जनों की संवेदनशीलता का मूल्यांकन जोखिम निर्धारण का एक महत्वपूर्ण संकेतक बन गया है। अर्जन के लिए ढांचागत निर्धारकों के रूप में पहचानी गयी चर-वस्तुओं का उपयोग बैंक की लाभप्रदता संबंधी कारोबार स्थितियों में अपेक्षित अथवा संभावित परिवर्तनों के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से अतिसंवेदनशील स्थितियों वाले तत्वों की पहचान और निगरानी की दृष्टि से बैंकों की सक्षमता का निर्धारण करने के लिए इस प्रक्रिया को प्रासंगिक पाया गया है।

परिचालन आय और व्यय की कुछ बहुत ही प्रासंगिक मदों को, जैसे प्रावधान प्रभार और ब्याज दर पर निवेश तथा विदेशी मुद्रा जोखिम पर प्रभाव को उनके

सारणी 1: आय विवरण के लिए प्रस्तावित ढांचा

ढांचागत	निवल ब्याज आय
	शुल्क आय
	परिचालन व्यय
	सकल परिचालन आय
गौण	ऋण हानियों के लिए प्रावधान
	अन्य गौण व्यय
	गौण प्रभारों के बाद आय
	खजाना परिणाम
	अन्य गौण आय
	बैंकिंग गतिविधियों से लाभ/(हानि)
	गैर-बैंकिंग सहायक संस्थाओं के परिणाम
	कर पूर्व लाभ/(हानि)
	आय कर
	निवल लाभ/(हानि)

अनावर्ती होने की वजह से अथवा गलत बयानी के अधीन गौण निर्धारकों के रूप में माना गया है। गौण मदों की आम तौर पर बहुत कुछ अस्थिर प्रकृति होती है और उनका एक ही अवधि के दौरान के लाभों पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। गैर-परिचालन आय मुख्य रूप से सहायक संस्थाओं और ऐसी संपत्ति में निवेशों से उत्पन्न होती है जो बैंकिंग कारोबार से संबंधित नहीं होते हैं। अधिकांश देश इस प्रकार के निवेशों पर रोक लगा देते हैं अथवा इनके लिए बहुत ही सख्त सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। वे किसी बैंक के उसी पूंजी आधार में भागीदारी करते हुए पूर्ण रूप से एक अलग उद्यम स्थापित कर लेते हैं और इसलिए उनकी कमाई और पूंजी को अलग कर लेना चाहिए एवं उसका स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करना चाहिए। ऋण हानियों और आकस्मिक देयताओं, आस्थगित व्ययों, सुद्भाव परिशोधन, आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान तथा व्यापार के परिणाम एवं प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में घट-बढ़ मुख्य आय और व्यय की मदें हैं जो खास तौर से गलतबयानी के अधीन पायी गई हैं।

किसी बैंक अथवा किसी उद्यम की अर्जन-क्षमता का निर्धारण करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। सही जानकारी अथवा विश्लेषणात्मक कौशल के अभाव में इस प्रकार के निर्धारण के निष्कर्ष आसानी से लक्ष्य के परे सकते हैं और कारोबार शर्तों में उल्लेखनीय परिवर्तनों के कारण वे शीघ्र ही अप्रासंगिक भी हो सकते हैं। कोई भी विश्लेषणात्मक ढांचा भविष्य में एक निश्चित अवधि के लिए परिणामों का सही पूर्वानुमान प्रस्तुत नहीं करता है। यद्यपि बैंक परिणामों की सही भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, अनेक प्रासंगिक स्थितियों में यह संभव है कि अर्जन करने की बैंक की क्षमता के बारे में एक सुस्थापित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके और जांच के अन्य क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की जा सके।

संदर्भः

एंथनी साउंडर्स (1999), फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स मैनेजमेंट, इरविन/मैक्ग्रा-हिल, तीसरा संस्करण।

रोजा कुटो, रॉड्रिगो लुइस (2000), फ्रेमवर्क फॉर दि असेसमेन्ट ऑफ बैंक अर्निंग्ज, एफएसआइ अवार्ड 2002 विनिंग पेपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट।

अग्रिमों के प्रति अनर्जक ऋणों (एनपीएल) का अनुपात बैंक द्वारा अपनायी गई विवेकपूर्ण कारोबारी रणनीति को दर्शाता है। देश में ऋणों की वसूली के लिए विधिक ढाँचा बैंकिंग प्रणाली की कुल अग्रिमों के प्रति अनर्जक आस्तियों के भार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत में, सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कई उपायों से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का मार्च 1997 के अंत में सकल एन पी

सारणी VI.4: चयनित देशों की तुलना में भारतीय बैंकों के कुल अग्रिमों के लिए सकल अनर्जक ऋणों का अनुपात

(प्रतिशत)

बैंक समूह/देश	मार्च की समाप्ति पर	
	2001	2007
1	2	3
भारत		
सरकारी क्षेत्र के बैंक	12.4	2.7
निजी बैंक	8.4	2.2
पुराने निजी बैंक	10.9	3.1
नए निजी बैंक	5.1	1.9
विदेशी बैंक	6.8	1.8
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	***11.4***	***2.5***
उभरते हुए बाजार		
अर्जेंटीना	13.1	3.2
ब्राजील	5.6	4.0
मैक्सिको	5.1	2.2
कोरिया	3.4	0.8
दक्षिण अफ्रीका	3.1	1.1
विकसित देश		
यू.एस.	1.3	0.8
यू.के.	2.6	0.9
जापान	8.4	2.5*
कनाडा	1.5	0.4*
आस्ट्रेलिया	0.6	0.2
2006 के लिए वैश्विक स्तर [0.2 (इस्टोनिया, लक्झेंबर्ग) से 24.7 (मिश्र)]		

* : 2006 से संबंधित आंकड़े

स्रोत : 1. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट; अप्रैल और सितंबर 2007; अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
2. भारत स्थित बैंकों के तुलनपत्र।

एल कुल अग्रिमों के 15.7 प्रतिशत स्तर से काफी घटकर मार्च 2001 की समाप्ति पर लगभग 11 प्रतिशत और इसके पश्चात मार्च 2007 की समाप्ति पर 2.5 प्रतिशत रह गया। एनपीएल का वैश्विक स्तर 2006 में 0.2 प्रतिशत और 24.7 प्रतिशत के बीच में रहा (सारणी VI.4)।

अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान

6.63 अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधानीकरण का अनुपात आस्ति मूल्य में हुई हानियों को रोकने के लिए बैंक की क्षमता को प्रदर्शित करता है। बैंक के तुलन पत्र की अतिसंवेदन शीलता को उस सीमा तक कम किया जा सकता है, जिस सीमा तक अनर्जक ऋण हानि प्रावधानों द्वारा कवर किए गए हों। अनर्जक ऋणों के प्रति प्रावधानीकरण का कम अनुपात बैंकिंग प्रणाली को आघातों के प्रति अतिसंवेदनशील बना देता है। भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने मार्च 2007की समाप्ति पर अनर्जक आस्तियों के 56.1 प्रतिशत का प्रावधानीकरण बनाए रखा जिसकी तुलना वैश्विक मानकों के साथ की जा सकती थी (सारणी VI.5)।

सारणी VI.5: अनर्जक ऋण अनुपात के लिए प्रावधान - चयनित देशों की तुलना में भारतीय बैंक

(प्रतिशत)

बैंक समूह/देश	मार्च की समाप्ति पर	
	2004	2007
1	2	3
भारत		
सरकारी क्षेत्र के बैंक	58.4	56.8
निजी बैंक		
पुराने निजी बैंक	47.0	66.0
नए निजी बैंक	40.6	49.1
विदेशी बैंक	54.8	51.1
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	***55.9***	***56.1***
उभरते हुए बाजार		
अर्जेंटीना	102.9	132.3
ब्राजील	177.5	153.0
मेक्सिको	201.8	194.7
कोरिया	104.5	177.7
दक्षिण अफ्रीका	61.3	64.3#
विकसित देश		
यू.एस.	168.1	129.9
यू.के.	64.5	56.1#
जापान	26.8	30.3 *
कनाडा	47.7	55.3 *
आस्ट्रेलिया	182.9	204.5 *
2006 के लिए वैश्विक स्तर [23.1 यूक्रेन से 229.1 (वेनेज्वेला)]		

* : वर्ष 2006 से संबंधित # : 2005 से संबंधित।

स्रोत : 1. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट; अप्रैल और सितंबर 2007; अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
2. भारत स्थित बैंकों के तुलनपत्र

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

6.64 बैंक पूंजी का उपयोग बैंक की सुदृढ़ता के संकेतक के रूप में किया जाता है क्योंकि बैंक द्वारा उठायी गई हानियों के विरुद्ध अंतिम सुरक्षा के रूप में इसकी भूमिका होती है। भावी हानियों की भरपाई करने के लिए पूंजी की न्यूनतम राशि के बारे में 1988 के बासेल समझौते के अनुसार सफलतापूर्वक तालमेल होने तक राष्ट्रीय विनियामक अलग-अलग निर्देश दिया करते थे। यह मानते हुए कि न्यूनतम पूंजी बैंकों के समक्ष उपस्थित जोखिम के समरूप हो, बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति ने जोखिम भारित आस्ति के लिए 8 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी निर्धारित की। तथापि, मूल ढांचा, ऋण जोखिम के लिए पूंजी कुशन प्रदान करने पर आधारित था। इस प्रकार समझौते को, प्रमुख संविभागों में बाजार जोखिमों की तुलना में पूंजी रक्षा को शामिल करते हुए, 1996 में संशोधित किया गया।

6.65 पूंजी आवश्यकताओं को अब प्रायः वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है और अधिकतर देशों ने बासेल जैसे जोखिम

सारणी VI.6: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - चयनित देशों की तुलना में भारतीय बैंक

(प्रतिशत)

बैंक समूह/देश	मार्च की समाप्ति पर	
	2001	2007
1	2	3
भारत		
सरकारी क्षेत्र के बैंक	11.2	12.4
निजी बैंक		
पुराने निजी बैंक	11.9	12.1
नए निजी बैंक	11.5	12.0
विदेशी बैंक	12.6	12.4
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**11.4**	**12.3**
उभरते हुए बाजार		
अर्जेंटीना	–	–
ब्राजील	14.8	18.5
मेक्सिको	13.9	16.1
कोरिया	11.7	13.0
दक्षिण अफ्रीका	11.4	12.7
विकसित देश		
यू.एस.	12.9	13.0
यू.के.	13.2	12.9*
जापान	10.8	13.1*
कनाडा	12.3	12.4
आस्ट्रेलिया	10.4	10.4
2006 के लिए वैश्विक स्तर [7.1 (स्वीडेन) से 34.9 (आर्मेनिया)]		

* : 2005 से संबंधित आंकड़े
स्रोत: 1. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट; अप्रैल और सितंबर 2007; अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
2. भारत स्थित बैंकों के तुलनपत्र।

भारित दृष्टिकोण को अपनाया है। इस समरसता के स्तर ने बैंक की क्षमता की अंतर-बैंक और अंतरदेशीय दोनों दृष्टियों से तुलना करने हेतु सीआरएआर को विश्लेषकों के लिए एक उपयोगी संकेतक बना दिया है। भारतीय संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की समग्र पूंजी पर्याप्तता 2001 में 11.4 प्रतिशत से सुधरकर 2007 में 12.3 प्रतिशत हो गई जो 8 प्रतिशत के बासेल मानदंड और भारत में बैंकों के 9 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड से काफी अधिक थी। इस अनुपात की तुलना अधिकतर उभरते हुए बाजारों तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ की जा सकती है। 2006 में सी आर ए आर का वैश्विक स्तर 7.1 प्रतिशत से 34.9 प्रतिशत तक अलग-अलग था (सारणी VI.6)।

आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात

6.66 बैंकों का आस्ति के प्रति पूँजी का साधारण अनुपात यह दर्शाता है कि बैंकों को कितना लीवरेज प्राप्त है। आस्ति के प्रति पूंजी का कम व्यय अनुपात अधिक लीवरेज और बैंकों की अतिसंवेदनशीलता को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर, 2006 में यह अनुपात 3.7 प्रतिशत तथा 22.9 प्रतिशत के बीच था। कई अन्य देशों की तुलना में भारतीय बैंकों के पास लीवरेज कम है (सारणी VI.7)।

सारणी VI.7: आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात-चयनित देशों की तुलना में भारतीय बैंक

(प्रतिशत)

बैंक समूह/देश	मार्च की समाप्ति पर	
	2001	2007
1	2	3
भारत		
सरकारी क्षेत्र के बैंक	4.8	5.8
निजी बैंक	5.4	6.8
पुराने निजी बैंक	5.4	6.7
नए निजी बैंक	5.5	6.8
विदेशी बैंक	8.8	11.9
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**5.2**	**6.3**
उभरते हुए बाजार		
अर्जेंटीना	11.9*	13.7
ब्राजील	8.9	9.4
मेक्सिको	9.4	13.2#
कोरिया [1]	7.2@	9.5
दक्षिण अफ्रीका	9.0	7.8#
विकसित देश		
यू.एस.	9.0	10.6
यू.के.	9.7	8.9#
जापान	3.9	5.3
कनाडा	4.6	5.6
आस्ट्रेलिया [2]	5.3	4.9
2006 के लिए वैश्विक स्तर [4.0 (बांगला देश, नीदरलैंड) से 22.0 (आर्मेनिया)]		

@ : 2002 से संबंधित * : 2006 से संबंधित
# : 2006 से संबंधित
नोट : 1. मूल पूंजी अनुपात 2. कुल आस्तियों के प्रति टियर I पूंजी।
स्रोत: 1. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट; अप्रैल और सितंबर 2007; अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
2. भारत स्थित बैंकों का तुलन-पत्र

4. वित्तीय बाज़ारों की गतिविधियां

6.67 सुविकसित वित्तीय बाजार संसाधन जुटाने वाले माध्यमों को बहुआयामी बनाते हुए जोखिमों को बड़ी संख्या में पणधारियों के बीच बांट देते हैं। ऐसे बाजारों के अभाव में अर्थव्यवस्था वित्त के लिए बैंक साधनों पर अधिक से अधिक निर्भर होने लगती है। तथापि, इस प्रकार के साक्ष्यों की भरमार है जिनसे यह पता चलता है कि जिन देशों में सुविनियमित बैंक तथा सुचारू रूप से कार्य कर रहे प्रतिभूति बाजार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनको विविधीकृत वित्तीय प्रणाली का लाभ मिलता है। वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों और प्रतिभूति बाजारों के जोखिम अलग-अलग तरह के होते

हैं। इसलिए, अन्य क्षेत्रों के समान ही वित्तीय ढांचे में, विविधीकरण के कारण व्यावहारिक जोखिम-प्रतिलाभ संतुलन के मोर्चे पर भी अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतरीन होती है। अतः, वित्तीय बाजारों के विकास से संसाधनों को सक्षम मध्यावधि आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के अनुरूप कारगर ढंग से आबंटित करना सुविधाजनक हो जाता है। गहन और तरल वित्तीय बाजार ऐसे जोखिम को कम करने में सहायता करते हैं जिनसे 1990 के दशक के मध्य में कई पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय संकट उत्पन्न हुए।

6.68 वित्तीय बाजार बचतकर्ताओं से अतिरिक्त निधियों को लेकर जिनके पास निधियों की कमी है उन्हें देने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस प्रकार, वित्तीय बाजार जिन व्यक्तियों के पास निवेश के फायदेमंद अवसर नहीं होते हैं, उनसे निधियां लेकर उसे ऐसे व्यक्तियों को अंतरित करते हैं जिनके पास ऐसे अवसर हैं और इस प्रकार समग्र अर्थव्यवस्था में उच्चतर उत्पादन और कुशलता लाने में योगदान करते हैं। वैश्वीकरण की तेज प्रक्रिया के बाद वित्तीय बाजार निवेश के लाभप्रद अवसर से रिक्त देशों से उच्चतर प्रतिलाभ प्रदान करनेवाले देशों को निधियों के सीमापार अंतरण को सुविधाजनक बनाते हैं। इस प्रकार, वित्तीय बाजार देशों को अपनी उत्पादन क्षमता का स्तर प्राप्त करने में सहायता करते हैं। अतः वित्तीय बाजार वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े अपने तारों के माध्यम से उत्पाद तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि करते हैं।

6.69 बड़े पैमाने पर वित्तीय मध्यस्थता और निधियों के आपूर्तिकर्ताओं और अंतिम प्रयोक्ताओं के पास उपलब्ध विषम प्रकार की सूचना के कारण एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दृष्टिकोण से, वित्तीय बाजारों का महत्वपूर्ण कार्य है - विभिन्न गतिविधियों के बीच और विशेषकर समय समय पर वास्तविक आर्थिक संसाधनों का कुशल आबंटन। इकानॉमी ऑफ स्केल तथा विषम प्रकार की सूचनाएं जितनी अधिक होंगी उतना ही अधिक मध्यस्थता का लाभ होगा। वित्तीय बाजारों की एक और अति महत्वपूर्ण भूमिका, जो कि वैश्विक स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली में अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो गई है, वह है आर्थिक तथा वित्तीय जोखिमों का मूल्यन और प्रबंधन।

6.70 मध्यस्थता के बुनियादी कार्य के निष्पादन में वित्तीय बाजारों की कुशलता को बाजारों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण नुकसान पहुँच सकता है जो बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। वित्तीय बाज़ारों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव सामान्यतया आस्ति मूल्य विसंगतियां उत्पन्न करता है और प्रतिपक्ष जोखिम का भी कारण बन सकता है। वित्तीय बाजार को संक्रमण का भी जोखिम होता है। यह वित्तीय बाजारों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों की पहले ही पहचान की जा सके और संकट को टालने के लिए वांछित पहल की जा सके। वित्तीय बाजार के आंकड़े भविष्य की गतिविधियों के बारे में प्रत्याशाओं की ओर भी संकेत करते हैं जिनमें वित्तीय प्रणाली के प्रति संभावित जोखिमों के बारे में सूचना होती है। इसलिए, बाजार के संकेतों का इस्तेमाल वित्तीय इकाइयों के तुलनपत्रों के आधार पर बुनियादी तत्वों के पारंपरिक विश्लेषण में पूरक के रूप में किया जा सकता है।

6.71 वित्तीय बाजार मौद्रिक नीति के प्रभावों के संप्रेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रभावकारी मौद्रिक संप्रेषण मूल्य पहचान प्रक्रिया पर निर्भर करता है, विशेषकर ब्याज दरों और विनियम दरों के संबंध में। मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन की सफलता इस आकलन पर निर्भर करती है कि नीतिगत कार्रवाइयों के प्रभाव कितनी शीघ्रता से वित्तीय प्रणाली के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं। विकसित तथा स्थिर वित्तीय बाजार केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक परिवर्तनशील तत्वों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति के बाजार आधारित लिखतों का प्रयोग करने के भी योग्य बनाते हैं।

6.72 1970 के दशक में तथा बाद के दशकों में कमान अर्थव्यवस्थाओं के मंद समष्टि आर्थिक निष्पादन के फलस्वरूप जोखिम के बारे में सोच में बदलाव आया जिससे यह महसूस किया जाने लगा कि बाजार की प्रक्रिया के जरिए जोखिमों का सामना करने, अंतरण एवं प्रबंध करने के बारे में अलग-अलग आर्थिक एजेंटों को अनुमति देना अधिक कारगर होगा। 1971 में ब्रेटनवुड प्रणाली समाप्त हो जाने के बाद प्रमुख मुद्राओं ने विनिमय दरों की ञ्सामान्य अस्थिरताट के युग में प्रवेश किया गया। सोवियत प्रणाली के समाप्त होने पर पूँजी नियंत्रण के क्रमिक विनियंत्रण, शिथिलीकरण/समाप्ति तथा वैश्वीकरण ने जोखिम प्रबंधन की संकल्पनाओं और प्रथाओं के उदय और विकास के लिए पृष्ठभूमि और प्रोत्साहन का काम किया। नये प्रतिमान की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका यह अभिप्राय नहीं है कि लोगों को लंबे समय से ज्ञात बीमा जैसे प्रॉडक्ट के द्वारा सभी जोखिमों को समाप्त कर दिया जाए। प्रमुख बात यह है कि जोखिम प्रॉडक्ट के लिए बाजारों में जोखिमों का मूल्यन किया जाए। जोखिम प्रॉडक्ट में गहरे और तरल बाजारों - नकदी और डेरिवेटिव दोनों - के विकास, जिसमें मात्रात्मक वित्त में अप्रत्याशित प्रगति के कारण उछाल आया, ने एक अनुशासन और व्यवसाय के रूप में जोखिम प्रबंधन को संभव बनाया। तथापि, जोखिम प्रबंधन को इस निगाह से देखने का यह अभिप्राय कतई नहीं है कि सरकार या विनियामकों की वित्तीय बाजारों में कोई भूमिका नहीं है[5]।

[5] मोहन, राकेश (2007), खुली बाजार अर्थव्यवस्था में जोखिम प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, जुलाई।

6.73 हाल के वर्षों में भारत की वित्तीय प्रणाली कुछ और अधिक बाजारोन्मुख हो गई है। वित्तीय संस्थाओं की बाजार गतिविधियों और जोखिमों में तथा बाजार में गैर-वित्तीय निगमों तथा गृहस्थों द्वारा सहभागिता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसलिए वित्तीय स्थिरता के लिए बाज़ार आधारित जोखिम अब और प्रासंगिक होते जा रहे हैं।

6.74 रिज़र्व बैंक वित्तीय बाजार की गतिविधियों पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, बारीकी से निगरानी रखता है और साथ ही अपने क्षेत्राधिकार अर्थात् मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार[6] जैसे वित्तीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों को और विकसित करने के लिए उपाय करता है। पूंजी बाजार को सेबी विनियमित करता है। 1990 के दशक के प्रारंभ से वित्तीय बाजारों में लागू किए गए विभिन्न सुधारों ने (i) आस्तियों के मूल्यन पर प्रतिबंध हटाने; (ii) संस्थागत तथा प्रौद्योगिकी की बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने; (iii) जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुदृढ़ करने; (iv) बाजार की सूक्ष्म संरचना को सुव्यवस्थित बनाने; (v) ढांचागत सख्तियों को दूर करने के लिए विधिक संरचना में परिवर्तन, तथा (vi) नये सहभागियों तथा लिखतों के जरिए बाजार को व्यापक और गहन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2005 में वित्तीय बाजारों की गतिविधियों की अलग से विशेष निगरानी करने के लिए वित्तीय बाजार विभाग की स्थापना की है।

6.75 वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय बाजार की गतिविधियों को सामान्य रूप से व्यवस्थित पाया गया। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की गतिविधियों के कारण वर्ष के उत्तरार्द्ध में कुछ उतार-चढ़ाव दिखाई दिया। पूंजीगत प्रवाहों और सरकार के नकदी शेषों में अस्थिरता आ जाने के कारण देशी चलनिधि की स्थितियों में भी कुछ बदलाव आये।

मुद्रा बाजार

6.76 मुद्रा बाजार, जो दिन भर से लेकर एक वर्ष की परिपक्वता की अवधि के लिए अल्पकालिक निधियों का बाजार है, केंद्रीय बैंक को वित्तीय प्रणाली में तरलता की मात्रा और लागत को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था को मौद्रिक नीति के प्रभाव प्रेषित होते हैं। केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार दरों का प्रमुख नीति दर के साथ तालमेल बैठाने का प्रयत्न करता है। मुद्रा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अत्यधिक उतार-चढ़ाव होने से मुद्रा बाजार मौद्रिक नीति के रुझान के संबंध में भ्रामक संकेत दे सकता है। मौद्रिक नीति के अप्रत्यक्ष लिखतों को नीतिगत रूप से वरीयता की दृष्टि से मुद्रा बाजार में स्थिरता के महत्व में वृद्धि हुई है। परिचालन के नए वातावरण में रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के संचालन में तमाम प्रकार के बाजार आधारित लिखतों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। चूंकि केंद्रीय बैंकों का दीर्घावधि ब्याज दरों पर सीमित नियंत्रण होता है, इसलिए आम तौर पर अपनाई जाने वाली रणनीति केवल अल्पावधि ब्याज दरों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने और वित्तीय बाजार के अंतर्संबंध-सूत्रों के माध्यम से बाजार प्रत्याशाओं को दीर्घावधि ब्याज दरों को प्रभावित करने की अनुमति देने की होती है।

6.77 मुद्रा बाजार के महत्व को देखते हुए, इस क्षेत्र के विकास के उपायों के लिए रिज़र्व बैंक सक्रिय रहा है। तदर्थ खजाना बिलों को समाप्त कर देने और खजाना बिलों की नियमित नीलामी प्रारंभ करने से जोखिममुक्त दर के सामने आने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो अन्य मुद्रा बाजार लिखतों के मूल्यन के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। साथ ही, देशी बाजारों के वैश्विक स्तर पर और अधिक एकीकृत होने के साथ-साथ मौद्रिक नीति की बढ़ती हुई बाजार उन्मुखता के कारण, रिज़र्व बैंक का जोर मांग मुद्रा बाजार में उधार लेने और देने पर विवेकपूर्ण सीमाएं लगाने, संपार्श्विकीकृत क्षेत्रों की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करने और बाजार जाखिमों से सुरक्षा के लिए डेरिवेटिव लिखतों के विकास पर रहा है। मुद्रा बाजार को व्यापक और गहन बनाने और कुशल मूल्य पहचान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बाजार में और अधिक तरलता उपलब्ध कराने के उद्देश्य के अनुरूप, नये लिखत जैसे कि सीबीएलओ प्रारंभ किए गए हैं। बाजार रिपो और सीबीएलओ जैसे मुद्रा बाजार लिखतों से गैर-बैंकों को अपनी अल्पावधि चलनिधि विसंगतियों का प्रबंधन करने के अवसर प्राप्त हुए हैं और मांग मुद्रा बाजार के एक नितांत अंतर-बैंक बाजार में रुपांतरित हो जाने में सहायता मिली है। भारतीय समाशोधन निगम लि. को एक केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में संस्थागत रूप मिल जाने के कारण इसमें और सुविधा हुई है। इसके अतिरिक्त जारी करने संबंधी मानदंडों को कालांतर में संशोधित किया गया है ताकि बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीति संबंधी संकेत प्रेषित करने की प्रक्रिया को मजबूत करने के साथ और अधिक व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जा सके। भुगतान प्रणाली प्रौद्योगिकी के उन्नयन से भी बाजार के सहभागियों को अपने आस्ति देयता प्रबंध में सुधार लाने में सहायता मिली है। इन सभी उपायों ने मुद्रा बाजार को लिखतों और सहभागियों के संदर्भ में व्यापक और

[6] भारत में वित्तीय बाजारों के विकास पर विस्तृत चर्चा के लिए मुद्रा और वित्त का रिपोर्ट, 2005-06, भारतीय रिज़र्व बैंक मई 2007 देखें।

गहन बनाया है, पारदर्शिता में वृद्धि की है और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए मौद्रिक नीति का संकेत देने की क्रियाविधि में सुधार किया है।[7]

6.78 समय-समय पर विभिन्न नीतिगत पहलों के कारण देश में सुधार पूर्व स्थिति की तुलना में एक गहन और अधिक तरल मुद्रा बाजार का विकास हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर जून 2000 में एलएएफ प्रारंभ करने के बाद मांग दरों में उतार-चढ़ाव कम हुआ है (चार्ट VI.1)। एलएएफ के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक अपनी नीति दरें अर्थात रिपो और रिवर्स रिपो दरें निर्धारित करता है और रिपो/रिवर्स रिपो परिचालन करता है, जिससे दिनभर के लिए मुद्रा बाजार दरों के लिए एक निर्धारित सीमा उपलब्ध होती है।

6.79 तथापि, वर्ष के दौरान सरकारी नकदी शेष/कर अंतर्वाह में भारी अस्थिरता, टैप रिपो अंतर्वाह के प्रति उपलब्ध एस एल आर प्रतिभूतियों में कमी, एल ए एफ के अंतर्गत रिवर्स रिपो पर उच्चतम सीमा लगाने और उच्च ऋण वृद्धि के कारण 2006-07 के दौरान मुद्रा बाजार परिस्थितियों में कुछ उतार-चढ़ाव रहा। सितंबर 2006 के मध्य में मांग मुद्रा खंड में रातभर की दरें एलएएफ की रिवर्स रिपो दर के लगभग रहीं। सितंबर 2006 के उत्तरार्द्ध में चलनिधि परिस्थितियां सापेक्षतया सख्त हो गईं, ऐसा अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर ऋण देने के साथ त्योहारों के कारण मुद्रा की मांग और अग्रिम कर बहिर्वाह से हुए चलनिधि दबावों के कारण था। मांग दर अंशतः रिज़र्व बैंक के पास केंद्र के अतिरिक्त नकदी शेषों में कमी के कारण अक्तूबर 2006 के प्रारंभ में रिपो दर से कम हो गई और अक्तूबर के अंत तथा दिसंबर 2006 के दूसरे सप्ताह के बीच अधिकांशतः रिपो-रिवर्स रिपो की निर्धारित सीमा में रही। अग्रिम कर बहिर्वाह और 23 दिसंबर 2006 और 6 जनवरी 2007 को प्रारंभ पखवाड़े से सी आर आर में प्रति 25 आधार अंक वृद्धि की घोषणा (8 दिसंबर 2006) के कारण मांग दर 13 दिसंबर 2006 से बढ़ कर रिपो दर से आगे निकल गई। मांग दर फरवरी 2007 के पहले सप्ताह तक रिपो दर से अधिक बनी रही। रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों के कारण मांग दर फरवरी 2007 के दूसरे सप्ताह तक कम होकर लगभग 6.5 प्रतिशत कम हो गई। मांग दर फरवरी 2007 के मध्य तक पुनः बढ़कर लगभग 8.0 प्रतिशत हो गई किंतु फरवरी 2007 के अंत तक तुरंत कम होकर लगभग 6.0 प्रतिशत रह गई। मांग दर 5-15 मार्च 2007 के बीच रिवर्स रिपो दर से नीचे रहने के पश्चात, बढ़ी क्योंकि चलनिधि दशाएं अग्रिम कर बर्हिवाह, वर्ष के अंत के प्रतिफल और निरंतर ऋण मांग के कारण पुनः सख्त हो गई (चार्ट VI.2)। मांग दर 30 मार्च 2007 को 54.3 प्रतिशत की आंतर-वर्ष ऊँचाई पर पहुँच गई, यह 16-30 मार्च 2007 के दौरान 19.84 प्रतिशत के औसत पर थी।

चार्ट VI.1: मांग दरों की प्रवृत्ति (मासिक औसत)

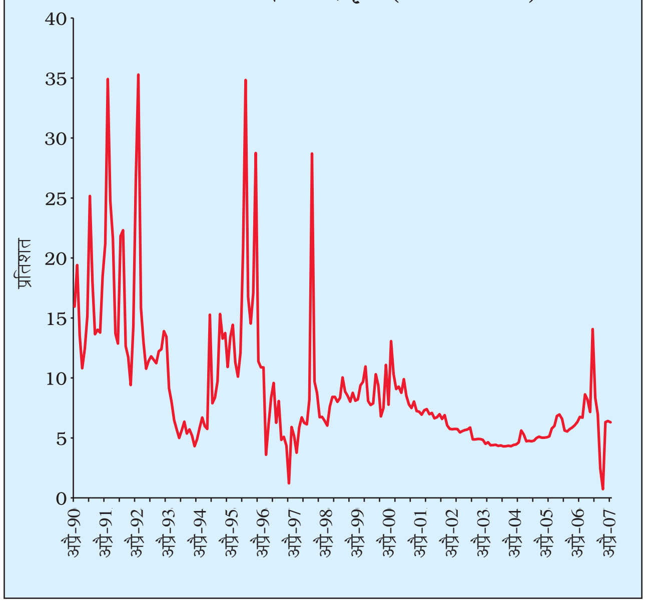

चार्ट VI.2: 2005-07 में मांग दरों की प्रवृत्ति
(मासिक औसत)

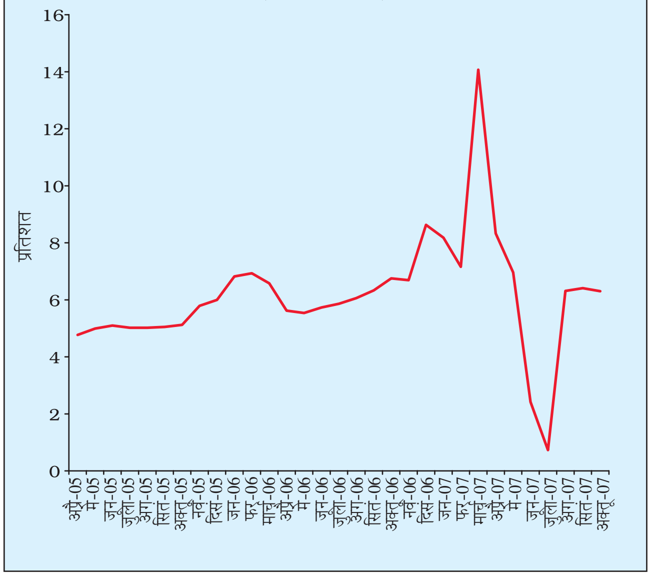

[7] मोहन राकेश (2007), भारत में मुद्रा बाजार का विकास, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन जून।

6.80 2006-07 के दौरान चलनिधि प्रबंधन को नीतिक्रम में प्राथमिकता प्रदान की गई और रिज़र्व बैंक ने अपने पास उपलब्ध सभी नीतिगत लिखतों का लोचपूर्वक उपयोग करते हुए, एलएएफ, एमएसएस और सीआरआर के माध्यम से बाजार चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन की नीति जारी रखी। चलनिधि दशाओं की समीक्षा करने पर, रिज़र्व बैंक ने मार्च 2007 में चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में संशोधन घोषित किए। पूंजी प्रवाह की अस्थिरता और टिकाऊपन के मूल्यांकन को देखते हुए, खज़ाना बिलों और दिनांकित प्रतिभूतियों के मिश्रण के साथ एक वर्धित एमएसएस कार्यक्रम बनाया गया जिससे अति अल्पकालिक अंतरों को बराबर करने के लिए एक सुविधा के रूप एलएएफ को बहाल किया जा सके और दैनिक रिवर्स रिपो नीलामियों के माध्यम से अवशोषित की गई चलनिधि को अनुकूलित किया जा सके। समवर्ती रूप से, 5 मार्च 2007 की शुरुआत से दैनिक रिवर्स रिपो अवशोषण अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए तक सीमित किए गए। तथापि, रिवर्स रिपो पर अधिकतम सीमा के बावजूद, बैंकों ने मार्च 2007 में वर्ष के अंत में अस्थायी चलनिधि दबावों के कम होने और निरंतर पूंजी अंतर्प्रवाह की पृष्ठभूमि के फलस्वरूप काफी समय तक रिवर्स रिपो विंडों में भारी बोली लगाना जारी रखा।

6.81 वर्ष 2007-08 की पहली तिमाही के दौरान, वित्तीय बाजारों में चलनिधि में काफी उतार-चढ़ाव रहा जो मांग दर में दिखलायी पड़ा। प्रणाली में 28 मई 2007 से अतिरिक्त चलनिधि हो गई जिसके कारण दैनिक आधार पर रिवर्स रिपो के माध्यम से अवशोषण करना आवश्यक हो गया। रिज़र्व बैंक द्वारा 5 मार्च 2007 को एलएएफ के अंतर्गत दैनिक रिवर्स रिपो की निर्धारित की गई 3000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा से 2007-08 की पहली तिमाही में मांग दरों में तीव्र गिरावट आयी। उस समय की स्थूल आर्थिक तथा समग्र मौद्रिक और चलनिधि परिस्थितियों को देखते हुए, 2007-08 के लिए मौद्रिक नीति के संबंध में वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा में एलएएफ के अधीन दैनिक रिवर्स रिपो पर 3,000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा हटाने और 6 अगस्त 2007 से दूसरी एलएएफ को समाप्त करने की घोषणा की गई। इन संशोधनों के साथ, मांग दरें बढ़ गईं और सामान्यतया रिपो/रिवर्स रिपो कारीडोर के भीतर ही रहीं। अगस्त-अक्तूबर 2007 के दौरान औसत मांग दर 6.34 प्रतिशत थी।

6.82 जबकि चलनिधि का मूल स्रोत रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई पर्याप्त वृद्धि थी, चलनिधि दशाएं केंद्र सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों का सहारा लेने और केंद्र के नकद शेषों में घटबढ़ से प्रभावित थीं। रिज़र्व बैंक के पास सरकारी नकदी शेषों में हाल में काफी अस्थिरता दिखी है। प्रथम, परिचालनात्मक आवश्यकताओं से जिसकी भविष्यवाणी करना कठिन है, (वेतन भुगतानों, कूपन/ब्याज भुगतानों, ऋणों की चुकौती और इसी तरह अन्य को छोड़कर), सरकार को रिज़र्व बैंक के पास पर्याप्त नकदी बनाए रखनी पड़ती है। दूसरे, बड़े बड़े, ज्ञात संवितरणों जैसे कि राजकोषीय घाटे के वित्तीयन के लिए संविदाकृत बांडों की एकमुश्त चुकौती और विशेष रूप से यदि बाजार में व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है, बेंचमार्क बांडों के पहले कई सप्ताहों में धीरे-धीरे नकद शेषों को बनाए रखने की आवश्यकता है। तीसरे, जबकि सरकारी नकद शेषों के बर्हिवाह का अधिकांश हिस्सा अनियमित है, प्रत्यक्ष कर 'राजस्व और अन्य स्रोतों के माध्यम से अंतर्वाह स्वरूप में एकमुश्त और अनियमित हैं। रिज़र्व बैंक के पास सरकारी नकद शेषों का जमा होना वास्तव में प्रणाली से चलनिधि को वापस लेना है और उसका वही प्रभाव होता है जो मौद्रिक कड़ाई का होता है, अलबत्ता मौद्रिक प्राधिकारी का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होता है। इसी प्रकार, यदि केंद्रीय बैंक के पास रखे गए सरकार के नकद शेष घटते हैं तो प्रणाली में नकदी ड़ालना माना जाएगा, यह ऐसी स्थिति के बावजूद होगा जिसमें उदाहरण के लिए, मौद्रिक नीति को मौद्रिक चलनिधि के प्रति झुका हुआ माना जाएगा। इस प्रकार, अस्थिर सरकारी नकदी शेष मौद्रिक आधार में अप्रत्याशित विस्तार अथवा संकुचन का कारण हो सकते हैं और परिणामस्वरूप, मुद्रा आपूर्ति और चलनिधि मौद्रिक नीति के वर्तमान रूझान के साथ आवश्यक रूप से संबद्ध नहीं हो सकती है। सरकारी नकद शेषों के उतार-चढ़ाव के कारण मौद्रिक प्रबंधन का कार्य जटिल हो जाता है, अतएव प्रायः समंजनकारी उपायों की आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से आवश्यकता होती है, जिससे मौद्रिक नीति के उद्देश्य को बरकरार रखा जा सके[8]।

6.83 बैंकों द्वारा सक्रिय चलनिधि प्रबंध मुद्रा बाजार में गतिविधियों के स्वरूप-निर्धारण का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। नकदी के लिए भारी और अप्रत्याशित माँग जो बैंकों के नकदी प्रवाह में असंतुलन पैदा करती है, अक्सर मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता पैदा करती है और बैंक रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा का सहारा लेने को उन्मुख होते हैं। इससे बाजार में चल-निधि बनाए रखने के भार में वृद्धि होती है और मुद्रा बाजार में स्थिरता लाने का भार रिज़र्व बैंक पर पड़ता है। अतः बैंकों द्वारा चल निधि प्रबंध की पूर्व तैयारी बाजार में चलनिधि प्रबंध के

[8] मोहन, राकेश (2007), ‘भारत में मौद्रिक नीति की संप्रेषणीयता’ भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अप्रैल

लिए रिजर्व बैंक के प्रयास में योगदान करती है तथा मुद्रा बाजार में स्थिरता उपलब्ध कराती है।

6.84 रिज़र्व बैंक के सक्रिय चल निधि प्रबंध ने हाल की विगत अवधि में मुद्रा बाजार स्थितियों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता की है। वित्तीय बाजार वर्ष 2006-07 की प्रथम छमाही के अधिकांश भाग के दौरान आसान चलनिधि स्थितियों से चल कर दूसरी छमाही में सरल और सख्त चलनिधि के मिश्रित स्वरूपों में पहुँच गए। ऐसी गतिविधियों के होते हुए भी चलनिधि समायोजन सुविधा और बाजार स्थिरीकरण योजना परिचालनों के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि प्रबंध परिचालन तथा बाजार स्थिरीकरण योजना सरलीकरण निर्गम, माँग मुद्रा दर अधिकांशतः रिपो - प्रत्यावर्तनीय रिपो दर निर्धारित सीमा (चार्ट VI.3) के भीतर बनाए रखने में सफल रहे। इस अवधि के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित सीमा को भंग करना, सरकारी नकदी शेषों की अस्थिरता, अग्रिम कर बहिर्वाह तथा त्योहारों के मौसम के कारण मुद्रा माँग की अस्थिरता का परिणाम था।

6.85 जैसाकि बैंकिंग क्षेत्र सुधार के संबंध में समिति द्वारा सिफारिश की गई थी (अध्यक्ष : श्री एम.नरसिंहम; 1998), मांग/सूचना मुद्रा बाजार को पूर्णतया अंतर-बैंक बाजार में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अगस्त 2005 में पूरी कर ली गई। अब अनुसूचित वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक और प्राथमिक व्यापारी अपने द्वारा उधार ली गई और दी गई राशियों पर लगाई गई विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुसार असंपार्श्विकीकृत मांग/ सूचना मुद्रा बाजार में भाग लेते हैं। ओवरनाइट बाजार के संपार्श्विकीकृत खंड में, पात्र गैर-बैंक इकाइयां भी भाग लेती है, असंपार्श्विकीकृत खंड में बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों द्वारा ली गई और दी गई राशियों पर विवेकपूर्ण सीमाएं लागू करने से, मुद्रा बाजार में जोखिम काफी हद तक कम हो गए हैं।

6.86 मुद्रा बाजार में वर्ष 2004-05 से वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण गतिविधि रही है - मुद्रा बाजार गतिविधियों का असंपार्श्विकीकी मांग मुद्रा खंड से संपार्श्विकीकृत बाजार रिपो तथा सीबीएलओ की ओर वास्तविक रूप से बढ़ना (चार्ट VI.4)। इस गतिविधि की ओर जाने का परिणाम मुख्यतया मांग मुद्रा बाजार से गैर-बैंक सहभागियों को हटाना है। संपार्श्विकीकृत खंड में मात्रा में वृद्धि वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बाजार के सहभागियों के जोखिम को कम करता है।

विदेशी मुद्रा बाजार

6.87 1990 के दशक से पहले विदेशी मुद्रा बाजार की विशेषता कठोर विनियम, बाह्य लेनदेनों पर प्रतिबंध, प्रवेश पर प्रतिबंध, निम्न चलनिधि और उच्च लेनदेन लागत होती थी। फेरा, 1973 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा लेनदेनों को कड़ाई से विनियमित और नियंत्रित किया जाता था। अगस्त 1994 में रुपए के सभी चालू खाता लेनदेनों पर पूर्णतः परिवर्तनीय कर दिए जाने से बैंकों की जोखिम सहन करने की क्षमता बढ़ गई और विदेशी मुद्रा व्यापार की मात्रा बढ़ने लग गई। इसे बाजार की रुकावटें हटाने और विदेशी मुद्रा बाजार को गहन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के

चार्ट VI.3: मांग दर, रिपो दर और रिवर्स रिपो दर

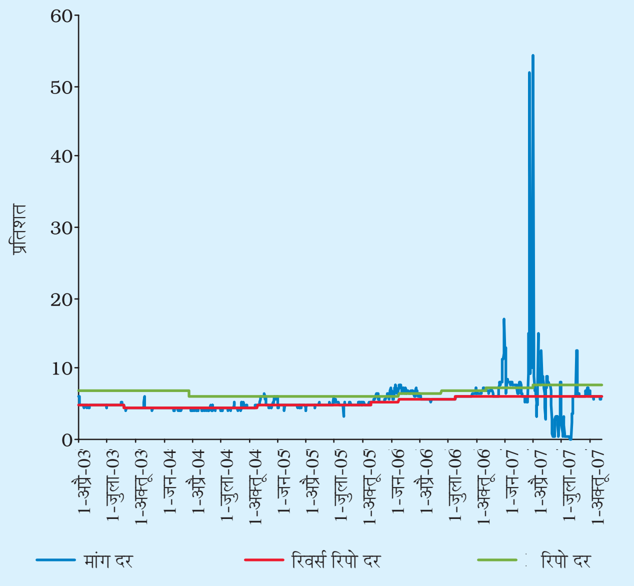

चार्ट VI.4: मुद्रा बाजार में गतिविधि (दैनिक औसत मात्रा)

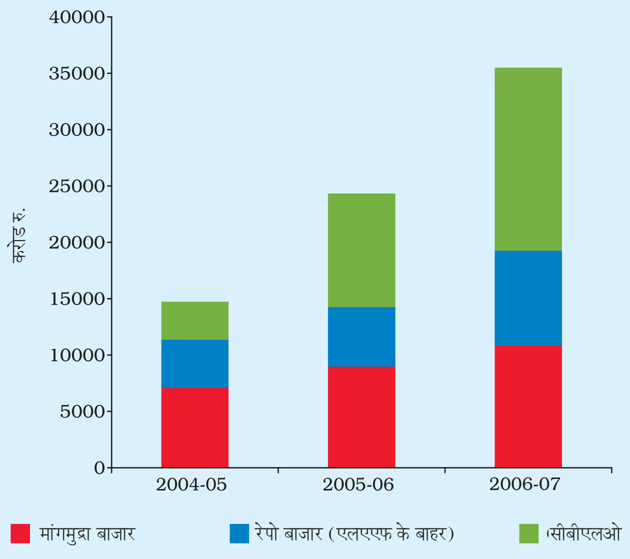

साथ मिलकर किए गए व्यापक सुधारों से भी सहायता मिली। सुधार का चरण सोढानी समिति (1994) से प्रारंभ हुआ जिसने 1995 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा बाजार को मजबूत करने की दृष्टि से विनियमों को शिथिल करने की सिफारिश की थी। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के स्थान पर बाजार अनुकूल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 आने से रिज़र्व बैंक ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने हेतु प्राधिकृत व्यापारियों को अधिकार दिए। पूंजी खाता लेनदेन भी स्तरबद्ध तरीके से उदार किए गए।

6.88 विदेशी मुद्रा लेनदेन को सरल बनाने और विदेशी मुद्रा लेनदेन करने में व्यक्तियों और कंपनियों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए 2006-07 में अनेक उपाय किए गए जो अध्याय 2 (भाग 7) में दिए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, विनिमय दर डायनैमिक्स के निर्धारण में पूंजीगत प्रवाह काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस अवधि में पूंजी प्रवाहों में बीच-बीच में उतार-चढ़ाव देखने में आए हैं जिसमें आवधिक बहुत अधिक वृद्धि और गिरावट हुई। तथापि, 2004-05 से निवल पूंजीगत प्रवाहों में काफी वृद्धि हुई है और चालू खाता घाटे से काफी अधिक रहे हैं।

6.89 अप्रतिबंधित पूंजी खाते के उदारीकरण से प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय अनुभव को देखते हुए, पूंजी खाते के उदारीकरण की भारतीय नीति धीरे-धीरे खोलने की रही है। पूंजी खाते का संरचनात्मक अंतरण नीतिगत ढांचे के अनुरूप है जो भुगतान संतुलन को स्थिरता प्रदान करता है। पूंजी खाते की सुवहनीयता को व्यापक रूप से सामान्य पूंजीगत प्रवाह की मात्रा के अनुरूप देखा जाता है[9]। तथापि, विदेशी पूंजी आवकों की व्यापक वृद्धि ने हाल में मौद्रिक प्रबंधन के कार्य को जटिल बना दिया जिससे रिज़र्व बैंक को मौद्रिक स्थिरता के बचाव में अवरुद्धता लेनदेन करने पड़े।

6.90 1990 के दशक में विदेशी मुद्रा बाजार कुल मिलाकर स्थिर रहा, विशेषकर 1998 के बाद। अस्थिरता की कुछ घटनाएं हुईं। तथापि, प्रभावी नीतिगत प्रतिक्रियाएँ बाजार में तेजी से व्यवस्थित स्थितियां लाने में सफल रहीं। कुछ अवसरों को छोड़कर, अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये में बदलाव का सह-गुणांक, सीमित दायरे में रहा (चार्ट VI.5)। कुछ उतार-चढ़ाव को दिखलाते हुए, रुपया-डालर की विनिमय दर का मानक विचलन 2005-06 के 0.79 से कुछ बढ़कर 2006-07 के दौरान 0.89 हो गया।

चार्ट VI.5: विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव - अमरीकी डालर की तुलना में रुपये की विनिमय दर

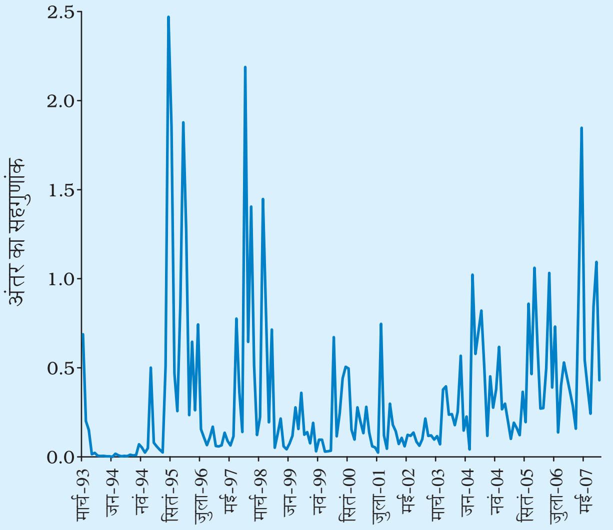

6.91 वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय रुपये में अमरीकी डालर की तुलना में प्रति अमरीकी डालर 43.14 रुपये और 46.97 रुपये के बीच दुतरफा उतार-चढ़ाव दिखाई दिया (चार्ट VI.6)। कच्चे तेल की उच्चतर कीमतों, शेयरों में भारी गिरावट, विदेशी संस्थागत निवेश बहिर्वाहों तथा मध्य एशियाई क्षेत्र में

चार्ट VI.6: अमरीकी डालर की तुलना में रुपये की विनियम दर

[9] मोहन राकेश (2005), वैश्विक व्यवस्था क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था; भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन अक्तूबर.

राजनीतिक जोखिमों के कारण रुपया 2006-07 की पहली तिमाही में गिरकर 19 जुलाई 2006 को 46.97 रुपये हो गया। उसके बाद नये एफआइआइ अंतर्वाहों, कच्चे तेल मूल्यों में कमी तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर अमेरीकी डालर के कारण रुपया धीरे-धीरे मजबूत हुआ और सितंबर के मध्य में 46 रुपये प्रति डालर और नवंबर 2006 के पहले सप्ताह में 45 रुपये प्रति डालर हो गया। अंतरराष्ट्रीय साख निर्धारण एजेंसी एस एंड पी द्वारा 30 जनवरी 2007 को भारत की साख श्रेणी के निवेश में सर्वोत्तम श्रेणी निर्धारण के परिणामस्वरूप नये पूंजीगत अंतर्वाहों में मजबूती आई और मार्च 2007 के मध्य तक विनियम दर लगभग 44 रुपये प्रति अमरीकी डालर हो गयी और 30 मार्च 2007 को 43.60 रुपये प्रति अमरीकी डालर थी। वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की बढ़ती निवेश मांग तथा बाह्य वाणिज्य उधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश के कारण पूंजीगत प्रवाहों में वृद्धि से रुपये में काफी वृद्धि हुई। वार्षिक औसत आधार पर, अमेरिकी डालर की तुलना में रुपया 2.22 प्रतिशत मजबूत हुआ। पारस्परिक मुद्रा गतिविधियों को दर्शाते हुए, मार्च 2006 के अंत और मार्च 2007 के अंत के बीच पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये में 9.1 प्रतिशत और यूरो की तुलना में 6.8 प्रतिशत की गिरावट आयी लेकिन जापानी येन की तुलना में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, मई 2007 के अंत तक रुपये में वृद्धि हुई परन्तु उसके बाद जून 2007 के अंतिम सप्ताह तक उसमें मूल्यह्रास हुआ। तथापि, 1 नवंबर 2007 को वह पुनः बढ़कर 39.31 रुपये पर पहुँच गया। भारतीय रिज़र्व बैंक की विनिमय दर नीति विनिमय दरों की सावधानीपूर्ण निगरानी तथा प्रबंधन संबंधी स्थूल सिद्धांतों के अनुसार जारी रही, जो बिना किसी निर्धारित लक्ष्य के या किसी पूर्व घोषित लक्ष्य या सीमा के थी जिसमें अत्यधिक अस्थिरता या सट्टेबाजी को सीमित करने के लिए जब भी आवश्यक हो, हस्तक्षेप करने की सक्षमता उपलब्ध थी।

6.92 2006-07 के दौरान, विदेशी मुद्रा बाजार के अंतर-बैंक तथा व्यापारी खंडों में पण्यावर्त बढ़ गया, जो भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी खाता के संबंध में अंतर्निहित लेनदेनों में मजबूत वृद्धि दिखलाता है। जबकि, अंतर-बैंक पण्यावर्त अप्रैल 2006 में 17.7 बिलियन अमरीकी डालर के दैनिक औसत की तुलना में मार्च 2007 में बढ़कर 26 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, दैनिक औसत व्यापार पण्यावर्त 6.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 9.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2006-07 के दौरान

चार्ट VI.7: विदेशी मुद्रा बाजार में टर्नओवर
(दैनिक औसत)

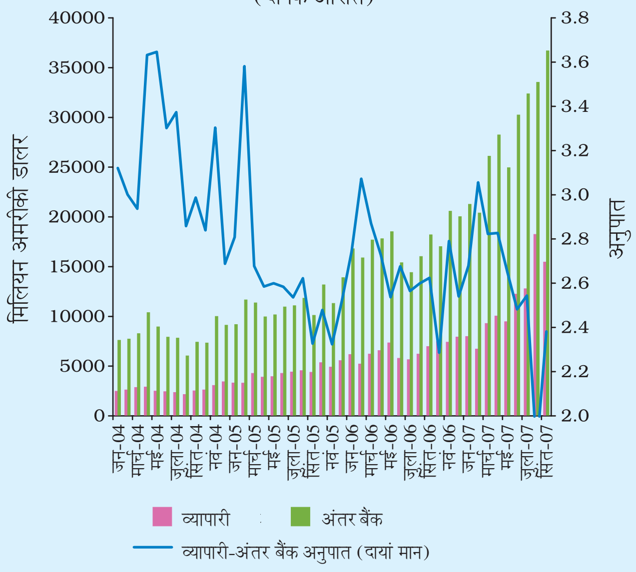

व्यापार पण्यावर्त (दैनिक औसत) में अंतर-बैंक पण्यावर्त का अनुपात 2.28 तथा 3.05 के बीच रहा (चार्ट VI.7)।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

6.93 सरकारी प्रतिभूति बाजार वित्तीय बाजार का एक प्रमुख खंड है जिसमें ऋण जोखिम मुक्त अत्यधिक तरल वित्तीय लिखतें प्रदान की जाती हैं, जिनमें बाजार के सहभागी लेनदेन करने और अपनी पोजीशन को ठीक करने के अधिक इच्छुक होते हैं। एक जोखिम मुक्त बेंचमार्क प्रस्तुत करके, सरकारी प्रतिभूति बाजार अन्य वित्तीय बाजारों के विकास को भी सुविधाजनक बनाता है और वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों के समन्वयन के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। सरकारी प्रतिभूति बाजार, जो बहुधा कई अर्थव्यवस्थाओं में समग्र ऋण बाजार का प्रमुख खंड होता है, मौद्रिक नीति संप्रेषण व्यवस्था में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है[10]। इस प्रकार, सरकारी प्रतिभूति बाजार वित्तीय बाजार के अन्य खंडों में मूल्य पहचान क्रिया व्यवस्था की कुशलता को बढ़ाता है, जो वित्तीय स्थिरता की एक प्रमुख शर्त है।

6.94 केंद्रीय बैंक को, एक विकसित सरकारी प्रतिभूति बाजार से खुला बाजार परिचालन (रिपो सहित) जैसे मौद्रिक नीति के अप्रत्यक्ष या बाजार आधारित लिखतों का उपयोग करने की और अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सरकार द्वारा अपनी निधियों की आवश्यकता के लिए बाजार का और अधिक सहारा लेने से पात्र

[10] भारतीय रिज़र्व बैंक (2007) मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट, 2005-06,www.org.in

संपार्श्विकीकृत प्रतिभूतियों में वृद्धि होती है, जिससे केंद्रीय बैंक अप्रत्यक्ष लिखतों के माध्यम से मौद्रिक नीति का संचालन कर सकता है। पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों की बढ़ती मात्रा से कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति के संचालन में, विशेषकर पूंजीगत प्रवाहों के प्रभावों को निष्क्रिय करने में, लचीलापन प्राप्त होता है।

6.95 चूंकि मौद्रिक नीति के परिचालनों के संचालन में सरकारी प्रतिभूति बाजार एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए एक गहन, तरल और जीवंत सरकारी प्रतिभूति बाजार को विकसित करने में केंद्रीय बैंक बहुत रूचि दिखलाते हैं। भारत में, रिज़र्व बैंक ने निवेशक आधार को व्यापक बनाने; प्राथमिक निर्गमों में पारदर्शिता बढ़ाने, लिखतों के चयन में विस्तार, प्रमुख परिपक्वताओं में प्रतिभूतियों की बेंचमार्किंग तथा समेकन तथा यथोचित रक्षोपाय करने तथा मजबूत व्यापार तथा भुगतान संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की पहलें की है।

6.96 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध में नीलामी आधारित सरकारी प्रतिभूतियां जारी करना सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास का एक प्रमुख उपाय था। गैर-बैंकिंग इकाइयों जैसे कि बीमा कंपनियों, म्युच्युअल फंड, सहकारी बैंक तथा अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सहभागिता से निदेशक आधार और अधिक स्वैच्छिक और विविध हो गया है। सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास में प्राथमिक व्यापारी प्रणाली का विकास करना एक महत्वपूर्ण कदम है। बाजार के रुझान को देखते हुए, नवोन्मेषी विशेषताओं सहित नये लिखत प्रारंभ किए गए हैं जिनमें जीरो कूपन बांड तथा अस्थायी दर बांड शामिल हैं। प्रौद्योगिक गतिविधियों के कारण स्क्रीन आधारित छद्म व्यापार और रिपोर्टिंग प्लेटफार्म - एनडीएस-ओएम लागू हो पाया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय समाशोधन निगम लि. प्रारंभ करने से सौदों का गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित हुआ है और इसलिए सरकारी प्रतिभूति बाजार को काफी स्थिरता प्राप्त हुई है। मुख्य रूप से पुनर्निर्गमों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के समेकन की रणनीति से प्रमुख प्रतिभूतियों में गति आयी है, जिससे बाजार बेंचमार्क उभरने में सुविधा हुई है।

6.97 1 अप्रैल 2006 से रिज़र्व बैंक पर सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में अभिदान करने पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार एफ आर बी एम के बाद के दौर में ऋण प्रबंधन को सुगम करना मुख्य मुद्दा था। अतः रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार विकसित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए। रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2006 में 'जब जारी' सौदों की शुरुआत की ताकि प्रत्येक निर्गम के लिए वास्तविक वितरण अवधि को बढ़ाकर नीलाम किए गए शेयरों के कुशल वितरण को सुविधाजनक बनाया जा सके और बिना किसी व्यवधान के बड़े निर्गमों को अवशोषित करने के लिए बाजार को और अधिक समय मिल सके। फरवरी 2006 में पात्र सहभागियों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों में 'मंदड़िया बिक्री' की अनुमति दी गई जिससे सहभागियों की ब्याज दर चक्र के बारे में संतुलित प्रतिक्रिया मिलने की आशा है। 31 जनवरी 2007 से 'मंदड़िया बिक्री' को पांच कार्य दिवस तक बढ़ाने से सरकारी प्रतिभूतियों में सौदा सहज होने की आशा है। रिज़र्व बैंक ने एफ आर बी एम अधिनियम के बाद के दौर में सरकार का बाजार उधार कार्यक्रम सुगमतापूर्वक संचालित करने के लिए प्राथमिक व्यापारी प्रणाली में उपयुक्त सुधार किए।

6.98 एनडीएस-ओएम ट्रेडिंग प्लेटफार्म, जो शुरू में केवल केंद्र और राज्य सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग को समायोजित करता है, खजाना बिलों को हैंडल करने के लिए जुलाई 2006 में अपडेट किया गया। एनडीएस-ओएम की सदस्यता 25 मई 2007 को उन अर्हताप्राप्त कंपनियों के लिए खोल दी गई जो एनडीएस सदस्यों जैसे जमा लेनेवाली एनबीएफसी, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, पारस्परिक निधियों, बीमा कंपनियों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और न्यासों के साथ सरकारी प्रतिभूति खाते रखती हैं। वार्षिक नीति वक्तव्य, 2007 की अर्धवार्षिक समीक्षा में यह प्रस्तावित किया गया कि एनडीएसओएम तक पहुँच की सुविधा प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमा न लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दी जाए। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समेकन की दृष्टि से, सक्रिय समेकन की एक योजना शुरू की गई और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गई। योजना के अंतर्गत प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की वास्तविक कार्रवाई 2007-08 के दौरान किए जाने की आशा है।

6.99 2006-07 के दौरान, निरंतर भारी पूंजी अन्तर्वाह को देखते हुए, चलनिधि प्रबंधन ने बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम का सहारा लिया जिससे एमएसएस के अंतर्गत शेष अप्रैल 2006 के अंत के 24,276 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 62,974 करोड़ रुपए हो गए। 2004 में एमएसएस की शुरुआत से, जिसे यथार्थ बाजार आधारित स्थिरीकरण योजना के रूप में देखा जा सकता है, रिज़र्व बैंक को मौद्रिक और चलनिधि परिचालनों में और अधिक लोच प्राप्त हुई है। जबकि एमएसएस के अंतर्गत प्रतिभूतियों के निर्गम ने सरकारी प्रतिभूतियों के स्टॉक और चलनिधि प्रबंधन को आसान बनाने के अलावा, सरकारी प्रतिभूति बाजार में चलनिधि को बढ़ाने में योगदान किया, इसने एमएसएस प्रतिभूतियों पर ब्याज व्यय के अर्थ में सरकार पर बोझ को बढ़ाया। एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत सकल राजकोषीय उधार और राजस्व घाटे में लक्षित कमी की दृष्टि से यह

और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

6.100 सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्राथमिक बाजार में पण्यावर्त ने ब्याज दर चक्र के प्रति असंगत प्रतिक्रिया दिखाई अर्थात् ब्याज दरों में गिरावट के समय बाजार तरल और सक्रिय हो गया लेकिन ब्याज दर बढ़ने पर असक्रिय हो गया। परिणामस्वरूप, ब्याज दरों के कम हो जाने के कारण 2001-02 और 2004-05 के बीच जो टर्नओवर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ गया था, वह ब्याज दर बढ़ने पर काफी कम हो गया (सारणी VI.8)।

6.101 निवेशकों की अल्पकालिक प्रतिभूतियों की पसंद और विद्यमान समष्टि आर्थिक परिस्थितियों तथा बाद में अपेक्षाकृत कम अवधि की प्रतिभूतियों के निर्गम के कारण 1990 के दशक में दीर्घावधिक आय वक्र विकसित नहीं हो पाया। मुद्रास्फीतिकारी परिस्थितियों में नरमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राथमिक निर्गमों की परिपक्वता अवधि बढ़ा दी। इसके परिणामस्वरूप 2002-03 से 30 वर्षीय अवधि के लिए आय वक्र विकसित हुआ है। नीति दरों में परिवर्तन के प्रति अल्पकालिक दरों की प्रतिक्रिया दीर्घावधिक दरों की अपेक्षा तेज तथा अधिक मुखर रही है जो नीति दरों के परिवर्तन के अल्पकालिक प्रभावों की सूचक है (चार्ट VI.8)।

6.102 वर्ष 2006-07 के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार में होने वाली आय में उतार-चढ़ाव देशी गतिविधियों और साथ ही वैश्विक घटनाओं की सूचक रही है। वर्ष 2006-07 के दौरान

सारणी VI.8 केंन्द्र सरकारकी प्रतिभूतियों में गौण बाजार के लेनदेन

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	एक दिवसीय	रेपो	कुल	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्तंभ 4	आय * (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1999-2000	4,56,493	82,739	5,39,232	27.6	11.70
2000-01	5,72,145	1,25,976	6,98,121	33.2	10.95
2001-02	12,11,941	3,61,932	15,73,873	69.0	9.44
2002-03	13,78,160	5,63,515	19,41,675	79.0	7.34
2003-04	16,83,711	9,55,533	26,39,244	95.4	5.71
2004-05	11,60,632	15,62,990	27,23,622	87.3	6.11
2005-06	8,81,632	16,98,770	25,80,401	72.3	7.34
2006-07	3,34,901	11,31,461	14,66,362	35.5	7.89
2007-08 (अप्रैल-अक्तू.)	7,23,717	19,38,492	26,62,209	57.5	8.19

* : केंद्र सरकार की प्राथमिक प्रतिभूतियों पर भारांकित औसत आय।
टिप्पणी : आंकड़े केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से संबंधित हैं, टी-बिल छोड़कर।

चार्ट VI.8: सरकारी प्रतिभूतियों का आय वक्र

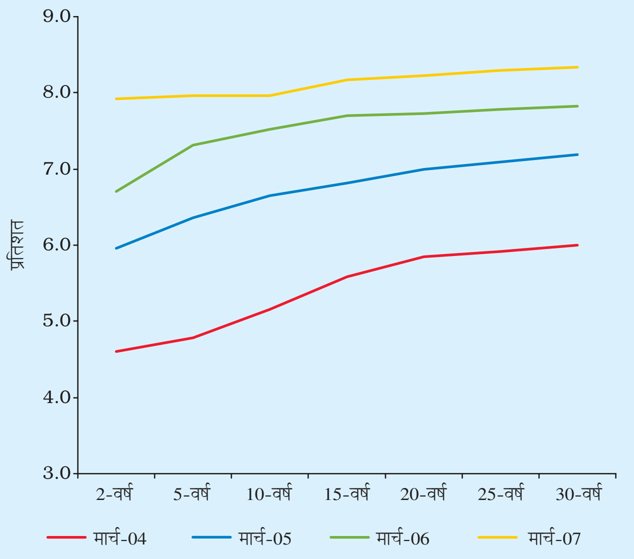

अनुषंगी बाजार में होनेवाली आय, अनवरत देशी ऋण मांग तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते मूल्यों के कारण पैदा होने वाले मुद्रास्फीतिकारी दबावों के कारण में और बढ़ गई। वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति में आई कठोरता से भी आय में वृद्धि हुई जो भारतीय वित्तीय बाजार के वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण का द्योतक है। दिसम्बर 2006 के बाद 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर होने वाली आय में वृद्धि, अग्रिम कर भुगतानों, अधिक मुद्रास्फीति तथा सीआरआर बढ़ाये जाने के कारण देशी चलनिधि में कमी की सूचक है। आय 14 फरवरी 2007 को सीआरआर में बढ़ोत्तरी के कारण 17 आधार अंकों की तेज वृद्धि के साथ 8.08 प्रतिशत तक पहुँच गयी जो 21 मार्च 2007 को बढ़कर 8.10 प्रतिशत की ऊँचाई पर पहुँच गई। 10 वर्षीय आय 31 मार्च 2007 को 7.97 प्रतिशत थी जो 31 मार्च 2006 के स्तर से 45 आधार अंक अधिक थी। वर्ष 2007-08 के दौरान आय मई 2007 के अंत तक 7.97 प्रतिशत तथा 8.19 प्रतिशत की सीमा के भीतर बनी रही और यह गैर-अनुसूचित नीलामियों की घोषणा तथा विश्व स्तर पर ब्याज दरों के सख्त होने के कारण जून 2007 के मध्य में 8.30 प्रतिशत के शिखर पर पहुँच गई। इसके बाद आय में मंदी का दौर शुरू हुआ और यह नवंबर 2007 के प्रथम सप्ताह के अंत तक 7.85 प्रतिशत से 8.01 प्रतिशत के बीच गतिशील बनी रही जो आसान चलनिधि की परिस्थितियों के अनवरत प्रभावी रहने को प्रतिबिंबित करती है। 10 वर्षीय आय 08 नवंबर 2007 को 7.96 प्रतिशत पर बंद हुई जो 08 नवंबर 2006 के स्तर से 37 आधार अंक अधिक थी (चार्ट VI.9)।

चार्ट VI.9: 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय

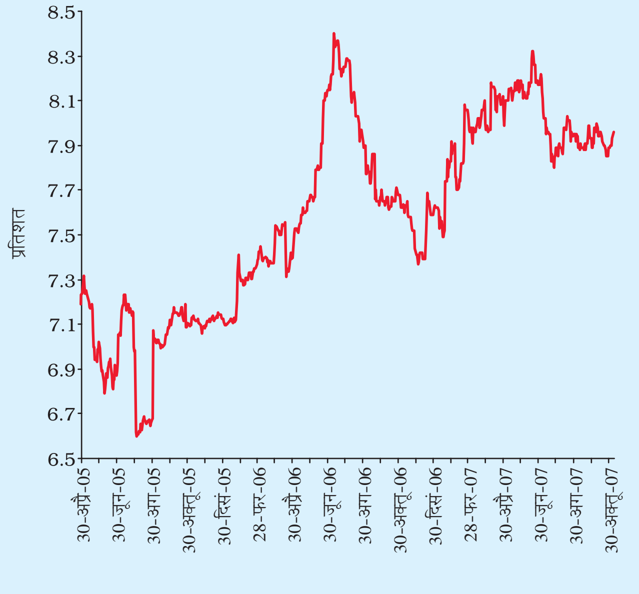

पूंजी बाजार

6.103 पूंजी बाजार चलनिधि तथा निवेश संबंधी लिखत प्रदान करने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तरल कंपनी बांड बाजार आर्थिक विकास को सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है क्योंकि यह दीर्घावधि पूंजी निवेश और आस्ति निर्माण के लिए कंपनी क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने में बैंकिंग प्रणाली को सहायता पहुंचाता है। देशी पूंजी बाजार मुद्रा संबंधी असमानताओं में कमी लाकर तथा ऋण की अवधि में वृद्धि करके निजी कंपनी ऋण बाजार वित्तीय स्थिरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है[11]। ऐसे बाजार, बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दर विकसित करके, जो विभिन्न परिपक्वताओं पर निधियों की अवसरगत लागत के सूचक हैं आर्थिक सक्षमता को प्रोत्साहन देते हैं। जिन अर्थव्यवस्थाओं में सुविकसित पूंजी ऋण बाजारों की कमी होती है उनमें दीर्घावधिक ब्याज दरें प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकतीं और इस प्रकार ये निधियों की सही लागत का सूचक नहीं हो सकतीं । इसके चलते बैंकों के लिए दीर्घावधिक ऋणों का मूल्य निर्धारित करना कठिन हो जाता है तथा उधारकर्ता उधार लेने की लागत का सही निर्धारण करने के लिए बाजार की एक मूल दर की कमी महसूस करते हैं। जहां स्थानीय मुद्रा में दीर्घावधिक ऋण संविदाएं निष्पादित करने के लिए बाजार विकसित नहीं हो पाया है, वहाँ उधारकर्ताओं द्वारा जोखिमपूर्ण वित्तपोषण का निर्णय लिए जाने की संभावना रहती है जिनके चलते तुलनपत्र संबंधी जोखिम पैदा होते हैं तथा चूक संबंधी जोखिमों में वृद्धि होती है।

6.104 ऋण संस्कृति और बाजार अनुशासन के पोषण के लिए निजी कंपनी बांड बाजार महत्वपूर्ण है। सुव्यवस्थित बांड बाजार की मौजूदगी से ऋण जोखिमों का दक्ष मूल्यन हो सकता है क्योंकि बाँड बाजार के सभी सहभागियों की अपेक्षाएं बाँड मूल्य में समाहित होती हैं। विकसित देशी पूंजी बाजार जोखिम के अभाव में निवेशों के निधीयन के लिए ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों का निर्गम जरूरी हो सकता है जिनके चलते स्थानीय मुद्रा संबंधी आय होती है जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा संबंधी असमानताएं भी पैदा होती हैं । विनिमय दर में परिवर्तन के कारण तुलनपत्र तथा उधारकर्ता के ऋण संबंधी भुगतानों के लिए भी जोखिम पैदा होता है।

6.105 यद्यपि भारत में पूंजी बाजार लंबी अवधि में विकसित हुए है, लेकिन 1990 के दशक के प्रारंभ से सरकार सेबी द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बाद ही इसमें उल्लेखनीय गति आई है। बाजार गतिविधियों में, जोकि 1997-98 और 2003-04 के बीच मंद रहीं, काफी तेजी आई है जो बाजार विकसित करने और निवेशक का विश्वास पुन: बहाल करने के लिए शुरू किए गए उपायों की सार्थकता को दर्शाती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रारंभ मजबूत समष्टि आर्थिक सिद्धांतों और उच्चतर विकास दर पथ ने भी प्राथमिक पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने में जबर्दस्त योगदान दिया है (चार्ट VI.10)।

6.106 1990 के दशक की दूसरी छमाही की शुरुआत में भारतीय कंपनी क्षेत्र द्वारा निवेश की वित्तपोषण प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कंपनियां अब निधि के आंतरिक स्रोतों पर काफी भरोसा करने लगी है जिसने 1990-91 से 1994-95 के दौरान 29.9 प्रतिशत की तुलना में 2000-01 से 2004-05 के दौरान कुल निधियों के 60.7 प्रतिशत का निर्माण किया। परिणामस्वरूप, इस अवधि में ऋण-ईक्विटी अनुपात में तेज गिरावट आई। बढ़े हुए निवेश कार्यकलाप तथा बाह्य स्रोतों पर कंपनियों की निर्भरता के कारण, 2005-06 में ऋण और ईक्विटी दोनों में वृद्धि हुई। फलस्वरूप ऋण-ईक्विटी अनुपात में कुछ वृद्धि हुई (सारणी VI.9)। तुलन पत्र की डीलीवरेजिंग ने कंपनी क्षेत्र को अपनी लाभप्रदता सुधारने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता की है जिससे आघात सहने के उनके सामर्थ्य में सुधार हुआ है।

[11] बीआइएस (2007), 'फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एण्ड लोकल करेंसी बांड मार्केट्स', वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति पेपर सं.28, www.bis.org

चार्ट VI.10: प्राथमिक पूंजी बाजार से संसाधन जुटाना

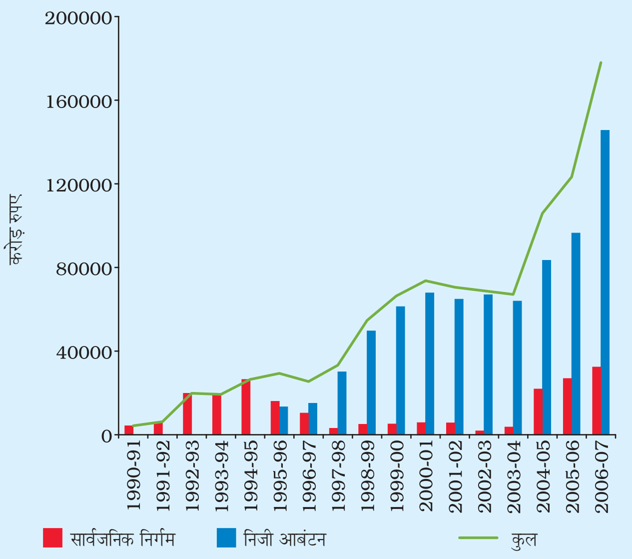

6.107 म्यूचुअल फंड ने पूंजी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले वर्षों में ईक्विटी बाजार में निवेशक की बढ़ती रुचि म्यूचुअल फंडों द्वारा जुटाए गए संसाधनों से भी आंकी जा सकती है। म्यूचुअल फंड द्वारा जुटाई गई निवल निधि (मोचन घटाकर) 2005-06 के दौरान 52,780 करोड़ रुपए की तुलना में 2006-07 के दौरान तेजी से बढ़कर 93,985 करोड़ रुपए हो गई और यह मुख्यत: ऋण उन्मुख योजनाओं के तहत जुटाए गए संसाधनों के कारण हुआ,जो वर्ष के दौरान लगभग चौगुनी हो गई। कम अवधि के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ अधिशेष निधि को निवेश करने के प्रयोजन से ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ईक्विटी उन्मुख योजनाओं के तहत म्यूचुअल फंडों द्वारा निवल संसाधन जुटाने में 2006-07 के दौरान गिरावट आई जो विशेष रूप से शेयर बाजार की रिकार्ड ऊँचाई को देखते हुए निवेशकों के बीच जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है (सारणी VI.10)।

6.108 5 वर्षीय एएए रेटेड कंपनी प्रतिभूति और जोखिम मुक्त सरकारी प्रतिभूति के बीच प्रतिफल-अंतर 2006-07 के दौरान मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा। मार्च 2007 के अंत और जून 2007 के अंत के बीच प्रतिफल-अंतर ज्यादा हो गया क्योंकि 5 वर्षीय प्रतिफल की नरमी कंपनी बांड में व्याप्त नहीं हो सकी। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति और एएए रेटेड कंपनी बांडों के बीच भी कमोबेश यही प्रवृत्ति देखी गई। (चार्ट VI.11)

सारणी VI.9 भारतीय कंपनियों के लिए निधियों के स्रोतों का पैटर्न

(कुल से प्रतिशत)

मद	1985-86 से 1989-90	1990-91 से 1994-95	1995-96 से 1999-2000	2000-01 से 2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1. आंतरिक स्रोत	31.9	29.9	37.1	60.7	43.6
2. बाह्य स्रोत	68.1	70.1	62.9	39.3	56.4
जिसमें से :					
क) ईक्विटी पूंजी	7.2	18.8	13.0	9.9	17.0
ख) उधार राशियां	37.9	32.7	35.9	11.5	24.4
जिसमें से :					
(i) डिबेंचर	11.0	7.1	5.6	-1.3	-2.7
(ii) बैंकों से	13.6	8.2	12.3	18.4	23.8
(iii) वित्तीय संस्थाओं से	8.7	10.3	9.0	-1.8	-2.4
ग) व्यापार बकाया और अन्य चालू देयताएं	22.8	18.4	13.7	17.3	14.7
कुल	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
ज्ञापन:					
(i) पूंजी बाजार संबंधी लिखतों का हिस्सा (डिबेंचर और ईक्विटी पूंजी)	18.2	26.0	18.6	8.6	14.3
(ii) वित्तीय मध्यस्थों का हिस्सा (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार)	22.2	18.3	21.3	16.6	21.4
(iii) ऋण-ईक्विटी अनुपात	88.4	85.5	65.2	61.6	43.0

टिप्पणी: आंकड़े गैर सरकारी और वित्तेतर पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नमूने से संबंधित हैं।
स्रोत: 'पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वित्त' विषय पर लेख, आरबीआइ बुलेटिन (विभिन्न अंक)

सारणी VI.10: म्यूचुअल फंडों द्वारा जुटाई गई निधियां - योजनाओं के प्रकार

(करोड़ रुपये)

योजना	2005-06				2006-07			
	योजनाओं की संख्या	सकल संग्रहण	निवल संग्रहण	निवल आस्तियां*	योजनाओं की संख्या	सकल संग्रहण	निवल संग्रहण	निवल आस्तियां*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. आय/ऋण उन्मुख योजनाएं	**325**	**10,08,129**	**16,621**	**1,24,913**	**450**	**18,39,668**	**64,068**	**2,27,618**
(i) चलनिधि -मुद्रा बाजार	45	8,36,859	4,205	61,500	55	16,26,790	4,985	1,00,911
(ii) श्रेष्ठ प्रतिभूति	29	2,479	-1,560	3,135	28	1,853	-964	1,999
(iii) ऋण (निश्चित प्रतिलाभ के अलावा)	251	1,68,791	13,977	60,278	367	2,11,026	60,046	1,24,708
ख. संवृद्धि/ईक्विटी उन्मुख योजनाएं	**231**	**86,014**	**35,231**	**99,456**	**267**	**94,351**	**28,206**	**1,22,379**
(i) ईएलएसएस	37	3,935	3,592	6,589	40	4,669	4,453	9,600
(ii) अन्य	194	82,079	31,639	92,867	227	89,683	23,753	1,12,279
ग. संतुलित योजनाएं	**36**	**4,006**	**927**	**7,493**	**38**	**4,473**	**1,710**	**9,004**
घ. निधि योजनाओं की निधि	**13**	**845**	**-241**	**1,012**	**33**	**2,854**	**1,164**	**2,253**
कुल	**592**	**10,98,149**	**52,780**	**2,31,862**	**755**	**19,38,493**	**93,985**	**3,26,292**

* : मार्च के अंत की स्थिति। ईएलएसएस : ईक्विटी संबद्ध बचत योजना।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ।

6.109 2006-07 में घरेलू अनुषंगी बाजारों में लगातार उछाल देखा गया जो पहली और चौथी तिमाही के दौरान गिरावट के साथ छितर गया (चार्ट VI.12)। वित्तीय वर्ष 2006-07 में बाजार तेजड़िया रुख के साथ शुरू हुए, लेकिन यह रुख कायम नहीं रह सका क्योंकि वैश्विक वृद्धि में गिरावट, वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि, उच्चतर अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, अप धातुओं की कीमतों में कमी और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली संबंधी चिंताओं के चलते अधिक जोखिम निवारण के वैश्विक संकेतों के कारण 11 मई-14 जून 2006 के दौरान बाजारों में तेज गिरावट आई। 22 मई 2006 को घरेलू शेयर बाजार में फिर ऐतिहासिक गिरावट तब देखी गई जब दूसरी बार सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया गया। 14 जून 2006 को बीएसई सेन्सेक्स गिरकर

चार्ट VI.11: सरकारी प्रतिभूति और कंपनी बांड पर आय

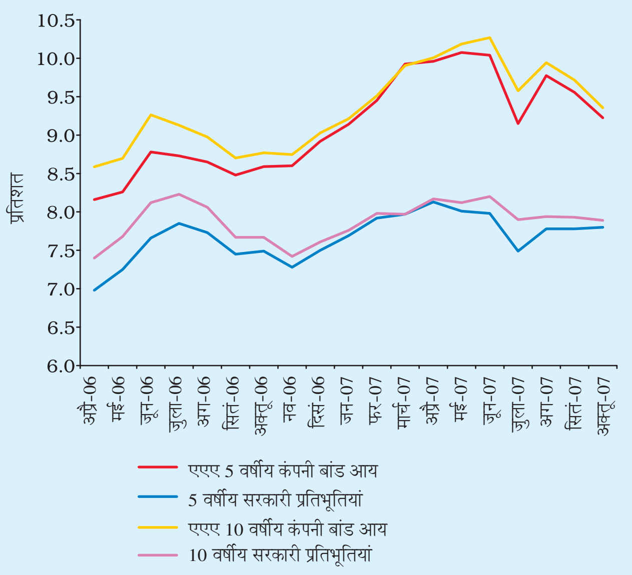

चार्ट VI.12: शेयर बाजार सूचकांकों में उतार-चढ़ाव

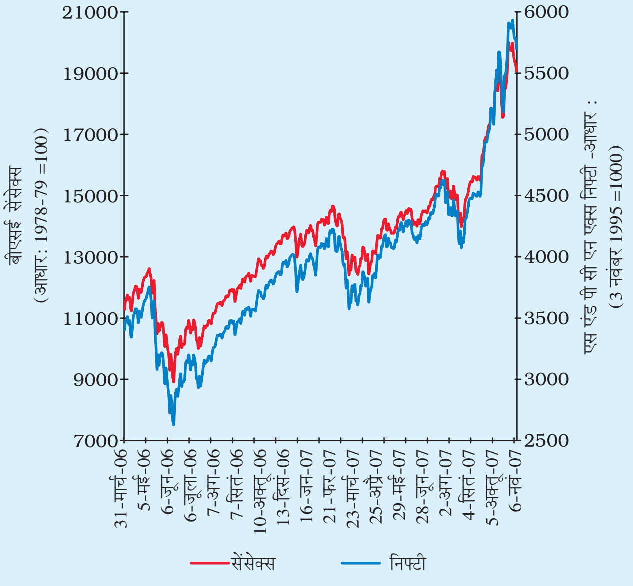

8,929 हो गया और इसने 10 मई 2006 के उस समय के सर्वाधिक ऊंचे 12,612 अंक की तुलना में 29.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। तथापि, आगामी महीनों में शेयर बाजारों ने इस क्षति को घटा लिया जो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा नई खरीद, अप धातुओं के मूल्यों में सुधार और सतत मजबूत समष्टि आर्थिक मौलिक तत्वों और कंपनी आय के बीच कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत में नरमी को दर्शाता है। 8 फरवरी 2007 को बीएसई सेंसेक्स अब तक के सर्वाधिक 14,652 अंक तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद बढ़ती घरेलू मुद्रास्फीति की चिंताओं और अमेरिकी सब प्राइम बंधक उद्योग की समस्याओं के कारण अंतरराष्ट्रीय ईक्विटी बाजार में घबराहट के कारण गिरावट देखी गई । इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप मार्च 2007 अंत में बीएसई सेंसेक्स 13,072 पर बंद हुआ। लेकिन फिर भी मार्च 2006 अंत के अपने 11,280 अंक के स्तर से यह 15.9 प्रतिशत ऊंचा था।

6.110 2007-08 की अपनी ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति को बरकरार रखते हुए बीएसई सेंसेक्स अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर 19,976 अंक पर 2 नवंबर 2007 को बंद हुआ अर्थात् मार्च 2007 के अंत की तुलना में 52.82 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई। 2 नवंबर 2007 को एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी भी 5,932 के रिकार्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों से चलनिधि समर्थन, सुदृढ़ जीडीपी वृद्धि, मजबूत कंपनी लाभप्रदता, वार्षिक देशी मुद्रास्फीति दर में गिरावट, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में ऊपर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति तथा धातुओं के मूल्यों में वृद्धि ने बाज़ार की भावनाओं में उत्साह बनाए रखा। तथापि, 2 नवंबर 2007 के बाद अमरीका और यूरोप में सब-प्राइम क्षेत्र की हानियों और क्रेडिट संकट संबंधी फिर से नई चिंताओं और प्रमुख करेंसियों की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्य में गिरावट के चलते प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में मुख्यतः अधोमुखी प्रवृत्ति के कारण देशी शेयर बाजारों में कुछ गिरावट देखी गई। रिकार्ड ऊंचे स्तर तक कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि, भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल बिकवाली, अमरीकी डालर की तुलना में रुपए का बढ़ना, धातुओं के वैश्विक मूल्यों में गिरावट तथा अन्य क्षेत्रों में गिरावट एवं स्टॉक विशिष्ट खबरों ने भी बाजार की भावनाओं में नरमी ला दी।

6.111 शेयर बाजार में अस्थिरता, कुछ अस्थिर गतिविधियों के प्रकरणों को छोड़कर एक सुविधाजनक स्तर पर बनी रही। (चार्ट VI.13)

6.112 भारत में कंपनी ऋण बाजार अभी भी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है। घरेलू कंपनी बांड बाजार के विकास की दृष्टि से समिति (अध्यक्ष : आर.एच. पाटिल), ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2005 में प्रस्तुत करते हुए अनेक सिफारिशें की हैं। सरकार, सेबी और

चार्ट VI.13: बीएसई सेंसेक्स के तिमाही परिवर्तन गुणांक

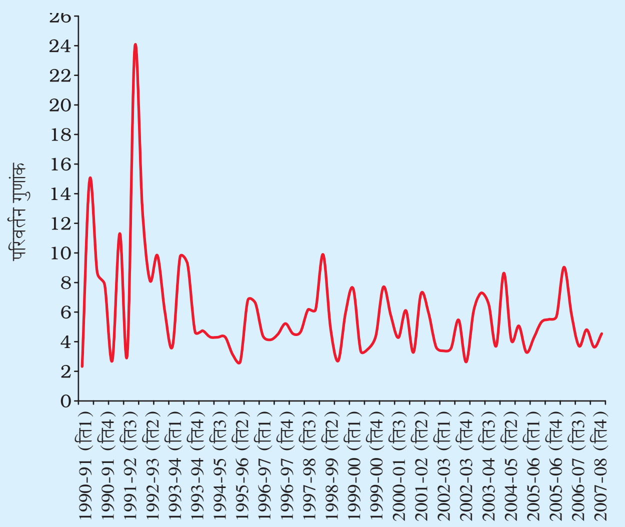

भारतीय रिज़र्व बैंक इन सिफारिशों पर कार्य कर रहे हैं। इसके एक भाग के रूप में, कंपनी बांड के लिए पारदर्शिता और सूचना प्रसार में सुधार लाने के लिए राष्ट्र-स्तरीय शेयर बाजारों ने रिपोर्टिंग प्लेटफार्म बनाया है। ओटीसी ट्रेड्स के लिए संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे निर्धारित आय मुद्रा बाजार व्युत्पन्नी संघ (फिम्मडा) को रिपोर्ट करें। बाद में, राष्ट्र-स्तरीय दो शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) ने कंपनी बांडों के लिए इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म बनाया जो अंततः व्यवस्था संतुलन प्रणाली (ऑर्डर मैचिंग सिस्टम) में रूपांतरित हो जाएगा। सेबी भी कंपनी बाँडों के लिए प्राथमिक निर्गम क्रियाविधि को उदार और सुगम बनाने के लिए कार्य कर रही है। सेबी ने बाजार सहभागियों के लिए यह अनिवार्य /अधिदेशात्मक कर दिया है कि वे कुल मिलाकर 1 लाख रुपए या अधिक के सभी कंपनी बांड के सौदों की रिपोर्ट सौदा समाप्ति से 30 मिनट के भीतर बीएसई / एनएसई को करें।

5. भुगतान और निपटान प्रणाली

6.113 भुगतान और निपटान प्रणाली का सुगमतापूर्वक कार्य करना अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली के सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ वर्षों से प्रौद्योगिकीय गतिविधियों द्वारा वर्तमान भुगतान प्रणाली में आई तेज गति दर्शाती है कि इनके कार्यकलापों से जुड़ी कोई भी जोखिम, प्रणालियों के आपस में जुड़े होने के कारण विश्व के शेष भागों में भी भेजी जा सकती है।

6.114 पूरे विश्व में केंद्रीय बैंकों पर एक मजबूत और दक्ष भुगतान एवं निपटान प्रणाली स्थापित करने की जवाबदेही है। भारत में, रिज़र्व बैंक ने देश में भुगतान और निपटान प्रणाली की सुरक्षा और मजबूती

सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति के रूप में मार्च 2005 में गठित भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के सुचारू रूप से कार्य करने और इसका विकास करने के प्रति जवाबदेह है। यह भुगतान प्रणाली के परिचालन हेतु निर्देश जारी करता है, मानक तय करता है और प्रत्येक प्रणाली के लिए सदस्यता मानदंड का पुनरीक्षण करता है।

6.115 एक मजबूत विधिक ढांचा भुगतान और निपटान प्रणाली के सुचारू रूप से कार्य करने का आधार है। वर्तमान में, रिज़र्व बैंक के पास ऐसा कोई स्पष्ट विधिक आदेश नहीं है जिससे वह देश में भुगतान और निपटान प्रणाली का निरीक्षण कर सके। ऐसी शक्ति वर्तमान कानूनों उदाहरणार्थ, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 से ली गई है। एक कानून के रूप में भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006 के अधिनियमन के पश्चात रिज़र्व बैंक के पास सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करने का अधिकार होगा।

6.116 भारी मूल्य और खुदरा भुगतान दोनों में भुगतान और निपटान प्रणालियों की क्षमता में सुधार के लिए 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक ने कई प्रयास शुरू किए हैं। खुदरा और भारी मूल्य के लिए केंद्रो / शाखाओं की और संख्या शामिल करने के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस का विस्तार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। खुदरा भुगतान प्रणालियों में पेपर आधारित भुगतान का स्वरूप अभी भी भुगतान का प्रचलित स्वरूप है। चेकों की भारी मात्रा की दृष्टि से जिन्हें वर्तमान में मैन्युअली व्यवस्थित किया जाता है, यह आवश्यकता महसूस की गई की उन समाशोधन गृहों में निपटान परिचालनों को कंप्यूटरीकृत किया जाए जहाँ पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉगनीशन चेक प्रोसेसिंग सेंटर (एमआइसीआर सीपीसी) एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। उन केंद्रों में समाशोधन परिचालनों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक योजना तैयार की गई जहाँ 30 से अधिक बैंक (59 केंद्रों के अलावा जहां एमआइसीआर सीपीसी स्थापित किए गए हैं)। पहले चरण में मैग्नेटिक मिडिया आधारित समाशोधन प्रणाली (एमएमबीसीएस) का उपयोग कर रहे हैं। इसे प्राप्त करने पर 15 बैंकों से अधिक संख्या वाले केंद्रों की पहचान कंप्यूटरीकरण के लिए की गई। भुगतान प्रणाली की क्षमता में सुधार जैसाकि अध्याय 2 (खंड 9) में वर्णित है, चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) भी शुरू की गई है।

6.117 बैंकिंग लेन-देन इलेक्ट्रॉनिकीकरण के प्रति निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कुल लेनदेन में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का हिस्सा हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। यह वृद्धि मात्रा की अपेक्षा मूल्य के रूप में अधिक लक्षित हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप (सारणी VI.11) पर उच्चतर मूल्य लेनदेन की ओर मुख्य रूप से प्रभाव दिखाई देता है।

6.118 वित्तीय स्थिरता की स्थितियों के सुदृढ़ीकरण के प्रति एक प्रमुख कदम वर्ष 2002 में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) की स्थापना करना था जो सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा समाशोधन के लिए एक केंद्रीय काउंटरपार्टी (सीसीपी) की भूमिका भी अदा करता है। सरकारी प्रतिभूतियों में सभी गौण बाजार प्रत्यक्ष विक्रय और रिपो लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। इस खंड में सभी ओटीसी कारोबार जो रिज़र्व बैंक की तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) प्लेटफार्म रिपोर्ट किये जाते हैं और वैसे कारोबार जो ऑनलाइन गुमनाम कारोबारी प्लेटफार्म (एनडीएस - ओएम) पर संविदाकृत होते हैं वे सभी आवश्यक वैधीकरण के बाद निपटान के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिडेट द्वारा स्वीकार किये जाते हैं। ये कारोबार सुपुर्दगी बनाम निपटान (डीवीपी) III आधार पर अर्थात निधि-चरण के साथ-साथ प्रतिभूति-चरण पर एक निवल आधार पर निपटाए जाते हैं। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड सभी लेनदेन के लिए एक केंद्रीय काउंटर पार्टी की भूमिका निभाता है तथा प्रतिभूतियों और लेनदेन के निधि-चरण दोनों के लिए भी गारंटी

सारणी VI.11: कागज आधारित बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन

(मात्रा हजार में और मूल्य करोड़ में)

वर्ष	मात्रा				मूल्य			
	पेपर आधारित	इलेक्ट्रॉनिक	कुल	इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा (%)	कागज आधारित	इलेक्ट्रॉनिक	कुल	इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2003-04	10,22,800	1,67,554	11,90,354	14.1	1,15,95,960	49,67,811	1,65,63,771	30.0
2004-05	11,66,848	2,30,045	13,96,893	16.5	1,04,58,895	1,18,86,254	2,23,45,149	53.2
2005-06	12,86,758	2,87,489	15,74,247	18.3	1,13,29,134	2,24,39,287	3,37,68,420	66.5
2006-07	13,67,280	3,83,443	17,50,723	21.9	1,20,42,426	3,50,50,234	4,70,92,660	74.4

सारणी VI.12: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा समाशोधन

(कारोबार की संख्या हजार में: मूल्य करोड़ में)

अवधि	सरकारी प्रतिभूति निपटान				विदेशी मुद्रा निपटान	
	एक दिवसीय		रेपो			
	कारोबार की संख्या	मूल्य	कारोबार की संख्या	मूल्य	कारोबार की संख्या	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	161	11,34,222	24	15,57,907	466	40,42,435
2005-06	125	8,64,751	25	16,94,509	490	52,39,674
2006-07	137	10,21,536	30	25,56,502	606	80,23,078

देता है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के माध्यम से निपटाए गए लेनदेन की मात्रा और स्वरूप में हाल के वर्षों में (सारणी VI.12) वृद्धि हुई है।

6.119 भुगतान प्रणालियां वित्तीय प्रणालियों में सहभागियों द्वारा सामना की जाने वाली तनाव की पहली सावधानी उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार यह यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभिन्न भुगतान प्रणालियों से एक केंद्रीकृत प्रणाली की ओर सूचना का एक समेकित प्रवाह बना रहे। समाशोधित चेकों, इसीएस के माध्यम से (जमा और नामे) प्रस्तुत किए गए लेनदेन, ईएफटी/एनईएफटी, कार्ड (क्रेडिट और डेबिट), आरटीजीएस, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा की मात्रा और आधारित मासिक आधार पर सूचना प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था लागू की गई है। यह सूचना नियमित रूप से रिज़र्व बैंक की मासिक बुलेटिन के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

6. वित्तीय स्थिरता में जोखिम

6.120 पूर्ववर्ती आध्यायों / खंडों में वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय बाजारों और वित्तीय मूलभूत सुविधा यह प्रस्तावित करती है कि भारत में वित्तीय संस्थाएं विशेषतः वाणिज्यिक बैंक जो प्रणालीगत रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं एक मजबूत आधार पर स्थित हैं। पिछले वर्षों में वित्तीय बाजारों की सघनता और विस्तार में सुधार हुआ है जिसके द्वारा वित्तीय प्रणाली को अनुकूलता प्राप्त हुई है। हाल के वर्षों में लागू किये गये सुदृढ़ भुगतान और निपटान सुविधाओं ने वित्तीय प्रणाली के सुचारु कार्यकलाप में योगदान किया है।

6.121 हाल के वर्षों में मजबूत घरेलू समष्टि आर्थिक आधारों ने वित्तीय स्थिरता के लिए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है। विगत चार वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि औसतन 8.6 प्रतिशत रही है और वर्तमान प्रवृत्तियां यह संकेत देती हैं कि आर्थिक गतिविधियों में यह गति जारी रहेगी। मुद्रास्फीति दर में भी वर्ष 2006-07 की अंतिम तिमाही के दौरान कुछ तेजी रहने के बाद सुधार हुआ है। हाल के वर्षों में नियम आधारित संरचना के अंतर्गत राजकोषीय समेकन की जारी प्रक्रिया ने उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों के उपयोग में सहायता की है। बाह्य क्षेत्र को पण्य वस्तु कारोबार में मजबूत वृद्धि, अदृश्य प्राप्तियों में भारी वृद्धि और मजबूत पूंजी अंतर्वाह सहित कई सकारात्मक विशेषताओं द्वारा वर्गीकृत किया गया है।

6.122 यद्यपि वित्तीय प्रणाली एक मजबूत आधार पर है, वित्तीय स्थिरता में कुछ जोखिम हैं। वर्तमान समय में भारत में वित्तीय स्थिरता में जोखिम मुख्यतः बाह्य स्रोतों से उत्पन्न होती है। इस खंड में रेखांकित जोखिम वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतरे हैं, यद्यपि उनके घटित होने की संभावना दूर-दूर तक नहीं है।

तेल की उच्चतर और अस्थिर कीमतें

6.123 संसाधनों की आबंटन योग्य क्षमता को विरूपित करने के द्वारा मौद्रिक और स्थिरता वित्तीय स्थिरता के लिए एक प्रमुख खतरा बन सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की उच्च और अस्थिर कीमतें घरेलू मूल्य स्थिरता के लिए भारी खतरा बन सकती हैं। चूंकि भारत एक बड़ा तेल आयातक देश है (कच्चे तेल की इसकी आवश्यकताओं का लगभग 70 प्रतिशत आयात करनेवाला), तेल की कीमतें विकास प्रक्रिया को जारी रखने तथा मूल्य और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। कच्चे तेल की हाजिर कीमतें जुलाई 2006 के 78 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से कम होकर जनवरी 2007 में 53 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं, तथापि उनमें मजबूत मांग की आशा, अमरीकी कच्चे तेल भंडार के निम्नतर स्तर, कड़े आपूर्ति मांग संतुलन और संभावित कठिन उच्चतर जोखिम वाले मौसम के कारण पुनः बढ़नी शुरू हो गई है। नवंबर 2007 के प्रथम सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें (डब्ल्यूटीआइ) 95 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल (चार्ट VI.14) ऐतिहासिक ऊँचाई को पार कर गई है।

चार्ट VI.14: तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें और तेल की घरेलू कीमतों की गतिविधि (डब्ल्यू पी आई - खनिज तेल)

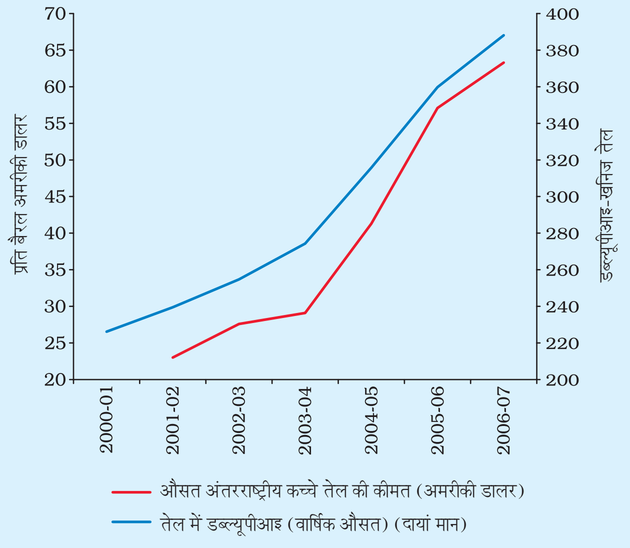

6.124 चूँकि भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं के अधिकांश भाग का आयात करता है अतः अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों मे वृद्धि से देश में (बॉक्स VI.7) उत्पादन और मुद्रास्फीतिकारी स्थितियों में महत्वपूर्ण जटिलता हो गई है । अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (औसत) की कीमतें फरवरी 2007 से (नवंबर 2007 तक) लगभग 53 प्रतिशत तक तब बढ़ी हैं जब घरेलू पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू कीमतों में कमी हुई है। अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों से घरेलू पेट्रोलियम उत्पादों के पास-थ्रू को अपूर्ण समझते हुए मुद्रास्फीति के लिए यह एक वृद्धिशील जोखिम का स्रोत बन जाता है तथापि घरेलू कीमतें यदि नहीं बढ़ती हैं तो अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल में वृद्धि घरेलू तेल कंपनियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इससे राजकोषीय लागतों में भी वृद्धि होगी जो नियम आधारित राजकोषीय समेकन प्रक्रिया की दृष्टि से महत्व प्राप्त करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में वृद्धि से चालू खाता घाटे और विनिमय दर पर प्रभाव पड़ेगा । वर्ष 2006-07 के दौरान तेल आयात की मात्रा में 19.3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जबकि मूल्य के आधार पर वृद्धि दर पण्य वस्तु व्यापार खाता घाटा को बढ़ाते हुए 29.8 प्रतिशत रही जिसमें अदृश्य प्राप्तियों की वृद्धि के द्वारा अधिक मात्रा में सुधार हुआ। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में और वृद्धि से घरेलू मुद्रास्फीति पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पास-थ्रू अपूर्ण रहा है तथापि मुद्रास्फीति का वर्तमान स्तर एक सुविधाजनक कारक है।

वैश्विक वित्तीय बाजारों की हाल की गतिविधियां

6.125 बाजारों के विभिन्न खंडों तथा देशों के बीच वित्तीय बाजार के समन्वय की बढ़ी हुई मात्रा ने संकट का संक्रमण विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तेजी से होना आसान बना दिया है। इसने विश्व भर में वित्तीय प्रणालियों की अतिसंवेदनशीलता बढ़ा दी है तथा अंतरराष्ट्रीय वित्त की आवाजाही में इसके लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और पर्यवेक्षकों द्वारा अतिरिक्त सतर्कता जरूरी हो गई है। हाल की अवधि में, विश्व भर में जिस प्रमुख गतिविधि की ओर ध्यान आकृष्ट हो रहा है वह है - अमरीका और यूरोप के वित्तीय बाजारों में खलबली तथा अमरीका में सब-प्राइम बंधक संकट द्वारा उत्प्रेरित ऋण बाजार के विश्वास में आकस्मिक गिरावट।

6.126 वैश्विक वित्तीय बाजार जुलाई 2007 की शुरुआत से ही अधिक अस्थिर और लगातार जोखिम विमुख होते गए जो कई श्रेणी की आस्तियों पर कीमत लागत अंतर और ऑप्शन आधारित प्रयुक्त उतार-चढ़ावों में विस्तार के रूप में परिलक्षित हुआ। इस संकट का जनन-केंद्र अमरीकी सब-प्राइम बंधक बाजार था जिसने मूलधन और ब्याज भुगतान पर बढ़ती हुई चूक के कारण महत्वपूर्ण दबाव अनुभव किया है। वर्ष 2007 के मध्य तक दर-निर्धारण एजेंसियों ने सब-प्राइम बन्धक द्वारा संपार्श्विकीकृत आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) में निम्न श्रेणी निर्धारण की शुरुआत की जिसका परिणाम बाद में उन संपर्श्विकीकृत ऋण देयताओं (सीडीओ) के निम्न श्रेणी निर्धारण के रूप में घटित हुआ जो निम्न-दर निर्धारित आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों की श्रृंखलाओं का संपार्श्विक रूप में उपयोग करती हैं। अमरीका में बंधक संबंधी लिखतों में ऋण जोखिम में वृद्धि विभिन्न श्रेणी के सभी बाजारों में ऋण मानदण्डों के शिथिल होने तथा इसका प्रभाव अन्य ऋण बाजारों पर होने के परिणामस्वरूप हुई। समग्र हानि और निवेश संबंधी अनिश्चितता ने वित्तीय संस्थाओं के लिए संभावित व्यापक जटिलताओं के साथ बाजार और चल-निधि जोखिम को बढ़ाया है। बही में दर्ज की गई हानि और भविष्य में नकदी प्रवाह में हानि के बारे में अनिश्चितता ने बंधक आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न खण्डों पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। ये हानियाँ अमरीका की सीमा से बाहर यूरोपीय और एशियाई बाजारों तक व्याप्त हैं। जापानी ईक्विटी बाजार पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि जापानी मुद्रा में तीव्र मूल्यवृद्धि हुई। 'सुरक्षा के लिए दौड़' से विकसित बॉण्ड बाजार प्रतिफलों में तेज गिरावट हुई। द्विवर्षीय अमरीकी खजाना बिल प्राप्ति में जुलाई के अंत से अगस्त 2007 के मध्य के बीच लगभग 30 आधार बिन्दुओं तक गिरावट आई। मुद्रा बाजारों ने भी बढ़ी हुई अस्थिरता का अनुभव किया।

6.127 वर्तमान संकट के मुख्य तत्त्व उपभोग की गई व्युत्पन्नियों की जटिल प्रकृति; सुविधा प्रदान करने की भारी मात्रा; वित्तीय

बॉक्स VI.7: अंतरराष्ट्रीय तेल कीमत- प्रभाव

तेल कीमतों के प्रभाव का आकलन कम और लंबी दोनों अवधि के लिए किया जाता है। कम अवधि में, अंतरराष्ट्रीय रूप से, तेल कीमत मुद्रास्फीति के तीन स्रोतों का उल्लेख किया गया है। ये हैं (i) तेल की मांग और आपूर्ति में अंतर और विचारों से प्रेरित व्यवधान जैसा कि इन समाचारों की प्रतिक्रिया से प्रकट होता है, (ii) व्यापारियों द्वारा बड़ी स्थितियां और इंवेन्टरी में महत्वपूर्ण वृद्धि। इसके विपरीत, लंबी अवधि के कारकों में (i) तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत और चीन से बढ़ती हुई मांग, (ii) ऊर्जा क्षमता में सुधार, (iii) तेल अन्वेषण और उत्पादन से संबंधित अनिश्चितता, और (iv) भू-राजनीतिक कारक शामिल हैं।

तेल कीमत मुद्रास्फीति का परिणाम विशेष तौर पर तेल आयातक देशों के प्रति प्रतिकूल रहा है। सामान्यतया, तेल-आयातक औद्योगिक कंपनियों की तुलना में निम्न आय वाले तेल-आयातक कंपनियों पर आउटपुट में कमी, मुद्रास्फीति में उत्तरोत्तर वृद्धि/कमी और भुगतान परिणामों के प्रतिकूल संतुलन का कठोर प्रभाव रहा है। इसके अलावा, तेल-निर्यातक देशों में तेल कीमत आघातों का विस्तारी प्रभाव सामान्यतया तेल-आयातक देशों में संकुचनकारी प्रभाव से काफी कम रहा है जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक प्रगति धीमी हुई है। तेल आयातक देशों में उत्पादन के बढ़ते लागत की वजह से व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव के परिणामस्वरूप तेल आघात ने भी एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में आयातित तेल पर खुलेपन और निर्भरता के स्तर के साथ देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को कम किया है। तेल कीमत आघात वित्तीय संतुलन को कम करने के प्रति प्रवृत्त होता है यदि सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमत वृद्धि अवशोषित करती है और घरेलू उपभोक्ता पर प्रभाव अस्थिर और अपूर्ण होता है। तेल आघात के कम अवधि के अधिकतर मामलों में आउटपुट की महत्वपूर्ण क्षति अंतिम परिणाम रही है और लंबी अवधि के मामलों में कल्याण का सामान्य स्तर अंतिम परिणाम रहा है। हाल का एक विश्लेषण आकलन करता है कि कीमत का आपूर्ति-उन्मुख दोहरीकरण उभरते हुए एशिया में बेसलाइन (अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, 2007) से ऊपर 1.4 प्रतिशत अंक जितना मुद्रास्फीति दर बढ़ाएगा। मुद्रास्फीति प्रभाव अधिक होता यदि तेल-आयातकों को वर्तमान परिणामी लेखा घाटे को वित्त प्रदान करने में कठिनाई होती और यदि आर्थिक सहायता जो अब तक ऊर्जा मूल्य वृद्धि तक सीमित थी, को आगे घटाने या समाप्त कर लिया माना जाता।

तेल कीमतें बढ़ जाने पर केंद्रीय बैंकों के समक्ष विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन रखने की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। अत: यथोचित नीति बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की आशंकाओं के स्रोतों का ठीक तरह से अंदाजा लगाया जाए (बरनानके, 2004)। तथापि, हाल के आर्थिक जगत के इतिहास से ज्ञात होता है कि तेल कीमतों में अचानक वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले दबाव से निपटने में केंद्रीय बैंकों को अच्छी सफलता मिली है। 1970 के दशक और 1980 के दशक के प्रारंभ में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। उस समय तेल कीमतों में वृद्धि के कारण मौद्रिक नीति में कड़ा बनाना पड़ा जिसके चलते मूल्यों में वृद्धि हुई और विकास पर बुरा असर पड़ा।

भारत के संदर्भ में, सन 2006-07 में, तेल आयात की राशि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 6.3 प्रतिशत थी जबकि सन 2003-04 में 3.4 प्रतिशत थी। अत:, ऐसा माना जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय तेल कीमत और घरेलू तेल कीमतों में गहरा संबंध है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 में जो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई उसका प्रमुख कारण तेल कीमतों में वृद्धि होना था (चार्ट क)।

चार्ट क : तेल की मुद्रास्फीति और समग्र मुद्रास्फीति में तेल का योगदान

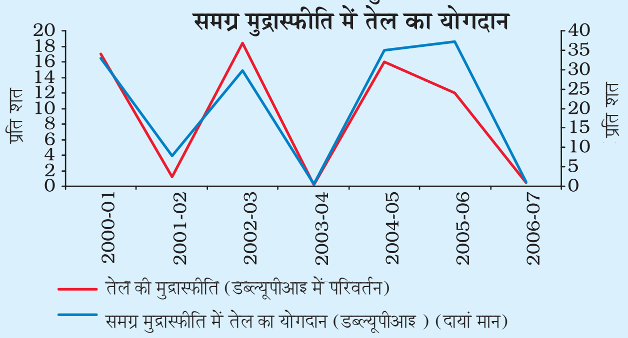

कतिपय अध्ययनों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का घरेलू मुद्रास्फीति और उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुभवसिद्ध मूल्यांकन करने की कोशिश की गई है। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2000) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि तेल कीमत में 85 यूएस डॉलर प्रति बैरल की स्थिर वृद्धि होने से एक वर्ष बाद मुद्रास्फीति में 1.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि होती है और वार्षिक जीडीपी विकास में 0.1 प्रतिशत अंकों की गिरावट आती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भट्टाचार्य और भट्टाचार्य(2001) के अनुसार तेल कीमत में 20 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि हो जाने से अन्य वस्तुओं में अधिकतम 1.3 प्रतिशत अंकों से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है जिससे उत्पादकता में 2.1 प्रतिशत अंकों की गिरावट आती है, जबकि उत्पादकता के विकास में, और गिरावट से उबरने की शुरुआत लगभग एक वर्ष बाद होती है। अक्तूबर 2004 में रिजर्व बैंक द्वारा जारी वर्ष 2004-05 की वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में इंगित किया गया है कि नीतिगत हस्तक्षेप न रहने पर कच्चे तेल की कीमतों में प्रत्येक डॉलर की वृद्धि पर डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में पर 15 आधार अंकों की सीधी वृद्धि होगी और इसके अतिरिक्त 15 आधार अंकों का अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा।

संदर्भ:

बीआइएस (2007), वार्षिक रिपोर्ट;www.big.org.<http:www.big.org>

बरनान्के बेन एस.(2004), अक्तूबर में डार्टन कॉलेज, अल्बानी, जार्जिया में आयोजित विशेष व्याख्यानमाला में 'गवर्नर बेन एस.बरनान्के द्वारा की गई टिप्पणियां'

हेमिल्टन, जे.डी. (1983): 'द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तेल और समष्टि व्यवस्था, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकानॉमी, 91, पृष्ठ 228-48।

भट्टाचार्य के और भट्टाचार्य आई. (2001), 'तेल कीमतों में वृद्धि का भारत में मुद्रास्फीति और उत्पादकता पर असर', इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, दिसंबर 21।

बुरबिज, जे और ए हैरिसन (1994); 'टेस्टिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ ऑयल प्राइस राइजेस यूजिंग वेक्टर आटो रिगरेशन्स' इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिव्यू, 25, पृष्ठ 459-84।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, (2000); 'अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर उच्च तेल मूल्यों का प्रभाव', मिमयो।

बाजारों में व्याप्त जोखिमों को कम आँका जाना; कुछ ऋण लिखतों और प्रश्नाधीन व्युत्पन्नियों में बड़ी वित्तीय संस्थाओं का भारी मात्रा में आश्चर्यजनक रूप से एक्सपोजर और संक्रामक गति रहे हैं (बॉक्स VI.8)।

बॉक्स VI.8: अमरीका में सब-प्राइम बन्धक बाजार : हाल की गतिविधियां

सब-प्राइम बन्धक एक प्रकार का आवासीय ऋण है जो ञ्प्राइमट बन्धक से भिन्न होता है। अत:, इसके पूर्णतया पुनर्भुगतान की गुंजाइश कम रहती है। सब प्राइम ऋण देते समय उधारकर्ता का ऋण लेखा जोखा, ऋण सेवा और आय अनुपात (55 प्रतिशत से अधिक) तथा बन्धक ऋण और मूल्य अनुपात (85 प्रतिशत से अधिक) का मूल्यांकन किया जाता है। हाल में अमरीका में सब-प्राइम ऋण की जो समस्या उत्पन्न हुई वह मुख्य रूप से आवासीय ऋण बाजार से संबंधित थी। इस समस्या का पहला संकेत तब मिला जब अधिक मात्रा में ञ्पूर्व भुगतान की चूकट होने लगी, जिसके अंतर्गत उधारकर्ता पहले तीन मासिक किश्तों में से एक या दो किश्त भरने में चूक कर देता है और कालांतर में यह अप प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आवासीय संपत्ति क्षेत्र में मंदी के साथ-साथ ऋण दाताओं द्वारा समझौते की दरों पर ऋण देना भी चूक और अप प्रवृत्ति कारक बने। ब्याज दर बढ़ जाने तथा मकानों की कीमतें घट जाने के कारण, और कई क्षेत्रों में वह ऋणात्मक बन जाने से कई उधारकर्ताओं के पास चूक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि आवासीय ईक्विटी के कम मात्रा में रहने या बिल्कुल ही न रहने से ऋण की समय पूर्व अदायगी या पुनर्वित्त विकल्प व्यावहारिक नहीं थे। समझौते की ब्याज दरों के अंतर्गत ऋण दाताओं ने उधारकर्ताओं को प्रारंभ में कम राशि का पुनर्भुगतान और बाद में उच्च राशि का पुनर्भुगतान करने की छूट दे दी। मकानों की कीमतों में गिरावट आ जाने से मकान मालिकों के लाभ में कमी आई जिसके कारण वे समूचा ऋण चुकता नहीं कर पाए और परिणामत: अपप्रवृत्ति और चूक की घटनाएं बढ़ीं।

सब प्राइम उधारकर्ताओं को प्राइम उधारकर्ताओं की तुलना में ऊंचे ब्याज दर से ऋण दिया जाता है क्योंकि उनके मामले में चूक होने की जोखिम अधिक रहती है। सब-प्राइम ऋण संरक्षित होते हैं। संपार्श्विक ऋण संबंधी दायित्व की तरह प्रतिभूतियों को आस्तियों का आधार होता हैं। बचाव निधियां (हेज फंड्स), पेन्शन फंड और बैंक जैसे संस्थागत निवेशक इन प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। यद्यपि सब-प्राइम बन्धक और चूक राशि की सही सही मात्रा ज्ञात नहीं है, मोर्टगेज एसोसिएशन के अनुसार मोर्टगेज बाजार में लगभग दस ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की राशि लगी हुई है जिसमें अमरीकी मोर्टगेज मार्केट के प्राइम बन्धक का 80 प्रतिशत हिस्सा है और सब-प्राइम बन्धक का 15 प्रतिशत, अर्थात 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर सब-प्राइम मार्केट की हिस्सेदारी 10 से 15 प्रतिशत है जो अमरीका की मोर्टगेज मार्केट की वास्तविक व्याख्या के अनुसार है। बन्धक बैंकर्स एसोसिएशन की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 30 या अधिक दिनों से लंबित सब-प्राइम ऋण का प्रतिशत वर्ष 2007 के पहले तीन महीनों मेंं 15.8 प्रतिशत तक पहुंच गया जो अब तक का सर्वाधिक रहा और पिछले वर्षों के अंतिम तीन महिनों में 14.4 प्रतिशत से अधिक रहा।

सब-प्राइम ऋण संकट का असर वित्तीय प्रणाली के दूसरे घटकों पर भी पड़ा। सब-प्राइम ऋण में आए संकट के कारण जोखिम लेने की प्रवृत्ति पर विपरीत असर पड़ा और वित्तीय बाजार में उथलपुथल मच गई। सब-प्राइम मोर्टगेज ऋण को समयपूर्व चुकता करने के लिए निर्धारित की गई ब्याजदर में तीव्र वृद्धि कर दी गई, परिणामत: लगभग 24 प्राइम मोर्टगेज ऋण फर्म या तो डूब गई या उन्हें दिवालिया घोषित करना पड़ा। इन कंपनियों के डूब जाने से 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के मोर्टगेज प्रतिभूति बाजार पर प्रतिकूल असर पड़ा।

सब प्राइम मार्केट की समस्या उभरने के तुरंत बाद सुनियोजित ऋण (स्ट्रक्चर्ड ऋण)और मोर्टगेज मार्केट उत्पादों की खरीद-बिक्री बिल्कुल ही बंद हो गई। निवेशकों को अपनी निवेश स्थिति ठीक करने के लिए अन्य उपाय करने पड़े। परिणामस्वरुप निवेशकों को परेशानी से ग्रस्त प्रतिपक्ष के मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ा। कोई खरीददार न होने की वजह से वे अपनी प्रतिभूतियां भी नहीं बेच पाए जिससे वे नकद राशि जुटा पाते। अंतत: उन्हें मुद्रा बाज़ार से नकद राशि उठानी पड़ी। सुनियोजित उत्पादों में निवेश करने वाली बचाव निधियों को भी निधि आहरण तथा मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ा। कुछ बैंकों को भी जोखिम-भरे संपत्ति ऋणों से नुकसान पहुंचा। जोखिम युक्त बॉण्ड के संबंध में चूक से बचाव हेतु लागत में भी वृद्धि हुई जाती है। यह भी जानकारी मिली कि कुछ निधि प्रबंधकों ने कैरी ट्रेड में उधार देना कम कर दिया। अधिकांशत: वाणिज्य पत्रों के माध्यम से अल्पावधि ऋण लेनेवाले और दीर्घावधि ऋण में निवेश करने वाले संरचित निवेश सुविधा (स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट वेहिकल) इस चलनिधि संकट के प्रमुख कारक रहे।

इसके पश्चात जोखिम से बचने के लिए जो उपाय किए गए उससे संयुक्त अमरीका के शेयर बाजार में सस्ते दामों पर शेयरों की बिकवाली हुई। नुकसान से बचने के लिए संस्थागत निवेशकों ने ईएमई शेयर बाजार से बाहर निकालना शुरु कर दिया। इसका असर यह हुआ कि प्रमुख विकसित और उभरती बाज़ार अर्थ-व्यवस्थाओं में अगस्त 2007 के मध्य में शेयर बाजार बुरी तरह लुढ़के।

यह भी देखने को मिला कि संयुक्त अमरीका के कुछ बैंकों और यूरो बहुल क्षेत्रों ने उधार देने के बजाए नकदी राशियां अपने पास रखना उचित समझा। इससे ऋण शर्तों में कड़ाई आई, और नकदी के लिए होड़ लग गई। परिणामस्वरूप, अमरीका और ईसीबी को बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा। 9 अगस्त, 2007 को ईसीबी ने 94.8 बिलियन यूरो (129.8 बिलियन यूएस डॉलर) और फेडरल रिज़र्व ने 24 बिलियन यूएस डॉलर बाज़ार में उपलब्ध कराए। ईसीबी ने इसके परिचालनों का 'फाइन ट्यूनिंग' के रूप में वर्णन किया।

वित्तीय बाजारों में हाल में उत्पन्न समस्या से यह परिलक्षित होता है कि वैश्विक स्तर पर सांकेतिक और वास्तविक ब्याज दरों में निरपेक्ष रूप से कमी आई है जिससे जोखिम वहन करने की क्षमता में वृद्धि हुई है, बावजूद इसके कि जोखिम भरपाई अधिक कठिन बन गई है। संयुक्त अमरीका, यूरो क्षेत्र और जापान जैसी प्रमुख अर्थ-व्यवस्थाओं द्वारा अपनाई गई लचीली मौद्रिक नीति के फलस्वरूप मुल मौद्रिक राशियों में उच्च वृद्धि हुई है, जबकि यदि वास्तविक आर्थिक विकास की तुलना में वृद्धि दर का आकलन किया जाता, तो वह कम रहती। इसके बावजूद मुद्रा-स्फीति नियंत्रण में है। परिणामस्वरूप, वित्तीय बाजारों में चलनिधि की भरमार हो गई जिसका विपरीत असर संयुक्त अमरीका और रशिया के बीच समष्टिगत असंतुलन पर भी पड़ा। यदि मुद्रास्फीति को निम्न दर पर स्थिर रखा जाता और वैश्विक स्तर पर लचीली मौद्रिक नीति अपनाई जाती तो केंद्रीय बैंक और मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को निश्चित रूप से निम्न स्तर पर रखने के लिए अधिक विश्वास उत्पन्न होता जिससे जोखिम लागत में कमी आती और जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ती। अत: यह कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति दर में कमी आने, और लचीली मौद्रिक नीति के अंतर्गत बाज़ार में अत्याधिक चलनिधि उपलब्ध कराने के फलस्वरूप, वास्तविक और सांकेतिक ब्याज दरों में जो कमी आई उससे वर्तमान मुद्रा संकट की शुरूआत हुई। अत:, यह माना जा सकता है कि सब-प्राइम समस्या संकट का आसार है, न कि कारण। दूसरा महत्वपूर्ण कारण वित्तीय पर्यवेक्षण प्रणाली से संबंधित है जिसमें बैंकिंग पर्यवेक्षकों द्वारा बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों और तुलन-पत्र से इतर ऋणों को ठीक तरह से न पहचानना या दर्ज न करना है (मोहन, 2007)।

संदर्भ:

किफ, जे और मिल्स, पी.(2007), मनी फॉर नथिंग एण्ड चेक्स फॉर फ्री: रीसेंट डेवलपमेंट्स इन यूएस सब-प्राइम मोर्टगेज मार्केट्स, आइएमएफ वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपी/07/188

मोहन, राकेश (2007) आइआइएफ के एशिया क्षेत्र आर्थिक मंच के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया दीक्षांत भाषण;www.rbi.org.in

6.128 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में हाल की अस्तव्यस्तता बैंकों को प्राप्त लीवरेज तथा कुछ अन्य निवेश प्रयोजन सुविधाओं विशेषतः प्रतिरक्षा निधियों द्वारा गहन हो गई थी (बॉक्स VI.9)।

बॉक्स VI.9: बचाव निधियां (हेज फंड्स)

बचाव निधियां मिश्रित निवेश निधियों का एक संचय है जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो निवेश में अस्थिरता को कम करने के लिए बचाव की विभिन्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्टुल्ज (2007) के अनुसार ञ्बचाव निधिट एक ऐसी निधि संचय है जिस पर कोई नियम लागू नहीं हैं और जिसका प्रबंधन निवेश सलाहकार, हेज फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है, जिसके पास इस निधि के इस्तेमाल की अत्यधिक छूट रहती है। बचाव निधियों के प्रबंधक पोर्टफोलियो निवेश का आकार बढ़ाने के लिए जटिल निवेश प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसके लिए वे अति उन्नत डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में ये बचाव निधियां म्युच्युअल फंड की तरह ही काम करती हैं। दोनों ही मामलों में निवेशक इस आशा के साथ फंड मैनेजर के पास धन जमा करते हैं कि उनका मूल धन अच्छे लाभ के साथ उन्हें वापस मिले। किंतु बचाव निधि के अंतर्गत पेचीदा निवेश नीति अपनाई जाती है जिसमें निवेश को बाजार की प्रतिकूल स्थिति से बचाने के लिए ञ्लॉगट और ञ्शॉर्टट पोजीशन का उपयोग किया जाता है। यह निधि विशेष रूप से निजी भागीदारी के माध्यम जुटाई जाती है और कर तथा नियमों आदि से बचने के लिए सामान्यत: ऑफसोर में स्थापित होती है। इस निधि में केवल बड़े निवेशक ही निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध रहने से पंजीकरण और अन्य नियमों से बचने का लाभ मिल जाता है। अब तक इसमें उच्च मालियत वाले व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों ने ही निवेश किया है। हाल के कुछ वर्षों में बचाव निधि में निवेश करने वाले संस्थागत निवेशकों की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई है जिसमें पेन्शन निधि, चैरिटी, विश्वविद्यालय, एंडोमेंट और फाउंडेशन भी शामिल हैं (यूबाइड, ए.2006)।

बचाव निधि के अंतर्गत सामान्यत: ऐसी आस्तियों को ढूंढ़ा जाता है जिनकी उचित कीमत न आंकी गई हो। इसके बाद इन आस्तियों के बचाव की व्यवस्था की जाती है ताकि संबंधित आस्ति का उचित मूल्य आंके जाने पर उनसे लाभ हो सके और अन्य तत्वों का प्रतिकूल असर उस पर न पड़े। तथापि, ऐसा नहीं है कि बचाव निधि द्वारा प्राप्त की गई सभी आस्तियों की हेजिंग की जाती हो क्योंकि कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जिनसे बचने के लिए या तो अधिक लागत लगानी पड़ती है या उनमें निहित समस्याओं का निपटान कठिन होता है। चूँकि बचाव निधियां बाजार की अक्षमता पता लगाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करती हैं, अतः वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों की कीमतों को वास्तविक मूल्य के नजदीक लाने में बचाव निधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बचाव निधियों की कार्यक्षमता उनके निधि प्रबंधक को किए जाने वाले भुगतान के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है जो सामान्यत: निवेशकों को होने वाले लाभ पर आधारित होती है। इसके अलावा, निधि प्रबंधक अपनी ओर से भी बड़ी राशि की पूंजी का निवेश करते हैं जिससे उनके अपने हितों की भी रक्षा होती है, साथ-साथ निवेशकों के हितों की भी रक्षा होती है तथा जोख़िम का पूरा-पूरा ध्यान भी रखा जाता है।

ऐसा माना जाता है कि 1949 में संयुक्त अमरीका में ए.डब्ल्यू जोन्स ने शार्ट सेलिंग और लीवरेजिंग जैसे दो निवेश साधनों को मिलाकर पहली बार बचाव निधि की स्थापना की। यद्यपि म्युच्युअल फंड की तुलना में बचाव निधि उद्योग का आकार अभी छोटा है, फिर भी इसका विस्तार काफी तेजी से हो रहा है। वर्ष 1993 में म्युच्युअल फंड द्वारा प्रबंधित आस्तियों की तुलना में बचाव निधियां केवल 4 प्रतिशत निधियों का ही प्रबंधन कर रही थी, जो 2005 में बढ़कर 10 प्रतिशत हो गईं। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2006 में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निवेश बचाव निधियों में किया गया था (स्टुल्ज, 2007)।

यद्यपि शेयर बाजार में निवेश की अपेक्षा बचाव निधियों से होने वाली आय अधिक स्थिर होती है, किंतु निधि/पूंजी में तीव्र गति से हानि की संभावना भी होती है। लगभग 10 प्रतिशत बचाव निधियां हर वर्ष डूब जाती हैं (स्टुल्ज, 2007)। अत:, नियंत्रकों के लिए निवेशकों की सुरक्षा, वित्तीय संस्थाओं को जोखिम, चलनिधि जोखिम और अत्यधिक अस्थिरता की दृष्टि से ये बचाव निधियां चिंता का विषय बन गई हैं। अत्यधिक नुकसान के कारण यदि निवेशक अपनी निधि आहरित कर लें या लेखा-जोखा रखने में भारी गड़बडी हो जाए तो बचाव निधि डूब सकती है। चूंकि ये निधियां वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती हैं, प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री में भाग लेती हैं और डेरिवेटिव सौदों में काउंटर पार्टी की भूमिका निभाती हैं, इसलिए वित्तीय संस्थाओं को इनसे जोखिम बना रहती है। लीवरेज की वजह से, यदि बचाव निधि की आस्तियों के मूल्य में अचानक गिरावट आ जाए और ऐसी आस्तियों के बाजार में चलनिधि की कमी हो, तो बचाव निधियां संकट में आ सकती हैं। यदि बड़ी बचाव निधियां डूब जाती हैं तो मुख्यत: उन वित्तीय संस्थाओं पर बहुत असर पडता है जिन्होंने इन निधियों को ऋण उपलब्ध कराया। मूल्यों की प्रतिकूल स्थिति में यदि बचाव निधियां व्यवसाय चक्र से तुरंत बाहर निकलने में सफल हो जाती हैं तो चलनिधि का जोखिम उत्पन्न हो जाता है। समस्या उस समय अधिक गंभीर बन जाती है जब कई बचाव निधियां एक ही प्रकार के व्यवसाय में लगी हों। बचाव निधियां खरीद बिक्री के माध्यम से वास्तविक मूल्यों में भारी परिवर्तन ला सकती हैं, जिससे बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है।

ऊपर जिन जोखिमों का उल्लेख किया गया है वे वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐचेनग्रीन और मथेसन (1999) ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के परिप्रेक्ष्य में बचाव निधियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या बचाव निधियां समूचे समूह को गुमराह करके या कमजोर मुद्रा के खिलाफ उठी आम लहर में शामिल होकर विदेशी मुद्रा बाजार को अस्थिर कर सकती हैं। बहरहाल, अब तक प्राप्त अनुभवों के आधार यह कह पाना मुश्किल है कि बचाव निधियां अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करने में कारक बन सकती हैं। वर्ष 1997-98 में उभरते बाजारों में जो संकट उत्पन्न हुआ था उसके लिए बचाव निधियों को प्रमुख कारण माना गया है। तथापि, ऐचेनग्रीन और मथसेन (1999) के अनुसार, जिस समय यह संकट उत्पन्न हुआ था उस समय बचाव निधियों का अस्तित्व इतना छोटा था कि वे ऐसी कोई अस्थिरता उत्पन्न नहीं कर सकती थी। केवल बाह्ट एकमात्र एशियाई मुद्रा थी जिसके मामले में बचाव निधियों ने मुख्य रूप से एक साथ शार्ट पोजिशन का सहारा लिया। मुद्रा अस्थिरता का असर जब अन्य एशियाई देशों में पहुंचा उस समय बचाव निधियां सतर्क नहीं थीं। बाजार के खिलाड़ियों के अनुसार इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिपाइन्स में मुद्रा केंद्र, वाणिज्यिक तथा निवेश बैंक और घरेलू निवेशक प्रमुख शार्ट सेलर्स थे जिन्होंने इंटर-ब्रोकर मार्केट और घरेलू ऋण में अपनी बेहतर पहुंच के कारण 'शार्टट में फायदेमंद तरीके से भाग ले लिया। अमरीका में स्थित लांग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट को हुए भारी नुकसान के बारे में बैंकों के एक समूह का मानना था कि इससे वित्तीय बाजारों को जड़ से धक्का लगा, जिससे बचाव निधि की कार्य-प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अत:, नियंत्रकों को चाहिए कि वे बचाव निधि की इस कार्य पद्धति के बारे में उचित भूमिका निभाएं (सेबी, 2004)।

संदर्भ:

ऐचेनग्रीन, बी और मथेसन, डी.(1999) हेज फंड्सः व्हाट डू वी रियली नो ? इकॉनामिक इशू, नं.19, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

स्टुल्ज, आर.एम.(2007), हेज फंड्स: पास्ट, प्रेजंट एंड फ्यूचर, जर्नल ऑफ इकॉनामिक पर्सपेक्टिव खंड 21, सं.2।

यूबाइड ए.(2006), डीमिस्टिफाइंग हेज फंड्स; फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट; जून, खंड43, सं.2।

सेबी (2004), पॉलिसी ऑप्शन्स परमिटिंग फोरेन हेज फंड्स टू एक्सेस इंडियन सिक्यूरिटीज मार्केट; www.sebi.gov.in

भारत सरकार (2005)विदेशी संस्थागत निवेश को बढ़ावा देने और सट्टे की निधियों के प्रति पूंजी बाजार की रुख की जांच करने हेतु गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट; www.finmin.nic.in

6.129 तथाकथित ञ्दुलाई व्यापारट (कैरी ट्रेड) द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए आहरण, जिनमें निवेशकों ने जापान में कम दर पर उधार लेकर अमरीका और कुछ अन्य देशों में उच्च दर पर उधार दिया, के कारण विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता में तीव्र वृद्धि हुई (बॉक्स VI.10)

6.130 हाल में हुई वित्तीय गतिविधियाँ अमरीकी अर्थव्यवस्था के परिदृश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। मकानों की कीमत में कमी, ऋण की उपलब्धतता और उधार के मानकों को कड़ा बनाने के कारण मकानों की मांग में कमी आ सकती है। अतः गृह निर्माण के क्षेत्र में मंदी का प्रत्यक्ष असर उपभोग व्यय और सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ सकता है। यदि बढ़ती हुई बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में मकानों की कीमतों में गिरावट आती है, तो जोखिम बहुत ज्यादा है। चूंकि ऋण देने की शर्तों को सख्त करने में सामान्यतया गृहनिर्माण सुधारात्मक कार्रवाई में तीव्रता और आर्थिक उन्नति की गति धीमी करने की संभावना निहित है, इसे एफओएमसी ने 18 सितंबर 2007 को अपनी फेडरल फंड की दर के लिए रखे गए लक्ष्य में 50 आधार अंकों की कटौती करके 4.75 प्रतिशत और पुनः 31 अक्तूबर 2007 को 25 आधार बिन्दुओं तक कटौती की है। बट्टा दर (डिस्काउंट रेट) में भी 17 अगस्त 2007 और 18 सितंबर 2007 को 50 आधार अंकों (प्रत्येक समय) की कटौती करके 5.25 प्रतिशत पर रखा गया ताकि बाजार में चलनिधि की उपलब्धतता और आसान हो सके। हाल ही में फेड फंड दर में की गई कटौती ने पूरे विश्व में वित्त बाजारों को महत्त्वपूर्ण गति प्रदान की है।

6.131 जहाँ तक भारत देश का संबंध है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में हुई गतिविधियों का कोई प्रभावी प्रभाव भारतीय वित्तीय बाजारों पर परिलक्षित नहीं हुआ। भारत में मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार की परिस्थितियाँ जैसी थीं वैसी ही बनी रहीं। ऋण बाजार भी अपनी सामान्य गति से चलता रहा। यद्यपि अगस्त 2007 के मध्य में विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया पर दबाव महसूस किया गया, बिड-आस्क स्प्रेड फिर भी तंग ही रहा जिससे साफ जाहिर था कि किसी प्रकार की अनिश्चितता और घबराहट नहीं थी। हाँ इन बातों का कुछ प्रभाव ईक्विटी बाजार पर अवश्य देखा गया। जो एफआइआइ जुलाई 2007 में अमरीका के उप-प्रधान दृष्टिबंधक बाजार (सब प्राइम मॉर्टगेज मार्केट) में संकट गहराने के पूर्व भारी-भरकम निवेश कर रहे थे, बाद में विशुद्ध विक्रेता की भूमिका अदा करने लगे। 27 जुलाई 2007 और 14 अगस्त 2007 के दौरान एफआइआइ ने 966.8 मिलियन अमरीकन डॉलर (3920.9 करोड़ रुपए) खींच निकाले। इसके कारण भारत में ईक्विटी बाजार में थोड़ी गिरावट आई। परंतु भारतीय ईक्विटी बाजार में आई यह गिरावट तमाम उन्नत बाजार अर्थव्यवस्थाओं और उभरती हुई बाजार अर्थ व्यवस्थाओं के मुकाबले कम थी। तथापि भारत में ईक्विटी बाजारों ने अगस्त 2007 के मध्य के बाद एफ आइ आइ द्वारा किए गए समर्थन से इन सबसे उबरकर नई ऊँचाइयों को अब प्राप्त किया है। भारी-भरकम मात्रा में पूंजी आप्रवाह के कारण रुपया में भी कुछ सीमा तक मूल्यवृद्धि हुई है।

6.132 जहाँ तक संबंध बैंकों का है, केवल देशी परिचालनों तक सीमित रहनेवालों बैंकों और देश के साथ-साथ विदेश में भी परिचालन करनेवाले बैंकों के बीच विभेद करना आवश्यक है। देशी परिचालनों तक सीमित रहने वाले बैंकों के पास अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर नहीं रहता क्योंकि विदेश में निवेश करने के लिए बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड की सीमाएं रखी गई हैं ऐसे बैंकों को इतनी ही अनुमति है कि वे विदेशी संयुक्त उद्यमों मात्र को उधार दें। परंतु जहाँ तक उन बैंकों का संबंध है जो विदेशी परिचालन भी करते हैं, कुछ बैंक ऋण डेरिवेटिवों के प्रति एक्सपोजर रखते हैं और इसमें ञ्मार्क टु मार्केटट प्रभाव के खतरे के कारण घाटा भी हो सकता है। तथापि इस प्रकार के एक्सपोजर अत्यल्प हैं और कोई भी भारतीय बैंक अमरीकी उप प्रधान बाजार (सब प्राइम मार्केट) के प्रति सीधे-सीधे एक्सपोजर नहीं रखता। रिज़र्व बैंक वित्तीय बाजारों की अनिश्चितताओं के बारे में बैंकों को और अन्य बाजार साझीदारों को सतर्क करता रहा है।

बॉक्स VI.10: कैरी ट्रेड

करेंसी कैरी ट्रेड विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री हेतु विशेष सुविधा प्राप्त एक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य ब्याज दरों में अंतर और विदेशी मुद्रा विनिमय की स्थिर दरों से लाभ अर्जित करना है। इस व्यवसाय के अंतर्गत किसी एक मुद्रा में निम्न ब्याज दर पर उधार राशि ली जाती है और किसी दूसरी मुद्रा में अधिक लाभ देने वाली आस्ति खरीदी जाती है। विनिमय दरों या ब्याज दरों में परिवर्तन हो जाने पर कैरी ट्रेड व्यवसाय पर तुरंत असर पड़ता है। हाल के कुछ वर्षों में जापान और न्यूजीलैंड की ब्याज दरों में अंतर आया है, जिससे येन मुद्रा में उधार लेकर (कम ब्याज दर पर प्राप्त मुद्रा) उच्च ब्याज दर वाली मुद्रा (विशेषत: आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) में आस्तियों की खरीद करके लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। किंतु इस व्यसवाय में चिंता के कुछ विषय भी हैं, जैसे-यदि ब्याज दरों में विपरीत परिवर्तन हुआ जो चलनिधि पर दबाव आएगा, और, यदि इससे बचने के अग्रिम उपाय न किए गए तो आने वाले दिनों में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का विकास प्रभावित होगा। फरवरी 2006 में वित्तीय बाजारों में जो हल्की सी अस्थिरता उत्पन्न हुई उससे कैरी ट्रेड व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ा। फरवरी 2007 में येन की स्थिति में सुधार हुआ जिसका असर सबसे पहले चीन के बाज़ार पर पड़ा। 21 फरवरी 2007 को जापान में नीतिगत दरों में वृद्धि हुई और लाभ में कमी की आशंका से कुछ कैरी ट्रेड व्यवसाय बंद हो गए। कैरी ट्रेड व्यवसाय के बंद हो जाने से वित्तीय स्थिरता को जो जोखिम पहुंचेगा उससे आस्तियों के मूल्यों और विनिमय दरों में तीव्र परिवर्तन होंगे।

6.133 इस चरण पर अभी इस बारे में पक्के तौर पर कोई टिप्पणी करना कठिन है कि वर्तमान समस्या भविष्य में क्या शक्ल लेगी। तथापि, अमरीका में वर्तमान उप-प्रधान दृष्टिबंधक संकट यदि गहराता है, तो उसका असर भारतीय बाजार पर बहुत अधिक नहीं हो सकता। एफआइआइ विशेष रूप से शिथिलता की प्रवृति दर्शाते हैं और अचानक ही निवेश का आहरण करके समग्र औचक स्थिरता (सिस्टेमिक सडेन स्टॉप) की स्थिति पैदा कर देते हैं। एफआइआइ द्वारा निवेश निकालकर घाटे को पूरा करने के लिए अन्यत्र ले जाए जाने की परिस्थिति देश में ईक्विटी बाजार पर और विदेशी मुद्रा दर पर दबाव बनाती है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में चलनिधि शर्तों में कड़ाई करने के भी परिणाम हो सकते हैं। इनका प्रभाव सरकार पर और हाउसहोल्ड पर सीधे तौर पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार से कोई उधार नहीं लेते। हाँ, इसका कुछ प्रभाव कारपोरेट पर अवश्य होगा क्योंकि कुछेक कारपोरेट अपने संसाधनों के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से उधार लेते हैं। अतः ऋण शर्तों में कड़ाई करने के प्रभावस्वरूप अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में इस प्रकार की उधारियों की लागत में वृद्धि हो सकती है। बीते हाल के वर्षों में भारतीय कारपोरेट ने लीवरेज्ड बायआउट के द्वारा विदेश में भी बड़े पैमाने पर अभिग्रहण किया है। अल्पावधिक रूप से इसका अधिक प्रभाव परिलक्षित नहीं होगा क्योंकि ये अभिग्रहण पहले से ही टाइअप करके किए गए थे। जोखिम बचाव और ऋण शर्तों को कड़ा करने की ओर निरंतर अग्रसर रहने का कुछ प्रभाव भविष्य में भारतीय कारपोरेट द्वारा किए जानेवाले अभिग्रहण पर हो सकता है। इस प्रकार कुछ प्रभाव तो हो सकते हैं परंतु उनका महत्व अधिक नहीं होगा।

6.134 बड़े पैमाने एफआइआइ द्वारा आहरण भी देशी चल निधि स्थितियों और ब्याज दरों पर प्रभाव डाल सकता है जिसके अनुवर्ती प्रभाव बाजार के सभी भागीदारों, सरकार को भी सम्मिलित करते हुए, द्वारा लिए जानेवाले उधारों की लागत पर देखे जा सकेंगे। तथापि रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहेगा कि वह अपने पास मौजूदा सभी लचीले उपायों को वित्तीय बाजार में स्थिरता कायम करने के लिए उपयोग में लाए। रिजर्व बैंक ने एक मैकेनिज्म लागू किया है जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में वर्तमान अस्थिरता के प्रभावों पर सूक्ष्म निगरानी रखी जा सकेगी, यह निगरानी वित्त बाजार की विभिन्न सेगमेंट्स के वास्तविक समय के अनुसार रखी जा रही है। वर्तमान में इसका फोकस वित्त बाजार के विभिन्न सेगमेंट्स में होनेवाली गतिविधियों, जब भी आवश्यक हो, के प्रति उचित समाधान निकालने पर केंद्रित है। इनमें किन्हीं भी गतिविधियों और किसी भी सिस्टेमिक चिंता, जिसमें भुगतान और निपटान के मुद्दे भी सम्मिलित हैं, से निपटने के लिए प्रक्रियाओं और उपायों को व्यवस्थित रूप से रखा गया है। इसकी वित्त बाजार समिति (एफएमसी) जिसके अध्यक्ष उप-गवर्नर होते हैं, की बैठक कम से कम दिन में एक बार (आमतौर पर सुबह) वित्त बाजार खुलने के तुरंत बाद बाजार गतिविधियों को पुनरीक्षा करने के लिए की जाती है। बाजार में बड़े स्तर पर अस्थिरता की स्थिति में एफएमसी की विशेष बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें एफएमसी स्वयं को प्रसारित करते हुए संकट प्रबंधन समूह (सीएमजी) के रूप में अन्य नियामकों और एक्सचेंजेस के साथ संपर्क में रहती है।

वैश्विक वित्तीय असंतुलन

6.135 ऐसे असंतुलनों को समर्थन देने के लिए आवश्यक हुए वित्तीय प्रवाहों के निर्वाह को ढोते रहने पर चिंता के मद्देनज़र वैश्विक असंतुलन भी वित्तीय स्थायित्व के प्रति जोखिम उत्पन्न करते हैं। अमरीका का चालू खाता घाटा 2004 और 2006 के मध्य 640 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत) था जो 2006 में बढ़कर 812 बिलियन डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद का 6.2 प्रतिशत) हो गया। यद्यपि अमरीका का चालू खाता घाटा 2007 की पहली तिमाही में कम होकर 770 बिलियन डॉलर (वार्षिक दर से) पर था, तथापि यह सतत रूप से चिंता का विषय बना रहा।

6.136 अमरीका के चालू खाते के घाटे, जो सकल घरेलू उत्पाद से 6 प्रतिशत अधिक है, की भरपाई वर्तमान में निर्धारित आय प्रवाह से की जा रही है जिसमें ट्रेजरी बांड, एजेंसी बांड और कारपोरेट बांड सम्मिलित हैं। अमरीका के चालू घाटे की भरपाई प्रवृति को समर्थन कर रहे तमाम कारकों में से सर्वाधिक प्रमुख है कई देशों के द्वारा सरकारी विदेशी मुद्रा का जमाव करना। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुमान से पता चलता है कि अमरीका के सकल घरेलू उत्पाद के प्रति चालू खाता घाटे को 1 प्रतिशत से कम करने अर्थ होगा अमरीकी डालर में 10-20 प्रतिशत[12] की रेंज में वास्तविक मूल्यह्रास। अधिशेष वाले देशों में वृद्धि प्रक्रिया को जारी रखने के लिए सकल मांग को पुनः संतुलित करने की आवश्यकता होगी। अमरीकी चालू खाते में भारी घाटा अनिश्चितकाल तक नहीं रह सकता क्योंकि सरकारी ऋण की सर्विस का भुगतान करने की इसकी योग्यता और विदेशियों के द्वारा स्वयं के संविभाग में अमरीकी आस्ति रोक रखने की इच्छा, दोनों ही सीमित है।[13]

6.137 यदि वैश्विक वित्तीय असंतुलनों में गैर-सिलसिलेवार समायोजन किए जाते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों

[12] आइएमएफ (2007), वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अपडेट, जुलाई www.imf.org

[13] बेरनांके, बी एस (2007) ग्लोबल इंबैलेंसेज, रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड प्रास्पेक्ट्स, सितंबर www.federalreserve.gov.

पर इसके गंभीर प्रभाव होंगे। इन परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर संविभागीय परिवर्तन प्रभावी होंगे जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा दरों, चलनिधि शिफ्ट्स ब्याज दरों में तीव्र समायोजन और आस्ति कीमतों में समायोजन किए जाएंगे। आस्ति कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव चलनिधि स्थितियों और वित्तीय स्थायित्व पर होगा।

6.138 वैश्विक वित्तीय असंतुलनों के अचानक जोर पकड़ने के कारण अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के जैसे ही भारत पर भी प्रतिकूल प्रभाव होगा। तथापि यह प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों जैसे सरकार, कारपोरेट क्षेत्र और बैंकिंग सिस्टम पर अलग-अलग रूप में पड़ सकता है।

6.139 सर्वप्रथम तो भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से संसाधनों के लिए उधार नहीं लेती। तथापि घरेलू ब्याज दरों पर बाह्य गतिविधियों का स्पिल ओवर प्रभाव हो सकता है। घरेलू ब्याज दर में वृद्धि जब तक होती है, सरकार के द्वारा लिए जानेवाले उधार की लागत में वृद्धि हो सकती है। तथापि अधिकतर बकाया सरकारी ऋण स्थिर दर पर है न कि अस्थिर दर पर। अतः सरकार के उधार की लागत में वृद्धि वृद्धिशील रहेगी।

6.140 द्वितीय, वैश्विक वित्तीय बाजार में निवेशक का भरोसा डगमगाने के कारण कारपोरेट ऋण पर स्प्रेड अचानक बढ़ सकता है। भारतीय कारपोरेट्स अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से संसाधनों के लिए उधार लेने में अब आगे हैं, पहले की तुलना में। घरेलू बाजार में ब्याज की दरों में वृद्धि के कारण कारपोरेट के लिए उधार प्राप्त करने की लागत में भी वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार जब तक घरेलू बाजार में ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी तब तक कारपोरेट्स, अन्य दायित्वों की तुलना में ऋण के प्रति अपने एक्सपोजर की निर्भरता तक इससे प्रभावित होंगे।

6.141 तृतीय, भारत में बैंक अपने महत्वपूर्ण निवेश सरकारी और अन्य निर्धारित आय वाली प्रतिभूतियों में करते हैं। यह भी कि इस प्रकार के अधिकतर निवेश ऽपरिपक्वता तक धारितट श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार घरेलू ब्याज दर में वृद्धि केवल निवेश के एक छोटे अंश में मार्क्ड टू मार्केट का प्रभाव छोड़ेगी। यह भी कि संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र को लगभग 12 प्रतिशत के सीआरएआर के सुविधाजनक स्थान पर रखा गया है। अतः एकल बैंकों के स्तर पर 82 बैंकों में से 79 ने 10 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर प्राप्त कर रखा है। अतः भारत में बैंक आमतौर पर ब्याज दर में थोड़ी वृद्धि को झेल सकने की स्थिति में हैं।

6.142 चौथे, भारत में बैंक आस्ति बाजार में निवेश के लिए ऋण दे रहे हैं। अन्य कई अर्थव्यवस्था की तरह भारत में आस्ति मूल्य हाल के वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। यदि आस्ति मूल्यों में तेजी से ह्रास हुआ होता तो बैंकों के तुलन पत्रों को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता। सामान्य रूप में ब्याज दरों में बढ़ोतरी आवास मूल्यों पर प्रभाव डालती है और हाउसहोल्ड के तुलन पत्र को ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता जिससे बैंकों को कुछ ऋण हानि हो सकती थी। वर्तमान में आवास ऋणों में बैंकिंग क्षेत्र का निवेश उनके समग्र पोर्टफोलियो की तुलना में बहुत अधिक नहीं है और सामान्य रूप में बैंकों ने आवास क्षेत्र को उधार देते समय एक मजबूत मार्जिन रखा है। अतः बैंकों के तुलन पत्र पर प्रभाव को नजर अंदाज किया जा सकता है।

6.143 अंत में मुद्रा के अव्यवस्थित पुनःसमायोजन से भूसंपदा क्षेत्र में जटिलताएं हो सकती थी। मुद्रा के महत्व को पुनसमायोजन और ब्याज दरों में वृद्धि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी जिससे वैश्विक विकास में कमी हो सकती थी। इससे निर्यात अवसरों में कमी आई और भारत के लिए निवेश मांग में भी कमी हुई। मुद्रा का पुनः समायोजन करते हुए कुछ प्रभाव हो सकते थे क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकांशतःघरेलू मांग पर आधारित है। भारत निर्यात समूह अस्पष्ट रूप से विविधिकृत है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

आस्ति मूल्य समायोजन के जोखिम

6.144 वैश्विक वित्तीय बाजारों में आस्ति मूल्य गतिविधियों में हाल के वर्षों में विशेषतः वित्तीय स्थिरिता के दृष्टि से अधिक महत्व प्राप्त किया है। सांस्थिक निवेशकों को की बड़ी संख्या बढ़ती हुई मात्रा में मूल्य-वर्गांकित विदेशी मुद्रा में सारे देशों में आस्तियां अर्जित कर रही है। यद्यपि आस्ति मूल्य-वर्गांकित विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तनों के अतिरिक्त जोखिम के अधीन है, अंतरराष्ट्रीय निवेशक इन आस्तियों को उच्चतर लाभ के कारण खरीदते हैं। ये प्रतिलाभ विवेधक ब्याज दरों अथवा कुछ देशो में आस्तियों के त्वरित मूल्यांकन के कारण समस्त देशों में बदलते रहते हैं । कभी-कभी विवेधक ब्याज और मूल्यांकन दर विनिमय दर जोखिम से अधिक हो जाते हैं अथवा कुछ मामलों में कुछ मुद्राओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए विनिमय दर काफी अनुकूल हो जाती है। ऐसे मामलों में उच्चतर प्रतिलाभ देने वाले देशों में पूंजी का प्रवाह एक लगातार जारी आधार पर बढ़ता रहता है और मांग आपूर्ति स्थितियों के अनुरूप अस्तरों पर इन देशों में आस्ति मूल्यों में और बढ़ोत्तरी करता। ऐसी स्थितियों में आस्तियों के मूल्य वित्तीय बाजारों में एक अव्यवस्थित वातावरण के आधार पर आघातों के सृजन करते हुए अतिसंवेदनशल हो जाते है। मांग आपूर्ति स्थितियों के बाहर मूल्यों में बहुतरी की सीमा तथा आघातों के स्वरूप के आधार पर आस्तियों के मूल्यों में समायोजन वित्तीय स्थिरता के लिए घातक हो सकते हैं।

बॉक्स VI.11: व्यवस्थागत आकस्मिक रोक (सिस्टमिक सडन स्टॉप)

किसी देश की अर्थ-व्यवस्था की मूलभूत कार्यप्रणाली से असंबद्ध किन्हीं कारणों से यदि पूंजी प्रवाह में व्यापक और बड़ी मात्रा में अचानक गिरावट आती है, जिससे उस देश की आर्थिक गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ता हो तो उसे 'सडन स्टॉप' कहा जाएगा। 'सडन स्टॉप' की संकल्पना गुइलेरमो ए. कालवो ने प्रचलन में लाई, जिनके अनुसार कई देशों में अनुकूल वैश्विक परिवेश और निम्न ब्याज-दरों जैसे बाहरी कारकों के कारण बड़ी मात्रा में पूंजी का आगमन होता है। यदि इन बाहरी कारकों में सौम्य या तीव्र परिवर्तन होता हैं तो उभरती बाज़ार व्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह का रुख अचानक पलट सकता है। इसके बाद कई संकटों को ही 'सडन स्टॉप' कहा गया (जेम्स 2007)। संकट के दौरान इस समस्या की व्यापक गंभीरता को प्रकाश में लाने के लिए कभी कभी इसे '3 एस' (अर्थात् सिस्टमिक सडन स्टॉप) भी कहा जाता है।

पूंजी अंतर-प्रवाह में कमी आ जाने से वास्तविक अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ता ही है, किंतु आर्थिक ढांचे की बनावट, अस्थिरता का सामना करने का अनुभव, संस्थाओं और नीतियों के आधार पर संकट के उभरने के अवसर और उत्पादन में गिरावट की मात्रा अलग-अलग देशों में अलग-अलग हो सकती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जिन अर्थ-व्यवस्थाओं को 'ओरिजिनल सिन' के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिन पर स्वर्ण या विदेशी मुद्रा में बाहरी और आंतरिक ऋण है, वे 3 एस के प्रति अधिक संवेदनशील हैं (बोर्डो, 2007)।

काल्वो, इज्केर्दो और तल्वी (2007) के अनुसार पूंजी अंतर-प्रवाह के संबंध में 'सडन स्टॉप' और वित्तीय संकट का कारण 'डोमेस्टिक लाएबिलिटी डॉलराइजेशन (डीएलडी) और बड़ी मात्रा में चालू खाता घाटा (करंट अकाउंट डेफिसिट - सीएडी) हो सकता है जिसका असर आउटपुट पर पड़ता है। डीएलडी का अर्थ है घरेलू बैंकों द्वारा जारी विदेशी मुद्रा ऋण, जो जीडीपी का हिस्सा हैं। ये ऋण जोखिम युक्त होते हैं क्योंकि 3 एस की संकल्पना बड़ी राशि के वास्तविक अवमूल्यनों से जुड़ी है। विदेशी मुद्रा के ऋणों की चुकौती में चूक होने की अधिक संभावना है। दूसरी ओर, चालू खाता घाटा (जो घरेलू व्यापार उपयोगी उत्पादन का हिस्सा है) भी जोखिमपूर्ण है क्योंकि 3 एस के कारण तीव्रता से चालू खाते का समायोजन करना पड़ता है जिससे व्यापार उपयोगी उत्पादनों में कमी आने से मूल्यों में बहुत अधिक परिवर्तन आ सकते हैं। इसका असर वास्तविक विनिमय दर और वित्तीय बाज़ार पर पड़ेगा। 'सडन स्टॉप' के नाम से जाने वाले कुछ संकट इस प्रकार हैं : टेकिला संकट (अर्जेंटीना, 1995; मेक्सिको, 1995; और तुर्की, 1995), पूर्व एशिया संकट (इंडोनेशिया, 1998; मलेशिया, 1998; और थाइलैंड 1998), 1990 के अंत में आया रूस का संकट तथा 1980 के दशक में उभरा लेटिन अमेरिका का ऋण संकट (अर्जेंटीना, 1982; ब्राजील, 1983; चिली, 1983; मेक्सिको, 1983; पेरू, 1983; वेनेजुएला, 1983; और उरूग्वे, 1984)।

संदर्भ :

काल्वो, जी.ए. इज़्केर्दो, ए. तथा तल्वी, ई (2006), फीनिक्स मिरेकल्स इन इमर्जिंग मार्केट्स; रीकवरिंग विदाउट क्रेडिट फ्रॉम सिस्टमिक क्राइसेस; बीआईएस वर्किंग पेपर नं. 221; www.bis.org.

बोर्डो, एम.डी. (2006) सदन स्टॉप्स, फिनांशियल क्राइसेस एण्ड ओरिजिनल सिन इन इमर्जिंग कंट्रीज: डेजा वू ? सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया पर्चा : ग्लोबल इम्बैलेंसेस एण्ड रिस्क मैनेजमेंट। हैज दी सेंटर बिकम दी पेरिफेरी ? मैड्रिक स्पेन, मई 16-17 2006।

जेम्स एल. आर (2007), ए मास्टर ऑफ थियरी एण्ड प्रैक्टिस; फिनान्स एण्ड डेवलपमेंट, आइएमएफ; मार्च 2007, 44 (1)।

विशेष रूप से आस्तियों के मूल्य में एक तीव्र समायोजन से पूंजी प्रवाहों से दिशा प्रतिकूल हो सकती है और चलनिधि संकट तथा तीव्र विनिमय दर समायोजन उत्पन्न हो सकते है (बॉक्स VI.11)। इससे बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के तुलन-पत्र इन आस्तियों में उनके निवेश के आधार पर प्रभावित हो सकते हैं। हाल की अवधि में कई देशों में बढ़ती हुई मांग में घरेलू वित्तीय आस्तियों की उपलब्धता में काफी बढ़ोत्तरी की है जिससे आस्ति मूल्यों, तीव्र ऋण वृद्धि और मुद्रा मूल्यांकन[14] में तेजी से वृद्धि होती है।

6.145 पिछले कुछ वर्षों में भारत के ईक्विटी बाज़ार में भी उछाल आया है। चालू वर्ष में मार्च 2007 के अंत की तुलना में बेंचमार्क बीएसई सूचकांक में 48.4 प्रतिशत और मार्च 2006 के अंत 74.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस उछाल के अनेक में से एक कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया भारी निवेश है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक (19 अक्तूबर 2007 तक) कुल 15.1 बिलियन डॉलर का निवेश किया जो 2005-06 के पूरे वर्ष में किए गए निवेश का लगभग 163 प्रतिशत है। यद्यपि समष्टिगत आर्थिक ढांचा मजबूत है और कार्पोरेट आय सुदृढ़ है, फिर भी घरेलू आस्तियों की सीमित आपूर्ति के चलते विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी मांग से ईक्विटी बाज़ार में मूल्यांकन प्रक्रिया पर दबाव पड़ रहा है। पी/ई अनुपात, जो फरवरी 2006 में 18.6 था वह सितंबर 2007 के अंत तक बढ़कर 22.6 प्रतिशत हो गया।

6.146 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में हुई हाल की गतिविधियों ने कई मामले सामने लाए हैं। विशेष रूप से इसने बैंकों द्वारा जोखिम के आकलन और निगरानी के तरीके को सामने लाया है। तरलता जोखिम बैंकों की पारंपरिक तौर की है। तथापि, बैंकों द्वारा हाल ही के संकट के दौरान सामना की गई तरलता जोखिम ने इस बात की आवश्यकता को रेखांकित कर दिया कि तरलता जोखिम का प्रबंध अधिक सावधानी से करना होगा और तरलता जोखिम को समग्र जोखिम आकलन से जोड़ना होगा। इसने बासेल II रूपरेखा की कमियां भी उजागर कर दीं जिनमें ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम शामिल है किंतु तरलता जोखिम शामिल नहीं है। इसके अलावा, ऐसे और भी मामले हैं जहां ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वित्तीय प्रणाली का सुगमता से कार्य करना सुनिश्चित किया जा सके (बॉक्स VI.12)।

[14] आइएमएफ (2007) ग्वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल 2007।

बॉक्स VI.12: वैश्विक वित्तीय बाज़ार की हाल की गतिविधियां : सबक

हाल में, सब प्राइम मार्केट संकट के चलते ऋण और बाज़ार जोखिम में वृद्धि हुई है और वित्तीय बाज़ार अधिक अस्थिर बन गए हैं। अत्यधिक लीवरेजिंग के कारण वैश्विक वित्तीय प्रणाली अधिक संवेदनशील बन गई है। चलनिधि स्थिति में भारी परिवर्तनों के कारण जोखिमों का मूल्यांकन करना कठिन और अनिश्चित जान पड़ रहा है।

भविष्य में होने वाले दबावों का सामना करने के लिए वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना होगा जिसके लिए निजी क्षेत्रों, नियामकों और पर्यवेक्षी संस्थाओं के लिए कुछ सबक तैयार किए जा सकते हैं। यद्यपि वर्तमान घटनाचक्र का अंतिम रूप से क्या असर पड़ेगा यह ज्ञात नहीं है, और इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी कठिन है, इसलिए कुछ क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए निम्न लिखित सबक अपनाया जा सकता है:

(i) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाज़ारों का सुगमतापूर्वक परिचालन मुख्यतया विश्वास, साख और पारदर्शक सूचनाओं की उपलब्धता के कारण चलता है। वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत जोखिम बांटने की पारदर्शिता में कमी आई है, जिसके चलते आधिकारिक एजेंसियों के समक्ष यह प्रश्न उठा है कि इस पारदर्शिता को पुन: कैसे बढ़ाया जाए। बचाव निधियों के बारे में हाल में जो चर्चा हुई उसका केंद्र बिंदु यही था। जोखिम को पहचानने और उसके उचित मूल्यांकन के लिए बाजार में निहित जोखिम के बारे में सटीक और समयोचित जानकारी मिलना बहुत आवश्यक है। विशेषकर जोखिम अंतरण के क्षेत्र में, जोखिम का प्रबंधन, मूल्यांकन एवं जवाबदेही कैसे तय करें कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों सूचना इसमें शामिल हो सके। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं और उनके तुलन पत्र के इतर साधनों के मध्य संपर्क के लिए अत्यधिक पारदर्शिता आवश्यक है। सूचना की मात्रा एवं जटिलता एवं इसे उपलब्ध करवाने की लागत को देखते हुए, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक प्रकटीकरण एवं उचित राशि के बारे में सावधानी से विचार किया जाना आवश्यक होगा।

ii) जबकि प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय नवोन्मेष ने बढ़े हुए जोखिम वितरण के माध्यम से बाजार को अधिक दक्ष बनाया है, वर्तमान परिस्थिति में उनकी भूमिका को अच्छी तरह समझना होगा। संरचित उत्पादों के संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के नियंत्रण एवं संतुलन के मध्य संबंधों पर थोड़े पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार, भविष्य में जब स्थिरता स्थिति का मूल्यांकन किया जाए, पूर्व की अपेक्षा अब यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नए लिखतों की उचित जांच एवं मूल्यांकन, नए सहभागियों की प्रवृत्ति के विश्लेषण के साथ किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रणाली का न केवल विस्तार हो रहा है बल्कि यह जटिल भी होती जा रही है, इस तथ्य से निपटने के लिए यही सबसे अच्छा उपाय दिख रहा है।

iii) ऋण व्युत्पन्नियों एवं संरचित उत्पादों के जोखिम विश्लेषण एव श्रेणी-निर्धारक एजेसियों की भूमिका की जांच भी आवश्यक है। तथापि, वित्तीय बाजार की कार्यप्रणाली में श्रेणी निर्धारण एवं श्रेणी निर्धारक एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर कुछ चिंताएं हैं, ये चिंताएं जटिल उत्पादों विशेषकर जब बहुत भिन्न संरचना, संकल्पना एवं चलनिधि विशेषताओं वाली प्रतिभूतियों को एक समान श्रेणी-निर्धारण दिए जाने के श्रेणी-निर्धारण तरीकों के संबंध में है।

iv) जहाँ विश्वसनीय बाजार मूल्य उपलब्ध कराने में चलनिधि अपर्याप्त है वहाँ बाजार के संदर्भ में जटिल उत्पादों के मूल्यांकन के मुद्दे की जांच भी आवश्यक है। जटिल उत्पादों को खरीदते वक्त निवेशकों को संबद्ध चलनिधि पहलुओं और मूल्य के भाग के तौर पर चलनिधि जोखिम ञ्प्रीमियमट पर विचार करना पड़ सकता है। ऐसी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के तौर पर रखने वाली वित्तीय संस्थाओं को चलनिधि में ञ्हेयरकटट का प्रावधान भी करना होगा।

v) बैंकों के लिए जोखिम समेकन से संबंधित परिमाप सामान्य लेखांकन या विधि परिमाप से बड़ा सिद्ध हुआ है। उदाहरण के लिए (क) साखगत जोखिम बैंकों को कानूनी तौर पर स्वतंत्र इकाइयों को आंतरिक हानि के लिए विवश कर सकती हैं; और (ख) नई लिखतें एवं संरचनाएं, तुलन-पत्र से इतर एवं आकस्मिक देयताओं को ढ़क सकती है। इसका परिणाम यह होता है कि वह जोखिम जो वितरित हुआ प्रतीत होता था वह विभिन्न रूपों में वितरित करने वाले बैंक के पास वापस आ सकता है। संबंधित परिमाप केवल पर्यवेक्षी मुद्दा नहीं है, लेकिन वित्तीय संस्थाओं के लिए - उनका जोखिम प्रबंधन प्रणाली, लेखा -परीक्षा प्रक्रिया एवं आंतरिक निरीक्षण एवं शासन संरचनाएं हैं।

vi) नीति निर्धारकों को भी कुशल संतुलनकारी कार्रवाई करनी पड़ सकती है क्योंकि उन्हें ऐसा ढ़ाचा तैयार करना होता है जो अच्छे समय के साथ-साथ बुरे समय में भी निवेशकों के उच्च ऋण मानकों को बनाए रखने तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियेां को मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। वैश्विक वित्तीय एवं मौद्रिक स्थितियों में व्याप्त अति अनिश्चितताओं के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाने के लिए ज्यादा सर्तकता बनाए रखने की भी आवश्यकता है।

(vii) संपार्श्विक के बाजार मूल्य पर अधिक वस्तुनिष्ठ जानकारी निकालने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां ऐसी जानकारी ऑन लाइन आधार पर उपलब्ध न होने से संपार्श्विक बाजार के प्रति पूर्णतः चिह्नित नहीं किए जाते। संकट ने इस मुद्दे को भी उभारा कि क्या हाय फ्रिक्वेंसी आधार पर मूल्य उपलब्ध न होनेवाली कुछ प्रकार की आस्तियों को बाजार के प्रति चिह्नित करने की सीमा है?

(viii) ऋण बाजार में उत्पन्न होने वाली समस्या तेजी से मुद्रा बाजारों और ऋण बाजारों तक फैल जाती है जिससे बाजार के विभिन्न घटक अत्यधिक एकीकृत हो गए हैं। इससे विकसित देशों में वित्तीय बाजारों पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता रेखांकित हो गई। इसके अलावा, जहां वित्तीय बाजारों का वैश्विक बनना बढ़ता जा रहा है, वहीं वित्तीय बाजारों का विनियमन राष्ट्रीय बना हुआ है। इस खामी पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों में विद्यमान संचालन मानक, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रोत्साहन रूपरेखा को ध्यान में रखकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रक्षोपाय स्थापित किया है। इन प्रगामी नीतियों ने वित्तीय प्ध्रणाली की कार्यकुशलता और स्थिरता दोनों में योगदान दिया है।

संदर्भ :

आइएमएफ, (2007), वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, सितंबर

मोहन राकेश, (2007), 'नई वित्तीय बाजार गतिविधियां एंव मौद्रिक नीति के लिए निहितार्थ (www.rbi.org.in)

रेम्सपर्गर, हरमैन, (2007), 'यूरोपीय दृष्टि से वर्तमान वित्तीय स्थिरता', ड्यूश बुंदेश बैंक, जून,

डॉज, डेविड, (2007) 'ऋण बाजारों में अस्तव्यस्तता - कारण, प्रभाव एवं सीखने की बातें:, बैंक ऑफ कनाडा, सितंबर

7. समग्र मूल्यांकन

6.147 घरेलू स्थितियों में समुचित रूप में ढलने वाले अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप, वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए रिज़र्व बैंक अनेक उपाय कर रहा है। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत में मजबूत, गतिशील एवं लचीला बैंकिंग क्षेत्र उभरा है। परिचालनगत दक्षता और सुदृढ़ता संकेतकों की दृष्टि से भारतीय बैंकिंग प्रणाली की तुलना अब वैश्विक मानकों के साथ की जा सकती है। उठाए गए विभिन्न कदमों से वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों की गंभीरता और चलनिधि में भी वृद्धि हुई है। संस्थागत उपायों एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी ने भुगतान और निपटान प्रणालियों की दक्षता में सुधार लाया है। आरटीजीएस के लागू होने से प्रणालीगत जोखिम के प्रमुख स्रोत में कमी आई है ।

6.148 पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता में बहुत ज्यादा लचीलापन आया है । ब्याज दर चक्र में तेजी के बावजूद बैंक लाभ में रहे हैं। आय और व्यय के विभिन्न घटकों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि भारत में बैंक अपनी अधिकतर आय दीर्घकालिक मूल व्यवसाय स्रोत से प्राप्त करते हैं, जिसमें उनकी आय की मज़बूती का पता चलता है।

6.149 पिछले कुछ वर्षों से भिन्न, वर्ष के दौरान एनपीए की वसूली की तुलना में नई चूकें (स्लिपेज) ज्यादा थीं। हालांकि, एनपीए औसत (सकल/निवल ऋणों एवं अग्रिमों के प्रतिशत के तौर पर सकल एनपीए और निवल एनपीए) में कमी आई है और बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता के संबंध में आश्वस्त हैं। बैंकिंग क्षेत्र की पूँजी स्थिति मजबूत बनी रही क्योंकि जोखिम भारित आस्तियों में बढ़ोतरी के साथ-साथ पूँजी निधियां भी बढ़ी हैं। बैंकों ने सीआरएआर को 9 प्रतिशत के निर्धारित मानदडों से काफी अधिक रखना जारी रखा। मार्च 2007 के अंत तक, 79 बैंकों (82 वाणिज्य बैंकों में से) ने 10 प्रतिशत एवं उससे अधिक सीआरएआर बनाए रखा और दो बैंकों का सीआरएआर 9-10 प्रतिशत के बीच रहा। निर्धारित मानदंडों से कम सीआरएआर केवल एक बैंक का था। इस प्रकार, सामान्यतः, भारत में बैंक बासेल II की पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने की अच्छी स्थिति में है जो मार्च 2009 वर्ष के अंत से सभी बैंकों पर लागू होगा। यह बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम प्रबंधन में सुधार लाएगा ।

6.150 कुछ ऐसे अल्पावधि से मध्यावधि जोखिम हैं जिनका सामना बैंकों को करना पड़ता है। बैंकों के समक्ष आ रहे दो बड़े जोखिम अर्थात ऋण जोखिम और बाजार जोखिम हैं। निकट भविष्य में बैंक सौम्य ऋण जोखिम वातावरण का सामना करते रहेंगे। तथापि, बैंकों को कुछ सीमा तक बाजार जोखिम का सामना करना पड़ता है, हालांकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बाजार जोखिम के प्रति अपने एक्सपोजर को कम किया है।

6.151 अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ समष्टि आर्थिक संकेतकों से निकट भविष्य में सौम्य ऋण जोखिम वातावरण तैयार होता है। पिछले चार वर्षों के दौरान वास्तविक जीडीपी के वृद्धि दर का औसत 8.6 प्रतिशत था, 2007-08 में वृद्धि अच्छी बनी रहने की आशा है, 2007-08 की पहली तिमाही में 9.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र ने अपनी वृद्धि गति बनाए रखी, हालांकि जुलाई और सितंबर 2007 में उसमें कुछ मंदी आई थी। सेवा क्षेत्र के विभिन्न मुख्य संकेतक इशारा कर रहे हैं कि यह क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। मुद्रास्फीति दर जनवरी 2007 के 6.7 प्रतिशत की उच्च दर से गिरकर 3.1 प्रतिशत रह गई और मार्च 2007 के अंत में 5.9 प्रतिशत हो गई। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में नई वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की कम दर पर दबाव आ सकता है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति सितंबर में (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) कम हुई है, हालांकि यह ऊँचे स्तर पर बनी हुई है। पिछली फरवरी 2007 से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 53 प्रतिशत तक उछाल आया जब प्रशासित घरेलू तेल की कीमतों में कमी की गई । यदि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में और वृद्धि होती तो घरेलू तेल की कीमतों में भी वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे घरेलू मुद्रा स्फीति पर असर पड़ा होता । इसके बावजूद, निकट भविष्य में मुद्रास्फीति के संतोषजनक सीमा में रहने के आसार हैं। भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूती का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। यद्यपि 2006-07 और 2007-08 की पहली तिमाही में व्यापार घाटे में वृद्धि हुई व्यापार घाटे के बड़े भाग का प्रतितुलन अदृश्य मदों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत में लगातार बड़े पूंजी प्रवाह आ रहा है जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि हुई है। हाल के समय में भारतीय वित्त बाजार ने हाल की प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के प्रति लचीलापन दिखाया है। भारत में ब्याज दरें बढ़ी हैं और एएए श्रेणी वाले कारपोरेट बांड और जोखिम मुक्त सरकारी बांड के मध्य ब्याज दर अंतर में वृद्धि हुई है। फिर भी, वित्तीय स्थिति कुल मिलाकर ठीक है। घरेलू पूंजी बाजार में तेजी का माहौल है और कंपनियों के पास अतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने का लचीलापन भी है। कारपोरेट क्षेत्र ने उच्च लाभप्रदता को लंबे समय तक अनुभव किया है। तीव्र समष्टि आर्थिक स्थितियों के कारण यह आशा कि जाती है कि निकट भाविष्य में कारपोरेट उच्च लाभप्रदता बनाये रखेंगे। ऋण विस्तार में तेजी बनी रहेगी यद्यपि इसमें थोड़ा धीमापन है। वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में कमी आई है, परन्तु यह अभी भी ज्यादा है।

पिछले कुछ वर्षों में तीव्र ऋण विस्तार के कारण यह संभव है कि भविष्य में बैंकों की चूक दरों में वृद्धि हो। यह ऋण दिए जाने में धीमेपन से जुड़कर आने वाले वर्षों में बैंक के एनपीए अनुपात में वृद्धि कर सकता है। हालांकि इस तरह की वृद्धि अधिक हाने की आशा नहीं है एवं संपूर्ण रूप से, ऋण जोखिम वातावरण में नरमी बनी रहेगी ।

6.152 तथापि, निकट समय में बैंकों के लिए बाजार जोखिम का थोड़ा खतरा है। ऐसे जोखिमों का प्रमुख स्रोत वित्तीय बाजार हैं। अमेरिकी सब-प्राइम बंधक बाजार में हाल की गतिविधियों ने वित्तीय बाजार में अस्थिरता एवं अनिश्चितता ला दी है। यद्यपि वैश्विक वित्तीय असंतुलन में कमी आयी है, परन्तु यह चिंता का विषय बना हुआ है। यदि वित्तीय बाजार में कोई अनियमित समायोजन होता, यह ब्याज दर एवं चलनिधि विस्थापन में परिर्वतन के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र पर भी प्रभाव डाल सकता था । ब्याज दरों में अत्यधिक तेजी बैंकों के निवेश संविभाग में ज्मार्क्ड-टु-मार्केटट हानि ला सकती है। हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण है कि बैंकों का निवेश संविभाग कुल आस्तियों के प्रतिशत की तुलना में मार्च 2005 के अंत के 36.9 प्रतिशत और मार्च 2006 के अंत के 31.1 प्रतिशत से तेजी से घटकर मार्च 2007 के अंत में कुल आस्तियों का 27.5 प्रतिशत रह गया। ब्याज दर में अत्यधिक तेजी आवास मूल्य पर भी कुछ प्रभाव डालेगी और आंतरिक तुलन-पत्र में ब्याज दर जोखिम लाएगी। इससे ऋण हानियों में बढ़ोत्तरी के माध्यम से बैंकों के तुलन-पत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

6.153 भारत में बैंकों का ईक्विटी बाजार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश बहुत कम है। ईक्विटी बाजार में मंदी के मामले में, ईक्विटी मार्केट में निवेश हेतु दिए गए कुछ अग्रिमों को क्षति भी हो सकती है। यद्यपि ईक्विटी बाजार में मंदी के कारण ऋण हानि एवं पूंजी हानि दोनों हो सकती हैं, परन्तु बैंकों के सीमित एक्सपोजर के कारण ईक्विटी बाजार में प्रतिकूल गतिविधि का उन पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। किंतु स्थावर-संपदा बाजार में बड़े परिवर्तन बैंकिंग क्षेत्र के तुलन -पत्र पर अत्यधिक प्रभाव डाल सकते हैं ।

6.154 अंततः, निकट भविष्य में समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण अनुकूल दिख रहा है और ऋण जोखिम वातावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव जारी रहेगा। हालांकि पिछले तीन वर्षों में तीव्र ऋण वृद्धि के कारण बैंकों के ऋण संविभाग में एनपीए की अत्यधिक चूकें (स्लीपेज) हो सकती हैं। बैंकों के समक्ष बाजार जोखिम है, यद्यपि हाल के वर्षों में ऐसे जोखिमों की मात्रा में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। कुछ मामलों में, बाजार सहभागियों के समक्ष आए बाजार जोखिम बैंकों की बहियों में ऋण जोखिम के रूप में परिलक्षित हो सकते हैं। हालांकि, बैंकों के पास सामर्थ्य है कि वे वित्तीय बाजार की प्रतिकूल गतिविधि का सामना कर सकते हैं। बैंकों की लाभप्रदता में सुधार आया है और उनकी पूंजी स्थिति मजबूत बनी हुई है। इस प्रकार, किसी प्रतिकूल गतिविधि से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में साधन उपलब्ध हैं। बैंकिंग क्षेत्र के तुलन-पत्र पर मजबूत घरेलू वृद्धि सकारात्मक प्रभाव डालना जारी रखेगी।

अध्याय VII

संभावनाएं

7.1 1990 के दशक के आरंभ से शुरू किए गए वित्तीय सुधारों का वाणिज्यिक बैंकों के कार्य-प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का प्रणालीगत रूप से सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों के परिणामस्वरूप, भारत में बैंकिंग प्रणाली मजबूत, स्वस्थ, गतिशील एवं लचीली हुई है जो निरंतर वृद्धि एवं वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है। वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र के स्वरूप में परिवर्तन के पश्चात हाल के वर्षों में वित्तीय प्रणाली की अन्य संस्थाओं जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, ग्रामीण सहकारी संस्थाओ की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। समाज के विभिन्न वर्गों तक वित्तीय सेवाओं को पहुचाने में ये संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, अतः वित्तीय समावेशन पर नीतिगत महत्व को ध्यान में रखते हुए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

7.2 भारत में बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती विकासशील अर्थव्यवस्था की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना है। भारत में बैंकों का अधिकतर कारोबार अभी भी बड़े शहरी केंद्रों पर केंद्रित हैं। इस समस्या को कम करने के लिए 2006 से किसी भी बैंक की नई शाखा खोलने के लिए अनुमोदन केवल रिज़र्व बैंक से मिलता है जिसमें शर्त होती है कि ऐसी शाखाओं में से कम-से-कम आधी शाखाएं रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए गए कम बैंकिंग सुविधायुक्त क्षेत्रों में खोली जानी चाहिएं। अनेक बैंकों को अब पता चला है कि अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाएं भी वाणिज्यिक रूप से सक्षम होती हैं। रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के लोकतांत्रिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। रिज़र्व बैंक ने रोजगार में नए लोगों के भारी प्रवेश और तेजी से बाजारीकृत हो रहे वित्तीय क्षेत्र में ऊंची आय के वित्त के बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और वित्तीय शिक्षा देने का कार्य शुरू किया है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां ऋण-जमा अनुपात कम देखा गया है। बढ़ी हुई वित्तीय गहनता के लिए राज्य सरकारों, बैंकों और अन्य स्थानीय विकासक संस्थाओं की पूर्ण सहभागिता के साथ पहले ही कुछ क्षेत्र विशेष की कार्य योजनाएं बनायी गयी हैं। रिज़र्व बैंक राज्यों और बैंकिंग प्रणाली के बीच बढ़ते समन्वय में उत्प्रेरक और समन्वयक की भूमिका निभाना जारी रखेगा। कम ऋण जमा अनुपात वाले छोटे केंद्रों और राज्यों में वृद्धि की भारी संभावना है। भावी चुनौती बैंकिंग के विस्तार को बढ़ाने की है। अतः बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी कार्यनीति में पुनः बल देकर और उपयुक्त प्रौद्योगिकी और वितरण माध्यम अपनाकर अब तक बैंकिंग सुविधा की कमी वाले क्षेत्रों / राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ाएं। लेनदेन लागत घटाने में सूचना प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है।

7.3 बैंकिंग क्षेत्र के लिए यह भी आवश्यक है कि कृषि और लघु उद्योगों की ओर ऋण प्रवाह बढ़ाया जाए। कृषि और लघु उद्योगों की ओर ऋण प्रवाह में कमी की समस्या के समाधान के लिए रिज़र्व बैंक ने पहले ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन किया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर संशोधित दिशानिर्देश अप्रैल 2007 में जारी किए गए । अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, लघु उद्योग जैसे रोजगार की अति गहनता वाले क्षेत्रों, विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक ऋण और कम लागत के आवास ऋणों तक सीमित है।

7.4 बैंकों के सामने एक और चुनौती तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अपने परिचालनों को निरंतर बनाए रखने के लिए बाजार से पूंजी जुटाना है। बैंकों को भविष्य में उनके लाभ को बनाए रखने में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैंकों की निवल ब्याज मार्जिन हाल के वर्षों में दबाव में आई है। यह बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का परिणाम है और यह बैंकिंग क्षेत्र की कार्यक्षमता में सुधार दर्शाता है। तथापि, बैंकों के लाभ पर कम हुई मार्जिन का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में मात्रा में भारी वृद्धि के कारण छिप गया। भविष्य में लाभप्रदता बनाए रखने के लिए बैंकों को आय के ब्याज से भिन्न स्रोत ढूंढने के अलावा परिचालन लागत को और कम करना होगा।

7.5 वित्तीय सेवा उद्योग का वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है और प्रतिस्पर्धा गहन होती जा रही है। वैश्वीकरण, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति से उत्पादों में नवोन्मेषीकरण हो रहा है। कुछ नए उत्पाद जटिल हैं और यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि ऐसे उत्पादों में जोखिम कहां होता है। बैंकों के सामने चुनौती यह है कि ऐसे जोखिम के प्रबंध के लिए वे उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाएं और रिज़र्व बैंक के सामने यह चुनौती है कि वह जोखिम के बदलते रूपों को पहचाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए विनियामक और पर्यवेक्षी दायित्व ठीक से अपनाए।

ऋण वितरण और मूल्य निर्धारण

7.6 2003-04 से 2005-06 के दौरान देखी गई उच्च ऋण वृद्धि थोड़े परिमार्जन के साथ 2006-07 में जारी रही। पिछले वर्ष बैंकों को ऋण वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को परिनिर्धारित करना पड़ता था परंतु वर्ष 2006-07 में मजबूत जमा वृद्धि की वजह से ऋण वद्धि तीव्र रही। यद्यपि 2006-07 के दौरान बैंकों ने सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में वृद्धिशील

निवेश किए हैं, ऐसे निवेश निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) में बढ़ोतरी के अनुरूप नहीं रहे। परिणामस्वरूप एनडीटीएल के प्रतिशत के तौर पर सांवधिक चलनिधि अनुपात धारिता 16 अप्रैल 2004 के 42.7 प्रतिशत के अधिकतम और मार्च 2006 अंत के 31.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 अंत तक 28.0 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार, 1990 दशक के मध्य में जमा हुई एसएलआर संविभाग की अतिरिक्त धारिता में पिछले तीन वर्षों के दौरान आनुपातिक मात्रा में कमी आयी है।

7.7 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की रक्षा एवं कुछ क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को कम करने के लिए जोखिम भार एवं प्रावधानीकरण आवश्यकताओं में वृद्धि जैसे विवेकपूर्ण साधनों का प्रयोग रिज़र्व बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में किया था। इस रणनीति ने कार्य किया है, जिससे वाणिज्यिक स्थावर संपदा एवं वैयक्तिगत ऋण में कमी आई है, जबकि वाणिज्यिक स्थावर-संपदा की ऋण वृद्धि बहुत अधिक थी। 2006-07 के दौरान ऋण में मंदी का प्रसार अनेक क्षेत्रों, अर्थात् कृषि, उद्योग, निजी ऋण और अन्य सेवाओं तक था। तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र को दिया ऋण बढ़ गया जो एक सकारात्मक घटना है। कृषि को दिए ऋण में मंदी आने के बावजूद वह कुल ऋण की तुलना में तेजी से बढ़ा।

7.8 वर्ष 2007-08 के दौरान (17 अगस्त 2007 तक) बैंक ऋण के क्षेत्रवार नियोजन पर अद्यतन जानकारी से पता चलता है कि सभी मुख्या क्षेत्रों में ऋण वृद्धि में कमी होने के बावजूद कृषि और उद्योग के पक्ष में क्षेत्रवार ऋण आबंटन में पुनर्संतुलन हुआ है। स्थावर संपदा, आवास, क्रेडिट कार्ड सहित निजी ऋण जैसे तेजी से बढ़े क्षेत्रों के संबंध में 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विवेकसम्मत और अन्य उपायों के कारण इन क्षेत्रों के प्रति बैंक ऋण में भारी कमी आई। उधार ब्याज दरों में वृद्धि के कारण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, व्यापार और परिवहन परिचालन जैसे तेजी से बढ़ते अन्य क्षेत्रों के प्रति भी बैंक ऋण कम हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में, विशेषकर बुनियादी संरचना, धातु और वस्त्र-उद्योग क्षेत्र की ओर तेज ऋण विस्तार हुआ। अर्थव्यवस्था की मध्यावधि और दीर्घावधि निधीयन आवश्यकताएं पूरी करने में बैंकों को एक भूमिका अदा करनी है। तथापि, उसी समय, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसे उधार परिचालन से आस्ति-देयता असंतुलन उत्पन्न न हो।

7.9 कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने कदम उठाना जारी रखा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) से कृषि ऋण प्राप्त करने की प्रक्रियायों एवं विधियों की समीक्षा की गई। बैंकों को छोटे एवं सीमांत किसानों, बंटाईदारों के लिए 50,000/- रुपये तक के छोटे ऋणों के लिए 'अ-देयता' प्रमाणपत्र (एनडीसी) की आवश्यकता को खत्म करने एवं इसके बदले उधारकर्ता से स्व-घोषणा प्राप्त करने की सलाह दी गई। बैंकों को भूमिहीन मजदूरों, बटाईदारों एवं मौखिक पट्टेदारों के मामलों में स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने की भी सलाह दी गई। प्राकृतिक आपदा के कारण जिन आपदाग्रस्त किसानों के खाते/पहले पुनःर्निधारित/विनियमित किए गए हैं एवं अपने नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण जिन किसानों ने ऋण भुगतान में चूक की है, उन्हें सहायता पहुँचाने के लिए, ऐसे किसानों के लिए एक बारगी निपटान (ओटीएस) की पारदर्शी नीति तैयार करने की सलाह बैंकों को दी गई। आपदाग्रस्त किसानों के लिए ऋण गारंटी योजना लागू करने का भी प्रस्ताव है।

7.10 समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप, पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिकता क्षेत्र का कार्यक्षेत्र एवं उसकी परिभाषा लगातार परिष्कृत हो रही है। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण पर 30 अप्रैल 2007 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए जहाँ समाज/अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को बैंक ऋण के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है जो जनसंख्या के सबसे बड़े भाग, कमजोर वर्ग और कृषि तथा अत्यंत लघु एवं छोटे उद्यमी जैसे गहन-रोजगार वाले क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है।

7.11 लघु और मझोले उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। फिर भी, इस महत्वपूर्ण घटक को बैंक ऋण प्रदान करना स्थिर सा हो गया है। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए हाल ही में बहुत सारे कदम उठाये हैं। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए क्योंकि हाल के वर्षों में एसएमई क्षेत्र को दिए गए ऋण में अच्छी वृद्धि हुई है। 2006-07 के दौरान भी, सभी अन्य क्षेत्रों को दिए गए ऋण में कमी आई।

7.12 समाज के कुछ वर्गों में यह लगातार महसूस किया जा रहा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को नियमित रूप से जारी दिशा-निर्देशों का आम जनता कई कारणों से लाभ लेने की स्थिति में नहीं है। इनमें अपने वित्त, विशेषकर चूक खातों के प्रबंधन की असमर्थता शामिल हो सकती है। व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति की पर्याप्त जानकारी बैंकों को सुस्पष्ट रुप से नहीं बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विकसित किए गए कुछ उत्पाद जटिल हैं और ग्राहक को उन्हें समझने में कठिनाई हो रही है। कुछ ग्राहक उस प्रकार के ऋण भी ले सकते हैं जो उनके लिए अनुपयुक्त एवं महंगा है। ऋण सलाह केंद्र बड़ी संख्या में ऐसी समस्याओं को कम कर सकते हैं। यह उत्साहजनक बात है कि कुछ बैंकों ने पहले ही इस दिशा में प्रयास करना आरंभ कर दिया है।

7.13 ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए वित्तीय एवं जीविका सलाह महत्वपूर्ण है, इस तथ्य को स्वीकारते हुए रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में प्रायोगिक तौर पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजक बैंकों को किसी एक जिले में वित्तीय साक्षरता सलाह केंद्र स्थापित करने की सलाह दी है। प्राप्त अनुभव

के आधार पर संबंधित अग्रणी बैंक अन्य जिलों में ऐसे केंद्र खोल सकते हैं।

7.14 इस तथ्य को मानते हुए कि किसानों की दुर्गति का प्रमुख कारण साहूकारों का भारी कर्ज हो सकता है, वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, धन उधार देने के नियंत्रक मौजूदा कानूनी ढांचे की क्षमता एवं विभिन्न राज्यों में इसकी कार्यान्वयन व्यवस्था तथा ग्रामीण परिवारों के हित में कानूनी और कार्यान्वयन ढांचे में सुधार लाने हेतु राज्य सरकारों को सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया। 24 जुलाई 2007 को समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्टेकधारकों से अभिमत प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर डाल दिया गया है और आवश्यक समझी जाने वाली उचित कार्रवाई के लिए उसे राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

7.15 वर्ष (2006-07) के दौरान ऋण की अनवरत अधिक मांग के कारण बैंक की उधार दरों के साथ-साथ जमा दरों पर कुछ उर्ध्वगामी दबाव पड़ा। तदनुसार, बैंक की देयता एवं आस्ति दोनों पक्षों की विभिन्न परिपक्वता के समग्र परिदृश्य पर ब्याज दरों में तेजी आई। वर्ष 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी क्षेत्र के बैंकों की बीपीएलआर की सीमा मे 100-250 आधारभूत अंकों तक की वृद्धि हुई जो इन प्रवृत्तियों को दर्शाती है। यद्यपि रिज़र्व बैंक बैंकों को सूचित करता रहा है कि वे निधि की लागत, लेनदेन लागत और जोखिम के प्रति उचित सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना न्यूनतम मूल उधार दर (बीपीएलआर) विकसित करें, किंतु बीपीएल आर का निर्धारण नियम-आधारित न होकर स्वैच्छिक तौर पर ही हो रहा है। यह उप-पी एल आर (जिसका हिस्सा वाणिज्य बैंकों के कुल उधार में मार्च 2006 के अंत के 69.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 2 लाख रुपए से अधिक के कुल शेष अग्रिमों का 79.0 प्रतिशत हो गया) उधार में प्रतिबिंबित हुआ। बीपीएलआर से कम उधार के अनेक अर्थ हैं। पहला, इसमें पारदर्शिता नहीं होती जिससे उधारकर्ता और उधारदाता दोनों प्रभावित होते हैं। दूसरा, उप-बीपीएलआर उधार की क्षतिपूर्ति के लिए अन्य घटकों पर अधिक ब्याज दर लगाई जाती है जिससे आर्थिक रूप से गरीब उधारकर्ताओं द्वारा आर्थिक रूप से अमीर उधारकर्ता के साथ परस्पर आर्थिक सहायता का आदान-प्रदान होता है।

वित्तीय समावेशन

7.16 वित्तीय बाजार असममित सूचनाओं से पहचाना जाता है जो न केवल मूल्य को अपितु बाजार निकासी मात्रा को भी प्रभावित करता है। वित्तीय वंचन के संदर्भ में ऐसी बाजार असफलता बैंक एवं ग्राहक दोनों ओर से हो सकती है। जब बैंक वित्तीय रूप से वंचितों के मध्य संभाव्य लाभप्रदता का सटीकता से मूल्यांकन नहीं कर पाता, मुख्य वित्तीय सेवाओं के उपयोग की मनाही का डर संभाव्य ग्राहकों को बैंक से संपर्क करने से रोकता है। अत:, कई देशों की सरकारों ने वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष विनियामक एवं पर्यवेक्षी उपाय किए हैं। बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने हेतु, उन्हें संपर्क करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 'नो फ्रिल्स' या आधारभूत बैंकिंग खातों को उपलब्ध कराने पर ये निर्देश केंद्रित हैं। इस खातों से खाताधारकों को न्यूनतम या आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं जिन पर बैंकों को भी कम या न्यूनतम लागत आती है। इस संदर्भ के लिए किए गए अन्य प्रमुख पहल हैं : सामान्य बैंकिंग कोड को तैयार करना, किसी औपचारिक घोषणापत्र के बिना बैंकों के मध्य स्वैच्छिक व्यवस्था करना जो बैंकों को आधारभूत बैंक खातों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए वचनबद्ध करता है।

7.17 रिज़र्व बैंक के हाल के नीतिगत पहलों का बल आम जनता तक आधारभूत बैंकिंग सेवाओं को पहुँचा कर वित्तीय समावेशन बढ़ाने का रहा है। रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन की ओर व्यापक दृष्टिकोण बैंकिंग प्रणाली के साथ जनता को जोड़ने; केवल ऋण वितरण से नहीं; भुगतान प्रणाली में जनता की पहुँच उपलब्ध कराने और वित्तीय समावेशन को व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल एवं अवसर के रूप में तैयार करना है।

7.18 गरीब, और जरूरतमंद तक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार एवं गरीबी उन्मूलन के लिए व्यष्टि वित्त को एक औजार माना गया है। गरीबों के उत्थान में व्यष्टि वित्त की सकारात्मक प्रभाव क्षमता को पहचानते हुए रिज़र्व बैंक 1992 से व्यष्टि वित्त के क्रमिक विकास के लिए वातावरण बनाने में प्रयासरत है। मई 2006 में कुछ प्रमुख बैंकों के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए संयुक्त तथ्यपरक अध्ययन से उजागर हुआ कि बैंकों द्वारा वित्तपोषित कुछ सूक्ष्म वित्त संस्थाएं या उनकी मध्यवर्ती संस्थाएं/सहयोगी के तौर पर कार्य कर रही संस्थाएं ऐसी प्रतीत होती हैं कि (i) वे अपेक्षाकृत अच्छी बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रो में ध्यान केंद्रित कर रही हैं; (ii) गरीबों के एक ही वर्ग के पास पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जिससे उन्हें कई बार ऋण मिल रहा है; (iii) समूह के लिए वांछित सीमा तक क्षमता निर्माण एवं सशक्तीकरण में शामिल नहीं हो रही हैं तथा अपनी कार्यप्रणाली, व्यवहारों एवं ऋण नीति में सुधार नहीं कर रहीं हैं। इसलिए, इन निष्कर्षों से नवम्बर 2006 में बैंकों को सलाह जारी कर संसूचित कर दिया गया है और उन्हें अपनी तरफ से सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

7.19 जनसंख्या के बड़े भाग तक बैंकिंग सेवाओं को पहुचाने के लिए सरकार एवं रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए पहलों के लिए बैंकों को ठोस प्रयत्न करने होंगे। सरकार के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा बैंकिंग कारोबार के विकास में सहायता करने के लिए बैंकिंग सेवाओं का विस्तार महत्वपूर्ण है। बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के दौर में अदोहित क्षेत्रों से भी संसाधनों को जुटाना

आवश्यक है। इसे प्राप्त करने के लिए बैंकों को नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग, नए उत्पाद एवं कारोबारी तरीकों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हालांकि विनियामक इस पर जोर दे रहे हैं और इस दिशा में सुविधा प्रदाता के तौर पर कार्य कर रहे हैं, बैंकों को बाजार विस्तार के लिए नवीन उपयुक्त उत्पादों हेतु प्रौद्योगिकी का फायदा उठाकर कारोबारी प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करना आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बैंक को लाखों परिवारों के लिए संसाधन, साख गणना, साख रिकार्ड एवं अनुवर्तन के लिए लेन-देनों की बढ़ती मात्रा को व्यवस्थित करने में भी मदद करेगा।

ग्राहक सेवा

7.20 ग्राहक केंद्रित बैंकिंग प्रथा का विकास सफल बैंकिंग प्रणाली की आधारशिला है। ऐसी प्रणाली सभी स्टेकधारकों जैसे बैंकों, ग्राहकों और विनियामकों के लिए लाभप्रद है। ग्राहक सेवा बैंकों के लिए उत्पाद भिन्नता, ग्राहक प्रतिधारण और उत्पाद नवोन्मेष के लिए एक आवश्यक औजार है। मुकदमेबाजी पर खर्च, लेन-देन लागत, विकल्प के लिए तलाश लागत और अनिश्चितताओ की लागत के रूप में खराब सेवाओं के लागत की बचत ग्राहक को होती है। सीमित विनियामक एवं पर्यवेक्षी संसाधनों के ज्यादा अच्छे वितरण पर विनियामक ध्यान दे सकता है। प्रभावी ग्राहक सेवा डेलीवरी प्रणाली का अत्यावश्यक तत्व सूचना की आसानी से उपलब्धता, सरल एवं तीव्र प्रक्रियाविधि, उत्पादन नवोन्मेष के लिए प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने और सेवाओं को तत्काल पहुँचाने के साथ-साथ उसी वक्त लेन-देन लागत में कमी करने एवं बैंक की ओर से आसान एवं त्वरित विवाद निपटान प्रणाली निर्माण के इर्द-गिर्द है।

7.21 ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने का रिज़र्व बैंक का लगातार प्रयास रहा है। रिज़र्व बैंक ने 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक के साथ-साथ बैंकों में भी ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने एवं शिकायत निपटान प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत की है। 'ग्राहक के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता की संहिता' 1 जुलाई 2006 को जारी की गई। 24 मई 2007 को बैंकिंग लोकपाल योजना संशोधित की गई जिससे अब बैंक ग्राहक इस योजना में विनिर्दिष्ट शिकायतों के आधार के अंतर्गत आनेवाली शिकायतों के संदर्भ में अन्य निर्णयों के साथ ही बैंकिग लोकपाल कार्यालयों के अधिनिर्णय के विरुध्द रिज़र्व बैंक में अपील कर सकते हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा सेवा शुल्क स्वरूप वसूल की जा रही राशि के बारे में ग्राहकों के लिए तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट करने के प्रयोजन से 20 जुलाई 2006 को बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपनी वेबसाइट के होम पेज पर 'सेवा प्रभार और शुल्क' शीर्षक के अंतर्गत सेवा शुल्क संबंधी विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करें। बैंक शुल्क की राशियों को युक्तियुक्त बनाने की योजना निरूपित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक कार्यदल भी गठित किया था। अगस्त 2006 में उक्त दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वैयक्तिक तौर पर ग्राहकों के लिए बुनियादी बैंकिंग/वित्तीय सेवाओं, शुल्क निर्धारण हेतु बैंकों द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधि और उक्त शुल्क का तार्किक औचित्य जैसे विभिन्न मुद्दों की जांच की गई। इस रिपोर्ट में जमा-खातों, ऋण-खातों, प्रेषण सुविधाओं, चेक-वसूली आदि से संबंधित 27 बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं, चिह्नित करते हुए चेक वसूली एवं 10,000/- रुपये तक के प्रेषणों हेतु पृथक से निम्न मूल्य के लेनदेनों और 500 अमरीकी डॉलर तक के विदेशी मुद्रा लेनदेनों को परिभाषित किया गया है। कार्यदल ने यह सिफारिश भी की थी कि हर ग्राहक को प्रारंभतः और समयबद्ध आधार पर सभी बुनियादी सेवाओं हेतु देय शुल्कों के बारे में पूरी-पूरी सूचना दी जाए और समय-समय पर उनमें हुए परिवर्तनों से भी आगाह करवाया जाए। कार्यदल की सिफारिश के अनुसार 2 फरवरी 2007 को बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ग्राहकों को आकर्षित करने वाली सेवाएं प्रस्तावित करने से पहले तत्सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त और व्यापक मानदंड निर्धारित करते हुए उनका अनुसरण सुनिश्चित करें। साथ ही, ग्राहकों के अधिकारों और दायित्वों, पहल संबंधी एकरूपता तथा निहित जोखिमों के बारे में पारदर्शिता और स्पष्टवादिता अपनाई जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि नकली और कटे-फटे नोटों का पता लगाने के प्रयोजन से वे अपने एजेंटों को सुशिक्षित बनाने के उपाय भी करें ताकि ग्राहकों से धोखाधड़ी संबंधी विवादों से बचा जा सके।

7.22 रिज़र्व बैंक को यह ज्ञात हुआ है कि आवास हेतु ऋण देते समय अस्थिर दरों एवं शर्तों के पुनः निर्धारण से जुड़ी बेंचमार्क विषयक वास्तविकता स्पष्ट करने में कतिपय बैंकों ने पूरी पारदर्शिता नहीं बरती है। अतः बैंकों से आग्रह किया गया था कि जहां कहीं औचित्य अथवा पारदर्शिता की कमी हो, उन परिपाटियों की समीक्षा की जाए। उनसे यह आग्रह भी किया गया था कि उचित आचरण की कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप ऋणकर्ताओं को उचित एवं पारदर्शी शर्तों की जानकारी सुलभ करायी जाए।

बासेल II और जोखिम प्रबंध का कार्यान्वयन

7.23 अंतर्राष्ट्रीय उचित आचरण के अनुरूप विवेक सम्मत मानदंडों के क्रमिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय वाणिज्य बैंकों को प्रारंभ में यह सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2007 से बासेल II लागू कर दें। तथापि, बैंकिंग प्रणाली की तत्संबंधी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रणाली में अपेक्षित सुधार के लिए बैंकों को कुछ और समय दिया जाए ताकि बासेल II का पूरा-पूरा अनुपालन हो सके। नई समय सीमा के अनुसार भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों और भारत से बाहर कार्यरत भारतीय बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे बासेल II की अपेक्षानुसार ऋण जोखिम के संदर्भ में मानकीकृत आधार पर तथा परिचालनगत जोखिम के

संदर्भ में बुनियादी-संकेतक आधार पर 31 मार्च 2008 से आचरण करना शुरू कर दें। अन्य सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे भी 31 मार्च 2009 तक बासेल II की अपेक्षाओं का अनुपालन शुरू कर दें। सभी स्टेकधारकों से दो दौर का व्यापक परामर्श करने के बाद बासेल II लागू करने संबंधी अंतिम दिशानिर्देश अप्रैल 2007 में जारी किए गए।

7.24 बासेल II की दिशा में सहज बदलाव संबंधी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 2006-07 के दौरान कई कदम उठाए। परिचालनों के आकार और जटिलता, वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में सार्थकता, अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय समावेशन और चुस्त सुपुर्दगी प्रणाली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणी की वित्तीय संस्थाओं पर लागू पूंजी पर्याप्तता के मानदंडों का विभिन्न स्तरों पर निर्वाह किया गया।

7.25 बैंकों के द्वारा संशोधित फ्रेमवर्क का समानान्तर उपयोग जारी है जिनकी सहायता से वे बासेल II की दिशा में सहज बदलाव हेतु अपनी प्रणालियों और रणनीतियों को ज्यादा कारगर बना सकें। पूंजीगत निधियां जुटाने के मामले में अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से जनवरी 2006 में बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे टियर-I पूंजी के रूप में अनुमत नवोन्मेष स्थायी ऋण लिखत (आइपीडीआइ) तथा अपर टियर II पूंजी के रूप में अनुमत ऋण-पूंजी-लिखत जारी करते हुए अपनी पूंजीगत निधियों में वृद्धि करें। उक्त दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई तथा जुलाई 2006 में कतिपय अपेक्षाएं शिथिल भी की गईं। इसके अलावा, टियर I और अपर टियर II पूंजी जुटाने के लिए भारतीय बैंकों को लिखतों के व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंकों को विद्यमान विधिक प्रावधानों की शर्त पर विभिन्न प्रकार के अधिमानी शेयर जारी करने की अनुमति दी गई।

7.26 सुरक्षित और सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित करने में बाजार अनुशासन विनियमों का स्वागत करता है। पूंजी पर्याप्तता पर संशोधित फ्रेमवर्क कें स्तंभ 3 में दिए गए अनुसार बाजार अनुशासन का प्रयोजन स्तंभ 1 में न्यूनतम पूंजी अपेक्षा पूरी करना और स्तंभ 2 में पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया पूरी करता है। इसका लक्ष्य है प्रकटन अपेक्षाओं का सेट बनाकर बाजार अनुशासन को प्रोत्साहन देना जिससे बाजार सहभागी प्रयोज्यता, पूंजी, जोखिम एक्सपोजर, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के क्षेत्र पर जानकारी के मुख्य खंडों का मूल्यांकन कर पाएंगे और इस प्रकार संस्था की पूंजी पर्याप्तता जान पाएंगे। सामान्य रूपरेखा पर आधारित प्रकटन बाजार को जोखिम के प्रति बैंकों के एक्सपोजर से अवगत कराता है और तुलना के लिए निरंतरतायुक्त और व्यापक रूपरेखा उपलब्ध कराता है। पर्यवेक्षण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता के महत्व को पहचानते हुए और बाजार अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों के प्रकटन मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के करीब लाने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं।

7.27 बासेल II रूपरेखा का मूलसंदेश है अधुनातन आधार पर बैंकिंग प्रणाली की जोखिम प्रबंध संरचना का प्रगामी परिष्कार। जोखिम प्रबंध के मामले में बेहतर कौशलयुक्त बैंकों को न केवल बाज़ार में स्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी बल्कि उसे जैविक और गैर-जैविक विकास के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। एक ओर जहां बासेल II की रूरेखा में उचित प्रोत्साहनों के जरिए बैंकों की जोखिम-प्रबंध क्षमताओं के लिए एक सकारात्मक माहौल का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर यह भी सच है कि भारतीय संदर्भ में उक्त रुपरेखा को अपनाए जाने के परिप्रेक्ष्य में कतिपय चुनौतीपूर्ण मुद्दे भी हैं।

7.28 अक्सर यह तर्क किया जाता है कि बासेल-II रूपरेखा की जोखिम-संवेदी पहल की वजह से बैंकों की पूंजीगत आवश्यकताओं का चक्र और तेजी से घूमेगा। इसके मूल में यह तथ्य निहित है कि आर्थिक मंदी की स्थिति में तो पूंजीगत आवश्यकताएं बढ़ती हैं, किंतु तेजी आने पर उनमें कमी आ जाती है। उक्त परिस्थिति में बैंकों पर पूंजीगत मांग का मौसमी दबाव बढ़ने से बैंकिंग प्रणाली में अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है जिसके निराकरण हेतु विवेकसम्मत उपाय अपेक्षित हैं।

7.29 नई रूपरेखा के कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट कौशल की ज़रूरत है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में मानव संसाधन प्रबंध से जुड़ी बाधा भी ध्यान देने योग्य है। ऐसी स्थिति के बैंकों के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वे मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत नवोन्मेषकारी पहल करते हुए सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि वे दीर्घावधि आधार पर संस्था में बने रहें ताकि जोखिम प्रबंध की अधुनातन संरचना परिचालनीय हो सके और उसका रखरखाव भी जारी रहे।

7.30 जोखिम प्रबंध का आत्यंतिक महत्व होने से उभरते हुए आर्थिक परिदृश्य में बैंकों के लिए यह ज्यादा जरूरी हो गया है कि वे जोखिम आधारित प्रावधानों को लागू करें। जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी और उसे नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित सामर्थ्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं जिनमें आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) संबंधी प्रावधान भी शामिल रहते हैं। उक्त दिशा-निर्देश बैंकों के लिए ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिसकी सहायता से वे अपने लिए एकीकृत जोखिम प्रबंध प्रणाली विकसित कर सकते हैं। तथापि, अपने परिचालनों की प्रकृति, आकार और जोखिम के संभावित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बैंक एक स्व-निर्मित प्रणाली भी विकसित कर सकते हैं जिसमें अपेक्षित उन्नयन के लिए भी प्रावधान हो। रिजर्व बैंक द्वारा बासेल II रूपरेखा को ध्यान में रखकर जारी दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के अलावा, ऋण-

जोखिम, बाजार-जोखिम और परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु भी विस्तृत विवरण शामिल हैं। इस संबंध में तिमाही आधार पर बैंकों की प्रगति की निगरानी की जा रही है।

7.31 वैश्विक स्तर पर बैंक वित्तीय जोखिम-आकलन और प्रबंध हेतु सांख्यिकीय मॉडलों पर अधिक निर्भर हो रहे हैं जिसके प्रति वे अरक्षित हैं। इन मॉडलों को विश्वसनीयता प्राप्त हो रही है क्योंकि वे इन जोखिमों की पहचान, विश्लेषण, नाप, संप्रेषण और प्रबंध की रूपरेखा उपलब्ध कराते हैं। मॉडलों में सभी संभाव्य जोखिम परिणाम शामिल नहीं हो सकते और ये सामान्यतः अकस्मात और नाटकीय परिवर्तनों को पकड़ने में असमर्थ होते हैं, अतः बैंक मॉडलों को स्ट्रेस टेस्ट का सहारा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटनाओं के अनुरूप भारत स्थित बैंकों ने भी जोखिम मापन और प्रबंधन के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग प्रारंभ किया है। जून 2007 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंकों के लिए यह आवश्यक था कि वे विभिन्न जोखिमों हेतु 30 सितंबर 2007 तक उचित स्टेट टेस्ट नीतियां और संगत स्ट्रेस टेस्ट फ्रेमवर्क लागू करें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुरूप उन्होंने जो औपचारिक स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क तैयार की है, वह 31 मार्च 2008 से परिचालनीय हो जाए।

7.32 रिज़र्व बैंक ने 1999 में ए एल एम प्रणाली पर दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें ब्याज दर जोखिम और चलनिधि जोखिम उपाय/रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और विवेकसम्मत सीमाएं शामिल थीं। चलनिधि प्रबंधन के उपाय के रूप में बैंकों से अपेक्षित था कि वे विभिन्न समय समूहों के उनके असंतुलनों की निगरानी करें। पहले दो समूहों अर्थात् 1-14 दिन और 15-28 दिन में से प्रत्येक में असंतुलनों की सीमा बहिर्वाह की 20 प्रतिशत निर्धारित की गई। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं, भारत में बैंकों के आधुनिकीकरण का स्तर और चलनिधि प्रबंधन के तेज आकलन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सूचित किया गया कि चलनिधि जोखिम की नाप के प्रति अधिक ठोस दृष्टिकोण अपनाएं।

7.33 ऋण जोखिम एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है जिसके प्रति बैंक अनावृत होते हैं। अतः ऋण जोखिम का प्रभावी प्रबंधन बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक होता है और यह बैंकों की दीर्घावधि वित्तीय सुस्थिति के लिए आवश्यक है। ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण जोखिम एक्सपोजर की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण आता है। भारत स्थित बैंकों ने अपने ऋण जोखिम एक्सपोजर को पहचानने, मापने और उसकी निगरानी की प्रणाली और कार्यकुशलता विकसित कर ली है, वहीं उनके ऋण जोखिम के नियंत्रण या अंतरण के लिए उपलब्ध विकल्प पारंपरिक साधनों तक, अर्थात् नए एक्सपोजर रोकना, विद्यमान निधि आधारित एक्सपोजर की तत्काल बिक्री, ऋण गारंटी कवर प्राप्ति, ऋण बीमा प्राप्ति और प्रतिभूतिकरण सीमित थे। साथ ही, बैंकों को डेरिवेटिव के उपयोग के माध्यम से अपने ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विकल्प उपलब्ध थे, वहीं उनकी ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऐसा विकल्प उपलब्ध नहीं था। अतः, जोखिम को अधिक प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने में बैंकों को समर्थ बनाने की दृष्टि से ऋण डेरिवेटिव को क्रमबद्ध तरीके से लागू करना उपयुक्त समझा गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने प्रारंभ में एकल संस्था ऋण चूक स्वैप शुरू करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए।

अनर्जक आस्ति प्रबंध

7.34 हाल ही के वर्षों में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में आस्तियों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मार्च 1997 में सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए का जो आंकड़ा 15.7 प्रतिशत था, वह मार्च 2007 की स्थिति में घटकर 2.5 प्रतिशत रह गया। बैंकिंग क्षेत्र में निवल एनपीए का आंकड़ा फिलहाल एक प्रतिशत है। पिछले कई वर्षों के दौरान सकल और निवल एनपीए के बीच व्याप्त अंतर भी बहुत ही कम हो गया है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपीए संबंधी वर्तमान स्थिति विश्व की कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले तुलना योग्य है तथा एशिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले उल्लेखनीय रूप से कम है। विगत वर्षों में, आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों में कड़ाई की वजह से एनपीए की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

7.35 सर्वोत्तम प्रयासों और मंशा के बावजूद उधारकर्ता अनेक बार अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से स्वयं को वित्तीय कठिनाई में पाते हैं। ऐसी स्थिति में फंसे उधारकर्ताओं की सहायता करने और बैंकों द्वारा उधार दी गई राशि की सुरक्षा के लिए वास्तविक मामलों में ऋण का पुनर्निर्धारण करके समय पर सहायता देना आवश्यक हो जाता है। तथापि, ऐसे पुनर्निर्धारण के साथ किया गया विवेकसम्मत व्यवहार और पुनर्निर्धारण पैकेज लागू करने में विलंब होने से ऐसे प्रयासों में रुकावट आ सकती है। सभी संबधितों के लाभार्थ - बी आइ एफ आर, डी आर टी और अन्य कानूनी कार्यवाही की परिधि से बाहर - समस्या का सामना कर रही अर्थक्षम संस्थाओं के ऋण का पुनर्निर्धारण समय पर करने के लिए पारदर्शी तंत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी उधारकर्ताओं से प्राप्य राशि के पुनर्निर्धारण / पुनर्व्यवस्था पर लागू दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं जो इन्हें छोड़कर हैं : (i) सी डी आर तंत्र के तहत पुनर्निर्धारण हेतु पात्र; (ii) एस एम इ के ऋण पुनर्निर्धारण तंत्र के तहत पुनर्निर्धारण हेतु पात्र; और (iii) प्राकृतिक आपदा के कारण पुनर्निर्धारण हेतु पात्र। उक्त श्रेणी (i), (ii) और (iii) के उधारकर्ता पहले ही दिशानिर्देशों के विद्यमान अलग सेट में कवर हुए हैं।

कंपनी अभिशासन

7.36 वित्तीय प्रणाली की समग्र विश्वसनीयता को बचाने के लिए यह बाध्यकारी है कि बैंक के मालिकों और प्रबंधकों की निष्ठा सुदृढ़

हो। बैंकों में कंपनी अभिशासन की दृष्टि से भारतीय संदर्भ में दो विचारणीय मुद्दे हैं। इनमें से पहला मुद्दा तो स्वामित्व संकेंद्रण से जुड़ा है और दूसरा, प्रबंधन की उस गुणवत्ता से जो बैंक को नियंत्रित करती है। इन्हें ध्यान में रखते हुए भारत के वित्तीय क्षेत्र में कंपनी अभिशासन की परिपाटियां सुदृढ़ करने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। जून 2004 में आरबीआई द्वारा निर्धारित 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंड संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार निजी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करते समय निजी क्षेत्र के बैंक से संबंधित व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करते समय सतर्कता से कार्रवाई करें। उक्त निर्धारण अर्हता, विशेषज्ञता, निष्ठा और पिछले रिकॉर्ड तथा अन्य फिर एण्ड प्रापर मानदंड को ध्यान में रखते हुए किया जाए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भी कंपनी अभिशासन के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके निदेशक मंडलों हेतु निर्वाचित निदेशकों के लिए 'फिट एंड प्रापर' मानदंड संबंधी नये अनुभाग शामिल करने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक की पहल पर भारत सरकार ने बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम 1959 में संशोधित किए। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने का काम जारी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश नवंबर 2007 में जारी किए गए।

स्पर्धा और समेकन

7.37 आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में बैंकिंग क्षेत्र हेतु नीतिगत संरचना को ज्यादा उदार बनाया गया ताकि देशी बैंक भी उसके दायरे में आ सकें। विदेशी बैंकों की प्रविष्टि हेतु उनके लिए भी नियम शिथिल किए गए। स्थिति का फायदा उठाते हुए कई देशी और विदेशी बैंकों ने अपने परिचालन प्रारंभ किये जिनकी बदौलत भारत में बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य ही बदल गया। खास तौर पर निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों की बढ़ती हुई उपस्थिति के फलस्वरूप स्पर्धा में तीव्र वृद्धि हुई है। बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में निजी और विदेशी बैंकों का कुल हिस्सा जो मार्च 2006 के अंत की स्थिति में 27.7 प्रतिशत था, मार्च 2007 के अंत की स्थिति में बढ़कर 29.5 प्रतिशत हो गया। उल्लेखनीय है कि 1990 के दशक की शुरुआत में उनका हिस्सा 10 प्रतिशत से भी कम था।

7.38 भारत में, पहले चरण में समेकन की प्रक्रिया में विकास वित्त संस्थाएं शामिल थीं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संदर्भ में, दुर्बल बैंकों का सुदृढ़ बैंकों के साथ विलय किया गया। मार्च 2007 के अंत में 82 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में से 81 न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता निर्धारण से आगे निकल गए थे। सीआरएआर मानदंड पूरा न करने वाले एक बैंक को अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया। समेकन में भावी प्रगति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रगति पर निर्भर होगी।

7.39 हाल ही के वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। उन्हें सुदृढ़ करने के प्रयोजन से बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राज्य-वार आधार पर समेकित करें। भारत सरकार ने 12 सितंबर 2005 से प्रभावी करते हुए 19 बैंकों द्वारा 17 राज्यों में प्रायोजित 147 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन 46 नए बैंकों में कर दिया है जिससे 30 सितंबर 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटकर 95 रह गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संरचनात्मक समेकन की वजह से जो नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आए हैं, वे वित्तीय रूप से ज्यादा सुदृढ़ तथा व्यापार के आकार और पहुंच की दृष्टि से ज्यादा बड़े हैं जिससे अर्थव्यवस्थागत आधार पर उन्हें फायदा मिलेगा और उनकी परिचालन लागत में भी कमी आएगी।

7.40 विलय के प्रस्तावों को 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' देने के मामले में पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाते हुए शहरी सहकारी बैंकों के क्षेत्र में भी सुदृढ़ बैंकों के साथ कमजोर बैंकों के समेकन का कार्य शुरू किया जा चुका है। संबंधित केंद्रीय पंजीयक सहकारी समितियां/पंजीयक, सहकारी समितियों द्वारा सांविधिक आदेश जारी किए जाने के फलस्वरूप 30 अक्तूबर 2007 को उक्त क्षेत्र में कुल 33 विलय हो चुके हैं।

विनियामक और पर्यवेक्षी चुनौतियां

7.41 तकनीकी विकास की तेज गति और गहन स्पर्धा की वजह से नित-नये बैंकिंग उत्पादों और नवोन्मेषकारी संगठनात्मक संरचनाओं का उदय हुआ है। वित्तीय समूहों के उभार ने पर्यवेक्षकों और विनियामकों के सामने नई चुनौतियां उपस्थित की हैं। बड़े वित्तीय समूहों के परिचालनों को स्थानीय जन-नीतियों की प्राथमिकताओं के अनुकूल बनाना बहुत सारी उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू वित्तीय विनियामकों के लिए एक चुनौती रही है। वित्तीय समूहों के दो या उससे अधिक क्षेत्र आधारित व्यवस्थाओं के अंतर्गत आने के कारण भी समग्र पर्यवेक्षण प्रक्रिया में परस्पर व्याप्ति (ओवरलैप्स) और अंतराल (गैप्स) आ जाते हैं। भारत में कुछ वित्तीय समूहों के उभार को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अन्य विनियामकों के साथ विचार विमर्श करके वित्तीय समूहों के प्रभावशाली पर्यवेक्षण के लिए उनकी निगरानी के ढाँचे को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आनेवाले समय में विलय (मर्जर) और अभिग्रहण (एक्विजिशन) की बढ़ी हुई प्रवृत्ति की दृष्टि से वित्तीय समूहों का अत्यधिक महत्व होने की संभावना है, इससे इस तरह की संस्थाओं के परिचालनों की निगरानी के लिए एक विस्तृत ढाँचे की जरूरत होगी ताकि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनायी रखी जा सके। भारत में वित्तीय समूहों के उभार की दृष्टि से तथा यह देखते हुए कि कुछ सहभागी भारत में अबतक अपरिचित

संरचनाओं का प्रयोग कर रहे हैं, रिज़र्व बैंक ने कुछ समूह-संरचनाओं की समीक्षा करने तथा प्रचलित कानूनी, विनियामक और लेखांकन ढाँचे में देश के लिए उनकी निरंतरता का मूल्यांकन करने तथा ऐसी संरचनाओं से उत्पन्न हो रही रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षण संबंधी चिंताओं को रेखांकित करने के लिए सितंबर 2007 में 'बैंक समूहों में नियंत्रक कंपनियां' विषय पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया।

7.42 एक अन्य विनियामक मुद्दा जिसने हाल के वर्षों में अत्यधिक ध्यान खींचा है, वह है शहरी सहकारी बैंकों पर दोहरा नियंत्रण। ऋण वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण अंतर भरने में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने दोहरे नियंत्रण की समस्या के समाधान के लिए परामर्शी तंत्र स्थापित किया अर्थात् राज्य सरकारों (बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंकों के मामले में केंद्र सरकार) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के कार्यदल बनाए गए। सितंबर 2007 तक 13 राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तदनुसार, संबंधित राज्य सरकार, रिज़र्व बैंक और शहरी सहकारी बैंकों के सम्मिलन वाले शहरी सहकारी बैंकों के कार्यदल इन समझौता ज्ञापन के आधार पर गठित हुए हैं। कुल जमाराशि के लगभग 92 प्रतिशत भाग वाले लगभग 83 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंक समझौता ज्ञापन व्यवस्था में कवर हुए हैं।

7.43 वित्तीय सेवा क्षेत्र में उत्पाद और प्रक्रिया नवोन्मेष में वृद्धि से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के लिए नई और अधिक जटिल जोखिम तैयार हुई है। बैंकिंग प्रणाली के पर्यवेक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक के लिए यह आवश्यक है कि संगठनात्मक ढांचे, कारोबारी प्रक्रिया और बैंकां की जोखिम स्थिति से उभरते मामलों के संदर्भ में स्तंभ 2 प्रक्रिया की रूपरेखा नीति बदलाव और पर्यवेक्षी पुनःप्रेरण के आधार पर बनाई जाए। बासेल II मानदंड लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि स्तंभ 2 प्रक्रिया तैयार करने का आधार नीति बदलाव और पर्यवेक्षी पुनः प्रेरण में परिवर्तन होना चाहिए। आगामी वर्षों में पर्यवेक्षी प्रयासों में रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों के भीतर क्षमता निर्माण को शामिल करना होगा ताकि जोखिम आधारित पर्यवेक्षी प्रक्रिया स्तंभ 2 परामर्शी दृष्किोण के साथ एकरूप हो जाए।

बैंकिंग और प्रौद्योगिकी

7.44 सूचना प्रौद्योगिकी विकासशील नए उत्पादों और सेवाओं के लिए कारोबार को सहज बनाने वाले एक प्रमुख साधन के रूप में सामने आई है। भारत में बैंकों ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रवेश का लाभ लेना शुरु कर दिया है, जिसकी शुरूआत एक छोटे स्तर पर ज्यादा से ज्यादा एक दशक पहले हुई थी। सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकों के प्रबंधन तथा ग्राहकों दोनों के लिए सूचनाओं का तत्काल संसाधन उपलब्ध कराने के अलावा बड़ी मात्रा में लेन देन संचालित करवाने तथा उन्हें ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुकूल बनाने में सहायता की है।

7.45 यदि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग ने बैंकों को अपना कारोबार फैलाने में सक्षम बनाया है, तो वहीं इसने कुछ चुनौतियां भी सामने रखी हैं। खासकर बैंकिंग क्षेत्रों के लिए सुरक्षा, जो सभी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्यों के मूल आधार में होता है, का अत्यधिक महत्व समझा गया है। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन किए जाने की संभावनाओं ने सारी दुनिया में बैंकिंग प्रणालियों के दुरुपयोग के प्रति अतिसंवेदनशील बना दिया है। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस संबंध में अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय तथा ग्राहकों की पहचान सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के अनुपालन के लिए सामान्य न्यूनतम अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सभी नई प्रणालियों और सुपुर्दगी माध्यमों पर लागू होंगी।

7.46 आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित परिचालनों में दूसरी बड़ी चुनौती है ऐसी प्रणालियों द्वारा अबाधित रूप से कार्य करना सुनिश्चित किया जाना। सभी सदस्य बैंकों की सुविधा के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण प्रणालियों के नियमित और आवधिक आपदा बचाव अभ्यासों (डिजैस्टर रिकवरी ड्रिल्स) के अलावा हर बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी अदृश्य आकस्मिकता की कसौटी पर उनकी प्रणालियां सही उतरें इसके लिए वे स्वयं अपने स्तर पर भी आपदा बचाव अभ्यास करते हैं।

7.47 वित्तीय संसाधनों के कारगर उपयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय बाजार चलनिधि में सुधार करने और मौद्रिक नीति के निर्बाध संचालन को सहज बनाने के लिए भुगतान प्रणालियों का सही ढंग से काम करना अनिवार्य है। भुगतान प्रणालियों के महत्व को समझते हुए, रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणालियों को सक्षम बनाने के लिए पहले से ही अनेक कदम उठाए हैं तथा वह इनके कार्यों की निरंतर आधार पर समीक्षा भी करता रहा है। चेक ट्रंकेशन प्रणाली कागज आधारित प्रणालियों में सक्षमता लाने के लिए ऐसी ही एक पहल है। इससें चेकों अर्थात टी+1 या टी+0 का शीघ्र भुगतान सहज होगा तथा धोखाधड़ियों में कमी आएगी। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अंतरनगरीय चेकों के समाशोधन में गति लाने के लिए भी किया गया है। बैंकों की कोर बैंकिंग शाखाओं में आहरित किए जाने वाले चेकों के समाशोधन की अलग सुविधा दिए जाने की योजना पर भी काम जारी है ताकि उनके समाशोधन और लाभान्वित होने वालों को लाभ की अंतिम रूप से प्राप्ति तेज गति से हो सके। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों में तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के कार्यान्वयन ने तत्काल/उसी समय के करीब निधियों की प्राप्ति संभव बनाया है। यद्यपि आरटीजीएस के लिए एक न्यूनतम प्रारंभिक सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन एनईएफटी के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम प्रारंभिक या अंतिम सीमा नहीं है और ग्राहक के पास जरुरत के अनुसार भुगतान के महत्व तथा उपयोग की जानेवाली सेवा पर आधारित

एक विकल्प होता है। अन्य विकसित देशों की तरह, खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की आधारभूत संरचना का उपयोग करनेवाले थोक भुगतान के लिए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा शुरू किए जाने पर सोचा जा रहा है। इससे आज की इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के भौगोलिक सीमा बंधन दूर हो जाएंगे। इस पर भी विचार किया गया है कि वर्तमान निपटान चक्र को छोटा करके आज की इलेक्ट्रानिक सेवा (ईसीएस) की सक्षमता में वृद्धि लाई जाए। इसके अलावा बैंकों को यह भी कहा जा रहा है कि वे अपने में सीधे-सीधे निपटान की क्षमताएं लाएं जिससे इस प्रणाली में और अधिक सक्षमता आ पाएगी। जो बैंक जनता को बड़े पैमाने पर भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, वे बनाई गई आधारभूत संरचना का उपयोग कर रहे हैं और अधिक से अधिक ऑनलाइन भुगतान सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए उत्पाद विकसित कर रहे हैं। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे विभिन्न प्रणालियों को परस्पर युक्त करें और साथ ही, ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए कार्ड/एटीएम नेटवर्क की संभावनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाएं। समाशोधन और निपटान आंकड़े एक केंद्रीकृत प्रणाली में एकत्र किए जा रहे हैं, जिससे बेहतर निर्णय ले पाने के लिए संबंधित सूचनाओं का संग्रह किया जा सकेगा, उन्हें मिलाया जा सकेगा तथा उनका प्रसार किया सकेगा।

7.48 भुगतान प्रणालियों के निर्बाध परिचालनों के लिए मज़बूत कानूनी ढांचा मूल आधार होता है। रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए एक अलग कानून बनाने का प्रयास कर रहा है। भुगतान और निपटान प्रणाली बिल संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बिल के कानून बन जाने पर कोई भी सेवा प्रदाता रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित कराए बिना या ऐसे अनुमोदन से छूट प्राप्त किए बिना किसी भुगतान प्रणाली का परिचानल नहीं कर पाएगा। एक बार इस बिल के कानून का रूप लेते ही बहुपक्षीय नेटिंग (मल्टीलेटरल नेटिंग)जो आज प्रचलन में है, को भी कानूनी मान्यता मिल जाएगी। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में जिस प्रकार चेकों के बाउंस होने पर दंड के प्रावधान हैं, यह बिल भी इलेक्ट्रानिक लेनदेन में बाउंसिंग होने पर उसी के बराबर दंड के प्रावधान उपलब्ध कराता है।

प्राथमिक व्यापारी

7.49 राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के बाद वाली स्थिति में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि रिज़र्व बैंक 1 अप्रैल 2006 से केंद्र सरकार की प्राथमिक प्रतिभूतियां नहीं खरीदेगा। इससे पहले रिज़र्व बैंक, विशेषकर चलनिधि की तंग परिस्थितियों मे, केंद्र सरकार की प्राथमिक प्रतिभूतियों की खरीद किया करता था ताकि बाज़ार को बाधित किए बिना सरकार के बाज़ार उधार कार्यक्रम को पूरा किया जाए। एफआरबीएम चरण के पश्चात प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम को पूरा करने को सुनिश्चित, करने हेतु उच्चतर दायित्व का निर्वाह करें। इस दृष्टि से प्राथमिक व्यापारी प्रणाली को न्यूनतम हामीदारी के वायदे के ब्योरे देने तथा सभी प्राथमिक व्यापारियों में प्रत्येक के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रतियोगी बोली लगाने के निर्देशों के अनुसार फिर से नया रूप दिया गया है, ताकि अधिसूचित राशि तक की पूरी खरीद सुनिश्चित की जा सके।

7.50 हामीदारी दायित्वों में वृद्धि होने से प्राथमिक व्यापारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे बाजार जोखिम कम करने के लिए बाजार की स्थिति का अधिक कुशलतापूर्वक आकलन करें। प्राथमिक व्यापारियों के कार्य में निहित जोखिमों के बंटवारे की दृष्टि से प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति दी गई कि वे अपना निवेश कंपनी ऋण, मुद्रा बाजार, ईक्विटी और लिखत प्रतिभूतिकरण में करके उसमें विविधता लाएं। इसमें शर्त रखी गई थी कि सरकारी प्रतिभूति कारोबार में अपेक्षित अधिक भाग रखते हुए निवेश किसी विवेकसम्मत सीमा में रहे। प्राथमिक व्यापारियों की नई प्रणाली निर्बाध रूप से कार्य कर रही है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

7.51 एक सुविकसित और सक्षमतापूर्वक विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र एक व्यापक, संतुलित और सक्षम वित्तीय प्रणाली है क्योंकि ऐसी संस्थाएँ जोखिमों का पुनर्वितरण करती हैं तथा आर्थिक आघातों के प्रति वित्तीय प्रणाली के लचीलापन को बढ़ाती हैं। अभी तक गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी क्षेत्र जमाराशि लेनेवाली कंपनियों की ओर अधिक झुका हुआ था। कारोबार के बढ़ते हुए आकार और बाज़ार के आपसी एकीकरण से यह महसूस किया गया है कि न केवल जमाराशि लेने वाली कंपनियों की निगरानी अनवार्य है, बल्कि गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियां जो प्रणालीगत रुप से महत्वपूर्ण हैं उनकी निगरानी भी आवश्यक है। गैर-बैंकिग वित्तीय क्षेत्र में बैंक के अनुशासन की मौजूदगी से विनियामक समझौते के लिए अवसर प्राप्त हुआ और इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य था। इन दो पक्षों में सामंजस्य स्थापित करके विनियमों को नया सुव्यवस्थित रूप दिया जाता रहा है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) की तरह 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की परिसंपत्ति वाली राशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) को वर्गीकृत किए जाने तथा इन्हें विनियमों की सख्ती के घेरे में लाने के लिएकदम उठाए गए हैं। 'जमाराशि नहीं लेनेवाली गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी-लघु उद्योग क्षेत्र (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) से यह अपेक्षित है कि वे जोखिम परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का न्यूनतम अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखें और ऋण/निवेश संकेंद्रण

के मानदंडों का पालन करें। इसके अलावा, कार्यप्रणाली में बेहतर पारदर्शिता लाने तथा ग्राहकों के मन में बेहतर आत्मविश्वास पैदा करने के एक प्रयास के रूप में कुछ उपाय शुरू किए गए हैं जिनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता शामिल हैं। वैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जिनका उपयोग अवैध धन के लिए एक रास्ते के रूप में किया जा रहा है, बाज़ार में सुरक्षा कड़ी किए जाने के विचार से 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड और धनशोधन निवारक मानक निर्धारित किए गए हैं। विनियामक दबावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र और अधिक स्पंदनशील, सुदृढ़ बने तथा उसका निर्बाध विकास होता रहे। रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 8 मई 2007 को कंपनी अभिशासन संबंधित दिशानिर्देश जारी किया जिनसे निवेशकों के साथ ही अन्य शेयरधारकों में आत्मविश्वास बढ़ने की आशा की गई है।

परिशिष्ट II.1
वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा की गई पहलों की समीक्षा-2006-07

रिज़र्व बैंक के भीतर ही पर्यवेक्षी ढाँचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना नवंबर 1994 में की गई ताकि ञ्केवल पर्यवेक्षण पर पूरा ध्यानट दिया जा सके तथा वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पर्यवेक्षण के लिए समेकित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2006-07 (जुलाई-जून) के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठकें 12 बार हुई। वर्ष के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा की गयी प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

(i) बासेल-1 रूपरेखा लागू होने से बैंकों की पूंजी निधि की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। भारतीय बैंकों के तुलन-पत्रों में लगातार विस्तार होने से ञ्नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखाट जो जोखिम की दृष्टि से अधिक संवेदनशील है तथा परिचालनगत जोखिम के लिए अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं के कारण बैंक अपनी पूंजी निधि के और अधिक बचाव को उद्यत हैं। बढ़ी हुई पूंजी निधि की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष के दौरान पूंजी जुटाने के लिए बैंकों के विकल्प पर बी एफ एस द्वारा विचार किया गया तथा पूंजी जुटाने के लिए अतिरिक्त लिखत अर्थात नवोन्मेषी टियर-I लिखत और अपर टियर II लिखत प्रवर्तित करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश बैंकों को जारी किए गए।

(ii) बाहर से निधियां जुटाने के अतिरिक्त, आंतरिक अर्जन बैंकों की पूंजी निधि का एक महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय बैंकों की बढ़ी हुई लाभप्रदता से मूल रूप में उनकी पूंजी निधि में वृद्धि हुई है। तथापि, बी एफ एस ने ऐसा महसूस किया कि कुछ बैंक अस्थायी प्रावधानों के उपयोग तथा आरक्षित निधि के विनियोजन में कुछ अनुचित प्रक्रिया/तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने पाया कि बैंकों द्वारा अस्थायी प्रावधान लाभ बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जा रहे है तथा उनके उपयोग के तरीके में पारदर्शिता की कमी है। तदनुसार, बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट था कि अस्थायी प्रावधानों का उपयोग बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से अनर्जक आस्तियों में विशिष्ट प्रावधानों का उपयोग करते हुए असामान्य परिस्थितियों में केवल आकस्मिकता होने पर ही किया जाए। साथ ही, बैंक के बोर्ड अनुमोदित नीति के अन्तर्गत असाधारण परिस्थितियों की परिभाषा दें तथा वह स्तर भी बताएँ जहाँ तक अस्थायी प्रावधानों का सृजन किया जा सकता है। जहाँ तक प्रारक्षित निधि के विनियोजन का प्रश्न है, यह निर्णय लिया गया है कि सांविधिक प्रारक्षित निधि को नीचे लाने का सहारा सुनिश्चित करने का कार्य यथोचित रूप से किया जाता है न कि किसी विनियामक निर्णायक के उल्लंघन में, अतः बैंकों को अपने ही हित में, सांविधिक प्रारक्षित निधि से कोई विनियोजन करने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

(iii) बासल II रूपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की पर्याप्तता और बैंक के परिचालनों को आकस्मिक हानि की संभावना इसकी आस्तियों के जोखिम स्तर से संबंधित हैं। भारित आस्ति दृष्टिकोण बैंक की देयता की साइड पर जोखिम जमा होने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बैंकों की देयता की साइड पर जोखिम इकट्ठा होने के संबंध में बढ़ते हुए महत्व और जागरूकता के संबंध में, बी एफ एस ने मामले की जाँच विस्तार से की है। बैंकों की देयता साइड में सघनता कम करने, विशेष रूप से अन्तर बैंक देयता के मामले में यह निर्णय लिया गया कि बैंक की अन्तर बैंक देयता पिछले वर्ष के 31 मार्च को इसके निवल मूल्य के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, प्रत्येक बैंक, अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने कारोबार मॉडल को ध्यान में रखते हुए अपनी अन्तर बैंक देयता के लिए निम्न सीमा निर्धारित कर सकता है। जिन बैंकों का सी आर ए आर न्यूनतम सी आर ए आर (9 प्रतिशत) से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है, अर्थात पिछले वर्ष के 31 मार्च को 11.25 प्रतिशत है तो उन्हें उनकी अन्तर बैंक देयताओं के लिए निवल मालियत के 300 प्रतिशत की उच्चतर सीमा रखने की अनुमति है। इस निर्धारित सीमा में केवल भारत में निधि आधारित अन्तर बैंक देयता ही सम्मिलित होगी (भारत में कार्यरत बैंकों की विदेशी मुद्रा में अन्तर बैंक देयताओं सहित)। अन्य शब्दों में, भारत से बाहर की अन्तर बैंक देयताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मांग मुद्रा उधारों की वर्तमान सीमा उक्त सीमा के भीतर ही उप-सीमा है।

(iv) यह पहचान की गई है कि कई बैंकों के संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से भू-संपदा क्षेत्र में बड़े एक्सपोज़र हैं और वे बढ़ रहे हैं, मूल्यों में निहित उतार-चढ़ावों को देखते हुए, उन्हें जोखिमपूर्ण समझा जाता है। तदनुसार, बी एफ एस के निर्देशों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर चयनित अलग-अलग बैंकों के संवेदनशील क्षेत्रों में बैंक के एक्सपोज़रों के संबंध में पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का दूसरा दौर शुरू किया गया। इस प्रक्रिया में, बैंकों के आन्तरिक और नियामक मानदंडों के वास्तविक नियंत्रण परिवेश, प्रक्रिया और अनुपालन के संदर्भ में बैंकों के एक्सपोज़रों के मूल्यांकन की जाँच पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है। तदनुसार, कुछ चयनित बैंकों में स्थल पर (आन साइट) संवीक्षा की गई जिससे पता चलता है कि भू संपदा क्षेत्र में बैंकों के बढ़े हुए एक्सपोज़र के मद्देनज़र, उन

बैंकों ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कुछ नीतियाँ लागू कर रखी हैं। तथापि, बैंकों द्वारा सभी मामलों में उन्नत प्रणालियाँ नहीं लागू की गई हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संवेदनशील क्षेत्र को ऋण प्रदान करते समय ये नीतियाँ वास्तव में लागू की गई थीं।

(v) बी एफ एस ने यह बात भी नोट की है कि वित्तीय समूहों के आंतर-समूह लेन-देन, जिनमें बैंक एक काउंटर पार्टी है, के कारण जोखिम बढ़ रहे हैं। वित्तीय समूहों के रूप में पहचान की गई संस्थाओं के लिए निगरानी तंत्र तैयार किया गया और उसके परिचालन के लिए रिज़र्व बैंक अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 12 वित्तीय कंपनी समूहों के लिए नामित संस्थाओं से आँकड़े/सूचना प्राप्त कर रहा है। वित्तीय कंपनी समूहों की (एफ सी) विवरणियों के विश्लेषण से कुछ मुद्दे सामने आए हैं यथा लेखापरीक्षक वही है, निदेशक वही हैं, कुछ निदेशक अन्य समूह कम्पनियों के कर्मचारी हैं, अधिकारियों की आंतर समूह आवागमन गतिविधियां जिसके संबंधों में एक निश्चित दूरी बनाए रखना/ग्राहक संबंधी आँकडों के निहितार्थ हैं, ग्रुप कम्पनियों में बैक-आफिस व्यवस्था भी वही है, सामूहिक म्यूच्युअल फंड कम्पनियों की इकाइयों में पर्याप्त निवेश और समूह कम्पनी द्वारा जारी बंधक रखी आस्तियाँ कुछ आन्तर समूह लेन-देनों को रिपोर्ट न करना, तथा बड़े लेन-देनों की चुकौती के आश्वासन पत्र। नामित संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा अन्य प्रधान विनियामकों के साथ बकाया मुद्दों / पर्यवेक्षी चिन्ताओं को दूर करने और एफ सी निगरानी प्रबंधन को मजबूत करने के लिए छमाही बैठक में हुई चर्चाओं में कई मुद्दे सामने आए यथा : समूह व्यापी निगरानी प्रबंध की कमी, उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन की कमी, समूह अनुपालन नीति की कमी, आन्तर समूह लेन-देनों और एक्सपोज़र संबंधी नीति की कमी, समूहव्यापी पूंजी मूल्यांकन की कमी, निदेशकों पर 'सही और उचित' मानदण्ड लागू होना, समूहव्यापी चलनिधि प्रबंधन नीति से संबंधित मुद्दे, संघटित जोखिम की पहचान और प्रबंधन, समूह संस्थानों में आउटसोर्सिंग / पूंजी बाजार जोखिम और धोखाधड़ी पर रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन।

(vi) भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका और महत्व को पहचाना गया है। तथापि, कई शहरी सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी निधि नहीं है। बी एस एफ द्वारा शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी निधियों के मुद्दे पर विचार किया गया। यह महसूस किया गया कि शहरी सहकारी बैंकों को चार नए लिखत जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए यथा - अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बाण्ड, विशेष शेयर, प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर और दीर्घावधि जमा राशियाँ ताकि वे प्रीमियम पर पूंजी बढ़ा सकें। विशेष शेयर जो मताधिकार से इतर स्वरूप के तथा बेमीयादी होते हैं, को सामान्य शेयरों से भिन्न रखने का सुझाव दिया गया। यह भी महसूस किया गया कि रिज़र्व बैंक रेटिंग अपेक्षा के संबंध में कोई अपवाद बनाएगा ताकि वाणिज्य बैंक विशेष शेयरों और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जारी टियर II बॉण्डों में उपयोग की गई प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर निवेश कर सकें तथा नए लिखतों से बढ़ाई गई निधि को नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात से छूट मिले।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
		क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक
2006		
अप्रैल	4	• बैंकों को सूचित किया गया कि मुर्गीपालन उद्योग के कार्यशील पूंजी ऋण पर देय मूल राशि एवं ब्याज तथा उनके मीयादी ऋणों की किस्तें तथा ब्याज जो बर्डफ्लू फैलने के कारण 1 फरवरी, 2006 को या उसके बाद भुगतान के लिए देय हैं और उनका भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें मीयादी ऋण में बदल दिया जाए। परिवर्तित ऋण की वसूली किस्तों में अगले तीन वर्ष के अनुमानित इनफ्लो के आधार पर की जाए जिसका प्रारंभिक मोरैटोरियम एक वर्ष तक हो। इस संबंध में किए गए अन्य उपायों में शामिल है संघीय सरकार का यह प्रस्ताव कि बैंकों से ऋण लेने वाली सभी मुर्गी पालन इकाइयों को 31 मार्च, 2006 को (इसमें मूल रकम का वह अंश शामिल नहीं है जो अतिदेय हो गया है) बकाया मूल रकम पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की एकबारगी ब्याज छूट दी जाए।
	5	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे निर्दिष्ट शाखाओं को अनुदेश जारी करें कि राहत/बचत बांडों में परिचालन हेतु प्रत्येक निवेशक के नाम में केवल एक बांड लेजर खाता (बीएलए) खोले जाने के निदेश का सख्ती से पालन करें। यदि वर्तमान में किसी एक ही निवेशक के नाम में एक से अधिक बीएलए हों तो उसकी समीक्षा की जाए और उसे एक बीएलए में विलय कर दिया जाए।
	12	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च, 2006 से गैर-लघु उद्योग (बीमार/कमजोर) इकाइयों के संबंध में एक महीने के भीतर संशोधित फार्मेट में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करें । एकबारगी उपाय के रूप में बैंक संशोधित फार्मेट में 31 मार्च, 2004 और 31 मार्च, 2005 के आंकड़े मई 2006 तक प्रस्तुत करें। • बैंकों को सूचित किया गया कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधित) विनियमावली, 2006 के अनुसार एक जमा कार्यालय से दूसरे जमा कार्यालय में खाता अंतरण के मामले में विशिष्ट शुल्क प्रभारित करें, जहां जमाराशि एक लाख रुपए या उससे अधिक हो तो पहले अंतरण के लिए पांच रुपए प्रति लाख और दूसरे एवं बाद के अंतरण के लिए दस रुपए प्रति लाख अंतरण शुल्क देय होगा।
	13	• बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए 3,84, 340 व्यक्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया है।
	20	• बैंकों को सूचित किया गया कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप धारा 4 के अंतर्गत स्पष्टीकरण (क) के खंड में अभिव्यक्ति 'ऋण और अग्रिम' में बैंक द्वारा उसके निदेशकों को क्रेडिट कार्ड सुविधा के अंतर्गत प्रदान की गई ऋण राशि उस सीमा तक शामिल नहीं होगी कि इस प्रकार से प्रदान की गई ऋण राशि बैंक द्वारा उस मानदंड का प्रयोग करते हुए निर्धारित की गई है जिसका इस्तेमाल सामान्य क्रेडिट कार्ड कारोबार में किया जाता है।
मई	2	• भारत सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए 2,814 करोड़ रुपए राज्यस्तरीय बैंकर्स समितियां, स्वीकार्य पैरामीटर जैसे संसाधन और ग्रामीण /अर्धशहरी शाखाओं की संख्या के आधार पर प्रत्येक बैंक के लिए लक्ष्य तय करें ताकि प्रत्येक बैंक अपने कार्पोरेट लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऋण लक्ष्य, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सब्सिडी ऋण अनुपात प्राप्त करने तथा प्रति परिवार 25,000 रुपए का निवेश करने का प्रयास करें।
	8	• सरकारी कारोबार करने के लिए बैंकों को देय एजेंसी कमीशन की दरें संशोधित की गई हैं। 'प्राप्तियों' और 'पेंशन भुगतानों' को छोड़कर 'अन्य भुगतानों' के लिए 01 जुलाई, 2006 से लागू दरें मौजूदा 50 रु. के टर्नओवर के स्थान पर 100 रुपए टर्नओवर पर 9 पैसा होंगी। बैंकों को सूचित किया गया कि वे वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 ख क के अंतर्गत फाइल की गई वार्षिक सूचना विवरणी की विसंगतियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करें और यदि आवश्यक हो तो आयकर विभाग को 'पूरक सूचना रिपोर्ट' प्रस्तुत करें। वर्ष 2005-06 से संबंधित आवश्यक सूचना 31 मई, 2006 से पहले दी जानी है।
	16	• बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को सूचित किया गया है कि वे विभिन्न सेवा प्रभारों की जानकारी निर्धारित फार्मेट में अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। अनुसूचित वाणिज्य बैंक उनके कार्यालयों/शाखाओं में निर्दिष्ट कतिपय सेवाओं से संबंधित प्रभारों को भी प्रदर्शित करें। इसे स्थानीय भाषा में भी प्रदर्शित किया जाए।
	17	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कतिपय शर्तों के अधीन म्युचुअल फंडों के साथ उनकी यूनिटों के विपणन के लिए करार कर सकते हैं, शर्तें इस प्रकार होंगी : i) बैंक को ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य करना होगा, ii) म्युचुअल फंडों की यूनिटों की खरीद का जोखिम ग्राहक उठाएगा और बैंक उसके लिए किसी भी धन की वापस की गारंटी नहीं देगा, iii) बैंक, द्वितीयक बाजार से इस प्रकार के म्युचुअल फंड की यूनिटों को हासिल नहीं करेगा, iv) बैंक ग्राहकों से म्युचुअल फंडों के यूनिटों की वापसी खरीद नहीं करेगा, और v) वर्तमान केवाईसी/एएमएल दिशानिदेशों का पालन करना होगा।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
मई	23	• बैंकों को यह स्पष्ट किया गया कि विशिष्ट श्रेणीवाले मुर्गीपालन उद्योग को दिए जाने वाले राहत उपाय संबंधी ब्याज में छूट की गणना 31 मार्च 2006 को बकाया मीयादी ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण पर चार प्रतिशतता बिंदु पर की जाएगी।
	25	• कमर्शियल स्थावर संपदा में बैंकों के एक्सपोजर पर जोखिम भार 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया है। संयुक्त उद्यम पूंजी निधि में बैंकों के कुल एक्सपोजर को उनके पूंजी बाजार एक्सपोजर का हिस्सा माना जाएगा और इस प्रकार इन एक्सपोजर पर 150 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार लगाया जाएगा।
	29	• विशिष्ट क्षेत्रों जैसे वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए पात्र ऋण और अग्रिम, 20 लाख से अधिक रिहाइशी आवसीय ऋण और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण के लिए मानक अग्रिमों पर बैंकों द्वारा किए जाने वाले सामान्य प्रावधानीकरण के वर्तमान 0.40 प्रतिशत स्तर को बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत कर दिया गया है। • बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे लाभ और हानि खाता में 'व्यय' शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए अलग-अलग प्रावधानों और आकस्मिकताओं के ब्यौरे देते हुए जानकारी 'नोट ऑन अकाउंट' में इस प्रकार प्रकट करें : i) निवेश पर मूल्यह्रास का प्रावधान, ii) एनपीए के लिए प्रावधान, iii) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, iv) आय कर के लिए प्रावधान, v) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित)।
जून	5	• संघीय बजट 2006-07 में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रति वर्ष प्रदान करेगी। सहायता राशि की गणना संवितरण की तारीख से दिए गए फसल ऋण की राशि पर/भुगतान की तारीख तक अथवा उस तारीख तक कि ऋण की राशि अतिदेय हो जाए अर्थात खरीफ के लिए 31 मार्च, 2007 और रबी के लिए 30 जून , 2007 तक आहरित रकम पर, जो भी पहले हो। यह सहायता सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस शर्त पर दी जाएगी कि वे निचले स्तर पर अल्पकालिक ऋण सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध करवाएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में यह सहायता केवल दिए गए ऐसे अल्पकालिक उत्पादन ऋण के लिए होगी जो उन्होंने अपनी निधि से दिया है और इसमें नाबार्ड पुनर्वित्त के समर्थन वाली राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। बैंकों को सूचित किया गया कि वे किसानों को वर्ष 2006-07 में खरीफ और रबी दोनों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण के ब्योरे किसानों को तुरंत उपलब्ध करवाएं।
	8	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे नवोन्मेषी टियर-I/टियर-II बांडों से संबंधित स्थिर दर वाली रुपया देयताओं को चल दर वाली विदेशी करेंसी देयताओं में परिवर्तन वाले स्वैप लेनदेन में भाग न लें। इसके अलावा, जो स्वैप पूर्व में कर लिए गए हैं, बैंक ऐसे स्वैप लेनदेन के लाभ/हानि के लेखांकन के लिए कतिपय क्रियाविधि का पालन करें।
	12	• भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने पूरे देश में भवन निर्माण संबंधी गतिविधियों के विनियमन के लिए दिशानिदेश उपलब्ध करवाने हेतु एक व्यापक भारत 2005 भवन निर्माण संहिता (एनबीएस) तैयार की है। इस संहिता में सुरक्षित और व्यवस्थित भवन निर्माण के विकास के महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, जैसे प्रशासनिक विनियमन, कार्य प्रगति नियंत्रण नियम तथा सामान्य निर्माण अपेक्षाएं, अग्नि सुरक्षा अपेक्षाएं, निर्माण सामग्री का निर्धारण, ढांचागत डिज़ाइन और निर्माण कार्य (सुरक्षा सहित) और भवन एवं नलसाज सेवाएं। बैंकों के निदेशक मण्डलों को सूचित किया गया है कि वे अपनी ऋण नीतियों में इन पहलुओं को शामिल करने पर विचार करें। इसी प्रकार के दिशानिदेश 22 जून, 2006 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी जारी किए गए हैं।
	13	• रिज़र्व बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए गठित प्राधिकार समिति (ईसी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलने, स्थानांतरित अथवा विलय करने के आवेदनों पर विचार करेगी और सिफारिशें देगी। रिज़र्व बैंक प्राधिकार समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए ऐसे आवेदनों का निपटान तेजी से करेगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से चालू खाता लेनदेन हेतु सीमित प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राप्त अनुरोध पर प्राधिकार समिति द्वारा सहमति दिए जाने पर रिज़र्व बैंक विचार करेगा।
	22	• चल (फ्लोटेशन) प्रावधानों की उपयोगिता, सृजन, लेखांकन तथा प्रकटीकरण के संबंध में बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर) को संशोधित मानदंड जारी किए गए हैं, अर्थात् ऐसे प्रावधान जो विशिष्ट गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में नहीं किए गए हैं अथवा मानक आस्तियों के लिए विनियामक अपेक्षा से अधिक किए गए प्रावधान।
	27	• पूरे देश में आधुनिकतम सुदृढ़ ईसीएस सेवाएं प्रारंभ करने की दृष्टि से जिसमें और अधिक शाखाएं एवं स्थान शामिल होंगे तथा आकड़ों की प्रस्तुति केंद्रीकृत रूप से होगी, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह जानकारी दें कि इस परियोजना के लिए उनकी तैयारी किस हद तक है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
जुलाई	4	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे ईसीएस (नामे) लेनदेन का संचालन करने के लिए उपयुक्त अधिदेश प्रबंध नित्यचर्या (रुटीन) बनाने हेतु उपाय करें।
	12	• बैंकों को अनुमति दी गई है कि विशेष क्षेत्र में मानक आस्तियों पर अतिरिक्त सामान्य प्रावधान करना समाप्त कर दें अर्थात् वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम, 20 लाख रुपए से अधिक के रिहाइशी आवसीय ऋण तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण /वित्तीय वर्ष 2006-07 में अतिरिक्त प्रावधान की अपेक्षा इस प्रकार होगी : (क) जून 2006 को समाप्त तिमाही हेतु 0.55 प्रतिशत, (ख) सितंबर 2006 को समाप्त छमाही हेतु 0.70 प्रतिशत, (ग) दिसंबर 2006 को समाप्त तिमाही हेतु 0.85 प्रतिशत और (घ) मार्च 2007 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1.00 प्रतिशत।
	14	• बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इंटरनेट आधारित ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं से न जुड़े जो जमा लेनेवाली हों और जिन्हें मांग पर आहरित किया जा सकता हो।
	17	• बैंकों को सूचित किया गया है कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 'महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में राहत उपाय' के पैकेज के अनुरूप अधिसूचित जिलों के सभी किसानों के ऋण खाते जो 01 जुलाई 2006 को अतिदेय हो गए हैं, का पुनःनिर्धारण करना सुनिश्चित करें और उन पर देय ब्याज (01 जुलाई, 2006 को) को पूरी तरह माफ कर दें। ऐसे किसानों को नया वित्त दिया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। इस प्रयोजन हेतु बैंकों द्वारा दिया जाने वाला 1,275 करोड़ रुपए का कुल ऋण बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा (एसएलबीसी संयोजक होने के नाते) उन जिलों में कार्यरत बैंकों को आबंटित किया जाएगा।
	20	• बैंकों को सूचित गया कि वे सेवा प्रभार और शुल्क की जानकारी अपने वेबसाइट के होमपेज पर उपयुक्त स्थान पर 'सेवा प्रभार और शुल्क' शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित करें ताकि बैंक के ग्राहकों को यह जानकारी सहज प्राप्त हो सके। एक शिकायत का फार्म, शिकायत निवारण करने वाले अधिकारी के नाम के साथ होम पेज पर दिया जाए ताकि ग्राहक आसानी से शिकायत दर्ज कर सकें। शिकायत के कार्य में यह उल्लेख हो कि शिकायत निवारण का पहला स्थान बैंक है, और शिकायतकर्ता तभी बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करे जब एक महीने के भीतर बैंक के स्तर पर उसकी शिकायत दूर नहीं की जाती है।
अगस्त	1	• केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लेनदेन में 'व्हेन इश्यूड' से संबंधित लेखांकन तथा संबद्ध पहलुओं की जानकारी जारी की गयी है।
	3	• मौजूदा अमृतसर जिले में से काटकर 16 जून, 2006 से एक नया जिला तरन तारन बनाया गया है जिसमें तीन तहसीलें हैं : तरन तारन (200 गांव), खडूर साहब (96 गांव), और पट्टी (197 गांव) । नए जिले में अग्रणी बैंक का दायित्व पंजाब नेशनल बैंक को सौंपा गया है।
	9	• प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपाय के संबंध में अतिरिक्त दिशानिदेश जारी किए गए। • बैंकों को सूचित किया गया कि वे पीडी कारोबार के लिए पृथक एसजीएल खाता न रखें। जो बैंक पीडी कारोबार विभागीय रूप से कर रहे हैं वे केवल एक एसजीएल खाता रख सकते हैं। तथापि, उन्हें आंतरिक तौर पर पृथक लेखा बही रखने की आवश्यकता है ताकि सतत आधार पर यह निगरानी रखी जा सके कि न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की निर्धारित राशि की सरकारी प्रतिभूति रखी जा रही है और पीडी कारोबार द्वारा किए गए लेनदेन का रिकार्ड रखा जा सके।
	10	• सीआरआर के अंतर्गत निर्धारित राशि रखने पर चूक करने पर दण्डात्मक ब्याज दर के बारे में दिशानिदेश जारी किए गए। 24 जून, 2006 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से दण्डात्मक ब्याज इस प्रकार लगाया जाएगा : i) दैनिक आधार पर सीआरआर बनाए रखने जो इस समय कुल सीआरआर अपेक्षा का 70 प्रतिशत है, में चूक होने पर दण्डात्मक ब्याज उस दिन के लिए बैंक दर से तीन प्रतिशत अधिक दर पर वार्षिक आधार पर उस राशि पर वसूला जाएगा जो उस दिन के लिए निर्धारित राशि को बनाए रखने में जितनी राशि की कमी हुई है; और यदि यह कमी अगले दिन/दिनों की बरकरार रहती है तो दंडात्मक ब्याज बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक दर पर वार्षिक आधार पर वसूला जाएगा; (ii) एक पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर सीआरआर बनाए रखने में चूक होने पर दंडात्मक ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (3) में दिए अनुसार वसूला जाएगा। इसी प्रकार के दिशानिदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 11 अगस्त, 2006 को जारी किए गए हैं।
	22	• बैंकों को अनुमति दी गई कि वे कतिपय शर्तों के अधीन पूर्व में अनुमत इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म पर स्थानीय करेंसी उत्पाद के अलावा कतिपय लेनदेन के लिए इंटरनेट आधारित विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान करें।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
अगस्त	24	• सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि खादी संस्था और उद्यमियों को ऋण सुविधा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) द्वारा जारी ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र को मान्यता प्रदान करें; बशर्ते कार्यशील पूंजी हेतु केवीआइसी की मूल्यांकन आवश्यकता बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन से 10 प्रतिशत से अधिक न हो। • बाहरी निवेशकों के लिए और बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए निवेशकों को राहत/बचत बांडों के छमाही ब्याज/मूलधन उन्हें उनकी पसंद के स्थान पर या तो मांग ड्राफ्ट जारी करके या मुफ्त अथवा 'सममूल्य' के चेक द्वारा जो बैंक की समस्त शाखाओं पर देय हो, दिया जाए।
सितंबर	1	• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए समग्र लक्ष्य तथा कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत के उप लक्ष्य की सीमा के भीतर, यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी समान अंश में ऋण प्राप्त हो। उपर्युक्त अपेक्षाओं का ध्यान अग्रणी बैंकों द्वारा जिला ऋण योजना बनाते समय रखना होगा। • शाखाओं में ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि वे खाताधारक को जारी पासबुक/लेखा विवरण में शाखा का पूरा पता/दूरभाष संख्या अनिवार्य रूप से लिखें। इसी प्रकार के दिशानिदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 15 सितंबर 2006 को जारी किए गए हैं।
	4	• बैंकों को यह स्पष्ट किया गया है कि अधिस्थगन आदेश, अधिकतम चुकौती अवधि, पुनःनिर्धारित ऋण के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक तथा नए वित्त के संबंध में आस्ति वर्गीकरण से संबंधित अनुदेश, कृषि के अलावा, उद्योग एंव व्यापार के खातों सहित सभी प्रभावित पुनःनिर्धारित उधारी खातों पर लागू होंगे। प्राकृतिक आपदा की तारीख को पुनःनिर्धारित खाते का आस्ति वर्गीकरण किया जाना जारी रहेगा बशर्ते पुनर्निधारण प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया गया हो।
	14	• बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त शक्तियां प्रत्यायोजित करें ताकि वे स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सब्सिडी राशि को छोड़कर, उच्च अधिकारी को संदर्भित किए बिना ऋण मंजूर कर सकें और ऋण पर ब्याज की गणना हेतु क्रियाविधि का पालन कर सकें।
	18	• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 'चोहंग बैंक' का नाम बदलकर 12 अगस्त, 2006 से 'सिनहन बैंक' कर दिया गया है।
	20	• बैंकों को सूचित किया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों का अभिग्रहण करने, जिसमें स्थावर संपदा शामिल है, हेतु संस्थाओं में किए गए बैंकों के एक्सपोजर को तुरंत प्रभाव से वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र में किया गया एक्सपोजर माना जाएगा और बैंक वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार उसके लिए प्रावधान करें और उचित जोखिम भार भी लगाएं। • बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) और 17(1) (ख) (ii) के अंतर्गत लाभ को उनकी प्रारक्षित निधि में अंतरित करने के संबंध में बैंकों को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
अक्तूबर	4	• बैंकों को कहा गया कि अपने सभी खाता धारकों (व्यक्तिगत) को पास बुक सुविधा अवश्य दें।
	5	• प्राथमिक व्यापारी का कारोबार कर रहे/करने जा रहे बैंकों को परिचालनगत दिशानिर्देश जारी किए गए।
	11	• बैंकों को सूचित किया गया था कि गारंटी के हिताधिकारी की ओर से दायित्व के संबंध में नियंत्रक कार्यालय/प्रधान कार्यालय से गारंटी की पुष्टि प्राप्त करने के लिए गारंटी अधिदेशात्मक खंड जोड़ना जरूरी नहीं होगा।
	18	• बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि विनिर्दिष्ट जिले में किसानों के ऋण खातों को जोकि 1 जुलाई 2006 को अतिदेय हो गए थे, उन्हें ऋण से पीड़ित किसानों को, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के राज्यों के 25 जिलों के, राहत के रूप में किए गए पैकेज के समान पुनः अनुसूचित करें।
	31	• सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सिवाय) को सूचित किया गया था कि चालू समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक परिस्थितियों के मद्देनजर, रिजर्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नियत रिपो दर को दूसरी चल निधि समायोजन सुविधा , 31 अक्तूबर, 2006 से, के 25 आधार बिंदु बढ़ाकर 7 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत कर दी गई है। चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो दर 6 प्रतिशत पर ही अपरिवर्तनीय है। चल निधि समायोजन के अन्य नियमों और शर्तों में कोई परिवर्तन होगा।
नवंबर	3	• वित्तीय सेवाएं आउटसोर्सिंग करने के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक को जोखिम प्रबंधन व आचार संहिता पर दिशानिर्देश जारी किए गए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
नवंबर	6	• विदेशों में भारतीय कार्पोरेट के व्यवसाय में सहायता देने के लिए भारतीय संयुक्त उद्यम (जहां भारतीय कंपनी की होल्डिंग 51 प्रतिशत से अधिक है) /विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण और ऋण से इतर सुविधाओं पर विवेक सम्मत (प्रूडेंशियल) सीमा को उनके अक्षत पूंजी कोष (टीयर I और टीयर II पूंजी) के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
	10	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए तय की गई पखवाड़े की समय-सीमा उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट का अनुरोध ड्राफ्ट खरीदने वाले ने किया हो या ड्राफ्ट जिसके नाम हो (हिताधिकारी/ बेनीफिशियरी) और उन मामलों में नहीं जहां ड्राफ्ट तीसरे पक्ष को परांकित किया गया है।
	13	• विपदाग्रस्त किसानों और वश के बाहर परिस्थितियों के कारण कर्ज नहीं चुका सकने वाले किसानों की सहायता करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से पारदर्शी एकबारगी निपटान (ओटीएस) की नीतियां बना सकते हैं।
	28	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कहा गया कि ऐसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को दिया गया कर्ज जो कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों से जुड़े हों, कृषि को प्रदत्त प्रत्यक्ष वित्त समझा जाएगा, बशर्ते संबंधित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों/माइक्रो क्रेडिट पोर्टफोलिओं पर अलग-अलग आंकड़े रखे गए हों।
दिसंबर	11	• रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत प्वाईंट का आधा दो चरणों में बढ़ा दिया, 23 दिसंबर 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से 5.25 प्रतिशत और 6 जनवरी 2007 से 5.50 प्रतिशत।
	15	• विवेकपूर्ण पूंजी बाजार मानक जैसे पूंजी बाजार एक्सपोजर के घटक, पूंजी बाजार में बैंकों के एक्सपोजर की सीमा आदि पर रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को संशोधित निर्देश /मानक जारी किए।
	18	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि ग्राहकों को ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने को बाध्य न किया जाए। बैंकों को यह भी कहा गया कि चेक ड्रॉप बॉक्स पर वे यह संदेश लिखें, ञ्ग्राहक अपना चेक काउंटर पर भी जमा कर सकते हैं और जमा-पर्ची पर पावती ले सकते हैं।ट यदि ग्राहक काउंटर पर चेक जमा करता है तो कोई भी शाखा पावती देने से इंकार न करे। ऐसे ही आदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 26 दिसंबर 2006 को और शहरी सहकारी बैंकों को 28 दिसंबर 2006 को जारी किए गए।
	20	• उदारीकृत प्रेषण योजना में संशोधन करके किसी भी चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के लिए 25,000 अमरीकी डॉलर की सीमा को बढ़ाकर रिज़र्व बैंक ने प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 50,000 अमरीकी डॉलर कर दिया।
	22	• भारत सरकार से परामर्श करने के बाद प्रतिभूति बाजार जैसे स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशनों में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है जो सेबी के विनियमों के अनुपालन और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी: (i) 26 प्रतिशत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) और 23 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेश (एफआइआइ) निवेश की अलग-अलग सीमा के साथ इन कंपनियों में 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति होगी, (ii) एफडीआइ के लिए एफआइपीबी की निर्दिष्ट पूर्व अनुमति आवश्यक होगी; और (iii) विदेशी संस्थागत निवेश (एफडीआइ) केवल सेकेंडरी मार्केट में खरीद के जरिये होगा।
2007		
जनवरी	4	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को संपत्तियों के मूल्य निर्धारण, बैंक की अपनी संपत्तियों के मूल्य के पुनर्निर्धारण और स्वतंत्र मूल्य निर्धारकों को पैनल में शामिल करने की नीति संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए।
	9	• रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा कि शेयर और स्टॉक ब्रोकरों की ओर से बैंकों द्वारा दी जानेवाली गारंटियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत की मार्जिन और 25 प्रतिशत की न्यूनतम नकद मार्जिन वाली शर्त पण्य बाजार (कमोडिटि एक्सचेंज) विनियमावली के अनुसार मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं के बदले में, राष्ट्रीय स्तर पण्य बाजारों के पक्ष में बैंकों द्वारा कमोडिटि ब्रोकरों की ओर से दी गई गारंटियों के लिए भी लागू होगी।
	10	• भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को पंजाब के नये जिले अर्थात् बरनाला के लिए अग्रणी (लीड) बैंक की जिम्मेदारी दी गई है।
	18	• रिज़र्व बैंक ने असम के नए जिलों अर्थात् उदालगुड़ी, चिरंग और बाक्सा के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अग्रणी (लीड) बैंक बनाने का निर्णय लिया।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
जनवरी	29	• रिज़र्व बैंक ने कहा कि 21 अक्तूबर 2006 से द गणेश बैंक ऑफ कुरूंदवाड लि.ट का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है।
	31	• रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत 31 जनवरी 2007 से नियत रेपो रेट को 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा। • रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा कि बैंकों को दी जानेवाली स्थायी चलनिधि सुविधा (निर्यात ऋण वित्त) 31 जनवरी 2007 से रेपो रेट अर्थात् 7.50 प्रतिशत पर दी जाएगी। • रिज़र्व बैंक ने कहा कि अनूसूचित वाणिज्य बैंक केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों (डेटेड सिक्यूरिटिज) की शॉर्ट सेल कर सकते हैं, परंतु कवर की जाने वाली शॉर्ट पोजीशन अधिकतम पांच ट्रेडिंग दिनों की होगी जिसमें ट्रेड का दिन भी शामिल होगा। • रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा कि 31 जनवरी 2007 से पर्सनल लोन (क्रेडिट कार्ड से प्राप्त होने वाले भी), वैसे ऋण व अग्रिम जो पूंजी बाजार में लगाए गए माने जा सकते हैं और रियल इस्टेट लोन से संबंधित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं को एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया गया है। • रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा कि एक से तीन वर्ष की मैच्युरिटिवाले नये अनिवासी (बाह्य) रुपया (अनिवासी) सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर समान मैच्युरिटि वाले अमरीकी डॉलर के लिए लिबर/स्वैप दरों में 50 आधार अंकों के योग से अधिक नहीं होना चाहिए (पहले के लिबर/स्वैप रेट + 100 आधार अंक के स्थान पर जो 18 अप्रैल 2006 को कारोबार की समाप्ति के बाद से लागू हुआ था)।तीन वर्ष की जमाराशियों पर तय की गई उपर्युक्त ब्याज दर तीन वर्ष से अधिक की मैच्युरिटि पर भी लागू होगी। ब्याज दर में होने वाला परिवर्तन वर्तमान मैच्युरिटि के बाद नवीकृत किए जानेवाले अनिवासी जमाराशियों पर भी लागू होगा। रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा कि 31 जनवरी 2007 को कारोबार की समाप्ति के बाद से प्रभावी सभी मैच्युरिटियों की एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज सबंधित मुद्रा के लिबर/स्वैप रेट की अधिकतम सीमा के अंदर तत्संबंधी मैच्युरिटि से 25 आधार अंक (मार्च 28,2006 को कारोबार की समाप्ति के बाद से लागू लिबर/स्वैप रेट के स्थान पर) कम होगा। फ्लोटिंग रेट वाली जमाराशियों पर, संबंधित मद्रा/मैच्युरिटि के स्वैप रेट की अधिकतम सीमा के अंदर /मैच्युरिटि से 25 आधार अंक कम होगा। फ्लोटिंग रेट की जमाराशियों के लिए ब्याज दर पुनर्निर्धारित की अवधि छह महीने की होगी। • रिज़र्व बैंक ने कहा कि बैंक अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर जमाकर्ताओं/थर्ड पार्टियों को बीस लाख से अधिक का नया ऋण न दें अथवा वर्तमान ऋण को नवीकृत न करें। यह अनुदेश तत्काल प्रभावी होगा। बैंकों को यह भी कहा गया कि अधिकतम सीमा से बचने के लिए कर्ज की राशि को कृत्रिम रूप से टुकड़ों में न बांटे।
फरवरी	12	• बैंक की स्वच्छ नोट नीति की दृष्टि से, मुद्रा तिजोरी वाले बैंकों को कहा गया कि वे अपनी मुद्रा तिजोरियों में नोट सॉर्टिंग मशीनें लगाकर नोटों की छँटाई (सॉर्टिंग) की प्रक्रिया को स्वचालित करें। रिज़र्व बैंक को भेजे जाने वाले गंदे बैंक नोटों में फिर से जारी करने योग्य नोटों की सह्य सीमा तत्काल प्रभाव से, प्रत्येक प्रेषण के वर्तमान के 10 प्रतिशत से बदल कर 5 प्रतिशत कर दी गई।
	14	• बैंकों को कहा गया कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत प्वाइंट का आधा, दो चरणों में बढ़ाया जाएगा जो यहां दिए जा रहे पखवाड़े से लागू होगा : लागू तारीख (अर्थात पखवाड़ा शुरू होने की तारीख) — निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) 17 फरवरी 2007 — 5.75 3 मार्च 2007 — 6.00
	21	• बैंकों को कहा गया कि वे अपने ग्राहकों को दरवाजे परट (डोरस्टेप) सेवा देने के मामले में सामान्य सिद्धांत व मोटे तौर पर कुछ मानकों का निर्धारण करें तथा इस विषय में ग्राहकों के अधिकार व दायित्व के संबंध में पारदर्शिता, एवं व्यवहार में समानता सुनिश्चित करें और इसमें शामिल जोखिम के बारे में साफ-साफ बताएं। • बैंकों को अपने 'एजेंटो' को शिक्षित करने के बारे में उपयुक्त कदम उठाने को कहा गया ताकि वे जाली व खराब नोटों को पकड़ पाएं और फ्रॉड से बचा जा सके एवं ग्राहकों से झगड़ा न हो।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
फरवरी	22	• शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावकारी बनाने के लिए बैंकों को कहा गया कि वे अपने बोर्ड/ग्राहक सेवा समिति को एक शिकायत विवरण और साथ ही प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण प्रस्तुत करें। शिकायतों का विश्लेषण इसलिए किया जाए कि (i) ग्राहक सेवा के उन क्षेत्रों का पता चले जहां से बार-बार शिकायतें मिलती हैं; (ii) शिकायतें ज्यादातर कहां (किस स्रोत) से आती हैं (iii) व्यवस्था में क्या खामियां हैं और (iv) शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समुसचित कार्रवाई की शुरूआत की जा सके।
मार्च	1	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि निम्नलिखित देयताओं पर 22 जून 2006 से औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट दी जाएगी बशर्ते वे अपने कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखें : (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) की व्याख्या के खंड (डी) के अनुसार भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (ii) एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) खातों (अमरीकी डॉलर) में जमा शेष राशि (iii) क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ संपार्श्विकीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) में लेनदेन और (iv) अपने विदेशी (ऑफशोर) बैंकिंग यूनिटों (ओबीयू) के संबंध में मांग और मीयादी देयताएं । • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कहा गया कि भारत सरकार ने 9 जनवरी 2007 को उस दिन के रूप में अधिसूचित किया है जब भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के सिवाय सभी प्रावधान लागू होंगे। 1. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 में निम्नलिखित को हटाने की व्यवस्था है : i) देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा तय की जाने वाली आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की न्यूनतम और अधिकतम सीमा (ii) पात्र आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेष राशि पर ब्याज देने का प्रावधान । 2. भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिनियम 1934 की उप धारा 42 (5)(सी) के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि मांग और मीयादी देयताओं की गणना में मान्य सीआरआर छूटों के चलते जो बैंक 22 जून 2006 से 2 मार्च 2007 तक 3 प्रतिशत का न्यूनतम सांविधिक सीआरआर स्तर नहीं रख पाए, ऐसे बैंकों को दंड के रूप में लगने वाले ब्याज से छूट दी जाए। 3. रिज़र्व बैंक पात्र सीआरआर राशियों पर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निम्नलिखित दर से ब्याज देगा : (क) सीआरआर अपेक्षा के तहत 24 जून 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से दिसंबर 2006 तक रिज़र्व बैंक के पास रखे गए पात्र नकद शेष राशि पर 3.50 प्रतिशत प्रति वर्ष, (ख) सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत 9 दिसंबर 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से 16 फरवरी 2007 तक रिज़र्व बैंक के पास रखे गए पात्र नकद शेष राशि पर 2.0 प्रतिशत, और (ग) 17 फरवरी 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से सीआरआर की आवश्यकता के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास रखी गई पात्र नकद शेष राशि पर 1.0 प्रतिशत।
	2	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कहा गया कि भारत सरकार ने 9 जनवरी 2007 को उस दिन के रूप में अधिसूचित किया है जब भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 की धारा 3 के सिवाय सभी प्रावधान लागू होंगे। 1. कुल मांग और मीयादी देयताओं पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखा गया प्रभावी सीआरआर 3 प्रतिशत से कम नहीं होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (1) के तहत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 17 फरवरी 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं का 5.75 प्रतिशत और 3 मार्च 2007 से 6.00 प्रतिशत सीआरआर बनाए रखेंगे। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की उप धारा 42 (5)(सी) के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मांग और मीयादी देयताओं की गणना में मान्य सीआरआर छूटों के चलते जो बैंक 22 जून 2006 से 2 मार्च 2007 तक 3 प्रतिशत का न्यूनतम सांविधिक सीआरआर स्तर नहीं रख पाए, उन बैंकों को दंडात्मक ब्याज से छूट दी जाएगी। 3. रिज़र्व बैंक पात्र सीआरआर की शेष राशि पर सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित दर पर ब्याज देगा : (क) सीआरआर मानदंड के अंतर्गत 24 जून 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से 8 दिसंबर 2006 तक रिज़र्व बैंक के पास रखे गए पात्र नकद शेष राशि पर 3.50 प्रतिशत प्रति वर्ष, (ख) सीआरआर के अपेक्षानुसार 9 दिसंबर 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से 16 फरवरी 2007 तक रिज़र्व बैंक के पास रखे गए पात्र नकद शेष राशि पर 2.0 प्रतिशत और (ग) 17 फरवरी

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
		2004 से प्रारंभ पखवाड़े से सीआरआर की आवश्यकता के अनुसार रिजर्व बैंक के पास रखी गई पात्र नकद शेष राशि पर 1.0 प्रतिशत।
मार्च	2	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कहा गया कि निम्नलिखित देयताओं पर 22 जून 2006 से औसत सीआरआर रखने से छूट दी जाएगी बशर्ते वे अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम सीआरआर बनाए रखें :(i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) की व्याख्या के खंड (डी) के अनुसार भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (ii) क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) में लेनदेन। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि 5 मार्च 2007 (सोमवार) से दैनिक रिवर्स रेपो अवशोषण (एबजॉर्प्शन) को प्रतिदिन अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए तक सीमित किया जाएगा, जिसमें कि प्रथम चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) में 2,000 करोड़ रुपए और दूसरे एलएएफ में 1,000 करोड़ रुपए होंगे। यदि प्रस्तुत राशि इन राशियों से अधिक की होगी तो आबंटन सामान्यतः आनुपातिक आधार पर किए जाएंगे। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कहा गया कि 5 मार्च 2007 (सोमवार) से दैनिक रिवर्स रेपो अवशोषण (एबजॉर्प्शन) को प्रतिदिन अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए तक सीमित किया जाएगा, जिसमें कि प्रथम चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) में 2,000 करोड़ रुपए और दूसरे एलएएफ में 1,000 करोड़ रुपए होंगे। यदि प्रस्तुत राशि इन राशियों से अधिक की होगी तो आबंटन सामान्यतः आनुपातिक आधार पर किए जाएंगे।
	6	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के हर प्रकार के ऋण, चाहे वह कितनी भी राशि का हो, से संबंधित आवेदन फॉर्म व्यापक हो उसमें हर तरह की सूचना हो जैसे- प्रोसेसिंग की कोई फीस हो तो, आवेदन नामंजूर होने पर वापस की जाने वाली राशि, पूर्व भुगतान (प्री पेमेंट) का विकल्प और ऐसी कोई भी जानकारी/विषय जिससे उधार लेनेवाले का हित जुड़ा हो, ताकि अन्य बैंकों से एक सार्थक तुलना की जा सके और उधारकर्ता पर्याप्त जानकारी के आधार पर अपना निर्णय ले सके।
	7	• दि यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से 25 नवंबर 2006 से हटा दिया गया है।
	13	• अनर्जक खातों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए ही बैंकों को फ्लोटिंग प्रोविजन का उपयोग करना है और वह भी अपने बोर्ड के अनुमोदन और रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से। ये असाधारण परिस्थितियां तीन प्रकार की हो सकती हैं - यथा सामान्य बाजार और ऋण संबंधी। सामान्य के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जहां देश में आंतरिक गड़बड़ी, असंतोष या देश की मुद्रा के अचानक ध्वस्त हो जाने जैसे कारणों के चलते बैंक को अप्रत्याशित घाटा हो जाए। प्राकृतिक आपदा और महामारी भी सामान्य वर्ग में आ सकती हैं। बाजार के अंतर्गत बाजार का गिर जाना आता है जिससे पूरी वित्तीय प्रणाली प्रभावित होती है। 'ऋण' की श्रेणी में केवल अपवादात्मक ऋण क्षति को असाधारण परिस्थिति माना जा सकता है।
	14	• बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसान विकास पत्र सहित अल्प बचत लिखतों को प्राप्त करने / इनमें निवेश करने के लिए कोई ऋण मंजूर न किया जाए।
	16	• बैंकों को कहा गया कि लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस) के तहत लेनदेन हेतु पारिश्रमिक (रेम्युनरेशन) के लिए भुगतान का एक ही चैनल काम में लाया जाएगा। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक पीपीएफ और एससीएसएस संबंधी लेनदेन के लिए निम्नलिखित दरों पर एजेंसी कमीशन का भुगतान करेगा : (क) प्राप्तियां - 45 रुपए प्रति लेनदेन (ख) भुगतान - प्रति 100/- रुपए के टर्नओवर पर 9 पैसे। इस प्रकार दरों में संशोधन के बाद भारत सरकार पीपीएफ और एससीएसएस के संचालन के लिए भुगतान करना बंद कर देगी। ये दरें पीपीएफ लेनदेनों के लिए 1 जुलाई 2005 से और एससीएसएस लेनदेनों के लिए 1 अप्रैल 2006 से लागू होंगे।
	20	• स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी)और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर सभी वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि नये पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर संशोधित ड्राफ्ट दिशानिर्देश को विचार विमर्श के दूसरे राउंड के लिए तीन हफ्तों के लिए राय और टिप्पणियों के लिए खुला रखा जाएगा।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
मार्च	21	• केंद्र व राज्य सरकार के लेनदेनों की भारतीय रिज़र्व बैंक में रिपोर्टिंग के लिए समय-सीमा में एकरूपता लाने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (काम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के लेनदेन में लागू होनेवाले वर्तमान तरीके को राज्य सरकार लेनदेन के लिए भी लागू किया जाए। तदनुसार (क) स्थानीय लेनदेन - रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन का निपटारा टी+3 कार्य दिवसों (यहां 'टी' वह दिन है जब बैंक ब्रांच को पैसा उपलब्ध हो जाता है) में होगा; (ख) बाहरी केंद्र के लेनदेन - रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन का निपटारा टी+5 कार्य दिवसों में होगा; (ग) स्थानीय और बाहरी केंद्र के लेनदेन के लिए, पुट थ्रू डेट अर्थात् रिज़र्व बैंक के साथ निपटारे का दिन क्रमशः टी+3 और टी+5 कार्य दिवसों को इस समय सीमा के बाहर रखा जाएगा; (घ) देर की अवधि के लिए लगाया जानेवाला ब्याज लेनदेन के दिन से नहीं बल्कि उस अवधि के लिए होगा जितनी देर वास्तव में हुई है; (ङ) एक लाख रुपए और उससे अधिक के लेनदेन में विलंब पर लगने वाला ब्याज बैंक दर +2 प्रतिशत का होगा; और एक लाख रुपए से कम के प्रत्येक लेनदेन के लिए विलंबित अवधि का ब्याज बैंक दर पर 5 कैलेंडर दिवसों के लिए होगा और यदि देरी 5 कैलेंडर दिवसों से अधिक की होगी तो देरी की पूरी अवधि के लिए बैंक दर+ 2 प्रतिशत पर ब्याज लगाया जाएगा और संशोधित प्रक्रिया 1 अप्रैल 2007 से लागू होगी।
	30	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बताया गया कि 3 अप्रैल 2007 से पीडीओ -एनडीएस की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के सब मॉड्यूल में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं: i) पीडीओ-एनडीएस से अब अनुसूचित वाणिज्य बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) एसडीएल को एलएएफ रेपो के अंतर्गत रिजर्व बैंक को पात्र प्रतिभूतियों के रूप में दे सकेंगे। एसडीएल के मामले में 10 प्रतिशत का मार्जिन लगाया जाएगा अर्थात् 100 रुपए के रेपो बिड के लिए 110 रुपए (अंकित मूल्य) के एसडीएल का समर्थन आवश्यक होगा। ii) सहायक सामान्य खाता वही (एसजीएल) अकाउंट से आरसीएसजीएल अकाउंट में प्रतिभूतियों का अंतरण और आरसी एसजीएल से एसजीएल में अब सदस्य द्वारा एलएएफ में आरसी अंतरण (ट्रांसफर) या आरसी आहरण (विथड्राअल) के जरिये (ट्रांसफर ऑर्डर बुकिंग फंक्शनलिटि के अंतर्गत) लोक लेखा विभाग (पीएडी) (प्रतिभूति अनुभाग) के अनुमोदन बिना ही किया जा सकता है। तथापि, आरसीएसजीएल अकाउंट में उपलब्ध शेष राशियों को अब तक की तरह, एलएएफ के अलावा अन्य किसी लेनदेन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। iii) किसी रेपो लेनदेन के तैयार चरण (रेडी लेग) के लिए जिन सदस्यों के पास आरसी एसजीएल अकाउंट में पर्याप्त प्रतिभूतियां नहीं हैं, उन्हें इस कमी के बारे में पीडीओ-एनडीएस पर संदेश देकर एलर्ट किया जायेगा । बिड बंद होने के समय के 15 मिनटों के भीतर इस कमी की पूर्ति करनी होगी, अन्यथा बिड को रद्द किया जा सकता है। • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि एलएएफ के अंतर्गत नियत रेपो रेट 31 मार्च 2007 से 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है। तदनुसार 31 मार्च 2007 से बैंकों को रिज़र्व बैंक की ओर से दी जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधा (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) (संपार्श्वीकृत चलनिधि सहायता) रेपो रेट अर्थात् 7.75 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी। • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रेपो रेट को 31 मार्च 2007 से 7.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है। एसएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।
अप्रैल	3	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि यह निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण (धातु) ऋण - जो वे उन आभूषण निर्माताओं को देते थे जो आभूषणों के निर्यात का काम नहीं करते थे - की अवधि के बारे में नामित बैंक स्वयं निर्णय ले सकते हैं बशर्ते समय सीमा 180 दिनों से अधिक की न हो तथा अवधि एवं स्वर्ण ऋण के उपयोग की निगरानी को बैंक की ऋण संबंधी नीति में समुचित रूप से दर्ज किया गया हो और इसका कड़ाई से पालन किया जाए।
	4	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कहा गया कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीसीएल) के एक प्रतिशत का आधा दो चरणों में बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जो कि नीचे बताए जा रहे पखवाड़े से प्रभावी होगा :

लागू होने की तारीख (अर्थात् निम्नोक्त तारीख से प्रारंभ पखवाड़ा)	निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)
14 अप्रैल 2007	6.25
28 अप्रैल 2007	6.50

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
		तथापि, कुल मांग और मीयादी देयताओं पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखा जानेवाला प्रभावी सीआरआर 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में निर्धारित किया गया है। 14 अप्रैल 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वर्तमान सीआरआर अपेक्षा के अनुसार रिज़र्व बैंक के पास रखी गई पात्र नकद शेष राशि पर 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा।
अप्रैल	4	• भारत सरकार ने 16 जून 2006 को अति लघु (माइक्रो) लघु (स्माल) और मध्यम (मीडियम) उद्योग विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया जिसे 2 अक्तूबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। निर्माण या उत्पादन में लगे हुए या सेवा देने या करने वाले माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में बदलाव किया गया और अन्य नीतिगत उपायों के साथ बैंकों द्वारा इसका कार्यान्वयन तत्काल किया जाना था। मध्यम उद्योगों को बैंक का ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा।
	10	• प्रधान मंत्री रोजगार योजना लागू करने वाले बैंकों के वर्ष 2006 -07 में खराब प्रदर्शन को देखते हुए कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के लिए मंजूरी की वैधता को और वितरण को पूरा करने के समय को 30 जून 2007 तक बढ़ा दिया। तदनुसार बैंकों को कहा गया कि वे इस समय सीमा का कड़ाई से पालन करें और कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत मंजूरी दिए गए मामलों के संबंध में वितरण 30 जून 2007 तक पूरा कर लें।
	11	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि ग्राहकों द्वारा दिए गए रुपए के अंश वाले चेक/ड्राफ्टों को रद्द या अस्वीकृत (डिसऑनर) न किया जाए।
	12	• बैंकों को सूचित किया गया कि उनके द्वारा वित्तपोषित ढांचागत परियोजनाओं के मामले में परियोजना की वित्तीय लेखाबंदी के समय उस परियोजना के पूरी होने की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और यदि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख प्रारंभ में निर्धारित अनुसार परियोजना के पूरी होने की तारीख से एक साल से अगे बढ़ जाती है तो उक्त खाते को अवमानक खाता माना जाना चाहिए। संशोधित अनुदेश 31 मार्च 2007 से लागू हुए।
	13	• अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/धनशोधन निवारण मानकों/उग्रवाद वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष (सीएफटी) - तार अंतरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनमें बैंकों को अनुदेश दिए गए कि वे प्रारंभकर्ता के बारे में यथार्थ और अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त करें।
	17	• लोक सेवाओं के संबंध में क्रियाविधियों और कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा (सीपीपीएपीएस) के संबंध में समिति की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने लॉकरों के सुगमतापूर्वक परिचालनों के लिए सुरक्षित जमा लॉकरों/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जारी सभी दिशानिर्देशों की समीक्षा की और नए दिशानिर्देश जारी किए गए।
	18	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि लेखांकन मानक 17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) - प्रकटीकरणों में वृद्धि के संबंध में दिशानिर्देशों की अधिकाधिक पारदर्शिता की आवश्यकता के आलोक में, समीक्षा की गई थी। चूंकि 'अन्य बैंकिंग व्यवसाय' अनुभाग बहुत बड़ा है और उससे तुलनपत्र में पर्याप्त पारदर्शिता प्रकट नहीं होती थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस अनुभाग को निम्नलिखित तीन वर्गों अर्थात कंपनी/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालनों में बांट दिया जाए। तदनुसार बैंक 31 मार्च 2008 से लोक सूचना प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यवसाय अनुभागों को अपनाएंगे : (क) ट्रेजरी (ख) कंपनी/थोक बैंकिंग (नया) (ग) खुदरा बैंकिंग, (नया) (घ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय। भौगोलिक अनुभाग 'देशी' और 'अंतरराष्ट्रीय' के रूप में अपरिवर्तित रहेंगे।
	20	• बैंक अपनी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर लाभ के परिशोधन (एमॉर्टाइजेशन) के लिए भिन्न-भिन्न लेखांकन पद्धतियां अपना रहे थे, इसलिए उन्हें सूचित किया गया कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते के फॉर्मेट को देखें, जिसमें निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि के लेखांकन का उल्लेख है। उक्त प्रतिभूति का बही मूल्य संगत लेखांकन अवधि के दौरान परिशोधित की गई राशि की सीमा। इस पहलू के लेखांकन में समानता लाने की दृष्टि से, बैंकों को सूचित किया गया कि 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के विवरणों सहित, अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देते समय सही लेखांकन विधि अपनानी चाहिए। i) भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की अपनी असाधारण गजट अधिसूचना सं.एसओ 337(ई) में 1 अप्रैल 2007 को उस तिथि के रूप में अधिसूचित किया है जब भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के उपबंध लागू हुए। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (1) में किया गया संशोधन 1 अप्रैल 2007 को लागू हो गया। तदनुसार, कुल मांग और मीयादी देयताओं की सांविधिक न्यूनतम 3 प्रतिशत नकदी प्रारक्षित अनुपात की आवश्यकता उक्त अधिसूचित तारीख से नहीं रही।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
		भारतीय रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बिना किसी आधार दर और उच्चतम दर के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित कर सकता है। ii) यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखे जा रहे आरक्षित नकदी निधि अनुपात की वर्तमान दर को जारी रखा जाए और उन वर्तमान छूटों के बारे में अधिसूचित किया गया जो अगले परिवर्तनों तक जारी रहेगी। तदनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना जारी रखेंगे । प्रभावी तारीख (निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होनेवाला पखवाड़ा) — निवल मांग और मीयादी देयताओं पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) 14 अप्रैल 2007 — 6.25 28 अप्रैल 2007 — 6.50 iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के लागू होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1ख) 1 अप्रैल 2007 से समाप्त हो गई है। उक्त संशोधन से सामंजस्य रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक 31 मार्च 2007 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखे गए नकदी प्रारक्षित अनुपात शेषों पर कोई ब्याज नहीं देगा।
अप्रैल	20	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि उन्हें निम्नलिखित पर)1 अप्रैल 2007 से औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट दी जाएगी :(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अपेक्षानुसार भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं; (ii) एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) में जमा शेष (अमरीकी डॉलर) खाते; (iii) क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआईएल) के साथ संपार्श्विकीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता संबंधी लेनदेन और (iv) उनकी अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) की मांग और मीयादी देयताएं।
	25	• बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी कोई बैंक शाखा/स्टाफ कम मूल्यवर्ग के नोट और / या सिक्के स्वीकार करने से इनकार न करें। वे यह भी सुनिश्चित करें कि सभी स्टाफ सदस्यों को संबंधित अनुदेशों की पूरी जानकारी है और उनका सख्ती से पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए। किसी स्टाफ सदस्य द्वारा इनकार करने/ अनुदेशों का पालन न करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसी प्रकार के दिशानिर्देश 10 मई 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किए गए।
	27	• भारत सरकार ने सूचित किया है कि उन राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर जहां अल्पसंख्यक जातियां बहुमत में हैं (जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और लक्षद्वीप), 103 अल्प संख्यक संकेन्द्रण वाले जिलों में ऋण प्रवाह की निगरानी की जानी चाहिए, जिनमें अल्पसंख्यकों की जनसंख्या न्यूनतम 25 प्रतिशत है। उक्त आंकड़े 01 अप्रैल 2007 से प्रारंभ करते हुए छमाही अंतराल पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे वर्तमान के 44 ज़िलों की बजाय अब 103 जिलों में अल्पसंख्यकों को ऋण प्रवाह की विशेष रूप से निगरानी करें। • पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे को कार्यान्वयन हेतु अंतिम रूप दिया गया।
	30	• अनुसूचित वाणिज्य बैंक, लघु और सीमांत कृषकों, साझी खेती करने वालों और इसी प्रकार के उधारकर्ताओं को 50,000 रुपए तक के छोटे ऋणों के लिए 'कोई देयता नहीं' प्रमाणपत्र की आवश्यकता को तुरंत समाप्त करें और उसके स्थान पर उधारकर्ता से स्व-घोषणा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त बैंक भूमिहीन मजदूरों, साझी खेती करने वालों और मौखिक रूप से पट्टेदारों को ऋण देने के मामले में खेती करने के संबंध में स्थानीय प्रशासन/पंचायत राज संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र स्वीकार कर सकते है। • प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधारों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। • भारत सरकार, ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जहां जमाकर्ता की जमाराशियों की अवधिपूर्णता से पहले मृत्यु हो गई हो और नामिती/कानूनी वारिस उक्त जमा खाते को बंद करने के लिए बैंक से संपर्क करें तो ऐसे मामलों में नामिती/कानूनी वारिस उक्त जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से उक्त खाते के बंद होने की तारीख तक की अवधि के लिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), 2004 के अंतर्गत बचत बैंक की ब्याज दर के पात्र है। • एजेंसी बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे सरकारी लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने के लिए ईसीएस/ईएफटी सुविधाएं प्रदान करके ग्राहकों को समर्थ बनाने का वातावरण और सुविधाएं प्रदान करें।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
मई	3	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कुछ शर्तों के अधीन जोखिम में भाग लिए बिना स्वास्थ्य तथा पशु बीमा सहित, सभी प्रकार के बीमा उत्पादों (प्रोडक्ट) के वितरण के लिए कार्पोरेट एजेंसी का कारोबार कर सकते हैं: जोखिम सहभागिता रहित बीमा उत्पादों के वितरण के लिए कार्पोरेट एजेंसी कारोबार करने के लिए बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बीमा एजेंसी कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से 15 दिन के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरपीसीडी) को एक रिपोर्ट भेज दी जानी चाहिए। • बैंकों को सूचित किया गया कि रिहायसी आवास संपत्तियों के बंधक पर व्यक्तियों को दिए गए 20 लाख रुपए तक के आवास ऋणों के संबंध में जोखिम भार को 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया गया है। उसी प्रकार, बंधक समर्थित उन प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश का जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया गया है जो प्रतिभूतियां आवास ऋण से समर्थित हो तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नियंत्रित आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी की गई हों। चूक की स्थिति का अनुभव तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए घटाए गए जोखिम भार की समीक्षा की जाएगी।
	7	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे समुचित अंतरिक नीतियां तथा प्रक्रियाएं बनाएं ताकि ऋण तथा अग्रिमों पर, प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभार सहित, कुसीदात्मक ब्याज न लगाना पड़े। • बैंकों को सूचित किया गया कि वे समुचित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के प्रयासों में तेजी लाए। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो सॉल्यूशन्स विकसित किए जाएं वे अति सुरक्षित हों, उसका ऑडिट किया जा सकता हो तथा वह व्यापक रूप से स्वीकृत ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित हो ताकि विभिन्न बैंकों द्वारा अपनायी गई विविध प्रणालियों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके।
	8	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य (मार्क टू मार्केट) मानदंड से वित्तीय वर्ष 2006-07 तक के लिए जो छूट दी गई थी उसे एक और वर्ष अर्थात् वर्ष 2007-08 तक के लिए बढ़ाया गया। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बही मूल्य के आधार पर मूल्यांकन तथा प्रतिभूतियों की शेष अवधि तक प्रिमियमों के परिशोधन, यदि कोई हो, की शर्त पर एसएलआर प्रतिभूतियों के समग्र निवेश पोर्टफोलियों को वर्ष 2007-08 के लिए ज्परिपक्वता तक धारितट श्रेणी में रखने की छूट होगी।
	10	• भारत में बैंकों को अनुमति दी गई की वे भारतीय कंपनियों (जिसमें भारतीय कंपनी का शेयर 51 प्रतिशत से अधिक हो) की सब्सिडियरी की विदेश स्थित पूर्णतः स्टेप डाउन सब्सिडियरी को विद्यमान विवेकपूर्ण सीमाओं तथा कतिपय अतिरिक्त रक्षोपाय के अंतर्गत निधिक तथा/अथवा गैर निधिक ऋण सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई।
	14	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि वे माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा ठ चूककर्ता कंपनियोंड के रूप में घोषित कंपनी/कंपनियों के कोई भी रुपया लेनदेन बैंक में करने की अनुमति न दें। तदनुसार, इस संबंध में सभी शाखाओं को तत्काल सूचित कर दिया जाए तथा इस आदेश के अनुपालन की सूचना दी जाए।
	15	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे समुचित आंतरिक नीतियां तथा प्रक्रियाएं बनाएं ताकि उन्हें ऋण तथा अग्रिमों पर प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभार सहित, कुसीदात्मक ब्याज न लगाना पड़े।
	16	• अनर्जक आस्तियों की खरीद /बिक्री संबंधी 13 जुलाई 2005 के पूर्व के दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया गया कि अनुमानित नकदी प्रवाह का कम-से-कम 10 प्रतिशत प्रथम वर्ष में प्राप्त किया जाए तथा उसके बाद प्रति छमाही में कम-से-कम 5 प्रतिशत प्राप्त किया जाए तथा तीन वर्ष के अंदर पूरी वसूली हो जानी चाहिए। संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनुमति दी गई कि वे एकल संस्था क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में कारोबार कर सकते हैं।
	17	• 1 अप्रैल 2007 से भारत ओवरसीज बैंक का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया।
	18	• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र - कमजोर वर्ग को उधार देने संबंधी संशोधित दिशानिर्देश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए।
	21	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे समुचित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के प्रयासों में तेजी लाएं। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो सॉल्यशन्स विकसित किए जाएं वे अति सुरक्षित हों, उसका ऑडिट किया जा सकता हो तथा वह व्यापक रूप से स्वीकृत ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित हो ताकि विभिन्न बेंकों द्वारा अपनायी गई विविध प्रणालियों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। • सीमा पार तार अंतरणों तथा आंतरिक तार अंतरणों के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए गए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
मई	21	• एजेंसी कमीशन - लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ) तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए गए।
	24	• रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 का पालन करने का निदेश दिया। • बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निम्नलिखित बातों के लिए अनुमति दी गयीः (i) काउंटर पर प्राप्त चेक के बदले अथवा फोन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग जैसे सुरक्षित व सुविधाजनक चैनल से प्राप्त अनुरोध पर ग्राहकों (कार्पोरेट ग्राहकों/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि) के द्वार तक नकदी/ड्राफ्ट पहुंचाना तथा (ii) काउंटर पर प्राप्त चेक के बदले अथवा फोन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग जैसे सुरक्षित व सुविधाजनक चैनल से प्राप्त अनुरोध पर कार्पोरेट ग्राहकों/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के द्वार तक नकदी /ड्राफ्ट पहुंचाना, बशर्ते बैंक द्वारा यूजर की सही पहचान सहित टेक्नोलॉजी तथा सुरक्षा संबंधी मानक अपनाया गया हो तथा इस प्रकार के लेनदेन संबंधी पर्याप्त बचाव /रक्षोपाय किए जाएं।
	25	• यह निर्णय लिया गया कि जम्मू और कश्मीर राज्य के उधारकर्ताओं /ग्राहकों को प्रदत्त रियायत/ऋण सहुलियतें एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2008 तक के लिए बरकरार रहेंगी।
	29	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए 3,75,690 हिताधिकारियों का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों के वर्ष 2005-06 के अंतिम कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। जिन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में मार्च 2006 को समाप्त अर्धवर्ष में ऋण की वसूली 35 प्रतिशत से कम थी उनसे आग्रह किया गया कि ऋण की वसूली में सुधार हेतु योजना के कार्यान्वयन से जुड़े बैंकों द्वारा उपयुक्त कार्य-योजना तैयार की जाए। योजना संबंधी नियम व शर्तें प्रधान मंत्री रोजगार योजना के संशोधित दिशानिर्देश से नियंत्रित होंगी।
	31	• बैंकों को सूचित किया गया कि 8 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड, 2003 पर वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक ब्याज की राशि देय हो तो उस पर जून 2007 से श्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है।
जून	6	• सरकारी क्षेत्र के बैंकों के केंद्रीय तथा शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक वर्ष 2006-07 से संशोधित किए गए।
	8	• भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनभिज्ञता के कारण जमाकर्ताओं (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना - 2004) द्वारा एक ही लेखा कार्यालय में एक ही कैलेंडर माह में खोले गए एकाधिक खातों को सबसे पहले खोले गए खाते में समेकित करके नियमित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि समेकित खातों (अथवा बंद किए गए खाते) की राशि पर बीच की अवधि अर्थात पहला खाता खोलने की तारीख से दूसरा/अनियमित दूसरा खाता जिसे पहले खाते में मिला दिया गया है, खोलने की तारीख तक के लिए कोई ब्याज प्राप्त नहीं होगा। यह समामेलन तथा खाते में स्थित समेकित राशि भी योजना की अन्य नियम व शर्तों के अधीन होगी।
	13	• बैंकों को सूचित किया गया कि विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई है तथा आवास ऋण की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर प्रति हिताधिकारी 20,000 रुपए की गई है।
	15	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि बैंक शाखा रहित जिलों में शाखाएं खोलने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि 11 जुलाई 2006 के परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी. सं.बीएल.बीसी/11/03.05.90-ए/2006-07 के पैराग्राफ 1.2 की क्रम संख्या (iii) से (iv) तक में निर्धारित शर्तों का अनुपालन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंधित अधिकार प्राप्त समिति के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाए।
	19	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान के क्षेत्र में और अधिक कारोबारी अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें जोखिम संबंधी विद्यमान सीमा के अधीन, अपने प्रायोजक बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों और विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई) के साथ मिलकर संघीय (कन्सोर्टियम) ऋण व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति इस शर्त पर है कि वित्तपोषण की जानेवाली परियोजना संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालन क्षेत्र में हो तथा इस संबंध में उसके प्रायोजक बैंक द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ-साथ परियोजना का मूल्यांकन किया जाए।
	21	• बैंकों द्वारा ऋण की पुनर्संरचना/पुर्नव्यवस्था पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश का प्रारूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
जून	22	• उदारीकरण की गति को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डेटा प्रोसेसिंग, दस्तावेजों के सत्यापन तथा प्रोसेसिंग, चेक बुक, मांग ड्राफ्ट आदि की जारी जैसे केवल बैंक ऑफिस के कार्य तथा उनके बैंकिंग कारोबार से जुड़े अन्य संबंधित कार्य करने के लिए सेवा शाखा/केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र(सीपीसी) / बैक ऑफिस स्थापित करने की अनुमति दी गई। इन कार्यालयों में ग्राहकों के साथ लेनदेन नहीं होगा तथा इन्हें सामान्य बैंकिंग शाखा में परिवर्तित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इन कार्यालयों को अन्य शाखा की तरह माना जाएगा तथा इसे खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस लेना होगा।
	28	• केंद्रीय बजट 2007-08 में की गई घोषणा के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई। रुपए में अनिवासी (सामान्य/बाह्य) खाता खोलने/रखने के लिए प्राधिकृत करने हेतु निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंडों की भी समीक्षा दी गई। • बैंकों को सूचित किया गया कि कारोबार के रूप में ''पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करना'' बैंकिंग कंपनी के लिए वैध कारोबार होगा। बैंक, पेंशन निधि प्रबंधन का कार्य इस प्रयोजन हेतु गठित सहायक संस्था (सब्सिडियरी) के जरिए कर सकते हैं बशर्ते वे पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित मानदंड पूरा करते हों।
जुलाई	3	• क्रेडिट कार्ड धारकों से प्राप्त शिकायतों तथा दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कतिपय उपाय कर रहा है। ट्राई ने यूसीसी को रोकने के लिए दूरसंचार अवांछित वाणिज्यक संचार (यूसीसी) विनियमावली 2007 तैयार की है। तद्नुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे कुछ अनुदेशों का पालन करें।
	11	• भारत सरकार ने 20 अप्रैल 2007 की अधिसूचना द्वारा 1 मई 2007 से एक वर्ष के लिए चीनी का 20 लाख टन का सुरक्षित भंडार स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार चीनी विकास निधि से 378 करोड़ रुपए की उपदान राशि जारी करेगी तथा चीनी के वर्तमान स्टॉक से सुरक्षित भंडार बनाए जाने के कारण मार्जिन की राशि जारी करने के लिए बैंकों को 420 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सीमा की स्वीकृति देनी होगी।
	16	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने 103 अल्पसंख्यक वर्ग संकेंद्रित जिलों की सूची में 18 और जिलों को शामिल किया है जिसके कारण ऐसे जिलों की संख्या 121 हो गई है। बैंकों को पूर्व के 103 जिलों के मुकाबले अब विशेष रूप से 121 जिलों में अल्पसंख्यक वर्गों को ऋण की उपलब्धता पर ध्यान देना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य के भीतर अल्पसंख्यक वर्गों को ऋण का समुचित हिस्सा प्राप्त हो सके।
	25	• सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय तथा शाखा लेखा परीक्षकों को वर्ष 2006-07 से देय पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
	31	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया गया कि सेबी ने फिम्डा को कार्पोरेट बांडों के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए अनुमति दे दी है। यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि इस रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट किए गए तथा बीएसई तथा एनएसई में रिपोर्ट किए गए कारोबार को उपयुक्त मूल्य संवर्धन के साथ एकीकृत करना होगा। फिम्डा ने इस प्लेटफॉर्म को, जिसे अभी परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है, 1 सितंबर 2007 से तत्काल (लाइव) आधार पर चलाने का प्रस्ताव किया है। सभी एससीबी/एआईएफआई/एनबीएफसी को ओटीसी मार्केट में कार्पोरेट बांड में किए गए द्वितीयक बाजार के कारोबार 1 सितंबर 2007 से फिम्डा के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग सेशनों के अभ्यास में भाग लेने के लिए एनबीएफसी फिम्डा से सीधे संपर्क कर सकते हैं। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि चलनिधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अतर्गत दैनिक रिवर्स रिपो की 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा 6 अगस्त 2007 से हटा दी गई है। 28 नवंबर 2005 से प्रारंभ की गई तथा दैनिक आधार पर अपराह्न 3 से 3.45 बजे तक चलाई जाने वाली दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ) 6 अगस्त 2007 से समाप्त कर दी गई है। रिज़र्व बैंक पूर्वाह्न 9.30 बजे से 10.30 बजे तक एकल चलनिधि समायोजन सुविधा के रूप में एलएएफ का परिचालन जारी रखेगा। आगे अधिसूचित किए जाने तक ये नीलामियां पहले की तरह नियत दर आधार पर होंगी। रिज़र्व बैंक को, परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार रिपो/रिवर्स रिपो की निलामियां नियत दर अथवा परिवर्ती दरों पर कराने की छूट है। रिज़र्व बैंक के पास बाजार की स्थिति तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए एलएएफ के अंतर्गत रात्रिपर्यंत (ओवरसाइट) अथवा लंबी अवधि की रिपो/रिवर्स रिपो परिचालित कराने का भी विकल्प है। रिज़र्व बैंक एलएएफ के अंतर्गत टेंडर(रों) को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के अधिकार सहित, विकल्पों का लचीलेपन के साथ उपयोग करता रहेगा ताकि चलनिधि के दैनिक प्रबंधन के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा का प्रभावी उपयोग किया जा सके। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
अगस्त	3	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि (i) उन मामलों में जहां साख पत्र (एलसी) के अंतर्गत बिल का पराक्रामण (नेगोशिएसन) एक ही बैंक तक सीमित हो तथा साख पत्र का हिताधिकारी बैंक का ग्राहक न हो तो संबंधित बैंक ऐसे साख पत्र का पराक्रामण कर सकता है बशर्ते संबंधित राशि हिताधिकारी के नियमित बैंकर को प्रेषित की जाए। तथापि, ग्राहकों को छोड़कर अन्यों के असीमित साख पत्रों के पराक्रामण पर स्थित रोक बरकरार रहेगी; तथा (ii) बैंक स्वविवेक पर तथा साख पत्र जारी करने वाले बैंक की ऋण पात्रता को ध्यान में रखते हुए ऱ्दायित्व सहितट अथवा ऱ्दायित्व रहितट आधार पर साख पत्र के अंतर्गत आहरित बिल का पराक्रामण कर सकता है। तथापि, अन्य बिलों (साख पत्र से भिन्न विलेखों के अंतर्गत आहरित बिल) की ऱ्दायित्व रहितट आधार पर खरीद/डिस्काउंट पर स्थित रोक बरकरार रहेगी।
	13	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से आवास के क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक का प्रत्यक्ष वित्त, क्षेत्र से निरपक्ष, प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धिशील जमाराशि की पहले निर्धारित सीमा को भी हटा लिया गया है।
	22	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्रदत्त आवास वित्त का ब्योरा देते हुए आवास वित्त वितरण संबंधी विवरण तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऋण की स्वीकृति /वितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को ऋण करार की एक प्रति अवश्य उपलब्ध कराएं। • सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में सूचित किया गया जिसमें माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु तथा माइक्रो उद्यमों की संशोधित परिभाषा दी गई है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 1997 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिम वाणिज्य बैंकों की तरह उनके बकाया अग्रिमों का 40 प्रतिशत होना चाहिए। 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के भीतर समाज के कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 25 प्रतिशत (अर्थात् कुल बकाया अग्रिमों का 10 प्रतिशत) होना चाहिए।
	23	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि सीसीआईएल ने ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिव्स (ब्याज दर स्वाप्स और फारवर्ड रेट एग्रीमेंट (आईआरएस/ एफआरए) पर किए गए लेनदेनों का हिसाब रखेगा। इस रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को 30 अगस्त 2007 से कार्यान्वित किया जाएगा। सभी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को सौदा हो जाने के 30 मिनट के अंदर अपने सभी आईआरएस/एफआरएस के व्यापारों की रिपोर्टिंग करनी होगी। ग्राहकों के व्यापारों की रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक तथा प्राथमिक व्यापारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी बकाया आईआरएस/एफआरए संविदा (ग्राहक के व्यापारों को छोड़कर) के ब्यौरे 15 सितंबर 2007 तक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में शामिल कर लिए जाते हैं। इस संबंध में परिचालन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश सीसीआईएल द्वारा जारी किए जाएंगे।
सितंबर	3	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित विवरणियों के विद्यमान फार्मेट में संशोधन किया गया है। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों की अधिक सहभागिता के साथ शाखा स्तरीय समितियों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपाय करें। शाखा स्तरीय समितियों में अपने ग्राहकों को भी शामिल करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिक बैंक का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते एक वरिष्ठ नागरिक को समिति में शामिल करने के लिए वरीयता दी जानी चाहिए।
	4	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को धार्मिक स्थलों तथा बाजारों में विस्तार काउंटर खोलने के लिए अनुमति दी गई है। ऐसे मामलों में मुख्य बैंकर की शर्त लागू नहीं होगी। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस लेना होगा।
	5	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि : (क) बैंक, चलनिधि जोखिम की माप के लिए संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) चलनिधि विवरण में प्रथम काल खंड (टाइम बॅकिट) (वर्तमान में 1-14 दिन) को तीन काल खंडों अर्थात् अगले दिन, 2-7 दिन तथा 8-14 दिन में बांटकर अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपना सकते हैं । (ख) चलनिधि पर संचयी प्रभाव जानने के लिए अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन तथा 15-28 दिन के काल खंड के दौरान का निवल संचयी ऋणात्मक असंतुलन, संबंधित कालखंड में संचयी नकदी बहिर्वाह के क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। संरचनात्मक चलनिधि विवरण के फार्मेट में समुचित रूप से संशोधन किया गया ।
	7	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि ठ दि सांगली बैंक लि.ड का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
सितंबर	10	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार से परामर्श करके 5 और परिपत्रों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है, यथा - राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यख एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) /कार्यपालक निदेशक (ईडी) को अधिकारों का प्रत्यायोजन, आपसी निपटारा (कॉम्प्रॉमाइज़)/ राइट ऑफ के लिए सीएमडी/ईडी को अधिकारों का प्रत्यायोजन, बैंकों में सतर्कता व्यवस्था, बैंक में लूट /डकैती/ चोरी के मामलों की रिपोर्टिंग तथा छलपूर्ण लिखतों के भुगतान के संबंध में ग्राहक सेवा समझौता प्रक्रिया पर स्थायी समिति की बैठक।
	13	• यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने अनुषंगी (सेटेलाइट) कार्यालयों को स्वयंपूर्ण शाखा के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाए। परंतु, ऐसा करने से पूर्व उन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर अधिकार प्राप्त समिति की सहमति लेनी होगी। इस बात की सूचना सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दे दी गई है।
	17	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि आवास ऋण प्रदान करते समय उनकी सभी शाखाएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का पूर्णतः पालन करती हैं।
	21	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधात्मक प्रावधान समाप्त किए जाने के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित पैराग्राफों में निम्नानुसार परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है : 3.1 *ग्रामीण केंद्रों में शाखाओं का स्थानांतरण* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण केंद्रों में शाखाओं का स्थानांतरण भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना कर सकते हैं, बशर्ते विद्यमान तथा प्रस्तावित केंद्र एक ही ब्लॉक में हों तथा प्रस्तावित केंद्र की शाखा विद्यमान केंद्र की शाखा के अंतर्गत स्थित गांवों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हो। 3.2 *अर्ध-शहरी केंद्रों में शाखाओं का स्थानांतरण* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्ध-शहरी केंद्रों में एक ही इलाके/म्यूनिसिपल वार्ड के अंदर शाखाओं का स्थानांतरण भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमोदन के बिना कर सकते हैं। परंतु, यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि शाखा के स्थानांतरण के कारण वह इलाका/म्यूनिसिपल वार्ड बैंक रहित नहीं होना चाहिए। 9. *हानि उठाने वाली शाखाओं का विलयन* जहां किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हानि पर चल रही दो शाखाएं पास-पास (अर्थात् 5 कि.मी. के अंदर) हों वे ऐसी शाखाओं के विलयन पर विचार कर सकते हैं ताकि स्थान अंतर को युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ स्थापना/परिचालन संबंधी खर्चों को कम किया जा सके। 10. हटाया गया
अक्तूबर	23	• लॉर्ड श्री कृष्ण बैंक लि. का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूचि से हटा दिया गया
	24	• आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश में परिवर्तन किया गया और सभी वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि (ए) चलनिधि जोखिम के आकलन में बैंक और बारीक एप्रोच अपनाएं एवं इसके लिए संरचनात्मक चलनिधि (स्ट्रक्चरल लिक्विडिटि) के विवरण में पहले काल खंड (वर्तमान में यह 1-14 दिनों का है) को तीन खंडों यथा, अगला दिन, 2-7 दिन, और 8-14 में बाँट दें। (बी) संरचनात्मक चलनिधि विवरण सर्वोत्तम उपलबध डेटा कवरेज पर तैयार किया जाए और इसमें पूर्णतः नेटर्वक्ड एनवायरनमेंट के उपलब्ध न होने का समुचित ध्यान रखा जाए। तथापि, बैंक इस बाबत हरसंभव प्रयास करें कि समय पर 100 प्रतिशत डेटा का कवरेज हो। (सी) अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन और 15-28 दिन के कालखंड में कुल विशुद्ध निगेटिव मिसमैच सबंधित कालखंड में कुल कैश आउटफ्लो के 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि चलनिधि पर कुल प्रभाव का पता चले। (डी) बैंक गतिशील चलनिधि प्रबंधन(डायनामिक लिक्विडिटि मैनेजमेंट) करें और स्ट्रक्चरल लिक्विडिटि का स्टेटमेंट दैनिक आधार पर तैयार करें। वैसे, रिज़र्व बैंक को संरचनात्मक चलनिधि (स्ट्रक्चरल लिक्विडिटि) का स्टेटमेंट महीने में एक ही बार प्रत्येक महीने के तीसरे बुधवार की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट किया जाए।
	30	• यह निर्णय लिया गया कि 10 नवंबर 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर उनके डिमांड एंड टाइम लायबिलिटिज का 7.50 प्रतिशत कर दिया जाए। • भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में यूटीआइ बैंक लि. का नाम 30 जुलाई 2007 से बदलकर 'एक्सिस बैंक लि.' कर दिया गया है।
	31	• यह निर्णय लिया गया कि 10 नवंबर 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर उनके मांग और मीयादी देयताओं (डिमांड एंड टाइम लायबिलिटिज़) का 7.50 प्रतिशत कर दिया जाए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
		(ख) सहकारी बैंक
2006		
अप्रैल	13	• राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक, जिन्होंने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं और जो बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत है, अपनी यूनिटों के विपणन के लिए कतिपय शर्तों के अधीन म्युचुअल फंडों के साथ करार कर सकते हैं, साथ ही i) शहरी सहकारी बैंक ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य करेगा, ii) म्युचुअल फंड यूनिटों की खरीद पर जोखिम ग्राहक पर होगा और शहरी सहकारी बैंक उस पर किसी प्रतिलाभ का वादा नहीं करेगा, iii) शहरी सहकारी बैंक ऐसे यूनिटों को द्वितीयक बाजार से हासिल नहीं करेंगे, iv) शहरी सहकारी बैंक ग्राहकों से म्युच्युअल फंडों की युनिटों की पुनर्खरीद नहीं करेगा, और v) शहरी सहकारी बैंक वर्तमान केवाइसी/एएमएल दिशानिदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
	28	• बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए, शहरी सहकारी बैंकों को अपने विस्तार पटलों पर निम्नलिखित सीमित कार्य करने के लिए सूचित किया गया था : (i) जमा/निकासी लेनदेन, (ii) ड्राफ्ट और डाक अंतरणों को जारी करना तथा उनको भुनाना, (iii) यात्री चेकों को जारी करना तथा उनको भुनाना, (iv) बिलों की वसूली, (v) अपने ग्राहकों की मीयादी जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम देना (संबंधित विस्तार पटल के अधिकारी को दिए मंजूरी के अधिकारों के भीतर), (vi) प्रधान कार्यालय/मूल शाखा द्वारा (केवल व्यक्तियों को) 10 लाख रुपए तक की सीमा तक स्वीकृत अन्य ऋणों का संवितरण। • निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार ऑन साइट / ऑफ साइट एटीएम लगाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई थी। (i) न्यूनतम जमा 100 करोड़ रुपए, (ii) निर्धारित जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात का अनुपालन, (iii) 10 प्रतिशत से कम की निवल अनर्जक आस्तियां और (iv) आरक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चल निधि अनुपात का अनुपालन और निरंतर लाभप्रदता का रिकार्ड।
मई	26	• अनसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी वेबसाइटों पर निर्धारित फार्मेट में विभिन्न सेवा प्रभारों की जानकारी दें। शहरी सहकारी बैंक अपने कार्यालयों/शाखाओं में निर्दिष्ट कतिपय सेवाओं से संबंधित प्रभारों को भी प्रदर्शित करें। इसे स्थानीय भाषा में भी प्रदर्शित किया जाए।
जून	1	• शहरी सहकारी बैंकों के वाणिज्यिक स्थावर संपदा के एक्सपोजर पर जोखिम भार 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया है।
	6	• राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे राज्य सरकार द्वारा प्रायाजित विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं /निकायों /एजेंसियों के नाम में बचत बैंक खाता खोल सकते हैं, जिसके लिए संबंधित सरकारी विभाग से बैंक को यह प्रमाणित करते हुए प्राधिकृत पत्र प्रस्तुत किया गया हो कि संबंधित सरकारी विभाग को अथवा निकाय को बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गई है।
	15	• विशिष्ट क्षेत्रों में मानक अग्रिमों अर्थात वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोजर के रुपया ऋण और अग्रिम, 20 लाख रुपए से अधिक का रिहाइशी आवासीय ऋण और वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर प्रावधानीकरण वर्तमान के 0.40 प्रतिशत से बढ़कर 1.0 प्रतिशत कर दिया गया है। संशोधित मानदंड यूनिट बैंकों तथा वे बैंक जिनकी एक जिले में अनेक शाखाएं हैं और जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है तथा अन्य सभी शहरी सहकारी बैंक जो एक से अधिक जिलों में कार्य कर रहे हैं, पर संशोधित मानदंड लागू कर दिए गए हैं।
	19	• भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने भारत राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2005 बनाई है, जिसमें पूरे देश में भवन निर्माण गतिविधियों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं। इस संहिता में सुरक्षित एवं व्यवस्थित भवन विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलू जैसे प्रशासनिक विनियम, विकास नियंत्रण नियम तथा सामान्य निर्माण अपेक्षाएं, अग्नि सुरक्षा अपेक्षाएं, निर्माण सामग्री का निर्धारण, संरचनागत डिजाइन तथा निर्माण (सुरक्षा सहित), और भवन एवं नलसाज सेवाएं शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल इन पहलुओं को अपनी ऋण नीतियों में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार के दिशानिदेश राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 26 जून 2006 को जारी किए गए हैं।
जुलाई	11	• प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक के निवेशों को युक्तिसंगत बनाने और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं को सीधे उधार देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों को निदेश दिया गया कि एनएचबी/हुडको द्वारा जारी बांडों में 1 अप्रैल 2007 को या उसके बाद किया गया उनका निवेश प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकृत करने हेतु पात्र नहीं है।
	21	• शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित ठमहाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए राहत उपायड पैकेज की तर्ज पर अधिसूचित जिलों में किसानों के ऋण खातों जो 01 जुलाई, 2006 से अतिदेय हो गए हैं, उन्हें पुनः निर्धारित करें और उन पर ब्याज की रकम (01 जुलाई, 2006 को) को माफ कर दें। ऐसे किसानों को नया वित्त प्रदान किया जाए। ऐसे किसानों को नए वित्त उपलब्ध कराए जाएं।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
जुलाई	24	• अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक अपनी वेबसाइटों के होमपेज पर प्रमुख स्थान पर 'सेवा प्रभार और शुल्क' शीर्ष के अंतर्गत सेवा प्रभारों और शुल्क का उल्लेख करें ताकि उनकी जानकारी शहरी सहकारी बैंक के ग्राहकों को आसानी से प्राप्त हो सके। शिकायत निवारण हेतु नोडल अधिकारी के नाम के साथ शिकायत का फार्म भी होमपेज पर उपलब्ध करवाएं ताकि ग्राहक आसानी से शिकायत दर्ज कर सकें। शिकायत फार्म में यह उल्लेख हो कि शिकायत निवारण का पहला स्थान बैंक है तथा शिकायतकर्ता बैंक में एक महीने के भीतर शिकायत का निवारण न होने पर ही वे बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
	26	• शहरी सहकारी बैंक स्वयं को इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजना से न जोड़े जो जमाराशि स्वीकार करती हो और जिसे मांग पर आहरित किया जा सकता हो। इसी प्रकार के दिशानिदेश राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी 07 अगस्त 2006 को जारी किए गए हैं।
अगस्त	11	• राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि 24 जून, 2006 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से सीआरआर के अंतर्गत निर्धारित राशि रखने में चूक करने वाले मामले में दंडात्मक ब्याज इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा : i) दैनिक आधार पर सीआरआर बनाए रखने की अपेक्षा में चूक, जो वर्तमान में कुल सीआरआर का 70 प्रतिशत है, पर ब्याज दर इस दिन के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि और रखी गई राशि में कमी की राशि पर बैंक दर और उसके ऊपर तीन प्रतिशत दर पर लगायी जाएगी और यदि यह कमी अगले दिन/दिनों तक बनी रहती है तो दंडात्मक ब्याज दर, बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक दर पर लगाई जाएगी, ii) एक पखवाड़े के दौरान, सीआरआर बनाए रखने में हुई चूक के मामले में दंडात्मक ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (3) में दिए अनुसार वसूला जाएगा। इसी प्रकार के दिशानिदेश अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को 16 अगस्त 2006 को जारी किए गए हैं।
	18	• केंद्रीय सरकार के ज़्हेन इश्यूडट लेनदेन हेतु लेखांकन और संबंधित पहलुओं से संबंधित जानकारी शहरी सहकारी बैंकों को जारी की गई है।
सितंबर	4	• प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय उपलब्ध करवाने के बारे में शहरी सहकारी बैंकों को दिशानिदेश जारी किए गए है।
	22	• राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय मध्यवर्ती बैंकों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि शाखाओं में ग्राहकों को जारी पासबुक/खाता विवरण में शाखा का पूरा पता/दूरभाष संख्या अनिवार्य रूप से दी जाए।
	26	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि धोखाधड़ी, चोरी आदि से संबंधित आंकड़े फार्मेट एमएमआर-2,3 और 4 में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को उस तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करें जिस तिमाही से आंकड़े संबंधित हैं।
अक्तूबर	6	• शहरी सहकारी बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि खाता धारकों को जारी किए गए पासबुकों खातों के विवरणों में अनिवार्य रूप से शाखा का पूरा पता /टेलीफोन नं. लिखा जाए।
	11	• राज्य सहकारी बैंकों /जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सभी खाता धारकों (व्यक्तियों) को अनिवार्य रूप से पासबुकों की सुविधा उपलब्ध करवाएं ऐसे ही दिशानिदेश शहरी सहकारी बैंकों को 16 अक्तूबर 2006 को जारी किए गए।
	17	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के समग्र लक्ष्य के भीतर और कमजोर तबके के लिए 25 प्रतिशत के उप लक्ष्यों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए कि अल्प समुदाय के लोग ऋण का समान वांछित हिस्सा प्राप्त करें। • शहरी सहकारी बैंकों को पारिवारिक इकाई के हिताधिकारी को 25 लाख रुपए तक का आवास ऋण देने की अनुमति दी गई थी। परंतु 15 लाख रुपए से ऊपर के आवास ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण नहीं माना जाएगा। इस शर्त को कि किस्त और ब्याज की रकम के लिए निर्धारित की गई वर्तमान सीमा उधारकर्ता की आय के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, समाप्त कर दिया गया है।
नवंबर	13	• श्रेणी III और IV को छोड़कर, राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, को विस्तार काउंटरों को तीन वर्ष तक कार्य करने के बाद उन्हें पूर्ण रूप से शाखाओं में परिवर्तित करने की पात्रता होगी। यदि बैंक इन शाखाओं को दूसरे स्थान पर स्नानांतरित करना/

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
		स्थापित करना आवश्यक समझता है तो इसकी अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी : (i) परिवर्तित शाखा की शिफ्टिंग/अन्य स्थान पर स्थापना उसी शहर/कस्बे की सीमा के भीतर हो, (ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि विस्तार काउंटर के वर्तमान ग्राहकों तथा संस्थागत ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी; (iii) जिस संस्था में विस्तार काउंटर वर्तमान में कार्य कर रहा है उसमें नए विस्तार काउंटर की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नवंबर	22	• शहरी बैंक, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा जारी निदेशों का कड़ाई से पालन करें। ये निदेश निम्नलिखित प्रयोजन हेतु आवास ऋण के संबंध में हैं : (क) भवन निर्माण, (ख) निर्मित/बनी हुई संपत्ति की खरीद, (ग) अनधिकृत श्रेणी की कालोनियों की संपत्ति तथा (घ) संपत्ति जो आवासीय प्रयोजन के लिए है किंतु आवेदक उसे वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
	27	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राधिकृत व्यापारी लाइसेंस के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करें। यह निर्णय लिया गया कि शहरी सहकारी बैंकों को एफएमसीसी के रूप में कार्य करने के लिए कोई नया प्राधिकरण न दिया जाए।
दिसंबर	11	• रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि राज्य सहकारी बैंकों तथा अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकिंग प्रणाली के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनके निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के एक प्रतिशतता बिंदु के आधे तक दो चरणों में बढ़ाया जाए, जो निम्नलिखित पखवाड़ों से प्रभावी होगा : प्रभावी तारीख (अर्थात् जिस तारीख से पखवाड़ा शुरू होता है) : निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर; 23 दिसंबर 2006 - 5.25; 6 जनवरी 2007- 5.50
	13	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि डुप्लीकेट मांग ड्राफ्ट जारी करने में होने वाले विलंब के लिए ब्याज के भुगतान से संबंधित पूर्व अनुदेश केवल उन्हीं मामलों में लागू होंगे जहां डुप्लीकेट मांग ड्राफ्ट बनाने का अनुरोध क्रेता द्वारा अथवा लाभार्थी द्वारा किया गया हो, और यह तीसरी पार्टी को परांकन के मामले में लागू नहीं होगा।
	18	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों को चेक ड्राप बाक्स में डालने के लिए मजबूर न करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे चेक ड्राप बॉक्स पर यह प्रदर्शित करें कि 'ग्राहक अपने चेक काउंटर पर भी दे सकते हैं और जमापर्ची पावती प्राप्त कर सकते हैं।' यदि ग्राहक चेक काउंटर पर जमा करता है तो कोई भी शाखा रसीद देने से मना नहीं कर सकती। इसी प्रकार की सूचना 26 दिसंबर 2006 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को और 28 दिसंबर 2006 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी की गई।
	26	• आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के ऋणग्रस्त जिलों के किसानों की ऋणग्रस्तता दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक पैकेज का अनुमोदन किया है, जिसमें अन्य मदों के अलावा, कृषि ऋण से संबंधित मद है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) प्रभावित जिलों में 1 जुलाई 2006 को बकाया ऋणों के समस्त ब्याज माफ कर दिए जाएंगे और किसानों पर उस तारीख को पिछले किसी ब्याज का बोझ नहीं होगा, ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से नया ऋण लेने के लिए तुरंत पात्र हो सकें, (ii) 1 जुलाई 2006 को किसानों के अतिदेय ऋणों को 3-5 वर्षों तक की अवधि में पुनर्निर्धारण किया जाएगा और एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि भी होगी तथा, (iii) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल के उपर्युक्त ऋणग्रस्त जिलों में वर्ष 2006-07 में क्रमशः 13,817.78 करोड़ रुपए, 3,076.20 करोड़ रुपए और 1,945.07 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाएंगे। अतिदेय ब्याज को माफ करने का बोझ राज्य एवं केंद्र सरकारें बराबर मात्रा में उठाएंगी। उपर्युक्त अतिदेय ब्याज का विभाजन करते समय, राज्य सरकार द्वारा पहले ही किए गए किसी निर्गम को समायोजित करने का विशेष ध्यान रखा जाए।
	28	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने ग्राहकों को ड्राप बाक्सों में चेक डालने के लिए मजबूर न करें। जहां ग्राहकों को चेक ड्राप बाक्स सुविध मुहैया कराई जाए, वहीं नियमित वसूली काउंटरों पर चेकों की रसीद देने से मना न किया जाए। कोई भी शाखा उनके काउंटरों पर दिए जाने वाले चेकों के लिए ग्राहकों को पावती देने से मना नहीं करेगी।
2007		
जनवरी	22	• अग्रिमों के प्रबंधन से संबंधित सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित एवं अद्यतन करते हुए सभी शहरी सहकारी बैंकों को मास्टर परिपत्र जारी किया गया।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
फरवरी	5	• रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के बावजूद, यह पाया गया है कि बैंक अभी भी नोट के पैकेटों को स्टेपल करने की प्रथा जारी रखे हुए हैं। इस परंपरा से, नोट को नुकसान तो पहुंचता ही है, नोटों का जीवन कम हो जाता है और इससे ग्राहकों को नोटों के पैकेट आसानी से खोलने में कठिनाई होती है। सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे तुरंत प्रभाव से : (i) किसी भी नोट पैकेट को स्टेपल न करें बल्कि कागज की पट्टी से बांधकर सुरक्षित करें; (ii) नोटों को पुनः जारी करनेयोग्य और जारी न करने योग्य नोटों में छांटें तथा जनता को केवल साफ-सुथरे नोट जारी करें। गंदे नोट स्टेपल न की गई हालत में करेंसी चेस्टों के माध्यम से आवक रेमिटेंस में रिज़र्व बैंक को भेज दिए जाएं; तथा (iii) इसके बाद बैंक नोटों के वाटरमार्क विंडो पर किसी भी प्रकार से लिखना बंद करें ।
	19	• यह निर्णय लिया गया कि यूनिट बैंक तथा 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक जमाराशि वाले वो बैंक जिनके एक ही जिले में एकाधिक शाखाएं हैं और एकाधिक जिलो में परिचालन करने वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण तथा अग्रिमों के निम्नलिखित श्रेणियों के मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से एक प्रतिशत बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया जाए : (क) वैयक्तिक ऋण, (ख) पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में माने जाने वाले ऋण तथा अग्रिम, तथा (ग) स्थावर संपदा ऋण (रिहायशी आवास ऋण को छोड़कर) सभी अन्य ऋणों एवं अग्रिमों, जो मानक आस्तियां हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो कृषि लघु एवं मझोले उद्यमों तथा सामान्य उद्योगों को दिए गए हैं, पर प्रावधान की अपेक्षाएं अपरिवर्तित रहेंगी। ऊपर उल्लिखित बैंकों की श्रेणियों के लिए मानक आस्ति प्रावधान अपेक्षाएं, उपर्युक्त संशोधनों के बाद, संक्षिप्त रूप में नीचे प्रस्तुत हैं। ये प्रावधान अनुमत सीमा तक पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु टियर II पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे। क्रम सं. / मानक आस्ति की श्रेणी / प्रावधान की दर (क) / कृषि और एसएमई क्षेत्र को प्रत्यक्ष अग्रिम / 0.25 % (ख) / वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में ऋण एवं अग्रिम, कमर्शियल स्थावर संपदा ऋण तथा व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी - एनडी को ऋण एवं अग्रिम / 2.00 % (ग) / अन्य सभी प्रकार के ऋण एवं अग्रिम जिन्हें उक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं किया गया है / 0.40%
मार्च	1	• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें निम्नलिखित देयताओं पर 22 जून 2006 से औसत सीआरआर रखने से छूट दी जाती रहेगी, बशर्ते वे अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं पर न्यूनतम 3 प्रतित का सांविधिक सीआरआर बनाए रखें : (i) भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं जिसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत की गई हो, और (ii) भारतीय समाशोधन निगम के साथ संपार्श्विकीकृत उधार एवं ऋण दायित्व संबंधी लेनदेन। • सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने 9 जनवरी 2007 को उस दिन के रूप में अधिसूचित किया है जिस दिन भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 की धारा 3 को छोड़कर सभी प्रावधान लागू होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 में निम्नलिखित को हटाने का प्रावधान किया गया है: (i) देश में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा सीआरआर की उच्चतम एवं न्यूनतम दर का निर्धारण करना, तथा (ii) पात्र सीआरआर राशियों पर ब्याज भुगतान का प्रावधान (अर्थात् सांविधिक न्यूनतम सीआरआर तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीआरआर के बीच के अंतर की प्रारक्षित निधि की राशि)। 1. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर रखी जानेवाली प्रभावी सीआरआर की राशि 3 प्रतिशत से कम नहीं होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी शहरी सहकारी बैंक अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं का 17 फरवरी, 2007 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 5.75 प्रतिशत और 3 मार्च, 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 6.00 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखेंगे। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की उप धारा 42(5) (ग) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि मांग और मीयादी देयताओं की गणना में मान्य सीआरआर छूटों के चलते जो बैंक 22 जून 2006 से 2 मार्च 2007 तक 3 प्रतिशत का न्यूनतम सांविधिक सीआरआर का स्तर नहीं रख पाए ऐसे बैंकों को दंड के रूप में लगने वाले ब्याज से छूट दी जाए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
		3. रिज़र्व बैंक सभी शहरी सहकारी बैंकों को पात्र सीआरआर राशियों पर इन दरों से ब्याज देगा : (क) सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास 24 जून 2006 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 8 दिसंबर 2006 तक रखी गई पात्र नकद राशियों पर 3.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, (ख) सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास 9 दिसंबर 2006 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 16 फरवरी 2007 तक रखी गई पात्र नकद राशियों पर 2.0 प्रतिशत, (ग) सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास 17 फरवरी 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से रखी गई पात्र नकद राशियों पर 1.0 प्रतिशत।
मार्च	16	• शहरी सहकारी बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि किसान विकास पत्र सहित लघु बचत लिखत प्राप्त करने/में निवेश करने के लिए कोई भी ऋण स्वीकृत न किया जाए।
	23	• राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि किसान विकास पत्र सहित लघु बचत लिखत प्राप्त करने/में निवेश करने के लिए कोई भी ऋण स्वीकृत न किया जाए।
अप्रैल	4	• राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशतता बिंदु के आधे तक निम्नलिखित पखवाड़े से लागू करते हुए दो चरणों में बढ़ाया जाए:

लागू तारीख (अर्थात् पखवाड़ा शुरू होने की तारीख)	निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)
14 अप्रैल 2007	6.25
28 अप्रैल 2007	6.50

तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर रखी जाने वाली प्रभावी सीआरआर दर 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

• 14 अप्रैल, 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से राज्य सहकारी बैंकों को वर्तमान सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास रखी गई पात्र नकद राशियों पर 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा।

	5	• शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशतता बिंदु के आधे तक, निम्नलिखित पखवाड़े से लागू करते हुए दो चरणों में बढ़ाया जाए :

लागू तारीख (अर्थात् पखवाड़ा शुरू होने की तारीख)	निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)
14 अप्रैल 2007	6.25
28 अप्रैल 2007	6.50

तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर रखी जानेवाली प्रभावी सीआरआर दर 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगी। 14 अप्रैल, 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से शहरी सहकारी बैंकों को वर्तमान सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास रखी गई पात्र नकदी राशियों पर 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा।

	9	• राज्य सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि ग्राहकों द्वारा जारी चेकों/ड्राफ्टों को जिनमें राशि फुटकर रुपए में लिखी गई हो, निरस्त अथवा अस्वीकार न करें।
	12	• राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे आम तौर पर जमा खाता खोलने वाले व्यक्तियों से नामांकन देने का आग्रह करें। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन भरने से मना करता है, तो उसे नामांकन सुविधा के फायदे बताएं जाएं। यदि इस पर भी खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन नहीं देना चाहता है, तो बैंक उससे इस आशय का विशेष पत्र देने के लिए कहे जिसमें यह लिखा हो कि वह नामांकन नहीं करना चाहता है। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति ऐसा पत्र देने से मना करता है तो बैंक खाता खोलने वाले फार्म पर यह तथ्य दर्ज करे और अन्यथा पात्र पाए जाने पर खाता खोलने की कार्रवाई करे। बैंक किसी भी परिस्थिति में केवल इस कारण से खाता खोलने के लिए मना न करे कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामांकन देने से मना कर दिया है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
अप्रैल	17	• शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि ग्राहकों द्वारा जारी चेकों/ ड्राफ्टों को जिनमें राशि फुटकर रुपए में लिखी गई हो, निरस्त अथवा अस्वीकार न करें।
	18	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने 16 जून, 2006 को माइक्रो, लघु एवं मझोले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 पारित किया है, जिसे 2 अक्तूबर, 2006 को अधिसूचित किया गया। विनिर्माण कार्य अथवा उत्पादन कार्य और सेवाएं प्रदान करने, देने का कार्य कर रहे अति लघु (माइक्रो), लघु और मझोले उद्यम की परिभाषा संशोधित की गई है जिसे बैंकों द्वारा अन्य नीतिगत उपायों के साथ-साथ तुरंत लागू किया जाना है। मझोले उद्यमों को बैंक द्वारा दिए गए उधार को, जिसमें उपकरण में निवेश की राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से अनधिक हो, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत गणना हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।
	19	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे जमा खाता खोलने वाले व्यक्ति से सामान्यतया नामांकन भरने का आग्रह करें। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन भरने से मना कर देता है, तो बैंक उसे नामांकन सुविधा के फायदे बताए। यदि इस पर भी खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन नहीं भरना चाहता, तो बैंक उससे इस आशय का विशेष पत्र देने के लिए कहे जिसमें यह लिखा हो कि वह नामांकन नहीं करना चाहता। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति ऐसा पत्र देने से मना करता है, तो बैंक यह तथ्य उसके खाता खोलने वाले फार्म पर लिख दे और अन्यथा पात्र पाए जाने पर खाता खोलने की कार्रवाई करे। किसी भी परिस्थिति में बैंक, खाता खोलने से केवल इस आधार पर मना नहीं करेगा कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामांकन भरने से मना कर दिया।
	24	• राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें 01 अप्रैल 2007 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत गणना की गई निम्नलिखित देयताओं पर औसत सीआरआर रखने से छूट होगी : (i) भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं जिनकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के स्पष्टीकरण के खंड (ङ) के अंतर्गत की गई है, (ii) भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआइएल) के साथ संपार्श्विकृत उधार एवं ऋण दायित्व (सीबीएलओ) के लेनदेन। • भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं.एसओ 337 (ङ) में 01 अप्रैल, 2007 को भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 की धारा 3 के प्रावधान लागू होने की तारीख अधिसूचित की है। भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के प्रावधान लागू किए जाने के फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1) में किया गया संशोधन 01 अप्रैल, 2007 से लागू किया गया। तदनुसार, कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम सीआरआर की अपेक्षा उक्त अधिसूचित तारीख से समाप्त होती है। रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता कायम रखने की आवश्यकता के मद्देनजर समय-समय पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए किसी भी न्यूनतम एवं उच्चतम सीमा के बिना सीआरआर निर्धारित कर सकता है। (2) रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय किया गया कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा रखी जाने वाली सीआरआर दर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए तथा वर्तमान छूट जो अगले परिवर्तन तक जारी रहेगी, को अधिसूचित किया गया। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंक अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर रखना जारी रखेंगे। लागू होने की तारीख (अर्थात् पखवाड़ा शुरू होने की तारीख) — निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) 14 अप्रैल 2007 — 6.25 28 अप्रैल 2007 — 6.50 (3) भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 लागू होने से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1ख) 01 अप्रैल 2007 से हट जाएगी। इस संशोधन के अनुरूप यह निर्णय किया गया कि 31 मार्च 2007 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से रिज़र्व बैंक, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा रखी गई सीआरआर राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं करेगा।
	30	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि सोने और चांदी की जमानत पर दिए गए 1 लाख रुपए तक के ऋण पर मौजूदा 125 प्रतिशत के जोखिम भार को तुरंत प्रभाव से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। • शहरी सहकारी बैंकों के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित रियायती विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।
मई	4	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 'चूककर्ता कंपनी' के रूप में घोषित कंपनी/कंपनियों के धन संबंधी लेनदेन की अनुमति बैंक में न दी जाए। तदनुसार, इस संबंध में सभी शाखाओं को तुरंत सूचित किया जाए और आदेश के अनुपालन की सूचना दी जाए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
मई	4	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि व्यक्तियों के लिए आवासीय ऋण पर जोखिम भार 75 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है, और यह अस्थायी उपाय है जो 20 लाख रुपए तक के ऋण के लिए लागू होगा तथा इस संबंध में चूक एवं अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।
	16	• राज्य सहकारी बैंकों /जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे आंतरिक रूप से उपयुक्त सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करें ताकि प्रोसेसिंग एवं अन्य प्रभारों को मिलाकर ऋणों एवं अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज न लगाना पड़े।
	18	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे आंतरिक रूप से उपयुक्त सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करें ताकि प्रोसेसिंग एवं अन्य प्रभारों को मिलाकर ऋणों एवं अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज न लगाना पड़े। • राज्य सहकारी बैंकों /जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से आग्रह किया गया कि वे उपयुक्त प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए अपने वित्तीय समावेशन के प्रयास को व्यापक बनाएं। यह सावधानी बरती जाए कि विकसित समाधान अत्यधिक सुरक्षित, लेखा-परीक्षा करने योग्य हो, तथा व्यापक रूप से स्वीकार्य प्रचलित मानक अपनाए गए हों जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रणालियों में परस्पर परिचालित करने की सुविधा हो। • राज्य सहकारी बैंकों /जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा प्रदान करने तथा सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा/ बैंकों द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुओं को लौटाने जैसे मुद्दों के बारे में नए दिशानिर्देश जारी किए गए।
	24	• रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को निर्देश दिए कि वे संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 का पालन करें।
जून	21	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि सुरक्षित जमा लॉकर/वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा प्रदान करने तथा सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा / बैंकों द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुओं को लौटाने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
जुलाई	13	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि (i) वे शेयर दलालों को निधि आधारित अथवा गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा नहीं दे सकते चाहे वह जमानती हो या गैर-जमानती। यह निषेध शेयरों और डिबेंचरों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों जैसे मीयादी जमा रसीदें, जीवन बीमा निगम पालिसियों आदि की जमानत पर ऋण और अग्रिम पर भी लागू है, (ii) शहरी सहकारी बैंकों को पण्य-दलालों को कोई सुविधा देने की अनुमति नहीं है। इसमें उनकी ओर से गारंटियां जारी करना भी शामिल है। (iii) केवल व्यक्तियों को म्युचुअल फंड की यूनिटों की जमानत पर अग्रिम उसी प्रकार दिया जा सकता है जिस प्रकार से शेयरों, डिबेंचरों तथा बांडों की जमानत पर दिया जाता है। कोई भी ऋण सुविधा जो इस समय दी जा रही है, किंतु उक्त अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, प्रचलन में हो तो उसे बिना किसी विलंब के हटा लिया/ बंद कर दिया जाए। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की जाए। • शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि विलय मामले में सुनाम (गुडविल) के परिशोधन की समीक्षा की गई है और उन्हें इस प्रकार सूचित किया गया (i) यदि अभिग्रहण/समामेलन के लिए अदा की गई राशि प्राप्त की गई निवल आस्तियों के बही मूल्य से अधिक हो जाती है तो उस अधिक राशि को सुनाम (गुडविल)के रूप में माना जाएगा और उसे अगले पांच वर्षों में समान किस्तों में परिशोधित किया जाएगा, तथा (ii) जहां प्रतिदान (कंसिडरेशन) राशि की अदायगी नहीं होती है किंतु ग्रहीत आस्तियों का बही मूल्य देयताओं के बही-मूल्य से कम होता है, तो ग्रहीत आस्तियों के बही मूल्य की तुलना में देयताओं का बही मूल्य जितना अधिक होता है, उसे सुनाम के रूप में माना जाएगा और उसे अगले पांच वर्षों में समान किस्तों में परिशोधित किया जाएगा; तथा (iii) जहां प्रतिदान राशि की अदायगी नहीं होती है, किंतु ग्रहीत आस्तियों का बही मूल्य ग्रहीत देयताओं के बही मूल्य से अधिक है, तो देयताओं के बही मूल्य की तुलना में आस्तियों का बही मूल्य जितना अधिक होता है, उसे आरक्षित पूंजी माना जाएगा। • शहरी सहकारी बैंकों को एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। बैंक जो आनसाइट/ आफसाइट एटीएम लगाने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, अपने बोर्ड के अनुमोदन से एटीएम-सह-डेबिट कार्ड शुरू कर सकते हैं। तथापि, ऑफ लाइन डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है। रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रारंभ किए गए एटीएम-सह-डेबिट कार्ड के ब्यौरे तथा अपने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कार्य सूची नोट एवं उस संबंध में पारित संकल्प की प्रतियां प्रेषित की जाएं। शहरी सहकारी बैंक अन्य गैर-बैंक संस्थाओं के साथ मिलकर एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी नहीं करेंगे। शहरी सहकारी बैंक इन कार्डों के परिचालन की समीक्षा करें तथा अपने बोर्ड को प्रति वर्ष मार्च और सितंबर को समाप्त छमाही के आधार पर समीक्षा नोट प्रस्तुत करें। बैंकों द्वारा जारी इन कार्डों के परिचालन से संबंधित रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष मार्च और सितंबर के अंत में छमाही आधार पर रिज़र्व बैंक को प्रेषित की जाए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
जुलाई	17	• शहरी सहकारी बैंक जिनके पास प्राधिकृत व्यापारी I अथवा II का लाइसेंस है, वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुद्रा अंतरण सेवा योजनाओं के अंतर्गत एजेंट / उप एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं और जो विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो, : (i) बैंक की एएमएल/केवाइसी मानकों के अनुपालन की स्थिति संतोषजनक हो; (ii) मूल (मुख्य) बैंक, निर्दिष्ट बैंक के पास एजेंट के पक्ष में विदेशी मुद्रा जमाराशि (अमरीकी डालर) रखेगा, जो इस समय तीन दिन में किए गए औसत भुगतान के बराबर की राशि अथवा 50,000 अमरीकी डालर में से जो भी अधिक हो, (iii) जहां शहरी सहकारी बैंक उप एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो, वहां एजेंट भी निर्दिष्ट बैंक के पास संबंधित शहरी सहकारी बैंक (उप एजेंट) के पक्ष में तीन दिन के औसत भुगतान के बराबर की राशि अथवा 20 लाख रुपए, जो भी अधिक हो, जमानत राशि के तौर पर रखेगा। (iv) शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि किए जाने वाले भुगतान जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई है, किसी भी समय, विदेशी मुख्य एजेंट द्वारा रखी गई जमानती राशि से अधिक न हो, जैसा भी मामला हो; (v) कोई भी शहरी सहकारी बैंक किसी अन्य शहरी सहकारी बैंक/संस्था को अपने उप एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है।
अगस्त	14	• सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, खाद्य एवं लोक वितरण द्वारा बफर स्टाक के सृजन के संबंध में जारी अधिसूचना के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 01 मई 2007 से एक वर्ष की अवधि तक 20 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाया जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार, चीनी विकास निधि से 378 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करेगी और चीनी के मौजूदा स्टॉक से बफर स्टाक बनाए जाने के फलस्वरूप बैंकों को मार्जिन देने हेतु 420 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण राशि मंजूर करनी होगी। इस योजना के परिचालन के लिए, चीनी मिलों के लिए यह जरूरी होगा कि वे उनके पास पहले से रखी चीनी के स्टॉक से बफर स्टॉक के लिए रखी जानेवाली चीनी का स्टॉक अलग करके रखें। बैंक नियमित ऋण सीमा में से अलग से उप-ऋण सीमा का आबंटन करें जो चीनी मिलों द्वारा रखे गए बफर स्टॉक के 100 प्रतिशत मूल्य को प्रदर्शित करेगा। बफर स्टॉक के लिए 100 प्रतिशत आहरण प्रदान करने हेतु जारी रकम, अर्थात् मार्जिन राशि के रूप में जारी राशि को एक विशेष खाता में जमा किया जाए। बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस खाते में रखी गई राशि का इस्तेमाल गन्ने के भुगतान के लिए किया जाए।
	28	• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि बैंक ने उसी राज्य के भीतर उनके परिचालन क्षेत्र में उनकी शाखाओं को एक शहर से दूसरे शहर में ले जाने के अनुरोध पर निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया है : (i) नए केंद्र का जनसंख्या समूह मौजूदा केंद्र के जनसंख्या समूह के समान अथवा कम हो, अर्थात ञ्डीट केंद्र पर स्थित शाखा को अन्यत्र ञ्डीट केंद्र पर ही स्थानांतरित किया जा सकता है; (ii) कम बैंक वाले जिले में स्थित शाखा को अन्य कम बैंक वाले जिले के केंद्र पर ही स्थानांतरित किया जा सकता है तथा (iii) इस स्थानांतरण से बैंक को लागत और कारोबार के हिसाब से फायदा होना चाहिए।
	30	• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने नियंत्रक कार्यालयों, शाखा कार्यालयों को यह सूचित करते हुए आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे निर्दिष्ट 121 अल्पसंख्यक वाले जिलों में अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले ऋण पर विशेष रूप से निगरानी रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यक समुदाय को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य के भीतर समान अंश में ऋण प्राप्त हो। उपर्युक्त अपेक्षा का ध्यान ञ्अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रमट के अंतर्गत लक्ष्यों एवं विकास परियोजनाओं के स्थान के निर्धारण के प्रयोजन से रखा जाए। • सभी शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश सूचित किए गए, जिसमें माइक्रो, लघु और मझोले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु एवं माइक्रो उद्यमों की संशोधित परिभाषा को शामिल किया गया है।
सितंबर	13	• सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिस प्रयोजन के लिए ऋण सुविधाएं दी गई है, उधारकर्ता उनका इस्तेमाल उसी प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। अतः बैंकों में निधियों के प्रयोजन परक इस्तेमाल पर उचित निगरानी रखने के लिए तंत्र होना चाहिए। जहां कहीं यह पाया जाए कि निधियों का इस्तेमाल अन्यत्र किया जा रहा है, तो वे संबंधित ग्राहकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें और बैंक के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। बैंक, खास तौर से उन खातों के बारे में और सख्त सुरक्षा उपाय लागू करें जिनमें एनपीए के संकेत मिल रहे हों। इन मामलों में बैंक ग्राहकों के गोदामों का जल्दी-जल्दी निरीक्षण करते हुए अपनी निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाएं, और यह सुनिश्चित करें कि बिक्री से प्राप्त राशि को बैंक में उधारकर्ता के खाते में जमा किया जाता है तथा स्टॉक को दृष्टिबंधक रखने के बजाय गिरवी रखने का आग्रह करें। ऐसे मामलों में जहां नकद ऋण और अन्य ऋण खातों के लिए दृष्टिबंधक रखे गए स्टॉक के बारे में यह पाया जाता है कि उसे बेच दिया गया है किंतु उससे मिलने वाली रकम ऋण खाते में जमा नहीं की गई है, तो इसे आम तौर पर धोखाधड़ी माना जाए। ऐसे मामलों में, बैंक शेष स्टॉक को सुरक्षित रखने हेतु तुरंत कदम उठाए ताकि उपलब्ध जमानत के मूल्य में और अधिक क्षय को रोका जा सके, इसके अलावा, बैंक अन्य आवश्यक कार्रवाई भी करे।
	18	• समस्त वेतन अर्जक प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वेतन अर्जक बैंकों के बोर्ड में दो पेशेवर निदेशक रखे जाने का आग्रह न करें।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
सितंबर	18	• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि शहरी सहकारी बैंकों को गैर-एसएलआर निवेशों के संबंध में और अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से इन निवेशों पर निम्नलिखित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं : (i) गैर एसएलआर निवेश की सीमा बैंक की पिछले वर्ष की 31 मार्च की कुल जमाराशि के 10 प्रतिशत तक बनी रहेगी; (ii) ये निवेश ऋप्ट अथवा उसके समकक्ष रेटिंग वाले प्रतिदेय प्रकृति के वाणिज्यि पत्रों (सीपी), डिबेंचरों तथा बांडों में ही किये जा सकेंगे। बेमीयादी ऋण लिखतों में निवेश नहीं किया जा सकेगा; (iii) लिस्टिंग न हुई प्रतिभूतियों में निवेश की राशि किसी भी समय कुल गैर-एसएलआर निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो बैंक इस सीमा से अधिक का निवेश कर चुके हैं वे ऐसी प्रतिभूतियों में और निवेश नहीं कर सकेंगे। ऋण म्यूचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों को छोड़कर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऋण म्यूचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को छोड़कर यूटीआई सहित अन्य म्यूचुअल फंडों की वर्तमान धारिता का विनिवेश किया जाना चाहिए। जब तक ये यूनिटें बैंक की बहियों में रहती हैं तब तक उपर्युक्त (i) में निर्धारित सीमा हेतु इन्हें गैर-एसएलआर निवेशों के रूप में माना जाएगा । (v) गैर-एसएलआर श्रेणी के सभी नए निवेशों को व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) /बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) के रूप में ही वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इनका मूल्य इन श्रेणियों के निवेशों के लिए यथाप्रयोज्य विधि से बाजार भाव पर लगाया जाना चाहिए; (vii) वाणिज्य बैंकों और अनुमत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के जमा खातों में रखी राशि तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों में किए गए निवेश गैर-एसएलआर निवेशों के लिए निर्धारित कुल जमाराशि के 10 प्रतिशत की सीमा से बाहर होंगे; (viii) अंतर बैंक जमाराशि के रूप में रखी निधि की कुल राशि (समाशोधन, प्रेषण आदि सहित सभी प्रयोजनों के लिए) पिछले वर्ष की 31 मार्च की शहरी सहकारी बैंक की मांग और मीयादी देयता (डीटीएल) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीटीएल के 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण अंतर बैंक एक्सपोजर की सीमा सम्मिलित (ऑल इन्क्लूसिव) सीमा है तथा यह अंतर बैंक मांग और नोटिस मुद्रा तक सीमित नहीं है। केवल टीयर I शहरी सहकारी बैंकों के मामले में यह अपवाद है कि वे एनडीटीए के 10 प्रतिशत की उपर्युक्त विवेकपूर्ण सीमा के अतिरिक्त अपने एनडीटीएल के 15 प्रतिशत तक की राशि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमाराशि के रूप में रख सकते हैं; (ix) शहरी सहकारी बैंक का किसी एक बैंक के प्रति एक्सपोजर, पिछले वर्ष के 31 मार्च को सकल गैर-एसएलआर निवेश और उस बैंक में रखी जमाराशि सहित जमाकर्ता बैंक की मांग और मीयादी देयता के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु एकल बैंक एक्सपोजर सीमा निर्धारित करने के लिए सीएसजीएल सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा तथा बैंक गारंटी (बीजी), साख पत्र (एलसी) जैसी गैर निधि आधारित सुविधाएं लेने के लिए बैंक के पास रखी जमाराशि यदि कोई हो तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। (x) उपर्युक्त सभी निवेश, बैंकों के पास रखी उन जमाराशियों को छोड़कर जिनके संबंध में उपर्युक्त (ix) में विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई हैं, निर्धारित विवेकपूर्ण व्यक्ति/समूह एक्सपोजर सीमा के अधीन होगा, (xi) वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) तथा जमा प्रमाणपत्रों को छोड़कर सभी निवेश उन लिखतों में होना चाहिए जिनकी मूल परिपक्वता (मेच्युरिटी) कम से कम एक वर्ष हो; (xii) जिन गैर अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की शाखा व प्रधान कार्यालय एक ही है अथवा एक ही जिले में एकाधिक शाखाएं हैं तथा उनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपए अथवा उससे कम है,ऐसे बैंकों को उनकी मांग व मीयादी देयताओं का 15 प्रतिशत तक, निर्धारित आस्तियों में, एसएलआर रखने से छूट दी गई है यदि वे बैंक के 17 फरवरी 2006 के परिपत्र में निर्धारित किए गए अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. सहित भारतीय स्टेट बैंक तथा उसकी सहायक बैंकों तथा सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में अपेक्षित राशि ब्याज वाली जमाराशि के रूप में रखते हैं। ऐसी जमाराशियां इन अनुदेशों के अंतर्गत नहीं आती हैं और उपर्युक्त (vii) में निर्धारित सीमाएं ऐसी जमाराशियों को छोड़कर हैं।
	20	• सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि जब कोई शहरी सहकारी बैंक उस जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)/ राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) से ऋण लेता है जहां उसकी जमाराशि भी रखी गई है तो सांविधिक चलनिधि अनुपात की गणना के लिए डीसीसीबी/एसटीसीबी द्वारा लिए गए ऋण की राशि को जमाराशि से घटाया जाना चाहिए चाहे ऐसी जमाराशि पर ग्रहणाधिकार ही क्यों न मार्क किया गया हो। उक्त अनुदेश के कारण सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी होती हो तो उसे पूरा करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को छह महीने का समय दिया गया है।
		(ग) वित्तीय संस्थाएं
2006		
मार्च	6	• सभी वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के सभी प्रकार के ऋण चाहे वह कितनी भी राशि का हो, से संबंधित आवेदन पत्र व्यापक हो, उसमें हर तरह की सूचना हो जैसे - प्रोसेसिंग की कोई फीस हो तो आवेदन नामंजूर होने पर लौटाई जाने वाली राशि, पूर्व भुगतान का विकल्प और ऐसी कोई भी जानकारी/विषय जिससे उधार लेनेवाले का हित जुड़ा हो, ताकि अन्य बैंकों के साथ इनकी सार्थक तुलना की जा सके और उधारकर्ता पर्याप्त जानकारी के आधार पर अपना निर्णय ले सके। वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि क्रेडिट कार्ड आवेदनों सहित सभी श्रेणियों के ऋणों, चाहे उनकी प्रारंभिक सीमा कोई भी हो, के संबंध में ऋणदाताओं द्वारा आवेदनकर्ता को निर्धारित समय के अंदर लिखित रूप में उन प्रमुख कारणों के बारे में बताया जाना चाहिए जिसके कारण बैंक/वित्तीय संस्था के विचार में ऋण के आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
मई	16	• अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री के संबंध में 13 जुलाई 2005 के पूर्व के दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि आनुमानिक नकदी प्रवाह का कम से कम 10 प्रतिशत प्रथम वर्ष में प्राप्त किया जाना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक छमाही में कम से कम 5 प्रतिशत प्राप्त किया जाना चाहिए तथा पूरी वसूली तीन वर्ष के अंदर हो जानी चाहिए। संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
		घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
2006		
अप्रैल	5	• जनता से /की जमाराशियां स्वीकार/धारित न करनेवाली एनबीएफसी जिसकी आस्तियां 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली मासिक विवरणी के फार्मेट में कुछ पैरामीटर शामिल करने के लिए कतिपय परिवर्तन किए गए हैं जैसे लाभ और हानि लेखा की संचयी स्थिति, अनर्जक आस्तियों का कालखंड-वार विवरण, कार्यशील पूंजी की उच्चतम बकाया राशि, कंपनी के पूंजी बाजार एक्सपोजर से संबंधित कतिपय अतिरिक्त जानकारी और निधियों के विदेशी स्रोत। • एनबीएफसी, एमएनबीसी और आरएनबीसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों और 1 जुलाई, 2005 को उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों पर ध्यान दें और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के उपाय करें। नियमों में शामिल हैं - लेनदेन अभिलेख का रखरखाव, सूचनाओं का रखरखाव तथा उन्हें वित्तीय आसूचना यूनिट - भारत को सूचित करना।
सितंबर	20	• जोखिम भार लगाने के उद्देश्य से उधारकर्ता के सकल एक्सपोजर की गणना करते समय, एनएफसी उधारकर्ता को दिए गए अग्रिमों के कुल बकाया एक्सपोजर में से वह राशि घटाएं, जिसे नकद मार्जिन/प्रतिभूति जमा/जमानती राशि द्वारा मानकीकृत किया गया है और जिसके एवज में समंजन का अधिकार उपलब्ध है। • प्रतिभूतिकरण कंपनियां अथवा पुनर्निर्माण कंपनियां प्रत्येक योजना के अंतर्गत जारी की गई कम से कम 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति रसीदों में तुरंत निवेश करें। यदि प्रतिभूतिकरण कंपनियां या पुनर्निर्माण कंपनियों ने पहले ही प्रतिभूति रसीद जारी की हों, तो ऐसी कंपनियां इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रतिभूति रसीदों में न्यूनतम अभिदान सीमा प्राप्त करेंगी।
	21	• एनबीएफसी को सूचित किया गया कि उन्हें अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र प्रति वर्ष प्रस्तुत करना चाहिए जो इस आशय का हो कि वे उस एनबीएफआइ का कारोबार कर रही हैं जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए के तहत पंजीयन प्रमाणपत्र रखना आवश्यक होता है। इस संबंध में 19 अक्तूबर 2006 के परिपत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मूल कारोबार की परिभाषा 8 अप्रैल 1999 की प्रेस विज्ञप्ति 1998-99/1269 में दी दी गई है।
	28	• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, की धारा (45) के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को व्यापक अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे उचित व्यवहार संहिता के संबंध में विस्तृत दिशानिदेश तैयार करें जो उनके निदेशक मण्डल से अनुमोदित हों और उसे प्रकाशित किया जाए तथा उसे कंपनी की वेबसाइट पर जनता की जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाए।
अक्तूबर	19	• प्रतिभूतिकरण कंपनियों अथवा पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया गया कि वे पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति की तारीख से छह महीने के भीतर अपना कारोबार शुरू कर दें। प्रतिभूतिकरण कंपनी अथवा पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर बैंक गुण-दोष के आधार पर उन्हें छह महीने के बाद कारोबार शुरू करने का अवधि-विस्तार स्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसा विस्तारण पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाने की तारीख से 12 महीनों से अधिक न हो। वे प्रतिभूतिकरण कंपनियां अथवा पुनर्निर्माण कंपनियां जिन्होंने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र पहले ही प्राप्त कर लिया है और अब तक कारोबार शुरू नहीं किया है वे अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपना कारोबार शुरू करेंगी।
	27	• यह स्पष्ट किया गया कि नियंत्रण/प्रबंध में परिवर्तन के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और अंतरणकर्ता अथवा आंतरिती अथवा संबंधित पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से दी जाए।
दिसंबर	4	• भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को चयनात्मक आधार पर जोखिम में सहभागिता बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अनुमति दे दी गई। यह अनुमति प्रारंभ में दो वर्ष के लिए होगी जिसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। इस टाई-अॅप व्यवस्था के अंतर्गत एनबीएफसी का कार्य को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की मार्केटिंग और वितरण तक सीमित रहना चाहिए। को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को उसके संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अनुदेशों /दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
दिसंबर	4	• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विशाखीकरण की अनुमति देकर सुदृढ़ बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि चयनात्मक आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शुरू में दो वर्षों की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से म्यूचुअल फंडों के एजेंट के रूप में म्यूचुअल फंड के उत्पादों के विपणन और वितरण की अनुमति दी जाए और दो वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। न्यूनतम निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
	6	• रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आस्ति पुनर्वित्त कंपनी, निवेश कंपनी तथा ऋण कंपनी के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यों हेतु वस्तविक/भौतिक आस्तियों के लिए वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। शेष कंपनियों को ऋण/निवेश कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहेगा। तदनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - जनता की जमाराशियों का स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली 1988 के वर्गीकरण में संशोधन किया गया।
	12	• बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के कार्यकलापों के विभिन्न पक्षों के लिए विविध विनियामक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी -एनडी-एसआइ) के विनियामक ढांचे में संशोधन किया गया। लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक आस्ति वाली सभी एनबीएफसी-एनडी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनडीएफसी-एनडी के रूप में माना जाएगा। ऐसी कंपनियों को न्यूनतम 10 प्रतिशत सीआरएआर (जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात) बनाए रखने के लिए सूचित किया गया है और एकल पार्टी/समूह के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोज़र) का मानदंड निर्धारित किया गया है।
	28	• शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने ग्राहकों को ड्राप बॉक्स में चेक डालने के लिए मजबूर न करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे चेक ड्रॉप बॉक्स में यह सूचना प्रदर्शित करें कि ग्राहक अपना चेक काउंटर पर जमा करा सकते हैं और जमा पर्ची में प्राप्ति सूचना प्राप्त कर सकते हैंट। यदि ग्राहक काउंटर पर चेक प्रस्तुत करता है तो किसी भी शाखा को प्राप्ति-सूचना देने से इनकार नहीं करना चाहिए।
2007		
जनवरी	4	• सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने वाली/रखने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को फरवरी 2005 में सूचित किया गया कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी के अनुसार निवेशित सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार का सृजन करें। बड़ी संख्या में जमाकर्ताओं के पक्ष में सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर प्रभार के सृजन में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जनवरी 2007 में यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने/रखने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 'न्यास विलेखट की प्रक्रिया के माध्यम से जमाकर्ताओं के पक्ष में सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर चल प्रभार का सृजन करें। • कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनी (अधिसूचित निधि) तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों (संभाव्य निधि) के समग्र विनियमन का अधिग्रहण कर लिए जाने के कारण पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनियों तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों द्वारा वार्षिक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी स्थिति की समीक्षा की गई। यह निर्णय लिया गया कि पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनियों तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 में उल्लिखित वार्षिक विवरणी, लेखा परीक्षित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाता, लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र और अन्य ब्यौरे नहीं मंगाए जाएं ।
फरवरी	19	• जमाराशि न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) को मानक श्रेणी के अंतर्गत दिए गए ऋण तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान की अपेक्षा को वर्तमान के 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से दो प्रतिशत किया गया है। पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की आस्ति वाली जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी को एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के रूप में माना जाता है। एनबीएफसी-एनडी-एसआई के प्रति सभी ऋण जोखिमों (एक्सपोजर) के लिए जोखिम भार को वर्तमान के 100 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 125 प्रतिशत किया गया है।

क्रम सं.	मानक आस्ति की श्रेणी	प्रावधान की दर
(क)	वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोज़र के रूप में माने जाने वाले ऋण तथा अग्रिम, वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी को ऋण तथा अग्रिम	2.00 %

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
फरवरी	22	• विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी दो निदेशावलियां यथा -जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार करने या धारण करनेवाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 2007 तथा जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार करने अथवा धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 2007 जारी की गईं। इसके अतिरिक्त, 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की कुल आस्ति वाली एनबीएफसी और आरएनबीसी को सूचित किया गया कि वे अप्रैल 2007 से पूंजी बाजार एक्सपोजर पर निर्धारित प्रारूप में मासिक विवरणी प्रस्तुत करें। इससे पहले 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की जमाराशि वाली एनबीएफसी द्वारा पूंजी बाजार एक्सपोजर पर विवरणी प्रस्तुत की जाती थी। • 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की कुल आस्तियां वाली सभी एनबीएफसी तथा आरएनबीसी को संबंधित माह की समाप्ति के सात दिन के अंदर निर्धारित फार्मेट (एनबीएस 6) में मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए। 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की जमाराशि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पूंजी बाजार ऋण जोखिम (एक्सपोजर) पर पहले की तरह 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले माह तक विवरणी प्रस्तुत करते रहना होगा, उसके बाद संशोधित अनुदेश लागू होंगे।
	23	• सभी एनबीएफसी को इस बात पर विचार करने के लिए सूचित किया गया कि वे बड़ी जोखिम (एक्सपोजर) वाले खातों की जल्दी-जल्दी जांच करके यह पुष्टि कर लें कि निधियों का उपयोग जमाखोरी के उद्देश्य से खाद्यान्नों के भंडारण के लिए तो नहीं किया गया है।
अप्रैल	4	• एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (वेबसाइट सहित) अथवा विज्ञापन के बदले जारी विवरण (एसआईएलए) में पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि से संबंधित एक विवरण प्रस्तुत करें। यह भी संभव है कि जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी द्वारा केवल अपने व्यापार के संवर्द्धन के लिए जारी विज्ञापन से उन्हें जमाराशि प्राप्त हो। जमाकर्ताओं के हित में ऐसे विज्ञापनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं उक्त प्रावधानों की ओर जमाकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-जनता की जमाराशियों का स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 में समुचित प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। एनबीएफसी को अपने विज्ञापन में निम्नलिखित शीर्षक जोड़ना चाहिए (i) कंपनी के जमाराशि प्राप्त करने संबंधी कार्यों के संबंध में दर्शक गण से अनुरोध है कि वे जनता से जमाराशि के लिए अनुरोध करते हुए समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन / आवेदन पत्र में दी गई जानकारी देखें, (ii) कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक .... का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक, कंपनी की वित्तीय मजबूती की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिए गए वक्तव्यों अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों अथवा कंपनी द्वारा प्रकट किए गए विचारों के सही होने तथा कंपनी द्वारा जमाराशि के भुगतान/देयताओं की चुकौती का कोई दायित्व अथवा गारंटी नहीं लेता।
	24	• समग्र वित्तीय प्रणाली में प्रचलित ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी द्वारा जमाकर्ताओं को अदा की जानेवाली ब्याज की अधिकतम दर में संशोधन करके 24 अप्रैल 2007 से 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित की जाएगी। यह दर एनबीएफसी द्वारा जनता की जमाराशियों पर अदा की जाने वाली अधिकतम स्वीकार्य दर हैं और वे इससे कम ब्याज दर दे सकते हैं। ब्याज की नई दर जनता से ली जाने वाली नई जमाराशियों तथा अवधिपूर्ण हो चुकी जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशावलियों के अनुसार 12.5 प्रतिशत की अधिकतम वार्षिक ब्याज दर विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (चिट फंड कंपनियां) द्वारा स्वीकार/नवीकृत की जाने वाली जमाराशियों /पर भी लागू होगी।
	25	• बैंकों के साथ पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया गया कि तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर एससीआरसी 1 फार्मेट (अर्जित, प्रतिभूतिकृत और पुनर्निर्मित आस्तियों पर विवरण) और एससीआरसी 2 (अर्जित, प्रतिभूतिकृत और पुनर्निर्मित आस्तियों पर विवरण-बैंकवार) में तिमाही विवरण प्रस्तुत करें। ऐसी पहली विवरणी 31 मार्च 2007 को समाप्त तिमाही के लिए प्रेषित की जाए।
	27	• प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी को सूचित किया गया कि वे पूंजी निधि, जोखिम आस्ति अनुपात आदि संबंधी वार्षिक विवरण फॉर्म एनबीएस-7 में प्रति वर्ष मार्च के अंत में प्रस्तुत करने की एक प्रणाली स्थापित करें। ऐसी पहली विवरणी 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाए। यह विवरणी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाए। ये विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी प्रस्तुत की जा सकेंगी और वेब से विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए वे गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय के सूचना प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकरण किया गया है।
मई	8	• कंपनी क्षेत्र में पणधारियों के हितों के संरक्षण के लिए कंपनी अभिशासन की प्रमुख भूमिका है। सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सनिश्चित करने में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए 8 मई 2007 को दिशानिर्देशों का प्रस्ताव करके उन्हें 20 करोड़ रुपए और अधिक जमा आकार वाली जमा लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा 100 करोड़ रुपए और अधिक आस्ति आकार वाली जमा न लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के निदेशक मंडल द्वारा विचार किए जाने के लिए रखा गया। उक्त दिशानिर्देश लेखा परीक्षा के गठन, नामांकन तथा जोखिम प्रबंधन समितियों प्रकटीकरण तथा पारदर्शिता और संयुक्त उधार संबंध पर लागू है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
मई	16	• अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री संबंधी 13 जुलाई 2005 के पूर्व के दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सूचित किया गया कि वे अनुमानित नकदी प्रवाह का कम-से-कम 10 प्रतिशत प्रथम वर्ष में प्राप्त करें तथा उसके बाद प्रति छमाही में कम-से-कम 5 प्रतिशत प्राप्त करें एवं तीन वर्ष के अंदर पूरी राशि की वसूली हो जानी चाहिए। संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
	21	• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत जनता से जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी के लिए 200 लाख रुपए की न्यूनतम स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता के संबंध में दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया गया।
	24	• गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अत्यधिक ब्याज और कतिपय ऋण तथा अग्रिमों पर प्रभार लगाने संबंधी प्राप्त कई शिकायतों की दृष्टि से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे बैंक द्वारा ब्याज विनियमित नहीं किए जाने पर भी ब्याज दर और संसाधन तथा अन्य प्रभार निर्धारित करने हेतु समुचित आंतरिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करें। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे ऋण की शर्तों के संबंध में पारदर्शिता के बारे में निष्पक्ष व्यवहार संहिता के दिशानिदेशों का ध्यान रखें।
	25	• तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस)-ऑर्डर मैचिंग की सुविधा को व्यापक बनाने के लिए यह सुविधा एनडीएल सदस्यों के पास सरकारी प्रतिभूति (गिल्ट) खाता रखने वाली पात्र संस्थाओं को भी उपलब्ध कराई गई। पात्र संस्थाओं में जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा ट्रस्ट जैसी वे सभी संस्थाए आती हैं जिन्हें विधि अथवा विनियम के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। ये संस्थाएं ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) के जरिए प्रत्यक्ष एनडीएस-ओएम सदस्यों, अर्थात बैंकों, प्राथमिक व्यापारी के माध्यम से एनडीएस-ओएम में अपना आदेश प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे कारोबार का निपटारा सीएसजीएल खाता और एनडीएस-ओएम सदस्य के चालू खाता के जरिए होता है। इस प्रणाली से सभी सरकारी प्रतिभूति (गिल्ट) खातेदारों की ओर से सीएसजीएल कारोबार किए जा सकते हैं, तथापि संबंधित अभिरक्षक (सीएसजीएल खातेदार) को सतर्कता बरतनी चाहिए कि जो संस्था ञ्पात्र नहीं है वे इस प्रणाली के जरिए कारोबार न कर सके। उन्हें एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनडीएस-ओएम में आदेश प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देने से पूर्व सरकारी प्रतिभूति खातेदार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
	28	• प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के निवल आस्ति मूल्य की घोषणा के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। बैंक के साथ पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को सूचित किया गया कि वे अपने द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के निवल आस्ति मूल्य की घोषणा नियमित अंतरालों पर करें ताकि योग्यताप्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में अपने निवेश के मूल्य का आकलन कर सके।
जुलाई	2	• प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों को, मार्गदर्शी नोट सहित 30 जून 2007 को अद्यतन दिशानिर्देश तथा निदेशावली जारी की गई।
	11	• 8 मई 2007 के परिपत्र के जरिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कंपनी अभिशासन पर दिशानिदेश जारी किए गए। विभिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंद्ध संस्थाओं से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए परिपत्र के संबद्ध उधार से संबंधित पैराग्राफ 2 (VI) में निहित अनुदेशों को रोक रखा गया है और सुझावों एवं संशोधनों के अंतिम मूल्यांकन के बाद यदि आवश्यक समझा गया तो उन्हें परिचालित किया जाएगा। इस संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है।
	31	• सेबी ने फिम्डा को कंपनी बांड के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म गठित करने की अनुमति दे दी है। यह भी अधिदेशित किया गया है कि इसके प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किए गए कारोबार के साथ-साथ बीएसई और एनएसई पर रिपोर्ट किए गए कारोबार का समुचित मूल्यवर्धन के साथ समुच्चय किया जाए। फिम्डा का अपने प्लेटफार्म को 01 सितंबर 2007 से लाइव करने का प्रस्ताव है। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे ओटीसी बाजार में कंपनी बांड में किए गए अपने द्वितीयक बाजार लेनदेन की रिपोर्ट 01 सितंबर 2007 से फिम्डा की रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर करें। इस संबंध में विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देश फिम्डा द्वारा जारी किए जाएंगे।
सितंबर	4	• 26 अक्तूबर 2005 के कंपनी परिपत्र द्वारा सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया कि यदि धोखाधड़ी की राशि 25 लाख रुपए तथा उससे अधिक हो तो केवल बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय के धोखाधड़ी निगरानी कक्ष को एफएमआर-1 भेजें। 4 सितंबर 2007 के कंपनी परिपत्र द्वारा सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया कि यदि धोखाधड़ी की राशि 25 लाख रुपए तथा उससे अधिक हो तो एफएमआर-1 की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के उस गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में भी प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी का पंजीकृत कार्यालय है। यह भी सूचित किया गया कि एफएमआर-3 में प्रस्तुत की जानेवाली तिमाही विवरणी को ञ्एक लाख रुपए और अधिक की धोखाधड़ी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट ञ नाम दिया गया है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
अक्तूबर	10	• 28 सितंबर 2006 को निष्पक्ष व्यवहार संहिता तैयार करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) को दिशानिदेश जारी किए गए जिसमें ऋण मूल्यांकन और शर्तेंट के अंतर्गत यह निर्धारित था कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उधारकर्ताओं को स्वीकृति पत्र अथवा अन्य प्रकार से लिखित रूप में वार्षिक स्तर पर निर्धारित ब्याज दर उसके लागू करने की पद्धति की शर्तों के साथ ऋण की राशि सूचित करें तथा उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत शर्तों को अपने अभिलेख में रखें। इस संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे ऋणों की संस्वीकृति/वितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को ऋण करार में उद्धृत सभी संलग्नकों सहित ऋण करार की प्रति के साथ अवश्य प्रेषित करें।
		ङ) प्राथमिक व्यापारी (पीडी)
2006		
अप्रैल	4	• केंद्र सरकार प्रतिभूति बाजार पर आंतरिक तकनीकी दल की सिफारिशों के अनुसार, प्राथमिक व्यापारियों और विभागीय तौर पर प्राथमिक व्यापारी का कार्य करने वाले बैंकों के लिए हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि समर्थन की संशोधित योजना पर दिशानिर्देश जारी किए गए। प्राथमिक व्यापारी के एक दायित्व के रूप में बोली की प्रतिबद्धता को समाप्त किए जाने के चलते भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समर्थन योजना के अंतर्गत प्राथमिक व्यापारियों के लिए सीमा की गणना की प्रणाली में भी संशोधन किया गया।
मई	3	• सरकारी प्रतिभूतियों के विद्यमान कारोबार के अतिरिक्त, कतिपय सीमाओं के अंदर रहकर अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण हेतु स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति दी गई और इस संबंध में दिशानिदेश जारी किए गए। यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक व्यापारियों को स्टेप-डाउन सब्सिडियरी की स्थापना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन प्राथमिक व्यापारियों की पहले से स्टेप डाउन सब्सिडियरी थीं उन्हें सूचित किया गया कि वे इन सब्सिडियरी में स्वामित्व के स्वरूप का पुनर्गठन करें। • तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) आर्डर मैचिंग सदस्यों को केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में 'जब जारी' लेनदेन करने के लिए अनुमति देने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।
जुलाई	4	• सरकारी प्रतिभूतियां के अपने वर्तमान कारोबार के अलावा निश्चित सीमाओं के अधीन स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों को अपनी गतिविधियों को बहुआयामी बनाने की अनुमति देने पर दिशानिदेश जारी किए गए। यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक व्यापारियों को स्टेप डाउन सब्सिडियारियां स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन प्राथमिक व्यापारियों की पहले से सब्सिडियरियां उन्हें सूचित किया गया कि वे इन सब्सिडियरियों के स्वामित्व के स्वरूप का पुनर्निर्धारण करें।
अक्तूबर	5	• प्राथमिक व्यापारी कारोबर कर रहे /करने के इच्छुक बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिदेश जारी किए गए।
	31	• प्राथमिक व्यापारियों को कहा गया कि एलएएफ के तहत फिक्स्ड रेपो रेट को रिवाइज़ करके 7.25 प्रतिशत कर दिया गया है। तदनुसार पीडी को रिज़र्व बैंक से मिलने वाली स्टैडिग लिक्विडिटि फैसिलिटि तत्काल प्रभाव से रेपो रेट अर्थात् 7.25 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी।
2007		
जनवरी	31	• सरकारी प्रतिभूति बाजार में शॉर्ट सेल को क्रमिक रूप से लागू करने के हिस्से के रूप में शॉर्ट सेल के मेंटेनेंस की अवधि ट्रेडिंग डे से अधिक की गई ।
मार्च	30	• प्राथमिक व्यापारियों को बताया गया कि 3 अप्रैल 2007 से पीडीओ -एनडीएस की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के सब मॉड्यूल में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। 1. पीडीओ-एनडीएस से अब अनुसूचित वाणिज्य बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) एसडीएल को एलएएफ रेपो के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को पात्र प्रतिभूतियों के रूप में दे सकेंगे। एसडीएल के मामले में 10 प्रतिशत का मार्जिन लगाया जाएगा अर्थात् 100 रुपए के रेपो बिड के लिए 110 रुपए (अंकित मूल्य) के एसडीएल का समर्थन आवश्यक होगा। यदि कोई सदस्य केंद्र सरकार प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिल और एसडीएल मिलाकर देता है तो पहले आरसीएसजीएल अकाउंट में केंद्र सरकार प्रतिभूतियों और ट्रेज़री बिलों की उपलब्धता देखी जाएगी (5 प्रतिशत मार्जिन के साथ) और उसके बाद शेष राशि आरसी एसजीएल अकाउंट में (10 प्रतिशत मार्जिन के साथ) उपलब्ध एसडीएल से पूरी की जाएगी।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(समाप्त)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
		2. सहायक सामान्य खाता वही (एसजीएल) अकाउंट से आरसीएसजीएल अकाउंट में प्रतिभूतियों का अंतरण और आरसी एसजीएल से एसजीएल में अब सदस्य द्वारा एलएएफ में आरसी अंतरण (ट्रांसफर) या आरसी आहरण (विथड्राअल) के जरिये (ट्रांसफर ऑर्डर बुकिंग फंक्शनलिटि के अंतर्गत) लोक लेखा विभाग (पीएडी) (प्रतिभूति अनुभाग) के अनुमोदन बिना ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से, आरसी अंतरण या आरसी आहरण के लिए सदस्यों को पीएडी (प्रतिभूति अनुभाग) को एसजीएल फॉम फैक्स करने की जरूरत नहीं रही। तथापि, आरसीएसजीएल अकाउंट में उपलब्ध शेष राशियों को अब तक की तरह, एलएएफ के अलावा अन्य किसी लेनदेन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
		3. किसी रेपो लेनदेन के तैयार चरण (रेडी लेग) के लिए जिन सदस्यों के पास आरसी एसजीएल अकाउंट में पर्याप्त प्रतिभूतियां नहीं हैं, उन्हें इस कमी के बारे में पीडीओ-एनडीएस पर संदेश देकर एलर्ट किया जायेगा । बिड बंद होने के समय के 15 मिनटों के भीतर इस कमी की पूर्ति करनी होगी, अन्यथा बिड को रद्द किया जा सकता है।
मार्च	30	• प्राथमिक व्यापारियों को कहा गया कि एलएएफ के अंतर्गत नियत रेपो रेट 31 मार्च 2007 से 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है। तदनुसार 31 मार्च 2007 से बैंकों को रिजर्व बैंक की ओर से दी जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधा (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) (संपार्श्वीकृत चलनिधि सहायता) रेपो रेट अर्थात् 7.75 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी। • प्राथमिक व्यापारियों को कहा गया कि चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रेपो रेट को 31 मार्च 2007 से 7.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है। एसएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।
मई	16	• प्राथमिक व्यापारियों को एकल क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप में कारोबार करने की अनुमति दी गई। कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित दिशानिर्देश प्रथम प्रारूप के रूप में परिचालित किए गए ताकि विभिन्न पणधारियों से इस संबंध में टिप्पणियां तथा प्रतिसूचना प्राप्त की जा सके।
	25	• तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस)-ऑर्डर मैचिंग की सुविधा को व्यापक बनाने के लिए यह सुविधा एनडीएस सदस्यों के पास सरकारी प्रतिभूति (गिल्ट) खाता रखने वाली पात्र संस्थाओं को भी उपलब्ध कराई गई।
जुलाई	31	• सभी प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया कि चलनिधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अतर्गत दैनिक रिवर्स रिपो की 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा 6 अगस्त 2007 से हटा दी गई है। 28 नवंबर 2005 से प्रारंभ की गई तथा दैनिक आधार पर अपराह्न 3 से 3.45 बजे तक चलाई जाने वाली दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ) 6 अगस्त 2007 से समाप्त कर दी गई है। बैंक पूर्वाह्न 9.30 बजे से 10.30 बजे तक एकल चलनिधि समायोजन सुविधा के रूप में एलएएफ का परिचालन जारी रख सकेंगे। • सभी प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे 01 सितंबर 2007 से ओटीसी बाजार में किए गए कंपनी बांड के द्वितीयक बाजार लेनदेनों की रिपोर्टिंग फिम्डा के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में करें।
अगस्त	23	• बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे अपने सभी आईआरएस/एफआरएस कारोबार की रिपोर्टिंग क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआरएल) द्वारा विकसित रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर करें ताकि ओटीसी ब्याज दर व्यूत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में किए गए लेनदेनों का रिकार्ड किया जा सके।

परिशिष्ट सारणी III.1(अ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलन-पत्र

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक*				राष्ट्रीकृत बैंक				स्टेट बैंक समूह			
	2006		2007		2006		2007		2006		2007	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
देयताएं												
1. पूँजी	12,329.80	0.61	12,416.31	0.51	10,570.20	0.86	10,656.16	0.70	1,035.80	0.15	1,035.80	0.13
2. आरक्षित निधि व अधिशेष	1,02,714.03	5.10	1,23,210.48	5.05	60,441.49	4.90	73,729.42	4.82	36,624.28	5.29	41,905.56	5.20
3. जमाराशियाँ	16,22,481.09	80.53	19,94,199.57	81.73	10,54,071.06	85.39	13,17,369.93	86.08	5,42,409.12	78.40	6,33,475.60	78.61
3.1. माँग जमाराशियाँ	1,97,353.32	9.79	2,35,401.27	9.65	1,06,824.15	8.65	1,28,777.70	8.41	85,354.50	12.34	99,634.96	12.36
3.2. बचत बैंक जमाराशियाँ	4,50,787.73	22.37	5,18,471.05	21.25	2,98,238.24	24.16	3,42,354.26	22.37	1,50,050.52	21.69	1,72,082.37	21.36
3.3. सावधि जमाराशियाँ	9,74,340.05	48.36	12,40,327.25	50.83	6,49,008.67	52.57	8,46,237.97	55.30	3,07,004.10	44.37	3,61,758.27	44.89
4. उधार	1,15,250.06	5.72	1,21,772.60	4.99	30,635.56	2.48	31,045.30	2.03	37,084.29	5.36	48,322.92	6.00
5. अन्य देयताएँ और प्रावधान	1,62,099.10	8.05	1,88,386.96	7.72	78,744.08	6.38	97,550.64	6.37	74,693.41	10.80	81,055.27	10.06
कुल देयताएं	**20,14,874.09**	**100.00**	**24,39,985.92**	**100.00**	**12,34,462.40**	**100.00**	**15,30,351.44**	**100.00**	**6,91,846.91**	**100.00**	**8,05,795.15**	**100.00**
आस्तियां												
1. भा रि बैंक के पास नकदी व शेष	1,12,769.50	5.60	1,42,211.48	5.83	79,060.86	6.40	91,977.73	6.01	31,028.55	4.48	44,827.28	5.56
2. बैंकों के पास शेष और माँग और अल्प सूचना पर मुद्रा	74,416.42	3.69	94,450.80	3.87	43,506.46	3.52	63,834.50	4.17	28,227.28	4.08	29,111.68	3.61
3. निवेश	6,33,556.89	31.44	6,64,645.47	27.24	3,83,445.02	31.06	4,27,305.90	27.92	2,24,761.34	32.49	2,11,664.25	26.27
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों (क+ख) में	5,19,875.05	25.80	5,38,374.89	22.06	3,10,570.09	25.16	3,44,728.68	22.53	1,93,125.05	27.91	1,77,454.82	22.02
क) भारत में	5,16,129.96	25.62	5,34,953.25	21.92	3,07,472.32	24.91	3,41,874.76	22.34	1,92,477.72	27.82	1,76,887.11	21.95
ख) भारत से बाहर	3,745.09	0.19	3,421.64	0.14	3,097.77	0.25	2,853.93	0.19	647.33	0.09	567.72	0.07
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	13,382.65	0.66	12,338.56	0.51	9,080.13	0.74	8,228.05	0.54	4,302.52	0.62	4,093.27	0.51
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,00,299.19	4.98	1,13,932.01	4.67	63,794.81	5.17	74,349.17	4.86	27,333.77	3.95	30,116.16	3.74
4. ऋण और अग्रिम	11,06,287.71	54.91	14,40,122.88	59.02	6,81,869.31	55.24	8,95,225.99	58.50	3,71,679.33	53.72	4,82,426.07	59.87
4.1 खरीदे गए व भुनाए गए बिल	75,705.19	3.76	92,695.50	3.80	42,132.57	3.41	53,314.39	3.48	31,369.41	4.53	37,086.93	4.60
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	4,43,376.58	22.01	5,57,345.56	22.84	3,00,857.43	24.37	3,71,171.82	24.25	1,39,962.87	20.23	1,80,696.10	22.42
4.3 सावधि ऋण	5,87,205.95	29.14	7,90,081.82	32.38	3,38,879.32	27.45	4,70,739.79	30.76	2,00,347.05	28.96	2,64,643.04	32.84
5. अचल आस्तियाँ	14,668.92	0.73	20,195.16	0.83	9,907.32	0.80	13,455.22	0.88	3,950.71	0.57	3,961.58	0.49
6. अन्य आस्तियाँ	73,174.63	3.63	78,360.13	3.21	36,673.43	2.97	38,552.10	2.52	32,199.70	4.65	33,804.30	4.20
कुल आस्तियाँ	**20,14,874.09**	**100.00**	**24,39,985.92**	**100.00**	**12,34,462.40**	**100.00**	**15,30,351.44**	**100.00**	**6,91,846.91**	**100.00**	**8,05,795.15**	**100.00**

* : आइडीबीआइ लिमि. शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी III.1(आ): निजी क्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलन-पत्र

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	निजी क्षेत्र के बैंक				निजी क्षेत्र के पुराने बैंक				निजी क्षेत्र के नए बैंक			
	2006		2007		2006		2007		2006		2007	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
देयताएं												
1. पूँजी	3,936.54	0.69	4,143.73	0.56	1,018.11	0.68	1,062.89	0.66	2,918.43	0.69	3,080.84	0.53
2. आरक्षित निधि व अधिशेष	39,886.93	6.98	46,328.98	6.22	8,665.41	5.78	9,673.54	6.02	31,221.52	7.40	36,655.44	6.27
3. जमाराशियाँ	4,28,455.61	74.95	5,51,987.07	74.05	1,30,455.85	86.99	1,38,249.13	86.10	2,97,999.76	70.67	4,13,737.94	70.74
3.1. माँग जमाराशियाँ	56,895.28	9.95	73,340.02	9.84	13,503.03	9.00	14,033.46	8.74	43,392.25	10.29	59,306.56	10.14
3.2. बचत बैंक जमाराशियाँ	73,303.91	12.82	91,341.76	12.25	24,079.89	16.06	25,701.68	16.01	49,224.02	11.67	65,640.08	11.22
3.3. सावधि जमाराशियाँ	2,98,256.42	52.18	3,87,305.29	51.96	92,872.93	61.93	98,513.99	61.36	2,05,383.49	48.71	2,88,791.30	49.38
4. उधार 49,486.52	8.66	70,131.41	9.41	2,633.16	1.76	3,219.52	2.01	46,853.36	11.11	66,911.89	11.44	
5. अन्य देयताएँ और प्रावधान	49,865.56	8.72	72,812.81	9.77	7,199.65	4.80	8,356.84	5.20	42,665.91	10.12	64,455.97	11.02
कुल देयताएं	**5,71,631.15**	**100.00**	**7,45,404.00**	**100.00**	**1,49,972.18**	**100.00**	**1,60,561.92**	**100.00**	**4,21,658.97**	**100.00**	**5,84,842.08**	**100.00**
आस्तियां												
1. भा रि बैंक के पास नकदी व शेष	23,597.68	4.13	41,016.70	5.50	7,067.25	4.71	8,895.69	5.54	16,530.43	3.92	32,121.01	5.49
2. बैंकों के पास शेष और माँग और अल्प सूचना पर मुद्रा	23,275.11	4.07	37,288.38	5.00	8,573.25	5.72	9,074.66	5.65	14,701.86	3.49	28,213.72	4.82
3. निवेश	1,80,567.87	31.59	2,14,654.74	28.80	45,253.80	30.17	43,646.60	27.18	1,35,314.07	32.09	1,71,008.14	29.24
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों (क+ख) में	1,29,666.09	22.68	1,59,851.48	21.44	35,897.06	23.94	35,105.33	21.86	93,769.03	22.24	1,24,746.15	21.33
क) भारत में	1,29,454.06	22.65	1,59,549.45	21.40	35,819.27	23.88	35,105.33	21.86	93,634.79	22.21	1,24,444.12	21.28
ख) भारत से बाहर	212.03	0.04	302.03	0.04	77.79	0.05	–	–	134.24	0.03	302.03	0.05
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	482.39	0.08	337.08	0.05	446.78	0.30	308.84	0.19	35.61	0.01	28.24	–
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	50,419.41	8.82	54,466.19	7.31	8,909.97	5.94	8,232.44	5.13	41,509.44	9.84	46,233.75	7.91
4. ऋण और अग्रिम	3,12,961.77	54.75	4,14,754.81	55.64	82,956.55	55.31	92,890.08	57.85	2,30,005.22	54.55	3,21,864.73	55.03
4.1 खरीदे गए व भुनाए गए बिल	18,432.43	3.22	20,185.71	2.71	6,069.01	4.05	5,132.64	3.20	12,363.42	2.93	15,053.07	2.57
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	80,455.30	14.07	1,02,952.16	13.81	37,094.67	24.73	41,394.32	25.78	43,360.63	10.28	61,557.84	10.53
4.3 सावधि ऋण	2,14,074.05	37.45	2,91,616.95	39.12	39,792.88	26.53	46,363.12	28.88	1,74,281.17	41.33	2,45,253.83	41.94
5. अचल आस्तियाँ	8,000.53	1.40	8,166.82	1.10	1,699.04	1.13	1,603.25	1.00	6,301.49	1.49	6,563.57	1.12
6. अन्य आस्तियाँ	23,228.17	4.06	29,522.55	3.96	4,422.28	2.95	4,451.64	2.77	18,805.89	4.46	25,070.91	4.29
कुल आस्तियाँ	**5,71,631.15**	**100.00**	**7,45,404.00**	**100.00**	**1,49,972.18**	**100.00**	**1,60,561.92**	**100.00**	**4,21,658.97**	**100.00**	**5,84,842.08**	**100.00**

परिशिष्ट सारणी III.1(इ): भारत के विदेशी बैंकों के समेकित तुलन-पत्र

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2006		2007	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूँजी	8,940.17	4.48	12,999.36	4.68
2. आरक्षित निधि व अधिशेष	15,373.68	7.71	20,076.09	7.22
3. जमाराशियां	1,13,744.99	57.06	1,50,793.58	54.24
3.1. माँग जमाराशियाँ	38,696.61	19.41	43,256.75	15.56
3.2. बचत बैंक जमाराशियाँ	18,783.18	9.42	21,839.14	7.86
3.3. सावधि जमाराशियाँ	56,265.20	28.22	85,697.69	30.82
4. उधार	38,411.31	19.27	50,966.06	18.33
5. अन्य देयताएँ और प्रावधान	22,887.87	11.48	43,181.39	15.53
कुल देयताएँ	**1,99,358.03**	**100.00**	**2,78,016.49**	**100.00**
आस्तियां				
1. भा रि बैंक के पास नकदी व शेष	8,108.24	4.07	12,144.71	4.37
2. बैंको के पास शेष और माँग और अल्प सूचना पर मुद्रा	18,752.17	9.41	26,674.26	9.59
3. निवेश	52,383.57	26.28	71,469.30	25.71
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों (क+ख) में	40,880.14	20.51	56,230.61	20.23
क) भारत में	40,880.14	20.51	56,230.61	20.23
ख) भारत से बाहर	–	–	–	–
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	84.85	0.04	84.99	0.03
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	11,418.58	5.73	15,153.70	5.45
4. ऋण और अग्रिम	97,561.93	48.94	1,26,338.57	45.44
4.1 खरीदे गए व भुनाए गए बिल	9,520.08	4.78	11,543.78	4.15
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि.	41,169.28	20.65	52,568.83	18.91
4.3 सावधि ऋण	46,872.57	23.51	62,225.96	22.38
5. अचल आस्तियाँ	2,412.12	1.21	3,000.85	1.08
6. अन्य आस्तियाँ	20,139.99	10.10	38,388.80	13.81
कुल आस्तियाँ	**1,99,358.03**	**100.00**	**2,78,016.49**	**100.00**

– : शून्य / नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी III.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र

(राशि करोड़ रुपए)

समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशी (करोड़ रुपए)	बट्टा दर का कुल दायरा (प्रतिशत) @	समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशी (करोड़ रुपए)	बट्टा दर का कुल दायरा (प्रतिशत) @
1	2	3	4	5	6
2006			**2007**		
6 जनवरी	32,806	4.40 – 7.75	5 जनवरी	68,928	8.26 – 9.25
20 जनवरी	34,521	5.40 – 7.75	19 जनवरी	70,149	8.00 – 9.55
3 फरवरी	33,986	4.35 – 7.90	2 फरवरी	70,727	8.41 – 9.80
17 फरवरी	34,487	4.35 – 8.16	16 फरवरी	72,795	9.40 – 10.83
3 मार्च	36,626	5.85 – 8.50	2 मार्च	77,971	9.90 – 11.30
17 मार्च	36,931	4.35 – 8.81	16 मार्च	92,468	10.30 – 11.25
31 मार्च	43,568	6.50 – 8.94	30 मार्च	93,272	10.23 – 11.90
14 अप्रैल	38,568	6.00 – 8.90	13 अप्रैल	93,808	9.50 – 11.50
28 अप्रैल	44,059	6.00 – 8.45	27 अप्रैल	95,980	9.40 – 11.50
12 मई	48,515	6.50 – 7.90	11 मई	97,292	10.05 – 11.50
26 मई	50,228	6.37 – 8.67	25 मई	99,715	7.00 – 10.82
9 जून	53,863	5.75 – 7.96	8 जून	99,287	6.13 – 10.95
23 जून	56,390	5.50 – 8.16	22 जून	98,337	7.00 – 10.20
7 जुलाई	57,256	6.00 – 8.70	6 जुलाई	1,02,992	6.25 – 9.69
21 जुलाई	59,167	4.35 – 8.21	20 जुलाई	1,05,317	5.50 – 10.82
4 अगस्त	64,748	6.00 – 8.62	3 अगस्त	1,03,750	6.05 – 10.75
18 अगस्त	65,621	4.75 – 8.50	17 अगस्त	1,06,350	6.87 – 8.91
1 सितंबर	66,340	4.60 – 8.50	31 अगस्त	1,09,224	6.87-10.75
15 सितंबर	63,864	7.13 – 8.50	14 सितंबर	1,13,892	6.87-10.00
29 सितंबर	65,274	7.25 – 8.50	28 सितंबर	1,18,481	6.87-10.00
13 अक्तूबर	64,482	4.75 – 8.50			
27 अक्तूबर	65,764	6.00 – 8.50			
10 नवंबर	67,694	6.75 – 8.50			
24 नवंबर	68,911	7.50 – 8.33			
8 दिसंबर	69,664	6.00 – 8.36			
22 दिसंबर	68,619	7.25 – 8.90			

@ : प्रभावी ब्याज दर का प्रति वार्षिक दायरा।

परिशिष्ट सारणी III.3: सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं.	क्षेत्र	निम्नानुसार बकाया			घट-बढ़	
		18 मार्च 2005	31 मार्च 2006	30 मार्च 2007	2005-06	2006-07
	1	2	3	4	5	6
I.	**सकल बैंक ऋण (II + III)**	**10,45,954**	**14,43,920**	**18,41,878**	**3,97,966**	**3,97,958**
II.	**खाद्यान्न ऋण**	**41,121**	**40,691**	**46,521**	**-430**	**5,830**
III.	**खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4)**	**10,04,833 (100.0)**	**14,03,229 (100.0)**	**17,95,357 (100.0)**	**3,98,396 (100.0)**	**3,92,128 (100.0)**
	1. कृषि एवं संबंधित कार्य	**1,24,269 (12.4)**	**1,73,875 (12.4)**	**2,30,180 (12.8)**	**49,606 (12.5)**	**56,305 (14.4)**
	2. उद्योग (लघु, मध्यम एवं बड़े)	**4,23,136 (42.1)**	**5,49,940 (39.2)**	**6,91,483 (38.5)**	**1,26,804 (31.8)**	**1,41,543 (36.1)**
	3. सेवाएं	**2,01,080 (20.0)**	**3,19,334 (22.8)**	**4,18,191 (23.3)**	**1,18,254 (29.7)**	**98,857 (25.2)**
	3.1 परिवहन प्रचालक	8,396 (0.8)	17,341 (1.2)	26,416 (1.5)	8,945 (2.2)	9,075 (2.3)
	3.2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,760 (0.3)	3,625 (0.3)	5,093 (0.3)	865 (0.2)	1,468 (0.4)
	3.3 पर्यटन, होटल एवं रेस्टारेंट	4,199 (0.4)	7,732 (0.6)	9,704 (0.5)	3,533 (0.9)	1,972 (0.5)
	3.4 नौवहन	1,167 (0.1)	4,351 (0.3)	6,838 (0.4)	3,184 (0.8)	2,487 (0.6)
	3.5 व्यावसायिक एवं अन्य सेवाएं	9,656 (1.0)	15,283 (1.1)	23,782 (1.3)	5,627 (1.4)	8,499 (2.2)
	3.6 व्यापार	58,195 (5.8)	83,428 (5.9)	1,08,041 (6.0)	25,233 (6.3)	24,613 (6.3)
	3.6.1 थोक व्यापार (खाद्यान्न खरीद से इतर)	31,559 (3.1)	39,584 (2.8)	49,506 (2.8)	8,025 (2.0)	9,922 (2.5)
	3.6.2 खुदरा व्यापार	26,636 (2.7)	43,844 (3.1)	58,535 (3.3)	17,208 (4.3)	14,691 (3.7)
	3.7 स्थावर संपदा ऋण	13,546 (1.3)	26,693 (1.9)	45,328 (2.5)	13,147 (3.3)	18,635 (4.8)
	3.8 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	22,807 (2.3)	34,270 (2.4)	48,496 (2.7)	11,463 (2.9)	14,226 (3.6)
	3.9 सभी अन्य	80,354 (8.0)	1,26,611 (9.0)	1,44,493 (8.0)	46,257 (11.6)	17,882 (4.6)
	4. वैयक्तिक ऋण	**2,56,348 (25.5)**	**3,60,081 (25.7)**	**4,55,503 (25.4)**	**1,03,733 (26.0)**	**95,422 (24.3)**
	4.1 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	8,976 (0.9)	7,101 (0.5)	9,151 (0.5)	-1,875 -(0.5)	2,050 (0.5)
	4.2 आवास	1,33,908 (13.3)	1,85,181 (13.2)	2,30,689 (12.8)	51,273 (12.9)	45,508 (11.6)
	4.3 सावधि जमा राशियों पर अग्रिम (एफसीएनआर (बी), एनआरएनआर जमाराशियां आदि सहित)	29,774 (3.0)	34,283 (2.4)	40,455 (2.3)	4,509 (1.1)	6,172 (1.6)
	4.4 शेयर, बांडों आदि की जमानत पर व्यक्तियों को प्रदान ऋण	4,101 (0.4)	5,226 (0.4)	4,511 (0.3)	1,125 (0.3)	-715 -(0.2)
	4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	6,432 (0.6)	9,086 (0.6)	13,316 (0.7)	2,654 (0.7)	4,230 (1.1)
	4.6 शिक्षा	5,680 (0.6)	9,962 (0.7)	15,020 (0.8)	4,282 (1.1)	5,058 (1.3)
	4.7 अन्य वैयक्तिक ऋण	67,477 (6.7)	1,09,242 (7.8)	1,42,361 (7.9)	41,765 (10.5)	33,119 (8.4)
	ज्ञापन :					
	5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**3,74,953 (37.3)**	**5,10,175 (36.4)**	**6,32,647 (35.2)**	**1,35,222 (33.9)**	**1,22,472 (31.2)**
	5.1 कृषि एवं संबंधित कार्य	1,24,269 (12.4)	1,73,875 (12.4)	2,30,180 (12.8)	49,606 (12.5)	56,305 (14.4)
	5.2 लघु उद्योग	74,189 (7.4)	91,020 (6.5)	1,16,908 (6.5)	16,831 (4.2)	25,888 (6.6)
	5.3 आवास	90,298 (9.0)	1,33,200 (9.5)	1,61,832 (9.0)	42,902 (10.8)	28,632 (7.3)

टिप्पणी : 1. आंकडें अनंतिम हैं और 51 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों जिनके पास सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण के 90 प्रतिशत का हिस्सा है,से संबंधित हैं।

2. क्षेत्रों के पुनर्वर्गीकरण के कारण मार्च 2006 के आगे के आंकड़ें पिछली अवधि के आकड़ो से पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।

3. वर्ष 2005-06 के घट-बढ़ में (वर्ष के 26 पखवाड़ों के बजाय) 27 पखवाड़ों के आंकड़ें शामिल हैं।

4. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में रिजर्व बैंक, एग्जिम बैंक, अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाएं और अंतर बैंक सहभागिता के साथ पुन:भुनाए गए बिल, शामिल हैं।

5. कोष्ठकों के आंकड़े कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण का अंश दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी III.4: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार को)

क्षेत्र	खातों की संख्या (लाखों में)					बकाया राशि (करोड़ रुपए)				
	जून 1969	मार्च 2004	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007@	जून 1969	मार्च 2004	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कृषि	1.7	190	202	238	253	162 (5.4)	84,435 (15.1)	1,09,917 (15.3)	1,55,220 (15.3)	2,05,091 (15.6)
i) प्रत्यक्ष	1.6	187	195	221	235	40 (1.3)	62,170 (11.1)	83,038 (11.6)	1,12,126 (11.0)	1,46,941 (11.2)
ii) अप्रत्यक्ष	0.1	3	7	17	18	122 (4.0)	22,265 (4.0)	26,879 (3.7)	43,093 (4.2)	58,150 (4.4)
II. लघु उद्योग	0.5	17	14	17	20	257 (8.5)	58,311 (10.3)	68,000 (9.5)	82,434 (8.1)	1,04,703 (8.0)
III. अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	0.4	89	89	92	102	22 (0.7)	96,170 (17.1)	1,25,114 (17.4)	1,63,756 (16.1)	2,01,023 (15.3)
IV. कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम #	2.6	301	314	358	391	441 (14.6)	2,44,456 (43.6)	3,07,046 (42.8)	4,09,748 (40.3)	5,21,180 (39.6)
V. निवल बैंक ऋण	–	–	–	–	–	3,016	5,60,819	7,17,419	10,17,656	13,17,705

@ : अनंतिम

: इनमें इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करने के लिए दिए गए अग्रिम, छोटी सड़क एवं जल परिवहन ऑपरेटरों को दिए गए ऋण, आवास ऋण, शिक्षा के लिए दिए गए ऋण तथा सॉफ्टवेयर उद्योगों, खाद्यान्न और एग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह, जोखिम पूंजी आदि के लिए दिए गए ऋण शामिल हैं।.

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें निवल बैंक ऋण का प्रतिशत दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी III.5: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2007 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम		कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	
		राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**1,46,941.33**	**11.2**	**58,149.63**	**4.4**	**2,05,090.96**	**15.6**	**94,284.88**	**7.2**	**5,21,180.24**	**39.6**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**97,888.58**	**11.0**	**43,783.71**	**4.9**	**1,41,672.29**	**16.0**	**63,111.50**	**7.1**	**35,441.07**	**39.9**
1.	इलाहाबाद बैंक	5,764.00	13.8	1,928.00	4.6	7,692.00	18.3	2,759.00	6.6	16,554.00	39.6
2.	आंध्र बैंक	4,506.52	16.2	643.26	2.3	5,149.78	18.5	2,649.19	9.5	11,427.23	41.1
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	7,113.63	11.4	3,252.76	5.2	10,366.39	15.9	4,675.64	7.5	25,290.84	40.6
4.	बैंक ऑफ इंडिया	8,482.00	13.9	2,807.00	4.6	11,289.00	18.4	6,177.00	10.1	28,735.00	47.1
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2,178.93	9.5	1,705.19	7.4	3,884.12	14.0	1,202.27	5.2	9,575.78	41.7
6.	केनरा बैंक	10,553.00	11.2	4,968.00	5.3	15,521.00	15.7	5,613.00	6.0	37,844.00	40.2
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5,853.98	11.3	3,397.91	6.6	9,251.89	15.8	3,716.50	7.2	22,495.75	43.6
8.	कार्पोरेशन बैंक	1,338.77	4.7	1,282.97	4.5	2,621.74	9.2	946.43	3.3	11,563.94	40.6
9.	देना बैंक	1,945.49	10.7	1,399.21	7.7	3,344.70	15.2	904.07	5.0	7,629.03	42.0
10.	इंडियन बैंक	4,657.16	17.3	998.92	3.7	5,656.08	21.0	3,098.23	11.5	13,334.96	49.4
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6,020.37	14.2	1,869.85	4.4	7,890.22	18.7	4,329.04	10.2	17,290.14	40.9
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2,867.06	6.6	2,865.22	6.6	5,732.28	11.1	1,965.80	4.5	15,955.20	36.5
13.	पंजाब नेशनल बैंक	13,829.00	14.4	4,742.00	4.9	18,571.00	18.9	10,511.00	11.0	40,197.00	41.9
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1,356.62	11.5	1,145.50	9.7	2,502.12	16.0	653.40	5.6	5,032.38	42.8
15.	सिंडीकेट बैंक	5,969.89	12.9	2,079.71	4.5	8,049.60	17.4	4,666.58	10.1	18,441.36	39.9
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	7,380.71	12.3	3,294.05	5.5	10,674.76	16.8	4,130.90	6.9	26,648.53	44.4
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1,703.00	7.5	1,010.00	4.5	2,713.00	12.0	1,808.32	8.0	9,416.00	41.7
18.	यूको बैंक	4,081.00	9.4	2,073.00	4.8	6,154.00	13.9	1,719.00	4.0	17,466.00	40.4
19.	विजया बैंक	1,927.21	7.9	1,303.42	5.4	3,230.63	12.4	1,397.89	5.8	9,957.05	41.0
20.	आइडीबीआई लिमि.	360.24	0.6	1,017.74	1.6	1,377.98	2.2	188.24	0.30	9,556.51	15.2
	स्टेट बैंक समूह	**49,052.75**	**11.4**	**14,365.92**	**3.3**	**63,418.67**	**14.8**	**31,173.38**	**7.3**	**1,66,769.54**	**38.8**
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	32,036.15	11.1	9,625.17	3.4	41,661.32	14.5	21,717.00	7.6	1,10,373.07	38.4
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2,982.80	14.5	771.79	3.8	3,754.59	18.3	2,113.82	10.3	8,420.78	41.0
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3,283.45	11.9	515.20	1.9	3,798.65	13.7	1,954.39	7.1	11,295.12	40.8
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2,014.58	13.1	629.98	4.1	2,644.56	17.2	1,540.09	10.0	6,153.06	40.0
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1,736.73	11.0	444.21	2.8	2,180.94	13.8	1,539.97	9.7	6,062.88	38.3
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3,200.00	11.3	1,291.00	4.6	4,491.00	15.8	321.00	1.1	10,310.00	36.3
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1,521.04	14.2	415.57	3.9	1,936.61	18.1	727.11	6.8	4,522.63	42.2
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2,278.00	9.7	673.00	2.9	2,951.00	12.6	1,260.00	5.4	9,632.00	41.0

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. नि.बैं.ऋ. : निवल बैंक ऋण
3. कृषि के प्रतिशत की गणना के लिए निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक के अप्रत्यक्ष कृषि की गणना की गई है।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी III.5 अ: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2007 के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम.स.	बैंक का नाम	समग्र	कृषि	कमजोर क्षेत्र
	1	2	3	4
	सरकारी क्षेत्र के बैंक			
	राष्ट्रीकृत बैंक*			
1.	इलाहाबाद बैंक		√	
2.	आंध्र बैंक	√	√	
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	√		
4.	बैंक ऑफ इंडिया	√	√	√
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	√		
6.	केनरा बैंक	√		
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	√		
8.	कार्पोरेशन बैंक	√		
9.	देना बैंक	√		
10.	इंडियन बैंक	√	√	√
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	√	√	√
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स			
13.	पंजाब नेशनल बैंक	√	√	√
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	√		
15.	सिंडीकेट बैंक			√
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	√		
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	√		
18.	यूको बैंक	√		
19.	विजया बैंक	√		
20.	आइडीबीआई लिमि.			
	स्टेट बैंक समूह			
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया			
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	√	√	√
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	√		
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	√		√
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर			
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला			
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	√	√	
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	√		

* : आइडीबीआई बैंक के आंकडें शामिल हैं।.

√ : प्राथमिकता क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड के अनुपालन को सूचित करता हैं।

परिशिष्ट सारणी III.6: निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	मार्च 2005		मार्च 2006		मार्च 2007@	
	राशि	निवल बैंक-ऋण की तुलना में प्रतिशत	राशि	निवल बैंक-ऋण की तुलना में प्रतिशत	राशि	निवल बैंक-ऋण की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम #	69,886	43.6	1,06,586	42.8	1,43,768	42.7
जिनमें से :						
I. कृषि	21,636	13.5	36,712	13.6	52,056	12.8
II. लघु उद्योग	8,592	5.4	10,421	4.2	13,063	3.9
III. अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	38,797	24.2	57,777	23.2	76,925	22.9

@ : आंकड़े अनंतिम हैं ।

\# : इनमें इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करने के लिए दिए गए अग्रिम, छोटी सड़क एवं जल परिवहन ऑपरेटरों को दिए गए ऋण, आवास ऋण, शिक्षा के लिए दिए गए ऋण तथा सॉफ्टवेयर उद्योगों, खाद्यान्न और एग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह, जोखिम पूंजी आदि के लिए दिए गए ऋण शामिल हैं।

टिप्पणी: कृषि के प्रतिशत की गणना के लिए निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक के अप्रत्यक्ष कृषि की गणना की गई है।

परिशिष्ट सारणी III.7: निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2007 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		कमजोर क्षेत्र को अग्रिम		कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	
		राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	निजी क्षेत्र के बैंक	**28,013.95**	**8.32**	**24,041.98**	**7.14**	**52,055.93**	**12.82**	**5,228.58**	**1.55**	**143,767.65**	**42.71**
1.	ऍक्सिस बैंक	3,223.07	9.59	1,871.76	5.57	5,094.83	14.09	371.79	1.11	14,307.63	42.58
2.	बैंक ऑफ राजस्थान	88.72	1.55	987.87	17.23	1,076.59	6.05	64.00	1.12	1,805.40	31.49
3.	भारत ओवरसीज बैंक	117.68	7.56	54.73	3.52	172.41	11.08	25.36	1.63	638.91	41.05
4.	कैथोलिक सीरियन बैंक	234.19	7.99	237.71	8.11	471.90	12.49	49.52	1.69	1,329.17	45.35
5.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब	1,096.80	10.13	1,106.64	10.22	2,203.44	14.63	57.45	0.53	4,152.44	38.35
6.	सिटी यूनियन बैंक	129.27	3.92	105.30	3.20	234.57	7.12	50.66	1.54	1,318.21	40.01
7.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	249.62	9.17	276.78	10.17	526.40	13.67	89.44	3.29	1,131.14	41.57
8.	धनलक्ष्मी बैंक	211.76	11.52	169.64	9.23	381.40	16.02	118.17	6.43	855.54	46.55
9.	फेडरल बैंक	1,540.33	11.30	691.05	5.07	2,231.38	15.80	886.25	6.50	6,051.50	44.37
10.	यस बैंक	899.17	14.34	547.88	8.74	1,447.05	18.84	–	–	2,679.71	42.74
11.	एचडीएफसी बैंक	4,508.70	9.74	3,953.24	8.54	8,461.94	14.24	323.53	0.70	20,468.26	44.21
12.	आइसीआइसीआइ बैंक	8,954.10	7.15	9,972.83	7.96	18,926.93	11.65	997.98	0.80	57,457.04	45.87
13.	इंडसइंड बैंक	1,005.46	9.36	1,108.06	10.32	2,113.52	13.86	9.45	0.09	4,458.32	41.52
14.	आइएनजी वैश्य बैंक	477.82	4.24	507.38	4.50	985.20	8.74	434.67	3.86	4,623.56	41.01
15.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	399.84	2.72	295.21	2.01	695.05	4.73	460.88	3.13	3,614.20	24.57
16.	कर्नाटक बैंक	423.95	4.38	365.05	3.77	789.00	8.16	132.39	1.37	3,396.04	35.11
17.	करूर वैश्य बैंक	808.60	11.40	378.68	5.34	1,187.28	15.90	296.10	4.17	2,877.27	40.56
18.	कोटक महिंद्र बैंक	1,272.20	11.76	501.14	4.63	1,773.34	16.26	–	–	4,463.33	41.25
19.	लक्ष्मी विलास बैंक	543.28	15.17	108.09	3.02	651.37	18.19	235.85	6.59	1,471.02	41.08
20.	लॉर्ड कृष्णा बैंक	55.10	5.30	86.48	8.33	141.58	9.80	10.72	1.03	466.65	44.92
21.	नैनीताल बैंक	96.82	12.18	13.90	1.75	110.72	13.93	9.85	1.24	400.16	50.33
22.	रत्नाकर बैंक	55.24	10.10	41.74	7.63	96.98	14.60	12.19	2.23	235.56	43.08
23.	सांगली बैंक	49.92	19.80	139.21	55.20	189.13	24.30	19.24	7.63	236.70	93.86
24.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक	9.00	4.26	44.06	20.86	53.06	8.76	–	–	89.52	42.37
25.	साउथ इंडियन बैंक	1,102.81	14.25	230.92	2.98	1,333.73	17.23	313.44	4.05	3,217.28	41.56
26.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक	460.50	11.12	246.63	5.96	707.13	15.62	259.65	6.27	2,023.09	48.85

–: शून्य / नगण्य।

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. नि.बैं.ऋ. : निवल बैंक ऋण।
3. कृषि के प्रतिशत की गणना के लिए निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक के अप्रत्यक्ष कृषि की गणना की गई है।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी III.7 अ: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा प्राप्त लक्ष्य
(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2007 के अंतिम शुक्रवार को)

सं.क्र.	बैंक का नाम	समग्र	कृषि	कमजोर क्षेत्र
	1	2	3	4
	निजी क्षेत्र के बैंक	√		
1.	ऑक्सिस बैंक	√		
2.	बैंक ऑफ राजस्थान			
3.	भारत ओवरसीज बैंक	√		
4.	कैथोलिक सीरियन बैंक	√		
5.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब			
6.	सिटी यूनियन बैंक	√		
7.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	√		
8.	धनलक्ष्मी बैंक	√		
9.	फेडरल बैंक	√		
10.	यस बैंक	√	√	
11.	एचडीएफसी बैंक	√		
12.	आइसीआइसीआइ बैंक	√		
13.	इंडसइंड बैंक	√		
14.	आइएनजी वैश्य बैंक	√		
15.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक			
16.	कर्नाटक बैंक			
17.	करूर वैश्य बैंक	√		
18.	कोटक महिंद्र बैंक	√		
19.	लक्ष्मी विलास बैंक	√	√	
20.	लॉर्ड कृष्णा बैंक	√		
21.	नैनीताल बैंक	√		
22.	रत्नाकर बैंक	√		
23.	सांगली बैंक	√	√	
24.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक	√		
25.	साउथ इंडियन बैंक	√		
26.	तमिलनाड मर्कंटाइल बैंक	√		

√ : प्राथमिकता क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड के अनुपालन को सूचित करता हैं।

परिशिष्ट सारणी III.8: विदेशी बैंकों द्वारा लघु उद्योग और निर्यात क्षेत्र के लिए अग्रिम

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2007 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	बैंक का नाम	लघु उद्योग अग्रिम		निर्यात ऋण		कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	
		राशि	नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7
	विदेशी बैंक	**11,648**	**10.3**	**20,714**	**18.3**	**37,835**	**33.4**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	1,853	10.2	5,058	27.8	6,121	33.6
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	10	10.7	13	14.3	28	30.9
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	657	43.0	97	6.3	743	48.6
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	99	26.0	370	96.9	370	96.9
5.	अरब बांग्लादेश बैंक	8	23.4	5	16.1	13	39.5
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	5	719.7	–	–	5	719.7
7.	बैंक ऑफ अमरिका	307	10.6	596	20.5	943	32.4
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवेत	7	13.9	21	42.0	39	75.6
9.	बैंक ऑफ सिलोन	12	20.5	32	55.0	41	70.0
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	247	8.3	877	29.6	1,225	41.4
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी	140	9.0	255	16.4	497	31.9
12.	बरकलेज बैंक पीलसी	11	12.2	20	22.8	30	35.0
13.	बी.एन.पी. परिबास	266	11.3	306	13.0	795	33.8
14.	चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	19	15.8	19	16.4	44	37.3
15.	काल्यन बैंक	124	12.9	173	17.9	372	38.7
16.	सिटी बैंक	2,408	8.7	4,426	16.0	8,786	31.8
17.	ड्यूश बैंक	494	10.3	1,114	23.3	1,632	34.1
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	267	21.9	209	17.2	476	39.1
19.	एचएसबीसी बैंक लि.	1,506	7.6	2,780	14.0	5,880	29.6
20.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	80	9.5	196	23.3	276	32.8
21.	क्रुंग थाई बैंक	4	38.9	2	16.1	9	85.7
22.	मशरेक बैंक	5	14.2	36	102.5	41	116.8
23.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक	39	6.1	61	9.5	166	25.8
24.	ओमान इंटरनेशनल बैंक	23	26.5	64	73.3	88	99.8
25.	सिनहन बैंक	13	9.5	18	13.1	45	33.2
26.	सोसाइटे जनरेल	5	13.9	59	177.1	63	190.9
27.	सोनाली बैंक	1	25.4	2	54.5	2	54.5
28.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3,022	11.4	3,891	14.6	9,055	34.1
29.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस	17	15.3	14	12.7	51	46.4

-: शून्य/नगण्य।

टिपण्णी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. नि.बैंक.ऋण-निवल बैंक ऋण।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी III.8 अ: विदेशी बैकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2007 के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम सं	बैंक का नाम	समग्र	लघु उद्योग	निर्यात ऋण
	1	2	3	4
	विदेशी बैंक	**√**	**√**	**√**
1.	एबीएन एमरो बैंक	√	√	√
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक		√	√
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	√	√	
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	√	√	√
5.	अरब बांग्लादेश बैंक	√	√	√
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	√	√	
7.	बैंक ऑफ अमरिका	√	√	√
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवेत	√	√	√
9.	बैंक ऑफ सिलोन	√	√	√
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	√		√
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी			√
12.	बरकलेज बैंक पीलसी	√	√	√
13.	बी.एन.पी. परिबास	√	√	√
14.	चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	√	√	√
15.	काल्यन बैंक	√	√	√
16.	सिटी बैंक			√
17.	ड्यूश बैंक	√	√	√
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	√	√	√
19.	एचएसबीसी बैंक			√
20.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	√		√
21.	क्रुंग थाई बैंक	√	√	√
22.	मशरेक बैंक	√	√	√
23.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक			
24.	ओमान इंटरनेशनल बैंक	√	√	√
25.	सिनहन बैंक	√		√
26.	सोसाइटे जनरेल	√	√	√
27.	सोनाली बैंक	√	√	√
28.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	√	√	√
29.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस	√	√	√

√ : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड के अनुपालन को सूचित करता हैं।

परिशिष्ट सारणी III.9: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार विनियोजन

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	उद्योग	को बकाया			समग्र अंतर	
		18 मार्च 2005	31 मार्च 2006	30 मार्च 2007	2005-06	2006-07
	1	2	3	4	5	6
	उद्योग (लघु, मध्यम और बड़े)	**4,23,136**	**5,49,940**	**6,91,483**	**1,26,804**	**1,41,543**
1.	खनन एवं उत्खनन (कोयले सहित)	2,139	4,146	7,582	2,007	3,436
2.	खाद्यान्न प्रसंस्करण	24,025	30,940	39,560	6,915	8,620
	जिसमें से :					
	चीनी	6,928	8,776	11,426	1,848	2,650
	खाद्य तेल एवं वनस्पति	3,591	5,077	6,026	1,486	949
	चाय	1,627	1,851	2,335	224	484
	अन्य	11,879	15,237	19,773	3,358	4,536
3.	पेय एवं तंबाकू	1,943	4,002	4,821	2,059	819
4.	वस्त्रोद्योग	43,789	58,326	78,289	14,537	19,963
	जिसमें से :					
	सूती वस्त्र	22,782	29,668	37,546	6,886	7,878
	जूट वस्त्र	910	1,047	953	137	-94
	मानव निर्मित वस्त्र	651	3,062	4,201	2,411	1,139
	अन्य वस्त्र	19,446	24,550	35,589	5,104	11,039
5.	चमड़ा व चमड़े के उत्पाद	3,264	4,483	4,753	1,219	270
6.	लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	489	1,496	2,875	1,007	1,379
7.	कागज व कागज के उत्पाद	6,863	9,132	11,494	2,269	2,362
8.	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं आण्विक इंधन	15,261	25,150	35,462	9,889	10,312
9.	रसायन, एवं रासायनिक उत्पाद	39,021	48,588	55,480	9,567	6,892
	जिसमें से :					
	उर्वरक	8,165	10,569	9,875	2,404	-694
	दवा व औषधि	12,335	16,243	18,397	3,908	2,154
	पेट्रो-रसायन	7,177	6,965	8,237	-212	1,272
	अन्य	11,344	14,810	18,971	3,466	4,161
10.	रबड़, प्लास्टिक एवं प्लास्टिक के उत्पाद	3,966	7,218	9,003	3,252	1,785
11.	कांच एवं कांच का सामान	395	1,817	2,557	1,422	740
12.	सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	8,005	7,799	9,334	-206	1,535
13.	मूल धातु और धातु उत्पाद	47,015	65,864	83,467	18,849	17,603
	जिसमें से :					
	लोहा तथा इस्पात	35,742	50,967	63,553	15,225	12,586
	अन्य धातु और धातु उत्पाद	11,273	14,897	19,914	3,624	5,017
14.	समस्त इंजीनियरी	28,934	34,829	43,368	5,895	8,539
	जिसमें से :					
	इलेक्ट्रॉनिक्स	9,114	10,981	13,401	1,867	2,420
	अन्य	19,820	23,849	29,967	4,029	6,118
15.	वाहन, वाहन के पुर्जे एवं परिवहन उपस्कर	12,045	18,622	20,673	6,577	2,051
16.	रत्न और आभूषण	14,156	20,549	23,789	6,393	3,240
17.	भवन निर्माण	8,321	13,275	19,470	4,954	6,195
18.	बुनियादी संरचना	78,999	1,12,830	1,43,116	33,831	30,286
	जिसमें से :					
	पावर	38,235	60,134	73,128	21,899	12,994
	दूर संचार	15,705	18,455	19,619	2,750	1,164
	सड़क और बंदरगाह	14,500	19,695	25,047	5,195	5,352
	अन्य संरचना	10,559	14,546	25,322	3,987	10,776
19.	अन्य उद्योग	84,506	80,873	96,390	-3,633	15,517

टिप्पणी : 1. आंकड़ें अनंतिम हैं और वह 51 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, जिनके पास सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण के 90 प्रतिशत का हिस्सा है,से संबंधित हैं।

2. क्षेत्रों के पुनर्वर्गीकरण के कारण मार्च 2006 के आगे के आंकड़ें पिछली अवधि के आंकड़ों से पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।

3. वर्ष 2005-06 के घट-बढ़ में (वर्ष के 26 पखवाड़ों के बजाय) 27 पखवाड़ों के आंकड़ें शामिल हैं।

4. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में रिजर्व बैंक, एग्जिम बैंक, अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाएं और अंतर बैंक सहभागिता के साथ पुन:भुनाए गए बिल, शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी III.10: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता

(राशि करोड़ रुपए)

सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार को	कुल निर्यात ऋण पुनर्वित्त		अन्य		कुल पुनर्वित्त	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
1	2	3	4	5	6 (2+4)	7 (3+5)
2003						
मार्च	5,048.26	84.51	399.66	–	5,447.92	84.51
2004						
मार्च	4,664.42	–	399.66	–	5,064.08	–
2005						
मार्च	4,912.13	50.00	399.66	–	5,311.79	50.00
2006						
जनवरी	5,419.51	1,900.04	–	–	5,419.51	1,900.04
फरवरी	5710.56	3,068.47	–	–	5,710.56	3,068.47
मार्च	6,050.63	1,567.68	–	–	6,050.63	1,567.68
अप्रैल	6,674.53	119.06	–	–	6,674.53	119.06
मई	6,638.08	2.06	–	–	6,638.08	2.06
जून	6,513.55	2.06	–	–	6,513.55	2.06
जुलाई	7,046.20	2.06	–	–	7,046.20	2.06
अगस्त	7,046.52	–	–	–	7,046.52	–
सितंबर	6,963.09	1,563.75	–	–	6,963.09	1,563.75
अक्तूबर	7,259.39	1,215.00	–	–	7,259.39	1,215.00
नवंबर	7,065.80	4.00	–	–	7,065.80	4.00
दिसंबर	7,200.34	1,784.23	–	–	7,200.34	1,784.23
2007						
जनवरी	7,470.20	3,013.48	–	–	7,470.20	3,013.48
फरवरी	7,946.14	–	–	–	7,946.14	–
मार्च	8,110.33	4,984.94	–	–	8,110.33	4,984.94
अप्रैल	8,871.55	3,760.22	–	–	8,871.55	3,760.22
मई	8,510.80	2,746.00	–	–	8,510.80	2,746.00
जून	8,342.90	100.90	–	–	8,342.90	100.90
जुलाई	8,103.46	0.90	–	–	8,103.46	0.90
अगस्त	7,806.76	92.00	–	–	7,806.76	92.00
सितंबर	7,505.46	45.00	–	–	7,505.46	45.00

– : शून्य / नगण्य

टिप्पणी : सामान्य और बैक स्टॉप सुविधा के अंतर्गत कुल सीमा का 29 मार्च 2004 से एकल सुविधा में विलय कर दिया गया है।

परिशिष्ट सारणी III.11: संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूहवार उधार

(राशि करोड़ रुपए)

को अग्रिम	स्टेट बैंक समूह			राष्ट्रीकृत बैंक			सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक			सरकारी क्षेत्र के बैंक		
	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी बाजार #	3,375.22 (0.91)	4,086.16 (0.85)	21.06	8,616.43 (1.26)	12,406.83 (1.39)	43.99	1,478.33 (2.80)	2,599.76 (4.16)	75.86	13,469.98 (1.22)	19,092.75 (1.33)	41.74
2. स्थावर संपदा @	46,143.21 (12.41)	61,314.75 (12.71)	32.88	1,01,836.96 (14.93)	1,42,866.67 (15.96)	40.29	10,053.16 (19.06)	13,797.60 (22.09)	37.25	1,58,033.33 (14.29)	2,17,979.02 (15.14)	37.93
3. पण्य	–	–	–	1,227.54 (0.18)	1,695.44 (0.19)	38.12	–	–	–	1,227.54 (0.11)	1,695.44 (0.12)	38.12
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**49,518.43 (13.32)**	**65,400.91 (13.56)**	**32.07**	**1,11,680.93 (16.38)**	**1,56,968.94 (17.53)**	**40.55**	**11,531.49 (21.87)**	**16,397.36 (26.25)**	**42.20**	**1,72,730.85 (15.61)**	**2,38,767.21 (16.58)**	**38.23**

	निजी क्षेत्र के नए बैंक			निजी क्षेत्र के पुराने बैंक			विदेशी बैंक			अनुसूचित वाणिज्य बैंक		
	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी बाजार #	5,282.42 (2.30)	7,053.37 (2.19)	33.53	1,049.21 (1.26)	1,407.78 (1.52)	34.18	2,501.55 (2.56)	3,083.48 (2.44)	23.26	22,303.16 (1.47)	30,637.38 (1.55)	37.37
2. स्थावर संपदा @	66,980.22 (29.12)	1,04,092.80 (32.34)	55.41	12,086.46 (14.57)	15,441.82 (16.62)	27.76	24,953.84 (25.58)	33,176.24 (26.26)	32.95	2,62,053.85 (17.28)	3,70,689.88 (18.71)	41.46
3. पण्य	–	–	–	154.74 (0.19)	500.91 (0.54)	223.71	31.64 (0.03)	10.36 (0.01)	-67.26	1,413.92 (0.09)	2,206.71 (0.11)	56.07
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**72,262.64 (31.42)**	**1,11,146.17 (34.53)**	**53.81**	**13,290.58 (16.02)**	**17,350.50 (18.68)**	**30.55**	**27,487.03 (28.17)**	**36,270.08 (28.71)**	**31.95**	**2,85,770.93 (18.84)**	**4,03,533.97 (20.37)**	**41.21**

– : शून्य / नगण्य

: पूंजी बाजार जोखिम में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं।

@ : स्थावर संपदा जोखिम में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋण दोनों शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें कुल ऋण तथा अग्रिम से संबंधित बैंक समूह का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

परिशिष्ट सारणी III.12: वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

(राशि करोड़ रुपए)

परिवर्ती	30 मार्च 2007 को बकाया	अंतर							
		वित्तीय वर्ष				अप्रैल-सितंबर			
		2005-06*		2006-07		2006-07		2007-08	
		समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
घटक									
घ.I निवासियों की कुल जमाराशि (घ.I.1+घ.I.2)	**25,41,201**	**3,40,789**	**19.9**	**4,91,427**	**24.0**	**1,97,073**	**9.6**	**2,61,947**	**10.3**
घ.I.1 मांग जमाराशि	4,29,137	78,623	27.5	64,497	17.7	2,028	0.6	10,748	2.5
घ.I.2 निवासियों की सावधि जमाराशि (घ.I.2.1+घ.I.2.2)	21,12,063	2,62,167	18.4	4,26,930	25.3	1,95,045	11.6	2,51,199	11.9
घ.I.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशि	9,50,429	1,17,975	18.4	1,92,119	25.3	87,770	11.6	1,13,040	11.9
घ.I.2.1.1 जमाराशि प्रमाणपत्र (सीडी)	97,354	28,972	–	52,855	–	21,287	–	24,181	–
घ.I.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशि	11,61,635	1,44,192	18.4	2,34,812	25.3	1,07,275	11.6	1,38,160	11.9
घ.II वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	**85,836**	**11,224**	**15.6**	**2,692**	**3.2**	**1,542**	**1.9**	**2,625**	**3.1**
स्रोत									
स्रो.I घरेलू ऋण (एस.I.1+एस.I.2)	**28,62,491**	**3,22,807**	**15.8**	**4,98,250**	**21.1**	**1,98,032**	**8.4**	**2,32,425**	**8.1**
स्रो.I.1 सरकार को ऋण	7,74,980	-19,514	-2.7	74,238	10.6	33,961	4.8	1,13,299	14.6
स्रो.I.2 वाणिज्यक क्षेत्र को ऋण (स्रो.I.2.1+स्रो.I.2.2+स्रो.I.2.3+स्रो.I.2.4)	20,87,511	3,42,321	25.9	4,24,012	25.5	1,64,071	9.9	1,19,125	5.7
स्रो.I.2.1 बैंक ऋण	19,28,913	3,54,868	30.8	4,21,836	28.0	1,54,414	10.2	96,486	5.0
स्रो.I.2.1.1 खाद्येतर ऋण	18,82,392	3,54,193	31.8	4,16,006	28.4	1,61,647	11.0	1,05,998	5.6
स्रो.I.2.2 प्राथमिक व्यापरियों को निवल ऋण	2,799	2,586	145.0	-1,570	-35.9	2,025	46.4	497	17.8
स्रो.I.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	15,451	-3,295	-16.5	-1,262	-7.5	-606	-3.6	4,215	27.3
स्रो.I.2.4 अन्य निवेश (गैर सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियाँ में)	1,40,347	-11,838	-8.0	5,007	3.7	8,237	6.1	17,927	12.8
स्रो.II वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (स्रो.II.1-स्रो.II.2-स्रो.II.3)	**-40,259**	**29,640**	**-39.4**	**5,356**	**-11.7**	**-10,293**	**22.6**	**-11,437**	**28.4**
स्रो.II.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	58,754	14,059	47.8	15,260	35.1	-5,088	-11.7	-16,880	-28.7
स्रो.II.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशि	67,108	-16,876	-22.2	7,833	13.2	5,589	9.4	-5,959	-8.9
स्रो.II.3 समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार	31,905	1,295	4.5	2,071	6.9	-384	-1.3	515	1.6
स्रो.III निवल बैंक रिज़र्व (स्रो.III.1+स्रो.III.2-स्रो.III.3)	**1,90,086**	**35,581**	**34.5**	**51,467**	**37.1**	**14,292**	**10.3**	**82,034**	**43.2**
स्रो.III.1 भारिबैंक के पास शेष	1,80,222	34,077	36.6	53,161	41.8	13,286	10.5	74,347	41.3
स्रो.III.2 उपलब्ध नकदी	16,108	2,897	28.5	3,063	23.5	947	7.3	1,506	9.4
स्रो.III.3 भारिबैंक से ऋण और अग्रिम	6,245	1,393	–	4,757	–	-58	–	-6,181	–
स्रो.IV पूंजी खाता	**2,02,618**	**40,320**	**29.3**	**24,891**	**14.0**	**18,194**	**10.2**	**47,981**	**23.7**
स्रो.V. अन्य मदें (निवल)(स्रो.I+स्रो.II+स्रो.III-स्रो.IV-घ.I-घ.II)	**1,82,663**	**-4,304**	**-2.9**	**36,063**	**24.6**	**-14,778**	**-10.1**	**-9,532**	**-5.2**
स्रो.V.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (स्रो.-II.3 का निवल)	2,10,099	468	0.3	51,154	32.2	33,345	21.0	18,984	9.0
स्रो.V.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों के अलावा)	14,196	2,031	8.8	-10,945	-43.5	-9,358	-37.2	6,254	44.1

– : शून्य/नगण्य

* : 1 अप्रैल 2005 से घट-बढ़।

टिप्पणी : 1. आंकड़ें अनंतिम हैं।

2. मीयादी जमाराशि में 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम जमाराशियों (आएमडी) के शोधन का प्रभाव शामिल है।

परिशिष्ट सारणी III.13: ऋण-जमाराशि अनुपात

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह/बैंक	2006	2007	बैंक समूह/बैंक	2006	2007
1	2	3	4	5	6
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**70.1**	**73.5**	लॉर्ड कृष्णा बैंक	62.3	उ.न.
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**68.2**	**72.2**	नैनीताल बैंक	53.6	53.7
राष्ट्रीकृत बैंक	**68.0**	**70.4**	रत्नाकर बैंक	56.1	60.5
इलाहाबाद बैंक	60.1	69.3	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक	67.1	67.5
आंध्रा बैंक	65.1	67.3	सांगली बैंक	44.3	15.5
बैंक ऑफ बड़ौदा	64.0	66.9	साउथ इंडियन बैंक	66.5	64.7
बैंक ऑफ इंडिया	69.4	70.8	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक	60.1	67.2
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	61.2	67.6	**निजी क्षेत्र के नए बैंक**	**77.2**	**77.8**
केनरा बैंक	68.0	69.2	ॲक्सिस बैंक	55.6	62.7
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	56.4	62.6	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब	69.5	75.5
कार्पोरेशन बैंक	72.9	70.7	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	59.8	60.2
देना बैंक	60.2	66.1	एचडीएफसी बैंक	62.8	68.7
इंडियन बैंक	55.1	61.7	आइसीआइसीआइ बैंक	88.5	85.0
इंडियन ओवरसीज बैंक	68.8	68.5	इंडसइंड बैंक	62.0	62.8
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	66.9	69.0	कोटक महिंद्र बैंक	96.7	99.3
पंजाब नेशनल बैंक	62.4	69.1	यस बैंक	82.7	76.5
पंजाब एंड सिंध बैंक	53.8	60.8	**विदेशी बैंक**	**85.8**	**83.8**
सिंडीकेट बैंक	68.0	65.7	एबीएन एमरो बैंक	127.1	114.9
यूको बैंक	68.5	72.4	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	25.9	42.9
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	72.0	73.2	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	89.3	59.8
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	53.1	59.6	एंटवेर्प डायमंड बैंक	795.4	697.0
विजया बैंक	60.1	64.4	अरब बांगला देश बैंक	160.6	134.7
स्टेट बैंक समूह	**68.5**	**76.2**	बी.एन.पी. परिबास	100.3	111.6
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	73.3	72.1	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	47.5	5.9
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	61.3	67.7	बैंक ऑफ अमरीका	160.0	107.3
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	68.9	77.5	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	51.7	46.9
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	71.3	76.8	बैंक ऑफ सिलोन	55.9	47.3
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	71.8	74.8	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	103.6	149.7
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	65.7	73.4	बैंक ऑफ टोकिया-मित्सुबिशी यूएफजे	131.8	165.4
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	61.0	70.1	बरकलेज बैंक	1.2	17.1
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	72.6	80.0	काल्यन बैंक	272.0	129.5
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक			चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	126.0	112.7
आइडीबीआई लिमिटेड	202.8	144.1	सिटी बैंक	87.6	86.8
निजी क्षेत्र के बैंक	**73.3**	**75.1**	डीबीएस बैंक	61.4	32.1
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**63.7**	**67.3**	ड्यूश बैंक	58.9	70.9
बैंक ऑफ राजस्थान	45.7	52.7	हांगकांग और शांघाई बैंकिंग कारपोरेशन	67.4	66.5
कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	62.8	63.4	जेपी मोर्गन चेस बैंक	4.1	48.0
सिटी यूनियन बैंक	72.5	70.8	क्रुंग थाई बैंक	32.0	21.2
धनलक्ष्मी बैंक	63.0	59.6	मशरेक बैंक	143.1	93.1
फेडरल बैंक	65.6	69.0	मिज़ुओ कार्पोरेट बैंक	239.2	245.4
आइएनजी वैश्य बैंक	76.7	77.7	ओमान इंटरनेशनल बैंक	3.8	0.9
जम्मू एंड कश्मीर बैंक	61.7	67.8	शिनहन बैंक	60.9	65.6
कर्नाटक बैंक	58.8	68.1	सोसाइटे जनरेल	28.7	34.1
करूर वैश्य बैंक	73.3	75.4	सोनाली बैंक	15.0	11.9
लक्ष्मी विलास बैंक	68.1	72.0	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	84.6	88.1
			स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस	85.1	63.4

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

स्रोत : बैंकों के तुलनपत्र

परिशिष्ट सारणी III.14: भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्र से इतर ऋण-जोखिम

(राशि करोड़ रुपए)

को अग्रिम	स्टेट बैंक समूह			राष्ट्रीकृत बैंक			सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक			सरकारी क्षेत्र के बैंक		
	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. वायदा विदेशी मुद्रा	1,87,048.79 (27.04)	2,58,766.23 (32.11)	38.34	2,98,695.96 (24.20)	3,36,460.59 (21.99)	12.64	19,570.55 (22.10)	17,708.91 (17.05)	-9.51	5,05,315.30 (25.08)	6,12,935.74 (25.12)	21.30
2. दी गई गारंटियां	32,631.36 (4.72)	46,660.81 (5.79)	42.99	66,955.99 (5.42)	82,852.31 (5.41)	23.74	4,027.19 (4.55)	8,202.08 (7.90)	103.67	1,03,614.54 (5.14)	1,37,715.20 (5.64)	32.91
3. स्वीकृतियाँ, समर्थन आदि.	77,798.20 (11.25)	85,248.77 (10.58)	9.58	1,01,837.48 (8.25)	1,32,760.96 (8.68)	30.37	53,422.32 (60.32)	82,616.84 (79.56)	54.65	2,33,058.00 (11.57)	3,00,626.56 (12.32)	28.99
आकस्मिक देयताएं	**2,97,478.35 (43.00)**	**3,90,675.81 (48.48)**	**31.33**	**4,67,489.42 (37.87)**	**5,52,073.86 (36.07)**	**18.09**	**77,020.06 (86.96)**	**1,08,527.82 (104.52)**	**40.91**	**8,41,987.84 (41.79)**	**10,51,277.50 (43.09)**	**24.86**

	निजी क्षेत्र के नए बैंक			निजी क्षेत्र के पुराने बैंक			विदेशी बैंक			अनुसूचित वाणिज्य बैंक		
	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. वायदा विदेशी मुद्रा	4,28,420.21 (101.60)	7,00,301.18 (119.74)	63.46	41,534.74 (27.69)	50,491.66 (31.45)	21.56	21,84,020.25 (1,095.53)	42,21,527.54 (1,518.45)	93.29	31,59,290.49 (113.40)	55,85,256.11 (161.25)	76.79
2. दी गई गारंटियां	27,083.86 (6.42)	42,009.59 (7.18)	55.11	5,717.74 (3.81)	6,613.16 (4.12)	15.66	24,812.58 (12.45)	33,279.27 (11.97)	34.12	1,61,228.74 (5.79)	2,19,617.22 (6.34)	36.21
3. स्वीकृतियाँ, समर्थन आदि.	3,34,638.06 (79.36)	5,15,828.30 (88.20)	54.15	15,778.20 (10.52)	14,848.87 (9.25)	-5.89	3,45,348.90 (173.23)	7,95,537.04 (286.15)	130.36	9,28,823.14 (33.34)	16,26,840.77 (46.97)	75.15
आकस्मिक देयताएं	**7,90,142.13 (187.39)**	**12,58,139.07 (215.12)**	**59.23**	**63,030.69 (42.03)**	**71,953.69 (44.81)**	**14.16**	**25,54,181.73 (1,281.20)**	**50,50,343.85 (1,816.56)**	**97.73**	**42,49,342.38 (152.53)**	**74,31,714.10 (214.58)**	**74.89**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह की कुल देयताओं का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.15: सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आय - घटकवार

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम	बैंक का नाम	व्यापार आय		विदेशी मुद्रा आय	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
	1	2	3	4	5
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**4,502.50**	**2,967.11**	**2,586.83**	**2,208.71**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**2,791.56**	**1,802.31**	**1,321.20**	**1,595.03**
1.	इलाहाबाद बैंक	138.95	74.38	58.88	45.71
2.	आंध्रा बैंक	77.15	55.71	27.71	32.27
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	302.16	136.16	178.19	239.28
4.	बैंक ऑफ इंडिया	114.09	204.93	182.31	224.08
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-32.37	74.00	28.66	16.16
6.	केनरा बैंक	111.64	134.10	154.78	173.10
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	183.66	136.22	26.09	43.10
8.	कार्पोरेशन बैंक	135.75	126.42	32.94	45.96
9.	देना बैंक	125.33	39.45	25.26	30.76
10.	इंडियन बैंक	75.92	49.31	68.06	75.77
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	233.68	237.37	65.75	85.64
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	188.52	111.06	74.86	61.87
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	26.62	17.35	21.04	23.49
14.	पंजाब नेशनल बैंक	458.00	-13.89	122.10	176.72
15.	सिंडीकेट बैंक	133.45	140.69	43.40	45.26
16.	यूको बैंक	83.38	53.99	31.68	33.36
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	95.39	108.54	149.77	198.39
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	191.80	41.81	6.20	12.95
19.	विजया बैंक	148.44	74.71	23.52	31.16
	स्टेट बैंक समूह	**1,007.54**	**831.10**	**1,206.61**	**567.94**
1.	भारतीय स्टेट बैंक	587.17	567.78	1,001.27	373.40
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	36.08	53.66	15.47	20.34
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	69.22	84.54	61.27	68.39
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	78.32	24.79	27.15	20.11
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	90.57	38.87	21.58	27.73
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	53.87	37.29	40.84	32.73
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	25.07	8.55	9.53	10.20
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	67.25	15.62	29.51	15.04
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक				
1.	आइडीबीआइ लिमि.	703.40	333.70	59.02	45.73

टिप्पणी : 1. व्यापार आय : निवेश की बिक्री पर निवल लाभ।
2. विदेशी मुद्रा आय : विदेशी मुद्रा लेन-देन पर निवल लाभ।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.16 : महत्त्वपूर्ण वित्तीय संकेतक - बैंक समूहवार *(जारी)*

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	परिचालन से लाभ (3+11)	निवल लाभ (4-7)	आय (5+6)	ब्याज से आय	अन्य आय	व्यय (8+9+11)	प्रदत ब्याज	परिचालन व्यय		प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	अंतर (स्प्रेड) (नि.ब्या आय)
								कुल	*जिसमें से :* वेतन बिल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक											
2004-05	51,023.22 (2.17)	20,958.18 (0.89)	1,90,235.72 (8.08)	1,55,801.00 (6.61)	34,434.72 (1.46)	1,69,277.53 (7.19)	89,079.15 (3.78)	50,133.34 (2.13)	29,479.16 (1.25)	30,065.04 (1.28)	66,721.84 (2.83)
2005-06	54,393.72 (1.95)	24,581.77 (0.88)	2,20,755.70 (7.92)	1,85,387.90 (6.65)	35,367.80 (1.27)	1,96,173.93 (7.04)	1,07,161.17 (3.85)	59,200.81 (2.13)	33,460.72 (1.20)	29,811.94 (1.07)	78,226.73 (2.81)
2006-07	65,916.56 (1.90)	31,202.61 (0.90)	2,76,200.60 (7.97)	2,37,271.14 (6.85)	38,929.46 (1.12)	2,44,997.99 (7.07)	1,43,965.41 (4.16)	66,318.63 (1.91)	36,160.14 (1.04)	34,713.95 (1.00)	93,305.73 (2.69)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक											
2004-05	38,761.43 (2.18)	15,442.42 (0.87)	1,44,566.95 (8.15)	1,20,365.09 (6.79)	24,201.87 (1.36)	1,29,124.53 (7.28)	68,764.45 (3.88)	37,041.07 (2.09)	25,171.67 (1.42)	23,319.00 (1.31)	51,600.63 (2.91)
2005-06	37,967.21 (1.88)	16,538.66 (0.82)	1,59,779.73 (7.93)	1,37,874.45 (6.84)	21,905.28 (1.09)	1,43,241.08 (7.11)	80,504.22 (4.00)	41,308.30 (2.05)	27,378.16 (1.36)	21,428.55 (1.06)	57,370.23 (2.85)
2006-07	42,268.16 (1.73)	20,152.18 (0.83)	1,88,979.31 (7.75)	1,68,107.66 (6.89)	20,871.65 (0.86)	1,68,827.13 (6.92)	1,03,456.63 (4.24)	43,254.52 (1.77)	27,802.86 (1.14)	22,115.98 (0.91)	64,651.03 (2.65)
राष्ट्रीकृत बैंक											
2004-05	23,121.24 (2.17)	9,459.31 (0.89)	87,752.53 (8.24)	73,657.91 (6.91)	14,094.62 (1.32)	78,293.22 (7.35)	41,454.51 (3.89)	23,176.78 (2.18)	15,971.59 (1.50)	13,661.93 (1.28)	32,203.40 (3.02)
2005-06	22,139.88 (1.79)	10,021.29 (0.81)	94,292.03 (7.64)	83,193.13 (6.74)	11,098.90 (0.90)	84,270.75 (6.83)	47,463.29 (3.84)	24,688.87 (2.00)	16,394.57 (1.33)	12,118.59 (0.98)	35,729.84 (2.89)
2006-07	27,069.61 (1.77)	12,949.84 (0.85)	1,17,468.87 (7.68)	1,05,423.57 (6.89)	12,045.30 (0.79)	1,04,519.03 (6.83)	63,909.95 (4.18)	26,489.30 (1.73)	17,049.80 (1.11)	14,119.78 (0.92)	41,513.62 (2.71)
स्टेट बैंक समूह											
2004-05	15,279.17 (2.44)	5,675.86 (0.91)	53,531.58 (8.54)	44,051.46 (7.02)	9,480.12 (1.51)	47,855.72 (7.63)	24,842.07 (3.96)	13,410.33 (2.14)	9,042.53 (1.44)	9,603.32 (1.53)	19,209.39 (3.06)
2005-06	15,026.47 (2.17)	5,956.48 (0.86)	58,826.53 (8.50)	49,300.60 (7.13)	9,525.93 (1.38)	52,870.05 (7.64)	28,040.10 (4.05)	15,759.95 (2.28)	10,665.09 (1.54)	9,069.99 (1.31)	21,260.50 (3.07)
2006-07	14,291.90 (1.77)	6,572.04 (0.82)	64,137.84 (7.96)	56,338.67 (6.99)	7,799.17 (0.97)	57,565.80 (7.14)	33,859.19 (4.20)	15,986.75 (1.98)	10,470.17 (1.30)	7,719.86 (0.96)	22,479.48 (2.79)

परिशिष्ट सारणी III.16: महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक - बैंक समूहवार *(समाप्त)*

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	परिचालन से लाभ (3+11)	निवल लाभ (4-7)	आय (5+6)	ब्याज से आय	अन्य आय	व्यय (8+9+11)	प्रदत्त ब्याज	परिचालनगत व्यय		प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	अंतर (स्प्रेड)(नि. ब्या आय)
								कुल	*जिसमें से:* वेतन बिल		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक											
2004-05	361.01 (0.44)	307.26 (0.38)	3,282.85 (4.03)	2,655.72 (3.26)	627.12 (0.77)	2,975.59 (3.66)	2,467.87 (3.03)	453.96 (0.56)	157.55 (0.19)	53.76 (0.07)	187.85 (0.23)
2005-06	800.86 (0.90)	560.89 (0.63)	6,661.17 (7.52)	5,380.72 (6.08)	1,280.45 (1.45)	6,100.28 (6.89)	5,000.82 (5.65)	859.48 (0.97)	318.51 (0.36)	239.97 (0.27)	379.89 (0.43)
2006-07	906.65 (0.87)	630.31 (0.61)	7,372.60 (7.10)	6,345.42 (6.11)	1,027.18 (0.99)	6,742.29 (6.49)	5,687.49 (5.48)	778.47 (0.75)	282.90 (0.27)	276.34 (0.27)	657.93 (0.63)
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
2004-05	2,241.75 (1.68)	435.82 (0.33)	10,525.28 (7.89)	9,275.32 (6.95)	1,249.96 (0.94)	10,089.45 (7.56)	5,672.85 (4.25)	2,610.67 (1.96)	1,458.59 (1.09)	1,805.93 (1.35)	3,602.47 (2.70)
2005-06	2,257.18 (1.51)	865.66 (0.58)	11,592.88 (7.73)	10,372.05 (6.92)	1,220.83 (0.81)	10,727.22 (7.15)	6,246.73 (4.17)	3,088.97 (2.06)	1,766.94 (1.18)	1,391.52 (0.93)	4,125.32 (2.75)
2006-07	3,027.30 (1.89)	1,121.87 (0.70)	13,088.29 (8.15)	11,643.42 (7.25)	1,444.86 (0.90)	11,966.42 (7.45)	7,091.82 (4.42)	2,969.17 (1.85)	1,703.99 (1.06)	1,905.44 (1.19)	4,551.61 (2.83)
निजी क्षेत्र के नए बैंक											
2004-05	5,442.75 (1.85)	3,097.57 (1.05)	22,107.33 (7.51)	16,990.13 (5.77)	5,117.20 (1.74)	19,009.76 (6.46)	10,600.40 (3.60)	6,064.18 (2.06)	1,484.13 (0.50)	2,345.18 (0.80)	6,389.73 (2.17)
2005-06	7,510.89 (1.78)	4,108.85 (0.97)	31,721.02 (7.52)	24,850.58 (5.89)	6,870.44 (1.63)	27,612.17 (6.55)	15,260.73 (3.62)	8,949.41 (2.12)	2,310.45 (0.55)	3,402.03 (0.81)	9,589.85 (2.27)
2006-07	11,021.28 (1.88)	5,343.40 (0.91)	49,176.94 (8.41)	39,501.13 (6.75)	9,675.80 (1.65)	43,833.54 (7.49)	25,801.93 (4.41)	12,353.72 (2.11)	3,572.18 (0.61)	5,677.88 (0.97)	13,699.20 (2.34)
विदेशी बैंक											
2004-05	4,577.30 (2.98)	1,982.37 (1.29)	13,036.16 (8.49)	9,170.46 (5.97)	3,865.70 (2.52)	11,053.79 (7.19)	4,041.45 (2.63)	4,417.41 (2.88)	1,364.76 (0.89)	2,594.93 (1.69)	5,129.02 (3.34)
2005-06	6,658.44 (3.34)	3,068.60 (1.54)	17,662.07 (8.86)	12,290.82 (6.17)	5,371.25 (2.69)	14,593.47 (7.32)	5,149.50 (2.58)	5,854.13 (2.94)	2,005.17 (1.01)	3,589.84 (1.80)	7,141.33 (3.58)
2006-07	9,599.81 (3.45)	4,585.16 (1.65)	24,956.06 (8.98)	18,018.92 (6.48)	6,937.14 (2.50)	20,370.90 (7.33)	7,615.02 (2.74)	7,741.22 (2.78)	3,081.11 (1.11)	5,014.65 (1.80)	10,403.89 (3.74)

टिप्पणी :
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में क्रमशः 88, 85 तथा 82 थी।
2. पुराने निजी बैंकों की संख्या 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में क्रमशः 20, 20 तथा 17 थी।
3. नए निजी बैंकों की संख्या 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में क्रमशः 9, 8 तथा 8 थी।
4. विदेशी बैंकों की संख्या क्रमश: 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में क्रमशः 31, 29 तथा 29 थी।
5. कोष्ठकों के आंकड़ें कुल आस्तियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।
6. नि. ब्या आय : निवल ब्याज आय।
7. वर्ष 2005-06 के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े 2006-07 के तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए अनुसार हैं और इसलिए भारत में बैंकिंग प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2005-06 में प्रस्तुत आंकड़ों से संगत न हो, 2005-06 तक के आंकड़े को कुछ बैंकों द्वारा संशोधित किया गया है।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.17 (अ): अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन*

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2005-06	2006-07	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**2,20,755.70 (100.00)**	**2,76,200.60 (100.00)**	**55,444.90**	**25.12**
i) ब्याज आय	1,85,387.90 (83.98)	2,37,271.14 (85.91)	51,883.24	27.99
जिसमें से: अग्रिमों पर ब्याज	1,09,189.98	1,56,246.35	47,056.38	43.10
निवेश पर आय	66,368.16	69,596.82	3,228.66	4.86
ii) अन्य आय	35,367.80 (16.02)	38,929.46 (14.09)	3,561.66	10.07
जिसमें से: कमीशन और दलाली	18,640.91	24,207.50	5,566.59	29.86
आ. व्यय (i+ii+iii)	**1,96,173.93 (100.00)**	**2,44,997.99 (100.00)**	**48,824.06**	**24.89**
i) ब्याज व्यय	1,07,161.17 (54.63)	1,43,965.41 (58.76)	36,804.23	34.34
जिसमें से : जमाराशियों पर ब्याज	89,742.03	1,20,261.08	30,519.04	34.01
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	29,811.94 (15.20)	34,713.95 (14.17)	4,902.01	16.44
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	48.50	100.26	51.76	106.73
iii) परिचालनगत व्यय	59,200.81 (30.18)	66,318.63 (27.07)	7,117.82	12.02
जिसमें से : वेतन बिल	33,460.72	36,160.14	2,699.42	8.07
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	**54,393.72**	**65,916.56**	**11,522.85**	**21.18**
ii) निवल लाभ	**24,581.77**	**31,202.61**	**6,620.84**	**26.93**
ई. निवल ब्याज आय/मार्जिन	**78,226.73**	**93,305.73**	**15,079.00**	**19.28**
उ. कुल आस्तियां	**27,85,863.27**	**34,63,406.41**	**6,77,543.13**	**24.32**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.17 (आ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2005-06	2006-07	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**1,59,779.73 (100.00)**	**1,88,979.31 (100.00)**	**29,199.58**	**18.27**
i) ब्याज आय	1,37,874.45 (86.29)	1,68,107.66 (88.96)	30,233.21	21.93
जिसमें से : अग्रिमों पर ब्याज	78,519.01	1,10,543.30	32,024.30	40.79
निवेश पर आय	51,757.04	49,820.61	– 1,936.43	-3.74
ii) अन्य आय	21,905.28 (13.71)	20,871.65 (11.04)	– 1,033.63	-4.72
जिसमें से : कमीशन और दलाली	10,128.04	12,521.25	2,393.21	23.63
आ. व्यय (i+ii+iii)	**1,43,241.08 (100.00)**	**1,68,827.13 (100.00)**	**25,586.05**	**17.86**
i) ब्याज व्यय	80,504.22 (56.20)	1,03,456.63 (61.28)	22,952.41	28.51
जिसमें से : जमाराशियों पर ब्याज	70,011.89	89,182.79	19,170.90	27.38
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	21,428.55 (14.96)	22,115.98 (13.10)	687.43	3.21
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	40.46	50.57	10.11	24.99
iii) परिचालनगत व्यय	41,308.30 (28.84)	43,254.52 (25.62)	1,946.21	4.71
जिसमें से : वेतन बिल	27,378.16	27,802.86	424.70	1.55
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	**37,967.21**	**42,268.16**	**4,300.95**	**11.33**
ii) निवल लाभ	**16,538.66**	**20,152.18**	**3,613.53**	**21.85**
ई. निवल ब्याज आय / मार्जिन	**57,370.23**	**64,651.03**	**7,280.80**	**12.69**
उ. कुल आस्तियां	**20,14,874.09**	**24,39,985.92**	**4,25,111.83**	**21.10**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.17 (इ): राष्ट्रीकृत बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2005-06	2006-07	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**94,292.03 (100.00)**	**1,17,468.87 (100.00)**	**23,176.83**	**24.58**
i) ब्याज आय	83,193.13 (88.23)	1,05,423.57 (89.75)	22,230.44	26.72
जिसमें से : अग्रिमों पर ब्याज	48,594.85	69,153.88	20,559.03	42.31
निवेश पर आय	31,822.41	32,309.78	487.37	1.53
पुनःपूंजीकृत बांडों पर आय	1,886.73	1,885.36	-1.37	-0.07
ii) अन्य आय	11,098.90 (11.77)	12,045.30 (10.25)	946.40	8.53
जिसमें से : कमीशन और दलाली	4,545.69	5,594.11	1,048.42	23.06
आ. व्यय (i+ii+iii)	**84,270.75 (100.00)**	**1,04,519.03 (100.00)**	**20,248.29**	**24.03**
i) ब्याज व्यय	47,463.29 (56.32)	63,909.95 (61.15)	16,446.66	34.65
जिसमें से : जमाराशियों पर ब्याज	43,810.43	58,550.64	14,740.20	33.65
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	12,118.59 (14.38)	14,119.78 (13.51)	2,001.19	16.51
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	3438.66	3,133.67	-304.99	-8.87
iii) परिचालनगत व्यय	24,688.87 (29.30)	26,489.30 (25.34)	1,800.43	7.29
जिसमें से : वेतन बिल	16,394.56	17,049.80	655.23	4.00
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	**22,139.88**	**27,069.61**	**4,929.74**	**22.27**
ii) निवल लाभ	**10,021.29**	**12,949.84**	**2,928.55**	**29.22**
ई. निवल ब्याज आय/मार्जिन	**35,729.84**	**41,513.62**	**5,783.78**	**16.19**
उ. कुल आस्तियां	**12,34,462.40**	**15,30,351.44**	**295,889.05**	**23.97**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.17 (ई): स्टेट बैंक समूह का वित्तीय कार्य - निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2005-06	2006-07	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**58,826.53** **(100.00)**	**64,137.84** **(100.00)**	**5,311.31**	**9.03**
i) ब्याज आय	49,300.60 (83.81)	56,338.67 (87.84)	7,038.07	14.28
जिसमें से : अग्रिमों पर ब्याज	25,517.09	36,147.51	10,630.42	41.66
निवेश पर आय	19,089.26	16,512.38	-2,576.88	-13.50
ii) अन्य आय	9,525.93 (16.19)	7,799.17 (12.16)	-1,726.76	-18.13
जिसमें से : कमीशन और दलाली	5,310.38	6,661.30	1,350.92	25.44
आ. व्यय (i+ii+iii)	**52,870.05** **(100.00)**	**57,565.80** **(100.00)**	**4,695.75**	**8.88**
i) ब्याज व्यय	28,040.10 (53.04)	33,859.19 (58.82)	5,819.09	20.75
जिसमें से : जमाराशियों पर ब्याज	25,288.64	28,638.81	3,350.17	13.25
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	9,069.99 (17.16)	7,719.86 (13.41)	-1,350.13	-14.89
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	475.28	1,783.88	1,308.60	275.33
iii) परिचालनगत व्यय	15,759.95 (29.81)	15,986.75 (27.77)	226.80	1.44
जिसमें से : वेतन बिल	10,665.09	10,470.17	-194.92	-1.83
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	**15,026.47**	**14,291.90**	**-734.57**	**-4.89**
ii) निवल लाभ	**5,956.48**	**6,572.04**	**615.56**	**10.33**
ई. निवल ब्याज आय/मार्जिन	**21,260.50**	**22,479.48**	**1,218.99**	**5.73**
उ. कुल आस्तियां	**6,91,846.91**	**8,05,795.15**	**113,948.25**	**16.47**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।
स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.17 (उ): निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2005-06	2006-07	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**11,592.88 (100.00)**	**13,088.29 (100.00)**	**1,495.40**	**12.90**
i) ब्याज आय	10,372.05 (89.47)	11,643.42 (88.96)	1,271.38	12.26
जिसमें से : अग्रिमों पर ब्याज	6,590.05	7,948.15	1,358.10	20.61
निवेश पर आय	3,253.94	3,127.96	-125.98	-3.87
ii) अन्य आय	1,220.83 (10.53)	1,444.86 (11.04)	224.03	18.35
जिसमें से : कमीशन और दलाली	626.40	708.98	82.58	13.18
आ. व्यय (i+ii+iii)	**10,727.22 (100.00)**	**11,966.42 (100.00)**	**1,239.20**	**11.55**
i) ब्याज व्यय	6,246.73 (58.23)	7,091.82 (59.26)	845.09	13.53
जिसमें से : जमाराशियों पर ब्याज	5,931.35	6,725.59	794.24	13.39
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	1,391.52 (12.97)	1,905.44 (15.92)	513.92	36.93
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	502.00	433.68	-68.32	-13.61
iii) परिचालनगत व्यय	3,088.97 (28.80)	2,969.17 (24.81)	-119.80	-3.88
जिसमें से : वेतन बिल	1,766.94	1,703.99	-62.95	-3.56
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	**2,257.18**	**3,027.30**	**770.12**	**34.12**
ii) निवल लाभ	**865.66**	**1,121.87**	**256.20**	**29.60**
ई. निवल ब्याज आय/मार्जिन	**4,125.32**	**4,551.61**	**426.29**	**10.33**
उ. कुल आस्तियां	**1,49,972.18**	**1,60,561.92**	**10,589.74**	**7.06**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.17(ऊ): निजी क्षेत्र के नए बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2005-06	2006-07	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**31,721.02 (100.00)**	**49,176.94 (100.00)**	**17,455.92**	**55.03**
i) ब्याज आय	24,850.58 (78.34)	39,501.13 (80.32)	14,650.56	58.95
जिसमें से : अग्रिमों पर ब्याज	16,701.17	26,813.41	10,112.24	60.55
निवेश पर आय	7,406.60	11,216.22	3,809.62	51.44
ii) अन्य आय	6,870.44 (21.66)	9,675.80 (19.68)	2,805.37	40.83
जिसमें से : कमीशन और दलाली	5,014.08	7,187.99	2,173.91	43.36
आ. व्यय (i+ii+iii)	**27,612.17 (100.00)**	**43,833.54 (100.00)**	**16,221.38**	**58.75**
i) ब्याज व्यय	15,260.73 (55.27)	25,801.93 (58.86)	10,541.21	69.07
जिसमें से : जमाराशियों पर ब्याज	10,637.63	19,594.46	8,956.83	84.20
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	3,402.03 (12.32)	5,677.88 (12.95)	2,275.85	66.90
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	205.72	4,203.02	3,997.30	1,943.06
iii) परिचालनगत व्यय	8,949.41 (32.41)	12,353.72 (28.18)	3,404.32	38.04
जिसमें से : वेतन बिल	2,310.45	3,572.18	1,261.73	54.61
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	**7,510.89**	**11,021.28**	**3,510.40**	**46.74**
ii) निवल लाभ	**4,108.85**	**5,343.40**	**1,234.55**	**30.05**
ई. निवल ब्याज आय / मार्जिन	**9,589.85**	**13,699.20**	**4,109.35**	**42.85**
उ. कुल आस्तियां	**4,21,658.97**	**5,84,842.08**	**163,183.11**	**38.70**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।
स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.17(ए): भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2005-06	2006-07	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**17,662.07 (100.00)**	**24,956.06 (100.00)**	**7,293.99**	**41.30**
i) ब्याज आय	12,290.82 (69.59)	18,018.92 (72.20)	5,728.09	46.60
जिसमें से : अग्रिमों पर ब्याज	7,379.75	10,941.49	3,561.74	48.26
निवेश पर आय	3,950.57	5,432.04	1,481.46	37.50
ii) अन्य आय	5,371.25 (30.41)	6,937.14 (27.80)	1,565.90	29.15
जिसमें से : कमीशन और दलाली	2,872.39	3,789.29	916.89	31.92
आ. व्यय (i+ii+iii)	**14,593.47 (100.00)**	**20,370.90 (100.00)**	**5,777.43**	**39.59**
i) ब्याज व्यय	5,149.50 (35.29)	7,615.02 (37.38)	2,465.53	47.88
जिसमें से : जमाराशियों पर ब्याज	3,161.17	4,758.24	1,597.07	50.52
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	3,589.84 (24.60)	5,014.65 (24.62)	1,424.81	39.69
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	96.43	332.48	236.06	244.81
iii) परिचालनगत व्यय	5,854.13 (40.11)	7,741.22 (38.00)	1,887.09	32.24
जिसमें : वेतन बिल	2,005.17	3,081.11	1,075.94	53.66
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	**6,658.44**	**9,599.81**	**2,941.37**	**44.18**
ii) निवल लाभ	**3,068.60**	**4,585.16**	**1,516.56**	**49.42**
ई. निवल ब्याज आय/मार्जिन	**7,141.33**	**10,403.89**	**3,262.57**	**45.69**
उ. कुल आस्तियां	**1,99,358.03**	**2,78,016.49**	**78,658.46**	**39.46**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड *(जारी)*
(मार्च 2007 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जोखिम भारित आस्तियों का पूंजी अनुपात			निवल अनर्जक आस्तियां/ निवल अग्रिम	ब्याज आय/ कार्यशील निधियाँ	ब्याजेतर आय/ कार्यशील निधियाँ	परिचालनगत लाभ/ कार्यशील निधियाँ	आस्तियों पर प्रतिलाभ	प्रति कर्मचारी व्यवसाय	प्रति कर्मचारी लाभ
		टियर I	टियर II	जोड़						(राशि लाख रुपए)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	राष्ट्रीकृत बैंक										
1.	इलाहाबाद बैंक	8.10	4.42	12.52	1.07	8.17	0.63	1.84	1.26	456.00	3.97
2.	आंध्रा बैंक	9.98	1.35	11.33	0.17	8.08	1.09	2.27	1.31	536.06	4.14
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.74	3.06	11.80	0.60	7.39	0.94	1.94	0.72	555.00	2.73
4.	बैंक ऑफ इंडिया	6.54	5.04	11.58	0.74	7.23	1.23	1.89	0.88	498.00	2.71
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6.03	6.03	12.06	1.21	7.65	0.74	1.72	0.76	404.94	1.95
6.	केनरा बैंक	7.17	6.33	13.50	0.94	7.85	1.00	2.01	0.98	548.76	3.24
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6.32	4.08	10.40	1.70	7.77	0.59	1.58	0.62	303.85	1.35
8.	कार्पोरेशन बैंक	11.30	1.46	12.76	0.47	7.51	1.24	2.50	1.17	637.00	4.79
9.	देना बैंक	6.06	5.46	11.52	1.99	7.47	1.38	2.24	0.71	458.00	1.99
10.	इंडियन बैंक	12.28	1.86	14.14	0.35	8.24	1.41	2.61	1.46	364.00	3.64
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	8.20	5.07	13.27	0.55	7.85	0.52	2.10	1.36	467.23	4.04
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.05	2.46	12.51	0.49	7.55	0.88	1.90	1.21	742.64	5.61
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	9.58	3.30	12.88	0.66	8.01	1.06	2.19	1.01	328.59	2.34
14.	पंजाब नेशनल बैंक	8.93	3.36	12.29	0.76	7.69	1.64	2.15	1.03	407.41	2.68
15.	सिंडीकेट बैंक	6.24	5.50	11.74	0.76	7.68	0.79	1.75	0.91	489.17	2.76
16.	यूको बैंक	5.78	5.78	11.56	2.14	7.87	0.66	1.40	0.47	464.00	1.30
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	7.79	5.01	12.80	0.96	8.08	0.75	2.19	0.92	509.21	3.25
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	7.72	4.30	12.02	1.50	7.82	0.88	1.97	0.73	350.00	1.59
19.	विजया बैंक	7.07	4.14	11.21	0.59	7.90	0.77	1.95	0.92	455.17	3.04
	स्टेट बैंक समूह										
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8.01	4.33	12.34	1.56	7.34	1.07	1.86	0.84	357.00	2.37
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	7.79	5.10	12.89	1.09	7.53	1.09	2.04	0.89	368.09	2.57
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	8.25	4.26	12.51	0.22	7.91	1.03	2.27	1.14	473.64	3.92
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	6.74	5.03	11.77	1.04	7.84	0.99	1.79	0.87	476.67	2.91
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	6.62	4.85	11.47	0.45	7.99	1.42	2.09	1.10	398.00	2.60
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	8.36	4.02	12.38	0.83	7.97	1.11	2.25	0.77	599.54	3.24
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	8.17	4.61	12.78	0.70	7.98	0.81	1.48	0.46	343.00	1.21
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	7.55	4.13	11.68	1.08	7.45	0.58	1.87	0.86	506.13	2.96
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक										
28.	आइडीबीआइ लि.	9.11	4.62	13.73	1.12	6.77	1.10	0.97	0.67	1,387.16	8.44

परिशिष्ट सारणी III.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड *(जारी)*

(मार्च 2007 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जोखिम भारित आस्तियों का पूंजी अनुपात			निवल अनर्जक आस्तियां/निवल अग्रिम	ब्याज आय/ कार्यशील निधियाँ	ब्याजेतर आय/ कार्यशील निधियाँ	ब्याजेतर आय/ कार्यशील निधियाँ	आस्तियों पर प्रतिलाभ	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (राशि लाख रुपए)	प्रति कर्मचारी लाभ (राशि लाख रुपए)
		टियर I	टियर II	जोड़							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक										
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	6.62	4.70	11.32	0.24	7.94	1.30	2.01	1.16	400.54	2.83
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	5.70	3.88	9.58	1.98	7.99	0.68	1.20	0.37	278.00	0.68
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	10.87	1.71	12.58	1.09	8.74	1.18	2.87	1.57	350.12	3.84
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	6.29	3.48	9.77	1.75	7.95	1.13	1.42	0.52	360.91	1.18
5.	फेडरल बैंक लि.	8.94	4.49	13.43	0.44	8.58	1.35	2.89	1.38	544.00	4.43
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	6.38	4.18	10.56	1.05	8.12	1.13	1.33	0.52	486.09	1.66
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	12.60	0.64	13.24	1.13	7.87	0.66	2.30	0.96	585.00	4.00
8.	कर्नाटक बैंक लि.	10.46	0.57	11.03	1.22	8.15	1.13	2.31	1.15	523.86	3.97
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	14.04	0.47	14.51	0.23	8.29	1.14	2.62	1.53	489.00	4.87
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	9.93	2.50	12.43	1.58	7.98	0.85	1.37	0.33	430.00	0.91
11.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	9.13	2.48	11.61	4.37	7.32	0.59	0.12	-0.59	275.53	–
12.	नैनीताल बैंक लि.	10.10	2.79	12.89	–	8.74	0.32	2.72	1.26	279.00	3.00
13.	रत्नाकर बैंक लि.	33.39	0.95	34.34	1.92	8.07	0.73	1.49	0.31	254.41	0.54
14.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	20.32	0.61	20.93	–	6.46	0.73	1.16	1.13	648.34	7.79
15.	सांगली बैंक लि.	–	–	–	7.18	6.83	0.42	-2.42	-20.35	101.08	-18.72
16.	साउथ इंडियन बैंक लि.	8.84	2.24	11.08	0.98	8.26	0.87	2.13	0.76	462.00	2.69
17.	तमिलनाड मर्केंटाइन बैंक लि.	16.12	0.65	16.77	0.98	9.44	1.23	3.42	1.57	451.23	4.76
	निजी क्षेत्र के नए बैंक										
18.	ॲक्सिस बैंक	6.42	5.15	11.57	0.72	7.58	1.68	2.27	1.10	1,024.00	7.59
19.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	9.91	1.14	11.05	1.26	8.78	2.81	1.86	0.84	420.00	2.08
20.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	8.44	2.90	11.34	1.64	7.81	2.08	0.91	0.71	391.00	0.40
21.	एचडीएफसी बैंक	8.57	4.51	13.08	0.43	8.01	1.76	2.98	1.33	607.00	6.13
22.	आइसीआइसीआइ बैंक	7.42	4.27	11.69	1.02	8.04	2.07	2.05	1.09	1,027.00	9.00
23.	इंडसइंड बैंक लि.	7.34	5.20	12.54	2.47	7.59	1.23	0.87	0.34	1,039.77	2.61
24.	कोटक महिंद्र बैंक लि.	8.81	4.65	13.46	1.98	8.98	1.88	2.16	0.94	383.91	3.13
25.	यस बैंक लि.	8.20	5.40	13.60	–	8.94	2.96	2.19	1.44	531.00	4.00

परिशिष्ट सारणी III.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड *(समाप्त)*
(मार्च 2007 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जोखिम भारित आस्तियों का पूंजी अनुपात			निवल अनर्जक आस्तियां/निवल अग्रिम	ब्याज आय/ कार्यशील निधियाँ	ब्याजेतर आय/ कार्यशील निधियाँ	ब्याजेतर आय/ कार्यशील निधियाँ	आस्तियों पर प्रतिलाभ	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (राशि लाख रुपए)	प्रति कर्मचारी लाभ (राशि लाख रुपए)
		टियर I	टियर II	जोड़							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक										
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	7.33	4.01	11.34	0.12	8.11	2.68	3.63	1.37	1,011.88	11.36
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	27.18	0.48	27.66	0.63	5.59	1.85	1.33	0.23	1,865.72	4.80
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	12.18	0.82	13.00	0.77	7.64	10.03	4.29	1.28	216.75	2.59
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	33.28	13.20	46.48	–	6.66	1.15	2.94	1.70	2,071.57	55.63
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	98.55	1.82	100.37	–	6.52	6.98	6.74	3.42	209.48	8.80
6.	बी.एन.पी. परिबास	7.38	3.38	10.76	–	6.71	3.03	3.06	1.41	1,353.26	19.39
7.	बैंक इंटरनेसनल इंडोनेशिया	139.98	1.26	141.24	–	6.52	5.08	6.38	6.52	97.00	37.39
8.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	11.75	1.58	13.33	–	7.26	4.32	5.74	3.10	1,920.89	69.09
9.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	20.75	1.25	22.00	0.12	7.84	1.15	1.69	-1.90	704.00	-11.00
10.	बैंक ऑफ सिलोन	62.82	0.39	63.21	14.96	5.33	2.10	3.65	1.25	579.18	9.41
11.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	22.57	0.69	23.26	–	6.01	1.72	2.73	1.73	2,311.12	39.10
12.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	26.47	4.24	30.71	–	6.24	2.41	4.27	2.11	1,780.52	35.42
13.	बरकलैज बैंक पीएलसी	13.68	–	13.68	–	6.71	10.60	7.60	4.45	280.54	36.28
14.	काल्यन बैंक	11.50	3.60	15.10	–	8.60	7.80	7.50	4.60	1,629.00	82.00
15.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	21.57	0.57	22.14	0.27	7.08	0.78	1.16	0.34	1,042.00	3.00
16.	सिटी बैंक एन. ए.	10.12	0.94	11.06	1.02	8.00	2.45	3.98	2.79	1,360.48	17.33
17.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	22.84	6.40	29.24	–	8.23	1.82	3.24	1.60	1,003.02	39.84
18.	ड्यूश बैंक एजी	9.73	0.89	10.62	0.01	6.68	4.49	2.82	1.23	1,143.53	20.98
19.	एचएसबीसी बैंक लि.	10.01	1.05	11.06	0.43	7.57	2.62	4.09	1.82	979.68	14.32
20.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	15.99	0.15	16.14	2.17	8.83	5.44	8.01	1.71	1,121.88	82.15
21.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	114.22	7.51	121.73	–	6.08	0.42	2.69	1.63	539.16	13.04
22.	मशरेक बैंक पीएससी	94.73	2.33	97.06	–	6.05	6.26	6.47	8.19	440.07	64.70
23.	मिज़ुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	34.15	0.25	34.40	–	7.01	2.13	4.12	1.30	918.87	14.60
24.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	10.94	0.05	10.99	–	6.49	-0.16	-0.47	-0.90	528.62	-6.14
25.	सिनहान बैंक	88.97	0.29	89.26	–	6.78	0.77	3.52	1.60	1,433.00	25.00
26.	सोसाइटे जनरेल	31.66	0.16	31.82	–	7.32	1.71	1.87	0.96	1,316.00	19.20
27.	सोनाली बैंक	71.21	0.21	71.42	23.25	8.43	21.65	7.10	1.52	71.45	1.38
28.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	8.93	1.51	10.44	1.43	9.07	3.02	5.25	3.06	924.20	19.62
29.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	34.74	4.25	38.99	–	7.92	1.38	2.54	1.53	1,236.00	28.00

– : शून्य/नगण्य।

टिप्पणी : इस सारणी में सूचित आंकड़े अवधारणागत अंतर होने के कारण परिशिष्ट सारणी III.19 से परिशिष्ट सारणी III.25 में प्रस्तुत आंकड़ों से पूर्णत: संगत नहीं हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.19: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**1.53**	**1.94**	**2.39**	**2.66**	**2.17**	**1.95**	**1.90**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**1.34**	**1.88**	**2.31**	**2.67**	**2.18**	**1.88**	**1.73**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**1.29**	**1.83**	**2.34**	**2.70**	**2.17**	**1.79**	**1.77**
1.	इलाहाबाद बैंक	1.21	1.65	1.84	2.52	2.07	1.85	1.63
2.	आंध्रा बैंक	1.22	2.03	3.06	3.44	3.03	1.73	1.96
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1.64	1.85	2.25	2.92	2.44	1.69	1.69
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1.30	2.02	2.66	2.64	1.54	1.52	1.69
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1.26	1.93	2.09	2.10	1.66	1.17	1.57
6.	केनरा बैंक	1.70	2.30	2.43	2.88	2.34	1.92	1.75
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1.00	1.34	1.62	2.41	2.35	1.60	1.36
8.	कार्पोरेशन बैंक	2.70	2.64	3.24	3.11	3.03	2.35	2.16
9.	देना बैंक	0.43	1.78	2.45	3.21	1.59	2.26	2.02
10.	इंडियन बैंक	0.23	1.01	1.67	2.05	2.18	1.88	2.42
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1.01	1.74	1.93	2.80	2.95	2.27	1.90
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1.97	2.84	3.42	3.74	2.28	2.02	1.75
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.77	1.19	1.94	1.00	1.64	1.41	2.15
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1.49	2.02	2.69	3.05	1.90	2.01	1.99
15.	सिंडीकेट बैंक	1.05	1.12	1.80	2.16	1.96	1.65	1.55
16.	यूको	0.78	1.52	1.79	1.82	1.54	1.23	1.26
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1.31	1.96	2.55	2.54	2.17	1.65	1.95
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.64	1.04	2.29	2.37	2.37	1.94	1.70
19.	विजया बैंक	1.25	1.56	2.27	3.60	2.73	2.01	1.64
	स्टेट बैंक समूह	**1.42**	**1.94**	**2.27**	**2.62**	**2.44**	**2.17**	**1.77**
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1.26	1.74	2.07	2.34	2.39	2.29	1.77
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	1.93	2.52	2.45	3.39	3.11	1.75	1.97
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2.43	2.71	2.90	3.31	2.04	1.81	2.05
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2.10	3.48	3.70	4.08	2.08	1.88	1.59
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1.47	2.27	3.11	3.09	2.73	2.26	1.76
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2.79	3.25	3.47	3.73	2.71	1.78	1.66
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1.36	2.36	2.52	3.53	2.57	1.67	1.32
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.59	1.95	2.39	2.92	2.78	2.11	1.87
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआइ लि.	–	–	–	–	0.44	0.90	0.87

परिशिष्ट सारणी III.19: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	**1.74**	**1.74**	**2.44**	**2.27**	**1.80**	**1.71**	**1.88**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**1.75**	**2.70**	**2.67**	**2.64**	**1.68**	**1.51**	**1.89**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	1.33	1.69	2.42	2.19	0.90	0.20	1.59
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	1.98	2.53	2.02	2.02	1.69	1.22	–
3.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	1.63	2.60	2.89	2.86	1.77	0.77	1.18
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	2.70	2.92	3.06	3.69	2.34	2.64	2.45
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	1.46	2.68	3.02	2.74	0.70	0.81	1.12
6.	फेडरल बैंक लि.	2.12	3.01	2.88	2.89	2.38	2.19	2.44
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	0.42	1.14	1.65	0.89	-1.17	-0.61	–
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.13	1.91	2.11	1.98	0.65	0.61	1.19
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	2.14	3.14	3.30	2.96	1.51	1.62	1.94
10.	कर्नाटक बैंक लि.	2.04	3.23	2.73	3.12	2.72	2.20	2.20
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	2.61	3.17	3.20	3.02	2.53	2.54	2.47
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2.30	2.72	2.50	2.27	1.35	0.81	1.26
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	1.08	2.93	2.76	1.85	-0.04	0.04	0.14
14.	नैनीताल बैंक लि.	1.58	1.77	1.51	2.41	2.01	2.11	2.25
15.	रत्नाकर बैंक लि.	1.75	3.69	2.74	1.70	1.10	1.33	0.83
16.	सांगली बैंक लि.	1.08	1.51	1.11	1.41	0.28	-0.41	-2.24
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	1.34	1.86	2.78	5.31	2.29	3.78	0.93
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	2.05	2.64	2.84	2.61	1.82	1.44	1.84
19.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	2.78	2.82	2.87	3.34	3.10	3.18	3.26
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	0.88	2.99	2.31	1.86	1.02	0.57	–
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**1.74**	**1.22**	**2.31**	**2.08**	**1.85**	**1.78**	**1.88**
21.	ऍक्सिस बैंक	1.23	2.83	2.09	2.89	1.50	2.00	1.86
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	1.73	2.46	2.53	2.13	0.40	–	–
23.	सेंचुरियन बैंक लि.	0.98	0.35	0.64	0.34	0.67	1.52	1.46
24.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.62	2.47	1.35	1.00	-0.09	-0.53	0.77
25.	एचडीएफसी बैंक	2.44	2.29	2.33	2.38	2.61	2.69	3.07
26.	आइसीआइसीआइ बैंक	1.47	0.52	2.41	1.98	1.76	1.55	1.70
27.	इंडसइंड बैंक लि.	2.00	2.47	3.28	2.95	2.57	1.06	0.82
28.	कोटक महिंद्र बैंक लि.	–	–	4.16	2.18	2.05	2.07	1.64
29.	यस बैंक लि.	–	–	–	–	-0.29	2.38	1.55

परिशिष्ट सारणी III.19: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	**3.05**	**3.10**	**3.20**	**3.68**	**2.98**	**3.34**	**3.45**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	3.51	3.68	3.13	3.38	2.87	2.47	3.18
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	1.35	0.90	0.69	0.70	0.26	0.57	1.38
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	1.81	3.80	3.37	2.95	2.56	2.94	4.02
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	–	–	1.09	2.29	1.98	2.05	2.95
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	7.09	6.40	5.26	6.93	6.23	7.61	6.55
6.	बैंक इंटरनेसनल इंडोनेशिया	-6.89	0.22	-2.93	0.04	-0.23	0.90	4.63
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	3.36	3.56	2.71	2.34	2.86	4.80	5.60
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	1.49	2.72	2.23	1.23	0.30	0.46	1.38
9.	बैंक ऑफ सिलोन	4.91	5.49	2.58	2.98	3.63	4.17	4.24
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	2.19	2.70	3.19	1.95	2.05	1.87	2.72
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	9.22	3.04	3.19	8.05	5.70	2.27	3.63
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	-0.09	4.51	8.42	15.15	12.61	11.69	4.98
13.	बी.एन.पी. परिबास	1.36	-0.60	0.06	1.18	1.92	2.11	3.29
14.	काल्यन बैंक	0.01	0.50	1.24	-0.27	-0.61	4.25	4.40
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	2.03	4.20	4.23	4.58	2.33	1.84	1.02
16.	सिटी बैंक एन. ए.	3.55	3.97	3.44	4.17	3.47	3.47	3.29
17.	ड्यूश बैंक एजी	5.72	4.39	5.93	5.88	2.04	2.69	2.34
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	2.93	3.49	4.45	1.95	0.79	1.45	2.48
19.	एचएसबीसी बैंक लि.	2.84	2.50	2.25	3.04	3.39	3.41	3.50
20.	आइएनजी बैंक एन वी	-2.44	0.06	-4.86	0.67	3.15	–	–
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	10.32	8.29	5.19	3.75	6.84	4.60	4.06
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	4.94	4.38	2.75	1.66	1.32	8.70	2.80
23.	मशरेक बैंक पीएससी	0.41	3.26	4.01	1.84	1.26	5.43	8.34
24.	मिज़ुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	1.62	1.10	1.23	2.96	2.09	2.09	2.74
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-0.64	-2.05	-1.34	-0.17	-0.10	-0.74	-0.33
26.	सिनहान बैंक	8.38	6.45	7.44	4.67	3.69	2.37	2.43
27.	सोसाइटे जनरेल	0.60	-0.05	0.58	2.61	1.27	1.91	1.51
28.	सोनाली बैंक	5.87	3.66	2.15	6.35	7.61	3.31	2.90
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.15	3.84	3.80	4.01	2.87	3.75	3.97
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	3.80	4.56	4.12	5.22	2.41	2.65	2.27
31.	यूएफजे बैंक लि.	1.95	3.34	2.51	3.86	4.16	–	–

– : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.20: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ/हानि *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**0.49**	**0.75**	**1.01**	**1.13**	**0.89**	**0.88**	**0.90**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**0.42**	**0.72**	**0.96**	**1.12**	**0.87**	**0.82**	**0.83**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**0.33**	**0.69**	**0.98**	**1.19**	**0.89**	**0.81**	**0.85**
1.	इलाहाबाद बैंक	0.18	0.32	0.59	1.34	1.20	1.28	1.11
2.	आंध्रा बैंक	0.59	0.97	1.63	1.72	1.59	1.19	1.13
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	0.43	0.77	1.01	1.14	0.71	0.73	0.72
4.	बैंक ऑफ इंडिया	0.42	0.73	1.12	1.19	0.36	0.62	0.79
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.24	0.68	0.89	0.95	0.54	0.16	0.70
6.	केनरा बैंक	0.43	1.03	1.24	1.35	1.01	1.01	0.86
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.10	0.31	0.54	0.98	0.52	0.34	0.54
8.	कार्पोरेशन बैंक	1.33	1.31	1.58	1.73	1.19	1.10	1.02
9.	देना बैंक	-1.49	0.06	0.57	1.04	0.25	0.27	0.64
10.	इंडियन बैंक	-1.03	0.11	0.53	1.04	0.93	1.06	1.35
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.38	0.65	1.01	1.08	1.28	1.32	1.23
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0.75	0.99	1.34	1.67	1.34	0.95	0.79
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.10	0.17	0.03	0.06	-0.45	0.57	1.00
14.	पंजाब नेशनल बैंक	0.73	0.77	0.98	1.08	1.12	0.99	0.95
15.	सिंडीकेट बैंक	0.83	0.79	1.00	0.92	0.77	0.88	0.80
16.	यूको बैंक	0.12	0.52	0.59	0.99	0.63	0.32	0.42
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.40	0.71	1.08	1.22	0.99	0.76	0.82
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.09	0.52	1.26	1.22	1.03	0.62	0.63
19.	विजया बैंक	0.50	0.81	1.03	1.71	1.30	0.40	0.78
	स्टेट बैंक समूह	**0.55**	**0.77**	**0.91**	**1.02**	**0.91**	**0.86**	**0.82**
20.	भारतीय स्टेट बैंक	0.51	0.70	0.83	0.90	0.94	0.89	0.80
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	0.76	1.06	1.13	1.50	0.88	0.53	0.89
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.82	1.02	1.15	1.24	0.72	1.05	1.03
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0.78	1.27	1.76	1.73	0.79	0.67	0.77
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.27	0.64	1.02	1.28	1.25	1.12	0.93
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1.12	1.34	1.51	1.60	0.91	0.74	0.77
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0.16	0.88	0.81	1.38	0.27	0.36	0.46
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.67	0.73	0.90	1.02	0.86	0.81	0.86
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआइ लि.	–	–	–	–	0.38	0.63	0.61

परिशिष्ट सारणी III.20: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ/हानि *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	**0.70**	**0.66**	**1.00**	**0.95**	**0.83**	**0.87**	**0.87**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**0.59**	**1.08**	**1.17**	**1.20**	**0.33**	**0.58**	**0.70**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	0.74	0.84	1.12	0.82	0.38	0.15	0.91
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	0.95	1.08	1.17	1.25	0.62	0.15	–
3.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	0.38	1.07	1.17	1.31	0.24	0.13	0.36
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	1.16	1.28	1.27	1.79	1.33	1.37	1.34
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	0.40	0.53	0.71	0.71	-0.82	0.33	0.47
6.	फेडरल बैंक लि.	0.69	0.81	0.86	0.90	0.54	1.09	1.17
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	0.22	0.50	0.66	0.61	-2.56	-4.79	–
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	0.38	0.64	0.75	0.45	-0.25	0.05	0.46
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.32	1.77	2.01	1.92	0.47	0.67	0.96
10.	कर्नाटक बैंक लि.	0.68	1.17	1.19	1.26	1.17	1.18	1.09
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	1.70	2.12	2.02	2.27	1.34	1.50	1.44
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1.02	1.06	1.07	1.07	0.08	0.46	0.30
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	0.36	1.14	1.24	1.01	-0.97	0.14	-0.61
14.	नैनीताल बैंक लि.	0.53	0.87	0.99	1.43	1.08	0.92	1.04
15.	रत्नाकर बैंक लि.	0.67	1.00	1.30	1.04	-1.09	0.06	0.26
16.	सांगली बैंक लि.	0.38	0.58	0.65	0.61	-1.48	-1.36	-18.87
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	-6.65	0.46	-1.45	3.67	-2.10	1.09	1.13
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	0.80	0.95	0.95	0.91	0.09	0.47	0.76
19.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	1.37	1.29	1.35	1.59	1.47	1.66	1.49
20	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	-0.27	0.50	0.46	0.43	-1.39	-1.49	–
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**0.81**	**0.44**	**0.90**	**0.83**	**1.05**	**0.97**	**0.91**
21.	ऍक्सिस बैंक लिमिटेड	0.80	0.93	0.98	1.15	0.89	0.98	0.90
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	0.93	0.92	0.74	0.76	-1.25	–	–
23.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	0.12	-2.26	-0.75	-2.96	0.54	0.77	0.66
24.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	0.76	0.81	0.78	0.32	-3.50	-2.28	0.14
25.	एचडीएफसी बैंक	1.35	1.25	1.27	1.20	1.29	1.18	1.25
26.	आइसीआइसीआइ बैंक	0.82	0.25	1.13	1.31	1.20	1.01	0.90
27.	इंडसइंड बैंक लि.	0.47	0.50	0.91	1.74	1.35	0.21	0.33
28.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	–	–	2.09	1.35	1.30	1.16	0.71
29.	यस बैंक लि.	–	–	–	–	-0.29	1.33	0.85

परिशिष्ट सारणी III.20: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ/हानि *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	**0.93**	**1.32**	**1.56**	**1.65**	**1.29**	**1.54**	**1.65**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	0.40	1.72	1.56	1.84	1.27	1.03	1.20
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0.44	0.47	0.17	0.49	-2.57	0.66	0.24
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	-0.62	0.27	-0.90	-0.69	0.55	1.45	1.28
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	–	–	0.36	1.18	1.00	1.21	1.70
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	3.50	2.82	2.73	4.08	3.61	4.26	3.33
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-2.95	0.24	2.11	-0.22	-0.67	-0.98	4.72
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	1.25	1.72	1.74	1.26	1.46	2.42	3.10
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	0.81	1.25	1.06	0.12	-3.77	-1.51	-1.73
9.	बैंक ऑफ सिलोन	0.95	0.02	0.27	0.36	1.19	0.25	1.25
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	1.06	1.00	0.78	0.57	-0.35	0.86	1.72
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	7.57	4.08	3.27	6.96	0.93	0.02	2.11
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	1.35	1.78	2.87	9.37	6.68	6.49	2.92
13.	बी.एन.पी. परिबास	0.33	-0.94	-0.53	-0.44	0.50	0.51	1.51
14.	काल्यन बैंक	-1.62	0.99	0.36	0.51	-0.84	4.06	2.71
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0.63	1.00	2.12	1.15	-7.68	-1.71	0.34
16.	सिटी बैंक एन. ए.	1.46	1.51	1.55	1.93	1.77	1.55	1.36
17.	ड्यूश बैंक एजी	1.71	2.24	2.92	3.17	0.72	1.04	1.23
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	1.58	2.02	2.01	-1.31	0.64	0.50	1.22
19.	एचएसबीसी लि.	1.26	0.87	0.72	1.55	1.21	1.37	1.54
20.	आइएनजी बैंक एन वी	-3.97	-0.44	-12.92	-0.05	-4.38	–	–
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	5.06	3.18	3.10	2.34	3.58	2.53	1.71
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	2.22	0.02	-0.72	1.38	0.03	5.37	1.53
23.	मशरेक बैंक पीएससी	-3.10	1.59	3.25	1.76	1.10	4.23	9.37
24.	मिज़ुहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	-3.30	-1.45	0.31	2.41	2.13	0.88	1.30
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-4.41	-4.47	-1.83	-0.39	-3.14	-0.89	-0.62
26.	सिनहान बैंक	3.15	3.42	2.47	2.21	2.07	1.35	1.11
27.	सोसाइटे जनरेल	0.04	-2.29	-1.58	2.04	1.71	0.95	0.77
28.	सोनाली बैंक	3.05	1.41	1.23	3.36	4.32	1.69	1.52
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1.51	2.02	2.92	1.74	1.62	1.97	2.32
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	1.05	0.85	1.05	1.33	1.20	0.68	1.53
31.	यूएफजे बैंक लि.	0.25	0.05	0.31	1.88	2.10	–	–

– : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.21: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से प्राप्त आय *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**8.88**	**8.26**	**8.28**	**7.31**	**6.61**	**6.65**	**6.85**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**8.85**	**8.72**	**8.34**	**7.45**	**6.79**	**6.84**	**6.89**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**9.09**	**8.78**	**8.39**	**7.44**	**6.91**	**6.74**	**6.89**
1.	इलाहाबाद बैंक	9.39	9.18	9.16	7.69	7.06	6.81	7.22
2.	आंध्रा बैंक	9.20	9.69	8.89	8.25	6.97	6.58	6.97
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.09	8.40	7.98	7.22	6.79	6.22	6.44
4.	बैंक ऑफ इंडिया	8.93	8.01	7.77	6.83	6.35	6.26	6.48
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8.96	9.31	8.36	6.83	7.20	7.93	6.98
6.	केनरा बैंक	8.45	8.83	8.16	7.11	6.86	6.56	6.85
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9.03	8.85	8.88	7.99	7.59	7.21	6.70
8.	कार्पोरेशन बैंक	9.16	8.24	8.00	7.55	6.63	6.48	6.51
9.	देना बैंक	9.58	9.07	8.79	7.83	7.18	6.63	6.74
10.	इंडियन बैंक	7.91	7.58	7.16	6.81	6.54	7.06	7.63
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	9.22	8.95	8.47	7.93	7.78	7.42	7.09
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.19	9.43	9.72	8.05	6.61	6.99	6.99
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	9.23	9.20	8.86	8.52	7.94	6.82	7.86
14.	पंजाब नेशनल बैंक	9.23	9.12	8.68	7.60	6.70	6.60	7.10
15.	सिंडीकेट बैंक	9.89	9.08	8.35	6.53	7.21	6.63	6.77
16.	यूको बैंक	8.32	8.10	8.00	7.07	6.50	7.04	7.10
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9.58	9.05	8.43	7.74	6.86	6.58	7.19
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	8.99	8.93	8.73	8.02	7.33	7.10	6.74
19.	विजया बैंक	9.51	9.53	8.76	8.06	7.15	7.33	6.66
	स्टेट बैंक समूह	**8.47**	**8.62**	**8.26**	**7.46**	**7.02**	**7.13**	**6.99**
20.	भारतीय स्टेट बैंक	8.28	8.56	8.27	7.47	7.05	7.28	6.97
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	9.12	8.76	8.00	7.82	7.43	7.14	7.26
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	9.19	8.67	7.91	7.22	6.66	6.77	7.11
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	8.63	9.02	8.68	8.02	6.57	6.39	6.96
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	9.72	9.38	9.15	7.68	7.09	6.96	6.73
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	9.38	8.66	8.26	7.02	6.77	5.97	6.68
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	8.95	8.99	7.90	7.62	7.52	7.12	7.10
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	9.08	8.82	8.32	7.25	6.96	7.21	7.45
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआइ लि.	–	–	–	–	3.26	6.08	6.11

परिशिष्ट सारणी III.21: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से प्राप्त आय *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	**8.87**	**6.18**	**8.26**	**6.99**	**6.14**	**6.16**	**6.86**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**9.53**	**9.36**	**8.50**	**7.56**	**6.95**	**6.92**	**7.25**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	10.20	9.41	7.71	5.95	5.71	5.48	6.27
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	8.54	7.94	7.21	7.05	6.80	6.76	–
3.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	10.48	9.68	8.98	8.29	8.30	7.65	7.85
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	10.08	9.51	8.91	8.65	8.32	7.91	7.46
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	10.45	9.59	8.98	7.82	7.27	7.37	7.15
6.	फेडरल बैंक लि.	10.42	10.28	9.11	7.89	7.08	6.96	7.24
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	10.61	10.04	9.39	8.29	7.76	5.53	–
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	8.76	8.61	7.89	6.99	6.44	7.29	7.27
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	8.46	9.21	8.50	7.17	6.34	6.45	6.63
10.	कर्नाटक बैंक लि.	9.79	9.57	8.76	8.02	6.71	6.81	7.74
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	10.88	9.44	8.35	9.11	7.49	7.23	7.83
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	9.61	9.53	8.48	7.48	7.36	6.55	7.37
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	8.75	8.36	8.37	6.39	7.79	7.08	8.65
14.	नैनीताल बैंक लि.	9.72	9.55	8.78	8.20	7.00	6.97	7.21
15.	रत्नाकर बैंक लि.	10.18	9.39	8.79	7.99	7.54	7.18	6.93
16.	सांगली बैंक लि.	9.11	8.00	7.65	6.77	6.48	6.09	6.34
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	10.17	8.07	8.30	8.08	5.42	6.85	5.15
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	10.36	9.39	8.62	7.36	7.48	7.03	7.15
19.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	10.24	10.12	9.99	10.56	9.13	8.98	9.00
20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	8.29	9.59	7.99	6.48	6.87	6.78	–
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**8.17**	**4.48**	**8.13**	**6.71**	**5.77**	**5.89**	**6.75**
21.	ऍक्सिस बैंक	8.26	8.20	7.47	6.62	5.10	5.81	6.23
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	9.11	9.35	8.24	7.02	6.70	–	–
23.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	9.29	11.57	10.97	9.41	7.50	7.09	6.86
24.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	9.84	9.01	8.14	6.54	6.51	7.41	6.59
25.	एचडीएफसी बैंक	8.06	7.16	6.62	6.02	6.02	6.09	7.55
26.	आइसीआइसीआइ बैंक	6.29	2.07	8.77	7.19	5.61	5.69	6.67
27.	इंडसइंड बैंक लि.	8.42	6.96	7.50	6.54	7.26	6.74	7.17
28.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	–	–	8.42	4.96	6.45	7.06	6.80
29.	यस बैंक लि.	–	–	–	–	2.35	4.63	5.29

परिशिष्ट सारणी III.21: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से प्राप्त आय *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	**9.27**	**8.56**	**7.68**	**6.74**	**5.97**	**6.17**	**6.48**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	10.18	10.16	7.92	7.18	5.89	5.85	7.09
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	6.54	10.03	9.65	8.47	7.68	16.16	5.88
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	8.39	8.60	10.05	8.99	8.93	7.09	7.15
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	–	–	4.61	4.06	3.95	5.71	6.69
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	7.77	6.19	4.65	4.78	4.37	5.55	6.34
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	5.16	4.27	4.48	3.61	2.87	3.38	4.73
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	10.31	9.13	6.99	5.48	4.68	5.83	6.81
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	9.96	8.55	8.12	5.77	5.71	6.49	6.40
9.	बैंक ऑफ सिलोन	8.45	8.32	6.86	5.14	4.68	5.48	6.19
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	8.79	8.73	9.67	4.52	4.75	4.97	5.99
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	10.53	8.62	9.70	6.55	5.02	4.15	5.30
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	7.31	4.60	2.83	3.95	3.35	3.50	4.40
13.	बी.एन.पी. परिबास	9.68	7.54	9.11	5.93	5.99	5.98	7.20
14.	काल्यन बैंक	7.02	5.95	8.28	8.42	6.22	6.93	5.08
15.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	10.70	13.35	11.17	10.01	7.82	5.22	6.20
16.	सिटी बैंक एन. ए.	9.00	8.89	7.84	7.70	6.52	6.74	6.61
17.	ड्यूश बैंक एजी	9.77	8.17	5.67	3.50	3.63	5.01	5.49
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	8.92	7.92	10.58	4.86	2.45	4.86	6.30
19.	एचएसबीसी लि.	8.29	7.83	7.08	6.15	5.83	5.88	6.38
20.	आइएनजी बैंक एन वी	4.84	4.65	9.82	1.77	2.41	–	–
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	8.43	6.32	4.78	5.43	3.06	4.37	4.48
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	9.46	8.71	6.90	5.77	4.91	5.81	6.33
23.	मशरेक बैंक पीएससी	8.36	11.18	12.19	10.02	8.57	23.06	6.93
24.	मिज़ुहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	10.64	8.39	8.40	6.84	3.79	4.41	4.76
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	6.36	4.42	4.11	4.00	4.05	3.95	4.49
26.	सिनहान बैंक	9.86	7.11	10.38	5.44	4.53	4.25	4.67
27.	सोसाइटे जनरेल	7.38	7.57	5.62	4.03	4.16	5.12	5.90
28.	सोनाली बैंक	3.71	3.54	4.00	3.92	4.40	4.43	3.45
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	9.12	8.12	7.80	7.35	6.70	6.65	6.87
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	9.03	9.27	6.10	6.78	7.94	8.84	7.09
31.	यूएफजे बैंक लि.	8.38	9.62	6.11	5.25	5.02	–	–

– : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.22: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय किया गया ब्याज *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**6.03**	**5.70**	**5.51**	**4.44**	**3.78**	**3.85**	**4.16**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**5.99**	**5.99**	**5.43**	**4.47**	**3.88**	**4.00**	**4.24**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**6.19**	**6.03**	**5.39**	**4.38**	**3.89**	**3.84**	**4.18**
1.	इलाहाबाद बैंक	6.29	6.23	5.92	4.56	4.03	3.96	4.63
2.	आंध्रा बैंक	6.74	6.95	5.84	4.87	3.71	3.70	3.99
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	6.03	5.75	5.23	4.20	3.65	3.42	3.79
4.	बैंक ऑफ इंडिया	6.15	5.40	5.10	4.24	4.00	3.92	4.05
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6.03	6.57	5.64	4.44	4.52	4.81	4.17
6.	केनरा बैंक	5.62	6.31	5.39	4.35	4.01	3.86	4.42
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5.96	5.93	5.56	4.64	4.13	4.02	4.04
8.	कार्पोरेशन बैंक	6.21	5.59	4.99	4.24	3.30	3.46	3.89
9.	देना बैंक	7.08	6.72	5.97	5.16	4.32	3.91	4.02
10.	इंडियन बैंक	6.05	5.83	4.84	3.96	3.57	3.89	4.30
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6.31	6.21	5.50	4.55	4.12	3.94	3.98
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	7.27	6.42	6.15	4.50	3.79	4.27	4.70
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	6.72	6.90	6.20	5.23	4.30	3.51	4.37
14.	पंजाब नेशनल बैंक	6.02	5.97	5.06	4.06	3.53	3.39	3.71
15.	सिंडीकेट बैंक	6.01	5.59	4.84	3.51	3.96	3.55	4.36
16.	यूको बैंक	5.90	5.77	5.47	4.34	3.92	4.51	4.84
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6.45	6.04	5.50	4.77	4.01	3.92	4.47
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	6.60	6.29	5.77	5.00	4.18	4.03	3.96
19.	विजया बैंक	6.28	6.52	5.39	4.58	3.78	4.25	4.13
	स्टेट बैंक समूह	**5.68**	**5.91**	**5.50**	**4.62**	**3.96**	**4.05**	**4.20**
20.	भारतीय स्टेट बैंक	5.63	5.95	5.62	4.73	4.02	4.13	4.14
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	5.84	5.59	4.93	4.26	3.72	3.54	4.16
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5.88	5.74	5.05	4.48	3.90	4.07	4.35
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	5.79	6.05	5.45	4.54	3.60	3.77	4.58
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	6.39	6.33	5.74	4.38	3.76	3.80	4.07
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5.16	4.88	4.58	3.96	3.67	3.55	4.34
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	6.02	6.01	5.11	4.47	4.15	4.22	4.65
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	6.35	6.24	5.58	4.40	3.85	4.22	4.47
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	**–**	**–**	**–**	**–**		**5.65**	**5.48**
28.	आइडीबीआइ लि.	–	–	–	–	3.03	5.65	5.48

परिशिष्ट सारणी III.22: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय किया गया ब्याज *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	**6.54**	**4.60**	**6.29**	**4.77**	**3.80**	**3.76**	**4.41**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**7.02**	**6.97**	**6.03**	**4.96**	**4.25**	**4.17**	**4.42**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	7.13	6.73	4.76	3.70	3.37	3.22	3.63
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	5.74	5.59	4.73	4.02	3.54	3.90	–
3.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	7.75	7.36	6.67	5.45	5.01	4.57	4.75
4.	सिटी यूनियन बैंक लि	7.17	7.06	6.37	5.64	5.14	4.52	4.34
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	8.10	7.34	6.46	4.98	4.50	4.45	4.34
6.	फेडरल बैंक लि	7.73	7.55	6.33	5.10	4.09	4.05	4.32
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	8.52	8.28	7.91	7.16	6.40	4.62	–
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	7.05	6.91	6.00	5.14	4.12	4.42	4.46
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	5.66	6.23	5.36	4.25	3.90	3.94	3.95
10.	कर्नाटक बैंक लि.	7.52	7.76	7.09	6.00	4.18	4.36	5.16
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	7.21	6.22	5.61	4.93	4.24	4.08	4.70
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	7.07	7.36	6.34	5.30	4.73	4.40	5.13
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	7.31	7.59	6.95	5.09	5.52	4.99	6.59
14.	नैनीताल बैंक लि.	5.91	5.68	5.08	4.33	3.47	3.05	3.25
15.	रत्नाकर बैंक लि.	7.11	6.50	6.10	5.26	4.45	4.11	3.70
16.	सांगली बैंक लि.	5.96	5.58	5.46	4.14	4.09	3.77	4.04
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	8.95	7.30	6.16	5.33	3.47	3.59	3.40
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	7.49	7.02	6.28	5.19	4.77	4.17	4.46
19.	तामिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	6.95	6.77	6.40	6.33	5.01	4.95	4.83
20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	6.33	7.62	6.00	4.77	4.80	4.48	–
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**6.03**	**3.33**	**6.43**	**4.68**	**3.60**	**3.62**	**4.41**
21.	ॲक्सिस बैंक	7.35	6.81	5.82	4.23	3.16	3.64	4.09
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	6.09	7.03	5.94	4.38	3.95	–	–
23.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	7.56	9.09	7.95	5.74	3.65	3.57	3.78
24.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	7.64	6.87	6.52	4.76	5.01	5.40	4.32
25.	एचडीएफसी बैंक	4.83	4.51	3.92	2.86	2.56	2.62	3.48
26.	आइसीआइसीआइ बैंक	4.24	1.50	7.44	5.60	3.92	3.82	4.75
27.	इंडसइंड बैंक लि.	6.58	5.36	5.64	4.44	4.60	4.95	5.87
28.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	–	–	4.03	2.02	2.99	3.33	3.51
29.	यस बैंक लि.	–	–	–	–	0.93	2.52	3.75

परिशिष्ट सारणी III.22: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय किया गया ब्याज *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	**5.64**	**5.34**	**4.33**	**3.15**	**2.63**	**2.58**	**2.74**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	6.24	5.49	4.01	2.94	2.17	2.80	3.24
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	5.56	9.11	8.78	7.51	7.07	14.66	4.07
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	5.77	5.78	6.62	5.25	5.00	4.23	4.12
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	–	–	1.24	1.06	1.48	3.32	3.96
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	1.16	0.69	0.77	0.77	0.50	0.56	0.74
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	2.35	1.70	1.06	0.72	0.55	0.78	1.32
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	7.03	6.20	4.47	3.18	2.32	2.46	2.86
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	8.32	7.37	6.40	4.71	3.63	4.47	3.68
9.	बैंक ऑफ सिलोन	4.58	3.90	3.80	3.11	2.93	2.31	2.42
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	6.57	6.32	6.83	3.11	3.21	3.50	4.07
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	4.30	3.92	4.45	1.73	1.39	1.56	1.98
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	5.77	3.67	2.00	0.95	0.92	1.50	2.27
13.	बी.एन.पी. परिबास	7.07	5.66	6.26	3.32	3.08	3.03	4.10
14.	काल्यन बैंक	5.56	4.96	5.98	5.55	5.20	5.58	2.88
15.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	6.48	7.14	4.20	3.16	2.85	1.71	3.67
16.	सिटी बैंक एन. ए.	5.02	5.13	4.08	3.12	2.22	2.21	2.56
17.	ड्यूश बैंक एजी	4.63	4.41	3.03	2.66	2.84	3.06	2.64
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि	6.06	4.83	5.11	2.23	0.60	1.90	3.99
19.	एचएसबीसी लि.	5.33	5.21	4.20	2.85	2.31	2.21	2.21
20.	आइएनजी बैंक एन वी	3.34	3.71	7.81	1.31	–	–	–
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	5.48	3.01	1.25	1.32	1.24	1.79	2.04
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	1.18	0.68	0.34	0.49	0.75	0.86	1.15
23.	मशरेक बैंक पीएससी	7.26	8.96	8.76	7.61	7.32	20.88	0.62
24.	मिज़ुहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	7.65	6.18	5.74	2.32	1.28	2.09	1.62
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	6.87	6.38	5.83	4.36	3.36	3.22	3.24
26.	सिनहान बैंक लि.	1.65	0.97	3.24	1.14	1.03	1.81	1.14
27.	सोसाइटे जनरेल	6.09	6.38	3.66	2.15	2.42	2.86	4.08
28.	सोनाली बैंक	1.42	2.00	2.90	2.48	2.48	2.64	1.79
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	5.38	4.61	3.93	3.12	2.98	2.59	2.81
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	5.95	6.57	3.61	3.80	4.98	5.50	4.81
31.	यूएफजे बैंक लि	4.49	5.36	2.73	0.71	0.61	–	–

– : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.23: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय / मार्जिन *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**2.85**	**2.57**	**2.77**	**2.88**	**2.83**	**2.81**	**2.69**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**2.86**	**2.73**	**2.91**	**2.98**	**2.91**	**2.85**	**2.65**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**2.90**	**2.74**	**3.00**	**3.06**	**3.02**	**2.89**	**2.71**
1.	इलाहाबाद बैंक	3.10	2.95	3.24	3.13	3.02	2.85	2.59
2.	आंध्रा बैंक	2.45	2.75	3.05	3.37	3.27	2.87	2.98
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	3.06	2.65	2.75	3.02	3.15	2.80	2.64
4.	बैंक ऑफ इंडिया	2.78	2.62	2.67	2.59	2.36	2.34	2.43
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2.93	2.73	2.72	2.38	2.68	3.11	2.80
6.	केनरा बैंक	2.83	2.52	2.76	2.76	2.86	2.70	2.43
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3.07	2.92	3.32	3.35	3.46	3.19	2.66
8.	कार्पोरेशन बैंक	2.95	2.65	3.02	3.31	3.33	3.03	2.61
9.	देना बैंक	2.51	2.35	2.82	2.67	2.86	2.72	2.72
10.	इंडियन बैंक	1.86	1.75	2.32	2.85	2.97	3.17	3.33
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2.91	2.74	2.97	3.38	3.65	3.48	3.11
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2.92	3.02	3.57	3.55	2.82	2.72	2.29
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.51	2.30	2.67	3.29	3.64	3.31	3.49
14.	पंजाब नैशनल बैंक	3.21	3.15	3.62	3.54	3.17	3.21	3.40
15.	सिंडीकेट बैंक	3.87	3.49	3.51	3.03	3.25	3.08	2.41
16.	यूको बैंक	2.42	2.33	2.53	2.73	2.58	2.53	2.26
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3.13	3.01	2.93	2.98	2.85	2.66	2.72
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2.39	2.64	2.97	3.02	3.15	3.07	2.78
19.	विजया बैंक	3.23	3.01	3.37	3.48	3.36	3.08	2.53
	स्टेट बैंक समूह	**2.79**	**2.71**	**2.76**	**2.83**	**3.06**	**3.07**	**2.79**
20.	भारतीय स्टेट बैंक	2.66	2.61	2.65	2.74	3.03	3.16	2.83
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	3.28	3.16	3.07	3.56	3.71	3.61	3.10
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3.32	2.94	2.86	2.75	2.76	2.69	2.76
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2.84	2.97	3.23	3.48	2.97	2.61	2.38
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3.33	3.04	3.41	3.30	3.33	3.16	2.66
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4.22	3.78	3.69	3.06	3.10	2.42	2.34
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2.93	2.99	2.79	3.15	3.37	2.90	2.45
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.73	2.57	2.75	2.85	3.10	3.00	2.98
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआइ लि.	–	–	–	–	0.23	0.43	0.63

परिशिष्ट सारणी III.23: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय/मार्जिन *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	**2.33**	**1.58**	**1.97**	**2.21**	**2.34**	**2.40**	**2.45**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**2.51**	**2.39**	**2.47**	**2.60**	**2.70**	**2.75**	**2.83**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	3.07	2.69	2.95	2.25	2.33	2.27	2.63
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	2.80	2.34	2.48	3.03	3.27	2.86	–
3.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	2.72	2.32	2.32	2.84	3.30	3.08	3.10
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	2.91	2.45	2.53	3.02	3.17	3.39	3.12
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.34	2.25	2.53	2.84	2.76	2.91	2.81
6.	फेडरल बैंक लि.	2.69	2.72	2.78	2.79	2.99	2.91	2.92
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	2.09	1.77	1.48	1.13	1.36	0.92	–
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.71	1.70	1.89	1.85	2.32	2.87	2.81
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	2.81	2.98	3.13	2.92	2.44	2.51	2.68
10.	कर्नाटक बैंक लि.	2.28	1.81	1.67	2.02	2.53	2.45	2.59
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	3.67	3.22	2.74	4.18	3.26	3.14	3.13
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2.55	2.17	2.13	2.18	2.63	2.14	2.23
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	1.44	0.77	1.42	1.30	2.26	2.09	2.06
14.	नैनीताल बैंक लि.	3.81	3.87	3.70	3.87	3.53	3.92	3.96
15.	रत्नाकर बैंक लि.	3.07	2.89	2.70	2.73	3.08	3.07	3.23
16.	सांगली बैंक लि.	3.14	2.42	2.19	2.63	2.40	2.33	2.30
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	1.22	0.78	2.15	2.76	1.95	3.26	1.75
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	2.87	2.37	2.33	2.17	2.71	2.86	2.69
19.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	3.29	3.35	3.58	4.24	4.12	4.03	4.17
20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1.96	1.97	1.99	1.71	2.07	2.30	–
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**2.14**	**1.15**	**1.70**	**2.03**	**2.17**	**2.27**	**2.34**
21.	ऑक्सिस बैंक	0.91	1.38	1.64	2.39	1.94	2.17	2.14
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	3.03	2.32	2.30	2.65	2.75	–	–
23.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	1.73	2.48	3.01	3.66	3.86	3.52	3.08
24.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	2.20	2.14	1.62	1.77	1.50	2.01	2.27
25.	एचडीएफसी बैंक लि.	3.24	2.65	2.70	3.16	3.46	3.46	4.07
26.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	2.05	0.57	1.33	1.59	1.69	1.87	1.93
27.	इंडसइंड बैंक लि.	1.84	1.60	1.86	2.10	2.66	1.79	1.30
28.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	–	–	4.38	2.94	3.46	3.73	3.29
29.	यस बैंक लि.	–	–	–	–	1.42	2.12	1.54

परिशिष्ट सारणी III.23: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय/ मार्जिन *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	**3.63**	**3.22**	**3.35**	**3.59**	**3.34**	**3.58**	**3.74**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	3.94	4.67	3.90	4.23	3.73	3.05	3.85
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0.98	0.92	0.87	0.96	0.61	1.49	1.81
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि..	2.61	2.82	3.43	3.74	3.92	2.87	3.03
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	–	–	3.36	2.99	2.47	2.40	2.73
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	6.61	5.50	3.89	4.01	3.87	4.99	5.59
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	2.81	2.57	3.42	2.88	2.32	2.60	3.41
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	3.28	2.93	2.52	2.30	2.36	3.36	3.95
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	1.64	1.18	1.72	1.06	2.09	2.02	2.72
9.	बैंक ऑफ सिलोन	3.87	4.43	3.06	2.03	1.75	3.17	3.77
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	2.21	2.41	2.84	1.41	1.54	1.46	1.92
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे	6.23	4.70	5.25	4.82	3.63	2.58	3.32
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	1.55	0.94	0.83	3.00	2.43	2.00	2.13
13.	बीएनपी परिबास	2.61	1.88	2.85	2.61	2.91	2.95	3.10
14.	काल्यन बैंक	1.46	0.99	2.30	2.87	1.02	1.35	2.20
15.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	4.22	6.21	6.97	6.85	4.97	3.51	2.53
16.	सिटी बैंक एन ए	3.98	3.76	3.76	4.58	4.29	4.53	4.05
17.	ड्यूश बैंक एजी	5.14	3.76	2.65	0.84	0.80	1.95	2.85
18.	डीबीएस बैंक लि.	2.85	3.10	5.47	2.64	1.85	2.96	2.31
19.	एचएसबीसी लि.	2.96	2.63	2.88	3.29	3.52	3.67	4.17
20.	आइएनजी बैंक एन वी	1.50	0.94	2.01	0.46	2.41	–	–
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	2.95	3.30	3.53	4.12	1.81	2.58	2.44
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	8.28	8.03	6.56	5.28	4.16	4.95	5.18
23.	मशरेक बैंक पीएससी	1.11	2.22	3.43	2.41	1.26	2.18	6.31
24.	मिज़ुहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	2.98	2.21	2.66	4.52	2.51	2.32	3.14
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	-0.51	-1.96	-1.72	-0.36	0.69	0.73	1.25
26.	सिनहान बैंक लि.	8.21	6.14	7.15	4.30	3.50	2.44	3.54
27.	सोसाइटे जनरेल	1.29	1.19	1.96	1.88	1.74	2.27	1.82
28.	सोनाली बैंक	2.29	1.55	1.10	1.44	1.93	1.79	1.66
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.74	3.51	3.87	4.23	3.72	4.06	4.06
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	3.08	2.70	2.50	2.98	2.97	3.34	2.28
31.	यूएफजे बैंक लि	3.89	4.27	3.37	4.55	4.41	–	–

– : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**1.03**	**1.19**	**1.39**	**1.54**	**1.28**	**1.07**	**1.00**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**0.92**	**1.16**	**1.36**	**1.55**	**1.31**	**1.06**	**0.91**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**0.95**	**1.15**	**1.35**	**1.52**	**1.28**	**0.98**	**0.92**
1.	इलाहाबाद बैंक	1.03	1.32	1.25	1.19	0.87	0.58	0.52
2.	आंध्रा बैंक	0.63	1.07	1.43	1.73	1.44	0.53	0.83
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1.20	1.08	1.23	1.78	1.73	0.96	0.97
4.	बैंक ऑफ इंडिया	0.87	1.29	1.55	1.45	1.18	0.89	0.90
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1.02	1.26	1.20	1.15	1.12	1.01	0.88
6.	केनरा बैंक	1.27	1.27	1.19	1.53	1.34	0.91	0.90
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.90	1.03	1.08	1.44	1.82	1.26	0.83
8.	कार्पोरेशन बैंक	1.37	1.33	1.66	1.38	1.84	1.26	1.15
9.	देना बैंक	1.92	1.72	1.88	2.17	1.34	1.99	1.38
10.	इंडियन बैंक	1.26	0.91	1.13	1.01	1.25	0.82	1.07
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.63	1.09	0.92	1.72	1.66	0.95	0.67
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1.22	1.85	2.08	2.07	0.94	1.08	0.97
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.67	1.02	1.91	0.94	2.09	0.84	1.16
14.	पंजाब नैशनल बैंक	0.76	1.25	1.71	1.97	0.79	1.02	1.04
15.	सिंडीकेट बैंक	0.22	0.33	0.80	1.24	1.18	0.77	0.75
16.	यूको बैंक	0.66	0.99	1.19	0.83	0.90	0.91	0.84
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.91	1.25	1.47	1.32	1.18	0.89	1.13
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.55	0.52	1.03	1.15	1.34	1.32	1.07
19.	विजया बैंक	0.76	0.75	1.24	1.89	1.43	1.61	0.86
	स्टेट बैंक समूह	**0.87**	**1.17**	**1.36**	**1.59**	**1.53**	**1.31**	**0.96**
20.	भारतीय स्टेट बैंक	0.75	1.04	1.24	1.44	1.45	1.40	0.96
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	1.17	1.46	1.32	1.89	2.24	1.22	1.08
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1.62	1.69	1.75	2.07	1.32	0.76	1.02
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1.32	2.21	1.94	2.35	1.30	1.21	0.81
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1.19	1.63	2.09	1.81	1.48	1.14	0.83
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1.66	1.91	1.96	2.13	1.80	1.04	0.89
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1.20	1.49	1.71	2.15	2.30	1.31	0.86
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.92	1.21	1.49	1.90	1.92	1.30	1.01
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआइ लि.	–	–	–	–	0.07	0.27	0.27

परिशिष्ट सारणी III.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	**1.04**	**1.07**	**1.44**	**1.32**	**0.97**	**0.84**	**1.02**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**1.15**	**1.62**	**1.50**	**1.45**	**1.35**	**0.93**	**1.19**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	0.59	0.86	1.31	1.38	0.52	0.04	0.67
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	1.02	1.45	0.85	0.77	1.07	1.07	–
3.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	1.25	1.53	1.72	1.55	1.53	0.65	0.82
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	1.54	1.64	1.79	1.90	1.01	1.28	1.11
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	1.06	2.15	2.30	2.02	1.51	0.48	0.65
6.	फेडरल बैंक लि.	1.43	2.20	2.02	1.99	1.84	1.10	1.28
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	0.20	0.64	0.99	0.28	1.39	4.18	–
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	0.75	1.27	1.36	1.53	0.89	0.55	0.73
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	0.83	1.37	1.29	1.05	1.04	0.95	0.98
10.	कर्नाटक बैंक लि.	1.36	2.06	1.55	1.86	1.55	1.02	1.11
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	0.91	1.04	1.17	0.75	1.19	1.04	1.03
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1.28	1.65	1.44	1.20	1.27	0.35	0.96
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	0.72	1.79	1.52	0.84	0.93	-0.10	0.75
14.	नैनीताल बैंक लि.	1.04	0.91	0.52	0.98	0.93	1.19	1.21
15.	रत्नाकर बैंक लि.	1.07	2.69	1.43	0.67	2.18	1.27	0.57
16.	सांगली बैंक लि.	0.70	0.93	0.46	0.80	1.77	0.95	16.63
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	7.99	1.40	4.23	1.64	4.39	2.70	-0.20
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	1.26	1.69	1.89	1.70	1.73	0.97	1.08
19.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	1.41	1.52	1.52	1.75	1.64	1.53	1.77
20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1.16	2.49	1.85	1.43	2.41	2.05	–
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**0.93**	**0.78**	**1.41**	**1.26**	**0.80**	**0.81**	**0.97**
21.	ॲक्सिस बैंक	0.43	1.90	1.11	1.74	0.61	1.02	0.96
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	0.80	1.54	1.79	1.36	1.65	–	–
23.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	0.86	2.60	1.39	3.30	0.13	0.75	0.80
24.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	0.86	1.66	0.57	0.68	3.41	1.75	0.62
25.	एचडीएफसी बैंक	1.10	1.04	1.06	1.18	1.32	1.51	1.82
26.	आइसीआइसीआइ बैंक	0.65	0.28	1.28	0.67	0.57	0.54	0.80
27.	इंडसइंड बैंक लि.	1.53	1.98	2.36	1.21	1.22	0.85	0.49
28.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	–	–	2.07	0.82	0.75	0.91	0.93
29.	यस बैंक लि.	–	–	–	–	0.01	1.05	0.70

परिशिष्ट सारणी III.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	**2.12**	**1.78**	**1.63**	**2.02**	**1.69**	**1.80**	**1.80**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	3.11	1.96	1.57	1.54	1.60	1.45	1.97
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0.91	0.43	0.52	0.21	2.83	-0.10	1.13
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	2.42	3.53	4.26	3.64	2.01	1.49	2.74
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	–	–	0.73	1.11	0.98	0.84	1.25
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	3.58	3.58	2.53	2.85	2.62	3.35	3.22
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-3.93	-0.01	-5.03	0.26	0.44	1.87	-0.09
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	2.12	1.84	0.97	1.08	1.40	2.37	2.51
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	0.68	1.48	1.17	1.11	4.08	1.96	3.11
9.	बैंक ऑफ सिलोन	3.95	5.48	2.30	2.62	2.44	3.92	2.99
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	1.13	1.71	2.41	1.38	2.41	1.01	1.00
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे	1.64	-1.03	-0.08	1.09	4.76	2.25	1.52
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	-1.43	2.73	5.55	5.79	5.92	5.20	2.07
13.	बी.एन.पी. परिबास	1.02	0.35	0.59	1.61	1.42	1.60	1.77
14.	काल्यन बैंक	1.64	-0.49	0.87	-0.78	0.23	0.18	1.68
15.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	1.40	3.21	2.11	3.43	10.01	3.55	0.68
16.	सिटी बैंक एन. ए.	2.09	2.45	1.89	2.24	1.69	1.92	1.93
17.	ड्यूश बैंक एजी	4.02	2.15	3.01	2.71	1.32	1.65	1.10
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	1.35	1.47	2.44	3.27	0.15	0.95	1.26
19.	एचएसबीसी लि.	1.58	1.63	1.53	1.49	2.18	2.03	1.96
20.	आइएनजी बैंक एन वी	1.53	0.50	8.05	0.72	7.54	–	–
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	5.25	5.11	2.09	1.41	3.26	2.07	2.35
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	2.73	4.35	3.47	0.28	1.29	3.33	1.27
23.	मशरेक बैंक पीएससी	3.52	1.67	0.76	0.08	0.16	1.20	-1.03
24.	मिज़ुहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	4.92	2.55	0.92	0.55	-0.04	1.21	1.45
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	3.76	2.41	0.48	0.23	3.04	0.15	0.29
26.	सिनहान बैंक	5.23	3.02	4.97	2.45	1.62	1.02	1.32
27.	सोसाइटे जनरेल	0.57	2.24	2.16	0.57	-0.44	0.95	0.74
28.	सोनाली बैंक	2.82	2.25	0.91	2.99	3.28	1.62	1.38
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1.64	1.82	0.89	2.27	1.26	1.78	1.65
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	2.75	3.72	3.07	3.89	1.21	1.98	0.74
31.	यूएफजे बैंक लि	1.70	3.29	2.20	1.99	2.05	–	–

– : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.25: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत व्यय *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**2.64**	**2.19**	**2.24**	**2.21**	**2.13**	**2.13**	**1.91**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**2.72**	**2.29**	**2.25**	**2.21**	**2.09**	**2.05**	**1.77**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**2.76**	**2.40**	**2.33**	**2.21**	**2.18**	**2.00**	**1.73**
1.	इलाहाबाद बैंक	2.98	2.86	3.27	2.76	2.37	1.87	1.52
2.	आंध्रा बैंक	2.24	2.17	2.44	2.44	2.53	2.11	1.96
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2.54	2.20	2.16	2.12	2.09	2.10	1.78
4.	बैंक ऑफ इंडिया	2.93	2.19	2.16	2.06	2.03	1.88	1.84
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2.84	2.23	2.07	1.74	2.19	2.11	1.91
6.	केनरा बैंक	2.51	2.21	2.13	1.91	1.91	1.77	1.55
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3.06	2.72	2.67	2.46	2.46	2.30	1.81
8.	कार्पोरेशन बैंक	1.73	1.63	1.79	1.97	1.97	1.84	1.52
9.	देना बैंक	3.19	2.44	2.54	2.25	2.56	2.11	1.94
10.	इंडियन बैंक	2.79	2.40	2.13	2.71	2.08	2.27	2.22
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2.89	2.50	2.30	2.14	2.28	2.13	1.69
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1.94	1.64	1.71	1.57	1.47	1.64	1.35
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.98	2.77	2.85	3.99	3.63	2.54	2.38
14.	पंजाब नेशनल बैंक	2.95	2.47	2.39	2.32	2.60	2.08	2.05
15.	सिंडीकेट बैंक	3.81	3.24	3.15	2.51	2.43	2.35	1.55
16.	यूको बैंक	2.73	2.67	2.48	2.33	1.99	1.90	1.59
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2.62	2.18	1.99	1.86	1.74	1.57	1.44
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2.52	3.33	2.44	2.60	2.42	2.45	1.84
19.	विजया बैंक	3.07	2.61	2.92	2.07	1.84	1.98	1.54
	स्टेट बैंक समूह	**2.66**	**2.11**	**2.11**	**2.21**	**2.14**	**2.28**	**1.98**
20.	भारतीय स्टेट बैंक	2.63	2.07	2.11	2.27	2.19	2.37	2.09
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	3.07	2.58	2.50	2.62	2.66	2.76	2.18
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2.45	1.88	1.73	1.74	1.92	2.01	1.65
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2.72	2.28	2.18	2.16	1.94	1.92	1.67
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3.68	3.03	2.89	2.69	2.89	2.63	2.09
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2.62	2.05	1.86	1.67	1.52	1.48	1.39
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2.88	2.48	2.15	2.00	1.69	1.87	1.73
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.48	2.02	1.93	1.88	1.74	1.98	1.70
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआइ लि.	–	–	–	–	0.56	0.97	0.75

परिशिष्ट सारणी III.25: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत व्यय *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	**1.87**	**1.44**	**1.99**	**2.02**	**2.03**	**2.11**	**2.06**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**1.99**	**2.07**	**2.05**	**1.97**	**1.96**	**2.06**	**1.85**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	3.04	3.02	2.59	2.15	2.13	2.59	2.07
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	2.21	2.16	1.93	2.13	2.18	2.33	–
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	2.71	2.56	2.66	2.73	2.57	3.15	2.59
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	1.80	1.68	1.52	1.41	1.79	1.70	1.68
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.42	2.68	2.84	2.48	2.62	2.87	2.55
6.	फेडरल बैंक लि.	1.98	1.89	1.82	1.87	1.87	1.77	1.62
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	2.14	2.07	2.24	2.26	2.23	1.85	–
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.80	2.42	2.91	2.61	2.47	3.09	2.63
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.30	1.59	1.55	1.38	1.32	1.31	1.30
10.	कर्नाटक बैंक लि.	1.58	1.68	1.52	1.46	1.58	1.37	1.46
11.	करुर वैश्य बैंक लि.	2.33	2.10	1.69	2.21	2.16	1.94	1.74
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2.50	2.47	2.26	2.19	2.23	2.04	1.75
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	1.85	2.21	2.28	2.06	2.35	2.66	2.61
14.	नैनीताल बैंक लि.	2.65	2.55	2.81	2.99	2.42	2.77	1.98
15.	रत्नाकर बैंक लि.	2.84	3.12	2.58	2.48	2.56	2.39	2.80
16.	सांगली बैंक लि.	2.92	2.87	2.82	2.75	2.53	2.75	4.93
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	1.45	1.20	1.50	1.63	1.61	1.45	1.41
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	2.21	1.84	1.86	2.09	1.97	2.09	1.60
19.	तमिलनाड मर्कंटाइल बैंक लि.	1.90	1.99	1.97	2.31	2.22	2.13	2.08
20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1.83	1.96	2.10	1.71	1.98	2.52	–
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**1.75**	**1.10**	**1.96**	**2.04**	**2.06**	**2.12**	**2.11**
21.	ऑक्सिस बैंक	1.20	1.44	1.65	1.74	1.54	1.64	1.66
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	2.45	2.88	2.92	3.26	3.76	–	–
23.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	2.42	3.84	4.68	5.10	4.75	4.44	3.82
24.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.82	1.95	2.23	2.41	3.54	4.01	3.26
25.	एचडीएफसी बैंक	1.98	1.76	1.90	1.91	2.11	2.30	2.65
26.	आइसीआइसीआइ बैंक	1.70	0.60	1.88	2.05	1.97	1.99	1.94
27.	इंडसइंड बैंक लि.	1.19	0.93	1.19	1.44	1.70	1.80	1.64
28.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	–	–	3.57	2.39	3.45	3.81	3.08
29.	यस बैंक लि.	–	–	–	–	3.12	2.07	1.74

परिशिष्ट सारणी III.25: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत व्यय *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

क्रम. सं	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	**3.05**	**3.00**	**2.79**	**2.77**	**2.88**	**2.94**	**2.78**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	2.58	3.62	3.47	4.43	3.68	3.18	3.02
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0.44	0.49	0.79	0.56	2.43	2.03	2.38
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	6.58	5.49	6.33	7.27	9.66	8.24	8.39
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	–	–	2.60	1.39	1.14	1.12	0.93
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	2.40	1.89	2.23	2.30	3.02	3.39	5.84
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	11.49	3.85	7.27	2.97	2.27	2.27	2.47
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	1.60	1.76	1.42	1.55	1.66	1.89	2.21
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	1.75	1.39	1.71	1.92	2.20	2.60	2.28
9.	बैंक ऑफ सिलोन	1.58	1.29	1.55	1.54	1.33	1.43	1.62
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	0.96	1.07	1.36	1.03	1.03	0.91	0.91
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे	4.45	4.88	4.70	3.46	2.98	2.22	1.74
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	2.81	1.87	1.94	3.24	3.36	2.76	4.10
13.	बी.एन.पी. परिबास	2.82	3.59	4.01	2.92	3.28	2.79	3.07
14.	काल्यन बैंक	2.27	1.62	1.96	2.20	2.82	2.82	2.39
15.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	2.79	3.34	3.72	3.33	3.87	2.24	2.19
16.	सिटी बैंक एन. ए.	3.15	3.52	3.32	3.41	3.62	3.36	2.79
17.	ड्यूश बैंक एजी	3.90	3.43	2.89	2.00	2.56	3.87	4.20
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	1.58	1.53	2.36	1.15	1.31	1.23	1.22
19.	एचएसबीसी लि.	2.61	2.63	2.94	2.47	2.50	2.74	2.88
20.	आइएनजी बैंक एन वी	6.52	3.40	10.55	2.87	0.49	–	–
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	5.36	7.24	2.72	3.38	2.06	1.48	1.13
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	4.41	4.33	4.25	3.90	3.19	4.20	2.82
23.	मशरेक बैंक पीएससी	2.05	1.88	2.05	1.28	1.09	4.54	5.13
24.	मिज़ुहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	2.58	2.14	2.65	2.61	1.79	1.67	1.84
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	1.25	1.18	1.36	1.07	1.18	1.30	1.47
26.	सिनहान बैंक	2.30	1.75	2.43	2.00	1.58	1.25	1.64
27.	सोसाइटे जनरेल	2.81	2.83	2.99	2.01	1.86	1.68	1.70
28.	सोनाली बैंक	5.13	6.66	6.06	7.17	9.24	11.00	7.61
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.04	2.22	1.98	2.26	2.26	2.61	2.38
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	0.84	1.19	1.21	1.08	1.01	1.09	1.25
31.	यूएफजे बैंक लि	3.27	1.85	1.66	1.89	1.83	–	–

– : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.26: पुन: पूंजीकरण बांडों के ब्याज के समायोजन के पूर्व और बाद में परिचालनगत और निवल लाभ - राष्ट्रीकृत बैंक

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	ब्याज राशि समायोजन पूर्व				ब्याज राशि समायोजन पूर्व +			
		परिचालनगत लाभ		निवल लाभ		परिचालनगत लाभ		निवल लाभ	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	इलाहाबाद बैंक	1,024.15	1,099.91	706.13	750.14	955.29	1,017.59	637.26	667.82
2.	आंध्रा बैंक	702.59	931.24	485.50	537.90	657.88	880.14	440.79	486.80
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,917.50	2,415.01	826.96	1,026.46	1,906.85	2,400.24	816.30	1,011.70
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,701.22	2,394.99	701.44	1,123.17	1,542.01	2,213.56	542.22	941.74
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	365.08	613.20	50.79	271.84	297.26	535.91	-17.03	194.55
6.	केनरा बैंक	2,549.94	2,912.47	1,343.22	1,420.81	2,478.32	2,830.58	1,271.60	1,338.92
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,194.67	1,265.72	257.42	498.01	1,018.80	1,070.87	81.55	303.16
8.	कार्पोरेशन बैंक	953.62	1,140.03	444.46	536.14	949.38	1,133.28	440.21	529.38
9.	देना बैंक	600.36	635.37	72.99	201.56	579.34	608.76	51.97	174.95
10.	इंडियन बैंक	893.65	1,358.59	504.48	759.77	479.13	933.93	89.96	335.10
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1,346.74	1,560.04	783.34	1,008.43	1,222.71	1,422.08	659.32	870.47
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,191.98	1,296.69	557.16	580.81	1,183.34	1,285.12	548.53	569.24
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	267.60	472.44	108.33	218.53	173.45	367.36	14.17	113.45
14.	पंजाब नेशनल बैंक	2,917.11	3,230.65	1,439.31	1,540.08	2,875.91	3,175.96	1,398.11	1,485.40
15.	सिंडीकेट बैंक	1,008.02	1,382.56	536.49	716.06	883.45	1,243.95	411.92	577.46
16.	यूको बैंक	762.43	944.76	196.65	316.10	547.85	717.88	-17.93	89.22
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,466.35	2,000.83	675.18	845.39	1,444.25	1,974.66	653.08	819.22
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	643.85	719.10	204.57	267.28	471.15	534.08	31.86	82.26
19.	विजया बैंक	633.01	696.02	126.88	331.34	586.78	643.84	80.65	279.17
	कुल	**22,139.88**	**27,069.61**	**10,021.29**	**12,949.84**	**20,253.15**	**24,989.79**	**8,134.56**	**10,870.02**

+ : पुन पूंजीकरण बांडों पर ब्याज के लिए समायोजित।

टिप्पणी : 10 प्रतिशत भारत सरकार राष्ट्रीय पुन पूंजीकरण बांड 2006 और 10 प्रतिशत राष्ट्रीकृत बैंक विशेष प्रतिभूति 2006 को 15 फरवरी 2007 से 8.20 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2022, 8.24 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2027 और 8.28 सरकारी प्रतिभूति 2032 में परिवर्तित किया गया।

परिशिष्ट सारणी III.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**4.00**	**3.30**	**2.52**	**1.83**	**1.46**	**1.90**	**1.20**	**0.92**	**0.67**	**0.58**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**4.21**	**3.50**	**2.73**	**2.05**	**1.60**	**1.93**	**1.28**	**0.95**	**0.72**	**0.62**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**4.66**	**3.86**	**2.96**	**2.24**	**1.64**	**2.16**	**1.40**	**0.91**	**0.64**	**0.53**
1.	इलाहाबाद बैंक	6.56	4.09	2.84	2.14	1.62	3.16	1.05	0.60	0.45	0.65
2.	आंध्रा बैंक	2.35	2.28	1.35	1.07	0.84	0.84	0.44	0.15	0.13	0.10
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	5.45	4.68	3.51	2.11	1.46	2.22	2.07	0.65	0.46	0.35
4.	बैंक ऑफ इंडिया	4.99	4.40	3.32	2.21	1.48	3.00	2.43	1.64	0.86	0.45
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3.84	2.96	2.93	3.02	2.10	1.84	0.89	0.85	1.07	0.71
6.	केनरा बैंक	3.02	3.15	2.15	1.35	0.90	1.77	1.39	1.02	0.66	0.56
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5.68	4.88	3.82	3.59	2.77	2.74	2.01	1.19	1.30	0.94
8.	कार्पोरेशन बैंक	2.50	2.48	1.91	1.54	1.18	0.76	0.86	0.61	0.38	0.27
9.	देना बैंक	8.02	6.70	4.78	3.58	2.37	4.95	3.99	2.46	1.63	1.16
10.	इंडियन बैंक	4.61	3.04	1.71	1.40	0.97	2.13	0.98	0.56	0.37	0.18
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4.61	3.33	2.73	2.07	1.36	2.22	1.22	0.63	0.38	0.31
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3.37	2.95	4.61	3.59	1.97	0.66	–	0.61	0.28	0.29
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	8.60	8.02	7.62	4.94	1.32	4.41	3.85	3.24	1.16	0.35
14.	पंजाब नेशनल बैंक	5.783	4.56	2.96	2.16	2.09	1.77	0.44	0.09	0.14	0.45
15.	सिंडीकेट बैंक	4.12	3.37	2.75	2.47	1.75	2.03	1.13	0.82	0.51	0.44
16.	यूको बैंक	3.91	3.38	2.56	2.00	2.01	2.00	1.72	1.49	1.27	1.34
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4.68	4.02	2.84	2.35	1.82	2.45	1.45	1.46	0.94	0.59
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	3.95	2.96	2.50	2.24	1.93	1.67	1.16	0.95	0.91	0.79
19.	विजया बैंक	2.65	1.62	1.47	1.71	1.33	1.08	0.42	0.29	0.45	0.34
	स्टेट बैंक समूह	**3.48**	**2.91**	**2.49**	**1.81**	**1.57**	**1.58**	**1.09**	**1.01**	**0.88**	**0.79**
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3.59	3.11	2.71	1.95	1.76	1.64	1.33	1.16	0.99	0.93
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	3.23	2.40	1.71	1.41	1.34	1.57	0.53	0.83	0.68	0.65
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2.83	2.26	1.58	1.12	0.72	1.21	0.25	0.27	0.19	0.12
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2.60	2.04	1.80	1.75	1.20	1.21	0.00	0.54	1.05	0.65
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4.96	3.74	2.51	2.06	1.43	2.41	1.35	0.49	0.45	0.28
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2.51	1.87	2.07	1.32	1.10	0.75	–	0.60	0.53	0.50
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट	3.09	1.56	1.22	0.95	0.65	1.43	–	0.63	0.59	0.41
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	3.34	2.76	2.26	1.91	1.42	1.47	0.64	0.93	0.87	0.70
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक										
28.	आइडीबीआइ लिमि.	–	–	1.49	1.26	1.19	–	–	1.04	0.64	0.70

परिशिष्ट सारणी III.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक	**3.97**	**2.82**	**2.05**	**1.37**	**1.24**	**2.32**	**1.32**	**0.98**	**0.55**	**0.54**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**4.34**	**3.64**	**3.15**	**2.51**	**1.85**	**2.61**	**1.77**	**1.39**	**0.92**	**0.56**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	4.34	2.81	1.74	1.38	1.00	2.46	0.86	0.79	0.41	0.11
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	3.30	2.53	1.80	1.79	–	1.56	1.12	0.80	1.03	–
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	5.24	4.07	3.83	3.35	2.43	3.01	2.05	1.96	1.57	1.13
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	5.92	5.25	3.48	2.73	1.62	3.78	3.09	1.94	1.21	0.68
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	7.03	5.59	4.75	3.91	2.79	4.98	3.27	2.28	1.58	0.94
6.	फेडरल बैंक लि.	4.33	3.97	4.03	2.73	1.80	2.52	1.47	1.16	0.54	0.26
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	9.56	8.20	8.17	8.55	–	6.27	4.63	3.37	3.52	–
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.77	1.41	1.26	1.08	0.66	6.27	1.39	1.26	1.08	0.59
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.51	1.35	1.30	1.40	1.75	0.76	0.65	0.67	0.51	0.68
10.	कर्नाटक बैंक लि.	5.81	5.66	4.01	2.78	2.39	3.09	2.19	1.14	0.61	0.72
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	4.14	3.37	3.07	2.48	1.83	2.25	1.29	0.96	0.50	0.14
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	6.60	5.67	4.62	2.54	2.25	3.93	2.86	2.84	1.13	0.98
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	4.54	3.66	3.62	2.72	3.73	3.12	2.60	2.33	1.70	2.03
14.	नैनीताल बैंक लि.	1.43	1.13	0.90	0.88	0.91	–	–	–	–	–
15.	रत्नाकर बैंक लि.	5.31	4.76	5.29	4.02	3.32	3.13	2.37	2.70	1.31	0.89
16.	सांगली बैंक लि.	4.13	4.05	3.60	2.88	4.38	2.15	2.13	1.65	0.97	0.83
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	14.76	14.16	14.16	8.27	1.67	6.23	4.51	3.70	1.83	0.09
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	4.53	3.55	3.86	3.03	2.35	2.83	2.06	2.15	1.09	0.57
19.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	7.21	6.28	5.72	3.78	2.69	3.59	2.06	1.37	1.11	0.56
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	7.50	7.23	6.36	6.85	–	5.01	4.70	3.35	3.17	–
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**3.76**	**2.42**	**1.56**	**0.96**	**1.07**	**2.16**	**1.10**	**0.80**	**0.43**	**0.54**
21.	ॲक्सिस बैंक	1.17	1.14	0.82	0.76	0.57	0.83	0.46	0.57	0.44	0.36
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	3.96	3.06	5.00	–	–	3.01	2.28	2.29	–	–
23.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	6.75	6.24	3.39	2.83	1.72	3.07	1.94	1.19	0.65	0.77
24.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	5.89	3.92	6.67	8.42	2.78	4.37	2.20	3.09	2.24	0.83
25.	एचडीएफसी बैंक	0.87	0.79	0.85	0.69	0.72	0.14	0.07	0.12	0.21	0.22
26.	आइसीआइसीआइ	4.71	2.43	1.65	0.88	1.20	2.60	1.10	0.90	0.42	0.58
27.	इंडसइंड बैंक लि.	2.69	1.72	2.05	1.53	1.64	2.30	1.41	1.56	1.11	1.31
28.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	0.70	0.31	0.43	0.37	1.39	0.06	0.06	0.23	0.15	1.09
29.	यस बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट सारणी III.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	**2.44**	**2.13**	**1.43**	**0.97**	**0.81**	**0.79**	**0.66**	**0.42**	**0.41**	**0.33**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	1.92	2.03	1.47	0.22	0.31	0.92	0.56	0.22	0.07	0.07
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	2.75	3.94	2.11	9.17	5.02	1.39	2.35	0.59	2.75	0.16
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	8.19	6.90	0.80	0.56	0.54	3.26	2.11	0.49	0.32	0.30
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	0.84	0.11	0.10	–	–	0.28	0.05	0.06	–	–
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	33.19	30.66	28.50	0.20	–	3.25	2.32	1.67	–	–
7.	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	0.70	0.51	0.34	0.07	0.01	0.04	–	–	–	–
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	7.28	10.20	10.87	10.09	7.94	5.75	7.84	2.43	0.49	0.04
9.	बैंक ऑफ सिलोन	19.76	14.92	14.17	18.48	17.47	12.29	6.83	4.51	6.51	3.67
10.	बैंक औफ नोवा स्कॉटिया	7.08	7.64	2.91	1.89	0.41	5.41	5.87	1.89	0.66	–
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	1.12	0.79	0.71	0.42	0.32	0.05	0.07	0.04	0.06	0.05
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	0.40	0.63	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	बीएनपी परिबास	3.31	3.00	2.13	1.10	0.92	1.97	1.18	0.34	–	–
14.	काल्यन बैंक	12.55	5.20	1.59	0.51	0.09	0.12	0.02	0.09	0.08	–
15.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0.38	6.78	15.24	2.12	1.56	–	4.07	3.04	1.06	0.17
16.	सिटी बैंक एनए	0.98	1.33	1.09	0.86	0.80	0.58	0.72	0.54	0.51	0.51
17.	ड्यूश बैंक एजी	0.70	0.24	0.08	0.07	0.06	–	–	–	–	–
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	7.48	–	–	–	–	5.92	–	–	–	–
19.	एचएसबीसी लि.	2.08	1.65	1.47	0.85	0.72	0.40	0.27	0.23	0.26	0.18
20.	आइएनजी बैंक एन वी	11.80	1.00	0.60	–	–	–	–	–		
21.	जेपी मोर्गन चेसी बैंक	–	–	–	–	0.99	–	–	–	–	0.28
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	मशरेक बैंक पीएससी	4.60	3.57	3.65	13.84	–	–	–	–	–	–
24.	मिजहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	8.12	8.40	5.25	1.31	0.70	0.46	–	–	0.09	0.05
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	30.34	35.20	29.86	33.02	39.16	2.05	2.02	1.59	0.73	–
26.	सिनहान बैंक	0.48	0.39	–	–	–	0.24	0.19	–	–	–
27.	सोसाइटे जनरेल	2.50	2.61	1.32	0.29	0.12	–	0.32	–	–	–
28.	सोनाली बैंक	1.13	1.27	1.53	3.05	1.89	0.75	0.23	0.35	0.07	–
29.	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1.46	1.41	1.49	1.49	1.36	0.14	0.24	0.60	0.82	0.73
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	11.41	4.27	3.87	2.37	–	8.80	2.80	–	0.96	–
31.	यूएफजे बैंक लि.	5.39	–	–	–	–	4.15	–	–	–	–

– : शून्य / नगण्य।

स्रोत : 1. संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।
2. संबंधित बैंकों से प्राप्त विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी III.28: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में अनर्जक आस्तियां *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**8.80**	**7.20**	**5.20**	**3.29**	**2.51**	**4.40**	**2.90**	**2.00**	**1.22**	**1.01**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**9.36**	**7.79**	**5.53**	**3.64**	**2.66**	**4.53**	**2.99**	**2.06**	**1.32**	**1.05**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**9.72**	**8.21**	**5.82**	**3.81**	**2.69**	**4.74**	**3.14**	**1.85**	**1.16**	**0.92**
1.	इलाहाबाद बैंक	13.65	8.66	5.80	3.94	2.61	7.07	2.37	1.28	0.84	1.07
2.	आंध्रा बैंक	4.89	4.60	2.46	1.94	1.41	1.79	0.93	0.28	0.24	0.17
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	11.02	10.52	7.30	3.90	2.47	4.81	4.95	1.45	0.86	0.60
4.	बैंक ऑफ इंडिया	8.55	7.86	5.45	3.72	2.42	5.36	4.49	2.80	1.49	0.74
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9.55	7.70	7.00	5.53	3.50	4.83	2.46	2.15	2.03	1.21
6.	केनरा बैंक	5.96	6.33	3.89	2.25	1.51	3.59	2.89	1.88	1.11	0.94
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	13.06	12.55	9.50	6.85	4.81	6.74	5.57	2.98	2.59	1.70
8.	कार्पोरेशन बैंक	5.27	5.03	3.41	2.56	2.05	1.65	1.80	1.12	0.64	0.47
9.	देना बैंक	17.86	14.82	9.67	6.44	4.08	11.82	9.40	5.23	3.04	1.99
10.	इंडियन बैंक	12.39	7.99	4.19	2.91	1.85	6.15	2.71	1.35	0.79	0.35
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10.29	7.40	5.28	3.43	2.34	5.23	2.85	1.27	0.65	0.55
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	6.94	5.87	9.06	5.95	3.20	1.44	–	1.29	0.49	0.49
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	19.25	18.16	17.17	9.61	2.43	10.85	9.62	8.11	2.42	0.66
14.	पंजाब नेशनल बैंक	11.58	9.35	5.96	4.10	3.45	3.80	0.98	0.20	0.28	0.75
15.	सिंडीकेट बैंक	8.34	7.33	5.17	4.00	2.95	4.29	2.57	1.59	0.86	0.76
16.	यूको बैंक	8.24	6.93	4.96	3.27	3.17	4.38	3.65	2.93	2.10	2.14
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8.96	7.59	5.01	3.84	2.94	4.91	2.87	2.64	1.56	0.96
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	12.15	9.07	6.14	4.66	3.61	5.52	3.75	2.43	1.95	1.50
19.	विजया बैंक	6.18	3.44	2.94	3.17	2.29	2.61	0.91	0.59	0.85	0.59
	स्टेट बैंक समूह	**8.68**	**6.98**	**5.32**	**3.31**	**2.59**	**4.12**	**2.70**	**2.23**	**1.63**	**1.32**
20.	भारतीय स्टेट बैंक	9.34	7.75	5.96	3.60	2.92	4.49	3.45	2.65	1.88	1.56
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	8.15	5.36	3.26	2.42	2.23	4.16	1.24	1.61	1.18	1.09
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	7.28	5.60	3.46	2.14	1.24	3.26	0.65	0.61	0.36	0.22
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	5.53	3.99	3.28	3.02	1.90	2.66	–	1.00	1.83	1.04
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	10.14	7.76	4.56	3.30	2.29	5.19	2.96	0.92	0.74	0.45
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4.80	3.71	4.13	2.41	1.80	1.49	–	1.23	0.99	0.83
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	7.32	3.68	2.70	1.85	1.10	3.53	–	1.40	1.16	0.70
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	6.67	5.63	4.29	3.18	2.16	3.05	1.39	1.81	1.47	1.08
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक										
28.	आइडीबीआइ लिमि.	–	–	2.92	1.98	1.89	–	–	1.74	1.07	1.16

परिशिष्ट सारणी III.28: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में अनर्जक आस्तियां *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्रम No.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक	**8.07**	**5.84**	**3.77**	**2.45**	**2.20**	**4.95**	**2.84**	**1.85**	**1.01**	**0.97**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**8.86**	**7.59**	**5.97**	**4.39**	**3.13**	**5.54**	**3.85**	**2.74**	**1.65**	**0.96**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	11.39	9.14	5.34	3.26	2.08	6.80	2.99	2.50	0.99	0.24
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	6.75	4.99	3.44	3.21	–	3.30	2.26	1.56	1.87	–
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	13.01	8.84	7.16	5.76	4.19	7.89	4.65	3.80	2.78	1.98
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	12.11	10.36	5.89	4.32	2.58	8.16	6.37	3.37	1.95	1.09
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	13.18	11.43	8.51	6.71	5.06	9.71	7.06	3.92	2.82	1.75
6.	फेडरल बैंक लि.	8.21	7.44	7.29	4.62	2.95	4.95	2.89	2.21	0.95	0.44
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	18.42	17.32	18.04	–	–	12.90	10.59	8.32	–	–
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	3.61	2.65	2.14	1.77	1.05	3.55	2.60	2.13	1.76	0.95
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	3.11	3.04	2.72	2.51	2.89	1.59	1.49	1.41	0.92	1.14
10.	कर्नाटक बैंक लि.	12.99	11.93	7.58	5.13	3.95	7.34	4.98	2.29	1.17	1.21
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	7.46	5.83	5.10	3.91	2.82	4.16	2.32	1.66	0.81	0.23
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	11.47	10.15	7.88	4.14	3.57	7.11	5.40	4.98	1.88	1.58
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	8.96	8.32	6.39	4.89	7.72	6.33	6.05	4.22	3.12	4.37
14.	नैनीताल बैंक लि.	6.11	4.00	2.57	1.91	1.95	–	–	–	–	–
15.	रत्नाकर बैंक लि.	11.96	10.63	10.31	7.59	6.81	7.42	5.58	5.54	2.61	1.92
16.	सांगली बैंक लि.	12.45	11.79	8.95	6.67	29.06	6.87	6.56	4.30	2.34	7.08
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि. बैंक लि.	38.48	41.28	24.06	15.20	3.28	20.85	18.31	7.65	3.81	0.19
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	9.27	7.59	6.64	4.99	3.94	5.96	4.55	3.81	1.86	0.98
19.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	16.06	13.79	11.26	7.02	4.54	8.66	5.00	2.95	2.17	0.98
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	13.58	13.14	10.87	11.47	–	9.50	8.96	5.83	5.67	–
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**7.64**	**4.99**	**3.59**	**1.74**	**1.93**	**4.63**	**2.36**	**1.85**	**0.78**	**0.97**
21.	ऍक्सिस बैंक	3.16	2.88	1.98	1.68	1.13	2.26	1.20	1.39	0.99	0.72
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	9.23	6.20	9.43	–	–	7.17	4.69	4.64	–	–
23.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	15.88	12.96	6.81	4.73	2.79	7.92	4.43	2.49	1.13	1.26
24.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	9.56	8.19	14.19	15.01	5.14	7.76	4.87	6.34	4.50	1.64
25.	एचडीएफसी बैंक	2.22	1.86	1.69	1.44	1.39	0.37	0.16	0.24	0.44	0.43
26.	आइसीआइसीआइ	8.72	4.70	4.27	1.51	2.08	5.21	2.21	1.65	0.72	1.02
27.	इंडसइंड बैंक लि.	4.94	3.30	3.53	2.86	3.07	4.25	2.72	2.71	2.09	2.47
28.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	1.20	0.85	0.69	0.59	2.53	0.11	0.17	0.37	0.24	1.98
29.	यस बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट सारणी III.28: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में अनर्जक आस्तियां *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	**5.25**	**4.62**	**2.85**	**1.95**	**1.77**	**1.76**	**1.48**	**0.86**	**0.83**	**0.73**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	3.25	3.15	2.26	0.34	0.55	1.59	0.88	0.35	0.11	0.12
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	17.53	38.78	34.42	38.80	16.44	9.67	27.39	12.73	15.97	0.63
3.	अमेरिकन एक्स्प्रेस बैंक लि.	19.29	16.47	1.63	1.01	1.35	8.69	5.68	0.99	0.58	0.77
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक लि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	4.49	0.68	0.32	–	–	1.50	0.34	0.18	–	–
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	64.62	97.07	66.55	3.24	–	15.18	69.57	10.49	–	–
7.	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	1.03	0.84	0.57	0.02	–	0.05	–	–	–	–
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	13.77	21.90	20.77	21.24	17.92	11.26	17.73	5.53	1.28	0.11
9.	बैंक ऑफ सिलोन	36.08	37.91	33.41	46.89	45.58	25.98	21.85	13.76	23.74	14.85
10.	बैंक औफ नोवा स्कॉटिया	11.02	11.48	4.66	2.81	0.61	8.64	9.07	3.08	1.00	–
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	2.76	2.18	1.43	0.77	0.49	0.13	0.21	0.01	0.11	0.07
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	64.01	65.36	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	बीएनपी परिबास	6.17	6.56	3.48	2.17	1.63	3.77	2.70	–	–	–
14.	काल्यन बैंक	34.89	43.96	4.24	0.94	0.30	0.51	0.26	0.30	0.15	–
15.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0.65	9.25	24.33	3.53	2.49	–	5.76	6.02	1.80	0.28
16.	सिटी बैंक एनए	1.94	2.52	2.01	1.58	1.60	1.17	1.40	1.00	0.95	1.02
17.	ड्यूश बैंक एजी	2.49	0.97	0.33	0.32	0.22	–	–	–	–	0.01
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	12.65	–	–	–	–	10.37	–	–	–	–
19.	एचएसबीसी लि.	5.09	4.20	3.16	1.86	1.69	1.03	0.70	0.50	0.58	0.43
20.	आइएनजी बैंक एन वी	44.13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	जेपी मोर्गन चेसी बैंक	–	–	–	–	7.32	–	–	–	–	2.17
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	मशरेक बैंक पीएससी	31.32	41.31	39.51	28.54	–	–	–	–	–	–
24.	मिजहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	11.99	11.93	8.22	2.13	1.02	0.76	–	–	0.15	0.08
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	91.50	96.51	95.85	96.86	98.87	42.13	61.39	55.05	40.47	–
26.	सिनहान बैंक	0.98	1.60	–	–	–	0.48	0.81	–	–	–
27.	सोसाइटे जनरेल	13.89	10.21	6.91	1.92	0.90	–	1.36	–	–	–
28.	सोनाली बैंक	6.49	7.49	7.86	23.50	17.75	4.52	1.42	1.75	0.75	–
29.	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.17	2.91	2.73	2.80	2.62	0.31	0.52	1.12	1.57	1.43
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	17.67	6.91	7.65	4.59	–	14.20	4.64	4.08	1.91	–
31.	यूएफजे बैंक लि.	10.88	–	–	–	–	8.60	–	–	–	–

– : शून्य / नगण्य।

स्रोत : 1. संबंधित बैंक के तुलनपत्र।
2. परोक्ष विवरणियां (घरेलू)

परिशिष्ट सारणी III.29(अ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार
(मार्च 2007 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	कृषि		लघु उद्योग		अन्य		प्राथमिकता क्षेत्र		सरकारी क्षेत्र		गैर प्राथमिकता क्षेत्र		कुल
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**6,506.34**	**16.86**	**5,843.28**	**15.14**	**10,604.01**	**27.47**	**22,953.62**	**59.46**	**490.18**	**1.27**	**15,157.99**	**39.27**	**38,601.80**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**4,056.62**	**16.45**	**4,420.64**	**17.92**	**7,034.36**	**28.52**	**15,511.63**	**62.89**	**292.97**	**1.19**	**8,861.01**	**35.92**	**24,665.61**
1.	इलाहाबाद बैंक	320.84	29.34	156.05	14.27	302.71	27.68	779.60	71.29	10.70	0.98	303.29	27.73	1,093.60
2.	आंध्रा बैंक	18.65	4.70	38.43	9.68	94.64	23.84	151.72	38.22	9.81	2.47	235.48	59.31	397.01
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	403.89	20.48	272.91	13.84	391.24	19.84	1,068.04	54.15	–	–	904.36	45.85	1,972.40
4.	बैंक ऑफ इंडिया	397.19	20.57	423.65	21.94	459.38	23.80	1,280.22	66.32	46.44	2.41	603.85	31.28	1,930.51
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	99.84	12.17	125.60	15.31	228.69	27.88	454.12	55.36	23.52	2.87	342.63	41.77	820.28
6.	केनरा बैंक	228.39	15.36	150.75	10.14	544.59	36.62	923.73	62.11	18.96	1.27	544.50	36.61	1,487.19
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	450.67	17.52	519.47	20.20	628.72	24.44	1,598.86	62.16	10.15	0.39	962.97	37.44	2,571.98
8.	कार्पोरेशन बैंक	64.88	10.39	35.87	5.74	218.09	34.92	318.84	51.05	–	–	305.73	48.95	624.57
9.	देना बैंक	95.83	12.87	128.77	17.30	211.06	28.35	435.66	58.52	0.12	0.02	308.71	41.47	744.48
10.	इंडियन बैंक	62.72	11.78	181.13	34.03	209.63	39.39	453.48	85.21	8.73	1.64	70.00	13.15	532.21
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	85.26	8.16	346.42	33.16	223.42	21.38	655.10	62.70	22.06	2.11	367.69	35.19	1,044.85
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	129.08	8.88	199.11	13.69	227.59	15.65	555.78	38.22	24.01	1.65	874.26	60.13	1,454.05
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	62.96	21.65	41.85	14.39	100.30	34.49	205.11	70.52	–	–	85.73	29.48	290.84
14.	पंजाब नेशनल बैंक	647.39	19.09	991.32	29.24	872.89	25.74	2,511.60	74.07	90.61	2.67	788.51	23.25	3,390.72
15.	सिंडीकेट बैंक	198.49	12.78	177.71	11.44	675.12	43.47	1,051.32	67.69	–	–	501.73	32.31	1,553.05
16.	यूको बैंक	263.30	17.51	195.92	13.03	501.64	33.35	960.86	63.89	17.27	1.15	525.89	34.97	1,504.02
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	330.34	17.64	250.43	13.37	586.77	31.33	1,167.54	62.35	–	–	705.08	37.65	1,872.62
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	147.88	18.10	135.19	16.55	239.76	29.35	522.83	64.00	–	–	294.09	36.00	816.92
19.	विजया बैंक	49.02	8.69	50.06	8.87	318.13	56.38	417.22	73.93	10.59	1.88	136.51	24.19	564.31
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक													
20.	आइडीबीआइ लि.	73.16	5.30	67.22	4.87	126.53	9.16	266.91	19.33	9.33	0.68	1,104.38	79.99	1,380.62
	स्टेट बैंक समूह	**2,376.56**	**18.93**	**1,355.41**	**10.80**	**3,443.12**	**27.42**	**7,175.08**	**57.15**	**187.88**	**1.50**	**5,192.60**	**41.36**	**12,555.57**
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	19.30	4.17	38.89	8.40	129.95	28.07	188.14	40.63	3.33	0.72	271.56	58.65	463.03
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	20.59	5.87	35.78	10.20	105.95	30.20	162.33	46.27	–	–	188.51	53.73	350.83
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,977.18	20.03	1,074.78	10.89	2,758.23	27.94	5,810.19	58.86	149.32	1.51	3,911.50	39.63	9,871.01
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	65.98	22.43	36.45	12.39	92.13	31.31	194.56	66.13	–	–	99.65	33.87	294.21
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	38.23	9.96	45.08	11.75	47.61	12.41	130.92	34.11	18.19	4.74	234.66	61.15	383.77
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	174.99	33.37	37.65	7.18	154.59	29.48	367.23	70.03	–	–	157.18	29.97	524.41
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	13.43	10.48	10.79	8.42	26.58	20.73	50.80	39.63	–	–	77.40	60.37	128.20
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	66.85	12.38	75.99	14.07	128.08	23.71	270.92	50.16	17.04	3.15	252.15	46.68	540.11

परिशिष्ट सारणी III.29(आ): निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार
(मार्च 2007 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	कृषि		लघु उद्योग		अन्य		प्राथमिकता क्षेत्र		सरकारी क्षेत्र		गैर प्राथमिकता क्षेत्र		कुल
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	निजी क्षेत्र के बैंक	**860.51**	**9.31**	**644.59**	**6.98**	**1379.09**	**14.93**	**2884.18**	**31.22**	**2.79**	**0.03**	**6352.51**	**68.75**	**9239.48**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**248.97**	**8.39**	**489.96**	**16.51**	**677.22**	**22.81**	**1416.15**	**47.71**	–	–	**1552.36**	**52.29**	**2968.51**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	8.20	6.77	11.88	9.82	13.69	11.31	33.77	27.90	–	–	87.27	72.10	121.04
2.	कैथालिक सीरियन बैंक लिमिटेड	8.61	6.67	34.54	26.76	49.29	38.19	92.44	71.63	–	–	36.62	28.37	129.06
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	3.99	4.58	5.36	6.16	7.99	9.18	17.34	19.92	–	–	69.73	80.08	87.07
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.87	2.98	14.19	14.74	34.59	35.92	51.65	53.64	–	–	44.64	46.36	96.29
5.	फेडरल बैंक लि.	20.41	4.53	56.27	12.48	197.15	43.73	273.83	60.74	–	–	176.97	39.26	450.80
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	41.24	32.63	19.92	15.77	12.04	9.53	73.20	57.92	–	–	53.18	42.08	126.38
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	28.54	5.69	68.96	13.74	122.09	24.33	219.59	43.76	–	–	282.24	56.24	501.83
8.	कर्नाटक बैंक लि.	61.49	15.87	83.35	21.52	50.29	12.98	195.12	50.37	–	–	192.22	49.63	387.34
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	4.09	2.02	53.43	26.37	21.19	10.46	78.71	38.84	–	–	123.92	61.16	202.63
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	5.42	4.13	31.25	23.82	28.45	21.69	65.12	49.64	–	–	66.06	50.36	131.18
11.	लॉर्ड कृष्णा बैंक	0.62	0.76	2.32	2.85	3.10	3.81	6.04	7.42	–	–	75.39	92.58	81.43
12.	नैनीताल बैंक लि.	3.02	19.34	1.68	10.78	5.31	34.05	10.01	64.17	–	–	5.59	35.83	15.60
13.	रत्नाकर बैंक लि.	2.98	7.83	10.19	26.79	12.28	32.28	25.46	66.90	–	–	12.60	33.10	38.05
14.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	9.00	80.57	–	–	0.45	4.05	9.45	84.62	–	–	1.72	15.38	11.17
15.	सांगली बैंक लि.	19.05	24.80	13.20	17.18	5.43	7.07	37.69	49.06	–	–	39.14	50.94	76.82
16.	साउथ इंडियन बैंक लि.	16.26	5.06	44.58	13.88	87.98	27.39	148.83	46.33	–	–	172.39	53.67	321.22
17.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	13.18	6.92	38.84	20.38	25.89	13.58	77.91	40.88	–	–	112.69	59.12	190.60
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**611.54**	**9.75**	**154.62**	**2.47**	**701.87**	**11.19**	**1468.03**	**23.41**	**2.79**	**0.04**	**4800.15**	**76.55**	**6270.97**
18.	ॲक्सिस बैंक	82.95	20.20	27.06	6.59	–	–	110.01	26.79	–	–	300.59	73.21	410.60
19.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	31.66	9.96	8.50	2.67	0.88	0.28	41.04	12.91	–	–	276.84	87.09	317.88
20.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	0.11	0.08	56.98	38.98	7.51	5.14	64.60	44.20	2.78	1.90	78.79	53.90	146.17
21.	एचडीएफसी बैंक लि.	32.89	5.10	57.48	8.91	76.17	11.80	166.54	25.80	–	–	478.85	74.20	645.39
22.	आइसीआइसीआइ बैंक लिमि.	403.83	9.79	1.04	0.03	578.95	14.03	983.83	23.84	0.01	–	3142.22	76.16	4126.06
23.	इंडसइंड बैंक लि.	55.47	16.18	3.56	1.04	24.38	7.11	83.41	24.34	–	–	259.33	75.66	342.74
24.	कोटक महिंद्र बैंक लि.	4.63	1.64	–	–	13.97	4.95	18.60	6.59	–	–	263.53	93.41	282.13
25.	यस बैंक लि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट सारणी III.29(इ): निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार

(मार्च 2007 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	कृषि		लघु उद्योग		अन्य		प्राथमिकता क्षेत्र		सरकारी क्षेत्र		गैर प्राथमिकता क्षेत्र		कुल
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	विदेशी बैंक	**–**	**–**	**54**	**2.2**	**277**	**11.3**	**331**	**13.5**	–	–	**2,120**	**86.5**	**2,452**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	–	–	–	–	1	1.5	1	1.5	–	–	99	98.5	101
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	–	–	8	19.3	–	–	8	19.3	–	–	32	80.7	40
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	100.0	22
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक लि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	100.0	1
9.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	–	–	–	0.6	24	34.5	24	35.0	–	–	45	65.0	69
10.	बैंक ऑफ सिलोन	–	–	3	9.4	20	70.4	23	79.8	–	–	6	20.2	29
11.	बैंक औफ नोवा स्कॉटिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	100.0	18
12.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100.0	–
13.	बरकलेज बैंक पीएलसी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	बीएनपी परिबास	–	–	–	–	–	1.2	–	1.2	–	–	38	98.8	39
15.	काल्यन बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	100.0	3
16.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	100.0	3
17.	सिटी बैंक एनए	–	–	–	–	35	5.0	35	5.0	–	–	659	95.0	694
18.	ड्यूश बैंक एजी	–	–	–	–	5	42.2	5	42.2	–	–	7	57.8	12
19.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	एचएसबीसी लि.	–	–	–	0.1	42	10.5	42	10.6	–	–	353	89.4	395
21.	जेपी मोर्गन चेसी बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	100.0	**62**
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	मशरेक बैंक पीएससी	–	–	–	12.5	–	75.0	–	87.5	–	–	–	12.5	–
24.	मिजहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	–	–	–	–	7	100.0	7	100.0	–	–	–	–	7
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	–	–	23	15.0	65	41.9	88	56.9	–	–	67	43.1	155
26.	सिनहान बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	सोसाइटे जनरेल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	100.0	3
28.	सोनाली बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	100.0	1
29.	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	–	–	19	2.4	78	9.7	97	12.2	–	0.1	702	87.8	800
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

– : शून्य / नगण्य ।

टिप्पणी : विदेशी बैंको के क्षेत्रवार सकल अनर्जक आंस्तियों के मामले में निर्यात व्यापर को अन्य प्राथमिकता क्षेत्रो के अनर्जक आस्तियों में जोडा गया हैं। गैर प्राथमिकता क्षेत्र के अनर्जक आंस्तियों को तदनुसार समायोजित किया गया है।

स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू)

परिशिष्ट सारणी III.30(अ): प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर क्षेत्र के अग्रिमों में अनर्जक आस्तियाँ - सरकारी क्षेत्र के बैंक

(मार्च 2007 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं.·	बैंक का नाम	कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम		
		कुल	*जिसमें से:* अनर्जक आस्तियां	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**78,844.69**	**5,181.15**	**6.57**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**51,599.75**	**3,456.75**	**6.70**
1.	इलाहाबाद बैंक	3,288.79	257.45	7.83
2.	आंध्रा बैंक	2,688.00	54.00	2.01
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	4,103.48	193.80	4.72
4.	बैंक ऑफ इंडिया	2,643.32	407.05	15.40
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,311.57	105.20	8.02
6.	केनरा बैंक	5,613.25	280.66	5.00
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,468.59	652.20	26.42
8.	कार्पोरेशन बैंक	946.38	48.46	5.12
9.	देना बैंक	911.76	73.61	8.07
10.	इंडियन बैंक	3,098.23	175.06	5.65
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4,354.51	9.63	0.22
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,965.80	72.27	3.68
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	653.40	30.96	4.74
14.	पंजाब नेशनल बैंक	7,419.34	310.15	4.18
15.	सिंडीकेट बैंक	4,666.58	296.88	6.36
16.	यूको बैंक	1,719.00	176.07	10.24
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,571.36	198.16	12.61
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	778.50	65.00	8.35
19.	विजया बैंक	1,397.89	50.14	3.59
	स्टेट बैंक समूह	**27,244.93**	**1,724.40**	**6.33**
20.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2,113.82	72.15	3.41
21.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,778.98	120.51	6.77
22.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	18,339.96	1,341.01	7.31
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1,540.09	75.23	4.88
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1,475.74	59.18	4.01
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	67.58	6.61	9.78
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट	727.11	14.49	1.99
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1,201.65	35.22	2.93
	अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक			
28.	आइडीबीआइ लिमि.	193.07	56.83	29.43

– : शून्य / नगण्य ।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों (घरेलू) पर आधारित।

परिशिष्ट सारणी III.30(आ): प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर क्षेत्रों के अग्रिमों में अनर्जक आस्तियाँ - निजी क्षेत्र के बैंक

(मार्च 2007 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं.·	बैंक का नाम	कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम		
		कुल	*जिसमें से:* अनर्जक आस्तियां	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
	निजी क्षेत्र के बैंक	**3,862.18**	**149.31**	**3.87**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**2,416.93**	**149.30**	**6.18**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	64.17	10.08	15.71
2.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	29.45	9.45	32.09
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	52.82	1.69	3.20
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	104.08	–	–
5.	फेडरल बैंक लि.	926.68	42.61	4.60
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	62.41	4.33	6.94
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	362.14	48.25	13.32
8.	कर्नाटक बैंक लि.	143.64	7.29	5.07
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	297.82	11.17	3.75
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	227.70	0.56	0.24
11.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	–	–	–
12.	नैनीताल बैंक लि.	15.64	–	–
13.	रत्नाकर बैंक लि.	10.30	1.51	14.68
14.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	–	–	–
15.	सांगली बैंक लि.	19.59	3.35	17.10
16.	साउथ इंडियन बैंक लि.	96.53	9.02	9.34
17.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	3.96	–	–
	नजी क्षेत्र के नए बैंक	**1,445.25**	**0.01**	–
18.	ॲक्सिस बैंक	377.41	–	–
19.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	57.45	–	–
20.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	89.73	0.01	0.01
21.	एचडीएफसी बैंक लि.	863.20	–	–
22.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	48.01	–	–
23.	इंडसइंड बैंक लि.	9.45	–	–
24.	कोटक महिंद्र बैंक लि.	–	–	–
25.	यस बैंक लि.	–	–	–

– : शून्य/नगण्य।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।

परिशिष्ट सारणी III.31: पूंजी पर्याप्तता अनुपात-अनुसूचित वाणिज्य बैंक *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**11.40**	**12.00**	**12.70**	**12.90**	**12.80**	**12.32**	**12.28**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**11.20**	**11.80**	**12.60**	**13.20**	**12.90**	**12.17**	**12.36**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**10.20**	**10.90**	**12.20**	**13.10**	**13.20**	**12.27**	**12.37**
1.	इलाहाबाद बैंक	10.50	10.62	11.15	12.52	12.53	13.37	12.52
2.	आंध्रा बैंक	13.40	12.59	13.62	13.71	12.11	14.00	11.33
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	12.80	11.32	12.65	13.91	12.61	13.65	11.80
4.	बैंक ऑफ इंडिया	12.23	10.68	12.02	13.01	11.52	10.75	11.58
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10.64	11.16	12.05	11.88	12.68	11.27	12.06
6.	केनरा बैंक	9.84	11.88	12.50	12.66	12.78	11.22	13.50
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10.02	9.58	10.51	12.43	12.15	11.03	10.40
8.	कार्पोरेशन बैंक	13.30	17.90	18.50	20.12	16.23	13.92	12.76
9.	देना बैंक	7.73	7.64	6.02	9.48	11.91	10.62	11.52
10.	इंडियन बैंक	ऋणात्मक	1.70	10.85	12.82	14.14	13.19	14.14
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10.24	10.82	11.30	12.49	14.20	13.04	13.27
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	11.81	10.99	14.04	14.47	9.21	11.04	12.51
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	11.42	10.70	10.43	11.06	9.46	12.83	12.88
14.	पंजाब नेशनल बैंक	10.24	10.70	12.02	13.10	14.78	11.95	12.29
15.	सिंडीकेट बैंक	11.72	12.12	11.03	11.49	10.70	11.73	11.74
16.	यूको बैंक	9.05	9.64	10.04	11.88	11.26	11.12	11.56
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.86	11.07	12.41	12.32	12.09	11.41	12.80
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	10.40	12.02	15.17	17.04	18.16	13.12	12.02
19.	विजया बैंक	11.50	12.25	12.66	14.11	12.92	11.94	11.21
	स्टेट बैंक समूह	**12.70**	**13.30**	**13.40**	**13.40**	**12.40**	**11.95**	**12.32**
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	12.79	13.35	13.50	13.53	12.45	11.88	12.34
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	12.39	13.42	13.18	12.93	12.60	12.08	12.89
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	12.28	14.03	14.91	14.29	11.74	12.08	12.51
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	12.73	12.78	13.09	12.39	11.61	11.40	11.77
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	11.16	11.81	11.62	11.53	12.08	11.37	11.47
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	12.37	12.55	13.57	13.56	14.21	13.67	12.38
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	13.89	13.20	13.68	14.53	11.45	12.03	12.78
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	11.79	12.54	11.30	11.36	11.05	11.15	11.68
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआइ लिमि.	–	–	–	–	15.51	14.80	13.73

परिशिष्ट सारणी III.31: पूंजी पर्याप्तता अनुपात-अनुसूचित वाणिज्य बैंक *(जारी)*
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**11.90**	**12.50**	**12.80**	**13.70**	**12.50**	**11.69**	**12.08**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	10.57	12.07	11.29	11.18	12.75	10.60	11.32
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	14.43	15.09	13.87	16.25	14.95	11.24	–
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	6.08	9.57	10.58	11.23	11.35	11.26	9.58
4.	सिटी यूनियन बैंक लि	13.59	13.97	13.95	13.36	12.18	12.33	12.58
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	9.69	11.23	10.45	13.56	10.16	9.75	9.77
6.	फेडरल बैंक लि.	10.29	10.63	11.23	11.48	11.27	13.75	13.43
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	9.11	10.08	10.44	11.94	3.99	3.99	–
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	12.05	11.57	9.81	11.05	9.09	10.67	10.56
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	17.44	15.46	16.48	16.88	15.15	13.52	13.24
10.	कर्नाटक बैंक लि.	11.37	12.96	13.44	13.03	14.16	11.78	11.03
11.	करुर वैश्य बैंक लि.	15.56	16.90	17.01	17.11	16.07	14.79	14.51
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	10.21	11.54	11.35	13.79	11.32	10.79	12.43
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	12.90	16.50	12.82	16.68	11.74	10.11	11.61
14.	नैनीताल बैंक लि.	15.81	14.88	20.93	18.54	14.85	13.88	12.89
15.	रत्नाकर बैंक लि.	10.00	13.60	14.05	16.65	12.03	10.77	34.34
16.	सांगली बैंक लि.	11.47	11.64	14.94	13.68	9.30	1.64	–
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	19.85	22.10	21.19	30.43	23.56	22.29	20.93
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	11.17	11.20	10.75	11.32	9.89	13.02	11.08
19.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	17.59	18.02	18.54	21.07	19.74	18.33	16.77
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	9.59	9.79	10.17	10.13	4.86	0.99	–
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**11.50**	**12.30**	**11.30**	**10.20**	**12.10**	**12.60**	**11.99**
21.	ऍक्सिस बैंक लि.	9.00	10.65	10.90	11.21	12.66	11.08	11.57
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	11.02	12.82	13.59	12.64	9.23	–	–
23.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	9.61	4.16	1.95	4.41	21.42	12.52	11.05
24.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	11.28	11.49	10.08	14.14	9.88	9.66	11.34
25.	एचडीएफसी बैंक	11.09	13.93	11.12	11.66	12.16	11.41	13.08
26.	आइसीआइसीआइ बैंक	11.57	11.44	11.10	10.36	11.78	13.35	11.69
27.	इंडसइंड बैंक लि.	15.00	12.51	12.13	12.75	11.62	10.54	12.54
28.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	–	–	25.97	15.25	12.80	11.27	13.46
29.	यस बैंक लि.	–	–	–	–	18.81	16.40	13.60

परिशिष्ट सारणी III.31: पूंजी पर्याप्तता अनुपात-अनुसूचित वाणिज्य बैंक *(समाप्त)*

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	**12.60**	**12.90**	**15.20**	**15.00**	**14.00**	**13.02**	**12.39**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	11.42	13.17	12.57	13.48	10.55	10.44	11.34
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	10.05	10.42	10.14	14.22	14.38	36.98	27.66
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि	9.59	10.71	10.93	10.74	10.87	10.26	13.00
4.	ऑण्टवर्प बैंक लि.	–	–	92.69	53.22	39.99	39.67	46.48
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	96.34	138.51	105.64	111.34	109.39	86.21	100.37
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	103.78	123.07	103.99	133.94	92.26	108.87	141.24
7.	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	13.03	21.07	21.08	22.92	30.07	23.40	13.33
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	11.83	17.03	17.19	21.06	11.66	20.01	22.00
9.	बैंक ऑफ सिलोन	36.49	30.94	32.29	45.26	49.40	56.37	63.21
10.	बैंक औफ नोवा स्कॉटिया	9.97	10.12	13.38	13.78	15.27	13.71	23.26
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	15.51	15.36	30.40	32.78	32.10	33.38	30.71
12.	बरक लैज बैंक पीएलसी	26.97	63.56	45.68	37.16	20.85	22.92	13.68
13.	बीएनपी परिबास	9.92	9.66	10.74	21.70	9.41	11.61	10.76
14.	काल्यन बैंक	11.60	11.23	20.04	24.51	14.40	19.80	15.10
15.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	28.27	40.11	36.96	39.98	59.94	38.01	22.14
16.	सिटी बैंक एनए	11.24	11.04	11.30	11.11	10.78	11.33	11.06
17.	ड्यूश बैंक एजी	12.67	14.55	17.35	14.42	16.22	12.74	10.62
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	15.93	13.31	15.98	55.49	35.06	31.33	29.24
19.	एचएसबीसी लि	12.37	10.92	18.10	14.54	14.03	10.61	11.06
20.	आइएनजी बैंक एन वी	15.00	12.47	20.72	56.91	74.97	–	–
21.	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	43.79	85.88	72.95	34.83	10.19	11.76	16.14
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	148.99	167.65	119.88	115.98	99.59	133.53	121.73
23.	मशरेक बैंक पीएससी	10.54	20.54	39.38	54.71	60.14	136.92	97.06
24.	मिजहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	18.38	11.14	18.50	36.09	28.76	65.76	34.40
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	14.21	18.86	14.62	16.48	13.52	9.58	10.99
26.	सिनहान बैंक	35.00	27.65	37.17	54.43	55.31	81.71	89.26
27.	सोसाइटे जनरेल	13.93	12.85	32.63	32.71	64.81	37.40	31.82
28.	सोनाली बैंक	88.14	113.64	46.86	60.55	105.81	93.78	71.42
29.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि	9.60	9.28	10.56	10.87	10.46	9.93	10.44
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	30.78	46.78	31.74	35.08	31.06	35.42	38.99
31.	यूएफजे बैंक लि.	34.91	29.44	67.68	121.69	121.60	–	–

स्रोत : 1. संबंधित बैंक के तुलन-पत्र।
2. परोक्ष विवरणियां (घरेलू)

परिशिष्ट सारणी III.32: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरुप *(जारी)*

(मार्च 2007 के अंत में)

(प्रतिशत)

म सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भारिबैं निवासी	वित्तीय संस्थाएं-निवासी	वित्तीय संस्थाएं-अनिवासी	अन्य कंपनियां-निवासी	अन्य कंपनियां-अनिवासी	कुल व्यक्ति निवासी	कुल व्यक्ति अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राष्ट्रीकृत बैंक									
1.	इलाहाबाद बैंक	55.2	7.4	19.4	2.5	–	15.3	0.2	80.5	19.6
2.	आंध्रा बैंक	51.6	7.8	19.1	5.3	–	16.2	0.1	0.1	19.2
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	53.8	14.7	20.1	2.1	–	8.5	0.7	79.2	20.9
4.	बैंक ऑफ इंडिया	69.5	5.6	15.4	1.0	0.1	7.8	0.7	83.8	16.2
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	76.8	4.6	7.1	1.1	–	10.3	0.1	92.7	7.3
6.	केनरा बैंक	73.2	2.6	17.2	0.8	–	6.2	–	82.8	17.2
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	100.0	–	–	–	–	–	–	100.0	–
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	57.2	27.4	9.9	2.9	–	2.5	0.2	89.9	10.1
9.	देना बैंक	51.2	8.5	–	6.6	–	20.9	12.8	87.2	12.8
10.	आइडीबीआइ लि.	52.7	28.3	–	3.6	–	14.6	0.7	99.3	0.7
11.	इंडियन बैंक	80.0	1.7	11.4	1.1	–	5.8	0.1	88.6	11.4
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	61.2	5.6	18.0	1.2	–	13.2	0.7	81.3	18.8
13.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	51.1	20.9	19.0	3.2	–	5.7	0.1	80.9	19.1
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	100.0	–	–	–	–	–	–	100.0	–
15.	पंजाब नेशनल बैंक	57.8	15.9	20.1	1.0	–	5.3	–	79.9	20.1
16.	सिंडीकेट बैंक	66.5	5.7	12.0	1.6	–	14.2	–	88.0	12.0
17.	यूको बैंक	75.0	5.1	–	2.6	2.5	14.5	0.3	97.3	2.8
18.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	55.4	9.0	19.7	2.4	–	13.5	0.1	80.3	19.7
19.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	100.0	–	–	–	–	–	–	100.0	–
20.	विजया बैंक	53.9	5.3	17.8	2.6	–	19.9	0.5	81.7	18.3
	स्टेट बैंक समूह									
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	–	75.3	–	4.6	2.4	14.7	3.0	94.7	5.3
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	–	100.0	–	–	–	–	–	100.0	–
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	59.7	12.1	19.8	2.4	–	6.0	0.1	80.2	19.8
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	–	98.1	–	0.7	–	1.2	–	100.0	–
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	–	94.0	–	0.4	–	5.6	–	100.0	–
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	–	100.0	–	–	–	–	–	100.0	–
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	–	–	–	–	–	100.0	–	100.0	–
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.1	76.2	2.6	3.8	–	12.5	3.9	93.6	6.5

परिशिष्ट सारणी III.32: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरुप *(समाप्त)*

(मार्च 2007 के अंत में)

(प्रतिशत)

म सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भारिबैं निवासी	वित्तीय संस्थाएं- निवासी	वित्तीय संस्थाएं- अनिवासी	अन्य कंपनियां- निवासी	अन्य कंपनियां- अनिवासी	कुल व्यक्ति निवासी	कुल व्यक्ति अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंक									
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	–	2.7	0.6	55.4	–	41.0	0.4	99.0	1.0
2.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	–	–	–	4.0	–	95.5	0.5	99.6	0.5
3.	सिटी युनियन बैंक लि.	–	3.4	6.9	22.5	–	66.2	0.9	92.2	7.9
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	–	1.5	0.7	13.9	–	82.8	1.1	98.2	1.8
5.	फेडरल बैंक लि.	–	15.2	49.4	2.5	7.8	25.1	–	42.8	57.2
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	–	11.3	24.3	2.0	43.9	13.5	5.1	26.7	73.3
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	53.2	1.3	34.6	0.4	–	10.3	0.3	65.1	34.9
8.	कर्नाटक बैंक लि.	–	34.8	–	12.9	–	52.1	0.2	99.8	0.2
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	–	6.1	18.2	10.8	–	60.2	4.8	77.0	23.0
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	–	9.2	–	18.9	1.8	70.0	0.1	98.0	2.0
11.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	–	–	–	56.8	0.1	43.2	–	99.9	0.1
12.	नैनीताल बैंक लि.	–	98.4	–	–	–	1.6	–	100.0	–
13.	रत्नाकर बैंक लि.	–	3.2	–	10.3	–	86.6	–	100.0	–
14.	एसबीआइ कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	–	100.0	–	–	–	–	–	100.0	–
15.	सांगली बैंक लि.	0.4	–	–	31.5	–	68.1	–	100.0	–
16.	साउथ इंडियन बैंक लि.	–	6.7	–	47.2	–	42.5	3.6	96.4	3.6
17.	तमिलनाड मर्कंटाइल बैंक लि.	–	–	–	9.3	–	90.4	0.4	99.6	0.4
	निजी क्षेत्र के नए बैंक									
18.	ऍक्सिस बैंक	–	50.0	–	2.5	41.8	5.6	0.1	58.1	41.9
19.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	–	3.2	18.2	14.1	50.9	12.8	0.9	30.1	69.9
20.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	–	0.7	–	10.3	63.1	24.9	1.0	35.9	64.1
21.	एचडीएफसी बैंक लि.	–	6.4	–	29.5	51.3	12.7	0.2	48.5	51.5
22.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	–	16.3	71.6	5.2	–	6.4	0.5	28.0	72.0
23.	इंडसइंड बैंक लि.	–	3.2	25.3	16.2	30.6	21.3	3.4	40.7	59.3
24.	कोटक महिंद्र बैंक लि.	–	4.4	23.8	6.7	0.7	63.8	0.7	74.9	25.1
25.	यस बैंक लि.	–	1.2	35.1	20.6	14.3	27.3	1.5	49.2	50.8

– : शून्य / नगण्य।

स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणियां (अलेखापरीक्षित और अनंतिम)।

परिशिष्ट सारणी III.33: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कंप्यूटराइजेशन और संचार नेटवर्क के विकास पर किया गया व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मार्च 2007 को समाप्त छमाही में किया गया व्यय	सितंबर 1999 तथा मार्च 2007 के दौरान किया गया व्यय
1	2	3	4
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**1,257.17**	**12,825.82**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**898.10**	**8,122.34**
1.	इलाहाबाद बैंक	11.66	194.17
2.	आंध्र बैंक	33.37	369.13
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	146.46	750.66
4.	बैंक ऑफ इंडिया	45.95	1,146.34
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	29.14	272.30
6.	केनरा बैंक	125.25	858.40
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	19.67	406.98
8.	कार्पोरेशन बैंक	38.25	333.63
9.	देना बैंक	17.48	167.75
10.	इंडियन बैंक	48.43	385.49
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	49.74	236.06
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	42.91	311.46
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	79.72	919.58
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1.66	53.60
15.	सिंडीकेट बैंक	64.92	374.05
16.	यूको बैंक	68.31	334.49
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	40.07	404.05
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	19.11	154.38
19.	विजया बैंक	16.00	449.82
	स्टेट बैंक समूह	**359.07**	**4,703.48**
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	263.27	3,306.21
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	27.87	290.40
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	8.80	258.89
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2.96	107.68
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	12.63	149.37
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	14.49	206.53
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	24.54	174.00
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	4.51	210.40

परिशिष्ट सारणी III.34: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटराइजेशन
(31 मार्च 2007 को)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कोर बैंकिंग साधन के अंतर्गत शाखाएं	पहले से पूर्णत: कंप्यूटरीकृत शाखाएं #	पूर्णत: कंप्यूटरीकृत शाखाएं (3+4)	अंशत : कंप्यूटरीकृत शाखाएं
1	2	3	4	5	6
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**44.4**	**41.2**	**85.6**	**13.4**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**35.4**	**44.5**	**79.9**	**18.8**
1.	इलाहाबाद बैंक	0.6	91.9	92.6	5.9
2.	आंध्र बैंक	78.0	22.0	100.0	–
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	38.2	61.8	100.0	–
4.	बैंक ऑफ इंडिया	38.3	61.7	100.0	–
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4.9	95.1	100.0	–
6.	केनरा बैंक	12.8	68.0	80.8	19.2
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10.1	70.4	80.6	5.0
8.	कार्पोरेशन बैंक	99.9	0.1	100.0	–
9.	देना बैंक	1.1	98.6	99.7	0.3
10.	इंडियन बैंक	71.4	9.1	80.5	19.5
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	13.4	47.1	60.5	39.5
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	81.2	1.5	82.7	17.3
13.	पंजाब नेशनल बैंक	61.2	38.8	100.0	–
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	–	10.1	10.1	89.9
15.	सिंडीकेट बैंक	69.6	1.0	70.6	29.4
16.	यूको बैंक	9.7	27.5	37.2	62.8
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	42.7	0.0	42.7	57.3
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1.4	26.9	28.2	71.8
19.	विजया बैंक	44.2	55.8	100.0	–
	स्टेट बैंक समूह	**67.2**	**32.8**	**100.0**	**–**
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	50.5	49.5	100.0	–
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	100.0	–	100.0	–
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	100.0	–	100.0	–
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	100.0	–	100.0	–
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	100.0	–	100.0	–
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	100.0	–	100.0	–
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	100.0	–	100.0	–
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	100.0	–	100.0	–

– : शून्य / नगण्य।

: कोर बैंकिंग साधन के अंतर्गत शाखाओं से इतर शाखाएं।

परिशिष्ट सारणी III.35: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2007 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में अपरोक्ष एटीएम प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	परोक्ष	अपरोक्ष	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**19,097**	**13,794**	**12,330**	**11,821**	**57,042**	**14,796**	**12,292**	**27,088**	**45.4**	**47.5**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**18,112**	**11,728**	**10,168**	**9,658**	**49,666**	**10,289**	**6,040**	**16,329**	**37.0**	**32.9**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**12,986**	**7,573**	**7,612**	**7,465**	**35,636**	**6,634**	**3,254**	**9,888**	**32.9**	**27.7**
1.	इलाहाबाद बैंक	932	327	402	345	2,006	114	94	208	45.2	10.4
2.	आंध्र बैंक	370	339	285	200	1,194	134	388	522	74.3	43.7
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,087	576	479	585	2,727	603	397	1,000	39.7	36.7
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,190	501	447	497	2,635	203	134	337	39.8	12.8
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	515	244	246	326	1,331	234	68	302	22.5	22.7
6.	केनरा बैंक	717	658	596	617	2,588	932	200	1,132	17.7	43.7
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,314	762	578	530	3,184	215	46	261	17.6	8.2
8.	कार्पोरेशन बैंक	173	161	256	294	884	366	563	929	60.6	105.1
9.	देना बैंक	349	216	188	281	1,034	216	53	269	19.7	26.0
10.	इंडियन बैंक	447	360	355	276	1,438	331	95	426	22.3	29.6
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	507	387	390	367	1,651	307	52	359	14.5	21.7
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	246	276	370	332	1,224	436	230	666	34.5	54.4
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	282	123	218	204	827	5	–	5	–	0.6
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1,827	806	765	641	4,039	754	255	1,009	25.3	25.0
15.	सिंडीकेट बैंक	635	479	501	457	2,072	619	82	701	11.7	33.8
16.	यूको बैंक	752	355	381	369	1,857	145	13	158	8.2	8.5
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	739	511	495	465	2,210	520	249	769	32.4	34.8
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	609	219	248	248	1,324	102	42	144	29.2	10.9
19.	विजया बैंक	247	192	287	252	978	141	30	171	17.5	17.5
20.	आइडीबीआइ लि.	48	81	125	179	433	257	263	520	50.6	120.1
	स्टेट बैंक समूह	**5,126**	**4,155**	**2,556**	**2,193**	**14,030**	**3,655**	**2,786**	**6,441**	**43.3**	**45.9**
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3,825	2,561	1,561	1,323	9,270	2,287	2,120	4,407	48.1	47.5
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	286	239	147	158	830	189	124	313	39.6	37.7
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	254	299	219	167	939	306	94	400	23.5	42.6
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	116	129	77	115	437	135	100	235	42.6	53.8
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	207	131	143	156	637	200	47	247	19.0	38.8
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	253	208	193	112	766	268	85	353	24.1	46.1
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	135	135	72	102	444	100	90	190	47.4	42.8
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	50	453	144	60	707	170	126	296	42.6	41.9

– : शून्य / नगण्य।

परिशिष्ट सारणी III.35: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2007 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में अपरोक्ष एटीएम प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	परोक्ष	अपरोक्ष	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक	**985**	**2,064**	**2,118**	**1,936**	**7,103**	**4,258**	**5,541**	**9,799**	**56.5**	**138.0**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**855**	**1,510**	**1,294**	**947**	**4,606**	**1,104**	**503**	**1,607**	**31.3**	**34.9**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	99	84	133	122	438	61	15	76	19.7	17.4
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	6	8	46	43	103	–	–	–	–	–
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	17	185	86	42	330	60	22	82	26.8	24.8
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	31	49	54	29	163	56	2	58	3.4	35.6
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	21	80	52	28	181	54	13	67	19.4	37.0
6.	फेडरल बैंक लि.	38	289	119	85	531	206	185	391	47.3	73.6
7.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	78	76	130	108	392	105	53	158	33.5	40.3
8.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि..	198	79	110	58	445	121	54	175	30.9	39.3
9.	कर्नाटक बैंक लि.	87	88	124	116	415	84	22	106	20.8	25.5
10	करूर वैश्य बैंक लि.	30	79	97	62	268	193	49	242	20.2	90.3
11.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	32	82	75	42	231	16	–	16	–	6.9
12.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	12	42	29	29	112	–	–	–	–	–
13.	नैनीताल बैंक लि.	17	19	22	22	80	–	–	–	–	–
14.	रत्नाकर बैंक लि.	24	23	16	15	78	8	1	9	11.1	11.5
15.	सांगली बैंक लि.	47	50	44	46	187	–	–	–	–	–
16.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	–	–	–	2	2	2	–	2	–	100.0
17.	साउथ इंडियन बैंक लि.	68	219	107	72	466	111	64	175	36.6	37.6
18.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	50	58	50	26	184	27	23	50	46.0	27.2
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**130**	**554**	**824**	**989**	**2,497**	**3,154**	**5,038**	**8,192**	**61.5**	**328.1**
19.	ऍक्सिस बैंक	11	103	196	181	491	586	1,755	2,341	75.0	476.8
20.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	4	58	97	116	275	253	153	406	37.7	147.6
21.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	2	10	10	46	68	60	42	102	41.2	150.0
22.	एचडीएफसी बैंक लि.	30	136	202	271	639	833	772	1,605	48.1	251.2
23.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	75	187	203	238	703	1,150	2,185	3,335	65.5	474.4
24.	इंडसइंड बैंक लि.	2	35	83	52	172	144	97	241	40.2	140.1
25.	कोटक महिंद्र बैंक लि.	2	18	26	63	109	102	33	135	24.4	123.9
26.	यस बैंक लि.	4	7	7	22	40	26	1	27	3.7	67.5

परिशिष्ट सारणी III.35: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(समाप्त)*

(मार्च 2007 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में अपरोक्ष एटीएम प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	परोक्ष	अपरोक्ष	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	विदेशी बैंक	**–**	**2**	**44**	**227**	**273**	**249**	**711**	**960**	**74.1**	**351.6**
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	–	–	9	19	28	30	80	110	72.7	392.9
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	–	–	–	8	8	9	1	10	10.0	125.0
4.	ऑण्टवर्प बैंक लि.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
6.	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
7.	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
9.	बैंक ऑफ सिलोन	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
10.	बैंक औफ नोवा स्कॉटिया	–	–	1	4	5	–	–	–	–	–
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–
12.	बरकलैज बैंक पीएलसी	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–
13.	बी.एन.पी. परिबास	–	–	–	9	9	–	–	–	–	–
14.	काल्यन बैंक	–	–	–	6	6	–	–	–	–	–
15.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
16.	सिटी बैंक एन. ए.	–	1	10	28	39	52	400	452	88.5	1,159.0
17.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
18.	ड्यूश बैंक एजी	–	–	2	6	8	8	17	25	68.0	312.5
19.	एचएसबीसी लि..	–	–	9	38	47	68	103	171	60.2	363.8
20.	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
21.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
22.	मशरेक बैंक पीएससी	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
23.	मिजहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
24.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	–	–	1	1	2	1	–	1	–	50.0
25.	सिनहान बैंक	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
26.	सोसाइटे जनरेल	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
27.	सोनाली बैंक	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–
28.	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	–	–	10	75	85	81	110	191	57.6	224.7
29.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–

-: शून्य / नगण्य।

स्रोत : वाणिज्य बैंकों की (नवीनतम अद्यतन प्रति) मास्टर ऑफिस फाइल।

परिशिष्ट सारणी III.36: भारत में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का फैलाव-बैंक समूह और जनसंख्या समूहवार

बैंक समूह	बैंकों की संख्या#	शाखाओं की संख्या									
		30 जून 2006 को @					30 जून 2007को @				
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय स्टेट बैंक तथा सहायक बैंक	8	5,143 (37.1)	4,103 (29.6)	2,491 (17.9)	2,142 (15.4)	13,879 (100.0)	5,159 (36.7)	4,150 (29.5)	2,564 (18.2)	2,185 (15.5)	14,058 (100.0)
2. राष्ट्रीकृत बैंक	19	12,903 (37.6)	7,211 (21.0)	7,135 (20.8)	7,050 (20.6)	34,299 (100.0)	12,990 (36.7)	7,504 (21.2)	7,557 (21.3)	7,361 (20.8)	35,412 (100.0)
3. सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	1	2 (1.1)	18 (9.9)	66 (36.5)	95 (52.5)	181 (100.0)	48 (11.0)	82 (18.8)	126 (28.9)	180 (41.3)	436 (100.0)
4. निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	16	897 (19.3)	1,503 (32.3)	1,281 (27.5)	977 (21.0)	4,658 (100.0)	804 (18.5)	1,460 (33.6)	1,218 (28.1)	859 (19.8)	4,341 (100.0)
5. निजी क्षेत्र के नए बैंक	8	95 (4.8)	325 (16.3)	682 (34.1)	898 (44.9)	2,000 (100.0)	183 (6.7)	617 (22.6)	884 (32.4)	1,042 (38.2)	2,726 (100.0)
6. भारत स्थित विदेशी बैंक	29	– –	1 (0.4)	37 (14.1)	224 (85.5)	262 (100.0)	– –	2 (0.7)	43 (15.8)	227 (83.5)	272 (100.0)
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**	96	11,456 (79.0)	2,471 (17.0)	514 (3.5)	55 (0.4)	14,496 (100.0)	11,444 (78.9)	2,481 (17.1)	522 (3.6)	59 (0.4)	14,506 (100.0)
8. गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंक)	4	4 (15.4)	12 (46.2)	10 (38.5)	– –	26 (100.0)	5 (16.7)	14 (46.7)	11 (36.7)	– –	30 (100.0)
कुल	**181**	**30,500** **(43.7)**	**15,644** **(22.4)**	**12,216** **(17.5)**	**11,441** **(16.4)**	**69,801** **(100.0)**	**30,633** **(42.7)**	**16,310** **(22.7)**	**12,925** **(18.0)**	**11,913** **(16.6)**	**71,781** **(100.0)**

– : शून्य / नगण्य।
: 30 जून 2007 के अनुसार।
@ : शाखाओं का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण 2001 की जनगणना पर आधारित।
** : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समामेलन के प्रभावी होने के बाद 30 जून 2007 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 96 थी।

टिप्पणी : 1. बैंक शाखाओं के आंकड़ों में प्रशासनिक कार्यालय शामिल नहीं हैं।
2. जून 2006 के आंकड़े संशोधित हैं और जून 2007 के आंकड़ें अनंतिम हैं।
3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें प्रत्येक समूह में कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : वाणिज्य बैंकों की (नवीनतम अद्यतन प्रति) मास्टर ऑफिस फाइल।

परिशिष्ट सारणी III.37: वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का फैलाव - क्षेत्र/राज्य/संघ शासित प्रदेशवार@

क्रम. सं.	क्षेत्र/राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	30 जून को शाखाओं की संख्या		निम्नलिखित अवधि के दौरान खुली शाखाएँ				जून के अंत में प्रति बैंक शाखा ('000 में) औसत जनसंख्या	
		2006	2007	जुलाई 2005 से जून 2006	*उनमें से:* बैंक रहित केंद्र	जुलाई 2006 से जून 2007	*उनमें से:* बैंक रहित केंद्र	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अखिल भारतीय	**69,801**	**71,781**	**1,331**	**2**	**2,366**	**36**	**16**	**16**
1	**उत्तरी क्षेत्र**	**11,728**	**12,149**	**385**	**–**	**446**	**–**	**13**	**12**
	चंडीगढ़	216	221	16	–	9	–	5	5
	दिल्ली	1,759	1,838	105	–	89	–	9	9
	हरियाणा	1,770	1,849	79	–	79	–	13	13
	हिमाचल प्रदेश	827	862	20	–	34	–	8	8
	जम्मू और कश्मीर	881	893	16	–	12	–	13	14
	पंजाब	2,801	2,914	85	–	123	–	9	9
	राजस्थान	3,474	3,572	64	–	100	–	18	18
2	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**	**1,921**	**1,963**	**24**	**–**	**47**	**–**	**22**	**22**
	अरुणाचल प्रदेश	69	71	2	–	2	–	17	17
	असम	1,247	1,280	13	–	32	–	23	23
	मणिपुर	77	76	–	–	1	–	33	34
	मेघालय	189	191	4	–	1	–	13	13
	मिजोरम	80	79	–	–	4	–	12	12
	नगालैंड	75	78	2	–	3	–	29	28
	त्रिपुरा	184	188	3	–	4	–	19	19
3	**पूर्वी क्षेत्र**	**12,118**	**12,361**	**136**	**–**	**256**	**–**	**20**	**20**
	अंदमान और निकोबार द्विप समूह	34	37	1	–	3	–	12	11
	बिहार	3,592	3,621	15	–	37	–	25	26
	झारखंड	1,511	1,544	17	–	31	–	19	19
	उड़ीसा	2,330	2,406	44	–	77	–	17	16
	सिक्किम	58	62	2	–	4	–	10	10
	पश्चिम बंगाल	4,593	4,691	57	–	104	–	19	19
4	**मध्य क्षेत्र**	**13,952**	**14,265**	**204**	**–**	**345**	**–**	**20**	**20**
	छत्तीसगढ़	1,049	1,080	11	–	33	–	22	22
	मध्य प्रदेश	3,514	3,578	35	–	81	–	19	19
	उत्तर प्रदेश	8,474	8,672	131	–	208	–	22	22
	उत्तराखंड	915	935	27	–	23	–	10	10
5	**पश्चिमी क्षेत्र**	**10,761**	**11,121**	**191**	**–**	**606**	**30**	**15**	**15**
	दादरा और नगर हवेली	13	20	1	–	7	–	19	13
	दमण और दीव	17	18	1	–	1	–	11	10
	गोवा	355	370	11	–	16	–	4	4
	गुजरात	3,784	3,927	69	–	152	–	15	14
	महाराष्ट्र	6,592	6,786	109	–	430	30	16	16
6	**दक्षिणी क्षेत्र**	**19,321**	**19,922**	**391**	**2**	**666**	**6**	**12**	**12**
	आंध्र प्रदेश	5,541	5,692	99	–	160	–	15	14
	कर्नाटक	5,095	5,229	112	–	150	1	11	11
	केरल	3,615	3,734	84	2	126	–	9	9
	लक्षद्वीप	10	10	0	–	–	–	7	7
	पुदुचेरी	91	95	1	–	3	–	12	11
	तमिलनाडु	4,969	5,162	95	–	227	5	13	13

– : शून्य/नगण्य

@ : गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंक) की शाखाओं सहित।

टिप्पणी: 1. प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या का आधार महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार से प्राप्त संबंधित वर्षों की वर्ष-मध्य जनसंख्या अनुमान पर आधारित है।

2. बैंक शाखाओं में प्रशासनिक कार्यालय शामिल नहीं है।

3. जून 2006 के आंकड़े परिशोधित हैं।

4. जून 2007 के आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : वाणिज्य बैंकों की अद्यतन मास्टर ऑफिस फाइल (नवीनतम अद्यतन प्रति)।

परिशिष्ट सारणी III.38: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात और निवेश + ऋण-जमा अनुपात - क्षेत्र/राज्यवार

(प्रतिशत)

क्रम. सं.	क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ऋण-जमा अनुपात							निवेश+ऋण जमा अनुपात @			
		मार्च 2004		मार्च 2005		मार्च 2006		मार्च 2007	मार्च 2005		मार्च 2006	
		स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	आखिल भारतीय	**58.2**	**58.2**	**66.0**	**66.0**	**72.4**	**72.4**	**75.0**	**73.4**	**73.4**	**78.3**	**78.3**
1	**उत्तरी क्षेत्र**	**54.8**	**56.8**	**59.5**	**62.2**	**64.6**	**67.9**	**68.6**	**64.7**	**67.4**	**68.7**	**72.0**
	हरियाणा	47.6	59.6	51.4	63.2	57.4	69.6	57.6	60.4	72.1	63.8	75.9
	हिमाचल प्रदेश	29.7	42.7	36.3	50.9	41.0	53.0	41.5	56.5	71.1	58.1	70.0
	जम्मू और कश्मीर	37.4	41.7	46.7	50.9	47.2	52.7	47.3	55.9	60.0	55.1	60.6
	पंजाब	43.1	45.7	50.1	49.7	56.8	56.3	62.4	57.6	57.2	63.4	63.0
	राजस्थान	55.8	62.9	68.7	76.5	77.3	86.0	82.5	89.6	97.4	94.1	102.9
	चंडीगढ़	105.3	107.0	88.9	97.0	76.8	85.8	94.7	88.9	97.0	76.8	85.8
	दिल्ली	59.9	57.9	62.4	62.5	67.4	68.0	70.9	62.5	62.6	67.4	68.0
2	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**	**29.8**	**33.7**	**35.0**	**44.6**	**40.7**	**52.3**	**40.8**	**53.1**	**62.7**	**55.2**	**66.7**
	अरुणाचल प्रदेश	16.1	25.2	22.0	30.0	26.5	41.6	26.8	34.3	42.4	36.8	52.0
	असम	31.8	35.7	35.3	41.9	42.6	49.1	43.3	50.2	56.9	54.6	61.1
	मणिपुर	31.6	31.8	42.4	42.6	50.1	51.8	53.5	76.6	76.8	78.4	80.1
	मेघालय	34.6	42.6	43.6	85.7	48.1	113.9	35.8	59.4	101.5	62.6	128.4
	मिजोरम	34.8	39.7	47.8	59.1	51.2	53.7	53.8	83.0	94.3	79.7	82.2
	नगालैंड	15.0	15.2	22.9	23.2	22.3	23.2	28.9	71.8	72.1	52.6	53.5
	त्रिपुरा	25.2	24.7	28.6	29.0	32.8	33.9	34.0	46.6	46.9	46.2	47.2
3	**पूर्वी क्षेत्र**	**41.8**	**45.2**	**45.5**	**50.4**	**49.2**	**55.6**	**52.5**	**57.5**	**62.4**	**59.1**	**65.5**
	बिहार	24.9	26.9	27.7	31.4	30.3	40.0	30.1	42.7	46.3	42.4	52.1
	झारखंड	26.3	26.9	29.6	30.6	31.2	31.6	34.0	34.8	35.8	35.7	36.1
	उड़ीसा	53.7	58.6	61.8	74.7	66.0	78.7	64.0	80.2	93.2	80.3	92.9
	सिक्किम	22.4	23.0	29.5	29.3	45.3	44.8	52.4	44.3	44.1	59.2	58.6
	पश्चिम बंगाल	49.5	53.8	52.3	56.8	56.3	61.4	62.6	63.4	67.8	65.7	70.8
	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	26.1	42.2	26.8	43.8	29.0	49.2	28.1	26.8	43.8	29.0	49.2
4	**मध्य क्षेत्र**	**35.6**	**39.9**	**40.8**	**45.8**	**44.2**	**50.0**	**47.7**	**52.6**	**57.5**	**54.2**	**59.9**
	छत्तीसगढ़	40.0	44.9	43.6	49.9	45.5	52.5	53.0	50.2	56.6	50.7	57.7
	मध्य प्रदेश	46.8	50.1	54.7	61.2	60.5	67.2	62.2	68.2	74.8	71.9	78.6
	उत्तर प्रदेश	33.1	38.0	37.9	42.2	41.0	46.3	45.1	49.9	54.2	51.3	56.7
	उत्तराखंड	21.1	23.4	24.3	29.1	25.8	30.9	27.0	34.3	39.0	34.3	39.4
5	**पश्चिमी क्षेत्र**	**72.0**	**63.2**	**83.5**	**71.8**	**92.0**	**78.9**	**91.2**	**87.6**	**75.9**	**95.0**	**82.0**
	गोवा	21.7	27.3	25.1	30.3	23.2	27.6	26.3	30.6	35.8	27.0	31.4
	गुजरात	42.2	54.8	46.5	60.9	55.6	75.3	64.5	55.2	69.6	63.0	82.7
	महाराष्ट्र	81.8	66.5	94.9	75.9	102.2	81.3	98.0	97.8	78.8	104.4	83.5
	दादरा और नगर हवेली	15.6	118.8	34.8	110.8	49.3	136.7	19.8	34.8	110.8	49.3	136.7
	दमण और दीव	11.6	49.8	11.5	48.3	11.4	45.7	13.8	11.5	48.3	11.4	45.7
6	**दक्षिणी क्षेत्र**	**68.5**	**72.7**	**78.1**	**83.9**	**84.4**	**90.8**	**87.3**	**86.3**	**92.1**	**91.1**	**97.5**
	आंध्र प्रदेश	65.9	70.9	74.8	83.3	81.3	86.2	87.6	85.8	94.4	90.5	95.3
	कर्नाटक	63.1	69.0	73.8	80.5	75.9	93.4	77.5	80.3	86.9	80.8	98.3
	केरल	45.5	47.8	54.6	57.5	61.4	64.3	63.6	63.6	66.5	69.1	72.1
	तमिलनाडु	93.1	96.1	101.2	105.4	110.5	109.3	112.3	108.4	112.7	116.6	115.4
	लक्षद्वीप	8.0	10.0	9.7	23.7	11.5	41.6	10.1	9.7	23.7	11.5	41.6
	पुदुचेरी	34.5	42.6	38.3	43.9	45.0	48.7	47.2	38.6	44.2	45.3	49.0

@ : बैंकों के राज्यवार निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी संस्थाओं, राज्य विद्युत बोर्ड, नगरपालिका निगम, नगरपालिका और बंदरगाह, राज्य वित्त निगम, आवास बोर्ड, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सड़क परिवहन निगम तथा अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी निकायों के राज्य सरकारी ऋण तथा शेयर, बांड, डिबेंचर आदि की अपनी धारिता दर्शाता है। अखिल भारतीय निवेश + ऋण-जमा अनुपात केंद्रीय सरकार और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश को छोड़कर है, जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है।

टिप्पणी: 1. जमा व ऋण के आंकड़े (स्वीकृति और उपयोग के अनुसार) 2004, 2005 तथा 2006 के बीएसआर-1 तथा 2 के 31 मार्च के सर्वेक्षणों पर आधारित है।
2. निवेश के आंकड़े 31 मार्च 2005 तथा 2006 के बीएसआर-5 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।
3. वर्ष 2007 के ऋण-जमा अनुपात के आंकड़े 31 मार्च 2007 के बीएसआर - 7 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

परिशिष्ट सारणी III.39: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*

(2006-07 तक के अवधि के लिए)

क्रम.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट कार्ड/ शिकायतें/ 1000 खातों के अलावा शिकायतों की संख्या*	क्रेडिट कार्ड शिकायतों की संख्या/ 1000 क्रेडिट कार्ड खाते@	शिकायतों का श्रेणीवार विश्लेषण: जमा लेखा	प्रेषण	क्रेडिट कार्ड	ऋण/अग्रिम: सामान्य	ऋण/अग्रिम: आवास	पूर्व सूचना के बिना प्रभार	पेन्शन	वादे पूरा न करना	सीधा बिक्री एजेंट	नोट तथा सिक्के	अन्य
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**34,499**	**उ.न.**	**उ.न.**	**5,578**	**3,919**	**7,669**	**4,169**	**649**	**2,527**	**1,056**	**1,402**	**1,026**	**126**	**6,378**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**21,660**	**उ.न.**	**उ.न.**	**3,664**	**2,918**	**3,265**	**2,842**	**366**	**1,434**	**1,039**	**1,006**	**628**	**104**	**4,394**
	राष्ट्रीकृत बैंक	**10,543**	**उ.न.**	**उ.न.**	**2,126**	**1,408**	**611**	**1,621**	**205**	**662**	**523**	**567**	**330**	**69**	**2,421**
1.	इलाहाबाद बैंक	410	0.03	उ.न.	65	107	17	75	3	16	15	28	15	2	67
2.	आंध्रा बैंक	411	0.04	0.49	60	44	79	44	1	26	20	24	6	20	87
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	837	0.04	0.57	128	122	79	103	34	89	20	58	11	4	189
4.	बैंक ऑफ इंडिया	698	0.04	0.36	166	77	40	82	10	30	47	42	20	5	179
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	202	0.03	0.34	45	22	13	20	–	6	7	11	4	2	72
6.	केनरा बैंक	929	0.05	0.86	179	152	74	167	9	43	46	43	34	2	180
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	908	0.06	0.96	163	131	38	144	15	35	84	32	23	10	233
8.	कार्पोरेशन बैंक	223	0.04	6.77	55	29	20	35	3	12	5	13	1	1	49
9.	देना बैंक	251	0.05	0.46	44	20	3	45	5	18	17	19	11	2	67
10.	इंडियन बैंक	391	0.04	2.90	48	21	38	145	5	13	21	16	10	4	70
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	392	0.05	2.10	65	25	31	114	4	9	16	20	20	1	87
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	411	0.07	उ.न.	117	46	19	47	6	27	4	20	4	–	121
13.	पंजाब नेशनल बैंक	1,837	0.07	उ.न.	366	295	61	159	52	185	141	92	76	6	404
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	191	0.05	उ.न.	55	21	1	21	3	7	7	10	9	–	57
15.	सिंडीकेट बैंक	451	0.04	0.61	86	60	29	96	6	19	19	25	18	1	92
16.	यूको बैंक	432	0.05	उ.न.	95	53	7	87	1	19	16	21	9	1	123
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	671	0.06	0.82	159	67	18	128	15	44	16	59	13	1	151
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	180	0.03	उ.न.	65	28	5	33	2	4	5	6	4	1	27
19.	विजया बैंक	179	0.04	0.23	26	33	15	28	1	10	4	10	19	3	30
20.	आइडीबीआई बैंक	539	0.60	उ.न.	139	55	24	48	30	50	13	18	23	3	136
	स्टेट बैंक समूह	**11,117**	**उ.न.**	**उ.न.**	**1,538**	**1,510**	**2,654**	**1,221**	**161**	**772**	**516**	**439**	**298**	**35**	**1,973**
21.	भारतीय स्टेट बैंक	8,579	0.11	0.73	1,143	1,170	2,476	840	127	431	384	329	232	31	1,416
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	986	0.20	उ.न.	98	154	71	86	1	148	57	68	15	1	287
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	262	0.05	उ.न.	25	47	46	34	–	13	15	8	13	–	61
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	343	0.17	उ.न.	63	42	11	29	4	90	9	9	1	1	84
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	127	0.05	उ.न.	19	15	10	22	1	2	8	9	32	–	9
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	288	0.07	उ.न.	81	25	21	17	13	40	7	7	3	–	74
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	147	0.06	उ.न.	22	17	12	25	4	31	8	4	–	1	23
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	385	0.11	उ.न.	87	40	7	168	11	17	28	5	2	1	19

परिशिष्ट सारणी III.39: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*
(2006-07 से)

क्रम.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट कार्ड/ शिकायतें/ 1000 खातों के अलावा शिकायतों की संख्या*	क्रेडिट कार्ड शिकायतों की संख्या/ 1000 क्रेडिट कार्ड खाते@	शिकायतों का श्रेणीवार विश्लेषण: जमा लेखा	प्रेषण	क्रेडिट कार्ड	ऋण/अग्रिम: सामान्य	ऋण/अग्रिम: आवास	पूर्व सूचना के बिना प्रभार	पेन्शन	वादे पूरा न करना	सीधा बिक्री एजेंट	नोट तथा सिक्के	अन्य
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	निजी क्षेत्र के बैंक	**9,036**	**उ.न.**	**उ.न.**	**1,591**	**813**	**2,217**	**1,046**	**233**	**915**	**14**	**314**	**357**	**20**	**1,516**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**825**	**उ.न.**	**उ.न.**	**182**	**94**	**54**	**159**	**13**	**47**	**6**	**41**	**40**	**2**	**187**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	175	0.11	0.59	15	35	9	15	4	24	–	14	5	1	53
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	13	0.05	उ.न.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	39	0.04	उ.न.	15	4	1	15	1	–	–	–	1	–	2
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	11	0.03	उ.न.	5	1	1	1	–	–	–	–	1	–	2
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	22	0.04	उ.न.	2	2	1	12	–	–	–	–	1	–	4
6.	फेडरल बैंक लि.	133	0.05	उ.न.	29	15	1	43	6	3	2	6	3	–	25
7.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	162	0.15	उ.न.	32	15	20	19	1	10	1	13	23	1	27
8.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	44	0.02	–	17	4	–	3	1	–	–	3	–	–	16
9.	कर्नाटक बैंक लि.	28	0.02	उ.न.	8	5	2	3	–	–	–	–	2	–	8
10.	करूर वैश्य बैंक लि.	42	0.03	उ.न.	14	6	5	4	–	5	–	2	1	–	5
11.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	18	0.02	उ.न.	4	1	2	7	–	1	–	–	2	–	1
12.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	22	0.11	उ.न.	7	–	–	7	–	2	–	–	–	–	6
13.	नैनीताल बैंक लि.	15	0.07	उ.न.	1	1	–	1	–	–	3	1	1	–	7
14.	रत्नाकर बैंक लि.	3	0.01	उ.न.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
15.	सांगली बैंक लि.	25	0.05	उ.न.	8	1	–	–	–	–	–	1	–	–	15
16.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	2	0.35	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
17.	साउथ इंडियन बैंक लि.	47	0.04	उ.न.	9	4	7	21	–	2	–	1	–	–	3
18.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	24	0.02	0.91	6	–	5	8	–	–	–	–	–	–	5
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**8,211**	**उ.न.**	**उ.न.**	**1,409**	**719**	**2,163**	**887**	**220**	**868**	**8**	**273**	**317**	**18**	**1,329**
19.	ॲक्सिस बैंक	456	0.11	0.62	104	53	51	35	5	103	–	14	14	1	76
20.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	435	0.41	उ.न.	84	34	31	64	4	112	2	23	5	1	75
21.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	47	0.15	उ.न.	7	8	2	6	–	6	–	–	4	–	14
22.	एचडीएफसी बैंक लि.	2,048	0.25	0.21	347	182	621	165	37	203	5	55	74	5	354
23.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	5,048	0.49	0.19	829	432	1,451	584	166	412	1	177	214	8	774
24.	इंडसइंड बैंक लि.	63	0.16	उ.न.	18	2	2	11	1	7	–	2	4	2	14
25.	कोटक महिंद्र बैंक लि.	113	0.91	उ.न.	19	8	5	22	7	25	–	2	2	1	22
26.	यस बैंक लि.	1	0.02	उ.न.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट सारणी III.39: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(समाप्त)*

(1 जुलाई 2006 से 30 जून 2007 तक की अवधि के लिए)

क्रम.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट कार्ड/शिकायतें/1000 खातों के अलावा शिकायतों की संख्या*	क्रेडिट कार्ड शिकायतों की संख्या/1000 क्रेडिट कार्ड खाते@	शिकायतों का श्रेणीवार विश्लेषण: जमा लेखा	प्रेषण	क्रेडिट कार्ड	ऋण/अग्रिम: सामान्य	ऋण/अग्रिम: आवास	पूर्व सूचना के बिना प्रभार	पेन्शन	वादे पूरा न करना	सीधा बिक्री एजेंट	नोट तथा सिक्के	अन्य
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	विदेशी बैंक	**3,803**	**उ.न.**	**उ.न.**	**323**	**188**	**2,187**	**281**	**50**	**178**	**3**	**82**	**41**	**2**	**468**
1.	एबीएन एमरों बैंक एनवी	842	0.72	0.56	64	41	520	43	12	35	1	17	7	–	102
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	83	1.20	0.15	3	5	56	4	–	1	–	–	1	–	13
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक.	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	अरब बांग्लादेस बैंक लि.	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	5	24.04	उ.न.	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2
7.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस. सी.	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	बैंक ऑफ सिलोन	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी युएफजे लिमि.	1	0.14	उ.न.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	बी.एन.पी. परिबास	3	0.79	उ.न.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
14.	काल्यन बैंक	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	सिटी बैंक एन. ए.	1,182	0.69	0.19	111	53	636	112	13	51	2	24	15	–	165
17.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमि.	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	ड्यूश बैंक एजी	41	0.98	0.11	5	5	19	2	–	–	–	2	1	–	7
19.	एचएसबीसी बैंक लि.	676	0.44	0.20	61	35	427	28	8	28	–	11	7	1	70
20.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लिमि.	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	मशरेक बैंक पीएससी	1	3.61	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
23.	मॉरिशस बैंक	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	1	0.12	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26.	सिनहान बैंक	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	सोसाईटे जनरेल	–	–	उ.न.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	सोनाली बैंक	1	0.62	उ.न.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमि.	967	0.63	0.38	76	47	529	92	17	62	–	28	10	1	105

* : 31 मार्च 2006 को खातों की संख्या।
@ : 31 मार्च 2007 को क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या।
– : शून्य/नगण्य।
उ.न : उपलब्ध नहीं।

परिशिष्ट सारणी IV.1: भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों की प्रगति

(राशि करोड़ रुपए में, अनुपात प्रतिशत में)

क्रम	संस्था का प्रकार	मद	2003-04	2004-05	2005-06 अ	2006-07अ
1	2	3	4	5	6	7
1.	शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	संख्या	1,926	1,872	1,853	1,813
		स्वाधिकृत निधि	12,348	13,604	13,973	14,751
		जमाराशि	1,10,256	1,05,021	1,14,060	1,20,983
		उधारराशि	1,484	1,782	1,781	2,602
		कार्यशील पूंजी	उ. न.	उ. न.		
		बकाया ऋण	67,930	66,874	71,641	78,660
		ऋण-जमा अनुपात	62	64	63	65
2.	राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)	संख्या	31	31	31	उ. न.
		स्वाधिकृत निधि	8,288	9,500	10,545	उ. न.
		जमाराशि	44,335	44,326	45,405	उ. न.
		उधारराशि	12,457	14,602	16,989	उ. न.
		कार्यशील पूंजी	57,936	65,399	69,140	उ. न.
		जारी ऋण	33,961	46,234	48,260	उ. न.
		बकाया ऋण	35,105	37,353	39,684	उ. न.
		वसूली कार्य (माँग का प्रतिशत)	83	86	87	उ. न.
		ऋण-जमा अनुपात	79	84	88	उ. न.
3.	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)	संख्या	365	367	366	उ. न.
		स्वाधिकृत निधि	17,052	20,499	23,450	उ. न.
		जमाराशि	79,153	82,129	87,532	उ. न.
		उधारराशि	20,256	22,575	24,217	उ. न.
		कार्यशील पूंजी	1,14,702	1,07,241	1,13,472	उ. न.
		जारी ऋण	58,708	67,899	73,583	उ. न.
		बकाया ऋण	67,152	73,125	79,202	उ. न.
		वसूली कार्य (माँग का प्रतिशत)	63	72	69	उ. न.
		ऋण-जमा अनुपात	85	89	91	उ. न.
4.	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)	संख्या	20	20	20	उ. न.
		स्वाधिकृत निधि	4,403	3,376	3,352	उ. न.
		जमाराशि #	524	636	636	उ. न.
		उधारराशि	16,933	17,182	17,075	उ. न.
		कार्यशील पूंजी	22,038	23,229	23,655	उ. न.
		जारी ऋण	2,837	3,291	2,907	उ. न.
		बकाया ऋण	16,263	17,403	17,713	उ. न.
		वसूली कार्य (माँग का प्रतिशत)	44	44	47	उ. न.
5.	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)	संख्या	768	727	696	उ. न.
		स्वाधिकृत निधि	3,856	3,116	3,380	उ. न.
		जमाराशि #	395	364	382	उ. न.
		उधारराशि	11,879	12,750	13,066	उ. न.
		कार्यशील पूंजी	15,812	16,689	16,856	उ. न.
		जारी ऋण	2,164	2,506	2,254	उ. न.
		बकाया ऋण	11,311	12,622	12,740	उ. न.
		वसूली कार्य (माँग का प्रतिशत)	44	54	48	उ. न.

अ : अनंतिम। उ.न. : उपलब्ध नहीं।

: एससीएआरडीबी की जमाराशियों में पीसीएआरडीबी से प्राप्त अग्रिम चुकौति शामिल हैं।

स्रोत : यूसीबी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं ग्रामीण को-ऑप. बैंकों के लिए नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.2: भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशाधीन कार्यरत शहरी सहकारी बैंक *(जारी)*

(31 मार्च 2007)

क्रम सं.	बैंक का केंद्रवार नाम	अर्थदंड की तारीख	क्या जमाराशि की चुकौती पर रोक लगी है (हां/नहीं)	क्या जमाराशि की वसूली पर रोक लगी है (हां/नहीं)
1	2	3	4	5
I.	**अहमदाबाद**			
1.	भावनगर मर्केंटाइल को-ऑप. बैंक लिमि.*	21.08.2004	हां	हां
2.	कुबेर को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.*	13.04.2004	कैप नहीं	हां
		25.09.2004	हां ~	-
3.	श्री जनता सहकारी बैंक लिमि., राधानपुर	08.04.2003	कैप नहीं	हां
		25.01.2005	हां ~	-
4.	तलोद जनता सहकारी बैंक लिमि., तलौद	05.02.2003	हां	हां
5.	यूनाइटेड मर्केंटाइल को-ऑप. बैंक लिमि., नडियाद***	10.10.2002	हां =	हां
		12.12.2004	हां •	-
6.	अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लिमि.*	03.12.2005	हां	हां
7.	बोरसद नागरिक सहकारी बैंक लिमि.*	18.05.2006	हां	हां
8.	भरूच नागरिक सहकारी बैंक लिमि.	12.07.2006	हां	हां
9.	श्री वर्धमान को-ऑप. बैंक लिमि.	21.11.2006	हां	हां
10.	डाकोर नागरिक सहकाीर बैंक लिमि., डाकोर	11.01.2007	हां	हां
II.	**बंगलूर**			
1.	बेडकीहल अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., बेडकीहल	30.04.2002	हां	हां
2.	हिरियुर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., हिरियुर	28.06.2003	हां	हां
3.	महालिंगपुर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., महालिंगपुर	31.10.2003	हां	हां
4.	एस.एस.के. को-ऑप. बैंक लिमि., हुबली	24.12.2003	हां	हां
5.	मराठा को-ऑप. बैंक लिमि. हुबली	03.02.2004	हां	हां
6.	दि. अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि. सिद्दापुर (नॉर्थ कनरा)	12.01.2005	हां	हां
7.	वर्धमान को-ऑप. बैंक लिमि., हुबली	12.02.2005	हां	हां
8.	हिरेकेरूर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., हिरेकेरूर	26.02.2005	हां	हां
9.	रबकवि अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., रबकवि	05.03.2005	हां	हां
10.	रायचूर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., रायचूर	14.07.2005	हां	हां
11.	लक्ष्मेश्वर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., लक्ष्मेश्वर	16.11.2005	हां	हां
12.	कित्तूर राणी चेन्नमा अर्बन को-ऑप.बैंक लिमि, हुबली	22.07.2006	हां	हां
13.	कटकोल अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., कटकोल	09.08.2006	हां	हां
14.	महालक्ष्मी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., धारवाड़	13.10.2006	हां	हां
III.	**भोपाल**			
1.	सिटिजन को-ऑप.बैंक लिमि., बुरहानपुर		हां	हां
2.	हिंदू एनएसबी, इंदौर		हां	हां
3.	एनएसबी, छिंदवाड़ा		हां	हां
4.	सुविधा महिला एनएसबी, होशंगाबाद		हां	हां
IV.	**भुवनेश्वर**			
1.	यूसीबी लि. भुवनेश्वर	22.01.2004	हां	हां
2.	छतरपुर को-ऑप. बैंक	06.07.2004	नहीं	हां (मीयादी जमा)
V.	**चंडीगढ़**			
1.	मंडी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	27.10.2004	हां	हां
VI.	**चेन्नै**	**शून्य**		
VII.	**देहरादून**	**शून्य**		
VIII.	**गुवाहाटी**			
1.	मिजोरम अर्बन को-ऑप., डेवलपमेंट बैंक लिमि.	18.11.2004	हां	हां
IX.	**हैदराबाद**			
1.	वसावी अर्बन को-ऑप बैंक लिमि.	07.03.2003	हां	हां
2.	बोबली अर्बन को-ऑप बैंक लिमि.	27.01.2004	हां	हां
3.	श्री कलाइस्ती को-ऑप टाऊन बैंक लिमि.	29.01.2004	हां	हां
4.	पालकोल अर्बन को-ऑप बैंक लिमि.	12.02.2004	हां	हां
5.	चित्तूर को-ऑप टाऊन बैंक लिमि.	23.09.2004	हां	हां
6.	भिमावरम अर्बन को-ऑप बैंक लिमि.	12.03.2005	हां	हां
7.	बालाजी अर्बन को-ऑप बैंक लिमि.	01.06.2006	हां	हां
8.	वीरशैव अर्बन को-ऑप बैंक लिमि. £	13.07.2006	नहीं	हां
X.	**जयपूर**			
1.	राजस्थान अर्बन को-ऑप बैंक लिमि.	30.08.2005	हां	हां
XI.	**जम्मू**	**शून्य**		
XII.	**कोलकाता**			
1.	बांत्रा को-ऑप बैंक लिमि.	12.11.2001	नहीं #	हां (बचत और चालू के अलावा)

परिशिष्ट सारणी IV.2: भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशाधीन कार्यरत शहरी सहकारी बैंक *(समाप्त)*

(31 मार्च 2007 को)

क्रम सं.	बैंक का केंद्रवार नाम	अर्थदंड की तारीख	क्या जमाराशि की चुकौती पर रोक लगी है (हां/नहीं)	क्या जमाराशि की वसूली पर रोक लगी है (हां/नहीं)
1	2	3	4	5
2.	राहुता युनियन को-ऑप बैंक लिमि.	04.05.2002	नहीं	हां (बचत और चालू के अलावा)
		को संशोधित 04.10.2006	हां	हां
3.	बेली को-ऑप बैंक लिमि.	14.11.2006	हां ~	हां
4.	कसुंदिया को-ऑप बैंक लिमि.	17.01.2007	नहीं #	हां
XIII.	**लखनऊ**			
1.	मानसरोवर अर्बन को-ऑप बैंक लिमि., लखनऊ	24.12.1997	नहीं	हां
2.	गाजियावाद अर्बन को-ऑप बैंक लिमि., गाजियाबाद	16.06.2004	हां	हां
3.	मर्केंटाइल अर्बन को-ऑप बैंक लिमि., मेरठ	14.02.2005	हां	हां
XIV.	**मुंबई**			
1.	बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑप बैंक लिमि., मुंबई	26.09.2002	नहीं	नहीं
		12.11.2002	-	-
2.	मापुसा अर्बन को-ऑप बैंक लिमि., गोवा	16.08.2002	हां	हां
3.	दि साऊथ इंडियन को-ऑप बैंक लिमि., मुंबई	09.08.2004	हां	हां
4.	केअर अर्बन को-ऑप बैंक लिमि., मुंबई	14.03.2005	हां	हां
5.	कृष्णा वल्ली को-ऑप बैंक लिमि., सांगली	20.12.2003	हां	हां
6.	देवयानी सहकारी बैंक लिमि., कोपरगांव	21.04.2006	हां	हां
7.	श्री बाळासाहेब सातभाई मर्चेंट को-ऑप बैंक लिमि., कोपरगांव, अहमदनगर	06.10.2004	हां	हां
8.	नासिक पीपल्स को-ऑप बैंक लिमि., नासिक	04.06.2004	हां	हां
		23.06.2004	हां	हां
9.	यशवंत सहकारी बैंक लिमि., फलटन, सातारा	01.04.2001	नहीं	नहीं
10.	लक्ष्मी-विष्णु सहकारी बैंक लिमि., इचलकरंजी	27.03.2006	हां	हां
11.	शाहुपुरी नागरी सहकारी बैंक लिमि., सातारा	03.11.2005	हां	हां
12.	अन्नासाहेब काराले जनता सहकारी बैंक लिमि., सांगली	06.10.2006	हां	हां
13.	मिरज अर्बन सहकारी बैंक लिमि.	28.10.2006	हां	हां
14.	परिवर्तन को-ऑप बैंक लिमि., मुंबई	27.10.2006	हां	हां
15.	श्री सुवर्णा सहकारी बैंक लिमि., पुणे	14.09.2006	हां	हां
XV.	**नागपुर**			
1.	दि नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लिमि., नागपुर	20.09.2004	हां ~	हां
2.	सिंहगड़ अर्बन को. ऑप. बैंक लिमि., पाथरी (^ ^)	01.11.2004	हां + +	हां
3.	संत जनाबाई नागरी सहकारी बैंक लिमि., गंगाखेड	09.03.2005	हां ~	हां
4.	संजीवनी अर्बन को. ऑप. बैंक लिमि., परभणी	30.12.2005	हां ~	हां
5.	सुवर्ण नागरी सहकारी बैंक लिमि., परभणी	26.04.2006	हां ~	हां
6.	प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक लिमि., लातूर	05.05.2006	हां + +	हां
7.	जिजामाता महिला नागरी सहकारी बैंक लिमि. सैलू	11.05.2006	हां + +	हां
8.	चेतक अर्बन को-ऑप बैंक लिमि., परभणी ($$)	27.07.2006	हां ~	हां
9.	समता सहकारी बैंक लिमि., नागपुर	04.08.2006	हां ~	हां
XVI.	**नई दिल्ली**	**शून्य**		
XVII.	**पटना**	**शून्य**		
XVIII.	**रायपूर**			
1.	भिलाई नागरीक सहकारी बैंक, भिलाई	05.09.2006	हां	हां
XIX.	**तिरुवंतपुरंम**	**शून्य**		

* : प्रशासक के नियंत्रण में
** : निदेशनों को हटाया गया हैं और धारा 36 (1) के अंतर्गत परिचालनगत अनुदेशों को 19.09.2006 के कारोबार समाप्ति पर जारी किया गया हैं।
*** : केंद्रीय कार्यालय ने निदेशों को परिशोधित किया हैं।
$$: यूसीबी का लाइसेंस मई 2007 से रद्द किया गया है।
^ ^ : यूसीबी का वैद्यनाथ यूसीबी, परली वैजनाथ में जुलाई 2007 विलय किया गया हैं।
£ : वीरशैव अर्बन को-ऑप बैंक लिमि. का अग्रासेन अर्बन को-ऑप बैंक लिमि. में 18 जुलाई 2007 विलय किया गया हैं।
: जमाराशियों के मुदतपुर्व आहरण पर निर्बंध लगाये हैं।
\+ : 100 रुपए से अधिक।
\+ + : 500 रुपए से अधिक।
~ : 1,000 रुपए से अधिक।
= : 10,000 रुपए से अधिक।
• : 20,000 रुपए से अधिक।

परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंक *(जारी)*
(31 मार्च 2007 को)

क्रम सं.	शहरी को-ऑप. बैंक का केंद्रवार नाम	भा.रि.बैंक द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
I.	**अहमदाबाद**			
1.	अपेक्स को-ऑप बैंक लिमि., अहमदाबाद			
2.	भरूच तालुका टीचर्स और डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड, बैंक लिमि., जादेश्वर	#		
3.	भिलोदा नागरिक सहकारी बैंक लिमि., भिलोदा	#		
4.	हरिसिद्ध को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		कें.का. के 11.05.1999 के पत्र द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत किया	29.04.2000
5.	पालना को-ऑप. बैंक लिमि., पालना	21.02.2003		28.02.2003
6.	पालिताना नागरिक सहकारी बैंक लिमि., पालिताना		परिसमापन की प्रक्रिया 1983 में समाप्त हुई	
7.	राजकोट मर्केंटाइल को-ऑप. बैंक लिमि.	पुर्नजीवन प्रस्ताव कें.का.को भेज दिया। लाईसेंस 01.11.2004 को रद्द किया।		19.09.2005
8.	रीलिफ मर्केंटाइल को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		कें.का. के 06.05.1999 के पत्र द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत किया	22.05.2000
9.	सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लिमि., सामी	21.07.1999		20.08.1999
10.	संतराम को-ऑप. बैंक लिमि., नडियाद		02.06.2003	02.06.2003
11.	सरदार नागरिक सहकारी बैंक लिमि.			07.05.2001
12.	श्री भाग्यलक्ष्मी को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	09.11.2000		05.02.2001
13.	श्री लक्ष्मी को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		बिना लाईसेंस बैंक परिसमापन के अधिन (18.10.2001)	18.10.2001
14.	श्री वेरावल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लिमि., वेरावल	01.08.2000		
15.	श्री धांगद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमि., धांगद्रा		पंजीकरण रद्द	
16.	श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमि., जामनगर		लाईसेंस आवेदन अस्वीकृत (27.12.2002)	21.07.2004
17.	श्री सर्वोदय को. ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		कें.का. के 10.04.1999 के पत्र द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत किया	15.04.1999
18.	श्री वाधवान विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लिमि., वाधवान		पंजीकरण रद्द	
19.	सुप्रभात को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		कें.का. के 27.02.1999 के पत्र द्वारा लाइसेंस आवेदन नकारा गया	27.02.1999
20.	दि अहमदाबाद महिला नागरी सहकारी बैंक लिमि., अहमदाबाद	05.03.2002		05.03.2002
21.	दि अहमदाबाद अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	27.12.2001		
22.	दि भावनगर वेलफेअर को-ऑप. बैंक लिमि., भावनगर		02.06.2003	02.06.2003
23.	दि चारोतार नागरिक सहकारी बैंक लिमि., आनंद		28.07.2003	28.07.2003
24.	दि इल्लोसब्रिज को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		29.04.2000	26.04.1999
25.	दि जनरल को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		02.06.2003	02.06.2003
26.	दि जनता कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमि., ढ़ोलका		02.06.2003	02.06.2003
27.	दि मजूर सहकारी बैंक लिमि., अहमदाबाद		लाईसेंस आवेदन अस्वीकृत (06.02.2002)	11.02.2002
28.	दि नायक मर्केंटाइल को-ऑप. बैंक लिमि.		14.08.2003	14.08.2003

परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंक *(जारी)*
(31 मार्च 2007 को)

क्रम सं.	शहरी को-ऑप. बैंक का केंद्रवार नाम	भा.रि.बैंक द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
29.	दि सहयोग को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	20.10.2000		05.03.2001
30.	दि विकास को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	26.04.2001		11.05.2001
31.	दि विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., विसनगर		11.7.2003	11.07.2003
32.	यूनाइटेड मर्कंटाइल को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		पुर्नजीवन प्रस्ताव पत्राचार के अधीन। लाईसेंस जारी करने के लिए कोर्ट केस - जीएचसी एससीए क्र. 2162 /2001	
33.	वेरावल रत्नाकर को-ऑप. बैंक लिमि., वेरावल	29.01.2000		10.04.2000
34.	पेतलाद नागरिक सहकारी बैंक लिमि., पेतलाद	13.03.2004		28.10.2004
35.	बडोदा पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि., बडोदा	22.05.2004		27.05.2004
36.	उज्जावर को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	04.06.2004		04.06.2004
37.	क्लासिक को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	21.06.2004		21.06.2004
38.	को-ऑप. बैंक ऑफ उमरेथ लिमि., उमरेथ	21.06.2004		21.06.2004
39.	डायमंड ज्यूबली को-ऑप. बैंक लिमि., सूरत	23.06.2004		23.06.2004
40.	मातार नागरिक सहकारी बैंक लिमि., मातार : खेडा	21.06.2004		21.06.2004
41.	पटनी को-ऑप. बैंक लिमि., बडोदा	27.07.2004		02.08.2004
42.	सूर्यापूर को-ऑप. बैंक लिमि., सूरत	17.08.2004		19.08.2004
43.	पेतलाद कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमि., पेतलाद	24.08.2004		26.08.2004
44.	श्री विकास को-ऑप. बैंक लिमि., सूरत	01.09.2004		01.09.2004
45.	साबरमती को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	01.09.2004		03.09.2004
46.	नड़ियाद मर्कंटाइल को-ऑप. बैंक लिमि., नदियाद	15.09.2004		16.09.2004
47.	श्री विठ्ठल को-ऑप. बैंक लिमि., देहगाम	21.09.2004		22.09.2004
48.	प्रगति को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	21.09.2004		21.09.2004
49.	सुनव नागरिक सहकारी बैंक लिमि., सुनव	29.09.2004		29.09.2004
50.	टेक्सटाइल प्रोसेसर को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		08.11.2004	16.11.2004
51.	नवसारी पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि., नवसारी	08.11.2004		04.08.2005
52.	शेठ बी.बी श्राफ बलसाड़ पीपल्स को-ऑप बैंक लिमि. बलसाड	11.11.2004		17.08.2005
53.	श्रीनाथजी को-ऑप. बैंक लिमि., नडियाद	06.12.2004		06.12.2004
54.	रॉयल को-ऑप. बैंक लिमि., सूरत	02.06.2005		08.06.2005
55.	श्री स्वामीनारायण को-ऑप.बैंक लिमि., वडोदरा	02.06.2005		08.06.2005
56.	सेंचुरी को-ऑप. बैंक लिमि., सूरत	07.06.2005		10.06.2005
57.	श्री विट्राग को-ऑप. बैंक लिमि., सूरत	06.09.2005		07.09.2005
58.	मेट्रो को-ऑप. बैंक लिमि.	16.09.2005		19.09.2005
59.	आनंद पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि.	26.10.2005		27.10.2005
60.	नातपुर को-ऑप. बैंक लिमि.	22.11.2005		23.11.2005
61.	जनता को-ऑप. बैंक लिमि., नड़ियाद	09.12.2005		12.12.2005
62.	धनसुरा पिपल्स को-ऑप. बैंक लिमि., धनसुरा	15.02.2006		16.02.2006
63.	दाभोई नागरिक को-ऑप. बैंक लिमि.	08.03.2006		08.03.2006
64.	बड़ोदा मर्कंटाइल को-ऑप बैंक लिमि.	16.05.2006		
65.	सिंध मर्कंटाइल को-ऑप बैंक लिमि.	29.11.2006		

परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंक *(जारी)*
(31 मार्च 2007 को)

क्रम सं.	शहरी को-ऑप. बैंक का केंद्रवार नाम	भा.रि.बैंक द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
66.	करमसद अर्बन को-ऑप बैंक लिमि.	09.12.2006		
67.	राजकोट महिला नागरिक को-ऑप. बैंक लिमि.	31.01.2007		
68.	सर्वोदय नागरिक को-ऑप. बैंक लिमि.	06.02.2007		
69.	आदर्श महिला को-ऑप बैंक लिमि.	15.02.2007		
70.	उमरेथ पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि. उमरेथ		कें.का. के 28.02.1999 के पत्र द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत किया और 06.03.2007 को बैंक पर लागू किया।	
71.	आनंद अर्बन को-ऑप बैंक लिमि.	20.03.2007 के स्पष्ट आदेश के अनुसार 27.03.2007 को लाईसेंस रद्द किया।		
II.	**बंगलूर**			
1.	राबर्टसोनपेट को-ऑप. सोसायटी लिमि., राबर्टसोनपेट	बिना लाइसेंस	10.01.1972	10.01.1972
2.	हुबली मुस्लिम को-ऑ. बैंक लिमि., हुबली	14.05.1976	उ.न.	11.10.1976
3.	रॉन अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., रॉन	बिना लाइसेंस	27.11.1976	27.11.1976
4.	रामदुर्ग अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., रामदुर्ग	22.04.1981	उ.न.	22.04.1981
5.	आदर्श को-ऑप. बैंक लिमि., मैसूर	बिना लाइसेंस	28.01.1985	28.01.1985
6.	गदग अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., गदग	27.05.1985	उ.न.	27.05.1985
7.	श्री फकिरेश्वरा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.,शिरहट्टी	बिना लाइसेंस	18.04.1988	18.04.1988
8.	मणिहल अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., मणिहल	19.11.1987	उ.न.	24.07.1987
9.	मुंदर्गी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., मुंदर्गी	18.04.1988	उ.न.	18.04.1988
10.	मनोली श्री पंचलिंगेश्वरा अर्बन को-ऑप.बैंक लिमि.	28.05.1991	उ.न.	28.05.1981
11.	बेल्लाट्टी अर्बन को-ऑप.बैंक लिमि., बेल्लाट्टी	बिना लाइसेंस	28.05.1991	05.10.1993
12.	बिजापुर इंडस्ट्रियल को-ऑप. बैंक लि, बागलकोट	बिना लाइसेंस	08.02.1994	30.08.1994
13.	धारवाड़ इंडस्ट्रियल को-ऑप. बैंक लिमि., हुबली	बिना लाइसेंस	31.08.1994	31.08.1994
14.	श्री चामराजा को-ऑप. बैंक लिमि., चामराजा	25.03.1994	उ.न.	16.05.1995
15.	कर्नाटक कुरुबारा को-ऑप.क्रेडिट बैंक लि.,गदग	बिना लाइसेंस	17.06.1995	17.06.1995
16.	बनिक्पो अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., बनिक्पो	बिना लाइसेंस	19.06.1995	19.06.1995
17.	श्रीरामपुरा को-ऑप. बैंक लिमि., बंगलूर	बिना लाइसेंस	26.03.1996	26.03.1996
18.	हुबली धारवाड को-ऑप. बैंक लिमि., हुबली	24.11.1999	उ.न.	04.12.1999
19.	नवोदय सहकारी बैंक लिमि., बंगलूर	16.03.2000	उ.न.	18.03.2000
20.	ज्योतिर्लिंग सहकारी बैंक नियमिता जालागेरी	12.09.2000	उ.न.	28.09.2000
21.	गुलबर्गा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	बिना लाइसेंस	01.11.2002	01.11.2002
22.	श्री मौनेश्वर को-ऑप. बैंक लिमि.	23.04.2003	उ.न.	23.04.2003
23.	रायबाग अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	बिना लाइसेंस	24.09.2003	14.07.2004
24.	कावेरी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	11.02.2004	उ.न.	11.02.2004
25.	कर्नाटक कॉन्ट्रॅक्टर को-ऑप. बैंक लिमि., बंगलूर	12.02.2004	उ.न.	02.06.2004
26.	ओनाके आबवा महिला को.ऑप. बैंक लिमि., चित्रदुर्ग	13.05.2006	उ.न.	17.05.2006
27.	बंगलूर मर्केंटाइल को-ऑप.बैंक लिमि., बंगलूर	23.06.2006	उ.न.	30.06.2006

परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंक *(जारी)*

(31 मार्च 2007 को)

क्रम सं.	शहरी को-ऑप. बैंक का केंद्रवार नाम	भा.रि.बैंक द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
28.	श्री संपिगे सिध्देश्वर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि. चित्रदुर्ग	26.07.2006	उ.न.	31.07.2006
29.	चालकेरी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि. चालकेरी	01.08.2006	उ.न.	07.08.2006
30.	हरूगेरी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., हरूगेरी	22.01.2007	उ.न.	06.02.2007
31.	श्री कमलेश्वर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., गदग	28.02.2007	उ.न.	27.03.2007
32.	श्री बसवकल्यान अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि, बिदर	05.03.2007	उ.न.	22.03.2007
III.	**भोपाल**			
1.	सिटीजन को-ऑप. बैंक लिमि., दामोह	16.09.2003	08.12.2003	05.12.2003
2.	सिटीजन अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., इंदौर	23.04.1993	26.04.1993	26.04.1993
3.	दतिया नागरिक सहकारी बैंक लिमि., दतिया	15.05.2002	26.06.2002	26.06.2002
4.	जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमि., जबलपुर	09.12.1999	05.06.2000	05.06.2000
5.	जनता सहकारी बैंक लिमि., देवस	14.03.2004	30.04.2002	30.04.2002
6.	महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लिमि., इंदौर	21.09.2004	14.07.2005	06.10.2004
7.	महिला नागरिक को-ऑप. बैंक लिमि., खारगोने	24.04.2006	25.05.2006	25.05.2006
8.	मंदसौर कमर्शियल को-ऑप.बैंक मर्यादित, मंदसौर	12.12.2002	21.03.2003	21.03.2003
9.	मित्र मंडल सहकारी बैंक लिमि., इंदौर	18.06.2004	11.10.2004	03.07.2004
10.	नागरिक सहकारी बैंक लिमि., झाबुआ	–	28.11.1973	10.06.1971
11.	सागर नागरिक सहकारी बैंक लिमि., सागर	07.07.99	21.12.1999	21.12.1999
12.	नागरी सहकारी बैंक, रतलाम	25.11.05	24.01.2006	24.01.2006
13.	संस्कारधाणी महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमि., जबलपुर	27.08.04	01.12.2004	17.09.2004
14.	सर्वोदय महिला को. ऑप बैंक लिमि., बुरहानपुर	09.11.05	20.12.2006	20.12.2006
15.	श्री को-ऑप. बैंक लिमि., इंदौर	10.02.04	28.02.2004	28.02.2004
IV.	**भुवनेश्वर**			
1.	दि राऊरकेला अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	जारी नहीं	–	Sep. 1969
2.	दि भांजनगर अर्बन को-ऑप.बैंक लिमि.	16.07.1999	–	20.05.2003
3.	दि अश्क को-ऑप अर्बन बैंक लिमि.	13.03.2000	–	06.03.2002
4.	दि रायगड़ अर्बन को-ऑप.बैंक लिमि.	जारी नहीं	–	07.03.1983
5.	दि भुवनेश्वर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	05.11.1969	–	05.11.1969
6.	दि कटक अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	जारी नहीं	–	23.10.1989
V.	**चंडीगढ़**			
1.	दि यमुनानगर यूसीबी लिमि.	बिना लाइसेंस	13.08.2002	14.08.2002
VI.	**चेन्नै**			
1.	थेनी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	बिना लाइसेंस	23.05.2002	24.12.2002
2.	तिरुवन्यैकोविल को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	बिना लाइसेंस	20.05.2002	24.12.2002
3.	मदुराई अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	22.08.2003	जारी नहीं	07.01.2005
4.	कोटगिरी को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	बिना लाइसेंस	09.11.2005	18.11.2005
VII.	**देहरादून**			
1.	अर्बन को-ऑप.लिमि.,टेहरी	30.03.2002	उ.न.	19.04.2002

परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंक *(जारी)*
(31 मार्च 2007 को)

क्रम सं.	शहरी को-ऑप. बैंक का केंद्रवार नाम	भा.रि.बैंक द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
VIII.	**गुवाहटी**			
1.	मणिपुर इंडस्ट्रियल को-ऑप.बैंक लिमि., इंफाल	25.09.1999	शून्य	शून्य
2.	गुवाहटी को-ऑप. टाउन बैंक लिमि.,गुवाहटी	08.12.1999	शून्य	07.06.2000
3.	अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., दीमापुर	07.02.2000	शून्य	21.03.2006
4.	सिलचर को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि., सिलचर	शून्य	16.02.2000	शून्य
5.	लम्का अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., सीसीपुर	25.02.2003	शून्य	18.05.2005
6.	नागांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., नागांव	24.06.2004	शून्य	17.02.2006
7.	अर्बन इंडस्ट्रिअल को-ऑप. बैंक लिमि., दिब्रूगढ़	07.11.2006	शून्य	28.03.2007
IX.	**हैदराबाद**			
1.	भाग्यनगर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	18.07.2000	18.07.2000	
2.	कृषि अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	16.10.2001	16.11.2001	
3.	फर्स्ट सिटी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	05.04.2002	18.04.2002	
4.	श्रव्या अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	30.05.2002	30.05.2002	
5.	आर्यन अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	15.01.2002	05.09.2002	
6.	मेगासिटी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	02.08.2002	13.09.2002	
7.	सितारा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	06.09.2001	24.10.2002	
8.	मदर टेरेसा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	14.10.2002	19.12.2002	
9.	मणिकांता अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	07.07.2003	30.04.2003	
10.	विजया महिला अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	20.01.2004	28.01.2004	
11.	कल्याण अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	13.01.2001	16.02.2004	
12.	साई अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	01.06.2004	14.06.2004	
13.	श्री सत्य साई अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	19.06.2004	07.01.2005	
14.	प्रूडेंसियल अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	03.11.2004	07.12.2004	
15.	नरसा राजपेट अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	24.05.2003	16.09.2003	
16.	कोलूर पार्वती अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	–	16.04.1980	
17.	गुडुर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	–	28.12.1998	
18.	श्री लक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	01.07.2000	09.10.2000	
19.	प्रजा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि..	01.07.2002	28.08.2002	
20.	जवाहर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	08.05.2002	23.10.2002	
21.	स्टार अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	27.12.2002	19.04.2003	
22.	वसुंधरा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	09.02.2003	24.10.2003	
23.	ट्रिनिटी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	05.12.2003	18.12.2003	
24.	महालक्ष्मी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	12.01.2004	19.01.2004	
25.	नीलगिरी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	26.09.2003	06.10.2003	
26.	निजामाबाद टाऊन बैंक अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	16.09.1999	25.07.2002	
27.	निजामाबाद महिला अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	–	24.01.2005	
28.	आरमोर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	26.08.2002	01.10.2002	
29.	ग्रेटर तेलंगाना अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	अनापत्ती 09.11.2004 को जारी किया।	03.12.2004	
30.	बेल्लामपल्ली अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	04.08.2004	10.08.2004	

परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंक *(जारी)*
(31 मार्च 2007 को)

क्रम सं.	शहरी को-ऑप. बैंक का केंद्रवार नाम	भा.रि.बैंक द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
31.	वसुंधरा महिला अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	अनापत्ती जारी किया।	07.05.2005	
32.	राजमपेट अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	लाइसेंस 03.07.2002 को निरस्त किया।	30.07.2002	
33.	कुरनोल अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	08.03.2001	27.02.2002	
34.	श्री स्वामी ज्ञानांद योगेश्वर महिला अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	23.02.2004	06.03.2004	
35.	हिंदुपुर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.***	09.06.1981 ***	31.05.1989 ***	
36.	चोडावरम अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	लाइसेंस को रिस्टोर करने का अनुरोध 22.06.2001 को अस्वीकृत किया।	24.09.2001	
37.	पिठापुरम अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	11.11.2002	01.07.2003	
38.	धाना अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	08.04.2003	16.04.2003	
39.	येलम्माचिल्ली अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	अंतिमतः बंद	08.04.2002	
40.	चिराला अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	अंतिमतः बंद		
41.	चिपुरीपल्ली अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि..	अंतिमतः बंद	11.12.1991	
42.	अंकपल्ली अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	अंतिमतः बंद	15.12.1997	
43.	गुरजाला वसावी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	अंतिमतः बंद	29.07.1987	
44.	श्री कृष्णा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	बंद		
45.	कन्यका परमेश्वरी म्युच्युअली एडेड को-ऑप बैंक लिमि.		16.08.2006	
46.	भारत मर्केंटाइल को-ऑप बैंक लिमि.		17.10.2006	
47.	हैदराबाद अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.*	*	मार्च. 2006	
X.	**जयपुर**			
1.	यूनियन कारपोरेशन यूसीबी लिमि., जयपुर	08.10.1976	शून्य	08.10.1976
2.	बांसवाड़ा यूसीबी लिमि., बांसवाड़ा	08.10.1976	शून्य	08.10.1976
3.	श्रीगंगानगर यूसीबी लिमि. श्रीगंगानगर	28.08.2004	शून्य	08.09.2004
4.	लोक विकास यूसीबी लिमि., जयपुर	28.09.2004	शून्य	11.10.2004
XI.	**जम्मू**		शून्य	
XII.	**कोलकाता**			
1.	प्रणबानंद को-ऑप. बैंक लिमि.		25.01.2001	06.08.2002
2.	द आसनसोल पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि.		12.08.1999	16.03.2004
3.	झारग्राम पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि.		05.08.2002	आरसीएस ने परिसमापन आदेश जारी नहीं किया।
XIII.	**लखनऊ**			
1.	हिंद अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., लखनऊ	बिना लाइसेंस	उ.न.	29.10.1986
2.	फिरोजाबाद अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., फिरोजाबाद	लाइसेंस निरस्त नहीं किया।	उ.न.	06.01.2000
3.	औध सहकारी बैंक लिमि., लखनऊ	बिना लाइसेंस	01.07.1999	15.02.2003
4.	फेडरल को-ऑप. बैंक लिमि., घाटमपुर,	25.08.2000	उ.न.	28.06.2002
5.	अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., इलाहाबाद	19.12.2001	उ.न.	24.08.2002
6.	इंडियन को-ऑप. डेवलपमेंट बैंक लिमि., मेरठ	08.06.2004	उ.न.	12.06.2004
7.	नागरीय सहकारी बैंक लिमि., वाराणसी	11.06.2004	उ.न.	28.06.2004
8.	सिटी को-ऑप. बैंक लिमि., लखनऊ	23.10.2004	उ.न.	04.10.2006

परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंक *(जारी)*

(31 मार्च 2007 को)

क्रम सं.	शहरी को-ऑप. बैंक का केंद्रवार नाम	भा.रि.बैंक द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
XIV.	**मुंबई**			
1.	मेट्रोपोलिटियन सीबीएल, मुंबई	19.06.1992	19.06.1992	20.06.1992
2.	चेतना सीबीएल, मुंबई	15.11.1994	15.11.1994	01.12.1994
3.	स्वस्तिक जनता एसबीएल, मुंबई	30.09.1994	30.09.1994	14.12.1994
4.	पीपल्स सीबीएल, इचलकरंजी	22.09.1994	22.09.1994	19.12.1994
5.	कोल्हापुर जिला जनता एसबीएल, मुंबई	20.10.1997	20.10.1997	20.12.1997
6.	मफतलाल इंजि.इएमपी. सीबीएल, मुंबई	05.03.2002	05.03.2002	31.03.2002
7.	त्रिमूर्ति एसबीएल, पुणे	07.08.1998	07.08.1998	09.09.1998
8.	विनकर एसबीएल, मुंबई	18.08.1998	18.08.1998	24.08.1998
9.	आवामी मर्केंटाइल सीबीएल, मुंबई	17.10.1998	17.10.1998	06.01.1999
10.	रविकिरण यूसीबीएल, मुंबई	27.11.1998	27.11.1998	15.01.1999
11.	इंदिरा एसबीएल, मुंबई	23.06.1999	23.06.1999	29.06.1999
12.	नंदगांव एमसीबीएल, नासिक	20.02.1999	20.02.1999	09.06.1999
13.	सिद्धार्थ एसबीएल, जलगांव	04.08.1999	04.08.1999	27.09.1999
14.	सोलापुर जिला महिला एसबीएल, सोलापुर	13.09.1999	13.09.1999	04.06.2000
15.	दादर जनता एसबीएल, मुंबई	16.12.1997	16.12.1997	26.02.1998
16.	इचलकरंजी कामगार नागरिक एसबीएल, कोल्हापुर	29.12.1999	29.12.1999	22.05.2000
17.	खेड यूसीबीएल, रत्नागिरी	21.06.2000	21.06.2000	13.10.2000
18.	मराठा मार्केट पीपल्स सीबीएल, मुंबई	15.05.2000	15.05.2000	14.08.2000
19.	मीरा भाईंदर सीबीएल, ठाणे	01.02.2001	01.02.2001	28.02.2002
20.	फ्रेंडस सीबीएल, मुंबई	20.07.2001	20.07.2001	08.08.2001
21.	वेस्टर्न सीबीएल, मुंबई	30.10.2001	30.10.2001	20.12.2001
22.	श्री आदिनाथ सीबीएल, पुणे	22.06.2002	22.06.2002	28.06.2002
23.	श्री लाभ सीबीएल, मुंबई	06.08.2002	06.08.2002	13.08.2002
24.	कलवा बेलापुर एसबीएल, नवी मुंबई	10.08.2002	10.08.2002	22.08.2002
25.	सेवालाल यूसीबीएल, सोलापुर	04.12.2002	04.12.2002	12.12.2002
26.	प्रतिभा महिला एसबीएल, जलगांव	25.02.2003	25.02.2003	04.03.2003
27.	यशवंत एसबीएल, मुंबई	04.02.2003	04.02.2003	07.03.2003
28.	सोलापुर मर्चेंट सीबीएल, सोलापुर	20.06.2003	20.06.2003	03.07.2003
29.	लार्ड बालाजी सीबीएल, सांगली	03.09.2004	03.09.2004	09.09.2004
30.	समस्तनगर सीबीएल, मुंबई	09.09.2004	09.09.2004	15.09.2004
31.	जय हिंद सीबीएल, मुंबई	28.10.2004	28.10.2004	03.01.2005
32.	रघुवंशी सीबीएल, मुंबई	17.03.2005	17.03.2005	19.03.2005
33.	इचलकरंजी जीवेश्वर एसबीएल, इचलकरंजी	29.05.2006	29.05.2006	02.06.2006
34.	श्रीराम सहकारी बैंक मर्यादित, नासिक	12.06.2006	12.06.2006	21.07.2006

परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंक *(समाप्त)*

(31 मार्च 2007 को)

क्रम सं.	शहरी को-ऑप. बैंक का केंद्रवार नाम	भा.रि.बैंक द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
XV.	**नागपुर**			
1.	अहिल्यादेवी महिला को-ऑप. बैंक लिमि., कलमनुरी, जिला- हिंगोली	14.01.2000	–	27.04.2000
2.	इंदिरा को-ऑप. बैंक लिमि., औरंगाबाद	24.05.2000	–	08.06.2000
3.	लातूर पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि., लातूर	20.09.2000	–	23.11.2000
4.	मा श्रद्धा महिला नागरी को-ऑप. बैंक, अकोला	21.08.2002	–	30.10.2002
5.	पतुर पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि., पतुर, जालना	02.12.2004	–	06.12.2004
6.	औरंगाबाद पीपल्स को-ऑप बैंक लिमि., औरंगाबाद	13.01.2005	–	15.01.2005
7.	दि परभणी पीपल को-ऑप. बैंक लिमि., परभणी	16.06.2006	–	17.06.2006
8.	पूर्णा नागरी को-ऑप. बैंक लिमि., पूर्णा, परभणी	01.07.2006	–	16.07.2006
XVI.	**नई दिल्ली**			
1.	दि परिषद को-ऑप. बैंक लिमि.	29.7.1999	–	16.08.1999
2.	दि फार्मर्स को-ऑप. बैंक लिमि.	–	07.02.2000	08.03.2000
3.	जय लक्ष्मी को-ऑप. बैंक लिमि.	15.10.2004	–	01.11.2004
XVII.	**पटना**			
1.	पटना यूसीबी लिमि.	15.04.1976	–	19.04.1976
2.	पीपल्स अर्बन-को-ऑप. बैंक लिमि., मुजफ्फरपुर	22.04.2002	–	27.05.2002
3.	दि बेगुसराय अर्बन डेवलपमेंट को-ऑप. बैंक लिमि.	22.04.2002	–	27.05.2002
4.	मधेपुरा अर्बन को-ऑप.डेवलपमेंट बैंक लिमि.	22.04.2002	–	27.05.2002
5.	नालंदा यूसीबी लिमि.	10.06.2002	–	22.07.2002
XVIII.	**रायपुर**			
1.	नागरिक सहकारी बैंक, धमतारी	15.07.2004	उ.न.	19.07.2004
2.	नागरिक कमर्शियल को-ऑप. बैंक, बिलासपुर	25.09.2000	उ.न.	15.11.2000
XIX.	**तिरुवनंतपुरम**			
1.	कुंदरा यूसीबी लिमि.	29.11.1990	–	28.04.1991
2.	पनुर यूसीबी लिमि.	26.09.1975	–	29.07.1976
3.	पुनलुर यूसीबी लिमि.	26.09.1975	–	30.12.1976

उ.न. : उपलब्ध नहीं।
\# : पंजीकरण रद्द किया।
*** : को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी में परिवर्तन ।
* : आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयने बंद के संबंधी स्थरात आदेश दिया।

परिशिष्ट सारणी IV.4: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(जारी)*

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	परिचालनगत लाभ		निवल लाभ		ब्याज आय	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.43	1.79	2.87	0.52	7.98	5.94
2.	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.06	2.85	0.55	0.61	6.34	7.26
3.	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-1.22	-9.84	-1.22	-9.84	4.79	3.99
4.	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.50	2.06	0.95	0.87	8.67	8.62
5.	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.22	2.56	1.98	1.67	8.00	8.07
6.	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	1.56	1.84	1.15	1.20	8.19	8.10
7.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	1.25	1.56	–	0.43	7.43	7.45
8.	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.21	–	0.03	–	3.27	3.34
9.	चारमीनार को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	-2.66	4.47	-2.66	4.47	0.21	9.39
10.	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.50	1.94	1.45	1.35	6.82	7.63
11.	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.94	4.92	1.16	1.17	7.09	6.73
12.	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	1.87	2.44	0.83	0.85	6.93	6.85
13.	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.70	0.74	0.63	0.43	7.53	7.24
14.	ग्रेटर बाँबे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.98	1.30	0.09	0.45	6.56	6.66
15.	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.52	0.61	–	0.17	7.78	7.67
16.	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.37	0.24	1.37	0.24	5.94	6.11
17.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.73	0.81	–	0.03	7.08	7.47
18.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड	-0.98	0.16	–	0.26	7.82	6.65
19.	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.42	1.49	0.25	0.13	8.15	7.46
20.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.40	0.95	1.57	0.35	6.64	7.03
21.	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड	2.64	1.87	–	1.25	5.35	5.94
22.	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.59	1.93	1.05	0.76	6.95	7.13
23.	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.53	0.58	0.20	0.24	6.63	6.81
24.	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	0.46	1.16	0.26	0.27	7.36	7.86
25.	माधवपुरा मर्केंटाईल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.02	3.58	4.99	3.57	1.52	1.57
26.	महानगर को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.09	0.87	–	0.41	7.48	7.38
27.	मांडवी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड*	0.73	–	0.26	–	7.57	–
28.	मापुसा अर्बन को.-ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड	0.65	2.35	0.65	3.44	6.11	9.86
29.	मेहसाना अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.63	0.98	0.69	0.85	9.27	7.76
30.	नगर अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	2.75	0.98	0.59	0.66	9.82	7.91
31.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	1.71	1.07	0.31	0.34	7.30	7.50
32.	नासिक मर्चेंट को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.04	1.91	1.07	0.69	7.87	7.31
33.	न्यू इंडिया को.-ऑप. बैंक लिमिटेड,	1.74	1.79	–	0.98	8.14	6.68
34.	नार्थ केनरा जी.एस.बी. को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.65	1.92	0.96	1.01	7.55	7.96
35.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	3.37	2.44	1.19	0.71	6.52	6.86
36.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.18	1.71	1.37	0.54	7.26	7.00
37.	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	0.83	0.72	0.11	0.13	13.79	8.59
38.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.22	1.42	–	0.72	8.82	8.21
39.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	0.66	0.85	0.56	0.56	5.43	5.70
40.	रुपी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	-0.77	0.11	-1.20	-1.33	4.52	4.72
41.	सांगली अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	-0.32	-0.28	–	–	7.22	8.32
42.	सारस्वत को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	0.40	1.44	0.01	1.11	1.33	4.69
43.	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.50	1.50	0.26	0.44	6.84	6.35
44.	शामराव विट्ठल को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.48	1.35	0.71	0.59	7.82	7.73
45.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड	0.31	0.29	-0.95	-2.11	7.36	6.77
46.	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.60	0.89	–	–	8.78	8.81
47.	सूरत पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.91	1.56	0.96	0.55	7.91	7.61
48.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	1.23	1.14	0.42	0.27	7.80	7.41
49.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.06	2.69	1.91	2.57	8.02	7.77
50.	अकोला- जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.81	1.14	0.29	0.12	7.71	7.36
51.	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.58	0.59	–	0.20	7.39	7.45
52.	खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	0.15	0.03	–	-0.63	7.51	7.39
53.	वसावी को.-ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	10.28	7.73	-4.20	7.68	14.50	10.43
54.	जोरास्ट्रियन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.81	1.38	0.65	0.33	7.60	7.54

परिशिष्ट सारणी IV.4: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(जारी)*

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	ब्याज व्यय		प्रावधान और आकस्मितताएं	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	9	10	11	12
1.	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.34	2.46	0.52	0.67
2.	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.90	2.82	1.51	1.38
3.	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.74	3.39	–	–
4.	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	4.50	4.14	0.55	0.76
5.	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.50	4.03	0.24	0.89
6.	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	4.33	4.14	0.40	0.16
7.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	5.30	4.65	0.77	1.13
8.	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.30	2.17	0.18	–
9.	चारमीनार को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	3.99	4.47	–	–
10.	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.03	3.93	0.05	0.05
11.	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	4.50	4.31	0.77	1.26
12.	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	3.93	3.55	1.04	1.11
13.	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.25	4.12	0.07	0.31
14.	ग्रेटर बॉबे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.68	4.58	0.89	0.83
15.	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.55	5.30	0.23	0.33
16.	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.31	4.35	–	–
17.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.99	5.09	0.61	0.64
18.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड	6.26	4.95	4.02	0.24
19.	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.52	4.85	1.17	1.36
20.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.88	4.95	0.29	–
21.	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड	2.86	3.16	0.84	0.14
22.	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	3.81	3.77	0.54	0.64
23.	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.42	4.70	0.33	0.34
24.	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.95	4.90	0.19	0.88
25.	माधवपुरा मर्केंटाईल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.00	1.82	–	–
26.	महानगर को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.92	3.89	0.14	0.46
27.	मांडवी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड*	4.98	–	0.45	–
28.	मापुसा अर्बन को.-ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड	4.29	5.73	–	–
29.	मेहसाना अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.73	5.07	0.93	–
30.	नगर अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.65	4.88	2.16	0.32
31.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.53	4.48	1.40	0.61
32.	नासिक मर्चेंट को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.72	3.48	1.97	1.21
33.	न्यू इंडिया को.-ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉंबे	3.88	3.45	0.25	0.56
34.	नार्थ केनरा जी.एस.बी. को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.89	4.74	0.47	0.19
35.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	3.65	3.72	2.18	1.35
36.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	3.33	3.06	0.48	1.00
37.	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	11.02	5.93	0.72	0.59
38.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.61	4.85	0.39	0.42
39.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.00	3.85	0.09	0.30
40.	रुपी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.13	3.57	0.39	1.39
41.	सांगली अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.40	5.53	0.58	0.39
42.	सारस्वत को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	0.89	3.11	0.07	0.12
43.	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.80	3.18	1.24	0.75
44.	शामराव विठ्ठल को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.67	4.73	0.77	0.26
45.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.36	4.93	1.26	2.40
46.	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	6.11	5.98	0.33	0.24
47.	सूरत पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.79	3.85	1.93	1.02
48.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	4.97	4.64	0.81	0.62
49.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.46	3.87	–	–
50.	अकोला- जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.64	5.10	0.53	0.84
51.	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.77	5.81	0.12	0.18
52.	खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.73	5.73	1.21	0.66
53.	वसावी को.-ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.70	1.70	14.40	–
54.	जोरास्ट्रियन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.57	4.49	1.15	1.05

परिशिष्ट सारणी IV.4: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(समाप्त)*

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	परिचालन गत व्यय		स्प्रेड	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	13	14	15	16
1.	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.60	4.47	4.64	3.47
2.	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.71	4.75	3.44	4.44
3.	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.41	14.23	1.05	0.60
4.	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	7.14	6.80	4.17	4.48
5.	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.11	5.84	3.51	4.04
6.	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	7.17	6.79	3.86	3.96
7.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	7.06	6.55	2.14	2.80
8.	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.41	3.81	0.97	1.17
9.	चारमीनार को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	4.80	4.97	-3.79	4.91
10.	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.67	5.90	2.79	3.69
11.	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	6.01	5.84	2.59	2.42
12.	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	5.59	5.23	3.00	3.30
13.	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.99	7.15	3.28	3.12
14.	ग्रेटर बॉंबे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.98	6.79	1.88	2.08
15.	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.78	7.32	2.23	2.38
16.	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.94	6.52	2.63	1.76
17.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	6.82	7.18	2.09	2.38
18.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड	9.05	7.30	1.56	1.69
19.	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	7.03	6.19	2.63	2.62
20.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	6.73	6.67	1.76	2.08
21.	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड	3.81	4.41	2.49	2.78
22.	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.89	5.76	3.14	3.36
23.	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	7.40	7.77	2.21	2.11
24.	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.44	7.20	2.41	2.96
25.	माधवपुरा मर्केंटाईल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.24	2.11	-0.48	-0.25
26.	महानगर को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.72	6.94	3.56	3.49
27.	मांडवी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड*	7.28	–	2.59	–
28.	मापुसा अर्बन को.-ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड	6.20	10.20	1.82	4.13
29.	मेहसाना अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.98	6.68	2.55	2.69
30.	नगर अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	8.01	7.36	4.18	3.03
31.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	7.10	7.19	2.77	3.02
32.	नासिक मर्चेंट को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.84	5.75	4.16	3.82
33.	न्यू इंडिया को.-ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉंबे	6.80	6.03	4.26	3.23
34.	नार्थ केनरा जी.एस.बी. को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.35	6.31	2.66	3.22
35.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	6.10	6.13	2.87	3.15
36.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.36	5.57	3.93	3.94
37.	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	13.17	8.15	2.78	2.66
38.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.92	7.13	3.21	3.37
39.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.11	5.11	1.43	1.85
40.	रुपी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.49	4.80	0.39	1.15
41.	सांगली अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	8.24	8.86	1.82	2.79
42.	सारस्वत को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.44	4.70	0.44	1.58
43.	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.63	5.12	3.04	3.17
44.	शामराव विट्ठल को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.89	6.82	3.15	3.00
45.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड	7.09	6.84	1.99	1.85
46.	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	8.45	8.38	2.67	2.84
47.	सूरत पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.96	6.40	4.11	3.76
48.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	7.03	6.73	2.83	2.77
49.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	6.47	5.60	3.56	3.90
50.	अकोला- जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	7.35	6.75	2.06	2.26
51.	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	7.22	7.31	1.62	1.64
52.	खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.81	7.69	1.78	1.66
53.	वसावी को.-ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	4.23	3.58	11.80	8.72
54.	जोरास्ट्रियन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.01	6.36	3.04	3.05

* : मार्च 2007 से सारस्वत को-ऑप. बैंक में विलय।
आंकडें अनंतिम हैं।
- : शून्य / नगण्य

परिशिष्ट सारणी IV.5: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के चुनिंदा संकेतक

(मार्च 2007 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	सीआरए आर (प्रतिशत)	निवल ब्याज आय कार्यशील निधि की तुलना में (प्रतिशत)	ब्याज रहित आय कार्यशील निधि की तुलना मे (प्रतिशत)	परिचालन लाभ कार्यशील निधि की तुलना मे (प्रतिशत)	परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	जमाराशियों का औसत मूल्य (प्रतिशत प्रति वर्ष)	कारोबार प्रति कर्मचारी (लाख रुपए)	लाभ प्रति कर्मचारी (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	24.00	3.58	0.49	1.84	0.52	1.06	241.73	1.14
2.	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	78.25	4.69	0.35	3.01	0.61	5.13	164.68	1.30
3.	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-19.16	0.70	0.46	-11.40	–	5.17	131.22	–
4.	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	38.94	4.68	0.58	2.15	0.87	5.77	156.81	1.19
5.	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	30.11	4.04	0.32	2.56	1.67	5.02	443.07	5.74
6.	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	17.42	4.09	0.46	1.91	1.20	5.05	374.20	3.25
7.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	11.09	3.00	0.71	1.67	0.43	5.78	223.12	0.75
8.	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-14.68	2.04	0.71	–	–	4.14	114.06	–
9.	चारमीनार को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	-73.24	–	–	–	4.47	9.25	464.43	20.01
10.	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	17.87	3.79	0.39	1.99	1.35	4.37	308.84	3.46
11.	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	12.37	2.54	4.21	5.16	1.17	5.21	427.37	3.84
12.	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	14.97	3.54	0.58	2.62	0.85	4.59	336.13	2.23
13.	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	17.15	3.31	0.69	0.79	0.43	5.19	219.93	0.81
14.	ग्रेटर बॉंबे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	18.85	2.25	0.89	1.40	0.45	6.05	263.75	1.08
15.	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	12.74	2.47	0.30	0.64	0.17	6.20	204.15	0.26
16.	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	16.51	1.76	0.65	0.24	0.24	4.96	209.48	0.41
17.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	11.61	2.58	0.58	0.88	0.03	6.30	170.64	0.03
18.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड	-4.95	1.75	0.85	0.17	0.26	5.81	324.09	0.58
19.	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	16.70	3.13	0.26	1.77	0.13	7.54	100.89	0.12
20.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, Pune.	-3.61	2.12	0.58	0.96	0.35	5.57	311.79	0.74
21.	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड	56.17	2.79	0.34	1.88	1.25	5.92	289.07	4.59
22.	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	14.71	3.57	0.60	2.05	0.76	4.85	298.39	1.70
23.	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	10.94	2.13	1.53	0.59	0.24	5.03	185.14	0.38
24.	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	10.56	3.05	0.42	1.19	0.27	5.65	181.69	0.34
25.	माधवपुरा मर्केंटाईल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	-1085.56	-0.30	4.98	4.33	3.57	3.70	2423.18	80.21
26.	महानगर को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	15.56	3.78	0.47	0.95	0.41	4.95	211.21	0.70
27.	मापुसा अर्बन को.-ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड	-125.01	5.23	3.40	2.97	3.44	5.93	118.35	3.36
28.	मेहसाना अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	18.45	2.71	0.44	0.98	0.85	7.01	340.55	2.39
29.	नगर अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	13.31	3.28	0.47	1.06	0.66	6.44	189.22	1.01
30.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	13.62	3.10	0.70	1.10	0.34	5.40	171.65	0.43
31.	नासिक मर्चेंट को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	35.95	4.24	0.39	2.12	0.69	5.43	106.54	0.79
32.	न्यू इंडिया को.-ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉंबे	29.23	3.24	1.14	1.80	0.98	4.94	261.59	2.61
33.	नार्थ केनरा जी.एस.बी. को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	13.08	3.28	0.84	1.96	1.01	5.42	450.81	3.27
34.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	43.01	3.15	1.71	2.44	0.71	5.06	207.61	1.44
35.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	23.90	3.95	0.29	1.72	0.54	3.77	250.68	1.14
36.	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	11.74	2.80	0.29	0.76	0.13	7.17	155.89	0.15
37.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	15.77	3.43	0.27	1.45	0.72	5.68	336.10	1.67
38.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	27.62	2.33	0.33	1.07	0.56	6.62	290.79	1.78
39.	रुपी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	-85.28	1.83	0.29	0.17	-1.33	6.00	208.47	-2.85
40.	सांगली अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.10	3.20	1.45	-0.32	–	7.05	75.23	–
41.	सारस्वत को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	11.37	1.84	0.63	1.69	1.11	4.21	683.78	6.19
42.	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	37.61	3.63	0.31	1.72	0.44	5.11	193.75	0.92
43.	शामराव विट्ठल को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	11.61	3.45	0.43	1.55	0.59	5.68	553.90	2.34
44.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड	-5.20	2.19	0.42	0.35	-2.11	6.48	178.98	-3.31
45.	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	11.28	3.02	0.48	0.95	–	7.41	207.71	–
46.	सूरत पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	22.34	3.76	0.36	1.56	0.55	5.46	285.04	1.41
47.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	15.40	–	–	–	0.27	5.57	–	–
48.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	17.32	4.62	0.70	3.18	2.57	4.69	525.04	10.09
49.	अकोला- जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	9.82	2.36	0.55	1.19	0.12	6.14	194.28	0.16
50.	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	10.21	1.72	0.46	0.61	0.20	6.47	296.69	0.40
51.	खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.75	1.63	0.41	0.03	-0.63	7.04	153.06	-0.71
52.	वसावी को.-ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	-322.79	16.30	1.66	14.45	7.68	2.40	129.83	11.03
53.	जोरास्ट्रियन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	15.16	3.09	0.20	1.40	0.33	5.31	462.55	1.15

– : शून्य / नगण्य

टिप्पणी : आंकडें अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी IV.6: राज्य सहकारी बैंकों का राज्यवार कार्यकारी परिणाम

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम. सं.	राज्य	लाभ / हानि		कुल अनर्जक आस्तियां		बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		जून के अंत में वसूली (प्रतिशत)	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र	**131.61**	**147.12**	**210.87**	**232.21**	**2.99**	**2.97**	**97.93**	**98.35**
1.	चंडीगढ़	1.00	1.57	3.87	4.15	30.24	24.65	58.90	66.19
2.	दिल्ली	15.93	16.17	27.57	32.78	14.98	15.85	81.05	82.05
3.	हरियाणा	35.01	37.00	5.21	5.22	0.25	0.22	99.63	99.84
4.	हिमाचल प्रदेश	28.91	44.11	71.95	91.07	9.34	11.59	79.08	76.83
5.	जम्मू और कश्मीर	1.84	0.88	15.89	18.67	21.87	24.92	41.08	32.55
6.	पंजाब	29.58	26.24	60.01	58.47	2.51	2.18	98.61	99.05
7.	राजस्थान	19.34	21.15	26.37	21.85	1.73	1.31	97.01	98.03
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**-52.94**	**-13.73**	**441.64**	**452.41**	**52.76**	**51.19**	**46.06**	**48.14**
8.	अरुणाचल प्रदेश	-28.43	-1.80	109.62	149.06	71.87	95.22	36.90	56.37
9.	असम	-17.50	5.18	207.47	172.14	69.93	60.69	39.08	45.23
10.	मणिपुर	-1.23	0.22	14.16	16.00	54.19	28.16	28.82	20.57
11.	मेघालय	0.82	1.07	23.04	26.56	23.58	24.89	59.05	39.55
12.	मिजोरम	1.67	1.71	14.11	17.81	16.32	18.56	57.39	71.42
13.	नगालैंड	-2.53	-4.11	22.28	22.48	50.30	51.34	59.05	59.78
14.	सिक्किम	0.80	0.87	0.51	0.77	4.61	5.31	83.33	63.64
15.	त्रिपुरा	-6.54	-16.87	50.44	47.60	41.31	37.80	40.74	39.10
	पूर्वी क्षेत्र	**96.09**	**86.05**	**387.93**	**386.56**	**10.74**	**9.06**	**77.90**	**78.74**
16.	अंडमान और निकोबार	1.22	1.53	17.74	7.75	25.72	9.97	83.29	97.99
17.	बिहार	68.41	50.78	161.23	164.02	28.67	30.33	43.27	51.31
18.	उड़ीसा	17.44	19.69	121.14	116.71	9.47	6.94	89.84	87.71
19.	पश्चिम बंगाल	9.02	14.05	87.82	98.08	5.16	4.99	91.09	85.47
	मध्य क्षेत्र	**37.04**	**84.78**	**560.96**	**568.35**	**11.60**	**11.73**	**80.98**	**80.13**
20.	छत्तीसगढ़	-10.31	-7.07	41.83	43.38	32.39	36.63	70.60	86.99
21.	मध्य प्रदेश	14.82	57.56	181.34	177.21	10.67	10.55	90.04	92.31
22.	उत्तराखंड	2.75	2.88	–	12.27	–	14.22	100.00	100.00
23.	उत्तर प्रदेश	29.78	31.41	337.79	335.49	11.48	11.38	71.46	70.12
	पश्चिमी क्षेत्र	**30.06**	**7.87**	**3,048.21**	**3,080.29**	**30.70**	**30.68**	**73.95**	**71.85**
24.	गोवा	0.28	1.08	112.37	108.93	32.05	28.82	61.36	69.29
25.	गुजरात	5.01	5.29	125.11	123.43	6.46	6.08	80.21	83.11
26.	महाराष्ट्र	24.77	1.50	2,810.72	2,847.93	36.78	37.30	72.59	66.71
	दक्षिणी क्षेत्र	**42.40**	**66.48**	**1,428.31**	**1,640.57**	**12.86**	**13.72**	**88.55**	**88.83**
27.	आंध्र प्रदेश	4.84	5.70	762.31	868.01	14.77	15.39	80.85	78.06
28.	कर्नाटक	5.96	27.28	236.12	261.53	14.39	14.65	91.11	92.05
29.	केरल	4.19	4.19	210.18	210.18	15.32	15.32	94.60	94.60
30.	पुदुचेरी	2.03	1.30	13.72	13.14	13.00	11.03	73.94	87.35
31.	तमिलनाडु	25.38	28.02	205.98	287.71	7.30	9.46	93.81	95.15
	अखिल भारत कुल	**284.26**	**378.57**	**6,077.91**	**6,360.39**	**16.27**	**15.97**	**85.86**	**86.62**

– : शून्य / नगण्य

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.7: जिला मध्यवर्ती को-ऑप. बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2005					2006					2005			2006		
		जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (सं.)	लाभ		हानि		जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (सं.)	लाभ		हानि		कुल अनर्जक आस्तियां	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां	जून के अंत में वसूली (प्रतिशत)	कुल अनर्जक आस्तियां	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां	जून के अंत में वसूली (प्रतिशत)
			संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	उत्तरी क्षेत्र	**70**	**66**	**262.89**	**4**	**11.48**	**69**	**64**	**213.64**	**5**	**15.40**	**962.94**	**7.7**	**83.90**	**1067.29**	**7.70**	**72.94**
1.	हरियाणा	19	19	50.98	–	–	19	17	25.16	2	7.00	213.73	5.42	80.69	248.19	5.16	57.58
2.	हिमाचल प्रदेश	2	2	63.27	–	–	2	2	49.27	–	–	54.79	6.99	77.17	71.10	5.78	90.88
3.	जम्मू तथा कश्मीर	3	–	–	3	8.40	3	–	–	3	8.40	78.33	22.82	45.53	74.45	26.44	53.71
4.	पंजाब	19	19	100.56	–	–	18	18	74.14	–	–	316.26	8.19	91.24	392.77	7.30	92.07
5.	राजस्थान	27	26	48.08	1	3.08	27	27	65.07	–	–	299.83	8.92	81.84	280.78	10.77	81.02
	पूर्वी क्षेत्र	**64**	**54**	**123.60**	**10**	**16.23**	**64**	**52**	**92.72**	**12**	**27.99**	**1331.50**	**21.23**	**63.04**	**1128.80**	**27.84**	**64.95**
6.	बिहार	22	15	21.61	7	12.02	22	17	29.54	5	13.00	377.89	53.02	40.17	335.82	57.60	50.89
7.	झारखंड	8	7	26.90	1	2.20	8	5	25.97	3	3.10	117.93	79.03	58.11	96.66	68.68	42.14
8.	उड़ीसा	17	16	46.68	1	1.83	17	16	15.76	1	2.40	553.96	14.27	65.01	391.94	23.62	64.74
9.	पश्चिम बंगाल	17	16	28.41	1	0.18	17	14	21.45	3	9.49	281.72	16.77	71.23	304.38	17.50	76.73
	मध्य क्षेत्र	**104**	**70**	**121.03**	**34**	**155.78**	**104**	**74**	**159.19**	**30**	**174.00**	**2561.44**	**29.10**	**60.06**	**2719.06**	**28.76**	**60.71**
10.	छत्तीसगढ़	6	6	7.76	–	–	6	6	17.11	–	–	199.06	27.56	57.73	200.15	29.72	59.17
11.	मध्य प्रदेश	38	30	59.81	8	41.60	38	34	77.32	4	9.27	1087.99	28.52	67.36	1156.63	28.84	67.12
12.	उत्तर प्रदेश	50	25	35.58	25	112.85	50	24	44.50	26	164.73	1209.28	33.06	51.67	1277.33	31.38	51.76
13.	उत्तराखंड	10	9	17.88	1	1.33	10	10	20.26	–	–	65.11	12.17	85.05	84.95	10.69	88.00
	पश्चिमी क्षेत्र	**49**	**35**	**295.39**	**14**	**169.49**	**49**	**34**	**244.23**	**15**	**245.81**	**5246.86**	**23.54**	**65.67**	**5834.28**	**23.40**	**62.47**
14.	गुजरात	18	14	85.27	4	39.04	18	11	49.08	7	41.49	850.46	16.88	74.95	898.74	16.65	71.57
15.	महाराष्ट्र	31	21	210.12	10	130.45	31	23	195.15	8	204.32	4396.40	25.36	61.88	4935.54	25.39	58.83
	दक्षिणी क्षेत्र	**80**	**70**	**552.42**	**10**	**85.90**	**80**	**54**	**406.60**	**26**	**450.00**	**4631.11**	**18.81**	**77.36**	**4963.03**	**19.18**	**77.29**
16.	आंध्र प्रदेश	22	21	143.28	1	4.87	22	7	32.18	15	143.61	1143.48	13.41	64.68	1044.05	16.33	70.41
17.	कर्नाटक	21	14	33.16	7	61.34	21	21	226.14	–	–	1207.36	18.88	71.66	781.57	31.54	79.24
18.	केरल	14	13	54.25	1	5.85	14	14	52.86	–	–	873.03	18.26	81.52	1043.77	16.81	80.75
19.	तमिलनाडु	23	22	321.73	1	13.84	23	12	95.42	11	306.39	1407.24	23.95	88.03	2093.64	17.32	80.11
	अखिल भारत	**367**	**295**	**1355.33**	**72**	**438.88**	**366**	**278**	**1116.38**	**88**	**913.20**	**14733.85**	**19.72**	**72.23**	**15712.46**	**20.25**	**69.23**

– : शून्य / नगण्य
टिप्पणी : वर्ष 2005 के आंकड़े अनंतिम हैं और रिपोर्टिंग बैंको पर आधारित हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.8: प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(जारी)*

(31 मार्च 2006 के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य / क्षेत्र	प्रा.कृ.स. सो. की संख्या	कवर किये गए ग्रामों की संख्या	प्रा.कृ.स. सो. से ग्रामों का अनुपात	लोकसंख्या (हजार में)	सदस्य (हजार में)	उधारकर्ता सदस्य (हजार में)	कुल स्टाफ	जमाराशियां (रुपए लाख)	उधार (रुपए लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उत्तरी क्षेत्र	**13,480**	**74,988**	6	**97,659**	**10,033.79**	**5,094.00**	**28,294**	**177,355**	**802,169**
1.	चंडीगढ़	16	22	1	800	2.86	1.00	3	3	11
2.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	हरियाणा	2,441	7,132	3	21,083	2,748.00	1,737.00	7,248	31,961	391210.00
4.	हिमाचल प्रदेश	2,086	19,388	9	6,077	1,030.00	145.00	3,932	65,434	8,085
5.	जम्मू और कश्मीर	187	2,950	16	1,884	327.68	39.00	342	919	5,576
6.	पंजाब	3,978	12,428	3	27,808	2,137.00	1,665.00	10,485	59,605	263063
7.	राजस्थान	4,772	33,068	7	40,007	3,788.25	1,507.00	6,284	19,433	134224
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**3,535**	**35,546**	**10**	**29,842**	**3,985.22**	**315.00**	**7,889**	**13,628**	**45,069**
8.	अरुणाचल प्रदेश	31	3,649	118	435	18.00	–	597	–	411
9.	असम	809	23,422	29	22,414	3,093.92	82.00	6,172	508	1,888
10.	मणिपुर	186	–	–	–	128.00	200.00	–	6,500	37,157
11.	मेघालय	179	5,780	32	2,305	95.53	19.00	84	96	649
12.	मिजोरम	175	660	4	–	120.02	–	85	16	29
13.	नगालैंड	1,719	969	1	1,215	13.68	14.00	13	6,419	904
14.	सिक्किम	166	166	1	41	30.07	–	145	–	–
15.	त्रिपुरा	270	900	3	3,432	486.00	–	793	89	4,031
	पूर्वी क्षेत्र	**28,830**	**271,438**	**9**	**420,100**	**38,891.46**	**12,068.20**	**49,835**	**323,106**	**379,204**
16.	अंडमान और निकोबार द्वीप	46	204	4	280	11.10	8.20	20	20	569
17.	बिहार	5,936	45,098	8	82,999	3,671.00	211.00	2,538	5,986	49,975
18.	झारखंड	208	5,185	25	10,050	121.11	22.00	587	1,268	349
19.	उड़ीसा	3,860	43,303	11	63,799	17,215.99	6,441.00	10,417	226859	159120
20.	पश्चिम बंगाल	18,780	177648	9	262972	17,872.26	5,386.00	36,273	88,973	169191
	मध्य क्षेत्र	**15,381**	**193,562**	**13**	**216,061**	**9,905.67**	**7,718.00**	**30,455**	**69,060**	**370,612**
21.	छत्तीसगढ़	1,373	20,841	15	20,905	1,922.49	936.00	4,995	16,879	50,072
22.	मध्य प्रदेश	4,633	54,017	12	52,564	5,108.18	2,533.00	16,477	42,436	217277
23.	उत्तराखंड	446	5,900	13	3,480	127.00	171.00	938	2,925	6,187
24.	उत्तर प्रदेश	8,929	112804	13	139112	2,748.00	4,078.00	8,045	6,820	97,076
	पश्चिमी क्षेत्र	**29,607**	**54,701**	**2**	**144,028**	**13,397.20**	**5,083.00**	**51,349**	**33,651**	**1,153,175**
25.	गोवा	75	242	3	1,344	82.00	4.00	331	2,170	1,071
26.	गुजरात	8,487	16,997	2	45,805	2,613.20	1,244.00	21,845	17,838	368668
27.	महाराष्ट्र	21,045	37,462	2	96,879	10,702.00	3,835.00	29,173	13,643	783436
	दक्षिणी क्षेत्र	**15,543**	**84,938**	**5**	**5,017,906**	**46,350.57**	**15,797.00**	**73,784**	**1,339,319**	**1,351,531**
28.	आंध्र प्रदेश	4,491	30,715	7	4,876,884	22,009.57	2,836.00	14,036	77,040	565913
29.	कर्नाटक	4,911	34,069	7	49,222	4,715.10	1,107.00	12,157	102685	196363
30.	केरल	1,600	1,556	1	33,039	11,054.40	7,844.00	17,754	900644	146,313
31.	पुदुचेरी	52	287	6	1,040	116.20	21.00	394	4,714	1,706
32.	तमिलनाडु	4,489	18,311	4	57,721	8,455.30	3,989.00	29,443	254236	441236
	अखिल भारत कुल	**106,376**	**715,173**	**7**	**5,925,596**	**122,563.91**	**46,075.20**	**241,606**	**1,956,119**	**4,101,760**

परिशिष्ट सारणी IV.8: प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(जारी)*

(31 मार्च 2006 के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	कार्यशील पूंजी (रुपए लाख)	जारी ऋण और अग्रिम (रुपए लाख)		बकाया ऋण और अग्रिम (रुपए लाख)		औसत जमा राशियां (रुपए लाख)	लाभदायी सोसाइटियां	
			अल्पावधि	मध्यावधि	कृषि	कृषितर		संख्या	राशि ('000में)
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
	उत्तरी क्षेत्र	**1,234,264**	**1,040,243**	**57,673**	**786,874**	**43,541**	**13.16**	**8,398**	**2,008,551**
1.	चंडीगढ़	23	3	11	5	11	0.19	14	498
2.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	हरियाणा	503,523	458,525	17,431	360,287	27,455	13.09	1,198	370,898
4.	हिमाचल प्रदेश	93,743	967	15,507	26,493	–	31.37	1,701	93,744
5.	जम्मू और कश्मीर	9,976	1,103	2	1,645	–	4.91	22	1,470
6.	पंजाब	416,652	440,896	14,295	265,723	10,697	14.98	2,403	359,486
7.	राजस्थान	210,347	138,749	10,427	132,722	5,379	4.07	3,060	1,182,455
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**640,096**	**34,563**	**2,514**	**46,431**	**1,431**	**3.86**	**600**	**784,110**
9.	अरुणाचल प्रदेश	564,249	–	77	87	–	–	20	2,456
10.	असम	7,533	278	350	1,086	464	0.63	309	763,889
11.	मणिपुर	45,904	33,859	2,078	41,639	–	34.95	–	–
12.	मेघालय	1,283	138	9	330	–	0.54	60	2,688
13.	मिजोरम	175	–	–	67	–	0.09	59	6,997
14.	नगालैंड	11,246	157	–	197	357	3.73	–	–
15.	सिक्किम	146	54	–	19	–	–	56	579
16.	त्रिपुरा	9,560	77	–	3,005	610	0.33	96	7,501
	पूर्वी क्षेत्र	**910,708**	**369,068**	**80,914**	**370,967**	**31,820**	**11.21**	**10,971**	**351,712**
17.	अंडमान और निकोबार द्वीप	638	123	–	569	–	0.43	7	109
18.	बिहार	44,337	23,448	–	35,116	–	1.01	1,168	52,012
19.	झारखंड	1,523	100	–	264	723	6.10	203	9,100
20.	उड़ीसा	496,403	236,139	56,720	243,361	5,306	58.77	1,415	129,023
21.	पश्चिम बंगाल	367,807	109,258	24,193	91,657	25,791	4.74	8,178	161,468
	मध्य क्षेत्र	**572,972**	**262,705**	**17,555**	**271,352**	**16,771**	**4.49**	**7,401**	**904,093**
22.	छत्तीसगढ़	87,193	25,778	5,201	35,733	2,856	12.29	811	115,273
23.	मध्य प्रदेश	348,022	153,651	10,583	154,289	13,499	9.16	1,792	600,771
24.	उत्तराखंड	11,830	4,696	604	1,300	416	6.56	262	10,667
25.	उत्तर प्रदेश	125,927	78,580	1,167	80,031	–	0.76	4,536	177,382
	पश्चिमी क्षेत्र	**1,557,894**	**636,203**	**197,819**	**779,293**	**321,930**	**1.14**	**12,588**	**2,121,902**
26.	गोवा	5,203	752	1,465	550	953	28.93	54	11,528
27.	गुजरात	529,421	322,813	34,235	372,631	8,172	2.10	5,027	376,251
28.	महाराष्ट्र	1,023,270	312,638	162,119	406,112	312,805	0.65	7,507	1,734,123
	दक्षिणी क्षेत्र	**2,985,282**	**1,219,571**	**472,874**	**1,097,977**	**571,016**	**86.17**	**4,357**	**1,807,364**
29.	आंध्र प्रदेश	564,249	200,065	40,304	312,471	28,662	17.15	1,002	401,524
30.	कर्नाटक	470,393	190,716	40,134	169,519	47,301	20.91	1,732	462,110
31.	केरल	1,131,095	533,308	225,109	250,241	313,077	562.90	772	480,739
32.	पुदुचेरी	7,671	4,317	2,565	4,355	957	90.65	21	75
33.	तमिलनाडु	811,874	291,165	164,763	361,391	181,020	56.64	830	462,916
	अखिल भारत कुल	**7,338,667**	**3,562,354**	**729,605**	**3,214,672**	**629,941**	**18.39**	**44,321**	**7,193,622**

परिशिष्ट सारणी IV.8: प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(समाप्त)*
(31 मार्च 2006 के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	हानिग्रस्त सोसाइटियां		मांग के लिए अतिदेय (%)	अर्थक्षम	संभाव्य रुप से अर्थक्षम	निष्क्रीय	समाप्त	अन्य
		सं.	राशि ('000में)						
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27
	उत्तरी क्षेत्र	**4,198**	**900,934**		**9,417**	**3,196**	**589**	**52**	**226**
1.	चंडीगढ़	1	1,200	41	15	–	1	–	–
2.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	हरियाणा	1,243	390,639	23	1,867	462	–	–	112
4.	हिमाचल प्रदेश	318	8,358	34	442	1,593	22	–	29
5.	जम्मू और कश्मीर	165	13,000	37	160	22	–	5	–
6.	पंजाब	1,171	157,395	12	3,228	261	467	19	3
7.	राजस्थान	1,300	330,342	31	3,705	858	99	28	82
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**867**	**1,025,294**		**1,868**	**449**	**707**	**419**	**92**
9.	अरुणाचल प्रदेश	6	806	97	31	–	–	–	–
10.	असम	419	990,860	98	583	170	5	39	12
11.	मणिपुर	108	20,100	43	186	–	–	–	–
12.	मेघालय	119	3,282	74	161	12	5	1	–
13.	मिजोरम	4	950	94	60	16	19	–	80
14.	नगालैंड	–	–	91	457	228	655	379	–
15.	सिक्किम	37	415	–	145	–	21	–	–
16.	त्रिपुरा	174	8,881	93	245	23	2	–	–
	पूर्वी क्षेत्र	**16,455**	**774,246**		**16,756**	**8,885**	**1,469**	**676**	**1,044**
17.	अंडमान और निकोबार द्वीप	37	429	57	37	9	–	–	–
18.	बिहार	3,953	6,402	51	1,826	2,831	764	–	515
19.	झारखंड	–	–	90	60	85	29	–	34
20.	उड़ीसा	2,352	475,657	20	2,910	744	50	20	136
21.	पश्चिम बंगाल	10,113	291,758	48	11,923	5,216	626	656	359
	मध्य क्षेत्र	**5,080**	**1,471,773**		**10,783**	**2,912**	**412**	**177**	**1,097**
22.	छत्तीसगढ़	562	168,102	39	119	232	10	–	1,012
23.	मध्य प्रदेश	2,450	1,284,704	42	3,338	1,219	5	–	71
24.	उत्तराखंड	100	3,671	65	211	192	15	14	14
25.	उत्तर प्रदेश	1,968	15,296	42	7,115	1,269	382	163	–
	पश्चिमी क्षेत्र	**16,266**	**4,745,799**		**19,005**	**9,373**	**839**	**203**	**187**
26.	गोवा	21	2,925	50	65	8	2	–	–
27.	गुजरात	2,880	348,735	38	5,584	1,799	795	147	162
28.	महाराष्ट्र	13,365	4,394,139	37	13,356	7,566	42	56	25
	दक्षिणी क्षेत्र	**10,160**	**10,286,747**	**201**	**8,696**	**4,869**	**615**	**471**	**892**
29.	आंध्र प्रदेश	3,194	1,785,095	50	2,854	1,435	8	–	194
30.	कर्नाटक	2,811	823,911	90	3,026	1,345	167	302	71
31.	केरल	762	822,427	17	1,236	290	53	10	11
32.	पुदुचेरी	31	444	18	21	31	–	–	–
33.	तमिलनाडु	3,362	6,854,870	26	1,559	1,768	387	159	616
	अखिल भारत कुल	**53,050**	**19,204,793**	**30**	**66,525**	**29,684**	**4,631**	**1,998**	**3,538**

– : शून्य / नगण्य।

टिप्पणी : सोसाइटियों की कुल संख्या में दादरा और नगर हवेली के 8 प्रा.कृ.स.सो. शामिल नहीं हैं।

स्रोत : नेफस्कोब।

परिशिष्ट सारणी IV.9: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं.	अखिल भारत / राज्य	शाखाओं की संख्या 2006	लाभ/हानि		कुल अनर्जक आस्तियां		बकाया ऋणों के प्रतिशत के रुप में अनर्जक आस्तियां		जून के अंत में वसूली (प्रतिशत)	
			2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
	उत्तरी क्षेत्र	**85**	**36.62**	**-12.77**	**505.89**	**978.46**	**8.98**	**16.52**	**75.62**	**71.19**
1.	हरियाणा @	0	-2.92	-48.15	251.17	504.00	12.24	24.54	69.82	69.69
2.	हिमाचल प्रदेश #	33	1.15	-4.39	61.80	85.72	25.30	31.41	53.00	48.66
3.	जम्मू और कश्मीर(2005)*	45	-3.64	-3.63	10.12	10.12	51.61	39.46	39.46	39.46
4.	पंजाब @	0	30.87	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	94.12
5.	राजस्थान @	7	11.16	10.39	182.80	378.62	13.09	25.39	63.80	56.35
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**39**	**-0.26**	**18.86**	**19.43**	**18.57**	**71.15**	**64.10**	**26.04**	**19.73**
6.	असम *	33	0.23	19.69	11.97	10.83	94.70	90.48	7.76	6.38
7.	मणिपुर(2005)*	1	0.00	0.00	0.61	0.61	100.00	100.00	0.00	0.00
8.	त्रिपुरा*	5	-0.49	-0.83	6.85	7.13	48.73	43.52	60.49	62.52
	पूर्वी क्षेत्र	**159**	**-24.90**	**-186.51**	**266.67**	**271.82**	**30.60**	**30.11**	**37.05**	**24.82**
9.	बिहार*	151	-21.88	-186.45	97.33	74.82	84.53	73.35	27.52	1.87
10.	उड़ीसा @	5	-3.73	-0.58	0.00	27.29	0.00	15.24	38.77	16.33
11.	पश्चिम बंगाल #	3	0.71	0.52	169.34	169.72	29.35	27.30	53.14	25.01
	मध्य क्षेत्र	**345**	**13.72**	**-0.48**	**1,281.58**	**1,606.65**	**25.21**	**30.95**	**39.51**	**40.85**
12.	छत्तीसगढ़ **@	0	0.00	-2.24	31.10	24.64	13.96	10.63	53.98	38.86
13.	मध्य प्रदेश **@	7	1.73	0.12	119.94	217.64	8.24	14.07	36.95	38.25
14.	उत्तर प्रदेश *	338	11.98	1.64	1,130.55	1,364.37	33.20	39.98	39.73	41.60
	दक्षिणी क्षेत्र	**181**	**-147.02**	**33.81**	**1,354.77**	**1,471.66**	**80.42**	**84.03**	**25.73**	**23.30**
15.	गुजरात *	181	10.60	18.67	320.07	327.29	53.02	53.99	34.25	36.26
16.	महाराष्ट्र @	0	-157.62	15.14	1,034.70	1,144.38	95.72	99.93	16.38	15.90
	दक्षिणी क्षेत्र	**56**	**-40.39**	**235.16**	**1,869.23**	**1,438.89**	**45.53**	**36.74**	**37.90**	**61.46**
17.	कर्नाटक @	23	-0.04	206.61	810.12	330.69	57.98	27.45	33.29	56.97
18.	केरल @	14	12.58	13.83	132.88	212.13	8.53	12.54	82.84	81.96
19.	पुदुचेरी *	1	0.50	-0.81	3.07	3.31	27.14	27.50	71.79	70.15
20.	तमिलनाडु @	18	-53.43	15.53	923.17	892.75	81.01	88.53	24.56	52.01
	दक्षिणी क्षेत्र	**865**	**-162.24**	**88.07**	**5,297.57**	**5,786.05**	**30.4**	**32.67**	**44.00**	**47.32**

* : एकल संरचना @ : संघीय संरचना # : संमिश्र संरचना

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.10: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम

(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2005				2006				2005			2006		
		लाभ		हानि		लाभ		हानि		कुल अनर्जक आस्तियां	प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां	वसूली (प्रतिशत)	कुल अनर्जक आस्तियां	प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां	वसूली (प्रतिशत) जून के अंत में
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	**131**	**83.90**	**41**	**69.50**	**101**	**39.98**	**42**	**107.36**	**1,457.68**	**26.00**	**53.70**	**1,701.75**	**29.10**	**47.10**
1.	हरियाणा	11	2.19	37	60.95	1	0.66	18	72.53	666.70	33.20	40.50	769.02	38.30	39.20
2.	हिमाचल प्रदेश	1	1.28	–	–	–	–	1	0.79	22.44	32.00	65.10	28.08	37.90	62.90
3.	पंजाब	87	37.31	–	–	70	24.00	17	25.73	389.29	18.90	71.30	465.64	21.10	58.20
4.	राजस्थान	32	43.12	4	8.55	30	15.33	6	8.31	379.25	25.90	48.50	439.01	28.30	44.70
	पूर्वी क्षेत्र	**44**	**30.43**	**26**	**16.07**	**15**	**3.88**	**55**	**15.40**	**114.44**	**19.30**	**56.00**	**192.78**	**30.06**	**48.90**
5.	उड़ीसा	37	26.46	9	3.33	5	1.57	41	8.07	–	–	60.30	48.41	48.00	41.50
6.	पश्चिम बंगाल	7	3.97	17	12.74	10	2.31	14	7.33	114.44	23.20	55.70	144.37	27.30	49.50
	मध्य क्षेत्र	**18**	**2.39**	**32**	**20.02**	**11**	**1.68**	**39**	**108.86**	**487.65**	**31.70**	**58.40**	**475.73**	**29.70**	**45.00**
7.	छत्तीसगढ़	4	0.38	8	3.06	4	0.91	8	2.37	248.81	122.10	60.40	50.07	23.70	59.60
8.	मध्य प्रदेश	14	2.01	24	16.96	7	0.77	31	106.49	238.84	17.90	58.00	425.66	30.60	43.20
	पश्चिमी क्षेत्र	**27**	**518.34**	**2**	**0.45**	**–**	**–**	**29**	**159.70**	**169.28**	**15.50**	**27.20**	**490.46**	**46.60**	**14.70**
9.	महाराष्ट्र	27	518.34	2	0.45	–	–	29	159.70	169.28	15.50	27.20	490.46	46.60	14.70
	दक्षिणी क्षेत्र	**45**	**21.82**	**357**	**221.53**	**204**	**282.33**	**29**	**19.22**	**1,986.80**	**52.50**	**58.80**	**1,692.99**	**45.10**	**58.70**
10.	कर्नाटक	6	0.37	171	109.48	169	267.63	8	2.54	749.93	67.70	60.30	374.67	36.20	63.40
11.	केरल	29	20.40	15	14.04	30	11.82	16	15.66	573.43	36.50	56.60	602.16	35.50	50.80
12.	तमिलनाडु	10	1.05	171	98.01	5	2.88	5	1.02	663.44	60.10	60.40	716.16	69.90	63.60
	अखिल भारत	**265**	**656.88**	**458**	**327.56**	**331.00**	**327.87**	**194**	**410.54**	**4,215.85**	**33.42**	**54.14**	**4,553.72**	**35.36**	**47.85**

– : शून्य / नगण्य।

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं और बैंकों की रिपोर्टिंग पर आधारित हैं।

स्रोत : नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी IV.11: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार *(जारी)*

(मार्च 2007 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	ग्राबुसुविनि I		ग्राबुसुविनि II		ग्राबुसुविनि III		ग्राबुसुविनि IV		ग्राबुसुविनि V		ग्राबुसुविनि VI	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अखिल भारत	**2,206.21**	**1,761.58**	**2,636.08**	**2,397.95**	**2,732.69**	**2,453.50**	**2,902.55**	**2,482.00**	**3,472.00**	**3,054.96**	**4,503.53**	**3,956.95**
दक्षिणी क्षेत्र	**498.70**	**460.18**	**865.14**	**779.79**	**751.51**	**672.77**	**701.84**	**639.90**	**925.02**	**855.81**	**1279.92**	**1171.76**
आंध्र प्रदेश	227.09	215.13	337.23	307.71	281.53	251.61	286.82	272.78	379.21	358.50	559.43	511.14
कर्नाटक	175.68	158.79	195.21	180.08	171.29	161.74	172.34	167.37	173.18	164.57	292.34	274.64
केरल	95.93	86.26	86.91	73.14	89.29	73.87	64.00	56.72	126.77	117.22	175.11	158.75
तमिलनाडु	–	–	245.79	218.86	209.40	185.55	178.68	143.03	245.86	215.52	253.04	227.23
पश्चिमी क्षेत्र	**344.74**	**322.90**	**358.66**	**318.81**	**408.05**	**380.82**	**425.83**	**380.08**	**572.31**	**511.36**	**964.05**	**800.14**
गोवा	6.85	6.85	–	–	–	–	8.93	8.70	–	–	19.09	8.97
गुजरात	151.08	145.47	127.00	114.34	153.74	134.86	114.92	91.08	222.03	179.28	505.79	446.37
महाराष्ट्र	186.81	169.87	231.66	204.47	254.31	245.96	301.98	280.30	350.28	332.08	439.17	344.80
उत्तरी क्षेत्र	**826.81**	**498.85**	**791.74**	**713.39**	**837.89**	**752.54**	**934.52**	**748.96**	**905.80**	**809.67**	**1084.85**	**1002.15**
हरियाणा	26.70	19.33	63.92	62.16	67.33	62.41	53.46	47.85	90.09	80.39	65.36	61.52
हिमाचल प्रदेश	14.23	14.23	52.96	52.83	51.12	49.43	87.81	78.92	110.36	108.31	127.20	127.56
जम्मू और कश्मीर	6.15	6.04	–	–	35.95	24.37	107.47	103.43	110.88	109.42	161.52	154.09
पंजाब	60.50	60.50	62.50	62.05	88.85	84.77	96.00	74.76	102.79	91.28	229.37	196.31
राजस्थान	123.51	116.86	151.50	129.23	158.48	139.98	64.01	48.86	131.82	119.91	253.75	245.07
उत्तर प्रदेश	275.72	281.89	460.86	407.12	414.48	389.15	474.97	388.67	354.98	300.36	247.65	217.60
उत्तरांचल	–	–	–	–	21.68	2.43	50.80	6.47	4.88	–	–	–
मध्य क्षेत्र	**240.88**	**215.03**	**250.30**	**238.67**	**280.41**	**262.05**	**241.96**	**217.96**	**262.96**	**245.08**	**371.77**	**306.50**
छत्तीसगढ़	82.22	77.91	9.80	5.64	57.07	57.99	68.60	65.39	34.10	32.32	50.97	43.04
मध्य प्रदेश	158.66	137.12	240.50	233.03	223.34	204.06	173.36	152.57	228.86	212.76	320.80	263.46
पूर्वी क्षेत्र	**286.18**	**256.52**	**306.95**	**285.85**	**431.70**	**362.51**	**481.36**	**392.34**	**441.84**	**362.66**	**512.03**	**436.47**
बिहार	22.17	12.63	–	–	57.96	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
झारखंड	–	–	–	–	4.35	2.48	118.50	81.72	91.42	81.73	0.00	0.00
उड़ीसा	169.50	162.05	151.13	141.03	198.85	172.04	149.12	117.16	128.13	99.93	104.18	85.05
पश्चिम बंगाल	94.51	81.84	155.82	144.82	170.54	161.06	213.74	193.46	222.29	181.00	407.85	351.42
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**8.90**	**8.10**	**63.29**	**61.44**	**23.13**	**22.81**	**117.04**	**102.76**	**364.47**	**270.38**	**290.91**	**239.93**
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	25.10	22.94	102.55	90.84
असम	–	–	63.29	61.44	16.07	15.75	64.72	51.60	185.77	117.49	49.57	44.61
मणिपुर	1.75	0.96	–	–	–	–	–	–	–	–	8.33	7.90
मेघालय	3.39	3.39	–	–	7.06	7.06	9.33	9.26	30.89	30.89	30.49	28.60
मिजोरम	2.38	2.37	–	–	–	–	–	–	54.17	54.19	3.76	3.76
नगालैंड	1.38	1.38	–	–	–	–	–	–	15.88	14.40	56.26	41.11
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	21.29	20.63	8.72	8.73	4.55	4.54
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	21.70	21.27	43.94	21.74	35.40	18.57

परिशिष्ट सारणी IV.11: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार *(समाप्त)*

(मार्च 2007 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	ग्राबुसुविनि VII		ग्राबुसुविनि VIII		ग्राबुसुविनि IX		ग्राबुसुविनि X		ग्राबुसुविनि XI		ग्राबुसुविनि XII		राज्य का कुल	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
अखिल भारत	**4,624.72**	**3,947.28**	**5,987.26**	**4.770.28**	**5,592.96**	**4,007.75**	**8.117.03**	**4,732.10**	**8,509.08**	**2,455.59**	**10,555.36**	**1,540.70**	**61,839.87**	**37,559.92**
दक्षिणी क्षेत्र	**1390.02**	**1241.14**	**1718.71**	**1421.57**	**1797.32**	**1270.66**	**2861.46**	**1581.57**	**2623.12**	**636.71**	**2370.14**	**395.75**	**17782.90**	**11127.61**
आंध्र प्रदेश	610.59	553.96	907.54	715.82	864.96	564.77	1556.03	799.07	1362.40	275.87	787.72	154.98	8160.55	4981.34
कर्नाटक	234.56	210.39	226.99	192.21	291.13	228.28	412.48	251.85	450.95	102.92	497.64	0.57	3293.79	2093.41
केरल	191.76	152.21	196.21	158.80	93.50	34.59	235.23	98.81	206.21	54.48	257.72	66.18	1818.64	1131.03
तमिलनाडु	353.11	324.58	387.97	354.74	547.73	443.02	657.72	431.84	603.56	203.44	827.06	174.02	4509.92	2921.83
पश्चिमी क्षेत्र	**586.42**	**438.03**	**743.01**	**627.73**	**966.24**	**841.20**	**1407.10**	**1066.51**	**1017.79**	**367.08**	**1597.08**	**128.08**	**9391.28**	**6182.02**
गोवा	15.79	9.91	16.10	10.29	0.00	0.00	–	–	0.00	–	0.00	–	66.76	44.72
गुजरात	40.90	21.97	283.82	262.63	899.21	792.92	1311.69	1035.36	916.98	341.30	987.60	128.07	5714.76	3693.65
महाराष्ट्र	529.73	406.15	443.09	354.81	67.03	48.28	95.41	31.15	100.81	25.78	609.48	–	3609.76	2443.65
उत्तरी क्षेत्र	**1479.07**	**1328.53**	**1544.44**	**1349.44**	**1317.88**	**979.21**	**1806.15**	**1213.73**	**2226.31**	**787.28**	**3205.20**	**471.94**	**16960.66**	**10655.69**
हरियाणा	149.92	137.69	252.77	213.18	152.77	119.02	171.48	99.34	196.81	51.64	257.11	85.57	1547.72	1040.10
हिमाचल प्रदेश	168.37	172.18	169.60	144.29	141.70	87.82	91.64	55.02	224.67	64.55	273.99	39.79	1513.65	994.93
जम्मू और कश्मीर	216.80	200.61	175.64	153.72	153.82	104.27	49.36	12.10	79.55	12.80	461.05	111.97	1558.19	992.82
पंजाब	231.52	202.53	206.55	190.90	288.18	206.73	312.63	253.08	286.85	110.50	552.66	98.63	2518.40	1632.04
राजस्थान	374.67	341.08	346.75	280.05	140.27	89.79	356.26	207.58	605.13	327.02	766.99	101.98	3473.14	2147.41
उत्तर प्रदेश	337.79	258.25	322.71	301.95	217.84	180.93	516.34	338.90	783.45	215.64	861.58	34.00	5268.37	3314.46
उत्तरांचल	–	16.19	70.42	65.35	223.30	190.65	308.44	247.71	49.85	5.13	31.82	–	761.19	533.93
मध्य क्षेत्र	**395.64**	**315.46**	**856.53**	**630.00**	**709.33**	**481.51**	**596.04**	**329.06**	**560.08**	**156.04**	**779.72**	**239.7**	**5545.62**	**3637.06**
छत्तीसगढ़	84.59	68.52	281.30	205.52	432.88	295.77	62.53	27.04	116.84	30.53	51.00	0.92	1331.90	910.59
मध्य प्रदेश	311.05	246.94	575.23	424.48	276.45	185.74	533.51	302.02	443.24	125.51	728.72	238.78	4213.72	2726.47
पूर्वी क्षेत्र	**672.1**	**525.89**	**966.25**	**634.45**	**544.89**	**284.63**	**1368.31**	**489.34**	**1423.02**	**336.62**	**1932.12**	**243.93**	**9366.75**	**4611.21**
बिहार	58.20	32.98	198.69	140.76	97.24	46.82	290.91	25.00	459.41	88.11	589.80	77.12	1774.38	450.35
झारखंड	0.00	0.00	–	0.00	49.13	21.90	174.78	80.04	107.44	64.74	331.03	56.98	876.65	389.59
उड़ीसा	148.88	133.31	246.83	185.91	185.11	129.82	375.66	134.17	396.95	54.94	497.93	2.17	2752.27	1417.58
पश्चिम बंगाल	465.02	359.60	520.73	307.78	213.41	86.09	526.96	250.13	459.22	128.83	513.36	107.66	3936.45	2353.69
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**101.47**	**98.23**	**158.32**	**107.09**	**257.30**	**150.54**	**77.97**	**51.89**	**658.76**	**171.86**	**671.10**	**61.30**	**2792.66**	**1346.33**
अरुणाचल प्रदेश	69.41	68.13	–	–	15.12	14.70	20.14	11.52	136.00	11.90	139.21	13.62	507.53	233.65
असम	–	–	76.23	48.43	189.75	87.72	13.77	6.75	402.44	131.88	282.74	10.09	1344.35	575.76
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	0.53	0.28	27.59	–	6.89	1.37	45.09	10.51
मेघालय	18.30	16.66	18.39	14.13	15.52	12.09	–	–	32.03	2.41	31.96	6.38	197.36	130.87
मिजोरम	7.33	7.33	2.00	2.00	13.50	13.51	6.90	6.90	19.41	12.74	8.19	–	117.64	102.80
नगालैंड	0.95	0.95	6.68	6.68	16.94	16.12	28.66	18.97	34.96	9.19	24.60	6.70	186.31	115.50
सिक्किम	5.48	5.16	4.89	4.89	3.30	3.29	7.97	7.47	6.33	3.74	16.21	2.85	78.74	61.30
त्रिपुरा	–	–	50.13	30.96	3.17	3.11	–	–	–	–	161.30	20.29	315.64	115.94

– : शून्य/नगण्य।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.12: किसान क्रेडिट कार्ड - राज्यवार प्रगति

(31 मार्च 2007के अनुसार)

(राशि लाख रुपए)

राज्य/संघशासित प्रदेश	को-ऑप. बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			वाणिज्य बैंक		कुल	
	सं.	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	सं.	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश**	22	37,650	96,056	5	1,76,531	37,190	11,64,184	4,98,528	13,78,365	6,31,774
असम	1	837	48	2	10,928	1,619	22,352	4,431	34,117	6,098
अरुणाचल प्रदेश #	1	–	–	1	67	5	1,342	473	1,409	478
बिहार**	22	–	–	5	1,50,054	55,517	129,322	43,750	279,376	99,267
गुजरात	18	65,000	331,488	3	25,931	28,629	125,827	85,339	216,758	445,456
गोवा $	1	303	370	–	–	–	294	267	597	637
हरियाणा	19	4,799	31,929	2	30,030	30,718	75,918	90,456	110,747	153,103
हिमाचल प्रदेश	3	8,221	436	2	5,128	274	15,559	9,242	28,908	9,952
जम्मू और कश्मीर	4	2,243	419	3	1,999	2,601	923	475	5,165	3,495
कर्नाटक	21	75,653	2,579	6	83,331	4,552	227,802	163,577	386,786	170,708
केरल	14	185,565	57,166	2	31,788	10,547	100,170	42,665	317,523	110,378
मध्य प्रदेश	38	157,446	72,739	10	58,623	37,713	157,488	120,451	373,557	230,903
महाराष्ट्र	30	689,742	249,576	7	54,592	41,003	343,362	148,585	1,087,696	439,164
मेघालय #	1	2,724	355	1	4,968	831	4,264	1,241	11,956	2,427
मिजोरम #	1	–	–	1	3,986	1,410	460	137	4,446	1,547
मणिपुर #	1	12,984	3,303	1	–	–	1,662	394	14,646	3,697
नगालैंड #	1	526	29	1	339	164	3,083	676	3,948	869
उड़ीसा	17	181,443	124,622	6	64,627	19,882	102,656	21,806	348,726	166,310
पंजाब	19	5,765	22,634	3	14,701	17,265	93,642	141,755	114,108	181,654
राजस्थान	28	97,511	45,611	6	34,591	31,273	132,629	110,461	264,731	187,345
सिक्किम #$	1	149	15	–	–	–	536	167	685	182
तमिलनाडु	22	181,082	105,706	2	27,390	12,859	309,731	117,813	518,203	236,378
त्रिपुरा #	1	294	34	1	5,681	803	3,867	600	9,842	1,437
उत्तर प्रदेश	51	280,245	3,971	16	534,048	385,135	543,779	307,228	1,358,072	696,334
पश्चिम बंगाल	20	38,044	86,843	9	42,024	3,117	101,863	24,522	181,931	114,482
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह #$	1	247	43	–	–	–	219	68	466	111
चंडीगढ़ #$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमन और दीव @#	–	–	–	–	–	–	22	5	22	5
नई दिल्ली #$	1	272	93	–	–	–	741	725	1,013	818
दादरा और नगर हवेली @$	–	–	–	–	–	–	12	2	12	2
लक्षद्वीप @$	–	–	–	–	–	–	67	27	67	27
पुदुचेरी #$	1	891	949	–	–	–	6,591	893	7,482	1,842
झारखंड	8	161,502	39,389	2	1,184	493	38,371	7,884	201,057	47,766
छत्तीसगढ़	7	101,609	28,570	3	40,562	8,909	33,897	15,203	176,068	52,682
उत्तराखंड	10	4,893	9,092	2	2,771	4,806	24,091	18,732	31,755	32,630
जोड़	**385**	**22,97,640**	**13,14,065**	**102**	**14,05,874**	**7,37,315**	**37,66,726**	**19,78,578**	**74,70,240**	**40,29,958**

– : शून्य/नगण्य।

^ : आंकडें 31 दिसंबर 2006 तक की अवधि से संबंधित हैं।

$: इन राज्यों / संघशासित क्षेत्रों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

: एससीबी. सी एफए के रुप में कार्यरत

@ : इन संघशासित क्षेत्रों में कोई को-ऑप. बैंक नहीं हैं।

** : को ऑपरेटिवें के आंकडें समेकन के अधीन ।

परिशिष्ट सारणी V.1: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपए)

संस्थाएं	ऋण*				हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान				अन्य				कुल				2005-06 की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़	
	2005-06		2006-07		2005-06		2006-07		2005-06		2006-07		2005-06		2006-07			
	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अ. अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री सस्थाएं (1 से 3)	**11,974.8**	**9,286.8**	**12,234.4**	**10,678.5**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**11,974.8**	**9,286.8**	**12,234.4**	**10,678.5**	**2.2**	**15.0**
1. आइएफसीआइ	–	187.0	1,050.0	550.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187.0	1,050.0	550.0	–	194.0
2. सिडबी	11,974.8	9,099.8	11,184.4	10,128.5	–	–	–	–	–	–	–	–	11,974.8	9,099.8	11,184.4	10,128.5	-6.6	11.3
3. आईआईबीआई #	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B. आ. विशिष्ट वित्तीय संस्थाए (4 से 6)	**100.2**	**65.2**	**214.0**	**88.8**	**–**	**–**	**–**	**–**	**32.8**	**22.8**	**31.4**	**31.4**	**133.0**	**88.0**	**245.4**	**120.2**	**84.5**	**36.6**
4. आइवीसीएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आइसीआइसीआइ वेंचर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6. टीएफसीआइ	100.2	65.2	214.0	88.8	–	–	–	–	32.8	22.8	31.4	31.4	133.0	88.0	245.4	120.2	84.5	36.7
इ. निवेश संस्थाएं (7 से 8)	**1,342.5**	**2,036.9**	**3,635.0**	**2,946.1**	**14,211.1**	**9,620.8**	**15,116.0**	**24,799.6**	**4.0**	**113.0**	**8.2**	**111.4**	**15,557.6**	**11,770.7**	**18,759.2**	**27,857.1**	**20.6**	**136.7**
7. एलआइसी	1,342.5	2,020.3	3,635.0	2,937.7	13,822.1	9,179.2	14,491.9	24,079.3	–	–	–	–	15,164.6	11,199.5	18,126.9	27,017.0	19.5	141.2
8. जीआइसी @	–	16.6	–	8.4	389.0	441.6	624.1	720.3	4.0	113.0	8.2	111.4	393.0	571.2	632.3	840.1	60.9	47.1
ई. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (अ+आ+इ)	**13,417.5**	**11,388.9**	**16,083.4**	**13,713.4**	**14,211.1**	**9,620.8**	**15,116.0**	**24,799.6**	**36.8**	**135.8**	**39.6**	**142.8**	**27,665.4**	**21,145.5**	**31,239.0**	**38,655.8**	**12.9**	**82.8**

स्वी : स्वीकृत संवि. : संवितरित – : कुछ नहीं .. : अनुपलब्ध # : आईआईबीआई बैंक अपने आप को स्वैच्छिक रुप से बंद करने की प्रक्रिया में हैं।

* : ऋण में रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण और गारंटी शामिल हैं।

@ : आंकड़ों में साधारण बीमा निगम और उसकी पूर्व सहायक कंपनियां शामिल हैं।

टिप्पणी : सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएँ।

परिशिष्ट सारणी V.2: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन*

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था/वर्ष	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
टीएफसीआइ									
जुटाए गए संसाधन	158	104	124	112	93	172	23	66	–
बकाया	711	753	676	667	632	546	429	390	331
एग्ज़िम बैंक									
जुटाए गए संसाधन	500	1,281	565	1,098	4,923	6,881	5,301	7,446	10,620
बकाया	1,275	3,842	4,068	5,303	9,154	12,752	11,771	15,836	21,137
सिडबी									
जुटाए गए संसाधन	580	635	1,076	1,557	1,547	2,972	2,434	3,489	2,176
बकाया	10,324	10,756	10,442	10,074	9,607	10,535	9,346	11,030	10,928
नाबार्ड									
जुटाए गए संसाधन	354	569	1,472	2,548	2,988	5,334	10,642	8,395	10,899
बकाया	1,632	2,141	3,614	6,078	8,702	11,883	26,429	23,313	31,260
एनएचबी									
जुटाए गए संसाधन	575	667	500	238	2,984	3,290	3,482	6,562	12,761
बकाया	4,074	4,807	5,256	4,830	7,932	10,569	12,395	16,344	18,475
जुटाए गए कुल संसाधन	**2,167**	**3,256**	**3,737**	**5,553**	**12,535**	**18,649**	**21,882**	**25,958**	**36,456**
कुल बकाया	**18,016**	**22,299**	**24,056**	**26,952**	**36,027**	**46,285**	**60,370**	**66,913**	**82,131**

– : शून्य/नगण्य।

* : इसमें दीर्घावधि (बांड तथा उधार), अल्पावधि (सीपी, टीडी, आइसीडी, सीपी एवं मीयादी मुद्रा) तथा विदेशी मुद्रा संसाधन (बांड तथा उधार) शामिल हैं।

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी V.3: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और विनियोजन का स्वरूप *

(राशि करोड़ रु. में)

निधियों के स्रोत/ विनियोजन	2005-06								कुल		2006-07								कुल	
	समाप्त तिमाही										समाप्त तिमाही									
	जून		सितंबर		दिसंबर		मार्च				जून		सितंबर		दिसंबर		मार्च			
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निधियों के स्रोत (i+ii+iii)	**16,995**	**100.0**	**20,233**	**100.0**	**30,859**	**100.0**	**32,368**	**100.0**	**1,00,456**	**100.0**	**29,888**	**100.0**	**44,811**	**100.0**	**43,760**	**100.0**	**62,403**	**100.0**	**1,80,862**	**100.0**
i) आंतरिक	13,359	78.6	14,001	69.2	20,222	65.5	15,975	49.4	63,557	63.3	18,192	60.9	22,487	50.2	16,823	38.4	24,939	40.0	82,441	45.6
ii) बाह्य	3,298	19.4	6,088	30.1	9,543	30.9	14,547	44.9	33,475	33.3	10,437	34.9	21,037	46.9	21,923	50.1	34,447	55.2	87,844	48.6
iii) अन्य	338	2.0	144	0.7	1,094	3.5	1,847	5.7	3,424	3.4	1,259	4.2	1,287	2.9	5,014	11.5	3,017	4.8	10,578	5.8
निधियों के विनियोजन (i+ii+iii)	**16,995**	**100.0**	**20,233**	**100.0**	**30,859**	**100.0**	**32,368**	**100.0**	**1,00,456**	**100.0**	**29,888**	**100.0**	**44,811**	**100.0**	**43,760**	**100.0**	**62,403**	**100.0**	**1,80,862**	**100.0**
i) नए विनियोजन	10,725	63.1	13,925	68.8	25,307	82.0	22,316	68.9	72,273	71.9	20,128	67.3	28,318	63.2	23,276	53.2	34,574	55.4	1,06,295	58.8
ii) विगत उधारों की चुकौती	3,474	20.4	3,978	19.7	1,916	6.2	5,034	15.6	14,402	14.3	4,803	16.1	13,170	29.4	15,161	34.6	23,301	37.3	56,436	31.2
iii) अन्य विनियोजन	2,796	16.5	2,330	11.5	3,636	11.8	5,018	15.5	13,781	13.7	4,957	16.6	3,323	7.4	5,323	12.2	4,528	7.3	18,132	10.0
जिसमें से :																				
ब्याज चुकौती	1,147	6.7	1,007	5.0	1,120	3.6	1,229	3.8	4,502	4.5	1,275	4.3	1,294	2.9	1,439	3.3	1,559	2.5	5,567	3.1

* : आइएफसीआइ, टीएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एग्ज़िम बैंक शामिल।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी V.4: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बांडों/डिबेंचरों* के जरिए जुटाए गए संसाधनों की भारित औसत लागत/परिपक्वता

(प्रतिशत)

संस्था /वर्ष	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आइएफसीआइ										
भारित औसत लागत	13.0	13.9	12.9	12.5	11.1	9.6	8.2	–	7.8	7.6
भारित औसत परिपक्वता	5.3	5.7	7.0	6.5	6.8	2.2	3.2	–	7.2	8.6
टीएफसीआइ										
भारित औसत लागत	14.1	14.1	12.5	11.8	10.5	8.5	8.6	10.4	10.1	9.9
भारित औसत परिपक्वता	4.6	5.7	5.2	9.0	5.9	10.1	10.0	4.8	5.2	4.3
एग्ज़िम बैंक										
भारित औसत लागत	12.5	12.9	12.5	12.2	10.8	8.9	5.9	6.9	6.9	7.3
भारित औसत परिपक्वता	6.4	5.6	4.2	3.6	6.4	6.1	6.7	5.1	4.6	4.9
सिडबी										
भारित औसत लागत	12.3	12.4	9.7	9.8	7.5	6.5	4.9	6.3	5.9	6.5
भारित औसत परिपक्वता	10.0	10.0	2.6	1.3	1.0	2.3	2.8	7.0	3.9	4.5
नाबार्ड										
भारित औसत लागत	9.8	11.2	10.6	9.5	8.0	6.1	5.4	6.6	5.8	8.7
भारित औसत परिपक्वता	8.2	8.0	5.4	3.0	3.0	5.4	5.4	2.1	3.5	5.0
एनएचबी										
भारित औसत लागत	10.5	11.2	11.1	10.2	8.7	6.4	5.4	6.5	6.4	7.5
भारित औसत परिपक्वता	8.9	9.0	9.5	5.8	7.4	4.0	3.2	2.8	2.2	2.0

– : शून्य / नगण्य।
* : इसमें केवल रुपया संसाधन शामिल है तथा विदेशी मुद्रा उधार शामिल नहीं है।
* : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी V.5: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए)

क्रमांक	प्राथमिक व्यापारी का नाम	पूंजीगत निधियां (टियर I + टियर II + पात्र टियर III)		सीआरएआर (प्रतिशत)		सरकारी प्रतिभूतियों व खज़ाना बिल (बही मूल्य / एमटीएम) का स्टॉक		कुल आस्तियाँ (चालू देयताओं और प्रावधानों का निवल)	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.	860	610	75	32	1,712	1,409	2,981	3,404
2.	एसबीआई डीएफएचआइ लि.	959	1,009	148	80	1,493	627	1,603	1,289
3.	आइसीआइसीआइ प्रतिभूति लि.	415	556	26	23	613	531	1,428	1,523
4.	पी एन बी गिल्ट लि.	483	493	40	34	1,730	1,872	2,192	2,306
5.	एबीएन अमरो प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	147	149	39	34	274	306	450	578
6.	डीएसपी मेराइल लिंच लि.	625	675	45	25	161	2,053	982	3,468
7.	ड्यूश प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	182	192	41	66	271	591	426	626
8.	आइडीबीआइ कैपिटल बाज़ार सर्विसेस लि.·	557	341	46	22	392	23	687	363
	कुल	**4,229**	**4,026**	**53**	**33**	**6,646**	**7,412**	**10,749**	**13,557**

स्रोत : पूंजी निधि और सीआरएआर मार्च 2007 के पीडीआर III से

परिशिष्ट सारणी V.6: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	वर्ष	आय				व्यय			कर पूर्व लाभ	करोत्तर लाभ	निवल मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)
			छूट आय सहित ब्याज आय	व्यापर लाभ	अन्य आय	कुल आय	ब्याज व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	भारतीय प्रतिशति व्यापार निगम लि.	2005-06	176	-21	5	160	113	10	123	37	24	2.7
		2006-07	151	-61	9	99	105	17	121	-23	-14	-1.5
2.	एसबीआइ डीएफएचआइ लि.	2005-06	107	-58	3	51	42	7	49	3	2	0.3
		2006-07	90	-8	6	89	22	6	29	60	53	6.1
3.	आइसीआइसीआइ प्रतिभूति लि.	2005-06	167	106	134	406	109	82	192	214	148	35.6
		2006-07	197	106	122	425	149	86	235	190	133	32.3
4.	पी एन बी गिल्ट लि.	2005-06	143	-23	6	127	92	7	99	29	30	5.7
		2006-07	157	-35	5	126	103	6	110	16	16	3.2
5.	एबीएन एमरो प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	2005-06	47	-15	24	56	34	10	44	12	7	4.8
		2006-07	57	-12	67	112	41	25	66	46	31	18.1
6.	डीएसबी मेराइल लिंच लि.	2005-06	43	34	604	680	19	250	269	411	286	50.5
		2006-07	205	22	736	964	164	466	631	333	223	19.3
7.	ड्यूश प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि. .	2005-06	43	8	2	53	27	6	32	21	13	7.7
		2006-07	80	9	4	94	56	8	64	30	20	11.0
8.	आइडीबीआइ कैपिटल बाज़ार सर्विसेस लि.	2005-06	88	16	24	128	50	27	76	51	46	10.2
		2006-07	49	-39	31	41	27	31	58	-18	-18	-21.9
	जोड़	**2005-06**	**814**	**46**	**802**	**1,661**	**485**	**398**	**884**	**778**	**557**	**13.6**
		2006-07	**986**	**-17**	**979**	**1,950**	**668**	**645**	**1,314**	**636**	**444**	**9.5**